

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

उन्नत मौद्रिक अर्थशास्त्र

नॅशनल पब्लिशिंग हाउस

नयी दिल्ली-११०००२

## अनुक्रम

मुद्रा की प्रकृति (Nature of Money)	1
यस्तु विनिमय प्रणाली—विनिमय का अर्थ, गुण, सभावना, कठिनाइया, आधुनिक युग में यस्तु विनिमय; मुद्रा का प्रादुर्भाव, मुद्रा का ऐतिहासिक विकास।	
मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य (Definition and Functions of Money)	8
मुद्रा की परिभाषा—वर्णनात्मक, सामान्य स्वीकृति आधार; मुद्रा के कार्य—मुख्य कार्य, सहायक कार्य; मुद्रा एवं प्राथिक विकास।	
मुद्रा का महत्व (Significance of Money)	18
मुद्रा का महत्व—आर्थिक जीवन में सामाजिक सुधार में; प्राथमिक अर्थशास्त्र में मुद्रा, मुद्रा का प्रवाह एवं प्राथिक प्रणाली; मुद्रा का महत्व—सामाजिक, वर्तमान अर्थव्यवस्था में, पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में, सामाजवादी अर्थव्यवस्था में, नियोजित अर्थव्यवस्था में; मुद्रा के दोष—आर्थिक, नैतिक।	
मुद्रा का वर्गीकरण (Classification of Money)	35
मुद्रा का वर्गीकरण—हिसाब के आधार पर, मुद्रा अधिकारी के आधार पर, वैधानिक मान्यता के आधार पर, मुद्रा पदार्थ के आधार पर, मुद्रा की मात्रा के आधार पर।	
मौद्रिक मान (Monetary Standard)	44
मौद्रिकमान का वर्गीकरण—धातुमान, पत्र मुद्रामान; भारत में पत्र मुद्रामान; मौद्रिकमान के भेद; भारतीय मुद्रा प्रणाली की विशेषताएं।	
स्वर्णमान (Gold Standard)	58
परिभाषाएं; स्वर्णमान की विशेषताएं, स्वर्णमान के कार्य, स्वर्णमान के विभिन्न प्रकार, चलन मान, विनि- मयमान, निधिमान, समतामान; परेनू स्वर्णमान, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान, स्वर्णमान के नियम, स्वर्णगतियों का सिद्धांत, स्वर्ण मान अपनाये जाने के कारण, स्वर्णमान का पतन—पतन के कारण, स्वर्णमान का भविष्य, वर्तमान मुद्रा व्यवस्था—एक विशेषण, नया स्वर्णमान पुराने से श्रेष्ठ।	
मुद्रा का मूल्य (Value of Money)	83
मुद्रा एवं यस्तुओं में अन्तर, मुद्रा का यस्तु सिद्धांत, मुद्रा की कुल मात्रा, मुद्रा की पूँति मुद्रा, की पूँति को प्रभावित करने वाले तत्त्व, मुद्रा का मूल्य निर्धारण, मुद्रा का राजकीय सिद्धांत, मुद्रा की गति—गति को प्रभावित करने वाली बातें।	



- मुद्रा का परिमाणिक सिद्धांत (Quantity Theory of Money)** 91  
 प्रतिष्ठित सिद्धांत, मुद्रा की मात्रा के तत्त्व, परिभाषाएँ—विशेषताएँ; फिगर का सिद्धांत—फिगर समीकरण की मान्यताएँ, मुद्रा की गति को प्रभावित करने वाले तत्त्व, सिद्धांत की आलोचनाएँ, परिमाण समीकरण की ऐतिहासिक मूल्यता, फिगर के सिद्धांत का महत्व, मुद्रा की मात्रा का मांग से संबंध; कैम्ब्रिज समीकरण—सिद्धांत की प्रमुख बातें, मुद्रा की मात्रा, फिगर एवं कैम्ब्रिज समीकरण में अन्तर, कैम्ब्रिज समीकरण की श्रेष्ठता, कैम्ब्रिज समीकरण की आलोचनाएँ, मुद्रा की मांग समीकरण, मौलिक समीकरण—मौलिक समीकरणों की आलोचना, समीकरण के गुण, भाव, बचन एवं निवेश सिद्धांत ।
- वचन एवं विनियोग के सिद्धांत (Savings and Investment Theory)** 117  
 प्रतिष्ठित सिद्धांत—अभिलोचनाएँ, बिजनेस एवं औद्योगिक के विचार, आलोचना राइटिंग, के विचार, बीन्स का सिद्धांत—बीन्स के पहले के विचार, बीन्स के बाद के विचार, बचन एवं विनियोग में प्रामाण्यता का परिणाम, बीन्स के सिद्धांत की विशेषताएँ, बीन्स के सिद्धांत की मान्यताएँ, वचन व विनियोग सिद्धांत एवं परिमाण सिद्धांत में तुलना ।
- मुद्रा-स्फीति एवं मुद्रा संकुचन (Inflation and Deflation)** 127  
 मुद्रा-स्फीति, परिभाषाएँ, मुद्रा-स्फीति के लक्षण, मुद्रा-स्फीति की तीव्रता, मुद्रा-स्फीति, मुद्रा-स्फीति के कारण, मुद्रा प्रसार की अवस्थाएँ, मुद्रा-स्फीति एवं आर्थिक विकास, मुद्रा स्फीति के प्रभाव, मुद्रा-स्फीति के उपचार, भारत में मुद्रा-स्फीति, युद्धकाल में मुद्रा प्रसार, विश्व में मुद्रा-प्रसार, भारत में मुद्रा-प्रसार, मुद्रा-स्फीति के कारण, मुद्रा स्फीति रोकने के उपाय; मुद्रा-संकुचन (संकुचन)—कारण, प्रभाव, नियंत्रण, मुद्रा असंकीर्णता—धनस्फीति के दंग, मुद्रा-स्फीति के उपाय, मुद्रा-संकीर्णता, मुद्रा संस्फीति एवं मुद्रा-स्फीति में अन्तर, मुद्रा-संस्फीति के उपाय ।
- व्यापार चक्र (Trade Cycles)** 156  
 उच्चावचन के रूप—अनियमित उतार-चढ़ाव, दीर्घकालीन, प्रमहीन चक्रिय, व्यापार चक्र की परिभाषाएँ, आर्थिक उच्चावचन के प्रकार, व्यापार चक्र की अवस्थाएँ, व्यापार चक्र पर नियंत्रण, व्यापार चक्र के सिद्धांत ।
- मौद्रिक एवं प्रभुत्व नीतियाँ (Monetary and Fiscal Policies)** 188  
 मौद्रिक नीति का महत्व, क्षेत्र, उद्देश्य, अर्थ विवरण देनी में मौद्रिक नीति की सीमाएँ, मूल्य स्थिरता, मौद्रिक नीतियों का प्रभाव, धन्य नीतियाँ, मौद्रिक अस्थिरता के कारण, भारत में मुख्य स्थापित, प्रभुत्व नीति—महत्व, उद्देश्य ।
- द्वितीय भाग**
- बैंक-व्यवस्था (Banking System)** 203  
 व्यापारिक बैंक व केंद्रीय बैंक में अन्तर, शाखा एवं इकाई बैंकिंग पद्धति, बैंकिंग महत्व, बैंक की परिभाषा, बैंकों के प्रकार, शाख का निर्माण, शाख निर्माण की शक्ति, शाख-निर्माण की सीमाएँ, बहुगुनी शाख मूलन ।
- साख एवं साख-यन्त्र (Credit and credit Instruments)** 221  
 साख का अर्थ, साख की परिभाषाएँ, साख के मुख्य तत्त्व, साख का वर्गीकरण, साख के गुण, साख, पी सीमा, साख का महत्व, साख की हानियाँ, साख और आर्थिक विकास, साख मुद्रा पर नियंत्रण, साख-यन्त्र ।

**केन्द्रीय बैंक-व्यवस्था (Central Banking)**

स्थानता के कारण, केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता, परिभाषा, केन्द्रीय बैंक व व्यापारिक बैंक में अन्तर, केन्द्रीय बैंक के कार्य, साथ निरक्षण उद्देश्य, आवश्यकता, नीतिगत, लान, सीमाएं, बैंक दर व मुद्रा बाजार की क्रियाओं में अन्तर, साथ निरक्षण की दृष्टिगतता, केन्द्रीय बैंक की विशेषताएं, अंतर्विकसित व्यवस्थाएँ एक केन्द्रीय बैंक, प्रभावशाली मौद्रिक नीति ।

**तृतीय भाग****व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन (Balance of Trade and Balance of Payments)**

243

व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन का अर्थ, भुगतान संतुलन के भाग, भुगतान संतुलन की मरि, भुगतान संतुलन का महत्व, राष्ट्र में भुगतान संतुलन की विभिन्न अवस्थाएँ, प्रभावकार, समायोजन की विधियाँ, प्रभावकारता की सुझावों के अन्तर्, भारत का भुगतान संतुलन, पंचवर्षीय योजनाओं में भुगतान संतुलन ।

**विदेशी विनिमय (Foreign Exchange)**

265

विदेशी विनिमय का अर्थ, परिभाषाएँ, समस्या, विदेशी भुगतान के कारण, विदेशी विनिमय बाजार, विदेशी भुगतान के समय, ढंग; विनिमय दर, महत्व; विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव, विनिमय दर उच्चावचनों की सीमाएं, विनिमय दरों के आर्थिक प्रभाव, गैर-आधिकारिक विदेशी विनिमय दर ।

**विनिमय दरों के निर्धारण सुवर्था सिद्धान्त (Theories determining Exchange Rate)**

277

साथ एवं पूर्ण संतुलन सिद्धान्त, टकाली समता सिद्धान्त, टकाली समता पर विनिमय दर का निर्धारण, उच्चावचनों की सीमाएं, ऋण शक्ति समता सिद्धान्त, सिद्धान्त के गुण, अनुमान व पक्क-मुद्रामान, राष्ट्रों के विनिमय दर में अंतर, प्रतिष्ठित सिद्धान्त व ऋण शक्ति समता सिद्धान्त में अंतर, ऋण शक्ति समता व टकाली समता में अंतर, व्यावहारिक उपयोगिता, सिद्धान्त की आलोचनाएं; भुगतान संतुलन सिद्धान्त ।

**विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control)**

287

विनिमय नियंत्रण से आशय, विशेषताएं, विनिमय नियंत्रण के उद्देश्य, ढंग; विनिमय नियंत्रण का संवाधान, भारत में विदेशी विनिमय नियंत्रण ।

**अवमूल्यन एवं अधिमूल्यन (De-valuation and Over-Valuation)**

297

अवमूल्यन, प्रेरित करने वाली परिस्थितियाँ, अवमूल्यन के उद्देश्य, आवश्यक शर्तें, 1966 अवमूल्यन के कारण, अवमूल्यन से लाभ, हानियाँ, प्रभाव; अधिमूल्यन, उद्देश्य, कारण ।

**चतुर्थ भाग****अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund)**

307

उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के उद्देश्य, मंडलिय ऐतिहासिक विवरण, मूल सिद्धान्त, कार्य विधि, मुद्राकोष के प्राथमिक कारण, कार्य प्रणाली, सदस्य राष्ट्रों के दायित्व, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष एवं स्वयंमान, मुद्राकोष की नकलताएं, अनुसंधान, भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की वर्तमान-स्थिति, विश्व मौद्रिक रिश्ते ।

22. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (The International Bank for Reconstruction and Development) 325  
अंतर्राष्ट्रीय बैंक के उद्देश्य, विश्व बैंक का संगठन एवं प्रबंध, आधारभूत सिद्धांत, विश्व बैंक के कार्य, क्षमताएं, आलोचनाएं, भारत एवं विश्व बैंक, विश्व बैंक सहयोग के पहलु, विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्टें ।
23. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation) 337  
वित्त निगम की आवश्यकता, उद्देश्य, निगम की मदस्यता, निगम की प्रबंध व्यवस्था, कार्य प्रणाली, निगम की पूंजी, मार्ग दर्शक सिद्धांत, वित्त निगम का वित्तीय ढग, वित्त निगम की प्रगति, भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, कठिनाइयां ।
24. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association) 345  
आवश्यकता, स्थापना तथा उद्देश्य, संघ का संगठन, कार्य, प्रगति; भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, आलोचनाएं, सुझाव ।
25. एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) 351  
उद्देश्य, कार्य, मदस्यता, पूंजी व्यवस्था, प्रबंध व्यवस्था, बैंक के कार्य, कार्य पद्धति, महत्व, तकनीकी सहायता, प्रगति, भारत एवं एशियाई बैंक, बैंक की कठिनाइयां, आलोचनाएं ।
26. स्टर्लिंग एवं डॉलर क्षेत्र (Sterling and Dollar Areas) 358  
स्टर्लिंग क्षेत्र—विकास, विशेषताएं, लाभ समस्याएं, भविष्य; डॉलर क्षेत्र—विशेषताएं, लोकप्रियता के कारण, शक्ति ह्रास के कारण, यूरो-डॉलर क्षेत्र—प्रभाव, जमा में वृद्धि के कारण, उपयोगिता ।
27. अमेरिकी निर्यात बैंक एवं विकास ऋण कोष (Export Bank and Development Loan Fund of United States) 366  
स्थापना, उद्देश्य, वित्तीय साधन, सिद्धांत, अमेरिकी विकास ऋण कोष ।
28. यूरोपीय भुगतान संस्थाएं (European Payments Institutions) 370  
विश्व युद्ध का प्रभाव, इतिहास, भुगतान संघ के उद्देश्य, संघ की पूंजी, हिसाब मुद्रा, प्रशासन व्यवस्था, यूरोपीय भुगतान संस्था से लाभ, कठिनाइयां ।
29. अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएं एवं सहयोग (International Monetary Institutions and Helps) 374  
अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की आवश्यकता, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएं एवं सहयोग ।
30. अंतर्राष्ट्रीय तरलता (International Liquidity) 392  
परिभाषा, अर्थ, आवश्यकता, महत्व, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की माप, तरल कोषों की वर्गीकरण, अंतर्राष्ट्रीय तरलता के उद्देश्य, वृद्धि के कारण, वृद्धि के उपाय, समस्याएं, तरलता वृद्धि संबंधी विभिन्न योजनाएं, सीमाएं, दोष ।

मूल्य परिवर्तन को मापने की विधि (निर्देशांक) (Technique for Measuring Price Variations  
(Index Number) 399

निर्देशांक की परिभाषा, भेद, उद्देश्य, लक्षण, विशेषताएँ, महत्व; निर्देशांक का बनाना, उपयोगिता, सीमाएँ, निर्देशांक निर्माण में कठिनाइयाँ, निर्देशांकों के प्रकार, भारत में निर्देशांक ।

द्रवता पसंदगी एवं व्याज सिद्धांत (Liquidity Preference and Interest Theories) 409

तरलता पसंदगी या मुद्रा की मांग, द्रवता पसंदगी एवं बाजार दर का संबंध; व्याज सिद्धांत—अर्थ, परिभाषाएँ, सिद्धांत, आलोचनाएँ; कीन्स एवं प्रतिष्ठित सिद्धांत की तुलना ।

### पंचम भाग

भारतीय चलन का इतिहास (History of Indian Currency) 525

भारत में रजतमान, हर्जल समिति 1892, फाउलर समिति 1893, चंबरनेन आयोग 1913, वैरिंगटन स्मिथ समिति 1919, हिस्टन मग कमीशन 1925, स्टर्लिंग विनिमय मान (1931-1939), मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन, युद्धोत्तर काल में मुद्रा प्रणाली (1945-47), बड़े नोटों का विमुद्रीकरण, विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम 1947, साम्राज्य डालर कोष, भारत का पौड पावना, श्रवमूल्यन—भारतीय रुपये का श्रवमूल्यन 1949, कारण, आठ मूवीय कार्यक्रम, श्रवमूल्यन के प्रभाव, विदेशी विनिमय संकट; भारतीय रुपये का पुनः श्रवमूल्यन—1966, कारण, व्यापार पर प्रभाव, श्रवमूल्यन—आलोचनात्मक मूल्यांकन; मुद्रा व्यवस्था में परिवर्तन, रुपये का पुनर्मूल्यन, वर्तमान भारतीय मुद्रा प्रणाली ।

भारत में बैंकिंग का विकास एवं बैंकिंग विधान (Development of Banking in India and Banking Legislation) 453

बैंकिंग विकास का काल विभाजन, बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण, जमा-बीमा-निगम, बैंकिंग का भविष्य, भारत में बैंकिंग विधान, सामाजिक नियंत्रण और बैंक विधान ।

मुद्रा बाजार एवं बिल बाजार (Money Market and Bill Market) 464

मुद्रा बाजार—परिभाषाएँ, पूजी बाजार, कार्य, अंग; भारतीय मुद्रा बाजार—महत्व, दोष, दूर करने के सुझाव; भारत में बिल बाजार—महत्व, विशेषताएँ; रिजर्व बैंक की बिल बाजार मोडरना, योजना की मुख्य बातें, प्रगति, बिल बाजार में सुधार के उपाय, विश्व व्याज दरें, बिल बाजार योजना की आलोचना ।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) 475

रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, रिजर्व बैंक की वर्तमान स्थिति, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, वजित कार्य, मुद्रा व साख नियंत्रण, कृषि साख, प्रदत्त साख, रिजर्व बैंक एवं सहकारी बैंकिंग, रिजर्व बैंक एवं औद्योगिक वित्त, रिजर्व बैंक एवं आर्थिक विकास, रिजर्व बैंक का आलोचनात्मक मूल्यांकन ।

सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग (Banking in the Public Sector) 497

इम्पीरियल बैंक, पूजी व्यवस्था एवं संबंध, केंद्रीय बैंक न बनाया जाता, सरकारी नियंत्रण, महत्व, दोष, विरोध में तर्क, ग्रामीण बैंकिंग जाच समिति 1949; ग्रामीण साख सर्व समिति 1954, स्टेट बैंक इंडिया, पूजी व्यवस्था, उद्देश्य, कार्य, वजित कार्य, सफलताएँ, प्रगति ।

38. भारत में व्यापारिक बैंक (Commercial Banking in India) 407  
 दुरुस्करण, विधेयताएं, कार्य/वर्तमान-स्थिति, बैंक निक्षेप, अभिन, 1980 में क्षेत्रानुसार सात वितरण; व्यापारिक बैंकों के ढोंग, ढोंगों को दूर करने के उपाय ।
39. बैंकों का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Banks) 514  
 बैंकों पर मानसिक नियंत्रण, नियंत्रण योजना की विधेयताएं, व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण—पक्ष व विरोध में तर्क, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य, विधेयताएं, बैंकों की स्थिति—31 दिसंबर 1968, राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य, राष्ट्रीयकरण—एक समीक्षा, राष्ट्रीयकरण संबंधी समस्याएं, मुद्दाव ।
40. विदेशी विनियम बैंक (Foreign Exchange Banks) 535  
 विदेशी विनियम बैंकों के कार्य, स्थिति, विधेयताएं, ढोंग, विनियम बैंकों पर नियंत्रण, भारत में विनियम बैंकों की उपयोगिता ।
- षष्ठम भाग**
41. भारत में कृषि वित्त (Agricultural Finance in India) 545  
 कृषि भाग का वितरण, कृषि वित्त व्यवस्था, कृषि भाग की आवश्यकता, कृषि भाग के लक्षण, प्रमुख संगत; गृहकारी नाथ समितिना, भूमि बंधक बैंक, बैंक-मात्र गृहकारी संस्थाएं, ग्रामीण बैंक, कृषि पुनर्वित्त निगम, रिजर्व बैंक एव कृषि भाग, स्टेट बैंक एव कृषि भाग, कृषि वित्त नियम, ग्रामीण सात के साधन ।
42. भारत में औद्योगिक वित्त व्यवस्था (Industrial Finance in India) 579  
 आवश्यकता, साधन, औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, भारत का औद्योगिक सात एवं विनि-सौग निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक निगम लि०; औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राज्य लघु उद्योग निगम, औद्योगिक पुनर्वित्त निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम; औद्योगिक वित्त की प्रवृत्तिना ।
43. हीनार्थ प्रबंध (Deficit Financing) 613  
 विकास वित्त एवं युद्ध वित्त में अंतर, वित्तीय माधन, हीनार्थ प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा, सफलता, उद्देश्य, सीमाएं, प्रकार, विकल्पित राष्ट्रीय में हीनार्थ प्रबंधन, अविकल्पित राष्ट्रीय में हीनार्थ प्रबंधन, सवर्षीयिक हीनार्थ प्रबंधन, हीनार्थ प्रबंधन एव मुद्रा प्रसार, भारत में हीनार्थ प्रबंधन, योजनाओं में हीनार्थ प्रबंधन ।
44. भारत में विदेशी पूंजी (Foreign Capital in India) 624  
 विदेशी पूंजी का महत्व, प्रकार, विदेशी पूंजी सवर्षी साक्षरानिना, विदेशी पूंजी की सीमाएं, विदेशी पूंजी की हानिना, पूंजी के प्रकार, वित्तियोजन मिडान, पंचवर्षीय योजनाओं में विदेशी सहायता ।
45. भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं की वित्त व्यवस्था (Financing the Indian Five-year Plans) 636  
 प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56, प्रथम योजना में व्यय कार्यक्रम, वित्त व्यवस्था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उद्देश्य योजना की व्यय राशि, वित्त व्यवस्था; तृतीय पंचवर्षीय योजना, उद्देश्य, प्रायनिकताएं, व्यय कार्यक्रम, वित्तीय साधन, प्रथम एक वर्षीय योजना, उद्देश्य, व्यय कार्यक्रम; द्वितीय एक वर्षीय योजना 1967-68 उद्देश्य, प्रायनिकताएं, व्यय कार्यक्रम, वित्तीय व्यवस्था; तृतीय एकवर्षीय योजना 1968-69 उद्देश्य, व्यय व्यवस्था; चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, व्यय व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, प्रथम पंचवर्षीय योजना—उद्देश्य, विकास, व्यय कार्यक्रम, मार्गदर्शक क्षेत्र में व्यय व्यवस्था, उत्पादन के मौलिक लक्ष्य, वित्तीय व्यवस्था ।

## मुद्रा की प्रकृति (Nature of Money)

### प्रारम्भिक

"मुद्रा मानवीय खोजों की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आधारशिला है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा में आधारभूत खोज रहती है जैसे यन्त्रों में पहिया, विज्ञान में अग्नि, राजनीति में वोट आदि। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में, मानवीय सामाजिक अस्तित्व के व्यापकव्यक्त दृष्टिकोण से मुद्रा ही एक महत्त्वपूर्ण खोज है, जिसे पर समस्त क्रियाएं निर्भर होती हैं।" प्रारम्भ से ही मानव ऐसी वस्तुओं की खोज करता रहा है जो उसके मुक्त पहुंचाएँ। प्रारम्भिक अवस्था में मानव आत्मनिर्भर होते थे, आवश्यकताएँ सीमित व जीवन सादा रहता था। परन्तु सम्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य की आवश्यकताएँ भी बढ़ी, जिन्हें वह स्वयं पूर्ण करने में असमर्थ रहा। परिणामस्वरूप उसकी आवश्यकताएँ अपूर्ण रहने लगी और उसे अपार कष्ट का सामना करना पड़ा जिसने आविष्कार को जन्म दिया और विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित किया एवं आधिस्य वस्तुओं को विनिमय में देकर अन्य व्यक्तियों से अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को प्राप्त करने के प्रयास किए जाने लगे। कुछ समय के पश्चात् शिकार करने के लिए हथियारों की आवश्यकता पड़ी, जिसकी पूर्ति ऐसे लोग करने लगे जो स्वयं अस्त्र-शस्त्र बनाने में निपुण थे। कुछ अन्य व्यक्तियों ने शिकार से तंग आकर पशुपालन प्रारम्भ कर दिया। इसी प्रकार खेती करने वाले एवं कपड़ा बुनने जैसे अनेक छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे प्रारम्भ हो गए। परिणामस्वरूप समाज में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाले वर्गों का उदय हो गया।

वर्तमान आर्थिक पद्धति विनिमय पद्धति पर ही आधारित है क्योंकि विनिमय एक ऐसी घुंटी है जिसके चारों ओर आर्थिक मशीनरी घूँकर लगाती है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विनिमय क्रिया पर ही आधारित है। एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित किया गया समस्त माल स्वयं उसके द्वारा उपभोग नहीं हो पाता, बल्कि उसका अधिकांश भाग दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति करने में विनिमय द्वारा कार्य में लाया जाता है। विनिमय अर्थव्यवस्था मुद्रा के बिना भी कुशलतापूर्वक कार्य कर सकती है, परन्तु मुद्रा के अभाव में विनिमय की असुविधाओं को दूर नहीं किया जा सकता और इसी कारण मानव के इतिहास में मुद्रा को एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। मुद्रा के उपयोग ने व्यापार एवं विनिमय को विविध प्रकार की सुविधाएं दी हैं। वर्तमान उत्पादन प्रायः बाजार की विधी एवं खपत पर निर्भर करता है। वान्तरिक एवं विदेशी व्यापार की मात्रा में वृद्धि करने के लिए, मुद्रा का उपयोग आवश्यक है। मनुष्य व्यापार करने में लगा रहा तथा विनिमय द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा। सामाजिक प्रगति के साथ-साथ विनिमय का कार्य भी अधिक लाभप्रद होता गया तथा विनिमय ने समाज में एक महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया। विनिमय पर ही उत्पादन, उपभोग एवं वितरण निर्भर करता है।

1. "Money is one of the most fundamental of all Man's inventions. Every branch of knowledge has its fundamental discovery. In mechanics it is the wheel, in science fire, in politics the vote. Similarly, in economics, in the whole commercial side of Man's social existence, money is the essential invention on which all the rest is based."—G. Crowther : 'An Outline of Money' (Thomas Nelson & Sons Ltd., New York) 1958, p. 4.

## वस्तु विनिमय प्रणाली (Barter System)

### विनिमय का अर्थ

“तुलनात्मक कम-आवश्यक वस्तु से तुलनात्मक अधिक-आवश्यक वस्तु के बदल-बदल को विनिमय बहते हैं”—  
(जेवन्स)। इम प्रकार दो पक्षों के मध्य धन या वस्तु का वैधानिक, ऐच्छिक एवं पारस्परिक हस्तांतरण ही विनिमय कह-  
लाता है। एक वस्तु या सेवा किसी दूसरी वस्तु या सेवा के बदले में प्राप्त की जाए तो उसे वस्तु-विनिमय कहते हैं। “व्यापार-  
रिक पद्य के रूप में मनुष्य की प्रारम्भिक अवस्था में उसका व्यापार मुख्यतः विनिमय पर ही आधारित था।”<sup>2</sup> प्रारम्भ में  
अनेक प्रकार की वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। सम्यता के विवास के साथ-साथ इन रूपों में परिवर्तन होने  
रहे। विनिमय के लिए यह समझा जाने लगा कि धन का हस्तांतरण निम्न गुणों से युक्त होना आवश्यक है—(1) धन का  
हस्तांतरण पारस्परिक होना चाहिए, (2) धन का हस्तांतरण ऐच्छिक होना चाहिए, एवं (3) धन का हस्तांतरण वैधानिक  
होना चाहिए। यदि किसी हस्तांतरण में ये गुण नहीं हैं तो ऐसे हस्तांतरण को दान या भेंट कहेंगे। विनिमय का प्रमुख उद्देश्य  
आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करना होता है, जिससे मनुष्यों की आवश्यकता की सन्तुष्टि हो सके। वर्तमान समय में विनिमय  
के लिए मुद्रा का उपयोग होता है, क्योंकि वस्तु विनिमय में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

### वस्तु विनिमय के गुण

प्रो० म्यूलर के अनुसार वस्तु विनिमय में निम्न गुण पाए जाते थे :—

- (1) पारस्परिक सम्पर्क में वृद्धि वस्तु विनिमय के अन्तर्गत मनुष्य आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करने दूर-दूर  
स्थानों तक जाने लगे जिनमें पारस्परिक सम्पर्क में वृद्धि हुई।
- (2) राष्ट्रीय आय में वृद्धि जो व्यक्ति जिन वस्तु के उत्पादन में कुशल होता था उसी के उत्पादन पर अपनी  
मारी शक्ति लगा देता था, जिसे उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गयी थी।
- (3) अधिकतम सन्तुष्टि प्रत्येक उत्पादक अतिरिक्त वस्तुएं बेचकर बदले में आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त  
करता था जिनमें अधिकतम उपयोगिता का लाभ उठाकर वह अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त कर सकता था।
- (4) गुलामी से मुक्ति व्यक्ति काम के बदले वस्तुएं प्राप्त करता था और अतिरिक्त मात्रा को अन्य वस्तुओं से  
बदलकर आवश्यकता की पूर्ति करता था, जिससे उसे गुलामी से मुक्त रहने के अवसर प्राप्त हुए।

### वस्तु विनिमय की सम्भावना

#### (Possibility of Barter System)

वस्तु विनिमय केवल निम्न परिस्थितियों में ही सम्भव हो सकता था —

- (1) सीमित उत्पादन : वस्तु विनिमय उसी समाज में सम्भव हो सकता था जहां पर केवल सीमित वस्तुओं का  
ही उत्पादन सम्भव हो पाता हो।
- (2) मुद्रा का कम प्रचार : जिस देश में मुद्रा का प्रचार कम मात्रा में हो, वही पर वस्तु विनिमय भी सम्भव  
हो सकता था जैसे भारत के गांवों में मुद्रा के कम प्रचार के कारण वस्तु विनिमय प्रथा प्रचलित रही।
- (3) सीमित क्षेत्र : सीमित क्षेत्र में ही वस्तु विनिमय सरलतापूर्वक सम्पन्न हो सकता था। वर्तमान समय में सेन-  
देन के क्षेत्र में वृद्धि होने में वस्तु विनिमय में कठिनाइयां उत्पन्न हुईं।

1. “Exchange is the barter of the comparatively superfluous with the comparatively neces-  
sary.”  
—Jevons.
2. “In the earliest stages of Man as a commercial animal, his trading consisted entirely of  
barter”—G Crowther - ‘An Outline of Money’ (Thomas Nelson & Sons Ltd) 1958, p. 2.

(4) पिछड़ी अवस्था : यदि देश की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अवस्था में है तो लेन-देन कम मात्रा में होने के कारण वस्तु विनिमय सफलतापूर्वक चल सकता है।

(5) मुद्रा में कम विश्वास : जनता का मुद्रा में कम विश्वास होने पर भी वस्तु विनिमय पद्धति सफल हो सकती है जैसे अधिक स्फीति के समय वस्तु विनिमय ही व्यवसाय का आधार रहा।

(6) परिवहन का अधिकृत होना : यदि देश में परिवहन के साधनों का सीमित विकास हुआ है तो आपसी लेन-देन सीमित होंगे, और वैकिंग सुविधाओं का अभाव बना रहेगा जिससे वस्तु विनिमय सम्भव हो सकेगा।

वस्तु विनिमय को कठिनाइयाँ

वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं—

(1) दोहरे संयोग का अभाव (Lack of Double Coincidence) : विनिमय के लिए दो वस्तुओं एवं दो व्यक्तियों की उपस्थिति से ही कार्य पूर्ण नहीं हो पाता, बल्कि ऐसे दो व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक है, जिनके पास वह वस्तु आधिक्य में हो, जिसकी दूसरे व्यक्ति को आवश्यकता है। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति अनाज को कपड़े में बदलना चाहता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो न केवल अनाज की मांग करता हो, बल्कि उसके पास देने को कपड़ा भी फलानू हो। ऐसा दोहरा संयोग व्यावहारिक जगत में संयोग से ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह कोई आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति के पास जो वस्तु आधिक्य में हो, उसकी आवश्यकता किसी ऐसे व्यक्ति को ही हो जिसके पास पहले व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु आधिक्य में हो। इस प्रकार जब तक ऐसी परस्पर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग सम्भव न हो उस समय तक वस्तु विनिमय सम्भव ही नहीं हो सकता। प्रारम्भ में जब मनुष्य की आवश्यकताएँ अत्यन्त सीमित मात्रा में थीं, उस समय ऐसे दोहरे संयोग प्रायः मिल जाते थे, परन्तु आवश्यकताओं की वृद्धि होने पर, आवश्यक वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी और दोहरे संयोग स्थापित करने में कठिनाइयाँ उपस्थित होने लगी।

(2) वस्तुओं की अविभाजकता (Indivisibility of Articles) : विनिमय की जाने वाली वस्तुओं में कुछ वस्तुएँ ऐसी होती थीं, जिन्हें छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित करना सम्भव नहीं होता, और यदि ऐसा किया भी जाए तो उनकी उपयोगिता कम या समाप्त हो जाती है। इस प्रकार जब किसी व्यक्ति के पास ऐसी अविभाजक वस्तु होती थी, जिसके बदले में उसे कम मूल्य की विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ विभिन्न व्यक्तियों के पास उपलब्ध हो सकती थीं, तो इसके प्राप्त करने में उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उदाहरणार्थ एक बैल या बकरी अविभाजनीय होते थे उसे नोटकर बेचने से जो मूल्य प्राप्त होगा वह सम्पूर्ण बैल के बेचने से कम होगा। यदि एक व्यक्ति के पास एक बैल हो और वह उसके बदले में गेहूँ, कपड़ा, तेल आदि लेना चाहता हो तो उन वस्तुओं को प्राप्त करना कठिन होगा, कपड़ा व तेल आदि वस्तुएँ आधिक्य में हों जिनकी बैल के स्वामी को आवश्यकता हो और उसके बदले में उसके पास गेहूँ, व्यक्तियों से वस्तुएँ प्राप्त की जाए, तो उसे अधिक हानि सहन करनी होगी। इस प्रकार वस्तु की अविभाजकता भी वस्तु विनिमय की कठिनाई को जन्म देती है।

(3) मूल्य के हस्तांतरण का अभाव (Lack of Transfer of Value) : मूल्य या त्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना प्रायः कठिन होता था और विनिमय की जाने वाली वस्तुओं को ले जाना सम्भव नहीं होता था। उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति के पास 4 मकान या 100 बैल हैं, तो उन्हें एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान तक ले जाना सम्भव नहीं होता था। यदि बैलों को ले जाया भी जाए तो उन्हें दूर तक ले जाना सरल नहीं था। मूल्य के इस हस्तांतरण की कठिनाई के कारण समाज का विकास तोत्र गति से सम्भव न हो सका।

(4) स्थगित भुगतान का अभाव (Lack of Deferred Payment)—समाज में अनेक व्यवहार ऐसे होते हैं, जिनका भुगतान तत्काल न करके कुछ समय बाद किया जाता है, परन्तु विनिमय के अन्तर्गत ऐसी उपयुक्त वस्तुएँ उपलब्ध नहीं हो पायी थीं, जिन्हें स्थगित भुगतानों के लिए रोक कर रखा जा सके, क्योंकि समस्त वस्तुएँ दीर्घकालीन एवं टिकाऊ नहीं होती हैं तथा इन वस्तुओं को यदि थोड़े समय के लिए संचय करके रखा भी जाए तो उनकी कीमतों में इतना उच्चावचन हो जाता था कि व्यक्तियों को हानि का सामना करना पड़ता था, जिससे स्थगित भुगतान में इसका उपयोग सम्भव न हो सका।




3) सामान्य मूल्य मापक का अभाव (Lack of Common Value Measure) : वस्तु विनिमय में मूल्य का कोई सामान्य मापक न होने से वस्तुओं की अदल-बदल का अनुपात निश्चित करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वस्तु विनिमय में यह जानना आवश्यक है कि बितनी वस्तु के बदले दूसरी बितनी वस्तु दी जाए—जैसे एक व्यक्ति अपने कम्बल का मूल्य 15 किलो दूध समझे, जबकि दूध का मातृक कम्बल को घटिया समझकर बदले में 10 किलो दूध ही देने को तैयार हो तो सोदा सम्भव नहीं हो सकता था। इस प्रकार जब तक विनिमय की जाने वाली वस्तुओं का अनुपात निश्चित न हो जाए उस समय तक वस्तुओं का विनिमय करना सम्भव न हो सकेगा। इसके अतिरिक्त मनुष्य की आवश्यकताओं में अनेक वस्तुएँ सम्मिलित होती हैं और उन सब को प्राप्त करने के लिए अनेक वस्तु-अनुपात ज्ञात करने होंगे, जिन्हें ज्ञात करना एवं याद रखना असंभव कठिन होगा।

(6) मूल्य संचय का अभाव (Lack of Store of Value) : वस्तु विनिमय के अन्तर्गत वस्तुओं को भविष्य के प्रयोग के लिए धन अर्थात् संचय के रूप में संचय करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं होती। समस्त वस्तुएँ नाशवान होती हैं और उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। उदाहरणार्थ यदि धन को गेहूँ, साग, सब्जी आदि के रूप में संचय करके रखा जाय तो वह एक-दो वर्षों से अधिक सुरक्षित नहीं रहे जा सकते। इस प्रकार वस्तुओं को मूल्य संचय के रूप में सुरक्षित रखना कठिन हो जाता है।

वस्तु विनिमय की इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मनुष्य के लिए यह आवश्यक हो गया कि कोई ऐसा साधन खोजा जाए जिसमें कि ये कठिनाइयाँ दूर की जा सकें। यह नवीन साधन ऐसा होना चाहिए जो विनिमय का माध्यम एवं मूल्य-मापक का कार्य कर सके। इसके लिए मुद्रा का प्रयोग वड़ा। "यह लगभग असम्भव है कि वस्तु विनिमय करने वाले व्यक्तियों की सामूहिक पारस्परिक इच्छाएँ, जैसे वस्तु के भेद, गुण एवं मूल्य के सम्बन्ध में पूर्ण हो सकें, विशेषकर एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में जहाँ एक ही दिन में लाखों व्यक्ति, लाखों वस्तुओं का विनिमय करते हों।"<sup>1</sup>

वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को निम्न चार्ट के रूप में रखा जा सकता है :—

### वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ



### आधुनिक युग में वस्तु विनिमय (Barter in Modern Age)

यदि आर के औद्योगिक युग में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाए तो अनेक उलझनें उत्पन्न होंगी, जो कि निम्न हैं :—

(1) पूंजी निर्माण का अन्त : वस्तु विनिमय व्यवस्था के अन्तर्गत संचय का कोई उचित माध्यम न होने के कारण पूंजी का निर्माण सम्भव नहीं हो सकेगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में आधुनिक बाजार व्यवस्था का अन्त होकर बड़े पैमाने की औद्योगिक अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी।

(2) विशिष्टीकरण की सम्पत्ति : वस्तु विनिमय में प्रत्येक दुकानदार वस्तु के बदले वस्तुएँ ही प्राप्त करेगा

1 "It is next to impossible that all the wishes of bartering individuals should coincide as to the kind, quality and value of the things which are mutually desired, especially in a modern economy in which on a single day millions of persons may exchange millions of commodities and services."—G N [I]alm . 'Monetary Theory', p. 1.

## मुद्रा की प्रकृति

जिससे दुकानों का विनिम्नीकरण समाप्त हो जाएगा। इससे आधुनिक व्यापार का मुख्यवस्थित क्रम ही समाप्त हो जाएगा।

(3) साक्ष का अन्त : वस्तु विनिमय में एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु तुरन्त स्वीकार करनी होगी जिससे समस्त सौदे नकद में होंगे और इस प्रकार से उधार लेन-देन समाप्त हो जाएगा।

(4) लाभ-हानि खातों का अभाव . वस्तु विनिमय के अन्तर्गत व्यापारी लाभ-हानि का व्योरा तैयार नहीं कर सकेंगे और वास्तविक लाभ का हिसाब लगाना कठिन होगा।

वर्तमान समय में वस्तु विनिमय का स्थान मुद्रा विनिमय में ले लिया है, फिर भी यह सोचना गलत है कि वस्तु विनिमय प्रथा सर्वथा समाप्त हो ही गई है। आज अतिक्रिस्त एव विकसित राष्ट्रों में वस्तु विनिमय प्रणाली किसी न किसी रूप में प्रचलित है। उदाहरणार्थ नवीन कार के व्यापार में उसके मूल्य के भुगतान में काफी मात्रा में पुरानी कारें दी जाती हैं तथा शेष भाग मुद्रा के रूप में भुगतान होता है। इसी प्रकार अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में गावों में कृषक द्वारा अपनी आवश्यक-वस्तुओं की अनेक वस्तुओं के रूप में मुद्रा देने के स्थान पर खेतों पर उत्पन्न होने वाला अनाज दिया जाता है। आर्थिक भार एवं कठिनाइयों के समय भी वस्तु विनिमय प्रणाली ही उपयोगी सिद्ध होती है। सं० रा० अमेरिका में भी सन् 1932 व 1933 के धरेलू संकट के समय वस्तु विनिमय का सहारा लिया गया। इसी प्रकार जर्मनी में द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् भारी मुद्रा-प्रसार होने पर वस्तु विनिमय पर ही निर्भर रहना पड़ा। भारत के अनेक गावों में आज भी मजदूरी का भुगतान नकदी में न होकर वस्तुओं के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार जब किसी राष्ट्र में मुद्रा की कुल-प्रमाणा व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो तो वस्तु विनिमय प्रणाली का ही चलन होता है। वर्तमान समय में विदेशी व्यापार में वस्तु विनिमय का चलन विश्वव्यापी स्तर पर प्रारम्भ हो गया है। विदेशी माल के बदले में विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के स्थान पर द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौतों द्वारा भुगतान करने के प्रयास किए जाते हैं। विश्व के अर्द्ध-विकसित राष्ट्र व्यापारिक समझौते वस्तु विनिमय के आधार पर ही करते हैं। वर्तमान समय में द्विपक्षीय समझौता पुरानी वस्तु विनिमय पद्धति का एक सुधरा हुआ रूप ही है। इन समझौतों का विदेशी व्यापार में महत्त्व बढ़ता ही जा रहा है।

## मुद्रा का प्रादुर्भाव (Evolution of Money)

समाज के विकास के साथ-साथ वस्तु विनिमय की कठिनाइयां बढ़ती गईं और मनुष्य को अनेक प्रकार की अनु-विधाएं होने लगी। ऐसे समय में यह अनुभव किया गया कि कोई ऐसी प्रणाली प्रयोग की जाए जो वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करते हुए समाज की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में सहायक सिद्ध हो सके। वस्तु विनिमय की कठिनाइयों से बचने के लिए ही मुद्रा का जन्म हुआ, जिसके आधार पर वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों को मापा जाने लगा। "जैसे ही मुद्रा की खोज हुई, यह मानव की इच्छाओं का उद्देश्य बन गई, क्योंकि यह कोई भी वस्तु खरीद सकेगी और यह समस्त वस्तुओं से थोड़ा समझी जाने लगी। वास्तव में मूल्य क्या था और मनुष्य वास्तव में क्या चाहता था, वह एक ऐसी सम्पत्ति थी, जिसे मुद्रा ध्रुव कर सकेगी।" मुद्रा के रूप में कार्य करने वाली वस्तु सर्वैष ही एक मूल्यवान वस्तु रही। मुद्रा के जन्म के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इसकी खोज किसी ने नहीं की वरन् यह मनुष्य को स्वतः ही प्राप्त हो गई। समाज में जैसे-जैसे विनिमय का चलन बढ़ता गया जैसे ही जैसे प्रगतिशील जातियों ने किसी न किसी रूप में विनिमय माध्यम का प्रयोग किया और उसी को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। एडम-स्मिथ का विचार है कि मुद्रा का जन्म विनिम्नीकरण के साथ हुआ। वस्तु विनिमय में वस्तुओं के मूल्य आकने की समस्या बनो रहती थी, अतः मूल्य के एक समान मापक की खोज की गई। परन्तु इससे समस्त कठिनाइयों का अन्त नहीं हो सका और यह कठिनाई उस समय दूर हुई, जबकि मूल्य का मापक विनिमय के माध्यम का भी कार्य करने लगा। इस प्रकार मुद्रा के महत्त्व को अनुभव करके इसका प्रचलन व प्रयोग बढ़ा।

प्रारम्भ में वस्तुओं को ही मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। इसके लिए ऐसी वस्तुओं का चुनाव किया जाता था जो सर्वसाधारण द्वारा स्वीकृत हों तथा जिनकी विस्तृत व अपरिवर्तनीय माग हो। प्रारम्भ में गेहूं, चावल, तम्बाकू आदि

1. "As soon as money was invented it became the object of men's desire. Since it would purchase anything, it became supremely worth having. What was really of value, what men really wanted, was the wealth that money would buy."—G. Crowther : 'An Outline of Money', p. 5.

ही इसके लिए प्रयोग किया गया। मन्मता के विनाश के साथ-साथ गहनों सम्बन्धी वस्तुओं की मांग बड़ी और कीमती धातुओं को विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। बाद में स्वर्ण, चांदी एवं तांबे को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। ये वस्तुएं कीमती व टिकाऊ होती थी, इनकी मांग अधिक रहती थी और इन्हें सर्वसाधारण द्वारा स्वीकार किया जाता था। समय एवं परिस्थितियों के साथ-साथ मुद्रा का स्वरूप भी बदलता रहा है।

बाद में सिक्कों को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। प्रारम्भ में धातुओं को छड़ों के रूप में प्रयोग किया गया। सिक्कों पर किसी न किसी प्रकार की सरकारी मुद्रा रहती थी, जिससे उन्हें मरलता में पहचाना जा सके। कागज को भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा जिसे कागजी मुद्रा के नाम से जानते थे। इस प्रकार कागजी मुद्रा बैंक एवं सरकारी मुद्रा के रूप में प्रचलित हुई जो विभिन्न स्थितियों से होकर गुजरी। मनुष्यों ने इन कागजी मुद्रा पर कम विश्वास किया। फिर भी बड़े-बड़े व्यवहारों में कागजी मुद्रा का ही प्रयोग किया जाता था। प्रथम विश्व-युद्ध तक कागजी मुद्रा को स्वर्ण में परिवर्तन करने की सुविधा प्राप्त थी। कागजी मुद्रा के साथ-साथ मुद्रा का प्रचलन भी बढ़ा, जो व्यवसायी वर्ग में अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ। वर्तमान समय में मात्र या बैंक मुद्रा गमस्त बड़े व्यवहारों में प्रयोग की जाती है। मात्र मुद्रा के आधारपर अगने ही देश एवं विदेश में भुगतान करने में काफी सुविधा प्राप्त हो जाती है। परन्तु इसका स्वरूप मुद्रा से सर्वथा भिन्न होता है। यह एक विशिष्ट धातु नहीं है और इसी कारण इसकी स्वीकृति सर्व्वच्छिद्र है, अनिश्चय नहीं। इसका व्यवहार प्रायः आपसी विश्वास पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में संसार के विकसित राष्ट्रों में भुगतान का एक बड़ा हिस्सा बैंक-मुद्रा द्वारा ही दिया जाता है। "मुद्रा, मन्मता के अन्य प्रमुख तत्वों की मांग, एक प्राचीन महत्वा के रूप में है, जिसके मन्मत्त्व में कुछ वर्षों पूर्व बदलाया गया था।" <sup>1</sup> मुद्रा का विकास कई स्थितियों में हुआ है। नमी वाली वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। "मोना व चांदी को वास्तव में मुद्रा के रूप में चुना गया, क्योंकि अन्य वस्तुओं की तुलना में इनका अभाव था, और इस अभाव ने उसे मूल्यवान बना दिया।" <sup>2</sup> किसी भी पदार्थ का मूल्य उनकी मांग एवं पूर्ति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसलिए किसी भी वस्तु के मूल्यवान होने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी मांग ही व साथ ही साथ अभाव भी हो। स्वर्ण व चांदी की मांग, जेवर एवं अन्य सजावट के कार्यों में भी प्रयोग होने में बड़ी और उच्च मूल्यवान धातु समझा गया। वर्तमान समय में स्वर्ण के स्थान पर कागजी मुद्रा एवं बैंक नोट आदि का प्रचलन काफी बढ़ गया है।

मुद्रा के विकास को निम्न प्रकार रखा जा सकता है :—

(1) आषट युग में मुद्रा : इस युग में खाली का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। रोम कांस्य तथा रूस में पतले की मुद्रा ही चलन में थी।

(2) घरागाह युग में मुद्रा : इस युग में बैल को मूल्य का मापक माना गया। होमर की कविताओं में उल्लेख है कि घरों का मूल्य 9 बैलों के बराबर था। इसी प्रकार दामो का मूल्य भी बैलों में ही आका गया। जर्मनी में जुर्मानी भी पशुओं में किया जाता था। दक्षिणी मूडान में दिनका नामक चरवाहा जाति अपनी सम्पत्ति का मापन पशुओं में करती है।

(3) कृषि युग में मुद्रा : इस युग में अनाज को मुद्रा के रूप में काम में लिया जाने लगा। ग्रीस, नार्वे एवं अमेरिका के मेरीलैण्ड नामक प्रदेश में अनाज को ही वैधानिक मुद्रा घोषित किया गया। तम्बाकू को भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। 1618 में बर्जीनिया में तम्बाकू को श्रेणो के भुगतान में 3 सि० प्रति पौंड के हिसाब से स्वीकार किया गया था।

(4) औद्योगिक युग में मुद्रा : मशीनों के प्रयोग से धातु मुद्रा को प्रयोग में लाया जाने लगा। परन्तु अधिक भार व अधिक जगह घेरने के कारण इसके प्रचलन में अनेक कठिनाइया उपस्थित हुईं।

(5) आधुनिक युग में मुद्रा : वर्तमान समय में वही-वही पर चांदी व मोने की मुद्राओं का चलन है। अधिकांश देशों में भारतीय, महंगान, एवं अधिक स्थान घेरने के कारण धातु मुद्राएं समाप्त होती जा रही हैं। इनके स्थान पर कागजी मुद्रा का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में बैंक का प्रचलन भी कष्टदायक माना जाने लगा है और अब केवल


1 "Money, like certain other essential elements in civilisation, is a far more ancient institution than we were taught to believe some few years ago"—J. M. Keynes: 'A Treatise on Money' (Macmillan & Co. Ltd. London) 1953, p. 13.

2 "Gold and silver were originally chosen as money because they were, among other things, fairly scarce and their scarcity made them valuable."—G. Crowther: 'An Outline of Money', p. 9.

टेलीफोन पर सूचना देने से ही जमा या खर्च लिखकर व्यवहार किए जाने लगे हैं।

मुद्रा के विकास को निम्न चार्ट द्वारा समझाया जा सकता है :

### मुद्रा का ऐतिहासिक विकास



मुद्रा के विकास के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में मुद्रा के आगमन के पूर्व पत्थर, दांत एवं अन्य वस्तुएँ मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती रही हैं। जर्मनी में 1945-1946 में सिगरेटों को भुगतान के रूप में प्रयोग किया जाता था। भिन्न-भिन्न समय में माध्यम के रूप में जिन-जिन वस्तुओं का प्रयोग किया गया उन्हें निम्न प्रकार रखा जा सकता है<sup>1</sup> :—

मिट्टी	नावें	बकरे	लोहा
खालें	पत्थर	दास-लोग	निकल
दांत	धुर	चावल	कागज
जानवर	लोहा	चाय	चमड़ा
सूअर	हावा	तम्बाकू	पेस्तकागज
पीढ़े	पीतल	ऊन	ताश्
भेड़ें	बांदी	नमक	व्यक्तियों के ऋण
सूखी खालें	सोना	अनाज	बैंकों के ऋण
	छेड़ें	शराब	सरकारी ऋण
		चाकू	

उपर्युक्त सारिणी के अध्ययन से स्पष्ट है कि मुद्रा के रूप में भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं को विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया। इन वस्तुओं को उचित ढंग से वर्गीकृत ढंग से रखना सम्भव नहीं है। इन समस्त वस्तुओं में विनिमय के माध्यम का गुण विद्यमान रहा जो मुद्रा का प्रमुख लक्षण माना जाता है। मुद्रा के विकास का इतिहास दिल-चस्प एवं आश्चर्यजनक रहा है।

1. Taken from L.V. Chandler's book : 'The Economics of Money and Banking', iv ed, (Harper & Row, New York, 1964)—reproduced by M. C. Vaish : 'Monetary Theory', pp. 10-11.

## मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य (Definition and Functions of Money)

### प्रारम्भिक

अर्थशास्त्रियों में प्रत्येक विषय पर मतभेद देखा जाता है और इस मत-भिन्नता का प्रमुख कारण यह है कि उनके अध्ययन का विषय मनुष्य एवं उसका व्यवहार है जो अनिश्चित एवं जटिल है। मुद्रा का प्रयोग राजा-महाराजाओं के युग में होता था, जबकि राजदरबार में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास एक मुद्रा होती थी जो सकेत-चिह्न की भाँति प्रयोग की जाती थी। निर्धारित मुद्रा दिखाने वाले व्यक्ति को ही महल के पहरेदार अन्दर जाने की अनुमति देते थे। धीरे-धीरे परिचय चिट्ठ का काम देने वाली मुद्रा वस्तुओं के क्रय-विक्रय का माध्यम बन गयी। वर्तमान समय में भी मुद्रा एक सकेत चिट्ठ मात्र ही है, जिसमें सोना चांदी तो नाम मात्र को होती है, परन्तु सरकारी मोहूर होने के कारण उसके द्वारा सम्पूर्ण लेन-देन किए जाते हैं। कागज के नोट तो केवल सकेत चिट्ठ ही होते हैं। अंग्रेजी भाषा का 'Money' शब्द लैटिन भाषा के 'Moneta' से बना है। रोम में देवी जूनो के मन्दिर में मुद्रा बनायी जाती थी और देवी जूनो को मोनेटा के नाम से पुकारते थे। इसी प्रकार लैटिन में मुद्रा के लिए पैन्थूनिया शब्द का प्रयोग किया जाता था जो बैंक से बना है जिसका अर्थ पशुधन से है। मुद्रा के सम्बन्ध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ दी गई हैं, जिनमें इतनी भिन्नता पाई जाती है कि एक साधारण व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है।

### मुद्रा की परिभाषाएँ

#### (Definitions of Money)

मुद्रा की परिभाषाओं को निम्न वर्गों में रखकर अध्ययन किया जा सकता है—

#### I. वर्णनात्मक परिभाषाएँ

इस वर्ग में उन परिभाषाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वर्णन को अधिक महत्व देती हैं। इसमें निम्न परिभाषाएँ आती हैं—

(1) हार्टले विदर्स : "मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।"<sup>1</sup> इस प्रकार विदर्स के अनुसार मुद्रा के चार प्रमुख होते हैं, जैसे, विनिमय का माध्यम, मूल्य मापन, मूल्य का संचय एवं स्थगित भुगतानों में उपयोगी। जो कोई भी वस्तु वांछित कार्य करती है उसी को मुद्रा माना जा सकता है।

(2) टॉमस के अनुसार : "मुद्रा समाज के समस्त सदस्यों पर एक प्रकार का दावा, आदेश या वचन है, जो अपनी इच्छानुसार कभी भी पूर्ण किया जा सकता है। यह लक्ष्य पूँति का साधन है, जो स्वयं के लिए न होकर, अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने या दूसरों की सेवाओं पर अधिकार मिलने का एक साधन है।"<sup>2</sup>

1 "Money is what money does"—Hartley Withers : 'The Meaning of Money'.

2. 'Money is a kind of claim upon all other members of the community, a sort of order or promise to deliver, which can be enforced whenever the owner pleases. It is a means to an end not for its own sake but as means obtaining other articles or of commanding the services of others' — Thomas Elements of Economics', p. 400.

(3) कौलबोर्न : "मूल्य मापक एवं भुगतान के रूप में मुद्रा को परिभाषित किया जा सकता है।"<sup>1</sup>

(4) ट्रिफोर्ड : "मुद्रा का कार्य करने वाली वस्तु मुद्रा है, चाहे वह धातु, सिक्का, सिपरेट या सीपियों की माला ही क्यों न हो।"<sup>2</sup>

(5) नोगारो : "मुद्रा एक वस्तु है जो विनिमय के माध्यम एवं मूल्य के सामान्य माप के रूप में कार्य करती है।"<sup>3</sup>

(6) याइलेसेली : "यदि वस्तु की एक विशेष इकाई मूल्य निर्धारित करने, वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय करने तथा अन्य भौतिक कार्य करने में सामान्यतया प्रयोग हो, तो वह मुद्रा है, चाहे उसकी वैधानिक एवं भौतिक विशेषताएँ कुछ भी हों।"<sup>4</sup>

इस परिभाषा को लक्ष्य पूर्ति का एक साधन माना गया है जिससे दूसरी वस्तुओं या सेवाओं पर अधिकार प्राप्त हो जाता है, परन्तु मुद्रा सचय या हस्तांतरण के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है जिसका उल्लेख इस परिभाषा में नहीं किया गया है। इन परिभाषाओं में ऋण सम्बन्धी दावों एवं व्यावसायिक दायित्वों के भुगतान को ही सम्मिलित किया गया है जबकि विक्रित अर्थव्यवस्था में बैंक को भुगतान का सरल साधन माना गया है, जिसकी इस परिभाषा में उपेक्षा की गयी है।

## II. सामान्य स्वीकृति/आधार

इन चर्च में इन परिभाषाओं को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्य गुण पर अवलम्बित हैं। इस चर्च की प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

(1) सेलिगमन (Seligman) : "मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो।"<sup>5</sup>

(2) ऐली (Ely) : "जो कोई भी वस्तु विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतन्त्रतापूर्वक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होती रहती है, और ऋणों के अन्तिम भुगतान में साधारणतया स्वीकार कर ली जाए वही मुद्रा है।"<sup>6</sup>

(3) मार्शल (Marshall) : "मुद्रा में वे समस्त वस्तुएँ सम्मिलित की जाती हैं जो कि (किसी दिए हुए समय या स्थान पर) साधारणतया बिना सन्देह अथवा विशेष प्रकार की जाच-पड़ताल के, वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने के साधन एवं व्यय का भुगतान करने में प्रचलित हो।"<sup>7</sup>

(4) केंट (Kent) : "मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु है, जो विनिमय का माध्यम अथवा मूल्य के मापक के रूप में प्रायः उपयोग एवं साधारणतया स्वीकार की जाती है।"<sup>8</sup>

1. "Money may be defined as the means of valuation and of payment."—Coulborn.

2. "Whatever serves as money is money, whether it be a metal, coin, cigarette or a string of shells."—Trescott.

3. "Money is a commodity which serves as an intermediary in exchanges and as a common measure of value."—Nagaro.

4. "If a particular unit is commonly employed to state values, exchange goods and services or perform other money functions, then it is money, whatever its legal or physical characteristics"—Whiteley

5. "Money is one thing that possesses general acceptability."—Seligman.

6. Money is "anything that passes freely from hand to hand as a medium of exchange and is generally received in final discharge of debts."—Ely.

7. "Money includes all those things which are (at any given time or place) generally current without doubt or special enquiry as a means of purchasing commodities or services and of defraying expenses."—Marshall.

8. "Money is anything which is commonly used and generally accepted as a medium of exchange or as a standard of value."—Kent.

(5) कीन्स (Keynes) : "मुद्रा वह है जिसके हस्तांतरण से ऋण एवं मूल्य सम्बन्धों को पूर्ण किया जा सकता है और जिसे सामान्य क्रय-शक्ति के रूप में संविन किया जा सकता है।"<sup>1</sup>

(6) वाकर (Walker) : "मुद्रा वह है, जो वस्तुओं के पूर्ण भुगतान करने, ऋणों के अन्तिम भुगतान में इस बात की चिन्ता किए बिना कि भुगतान करने वाले का चरित्र या साधन कौसी है तथा प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर बिना ध्यान दिए हुए कि वह उसका स्वयं उपयोग करेगा या अन्य किसी व्यक्ति को देने में प्रयोग करेगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तांतरित होती है।"<sup>2</sup>

(7) राबर्टसन (Robertson) : "मुद्रा वह है जो किसी वस्तु के रूप में वस्तुओं की कीमतों को छुटाने एवं अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में व्यापक रूप में स्वीकार की जाती है।"<sup>3</sup>

(8) क्राउथर (Crowther) : "मुद्रा वह कोई भी चीज है, जो विनिमय के साधन के रूप में (अर्थात् ऋणों को निपटाने का साधन) प्रायः स्वीकार की जाती है तथा प्राय ही मापक एवं मूल्य संकष का कार्य भी करती है।"<sup>4</sup>

(9) कोल (Cole) : "मुद्रा केवल क्रय-शक्ति है—ऐसी वस्तु जो अन्य वस्तुएं खरीदती है—यह एक ऐसी वस्तु है जो स्वभाव से व्यापक रूप में भुगतान के साधन के रूप में प्रयोग एवं साधारणतया ऋणों के निपटारे के रूप में स्वीकार की जाती है।"<sup>5</sup>

(10) हॉल (Halm) : "मुद्रा शब्द का उपयोग विनिमय का माध्यम व मूल्य मान दोनों को ही सूचित करने में किया जाता है।"<sup>6</sup>

(11) वाघ (Waugh) : "मुद्रा में उन समस्त वस्तुओं का समावेश किया जाता है, जो एक समाज के अन्दर एक विनिमय-माध्यम के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण होने के रूप में, सामान्य स्वीकृति रखती हैं... कोई भी वस्तु ऐसे व्यापक रूप में स्वीकार नहीं की जाती है और इस अर्थ में मुद्रा मर्दव स्थानीय होती है, कुछ स्थानों पर वह मुद्रा है और अन्य स्थानों में वह इस रूप में स्वीकार नहीं की जाती है।"<sup>7</sup>

(12) पीयू किसी वस्तु को मुद्रा कहलाने के लिए उसकी विस्तृत क्षेत्र में विनिमय माध्यम के रूप में स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है। अर्थात् एक बड़ी सख्या में जनता उसे वस्तुओं एवं सेवाओं के भुगतान के रूप में स्वीकार करने

1 "Money is that by the delivery of which debts contracts and price contracts are discharged and in the shape of which a store of general purchasing power is held."—J.M. Keynes.

2 "Money is that which passes freely from hand to hand, in full payment of goods, in final discharge of indebtedness, being accepted equally without reference to the character or credit of person tendering it, and without any attention on the part of the person receiving it himself to consume or otherwise use it than by passing it on, sooner or later, in exchange."—Walker.

3 "A commodity which is used to denote anything which is widely accepted in payment of goods, or in discharge of other business obligations."—Robertsons.

4 "Anything that is generally acceptable as a means of exchange (i.e. as a means of settling debts) and at the same time acts as a measure and a store of Value."—Geoffrey Crowther : 'An Outline of Money', p. 20.

5 "Money is simply purchasing power—something which buys things—it is anything which is habitually and widely used as a means of payment and is generally acceptable in the settlement of debts."—G.D.H. Cole.


6 "The word money has been used to designate the medium of exchange as well as the standard of value."—Halm.

7 "Money consists of those things which, within a society, are of general acceptability passing from hand to hand as a medium of exchange... No commodity is, however, so widely acceptable and in this sense money is always local, it is money in some places and in other places it is not acceptable"—Waugh

## मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य

को तत्पर हों।"<sup>1</sup>

मुद्रा की परिभाषा को निम्न चार्ट द्वारा दिया सकते हैं :—



गुण—उपरोक्त परिभाषाओं का विवेचन करने पर मुद्रा के निम्न गुणों की जानकारी प्राप्त होती है—

- (1) मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होना चाहिए।
- (2) मुद्रा के कार्यों की ओर भी नज़र दिया गया है।
- (3) मुद्रा की स्वीकृति ऐच्छिक एवं स्वतन्त्र रूप में होनी चाहिए।
- (4) मुद्रा विनिमय माध्यम एवं मूल्य मापक दोनों ही रूप में प्रयोग होती है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वसाधारण व्यापक क्षेत्र में विनिमय का माध्यम, मूल्य मापक, मूल्य संचय एवं ऋण भुगतान के रूप में स्वतन्त्र रूप में सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो।

### मुद्रा की उचित परिभाषा

मुद्रा वह वस्तु है जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त हो तथा जिसका प्रयोग जनता द्वारा वर्तमान एवं भविष्य के भुगतानों के लिए किया जाता हो।

### मुद्रा के कार्य

(Functions of Money)

प्रो० चेडरर का मत है कि आर्थिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का केवल एक मौलिक कार्य है, जो मान एवं सेवाओं के लेन देन को सरल बनाता है। इससे समय एवं परिश्रम को बचत होता है। आधुनिक मुद्रा वाणिज्य के लिए पहिए का कार्य करती है। वर्तमान समय में मुद्रा के अनेक कार्य होते हैं, परन्तु प्राउथर ने मुद्रा के तीन कार्य ही बताए थे। उनके अनुसार, "मुद्रा का कार्य मूल्य मापक, विनिमय का माध्यम एवं धन का संचय करना है।"<sup>2</sup> आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के अनेक कार्य बताए हैं और अध्ययन की सुविधा के लिए प्रो० किन्ले (Kinley) ने इन्हें निम्न भागों में विभाजित किया है—

- (1) मुख्य कार्य (Primary Functions)
- (2) सहायक कार्य (Subsidiary Functions)

1. "In order of anything to be classed as money, it must be accepted fairly widely as an instrument of exchange, which means that good number of people are ready to accept it in payment for goods and services provided by them."—Pigou.

2. "Money must serve as a measure of value, as a medium of exchange and as a store of wealth." G Crowther : 'An Outline of Money', p. 20.

3. अर्थशास्त्र में मुद्रा के चार कार्य बताए हैं—विनिमय का माध्यम, मूल्य मापक, स्थिति भुगतानों का मान, तथा मूल्य संचय। ("Money is a matter of functions four—A Medium, A Measure, A Standard and A Store.")



(3) आश्चर्यपूर्ण कार्य (Contingent Functions)

(4) अन्य कार्य (Other Functions)

इन कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है—

### (1) मुख्य कार्य (Primary Functions)

इसमें केवल उन भौतिक कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, जो मुद्रा हर राष्ट्र में हर समय करती है। मुद्रा के प्रमुख कार्य में निम्न दो कार्यों को सम्मिलित करते हैं—

(1) विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange) तथा

(2) मूल्य का सामान्य माप (Common Measure of Value)

(1) विनिमय का माध्यम वस्तुमान समय में सम्पूर्ण आर्थिक जीवन विनिमय पर ही निर्भर होने में, मुद्रा का उपयोग बड़ा गया है क्योंकि मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का माध्यम है। मुद्रा के अभाव में विनिमय प्रत्यक्ष रूप में होता था, परन्तु इसके आदान-प्रदान करने वाले व्यक्तियों की पारस्परिक आवश्यकताओं में समन्वय होना अत्यन्त आवश्यक होता है। परन्तु ऐसा समन्वय अत्यन्त कठिनाई में ही प्राप्त हो पाता था। मुद्रा के उपयोग में इस प्रकार की पारस्परिक आवश्यकताओं में समन्वय स्थापित करने की कठिनाई समाप्त हो गई। मुद्रा ने इस कार्य द्वारा आधुनिक अर्थव्यवस्था की वस्तु विनिमय की कठिनाइयों में बचाया है तथा प्रथम उत्पादन में विनिष्ठीकरण एवं धर्म विभाजन द्वारा अपार वृद्धि की है। इस प्रकार “वस्तुमान में मुद्रा, प्रत्येक व्यवहार में, केवल शर्तों को ही निर्धारित नहीं करती बल्कि विनिमय में माध्यम का कार्य भी करती है।”<sup>1</sup> मुद्रा के उपयोग से सम्पूर्ण विनिमय कार्य दो भागों में विभाजित हो गया है। प्रथम भाग में वस्तुओं को मुद्रा में विनिमय किया जाता है जिसे विक्रय कहते हैं तथा दूसरे भाग में मुद्रा के बदले अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है जिसे त्रय कहते हैं। इस प्रकार समाज में आवश्यकताओं की समस्त वस्तुओं का आदान-प्रदान प्रत्यक्ष रूप में न होकर अप्रत्यक्ष रूप में मुद्रा के माध्यम द्वारा किया जाता है। मुद्रा में सर्वमान्यता का गुण होने के कारण यह कार्य करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि मुद्रा को किसी भी वस्तु के बदले प्राप्त किया जा सकता है तथा उन्हीं प्रकार मुद्रा के बदले किसी भी वस्तु को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा ने विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करके आर्थिक जगत में उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की कठिनाइयों का समाधान किया है।

(2) मूल्य का सामान्य माप मूल्य मापन के रूप में मुद्रा ने वस्तु विनिमय की असुविधाओं को समाप्त कर दिया है। मुद्रा के उपयोग में समस्त वस्तुओं के मूल्यों को एक सामान्य माप पर निर्धारित किया जाता है जिससे समस्त वस्तुओं के मापन में सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। “यह एक माप या मूल्य का प्रमाण माप के रूप में कार्य करती है, जिसकी सहायता से अन्य वस्तुओं की तुलना की जा सकती है।”<sup>2</sup> वस्तु विनिमय पद्धति में वस्तुओं के मूल्यों को वस्तुओं में ही प्रकट किया जाता था, जिनमें मूल्यांकन करते में अनेक प्रकार की कठिनाइयों एवं असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। परन्तु मुद्रा का उपयोग होने में वस्तुओं के मूल्य पूर्ण शुद्धता के साथ मापे जाते हैं, जिससे विनिमय अनुपात की गणना करना अत्यन्त सरल हो गया है। मुद्रा के मूल्य मापन का कार्य करने से व्यापारिक व्यवहारों में अत्यन्त सुविधा प्राप्त हो गई है, जिससे व्यापारिक जगत काफी सामर्थ्यवान् हुआ है।

मुद्रा के मूल्य में समय-समय पर परिवर्तन होते रहने में, इसके द्वारा मापी जाने वाली वस्तुओं के मूल्य भी समय-समय पर बदलते रहते हैं, जिनसे यह कहा जाता है कि मुद्रा मूल्यों के माप का कोई निश्चित माप नहीं है। यह मुद्रा का दोष है जिससे मुद्रा के उपयोग पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आज भी मुद्रा इस दोष के होने हुए भी सकलतापूर्वक कार्य सम्पन्न कर रही है।

1. “In every transaction, money now not only fixes the terms, but mediates in the exchange.” G. Crowther : ‘An Outline of Money’, p. 3.

2. “It acts as a yardstick, or standard measure of value to which all other things can be compared.” G. Crowther : p. 3.

विनिमय माध्यम एवं मूल्य माप में सम्बन्ध : मुद्रा के दोनों कार्यों में गहरा सम्बन्ध पाया जाता है क्योंकि वस्तु एवं सेवा का विनिमय करने से पूर्व उसका मूल्य मापन करना आवश्यक होता है। जैसे दुकानदार जब ग्राहक को यह बजा देता है कि धी का भाव 24 रुपये प्रति किलो है तो ग्राहक यह निश्चित करता है कि उसे कितना धी खरीदना है और वह धी के बदले में मूल्य रूपों में चुका देता है। अतः मूल्य-मापन के अभाव में विनिमय कार्य सम्भव नहीं है। इसी प्रकार से विदेशी व्यापार में भी आयात-रुका निर्मातक से माल उसी समय ख़री करता है जबकि माल का मूल्य एवं भुगतान की शर्तें निश्चित हो जाती हैं। इस प्रकार विनिमय माध्यम का किया मूल्य-मापन के बाद ही प्रारम्भ होती है।

इसके विपरीत वस्तु का मूल्य-मापन सदैम उसी वस्तु में होता है जो मूल्य की मापक हो। जैसे भारत में रुपया विनिमय का माध्यम है तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य रुपये में ही मापा जाता है। इसी प्रकार अमेरिका में विनिमय का माध्यम डॉलर होने से मूल्य भी इन्हीं मुद्राओं में निर्धारित किए जाते हैं।

### सहायक कार्य (Subsidiary Functions)

सहायक कार्यों में उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो मुद्रा द्वारा आर्थिक जीवन का एक निश्चित सीमा तक विकास होने पर, सम्पादित किये जाते हैं। ये कार्य मुद्रा के प्रमुख कार्यों में ही सम्बन्धित हैं तथा उसी ही उत्पन्न होते हैं। मुद्रा के सहायक कार्यों में निम्न को सम्मिलित किया जाता है—

(i) स्थगित भुगतान का प्रमाण (Standard of Deferred Payment)

(ii) मूल्य का संचय (Store of Value) एवं

(iii) मूल्य का हस्तोत्तरण (Transfer of Value)

(i) स्थगित भुगतान का प्रमाण मुद्रा का उपयोग केवल सांकेतिक व्यवहारों के भुगतान करने में ही नहीं किया जाता, बल्कि भविष्य में भुगतान की शर्तों के आधार पर भी व्यवहारों के भुगतान में किया जाता है। आज का सारा आर्थिक बोझ सात पर आधारित है और मास मुद्रा के रूप में ही दी जाती है। उधार देते समय ब्याज की दर एवं भुगतान की तिथि मुद्रा में तय कर दी जाती है जिससे ऋणी को यह निश्चय हो जाता है कि उसे कब कितनी राशि चुकानी है। भारत में योजनाकाल में देश-विदेश से जो ऋण लिए गए, वह रुपए, डॉलर, पाउंड, मार्क, येन आदि में लिए गए। स्थगित भुगतान के व्यवहारों को निपटाने के लिए मुद्रा एक अच्छा साधनमानी जाती है। वस्तुओं के रूप में स्थगित भुगतान करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन होने से यह कठिनाई और अधिक बढ़ जाती है, लेकिन मुद्रा के प्रयोग ने इन समस्याओं को दूर कर दिया है। एक व्यक्ति जो धन धान उधार लेता है, उसी राशि को भविष्य में सरलता से भुगतान कर सकता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कुछ निश्चित समय पर धान भुगतान करने की शर्त पर जो माल खरीदता है, उसका भुगतान समय आ जाने पर मुद्रा के रूप में सरलता से किया जा सकता है। मुद्रा के इस कार्य का महत्व वर्तमान जगत में काफी बढ़ गया है और अधिकतर व्यावसायिक व्यवहार स्थगित भुगतान पद्धति आधार पर ही किये जाते हैं। स्थगित भुगतान का कार्य मुद्रा पत्नी प्रकार कर लेती है और यह कार्य वस्तुओं द्वारा सम्भव नहीं है। मुद्रा का मूल्य स्थायी रहता है, मुद्रा में सर्वमान्यता का गुण विद्यमान रहता है तथा मुद्रा टिकाऊ होने से भावी भुगतान करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। व्यवसायिक व्यवहारों में वृद्धि सात के आधार पर होने से व्यापारिक जगत् में काफी प्रोत्साहन मिला है। मुद्रा के स्थगित भुगतान के गुण के कारण इसका महत्व बढ़ गया है।

(ii) मुद्रा का संचय : मुद्रा का प्रयोग तत्काल वस्तुओं की खरीद करने एवं भविष्य में वस्तुएं प्राप्त करने में किया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा को तत्काल व्यय न करके कुछ समय तक रोककर भविष्य में प्रयोग किया जाता है और मुद्रा को मूल्य के संचय के रूप में उपयोग किया जाता है। इससे पूर्व वस्तु-विनिमय प्रणाली में भविष्य के भुगतान के लिए ऋण की शर्तें वस्तुओं के रूप में रखा जाता था, परन्तु ऐसा संभव करना सदैव जोतिमपूर्ण ही हुआ करता था, क्योंकि यह वस्तुएं दीर्घकाल तक रखी नहीं जा सकतीं और दीर्घ ही मरने हो जाती हैं, साथ ही इन्हें संचय करने के लिए उपयुक्त था

1. स्थगित भुगतान से आशय ऐसे भुगतान से है, जिनमें वस्तुओं की खरीद करने के बाद एक निश्चित अवधि के पश्चात् उसका भुगतान सुविधा होने पर कर दिया जाता है।

पर्याप्त स्थान की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें अधिक धन व्यय करना पड़ता है। मनुष्य स्वभाव से भविष्यदर्शी होने के कारण भविष्य की आकस्मिक विपत्तियों एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए अपनी वर्तमान आय का कुछ भाग बचाकर रखना चाहता है जोकि सुरक्षित हो और उसका प्रयोग चाहे जब किया जा सकता है। मुद्रा के प्रयोग से यह समस्त कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं और इसे दीर्घकाल तक संभय करने पर भी इसकी उपयोगिता में कोई कमी नहीं आती तथा इसकी सहायता से भविष्य में वफ़ी भी आवश्यक वस्तुएँ सरलता व सुविधानुसार खरीदी जा सकती हैं। संभय की सुविधा होने से पूँजी के निर्माण को काफी बढ़ावा मिला है, जिससे देश के आर्थिक विकास में काफी मफ़तता प्राप्त होती है। आर्थिक अस्थिरता के समय मुद्रा का मूल्य संभय के रूप में महत्त्व बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ 1929 में अमेरिका में मन्दी आने पर वचत में वृद्धि हो गई थी और धन का विनियोग प्रतिभूतियों में रुक गया था। संकट के समय व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को मकान, भूमि या अन्य किन्हीं रूप में रखने के स्थान पर तरल रूप में रखना अधिक पसन्द करता है। नक़द को रखने की प्राथमिकता का प्रमुख कारण गैर-नक़द वस्तुओं की तुलना में मुद्रा के मूल्य में निश्चितता का होना है। मुद्रा का भविष्य के लिए सरलता से संभय करने पर भी उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता।

(iii) मूल्य का हस्तांतरण - मुद्रा विनियम-माध्यम का कार्य भी करती है और इन कार्यों के कारण ही मुद्रा मूल्य हस्तांतरण की सर्वोत्तम माध्यम मानी जाती है। मुद्रा की सहायता में मूल्य के हस्तांतरण की सुविधाएँ प्राप्त हो गई हैं। उत्पादन लागत को न्यूनतम करने के उद्देश्य से श्रम विभाजन पर अधिक जोर दिया जाता है जिससे उत्पादक को उपभोक्ता से पृथक् कर दिया गया है और इस प्रकार विनियम के क्षेत्र में काफी विस्तार हो गया है और वस्तुओं का क्रय एवं विपणन स्थानीय न होकर दूर-दूर तक फैल गया है। इस दूरस्थ विक्रय के कारण मूल्य को दूर-दूर के स्थानों तक भेजना आवश्यक हो गया है और इस मूल्य को भेजने का कार्य मुद्रा द्वारा सरलता से किया जा सकता है। मुद्रा के अभाव में उपभोक्ता एवं उत्पादक का व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित होना अत्यन्त आवश्यक था, परन्तु मुद्रा के प्रयोग होने से इस प्रकार के व्यक्तिगत सम्बन्धों को स्थापित करना नितान्त आवश्यक नहीं है और बिना किसी भी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित किए हुए मुद्रा की सहायता से किसी भी वस्तु के मूल्य को सरलता से हस्तांतरण किया जा सकता है। मुद्रा को मूल्य के रूप में अंकित करके एक स्थान एवं एक व्यक्ति में दूसरे स्थान तथा व्यक्ति को सरलता से स्थानान्तरित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ 1. करोड़ रुपए की धनगति को खालियर में मद्रास जैसे दूरस्थ स्थान तक बैंक ड्राफ्ट की सहायता से सरलता से भेजा जा सकता है। यदि यही गति वस्तुओं जैसे गेहूँ या अन्य नाशवान पदार्थों के रूप में भेजी जाती, तो ऐसे हस्तांतरण में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता।

### आकस्मिक कार्य (Contingent Functions)

दो मुख्य एवं तीन सहायक कार्यों के अतिरिक्त मुद्रा वर्तमान समय में आकस्मिक कार्य भी करती है। यह कार्य आर्थिक जीवन के विकास से पूर्व मुद्रा द्वारा सम्पन्न नहीं होते थे और वर्तमान में भी यह कार्य सर्वत्र नहीं पाए जाते। परन्तु आर्थिक जीवन के विकास के साथ-साथ, वर्तमान समय में प्रो० किन्ले (Kinley) के अनुसार मुद्रा चार प्रकार के आकस्मिक कार्य भी करती है। यह आकस्मिक कार्य निम्नलिखित हैं—

- (i) सामाजिक आय का वितरण (distribution of social income)
- (ii) सीमान्त उपयोगिता का समानिकरण (equalisation of marginal utility)
- (iii) माध्य पद्धति का आधार (basis of credit system) एवं
- (iv) सम्पत्ति को तरलता व समानता प्रदान करना (imparting liquidity and uniformity of wealth)

(i) सामाजिक आय का वितरण : मुद्रा द्वारा, उत्पत्ति के विभिन्न घटकों के स्वामी के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य, राष्ट्रीय आय का वितरण सरलता से किया जा सकता है। वर्तमान समय में उत्पादन विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग के अभाव में सम्भव नहीं है। उत्पादन कार्यों में अनेक व्यक्ति भूमिपति, श्रमिक, पूँजीपति, व्यवस्थापक एवं साहूमी के रूप में कार्य करते हैं और उनके सहयोग में जो उत्पादन होता है उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होकर समस्त उत्पत्ति के विभिन्न घटकों का सहयोग रहता है और प्राप्त उत्पादन का वितरण भी विभिन्न घटकों में उनके सहयोग के अनुसार कर

## अन्य कार्य (Other Functions)

मुद्रा के अन्य कार्यों में निम्न दो कार्यों को सम्मिलित किया जाता है—

(i) निर्णय का अधिकार (Right of Decision), (ii) शोधनक्षमता की गारन्टी (Gaurantee to Solvency), (iii) तरल सम्पत्ति के रूप में (Liquidity)


(i) निर्णय का अधिकार: मुद्रा में ऐसी त्रय शक्ति निहित है जिसकी सहायता से अन्य वस्तुओं को सरलता से खरीदा जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह अपनी इच्छानुसार किसी भी वस्तु को सरलता से खरीद कर प्राप्त कर सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत व्यक्ति को वस्तुओं को खरीदने का निर्णय करने का अवसर प्राप्त नहीं होता था। प्रायः व्यक्ति की इच्छाओं में परिवर्तन होता रहता है, जो इच्छा आज है, वह भविष्य में बदल सकती है। वस्तु विनिमय में यदि भविष्य में इच्छाओं में परिवर्तन होता है, तो व्यक्ति उन्हें पूर्ण करने में असमर्थ रहता था और उसे निर्णय लेने के अधिकार से वंचित रखा जाता था। परन्तु मुद्रा ने निर्णय के अधिकार को इस असमर्थता को समाप्त कर दिया है और व्यक्ति मुद्रा की सहायता से अपने पुराने निर्णयों को त्याग कर नवीन निर्णयों को कार्यान्वित कर सकता है।

(ii) शोधनक्षमता की गारन्टी: वर्तमान व्यावसायिक संस्थाओं में यह आवश्यक है कि संस्था अपने दायित्वों का भुगतान करने में तत्पर रहे। व्यवसाय में चाहे कितनी ही सम्पत्ति क्यों न हो, यदि वे उचित समय पर अपने दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसे दिवालिया माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में अपनी शोधनक्षमता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि अपने पास पर्याप्त मात्रा में तरलता के रूप में मुद्रा हो। इस प्रकार की तरलता मुद्रा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। तरलता का यह नियम व्यापारिक बैंकों पर अधिक लागू होता है क्योंकि उन्हें अपने पास एक न्यूनतम मात्रा में तरलता के रूप में मात्रा सदैव रखनी आवश्यक होती है। इस प्रकार मुद्रा को पर्याप्त मात्रा में अपने पास रखना ही शोधनक्षमता की गारन्टी कहलाता है। इसी प्रकार व्यापारी भी अपनी शोधनक्षमता की गारन्टी के रूप में कुछ निश्चित धनराशि सदैव मुद्रा के रूप में ही रखना अधिक पसन्द करते हैं।

(iii) तरल सम्पत्ति के रूप में: मुद्रा का कार्य तरलता प्रदान करना भी है और इसी कार्य के कारण प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा को नकदी में ही रखना पसन्द करता है।

इस प्रकार वर्तमान समय में मुद्रा द्वारा अनेक प्रकार के कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। मुद्रा के विभिन्न कार्यों को निम्न षाट्टे द्वारा भी दिखाया जा सकता है—

### मुद्रा के कार्य



इस प्रकार मुद्रा द्वारा अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये जाते हैं। वर्तमान समय में आर्थिक विकास के साथ-साथ मुद्रा के कार्यों में भी निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। मुद्रा की सेवाओं के आधार पर ही आधुनिक जगत में व्यावसायिक क्रियाओं में वृद्धि हो रही है। मुद्रा के अभाव में आर्थिक जगत में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इन कठिनाइयों को मुद्रा के उपयोग से समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान समय में बैंक साख का उपयोग भी बढ़ रहा है जिसमें मुद्रा के आदान-प्रदान करने के स्थान पर बैंक के खातों में ही आवश्यक प्रविष्टियां कर ली जाती हैं। इस प्रकार मुद्रा को प्रभावित किये बिना ही विनिमय कार्य भली प्रकार सम्पन्न हो जाते हैं।

### मुद्रा एवं आर्थिक विकास

एक अन्य दृष्टिकोण से मुद्रा के कार्यों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हो सकता है :—

(i) तरुनीय कार्य—प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को निष्क्रिय माना था जो समाज में आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित नहीं कर सकती। इसमें मुद्रा के पूर्व में उल्लिखित परम्परागत कार्य आते हैं।

(ii) प्रवर्धक कार्य—हेनन, पाँच, सनर, कीन्स व इजिन आदि ने मुद्रा को एक प्रवर्धक शक्ति माना है जिसमें मुद्रा आर्थिक क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती है। मुद्रा की सहायता से उत्पादन, रोजगार व आय में वृद्धि की जा सकती है।

वर्तमान समय में मुद्रा मूल्य-स्तर को प्रभावित करती है तथा सरकार को घाटे के बजट बनाने में मदद करती है।

मुद्रा का महत्व

मूल्य वस्तु की माग व पूर्ति पर निर्भर होने के साथ-साथ उसके औसत व स्थायी उत्पादन सागत पर निर्भर करता है, और यह व्यवस्था मौद्रिक पद्धति एवं वस्तु-विनिमय वाली अर्थव्यवस्था दोनों में ही समान रूप से लागू होती है। वस्तुओं का आपसी सम्बन्ध मुद्रा से प्रभावित नहीं हो पाता और वस्तुओं का सम्बन्ध केवल मुद्रा से विनिमय मूल्य के रूप में निर्धारित हो जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत था कि दीर्घकाल में मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की माग से समाप्तोत्त हो जायेगी और मुद्रा को कम महत्व दिया जाता था।


प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में बोध—वर्तमान समय में प्रतिष्ठित मत उचित नहीं जान पड़ता क्योंकि आजकल वर्तमान विनिमय की सुविधाओं ने हम परिचित हो चुके हैं और मानव जीवन का कोई भी ऐसा क्षण नहीं है, जिसे विनिमय पद्धति अथवा मौद्रिक पद्धति ने प्रभावित नहीं किया हो। व्यक्ति या समाज का ऐसा कोई पहलू नहीं जो जहाँ पर मुद्रा का प्रभाव न पड़ा हो। वर्तमान समय में मुद्रा का प्रमुख कार्य सामान्य आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है तथा सामान्य सामाजिक सुधारों को प्रस्तुत करना है। किसी भी राष्ट्र की मौद्रिक पद्धति ही उसके आर्थिक विकास को प्रदर्शित करती है। आउबर का मत है कि जो महत्व यत्रशास्त्र में पहिले था, विज्ञान में अग्नि तथा राजनीति में मत था है, वही स्थान मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा के आविष्कार का है। विनिमय की पद्धति ही एक राष्ट्र के आर्थिक विकास का कारण एवं परिणाम है। विनिमय की पद्धति में परिवर्तन होने से ही औद्योगिक जीवन के रूप में हर एक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। 'प्राथमिक मशीनरी के परिवर्तन ने उत्पादन पद्धतियों में परिवर्तन सम्भव किया, फलस्वरूप जटिल मौद्रिक पद्धति में तीव्र विकास हुआ, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर साक्ष के ढांचे को प्रभावित किया, जिसकी प्रमुख विशेषताएं वर्तमान उत्पादक एवं वितरण उद्योग में पाई जाती हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण औद्योगिक आन्दोलन वित्तीय अथवा मौद्रिक दृष्टि से ही अभ्यसित किया जाता है।' मुद्रा के विभिन्न रूपों एवं विनिमय के सम्पूर्ण ढांचे ने उद्योग व व्यापार के विकास को प्रभावित किया है। जहाँ मुद्रा का कम उपयोग हुआ, वहाँ व्यापार का विकास भी अल्प मात्रा में ही हुआ तथा वस्तुओं का बाजार-मूल्य भी निम्न ही रहा। इसके विपरीत, एक विकसित मौद्रिक अर्थव्यवस्था में, साक्ष की सहायता से उद्योग एवं व्यापार का उच्च व सगठित ढंग से विकास हुआ। वर्तमान औद्योगिक सम्पत्ता अथम विभाजन एवं मशीनरी के उपयोग पर निर्भर करती है जोकि शुद्ध वस्तु विनिमय व्यवस्था में प्राप्त करना असम्भव है। वर्तमान समय में व्यापार एवं उद्योग का विकास पूँजी के संघर्ष पर ही निर्भर करता है जो कि मुद्रा द्वारा ही सम्भव हो सकता है। एक ही समय में मुद्रा की तुलना एक ऐसी सड़क में की भी जाती है जहाँ से समस्त उत्पादन विपणित तक पहुँच जाता हो परन्तु जिस पर घास का एक बन्ना भी नहीं उग पाता हो। मुद्रा ही पूँजी का एक सामान्य रूप है, जिसे सरलतापूर्वक दूरस्थ स्थानों तक विनियोग के रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है। इस सरलता के अभाव में विनियोग स्थानीय बाजारों तक ही सीमित हो जाते और दूरस्थ स्थानों पर

औद्योगिक विकास की सम्भावनाएं साकार रूप ग्रहण नहीं कर पाती।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बेकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व श्रमिकों पर डालते थे। श्रमिक प्रचलित दर को स्वीकार नहीं करते जिससे बेकारी बढ़ती है। चित्र 3.1 में मांग व पूर्ति बढ़ाकर होने से मजदूरी 5 रु० पर तय हो जाती है—


मजदूरी 6 रु० होने पर माग 200 रह जाती है और मजदूरी 4 रु० होने पर माग 700 हो जाती है। परन्तु जब मजदूरी 5 रु० हो तो माग 400 हो जाती है और बेकारी का निवारण होकर सन्तुलन स्थापित हो जाता है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह तर्क चूटपूठ था कि मजदूरी में कटौती करके बेरोजगारी दूर की जा सकती है। मजदूरी कम करने से एक



चित्र 3.1

1. "Corresponding to the changes of productive methods under mechanical machinery, we should find the rapid growth of a complex monetary system reflecting in its international and national character, in its elaborate structure of credit, the leading characteristics of which we find in modern productive and distributive industry. The whole industrial movement might be regarded from financial or monetary point of view."—J. A. Hobson : 'Evolution of Modern Capitalism'.



चित्र 3.2

और लागत कम होती है तो द्रुमरी और आय व कुल भाग में कमी होती है, जिसमें उत्पादन में कमी होकर रोजगार घट जायेगा। इसे चित्र 3.2 में दिखाया गया है :— चित्र में मांग  $y$  है और मजदूरी  $p$  है। यदि मजदूरी घटाकर  $P_1$  कर दी जाय तो मांग घटकर  $y_1$  हो जाती है और रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा वह पहले की भाँति  $A, R$  ही रहा।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया तर्क अनुपयोगी 1929-30 की मन्दी में नजर आया जब कम मजदूरी पर भी मजदूर रोजगार की तलाश में इधर उधर मारे-मारे फिरते थे और उन्हें कोई काम नहीं मिलता था। उस समय अति उत्पादन का सामना करना पड़ा और पूँजि माँग का मृज्जन नहीं कर सकी व कम व्याज दरों पर भी अतिरिक्त बचतें विनियोजित न हो सकीं।

समाज की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था ही मुद्रा की सम्भावनाओं पर आधारित है।

और दस सम्भावनाओं के टनने पर ही अर्थव्यवस्था के लिए सवरा उत्पन्न हो जाता है। चलन की मात्रा में वृद्धि होने या बैंक माध्य में वृद्धि होने पर मुद्रा की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है, जबकि वस्तुओं व सेवाओं की पूँजि में कोई परिवर्तन नहीं हो पाते हैं, फलस्वरूप मृज्ज स्तर में वृद्धि हो जाती है जिसमें साहसी के लाभ में वृद्धि होकर अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय एवं उत्पादन की सम्भावना में वृद्धि हो जाती है। अंग्रेज चतुर अति उत्पादन होने पर मान का स्टॉक बढ़ जाता है, जिसमें मृज्ज गिरने प्रारम्भ हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के उच्चावचनों का होना एक मौद्रिक घटना ही है। मुद्रा को सेवर की भाँति रखकर उपयोगी कार्य पूर्ण विये जा सकते हैं, तथा उसके स्वामी बन जाने पर अर्थव्यवस्था को हानि पहुँचने का भय मंदैव बना रहता है।

### मुद्रा का महत्त्व (Importance of Money)

वर्तमान समय में जीवन का ऐसा कोई भी पहलू न होगा, जिसमें मुद्रा ने अपना प्रवेश व उसे प्रभावित न किया हो। मानव समाज की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक उन्नति मुद्रा पर ही निर्भर करती है। मुद्रा की महत्ता में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन सरलतः पूर्वक चलाया जा सकता है। मुद्रा के महत्त्व का निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

#### (1) आर्थिक जीवन में मुद्रा का महत्त्व

मुद्रा के प्रयोग में बड़े पैमाने पर उत्पादन ही सम्भव नहीं हो पाया बल्कि हमने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बड़े पैमाने पर वितरण की सुविधाएँ प्रदान करके वर्तमान जीवन निर्वाह को विकसित किया है। मुद्रा ने उद्योगों की माँग में वृद्धि की है तथा बाजार मृज्ज, परिश्रम सुविधाओं आदि के विकास के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन क्रियाओं को सम्भव बनाया है। परिवहन की सुविधाओं ने सीमित माँग की निर्भरता को समाप्त कर दिया है तथा मुद्रा ने वस्तु की माँग को व्यक्तिगत स्तर से उठाकर, बाजार के माध्यम में सम्पूर्ण समुदाय तक विस्तृत कर दिया है। मुद्रा के बड़े हुए महत्त्व को जानने के लिए पिछड़े हुए राष्ट्रों की अमरगठित मौद्रिक पद्धति पर दृष्टि डाली जा सकती है जहाँ मुद्रा के अभाव में आर्थिक क्रियाओं के विनाशपूर्ण में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समाज में मुद्रा का महत्त्व बढ़ता ही जा रहा है और दस सभ्यता में रावटंगन के विचारों में मुद्रा के महत्त्व का अनुमान लगाया जा सकता है। श्री रावटंगन के अनुसार "मौद्रिक अर्थव्यवस्था की उरम्पित समाज को यह स्रोत बनने में सहायता करती है कि जनता बना बहती है और जिनका चाहती है, जिसमें यह निर्णय किया जा सके कि क्या और कितना मान उत्पादित करके, सीमित उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग सम्भव किया जा सके। हमने समाज के प्रत्येक सदस्य को यह विश्वास हो जाता है कि आभोग-प्रभोग के माध्यम में, जो उसके पास उपलब्ध है, वह वास्तविक रूप में अविनाशमान आनन्द प्राप्त कर सकता है।

जो उसकी सीमा के अन्दर आ जाते हैं।<sup>12</sup> मार्शल ने आर्थिक जगत में मुद्रा के महत्त्व को, मुद्रा के इतिहास का सम्बन्ध सम्पत्ता के विकास के साथ जोड़कर, बताया है। मौरिक अर्थव्यवस्था के विकास ने आर्थिक जगत में आर्थिक स्वतन्त्रता सम्भव बनाई है जिसने वर्तमान समय में पूँजीवादी या स्वतंत्र उपक्रम व्यवस्था को जन्म दिया है। मुद्रा ही पूँजीवाद का बिना माना गया है। समाज की आदतें एवं विचार मुद्रा के महत्त्व में जुड़ी हुई हैं। समस्त आर्थिक क्रियाएँ मुद्रा से ही जुड़ी हुई रहती हैं। यह कहा जाता है कि, "वर्तमान विश्व में उद्योग मुद्रा के लिवासे में जकड़े हुए हैं।"<sup>13</sup> व्यक्ति या समाज की सफलता या असफलता मुद्रा में ही नापी जाती है व साथ ही हमारे निर्णय भी मुद्रा में ही अंकित किये जाते हैं। "मुद्रा एक ऐसा केन्द्र बिन्दु है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है।"<sup>13</sup> मुद्रा के आर्थिक क्षेत्र में महत्त्व का अनुमान निम्न प्रकार से लगाया जा सकता है :—

(i) आधुनिक व्यवसाय का आधार—मुद्रा आधुनिक व्यवसाय का आधार है। व्यवसायी अपनी उत्पादन क्रियाओं को नियोजित करते समय उत्पादन लागत, विक्रय मूल्य एवं लाभ की मात्रा से सम्बन्धित रहता है और इन सबकी गणना मुद्रा के रूप में की जाती है। एक व्यवसायी का नवीन उद्योग प्रारम्भ करने या पुराने को विस्तृत करना लाभ प्राप्ति की सम्भावना पर ही निर्भर करता है। इन प्रकार "मुद्रा उत्पादन के साधनों को संग्रहण करने का एक आवश्यक लक्षण है। व्यवसायी मुद्रा या उसी के अनुरूप अन्य वस्तुओं का उपयोग अपने कारखाने की रचना में सामग्री क्रय करने में करता है, वह सामग्री एवं अन्य वस्तुओं की पूर्ति करने में मुद्रा का उपयोग करता है, वह मुद्रा के आधार पर ही उत्पादन कार्यों के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री की प्राप्ति के लिए बोनो लगाता है और वह मुद्रा का उपयोग आवश्यक श्रमशक्ति एवं प्रशासन अधिकारियों के संगठन करने में लगाता है।"<sup>14</sup> समाज में श्रमिक, पूँजीपति, भूमिपति एवं संगठनकर्ता अपनी सेवाएँ मुद्रा के बदले ही बेचते हैं। इनकी पूर्ति इनके मौरिक पुरस्कार के आधार पर घटती-बढ़ती रहती है। विभिन्न प्रकार की भूमि एवं पूँजी का वितरण अधिक मौरिक पुरस्कार मिलने की भावना से प्रेरित होता है। इन प्रकार व्यवसाय का सम्पूर्ण क्षेत्र मुद्रा से प्रभावित होता है।

(ii) आर्थिक घटनाओं का मापदण्ड—देश की आर्थिक घटनाओं का मापदण्ड मुद्रा द्वारा ही सम्भव हो सकता है। मुद्रा के अभाव में आर्थिक अनिश्चितता बनी रहती है। अर्थशास्त्री के लिए मुद्रा का वही महत्त्व है जो बजाज के लिए मीटर एवं व्यापारी के लिए तराजू का है।

(iii) मूल्य यंत्र का आधार—मुद्रा मूल्य यंत्र का आधार है। मूल्य, उत्पादकों को केवल उन वस्तुओं के उत्पादन में प्रोत्साहित करता है जिनके मूल्य बढ़ने की सम्भावना बनी रहती है। मूल्य पद्धति के द्वारा ही जनता का निर्णय एक दूसरे से भेद ला जाता है और विनिमय एवं विशिष्टीकरण को कुशलतापूर्वक समष्टि किया जा सकता है। मूल्यों के द्वारा ही देश की आर्थिक नियंत्रणों को रुचि, तकनीकी एवं साधनों से समायोजित किया जा सकता है। यदि एक वस्तु का मूल्य

1. "The existence of a monetary economy helps society to discover what people want and how much they want it and so to decide what shall be produced and in what quantities and to make best use of its limited productive power. And it helps each member of society to ensure that the means of enjoyment to which he has access yield him the greatest amount of actual enjoyment which is within his reach."—D. H. Robertson 'Money', p. 5.

2. "In the modern world industry is closely enfolded in a garment of money."—A. C. Pigou: 'Industrial Fluctuations', p. 117—reproduced by M. C. Vaish: 'Monetary Theory', p. 16.

3. "Money has become the centre around which economic science clusters."—Mill

4. "Money is the indispensable pre-requisite to the assembling of the concrete instruments of production. The businessman uses money, or its equivalent to purchase materials for the construction of his factory; he uses his money in buying the supplies and materials necessary for its equipment; he bids competitively in the markets of the world for the raw materials used in the process of manufacturing; and he employs money as a means of attracting to his organisation the requisite labour force and corps of administrative officials"—H G Moulton, The Financial Organisation of Society, (3rd ed.) p. 3.



शील नहीं होती। इसके विपरीत अधिक सचिनी व जटिल मुद्रा एवं विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य एवं आय स्तर ऊंचे होते हैं, व्यापार एवं उद्योग तुलनात्मक दृष्टि से विकसित अवस्था में होते हैं तथा उनका संगठन भी उच्च कोटि का होता है।

(viii) आर्थिक जीवन की रचना—मुद्रा देश के आर्थिक जीवन की रचना में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मुद्रा के स्वरूपों में परिवर्तन के माय-माय देश के आर्थिक जीवन का ढांचा एवं रूप भी परिवर्तित होता रहता है। देश की प्रगति का अनुमान मुद्रा प्रणाली से सहज ही लगाया जा सकता है। मुद्रा के कार्य में नमी होने पर देश की स्थिति बिगड़ने लगती है, विश्व की महान मन्दी (1929) इस बात की मासो है। देश का आर्थिक जीवन मुद्रा पर निर्भर करता है जिससे मुद्रा को सही दिशा में रखना आवश्यक हो जाता है। मुद्रा के विकास ने ही आर्थिक उदारतावाद को जन्म दिया है जो कि पूँजीवादी एवं स्वतंत्र व्यवस्था का आधार है।

## (2) सामाजिक सुधार में मुद्रा का महत्त्व

मुद्रा ने अनेक सामाजिक कुरीतियों को हतोत्साहित किया है तथा अनुव्यय करने की स्वतन्त्रता व प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके सामाजिक एवं आर्थिक दासता से मुक्ति दिलाने में सहायता की है। मुद्रा के अभाव में भ्रष्टाचारी एवं लगान का निर्धारण व भुगतान वस्तुओं में किया जाता था जो श्रमिकों को पूँजीपतियों का दास बनाने में सहायता करती थी। परन्तु मुद्रा के प्रयोग से भ्रष्टाचारी, लगान एवं अन्य व्ययों का भुगतान मुद्रा में किया जाने लगा है जिससे श्रमिक दास प्रथा से मुक्त हो गये हैं तथा अपने श्रम का पूर्ण मूल्य प्राप्त करके अधिकाधिक लाभ प्राप्त करते हैं। श्रमिक अपनी इच्छानुसार स्थान एवं व्यवसाय का परिवर्तन करने की स्वतन्त्र होते हैं और उनकी निर्भरता में कमी हो जाती है। इस प्रकार मुद्रा के द्वारा अनेक प्रकार के सामाजिक सुधारों को सम्भव बनाया गया है तथा देश के सामाजिक साधनों व आर्थिक बलाघात में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि की गई है। वर्तमान समय में लगभग समस्त आर्थिक क्रियाएँ मुद्रा पर ही आधारित हो गई हैं। यह कहा जाता है कि "लगभग समस्त महान् राजनीतिक पहलू और समस्त जटिल सामाजिक समस्याएँ एवं लगभग समस्त अन्तर्राष्ट्रीय हित एक ही आर्थिक मान पर निर्भर हो गये हैं।"<sup>1</sup>

## (3) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

मौद्रिक अर्थव्यवस्था में श्रम विभाजन एवं विनिमय को अधिक महत्त्व दिये जाने के कारण मुद्रा ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि की है। मुद्रा के कारण गाँव व शहर, प्रान्त व राज्य के व्यक्ति एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार जब एक देश के निवासी दूसरे देश के निवासियों के साथ सम्पर्क में आते हैं तो उससे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होती है एवं आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी वृद्धि सम्भव हो जाती है, फलस्वरूप परस्पर तनाव व भगड़े समाप्त होकर एकता की भावना में वृद्धि होती है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होती है।

## (4) राजनैतिक क्षेत्र में महत्त्व

मुद्रा में राजनैतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति में काफी सहायता प्राप्त हुई है। मुद्रा के कारण राजनैतिक दलों की स्थिति अधिक मजबूत बन जाती है और वह देश के विकास के लिए अधिक तीव्रता से मधुर करने में जुट जाती है। मुद्रा ने राजनीतिक चेतना में वृद्धि की है। जब जनता राज्य या सरकार को कर देती है तो जनता के हृदय में एक राजनीतिक चेतना जागृत हो जाती है और वह देश की राजनैतिक गतिविधियों में रुचि लेने लगती है तथा इस बात का विवेक ध्यान रखती है कि उसमें प्राप्त कर (Tax) की आम को सार्वजनिक बलाघात में व्यय किया गया अथवा नहीं। मुद्रा ने ही जनतन्त्रीय

1. "Almost all great political issues and almost all absorbing social problems and almost all international complications rest upon a pecuniary standard."—Devonport: 'Economics of Enterprise', p. 23.

सस्थाओं की स्थापना को सम्भव बनाकर देश हित में कार्य किया है, जिससे देश का शासन-प्रबन्ध कुशलता व मितव्ययिता से चलने लगा है।


### (5) अनाधिक क्षेत्रों में महत्त्व

वर्तमान समय में मुद्रा का उपयोग वस्तुओं एवं व्यक्तियों की तुलना करने में भी किया जाने लगा है। किसी भी व्यक्ति की सफलता या असफलता उसके व्यक्तिगत गुणों से न माप कर मुद्रा, पुरस्कार एवं मौद्रिक आय में मापी जाती है। वर्तमान समय में जो पुरस्कार दिये जाते हैं, वे भी मुद्रा में ही व्यक्त एवं घोषित किये जाते हैं। मनुष्य की प्रगति उसकी मौद्रिक आय एवं सम्पत्ति में लगाई जाती है। धनवान व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, जबकि गरीब व्यक्ति को समाज में उचित स्थान नहीं दिया जाता है। दैनिक क्रियाएँ एवं भौतिक उन्नति मुद्रा में ही मापी जाती हैं। मनुष्य के बौद्धिक विकास का स्तर उसकी मौद्रिक आय से ही जाना जाता है।

इन प्रकार मुद्रा का महत्त्व विभिन्न क्षेत्रों में है।

### आधुनिक अर्थशास्त्र में मुद्रा (Money in Modern Economics)

कीन्स का 'सामान्य सिद्धान्त' से ही आधुनिक मुद्रा के सिद्धान्त का प्रारम्भ होता है। कीन्स ने अपने सामान्य सिद्धान्त का मुद्रा सिद्धान्त से जोड़ दिया। मुद्रा मानव की आर्थिक क्रियाओं को सीधे प्रभावित करती है। मुद्रा की सहायता से उत्पादन व रोजगार के स्तर में वृद्धि करके आय में वृद्धि की जा सकती है। मुद्रा को एक प्रवैगिक शक्ति माना है। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में वित्तीय क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण अंग है जिसमें क्रियाएँ मुद्रा द्वारा प्रभावित होती हैं। मुद्रा ब्याज की दर को प्रभावित करके विनियोग व आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। मुद्रा की मात्रा बचत, ब्याज, रोजगार उत्पादन व विनियोग आदि को प्रभावित करती है। मुद्रा द्वारा ही अर्थव्यवस्था की जटिलता पर काबू पाया जा सकता है। मुद्रा का सिद्धान्त पूँजीवादो अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्पादन में समस्त घटकों को पुरस्कार मुद्रा में ही प्राप्त होता है। पूँजी व भूमि की गतिशीलता, विभिन्न प्रयोगों में अच्छे पुरस्कार प्राप्त होने की आशा से प्रभावित होते हैं। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था मुद्रा अर्जन की सम्भावनाओं पर टिकी है। इन सम्भावनाओं के भंग होने पर अर्थव्यवस्था में खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने एवं वस्तुओं की पूर्ति पूर्ववत् रहने से देश में स्फीतिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इससे लाभ में वृद्धि होती है जो आगे चलकर पतन की ओर अग्रसर होता है। अधिक उत्पादन हो जाने पर मूल्य गिरने लगते हैं जिसमें अर्थव्यवस्था पर बुरे प्रभाव पड़ने हैं। मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव के आर्थिक, सामाजिक, व राजनैतिक प्रभाव काफी गम्भीर होते हैं।



चित्र 3.3

कीन्स का मत है कि ब्याज की दर बचत एवं विनियोग में सन्तुलन नहीं लाती, बल्कि आम द्वारा यह सन्तुलन स्थापित किया जा सकता है। व्यापार की सम्भावनाएँ अच्छी न होने पर व्यापारी विनियोग करना पसन्द नहीं करता। ब्याज की दर को एक स्तर से नीचे नहीं लाया जा सकता, चाहे मुद्रा की पूर्ति को कितना ही बंधों न बढ़ा दिया जाये। कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो ब्याज को एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने से रोकती हैं। इस स्थिति में तरलता पसन्दगी मागवक पूर्णरूप से लोच-शील बन जाती है। ब्याज की दर एक न्यूनतम दर के बाद और अधिक नीचे नहीं गिरती जैसाकि चित्र 3.3 में BC रेखा द्वारा दिखाया गया है—

ब्याज दर से कम दर होने पर बैंक जितनी भी मुद्रा डालेगी उम सबको लोग अपने पास रख लेंगे और ब्याज में कमी नहीं होगी जिसे तरलता जान कहा जाता है।

## मुद्रा का प्रवाह एवं आर्थिक प्रणाली (Flow of Money and Economic System)

वर्तमान आर्थिक अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता मुद्रा का निरन्तर प्रवाह है। मुद्रा का वह भाग जो उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं को श्रय करने के रूप में धोक, फुटकर व्यापारी या उत्पादक को दिया जाता है, वह धन फिर से मजदूरी, ब्याज, लगान व लाभ के रूप में, उत्पादन के मजदूरी साधन के रूप में उपभोक्ता तक पहुँच जाता है। इस प्राप्ति का कुछ भाग करों के रूप में सरकार को चला जाता है तथा शेष भाग आर्थिक क्रियाओं में उपभोग किया जाता है। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक पद्धति के स्थायित्व एवं उचित ढंग से कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ मुद्रा का प्रवाह ठीक प्रकार में बना रहे। मुद्रा के प्रवाह में रकावटें उत्पन्न होने पर देश की समस्त अर्थव्यवस्था विगड़ जाती है। सन् 1929-30 की महान् मन्दी पूंजी बाजार के अस्त-व्यस्त हो जाने का ही परिणाम थी जबकि विश्व के अधिकांश राष्ट्रों को बेरोजगारी एवं अति-उत्पादन जैसे संकट का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार युद्धोपरांत मुद्रा के प्रवाह में आनुपातिक दृष्टि से वृद्धि होने पर धोक के अधिकांश राष्ट्रों को अतिरिक्त-मुद्राप्रसार (hyper-inflations) का सामना करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी घटनाएँ भी हैं जिन्हें मुद्रा के उचित प्रवाह द्वारा भी नहीं रोका जा सकता जैसे अकाल, सूखा, बाढ़ भूकम्प आदि। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अर्थव्यवस्था में दोहरा भाग लेता है। एक तरफ मनुष्य अपनी उत्पादक सेवाओं का स्वामी होता है और दूसरी तरफ वह उपभोक्ता भी होता है जिस पर समस्त उत्पादन का प्रवाह मोड़ दिया जाता है। व्यक्ति श्रमिक, मजदूर या मालिक के रूप में उत्पादन कार्यों से जो अपना हिस्सा प्राप्त करता है उसे अपनी उपभोक्ता की वस्तुओं की प्राप्ति करने में व्यय कर देता है। कारखानों से वस्तुएँ उत्पादित होकर बाजार के द्वारा उपभोक्तियों के घर तक पहुँचा दी जाती हैं और जब वस्तुएँ उपभोक्ता द्वारा श्रय की जाती हैं तो मुद्रा का प्रवाह घरों से कारखानों की ओर होने लगता है और जब मजदूरी, वेतन, ब्याज आदि के रूप में मुद्रा दी जाती है तो मुद्रा का प्रवाह कारखानों से उपभोग केन्द्रों की ओर होने लगता है। इस प्रकार मुद्रा का आदान-प्रदान एवं प्रवाह निरन्तर चलता रहता है और अर्थव्यवस्था को सामान्वित करता है। देश में आर्थिक स्थिरता एवं विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि दोनों ओर (कारखानों से उपभोक्ता तक तथा उपभोक्तियों से कारखानों तक) से प्रवाह ऊँचा एवं स्थिर रहे तथा उसमें समान अनुपात से वृद्धि हो। यदि दोनों ओर से प्रवाह संतुलित है तो मूल्यों में स्थिरता बनाई जा सकती है। परिणामस्वरूप देश में स्वस्थ आर्थिक विकास के साथ-साथ आय, उत्पादन एवं बिक्री में स्थिरता बनी रहेगी। यदि किसी अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं में वृद्धि हुए बिना मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि हो जाये तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार दृष्टिगोचर होने लगता है। इसके विपरीत यदि वस्तुओं व सेवाओं की तुलना में मुद्रा के प्रवाह में कमी हो जाये तो देश में मद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी, परिणामस्वरूप बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय में कमी, मूल्यों में कमी, व्यवसाय में गिरावट, उत्पादन एवं बिक्री में कमी आदि बातें अर्थव्यवस्था में नज़र आने लगती हैं और आर्थिक क्रियाओं पर बुरा प्रभाव डालती हैं। अतः यह आवश्यक है कि दोनों प्रकार से मुद्रा का प्रवाह संतुलित बना रहे, जिससे समाज में पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता रहे तथा बाजार में उनकी बिक्री निरन्तर चलती रहे। इस प्रकार मुद्रा संकुचन या मन्दी के समय जब देश में गिरावट, बेरोजगारी, कम आय उत्पादन व बिक्री में कमी आदि लक्षण दिखाई देते हैं, तो समाज में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके उसे सुधारने के उपाय अपनाये जाते हैं। इस काल में राष्ट्र के केन्द्रीय बैंकिंग अधिकारी (Central Banking Authority) उत्पादक उपयोग द्वारा अतिरिक्त न्य शक्ति बाजार में प्रदान करके, बेकार पड़े साधनों के लिए अतिरिक्त मांग उत्पन्न करते हैं, फलस्वरूप समाज में एक सचयी प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एवं ऊँची आय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार मन्दी काल में मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि करके सुधार लाया जा सकता है। अमेरिका का न्यू डील नीति (New Deal Policy) एवं फ्रांस का 'ब्लम प्रयोग' (Blum Experiment) इस बात के उदाहरण हैं कि मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि करके आर्थिक पद्धति में किस प्रकार स्थायित्व लाया जा सकता है।

वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह एवं मुद्रा मुक्तान के प्रवाह में संतुलन बनाये रखने के लिए अनेक प्रकार की समझौता का सामना करना पड़ता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह के आकार में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। वस्तुओं की पूर्ति में सामयिक परिवर्तन के साथ-साथ, सूखा एवं बाढ़ आदि का भी काफी प्रभाव पड़ता है। युद्ध का खतरा भी वस्तुओं के उत्पादन की प्रवृत्ति में परिवर्तन ला देता है जैसे 1962 के चीनी आक्रमण से एवं 1965 के पाकिस्तानी आक्रमण व उत्तरे

वृद्धि अधिक होती है। पूँजीवादी समाज में उत्पादन का संगठन लाभ अधिक करने के उद्देश्य में भावी मांग के आधार पर किया जाता है। देश की भावी मांग मईव क्रय-शक्ति पर निर्भर करती है। समाज में क्रय शक्ति का अममान वितरण होने पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। यह प्रभाव निम्न प्रकार हैं—

(i) प्रभावपूर्ण मांग का प्रदर्शन—निर्धन वर्ग क्रय-शक्ति की कमी के कारण जीवनीययोगी एवं आवश्यक आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए प्रभावपूर्ण मांग को प्रदर्शित करता है।

(ii) बचत में वृद्धि—धनी वर्ग में बचत की भावना बढ़ने पर कुल मांग में वृद्धि सम्भव नहीं हो पाती, फलस्वरूप उत्पादन में कमी होकर, मन्दी आने का खतरा मईव बढा रहता है।

(iii) वित्तासिक्ता की मांग में वृद्धि—यदि धनी वर्ग में उपनोग की प्रवृत्ति अधिक है तो आरामशायक एवं वित्तासिक्ता की वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप देश के माधन वित्तासिक्ता की वस्तुओं के उत्पादन में लग जाते हैं और गरीब वर्ग द्वारा उपयोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में कमी हो जाती है।

इन प्रकार मुद्रा उत्पत्ति एवं वितरण को बहुत अधिक प्रभावित करती है, जिससे उसका सामाजिक महत्व काफी बढ़ गया है।

### वर्तमान अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्त्व (Significance of Money in Modern Economy)

वर्तमान अर्थव्यवस्था में मुद्रा का स्थान महत्त्वपूर्ण है और देश की समस्त आर्थिक क्रियाएँ मुद्रा में ही व्यक्त की जाती हैं। मुद्रा का उपयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि उसके बिना आर्थिक क्रियाओं का होना कठिन हो गया है। अब मुद्रा की व्यवस्था को बनाये रखना आवश्यक मा हो गया है, परन्तु उसके मूल्यों में परिवर्तनों की रोकना आवश्यक हो गया है। मुद्रा के मूल्यों में नियन्त्रण प्रायः देश की केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। मुद्रा से कोई भी वस्तु मन्तता में प्राप्त की जा सकती है, परन्तु मुद्रा स्वयं कुछ ही उत्पादन नहीं कर पाती। यह कहा जाता है कि मुद्रा केवल एक मध्यस्थ मात्र है जो उत्पादन व वितरण की आर्थिक क्रियाओं को सरल व सुविधाजनक बनाता है। मुद्रा के प्रयोग में वस्तुओं व सेवाओं की क्रियाएँ सरल हो जाती हैं। मुद्रा में उत्पादन के क्षेत्र में श्रम-विभाजन, पूँजी मन्व, धनियों की गतिशीलता आदि में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किये हैं। उत्पादक अपने सीमित साधनों में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के प्रयास करता है। उपनोगका मुद्रा का व्यय इस प्रकार करता है कि उसे अधिकतम मनुष्टि प्राप्त हो। क्रय, विक्रय, पुरस्कार, मूल्यांकन आदि मुद्रा में ही घोषित किये जाते हैं। मुद्रा के प्रयोग से श्रमियों एवं हृषकों को स्वतन्त्र जीवन बिगाने का अवसर प्राप्त होता है, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है तथा कर आदि की राशि मुद्रा में वसूल करके उसे जनता के हितार्थ व्यय की जाती है। इतना सब होने पर भी यह सही है कि मुद्रा का मूल्य स्थायी नहीं है और वह वस्तुओं के मूल्य समान रूप से नापने में असमर्थ रहती है। मुद्रा में जब मूल्य संबन्धित किया जाता है तो मुद्रा प्रसार में हासिल होती है और मुद्रा संकुचन में लाभ। उदरनि के साधनों को पुरस्कार मुद्रा में ही दिया जाता है और उस प्राप्ति आय को आवश्यकता की वस्तुएँ प्राप्त करने में व्यय कर दिया जाता है।

### पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्त्व (Significance of Money in a Capitalist Economy)

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ की भावना पर आधारित होती है और लाभ की ही प्रेरणा से पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में गतिशीलता लाई जाती है। लाभ की भावना के अभाव में आर्थिक क्रियाओं की गति मन्द पड़ जाती है। वर्तमान समय में समाज का प्रत्येक व्यक्ति लाभ की भावना में ही कार्य करता है। "पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाले सिद्धान्त, यद्यपि अतिनाधारण रूप में हैं, फिर भी यह स्पष्ट है कि मुद्रा ऐसी पद्धति है कार्यकलापों में एक महत्त्वपूर्ण भाग रखती है।"<sup>1</sup>

1. Our picture of the working principles of the capitalist economy, though grossly oversimplified, shows nevertheless that money plays the most important part in the mechanism of such a system.—George N. Halm : 'Monetary Theory' (Asia Publishing House Bombay) 1963, p. 9.

बाजार अर्थव्यवस्था के कार्यों के लिए मुद्रा का उपयोग अति आवश्यक है। एक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्त्व को निम्न प्रकार रखा जा सकता है:—

(1) मांग बाजार का विकास—देश के मांग बाजार के विकास के लिए मुद्रा का विशेष महत्त्व है। वस्तु-विनिमय की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को इस आधार पर उधार लिया जाता था कि उन्हें कुछ समय पश्चात् वापस कर दिया जायेगा। इस व्यवस्था में केवल उन्ने ही सास बाजार सम्भव हो सकते थे, जिनके प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध रहती थी। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए एकरूप बाजार का होना सम्भव नहीं था। मुद्रा में उधार लेकर व मुद्रा में ही मुग्तान देकर, देश में एक समान प्रकार के बाजार की स्थापना की जा सकती है। मात व्यवहारों का उद्देश्य समान भेवाए एक समान मूल्य का निर्माण करना है जो मुद्रा या सास बाजार के विकास होने पर ही सम्भव हो सकता है। जनता की मांग एवं पूर्ति, एवं निश्चित समय पर प्रदान की गई मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करेगी। मुद्रा के आधार पर किसी भी वस्तु को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। श्रमों की मुद्रा के रूप में ही सरलता से दिया जा सकता है तथा उस कोप की कीमत या मन्त्र की ब्याज की दर के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। व्याज की दर प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाती है और इस प्रकार धनराशि और समयावधि से स्वतंत्र रहती है।

(2) मूल्यांकन का सामान्य आधार—मुद्रा वस्तुओं के मूल्यांकन का सामान्य आधार प्रस्तुत करती है। किसी भी वस्तु का अनुमान केंद्र तो प्राप्त होने वाली गणनात्मक संस्तुष्टि से लगाया जाता है, परन्तु यह अनुमान गणनात्मक होता है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों की मोट्टि आस भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है।

(3) मुद्राप्रसार एवं सकुचन सम्बन्धी प्रभाव—मुद्रा द्वारा देश में मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा सकुचन सम्बन्धी प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगते हैं। यदि मुद्रा को गानो व मूल्यांकन की एक इकाई मानी जाये, तो मुद्रा का विनिमय मूल्य तुलनात्मक दृष्टि से स्थिर रहना चाहिए। मुद्रा का मूल्य उसके प्रयत्न की योग्यता पर निर्भर करता है और जब मूल्य बढ़ते हैं तो यह योग्यता गिर जाती है एवं मूल्यों के घटने पर योग्यता बढ़ जाती है।

(4) आर्थिक गणना का आधार—मुद्रा जनता को प्रेरता एवं विप्रेता वर्ग में विभाजित करके वस्तु विनिमय को मांग व पूर्ति में विभाजित व परिवर्तित कर देती है। मांग एवं पूर्ति ही बाजार मूल्यों को निर्धारित करती है जो स्वयं मुद्रा में व्यक्त किये जाते हैं। उत्पादन की दिसा का निर्धारण वर्तमान एवं भावी मूल्यों पर आधारित होता है। उत्पादन लागत एवं मूल्यों के अन्तर को उत्पादक का लाभ या हानि के नाम से जानते हैं। लाभ या हानि के आधार पर ही उत्पादन की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जाता है। इस प्रकार पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र में समस्त उत्पादन आर्थिक गणना पर आधारित होते हैं।

(5) उपभोक्ता की सार्वभौमिकता—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुओं को प्रय करने में स्वतंत्र होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक यह निर्धारित करता है कि उसे कौन सी वस्तुएं प्रय करनी हैं, इसी के आधार पर उत्पादन को समावोजित किया जाता है। मुद्रा के प्रयोग में उपभोक्ता को यह स्वतंत्रता प्रदान की है कि वह अपनी इच्छानुसार वस्तुओं को खरीदे। मुद्रा की इस प्रय-शक्ति का किसी भी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। मुद्रा के अभाव में, उत्पादकों पर निर्भर रहना पड़ता और उनके द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं से ही संतोष करना पड़ता और उपभोक्ता को सार्वभौमिकता समाप्त हो गई होती।

(6) वचन एवं पूँजी का स्रोत—मास बाजार में मुद्रा वचन को प्रेरणाहित करती है एवं उन व्यक्तियों को उधार देने में प्रयोग की जाती है जिनके व्यय उनकी आय में अधिक होते हैं। मुद्रा को सचय किया जा सकता है तथा कुल मांग को घटाया जा सकता है, फलस्वरूप उत्पादन, रोजगार एवं मांग में कमी हो जाती है। व्याज की दर कम होने पर मुद्रा सचय को प्रेरणाहित कर सकती है तथा व्याज की अधिक दर पूँजी के निर्माण में वृद्धि कर सकती है।

(7) उत्पादन का निर्णय—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुएं मुद्रा में ही नापी जाती हैं और इस मोट्टिक मूल्यों के आधार पर ही यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में उत्पादित की जावे। मुद्रा के अभाव में ऐसे निर्णय सेना कठिन हो जाता है।

(8) विचारण में सरलता—उत्पादन कार्य अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें पृथक् में पारिधमिक देना निश्चित किया जाना है। उत्पादित के साधनों को उनका पारिधमिक वस्तुओं के पूर्ण होने से पूर्व ही दिया जाता है, जिस

कार्य में मुद्रा ही सहायता प्रदान करती है। मुद्रा के रूप में विभिन्न व्यक्तियों का पारिथमिक मुगमता से निर्दिष्ट कर दिया जाता है तथा आवश्यकतानुसार अग्रिम मुगमता भी दिया जा सकता है।

(9) आय का उचित प्रयोग—मुद्रा की सहायता में आवश्यकताओं की तीव्रता एवं सीमान्त उपयोगिता को सरलता से नापा जा सकता है। एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय में अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने में सफल हो जाता है, जो चापद मुद्रा के अभाव में सम्भव नहीं था।

(10) पूंजीपतियों के लाभ पर प्रभाव—मुद्रा में व्यक्त किये गये मूल्यों के आधार पर ही व्यापारिक निर्णय लिये जाते हैं तथा व्यापार का विस्तार या संकुचन किया जाता है। लाभ की मात्रा कम होने पर पूंजीपति अपने कारोबार को एक स्थान से हटाने के स्थान पर ले जाते हैं।

### समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्त्व (Significance of Money in a Socialist Economy)

साम्यवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कोई स्थान नहीं माना जाता। लेनिन, मार्क्स एवं अन्य साम्यवादी लेखकों ने मुद्रा के प्रति एक विरोधी विचार ही अपनाया। मार्क्स का विचार था कि मुद्रा के कारण ही धर्मियों का शोषण होता है और इसी के आधार पर स्वामियों को बचत मूल्य प्राप्त होता है। उनकी राय में साम्यवाद के अन्तर्गत आदर्श विद्वह का का निर्माण करने के लिए मुद्रा व्यवस्था को समाप्त करके वस्तु-विनिमय की नीति को ही अपनाया उचित रहेगा। इन विचारों पर निर्भर होकर रूस में मुद्रा के उन्मूलन के प्रयास किये गये और वहाँ 1917 में बोल्शेविस्टों (Bolsheviks) की सत्ता प्राप्त होने पर प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं वस्तुओं के मुक्त वितरण द्वारा मुद्रा के उपयोग को समाप्त करने के असफल प्रयास किये गये। इन असफलताओं के स्वयं लेनिन ने स्वीकार किया। “अक्टूबर 1921 में लेनिन ने यह स्वीकार किया कि बोल्शेविस्ट अपने विद्वह पर महान गलती कर चुका था, कि साम्यवाद की प्रारम्भिक अवस्था की, समाजवादी निर्णय एवं नियंत्रण की स्थिति से गुजरे बिना प्राप्त किया जा सकता है।”<sup>1</sup> उसी प्रकार ट्रोत्स्की (Trotsky) ने भी समाजवादी नियोजन के लिए मुद्रा की आवश्यकता को स्वीकार किया। उसका विचार था कि बाजार व्यवस्था द्वारा किसी योजना का निर्माण करना आवश्यक होगा। “सरकारी कार्यालयों द्वारा बनाये गये अनुमानों की व्यापारिक गणना के आधार पर अपना आर्थिक औचित्य प्रमाणित करना चाहिए। किसी मुद्रा मोद्रिक इकाई के अभाव में व्यापारिक गणना के प्रयास गड़बड़ी ही उत्पन्न करेंगे।”<sup>2</sup> परिणामस्वरूप 1921 की नवीन आर्थिक नीति में अनेक मशीनों साम्यवादी धारणाओं का परित्याग कर दिया गया और मुद्रा की धारणा को भी समाप्त करने के विचार में। परन्तु सरकार ने मुद्रा महत्त्व को ध्यान में रखते हुए व्यापक रूप में केन्द्रीय नियोजन एवं सामूहिकरण की नीति अपनाते समय मुद्रा एवं अधिकोपन की महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। देश में उत्पादन एवं आय सम्बन्धी व्यवहार मुद्रा में ही किये जाते हैं तथा मजदूरी व वेतन आदि का मुगमता मुद्रा में ही करके प्राप्तकर्ता को पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाती है कि वह अपनी आय को अपनी इच्छानुसार वस्तुओं के रूप में व्यय करने में व्यय कर दे।

समाजवादी अर्थव्यवस्था में देश की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि मुद्रा की महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाये। देश में मजदूरी का वितरण वस्तु के रूप में होने पर भी आर्थिक साधनों का उपयोग मिश्र-व्यवस्थापूर्ण ढंग से दिया जाना चाहिए। देश के आर्थिक साधनों का उचित हिस्सा लगाने के लिए मुद्रा में बदकर अन्य कोई वस्तु नहीं है। “यदि उत्पादन के लक्ष्य तानाशाह द्वारा निर्धारित किये गये हों, तो साधनों का आवंटन, इन उद्देश्यों की पूर्ति में मूल्य प्रक्रिया द्वारा सम्भव हो सकता है जो कि मापन की सहायता के लिए विभिन्न उद्देश्यों के सम्बन्ध में सीमान्त

1. “Lenin, for example, admitted in October 1921 that the Bolsheviks had been greatly mistaken in their belief that they could reach even the initial stage of Communism without having passed a period of socialistic calculations and control.”—Vol. 43 of the Russian edition of Lenin's: Collected Works, Moscow, 1924-26.

2. “The blue prints produced by offices must demonstrate their economic expediency through commercial calculation. Without a firm monetary unit commercial accounting can only increase the chaos.”—L. D. Trotsky: ‘Soviet Economy in Danger’, p. 30.

उपयोगिता का अन्दाज लगाया जा सकता है।<sup>1</sup> लर्नर ने भी कहा है कि "मूल्य पद्धति के बिना किसी भी आर्थिक पद्धति के कार्यों में कठिनाई होगी, एवं व्यवस्था का संचालन कुशलतापूर्वक सम्भव नहीं हो सकेगा।"<sup>2</sup>

इस प्रकार सुरक्षापूर्वक यह कहा जा सकता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में मौद्रिक अर्थव्यवस्था रहेगी तथा समस्या का महत्वपूर्ण भाग आधुनिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में कम महत्व रहता है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा उपयोगिता पर राज्य करती है परन्तु समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपयोगिता मुद्रा पर राज्य करती है तथा जन-कल्याण प्राप्त करने के अधिकतम प्रयास किये जाते हैं।

### नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व


(Significance of Money in a Planned Economy)

नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व को निम्न प्रकार जाना जा सकता है :—

(1) ऋणों की व्यवस्था—जब देश में करो या अन्य बचत साधनों द्वारा पर्याप्त राशि एकत्रित करना सम्भव न हो, तो विदेशी ऋणों की व्यवस्था करनी होती है, जिसे प्रायः मुद्रा में ही प्राप्त किया जाता है।

(2) घाटे की वित्त-व्यवस्था—यदि आय से व्यय अधिक हो जाये और व्ययों को पूरा करने के अन्य साधन उपलब्ध न हों तो हीनार्थ प्रबंधन (Deficit financing) की व्यवस्था द्वारा वित्त प्रबंधन करना पड़ता है, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में सरकार को अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (inconvertible paper money) जारी करनी पड़ती है। इस प्रकार हीनार्थ प्रबंधन के लिए भी मुद्रा का ही सहारा लेना पड़ता है।

(3) योजनाओं का निर्माण—अविकसित एवं अर्धविकसित राष्ट्रों में नियोजित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत, बड़ी बड़ी योजनाओं के द्वारा, देश के आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इन योजनाओं में विशाल मात्रा में धनराशि व्यय की जाती है और उसकी पूर्ति मुद्रा की उपलब्धता द्वारा ही सम्भव हो पाती है।



चित्र 3.5

होता जाता है और द्वितीयक व तृतीयक उद्योगों में लगे व्यक्तियों का अनुपात बढ़ता जाता है जैसा कि चित्र 3.5 से स्पष्ट है।

(4) विदेशी बाजार में क्रय-विक्रय—देश के आन्तरिक बाजार में क्रय-विक्रय के लिए पत्र मुद्रा से काम चलाया जाता है, परन्तु विदेशी बाजारों में क्रय-विक्रय केवल विदेशी मुद्रा विदेशी विनिमय अथवा स्पर्ण में ही सम्भव हो पाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयात को सीमित एवं निर्यात को बढ़ाकर विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है अथवा अन्तराष्ट्रीय कोष एवं बैंक से विदेशी मुद्रा में सहायता ली जाती है, जिसका उपयोग देश के आर्थिक विकास में सुगमता से किया जा सकता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि ही जीवन-निर्वाह का साधन होने पर मुद्रा विनिमय के अवसर कम हो जाते हैं। आर्थिक विकास के साथ-साथ प्राथमिक उद्योगों (कृषि, मछली आदि) में लगे व्यक्तियों का अनुपात कम

1. "Even if the aims of production should be determined by a dictator, the allocation of resources according to these aims would have to be the result of the working of a pricing process by means of which it is possible to compare the usefulness of the available resources in different fields of employment."—G. N. Halm : 'Monetary Theory', p. 13.

2. "Without a pricing system it is impossible for an economic system of any complexity to function with any reasonable degree of efficiency."—A. P. Lerner : Economic Theory and Socialist Economy, Vol. II, p. 55.

## मुद्रा के दोष (Dangers of Money)

मुद्रा के अनेक लाभ होने पर भी उसमें निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं :—

### 1. आर्थिक दोष

आर्थिक दृष्टि में मुद्रा के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं :—

(1) धन का असमान वितरण—मुद्रा को संग्रह करके रखने की मुविधा होने के कारण, लोग उसे संग्रह करने का प्रयास करते हैं और अधिक धन मंचय हो जाने पर उत्पादन में अधिक हिस्सा प्राप्त करने के प्रयत्न करते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण देश में धन का वितरण अनमान रूप से हो जाता है, जो अनेक बुराइयों को जन्म देता है।

(2) मुद्रा एवं वय-शक्ति में भेद—मुद्रा एक वय-शक्ति एक ही बाल न होकर दो भिन्न बातें हैं। कभी-कभी मुद्रा होते हुए भी वस्तुओं को प्राप्त करना कठिन हो जाता है, जिससे मुद्रा का कोई महत्व नहीं रह पाता। मुद्रा प्रसार के समय जब वस्तुओं के भाव बहुत अधिक बढ जाते हैं, तो वहां की जनता मुद्रा के बदले कभी-कभी पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं को प्राप्त करने में असमर्थ रहती है।

(3) मुद्रा मूल्यों में उच्चावचन—मुद्रा का मूल्य अस्थिर रहता है, पत्र मुद्रा एवं बैंक मुद्रा के प्रयोग के कारण यह अस्थिरता और अधिक बढ गई है, परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्यों में भी घट-बढ होनी रहती है और मूल्यों में स्थायित्व सम्भव नहीं हो पाता। इस प्रकार के उच्चावचन से समाज के विभिन्न वर्गों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रा प्रसार के समय सम्पत्ति प्रायः व्यापारियों के हाथों में केन्द्रित हो जाती है और निधनों को बडे हुए मूल्यों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत मुद्रा सञ्चन की अवस्था में व्यापारियों को वित्तीय हानि होती है तथा श्रमिकों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और मध्यम वर्ग लाभ उठाना है। इन प्रकार मुद्रा के मूल्यों में उच्चावचन के कारण समाज में धन के वितरण पर कुप्रभाव पड़ता है।

(4) युद्धकाल में अस्थिरता—युद्धकाल में मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता आ जाती है और देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् विश्व में अनेक यूरोपीय राष्ट्रों में मुद्रा प्रसार का अनुभव किया, जिससे उनकी मुद्रा का आन्तरिक मूल्य बहुत गिर गया और जनता को जिन्दगी भर की अजित की गई धोमा एवं विनियोग की राशि का मूल्यांकन बहुत कम रह गया। जर्मनी में मार्क के मूल्य में असाधारण कमी के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था तथा उत्पादन एवं वितरण पर बुरा प्रभाव पड़ा।

(5) विश्व-मन्दी का प्रभाव—1929 में घोर विश्व-मन्दी ने भी राष्ट्र की मुद्रा को झुकभोर कर अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला। मुद्रा सञ्चन के समय मुद्रा का मूल्य बढ जाता है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी सन्तति को तरलता में बदलने का प्रयास करता है, फलस्वरूप वस्तुओं की मांग गिर जाती है एवं उत्पादन में कमी होकर बेरोजगारी बढ़ती है। इसमें श्रमिक वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(6) ऋणप्रमत्ता में बृद्धि—मुद्रा ने ऋण लेने की क्रिया को सरल बना दिया है जिससे ऋण लेने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला है तथा व्यक्ति मितव्ययिता के स्थान पर किञ्चिन्मूर्खों का श्रादी हो गया है। मुद्रा के कारण व्यक्तियों को भी ऋण के रूप में पूजी सरलता से प्राप्त हो जाती है जिसमें अनि-उत्पादन होकर समाज की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं।

(7) श्रमिकों का शोषण—मुद्रा ने समाज को दो वर्गों में विभाजित करके, श्रमिकों के शोषण को प्रोत्साहित किया है। मजदूरी प्रणाली के अन्तर्गत पूँजीपति श्रमिकों के शोषण करने का प्रयास करता है, जिससे धनी अधिक धनी और निधन अधिक निधन हो गये हैं।

### 2. नैतिक दोष

नैतिक दृष्टि में मुद्रा के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं :—

(8) अधौतिक गुणों पर प्रभाव—मुद्रा द्वारा भौतिक वस्तुओं के अनिश्चित अधौतिक वस्तुओं (जैसे सच्चाई, प्रेम, विश्वास आदि) को भी मुद्रा में ही व्यक्त किया जाता है। जिन व्यक्तियों के पास मुद्रा होती है, उनके समस्त अवगुण



छिन जाते हैं और जिनके पास मुद्रा नहीं है, उनके गुण भी बचपुणों में परिवर्तित हो जाते हैं।

(9) कुल कल्याण में कमी—मुद्रा ने साधनों पर ध्यान केंद्रित कराके, भौतिक कल्याण में वृद्धि की, परन्तु अनौतिक कल्याण में कमी लाकर, कुल कल्याण पर बुरा प्रभाव डाला है।


(10) भ्रष्टाचार में वृद्धि—मुद्रा ने समाज में भ्रष्टाचार की बढ़ावा दिया है तथा राजनैतिक संगठन भी मुद्रा में प्रभावित हो गये हैं। मुद्रा की शक्ति के कारण ही विविध राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों का घोषण करने में नहीं चूकते।

(11) नैतिक दुर्गुणों में वृद्धि—मुद्रा ने मनुष्य में मोह एवं लोभ उत्पन्न करके चोरी, डकैती, हत्या, ग़दर, विश्वासघात आदि, बुरे कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करके नैतिक दुर्गुणों में अक्षर माया में वृद्धि की है। 'मुद्रा की ही चोरी एवं हत्या का कारण माना जाता है, तथा घोरता भी मुद्रा के कारण ही दिया जाता है। मुद्रा उग समय भी बदनाम होती है जबकि एक बेव्या मुद्रा लेकर अपने शरीर को बेचती है तथा जब मुद्रा (धूम) लेकर न्याय के विरुद्ध निर्णय मुना देना है। मुद्रा के कारण ही नैतिकवादी व्यक्ति गिर जाते हैं जबकि वह भौतिकवाद का विरोध करते हैं। इस प्रकार मुद्रा के लोभ में ही समस्त बुराया उत्पन्न हो जाती है।'<sup>1</sup>

मुद्रा के उपरोक्त दोषों के कारण ही मुद्रा मानव जाति के लिए बरदान न होकर एक अभिशाप बन गई है। परन्तु यह दोष मुद्रा के न होकर मनुष्य स्वभाव में निहित हैं। यदि मनुष्य मुद्रा का प्रयोग सावधानी से करे तो उत्पन्न होने वाली बुराइयों को रोका जा सकता है। मुद्रा अतिव्यवित ढंग से कार्य करके समाज के विभिन्न वर्गों के लिए संकट साठी रहती है एवं इनकी मात्रा में परिवर्तन होने पर आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा पद्धति को सुनियोजित किया जा रहा है। मुद्रा के प्रयोग से अनेक लाभ उठाये जा सकते हैं। 'मुद्रा मानव की अनेक प्रकार के काम पट्टेबाने का एक साधन है, एव अतिव्यवित होने की दशा में, मरुट एवं अशान्ति का स्रोत भी बन सकती है।'<sup>2</sup> अतः मुद्रा का प्रयोग सावधानी एवं संतुष्टता के साथ किया जाना चाहिए और उसे समाप्त नहीं किया जा सकता।

मुद्रा के दोषों को निम्न षाट्टे के रूप में रखा जा सकता है:—

### मुद्रा के दोष



1. "Money is regarded as the cause of theft and murder, of deception and betrayal. Money is blamed when the prostitute sells her body and when the bribed judge prevents the law. It is money against which the moralist declaims when he wishes to oppose excessive materialism. Significantly enough, avarice is called the love of money and all evils are attributed to it."—Ludwig Von Mises : The Theory of Money and Credit, p. 93.

2. "Money which is a source of so many blessings to mankind becomes also, unless we can control it, a source of peril and confusion."—D. H. Robertson : Money, p. 16.

इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। परन्तु मुद्रा के कारण ही मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा सङ्कुचन के दोष दृष्टिगोचर होते हैं तथा धन का कुछ ही हाथों में केन्द्रीयकरण हो जाता है। यदि मुद्रा का उन्मूलन कर दिया जाये तो मुद्रा के अनेक लाभों से वंचित होना पड़ेगा। वर्तमान समय में समाज मुद्रा के प्रयोग का आदी हो गया है और इसके अभाव में जीवन-निर्वाह करना सरल एवं सम्भव नहीं है। अतः उचित यही है कि मुद्रा की व्यवस्था को बनाये रखकर मुद्रा के मूल्यों में स्थायित्व लाया जाये जिससे मुद्रा के लाभों को अर्जित किया जा सके। मुद्रा के मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए प्रायः देश की केन्द्रीय बैंक नियन्त्रण करने का कार्य करती है।

## मुद्रा का वर्गीकरण (CLASSIFICATION OF MONEY)

### प्रारम्भिक

विभिन्न समयों पर भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं ने मुद्रा के रूप में कार्य किया और उनमें समय के परिवर्तन के साथ-साथ अनेक प्रकार के परिवर्तन होते गये। वस्तु-विनिमय की कठिनाइयों ने मुद्रा को जन्म दिया और वर्तमान आधुनिक समाज में मुद्रा के द्वारा ही समस्त विनिमय कार्य विये जाते हैं। मुद्रा के विभिन्न स्वरूप चलन में पाये जाते हैं, जिनमें सिक्के, पत्र-मुद्रा, सात मुद्रा, बैंक आदि प्रमुख हैं। वर्तमान समय में विकसित राष्ट्रों में मुद्रा के रूप में बैंक मुद्रा का उपयोग अधिक लोकप्रिय हो रहा है। अर्द्धविकसित एवं अविकसित राष्ट्रों में भी पत्र-मुद्रा एवं सिक्कों को विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्द्धविकसित राष्ट्रों में भी अब सिक्कों का महत्त्व कम होता जा रहा है। मुद्रा विभिन्न रूपों में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है, जिनका निरस्त अध्ययन मुद्रा के वर्गीकरण के अध्ययन से ही हो सकता है।

### मुद्रा का वर्गीकरण

मुद्रा के वर्गीकरण के विभिन्न आधार हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार दिया जा सकता है :—

#### 1. हिमाय के आधार पर

इसमें निम्न को सम्मिलित किया जाता है—

- (1) वास्तविक मुद्रा (Money Proper), एवं
- (2) हिमाय की मुद्रा (Money of Account)।

(1) वास्तविक मुद्रा (Money Proper)—जो बीज के अनुसार हिमाय की मुद्रा एक पद के समान है और उस पद को धारण करने वाली मुद्रा वास्तविक मुद्रा है। येनहमें वास्तविक मुद्रा को चलन की इकाई कहा है। मुद्रा वह है जो कि राष्ट्र में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। इस प्रकार कोई भी चीज जो केवल विनिमय के माध्यम के रूप में मुविधापूर्वक प्रयोग की जा सकती हो, उगी को मुद्रा के नाम से जानेंगे और इसमें सामान्य रूप दानित का गुण विद्यमान रहता है।

“मुद्रा स्वयं गण-अनुबंधों एवं मूल्य अनुबंधों को निपटाने का कार्य करती है, और जिसके रूप में एन सामान्य वय-दानित एगमित की जाती है,”<sup>1</sup> मुद्रा के सततत विभिन्न प्रकार के चलन नोट एवं विभिन्न मूरुत्यों के गिनकों को सम्मिलित किया जाता है।

1. “Money itself, namely that by delivery of which debt-contracts and price-contracts are discharged, and in the shape of which a store of general purchasing power is held.”—J. M. Keynes: A Treatise on Money, p. 3.

मुद्रा के भेद—मुद्रा के विभिन्न भेद निम्न प्रकार हैं—

(i) वस्तु मुद्रा (Commodity Money)—वस्तु मुद्रा को पूर्ण रूपेण मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि इसका वास्तविक मूल्य एव अंकित मूल्य एक समान होते हैं, इस कारण इसे प्रमाण मुद्रा (Standard Money) भी कहते हैं। "वस्तु मुद्रा में स्वतन्त्रतापूर्वक प्राप्ति व गैर-एकाधिकार वस्तु की इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है, जो मुद्रा के उद्देश्य के लिए चुनी गई हो, परन्तु अन्य वस्तुओं की भाँति उसकी पूँति भी दुर्लभता एव उत्पादन लागत द्वारा शासित होती है।" इस वर्ग में केवल वे मुद्रा ही रखी जाती हैं जिनका आन्तरिक एव बाह्य मूल्य एक समान हो। अमेरिका का स्वर्ण प्रमाण-पत्र वस्तु मुद्रा का ही उदाहरण है।

विशेषताएँ—वस्तु मुद्रा की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं.—

(अ) एकाधिकार का अभाव—तत्कालीन वस्तु मुद्रा पर किसी सरकार का एकाधिकार नहीं होता था, जिससे मुद्रा बाजार में दुर्लभता या स्फीति नहीं पायी जाती थी।

(ब) प्रतिनिधि—वस्तु मुद्रा समय की प्रतिनिधि मुद्रा होती थी जो उस समय की जनता के दैनिक कार्य में आती थी।

(स) उपयोगी—वस्तु मुद्रा समाज की कुछ प्रत्यक्ष आवश्यकताओं की पूँति करती थी। कौटिया, सीपिया आदि सजावट में काम में लायी जाती थी।

वस्तु मुद्रा के दोष—वस्तु मुद्रा में निम्न दोष पाये जाते थे :—

(अ) भिन्नता—विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न वस्तुएं मुद्रा के रूप में प्रयोग होने के कारण उन क्षेत्रों में पारस्परिक वित्तीय सम्बन्ध नहीं था।

(ब) संचय में कठिनाई—वस्तुएं जो मुद्रा के रूप में प्रयोग की गईं वे शीघ्र नष्ट होने वाली थी, जिससे उन्हें संचय के रूप में संचय करना सम्भव नहीं था।

(स) मूल्य निर्धारण में कठिनाई—एक ही वर्ग की समस्त वस्तुएं समान गुणों की न होने के कारण उनका मूल्य निर्धारण करना भी सरल नहीं था।

(ii) प्रतिनिधि मुद्रा (Representative Money)—प्रतिनिधि मुद्रा अपनी मुख्य मुद्रा का प्रतिनिधित्व करने वाली होती है, जो धातु या कागज की बनाई जाती है। इस मुद्रा का चलन मूल्य मुद्रा के कारण रहता है। इसको बलात् मुद्रा (fiat money) भी कहा जाता है, जो कि साकेतिक मुद्रा का ही एक रूप है। "बलात् मुद्रा प्रतिनिधि (या साकेतिक) मुद्रा है (ऐसी वस्तु जिसका पदार्थ का आन्तरिक मूल्य उसके भौतिक-मूल्य से मदैव भिन्न होता है), छोटी मूल्यों की मुद्रा के अनिश्चित यह प्रायः बाजार की बनाई जाती है, और सरकार द्वारा मृजित एव निगमित की जाती है, परन्तु नियमानुसार म्बय के अतिरिक्त, परिवर्तन योग्य नहीं होती, और इसका भौतिक मान (objective standard) के रूप में कोई स्थिर मूल्य नहीं होता।"

(iii) प्रबन्धित मुद्रा (Managed Money) प्रबन्धित मुद्रा वस्तु मुद्रा एव प्रतिनिधि मुद्रा का एक मिश्रित रूप कहा जा सकता है। प्रबन्धित मुद्रा, वस्तु मुद्रा उस समय बन जाती है जबकि अधिकारीगण इसके पीछे गतप्रतिगत कोष रख देने हैं, और दूसरी तरफ यह बलान् मुद्रा उस समय बन जाती है जबकि इसका सम्बन्ध भौतिक-मुद्रा-मान से समाप्त

1 "Commodity money is composed of actual units of a particular freely obtainable, non-monopolised commodity which happens to have been chosen for the familiar purposes of money, but the supply of which is governed—like that of any other commodity—by scarcity and cost of production"—J M Keynes. A Treatise on Money, p 7

2 Fiat money is, representative (or token) money (i.e something the intrinsic value of the material substance of which is divorced from its monetary face value)—now generally made of paper except in the case of small denominations— which is created and issued by the State, but is not convertible by law into anything other than itself, and has no fixed value in terms of an objective standard."—J M Keynes: op cit, p 7.

कर दिया जाये। "प्रबन्धित मुद्रा बलात् मुद्रा के समान होनी है, सिवाय इसके कि राज्य इसके निर्गमन की ऐसी शक्ति का प्रबन्ध करता है कि उसके परिवर्तन या अन्य विधि द्वारा, भौतिक प्रमाण के रूप में इसका निश्चित मूल्य होगा।"<sup>1</sup>

2. **हिसाब की मुद्रा (Money-of-Account)**—यह मुद्रा स्थायी स्वभाव की होती है और इनमें विभक्त सम्बन्धी परिवर्तन सम्भव नहीं होते। "हिसाब की मुद्रा को ऋण और मूल्य एवं सामान्य ऋण शक्ति में व्यक्त किया जाता है, जो कि मुद्रा सिद्धान्त का मुख्य विचार है।"<sup>2</sup> भारत में रुपया, ब्रिटेन में स्टलिंग, अमेरिका में डालर, फ्रांस में फ्रैंक एवं जर्मनी में मार्क हिसाब की मुद्रा है। अतः "हिसाब की मुद्रा ऋण के साथ यथांश में होती हैं, जो कि स्थगित भुगतान एवं मूल्य सूची वा अनुबन्ध होती है, जो कि ऋण या विनियम के अनुबन्ध के लिए प्रस्तुत की जाती है।"<sup>3</sup> इस प्रकार से ऋण एवं मूल्य सूचियों को चाहे वे अलिखित हो या दस्तावेज के रूप में लिखित हो, उन्हें केवल हिसाब की मुद्रा में ही व्यक्त किया जा सकता है।

प्रायः मुद्रा एवं हिसाब की मुद्रा में कोई भेद नहीं किया जाता, परन्तु असाधारण परिस्थितियों में मुद्रा हिसाब की मुद्रा से भिन्न हो सकती है। उदाहरणार्थ, प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् भीषण मुद्रा प्रसार के कारण जर्मन-मार्क का मूल्य घटने पर, वहाँ के लोगों ने मार्क पर से विश्वास हट जाने से अपने खाते अमेरिकन डालर में रखने प्रारम्भ किये। इस प्रकार जर्मनी की मुद्रा यद्यपि मार्क थी, परन्तु हिसाब की मुद्रा अमेरिकन डालर था। हिसाब की मुद्रा एक सैद्धान्तिक रूप है, जबकि मुद्रा का रूप व्यावहारिक है। सैद्धान्तिक रूप में स्थायित्व बना रहता है जबकि व्यावहारिक रूप परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। वास्तविक मुद्रा किसी देश में चलने वाली मुद्रा का भौतिक रूप होता है, जबकि हिसाब की मुद्रा से आशय उसके पद से है। पद वर्षों तक वैसा ही बना रहता है, परन्तु उसका प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु का रूप परिवर्तित हो सकता है। जर्मनी में सन् 1933 में हिसाब की मुद्रा फ्रैंक या डालर थी, परन्तु चलन की मुद्रा मार्क ही थी। इस आधार पर मुद्रा एवं वास्तविक मुद्रा में भेद किया जा सकता है।<sup>4</sup> शायद मुद्रा एवं वास्तविक मुद्रा में अन्तर यह बहकर किया जा सकता है कि हिसाब की मुद्रा एक वर्णन या स्वत्व है और मुद्रा एक वस्तु है जो उस वर्णन का उत्तर देती है।<sup>5</sup> किंग ने इन दोनों का अन्तर समझाते हुए हिसाब की मुद्रा की तुलना 'इगलैण्ड के सम्राट' तथा वास्तविक मुद्रा की तुलना 'सम्राट जार्ज' से की है। इन प्रकार 'इगलैण्ड के सम्राट' पद की भाँति हिसाब की मुद्रा में स्थायित्व बना रहता है, और 'सम्राट जार्ज' की तरह मुद्रा में सदैव परिवर्तन होता रहता है। मनुष्य के हिसाब की मुद्रा के प्रयोग होने के कारण वस्तु-विनियम के स्थान पर मुद्रा के गुण ने बढम रखा। वर्तमान समय में प्रायः सम्पत्तियाँ मुद्रा में ही व्यक्त किये जाते हैं तथा संभ्य समाज में मुद्रा का उपयोग ही सबसे अधिक किया जाता है।


1. "Managed money is similar to fiat money, except that the State undertakes to manage the conditions of its issue in such a way that, by convertibility or otherwise, it shall have a determinate value in terms of an objective standard." J. M. Keynes : op cit , p. 8.

2. "Money-of-Account, namely that in which Debts and Prices and General Purchasing Power are expressed, is the primary concept of a theory of money"—J. M. Keynes, op.cit., p. 3.

3. A Money-of-Account comes into existence along with Debts, which are contracts for deferred payment, and price-lists, which are offers of contracts for sale or purchase."—Ibid.

4. "Perhaps we may elucidate the distinction between money and money-of account by saying that the money-of-account is the description or title and the money is the thing which answers to the description."—J. M. Keynes : op cit., pp. 3-4.

मुद्रा के वर्गीकरण को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—



## 2. मुद्रा अधिकारी के आधार पर वर्गीकरण

मुद्रा अधिकारी के आधार पर मुद्रा को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है—

(1) वास्तविक मुद्रा (Money-Propor)

(2) बैंक मुद्रा (Bank-Money)।

(1) वास्तविक मुद्रा—यह वह मुद्रा होती है जो एक विये टूए राष्ट्रतातिक क्षेत्र में सर्वसम्मति से स्वीकार की जाती है। यह एक विधि ग्राह्य मुद्रा होती है जिसमें विनिमय के कार्य करने की शक्ति कानून द्वारा निहित होती है। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति पर ऋण होने पर वह उसके मूलान में कानूनी रूप प्रदान कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्राणकर्ता उसे लेने से मना नहीं कर सकता है। भारत में रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सब प्रकार की मुद्रा वास्तविक मुद्रा के ही उदाहरण हैं। "वास्तविक मुद्रा की सुपुदेमी द्वारा अनुबन्ध या ऋण का निपटारा हो जाता है।"<sup>1</sup>

वास्तविक मुद्रा के कई रूप हो सकते हैं जो कि निम्न प्रकार हैं—

(i) वस्तु मुद्रा—इसमें वस्तु की वे इकाइयाँ चुनी जाती हैं, जो मुद्रा का कार्य करने के उपयुक्त समझी जाती हैं। इनका अपना निजी मूल्य भी होता है, जो उत्पादन लागत एवं दुर्लभता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। धातु की बनी मुद्रा को इसमें सम्मिलित करते हैं। कोई भी वस्तु जो सरलता में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता में मुविधा की दृष्टि में मुद्रा का दर्जा दे दिया हो उसे वस्तु मुद्रा कहेंगे।

(ii) प्रतिनिधि मुद्रा—इसका आदान ऐसी पत्र मुद्रा से है जिसका भौतिक मुद्रा के रूप में एक निश्चित मूल्य अंकित होना है और इसे भौतिक मुद्रा में परिवर्तन किया जा सकता है।

(iii) बलात मुद्रा—इसमें वाग्य एवं छोटे मिक्तों को सम्मिलित किया जाता है जिनका स्वयं कोई आन्तरिक मूल्य नहीं होता और जो किसी भी अन्य प्रकार की मुद्रा में परिवर्तनीय नहीं होती। यह मुद्रा सरकारी आदेशों पर ही स्वीकार की जाती है।


(2) बैंक मुद्रा—बैंक मुद्रा ऋण की एक स्वीकृति है जो सरकारी मुद्रा के स्थानापन्न के रूप में कार्य करती है। "बैंक मुद्रा एक निजी ऋण की स्वीकृति है जो हिमाव की मुद्रा में व्यवहृत की जाती है, जो वास्तविक मुद्रा के स्थान पर, व्यवहारों को निपटाने के लिए एक हाथ में दूसरे हाथ में हस्तांतरित होनी रहनी है।"<sup>2</sup> इस बैंक मुद्रा में प्राय व्यापारिक

1. "Money proper, answering to it, delivery of which will discharge the contract or the debt."—J. M. Keynes, op cit, p. 5.

2. "Bank-money is simply an acknowledgement of a private debt, expressed in the money-of-account, which is used by passing from one hand to another, alternatively with money-proper, to settle a transaction —J. M. Keynes, op cit, p. 6

बैंकों के नोट एवं बैंक की जमा सम्मिलित की जाती है। बैंक मुद्रा के अन्तर्गत ऐसे विदेशी की भी सम्मिलित करते हैं जो बैंक द्वारा निर्गमित किये जाते हैं। बैंक बैंक-नोट, साख-पत्र, साल-पत्र आदि इसी वर्ग में आते हैं। प्रत्येक राष्ट्र में केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्गमित किये गये नोटों की सरकार द्वारा प्रमाणित माना जाता है। प्रत्येक राष्ट्र में बैंक जमा का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। विकसित राष्ट्रों में अधिकांश भूगतान बैंक द्वारा ही किये जाते हैं। वर्तमान समय में यह बहुत लोकप्रिय हो गया है और प्रत्येक राष्ट्र में इसका प्रयोग बढ़ रहा है।

मुद्रा अधिकारी आधार पर मुद्रा के वर्गीकरण को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—



### 3. वैधानिक मान्यता के आधार पर वर्गीकरण

इस आधार पर मुद्रा को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है—

- (1) ऐच्छिक मुद्रा (Optional money)
- (2) विधि द्वारा मुद्रा (Legal tender money)

(1) ऐच्छिक मुद्रा—यह मुद्रा जनसाधारण द्वारा स्वीकारतो की जाती है, परन्तु किसी भी व्यक्ति को उसे लेने के लिए कानूनी दंड से वाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसी मुद्रा को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने पर देने वाले की माह्र देही जाती है। यदि उसे धन प्राप्त होने की सम्भावना होगी तो वह इस मुद्रा को स्वीकार करेगा। बिल, टूण्टी, बैंक मुद्रा आदि ऐच्छिक मुद्रा के अन्तर्गत ही आते हैं। इसमें वे विलेस आते हैं जिन्हें स्वीकार करना जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। बैंक मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है।

(2) विधि द्वारा मुद्रा—यह मुद्रा जो ऋणों एवं दायित्वों व. शोधन करने में देण की सरकार द्वारा स्वीकार की गई हो, विधि द्वारा कृतानी है और इसका पालन न करने पर सखदण्ड देने की व्यवस्था की जाती है। वर्तमान समय में विधि द्वारा मुद्रा प्रायः सरकार के आदेश के कारण चलती है, क्योंकि उनमें धात्विक मूल्य बहुत कम होता है। विधि द्वारा मुद्रा दो प्रकार की हो सकती है—प्रमाणित मुद्रा एवं साकेतिक मुद्रा। प्रमाणित मुद्रा का धात्विक एवं लिखित मूल्य समान होता है। साकेतिक मुद्रा में धात्विक मूल्य घोषित मूल्य में कम होता है।

रूप—विधि द्वारा मुद्रा दो प्रकार की होती है—

(अ) सीमित विधि द्वारा मुद्रा (Limited legal tender money)—इसमें एक निश्चित सीमा तक भूगतान स्वीकार करना अनिवार्य होता है और उस सीमा से अधिक लेना कानून द्वारा अनिवार्य नहीं होता और उस सीमा से अधिक की प्राप्ति को लेने से इन्कार किया जा सकता है।


(ब) असीमित विधि द्वारा मुद्रा (Unlimited legal tender money)—इसमें भूगतानों को स्वीकार करने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती और उसे अनिश्चित सीमा तक अनिवार्य रूप में स्वीकार करनी ही होगी। इस प्रकार एक देनदार अपने लेनदार को ऋणों का भूगतान इस मुद्रा में असीमित माना में कर सकता है और प्राप्त करने वाला लेने से इन्कार नहीं कर सकता। यदि वह इन्कार करता है तो कानून द्वारा उसे दण्ड देने की व्यवस्था की जा सकती है। उदाहरणार्थ, भारत का रुपया असीमित विधि द्वारा मुद्रा है।

असीमित विधि द्वारा मुद्रा को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

(1) मिश्रित प्रणाली (Composite System)—इसमें मुद्रा मूल्य-स्तर के आधार पर लेनदेन में स्वीकृत की जाती है।

(ii) बहू-विधि ग्राह्य पद्धति (Multiple legal tender system)—इसके अन्तर्गत दो या दो से अधिक धातु के निकके प्राथमिक सिक्कों के रूप में चलन प्रणाली में रहते हैं और इन सिक्कों की किसी भी सीमा तक सरतता से भुगतान किया जा सकता है तथा सीमा का कोई बंधन नहीं होता है।

वैधानिक मान्यता के आधार पर वर्गीकरण को निम्न चार्ट द्वारा भी दिखाया जा सकता है—



#### 4. मुद्रा पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण

यह वर्गीकरण अति प्राचीन है और इस आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है—

(1) पदार्थ मुद्रा (Commodity Money)

(2) धातु मुद्रा (Metallic Money)

(3) पत्र मुद्रा (Paper Money)

(1) पदार्थ मुद्रा—प्राचीन समय में धातुओं के अतिरिक्त अन्य पदार्थ जैसे पत्थर, खान, अनाज आदि को वस्तु विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिसे पदार्थ मुद्रा के अन्तर्गत सम्मिलित करते हैं। परन्तु नाशवानता, बर्तनीयता का अभाव, मध्यम का अभाव, मुद्रा में अस्थिरता आदि अनेक बुराियों के कारण इसका प्रचलन धीरे-धीरे समाप्त हो गया और आज विकसित राष्ट्रों में इसका प्रयोग विनष्ट बन्द हो गया है।

(2) धातु-मुद्रा—ये मुद्रा धातु की बनी हुई हैं अथवा धातु मुद्रा कहते हैं। इनमें सोना एवं चांदी के निकके सम्मिलित किये जाते हैं। धातु मुद्रा में कुछ गुण पाये जाते हैं, जैसे कि उनका मूल्य अति मूल्य के समान होता, मूल्य में स्थिरता होता, अविनाशता होता, प्रसार का भय नहीं, पुनः प्रयोग की सुविधा एवं जनता की मान प्राप्त होना आदि। धातु मुद्रा के दोषों में अस्थिर, मुद्रा में अतिरिक्त, अधिक खर्च घेरता, बर्तनीयता आदि जो सम्मिलित किया जा सकता है। इन दोषों के कारण ही विश्व के प्रायः सभी देशों में धातु मुद्रा का प्रयोग कम हो गया है। धातु मुद्रा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(अ) धातुमान (Metallic standard)—इसमें प्राथमिक एवं अन्य सहायक मुद्राओं का चलन सम्मिलित किया जाता है। देश में सेवक की सुविधा के लिए प्राथमिक एवं सहायक दोनों ही प्रकार के सिक्कों का चलन होता है। धातुमान के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं—

(i) एकधातुमान—इसमें एक ही धातु का बने हुए प्राथमिक सिक्का ही चलन में रहता है। इसके लिए प्रायः सोने या चांदी के निकके चलन में लाये जाते हैं।

(ii) द्विधातुमान—इन प्रणाली में दो धातुओं के प्राथमिक सिक्के एक साथ चलन में रहते हैं और दोनों धातुओं के प्राथमिक सिक्के एक साथ प्रचलित होते हैं। परन्तु विनिमय के लिए एक धातुमान विनिमय कर दिया जाता है तथा दूसरे धातुमान के लिए दोनों प्रकार के सिक्कों का महत्व समान होता है।



का मुद्दा दिया था, परंतु अनेक कारणों से इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। ये कारण निम्न थे—

- (i) यह बैंक भारतीय बैंकों के हित में कार्य नहीं कर पाता।
- (ii) इसका उद्देश्य प्रारंभ से ही अधिकाधिक लाभ अर्जित करना था, अतः इसे केंद्रीय बैंक के अधिकार प्रदान करना उचित नहीं था।
- (iii) यह एक पूर्णतः व्यापारिक बैंक था जिसकी देश-भर में 300 शाखाएँ होने से व्यापारिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा होने के भय से इसे केंद्रीय बैंक नहीं बनाया जा सका।
- (iv) इस बैंक की प्रबंध व्यवस्था पूर्णतया विदेशियों के हाथों में थी, जितने इसे केंद्रीय बैंक में परिवर्तित करने पर जनता का विश्वास कम होने का भय था।

### सरकारी नियंत्रण

सरकार ने इम्पीरियल बैंक पर कुछ नियंत्रण लगाये जो कि निम्नलिखित थे—

- (i) सरकार द्वारा नियुक्ति—प्रबंध मंडल के अधिकार्य सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी। सरकार को 2 व्यवस्थापक गवर्नर, मुद्रा निवन्तक एवं स्थानीय मंडल के सचिव व 4 गवर्नरों को नियुक्ति करने का अधिकार था।
- (ii) खातों की जांच—सरकार को बैंक के खातों को जाचने के पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। खातों को जाचने का कार्य अकेसरो द्वारा किया जाता था, जिनकी नियुक्ति एकाउण्टेंट जनरल द्वारा की जाती है।
- (iii) व्यापारिक बैंकों के अधिकार—बैंक को व्यापारिक बैंक के समस्त कार्य करने के अधिकार प्राप्त थे, परंतु यह 6 माह से अधिक अवधि के लिए प्रभु नहीं दे सकता था।
- (iv) विदेशी विनिमय पर प्रतिबंध—बैंक अपनी निजी आवश्यकताओं के अतिरिक्त विदेशी विनिमय में तेज-देन नहीं कर सकता था।
- (v) प्रबंध व्यवस्था—बैंक की प्रबंध व्यवस्था 3 स्थानीय कार्यलयों द्वारा होती थी तथा कोई अन्य मंडल सरकारी अनुमति के बिना कार्य नहीं कर सकता था।
- (vi) वित्तीय नीति—सरकार वित्तीय नीति के संबंध में बैंक को आदेश दे सकती थी तथा कोई भी सूचना प्राप्त की जा सकती थी।

### इम्पीरियल बैंक का महत्त्व

#### (Importance of Imperial Bank)

इम्पीरियल बैंक का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक महत्त्व था जिसके प्रमुख कारण निम्न थे—

- (i) विस्तृत कार्यक्षेत्र—इम्पीरियल बैंक की पूरे देश में 300 से भी अधिक शाखाएँ होने से इसका कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत था तथा देश के विभिन्न भागों में सरलता व मितव्ययता से बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की जा सकती थी।
- (ii) एजेंट का कार्य—जहाँ पर रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं थी, वहाँ पर इसने एजेंट का कार्य करके सरकार का समस्त कार्य किया।
- (iii) जनता का विश्वास—इस बैंक की नीतियाँ एवं साधन अच्छे होने से जमा की राशि काफी अधिक रहती थी और जनता को इस बैंक में अधिक विश्वास था।

### इम्पीरियल बैंक के दोष

#### (Defects of Imperial Bank)

इम्पीरियल बैंक की कार्यप्रणाली में प्रमुख दोष निम्न थे—

- (i) केंद्रीय बैंक के रूप में अक्षम—इम्पीरियल बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों के साथ प्रतियोगिता करता था जिससे यह बैंक केंद्रीय बैंक के कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने में असमर्थ रहा तथा देश में केंद्रीय बैंक का अभाव

तथा षेप के लिए 3½% वाले सरकारी रूप पत्रों के निर्गमन की व्यवस्था की गई जिसका भुगतान 1965 में करता था। स्टेट बैंक में कोई भी व्यक्ति या संस्था 200 करोड़ से अधिक व्यय नहीं कर सकते परंतु यह सीमा किसी निगम, स्वायत्त संस्था निजी एंव सार्वजनिक धार्मिक ट्रस्टों पर लागू नहीं होती है। इसकी व्यवस्था प्रजातांत्रिक है क्योंकि कोई भी व्यक्ति 1% से अधिक मतदान देने का अधिकारी नहीं है।

**प्रबंध व्यवस्था**—प्रबंध केन्द्रीय बोर्ड तथा 7 स्थानीय कार्यालयों द्वारा होता है।

(प्र) केंद्रीय बोर्ड—बैंक की स्थापना के समय संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या 20 होती थी जिसमें से निजी प्राधिकारियों द्वारा 6 संचालक नियुक्त किए जाते थे। परंतु 1 दिसंबर, 1964 को अधिनियम में संशोधन करके संचालक मंडल का गठन निम्न प्रकार रखा गया—

(1) संचालक मंडल की सिफारिश पर सरकार द्वारा 1 अध्यक्ष तथा 1 उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है।  
(2) स्थानीय मंडल का सभापति केंद्रीय संचालक मंडल का पदेन सदस्य होता है। वर्तमान समय में स्थानीय मंडल के सदस्यों की संख्या 7 है।

(3) सरकार न्यूनतम 2 व अधिकतम 6 संचालक नियुक्त कर सकती है।

(4) सरकार के अनुमोदन पर संचालक मंडल द्वारा कम से कम 2 प्रबंध संचालक नियुक्त किए जाएंगे।

(5) यदि निजी प्राधिकारियों पर 10% से कम भ्रष्टाचार है तो वे 2 संचालक नियुक्त कर सकते हैं।

(ब) स्थानीय बोर्ड (Local Boards)—स्टेट बैंक का केंद्रीय कार्यालय बंबई में है, परंतु इसके 7 स्थानीय मंडल भी हैं, जो कि कानपुर, मद्रास, हैदराबाद, नई दिल्ली, बंबई एंव कलकत्ता में हैं। स्थानीय बोर्ड का गठन निम्न प्रकार है—

(1) संचालक मंडल के सदस्य—संचालक मंडल के कार्यक्षेत्र में रहने वाले सदस्य संबंधित स्थानीय बोर्ड में भी रहते हैं।

(ii) प्राधिकारियों द्वारा चुना सदस्य—प्रत्येक क्षेत्र में निवास करने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक मंडल के लिए एक सदस्य चुना जाता है, बसंत पूजा के कम से कम 2½% भ्रष्टाचार के पात्र हो।

(iii) गवर्नर—सभापति द्वारा स्थानीय मंडल के सदस्यों में से। सदस्य को रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया जाता है।

(iv) अध्यक्ष—स्टेट बैंक के अध्यक्ष प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में पदेन अध्यक्ष होते हैं।

(v) सरकार द्वारा नियुक्ति—प्रत्येक स्थानीय मंडल में रिजर्व बैंक की सलाह के 6 सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

(vi) स्टेट बैंक द्वारा नियुक्ति—मंडल का कोषाध्यक्ष एवं सचिव पदेन सदस्य होते हैं, जो कि स्टेट बैंक द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

## स्टेट बैंक के उद्देश्य

स्टेट बैंक की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे—

(1) बैंकिंग विकास—स्टेट बैंक का मुख्य उद्देश्य भारत के प्राचीन क्षेत्रों में अधिकधिकारिता प्राप्त खोलकर बैंकिंग सुविधाओं का विकास करना था। धारा 16 (5) के अनुसार यह निश्चित किया गया कि स्टेट बैंक प्रथम 5 वर्षों में देगभर में 400 नई शाखाएं खोलने का प्रयत्न करेगी। इसके पश्चात् 1 जून, 1960 को हो गयी। बैंक ने भावी विकास के लिए सुझाव देने हेतु प्रो० कर्वे की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसने सामान्य 5 वर्षों में 300 नवीन शाखाएं खोलने का सुझाव रखा। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना था। 1965 में तीसरी विस्तार योजना प्रारंभ की गई। बैंक की 80% शाखाएं प्राचीन क्षेत्रों में खोली गयीं। बैंक का विस्तार निम्न प्रकार था—

जाना है। यदि मौद्रिक इकाई को जिंगी भी वस्तु में व्यक्त नहीं किया जाता, तो राष्ट्र अपरिवर्तनीय प्रमाण में आधारित माना जाता है।<sup>1</sup>

देग की मौद्रिक पद्धति की प्रकृति के दो प्रकार में महत्व है—(i) उसे धरेलु आवश्यकताओं के उपयुक्त होना चाहिए। (ii) उसे विदेशी व्यापार में भी उपयोग किया जा सके। एक उपयुक्त मौद्रिक पद्धति में धरेलु आवश्यकता एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता दोनों को ही गलुष्ट करने का मुण रहना चाहिए।

मौद्रिक मान एवं मूल्यमान (Monetary Standard and Standard of Value)

मौद्रिकमान—जिसी देग की सम्पूर्ण मौद्रिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मुद्रा के कोष का आधार, नियम, एवं मुद्रा सम्बन्धी क्रियाएँ सम्मिलित रहती हैं।

मूल्यमान—यह धातु होती है जिसमें अन्य सम्मन् वस्तुओं के मूल्य मापे जाते हैं, जैसे सरपा, डालर, मार्क आदि। अत्र मूल्यमान मौद्रिकमान व्यवस्था का ही एक अंग है।

### मौद्रिक मान का वर्गीकरण

मौद्रिक मान को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है—

- (1) धातुमान
- (2) पत्र मुद्रामान

#### 1. धातुमान

इसके अन्तर्गत सोना, चांदी, अथवा अन्य कोई वस्तु मुद्रा के रूप में प्रचलित रहती है। द्रव सम्मन् वस्तुओं में सोना या चांदी ही अधिक लम्बे समय तक मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि (i) इनकी द्रवनीयता श्रेष्ठ होती है, (ii) इनके रूप व रंग आकर्षक रहते हैं, (iii) यह धातुएँ मूल्यवान होती हैं एवं (iv) इनके गुण एवं मूल्य में धीम्र ह्रास नहीं होता।

विशेषताएँ—धातुमान की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं—

(1) धातु का स्वतन्त्र आयागमन—जिस धातु की प्रधान मुद्रा बनाई जाती है, उसके आयात एवं निर्यात में पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है और उस धातु में सरलता से विदेशी व्यापार किया जा सकता है।

(2) विशेष धातु का प्रयोग—देग की प्रधान मुद्रा जिसी विशेष धातु की बनी होती है, जिसका आकार, रूप, आदि सरलार द्वारा घोषित किया जाता है। यदि दो धातुओं की मुद्राएँ चलन में हो तो उनके पारस्परिक विनियम अनुपात भी सरकार द्वारा घोषित कर दिये जाते हैं।

(3) टंकण स्वतन्त्र होना—जिस धातु की मुद्रा बनाई जाती है, उसका टंकण स्वतन्त्र होता है और कोई भी व्यक्ति धातु ले आकर उसे मुद्रा में परिवर्तित करा सकता है।

धातुमान के रूप—वस्तुमान के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं—

- (1) एकधातुमान (Mono-metallism)
- (2) द्वि-धातुमान (Bi-metallism)
- (3) मिश्रित धातुमान (Symmetallism)
- (4) मयुक्त वस्तुमान (Composite Commodity Standard)
- (1) एकधातुमान (mono-metallism)—इसके अन्तर्गत देग में एक धातु की प्रायागिक मुद्रा ही चलन

1. "If a country's unit is expressed as being equal to a specified amount of gold, then the country is on a gold standard. If the unit is expressed in terms of silver, the country is on a silver standard. If the monetary unit is not expressed in terms of any commodity the country is on an inconvertible standard."—Paul M. Horvitz : Monetary Policy and Financial System.

में होती है, जिसका अंकित एवं आन्तरिक मूल्य समान होता है और वह असोमित विधि ग्राह्य होती है, इसका टंकण भी स्वतन्त्र होता है। विशेषताएँ—एक धातुमान की विशेषताएँ निम्न हैं :—

(i) स्वर्ण या रजतमान—यदि स्वर्ण मुद्राएँ चलन में हों तो स्वर्णमान, और रजतमुद्राओं के प्रचलन होने पर रजतमान के नाम से मुद्रा-व्यवस्था को पुकारा जाता है।

(ii) स्वतंत्र टंकण—धातु की मुद्रा का टंकण स्वतंत्र होता है।

(iii) प्रधान मुद्रा—एक धातु की प्रधान मुद्रा चलन में होती है और महायुक्त मुद्राएँ हल्की धातु की बनी होती हैं।

(iv) असोमित विधिग्राह्य—एक धातु की मुद्राओं को असोमित विधिग्राह्य घोषित किया जाता है।

गुण—एक धातुमान के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं—

(i) दर निर्धारण में सरलता—एक धातुमान के अन्तर्गत टंकणाली समता के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण सरलतापूर्वक किया जा सकता है।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग—अनेक राष्ट्रों द्वारा इमे अपनाते में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होती है तथा विदेशी व्यापार को भी बढ़ाया जा सकता है।

(iii) जनता का विश्वास—इसमें सोने एवं चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं के प्रयोग होने से जनता का अधिकतम विश्वास प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) ग्रंथम के नियम से बचन—इस मान में एक ही धातु के प्रयोग होने से घेराय<sup>1</sup> का नियम लागू नहीं हो पाता।

(v) विदेशी भुगतान में सुविधा—एक धातुमान में विदेशी भुगतान करना सरल होता है, क्योंकि धातु के निष्कर्षों की महायुक्तता में सरलता से भुगतान किया जा सकता है। इसमें विदेशी व्यापार में भी सरलता बनी रहती है।

दोष—एक धातुमान के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं—

(i) अपनाते में कठिनाई—इस मान को विश्व के समस्त राष्ट्र एक साथ नहीं अपना सकते क्योंकि उक्त धातु की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में सम्भव न हो सकेगी।

(ii) मूल्यों में परिवर्तन—देना में मुद्रा के रूप में प्रयोग होने वाली धातु के मूल्य में, पूति की घट बढ़ के कारण, परिवर्तन होता रहा है, फलस्वरूप मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन होता रहता है जिसका मुद्रा पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(iii) लोच का अभाव—इसमें मुद्रा की मात्रा धातु कोषों पर निर्भर रहने के कारण मुद्रा प्रणाली में लोच का अभाव बना रहता है और मुद्रा को आवश्यकता पड़ने पर घटाया या बढ़ाया भी नहीं जा सकता।

रूप—एक धातुमान के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं—

(1) स्वर्णमान (Gold Standard)

(2) रजत मान (Silver Standard)

(1) स्वर्णमान—यदि प्रधान मुद्रा का निर्माण स्वर्ण से होता है तो उसे स्वर्णमान कहेंगे। इसके विभिन्न रूप होते हैं त्रिकोण विन्तुन अध्ययन अर्थात् अध्ययनों में किया गया है।

(2) रजतमान—इस मान में चांदी के निष्कर्षों का एक निश्चित बजन एवं शुद्धता के साथ चलन किया जाता है, सिक्के असोमित विधि ग्राह्य होते हैं तथा उनका टंकण स्वतन्त्र होता है। इसमें चांदी के आधान व नियंत्रण पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।

विशेषताएँ—रजतमान की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं—

(i) प्रमाणित मुद्रा—चांदी को प्रमाणित मुद्रा चलन में रहती है, ठनाई स्वतन्त्र रहती है तथा भुगतान

1. घेराय के नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को गर्दव चलन में बाहर निराल देती है।

असीमित मात्रा में किया जा सकता है।

(ii) सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग—चादी की मुद्रा के साथ-साथ कागज के नोट एवं अन्य हल्की मुद्राओं का चलन भी सांकेतिक मुद्रा के रूप में किया जाता है।

(iii) मुद्रा का आधार चांदी—देश की सम्पूर्ण मुद्रा का आधार चांदी ही रहता है और समस्त प्रकार की वागजी एवं सांकेतिक मुद्राएं चांदी में परिवर्तनशील होती हैं।

(iv) स्वतंत्र आयात-निर्यात—इसमें चांदी की धातु एवं मुद्राओं के आयात-निर्यात पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रहता।

(v) स्वतंत्र ढलाई—इसमें चांदी की मुद्राओं की ढलाई स्वतंत्र होती है।

चांदी स्वर्ण से मस्ती होने के कारण छोटे भूगतानों के लिए अधिक उपयोगी रही। इसी कारण 19वीं शताब्दी तक समस्त राष्ट्रों ने चांदी को ही प्रमाणित मुद्रा के रूप में उपयोग किया। परन्तु चांदी के साथ-साथ स्वर्ण का भी प्रयोग होने में स्वतंत्र रूप से रजतमान चलन में नहीं रहा।

भारत में रजतमान का उपयोग काफी लम्बे समय तक रहा। सन् 1835 तक चांदी की मुद्रा में 180 ग्रेन वजन एवं 165 ग्रेन शुद्ध चांदी थी। 1873 में चांदी की पूंति में वृद्धि होने से चांदी के मूल्यों में कमी हो गई व भारत की विनिमय दर भी कम हो गई। फलस्वरूप 1893 में रुपये की स्वतंत्र ढलाई बन्द कर दी गई। भारत में चांदी की प्रमाणित मुद्रा ही चलन में रही और 1902 में फिर से उसकी स्वतंत्र ढलाई प्रारम्भ कर दी गई। 1940 में द्वितीय विश्वयुद्ध के दबाव के कारण रुपये में चांदी की मात्रा को घटाकर 90 ग्रेन कर दिया गया और 1943 में नवीन सिक्के को प्रारम्भ किया गया जिसमें चांदी की मात्रा केवल नाममात्र की थी। इस प्रकार भारत से स्वर्णमान सन् 1940 में समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर जो रुपया निकाला गया, उसमें चांदी की मात्रा नहीं के बराबर थी। बाद में लोहे के सिक्के चलन में लाये गये, जिनमें चांदी की मात्रा के होने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। रजतमान युग की मांग के अनुकूल नहीं माना जाता। प्राचीनकाल में मुद्रा को एक सनेत के रूप में अपनाया गया था और आज वह पूर्ण रूप से सांकेतिक बन गया है।

(2) द्विधातुमान (Bi-metallicism)—जब देश में दो धातुओं के सिक्के एक साथ चलन में हों और दोनों ही प्रामाणिक सिक्के का कार्य करें, तो उसे द्विधातुमान कहते हैं। अन्य शब्दों में, जब कोई देश एक साथ स्वर्णमान एवं रजतमान को अपना ले तो उसे द्विधातुमान कहेंगे।

विशेषताएँ—द्विधातुमान की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं—

(1) समान अंकित एवं घाटिक मूल्य—इसमें दो प्रकार के सिक्के रहते हैं तथा दोनों के वने सिक्कों का अंकित मूल्य एवं घाटिक मूल्य समान रहता है।

(2) दो सिक्कों का चलन—इसमें सोने एवं चांदी के दो सिक्के एक ही साथ चलन में रहते हैं तथा दोनों ही सिक्के विनिमय के माध्यम एवं मूल्य-मापन का कार्य करते हैं।

(3) असीमित विधि ग्राह्य—दोनों प्रकार की धातुओं का असीमित विधि ग्राह्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और भूगतान पाने वाला लेने से इन्कार नहीं कर सकता।

(4) वैधानिक सम्बन्ध—दोनों ही सिक्कों के मध्य टकसात द्वारा एक वैधानिक सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाता है।

(5) स्वतंत्र ढलाई—इन सिक्कों की ढलाई स्वतंत्र होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी धातु को ले जाकर मुद्रा में ढलाई सकता है।

(6) स्वतंत्र आयात-निर्यात—दोनों ही प्रकार के सिक्कों के आयात एवं निर्यात पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रहता है।

इतिहास—18वीं शताब्दी में तीव्र गति से औद्योगिक विवास होने से धातु से मुद्रा की आवश्यकता पूर्ण करना बटिन हो गया और इसी उद्देश्य से रजत या चांदी की मुद्रा को निवालकर उसे स्वर्ण मुद्रा के समान महत्त्व दिया गया और यही से द्विधातुमान का प्रारम्भ हुआ। सन् 1792 में अमरीका में इसका प्रारम्भ किया गया जबकि स्वर्ण एवं चांदी का पारस्परिक अनुपात 1 : 15 था। इसी समय फ्रांस में यह अनुपात 1 : 15½ था। इस अनुपात में अन्तर के कारण अमेरिका

से स्वर्ण एवं फांस से चादी का निर्यात होना प्रारम्भ हो गया। यह स्थिति 1834 तक बनी रही और बाद में यह अनुपात 1 : 16 करने से फांस से अमेरिका को स्वर्ण का निर्यात होने लगा। अमेरिका में 1792 में द्विधातुमान अपनाया गया, किन्तु 1834 तक चादी ही मुद्रा के रूप में चलन में रही। 1834 में अमेरिका में सोने का डालर चलन में आ गया और धीरे-धीरे चादी के सिक्के पायब होने लगे। 1865 में योरोप में लेटिन मुद्रा सभ का निर्माण किया गया और इसके सदस्य राष्ट्रों ने द्विधातुमान प्रणाली का उपयोग किया। जर्मनी ने 1867 के मौरिक सम्मेलन के बाद चादी की मुद्रा का पत्तियाग कर दिया। 1870 के बाद चादी के मूल्यों में गिरावट आ जाने में एक एक करके लगभग सभी राष्ट्रों ने चादी की मुद्रा का प्रयोग बन्द कर दिया। 1879 तक अमेरिका द्विधातुमान प्रणाली को अपनाये हुए था। 1861 के बाद गृह-युद्ध के कारण अमेरिका में केवल पत्र-मुद्रा ही चलन में रह गयी। चादी के गिरते हुए मूल्यों ने अमेरिका में मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न कर दी। बाद में धीरे-धीरे अमेरिका में भी चादी की प्रमाणित मुद्रा को समाप्त कर दिया गया और 19 वीं शताब्दी के अन्त तक द्विधातुमान विद्व के समस्त राष्ट्रों से समाप्त कर दिया गया। सन् 1890 तक योरोप के राष्ट्रों से द्विधातुमान समाप्त-सा हो गया।

**द्विधातुमान के गुण**—द्विधातुमान के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं :—

(1) स्थायी मूल्यों का श्रेष्ठ आधार—द्विधातुमान के मूल्यस्तर में स्थायित्व बना रहता है तथा इसमें प्रयोग की जाने वाली दोनों धातुओं की कीमतों का औसत उसकी पृथक्-पृथक् कीमत से अधिक स्थायी रहता है। एक धातु की अपेक्षा दोनों धातुओं की सम्मिलित पूंति में स्थायित्व अधिक रहता है। देश में गैर-मौरिक कार्यों के लिए सोना एवं चादी एक दूसरे के स्थानापन्न माने जाते हैं। यदि सोने का उत्पादन बढ़ता है और मूल्य में कमी हो जाती है। तो सोने की बढी हुई पूंति व मूल्यों में वृद्धि, चादी के उत्पादन लागत को भी बढ़ा देती है, फलस्वरूप चादी की पूंति घटकर उसका मूल्य बढ़ने लगता है। इस प्रकार दोनों धातुओं के कोप की कीमत में भारी परिवर्तन सम्भव नहीं हो पाते। इस प्रवृत्ति को क्षतिपूरक किया कहते हैं।

(2) सुरक्षित कोप में वृद्धि—कागजी मुद्रा के लिए कोप में पर्याप्त मात्रा में धातु रखना आवश्यक हो जाता है, जिससे जनता का विश्वास प्राप्त किया जा सके। सुरक्षित कोप के लिए विद्व में पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण उपलब्ध नहीं हो पाता, अतः सोने के साथ-साथ चादी को भी रखा जाना है जिससे सुरक्षित कोप में वृद्धि हो सके। इस प्रकार देश को सुरक्षित कोप में स्वतः ही वृद्धि सम्भव हो जाती है।

(3) मुद्रा मात्रा में वृद्धि—द्विधातुमान के प्रयोग द्वारा मुद्रा की मात्रा में वृद्धि सम्भव हो सकती है। विद्व में सोने का भण्डार मुद्रा की पूंति के लिए पर्याप्त नहीं है, परन्तु द्विधातुमान को अपनाने से मौरिक स्टॉक में वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप व्यापार एवं वाणिज्य का विस्तार होता है जो चायद एक धातुमान में सम्भव नहीं हो पाता। इस प्रकार मुद्रा की कुल मात्रा में वृद्धि हो जाती है।

(4) व्यापक रूप से अपनाया जाना—द्विधातुमान में सोने एवं चादी दोनों ही धातुओं के प्रयोग के कारण इस मान को विश्व के अधिकांश राष्ट्र व्यापक रूप में अपना सकते हैं तथा इस पर व्यापार व व्यवसाय को निर्भर कर सकते हैं।

(5) बँकों के लिए सुविधाजनक—इस मान में बँकों को अपने कार्यों का संचालन करना सरल एवं सुविधाजनक हो जाता है क्योंकि वे दोनों ही प्रकार की मुद्रा में अपने कोप का निर्माण सरलता से कर सकते हैं, विनियोग की मात्रा में वृद्धि सम्भव कर सकते हैं, तथा कम मात्रा पर रूपाय उधार दे सकते हैं।

(6) धातु मूल्य स्तर में स्थायित्व—इसमें दोनों धातुओं की कीमतों का औसत प्रत्येक धातु की पृथक्-पृथक् मूल्य में अधिक स्थायी होता है। इसमें एक धातु की माँग एवं पूंति सम्बन्धी दशाएँ दूसरी धातु की माँग एवं पूंति दशाओं के प्रभाव को निरन्ध्र कर देती हैं। यदि एक धातु की पूंति में कमी हो जाती है तो दूसरी धातु की पूंति में वृद्धि होकर मौरिक स्टॉक में कमी नहीं हो पाती। देश के अमौरिक कार्यों के लिए सोना एवं चादी को एक दूसरे के स्थानापन्न के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार यदि एक धातु के मूल्य में वृद्धि हो तो सरकारी हस्तक्षेप द्वारा उसके मूल्य को पुनः सामान्य स्तर पर लाया जाता है।

(7) क्षतिपूरक प्रक्रिया—इसमें दो धातुओं चलन में रहती हैं और दोनों का विनियम अनुपात सरकार द्वारा निरन्ध्र कर दिया जाता है। यदि एक धातु के मूल्य में वृद्धि हो जाये तो सरकार उस धातु को अधिक मात्रा में डाल देती है और उगने मूल्य को सामान्य स्तर पर लाया जाता है। इसी प्रकार यदि मूल्य में कमी हो जाये तो उसे टकमात में जमा कर

दिया जाता है और पूर्ति में कमी होकर मूल्य में फिर वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार अतिवृत्त प्रक्रिया द्वारा धातुओं के मूल्यों में विषम परिवर्तन नहीं हो पाते।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय मूल्योपम में वृद्धि—इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्योपम को बढ़ावा मिलता है और कानूनी दरें बहुत घटती जाती हैं। देश में दो धातुओं के प्रचलन के कारण किसी भी धातु में विदेशी मुद्रागत मरम्मत में सम्मिलित किया जा सकता है। इससे विदेशी मुद्रागतों में काफी सम्मता प्राप्त होती है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहित होता है।

द्विधातुमान के दोष—द्विधातुमान के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं—

(1) सट्टेबाजी की बहाव—इस मान में एक धातु के मूल्य में उच्चावचन होने पर सट्टेबाजी में प्रोत्साहन होने लगता है जिससे उस धातु के मूल्य में और अधिक उतार-चढ़ाव सम्भव हो जाते हैं, जो देश के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

(2) धातु की व्यवस्था करना कठिन—द्विधातुमान में दो धातुओं के निम्के पूर्ण रूप में चलन में रहते हैं और कमी-कमी दोनों प्रकार की धातु व्यवस्था करना कठिन कार्य हो जाता है। इन धातुओं के निरन्तर प्रयोग में रहने के कारण निनावट अधिक हो जाती है और बर्तनों धातु बेकार चली जाती है।

(3) प्रेषण का नियम लागू होता—द्विधातुमान में प्रेषण का नियम लागू होता है। जब देश में सोना एवं चांदी का विनिमय अनुपात सरकारी अनुपात की अपेक्षा कम हो जाता है तो प्रेषण के विषय के अनुसार दुर्गो मुद्रा कानूनी मुद्रा को चलन में बाहर निकाल देती है। इस प्रकार व्यवहार में द्विधातुमान की अपेक्षा केवल एक ही धातु चलन में रह पाती है।

(4) संवाचन में कठिनाई—दोनों धातुओं के मूल्य के मध्य एक स्थायी अनुपात बना स्थिर नहीं हो पाता, जिससे द्विधातुमान के संवाचन में बाधा उत्पन्न होती है।

(5) ऋण मुद्रागतों में अस्थिरता—द्विधातुमान में बाजार अनुपात एवं सरकारी अनुपात में अन्तर होने पर व्यवसाय में बहुत गड़बड़ी हो जाती है तथा ऋण मुद्रागतों में भी अस्थिर अस्थिरता का जाती है।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता में बाधा—द्विधातुमान में सोना एवं चांदी के मूल्य देश के अन्दर चलन रहते हैं, जिससे किसी भी राष्ट्र को इन धातुओं के सौदे में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता में कोई विशेष वृद्धि सम्भव नहीं हो पाती।

दोषों को दूर करने के उपाय—द्विधातुमान के दोषों को दूर करने के लिए निम्न उपाय प्रयोग में लाये जा सकते हैं—

(i) एकमात्र मूल्य में परिवर्तन—मुद्राओं के बाजार मूल्य में परिवर्तन होने पर उनके एकमात्र मूल्य में भी परिवर्तन कर दिया जाता चाहिए, जिससे प्रेषण का नियम लागू न हो।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय समझौता—यदि विश्व के सभी राष्ट्र द्विधातुमान को बनाने में तो इसमें द्विधातुमान को अतिवृत्त किया जा सकता है और अतिवृत्त पूर्ति वाली धातु स्वयं ही एकमात्रों में बना हो जायेगी और सोना एवं चांदी के आपसी मूल्यों में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं होगा।

**अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान**

यदि द्विधातुमान की आन्तरिक स्तर पर ही बनाना जाये तो सोना एवं चांदी के मूल्यों में उतार-चढ़ाव आने पर यह व्यवस्था समझौता हो जाती है। परन्तु यदि विश्व के सम्पूर्ण सभी राष्ट्र या अधिकांश राष्ट्र द्विधातुमान को बनाने में, तो धातुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव समझौता होकर वह व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लिए उपयुक्त रहेगी। ऐसा करने में प्रेषण का नियम लागू नहीं होगा और द्विधातुमान सफलतापूर्वक संवाचित हो सकेगा।

यदि केवल एक या सीमित राष्ट्रों में ही द्विधातुमान को बनाना जाये तो इसे सफलतापूर्वक बनाना सम्भव न हो सकेगा। "स्थिर अनुपात रखने में यह सम्भव है कि एक धातु का अधिमूल्य एवं दूसरी धातु का

कम मूल्य हो जाये।<sup>1</sup> अतः द्विधातुमान को सम्पूर्ण विश्व द्वारा अपनाते से अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। ऐसा करने से यह भी सम्भव है कि समस्त राष्ट्र एक समान टकमाली अनुपात को अपनायें, ये टकमाली अनुपात बाजार मूल्य से समायोजित हों, तथा मांग व पूर्ति में परिवर्तन होने से अनुपातों में भी समायोजन कर लिया जाये।

लाभ—अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विधातुमान को अपनाने से निम्न लाभ प्राप्त हो सकते हैं—

(1) टकमाली अनुपात एवं बाजार अनुपात में समायोजन किया जा सकता है।

(2) देश में द्विधातु मुद्राओं—रजत मुद्राओं एवं स्वर्ण मुद्राओं—के मध्य आपस में स्थायी विनियम दरों का

विक्रम सम्भव हो सकेगा।

कठिनाइयाँ—अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान के अपनाने में निम्न कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं—

(1) पूर्ण रोजगार का अभाव—यद्यपि इस मान में मूल्य-स्तर अधिक स्थिर रहेगा, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वह बिन्दू ही पूर्ण रोजगार का बिन्दू होगा। इस प्रकार इस मान में पूर्ण रोजगार का अभाव रह सकता है।

(2) अल्पकालीन परिवर्तन—इनमें क्षतिपूर्ति क्रिया द्वारा दीर्घकाल में मूल्य में स्थायित्व लाया जा सकता है, परन्तु इसके द्वारा अल्पकालीन परिवर्तनों को रोकना सम्भव नहीं हो पाता।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव—इन मान को अपनाने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान परिस्थितियों में प्राप्त सम्भव नहीं है।

द्विधातुमान का भविष्य—वर्तमान समय में विश्व के अविश्वास राष्ट्र अधिक विकास करने में जुटे हुए हैं, जिनके लिए देश में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा का उपलब्ध होना अति आवश्यक है। विश्व के राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि कर रहे हैं और उसके लिए भी अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान को अपनाने के लिए प्रत्येक राष्ट्र में पर्याप्त मात्रा में सोने अथवा चांदी के कोशों का होना अत्यन्त आवश्यक है परन्तु विश्व में स्वर्ण व रजत का वितरण बहुत असमान होने से इन मान को अपनाता व्यावहारिक नहीं होगा। अतः द्विधातुमान को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाना सम्भव दिखाई नहीं देता। भविष्य में भी इसके अपनाने की कल्पना करना व्यर्थ ही है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण सहयोग प्राप्त होना न तो सम्भव ही है और न व्यावहारिक ही। द्विधातुमान सर्वे के लिए आर्थिक विकास के भवन के नीचे दफना दिया गया है और उसके पुनर्जीवन की आशा भी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

## द्विधातुमान के रूप

द्विधातुमान के प्रमुख रूप निम्न हैं—

(i) समानान्तर द्विधातुमान (Parallel Bi-metallism)

(ii) लंगड़ा द्विधातुमान (Limping Bi-metallism)

(i) समानान्तर द्विधातुमान—इसमें दोनों धातुओं की विनियम दर सरकार द्वारा निर्दिष्ट न करके बाजार में मुद्रा छोड़ दी जाती है और यह बाजार की क्रियाओं द्वारा ही निर्दिष्ट हो जाती है। इसमें पारस्परिक दरों में उच्चावचन का नय बना रहता है।

(ii) लंगड़ा द्विधातुमान—इस मान में दो प्रकार की धातुओं की प्रधान मुद्राएँ चलन में होंगी हैं, परन्तु इनमें से केवल एक धातु को मुद्रा को बनाई ही स्वतन्त्र रूप में हो पाती है। इसी कारण इसे लंगड़ा द्विधातुमान कहते हैं। इन धातुमान की मुख्य विशेषता निम्न है—

(अ) दो धातुओं की प्रधान मुद्राएँ चलन में रहनी हैं।

(ब) दोनों प्रकार की धातुओं में धातु की मात्रा अतिरिक्त मूल्य के समान होती है।

(ग) दोनों मुद्राओं में से केवल एक मुद्रा का टंकण मुद्रण होता है।

(द) दोनों धातुओं की मुद्राएँ असीमित विधिप्राप्त होती हैं।

1. "The fixed ratio is bound at any time to over-value one metal and under-value the other."  
Jeffrey Crowther : An Outline of Money.





उने ऊंचे भाव पर सरकार को बेचकर अधिक लाभ प्राप्त करके आर्थिक संतुष्टता का केन्द्रीयकरण करेंगे।

(iii) ध्वंस्यता करना कठिन—सरकारी कोष के लिए माल खरीदने के लिए काफी मात्रा में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे जो एक कठिन कार्य एवं समस्या है। वर्तमान समय में ध्वंस्यता का स्वरूप इतना अधिक बढ़ गया है कि व्यापारी सरकार की इन पेचीदी व्यवस्था से बचने के प्रयास करेंगे, जिससे इस मान की व्यवस्था करना एक कठिन कार्य होगा।

(iv) मंहगी एवं हानिपूर्ण ध्वंस्यता—इसमें काफी मात्रा में वस्तुओं को सपह के रूप में रखना होगा, जो स्वयं एक मंहगी क्रिया है तथा दूसरे वस्तुओं को रखने में टूट-फूट एवं खराब होने का भय सदैव बना रहता है।

समुक्त वस्तुमान ध्वंस्यता एक काल्पनिक व्यवस्था बनकर रह गई है तथा इसे किसी भी राष्ट्र द्वारा व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया है। इसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, जिससे इनका पालन कोई भी राष्ट्र करने को तत्पर नहीं है।

(v) सूचनांक मान (Tabular Standard)—यह एक ऐसा वस्तुमान है जिसे पारस्परिक लेनदेन में न्याय-पूर्ण भुगतान व्यवस्था के लिए अपनाया जा सकता है। इस मान में यह सिद्धान्त रहता है कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होने से श्रेणी या ऋणदाता को कोई लाभ या हानि नहीं होनी चाहिए। भारत में बैंक कर्मचारियों के पारिध्यमिक में सूचनांकों में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते में क्रमिक वृद्धि होने की व्यवस्था है।

निष्कर्ष—वर्तमान समय में विश्व के लगभग समस्त राष्ट्रों की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की हो गई है कि अपने आर्थिक विकास को बनाये रखने के लिए स्वर्ण या चादी जैसी मंहगी धातुओं को मुद्रा के रूप में स्वीकार करना सम्भव नहीं है। विश्व के आर्थिक अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रथम विश्वयुद्ध, मन्दीकाल एवं द्वितीय विश्वयुद्ध के समय किसी भी राष्ट्र द्वारा प्रमाणित स्वर्ण मुद्रा या रजत मुद्रा को अपनाना एक कठिन कार्य हो गया और इसे धीरे-धीरे छोड़ देना पड़ा; वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र आर्थिक विकास के कार्यों में संलग्न है और ऐसी परिस्थिति में मंहगे मान को अपनाना सम्भव ही नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (I.B.R.D) एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलिता बैंक (Bank of International Settlements) ने भी इस ओर ध्यान आकषित कराया कि विश्व के कोषों में निरन्तर वृद्धि नहीं हो रही और जनता के अपने निजी कोष में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो रही है और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए मूल्य स्तर में स्थापित लाने का भरसक प्रयास करना चाहिए।

वर्तमान समय में किसी भी प्रकार के धातुमान को अपनाना निम्नलिखित कारणों से सम्भव नहीं है—

(i) धातु की ध्वंस्यता करना कठिन—विश्व के अधिकांश राष्ट्र आर्थिक विकास के लिए अधिवाधिक विनियोग करने के प्रयास में लगे हुए हैं, जिससे अधिक मात्रा में मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है और मुद्रा के लिए आवश्यक मात्रा में धातु की ध्वंस्यता करना सम्भव नहीं हो पाता।

(ii) धातु की निधि में रखना—वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में मुद्रा प्रसार बढ़ रहा है, जिसमें मुद्रा के मूल्य में निरन्तर कमी हो रही है। इस कारण मोटा एवं चांदी को ही भविष्य निधि के रूप में रखा जाता है।

(iii) मंहगी ध्वंस्यता—धातुमान को अपनाने में धातु-मुद्रा चलन में बाधनी जाती है और यह एक प्रकार से बढ़ते मंहगी ध्वंस्यता मानी जाती है।

(iv) लेनदेन के माध्यम—जनता हल्की मुद्रा को ही लेनदेन का माध्यम बनाना चाहती है, क्योंकि इसे लाना लेनाना अधिक सरल व सुविधाजनक है। यदि धातु मुद्रा भारी हो, तो भुगतान करने में अधिक समय लगता है। अतः वाणिक के मोट्टे द्वारा भुगतान करना अधिक सुविधाजनक माना जाता है।

अतः धातुमान एक भूतकाल की ध्वंस्यता मात्र ही रह गया है और उसका केवल सैद्धान्तिक महत्व ही रह गया है। भविष्य में भी इस प्रकार के मान के अपनाये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। विश्व में जब तक मुद्रा प्रसार का सहारा निया जाना रहेगा, उन समय तक वाणिकी मान ही अपनाया जा सकेगा।

## 2. पत्र-मुद्रा मान

पत्र-मुद्रामान एक सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है तथा जो सरकार की सहायता पर निर्भर करती है। यदि जनता का सरकार में विश्वास है तो मुद्रा में भी विश्वास बना रहता है और इसी कारण इसे पत्रमान अथवा साक्षमान कहते हैं। वास्तव में पत्रमुद्रा एक संकट की उपज है। जब देश में घातुमान आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो तो पत्र-मुद्रामान का सहारा लिया जाता है।

**विशेषताएं—**पत्र-मुद्रामान की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं—

(i) मुद्रा का कोई मूल्य नहीं—पत्र-मुद्रामान के अन्तर्गत जो मुद्रा चलाई जाती है, वह केवल सरकारी आदेश पर आधारित होती है और उसका अपना कोई भी मूल्य नहीं होता।

(ii) मुद्रा को भ्रष्ट शक्ति—इस मान में मुद्रा की भ्रष्ट शक्ति किमी भी वस्तु के तुल्य रखने का प्रयास नहीं किया जाता।

(iii) बायदे का अभाव—सरकार कागजी नोटों के पीछे कुछ भी देने का वायदा नहीं करती है और न ही मुद्रा का मूल्य किसी भी वस्तु के तुल्य निश्चित किया जाता है।

**परिस्थितियां—**पत्रमान प्रायः निम्न परिस्थितियों में अपनाया जाता है—

(i) आर्थिक विकास—आधुनिक समय में अनेक राष्ट्र आर्थिक विकास के प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उन्हें भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इस मांग की पूर्ति केवल कागजी मुद्रा द्वारा ही पूर्ण की जा सकती है। पत्र-मुद्रामान एक अनिवार्य रूप ग्रहण करता जा रहा है तथा समस्त राष्ट्रों में अपरिवर्तनशील पत्रमुद्रा ही चलन में है, जिसके बदले सरकार किसी भी प्रकार की धानु देने का वायदा नहीं करती।

(ii) युद्धकाल व आर्थिककाल—युद्ध एवं आपत्तिकाल में देश में प्रशासनिक व्ययों में बहुत वृद्धि हो जाती है जिसकी पूर्ति आन्तरिक करों एवं विदेशों से ऋण लेकर करने के प्रयास किये जाते हैं। जब इन दोनों ही साधनों से खर्च की पूर्ति सम्भव नहीं हो पाती तो सरकार को बाध्य होकर प्रादिष्ट मुद्रा (fiat money) निर्गमित करनी पड़ती है, जिसमें कोप के रूप में प्रतिज्ञा-पत्र ही रखे जाते हैं और मूल्यवान धानु कोप में नहीं रखी जाती।

**पत्र-मुद्रामान के लाभ—**पत्र-मुद्रामान के प्रमुख लाभ निम्न हैं—

(i) सरल व सुविधाजनक—पत्र-मुद्रा एक सरल एवं सुविधाजनक प्रणाली है, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार नोट निर्गमित किये जाते हैं। इसमें घातुमान की कठिनाइयों में बचा जा सकता है।

(ii) मितव्ययी—यह एक मितव्ययी मान है जिसे गरीब राष्ट्र भी मरलता से अपना सकते हैं, क्योंकि धानु रखने एवं उसे प्राप्त करने का ध्यय बच जाता है।

(iii) संकट का साथी—सरकार आवश्यकतानुसार नोटों की मात्रा को घटा या बढ़ा सकती है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। इस मान को संकट का साथी भी कहते हैं। यह मान विकासशील देशों के लिए विशेष उपयोगी एवं सहायक रहा है।

**प्रो० राबर्टसन का मत** था कि अनेक देशों में आर्थिक विकास की गति कम होने का मुख्य कारण वहा पर उचित मात्रा में स्वर्ण कोप का पाया जाना है। प्रादिष्ट मान आर्थिक विकास के लिए अपूर्व शक्ति-स्रोत माना गया और उसे उचित ढंग से व्यवस्थित किया जाना चाहिए था।

**बोय—**पत्रमान के प्रमुख दोष निम्न हैं—

(i) मुद्रा स्फीति का भय—इस पद्धति में मुद्रा प्रसार का भय बना रहता है क्योंकि इसे बढ़ाने में किसी भी प्रकार का कोप रखने की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में मुद्रा का प्रचलन बढ़ जाने से मुद्रा प्रसार के दोष दिखाई देने लगते हैं। उदाहरणार्थ फ्रांस में सन 1790 में प्रादिष्टमान अपनाते पर नोटों की मात्रा 40 करोड़ फ्रैंक निश्चित की गयी जिसे 1796 तक बढ़ाकर 4,558 करोड़ फ्रैंक अर्थात् 114 गुना कर दिया गया। मूल्य का मत था कि इन नोटों का लगभग 75% भाग का मूल्य रूढ़ी बाजार में अधिक नहीं था।

(ii) विदेशी मुद्रामान में कठिनाई—मुद्रामान के अन्तर्गत दो या अधिक राष्ट्रों के मध्य विदेशी मुद्रामान करने की

कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। परन्तु आजकल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सभी महत्वपूर्ण देशों की मुद्राओं की पारस्परिक विनिमय दरें निर्धारित कर दी जाती हैं।

### श्रेष्ठ मुद्रामान के लक्षण

#### (Characteristics of Good Monetary Standard)

विरव का प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुविधानुसार मुद्रामान को अपनाता है जिसमें लोच या मूल्य स्थायित्व अथवा किसी अन्य तत्त्व को महत्व दिया जाता है। विरव के समस्त राष्ट्रों के लिए एक सर्वमान्य मुद्रामान का होना अभिप्रेक्ष्य है। एक मुद्रामान के निम्न आधार हो सकते हैं—

(i) मितव्ययिता (Economy)—एक अच्छे मुद्रामान के लिए यह आवश्यक है कि वह मितव्ययी हो। स्वयंमान में यह गुण विद्यमान नहीं है, जबकि पत्र-मुद्रामान में मितव्ययिता का गुण उपलब्ध रहता है।

(ii) प्रबन्ध में सरलता (Convenience in Administration)—मुद्रामान में कठिनाई एवं जटिलता को स्थान प्राप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि वह सरल व सुविधाजनक हो।

(iii) जनता का विश्वास (Confidence of People)—मुद्रामान में जनता का विश्वास होना चाहिए, जो कि स्वयं शासन व्यवस्था पर निर्भर करता है। यदि देश में कुशल शासन व्यवस्था है तो जनता का विश्वास बना रहता है तथा उसका मंचालन भी सुविधापूर्वक होने लगता है।

(iv) लचक (Elasticity)—अच्छे मुद्रामान में पर्याप्त लोच का होना आवश्यक है, जिससे राष्ट्र की विकास आवश्यकताओं को मरलता से पूर्ण किया जा सके। यदि मुद्रामान में लोच का अभाव है तो उस मान को श्रेष्ठ मान नहीं कहा जा सकता।

(v) मूल्य में स्थायित्व (Stability in Price)—मुद्रामान में मुद्रा के मूल्यों में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं होना चाहिए। आन्तरिक एवं विदेशी दोनों ही प्रकार के लेनदेन में मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व बने रहना चाहिए।

(vi) परिवर्तनशीलता (Convertibility)—मुद्रा प्रणाली में सोने एवं चांदी में परिवर्तनशीलता का गुण होना चाहिए, जिनमें वह प्रणाली ठीक व व्यवस्थित ढंग में कार्य कर सके।

(vii) नियमों की निश्चितता (Certainty of Rules)—यदि मुद्रामान के नियम स्पष्ट एवं निश्चित हों तो उस मुद्रामान को अच्छा मान कहा जायेगा।

(viii) मुद्रा प्रसार से बचाव (Safety from Inflation)—मुद्रामान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उससे मुद्रा प्रसार होने का भय नहीं रहे तथा देश को आर्थिक संकटों का सामना न करना पड़े।

### भारत में मुद्रामान (Monetary Standard in India)

ब्रिटिश काल में भारतीय रुपये को कभी भी स्वतन्त्रता नहीं मिली और उसका स्टैबिलिटी से सर्वत्र गठबन्धन रहा। सन् 1926 तक भारत में स्टैबिलिटी मान प्रचलित था और इस बात पर जोर दिया जाता था कि रुपये एवं पीण्ड की एक निश्चित विनिमय दर सर्वत्र बनी रहे। इस काल में इंग्लैण्ड स्वयंमान पर आधारित था, जिससे उस समय के भारतीय मुद्रामान को स्वयं विनिमय मान कहते हैं। सन् 1926 में स्टैबिलिटी यंग समीक्षण की सिफारिशों पर स्वयं धानुमान स्थापित किया गया और व्यवहार में स्टैबिलिटी विनिमय मान ही अपनाया गया। 1931 में जब इंग्लैण्ड में स्वयंमान को त्याग दिया गया। उस समय भारत में अविद्युत ढंग में स्टैबिलिटी मान को ही स्वीकार किया।

उस समय अग्रगण्य गये स्टैबिलिटी विनिमय मान की प्रमुख विशेषताएँ निम्न थी—

(i) विनिमय दर—रुपये व स्टैबिलिटी की विनिमय दर 1 नि० 6 पेंस निर्धारित की गई और इस दर को बनाये रखने का प्रयाग किया गया।

(ii) असीमित मात्रा में खरीद—देश की रिजर्व बैंक को यह अधिकार था कि वह असीमित मात्रा में स्टैबिलिटी की मात्रा को खरीद या बेच सकेगा।

(iii) कोष का निर्माण—भारत में 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना के साथ बागजी नोट निकालने का

एकाधिकार उसे सौंप दिया गया और इस प्रकार व्यवस्था की गई कि उन कागजी नोटों के पीछे स्टलिंग प्रतिभूतियां ही कोप में रखी जायें।

(iv) मुद्रा स्फोति की स्थिति—द्वितीय विश्वयुद्ध तक स्टलिंग मान को अपनाये रखा गया। भारत के छाते में पर्याप्त मात्रा में पींड पावना (Sterling balance) जमा हो गया था, जिनके आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमित किये जाते थे, फलस्वरूप देश में मुद्रा स्फोति की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह मुद्रा स्फोति देश में स्टलिंग विनिमय मान को अपनाने का ही परिणाम था।

स्वतन्त्रता से पूर्व भारतीय रुपये की विनिमय दर स्टलिंग की स्थिति पर ही निर्भर रहती थी और स्टलिंग के हितों को ध्यान में रखा जाता था। सन् 1946 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होने पर भारत ने उसकी सदस्यता ग्रहण की तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण विनिमय मान की स्थापना हुई। इस मान की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं—

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण विनिमय मान की विशेषताएं

स्वर्ण कोप का निर्माण	विनिमय दर में परिवर्तन	विदेशी सहायता	रुपये का स्वर्ण मूल्य	विदेशी विनिमय मान
-----------------------	------------------------	---------------	-----------------------	-------------------

(i) स्वर्ण कोप का निर्माण—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक अंश (quota) रहता है, जिसका एकनिश्चित भाग स्वर्ण में रखा जाता है। यह भाग समस्त स्वर्ण कोपों का 10% अथवा अपने अंश का 25% (जो भी कम हो) होगा। भारत द्वारा रखे गये स्वर्ण का मूल्य निम्न प्रकार है—

18 दिसम्बर 1946 से 1959 तक	27 मि० डालर
15 सितम्बर 1959 से 1966 तक	77 मि० डालर
12 मार्च से 1966 से अब तक	115 मि० डालर

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंश 3.5 प्रतिशत है, किन्तु भारत ने स्वर्ण निधि का 2.3 प्रतिशत भाग ही जमा करवाया है। इस प्रकार भारत का वर्तमान मुद्रामान स्वर्ण विनिमय मान के नाम से जाना जाता है।

(ii) विनिमय दर में परिवर्तन—भारतीय रुपये की विनिमय दर में स्वतन्त्रतापूर्वक परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। भारत विनिमय दर में 10 प्रतिशत तक तो स्वतन्त्रतापूर्वक परिवर्तन कर सकता है, परन्तु उससे अधिक मात्रा में परिवर्तन करने के लिए मुद्रा कोष को पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। भारतीय रुपये की विनिमय दर में जो परिवर्तन हुए उसका विवरण निम्न प्रकार है—

18 दिसम्बर 1946 से 1949 तक	1 डालर = 3.30852 रुपये
22 सितम्बर 1949 से 1966 तक	1 डालर = 4.76190 रुपये
9 जून 1966 से अब तक	1 डालर = 7.50 रुपये

(iii) विदेशी सहायता—विदेशी विनिमय दर को बनाये रखने के लिए मुद्रा कोष से किसी भी राष्ट्र को मुद्रा में धनराशि उधार ली जा सकती है। इस प्रकार रुपये की विनिमय दर को ठीक स्तर पर बनाये रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कोष से पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है। भारत प्रतिवर्ष आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करता है।


(iv) रुपये का स्वर्ण मूल्य—भारतीय रुपये का मूल्य स्वर्ण में निश्चित किया जाता है और वह मूल्य समय-समय पर परिवर्तित होता रहता है जो निम्न प्रकार रहा है—

1946 से 1949 तक	1 रुपया = 268601 ग्राम सोना
1949 से 1966 तक	1 रुपया = 186621 ग्राम सोना
1966 से आज तक	1 रुपया = 118489 ग्राम सोना

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने पर रुपये का स्वर्ण मूल्य 268601 ग्राम सोना रखा गया था जिसे अबमूल्यन (1966) के बाद पटारर 118489 ग्राम सोना कर दिया गया।

(v) विदेशी विनिमय मान—भारतीय रुपये का सम्बन्ध उन समस्त III राष्ट्रों की मुद्राओं से हो गया है जो 1969 तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। व्यवहार में रुपये की विनिमय दर अमरीकी डालर में ही निश्चित की जाती है। इसी प्रकार विश्व के अन्य राष्ट्रों की दरें भी डालर में ही निश्चित होती हैं, जिससे भारतीय रुपये का सम्बन्ध सदस्य राष्ट्रों की मुद्राओं से जुड़ गया है और इसी कारण से भारतीय मुद्रामान को विदेशी विनिमय मान के नाम से जाना जाता है।

निम्न चार्ट द्वारा भारतीय मौरिक मान के भेदों की एक दृष्टि में समझा जा सकता है।



### भारतीय मुद्रा प्रणाली की विरोधतायें

भारत में वर्तमान मुद्रामान विदेशी विनिमय मान के नाम से जाना जाता है। इस मान की प्रमुख विरोधतायें निम्नलिखित हैं—

(i) लोचदार व्यवस्था—भारतीय मुद्रामान में पर्याप्त लोच है और आवश्यकतानुसार इसकी मात्रा में कमी या वृद्धि की जा सकती है। इसी व्यवस्था के कारण भारतीय योजनाओं के लिए हीनार्थ प्रबन्धन की व्यवस्था करके योजनाओं को सफल बनाया गया।

(ii) पर्याप्त विश्वास—भारतीय रुपये में आन्तरिक एवं बाह्य राष्ट्रों की जनता का पर्याप्त विश्वास है क्योंकि भारत अपने शक्तिशाली का समय पर भुगतान करता है और इस विश्वास में मुद्रा कोष की सहायता विदेश उल्लेखनीय रही है।

(iii) स्वतन्त्र मुद्रामान—भारतीय मुद्रामान एक स्वतन्त्र मुद्रामान है और वह किसी भी राष्ट्र की मुद्रा से होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता। भारतीय मुद्रामान का प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुद्राकोष के सदस्य राष्ट्रों से है और उन पर किसी भी प्रकार का कोई बन्धन नहीं है।

(iv) स्थिरपर्ययता—देश में सोने एवं चांदी के सिक्कों का प्रचलन न होने से घातु की घिसावट नहीं होती और रिजर्व बैंक भी मूल्यवान घातु को सघट्ट के रूप में रखने को बाध्य न होने से बहुमूल्य घातु बेकार कोष में न पड़ी रहकर, उसका पूर्ण अनुपयोग किया जाता है।

(v) निश्चितता एवं विश्वसनीय—भारत में मुद्रा का चलन रिजर्व बैंक के अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है जिसमें देश की मुद्रा प्रणाली में निश्चितता है व साथ ही जनता का विश्वास प्राप्त है।

(vi) स्वयं-शासनता—भारतीय मुद्रा में स्वयं-न्यायता का गुण है, जिसके कारण सरकारी हस्तक्षेप के बिना बहु-देश की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित होती रहती है।

(vii) विनिमय दर में स्थिरता—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता में भारतीय रुपये की विनिमय दर में स्थिरता लाया गया है। इसके विपरीत एशिया एवं दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्रों में मुद्रा स्थिति दुर्द है जिसमें वहाँ की विनिमय दरों में काफी गिरावट आई है।

भारतीय मुद्रा व्यवस्था के दोष—भारतीय मुद्रा व्यवस्था में भी कुछ दोष मौजूद हैं, जो कि निम्नलिखित हैं—

(i) सुरक्षित कोष सीमित—भारत में सुरक्षित कोष की मात्रा निश्चित कर दी गई है जो 200 करोड़ रुपये हैं (जिनमें स्वर्ण 115 करोड़ रुपये) और उगी के आधार पर सरकार पत्र-मुद्रा जारी करती है।

(ii) आन्तरिक मूल्य स्तर का क्लिबान—भारतीय मुद्रा के आन्तरिक मूल्य स्थिरता का बलिदान करके बाह्य मूल्य को स्थिर रखने के प्रयास किये गये हैं जो कि उचित नहीं है।

(iii) मुद्रा प्रसार का डर—सरकार के भरतक प्रयास करने पर भी मुद्रकाल एवं उसके बाद में मुद्रा प्रसार जारी रहा। पंचवर्षीय योजनाओं में घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लिया गया और मुद्रा की मात्रा में काफी वृद्धि हुई। वर्तमान समय में लगभग 3900 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की पत्र-मुद्रा देना में चलन में है।

(iv) सरलता का अभाव—भारतीय मुद्रा प्रणाली में सरलता का अभाव है और उते जटिल प्रणाली माना गया है।

भारतीय मुद्रा प्रणाली में दोष होने के बाद भी यह कहा जा सकता है कि अनेक राष्ट्रों की तुलना में भारतीय मुद्रा प्रणाली एक अच्छी प्रणाली है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि-प्रधान होने के बाद भी औद्योगीकरण की ओर तीव्रगति से बढ़ रही है। निम्न अर्थव्यवस्था में विद्यमान मुद्रा व्यवस्था को उपयुक्त कहा जा सकता है।

## स्वर्णमान (GOLD STANDARD)

**प्रारम्भिक—**एक धातुमानके विभिन्न रूपों में स्वर्णमान को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसमें जनता को अधिकतम विश्वास बना रहता है। स्वर्णमान दीर्घकालीन विकास का फल है। "स्वर्णमान एक ऐसी पद्धति है जिसमें राष्ट्रीय मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में निश्चित किया जाता है, और इस प्रकार अन्य स्वर्णमान वाले राष्ट्रों की मुद्रा में व्यावहारिक रूप में उसका मूल्य निश्चित हो जाता है, परन्तु जो राष्ट्र स्वर्णमान पर आधारित नहीं है, उनसे नहीं हो पाता।"<sup>1</sup> स्वर्णमान का महत्व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर माना गया है। "19वीं शताब्दी के अन्तिम एवं बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में स्वर्णमान एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के रूप में था। प्रथम विश्व युद्ध काल तक इस मान ने इस प्रकार कार्य किया कि विश्व में आन्तरिक एवं बाह्य सन्तुलन बनाये रखा परन्तु 20वीं शताब्दी में इसका कार्यक्रम सन्तोषप्रद रहा।"<sup>2</sup> विनिमय दरों में परिवर्तन होने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। "स्वर्णमान एक ऐसा साधन है जो विनिमय दरों में स्थायित्व लाने में उत्तम माना जाता है।"<sup>3</sup>

### परिभाषायें

स्वर्णमान के सम्बन्ध में यह धारणा है कि इस व्यवस्था में सोने की मुद्रा का चलन में रहना आवश्यक है, किन्तु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। यदि किसी देश में उसकी प्रचलित मुद्रा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में मुद्रा में परिवर्तनीय हो, तो उसे उस राष्ट्र का स्वर्णमान कहते हैं। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा दी गई प्रमुख परिभाषायें निम्न हैं—

(1) कौलबोर्न के अनुसार, "स्वर्णमान एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्र की मुख्य मुद्रा की एक इकाई निर्धारित किस्म के स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा में बदली जा सकती है।"<sup>4</sup>

1 "The gold standard is a method by which the value of a national currency is fixed in terms of gold and has therefore a practically fixed value in relation to the currencies of other gold standard countries, though not, of course, to those of countries which are not under the gold standard."—G D H Cole Money, Trade and Investment (London 1954), p. 268.

2 "The gold standard was the dominant international monetary system in the last third of the nineteenth century and the first third of the twentieth. Up to the First World War it operated in such a way as to achieve tolerable degree of internal and external balance in the world; after its restoration in the twenties it worked much less satisfactorily." A C L Pay 'Outline of Monetary Economics (London 1957), p. 482.

3 "The gold standard can best be regarded as a device for maintaining the stability of the exchange rates"—Crowther : p. 277

4. "The gold standard is an arrangement whereby the chief piece of money of a currency is exchangeable with a fixed quantity of gold of a specified quality."—Coulborn : A Discussion on Money, p. 117.



(2) राबर्टसन के अनुसार, "स्वर्णमान एक ऐसी स्थिति को प्रकट करने में उपयोगी होगा, जिसमें कोई राष्ट्र अपनी मौद्रिक इकाई का मूल्य स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के बराबर रखती है।"<sup>1</sup>

(3) हॉट्टे के अनुसार, "स्वर्णमान का आधार मौद्रिक इकाई के मूल्य को स्वर्ण का मूल्य स्थिर करके स्वर्ण के मूल्य से गठबन्धित कर देना है।"<sup>2</sup>

(4) कैमरर के अनुसार, "स्वर्णमान वह मुद्रा पद्धति है, जहाँ मूल्य को इकाई जिसमें मूल्य मन्जूरी एवं ऋणों को व्यक्त एवं न्युणतान किया जाता है, उनका मूल्य स्वतन्त्र स्वर्ण बाजार में स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के बराबर होता है।"<sup>3</sup>

(5) चाडवर की मास्पटा के अनुसार, "जब यह वापसी मुद्रा विधि द्वारा एक निश्चित अनुपात में स्वर्ण में परिवर्तनीय हो, तो ऐसी मुद्रा व्यवस्था को स्वर्णमान कहा जाता है।"<sup>4</sup>

(6) मास्टर हेनल् के अनुसार, "एक विशुद्ध स्वर्णमान वह मौद्रिक व्यवस्था है, जिसमें एक राष्ट्र, (i) अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण के निश्चित भार में परिभाषित करे, (ii) स्वर्ण एवं अन्य समस्त मुद्रा के रूपों को परिवर्तनीयता की सुविधा हो, एवं (iii) देश व विदेश में स्वर्ण का आवागमन स्वतन्त्र होता है।"<sup>5</sup>

उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन में स्पष्ट है कि स्वर्णमान मूल्य मापक का कार्य करता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि इसमें स्वर्ण के सिक्के चलन में हो हों। इस मान में वापसी मुद्रा एवं ताबेठिक मुद्रा चलन में रह सकते हैं, परन्तु वे स्वर्ण में परिवर्तनीय होते हैं।

मूल तत्व—स्वर्णमान के मूल तत्व निम्न प्रकार हैं :—

(i) स्वर्णमान में स्वर्ण की मुद्राएं चलन में रहना आवश्यक नहीं है।

(ii) देश की मुद्रा प्रायः स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है। कमी-कमी मुद्रा के बदले स्वर्ण केवल विदेशी न्युणतान के लिए ही मिलता है।

(iii) देश की मुद्रा का सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार से स्वर्ण से जुड़ा रहता है।

### स्वर्णमान की विशेषताएं

स्वर्णमान की प्रमुख विशेषतायें निम्न हैं—

(i) स्वर्ण का निश्चित भार—देश की प्रामाणिक मुद्रा को निर्धारित स्वर्ण-भार में निश्चित कर दिया जाता है तथा उसकी दर को स्वर्ण में निश्चित कर दी जाती है।

(ii) स्वर्ण खरीदने, बेचने की व्यवस्था—मुद्रा अधिकारी को टकसाली मूल्य पर स्वर्ण खरीदने व बेचने की व्यवस्था करती पड़ती है।

1. "A gold standard will be used to denote a state of affairs in which a country keeps the value of its monetary unit and the value of a defined weight of gold at an equality with one another" —Rebertson : Money, p. 53.

2. "The foundation of the gold standard is the tying of the value of the monetary unit to the value of gold by fixing of the price of gold."—Hawtrey : Gold Standard.

3. "Gold Standard is a money system where the unit of value in which prices and wages and debts are customarily expressed and paid consists of the value of a fixed quantity of gold in a free gold market."—Kamerrar.

4. "When this paper money is made by law freely interchangeable with gold at a fixed ratio, the currency is on the gold standard."—Crowther : An Outline of Money (London 1958), p. 279.

5. "A pure gold standard is a monetary system in which a nation (i) defines its currency as a given weight of gold (ii) provides convertibility at par between gold and all other forms of currency, and (iii) permits free movement of gold both at home and abroad."—W. W. Haines.

(iii) आयात व निर्यात पर प्रतिबन्ध का अभाव—इसमें स्वर्ण के खरीदने एवं बेचने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है।

(iv) सभी मुद्राएं स्वर्ण में परिवर्तनीय—देश में प्रचलित प्रायः सभी मुद्राएं स्वर्ण में परिवर्तनीय होती हैं।

(v) असीमित विधि प्राह्य—स्वर्ण मुद्राएं असीमित रूप से विधि प्राह्य होती हैं और किसी भी मात्रा तक उन्हें भुगतान के रूप में दिया जा सकता है।

(vi) स्वतन्त्र टंकन—स्वर्णमान में मुद्रा का टंकन स्वतन्त्र रहता है।

स्वर्णमान के गुण—स्वर्णमान के प्रमुख गुण निम्न हैं :

(i) जनता का पूर्ण विश्वास—इसमें मुद्रा या तो स्वर्ण की होती है, या स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है, जिससे इसमें सामान्य स्वीकृति के गुण पाये जाने से जनता का पूर्ण विश्वास बना रहता है।

(ii) आन्तरिक मूल्य में स्थिरता—मुद्रा की बाह्य क्रय शक्ति में परिवर्तन न होने से स्वर्णमान में मुद्रा के आन्तरिक मूल्य-स्तर में भी स्थिरता बनी रहती है। इसमें भुगतान शेष प्रायः साम्य की स्थिति में रहता है जिसमें मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो पाते।

(iii) स्वयं संचालकता—स्वर्णमान में भुगतान सन्तुलन स्वर्ण के आयात अथवा निर्यात द्वारा स्वतः ही ठीक हो जाता है, जिससे उसमें स्वयं संचालकता का गुण पाया जाता है और सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है।

(iv) विनिमय दरों में स्थिरता—चलन इकाइयों का मूल्य अनुपात मुद्रा की स्वर्ण की मात्रा के आधार पर निर्दिष्ट किया जाता है। विनिमय दर टकसाली दर से कम या अधिक निर्धारित होती है जिसमें अन्तर पाया जाता है। सरकार विदेशी विनिमय को खरीदकर या बेचकर विनिमय दर के परिवर्तनों को रोकने का प्रयास करती है।

स्वर्णमान के दोष—स्वर्णमान के प्रमुख दोष निम्न हैं :

(i) आन्तरिक मूल्य स्थिरता की बर्बाद—बाह्य विनिमय स्थिरता को बनाये रखने के लिए आन्तरिक मूल्य स्थिरता का बलिदान करना पड़ता है, फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था निर्दिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर आधारित हो जाती है। इस प्रकार एक राष्ट्र की स्थिरता या अस्थिरता का दूसरे राष्ट्र के आर्थिक विकास पर सुरुत प्रभाव पड़ता है। जैसे 1929-30 की आर्थिक मन्दी का प्रभाव विश्व के प्रायः सभी राष्ट्रों पर पड़ा।

(ii) आन्तरिक स्वतन्त्रता का अभाव—इसमें आन्तरिक स्वतन्त्रता को त्यागकर अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय स्थिरता की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है जो देश के आर्थिक विकास के लिए हानिप्रद रहता है।

(iii) सरलता का अभाव—स्वर्णमान में सरलता का अभाव पाया जाता है क्योंकि इसके विभिन्न स्वरूप होते हैं, जिन्हें सरलता में समझना सम्भव नहीं हो पाता।

(iv) चलन मात्रा में उच्चावचन—स्वर्ण की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव देश की चलन मात्रा पर पड़ता है। जैसे-जैसे स्वर्ण मात्रा में परिवर्तन होता है, वैसे ही वैसे चलन मात्रा में उच्चावचन हो जाते हैं।

(v) स्वयं संचालकता का अभाव—अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बने रहने पर स्वयं संचालकता का गुण विद्यमान रहता है, परन्तु सहयोग में कमी होने पर यह विद्येयता लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार यदि भुगतान सन्तुलन काफी लम्बे समय तक असन्तुलित बना रहे तो स्वर्णमान भी स्वयं संचालकता का गुण खो बैठता है।

(vi) अनुकूल परिस्थितियों का अभाव—दान्तिकाल में स्वर्णमान सफलतापूर्वक कार्य करता है, परन्तु मुद्रा एवं अन्य आपतिबालीन परिस्थितियों में इसे अपनाता कठिन हो जाता है। विश्व के आर्थिक विकास के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आर्थिक मूकट आने पर स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा।

## स्वर्णमान के कार्य (Functions of Gold Standard)

चलन मात्रा को  
नियन्त्रित करना

विनिमय दर में  
स्थापित्व

अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान  
में सुविधा

स्वर्णमान के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

(1) चलन की मात्रा को नियन्त्रित करना (Controlling the Volume of Currency)—देश में यदि

स्वर्ण की मुद्रा चलन में हो तो मुद्रा की मात्रा को स्वर्ण कोषों के आधार पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। परन्तु यह निश्चित है कि किसी भी देश के पास स्वर्ण के कोष इतने अधिक नहीं होते कि वह अनिश्चित मात्रा तक मुद्रा का प्रसार कर सके। मुद्रा के सिक्के सामान्य स्थितियों में सदैव मुद्रा प्रसार के विरुद्ध रक्षाबट का कार्य करते हैं, फलस्वरूप धन्तुओं के मूल्यों में भी विशेष वृद्धि नहीं हो पाती और मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में स्थायित्व बना रहता है।

इसी प्रकार जब स्वर्ण मुद्रा चलन में न होकर कोष में रखी जाये तथा उसके स्थान पर कागज के नोट प्रचलित हों, जिनके बदले में स्वर्ण देने की गारण्टी बनी रहती है और स्वर्णदर सरकार द्वारा पहले ही निर्धारित कर दी जाती है। इन व्यवस्था में यदि स्वर्ण न हो तो कागजी व अन्य सांकेतिक मुद्रा की मात्रा में भी वृद्धि नहीं की जा सकती जिससे मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता और मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में स्थायित्व बना रहता है। "चलन नियम यह दशाति है कि कागजी नोट केवल उसी समय निर्गमित किये जा सकते हैं जबकि उसके लिए कोष में रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण हो।"<sup>1</sup> मुद्रा की इन प्रतिबन्धक शक्तियों के कारण केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अधिक ऋण नहीं दे पाते, जिससे बैंकों की मात्रा निर्माण शक्ति सीमित हो जाती है। परिणामस्वरूप देश की मुद्रा के मूल्य में पर्याप्त स्थायित्व बना रहता है। स्वर्णमान के सम्बन्ध में यह माना जाता है कि उनमें मुद्रा प्रसार का भय नहीं होता, परन्तु यह मान्यता अत्यन्त ही मजबूत है, क्योंकि सरकार आवश्यकता पहने पर बिना रोड-टोक कागजी मुद्रा का प्रचलन करती जानी है और स्वर्ण को केवल विदेशी भुगतान के लिए ही प्रयोग किया जाता है, फलस्वरूप मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में गिरावट आने का भय बन जाता है। इस प्रकार मुद्रा व्यवस्था की लोच मुद्रा की नियन्त्रित के लिए एक निर्धारित खतरा बनी रहती है।

(ii) विनिमयदर में स्थायित्व (Stability of Exchange Rates)—स्वर्णमान में मुद्रा की विनिमय दर प्रायः

स्थिर रहती थी, क्योंकि मुद्राओं के मूल्य प्रायः स्वर्ण में निर्धारित किये जाते थे और स्वर्ण मूल्यों में उच्चावचन न्यूनतम होते हैं। परिणामस्वरूप मुद्राओं की आपसी विनिमय दरों में भी उच्चावचन नहीं हो पाते। मुद्रा की विनिमय दरों में जो भी उतार-चढ़ाव होते थे, वे अल्पकालीन एवं सीमित होते थे। मुद्रामान स्वर्ण पर आधारित होने से विश्व के अनेक राष्ट्रों की मुद्राओं को आपस में जोड़ा जाता है और किसी भी एक राष्ट्र में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तनों को रोकने के प्रयास किये जाते हैं क्योंकि अन्य राष्ट्र इस प्रकार की स्थिरता में रुचि रखने लगते हैं। स्वर्ण का अत्यन्त स्वतन्त्र होने से अस्पष्टीय कठिनाइयों को स्वर्ण शरीर या बेचकर दूर किया जा सकता है। इस प्रकार "स्वर्णमान वाले राष्ट्र में मौद्रिक अधिकारियों (जिनका प्रायः अधिप्राय केन्द्रीय बैंक में है) का यह दायित्व है कि निश्चित मूल्यों पर सीमित मात्रा में स्वर्ण की शरीर एवं विक्री कर सकें।"<sup>2</sup>

1. "Currency laws frequently stipulate that notes can only be issued if there is a certain backing of a gold held in reserve against them."—Crowther: An Outline of Money, p. 281.

2. विनिमय दर से आशय, अपनी मुद्रा के बदले कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होने में है। जैसे यदि एक आन्तरिक रूप से बढ़ने 6:5 बेन्चमार्क फ्रैंक अथवा 13 अमेरिकी सेंट मिलें, तो रुपये की विनिमय दर 6:5 फ्रैंक अथवा 13 सेंट होगी।

3. "A country on the gold standard imposes upon its monetary authorities (which usually means the central bank) the obligation of buying all gold offered to it and of selling all gold demanded from it in unlimited quantities at fixed prices."—Crowther: op.cit, p. 282.

देश में मुद्रा की आन्तरिक क्रमशक्ति एवं विदेशी विनिमय दर में गहरा सम्बन्ध रहता है। यदि मुद्रा की आन्तरिक क्रय शक्ति गिर जाती है तो विनिमय दर में भी गिरावट होने लगती है। इस प्रकार एक में कमी होने पर दूसरी में भी स्वाभाविक रूप से कमी आ जाती है। अतः विनिमय दर में स्थिरता लाने के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा के आन्तरिक मूल्य-स्तर में स्थायित्व रखा जाये। सरकार द्वारा मुद्रा को स्वर्ण में परिवर्तित करने की गारण्टी देकर ही विनिमय दर में स्थायित्व लाया जा सकता है। वर्तमान समय में मुद्राकोष के समस्त सदस्य अपनी मुद्राओं का मूल्य स्वर्ण में निश्चित करते हैं, परन्तु सरकार द्वारा स्वर्ण देने की गारण्टी न देने से विनिमय दरों में निरन्तर गिरावट आती जाती है। न्यूयार्क की एक बैंक के सर्वेक्षण के आधार पर 1957-1967 के दस वर्षों में विभिन्न राष्ट्रों की मुद्राओं में जो कमी आई उसका वर्णन निम्न प्रकार है—

### मुद्रा के मूल्य में कमी (1957-1967)


(आधार वर्ष 1957=100)

राष्ट्र का नाम	मुद्रा मूल्य का सूचक अङ्क (1967)	मुद्रा के मूल्य में वार्षिक ह्रास
1. ब्राजील	2	31.6
2. अर्जेंटाइना	6	24.8
3. चिली	11	20.1
4. विपलनाम	31	11.1
5. कोरिया	36	9.6
6. तुर्की	45	7.7
7. भारत	54	6.0
8. फ्रांस	62	4.7
9. तेवान	62	4.6
10. जापान	66	4.1
11. पाकिस्तान	72	3.3
12. नीदरलैण्ड	73	3.1
13. न्यूजीलैण्ड	74	3.0
14. ब्रिटेन	75	2.8
15. जर्मनी	79	2.2
16. बेल्जियम	80	2.2
17. आस्ट्रेलिया	80	2.2
18. कनाडा	82	2.0
19. सं० रा० अमरीका	84	1.7

इस प्रकार स्पष्ट है कि मुद्रा के वार्षिक मूल्य में वार्षिक ह्रास 1.7% से 31.6% तक हुआ है। यदि राष्ट्र की मुद्राएँ स्वर्ण में परिवर्तनशील होती तो यह उच्चावचन सम्भव नहीं हो पाते।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय भूगतान में मुबिधा—स्वर्णमान अन्तर्राष्ट्रीय भूगतानों को सुविधाजनक बना देता है व विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करता है क्योंकि समस्त राष्ट्रों की विनिमय दर स्वर्ण में धोपित की जाती है तथा निर्यात करने वाले व्यापारी व उस राष्ट्र की सरकार को यह विश्वास होता है कि माल का भूगतान स्वर्ण में ही कर दिया जायेगा। इस प्रकार विदेशी व्यापार में माल का वच व वित्तिय स्थान-प्रापूर्वक चलता रहता है और किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होगी। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वर्ण मान से विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय भूगतानों में मुबिधा प्राप्त हो जाती है।

## स्वर्णमान के विभिन्न प्रकार (Various Forms of Gold Standard)



स्वर्णमान के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं—

- (1) स्वर्ण चलनमान (Gold Currency Standard)
- (2) स्वर्ण धातुमान (Gold Bullion Standard)
- (3) स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard)
- (4) स्वर्ण निधिमान (Gold Reserve Standard)
- (5) स्वर्ण समतामान (Gold Parity Standard)

### (1) स्वर्ण चलनमान

स्वर्ण के इस रूप को कई नामों से जाना जाता है जैसे पूर्ण स्वर्णमान (Full gold standard), स्वर्ण प्रचलन मान (Gold circulation standard), स्वर्ण मुख्य मान (Gold standard proper), स्वर्ण टंकन मान (Gold coin standard) आदि।

विशेषताएँ—इस मान की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं—

- (i) स्वर्ण सिक्के प्रचलन में—स्वर्ण के सिक्के प्रचलन में रहते हैं तथा यह निश्चित कर दिया जाता है कि सोने के सिक्के में कितनी मात्रा में स्वर्ण होगा।
- (ii) असौमिल विधि ग्राह्य—मुग्तान के लिए स्वर्ण मुद्रा को अनौमित मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है।
- (iii) स्वतंत्र आयात-निर्गत—स्वर्ण के आयात व निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता और उसे स्वेच्छापूर्वक आयात व निर्यात किया जा सकता है।
- (iv) चलन मात्रा स्वर्ण कोष पर निर्भर—देश की चलन मात्रा स्वर्ण कोष पर आधारित रहती है और स्वर्ण कोष के घटने अथवा बढ़ने में चलन की मात्रा में भी घट-बढ़ हो जाती है।
- (v) मुद्राएं स्वर्ण में परिवर्तनीय—स्वर्ण की बचत एवं सुविधा के लिए कागजी मुद्रा एवं साकेतिक मुद्रा का प्रचलन व प्रयोग किया जाता है, परन्तु वे सब मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय होती हैं।
- (vi) स्वतंत्र ढलाई—सोने के सिक्कों की ढलाई स्वतंत्र होती है।
- (vii) स्वर्ण का महत्व—स्वर्ण मुद्रामान के अन्तर्गत स्वर्ण ही सम्पूर्ण मुद्रा प्रणाली का आधार माना जाता है, जिसमें सम्पूर्ण व्यवसाय का आधार स्वर्ण ही माना जाता है।

स्वर्ण मुद्रामान के गुण—स्वर्णमान के प्रमुख गुण निम्न हैं—

(i) स्वर्ण संचालकता—इसमें किसी भी प्रकार के मौद्रिक प्रवण्य की आवश्यकता नहीं रहती तथा मांग व पूर्ति के आधार पर चलन ही सन्तुलन बने रहने से स्वर्ण संचालकता का गुण विद्यमान रहता है। मुद्रा की अधिक आवश्यकता पड़ने पर धातु को सिक्कों में ढलवा लिया जाता है और आवश्यकता न पड़ने पर सिक्कों को गलवा दिया जाता है। इसी प्रकार विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ मुग्तान सन्तुलन का माध्यम भी म्यापित हो जाता है। सन्तुलन विपन्न में होने पर स्वर्ण का निर्यात होने लगता है और पक्ष में होने पर स्वर्ण के आयात में वृद्धि हो जाती है।

(ii) विनिमय दर में स्थिरता—इसमें विदेशी विनिमय की दर को सरलता में ज्ञात किया जा सकता है और इसमें न्यूनतम परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन स्वर्ण बिन्दुओं (Gold specie points) तक सीमित होते हैं, फलस्वरूप विदेशी व्यापार में जोखिम की सम्भावना न्यूनतम हो जाती है।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यमान की स्थापना—स्वर्ण में सर्वग्राह्यता का गुण होने से उसे सब स्थानों पर सरलता से स्वीकार किया जाता है, जिससे स्वर्ण के सिक्के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का कार्य करने लगते हैं।

(iv) आन्तरिक मूल्य में स्थिरता—मुद्रा की मात्रा स्वर्ण पर निर्भर होने से मुद्रा के आन्तरिक मूल्य स्तर में स्थिरता बनी रहती है और अधिक उच्चावचन नहीं हो पाते।

(v) जनता का पूर्ण विश्वास—इस मान में जनता को पूर्ण विश्वास बना रहता है क्योंकि सिक्कों का आन्तरिक एव बाह्य मूल्य समान होता है, उसमें सर्वग्राह्यता का गुण होता है तथा मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है।

(vi) सरल व्यवस्था—स्वर्ण मुद्रामान में सोने की मुद्राएँ चलन में रहती हैं और कागज के नोट भी स्वर्ण मुद्राओं में बदले जा सकते हैं। अतः यह एक सरल व्यवस्था रहती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि स्वर्ण मुद्रा का देश विदेश में समान उपयोग रहता है।

स्वर्णचलन मान के दोष—स्वर्ण चलनमान के मुख्य दोष निम्न हैं—

(i) सहयोग बिना स्वयं संचालकता का अभाव—जब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग ही उसी समय इनमें स्वयं संचालकता का गुण पाया जाता है। यदि विदेशी व्यापार पर नियंत्रण या स्वर्ण निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दें तो स्वयं संचालकता समाप्त हो जाती है।

(ii) स्वर्ण का अपव्यय—सोने के सिक्के चलन में रहने से स्वर्ण की घिसावट होती है तथा स्वर्ण सिक्कों के लिए स्वर्ण की आवश्यकता अधिक होती है।

(iii) निर्घन राष्ट्र में असम्भव—स्वर्ण के अभाव में निर्घन राष्ट्र इस मान को अपनाते में कठिनाई अनुभव करते हैं।

(iv) विनिमय दर में स्थिरता लाने के अन्य ढंग भी हैं—स्वर्णमान द्वारा ही केवल विनिमय दर में स्थिरता नहीं लाई जा सकती, बल्कि प्रतिबन्धित कागजी मुद्रामान द्वारा भी स्थिरता प्राप्त की जा सकती है।

(v) आन्तरिक स्थिरता काल्पनिक—स्वर्ण की खोज होने या स्वर्ण पूति में वृद्धि हो जाने पर स्वर्ण मुद्रा का मूल्य भी परिवर्तित होता रहता है, परिणामस्वरूप मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में स्थिरता का अभाव पाया जाता है।

(vi) अनुकूल परिस्थितियों का मान—स्वर्ण चलन मान स्वर्ण कोषों की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि इनमें कमी हो जाये तो इसे चालू रखना कठिन हो जाता है।

इस प्रकार "यदि एक चलन पद्धति में स्वर्ण मुद्रा चलन में हो या कागजी नोटों के समान किसी अन्य धातु का चलन रहे तो उसे पूर्ण स्वर्णमान कहते हैं।"<sup>1</sup>

## (2) स्वर्ण धातुमान

इसका आविष्कार प्रथम विश्वयुद्ध की कठिनाई के कारण हुआ। युद्धकाल में प्रायः सभी योरोपीय राष्ट्रों को मुद्रा के प्रसार की आवश्यकता अनुभव हुई, परन्तु स्वर्ण कोष के अभाव के कारण यह सम्भव नहीं था कि स्वर्ण चलन मान को अपनाया जाये। अतः स्वर्ण धातु को कोष में रखकर कागजी मुद्रा को चलन में लाया गया। इस प्रकार स्वर्ण धातुमान वह मुद्रामान है जिसमें स्वर्ण को चलन में रहने के स्थान पर कोष में रखा जाता है। "जब स्वर्ण चलन में नहीं रहे, लेकिन केन्द्रीय बैंक कानूनी दायित्वों के अन्तर्गत एक निश्चित मूल्य एव असीमित मात्रा (कभी-कभी न्यूनतम मात्रा निश्चित कर दी जाती है परन्तु अधिकतम नहीं) में चलन के बदले स्वर्ण क्रय करने या बिक्री करने की जिम्मेदारी होती तो उसे स्वर्ण धातुमान कहते हैं, त्रिममें मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तित न करके स्वर्ण धातु में परिवर्तित की जाती है।"<sup>2</sup> भारत में 1926 से स्वर्ण धातु-

1. "A currency system in which gold coins either from the whole circulation or else circulate equally with notes is known as the full gold standard."—Crowther, op.cit., p. 279.

2. "When gold coins do not circulate, but the central bank is nevertheless under legal obligation to buy and sell gold in exchange for currency at a fixed price and in unlimited amounts (sometimes with a minimum amount fixed but never a maximum) it is known as the gold bullion standard, as the currency is then convertible not into gold coin but into gold bullion."—Crowther, op.cit., p. 279-280

मान को अपनाया गया। शिष्टतम वय आयुष्य की भिन्न-भिन्नियों के आधार पर भारत सरकार ने 21-24 रु० प्रति घंटे के हिसाब में स्वर्ण त्रय पूर्ण विवरण करने की घोषणा की। यह स्वर्ण 40-40 तौने के टुकड़ों में मरीदा या बेचा जा सकता था। किन्तु एक बार में कम से कम 400 औंस (1,065 टौने) सोना मरीदना या बेचना आवश्यक था।

विशेषताएँ—उस मान की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं—

(i) निश्चय का सूत्र स्वर्ण में व्यवहृत—देश में घटिया व सांकेतिक मुद्रा का चलन रहता है तथा इनका मूल्य स्वर्ण में ही व्यवहृत किया जाता है।

(ii) सोना मुद्राओं की स्वर्ण में बदलने का आश्वासन—सरकार सभी प्रकार की मुद्राओं को एक पूर्ण निर्धारित दर पर सोने की धातु में बदलने का आश्वासन देती है, परन्तु इसके लिए एक न्यूनतम सोना निर्धारित कर दी जाती है, जिसमें कम से सोना नहीं बेचा जाता।

(iii) विदेशी मुद्रानों के लिए स्वर्ण—विदेशी मुद्रानों के लिए सोना सरकार द्वारा दिया जाता है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में अपने पास स्वर्ण कोय रखती है।

(iv) स्वर्ण आयात-निर्वाह पर प्रतिबन्ध नहीं—इस मान में स्वर्ण आयात-निर्वाह पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता है।

(v) निश्चित प्रतिफल से ही स्वर्ण—उसमें पत्र-मुद्रा के पीछे 100 प्रतिशत स्वर्णकोयन रखकर एक निश्चित मात्रा में ही स्वर्ण का कोय रखा जाता है।

(vi) स्वर्ण विनिमय माध्यम नहीं—इस मान में स्वर्ण मूल्य मापक का कार्य करता है लेकिन सिवके चलन में नहीं रहते तथा स्वर्ण विनिमय के माध्यम का कोई कार्य नहीं करता।

स्वर्ण धातुमान के लाभ—स्वर्ण धातुमान के प्रमुख लाभ निम्न हैं—

(i) स्वर्ण का सार्वजनिक हित में उपयोग—स्वर्ण का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए न होकर सार्वजनिक लाभ के लिए किया जाता है क्योंकि स्वर्ण सरकार के कोय में जमा रहता है।

(ii) लोच—इस मान में अधिक लोच बनी रहती है। कुछ प्रतिशत भाग ही स्वर्ण में रखने में अधिक मूल्य की मुद्रा निर्गमित की जा सकती है। सरकार भी अधिनियम में परिवर्तन करके स्वर्ण कोय के अनुपात को घटा या बड़ा सकती है।

(iii) जनता का विश्वास—चलन मुद्रा को स्वर्ण की छहों में बदलने का प्रबन्ध रहने में जनता का विश्वास मजबूत बना रहता है।

(iv) स्वयं संभालकता का गुण—मुद्रा माग में कम हो जाने पर जनता स्वर्ण को ख़रीद कर लेती है, जिसमें स्वर्ण कोयों में कम हो जाती है और मुद्रा की पूर्ण उसकी माग के बराबर हो जाती है। इसके विपरीत माग बढ़ जाने पर व्यक्ति स्वर्ण बेचना प्रारम्भ कर देता है। फलस्वरूप स्वर्ण कोयों में वृद्धि हो जाती है और वह माग के अनुरूप हो जाती है।

(v) विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपनाया—उस मान में अधिक मात्रा में स्वर्ण कोयों की आवश्यकता न पड़ने में इनके निर्धन राष्ट्र भी मरमता में बनता सकते हैं।

(vi) विनिमय दर में स्थिरता—उनमें स्वर्ण चलन में रहने के स्थान पर मुद्रा अधिचारी के पास रहना है, जिसमें विनिमय दर में स्थिरता स्थापित की जा सकती है।

(vii) निश्चयिता—स्वर्ण के निश्चय प्रचलन में न रहने में सोने के निश्चय में विश्वास नहीं हो पाती। सोने के निश्चयों को खाने के व्यय में खर्च जाता है तथा सोने के उपयोग में भी व्यवहृत हो जाती है।

स्वर्ण धातुमान के दोष—स्वर्ण धातुमान में भी अनेक दोष पाये गये जिनमें हमकी स्थापना के 6 वर्षों के अन्दर ही यह पद्धति समाप्त कर दी गई। इस मान के प्रमुख दोषों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(i) सख्त के समय अनुरूपण—यह मान अनुकूल परिस्थितियों का ही मान है तथा संकट के समय इसे अपनाता कठिन रहता है।

(ii) सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता—इस मान में नियमित पद्धति का गुण पाया जाता है क्योंकि इसमें बाहरी मुद्रा एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जाता है, जिससे इनमें स्वयं संभालकता का गुण समाप्त हो जाता है।

(iii) अधिक खर्च—यह मान अधिक खर्चाता माना जाता है क्योंकि एक ओर तो स्वर्ण धातु निर्गमित कोय

में बेकार पड़ी रहती है तथा दूसरी ओर मुद्रा पर नियंत्रण करने में सरकारी व्यय किया जाता है।

(iv) भूल व धोखे के अवसर—इसमें सरकारी हस्तक्षेप के कारण भूल एवं धोखे के अधिक अवसर बने रहते हैं।

(v) जनता के विश्वास में कमी—मुद्रा सोने से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहती है, जिससे जनता का विश्वास कम हो जाता है।

### स्वर्ण चलनमान एवं स्वर्ण धातुमान में अन्तर

स्वर्ण चलनमान	स्वर्ण धातुमान
1. स्वतंत्र टकण वाली स्वर्ण मुद्राएं चलन में रखना अनिवार्य है।	1. इसमें स्वर्ण मुद्राएं चलन में रखना आवश्यक नहीं है।
2. स्वर्ण मूल्य का मापक एवं विनिमय का माध्यम होता है।	2. स्वर्ण मूल्य का मापक होता है, विनिमय का माध्यम नहीं।
3. इसमें अधिक स्वचलित व्यवस्था होती है।	3. इसमें स्वर्ण कोप केवल आनुपातिक होता है और यह व्यवस्था कम स्वचालित है।
4. इसमें जनता का विश्वास अधिक रहता है।	4. इसमें जनता का कम विश्वास रहता है।
5. इसमें स्वर्ण एवं पत्र मुद्राएं चलती हैं जो कि स्वर्ण में परिवर्तनीय होती हैं।	5. इसमें मुख्य रूप में पत्र मुद्राएं चलन में रहती हैं जो स्वर्ण में परिवर्तनीय होती हैं।
6. आन्तरिक मूल्य स्तर एवं विदेशी विनिमय दर में स्थायित्व रहता है।	6. इसमें विदेशी विनिमय दरों के स्वामित्व पर विशेष बल दिया जाता है।
7. इसमें स्वर्ण मुद्राएं चलन में रहती हैं जिनकी घिसाई होने से यह एक महंगी व्यवस्था मानी जाती है।	7. इसमें स्वर्ण मुद्राएं चलन में नहीं रहती जिससे यह कम खर्चीली व्यवस्था है।

### (3) स्वर्ण विनिमय मान

देश की चलन मुद्रा वा स्वर्ण के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होना और देश की चलन मुद्रा को किसी ऐसी विदेशी मुद्रा के साथ एक निश्चित विनिमय दर पर जोड़ दिया जाता है जो स्वयं स्वर्ण में परिवर्तनीय हो। आन्तरिक आवश्यकताओं के लिए चलन मुद्रा को स्वर्ण में परिवर्तित नहीं किया जाता। इस प्रकार देश की मुद्रा को प्रत्यक्ष रूप से न बदलकर अप्रत्यक्ष रूप से स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार "द्वितीय रूप स्वर्ण विनिमय मान होता है, जिसमें केन्द्रीय बैंक की यह जिम्मेदारी होती है कि चलनमुद्रा को स्वर्ण में परिवर्तित न करके किसी ऐसी मुद्रा में परिवर्तित करना जो कि स्वयं स्वर्ण में परिवर्तनीय हो।"<sup>1</sup>

इस मान का जन्म प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् ही हुआ और 20वें सदी के आरम्भ में भारत ने भी इसे अपना लिया था।

**धप**—इसके दो रूप होते हैं जो निम्न हैं—

(i) शुद्ध स्वर्ण विनिमय मान—इसमें स्वर्ण कोप बिल्कुल नहीं रखा जाता, परन्तु स्वर्ण सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं के लिए विदेशी स्वर्ण कोप पर निर्भर रहना पड़ता है।

(ii) मिश्रित विनिमय मान—इसमें कुछ स्वर्ण अपने देश में तथा शेष विदेशों में रखा जाता है।

विशेषतायें—इस मान की प्रमुख विशेषतायें निम्न हैं—

<sup>1</sup> A third form is the gold exchange standard, under which the legal obligation resting upon the central bank is to redeem the currency not in gold itself but in some other currency which is itself convertible into gold.—Crowther, op cit., p. 280.



- (i) विनिमय दर का सम्बन्ध—देश में प्रामाणिक मुद्रा का सम्बन्ध निश्चित विनिमय दर पर ऐसे राष्ट्र द्वारा जोड़ दिया जाता है जिसकी मुद्रा स्वयं में परिवर्तनीय हो। इससे इस निर्धन राष्ट्र को भी स्वर्णमान के लाभ प्राप्त हो जाते हैं।
- (ii) उपयोग विनिमय माध्यम के रूप में नहीं—इसमें स्वर्ण का उपयोग न तो मुख्य माध्यम और न ही विनिमय माध्यम के रूप में किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से सभी वस्तुएँ सोने की कीमतों में दिखाई जाती हैं।
- (iii) स्वर्ण से परोक्ष सम्बन्ध—मुद्रा का स्वर्ण से प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होकर परोक्ष सम्बन्ध होता है और केवल विदेशी विनिमय द्वारा ही विदेशी मुद्रातानों के लिए ही स्वर्ण प्राप्त किया जा सकता है।
- (iv) दो कोषों का निर्माण—इस मान में प्रायः दो कोषों का निर्माण किया जाता है—एक कोष स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में देश में रखा जाता है तथा दूसरा विदेशी मुद्राओं व विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में विदेशों में रखा जाता है।
- (v) स्वतन्त्र बाजार का अभाव—इसमें स्वर्ण के स्वतन्त्र बाजार का अभाव पाया जाता है।
- (vi) विदेशी भुगतानों में उपयोग—स्वर्ण या विदेशी विनिमय का उपयोग विदेशी भुगतानों के रूप में ही किया जाता है।
- (vii) परिवर्तन का अभाव—देश की चलन मुद्रा स्वर्ण में न होकर कागजी मुद्रा एवं सांकेतिक सिक्कों के रूप में प्रयोग की जाती है। यह मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं होती।

**स्वर्ण चलनमान तथा स्वर्ण विनिमय मान—सुलना**

स्वर्ण चलनमान	स्वर्ण विनिमय मान
1. इसमें स्वर्ण मुद्राएं चलन में रहती हैं।	1. इसमें स्वर्ण मुद्राएं चलन में नहीं रहती हैं।
2. कागजी नोटों के पीछे दत्त-प्रतिमान स्वर्ण कोष में रखा जाता है।	2. नोटों के पीछे बहुत कम स्वर्ण कोष में रखा जाता है।
3. स्वर्णकोष देश में रहने से मुद्रा व्यवस्था स्वतंत्र रहती है।	3. स्वर्णकोष विदेशों में रहने से मुद्रा प्रणाली विदेशी मुद्रा व्यवस्था पर निर्भर रहती है।
4. कागज के नोट चलन में रहने हैं जो कि स्वर्ण में परिवर्तनीय होते हैं।	4. कागज के नोट चलन में रहने हैं, परन्तु नोटों के पक्ष में स्वर्ण विदेशी भुगतान के लिए ही दिया जाता है।
5. स्वर्ण मुद्रा प्रचलित होने से जनता का बहुत विश्वास बना रहता है।	5. यह मुद्रा चलन में रहने से जनता का कम विश्वास रहता है।
6. यह व्यवस्था अधिक स्वचालित रहनी है।	6. यह व्यवस्था प्रतिबंधित होती है।

- गुण—**इस मान के प्रमुख गुण निम्न हैं—
- (i) **मित्तस्थिति**—स्वर्ण के निकले चलन में न होने से चित्तान्तर ही स्थित, सरकार मुद्रा को स्वर्ण में परिवर्तन करने को बाध्य न होने से स्वर्ण कोषों का अभाव न बचत एवं स्वर्ण का स्वतन्त्र बाजार न होने से यह मान मित्तस्थयी है।
  - (ii) **विदेशी विनियमों के लाभ**—विदेशों में रंगे जाने वाले विनियमों पर सरकार को श्राय प्राप्त होती है जिससे विदेशी विनिमय में वृद्धि होती है।
  - (iii) **विदेशी भुगतानों में सुविधा**—सरकार विदेशी विनिमय दर को नियंत्रित करती है जिससे विदेशी भुगतानों में सुविधा बनी रहती है।
  - (iv) **सोव**—चलन मुद्रा की मांग स्वर्ण कोषों पर आधारित नहीं होने से उसे आवश्यकतानुसार घटाया जा सकता है। आन्तरिक कार्यों के लिए स्वर्ण देना अनिवार्य नहीं होता।
  - (v) **निर्धन राष्ट्र के लिए उपयोगी**—यह मान एक निर्धन राष्ट्र द्वारा भी अपनाया जा सकता है तथा विनिमय दर का सम्बन्ध किसी पारितन्त्री राष्ट्र के साथ जोड़कर उसमें स्थिरता लाई जा सकती है।
- दोष—**इस मान के प्रमुख दोष निम्न हैं—
- (i) **मुद्रा प्रणाली को सतत**—आधार राष्ट्र के पास सीमित मात्रा में ही स्वर्ण कोष रहता है, परन्तु इस पर

उन गीण राष्ट्रों का भी अतिकार रहना है जिनके साथ मुद्रा का सम्बन्ध जोड़ दिया गया है। इस प्रकार देश की मुद्रा प्रणाली को सर्वत्र सतरा ही बना रहना है।

(ii) सरकारी हस्तक्षेप—चलन मुद्रा पर सरकारी नियंत्रण तथा सरकार द्वारा मौद्रिक प्रबन्ध करने के कारण इस पर सरकारी हस्तक्षेप बना ही रहना है।

(iii) हानि का भय—विदेशी भुगतान की सुविधा के लिए आधार देश में स्वर्ण कोप रखना पड़ता है और यह राशि प्रायः बैंक में ही जमा की जाती है। यदि यह बैंक असफल हो जायें तो गीण राष्ट्र को हानि होने का भय बना रहता है।

(iv) मूल्य-स्तर में कठिनाई—इसमें तरल सम्पत्ति का एक राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र को सरलता में हस्तांतरण सम्भव नहीं होने से मूल्य स्तर की स्थिरता बनाये रखना प्रायः कठिन हो जाता है।

(v) विभिन्न प्रकार के कोप—इस मान को अपनाने से विभिन्न प्रकार के कोपों की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसी व्यवस्था से अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं।

(vi) संचालन में अधिक व्यय—विदेशों में पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण रखने में उमका उपयोग देगहित में नहीं हो पाता और उनके संचालन में अधिक व्यय होता है।

(vii) मुद्रा सङ्कुचन का अभाव—चलन मुद्रा का प्रसार तो सरलता में किया जा सकता है, परन्तु मुद्रा सङ्कुचन करना कठिन हो जाता है।

(viii) विदेशी चलन पर निर्भर होना—यह मान आधार देश के स्वर्णमान के ठीक प्रकार से चलने पर निर्भर करता है। यह मान जमी समय तक ठीक प्रकार में चलता है जब तक कि मुद्रा का सम्बन्ध स्वर्ण से हो परन्तु स्वर्णमान के परिवर्तन करने पर देश की मुद्रा का स्वर्ण के साथ सम्बन्ध स्वतः ही टूट जाता है।

### स्वर्ण धातुमान एवं स्वर्ण विनिमय मान—तुलना

स्वर्ण धातुमान	स्वर्ण विनिमय मान
1. इसमें स्वर्ण के सिक्के चलन में नहीं होते परन्तु मुद्रा के बदले सोना दिया जाता है।	1. इसमें स्वर्ण के सिक्के चलन में नहीं होते किन्तु मुद्रा के बदले विदेशी भुगतान के लिए स्वर्ण दिया जाता है।
2. इसमें मुद्रा स्फीति का भय कम रहता है।	2. इसमें मुद्रा स्फीति का भय अधिक रहता है।
3. इसमें मुद्रा व्यवस्था स्वच्छ होती है।	3. इसमें मुद्रा का गठबन्धन किसी विदेशी मुद्रा से होता है।
4. इसमें स्वर्ण के पर्याप्त कोप रखे जाते हैं जिनमें मुद्रा के बदले में सोना दिया जा सके।	4. इसमें स्वर्ण की साधारण मात्रा कोप में रखी जाती है और विदेशी भुगतान के लिए ही सोना प्राप्त होता है।
5. इसमें जनता का विश्वास अधिक रहता है।	5. इसमें जनता का विश्वास कम रहता है।

### (4) स्वर्ण विधमान

यह स्वर्णमान का ही एक संगोपित रूप है जो 1936 में सितम्बर 1939 तक ही पादशास्य देशों में प्रचलित रहा।

विशेषतायें—इस मान की प्रमुख विशेषतायें निम्न हैं—

(i) विनिमय समीकरण को रद्द कर देना—इसमें प्रत्येक राष्ट्र की केन्द्रीय बैंक में विनिमय समीकरण कोप रखने पड़ने से और आवश्यकता पड़ने पर स्वर्ण को एक कोप में दूसरे कोप में हस्तांतरित कर दिया जाता था। इस कोप का उद्देश्य विनिमय दर में स्थिरता प्राप्त करना था।

(ii) आन्तरिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं—विदेशी विनिमय की माँग एवं पूर्ति या महावाणिज्य समीकरण कोप द्वारा कर दिया जाता था, जिससे देश की आन्तरिक अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था।

(iii) माफ़ार द्वारा ही स्वर्ण का आयात-निर्यात—स्थावरियों को स्वर्ण के आयात एवं निर्यात का कोई अधिकार नहीं था। केवल सरकार अपनी विदेशी विनिमय दर को स्थायित्व प्रदान करने के लिए स्वर्ण का आयात व निर्यात

कर सकती थी।

(iv) जनता से गोपनीयता—इस कोष में रितना और क्यों परिवर्तन हो रहा है, इस बात को जनता से छुपाया जाता था।

गुण—इस मान के प्रमुख गुण निम्न हैं—

(i) आन्तरिक अर्थव्यवस्था अग्रभावित—विनिमय दर में स्थायित्व लाने के लिए आन्तरिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं होता।

(ii) मितव्ययी उपयोग—इसमें स्वर्ण का उपयोग केवल मौद्रिक आवश्यकताओं की मन्तुष्टि के लिए ही मितव्ययिता के साथ किया जाता है।

(iii) मूल्यों में स्थायित्व—स्वर्ण का आयात या निर्यात केवल सरकार द्वारा ही किया जाता है, जिससे स्वर्ण के मूल्यों में स्थायित्व बना रहता है।

(iv) मुक्त अर्थव्यवस्था—स्वदेशी अर्थव्यवस्था पर विदेशी आर्थिक घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता और वह मुक्त बनी रहती है।

(v) लोचपूर्ण—यह मान लोचपूर्ण है और आवश्यकतानुसार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है।

दोष—इस मान के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं—

(i) कम विद्वान—इस मान में जनता को विद्वान कम होगा है।

(ii) क्रियाशीलता में कठिनाई—यह मान उसी समय सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है जबकि देश में स्थापित विनिमय समीकरण कोष में पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण की मात्रा हो।

(iii) जनता से छिपाव—कोषों की कार्यप्रणाली एवं कोष में रखे गये स्वर्ण की मात्रा को जनता से छुपाकर रखा जाता है।

द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होते ही स्वर्ण सम्बन्धी समझौते का अन्त हो गया और स्वर्ण विधिमान समाप्त हो गया।

### (5) स्वर्ण समतामान

इसका प्रारम्भ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के साथ हुआ। स्वर्ण समतामान वह मौद्रिक मान कहलाता है, जिसमें विद्व के विभिन्न राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण करके अपनी मुद्रा की विदेशी विनिमय दर, स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के बराबर रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं। विभिन्न देशों की मुद्राओं की विनिमय दर स्वर्ण के माध्यम में ही स्थापित हो पाती है, जिससे विनिमय दर में स्थिरता बनी रहती है। समस्त सदस्य देशों की मुद्राओं की पारस्परिक समता निश्चित करने के साथ-साथ उनका स्वर्ण मूल्य भी निर्धारित कर दिया जाता है। किसी देश की मुद्रा के मूल्य में गिरावट या वृद्धि होने की सम्भावना होने पर मुद्रा कोष उसे निश्चित स्तर पर बनाये रखने के प्रयत्न करता है।

विशेषताएं—इस मान की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं—

(i) स्वर्ण कोष—सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास एक निश्चित मात्रा में कोष जमा कराना होता है। इनका मूल्यरुप 35 डॉलर प्रति औंस के सिद्धांत में किया जाता है। इस कोष के पास विभिन्न देशों का लगभग 230 करोड़ डॉलर मूल्य का मौना जमा है। कोष द्वारा प्रत्येक देश की विनिमय दर में स्थिरता लाने के प्रयास किये जाते हैं।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग—अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग इस व्यवस्था का मूल आधार है जिससे विद्व की मौद्रिक व्यवस्था में दृढ़ता एवं स्थायित्व स्थापित हो जाता है। इस प्रकार मौद्रिक व्यवस्था में होने वाले उच्चावचनों को रोकना सम्भव हो गया है।

(iii) सोवरेन मुद्रा व्यवस्था—इसमें न तो स्वर्ण के लिये चयन में होते हैं, और न ही स्वर्ण भण्डार रखकर मुद्रा के बदले स्वर्ण देना पड़ता है। इसके विपरीत विदेशी विनिमय दर में स्थायित्व लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता मिल जाती है, फलस्वरूप यह एक अत्यन्त सोवरेन मौद्रिक व्यवस्था है जिसमें मुद्रा की मात्रा में कमी या वृद्धि की

जा सकती है।

(iv) आपसी विनिमय दरों का निर्धारण—सदस्य राष्ट्रों की मुद्राओं की केवल स्वर्ण में ही समता स्थापित नहीं करते बल्कि उनकी आपस की विनिमय दरें भी निश्चित कर दी जाती हैं क्योंकि समस्त सदस्य राष्ट्रों का मौद्रिक आधार समान होता है। मुद्रा कोय इन दरों को बनाये रखने के प्रयत्न करता है।

(v) मुद्रा की स्वर्ण समता—सदस्य राष्ट्रों की मुद्राओं का मूल्य स्वर्ण में निश्चित कर दिया जाता है और इस प्रकार स्वर्ण की समता दर निर्धारित कर दी जाती है। सदस्य राष्ट्रों की मुद्राओं की इस समता में बिना अनुमति कोई परिवर्तन सम्भव नहीं हो सकता। बिस्व के कुछ राष्ट्रों की स्वर्ण समता निम्न प्रकार है—

**मुद्राओं की स्वर्ण समता**  
(Gold Parity of Currencies)

(धामो में)

राष्ट्र का नाम	मुद्रा का नाम	प्रति इक्वाई स्वर्ण समता
1. बेल्जियम	फ्रैंक	0 017773
2. कनाडा	डालर	0 822021
3. जर्मनी	मार्क	0 222168
4. ईरान	रियाल	0 011732
5. जापान	येन	0 002469
6. नेपाल	रुपया	0 087770
7. न्यूजीलैण्ड	डालर	0 995310
8. दक्षिणी अफ्रीका	रैंड	1-244140
9. ब्रिटेन	पौण्ड	2-132810
10. संयुक्त राज्य अमेरिका	डालर	0 888671
11. संयुक्त अरब गणराज्य	पौण्ड	2 551870
12. पाकिस्तान	रुपया	0-186621
13. नीदरलैण्ड	गिल्डर	0 245489
14. मैक्सिको	पैसे	0-071094
15. इटली	लिरा	0 001422
16. भारत	रुपया	0-118489
17. श्रीलंका	रुपये	0-149297
18. बहामा	क्यात	0 186621
19. आस्ट्रेलिया	डालर	0 995310

इस प्रकार हम मौद्रिक व्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण समतामान से जाना जाता है।

(vi) स्वर्ण का कार्य—इस मान में स्वर्ण न तो विनिमय माध्यम और न ही मूल्यमान का कार्य करता है।

(v) आन्तरिक व्यवस्था में स्वतन्त्रता—इस मान को अपनाते वाले राष्ट्रों को अपनी आन्तरिक मौद्रिक व्यवस्था अपनाने में पूर्ण स्वतन्त्रता बनी रहती है।

स्वर्ण समतामान के गुण—इस मान के प्रमुख गुण निम्न हैं—

(i) लोचपूर्ण—यह अन्य मानों की तुलना में अधिक लोचपूर्ण है।

(ii) विनिमय दरों में स्थिरत्व—इस मान में विनिमय दर में स्थिरत्व बना रहता है।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग—इस मान में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि हो जाती है।

(iv) मितव्ययिता—स्वर्ण का उपयोग न होने में स्वर्ण में मितव्ययिता प्राप्त होती है।

### अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान (International Gold Standard)

आन्तरिक मूल्य स्तर में स्थायित्व लाने के लिए स्वर्णमान का अपना आवश्यक नहीं है, परन्तु विभिन्न राष्ट्रों की मुद्राओं से सम्बन्ध स्थापित करने एवं विनिमय दर में स्थिरता लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का अपना आवश्यक हो जाता है। "अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का सम्बन्ध मुद्रा की बाह्य बौमन तथा विनिमय दर में स्थायित्व बनाये रखने की समस्या से है।" आन्तरिक स्वर्णमान का महत्त्व केवल उसी समय तक रहा जब तक जनता ने स्वर्ण को रखना पसन्द किया। दो विश्वयुद्धों एवं आर्थिक कठिनाइयों ने इस स्थिति को समाप्त कर दिया और आन्तरिक कार्यों के लिए वायजो मुद्रा का प्रयोग होने लगा। इस प्रकार 'घरेलू स्वर्णमान, वास्तव में, प्राकृतिक दृष्टि से समाप्त हो रहा है तथा स्वर्ण का उपयोग मुद्रा के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध को नियंत्रित करने में दिया जाने लगा है।" वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का महत्त्व बढ़ रहा है। आन्तरिक स्तर पर स्वदेशी मुद्रा का प्रचलन स्वर्ण को कोप में रखे बिना किया जा रहा है तथा चलन से स्वर्ण का उपयोग हट गया है क्योंकि स्वर्ण कोप में कमी हो गई है तथा दूसरी ओर कुछ राष्ट्रों ने स्वर्ण का भारी मात्रा में संचय कर लिया है। 1939 से पूर्ण स्वर्ण का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अमरीकी खजाने के ऋय मूल्य पर आधारित रहता था। विश्व के राष्ट्रों के स्वर्ण कोप में परिवर्तन होने रहे जो मामलों के पृष्ठ पर दिये चाटे द्वारा समझे जा सकते हैं।

"स्वर्णमान पद्धति का यह एक भाग है कि जो राष्ट्र इसे स्वीकार करता है उसे अपनी मुद्रा के स्वर्ण मूल्य के लिए एक निश्चित मूल्य पर स्वर्ण की किसी भी मात्रा को बेचने की तत्पर होना चाहिए।" इन प्रकार विश्व के अनेक राष्ट्र अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा में घोषित कर दें तो उस व्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के अन्तर्गत रखा जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के गुण—अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के प्रमुख साध निम्नलिखित हैं—

(1) विनिमय दरों में स्थायित्व (Stability in Exchange Rates)—विश्व के अनेक राष्ट्रों की मुद्राएं स्वर्ण पर आधारित होने के कारण, उनका एक सामान्य आधार बन जाता है और उनकी मुद्राओं की कीमतें स्वर्ण के एक निश्चित अनुपात में निश्चित कर दी जाती हैं तथा प्रत्येक मुद्रा दूसरे राष्ट्र की विनिमय दर को उचित स्तर पर बनाये रखने में योगदान देता है। जब किसी राष्ट्र का व्यापार सन्तुलन विपन्न में हो जाता है तो विनिमय दर में उतार होने की आवश्यकता बनती रहती है जिसके लिए स्वर्ण निर्यात करके इसे सन्तुलित किया जा सकता है और विनिमय दर को स्थिर रखा जा सकता है। इस प्रकार विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तन सीमित कर दिये जाते हैं और वे उतार-चढ़ाव प्राप्त स्वर्ण बिन्दुओं (gold specie points)<sup>4</sup> तक ही सीमित हो जाते हैं। विनिमय दर में स्थिरता होने से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है तथा विदेशी ऋणदान में भी सुविधा बनती रहती है।

(ii) मुद्रा का आधार स्वर्ण—यस व्यवस्था में मुद्रा का आधार स्वर्ण माना जाता है जिनका कम धार में भी

1. "The international gold standard is concerned with the external value of the currency and with the problem of maintaining the stability of the foreign exchanges."—G. Crowther, p. 297.

2. "The domestic gold standard in fact, is dying a natural death, and gold is increasingly being left to its other task of regulating the international relationships of currencies."—Ibid, p. 296

3. "It is a part of the gold standard system that a country which accepts it must be prepared to receive at the price which corresponds to the gold value of its own currency any amount of gold that anyone may choose to sell to it at that price"—G. D. H. Cole : op cit, pp. 282-283

4. विनिमय दर में उतार-चढ़ाव की सीमा को स्वर्ण बिन्दु कहते हैं। उतार-चढ़ाव की ऊपरी सीमा को उच्चतम स्वर्ण बिन्दु एवं नीची सीमा को निम्नतम स्वर्ण बिन्दु के नाम से पुकारा जाता है। इस बिन्दु में ऊपर या नीचे विनिमय दर हो जाने पर स्वर्ण का आयात या निर्यात होने लगता है।

विश्व के राष्ट्रों के स्वर्ण कोष<sup>1</sup>

(मिलियन डालर में)

	1938	1945	1953
1. जापान	230	—	18
2. पर्शिया (Persia)	26	149	138
3. टर्की	29	241	143
4. मैक्सिको	28	292	144
5. इण्डोनेसिया	80	201	145
6. मिस्र	55	53	174
7. दक्षिणी अफ्रीका	220	914	176
8. स्वीडन	321	482	219
9. मुरुगुए (Uruguay)	72	195	223
10. भारत	274	274	247
11. अर्जेन्टाइना	444	1197	268
12. ब्राजील	32	354	317
13. इटली	193	24	346
14. पुर्तगाल	86	433	361
15. वेनेजुएला (Venezuela)	—	169	373
16. फ्रान्स	2,757	1,550	575
17. हॉलैण्ड	998	270	737
18. बेल्जियम	780	733	776
19. कनाडा	180	354	986
20. स्विट्जरलैण्ड	701	1,342	1,406
21. ब्रिटेन	2,877	2,476	2,518
22. ग० रा० अमेरिका	14,592	20,083	22,091

ऊंचा मूल्य रखा जाता है और यदि स्वर्ण की मुद्रा इबाई की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निरिचित कर दिया जाये तो स्वर्णमान विश्व व्यापार के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण का अभाव—इसमें मुद्रा का किसी अन्य मुद्रा में घटकमय न करके स्वर्ण को अपनी मुद्रा का आधार बनाया जाता है और स्वर्णमान अपनाते वाले प्रायः सभी राष्ट्र आपसी सम्बन्ध बनाये रखते हैं और उन पर किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। वास्तव में स्वर्णमान की अपनी एक धनुमानन व्यवस्था है जिसमें प्रायः राष्ट्रीय हितों को ध्यानरहित कर देना पड़ता है।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय तरलता—स्वर्ण को विश्व के प्रायः सभी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार करते हैं। स्वर्ण को कोय में रखकर सफलता से बागरी मुद्रा की निर्यात की जा सकती है और स्वर्ण कोय में वृद्धि करके अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि की जा सकती है, फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मुक्तानों में तरलता हो जाती है और इस व्यवस्था को अपनाते वाले राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व प्रदान किया जाता है।

(v) स्वर्ण धातु का महत्व बढ़ना—स्वर्णमान अपनाते में विश्व में स्वर्णमान का महत्व बढ़ जाता है और स्वर्ण मानने वाले राष्ट्रों को लाभ प्राप्त होना है, रोजगार में वृद्धि एवं व्यापारिक सम्बन्धों में सुधार होता है।

(vi) स्वर्ण का उचित विवरण—स्वर्ण का आयात व निर्यात स्वतन्त्र रहना है, जिससे मुक्तान सम्बन्ध

की स्थिति विगटने पर सरलता से स्वर्ण का आयात व निर्यात किया जा सकता है। स्वर्ण के स्वतन्त्रतापूर्वक आवागमन ने किसी एक ही देश में स्वर्ण का वैश्वीकरण सम्भव नहीं हो पाता।

(vii) स्वर्ण संचालित व्यवस्था—स्वर्णमान एक सरल एवं स्वयंसंचालित व्यवस्था होती है। स्वर्ण का निर्यात होने पर मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं तथा निर्यात में वृद्धि होकर आयात गिरने लगते हैं। फलस्वरूप स्वर्ण का आयात होने लगता तथा स्वर्ण कोष में वृद्धि हो जायेगी। इस प्रकार यह एक स्वयंसंचालित व्यवस्था है जिसमें स्वर्ण की व्यवस्था स्वयं हो जाती है।

(viii) साक्ष विस्तार—स्वर्णमान वाले राष्ट्रों में साक्ष का विस्तार प्रायः अन्य राष्ट्रों के समान ही होता है। पूँजी के स्वतन्त्र आवागमन द्वारा स्वर्णमान वाले राष्ट्रों में साक्ष नीतियों में समानता बनी रहती है।

(ix) स्वर्ण मूल्य में स्थिरता—अनेक मुद्राओं का आधार होने के कारण स्वर्ण के मूल्य में स्थिरता बनी रहती है। मुद्रा के कोष का आधार होने के कारण उसका दायित्व बढ़ जाता है, फलस्वरूप समस्त राष्ट्र मूल्य-स्तर बनाये रखने का प्रयास करते हैं। स्वर्ण मूल्य में स्थायित्व होने में वस्तुओं के मूल्यों में भी स्थायित्व बना रहता है।

(x) मुद्रा स्फीति से सुरक्षा—स्वर्ण की मात्रा सीमित होने से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करना सम्भव नहीं हो पाता क्योंकि उसके लिए शून्य प्रतिशत स्वर्ण कोष में रखना आवश्यक होगा। इससे वस्तुओं के मूल्यों में भी अधिक वृद्धि सम्भव नहीं हो सकेगी।

(xi) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान—स्वर्णमान के अन्तर्गत किसी भी देश के लिए भुगतान करने में कोई भी मुद्रा प्राप्त कर लेने में कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के दोष—इस मान के प्रमुख दोष निम्न हैं—

(i) संकट का हस्तांतरण—इसमें स्वर्ण के आगमन से किसी एक राष्ट्र के आर्थिक संकट को दूसरे देशों को सरलता से हस्तांतरित किया जा सकता है। "यह अवसाद को फैलाने का एक साधन माना जाता है तथा कभी-कभी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में वृद्धि भी सम्भव करता है।"<sup>1</sup>

(ii) मूल्य स्थायित्व की अवहेलना—इसके अपनाने से मूल्य स्थायित्व एवं विनिमय स्थायित्व में समन्वय स्थापित करना सम्भव नहीं हो पाता। विनिमय मूल्य में स्थिरता लाने के लिए आन्तरिक मूल्य स्थायित्व को बलिदान कर देना पड़ता है।

(iii) अपव्ययी—इसमें स्वर्ण धातु का अपव्यय होता है क्योंकि कोषों में स्वर्ण की मात्रा बेकार पड़ी रहती है और उसका कोई भी उपयोग सम्भव नहीं हो पाता। इससे देश के विकास कार्यों के लिए भी स्वर्ण उपलब्ध नहीं हो पाता।

(iv) विकास के लिए अनुपयुक्त—देश का विकास बढ़ी-बढ़ी योजनाएँ बनाकर ही किया जा सकता है जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय प्रवण्य होना आवश्यक है जो अधिक मात्रा में मुद्रा का प्रसार किये बिना सम्भव नहीं होता। परन्तु स्वर्णकोषों की मात्रा सीमित होने के कारण मुद्रा का अधिक मात्रा में निर्गमन करना प्रायः सम्भव नहीं हो पाता।

(v) आर्थिक स्थिरता को खतरा—स्वर्णमान ने देश में आर्थिक अस्थिरता को जन्म दिया है तथा मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा सञ्चन को जन्म दिया है।

(vi) अपूर्ण स्वचालन—स्वर्णमान की व्यवस्था स्वचालित व्यवस्था से पूर्ण नहीं है। इसमें मुद्रा सञ्चन या प्रसार देश की आर्थिक स्थिरता के लिए हानिप्रद सिद्ध होता है।

(vii) सञ्चन से प्रभावित—मास सञ्चन करने पर देश को सञ्चन के दोषों को सहन करना पड़ता है जबकि मुद्रा प्रसार में यह आवश्यक नहीं है।

(viii) मुद्रा का साक्षी—स्वर्णमान व्यावहारिकता की बसोटी पर खरा नहीं उतरता है। स्वर्णमान को अपनाने का मुख्य कारण देश की जनता का पत्रमुद्रा में विद्वेष दित्ताना है जिससे वह उसे स्वर्ण में कभी भी परिवर्तित कर सके। परन्तु जब दान्तिर परिवर्तन का मध्यम आना है तो इन व्यवस्था को समाप्त करना पड़ता है। इस दान्ती में दो बार

1 "It has been a means of spreading depressions and sometimes booms from one country to another".—John H. Williams : The Post-War Monetary Plans (Published in American Economic Review) March 1944 Supplement, p. 373,

(1814-18 तथा 1830-34) में स्वर्णमान की परीक्षा हुई और दोनों ही बार वह बुरी तरह से असफल रहा।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान को सफलता की शर्तें

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की सफलता के लिए निम्न शर्तों का पालन होना आवश्यक है—

(i) अधिकांश राष्ट्रों द्वारा स्वर्णमान अपनाना—अन्तर्राष्ट्रीय विनियम शक्ति के माप एवं विनियम के माध्यम के रूप में अच्छा कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि इसे अधिक से अधिक राष्ट्र अपनावें।

(ii) विदेशी व्यापार की स्वतन्त्रता—विदेशी व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध न होने पर स्वर्णमान सफल हो सकता है। व्यापार की स्वतन्त्रता होने पर ऐसे अनेक राष्ट्र, जिनके यहां स्वर्ण का उत्पादन नहीं होता, वे भी स्वर्ण प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी व्यापार स्वतन्त्र होने पर स्वर्ण कोय समान रूप में वितरित हो सकेंगे।

(iii) राजनैतिक स्थिरता—प्रान्तरिक अशांति एवं राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति में सरकार के टूटने का भय सदैव बना रहता है और वे धन का सग्रह करने लगते हैं तथा स्वर्ण को विदेशों में विनियोग करने लगते हैं, फलस्वरूप स्वर्णकोय कम हो जाते हैं और अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(iv) नियमों का पालन—स्वर्णमान की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

(v) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग—स्वर्णमान का पालन करने वाले राष्ट्रों में आपसी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग होना अति आवश्यक है जिससे स्वयं मंचालकता का गुण विद्यमान रह सके।

(vi) पर्याप्त सोच—देश की अर्थव्यवस्था में पर्याप्त लचील होनी चाहिए जिससे दरों में परिवर्तन होने पर भी उसे ठीक प्रकार से सामायोजित किया जा सके।

(vii) अन्तर्राष्ट्रीय ऋणभार कम होना—इनकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उस राष्ट्र पर अन्तर्राष्ट्रीय ऋण भार कम से कम हो, क्योंकि उनका कोय भुगतान करने में ही समाप्त हो जायेगा।

(viii) स्वर्णकोयों का समान वितरण—स्वर्णमान देगों के पास पर्याप्त मात्रा में स्वर्णकोयों का होना आवश्यक है, तथा साथ ही उनका वितरण भी समान ढंग होना आवश्यक है।

अतः "अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के लिए यह आवश्यक है कि इसमें ऐसे ढंगों को सम्मिलित किया जाये, जिससे मांग एवं पूर्ति के असाध्य को ठीक किया जा सके।"<sup>1</sup>

### स्वर्णमान के नियम

#### (Rules of Gold Standard)

स्वर्णमान की सफलता अनुकूल परिस्थितियों एवं मान्यताओं पर निर्भर करती है। इन मान्यताओं को ही स्वर्णमान के नियम कहते हैं। प्रो० कोन्स ने इन परिस्थितियों को स्वर्णमान खेल के नियम का नाम दिया था। स्वर्णमान के नियम निम्नलिखित हैं—

(i) स्वतन्त्र व्यापार की स्थिति—स्वर्णमान अपनाते वाले राष्ट्रों में आपसी व्यापार की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, जिसमें समस्त राष्ट्रों में मूल्यों के समान होने की प्रवृत्ति पाई जाये। स्वतन्त्र आयात एवं निर्यात से मूल्य स्तर समान बने रहते हैं।

(ii) स्वर्ण भण्डार व मुद्रा की मात्रा में सम्बन्ध—स्वर्णमान में देश की सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वर्ण भण्डार एवं मुद्रा की मात्रा में सम्बन्ध बनाये रखे। यदि स्वर्ण भण्डार में भी वृद्धि हो तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर दी जानी चाहिए, जिससे मूल्य स्तर, व्यापारिक स्थिति एवं विनियम दरों में समानता व स्थिरता बनी रहें।

(iii) पूंजी का नियन्त्रित आवागमन—पूँजी का तीव्र गति से आवागमन स्वर्णमान को खतरा उत्पन्न

1. "The international gold standard must therefore include a set of devices for ensuring that any disequilibrium between demand and supply is corrected."—Crowther : p. 300.



करता है। जिस समय पूँजी आती है तो मुद्रा स्फीति तथा वापस जाने पर मुद्रा संकुचन होता है। अतः स्वर्णमान के लिए विदेशी पूँजी के आवागमन पर नियन्त्रण होना चाहिए।

(iv) स्वर्ण का निर्यात आयात-निर्यात—स्वर्णमान में विभिन्न राष्ट्रों में स्वर्ण का आयात-निर्यात स्वतन्त्र होना चाहिए। वह स्वर्णमान का एक आधारभूत नियम है जिसके पालन न करने पर स्वर्णमान दीर्घकाल तक चालू नहीं रह सकता। स्वर्ण का कोप कम हो जाने पर उस देश के स्वर्ण भण्डार में कमी हो जायेगी और स्वर्णमान का परित्याग करना होगा।

(v) मुद्रा का स्थिर होना—विश्व के विकसित राष्ट्रों में मुद्रा का मूल्य स्थिर होना चाहिए जिससे उसका ठीक प्रकार से पालन किया जा सके।

(vi) भुगतान स्थिति में साम्य होना—स्वर्णमान राष्ट्रों की भुगतान सम्बन्धी स्थिति में साम्य होना चाहिए जिससे स्वर्ण का आवागमन अत्यधिक मात्रा में सम्भव न हो सके। यदि भुगतान स्थिति में महान् अन्तर है तो हो सकता है कि किसी राष्ट्र को अपना समस्त स्वर्ण देने को विवश होकर स्वर्णमान का परित्याग करना पड़े।

(vii) आपसी ऋण सम्बन्धी व्यवस्था—राष्ट्रों के मध्य आपसी ऋण सम्बन्धी सुविधाएँ ऐसी हों कि उन्हें स्वर्णमान का परित्याग किये बिना अथवाई मात्रा में ऋण प्राप्त हो सके।

(viii) पम्पर विश्वास एवं राजनीतिक स्थिरता—स्वर्णमान राष्ट्रों में परस्पर विश्वास ही तथा उनके राजनीतिक दृष्टि से स्थिरता कायम रहे, जिससे अनाधिक कारणों के लिए उन्हें स्वर्ण भेजने की आवश्यकता न हो।

(ix) मुद्रा प्रणाली में लोच एवं प्रतिस्पर्धा—स्वर्णमान अपनाने वाले राष्ट्रों में मुद्रा प्रणाली लोचदार होनी चाहिए, जिससे स्वर्ण कीमतों, मजदूरियों एवं उत्पादन लागन आदि को प्रभावित किया जा सके।

(x) पारस्परिक व्यापार पर प्रतिबन्ध का अभाव—स्वर्णमान वाले राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं व सेवाओं के आवागमन पर किसी भी प्रकार प्रतिबन्ध होना चाहिए।

“इस प्रकार स्वर्णमान का उत्तम नियम यह है कि स्वर्ण के आगमन पर साल का विस्तार हो, और स्वर्ण के बाहर जाने पर मास का संकुचन कर देना चाहिए।”

### स्वर्णगतियों का सिद्धान्त

#### (Theory of Gold Movement)

यह सिद्धान्त बताता है कि स्वर्णमान देशों के भुगतान सन्तुलन में असाह्यता का सुधार स्वर्ण के आवागमन द्वारा होता है जिसमें नीचे मूल्य-स्तर वाले देश में स्वर्ण का आगमन तथा ऊँचे मूल्य स्तर वाले देश में स्वर्ण का वहिर्गमन होता है। इस समायोजन की प्रक्रिया से भुगतान देशों में सन्तुलन स्थापित हो जाता है। स्वर्ण का आयात होने पर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि तथा निर्गत होने पर मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाती है। परन्तु स्वर्णमान के स्वयं-चालकता गुण के कारण यह स्थिति स्वयं ही नहीं रहती।

अधिक निर्यात करने में स्वर्ण आयात बढ़ेगा जिससे वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे और विदेशों में माग कम होगी, जिससे निर्यात में कमी होने लगेगी। इसके विपरीत मूल्य बढ़ने के कारण आयात बढ़ेंगे जिसके लिए स्वर्ण का निर्यात करना होगा, जिससे मूल्य सामान्य स्तर पर पुनः आ जायेगा और अर्थव्यवस्था पुनः सन्तुलित हो जायेगी।

इसके विपरीत आयात अधिक होने पर स्वर्ण का निर्यात करना होगा जिससे मुद्रा का संकुचन होगा, मूल्य गिरेंगे न निर्यात प्रोत्साहित होंगे और व्यापार पुनः देर के पक्ष में हो जायेगा जिसे स्वर्ण आयात द्वारा पूरा करेंगे। इसमें मूल्य सामान्य स्तर पर पुनः आ जायेगा और अर्थव्यवस्था पुनः सन्तुलित हो जायेगी। इसी को स्वर्णमान की स्वयंचालितता

कहते हैं। स्वर्णमान के कार्यकाह्न को चित्र 7.1 द्वारा स्पष्ट किया गया है—

1. “Thus the golden rule of the gold standard is - Expand credit when gold is coming in; contract credit when gold is going out.”—Crowther; op cit, p 304.

## स्वर्णमान का विकास (Growth of Gold Standard)

विश्व की प्राचीन मन्थताओं में स्वर्ण का महत्व सदैव से रहा है। स्वर्णमान का वास्तविक इतिहास सन् 1816 से प्रारम्भ होता है जबकि ब्रिटेन ने इस मान को अपनाया था। युरोपीय राष्ट्रों ने 1873 से इसे अपनाया प्रारम्भ किया और जर्मनी में इसे प्रारम्भ किया गया। 1878 में फ्रांस ने इसे अपनाया और अमरीका ने उसे 1900 से पालन किया। "आधुनिक मौद्रिक इतिहास के प्रारम्भिक विकास में, जबकि वास्तविक स्वर्ण सिक्के मुद्रा पूति का एक आवश्यक अंग था, स्वर्ण आवागमन का घरेलू माल स्थिति पर प्रभाव पड़ा और वह प्रायः स्वचालित थी, क्योंकि जब स्वर्ण के निर्यात होने पर मुद्रा पूति में स्वयं कमी हो जाती थी।" 1 स० रा० अमरीका ने 1896 के पश्चात् स्वर्ण मुद्रामान अपना लिया और द्विधातुमान को सदैव के लिए नमाप्त कर दिया। सन् 1900 तक विश्व के प्रायः सभी राष्ट्रों ने स्वर्णमान को अपना लिया था। प्रथम विश्व युद्ध ने पूर्व स्वर्णमान को अपनाता मौद्रिक प्रणालियों का एक आवश्यक लक्ष्य बन गया था। इस प्रकार '1914 से पूर्व विश्व की परिस्थितियों में स्वर्णमान ने ठीक प्रकार से कार्य किया। विभिन्न दरों में स्थायित्व न्यूनतम प्रयत्नों द्वारा प्राप्त किया गया, और यह सफाया गया कि वह प्राकृतिक है।" 2

### स्वर्णमान अपनाये जाने के कारण

19वीं शताब्दी तक विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा स्वर्णमान को अपनाया गया। "उन दिनों विभिन्न राष्ट्रों का आर्थिक ढांचा आजकल के ढांचे में शायद ही भिन्न रहा होगा।" 3 स्वर्णमान अपनाने की ओर अग्रसर होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

(1) रजत के मूल्यों में कमी—सन् 1870 के पश्चात् रजत मूल्यों में भारी गिरावट आई, परिणामस्वरूप विभिन्न राष्ट्रों ने रजत की मुद्रा का परित्याग करके स्वर्ण की मुद्रा का आचार बनाया।

(ii) मुद्रा स्फीति काल—19वीं शताब्दी में यूरोप तथा अमरीका के अनेक राष्ट्रों ने भारी मात्रा में कागजी मुद्रा को निहालकर मुद्रा स्फीति प्रारम्भ की, फलस्वरूप अनेक बैंक फेल हो गये। इस कार्यवाही को रोकने के लिए अधिक मात्रा में मोट निर्गमित करने पर राज-प्रतिमत स्वर्ण को प रचना अनिवार्य कर दिया गया, जिससे मुद्रा प्रसार की व्यवस्था पर कठोर नियन्त्रण लगाया जा सके।

(iii) ब्रिटेन में औद्योगिक प्रगति—उस समय ब्रिटेन उद्योग एव व्यापार की दृष्टि में अत्यन्त प्रगतिशील राष्ट्र था, और वह स्वर्णमान व्यवस्था का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा था। विश्व के अनेक राष्ट्र ब्रिटेन से अपने व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने स्वर्णमान का अपनाता स्वीकार किया। कुछ राष्ट्रों ने इस मान को औद्योगिक प्रगति में सहायक समझकर अपना लिया।

1. "In the earlier stages of modern monetary history, when actual gold coin was still the most important part of the money supply, the reaction of a gold movement upon the domestic credit position was almost automatic, for when gold was exported, the export itself was a contraction of the money supply."—G. Crowther : op cit., pp. 304-305.

2. "In the conditions of the world before 1914, the gold standard worked remarkably well. Stability of exchange rates was maintained with so little conscious effort that it came to be regarded as natural."—G. Crowther : op cit., p. 305.

3. "The economic structures of the various nations in those days were hardly any less divergent than they are today."—Ibid., p. 305.

## स्वर्णमान का पतन (Breakdown of Gold Standard)

स्वर्ण चलनमान प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ होने तक भली प्रकार कार्य करता रहा। परन्तु युद्धकाल में अनेक मुद्रा प्रणालियाँ लटखड़ा गईं। सरकार का सुरक्षा व्यय बढ़ गया, जनता के उपयोग के लिए वस्तुओं की कमी हो गई, मूल्यों में वृद्धि एवं जनता को कष्ट होने लगा। युद्ध के प्रारम्भ होते ही विश्व के विभिन्न राष्ट्रों पर युद्ध का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा और स्वर्णमान का परि त्याग कर दिया गया। युद्धकाल में प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार पड़ता है, क्योंकि युद्ध के व्यय कर-व्ययस्था के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता और इसके लिए मुद्रा प्रसार का ही सहारा लेना पड़ता है, जिससे स्वर्णमान को चलाये रखना असम्भव हो जाता है। युद्धकाल में मुद्रा स्फीति के कारण समस्त राष्ट्रों में महंगाई बढ़ गई। युद्ध के समाप्त होने पर स्वर्णमान की स्थापना की ओर ध्यान दिया जाने लगा। उस समय देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का एकमात्र इलाज स्वर्णमान माना जाने लगा। और सभी राष्ट्र स्वर्णमान को पुनः अपनाने की माग कर रहे थे। फलस्वरूप सर्वप्रथम 1919 में म० रा० अमरीका ने स्वर्णमान को अपनाया और उसके पश्चात् जर्मनी, ब्रिटेन व फ्रांस ने भी इसे अपनाया। सन् 1928 तक प्रायः समस्त राष्ट्रों ने स्वर्णमान को पुनः अपना लिया, जिन्होंने युद्धकाल में इसका परि त्याग कर दिया था। परन्तु यह सफलतापूर्वक अधिक समय तक कार्य न कर सका। स्वर्णमान जिन असाधारण परिस्थितियों में स्थापित किया गया था वे और अधिक असाधारण होती गईं और 1929 में ही स्वर्णमान का परि त्याग कर दिया गया।

### स्वर्णमान के पतन के कारण

#### (Causes of Breakdown of Gold Standard)

अप्रैल 1925 में ग्रेट ब्रिटेन ने स्वर्णमान को अपनाया और सितम्बर 1931 में इसे समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन के पश्चात् ग्रीस व पुर्तगाल, दक्षिणी अफ्रीका एवं जापान ने भी इसका परि त्याग कर दिया। अमरीका ने 1933 एवं फ्रांस 1936 से स्वर्णमान को समाप्त कर दिया। 1914 में जो विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ उसने स्वर्णमान को अधिक समय तक चलाने नहीं दिया। इस समाप्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

(1) स्वर्णमान के नियमों का लघुपटन—स्वर्णमान की सफलता स्वर्णमान के नियमों का पालन करने पर निर्भर करती है। परन्तु प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व एक वाद में इन नियमों का पालन न करने में स्वर्णमान का परि त्याग करना पड़ा। स्वर्णमान के नियम के अनुसार राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, परन्तु अमरीका एवं फ्रांस ने सर्वप्रथम इन नियम का पालन नहीं किया। वस्तुओं के आयात पर भारी आयात-कर लगाये गये, फलस्वरूप श्रेणी राष्ट्रों को स्वर्ण में ही श्रेणियों का मुगलान करना पड़ा। इसी प्रकार स्वर्णमान में स्वर्ण का आवागमन स्वतन्त्रतापूर्वक होना चाहिए, परन्तु दुर्गलेश व फ्रांस ने इन नियमों की अवहेलना की। व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से विभिन्न राष्ट्रों के मूल्य-स्तर में भिन्नता आ गई। शक्तिशाली एकाधिकार की स्थापना की गई और दुर्बल राष्ट्रों को इन मूल्यों से प्रतिस्पर्धा करना भी कठिन हो गया। इस प्रकार स्वर्णमान के विभिन्न नियमों के पालन न करने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं और अन्त में स्वर्णमान समाप्त हो गया।

(2) युद्ध सम्बन्धी सतिपूर्ति का भुगतान—युद्ध की समाप्ति पर विजयी राष्ट्रों ने हारे हुए देशों से युद्ध का हर्जाना देने की माग की और उन्हें युद्धकालीन श्रेणियों को वापस करने को विवश किया गया। हारे हुए राष्ट्र हर्जाने की राशि वस्तुओं के रूप में देना चाहते थे, परन्तु लेश्वर राष्ट्रों ने न केवल इसे अस्वीकार किया, बल्कि वस्तुओं के आयात पर भारी आयात-कर भी लगा दिये गये और विवश होकर हल राष्ट्रों को स्वर्ण में ही मुगलान करना पड़ा। फलस्वरूप विश्व का लगभग 80% स्वर्ण कोष अकेले म० रा० अमरीका के पास जमा हो गया और अन्य राष्ट्रों के पास इनका कर्म स्वर्ण भण्डार रह गया कि वे स्वर्णमान को सफलतापूर्वक चलाने में असमर्थ रहे।

(3) आर्थिक आतंजनभरता की भावना—प्रथम विश्वयुद्ध काल में प्रायः उन सभी वस्तुओं का अभाव बना रहा जिन्हें वे विदेशों में आयात करते थे। अर्थव्यय में इस प्रकार के कष्ट में बचने के उद्देश्य से विभिन्न राष्ट्रों ने आर्थिक दृष्टि से अधिकाधिक आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य प्रयाग किये और देशी उद्योगों को विवशित करने के उद्देश्य से सरकारों का भी महाराज लिया गया जो स्वर्णमान के नियमों के विरुद्ध था। फलस्वरूप स्वर्णमान की स्वयं संघातकता का अन्त

हो गया और अन्त में उसे छोड़ देना पड़ा।

(4) विश्व की महान् मन्दी—मन् 1929 की विश्व की महान् मन्दी के कारण स्वर्णमान का पतन हो गया। इस मन्दी का प्रारम्भ अमेरिका के बाल स्ट्रीट संकट में प्रारम्भ हुआ जो तुरन्त ही अन्य राष्ट्रों में फैल गया। मन्दी का प्रभाव ऑस्ट्रिया में प्रबल हुआ। वहाँ के सबसे बड़े बैंक आस्ट्रियन क्रेडिट एस्टाब्लिश्मेंट की आर्थिक स्थिति विगड़ रही थी और बैंक के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया। इससे ऑस्ट्रियन बैंक बन्द हो गया और यूरोप के अधिकांश देशों के बैंकों में पूंजी निकलनी प्रारम्भ हो गयी। जर्मनी में यही स्थिति रही और 1931 में जर्मनी ने अपनी मुद्रा का स्वर्ण में परिवर्तन बन्द कर दिया। अविश्वाम की यह लहर इंग्लैंड में स्वर्णमान के पतन में 1932 तक विश्व के 41 देशों ने स्वर्णमान का परिहाय कर दिया। विश्व के प्रायः सभी राष्ट्रों में मुद्रा का अभाव होने में माँग व उत्पादन के सन्तुलन में साम्य न रह सका, फल-स्वरूप मूल्य-स्तर गिरने लगे और अमेरिका के सट्टा बानार के सट्टोरियो को हानि का सामना करना पड़ा, जिसका प्रभाव विश्व के अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ा, बैंक फेल होने लगे और धीरे-धीरे व्यवस्था इतनी विगड़ गई कि मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्तन करना सम्भव न होने से स्वर्णमान का ही अन्त हो गया।

(5) सात मुद्रा में वृद्धि—युद्ध के पश्चात् लगभग सभी राष्ट्रों में बैंकिंग व सात का इतना अधिक विस्तार हो गया कि देश की केन्द्रीय बैंक उन पर नियन्त्रण करने में असमर्थ रही, फलस्वरूप मूल्य स्तर में वृद्धि होकर व्यापाराधिन्य असन्तुलित हो गया।

(6) आर्थिक संकटों का सामना—प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् विश्व के अनेक राष्ट्रों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिससे स्वर्णमान अधिक नुंबे समय तक न चल सका।

(7) निर्भरता समाप्त करना—स्वर्णमान में एक देश की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है और एक देश के संकट का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ता है। अतः ऐसी निर्भरता को दूर करने के उद्देश्य से ही स्वर्णमान को समाप्त किया गया।

(8) स्वर्णमान के हर्षों में ममानता का अभाव—युद्धोपान्त अधिकार राष्ट्रों ने स्वर्णमान के लिए एक समान रूप में न अपनाकर भिन्न-भिन्न स्वरूपों को अपनाया जिसमें बेईमानी व छलकपट को बढ़ावा मिला और स्वर्णमान को स्थगित करना पड़ा।

(9) लोचहीन अर्थव्यवस्था—युद्ध के बाद अनेक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था लोचहीन हो गई, जिसमें लागत एवं मूल्यों में लोच का अभाव होकर समान परिवर्तन सम्भव न हो सके। एवाधिकार, श्रमसङ्घ व अन्य इसी प्रकार के समुदायों के निर्माण होने से कीमतें एवं श्रम लागतें स्थिर हो गईं और स्वर्ण की गति के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन सम्भव न हो सका।

(10) शरणार्थी पूंजी का अभाव—विदेशी पूंजी पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये जिससे विदेशी पूंजी केवल सुरक्षित राष्ट्रों की ओर ही आकर्षित होने लगी जिसे शरणार्थी पूंजी कहा गया। इसका आगमन आकस्मिक होने से मूल्य-स्तर के परिवर्तनों को नहीं रोका जा सका और स्वर्णमान को समाप्त करना पड़ा।

(11) स्वर्णकोष का प्रसमान वितरण—प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वतन्त्र प्रवाह अवरुद्ध हो गया और विश्व के समस्त राष्ट्रों के मध्य स्वर्ण का वितरण असमान हो गया। जिन राष्ट्रों में स्वर्णकोष अधिक थे, उन्होंने उसे रोके रखने के लिए निर्मात पर बठोर प्रतिबन्ध लगा दिये जिससे स्वर्णमान की स्वर्ण संचालकता समाप्त हो गई और अन्त में स्वर्णमान को छोड़ना पड़ा।

(12) अस्वाभाविक विनिमय दरें—नवीन स्वर्णमान को अपनाने समय कुछ राष्ट्रों ने अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए अपनी मुद्रा को विनिमय दरों को बहुत ऊँची कर दी तथा कुछ राष्ट्रों ने उसे बहुत नीची रखा। फल-स्वरूप विनिमय दरें सर्वथा असंगत बनी रही जिसे दीर्घकाल तक बनाये रखना सम्भव नहीं था और बाद में जाकर इन मुद्राओं से सम्बन्धित मुद्राओं को अपने स्वर्णमान का परिहाय बनना पड़ा।

(13) अशांति का वातावरण—प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् राष्ट्रों में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अशांति का वातावरण बना रहा। मँहगाई व बेतनमान में वृद्धि ने हड़ताल व तानाबन्दी की स्थिति उत्पन्न करके उत्पादन व व्यापार में अस्थिरता उत्पन्न कर दी। राजनैतिक मधुर के कारण अशांति का वातावरण उत्पन्न हो गया जिसका मुद्रा व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा और स्वर्णमान का अन्त कर देना पड़ा।

## नवीन व्यवस्था

अमरीका द्वारा स्वर्णमान का परित्याग करते ही डालर का स्वर्ण में मूल्य गिरना प्रारम्भ हो गया जो 31 जनवरी 1934 तक 34.4 डालर प्रति औंस हो गया। देश में बेरोजगारी फैलकर आर्थिक स्थिति खराब हो गयी थी, जिसमें सुधार करने के लिए मुद्रा व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक था। 31 जनवरी 1934 को तात्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने डालर का 41% अवमूल्यन कर दिया और स्वर्ण का मूल्य 20.67 डालर प्रति औंस से बढ़ाकर 35 डालर प्रति औंस घोषित कर दिया, जिससे अमरीका के निर्यातों में वृद्धि की जा सकी।

### स्वर्णमान का भविष्य (Future of Gold Standard)

प्राचीन समय में धातु ने मुद्रा का कार्य किया और बाद में उसका स्थान कागजी मुद्रा ने ले लिया। स्वर्णमान के अनेक लाभ होने से इसे विश्व के कई राष्ट्रों में अपनाया गया। स्वर्णमान एक स्वतन्त्र वातावरण में ही भ्रूणतापूर्वक कार्य कर सकता है। प्रथम विश्वयुद्ध ने पूर्व अनुकूल वातावरण के कारण वह सफल हो सका। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद की परिस्थितियाँ विंगड जाने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं स्वर्ण के आगमन पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये, जिससे पुनः स्थापित होने के उपरान्त भी उसे बाद में तोड़ दिया गया। स्वर्ण का अधिक महत्त्व होने से विभिन्न राष्ट्रों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय हिमाब-किताब के निपटारे का एक माध्यम बना रहा परन्तु ये सम्झौते भी द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होने से समाप्त हो गये थे और फिर ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की गई। वर्तमान समय में मुद्रा स्फीति एवं व्यापार असुलन के विनाश में होने के कारण विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में स्वर्णमान अपनाना सम्भव प्रतीत नहीं होता। वर्तमान स्थिति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भविष्य में स्वर्णमान अपनाना सम्भव नहीं है। इसे न अपनाते के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

(1) विश्व स्वर्ण कोष में कमी—विश्व में स्वर्ण कोषों का भण्डार अत्यन्त कम मात्रा में है, जिनके आधार पर भविष्य में स्वर्णमान को अपनाना सर्वथा असम्भव-ना प्रतीत होता है। विश्व में स्वर्ण कोषों का वितरण भी असमान है, क्योंकि अमरीका, जर्मनी, फ्रांस और जापान के पास विश्व के स्वर्ण कोष का 50% से अधिक जमा है। अतः कोष में स्वर्ण रखकर आन्तरिक मुद्रा में परिवर्तनशीलता घोषित करने वाला मान अपनाता अधिकांश देशों के लिए असम्भव-सा है।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय साक्षर सत्याप—स्वर्णमान को स्थापना का प्रमुख उद्देश्य विदेशी विनिमय दर को स्थिर करना एवं विदेशी मुद्राओं को सरल बनाना होता है और यह दोनों ही कार्य अन्तर्राष्ट्रीय साक्षर सत्यापों द्वारा भली प्रकार सम्पन्न किये जाते हैं। इसी प्रकार अल्पकालीन कार्यों के लिए व्यापारिक बैंक योगदान देते हैं और ऐसी परिस्थिति में स्वर्णमान को अपनाना लाभदायक प्रतीत नहीं हो पाता।

(3) ऋणप्रसूता—द्वितीय विश्वयुद्ध काल में विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने अमरीका से ऋण लिये। इन ऋणों का न तो मुद्रागत ही हो पाया है और न व्याज का कोई प्रबन्ध सम्भव हो सका है। नयी दिल्ली में आयोजित की गई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास सम्मेलन III (UNCTAD III) में इस बात पर विचार किया गया कि विकसित राष्ट्र अपनी धाय का एक प्रतिशत भाग भी विकासशील राष्ट्रों को सहायता के रूप में नहीं दे रहे हैं। वर्तमान समय में जबकि विश्व के अधिकांश विकासशील राष्ट्र विनिमय संकट का सामना कर रहे हैं, ध्याय दरें निरन्तर बढ़ रही हैं, वाणिज्य सहायता प्राप्त करना सम्भव नहीं हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में स्वर्णमान अपनाते की कल्पना करना भी व्यर्थ रहेगा।

(4) केन्द्रीय बैंकों का सीमित कार्य—विश्व के प्रायः सभी देशों में केन्द्रीय बैंकों की स्थापना कर दी गई है, परन्तु ये बैंक अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं, जिससे स्वतन्त्र व्यापार व स्वतन्त्र लेनदेन की नीति को अपनाना सम्भव नहीं है। कुछ राष्ट्र तो अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति को अपनाते की स्थिति में नहीं हैं, फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकों का कार्यक्षेत्र काफी सीमित हो गया है और स्वर्णमान को अपनाना सम्भव नहीं हो पाता।

(5) अमानि व राजनैतिक अस्थिरता—एशिया एवं अफ्रीका के अनेक राष्ट्रों को राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त होने में बड़ी अमानि व राजनैतिक अस्थिरता ब्याप्त है, बड़ा आन्तरिक अमानि का वातावरण है, अर्थिक व वस्तुकारियों के आन्दोलन और पक्ष रहे हैं। ऐसी राजनैतिक अस्थिरता की हालत में स्वर्णमान को अपनाना लाभप्रद सिद्ध नहीं होगा।

(6) विकास योजनाएँ—वर्तमान समय में विद्यमान राष्ट्र योजनाएँ निर्माण करके विकास कार्यों में संलग्न हैं, जिसके लिए धाटे की व्यवस्था से भी काम चलाना पड़ता है और यह समस्त कार्य कामजी मुद्रामान द्वारा ही सम्भव हो सकते हैं। अतः आधुनिक व्यवस्था में स्वर्णमान अपनाता सम्भव नहीं होगा।

(7) स्वर्णकोष का केन्द्रीयकरण—मसारा के कुछ राष्ट्रों के पास स्वर्णकोष का अधिकांश भाग है जबकि अन्य राष्ट्रों पर हमकी मात्रा बहुत कम है। स्वर्णकोषों का लगभग 80% भाग 9 विकसित राष्ट्रों के पास है, शेष राष्ट्रों के पास केवल 20% भाग है। ऐसी परिस्थिति में स्वर्णमान को अपनाता सम्भव ही नहीं है।

### वर्तमान मुद्रा व्यवस्था—एक विश्लेषण (Present Monetary System—An Analysis)

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् विश्व में एक बार फिर से अन्तर्राष्ट्रीय मीट्रिक सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किये गये। अतः सन् 1944 में ब्रेटनवुड्स (अमरीका) में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें विश्व के लगभग 44 राष्ट्रों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में दो सम्झौतें स्थापित करना निश्चित किया गया, जिनमें से एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) एवं द्वितीय विश्व बैंक है।

इस प्रकार विश्व में एक गैरे मुद्रामान की स्थापना हो गई है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण विनिमय मान कहते हैं। इसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रामान भी कहते हैं।

### सम्मेलन के उद्देश्य

इस सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य ये—

- (i) विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना।
- (ii) विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक प्रगति में सहायता प्रदान करना,

### विशेषतायें

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रामान की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

(1) स्वर्णकोष का प्रबंध—इस कोष के सदस्यों के लिए अंश (quota) निर्धारित किये गये हैं, जिसमें से 25% भाग स्वर्ण से मुद्रा कोष में जमा कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए अपनी-अपनी मुद्रा में केन्द्रीय बैंक से मुद्राकोष स्ताने में जमा कर लिये हैं। वर्तमान समय में स्वर्ण का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 35 डॉलर प्रति औंस है।

(2) व्यापार व भुगतान समुत्तन—मुद्रा कोष विभिन्न राष्ट्रों के विदेशी व्यापार में आने वाली रुकावटों को समाप्त करने के प्रयत्न करता है। मुद्राकोष द्वारा कोई भी मुद्रा उधार ली जा सकती है और उसमें मु्यतान पूर्ण किया जा सकता है और कुछ समय पश्चात् व्यापारिक स्थिति में सुधार होने पर मुद्रा कोष का ध्वंश वापस कर दिया जाता है। इस प्रकार मुद्रा कोष एक स्थलस्थानित मान कहा जा सकता है।

(3) केन्द्रीय बैंक के मित्र व पड़दोस्त—स्वर्णमान को संचालित करने में केन्द्रीय बैंकों की नीति को सम्भव्य करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय मर्यादा का अभाव था, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दूर कर दिया है। इस प्रकार मुद्रा कोष मुद्रा व्यवस्था बनाये रखने में केन्द्रीय बैंकों के मित्र एवं पड़दोस्त का कार्य करता है।

(4) विनिमय दरों में स्थिरता—मुद्रा कोष के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों द्वारा निर्धारित की गई विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व स्थापित करने के प्रयत्न किये जाते हैं और इनमें उतार-चढ़ाव एक निश्चित सीमा तक ही स्वीकृत होते हैं। यदि किसी राष्ट्र को व्यापार समुत्तन में कोई बठिनाई उपस्थित हो जाये, तो मुद्राकोष अतिरिक्त आर्थिक सहायता देकर विनिमय दरों में स्थिरता लाने के मकसद प्रयास करता है। यदि किसी कारण से यह स्थिरता लाना सम्भव न हो तो उस देश को मुद्रा के अवसुत्तन करने की सलाह दी जाती है।

(5) मुद्रा का स्वर्ण में सुसंधान—मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों को अपनी विनिमय दरें स्वर्ण में निश्चित करनी होती हैं और इसी कारण से मुद्रामान को स्वर्ण विनिमय के नाम से पुकारा जाता है।

वर्तमान समय में जबकि समस्त राष्ट्रों में राष्ट्रीय भावना जागृत हो रही है, स्वर्णमान की स्थापना की कल्पना करना भी सम्भव नहीं है। स्वर्ण के मूल्यों में अस्थिरता के कारण मौरिक क्षेत्र में स्वर्ण का महत्व गिर गया है, अतः भविष्य में स्वर्णमान के स्थान पर प्रवर्धित पत्र-मुद्रामान को ही अपनाया गया है। प्रत्येक राष्ट्र सरक्षण एवं अन्य प्रासुक्तिक नीतियों द्वारा देश के विकास के लिए प्रयत्न कर रहा है। वर्तमान समय में स्वर्णमान का भविष्य अन्धकारमय है और इसके स्थान पर वर्तमान स्वर्ण विनिमय परम्परागत स्वर्णमान की तुलना में अधिक सरल, मितव्ययी एवं व्यापक है। इस प्रकार इस व्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय मुग्तान सरल हो गये हैं तथा मुद्रा प्रणालिया अधिक सुव्यवस्थित हो गई हैं।

### नया स्वर्णमान पुराने से श्रेष्ठ

आधुनिक स्वर्णमान को निम्न दृष्टिकोण से पुराने स्वर्णमान से श्रेष्ठ माना गया है :—

(i) आवश्यकता की पूर्ति—यदि सद्यः देश द्वारा किसी ऐसी मुद्रा की माग की जाये जिनका भण्डार मुद्रा कोष के पास कम हो गया हो तो मुद्राकोष मुद्रा स्वर्ण के बदले त्रय करके उस देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है।

(ii) निर्धन राष्ट्रों द्वारा अपनाया—इसमें प्रत्येक देश के लिए पृथक्-पृथक् कोषों में स्वर्ण रखने की आवश्यकता नहीं है, अतः इन निर्धन देश भी अपना सकते हैं।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय संस्था—यह स्वर्णमान सही अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीय मान है, क्योंकि इसका संचालन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के रूप में एक उच्चावचन अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय संस्था है जो आवश्यकता पडने पर देशों को डालर दे सकता है।

अतः वर्तमान स्वर्णमान पुराने स्वर्णमान से अधिक सरल, व्यापक एवं मितव्ययितापूर्ण है।

## मूद्रा का मूल्य (VALUE OF MONEY)

प्रारम्भिक—प्रायः मुद्रा की त्रय शक्ति ही उसका मूल्य मानी जाती है। “तुलनात्मक दृष्टि से यह कहना सरल है कि मुद्रा का मूल्य वही है जो वह क्रय करेगी। यह एक सरल अतिरिक्त प्रमाण है कि ऊँचे मूल्य हो जाने पर मुद्रा का मूल्य गिर जाता है।”<sup>1</sup>

### मुद्रा का मूल्य

विदेशी विनिमय  
के रूप में

त्रय-शक्ति के  
रूप में

ब्याज दर के  
रूप में

अर्थशास्त्र में मुद्रा के मूल्य का आशय कई प्रकार में लगाया जा सकता है, जैसे—

- (i) विदेशी विनिमय के रूप में,
- (ii) त्रय-शक्ति के रूप में, एवं
- (iii) ब्याज दर के रूप में।

(i) विदेशी विनिमय—मुद्रा के मूल्य का सम्बन्ध विदेशी विनिमय दर में लगाया जाता है अर्थात् स्वदेशी मुद्रा के बदले जो मात्रा विदेशी मुद्रा को प्राप्त हो उसे ही उसका मूल्य कहेंगे। जैसे। ब्रिटिश पाँच का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 2.6 डालर के समान है, और यह दर घटकर 2.5 डालर हो जाये तो यह कहा जावेगा कि पाँच के मूल्य का हास हो रहा है।

(ii) त्रय-शक्ति—मुद्रा की त्रय-शक्ति से भी मुद्रा का मूल्य जाना जाता है। यह विभिन्न वस्तुओं के औसत से सम्बन्धित होती है। यह माप सूचनाकों द्वारा होता है। यदि वस्तु मूल्यों का सूचनांक 1951 में 100 था और 1976 में यह बढ़कर 220 हो जाये तो इसका तात्पर्य यह होगा कि वस्तु मूल्य में 120 प्रतिशत वृद्धि हो गयी है और मुद्रा मूल्य गिर गया है।

(iii) ब्याज दर—मुद्रा बाजार में मुद्रा का त्रय-विश्रय किया जाता है और उसके बदले में जो ब्याज दी जाती है उसी को मुद्रा का मूल्य कहा जाता है।

इस प्रकार वस्तुओं के मूल्य मुद्रा में व्यक्त किये जाते हैं, परन्तु मुद्रा का मूल्य मुद्रा में ही व्यक्त करना उचित नहीं रहता। मुद्रा के मूल्य से आशय उसकी त्रय-शक्ति से लगाया जाता है। “मुद्रा के मूल्य से हमारा आशय मुद्रा की एक इकाई के बदले सामान्य रूप से त्रय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में लगाया जाता है।”<sup>2</sup> अतः मुद्रा की त्रय-शक्ति को वस्तुओं व सेवाओं के रूप में, जड़ता की उपयोगिता के आधार पर ही व्यक्त करना चाहिए। “चूँकि मुद्रा की त्रय-शक्ति

1. It is comparatively easy to say that the value of money is what it will buy. It is only a simple additional step to realise that the higher are prices the lower is the value of money.”—Crowther, op cit, p. 84

2. “By the value of money, we mean the amount of things in general which will be given in exchange for a unit of money.”—D. H. Robertson : Money, p. 17.



मुद्रा की इकाई द्वारा त्रय की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा पर निर्भर करती है, अतः संयुक्त वस्तु के मूल्य से इसे मापा जा सकता है, जो अनेक व्यक्तिगत वस्तुओं एवं सेवाओं से व्यय करने के उद्देश्य के महत्व के आधार पर मितकर बनी है।<sup>11</sup> मुद्रा मूल्य सामान्य मूल्य-स्तर से विपरीत धारणा लिए होता है। सामान्य मूल्य-स्तर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का औसत मात्र होता है। फिसर के अनुसार, 'मुद्रा की त्रय-शक्ति, मूल्यों के स्तर से विपरीत दिशा में होती है और मुद्रा की त्रय-शक्ति का अध्ययन एवं मूल्य-स्तरों का अध्ययन लगभग समान होता है।'<sup>12</sup> यदि मापदृष्टिक रूप से मूल्यों में वृद्धि होती है तो मुद्रा मूल्य घट जाता है और उनमें कमी होने पर वह बढ़ जाता है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तनों का अनुमान किसी एक वस्तु के आधार पर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि विभिन्न वस्तुओं की औसत कीमतों के आधार पर ज्ञात करना चाहिए। कितने के अनुसार "मुद्रा का मूल्य, सीमांत विनिमय में प्रदान की गई सेवाओं का पूंजीय मूल्य है।"<sup>13</sup> निरपेक्ष रूप में मुद्रा की मापना असम्भव है, अतः उचित यही होता है कि विशेष प्रकार के सौदों के लिए मुद्रा का मूल्य मापा जाये। इसके अतिरिक्त मुद्रा के मूल्य में होने वाले सामयिक परिवर्तनों को मापना अधिक कठिन एवं महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक जीवन में भी सापेक्षिक दृष्टि से ही मुद्रा का महत्व जाना जा सकता है और मुद्रा का निरपेक्ष मूल्य कोई विशेष महत्व नहीं रखता। मुद्रा की पूर्णतः अन्य वस्तुओं से सर्वत्र भिन्न होती है और मुद्रा एक सीमित चलन वाली वस्तु कहलाती है। वर्तमान समय में ऋणों मुद्रा की प्रत्येक इकाई को बार-बार प्रयोग किया जा सकता है, जबकि वस्तुओं की इकाइयाँ एक ही बार उपयोग में लाई जाती हैं। मुद्रा एक उच्चतम वस्तु मानी जाती है क्योंकि वह समस्त वस्तुओं के मूल्य मापक का कार्य करती है। इस प्रकार समाज में समस्त वस्तुओं के क्रय-विक्रय का कार्य मुद्रा द्वारा ही किया जाता है।

### मुद्रा एवं वस्तुओं में अन्तर

प्रो० राबर्टसन की मान्यता है कि मुद्रा भी वस्तु की ही भांति है, अतः उसका मूल्य भी मांग एवं पूर्ति द्वारा ही निर्धारित होती है। वास्तव में मुद्रा एवं अन्य वस्तुओं में अन्तर निम्नलिखित है—

- (1) मूल्य का अन्तर—मुद्रा का वस्तु के रूप में कम मूल्य होता है, जबकि वस्तु का अपना मूल्य होता है और उसकी अपनी उपयोगिता होती है।
- (2) विनिमय का माध्यम—समाज की समस्त वस्तुओं विनिमय के लिए मुद्रा पर निर्भर करती है और मुद्रा ही वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करती है और वस्तुओं की सक्रिय मात्रा मुद्रा की त्रय शक्ति को प्रभावित करती है।
- (3) निर्गमन में भिन्नता—मुद्रा का निर्गमन वस्तुओं से भिन्न माना जाता है। वस्तुओं का उत्पादन श्रम, पूँजी एवं भूमि आदि तत्वों के सहयोग से होता है, परन्तु मुद्रा का प्रचलन, उसकी मात्रा, किस्म आदि सरकार की मुद्रा नीति पर निर्भर करते हैं।
- (4) उपयोग का अन्तर—मुद्रा अनेक व्यक्तियों को हस्तांतरित होनी रहती है जबकि वस्तुओं एक बार में ही अन्तिम उपयोग में आ जाती है।

मुद्रा का मूल्य बिना योग्यता के अर्थहीन होता है, क्योंकि मुद्रा के मूल्य के अनगिनत मूल्य होने हैं जो उपयोग

1. "Since the purchasing power of money in a given context depends upon the quantity of goods and services which a unit of money will purchase it follows that it can be measured by the price of a composite commodity made up of the various individual goods and services in proportion corresponding to their importance as object of expenditure."—J. M. Keynes: A Treatise on Money, Vol. 1.

2. "The purchasing power of money is the reciprocal of the level of price so that the study of purchasing power of money is identical with the study of price level"—Irving Fisher: The Purchasing Power of Money, p. 14

3. "The value of money is the capitalised value of the service rendered in the marginal exchange"—D. Kinley: Money, p. 135

के आधार पर ज्ञात किये जाते हैं। अतः इसके समाधान के लिए मुद्रा के मूल्य के कुछ निश्चित प्रभाषों की स्थापना करना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए प्रायः तीन प्रभाष स्थापित किये जाते हैं।

- (i) बाजार में वस्तुओं के लिए दंगिये गये मूल्य के रूप में मुद्रा के मूल्य का अध्ययन किया जाता है।
- (ii) मुद्रा के मूल्य का आगम परिवार द्वारा कप को जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं से लगाया जाता है।
- (iii) तृतीय अर्थ में इसका आशय थ्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी से लगाया जाता है।

इस प्रकार मुद्रा के मूल्य की सही परिभाषा देना कठिन कार्य है। अनेक स्थानों में मुद्रा के मूल्य से आशय योंक मूल्य, फुटकर मूल्य अथवा थ्रम मूल्य से भी लगाया जा सकता है। मुद्रा एवं वस्तुओं का एक निकट सम्बन्ध यह है कि मुद्रा की मात्रा द्वारा ही वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किये जाते हैं और इसी प्रकार वस्तुओं की मात्रा द्वारा ही मुद्रा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा एवं वस्तुओं का आपसी सम्बन्ध काफी घनिष्ठ है।

### मुद्रा का वस्तु सिद्धान्त (Commodity Theory of Money)

द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व प्रायः सभी राष्ट्रों में किसी न किसी धातु के सिक्के चलन में रहते थे। हमसे पूर्व अनेक प्रकार की धातुयें विभिन्नय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती थी। प्रत्येक मुद्रा किसी न किसी धातु की बनी हुई होती है और प्रत्येक इकाई का मूल्य उसमें निहित वस्तुओं के मूल्यों पर निर्भर करता है। इसमें मुद्रा इकाई का स्वयं कोई महत्व नहीं होता, बल्कि उसका मूल्य वस्तु के मूल्य पर निर्भर करेगा। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करेगा। इसमें मुद्रा का मूल्य निर्धारण करने में सरकारी नीति को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता। यह भी मान्यता है कि स्वर्णकोषों के पर्याप्त मात्रा में होने पर ही मुद्राओं के मूल्य में स्थायित्व लाया जा सकता है। मुद्रा के पीछे रखे जाने वाले कोषों का महत्व पुनः बढ़ रहा है। विश्व में मुद्रा स्फीति के कारण स्वर्ण मूल्य में वृद्धि करना सम्भव नहीं हो पाता। इस प्रकार वस्तु सिद्धान्त को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि स्वर्णमान को पुनः अपनाया जा रहा है। वस्तु सिद्धान्त इतिहास की कल्पना-मात्र है और व्यवहार में उसका कोई विशेष महत्व नहीं है।

मुद्रा के सामान्य सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक-शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जिस प्रकार मांग बढ़ने से मूल्य बढ़ने तथा मूल्य घटने से मांग घटने लगती है उसी प्रकार मांग में वृद्धि होने पर मूल्य में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का मूल्य उस वस्तु पर निर्धारित हो जाता है जहाँ मांग एवं पूर्ति समान हों। "एक राष्ट्रीय मुद्रा का आन्तरिक एवं बाह्य मूल्य होता है। मुद्रा के आन्तरिक मूल्य से आशय घरेलू वस्तुओं एवं सेवाओं की त्रय शक्ति से होता है, जबकि उसका बाह्य मूल्य विदेशी विनिमय दर होती है जो कि विदेशी मुद्रा की घरेलू मूल्य होती है।"<sup>1</sup> मुद्रा का मूल्य भी वस्तु की भांति उसकी मांग एवं पूर्ति द्वारा निश्चित किया जाता है।

### मुद्रा की मांग (Demand for Money)

एक असाधारण वस्तु की मांग उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता पर निर्भर करती है, मुद्रा की मांग भी उसकी उपयोगिता के कारण ही है परन्तु इसका स्वरूप भिन्न प्रकार का होता है और मुद्रा की उपयोगिता केवल वस्तुओं को खरीदने के लिए ही है। मुद्रा की मांग उसके विभिन्न माध्यम होने पर निर्भर करती है। अतः वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा का जो विनिमय किया जाता है उसी को मुद्रा की मांग कहते हैं।

1. "A National Currency has internal and external value. The internal value of a currency refers to the purchasing power of that currency in terms of domestic goods and services while its external value is its foreign rates, that is the domestic price of a foreign currency."—Kurihara, K. K : Monetary Theory and Public Policy, p. 11.

मुद्रा की मांग = मूल्य × वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा

सूत्र रूप में  $D = P \times T$


यहाँ पर  $D =$  मुद्रा की मांग,  $P =$  मूल्य

$T =$  वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा।


प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की मांग में व्यापक विविधता के लोके की मात्रा से बताया है। इसे व्यावसायिक दृष्टिकोण कहा जाता है।

कौम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 3 कार्यों के लिए मुद्रा की मांग करता है—

(1) सौदा उद्देश्य—प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का एक भाग दैनिक कार्यों के लिए रखता है जिसे सौदा उद्देश्य कहते हैं। चित्र 7.1 में दिखाया गया है कि जब आय 100 है तो मांग 100 है और आय 200 होने पर मांग बढ़कर 125 हो जाती है।



चित्र 7.1



चित्र 7.2


(2) सट्टा उद्देश्य—सट्टेबाज भविष्य में होने वाले व्याज की दर में परिवर्तनों से लाभ उठाने हेतु मुद्रा अपने पास नकदी में रखते हैं जिसे सट्टा उद्देश्य कहते हैं। इसके लिए मुद्रा की मांग अत्यन्त अनिश्चित एवं शीघ्र परिवर्तनशील होती है। व्याज दर घटने पर मुद्रा की मांग बढ़ती है तथा व्याज दर बढ़ने पर मांग घटती है जैसा कि चित्र 7.2 में दिखाया गया है।

(3) दूरदर्शिता उद्देश्य—प्रत्येक व्यक्ति आकस्मिक दायित्वों व आवश्यकताओं के लिए नकद मुद्रा अपने पास रखना पसन्द करते हैं। इन उद्देश्य से उत्पन्न मुद्रा की मांग स्थिर होती है, जिनमें भारी परिवर्तन नहीं आते हैं।

### मुद्रा की कुल मांग

मुद्रा के सौदा उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य एवं दूरदर्शिता उद्देश्य से उत्पन्न मुद्रा की मांग के योग को मुद्रा की कुल मांग कहते हैं।

सूत्र रूप में  $M = M_1 + M_2 + M_3$  यहाँ पर  $M =$  कुल मांग  $M_1 =$  सौदा उद्देश्य की मांग  $M_2 =$  सट्टा उद्देश्य की मांग,  $M_3 =$  दूरदर्शिता उद्देश्य से उत्पन्न मांग। इसे चित्र 7.3 द्वारा भी दिखाया गया है।



चित्र 7.3

मांग को प्रभावित करने वाली शक्तें

मुद्रा की मांग वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर करती है और वस्तुओं की मात्रा निम्न बाजारों से प्रभावित होती है—

(1) उन्नत के साधनों की कार्यक्षमता—वस्तुओं का उत्पादन उत्पत्ति के साधनों की कार्यक्षमता पर निर्भर करता है। यदि साधन कम हैं, परन्तु उनकी कार्यक्षमता अधिक है तो कुल उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि

साधन अधिक होते हुए भी अनुत्पादक व कम कुशल हैं तो उत्पादन की मात्रा भी कम हो जायेगी।

(2) वस्तुओं के हस्तांतरण की गति—प्राचीन समय में उत्पादक स्वयं उपभोक्ता होता था और विनिमय की आवश्यकता नहीं होती थी व मुद्रा की मांग कम हो जाती थी। आजकल धर्म विभाजन एवं विशिष्टीकरण के कारण उत्पादक में वस्तुएं उपभोक्ता तक पहुंचने में अनेक मध्यमों का सहारा लिया जाता है, फलस्वरूप मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाती है।

(3) रोजगार स्तर—यदि उत्पत्ति के माधनों का रोजगार स्तर पूर्ण है तो उत्पत्ति की मात्रा अधिक होती है, इसके विपरीत पूर्ण स्थिति में कम रोजगार स्तर पर उत्पत्ति की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार जब किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था निम्न रोजगार स्तर की ओर बढ़ रही हो तो मुद्रा की मांग अधिक हो जाती है। यदि ऐसे अवसर पर नवीन मुद्रा का प्रसार कर दिया जाये तो स्थैतिक स्थिति उत्पन्न होगी जो देश के लिए हानिप्रद होगी।

(4) उत्पत्ति का पैमाना—बड़े पैमाने पर उत्पत्ति करने एवं व्यापारिक संगठनों में प्रतियोगिता होने पर अधिक मात्रा में उत्पादन सम्भव किया जाता है जिससे मुद्रा की मात्रा की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके विपरीत लघु स्तर पर उत्पादन करने एवं एकाधिकार की परिस्थिति होने पर उत्पत्ति की मात्रा में कमी हो जाती है और मुद्रा की मांग में भी कमी हो जाती है।

(5) उत्पत्ति के साधनों की मात्रा—यदि देश में उत्पत्ति के साधन अधिक हैं तो उत्पादन अधिक होगा एवं पूंजी की मांग बढ़ेगी। इसके विपरीत उत्पत्ति के साधनों में कमी होने पर उत्पादन कम होगा तथा मुद्रा की मांग भी कम हो जायेगी।

(6) अन्य बातें—मुद्रा की मांग पर अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ता है जैसे नवीन प्रतिभूतियों का निर्गमन जनसंख्या का आकार, प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता, राष्ट्र का भौगोलिक क्षेत्रफल आदि। इनमें वृद्धि होने पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और कमी होने पर मांग घट जाती है।

इस प्रकार "एक व्यक्ति की कुल प्रभावशाली मांग एक निरिचत समयावधि में प्रयत्न अथवा अग्रयत्न रूप से (साधन द्वारा) अर्थ की वृद्धि मुद्रा की मात्रा से निर्धारित की जाती है।" यही नियम सम्पूर्ण समाज के लिए मांग के निर्धारण करते समय लागू किया जाता है।

### मुद्रा की पूर्ति (Supply of Money)

मुद्रा की पूर्ति से आशय उन समस्त वस्तुओं की सामूहिक मात्रा से है जो किसी समय में देश के अन्दर विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचलित होती हैं। इसमें समस्त प्रकार की प्रामाणिक, गैरैतिक व अन्य मुद्रा की सम्मिलित कर लिया जाता है। इन सम्बन्ध में मुद्रा की पूर्ति से आशय मुद्रा की समस्त मात्रा या चयन में मुद्रा की मात्रा से लगाया जाता है। इन प्रकार किसी देश में धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा एवं साव्य मुद्रा के सम्मिलित योग को चयन की मात्रा में सम्मिलित किया जाता है।

### मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व

देश में मुद्रा की पूर्ति निम्न तत्वों से प्रभावित होती है—

(1) सरकार का अधिकार—सरकार को नोट छापने के अधिकार होने से मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित किया जाता है। यदि किसी समय नोटों की मात्रा में वृद्धि हो जाये तो मुद्रा की पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है।

(2) व्यक्तिगत स्वभाव व द्रव्यता पसन्दगी—यदि जनता वस्तु विनिमय प्रणाली में काम चला लेती है या अपनी बचत को बचाकर नकद में रखना पसन्द करती है तो इनसे मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है।

1. "The total effective demand of an individual is determined by the amount of money spent by him directly or indirectly (through credit) during a certain period of time."—G. N. Halim : Monetary Theory, p.19.

(3) साख मुद्रा का प्रभाव—यदि देश में साख मुद्रा का अधिक प्रसार है तो मुद्रा की पूति में वृद्धि होगी और मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की नीति अपनाई जाती है। साख नियंत्रण ढीला हो जाने पर साख मुद्रा के चलन में वृद्धि हो जाती है और नियंत्रण में कठोरता अपनाने पर साख मुद्रा में कमी होकर मुद्रा की पूति में कमी हो जाती है।

(4) मुद्रा की गति—मुद्रा का वेग अधिक होने पर घोबो ती मुद्रा की मात्रा ही अधिक मुद्रा इकाइयों का कार्य कर सकती है। इसके विपरीत यदि चलन वेग कम है तो अधिक मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। देश में चलन मुद्रा एव साख मुद्रा दोनों ही मुद्रा की पूति को प्रभावित करती हैं।

(5) नकद कोष—प्रत्येक बैंक को अपने पास नियंत्रित मात्रा में नकद कोष रखना पड़ता है और केन्द्रीय बैंक उसमें आवश्यक मात्रा में घटा-बढ़ी करने के आदेश दे सकती है। यदि नकद कोष में अधिक मात्रा रखी जाती है तो वह चलन से बाहर हो जाती है और मुद्रा की पूति को कम कर देती है।

(6) स्वर्ण वा सुरक्षित कोष—प्राचीन समय में धातु के सिक्कों की मात्रा स्वर्ण कोष पर निर्भर रहती थी। इसी प्रकार जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए कागजी मुद्रा के पीछे स्वर्ण की व्यवस्था की जाती थी। सुरक्षित कोष में वृद्धि होने पर मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जा सकता था, अन्यथा नहीं।

(7) वस्तु की मात्रा—यदि देश में वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो मुद्रा की पूति को बढ़ाया जाता है।

### मुद्रा का मूल्य निर्धारण

जिस प्रकार एक वस्तु का मूल्य उसकी मांग और पूति के साम्य पर निर्धारित होता है, उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य भी उसकी मांग एव पूति के साम्य पर स्थापित हो जाता है। जब कमी भी मांग एव पूति में परिवर्तन होता है तो पुराना साम्य बिगड़ जाता है और नया संतुलन स्थापित हो जाता है तथा मुद्रा का नवीन मूल्य निर्धारित हो जाता है।

### मुद्रा का राजकीय सिद्धान्त

#### (State Theory of Money)

कहा जाता है कि मुद्रा का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है। फ्रेड्रिक नेप के अनुसार "चलन मुद्रा की आत्मा उसकी इकाइयों में निहित पदार्थ में नहीं है, बल्कि उन वैधानिक अध्यादेशों में है जो इसके प्रयोग का नियमन करते हैं।"।<sup>1</sup> आधुनिक काल में मुद्रा के निर्माण, नियमन एव मात्रा निर्धारण आदि का कार्य सरकार करती है और जनता उसे व्यवहार में लाती है। सरकार कभी-कभी विभिन्न वस्तुओं के मूल्य भी निर्धारित कर देती है।

सिद्धांत की आलोचनाएँ—(1) इन तर्कों में यथेष्ट शक्ति है, परन्तु सम्पूर्ण सत्यता नहीं पायी जाती। केवल राजकीय सत्ता के आधार पर मुद्रा का चलन स्थापित रखना असम्भव है।

(2) मुद्रा मूल्य निर्धारित करने में मुद्रा की मात्रा का प्रभाव पड़ता है न कि सरकार का।

(3) वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण द्वारा मुद्रा का मूल्य निर्धारित करना सम्भव नहीं हो पाता।

अन स्पष्ट है कि मुद्रा के मूल्य में सरकार की इच्छानुसार परिवर्तन नहीं होते, बल्कि उसके निर्धारण में घासन का हाथ कम होता है।

1. The soul of currency is not in the material of the pieces, but in the legal ordinances which regulate their use.—G. F. Knapp: The State Theory of Money, p. 2.

## मुद्रा की गति (Velocity of Money)

मुद्रा का कार्य वस्तुओं व सेवाओं में विनिमय करना है और इस कार्य को करने में मुद्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथों में हस्तांतरित होती रहती है। इस प्रकार कितने दिने हुए समय में मुद्रा की कोई इकाई वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए कितनी बार एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरित होती है, उसके घोसत को ही मुद्रा की गति कहेंगे। मुद्रा की मात्रा को उसकी गति से गुणा करने पर मुद्रा की पूंति को ज्ञात किया जा सकता है। मुद्रा की पूंति उसकी चलन की गति पर निर्भर करती है। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा को यथास्थिर रखने पर उसकी चलन गति में कमी या वृद्धि करने पर मुद्रा की पूंति में कमी या वृद्धि की जा सकेगी।

### गति को प्रभावित करने वाली बातें

मुद्रा की गति को प्रभावित करने वाली प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—

(1) नकद खरीदने की आदत—यदि समाज में वस्तुओं की नकद में खरीदने की आदत है तो बार-बार नकद रुपया देने के कारण समाज में चलन की गति बढ़ जायेगी। यदि समाज में उधार रूप करने की आदत है तो तत्काल भुगतान न करने के कारण मुद्रा की गति घट जायेगी।

(2) भुगतान अवधि—यदि नये किये गये सामान का भुगतान वर्ष में एक या दो बार ही किया जाता है तो मुद्रा की चलन गति कम हो जायेगी। इसके विपरीत यदि भुगतान थोड़े-थोड़े समय के उपरान्त किया जाये तो चलन की गति तीव्र होगी।

(3) मजदूरी भुगतान का ढंग—यदि मजदूरी दैनिक न देकर साप्ताहिक या मासिक आधार पर दी जाती है तो मजदूरों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूंति के लिए अधिक मात्रा में नकद धनराशि रखनी होगी, फलस्वरूप मुद्रा की चलन की गति में वृद्धि होगी।

(4) मूल्य अनुमान—यदि भविष्य में मूल्यों के बढ़ने की सम्भावना हो तो जगता अपनी मुद्रा के बढ़ने में वस्तुएं खरीदना अधिक पसन्द करेगी, जिससे मुद्रा की गति में वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि मुद्रा संकुचन के कारण मूल्य गिरने की सम्भावना हो तो रूप-विक्रय क्रियाओं में कमी हो जाती है, जिससे मुद्रा की चलन गति में कमी होगी।

(5) राजनैतिक स्थिरता—यदि देश में राजनैतिक स्थिरता है तथा परस्पर प्रेम, विश्वास व आस्था है तो मुद्रा की चलन गति कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि सरकार अस्थायी हो, परस्पर अविश्वास हो तो उधार की प्रथा कम हो जाती है और मुद्रा के चलन की गति भी गिर जाती है।

(6) जमा का हस्तांतरण—यदि धनराशि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाते में जल्दी-जल्दी हस्तांतरित की जाती है तो गति में कमी हो जाती है। इसके विपरीत व्यवस्था होने पर गति में वृद्धि हो जाती है।

(7) उधार सुविधायें—यदि माल को उधार पर प्राप्त करने की सुविधाओं में वृद्धि हो जाती है तो मुद्रा का उपयोग कम होने से उसकी गति में कमी हो जायेगी। यदि उधार सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं तो गति में वृद्धि हो जायेगी।

(8) जनसंख्या की मात्रा—देश में जनसंख्या घनी व अधिक होने पर मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरित होती रहती है और चलन की गति भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत जनसंख्या कम हो जाने पर मुद्रा की चलन गति भी कम हो जाती है।


(9) आर्थिक विकास—यदि आर्थिक दृष्टि से देश विकसित है तो वहा अधिक मात्रा में विनिमय होगा और मुद्रा की गति में वृद्धि होगी। इसी प्रकार यदि राष्ट्र अविकसित है तो चलन मुद्रा की गति में कमी हो जायेगी।

(10) परिवहन के साधन—यदि देश में परिवहन के उन्नत साधन हैं तो वस्तुओं का विक्रय अधिक होने लगता है, फलस्वरूप मुद्रा की गति बढ़ जाती है। इसके विपरीत परिवहन के साधनों के अभाव में मुद्रा की गति भी गिर जाती है।

(11) द्रवता पसन्दगी—यदि समाज में नकद में अधिक धन रखने की प्रथा है तो देश में चलन की गति कम होगी। इसके विपरीत यदि कम मात्रा में नकद धन रखा जाये तो मुद्रा की चलन गति भी अधिक होगी।

## मुद्रा का परिमाणिक सिद्धान्त (QUANTITY THEORY OF MONEY)

### मुद्रा का परिमाणिक सिद्धान्त



**प्रारम्भिक—**प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के सम्बन्ध में यह धारणा बना ली थी कि मुद्रा की मात्रा सदैव के लिए स्थिर होती है और उसमें परिवर्तन सम्भव नहीं होते। फलस्वरूप मुद्रा की माग विधी भी प्रचार में उसके मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती है। इसके विपरीत यह भी धारणा बना ली गई कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन सम्भव हो सकते हैं। इस प्रकार मूल्य निर्धारण में मुद्रा की मात्रा की अनेक मुद्रा की रूति का मुख्य ह्रास रहता है और इसी कारण मुद्रा का मूल्य उसी मात्रा के आधार पर निर्धारित होता है और इसी सिद्धान्त को उन्होंने 'मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त' के नाम से जाना। इस प्रकार "मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन वस्तुओं एवं सेवाओं को बदले में प्राप्त करने की साधारण योग्यता को प्रभावित करता है।" अतः अन्य वस्तुओं के ऊंचे मूल्य मुद्रा के निम्न विनियम मूल्य तथा अन्य वस्तुओं का निम्न मूल्य मुद्रा के ऊंचे विनियम मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। अतः कहा जाता है कि मुद्रा का मूल्य सदैव सामान्य मूल्य-स्तर के विपरीत होता है।

मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त सर्वप्रथम 1952 में डेविड ह्यूम (David Hume) द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धान्त में थोड़े से संशोधन करके इसे 19वीं सताब्दी में अपनाया गया। इस सिद्धान्त द्वारा मूल्य स्तर एवं मुद्रा

I. "A change in the value of money affects our general ability to command goods and services in exchange."—Kurihara Kenneth K. : Monetary Theory and Public Policy, p. 11.

मात्रा के मध्य कारण व परिणाम का सम्बन्ध स्थापित किया गया। परन्तु समय के साथ-साथ यह अनुभव किया गया कि विनामसीत समाज में जनसंख्या की वृद्धि एवं तकनीकी सुधार के साथ-साथ उत्पादन की प्रवृत्ति में सुधार होता रहता है, फलस्वरूप मुद्रा की गति भी परिवर्तित होती रहती है। इस सिद्धान्त में मूल्य स्तर एवं मुद्रा मात्रा के परिवर्तनों में पर्याप्त सीमा तक एक दूसरे से प्रभावित होने का सम्बन्ध बना रहता है।

### (1) प्रतिष्ठित सिद्धान्त

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की मौद्रिक सिद्धान्त के रूप में रखा क्योंकि वह मुद्रा को ही विनियम का साधन मानते थे। इनके अनुसार अन्य वस्तुओं के मूल्यों की भांति मुद्रा का मूल्य भी मुद्रा की पूर्ति या मात्रा से प्रभावित होता है और यह प्रभाव समानुपातिक ढंग से होता है। उनका विचार था कि जब मुद्रा के परिमाण में कमी या वृद्धि होती है तो समाज की सम्पूर्ण मौद्रिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है, और मूल्य स्तर उसी अनुपात में परिवर्तित हो जाता है। मुद्रा का मूल्य सामान्य मूल्य स्तर के विपरीत होने से मुद्रा के परिमाण में वृद्धि होने से मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में कम तथा परिमाण में कमी होने से उसी अनुपात में अधिक हो जाने की सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है जो परिमाण सिद्धान्त की ओर प्रदर्शित होती है।

“मुद्रा की मांग की दमाएं दी हुई हो, तो उनका मूल्य परिमाण के विपरीत दिशा में बदलता है, अन्य दमों में, मूल्यों का सामान्य स्तर, उपलब्ध मुद्रा के परिमाण के साथ बदलता रहता है।”<sup>1</sup> मुद्रा की मांग प्रायः विनियम कार्यों के लिए होती है और विनियम कार्य वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के परिमाण में निर्धारित किया जाता है। उत्पत्ति के साधनों की कार्यक्षमता के आधार पर उत्पादन की मात्रा का निर्धारण किया जाता है, इस कारण प्रायः मुद्रा की मांग को स्थिर ही माना जाता है। इसके विपरीत मुद्रा की पूर्ति का आशय मुद्रा की वास्तविक मात्रा से लगाया जाता है और इसकी गणना करते समय चलन गति को ध्यान में रखा जाता है। प्रायः मुद्रा की मांग स्थिर रहती है इस कारण मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन ही मूल्यों में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं।

यदि समाज में मौद्रिक आय आकस्मिक ढंग से बढ़ जाये और वस्तुओं व सेवाओं का परिमाण वही रहे तो सामान्य मूल्य स्तर ऊंचा हो जायेगा। इसके विपरीत यदि मौद्रिक आय में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो मूल्य स्तर पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। विनियम के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं में स्वर्ण धातु का ही प्रमुख महत्व है। इसका प्रमुख कारण है कि यह धातु तुलनात्मक दृष्टि से सीमित मात्रा में पाई जाती है, इसे बिना हानि छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है तथा विभिन्न टुकड़ों का भार प्रायः समान होता है, उपयोग में नष्ट नहीं होती तथा उसका मूल्य भी प्रायः स्थिर बना रहता है।

### मुद्रा की मांग के तत्त्व

मुद्रा की मांग को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं :—

(1) व्यापार—माल खरीदने एवं बेचने वाले व्यक्तियों की मुद्रा की आवश्यकता होती है।

(2) सट्टे के लिए—समाज के कुछ व्यक्ति सट्टा करने के लिए भी नकद मुद्रा चाहते हैं और इस कार्य के लिए वे मुद्रा की मांग करते हैं।

(3) वैदिक सेनेन—~~वैदिक सेनेन~~ करने एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी मुद्रा की आवश्यकता होती है।

(4) उद्योग—माल निर्माण करने के लिए भी पूँजी की आवश्यकता होती है। विकासशील देशों में उद्योगों के विकास के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है।

1. “Given the conditions of demand for money, its value varies inversely as the quantity available or in other words, the general level of prices varies directly as the quantity of money available”—Robertson : Money, p. 32.



## परिभाषाएं

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की प्रमुख परिभाषायें निम्नलिखित हैं—

(1) सिधसंत के अनुसार—“मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होने से मुद्रा का मूल्य विपरीत दिशा में तथा मूल्य-स्तर उगी दिशा में परिवर्तित हो जाता है।”<sup>1</sup>

(2) कीमन के अनुसार—“मुद्रा के विद्यमान परिमाण से एक निश्चित संख्या में गुणता का प्रदर्शन होता है और मूल्य स्तर उगी के अनुरूप समाधोजित होने के लिए बाध्य हो जाता है।”<sup>2</sup>

(3) मिल के अनुसार—“अन्य बातें समान रहने पर मुद्रा का मूल्य उमरी मात्रा के विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है, उमरी मात्रा में प्रत्येक वृद्धि में मूल्य में कमी तथा मात्रा में प्रत्येक कमी में मूल्य में आनुपातिक वृद्धि होती है।”<sup>3</sup>

(4) टात्रिग के अनुसार—“अन्य बातें समान रहने पर मुद्रा का परिमाण दुगुना कर देने पर कीमतें पूर्व की अपेक्षा दुगुनी तथा मुद्रा का मूल्य आधा रह जायेगा। यदि अन्य बातें समान रहने पर मुद्रा का परिमाण आधा कर दिया जाये तो कीमतें पूर्व की अपेक्षा आधी तथा मुद्रा का मूल्य दुगुना हो जायेगा।”<sup>4</sup>

(5) विवसंत के अनुसार—“मुद्रा के मूल्य या वृद्ध-शक्ति में पा उमके परिमाण की तुलना में विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हैं, जिनमें मुद्रा के परिमाण में वृद्धि या कमी, अन्य बातें समान रहने पर वस्तुओं व सेवाओं के रूप में उमकी वृद्ध-शक्ति में आनुपातिक कमी या वृद्धि कर देगे और इस प्रकार सभी वस्तुओं की कीमतों में उगी के अनुरूप वृद्धि या कमी हो जायेगी।”<sup>5</sup>

इन प्रकार स्पष्ट है कि मुद्रा की मात्रा एवं मुद्रा मूल्य में विपरीत सम्बन्ध रहता है तथा मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होने से ही मुद्रा के मूल्य में विपरीत परिवर्तन हो जाते हैं।

## परिभाषा की विशेषताएं

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की परिभाषायों की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

(1) पूर्ति व मूल्य में सम्बन्ध—मुद्रा की पूर्ति एवं वस्तु मूल्यों में सीधा सम्बन्ध रहता है। यदि मुद्रा की पूर्ति घटा दी जाये तो वस्तु मूल्यों में कमी और यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दी जाये तो वस्तु मूल्यों में भी वृद्धि हो जाती है।

(2) अन्य बातें समान रहें—अन्य बातें समान रहने पर ही मुद्रा की पूर्ति एवं मूल्यों में सम्बन्ध स्थापित कर लेंगे।

(3) विपरीत सम्बन्ध—मुद्रा की पूर्ति एवं मुद्रा के वस्तु मूल्यों में विपरीत सम्बन्ध रहता है। यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो मुद्रा का मूल्य कम और यदि मुद्रा की पूर्ति कम हो जाये तो मुद्रा का मूल्य भी बढ़ जाता है।

1. “The value of money changes inversely and the price level directly to the changes in the quantity of money.”—R. S. Sayers.

2. “The existing quantity of money must involve a definite performance of payment to which the level of prices is obliged to adjust itself.”—Gustav Cassel: The Theory of Social Economy, p. 420.

3. “The value of money, other things being the same, varies inversely as its quantity, every increase in its quantity lowering the value and every diminution raising it, in a ratio exactly equalant.”—J. S. Mill: Principles of Political Economy (1909 edition), p. 493.

4. “Double the quantity of money and other things being equal, prices will be twice as high as before and the value of money half. Half the quantity of money and other things being equal price will be one half of what they were before and the value of money double.”—Taussing: Principles of Economics, Vol. I, p. 250.

5. “The value of purchasing power of money varies in inverse proportion to its quantity, so that an increase or decrease in the quantity of money, other things being equal, will cause a proportionate decrease or increase in its purchasing power in terms of other goods, and thus a corresponding increase or decrease in all Commodity Prices.”—Wicksell: Lectures on Political Economy.

(4) आनुपातिक सम्बन्ध—मुद्रा की पूति एवं उसके मूल्य में आनुपातिक सम्बन्ध रहता है। यदि मुद्रा की पूति दुगुनी कर दी जाये तो उसका मूल्य आधा और मुद्रा की मात्रा आधी हो जाने पर उसका मूल्य भी दुगुना हो जाता है।


मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त में मुद्रा की मात्रा को कोई महत्त्व न देकर मुद्रा के परिमाण को महत्त्व दिया जाता है। इसके विपरीत वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में मात्रा एवं पूति दोनों को ही समान महत्त्व दिया जाता है और दोनों के साम्य की स्थिति पर उसका मूल्य निर्धारित हो जाता है। मिल तथा टॉसिंग का यह विचार है कि मुद्रा एवं वस्तुओं में एक निश्चित सम्बन्ध सदैव बना रहता है।

उदाहरण—इस सिद्धान्त को निम्न उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है—


### मुद्रा एवं वस्तुओं के मूल्य

वर्ष	मुद्रा की मात्रा (साख में)	वस्तुओं की मात्रा (साख में)	प्रति इकाई मूल्य	मुद्रा की एक इकाई का मूल्य
1940	20	10	2	$1/2 = 0.5$
1945	30	10	3	$1/3 = 0.33$
1950	40	10	4	$1/4 = 0.25$
1955	50	10	5	$1/5 = 0.20$
1960	60	10	6	$1/6 = 0.17$
1965	70	10	7	$1/7 = 0.14$
1970	80	10	8	0.12
1975	90	10	9	0.11

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के साथ-साथ उसके मूल्य में कमी हो जाती है और मुद्रा की मात्रा में कमी के फलस्वरूप उसके मूल्य में आनुपातिक वृद्धि हो जाती है। इसे चित्र 8-1 व 8-2 द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है।



चित्र 8-1



चित्र 8-2

## मुद्रा का परिमाणिक सिद्धान्त

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त समीकरण—दस सिद्धान्त के लिए निम्न समीकरण दिया गया—

(1) सामान्य समीकरण—

$$P = \frac{MV}{T}$$

$$PT = MV$$

यहाँ

P = सामान्य मूल्य स्तर (General Price Level)

T = व्यवसाय की मात्रा (व्यापार) (Volume of Trade)

M = चलन मुद्रा की मात्रा (Quantity of Money in Circulation)

V = मुद्रा की चलन गति (Velocity of Money)

मुद्रा की मांग को PT द्वारा मुद्रा की पूर्ति को MV द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर T तथा V को स्थिर मानकर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मुद्रा के परिमाण (M) में होने वाले परिवर्तन को मूल्य स्तर (P) पर समानुपातिक प्रभाव पड़ता है तथा मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने पर सामान्य मूल्य स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है तथा मुद्रा की मात्रा कम हो जाने पर सामान्य मूल्य स्तर भी उसी अनुपात में गिर जाता है।

'अन्य बातें समान रहें' से तात्पर्य

यह सिद्धान्त अन्य बातें समान रहने पर ही क्रियाशील होता है, जो कि निम्नलिखित हैं—

(1) वस्तु विनिमय में परिवर्तन न होना—समाज में विनिमय सम्बन्धी कार्यों मुद्रा के अभाव में भी किया जा सकता है और ऐसे वस्तु विनिमय लोगों को व्यवसाय की मात्रा में सम्मिलित नहीं किया जाता। इस सिद्धान्त के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु विनिमय की मात्रा एवं व्यवसाय की मात्रा में कोई परिवर्तन न किया जाये।

(2) मुद्रा एवं साख की गति स्थिर रहना—इस सिद्धान्त के पालन के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा एवं साख की गति में कोई परिवर्तन न हो। चलन की गति को स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन, जनसंख्या, रचिआदि में कोई परिवर्तन न किया जाये।

(3) व्यापार स्थिर रहना—इस सिद्धान्त के लागू करने के लिए यह निश्चित आवश्यक है कि मुद्रा द्वारा किये जाने वाले व्यापार की मात्रा में कोई परिवर्तन न हो।

(4) मुद्रा एवं साख-मुद्रा के अनुपात स्थिर रहना—वर्तमान समय में साख-मुद्रा का महत्व काफी बढ़ गया है और इनकी मात्रा में कमी या वृद्धि होने पर मुद्रा की मात्रा पर भी प्रभाव पड़ता है। साख मुद्रा का प्रचलन बँकों द्वारा किया जाता है जो उनके नकद कार्यों के आधार पर निर्भर करता है। चलन में मुद्रा की मात्रा के बढ़ने से बँकों में अधिक धन जमा किया जाता है तथा साख मुद्रा में भी वृद्धि हो जाती है अतः इस सिद्धान्त के लागू होने के लिए आवश्यक है कि मुद्रा एवं साख मुद्रा के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(5) मुद्रा का संचय न होना—यह माना गया है कि जितने भी नोट व सिक्के चलन में हों वे सब चलन में मौजूद हैं और उन्हें संचय करके नहीं रखा गया है।

इन समस्त बातों का वास्तविक जगत में पाया जाना कठिन होने से यह समस्त बातें भी अवास्तविक मानी जाती हैं।

## (2) फिडरर का सिद्धान्त

प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने वस्तुओं की मात्रा एवं वस्तुओं के मूल्य का सम्बन्ध मुद्रा की मात्रा से ही जोड़ा था और उन्होंने मुद्रा की चलन गति को बिलकुल ही मुला दिया। बाद के अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त में गति को भी सम्मिलित किया। किन्तु उनमें भी अपूर्णता बनी रही क्योंकि उसमें साख की मात्रा एवं साख की गति को सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसका वर्तमान अर्थव्यवस्था में काफी महत्व बढ़ गया है। इन दोषों को प्रो० इरविंग फिडरर ने दूर किया और उन्होंने

मुद्रा एवं साख की मात्रा के अतिरिक्त उसकी चलन गति पर भी ध्यान दिया और इस सिद्धान्त को निम्न समीकरण के रूप में रखा—

$$P = \frac{MV + M'V'}{T} \text{ अथवा}$$

$$PT = MV + M'V'$$

यहाँ पर—

P=सामान्य मूल्य स्तर

M=प्रचलित मुद्रा की मात्रा

V=प्रचलित चलन मुद्रा की गति।

M'=साख मुद्रा की मात्रा।

V'=साख मुद्रा की चलन गति।

T=व्यापार की कुल मात्रा।

उपर्युक्त समीकरण द्वारा मुद्रा एवं सामान्य मूल्य स्तर के मध्य के सम्बन्ध ज्ञात करने का एक उपयोगी साधन है। इस सिद्धान्त को निम्न उदाहरण द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है—

माना—

$$M = 2000$$

$$V = 8$$

$$M' = 1000$$

$$V' = 4$$

$$T = 4000$$

अब समीकरण का प्रयोग करने पर—

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

$$P = \frac{(2000 \times 8) + (1000 \times 4)}{4000}$$

$$= \frac{16,000 + 4000}{4000} = \frac{20,000}{4000}$$

$$= 5.0$$

इस प्रकार एक वस्तु की एक इकाई का मूल्य 5.0 रुपये होगा। इसी प्रकार मुद्रा की एक इकाई का मूल्य ज्ञात करने के लिए 1/5.0 अर्थात् 0.2 वस्तुएँ होगा।

फिंशर समीकरण की मान्यतायें

फिंशर की मान्यतायें निम्न प्रकार हैं—

(1) सरल मुद्रा की मात्रा का स्थिर रहना—फिंशर की यह मान्यता है कि एक निश्चित समय/वर्ष में समाज में साख मुद्रा की मात्रा प्रायः स्थिर रहती है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता।

(2) व्यापार की मात्रा में परिवर्तन न होना—अल्पकाल में व्यापार की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होने, ऐसी धारणा या मान्यता है, क्योंकि व्यापार की मात्रा उत्पादन के परिमाण, प्राकृतिक साधन आदि पर निर्भर करती है।

(3) मूल्य स्तर अप्रभावशील—इन सिद्धान्त में मूल्य स्तर एक निश्चित घटक है और यह बात अन्य घटकों से प्रभावित होती है, लेकिन स्वयं उनको निर्धारण नहीं करता।

(4) चलन गति का स्थिर रहना—मुद्रा की गति एक औसत दर है जो मुद्रा की मात्रा पर निर्भर न होकर जनता के स्वभाव, देश के आर्थिक विकास, बैंकिंग सुविधा आदि पर निर्भर करती है। दीर्घकाल में इन वस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता फलस्वरूप चलन गति स्थिर रहती है। यही नियम साख मुद्रा के सम्बन्ध में चलन गति के लिए लागू होने हैं।

(5) वस्तु विनिमय का अप्रचलन होना—गिच्छी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय अब भी विद्यमान है, परन्तु सिद्धान्त में यह माना गया है कि वस्तु-विनिमय प्रायः प्रचलित नहीं है। यदि वस्तु-विनिमय है भी तो उसकी मात्रा को स्थिर

माना गया है। अतः यह सिद्धान्त वस्तु-विनिमय को उपस्थिति तथा परिवर्तन को महत्व नहीं देता।

(6) साख-पत्र को समान मात्रा—इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि साख-पत्रों की मात्रा समान रहनी चाहिए। परन्तु व्यवहार में साख-पत्रों की मुद्रा का ही एक अंग माना गया है।

इस प्रकार किंगर ने नमूद तत्वों को स्थिर माना, परन्तु व्यवहार में यह सिद्धान्त लागू नहीं होता।

### मुद्रा की गति को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors Affecting Velocity of Circulation)

मुद्रा की गति भी स्वतंत्र न होकर निम्न तत्वों में प्रभावित होती है—

(1) मुद्रा की मात्रा—मुद्रा की मात्रा अधिक होने पर मुद्रा की गति कम होगी क्योंकि मुद्रा को बार-बार नुगडान के काम में लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार मुद्रा की मात्रा कम होने पर गति अधिक हो जाती है।

(2) मजदूरी भुगतान की अवधि—यदि मजदूरी का नुगडान साप्ताहिक या दैनिक होता है तो मुद्रा की गति तीव्र होती है। यदि वित्त मासिक मिलता है तो गति प्रायः कम हो जाती है।

(3) उधार की सुविधायें—जहाँ उधार लेनदेन की प्रथा अधिक हो वहाँ पर गति कम होती है। मुद्रा की गति पर उधार की अवधि का भी प्रभाव पड़ता है। यदि लम्बी अवधि के लिए उधार देने की प्रथा हो तो मुद्रा की गति कम हो जाती है।

(4) मूल्य स्थायित्व—मूल्यों में स्थायित्व होने पर लेनदेन ठीक चलता है, परन्तु मूल्यों में निरन्तर उतार चढ़ाव होने पर लेनदेन की गति तीव्र हो जाती है और कभी-कभी मूल्य बढ़ने की आवश्यकता में और भी बढ जाती है।

(5) देश का आर्थिक विकास—तीव्र आर्थिक विकास वाले देश में लेनदेन का ऋय तीव्र होने में गति अधिक होती है।

(6) संवार दरदम्या—देश में सवार दरदम्या उन्नत होने पर मुद्रा की गति अधिक होती है और ध्यानार की मात्रा बढ जाती है।

(7) उपभोग ऋम—उन्नता में धन बचाने की आवश्यक होने पर मुद्रा की गति कम हो जाती है क्योंकि लोग मुद्रा को सौझ ही वस्तुओं में बदल लेते हैं।

(8) भुगतान विधि—देश में भुगतान नकदी में होने पर मुद्रा की गति अधिक होगी। देश में बैंकिंग का विकास होने पर मुद्रा की गति प्रायः कम हो जाती है।

(9) ऋण की सुविधायें—ऋण की सुविधायें होने पर मुद्रा की गति कम हो जाती है।

(10) राजर्देनिक शास्त्रि—देश में शास्त्रि, प्रेम, विद्वान होने पर मुद्रा की चलन गति कम हो जाती है।

(11) ऋय की विम्व—उधार ऋय की प्रथा होने पर मुद्रा की चलन गति कम हो जाती है।

(12) द्रव्यता वनदशो—व्यक्ति द्वारा अपने दैनिक कार्यों के लिए अधिक धन रखने पर मुद्रा की चलन गति कम हो जाती है।

(13) जनसंख्या का घनत्व—देश में जनसंख्या अधिक होने पर चलन गति अधिक होगी, और जनसंख्या कम होने पर गति कम होगी।

(14) उधार की प्रति—भावी नुगडान लम्बी अवधि का हो और नुगडान बढी मात्रा में हो तो चलन गति कम होगी। छोटी मात्रा में बार-बार नुगडान करने पर गति अधिक होगी।

### सिद्धान्त की आलोचनाएं (Criticism of Theory)

समय एवं विचार सहित स्पष्ट विवेचने के उपरान्त भी इस सिद्धान्त की कुछ आलोचना की गई, प्रमुख आलोचनाएं निम्न प्रकार रगी जा सकती हैं—

(1) मुद्रा एवं मूल्य का चलन सम्बन्ध—इस सिद्धान्त का धारन मन्दी काल में नहीं हो पाता। मन्दी के समय में जबकि मौद्रिक द्रव्यारो अधिक मात्रा में मुद्रा की मात्रा चलन में छोड़ देता है तो भी मूल्यों में वृद्धि नहीं हो पाती वन्नि

इसके विपरीत मूल्यों में गिरावट आने लगती है, जबकि इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा का परिणाम बढ़ने पर मूल्यों में वृद्धि होनी चाहिए थी।

(2) समीकरण में अंतर्गति—समीकरण में  $MP$  में अतुलनीय घटकों को परस्पर गुणा करने की अवगति पाई जाती है क्योंकि  $M$  का सम्बन्ध समय में तथा  $V$  का सम्बन्ध मुद्रा में होने वाले परिवर्तन में लगाया जाता है।

(3) अज्ञातविक मान्यताएँ—समीकरण में कुछ बातों को सर्वथा अपरिवर्तनीय एवं स्वतन्त्र माना गया है, जबकि वास्तविक जीवन में यह सम्भव नहीं होता। इस सम्बन्ध में निम्न तर्क महत्वपूर्ण हैं—

(1) मुद्रा की गति—मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होने पर गति में भी वृद्धि हो जाने की सम्भावना बनी रहती है। इसके विपरीत मूल्यों में कमी हो जाने पर उनके मूल्य और अधिक गिरने की सम्भावना बन जाती है। इससे मुद्रा की गति में तिथिलता आ जाती है। उदाहरणार्थ, 1923 में जर्मनी का मुद्रा प्रसार तथा 1930 की विश्व मन्दी में मुद्रा की गति में तिथिलता आई, जबकि जता मुद्रा प्रसार में मूल्यों के बढ़ने तथा मन्दीकाल में मूल्यों के गिरने की आशंका से भयभीत रहती थी।

(ii) व्यवसाय का स्वतन्त्र न रहना—फिर यह मानकर चलते हैं कि व्यवसाय एक स्वतंत्र प्रक्रिया है और मूल्य स्तर से उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं होता। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि मूल्यों में वृद्धि होने पर व्यवसाय में वृद्धि होती है तथा मन्दी की स्थिति में मूल्य गिरने लगते हैं तथा मुद्रा की गति कम हो जाती है।

(iii) मुद्रा एवं गति का स्वतन्त्र न होना—समीकरण में यह माना गया है कि मुद्रा एवं गति दोनों ही स्वतंत्र हैं। परन्तु वास्तव में मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर उसकी गति कम हो जाती है और मात्रा कम होने पर गति बढ़ जाती है। विकासशील अर्थव्यवस्था में फिसर की धारणा गलत सिद्ध हो जाती है क्योंकि बड़ा पर मुद्रा स्कीम के प्रभाव के कारण मुद्रा की गति में तीव्रता से वृद्धि होती है और मूल्यों में भी वृद्धि हो जाती है। विकासित राष्ट्रों में मुद्रा की गति पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ पाता।

(4) मूल्यों में परिवर्तन की व्याख्या करने में असमर्थ—यह सिद्धान्त सापेक्षिक मूल्यों में मौद्रिक कारणों से होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने में असमर्थ रहता है।

(5) अनौद्रिक घटकों का प्रभाव—सिद्धान्त में यह माना गया है कि मूल्यों पर मुद्रा की मात्रा का ही प्रभाव पड़ता है वास्तव में यह सही नहीं है क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य बातों का भी प्रभाव मुद्रा के मूल्य पर पड़ता है जैसे राजनैतिक अस्थिरता, बाढ़ की परिस्थिति, भूतसून की अमरुता आदि के समय मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार यह समीकरण मूल्यों के उतार-चढ़ाव का सही विश्लेषण नहीं कर पाता।

(6) मूल्य सचय को महत्व न देना—इस समीकरण में मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम ही माना गया है और मूल्य सचय के महत्व को सर्वथा भुला दिया गया है। वास्तविक जगत में मुद्रा का उपयोग आवश्यकता की वस्तुओं की सन्तुष्टि के अतिरिक्त सावधानी एवं सट्टे के कार्यों के लिए भी होता है।

(7) परिवर्तित परिस्थितियों—यह सिद्धान्त केवल स्थिर अवस्था वाली परिस्थितियों में लागू होता है जहाँ अन्य समस्त बातें समान या स्थिर रहती हैं परन्तु वास्तविक जगत स्थिर रहकर परिवर्तनीय है और समयानुसार परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है जिसे इस सिद्धान्त में स्पष्ट नहीं किया गया है।

(8) मांग व पूर्ति नियम की उपेक्षा—सिद्धान्त में केवल मुद्रा की पूर्ति पर ही ध्यान दिया गया है तथा मांग व पूर को बिल्कुल ही भुला दिया गया है। अन्य वस्तुओं की भांति मुद्रा का मूल्य भी उसकी मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा ही निर्धारित होता है।

(9) मुद्राशापीत परिस्थिति में लागू न होना—मुद्राशापीत परिस्थितियों में जबकि मुद्रा स्कीम का सहायक नियम जाना है, उन समय उत्पादन की मात्रा में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ वृद्धि होती रहती है परन्तु अपरिष्कृत के समय जब मुद्रा की मात्रा को कम किया जाता है तो मूल्यों में आनुपातिक वृद्धि या कमी नहीं होती।

(10) परिवर्तन के कारणों की उपेक्षा—इस सिद्धान्त में यह नहीं बताया गया कि मूल्य स्तर में परिवर्तन किन कारणों से होता है। इस प्रकार मूल्य में होने वाले परिवर्तनों की उपेक्षा की जाती है।

(11) गेबाओं के सङ्गठन को भुला देना—इस सिद्धान्त में वस्तुओं के मूल्यों के परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है, परन्तु गेबाओं के लिए सङ्गठन नकद या माय के रूप में किये जाते हैं, उन्हें भुला दिया गया है।

(12) नरब्रजमा व बचन जमा के अन्तर की भुवना—इस मिद्वान्त में नरब्रज जमा एवं बचन जमा के अन्तर की स्वीकार नहीं किया गया तथा अतिविषय एवं अन्य वैकिक मुद्रियाओं को एकरूप बना दिया गया है। उन प्रकार यह एक स्पष्ट मिद्वान्त नहीं है और उन पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता।

(13) अनुमान लगाना कठिन—समीकरण में कितनी गाने दी गई हैं, उनका ठीक-ठीक अनुमान लगाना भी बहुत कठिन है क्योंकि चलन में कितनी मुद्रा है उसकी बरा गति है, साथ मुद्रा एवं उसकी गति तथा व्यवसाय की मात्रा आदि का पता लगाना महत्त्व कायं नहीं है। यह केवल कल्पना मात्र पर ही आधारित होने है, जिनमें निरर्थक भ्रमात्मक तथा अनुपुष्ट विवरण मकने हैं। इस प्रकार फिर का समीकरण एक गणितीय विवेचन मात्र है और वह वस्तु की प्रति इकाई मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ है।

(14) मुद्रों पर बाह्य प्रभाव—चलनमान समय में एक राष्ट्र में वस्तुओं के मूल्य अल्प देगों के मूल्यों में प्रभावित होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साजान प्राप्त करने के प्रयास करता है तथा अपने मूल्यों को मुलनात्मक आधार पर निश्चित करता है। ऐसी स्थिति में फिर की यह मान्यता कि मूल्य न्यून नदीव मुद्रा की मात्रा में प्रभावित होते हैं, गही नहीं है।

(15) व्यापार चक्र का प्रभाव—समीकरण में मुद्रा की पूर्ति को ही मुद्रा का निर्धारक तत्व माना गया है परन्तु व्यापार चक्र की स्थिति में मुद्रा की पूर्ति प्रायः प्रभावहीन होती है। उदाहरण के लिए तेजी बाज में सरकार द्वारा चाहे कितनी ही मात्रा में मुद्रा का संकुचन क्यों न किया जाये, फिर भी देश में वस्तुओं के मूल्यों में कमी नहीं हो पाती। इसी प्रकार मन्दी के समय में चाहे कितनी ही मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर दी जाये, परन्तु वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि सम्भव नहीं हो पाती। 1934 में अमेरिका में सरकार द्वारा चलन में अधिक मुद्रा जारी गई परन्तु जनता द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया।

(16) दीर्घकालीन महत्व—यह मिद्वान्त अल्पकाल के स्थान पर दीर्घकाल में प्रती प्रकार मायु होता है क्योंकि अल्पकाल में मुद्रा की मात्रा, गति आदि बातों का गही-गही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, जबकि मनुष्य की अल्पकाल में ही अधिक वृष्ट उठाने पड़ते हैं और दीर्घकाल में तो यह सामना करने का आदी हो जाता है। इस प्रकार यह मिद्वान्त अल्प-कालीन एवं दैनिक मानवीय क्रियाओं के प्रभाव की उपेक्षा कर देता है।

### परिमाण समीकरण की ऐतिहासिक मन्थना

फिर का समीकरण अनेक दोषों में पूर्ण होने हुए भी कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की ओर मकन करता है जो उसके मायता का प्रमाण देने हैं। यह तथ्य निम्नलिखित हैं—

(1) मन्दीकाल—1929 तथा बाद के वर्षों में मसम्भ राष्ट्रों में मन्दी का दौर आया जिसमें मुद्रा संकुचन के परिणामस्वरूप मूल्यों में तीव्र गति में कमी आयी।

(2) धातु मुद्रा का प्रभाव—19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, दक्षिणी अफ्रीका आदि में मीने एवं चाँदी की अनेक खानें खोजी गयीं। इनमें प्राप्त खोला एवं चाँदी विदेशों को निर्यात किया गया जिसकी मुद्राएं चलनर समी देगों में मूल्यों में वृद्धि हुई।

(3) मुद्राहीन स्थिति—दूसरे विश्वयुद्ध ताल में अनेक देगों में काफ़ी मुद्रा की मात्रा में बहुत वृद्धि होने से मूल्यों में भी बहुत वृद्धि हुई। भारत में भी स्थिति का प्रभाव अपने ही आन्तरिक एवं विदेशों दर पर पडा जिसमें रुपये का दो बार 1947 व 1966 में अरमूयन किया गया।

### फिर के मिद्वान्त का महत्व

अनेक कमिया होने के उपरान्त भी फिर का मिद्वान्त ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान दिलाता है। इस सम्बन्ध में निम्न तथ्य दिये जा सकते हैं—

(1) खानों की खोज—19 वीं शताब्दी में दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया अमरीका आदि राष्ट्रों में खनिज या चाँदी की नवीन खानों की खोज की गई और प्राप्त धातु को अन्य राष्ट्रों को निर्यात किया गया, जिसमें मुद्रा स्थिति हुई एवं वस्तु के

मूल्यों में भी वृद्धि हुई जो इस सिद्धान्त की सत्यता को प्रदर्शित करता है।

(2) युद्धकालीन परिस्थितियाँ—प्रथम व द्वितीय विश्वयुद्ध काल में प्रायः सभी राष्ट्रों में कागजी मुद्रा की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो गई। भारत में योजना काल में मुद्रा प्रसार के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई।


(3) मन्दी काल—1929 एवं उसके बाद के वर्षों में मुद्रा संकुचन के कारण समस्त राष्ट्रों में मन्दी की स्थिति उत्पन्न हो गई, फलस्वरूप वस्तुओं के मूल्यों में भारी गिरावट इस सिद्धान्त की सत्यता को प्रदर्शित करती है।

(4) वर्तमान युग—वर्तमान समय में भी मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त सत्य सिद्ध होता है। वर्तमान में मुद्रा एवं साख की मात्रा में वृद्धि के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि होती जा रही है जिस पर सरकार द्वारा उचित नियन्त्रण लगाने के प्रयास किये जाते हैं।


इस प्रकार स्पष्ट है कि गिरावट का सिद्धान्त कुछ मौलिक तथ्यों की अवहेलना करने के उपरान्त भी सत्यता की ओर ध्यान दिनाता है और इसी कारण प्रत्येक राष्ट्र मुद्रा की मात्रा को सीमित करके आर्थिक प्रगतिके प्रयास में लगा हुआ है।

### मुद्रा की मात्रा का मांग से सम्बन्ध

मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर कुल मांग में वृद्धि होगा तीन बातों पर निर्भर करेगा—उपभोग प्रवृत्ति, विनियोग प्रवृत्ति एवं तरलता पसन्दगी। यदि यह तीनों तत्त्व स्थिर हो तो मुद्रा में वृद्धि होने पर प्रभावपूर्ण मांग नहीं बढ़ेगी, यदि नकदी की मांग पूर्णतया लोचदार है या विनियोग प्रवृत्ति पूर्णतया ब्याज सापेक्ष है। यदि नकदी की मांग पूर्णतया ब्याज सापेक्ष है तो खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा प्रतिभूतियों के श्रय करने पर भी ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा जैसा कि चित्र 8 3 में दिखाया गया है।



चित्र 8 3




चित्र 8-4

यदि नकदी की मांग ब्याज दर के सम्बन्ध में अधिक लोचदार नहीं है तो खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने में ब्याज की दर में कमी आ सकती है जैसा कि चित्र 8 4 में दिखाया गया है।

चित्र में ब्याज दर गिरने पर भी विनियोग में वृद्धि होना आवश्यक नहीं माना है।

पूर्जी की सीमान्त उत्पादकता तीव्र गति में बढ़ने पर, ब्याज की बढ़ती हुई दर भी उसी गति को अधिक विनियोग करने में नहीं रोक पाती जैसा कि चित्र 8-5 में स्पष्ट है।

ब्याज दर 5% स्थिर होने पर भी सीमान्त उत्पादकता बढ़ाने पर विनियोग भी बढ़कर 1, 2, 3, 4 हो जाता है।



चित्र 8-5



### (3) कैम्ब्रिज समीकरण (Cambridge Equation)

कैम्ब्रिज समीकरण को कैम्ब्रिज के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के नाम के साथ जोड़ा जाता है जिनमें मार्शल, कीम्स, पीगू एवं राइटमन के नाम उल्लेखनीय हैं। इसमें मुद्रा के मूल्य गणना कार्य को अधिक महत्त्व दिया गया है। यह समीकरण हम मूल्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि गमाज में रहने वाले व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग नवदी में अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचाने पर बल देते हैं। इस प्रकार इस समीकरण में व्यक्तियों के नवदी अधिमान (liquidity preference) को अधिक महत्त्व दिया जाता है। मार्शल के शब्दों में इसे निम्न शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है।

“समाज की प्रत्येक अवस्था में जनता अपनी आय का कुछ भाग द्रव्य के रूप में संभार करना पसन्द करती है, जो कुल आय का पाँचवाँ, दसवाँ और बीसवाँ हिस्सा हो सकता है। माधनों को बड़े पैमाने पर मुद्रा में रखने में एक ओर तो लोगों की व्यवसाय करने का कार्य अधिक मूल्य एवं सुविधाजनक हो जाता है तथा दूसरी ओर मोटा करने की शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है, परन्तु दूसरी ओर पैसा करने से माधन उस आय में बँधित हो जाते हैं जो विनिर्माण करने में प्राप्त होती जैसा अतिरिक्त उपकरण या मॉडर्न आय या अतिरिक्त मशीनरी या पशु के रूप में विनिर्माण रहित। अपनी आय को मुद्रा के रूप में संचित करने का निर्णय करने समय मनुष्य मर्दान्ता द्वारा प्राप्त होने वाली सुविधा की तुलना उस हानि में करता है जो उसे आय तथा धन को एकत्रित करने में प्राप्त नहीं होती।”

### सिद्धान्त की प्रमुख बातें

इस सिद्धान्त की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं —

(1) मुद्रा परम्परा—मनुष्य अपनी आय को द्रव्य के रूप में रखना अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि उसे जीवना से प्राप्त किया जा सकता है तथा बदले में निगी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा की माँग पर मुद्रा परम्परा का भी अधिक प्रभाव पड़ता था।

(2) मुद्रा की माँग—मुद्रा का स्वयं कोई महत्त्व नहीं है परन्तु उसे विनिर्माण के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का एक भाग दैनिक व्ययों को पूरा करने के लिए नरद रूप में रखना चाहता है जिसमें समाज में मुद्रा की माँग में वृद्धि हो जाती है।

(3) भव्य बानों का प्रभाव पड़ना—वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने पर जनता अपने पैसा नरद रूप में रखना पसन्द करती है। धन का वितरण समान हो जाने पर मुद्रा की माँग बढ़ जाती है। समाज में मात्र मुद्रा का प्रयोग बढ़ने में लोग अपने पास नरद मुद्रा रूप में कम मात्रा में रखना पसन्द करते हैं। मुद्रा की गति कम हो जाने पर मुद्रा की माँग बढ़ जाती है। आय प्राप्त होने तथा व्यय करने में जितना अधिक समय लगेगा, उतनी ही अधिक मात्रा में द्रव्य को अपने पैसा रखने की आवश्यकता बढ़ेगी। देन में जनसंख्या में वृद्धि हो जाने पर मुद्रा की माँग में वृद्धि एवं कमी हो जाने पर माँग में कमी हो जाती है। मन्दी काल में लोग रुपये को ध्यावार में लगाने के स्थान पर अपने पैसा रखना अधिक पसन्द करते हैं। इसके विपरीत तेजी काल में उधार रुपये लेकर भी व्यवसाय में लगाने के प्रयास किये जाते हैं।

1. "In every state of society there is some fraction of their income which people find it worthwhile to keep in the form of currency, it may be a fifth or a tenth or a twentieth. A large command of resources in the form of currency renders their business easy and smooth and put them at an advantage in bargaining, but on the other hand it locks up in a barren form resource that might yield an income, or gratification if invested, say, in extra furniture; or money income, if invested in extra machinery or cattle. A man fixes the appropriate fraction after balancing one against another the advantages of a further ready command and the advantages of putting more of his resources into a form in which they yield him no direct income or other benefit"—Marshall I. Money, Credit and Commerce, 1 IV 3.

इस प्रकार कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की मात्रा के स्थान पर मुद्रा की मांग को अधिक महत्व दिया गया है।

### मुद्रा की मांग

समाज में मुद्रा की मांग निम्नलिखित बातों से प्रभावित होती है

(1) मूल्य—समाज में वस्तुओं व सेवाओं से मूल्य ऊँचे होने पर मुद्रा की मांग अधिक हो जाती है अथवा मुद्रा की मांग कम रहती है।

(2) राष्ट्रीय आय का वितरण—आय का समान वितरण मुद्रा की मांग को बढ़ा देता है। आय का वितरण विषमतापूर्ण होने पर निचले वर्ग की आय कम होकर मुद्रा की मांग भी कम हो जाती है।

(3) जनसंख्या में वृद्धि—जनसंख्या में वृद्धि होने से वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और उससे मुद्रा की मांग बढ़ जायेगी।

(4) आय की अवधि—जनता की आय नियमित होने पर मुद्रा की मांग कम हो जाती है। आय प्राप्ति की सम्बन्धी अवधि होने पर मुद्रा की मांग अधिक और अवधि कम होने पर मुद्रा की मांग कम होगी।

(5) आर्थिक उन्नति—देश में आर्थिक विकास की गति सन्तोषप्रद होने पर मुद्रा की मांग अधिक होगी। आर्थिक विकास की गति सिध्द होने पर मुद्रा की मांग भी कम हो जायेगी।

### कैम्ब्रिज सिद्धान्त के समीकरण

इस सिद्धान्त को विभिन्न समीकरणों के रूप में रखा गया, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है—

(1) मार्शल का समीकरण—मार्शल की यह धारणा थी कि समाज में व्यक्त अपनी आय का कुछ भाग नकद में रखना पसन्द करते हैं और यही नकद राशि देश में प्रचलित कुल मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करती है। इस प्रकार मुद्रा की मांग की जाने वाली मात्रा का कुल वार्षिक आय एवं सम्पत्ति की मात्रा में एक स्थिर अनुपात में एक सम्बन्ध होता है। इसे समझाने के लिए एक समीकरण दिया गया जो कि निम्न प्रकार है—

$$M = Ky + K'A$$

यहाँ—

M = कुल चलन की मुद्रा

y = कुल वार्षिक आय

K = वार्षिक आय का वह भाग जो जनता नकद में अपने पास रखना चाहती है।

K' = जनता की सम्पत्ति का वह भाग जिसे जनता नकद में रखना चाहती है।

A = सम्पत्ति का कुल मूल्य।

उपरोक्त समीकरण में आय भाग एक सम्पत्ति भाग दो पृथक्-पृथक् हिस्से किये गये। जनता जो भाग सम्पत्ति के रूप में निर्माण करती है उसे भी वह समय-समय पर व्यय करना चाहती है और इसी कारण उसका कुछ भाग नकद के रूप में रखना चाहती है परन्तु व्यवहार में यह पाया गया है कि लोग अपनी आय का एक भाग ही उपभोग में व्यय कर पाते हैं। मार्शल के परन्तु उसके समकक्षों ने समीकरण में से सम्पत्ति वाले भाग को अनावश्यक समझकर मुला दिया और उस समीकरण को निम्न रूप में रखा गया—

$$M = Ky$$

इसी समीकरण को मुद्रा के मूल्य के रूप में व्यक्त करने पर इस प्रकार निष्पत्ति—

$$M = PKy \quad \text{अथवा}$$

$$P = \frac{Ky}{M}$$

परन्तु बीसवें शताब्दी के अन्त में सिद्धान्त में यह माना है कि पूर्ण रोजगार की अवस्था से पूर्ण मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण उत्पादन में वृद्धि होगी है। देश में बेरोजगारी का अस्तित्व रहने पर रोजगार की मात्रा में परिवर्तन मुद्रा की मात्रा के

$K$  = वास्तविक आय का वह भाग जो मुद्रा के रूप में रखा जाता है।

$M$  = मुद्रा की इकाइयों की समस्त मात्रा।

$P$  = सामान्य मूल्य स्तर।

इसी समीकरण में पीगू ने साख मुद्रा को भी सम्मिलित किया और नवीन समीकरण को निम्न प्रकार रखा—

$$P = \frac{M}{KR} [c + h(1-c)]$$


महा—

$c$  = कुल मुद्रा का वह अंश जो नकद में रखा जाता है।

$1-c$  = कुल मुद्रा का वह भाग जो बैंको में जमा किया जाता है।

$h$  = बैंको में जमा का वह भाग जो नकद रूप में रखा जाता है।

मुद्रा की माग वक्र आयताकार हारबरबोला (जब शक्ति की मुद्रा की मात्रा से गुणा करने पर गुणफल समान रहे) होता है इसलिए  $x$  अक्ष  $y$  अक्ष के समीप तक पहुँच जाता है, परन्तु उसे कभी छू नहीं सकता जैसा कि चित्र 8-7 में बताया गया है—



चित्र 8-7

मुद्रा की मात्रा दुगुनी कर देने पर मुद्रा का मूल्य बाधा रह जाता है। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मात्रा का फलन है। अतः मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से मूल्य स्तर में सीधे व अनुपाती परिवर्तन हो जाते हैं। चित्र 8-7 में  $DD$  माग वक्र है जो नीचे की ओर गिरता हुआ है।  $S_1$  व  $S_2$  पूर्ति वक्र हैं। चित्र 8-7 से स्पष्ट है कि मुद्रा की पूर्ति  $OP$  से बढ़कर  $OA$  होने पर मूल्य  $AN_1$  से घटकर  $AN$  रह जाता है। चूँकि माग वक्र आयताकार हाइपरबोला है अतः मुद्रा के मूल्य में ये परिवर्तन एक ही अनुपात में हुए हैं।

व्यवहार में साख मुद्रा को ही मुद्रा में ही सम्मिलित करके इसके सरल रूप अर्थात्  $P = \frac{M}{KR}$  को ही प्रयोग किया जाता है। पीगू ने  $K$ ,  $R$ ,  $c$  तथा  $h$  को स्थिर माना है, इससे सरल समीकरण को रखना ही अधिक उचित माना जाता है।

उदाहरण—माना—

- (i) देश की राष्ट्रीय आय or  $R = 400$  करोड़ रुपये
- (ii) देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा or  $M = 120$  करोड़ रुपये
- (iii) जनता द्वारा रखा गया नकद कोष or  $K = 80$  करोड़ रुपये।

(प्रतिशत में)

$$\begin{aligned} \text{इसलिए, वस्तु की प्रति इकाई मूल्य} &= P = \frac{M}{KR} \\ &= \frac{120}{400 \times \frac{80}{100}} = \frac{120}{320} \\ &= 0.37 \text{ रुपये} \end{aligned}$$

$$\text{मुद्रा की प्रति इकाई का मूल्य} = P = \frac{KR}{M}$$

$$\text{or } P = \frac{400 \times \frac{80}{100}}{120} = \frac{320}{120}$$

$$= 2.67$$

मूल्य घातें—पीगू के समीकरण की प्रमुख बातें निम्न है—

(i) मुद्रा की मांग केवल ब्यावसायिक कार्यों के लिए ही नहीं होती, घरन् जनता की मंचय करने की इच्छा पर भी निर्भर करती है।

(ii) तेजी के समय जनता अपनी आय को नवीन व्यवसायों में लगाकर मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देती है, जिससे मूल्य स्तर ऊंचा हो जाता है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है।

(iii) मन्दी के दिनों में मुद्रा का संघय बढ़ जाता है व मुद्रा की मांग बढ़ती है, जिससे कीमतें गिर जाती है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है।

(iv) मुद्रा का उपयोग केवल वस्तुएं खरीदने में ही नहीं होता, बल्कि मूल्य के संघय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।

आलोचनाएं—पीगू के समीकरण की मुख्य आलोचनाएं निम्न है।

(i) यह समीकरण विभिन्न उद्देश्यों के लिए रखी जाने वाली निक्षेपों पर ध्यान नहीं देता है।

(ii) पीगू ने प्रसाधनों एवं चालू आय को एक जैसी चीज समझकर अन्धा नहीं किया।

(iii) पीगू ने केवल नकदी में होने वाले परिवर्तन पर ही ध्यान दिया और बचत व विनियोग के परिवर्तनों पर कोई ध्यान नहीं दिया।

(iv) पीगू ने मुद्रा के मूल्य संचय कार्य का ही वर्णन किया है और विनियम माध्यम वाले कार्य को भुला दिया गया है।

(v) पीगू ने केवल गेहू के मूल्यों से ही मुद्रा का मूल्य मापने का प्रयास किया है जो कि उचित नहीं है।

मासॉल, राबर्टसन एवं पीगू की समीकरणों को एक साथ रखने पर निम्न प्रकार तुलना की जा सकती है—

	वस्तु की एक इकाई का मूल्य	मुद्रा की एक इकाई का मूल्य
(i) मासॉल का समीकरण :	$P = \frac{M}{Ky}$	$P = \frac{Ky}{M}$
(ii) राबर्टसन का समीकरण :	$P = \frac{M}{KT}$	$P = \frac{KT}{M}$
(iii) पीगू का समीकरण :	$P = \frac{M}{KR}$	$P = \frac{KR}{M}$

यहां पर—

$P =$  मूल्य

$M =$  कुल मुद्रा की मात्रा

$K =$  वार्षिक आय का वह भाग जो नरद में रखा जाता है।

$y =$  कुल वार्षिक आय

$R =$  कुल वार्षिक आय

$T =$  समस्त ब्यापारिक लेनदेन।


पीगू के अनुसार "जीवन की सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य विधिब्राह्म मुद्रा की आवश्यकता अपने दायित्वों के भुगतान करने के लिए प्रकट करता है। अधिकांश व्यक्ति उन दायों को प्राप्त करना चाहते हैं जो कि उनके पक्ष में परिणव होते हैं। लेकिन इस प्रकार के दायित्व एक दावे जो किसी समय देय होते हैं, रायद ही एक दूसरे की पूर्ति करते हैं और इस प्रकार का भुगतान विधि ब्राह्म मुद्रा के हस्तांतरण द्वारा ही सम्भव हो सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने साधनों को नकदी में पर्याप्त मात्रा में रक्ष कर रक्षना पसन्द करता है कि उसने जीवन के सामान्य व्यवहारों को पूर्ण किया जा सके तथा

अप्रत्याशित मांगों (unexpected demands) के प्रति उसे सुरक्षा प्राप्त हो सके।<sup>1</sup> इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मनुष्य अपने साधनों को नकदी के रूप में रखना अधिक पसन्द करता है जिससे उसे कठिनाइयों से सुरक्षा प्राप्त हो सके।

(iv) कीन्स का समीकरण—वास्तविक शेष दृष्टिकोण (Real Balances Approach)—कैम्ब्रिज के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स ने परिमाण सिद्धान्त के लिए समीकरण का एक नवीन रूप प्रस्तुत किया। कीन्स के अनुसार मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन मूल्य स्तर को प्रभावित करते हैं जिसे निम्न प्रकार रखा गया है :—

मुद्रा की मात्रा में वृद्धि—व्याज दर में कमी—विनियोग में वृद्धि—उत्पादन रोजगार में वृद्धि—लोगों की आय में वृद्धि—मूल्यों में वृद्धि—मुद्रा के मूल्य में कमी।

जब तक अर्थव्यवस्था में अप्रयुक्त साधन हैं, मुद्रा पूति में वृद्धि के कारण मूल्य में वृद्धि न होकर उत्पादन में वृद्धि होती है, पूर्ण रोजगार प्राप्त होने पर कीमत में मुद्रा की मात्रा के अनुपात में परिवर्तन होने लगता है, जैसा कि चित्र 8 8 से स्पष्ट है।



चित्र 8.8

चित्र 8 8 (अ) में मुद्रा की पूति O से बढ़कर OA होने पर OM वस्तु की मात्रा उत्पन्न हो जाती है। चित्र 8 8 (ब) में मूल्य के मुद्रा की पूति का सम्बन्ध दिखाया गया है। जैसे ही कुल व्यय ON से अधिक होता है वैसे ही कुल व्यय में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि से मूल्य इसी अनुपात में बढ़ जाते हैं और मूल्य वक्र ऊपर की ओर जाने वाली सरल रेखा का रूप धारण कर लेता है। इस समीकरण को वास्तविक शेष (Real Balances) समीकरण भी कहते हैं। यह समीकरण निम्न प्रकार है :

$$n = P (K + rK')$$

$$\text{अथवा } P = \frac{M}{K + rK'}$$

यहाँ—

$n$  = चलन में नकद कोष की मात्रा।

$P$  = वस्तु की एक दुबाई का मूल्य।

$K$  = वस्तुओं व सेवाओं का अनुपात जो समाज द्वारा नकद में रखा जाता है।

$r$  = बैंकों द्वारा नकद में रखे गये राशि का अनुपात।

$K'$  = वस्तुओं व सेवाओं की संख्या, जिसे समाज बैंक में जमा के रूप में रखना चाहता है।

1. 'In the ordinary course of life, people are continually needing to make payment in discharge of obligations contracted in terms of legal tender money. Most people save also a flow of claims that are simulary maturing in their favour. But the obligation and the claims that become due at any moment seldom exactly cancel one another, and the difference has to be met by the transfer of titles to legal tender. Hence everybody is anxious to hold enough of his resources in the form of titles to legal tender both to enable him to effect the ordinary transactions of life without trouble and to secure him against unexpected demands.'—J. M. Keynes : A Treatise on Money, p. 230-231.

विशेषता—कीन्स के समीकरण की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं :—

(i) उपभोग हेतु जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें इकाइयों कहते हैं।

(ii) प्रत्येक व्यक्ति उपभोग वस्तुओं की खरीद के लिए अपने पास आवश्यक रूप से मुद्रा का एक भाग नकदी में अवश्य रखता है।

(iii) आवश्यकतानुसार मुद्रा का कुछ भाग बैंको में जमा के रूप में भी रखा जाता है।

(iv) बैंक भी समस्त प्राप्त जमा का केवल एक भाग ही अपने पास नकदी के रूप में रखते हैं।

(v) अल्पकाल में मुद्रा रखने की आदत में परिवर्तन न होने से  $K$ ,  $K'$  एवं  $r$  स्थिर माने गये हैं तथा मुद्रा की मात्रा के आधार पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाते हैं।

कीन्स समीकरण के गुण—कीन्स के समीकरण के मुख्य गुण निम्न हैं :—

(1) अल्पकाल में लागू—कीन्स का यह समीकरण मुद्रा के मूल्य में अल्पकालीन परिवर्तनों को नापने में भी सहायता करता है। अधिकतम समीकरण केवल दीर्घकाल में ही लागू होते हैं।

(2) अधिक मुक्ति समतल—कीन्स ने मुद्रा की माग को अधिक महत्व दिया है और उनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति ही मूल्य को निर्धारित करती है। वास्तविक जीवन में यही अधिक महत्वपूर्ण है कि जनता जितनी मुद्रा चाहती है। कीन्स इसी तथ्य को माय्यता प्रदान करते हैं।

(3) उपभोग का महत्व—कीन्स यह मानते हैं कि मुद्रा की माग विभिन्न वर्गों द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए की जाती है। वह व्यवहार में मुद्रा को ही महत्व प्रदान करते हैं। समाज में उपभोग के लिए जो धन मागा जाता है। उसी को नकदी के रूप में रखने का अध्ययन कीन्स करते हैं।

जनता की अपने पास नकदी रखने की प्रवृत्ति एवं बैंक की नकद कोष रखने की नीति ही मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करती है। इस प्रकार “ $K$  एवं  $K'$ ” की मात्रा अतः समाज की सम्पत्ति तथा अभाव उसकी आदतों पर निर्भर करती है, और इस आदत का निर्धारण नकदी से प्राप्त होने वाली मुविधा एवं विनियोग करने से प्राप्त लाभ के तुलनात्मक अध्ययन से किया जाता है।<sup>1</sup> यदि जनता में अपने पास अधिक मात्रा में नकदी रखने की आदत है तो  $K$  का मूल्य अधिक तथा  $K'$  का मूल्य कम हो जायेगा। इसके विपरीत यदि मुद्रा अपने पास रखने के स्थान पर बैंक में रखना उचित माना जाता है तो  $K'$  का मूल्य अधिक हो जायेगा।  $r$  का मूल्य बैंक की कोष नीति द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि  $K$ ,  $K'$  तथा  $r$  के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मुद्रा की मात्रा  $\{M\}$  एवं मूल्य स्तर  $\{P\}$  में एक प्रयत्न सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। कीन्स का समीकरण मार्शल एवं पीगू के समीकरणों के समान ही माना जाता है।

इस समीकरण का मात्रा की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से इसका काफी महत्व है। “नकद कोष की मात्रा बैंको के निर्णय पर निर्भर करती है तथा उन्हीं के द्वारा इसे बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार वास्तविक कोष की मात्रा जमा करने वालों के निर्णय पर निर्भर करती है और उन्हीं के द्वारा स्थापित की जाती है। मूल्य स्तर इन दोनों निर्णयों का ही परिणाम है तथा इसे नकद कोष एवं वास्तविक कोष के अनुपात द्वारा मापा जाता है।”<sup>2</sup>

अतोद्योग—मार्शल एवं पीगू के समीकरणों की भांति कीन्स का समीकरण भी दोष मुक्त नहीं है। इसके प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं—

1. “The amount of  $K$  and  $K'$  depends partly on the wealth of the community, partly on its habits, and that its habits are fixed by its estimation of the extra convenience of having more cash in hand as compared with the advantages to be got from spending the cash or investing it.”  
—J. M. Keynes . A Treatise on Money, p. 223.

2 The volume of cash balances depends on the decisions of the bankers and is created by them. The volume of real balances depends on the decisions of the depositors and is created by them. The price level  $\{P_1\}$  is the resultant of the two sets of decisions and is measured by the ratio of the volume of cash balances created to that of the real balances created.”—J. M. Keynes : op cit, p. 254.

(1) इस समीकरण में  $P$  मुद्रा की सामान्य त्रय गणित का माप करने में असमर्थ रहती है। मुद्रा को केवल बर्तमान उपयोग वस्तुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही गणित करके रखा जाता है। परन्तु यह धारणा सत्य नहीं है क्योंकि समाज में मुद्रा का उपयोग केवल उपयोग के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि अनेक प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिसे कीन्स ने मूला दिया।

(2) कीन्स ने यह माना कि प्रत्येक व्यक्ति नकदी का उपयोग वस्तुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही करता है। परन्तु व्यवहार में व्यक्ति नकदी का उपयोग भावी आकस्मिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए भी करता है। इसमें नकदी अधिमान के सट्टेबाजी के उद्देश्य को सर्वथा मूला दिया है, जिसे वाद में कीन्स ने ही स्वीकार करके सुधारा।

(3) कीन्स ने  $K$ ,  $K'$  तथा  $r$  को स्पष्ट मानकर  $n$  एवं  $p$  में सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया है। परन्तु यह सत्य नहीं है क्योंकि अल्पकाल में भी व्यक्तियों की आदतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन सम्भव हो सकते हैं और इस कारण  $n$  व  $p$  में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना सम्भव नहीं होगा।

(4) कीन्स के समीकरण में मुद्रा की गति को कोई स्थान नहीं दिया गया है। मुद्रा की गति एक अनिश्चित तत्व है, जिसका सही अनुमान लगाना अत्यन्त कठिन हो जाता है।

इन दोषों के फलस्वरूप ही कीन्स ने एक नया समीकरण प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार—

$$P = \frac{M}{C}, \text{ यहाँ पर}$$

$P$  = मूल्य

$M$  = कुल मुद्रा

$C$  = वस्तुओं के लिए रखी गयी नकद राशि।

इस समीकरण में भी कोई नवीनता नहीं पायी जाती।

फिदर एव कैम्ब्रिज के समीकरणों की तुलना :

फिदर एव कैम्ब्रिज के समीकरणों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

$$(i) \text{ फिदर का व्यावसायिक समीकरण } P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

(ii) कैम्ब्रिज का समीकरण—

$$(अ) \text{ मार्शल का समीकरण : } M = Ky + K'A$$

$$(ब) \text{ रावर्टसन का समीकरण . } M = PKT$$

$$(स) \text{ पीगू का नकद शेष समीकरण . } P = \frac{M}{KR}$$

$$(द) \text{ कीन्स का वास्तविक शेष समीकरण : } P = \frac{n}{K + rK'}$$

इन समीकरणों की तुलना निम्न प्रकार की जा सकती है :—

समानता—दोनों समीकरणों में निम्न समानता पाई जाती है—

(1) मूल्य स्तर की समानता—दोनों प्रकार की विचारधाराओं में  $P$  मूल्य स्तर को ही प्रकट करता है। इस प्रकार तीनों ही समीकरणों में मूल्य स्तर को  $P$  द्वारा ही प्रकट किया गया है।

(2) समाज चिन्तों का प्रयोग—दोनों ही समीकरणों में मुद्रा की गति ( $V$ ) एवं नून आय का नकद प्रतिगन ( $K$ ) की समान स्थिति है। मुद्रा को संचय करने की गति को  $V$  तथा नकद राशि को अपने पास रखने को  $K$  द्वारा प्रकट किया गया है। दोनों में केवल उल्लेख करने के सम्बन्धों अन्तर है। इस प्रकार,

$$V = 1/K \text{ या } K = 1/V$$

(3) संचयन के व्यवहारों की समानता—फिदर ने अपने समीकरण में  $T$  का प्रयोग व्यापारिक संचयन के व्यवहारों के लिए किया है। इसी प्रकार  $K$ ,  $R$  तथा  $K + rK'$  मुद्रा की उस मात्रा की ओर संकेत करता है जो संचयन

सम्बन्धी कार्यों के लिए व्यक्ति द्वारा अपने पास तथा बैंक के पास रखे हुए रूप में रखा जाता है। इस प्रकार पीगू एवं वीन्स का नकद कोष (T) का ही मौद्रिक स्वरूप प्रकट करता है।

(4) मुद्रा की मात्रा की समानता—फिगर एवं कैम्ब्रिज समीकरण दोनों में मुद्रा की मात्रा 'को ही मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। फिगर ने मूल्य निर्धारण में मुद्रा की पूर्ति को तथा कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की मांग पर अधिक जोर दिया गया है।

(5) मुद्रा पूर्ति—फिगर ने मुद्रा की पूर्ति के लिए  $MV + M'V'$ , पीगू ने  $M$  तथा वीन्स ने  $n$  को मुद्रा की पूर्ति के लिए उपयोग किया है। इस प्रकार इन समीकरणों में मुद्रा पूर्ति की समानता पाई जाती है। इस सम्बन्ध में निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं

(अ) मुद्रा की गति—फिगर ने मुद्रा एवं मास-पत्रों की गति के लिए क्रमशः  $V$  एवं  $V'$  का प्रयोग किया है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की गति का वही भी उल्लेख नहीं है। फिगर ने गति उल्लेख करने पर भी  $T$  की गति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

(ब) मुद्रा एवं साख—फिगर ने मुद्रा एवं साख को प्युयर्स्युयक् ढंग में प्रयोग किया है जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में साख मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है।

### फिगर एवं कैम्ब्रिज समीकरण में अन्तर

फिगर एवं कैम्ब्रिज समीकरण में मुख्य अन्तर निम्न प्रकार है—

(1) मुद्रा की मांग का अन्तर—कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की मांग पर अधिक जोर दिया गया है। फिगर ने मूल्य स्तर (P) का निर्धारण मुद्रा के परिमाण से मागा है जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में मूल्य स्तर पर जनता की मुद्रा की मांग (K) में परिवर्तन होने का प्रभाव पड़ता है।

(2) गति एवं नकद कोष का अन्तर—फिगर के समीकरण में मुद्रा की गति को अधिक महत्व दिया गया है। इसके विरुद्ध कैम्ब्रिज समीकरणों में नकद कोषों पर अधिक जोर दिया गया है। रावटमन के अनुसार फिगर समीकरण का सम्बन्ध उठवी हुई मुद्रा से तथा कैम्ब्रिज समीकरण बँटी मुद्रा से लगाया है।

(3) सेनदेन सम्बन्धी अन्तर—फिगर का समीकरण मुद्रा की तात्कालिक मन्त्रियता को महत्व देता है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में निवृत्त मावी सेनदेन को महत्व दिया जाता है। वास्तव में वर्तमान एक भविष्य दोनों समयों में मुद्रा का प्रयोग कितना होगा, इस निर्णय पर देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है।

(4) समय सीमा का अन्तर—फिगर ने दीर्घकाल से ध्यान में रखकर व्याख्या की है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरणों में अल्पकाल या तात्कालिक प्रियाओं को अधिक महत्व दिया गया है।

(5) वित्तीय नियोजन का अन्तर—फिगर का समीकरण मुद्रा की नियमित सन्त्रियता की ओर ध्यान देता है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में वर्तमान एवं भविष्य के लिए वित्तीय नियोजन को महत्व दिया जाता है। इस प्रकार वित्तीय नियोजन सम्बन्धी अन्तर दोनों समीकरणों में पाया जाता है।

(6) मूल्य स्तरों का अन्तर—वीन्स ने मूल्य स्तर का संकेत सामान्य मूल्य स्तर में लिया है, जबकि नकद कोष समीकरण में मूल्य स्तर का अर्थ उपयोग वस्तुओं के मूल्य स्तर में लिया गया है।

### कैम्ब्रिज समीकरण की श्रेष्ठता

कैम्ब्रिज के समीकरण फिगर की समीकरण से श्रेष्ठ माने गये हैं। इसकी प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

(1) इच्छता पसन्दगी—कैम्ब्रिज समीकरण मनुष्य को सामान्य प्रकृति प्रवृत्ता पसन्दगी को महत्व देता है किसे वर्तमान समय में रोजगार एवं विनियोग का आधार माना गया है।

(2) M व K को महत्व—फिगर के समीकरण में मुद्रा (M) को अधिक महत्व दिया गया है। जनता द्वारा मुद्रा की मांग (K) में वृद्धि या कमी बाजार में तत्काल अमर ढालती है, फलस्वरूप मूल्यों में तीव्र गति से उच्चावचन होने लगते हैं। इस प्रकार M के स्थान पर K को ही अधिक महत्व दिया जाता है। विकासशील राष्ट्रों में अर्थात् मूल्य स्तर में



जन्दी-जल्दी परिवर्तन होते हैं वहा K का महत्व और भी अधिक है।

(3) मुद्रा-संग्रह प्रवृत्ति का संकेत—कैम्ब्रिज समीकरण मुद्रा मग्रह करने की प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाता है और इसका प्रभाव वस्तुओं के मूल्यों पर भी पड़ता है। मुद्रा सङ्कुचन के समय द्रव्य रखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और मुद्रा स्थिति के समय यह प्रवृत्ति कम हो जाती है।

(4) माग व पूर्ति की विवेचना—फिशर का समीकरण मुद्रा की पूर्ति को आधार मानकर एकतरफा एवं मंकीय बना गया है। इसके विपरीत कैम्ब्रिज समीकरणों में मुद्रा की माग एवं पूर्ति दोनों को ही समान महत्व दिया गया है।


(5) विभिन्न तरहों की जानकारी सरल—फिशर के समीकरण में V एवं T की जानकारी प्राप्त करना कठिन है और M व V में सम्बन्ध स्थापित करना भी सम्भव नहीं है। इसके विपरीत कैम्ब्रिज समीकरण में K एवं R को ज्ञात करना अपेक्षाकृत सरल है।

(6) आय को विशेष महत्त्व—वर्तमान समय में समाज का व्यय, आय पर आधारित होता है। कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा के अतिरिक्त आय को विशेष महत्त्व दिया गया है जो कि रोजगार, विनियोग एवं उत्पादन आदि के प्रतीक माने जाते हैं।

(7) भावी भुगतान का आधार एवं संग्रह का माध्यम—कैम्ब्रिज समीकरण में मनुष्य के भावी भुगतानों के आधार तथा मग्रह के माध्यम को विशेष महत्त्व दिया गया है।

(8) व्यक्तियों का व्यवहार—नकद-क्षेप समीकरण से व्यक्तियों के व्यवहार का वर्णन किया जा सकता है। व्यक्ति की भिन्न-भिन्न आय पर नकदी की राशि निम्न प्रकार से भिन्न-भिन्न हो सकती है।

आय	नकदी
4000	2000
2000	1000
1000	500
800	400
200	100
100	50



चित्र 8-9 में AA व LL जहा बाटते हैं वहा O बिन्दु सम्बुलन आय का स्तर है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य आय स्तर पर मुद्रा की माग मुद्रा की पूर्ति के बराबर नहीं होगी।

इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि "यह सत्य नहीं है जैसा कि कहा जाता है, कि नकद क्षेप समीकरण नवीन बीजगणितीय परिधान में पुराना मुद्रा परिमाण सिद्धान्त ही है"।

### कैम्ब्रिज समीकरण की आलोचनाएं

कैम्ब्रिज समीकरण भी दोषों से मुक्त नहीं है। इसकी प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं—

(1) प्रवैगिक अध्ययन की समस्या—यह एक पूर्णरूप से मौद्रिक सिद्धान्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह मूल्यों की प्रवैगिक प्रवृत्ति का अध्ययन करने में असमर्थ है तथा विद्वद की जटिल व कठिन आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए अपने आरक्षी असमर्थ मानता है।

1 "It is not true, as is often alleged, that the 'cash balance' equation is merely the Quantity Theory in new algebraic dress."—Hansen

(1) टूक के विचार (Conception of Tooke)—आन मिदलान्त का समर्थन सर्वप्रथम टूक ने किया<sup>1</sup>, जिसके अनुसार मूल्य का निर्धारण मुद्रा की मात्रा द्वारा न होकर आय द्वारा होता है। इस प्रकार मुद्रा का परिमाण मूल्यों का ही परिणाम होता है। त्रिण प्रकार किन्हीं वस्तु की पूँति का निर्धारण उनकी लागत व्यय के आधार पर होता है, उसी प्रकार उपभोग वस्तुओं पर व्यय की जाने वाली मौद्रिक आय ही माँग की सीमा को निर्धारित करती है। इस प्रकार उपभोग वस्तुओं की माँग द्वारा आय का स्तर निर्धारित होता है। यदि मजदूरी में वृद्धि कर दी जाये तो एक तरफ़ लॉ लागत व्यय बढ जायेगा और दूसरी तरफ़ ऊँची मजदूरी ने माँग बढ़ेगी व मूल्यों में वृद्धि होगी। इसे निम्न समीकरण के रूप में रखा जा सकता है—

समीकरण—

$$P_c = \frac{D_c}{O_c}$$

यहाँ पर—

$P_c$  = उपभोग वस्तुओं का मूल्य ।

$D_c$  = उपभोग वस्तुओं की माँग ।

$O_c$  = उपभोग वस्तुओं की पूँति ।

(2) अन्वतिथन के विचार (Income Theory of Aftalian)—अन्वतिथन ने सन् 1925 में आय मिदलान्त की विवेचना एक समीकरण की सहायता से की जो कि निम्न प्रकार है—

समीकरण—

$$R = PQ \quad \text{अथवा}$$

$$P = \frac{Q}{R}$$

यहाँ पर—

$R$  = मौद्रिक आय की मात्रा ।

$P$  = मूल्य स्तर ।

$Q$  = मन्त्र में कुल उत्पादन ।

इस समीकरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि मौद्रिक आय एवं वास्तविक आय के अनुपात पर मूल्यों में परिवर्तन सम्भव हो सकता है। वास्तविक आय में कोई परिवर्तन होने पर यदि मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है तो उनके फलस्वरूप मूल्य स्तर में वृद्धि होगी। इसके विपरीत मौद्रिक आय में कमी होने पर मूल्य स्तर में भी कमी हो जाती है। इस प्रकार इस समीकरण में वास्तविक आय को अपरिवर्तनीय माना गया है।

(3) विकसेल की विचारधारा (Wicksell Analysis)—स्वीडन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विकसेल ने टूक के मिदलान्त को आधार मानकर अपने मुद्रा एवं मूल्य सिद्धान्त का विचार किया। इनने आय की मात्रा को वास्तविक व्याज दर एवं मौद्रिक व्याज दर पर निर्भर माना। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब वास्तविक व्याज दर मौद्रिक व्याज दर के बराबर होती है तो आय में परिवर्तन नहीं होगा और मूल्य भी स्थिर होंगे। यदि व्याज दर वास्तविक व्याज दर से अधिक है तो बचत अधिक होगी त्रिणने आय में गिरावट हो जायेगी, फलस्वरूप मूल्य में कमी होगी। इसके विपरीत यदि व्याज दर वास्तविक व्याज दर से कम हो तो विनियोग अधिक एवं बचत कम होंगे, फलस्वरूप आय में एवं मूल्यों में भी वृद्धि होगी।

विकसेल के सिद्धान्त के दोष—

विकसेल के सिद्धान्त में प्रमुख दोष निम्न हैं—

(i) एकराश्रीय—इस सिद्धान्त में विनियोग पर ही अधिक जोर दिया गया है तथा उपभोग की उपेक्षा की

1. टूक ने इसे अपनी पुस्तक 'An Enquiry into the Currency Principle (1844, pp. 123-124) में किया।

गई है जिसने यह एक्टरना है।

(ii) मुद्रक की अक्षयता—इन सिद्धान्त में मुद्रक पर ध्यान नहीं दिया गया है, जो कि आय एवं मूल्य स्तर पर अधिक प्रभाव डालता है।

(iii) धात्र दर की अक्षयता—रुब बाउ का ध्यान नहीं रखा गया कि विनिमय को प्रभावित करने में व्याज की दर भी अनन्त हो सकती है।

(iv) बैंकों की शक्ति को अधिक महत्व—विनिमय को ही धात्र के लिए कारण माना गया है, जिससे बैंकों की शक्ति की आवश्यकता ने अधिक महत्व प्रदान किया गया है।

प्रमुख तत्व—आय समीकरणों के आधार पर कुल व्यय अनेक कारणों से प्रभावित होती है जैसे अनसख्या में वृद्धि, कुशल वैकिंग व्यवस्था, प्रतिस्पर्धा की मात्रा, वर प्रणाली, विवाह व शादी की संख्या, देश में उरल साधनों की उप-सधि आदि।

देश में आय दो प्रकार के लेनदेन के व्यवहार किये जाते हैं—प्रथम वर्ग में वे तीरे सम्मिलित किये जाते हैं जिनसे उत्पादन विना कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता तथा दूसरे वर्ग में वे लेनदेन सम्मिलित होते हैं जिनसे उत्पादन को प्रोत्साहन मिले। निर्यात के समीकरण में केवल वे लेनदेन ही सम्मिलित किये गये जिनसे उत्पादन को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता और उन्हें MV द्वारा ही मापा गया। इनके विपरीत आय समीकरणों में केवल उन मोर्दों को ही महत्व दिया गया जिनमें निर्माण कार्य सम्मिलित होते हैं। आय समीकरण के अनेक रूप हैं, परन्तु प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं—

आय समीकरण—

$$PyTy = MVy \text{ अथवा}$$

$$MVy = PyTy \text{ अथवा}$$

$$Vy = \frac{PyTy}{M} \text{ या}$$

$$Py = \frac{MVy}{Ty}$$

जहाँ पर—

M = मुद्रा की समस्त मात्रा।

Ty = उत्पादन की गई वस्तुओं की मात्रा।

Py = उत्पादित वस्तुओं का सूचकांक (Price Index)।

Vy = मुद्रा की आय गति (Velocity)।

इन समीकरण के आधार पर आय गति (Vy) का पता लगाना बहुत ही आसान है जिससे समझ करने में बहुत आसानी होती है।

V एवं Vy के अन्तर है क्योंकि V नवीन व पुराने मान को धरौदने से प्रयोग की गई मुद्रा को दर्शाता है, जबकि Vy केवल नवीन उत्पादन की गई वस्तुओं को धरौदने से ही प्रयोग की जाती है।

जब देश में उत्पादन तेजी से किया जाता है तो लेनदेन एवं व्यय की गति बढ़ जाती है और वहाँ अनसख्या के माननिक बाजारपर धरौदने प्रभाव पड़ता है। परन्तु शासकीय संसाधन में आय गति की दर कम होती है तथा बाधुनिक मात्रा में यह गति अधिक होती है। आय समीकरण में आय को ही आधार माना गया है, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह मुद्रा का सही सूचकांक करने में असमर्थ रहती है।

व्यवहार में यह कहना अनुचित होगा कि देश की अर्थव्यवस्था पर मुद्रा के परिमाण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रा एक ठोस स्कीमि का अरु सदैव बना रहता है और सरकार को इन सम्बन्ध में सावधान होना पड़ता है।

## मौलिक समीकरणों की आलोचना

कीन्स के मौलिक समीकरणों की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

(1) मूल्य परिवर्तन की ध्रुव विधि की अस्पष्टता—कीन्स के मौलिक समीकरण मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की क्रम विधि को स्पष्ट करने में अयमर्थ रहते हैं, जिसमें असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(2) अम्पिर धर्यव्यवस्था—कीन्स की सन्तुलन की परिभाषा उत्पादन स्तर के अनुकूल होने पर भी मन्दी काल में निम्न उत्पादन स्तर पर बचत एवं वित्तियोग में सन्तुलन नहीं रहता, परिणामस्वरूप धर्यव्यवस्था अम्पिर हो जाती है। व्यवहार में बचत एवं वित्तियोग की समतता की आर्थिक स्थिरता के बनाव में भी प्राप्त किया जा सकता है।

(3) स्थिर परिस्थितियों में सारू होना—कीन्स के मौलिक समीकरण प्रायः स्थिर परिस्थितियों में सारू होने हैं, जबकि हमारा संसार गतिशील है, जहाँ आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप परिवर्तन रहते हैं और उन परिवर्तित परिस्थितियों का मूल्यांकन करना अत्यन्त कठिन हो जाता है।

(4) समभावधि का अस्मात्त विचार—कीन्स ने यह माना है कि किसी समभावधि की आय उसी उपभोग की जाने वाली वस्तुओं को उत्पादन लागत से सम्बन्धित होती है। परन्तु वास्तव में जिन वस्तुओं का उत्पादन मान में होता है उनका उपभोग आज न होकर भविष्य में किया जायेगा, इसी प्रकार जिन वस्तुओं का उपभोग (पूरा है, उनका उत्पादन उससे पूर्व की अवधि में किया गया होगा। इन सत्य को कीन्स ने अपने समीकरण में उल्लेख नहीं किया।

(5) मौलिक समीकरण  
(Fundamental Equations)

कीन्स का मौलिक समीकरण :

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की समस्त समीकरणों में मुद्रा की कुल माग या पूति को ही एक साथ रखा गया है। इस मुद्रा का कितना भाग उपभोक्ता पदार्थों तथा कितना पूजी के रूप में विनियोग हुआ है इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

बाद में कीन्स ने इस मत का प्रतिपादन किया कि मानवीय उपभोग एवं मानवीय श्रम ही मौलिक तत्त्व हैं जिनसे आर्थिक लेनदेन को महत्व प्राप्त हो जाता है। कीन्स ने मुद्रा मूल्य के निर्धारण के लिए दो नवीन समीकरण प्रदान की जो निम्न प्रकार हैं—

$$(i) \quad P = \frac{E}{O} + \frac{I' - S}{R}$$

इसी प्रकार द्वितीय समीकरण निम्न प्रकार है—

$$(ii) \quad \pi = \frac{E}{O} + \frac{I - S}{O}$$

यहां पर—

$P$  = पदार्थों का मूल्य।

$E$  = समाज की कुल आय।

$O$  = देश में उत्पादन की गई वस्तुओं व उनकी इकाइया।

$I'$  = आय का वह भाग जो विनियोग पदार्थों के उत्पादन से प्राप्त हो जाता है।

$S$  = बचत।

$R$  = बाजार में विक्री हेतु उपभोक्ता माल तथा सेवाओं की मात्रा।

इस समीकरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल उत्पादन तथा मूल्य स्तर निम्न बातों से प्रभावित होता है—

$$(i) \quad \frac{E}{O} = \text{उत्पादन की प्रति इकाई का लागत-व्यय।}$$

$$(ii) \quad \frac{I - S}{O} = \text{नवीन पूंजीयन के मूल्य तथा बचत का सम्बन्ध।}$$

### मौलिक समीकरण के गुण

कीन्स के मौलिक समीकरण के मुख्य गुण निम्न हैं—

(1) व्यापार चक्र—इन समीकरणों का प्रयोग व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को समझाने में किया गया है। इसके द्वारा व्यापारचक्रीय अवस्था में मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को व्याज दर तथा प्राकृतिक व्याज दर के असन्तुलन से सम्बन्धित किया गया है।

(2) मुद्रा की पूंति को महत्व नहीं—कीन्स के इस समीकरण में मुद्रा की पूंति को कोई महत्व नहीं दिया गया और उसके स्थान पर उत्पादन (O), उपभोग (R), बचत (S), आय विनियोग (I'), व आय (E) को महत्व दिया गया है। इस प्रकार इसमें पुराने जड तत्वों के स्थान पर उदार नये व प्रवैगिक तत्वों का समावेश किया गया है।

इस सिद्धान्त में केवल मुद्रा की पूंति को ही महत्व नहीं दिया गया बल्कि उसके स्थान पर अन्य बातें जैसे उपभोग, उत्पादन, बचत एवं विनियोग आदि को भी महत्व दिया जाता है। कीन्स का समीकरण मुद्रा परिमाण सिद्धान्त का ही एक सुधार हुआ रूप है। कुछ लोगों का कथन है कि कीन्स का समीकरण फिशर के समीकरण का ही परिवर्तित रूप है। इस प्रकार किन्स का समीकरण मुद्रा परिमाण सिद्धान्त को नया रूप प्रदान करता है। विनासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसे भौतिक व्याज दर एवं वास्तविक व्याज दर की धारणा से मितता-पुनता कह सकते हैं।

## मौलिक समीकरणों की आलोचना

कीन्स के मौलिक समीकरणों की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

- (1) मूल्य परिवर्तन की क्रम विधि की अस्पष्टता—कीन्स के मौलिक समीकरण मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की क्रम विधि को स्पष्ट करने में असमर्थ रहते हैं, जिससे असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- (2) अस्थिर अर्थव्यवस्था—कीन्स की सन्तुलन को परिभाषा उत्पादन स्तर के अनुकूल होने पर भी मन्दी काल में निम्ना उत्पादन स्तर पर बचत एवं विनियोग में मन्तुलन नहीं रहता, परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाती है। व्यवहार में बचत एवं विनियोग की समानता को आर्थिक स्थिरता के अभाव में भी प्राप्त किया जा सकता है।
- (3) स्थिर परिस्थितियों में लागू होना—कीन्स के मौलिक समीकरण प्रायः स्थिर परिस्थितियों में लागू होते हैं, जबकि हमारा संसार गतिशील है, जहाँ आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप परिवर्तन होते रहते हैं और उन परिवर्तित परिस्थितियों का मूल्यांकन करना अत्यन्त कठिन हो जाता है।
- (4) समयावधि का भ्रमात्मक विचार—कीन्स ने यह माना है कि किसी समयावधि की आय उसी अवधि में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की उत्पादन लागत से सम्बन्धित होती है। परन्तु वास्तव में जिन वस्तुओं का उत्पादन वर्तमान में होता है उनका उपयोग आज न होकर भविष्य में किया जायेगा, इसी प्रकार जिन वस्तुओं का उपभोग किया जा चुका है, उनका उत्पादन उससे पूर्व की अवधि में किया गया होगा। इस सत्य को कीन्स ने अपने समीकरण में ठीक ढंग से उल्लेख नहीं किया।
- (5) व्याज की दर का दोषपूर्ण उपयोग—कीन्स ने अपने मौलिक समीकरण में व्याज दर को ही व्यापार की स्थिति एवं मूल्य स्तर पर नियंत्रण रखने का एकमात्र साधन माना है। कीन्स की यह धारणा थी कि बैंक दर में परिवर्तन करके केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की आर्थिक अस्थिरता को समस्या का समाधान कर सकती है। परन्तु बाद में विशेषकर मन्दी के समय यह गलत सिद्ध हुआ और अब व्याज की दर के स्थान पर कीन्स ने स्वयं पूँजी की सीमान्त उत्पादकता एवं सार्वजनिक व्यय को अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण माना।
- (6) मानसिक अन्वेष के साधन मात्र—इन समीकरणों को वर्तमान सांख्यिकी शास्त्र की अवस्था में सरलता से निर्यात नहीं किया जा सकता है। कीन्स के मौलिक समीकरणों का कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं है और वे मानसिक अन्वेष के साधन मात्र ही माने जाते हैं।
- (7) नवीनता का अभाव—कीन्स के मौलिक समीकरणों में नवीनता का अभाव पाया जाता है। कीन्स ने स्वयं इन दोषों को स्वीकार करते हुए लिखा है कि “यह समस्त समीकरण केवल विधिवत् है, वे केवल एकरूप तथा स्वयं सिद्ध बचन हैं, जो कुछ भी नहीं बताते, इस प्रकार वे द्रव्य के परिमाण सिद्धान्त के ही भिन्न रूपों के समान हैं।”<sup>1</sup> इस प्रकार ये समीकरण प्राचीन समीकरणों की तुलना में उत्तम नहीं माने जा सकते।
- (8) स्थिर उत्पादन को अव्यक्तिक मान्यता—कीन्स के मौलिक समीकरण उत्पादन की अवास्तविक मान्यता पर आधारित होने के कारण पूर्ण नहीं हैं, क्योंकि यह समाज में पूर्ण रोजगार की आदर्श स्थिति होने पर ही सम्भव हो सकता है। इसी प्रकार इन समीकरणों में मुद्रा की पूँति में परिवर्तन होने से उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन लाना सम्भव नहीं होता। इस प्रकार कीन्स के मौलिक समीकरण अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण चूटिपूर्ण हैं।
- (9) मूल्य स्तर में परिवर्तन वाली शक्तियों का अभाव—कीन्स के मौलिक समीकरण उन समस्त शक्तियों की व्याख्या करने में असमर्थ रहते हैं जो मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को प्रोत्साहित करते हैं। मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के लिए अन्य शक्तियों का अध्ययन करना भी आवश्यक है जिसे इन समीकरणों में छोड़ दिया गया है।
- (10) परिभाषायें दोषपूर्ण हैं—मौलिक समीकरणों में कुल बचत उत्पादन लागत व मूल्यों के अन्तर को हानि या लाभ द्वारा प्रदर्शित किया गया है परन्तु यह विचार एवं परिभाषायें दोषपूर्ण हैं।
- (11) स्थिर अर्थव्यवस्था में लागू होना—कीन्स के मौलिक समीकरण स्थिर अर्थव्यवस्था में ही लागू होते हैं,

i. “All these equations are purely formal; they are mere identities; truisms which tell us nothing in themselves. In this respect, they resemble all other versions of the Quantity Theory of Money.”—J. M. Keynes : A Treatise on Money, Vol. I, p. 138.

- (3) रावटंगन के विचार ।
- (4) कोन्स का सिद्धान्त ।

### (1) प्रतिष्ठित सिद्धान्त

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यह धारणा थी कि मजान में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहती है क्योंकि पूँज के बढ़ने के साथ-साथ माग में भी स्वयं वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप मजान में उत्पादित किया गया समस्त माल सरलता से बिक जाता है। इनका यह मन रहा है कि मजान में अति उत्पादन एवं सामान्य बेरोजगारी की स्थिति रहना सम्भव नहीं है। समाज में श्रमिकों की माग बढ़ जाने पर नवीन श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं और मजदूरी कम हो जायेगी, साथ ही व्यय घट जायेगा, व मूल्य गिरने में समस्त निमित्त माल सरलता से बिक जायेगा। बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति होने पर बेरोजगारी की मात्रा कम हो जायेगी। यदि इस सम्बन्ध में सरकार हस्तक्षेप करती है तो बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धान्त का सम्बन्ध सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त से लगाया जा सकता है जबकि सीमान्त उत्पादकता गिरने पर मजदूरी की दरों में कमी कर दी जाती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के पूर्ण रोजगार सिद्धान्त को जे० बी० स के सिद्धान्त में तुलना की जा सकती है जिनमें उन्होंने यह माना कि पूँज स्वयं माग की सृष्टि करती है। इस प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति पूर्ण रोजगार की स्थिति मानी जाती है, जिनमें बचत एवं विनियोग में समानता स्थापित करने के प्रयास किये जाते हैं।

### आलोचनाएँ

प्रतिष्ठित सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएँ निम्न हैं—

(1) अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित—प्रतिष्ठित सिद्धान्त की विचारधारा अनेक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है जो वास्तविक जीवन में सही सिद्ध नहीं हो पाती। यह समझा गया कि मजान में जो भी बचत होती है, वह समस्त विनियोजन कर दी जाती है। परन्तु यह सम्भव नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण बचत का विनियोग सम्भव नहीं है। बचत प्रायः समाज की आय पर निर्भर करती है। आय बढ़ने पर बचत में वृद्धि होती है। यह धारणा कि व्याज दर में वृद्धि से विनियोग में बचत के अनुपात में वृद्धि होगी, गलत है।

(2) विनियोग की सूद पर निर्भरता अत्यन्त—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यह धारणा थी कि समाज में विनियोग की मात्रा व्याज की दर पर निर्भर रहती है। परन्तु यह धारणा अनग्न्य है क्योंकि विनियोग पूँजी की मात्रा, पूँजी की सीमान्त उत्पादकता एवं व्याज की दर के पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर करती है। सर्वप्रथम बचत में वृद्धि होकर, व्याज दर में कमी होना, विनियोग बढ़ने एवं आय में वृद्धि होने का क्रम व धारणा सत्य नहीं है। समाज की आय का निर्धारण बचत एवं विनियोग द्वारा ही नहीं होता, बल्कि अन्य तन्कों का भी प्रभाव पड़ता है जिसे मूना दिया गया है। आय का निर्धारण उपभोग की प्रवृत्ति, पूँजी की सीमान्त उत्पादकता, मुद्रा की राशि एवं मुद्रा नबय की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। मजान में बचत में वृद्धि होने पर वस्तुओं की माग गिर जाती है, फलस्वरूप विनियोग में वृद्धि न होकर आय में कमी में होगी।

(3) व्याज दर को अनावश्यक महत्व—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपने सिद्धान्त में व्याज दर को अनावश्यक रूप में महत्व दिया है और व्याज को ही इस सिद्धान्त का मुख्य आधार माना है, जो उचित प्रतीत नहीं होता।

(4) बचत व विनियोग की समानता—प्रतिष्ठित सिद्धान्त में इस बात पर ध्यान दिया गया कि केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही बचत एवं विनियोग की समानता पाई जाती है, परन्तु यह धारणा सही नहीं है।

### (2) विक्रमेल एवं ओहिलिन के विचार

विक्रमेल जिन्हें मार्शल के साथ नवयुगवादी सम्प्रदाय का मद्रस्य माना जाता है, ने टुक के विनियोग की ही आधार मानकर उसे अपने द्रव्य एवं मूल्य के सिद्धान्त का प्रमुख अंग बनाया था। "मूल्यों में सामान्य वृद्धि होना केवल उनी समय

सम्भव है जबकि सामान्य माग प्रति से अधिक हो गई हो या अधिक हो जाने की सम्भावना हो।<sup>1</sup> द्रव्य को मात्रा में परिवर्तन का सामान्य मूल्य स्तर पर उसी समय प्रभाव पड़ सकता है जबकि निजी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ा हो। इस प्रकार इसने द्रव्य एवं मूल्यों के सिद्धान्त में व्यक्तिगत कीमतों को महत्व देकर अर्थव्यवस्था के मौद्रिक अंगों को जो पहले धृक् थे, एक साथ जोड़ दिया।

इन अर्थशास्त्रियों ने वचन एवं विनियोग धाराणाओं को वास्तविक एवं प्रत्याशित दो अर्थों में प्रयोग किया है। वास्तविक विचार के अनुसार वचन एवं विनियोग भूतकाल की चीजें समझी गईं एवं उन्हें सदा बराबर मांगा गया। समीकरण के रूप में वचन एवं विनियोग दोनों ही आय—उपभोग (y—c) के बराबर माने गये। प्रत्याशित दृष्टि से आय, वचन एवं विनियोग के सम्बन्ध में भावी अनुमान लगाये जाते हैं। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भविष्य में विशेष आय प्राप्त करने की योजना बनाता है और उसी के अनुरूप विनियोग करता है। व्यक्तिगत व फर्मों आदि के सामूहिक योग के आधार पर सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए अनुमान लगाये जाते हैं। वचन एवं विनियोग में समानता न होने पर वास्तविक आय उसके प्रत्याशित आय से भिन्न होती है। इस अन्तर को अप्रत्याशित आय एवं अत्रत्याशित विनियोग या आय वृद्धि है। यदि विनियोग वचन से अधिक हो, तो वास्तविक आय भी अनुमानित आय से अधिक होगी। समाज में आयोजित वचन एवं अत्रत्याशित आय वास्तविक विनियोग के बराबर होती है। इस प्रकार वास्तविक विनियोग बराबर होंगे। प्रत्याशित दृष्टि से वचन एवं विनियोग में अन्तर होता है परन्तु वास्तविक दृष्टि में यह दोनों सदैव समान होते हैं।

### आलोचना

इन अर्थशास्त्रियों के विचारों की कई दृष्टि से आलोचना की गई, जो कि निम्न प्रकार है—

(1) व्याज की दर पर अवलम्बित—सिद्धान्त में वचन एवं विनियोग को व्याज की दर पर अवलम्बित माना गया है, परन्तु यह धारणा पूर्णतः सही नहीं है।

(2) असंतोषजनक सामंजस्य प्रक्रिया—इनके सिद्धान्तों में वचन एवं विनियोग में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया भी उचित एवं संतोषप्रद नहीं है।

(3) व्याज दर पर निमित्त भ्रमात्मक धारणा—वचन एवं विनियोग की धारणा व्याज की दर पर ही आधारित रही है, जो वास्तव में सही नहीं है।

(4) विरलेपण का अभाव—वचन एवं विनियोग की असमानता से समाज की सम्पूर्ण माग प्रभावित होती है जिससे आय एवं रोजगार में परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार से उनमें विरलेपण का अभाव पाया जाता है।

### (3) राबर्टसन के विचार

राबर्टसन के अनुसार समाज में वचन एवं विनियोग में सदैव असमानता बनी रहती है और देश को आर्थिक ध्यवस्था पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति को जो आय आज प्राप्त होती है वह कल व्यय की जायेगी। आज की आय को उपार्जित आय माना जाता है जो कल व्यय होगी जिसे व्ययसाध्य आय कहा गया है। अतः आय एवं व्यय का अन्तर ही वचन माना जाता है। इसी प्रकार किसी विशेष दिन जो धन विनियोग किया जाये उसे उन दिन का विनियोग कहेंगे। यदि वचन के अतिरिक्त अन्य साधनों से भी धन निकालकर विनियोग किया जाये तो ऐसा विनियोग वचन की मात्रा से अधिक होगा, और उस दिन की उपार्जित आय व्ययसाध्य आय से अधिक होगी और मुद्रा-स्फीति की सम्भावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि वचन विनियोग की अपेक्षा अधिक हो तो वर्तमान की उपार्जित आय उपार्जित-आय-ध्यय से कम होगी और वह व्ययसाध्य आय से भी कम होगी, फलस्वरूप देश में अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

1. "A general rise in prices is therefore only conceivable on the supposition that the general demand has for some reason become or is expected to become, greater than the supply."—Knut Wicksell: Lectures on Political Economy Vol. II, Money, pp. 159-160



साम्य की स्थिति को प्रदर्शित करता है।<sup>11</sup>

कीन्स ने बचत एवं विनियोग का अध्ययन दो दृष्टि में किया है जो कि निम्न है—

(i) लेखागत समानता (Accounting equality)

(ii) कार्यगत समानता (Functional equality)

(i) लेखागत समानता—राष्ट्र की आय की गणना करते समय वास्तविक बचत एवं विनियोग को सदैव समान

या बराबर माना गया है। कीन्स ने बचत को वर्तमान आय एवं उपभोग के अन्तर के बराबर माना है। इसी प्रकार विनियोग को आय का वह अंश माना है जो उपभोग पर व्यय न होकर अन्य पूंजीगत सामग्री पर व्यय किया जाता है। इस दृष्टि से बचत एवं विनियोग की विभाण पृथक् पृथक् होती हैं तथा जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा विविध प्रकार से इन्हें सम्पन्न किया जाता है। व्यक्तिगत दृष्टि से इनमें अन्तर होना माना जाता है, परन्तु समाज की दृष्टि से इन्हें समान माना जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति की बचत दूसरे व्यक्ति की अ-बचत से सन्तुलन हो जाने की प्रवृत्ति रखती है, जिससे बचत एवं विनियोग में समानता बनी रहती है। इस विचार को बीजगणित के रूप में निम्न प्रकार रखा जा सकता है :-

	$Y = C + I$	अथ $y = C + S \dots (i)$
अथवा	$I = y - C$	
अथवा	$S = y - C$	$Y = C + I \dots (ii)$
	$I = S$	

यहाँ पर,  $Y =$  कुल आय (Total Income)  
 $I =$  विनियोग (Investment)  
 $S =$  बचत (Savings)  
 $C =$  उपभोग (Consumption)

इस समीकरण में बचत एवं विनियोग को बराबर ही माना गया है। समाज की सम्पूर्ण आय (y) उपभोग की मात्रा (अर्थात् C) तथा विनियोग की मात्रा (अर्थात् I) से प्राप्त होती है। अन्य शब्दों में  $y = C + I$  समाज की कुल आय का वह भाग जो उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन द्वारा प्राप्त हो वह आय की उस मात्रा से बराबर होता है, जो कि उपभोग की वस्तुओं पर व्यय किया जाये। इसी प्रकार विनियोग, मुद्रा की उम मात्रा को प्रदर्शित करता है जो पूंजीगत वस्तुओं पर ही व्यय की जाये। इस प्रकार समाज की कुल बचत (अर्थात् S) को कुल आय एवं उपभोग के अन्तर (अर्थात्  $y - C$ ) के बराबर होता है, और चूँकि विनियोग (अर्थात् I) भी कुल आय व उपभोग के अन्तर (अर्थात्  $y - C$ ) के बराबर होती है तो बचत एवं विनियोग को बराबर माना जाता है अर्थात्  $S = I$ ।

आय सिद्धान्त में निहित बातें

1. आय से आराम मौद्रिक आय एवं वास्तविक आय दोनों से होता है।

2. कुल व्यय कुल उत्पादन मूल्य को सूचित करता है जिससे उपभोग वस्तुओं की विक्री से प्राप्त कुल आय और विनियोग वस्तुओं की विक्री से प्राप्त कुल आय के बराबर होती है। सूत्र रूप में  $y = C + I$

3. मौद्रिक आय समाज की व्यय करने की क्षमता को निर्धारित करती है और समाज का कुल व्यय उत्पादन के स्तर व रोजगार को निर्धारित करता है।

4. कुल प्रभावपूर्ण मांग से आराम कुल व्यय से होता है। सूत्र रूप में  $E = C + I$

5. किसी भी देश की कुल आय उसके कुल व्यय के बराबर होती है।

इस प्रकार किसी भी समयावधि में मुद्रा का मूल्य एक ओर मौद्रिक आय और दूसरी ओर वास्तविक आय के प्रवाह पर निर्भर होता है। सूत्र रूप में

$$P = \frac{y}{O}$$

1. "The Keynesian Saving and Investment schedules are to general equilibrium analysis what the Marshallian supply and demand curves are to partial equilibrium analysis."—Prof. Kurihara, Quoted by L. M. Roy : Money and Monetary Institutions, 1966, p. 147.

जहाँ पर,

P=सामान्य मूल्य स्तर ।

y=भौतिक आय ।

O=वास्तविक आय ।

इस प्रकार लेखागत दृष्टि से बचत एवं विनियोग में समानता का अर्थ यह होगा कि अर्थशास्त्र में जनता की धन-राशि विनियोग करने की इच्छा एवं बचत करने की इच्छा में समानता नहीं होगी, उन समय तक उत्पादकों को रोजगारी एवं उत्पादन में निरन्तर परिवर्तन करने होंगे। ऐसे परिवर्तन करने पर ही वे अपने लाभ की मात्रा को अधिकतम सीमा तक ले जा सकेंगे। ऐसे परिवर्तन उस समय तक होंगे रहेंगे जब तक की अर्थव्यवस्था सन्तुलन की स्थिति तक नहीं पहुँच जाती और बचत एवं विनियोग की मात्रा समान नहीं हो जाती।

(ii) बचत में समानता—इस समानता के निर्धारण के लिए बचत एवं विनियोग की सूची का निर्माण किया जाता है और ये सूचना आय के आधार पर बनाई जाती है। समाज की बचत एवं विनियोग समाज की आय पर निर्भर करती है और आय में परिवर्तन सामूहिक बचत एवं विनियोग में समानता लाई जा सकती है। यद्यपि बचत एवं विनियोग एक-दूसरे पर निर्भर न होकर स्वतन्त्र होते हैं, फिर भी इन दोनों में समानता आय के द्वारा ही स्थापित की जा सकती है। इस प्रकार बचत एवं विनियोग समाज पर ही निर्भर करते हैं तथा इनमें समानता भी आय के द्वारा ही लाई जा सकती है। इसे निम्न सूची द्वारा समझाया जा सकता है—

### सूची

विनियोग सूची		बचत सूची	
विनियोग	आय	बचत	आय
90	600	100	600
80	500	80	500
40	200	20	200

इस प्रकार आय के परिमाण के आधार पर ही बचत एवं विनियोग में समानता लाई जा सकती है। यदि समाज में बचत विनियोग से अधिक है तो समाज की आय में कमी की प्रवृत्ति पाई जायेगी क्योंकि बचत अधिक होने पर मांग में कमी होगी। फलस्वरूप उत्पादन व रोजगार में कमी होकर आय घटेगी व उससे बचत घटेगी व बचत एवं विनियोग में समानता स्थापित होगी। बचत एवं विनियोग में समानता होने पर अर्थव्यवस्था में सन्तुलन स्थापित होता है। बचत व विनियोग में समानता अनूप रोजगार-स्तर पर भी हो सकती है। इसके विपरीत यदि विनियोग बचत से अधिक है तो मांग में वृद्धि होगी, उत्पादन व रोजगार बढ़ेगा व आय में वृद्धि होगी। आय बढ़ने से बचत में वृद्धि होगी व बाद में सन्तुलन में एक स्थिति कायम हो जायेगी जिनमें बचत एवं विनियोग में समानता स्थापित हो। बचत एवं विनियोग के पारस्परिक सम्बन्धों में परिवर्तन होने से आय में भी परिवर्तन होता है, फलस्वरूप इन दोनों में समानता स्थापित हो जाती है। इन प्रकार बचत एवं विनियोग का सिद्धान्त सम्पूर्ण मांग के सिद्धान्त पर ही आधारित माना जाता चाहिए। समाज की मांग उपभोग एवं विनियोग से ही बनती है। यदि विनियोग स्थिर हो और उपभोग में वृद्धि कर दी जाये तो बचत कम होगी एवं विनियोग अधिक हो जायेगा। फलस्वरूप मांग में वृद्धि होकर आय एवं रोजगार में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होने से बचत में भी वृद्धि होगी, परिणामस्वरूप बचत एवं विनियोग फिर से बराबर हो जायेंगे। इनके विपरीत विनियोग स्थिर रहने पर यदि उपभोग में कमी कर दी जाये तो बचत में वृद्धि होगी व समस्त मांग भी गिर जायेगी, परिणामस्वरूप आय में कमी होकर बचत गिरेगी व बचत एवं विनियोग में समानता स्थापित हो जायेगी। बचत एवं विनियोग में समानता रोजगारी के विभिन्न स्तरों पर सम्भव हो सकती है। यह आवश्यक भी नहीं है कि बचत एवं विनियोग में समानता होने से समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाये तथा बचत एवं विनियोग में सामञ्जस्य सर्वत्र आय में परिवर्तन में ही स्थापित हो पाता है।


देश में बचत की मात्रा पर बचतकर्ता की आय, उनकी पारिवारिक सदस्यता, व्याज की दर एवं दूरदृष्टिता

पर निर्भर करती है। समाज में आय अधिक हो जाने पर बचत बढ़ जाती है तथा आय कम होने पर बचत भी कम हो जाती है। इसी प्रकार परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जाने पर बचत कम हो जाती है। यदि बाजार में ध्याज की दर बढ़ा दी जाये तो भी बचत में वृद्धि हो जाती है।

विनियोग की मात्रा ध्यापरियों के निर्णयों, लाभ सम्बन्धी आयाए, उद्योगों के साधनों के पुरस्कार व भावी नीतियों आदि पर निर्भर करता है। यदि ध्याज दर बढ़ा दी जाये तो बचत में वृद्धि अवश्य होती है, परन्तु विनियोग कम हो जाते हैं। देश में भौतिक आय में परिवर्तन लाकर बचत एवं विनियोगों की मात्रा में समानता स्थापित की जा सकती है।

बचत एवं विनियोग में असाम्यता के परिणाम

(1) जब विनियोग बचत में अधिक हो ( $I > S$ )—विनियोग बचत में अधिक हो तो उत्पादन बढ़ता है, अधिकों को रोजगार मिलता है व आय तथा उपभोग में वृद्धि हो जाती है जिसमें मूल्य स्तर बढ़ जाता है। अतः आय बढ़ने पर बचत भी बढ़ने लगती है और बचत व विनियोग के मध्य का अन्तर घटने लगता है। रोजगार व आय में उस समय तक वृद्धि होती है जब तक बचत बढ़कर पुन विनियोग के बराबर न आ जाये। इसे चित्र 9.1 द्वारा दिखा सकते हैं।  $SS$  व  $II$  रेखा  $P$  बिन्दु पर काटती है जो सन्तुलन बिन्दु है। विनियोग बढ़ने पर  $I'I'$  रेखा बचत को  $P'$  पर काटती है तो बचत व विनियोग के मध्य नया सन्तुलन  $P'$  है व नया आय का स्तर  $P'M'$  है।



चित्र 9.1

बचत व विनियोग का साम्य बिन्दु  $P$  है और आय का स्तर  $PM$  है। बचत में वृद्धि होने पर ( $S'S'$ ) पर नया साम्य बिन्दु  $P'$  है और आय का स्तर  $P'M'$  है। अतः जब बचत विनियोग में अधिक हो तो दोनों के बीच में समानता अपेक्षाकृत नीची आय के स्तर पर होती है।

(3) बचत स्थिर हो और विनियोग कम हो—ऐसी स्थिति में बचत विनियोग में कम होगी और सन्तुलन एक निम्न आय के स्तर पर होगा। इसे पृष्ठ 124 पर दिये चित्र 9.3 द्वारा भी दिया जा सकता है—

चित्र में  $II$  व  $SS$  रेखा  $P$  बिन्दु पर काटती है जो सन्तुलन बिन्दु है और आय का स्तर  $PM$  है। विनियोग कम होने तथा बचत स्थिर होने पर सन्तुलन  $P'$  है और आय का स्तर  $P'M'$  है। अतः नया सन्तुलन अपेक्षाकृत कम आय के स्तर पर होता है।


कोन्स के सिद्धान्त को विशेषताएं

कोन्स के आय एवं बचत व विनियोग सिद्धान्त को प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं—

(1) समाज की आय—समाज की आय में वृद्धि होने से उपभोग एवं बचत में भी वृद्धि सम्भव होगी है।

(2) पूर्ण रोजगार—देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति की कल्पना की जाती है। समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न न होने पर, आय में वृद्धि होने पर मूल्य-स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि जितनी मात्रा में आय में वृद्धि होती है, उतनी ही वृद्धि उत्पादन में सम्भव हो जाती है।

(2) जब बचत विनियोग से अधिक हो ( $S > I$ )—बचत विनियोग से अधिक होने पर उत्पादन कम कर दिया जायेगा जिसमें रोजगार व राष्ट्रीय आय में कमी होगी तथा मूल्य स्तर गिर जायेगा। वस्तुतः बचत आय संकुचन को उत्पन्न करती है और बचत बढ़ने में उपयोग व विनियोग दोनों ही कम हो जाते हैं और यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहेगी जब तक कि बचत व विनियोग बराबर न हो जायें। इसे चित्र 9.2 में स्पष्ट किया गया है—



चित्र 9.2

अर्थात् ०१/११

(3) सरकारी प्रयास—यदि देश में बचत एवं विनियोग की मात्रा में अन्तर आ जाये और वस्तुओं के मूल्य गिरने लगे तो सरकार सर्वप्रथम चलन में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर जनता की आय में वृद्धि करके माग में वृद्धि एवं मूल्यों में वृद्धि सम्भव कर सकती है।

(4) सामान्य आर्थिक स्थिति—इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति तक आने के लिए साामान्य आर्थिक स्थिति की चेष्टा सरकार द्वारा ही की जाती है।

(5) बचत एवं विनियोग बराबर—कीन्स की यह मान्यता है कि देश की सामान्य स्थिति में बचत एवं विनियोग की मात्रा समान रहती है और आय में वृद्धि होने पर भी मूल्यों में वृद्धि सम्भव नहीं हो पाती।

(6) वृद्धि क्रम—यह माना गया है कि उपभोग में वृद्धि से माग, विनियोग, रोजगार, उत्पादन एवं आय में भी वृद्धि हो जाती है और उत्पादन का यह क्रम निरन्तर चलता रहता है।

(7) मुद्रा की मात्रा—इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि मुद्रा की प्रचलित मात्रा, आय परिवर्तन पर निर्भर करती है।

(8) सामान्य सिद्धान्त से मिलान करना—यह सिद्धान्त द्रव्य के मूल्य निर्धारण सिद्धान्त को सापेक्ष मूल्यों के सिद्धान्त से जोड़ देता है और इस प्रकार यह अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धान्त से मिलान करने में सफल हो जाता है।

(9) उत्पादन सिद्धान्त से जोड़ना—द्रव्य के मूल्य निर्धारण सिद्धान्त को उत्पादन के सिद्धान्त द्वारा सफल-पूर्वक जोड़ा गया है। द्रव्य की मात्रा में परिवर्तन होने से ब्याज दर प्रभावित होती है और विनियोग में परिवर्तन होकर उत्पादन में परिवर्तन हो जाता है, फलस्वरूप उत्पादन लागत परिवर्तित होकर, मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ता है।

### कीन्स के सिद्धान्त की मान्यताएँ

कीन्स का यह सिद्धान्त निम्न मान्यताओं पर आधारित है—

(1) आनुपातिक वृद्धि—सिद्धान्त में यह कल्पना की गई है कि जिस मात्रा में द्रव्य की मात्रा में परिवर्तन होता है, इसी अनुपात में माग की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है।

(2) उत्पादन साधनों की पूर्ति—राष्ट्र में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होने से पूर्व उत्पादन साधनों की पूर्ति पूर्णतया मूल्य सापेक्ष मानी जाती है और पूर्ण रोजगार के बाद उनकी पूर्ति पूर्ण रूप से मूल्य निरपेक्ष हो जाती है।


इन्हीं मान्यताओं के आधार पर नवीन मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, "जब तक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी विद्यमान है, उस समय तक मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर रोजगार की मात्रा में उसी अनुपात में परिवर्तन होगा, और जब पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो मूल्यों में परिवर्तन मुद्रा की मात्रा के अनुपात में होगा।"<sup>1</sup>

यह सिद्धान्त प्राचीन सिद्धान्त की तुलना में अच्छा माना जाता है तथा यह व्यावहारिक आर्थिक नीतियों का अच्छा पथ-प्रदर्शक भी माना जाता है।

### बचत व विनियोग सिद्धान्त एवं परिमाण सिद्धान्त में तुलना

बचत एवं विनियोग सिद्धान्त मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त से निम्न कारणों से श्रेष्ठ है—

(1) मुद्रा की कमी-तेजी रोकने में समर्थ—यह एक तथ्य है कि व्यापारी ऋण लेकर ही प्रायः विनियोग की मात्रा में वृद्धि किया करते हैं। यदि बाजार में ब्याज की दर बढ जाये अथवा बैंक ऋण देना बन्द कर दें तो विनियोग की



चित्र-93

1. "So long as there is unemployment, employment will change in the same proportion as the quantity of money; and when there is full employment, price will change in the same proportion as the quantity of money."—J. M. Keynes : op cit, p. 296.

(8) व्यापक महत्त्व—कीन्स के सिद्धान्त का महत्त्व अधिक व्यापक है और यह सिद्धान्त मुद्रा के अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं की माग व पूर्ति को भी महत्त्व प्रदान करता है तथा बेरोजगारी की स्थिति में समस्त तत्वों का प्रयोग करके उसे दूर करने के प्रयास किये जाते हैं। कीन्स का यह विचार है कि वचत एवं विनियोग के अन्तर के कारण ही मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन सम्भव हो जाते हैं।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कीन्स का सिद्धान्त मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की तुलना में तर्कसंगत, विश्वसनीय एवं व्यावहारिक है।

**कीन्स के सिद्धान्त के दोष**

कीन्स के सिद्धान्त के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं—

(1) मांग्यताएं अधिक होना—कीन्स के सिद्धान्त के साथ इतनी अधिक मान्यताएँ जुड़ी हैं कि यह सिद्धान्त अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाया।

(2) अपूर्ण—अन्य सिद्धान्तों की भाँति यह सिद्धान्त भी मुद्रा मूल्य के निर्धारण की समस्या पर विचार करने में असमर्थ है। इस प्रकार ने यह सिद्धान्त अधूरा एवं अपूर्ण है।

(3) कारण बताने में असमर्थ—पूर्ण रोजगार आने से पूर्व ही मूल्यों में वृद्धि क्यों होती है, इसे बताने में यह सिद्धान्त असफल रहता है।

(4) रोजगार सम्बन्धी धारणा दोषपूर्ण—सिद्धान्त की यह मान्यता रहती है कि समाज में जब तक बेरोजगारी विद्यमान है, उस समय तक द्रव्य की मात्रा के अनुपात रोजगार के आकार में ही परिवर्तन होता रहता है, परन्तु रोजगार की प्राप्ति के पश्चात् यह कहना कि केवल द्रव्य की मात्रा के आधार पर ही मूल्यों में परिवर्तन होते रहते हैं, सत्य नहीं है। वास्तविक जीवन के मूल्यों में परिवर्तन रोजगार की स्थिति के पट्टेचने से पूर्व ही हो सकते हैं और सिद्धान्त की इस धारणा को गलत सिद्ध कर देते हैं। डिडले उलाई के अनुसार “मूल्यों में वृद्धि केवल अवसर व वातावरण से ही नहीं होती। मूल्यों में वृद्धि उत्पादन बढ़ने पर ही आवश्यक रूप से होती है और इसका अर्थशास्त्र के स्थापित सिद्धान्तों के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है।”<sup>2</sup>

कीन्स के सिद्धान्त में दोष होने पर भी निस्सन्देह यह कहा जा सकता है कि यह सिद्धान्त मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त (प्राचीन सिद्धान्त) से उत्तम, वास्तविक एवं व्यावहारिक है।

1. "There are not mere chance increases from fortuitous circumstances The increases in prices that occur as output expands are more or less inevitably associated with expanding output and can be explained in terms of established principles of economic analysis"—  
Dudley Dillard : The Economics of John Maynard Keynes, p. 227.

## मुद्रा-स्फीति एवं मुद्रा-संकुचन (INFLATION AND DEFLATION)

**प्रारम्भिक :** वर्तमान मुद्रा व्यवस्था में मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व का अभाव पाया जाता है और उसमें देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक नीतियों के आधार पर निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मूल्य बढ़ने पर मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है और वस्तुओं के मूल्य गिरने पर मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इन परिस्थितियों को ही मुद्रा-स्फीति एवं मुद्रा-संकुचन कहा गया है। व्यापारिक तेजी एवं मन्दी मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन के ही रूप हैं जिनके भीषण दुष्परिणाम देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ते हैं। देश के आर्थिक विकास के लिए अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता लाना आवश्यक होगा। परन्तु मुद्रा-स्फीति बध्वा मुद्रा-संकुचन केवल मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी की स्थिति को ही नहीं प्रदर्शित करता, बल्कि अन्य प्रमापों को भी बताता है। अतः वस्तु-स्थिति की जानकारी के लिए इनका विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है।

### मुद्रा-स्फीति (Inflation)

**प्रायः 1934 की मन्दी की समाप्ति तक यह समझा जाता था कि मुद्रा-स्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा की मात्रा में असाधारण रूप से वृद्धि होकर वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाये तथा मुद्रा की शक्ति घट जाये। केवल मुद्रा की मात्रा में वृद्धि को ही मुद्रा-स्फीति माना जाता रहा। इस विचार का खण्डन सर्वप्रथम कीन्स ने किया और उन्होंने मुद्रा प्रसार का कारण बचत विनियोग एवं ब्याज की दर को बतलाया। इस सम्बन्ध में कीन्स ने 'मुद्रा प्रसार न्यूनता' (inflationary gap) की धारणा प्रस्तुत की और स्थायी मूल्यों पर, सम्भावित व्यय के आधिक्य को 'मुद्रा प्रसार न्यूनता' कहा गया। देश में उपयोग, विनिमय एवं सरकारी व्यय (C+I+G) पर सम्भावित व्यय निर्भर करता है। इसी प्रकार रोजगार की मात्रा एवं तकनीकी दशाओं पर 'उत्पन्न उत्पादन' निर्भर करता है। जब देश में विनियोग एवं सरकारी व्यय के कारण मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाये लेकिन उत्पादन क्षमता सीमित होने के कारण वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि न हो तो 'मुद्रा प्रसार न्यूनता' की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस समय तक बनी रहती है जब तक कि यह न्यूनता समाप्त न हो जाये, फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार मुद्रा प्रसार उस स्थिति को बताता गया है, जिसमें मौद्रिक आय आम-अर्जन प्रक्रिया के अनुपात में अधिक तेजी से बढ़ जाती है।"<sup>1</sup>**

संदातिक रूप से यह कहा जाता है कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से पूर्व प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होने पर, उत्पादन में वृद्धि होती है और मूल्य नहीं बढ़ पाते। परन्तु जब पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो मौद्रिक आय में वृद्धि होने पर उत्पादन में वृद्धि सम्भव नहीं हो पाती व मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार जब सरकारी व्यय की वृद्धि

1. "Inflation is a situation in which money income is expanding more than in proportion to income earning activity."—A. C. Pigou : Types of War Inflation, Economic Journal, December 1941.

मौद्रिक आय को बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि सम्भव न कर सके तो मुद्रा प्रसार की स्थिति प्रारम्भ हो जाती है। प्रायः देखा जाता है कि देसा में अर्थव्यवस्था में भिन्न-भिन्न प्रकार की कठिनाइयों के कारण माग की वृद्धि का एक भाग मूल्यों की वृद्धि में व्यय कर दिया जाता है तथा शेष भाग को ही उत्पादन वृद्धि में व्यय किया जाता है और इस प्रकार अपूर्ण रोजगार में भी मुद्रा प्रसार सम्भव हो जाता है। जब देसा में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाये तो मुद्रा की मात्रा का मूल्य स्तर के साथ एक प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, जिसमें मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से मूल्य स्तर में भी आनुपातिक परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार पूर्ण रोजगार की प्राप्ति पर ही मुद्रा प्रसार सम्भव हो पाता है। पूर्ण रोजगार की अवस्था न होने पर मुद्रा प्रसार एक अल्पकालीन प्रक्रिया है। मुद्रा प्रसार की समस्या दीर्घकाल में नहीं होती है, क्योंकि दीर्घकाल में जनसंख्या की वृद्धि, उत्पादन तकनीकी में सुधार, नवीन साधनों की खोज आदि से बड़ी हुई माग को पूर्ण करना सम्भव हो जाता है और मूल्यों में वृद्धि सम्भव नहीं हो पाती।

### परिभाषाएँ

मुद्रा प्रसार की प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

(1) फ्राउडर के अनुसार—“मुद्रा प्रसार को एक ऐसी अवस्था है, जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर रहा है, अथवा मूल्य बढ़ रहे हैं।”<sup>2</sup>

(2) पीगू के अनुसार—“मुद्रा प्रसार उस समय होता है, जबकि उत्पादन के साधनों द्वारा जिसके लिए मुगताग किया जाता है, उत्पत्ति की तुलना में मौद्रिक आय सापेक्षिक रूप में अधिक बढ़ रही हो।”<sup>3</sup>

(3) चेंबर शब्दकोष के अनुसार—“मुद्रा-स्फीति वह है जिसमें मुद्रा अथवा साक्ष अथवा दोनों की मात्रा में खरीद करने के लिए उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा की तुलना में यथायक तीव्र गति से वृद्धि हो जाती है। मुद्रा स्फीति सदैव मूल्य स्तर में वृद्धि उत्पन्न करती है।”<sup>4</sup>

(4) जेगीरी के अनुसार—“त्रय-शक्ति की मात्रा में असाधारण वृद्धि की अवस्था को मुद्रा प्रसार कहते हैं।”<sup>5</sup>

(5) केमरर के अनुसार—“व्यवसाय की भौतिक मात्रा की तुलना में मुद्रा एवं चलन जमा की राशि बहुत अधिक हो जाने की स्थिति को मुद्रा प्रसार कहते हैं।”<sup>6</sup>

(6) पॉलईनिग के अनुसार—“मुद्रा प्रसार त्रय शक्ति की विस्तारशील प्रवृत्ति है, जो कि मूल्य स्तर में वृद्धि करती है तथा मूल्य उससे प्रभावित होती है।”<sup>6</sup>

(7) वेबस्टर शब्दकोष के आधार पर—“वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा एवं साख के मूल्य में अधिक वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य स्तर में निरन्तर व महत्वपूर्ण वृद्धि की अवस्था को मुद्रा-स्फीति कहा गया है।”<sup>7</sup>

1. “Inflation is a state in which the value of money is falling, i.e. prices are falling”—Crowther : An Outline of Money

2. “Inflation takes place when money income is expanding relatively to the output of work done by the productive agents for which it is the payment”—Pigou : Viel of Money, p 34.

3. “Inflation is a disproportionate and relatively sharp and sudden increase in the quantity of money or credit or both, relative to goods available for purchase”—Chamber’s Twentieth Century Dictionary

4. “Inflation is a state of abnormal increase in the quantity of purchasing power.”—Gregory

5. “Inflation is too much money and deposit currency in relation to the physical volume of business being done”—Kemmerer : ABC of Inflation, p 6

6. “Inflation in an expansionary trend of purchasing power that tends to cause, or to be the effect of, an increase of the price level.”—Paul Einzig

7. “An increase in the value of money and credit relative to available goods resulting in a substantial and continuing rise in the general price level.”—Websters Dictionary.

इस प्रकार मुद्रा-स्फीति के अन्तर्गत एक ओर तो मुद्रा की मात्रा में तीव्र गति से वृद्धि होती है और दूसरी ओर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि सम्भव नहीं हो पाती और इसी के परिणामस्वरूप मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है तथा मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

### मुद्रा-स्फीति के लक्षण

मुद्रा-स्फीति के प्रमुख लक्षण निम्न हैं —

- (1) मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होकर उत्पादन स्थिर हो जाता है।
- (2) मुद्रा की मात्रा में कमी तथा उत्पादन भी स्थिर रहा हो।
- (3) मुद्रा की मात्रा बढ़ रही हो तथा उत्पादन भी स्थिर रहा हो।
- (4) मुद्रा की मात्रा स्थिर तथा उत्पादन कम हो रहा हो।
- (5) मुद्रा की मात्रा बढ़े तथा उत्पादन भी बढ़ रहा हो।
- (6) मुद्रा एवं उत्पादन दोनों की मात्रा स्थिर हो तथा मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो।


### मुद्रा-स्फीति की तीव्रता

तीव्रता की दृष्टि से मुद्रा-स्फीति की प्रमुख त्रिमें निम्न प्रकार हैं (देखें चित्र 10.1)

(1) तीव्रगामी स्फीति (Gallopung Inflation) — इसमें देश में वस्तुओं के मूल्यों में अत्यन्त तीव्र गति से वृद्धि होने लगती है, परिणामस्वरूप देश की मुद्रा एवं मूल्य व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है और जनता का मुद्रा से विश्वास उठ जाता है व समाज में अस्थिरता व असंतोष व्यापक रूप में फैल जाता है। इससे मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट आ जाती है और लोग वस्तुओं को सरोदने के लिए दौड़ लगा देते हैं।

(2) गतिशील प्रसार (Moving Inflation) — इसमें राष्ट्र की वार्षिक स्थिति घटने, घटने: गतिशील मुद्रा प्रसार की स्थिति की ओर बढ़कर सामान्य जनता के लिए बप्टदायक होने लगती है और जनता को इससे अपार बप्ट सहन करने पड़ते हैं।


(3) रेंगता हुआ प्रसार (Creeping Inflation) — जब कम मात्रा में मुद्रा प्रसार होता है व उसे रेंगता हुआ प्रसार कहते हैं। इस प्रसार को स्वाभाविक माना जाता है और जो अधिक क्षतिग्रस्त एवं बप्टदायक नहीं होते।



चित्र 10.1

### मुद्रा स्फीति

### मुद्रा-स्फीति के रूप (Types of Inflation)



मुद्रा-स्फीति के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं—

- (1) गति के आधार पर।
- (2) समय के आधार पर।
- (3) विस्तार के आधार पर।
- (4) मुद्रा प्रसार उत्पन्न करने वाले कारणों के आधार पर।
- (5) अन्य आधार पर।

(1) गति के आधार पर—गति के आधार पर मुद्रा प्रसार को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है—



(i) तीव्र प्रसार—इसमें मूल्यों की वृद्धि तेजी से होने लगती है और लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है।

(ii) गतिशील प्रसार—इसके अन्तर्गत मूल्यों में वृद्धि की गति कुछ तेजी से होती है तथा जनता पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है।

(iii) रेंगता हुआ प्रसार—इसमें मुद्रा प्रसार बहुत ही धीमी गति से होता है और यह जनता के लिए कोई विशेष खतरनाक नहीं होता।

(iv) अत्यधिक मुद्रा प्रसार—इस अवस्था में मूल्यों में वृद्धि की गति इतनी अधिक होती है कि उसे नापना भी कठिन है तथा उसका देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(2) समय के आधार पर—समय के आधार पर मुद्रा प्रसार को निम्न भागों में बाटा जा सकता है—

(v) युद्धकालीन प्रसार—राष्ट्र में युद्ध के समय जो मुद्रा का प्रसार किया जाता है उसे युद्धकालीन मुद्रा प्रसार कहते हैं। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

(vi) युद्धोत्तर प्रसार—जब मुद्रा प्रसार युद्ध के पश्चात् किया जाता है तो उसे युद्धोत्तर प्रसार कहते हैं। 1914-18 में जर्मनी में इस प्रकार का मुद्रा प्रसार अनुभव किया गया।

(3) विस्तार के आधार पर—व्यापकता के आधार पर मुद्रा प्रसार को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

(vii) सीमित मुद्रा प्रसार—जब कुछ ही वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाये तो उसे सीमित मुद्रा प्रसार कहते हैं।

(viii) व्यापक मुद्रा प्रसार—जब देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक वस्तु की कीमत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाये तो उसे व्यापक मुद्रा प्रसार कहते हैं।

(4) कारणों के आधार पर वर्गीकरण—कारणों के आधार पर मुद्रा प्रसार को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

(ix) महान प्रसार—जब सरकार अधिक मात्रा में मुद्रा का निर्गमन करे और उसके फलस्वरूप मूल्य स्तर बढ़ जाये और सरकार द्वारा इन वस्तुओं को खरीदने के लिए और अधिक पत्र मुद्रा की निकासी की जाये तो उसे महान प्रसार कहा जाता है।

(x) साक्ष प्रसार—जब देश में पत्र मुद्रा के स्थान पर साक्ष मुद्रा का प्रसार बड़ा दिया जाये, जिसके फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो जाये तो उसे साक्ष प्रसार कहेंगे।

(xi) मजदूरी प्रसार—जब सेवायोजकों को श्रमसंधों के कारण मजदूरी को अधिक पारितोषिक देना पड़े, जबकि उत्पादन समता समान ही रहे तो मूल्यों में वृद्धि होने लगती है और इस स्थिति को मजदूरी प्रसार के रूप में जानते हैं।

(xii) छिपी स्फीति—देश में भौतिक आय में वृद्धि होने पर सरकार नियंत्रण द्वारा मूल्यों की वृद्धि पर प्रतिबन्ध लगा दें तो जनता अपनी धनराशि को बैंकों में जमा करा देती है। भविष्य में नियंत्रण हटने पर बैंक से जमा राशि निबाल कर वस्तुओं पर ध्यय की जाती है जिससे वस्तुओं की माग बढ़ने से मूल्यों में वृद्धि हो जाती है जिसे छिपी हुई स्फीति कहा जाता है।

(xiii) खुली स्फीति—जब भौतिक आय बढ़ने पर उसके ध्यय पर कोई प्रतिबन्ध न हो तो वस्तुओं की माग बढ़ जाती है और उसके फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो जाये तो इस अवस्था को उत्पादन स्फीति कहेंगे।

(xiv) उत्पादन स्फीति—मुद्रा चलन में कमी न होने पर उत्पादन की मात्रा में कमी हो जाये और उसके फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो जाये तो इस अवस्था को उत्पादन स्फीति कहेंगे।

(xv) लाभ स्फीति—यदि उत्पादन नायंसमता बढ़ने से प्रति इकाई लागन में कमी होकर मूल्य स्तर गिर जाये, और सरकार कृत्रिम उपार्थों द्वारा मूल्यों में स्थिरता बनाये रखे जिससे उत्पादकों को अधिक लाभ प्राप्त हो तो इस

अवस्था को नाम स्फीति कहा गया है।

(xvi) चलन प्रसार—जब आर्थिक संकट या मुद्राकालीन समय बचट को सन्तुलन रखने के उद्देश्य से अत्यधिक पत्र-मुद्रा निर्गमित करने की नीति अपनाई जाये और उस अनुपात में वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा में कोई वृद्धि न हो, तो पीरे-पीरे इनके मूल्यों में वृद्धि होने लगती है, जिसे चलन प्रसार कहते हैं।

(5) अन्य आधार—अन्य आधारों पर मुद्रा-स्फीति के निम्न भेद किये जा सकते हैं—

(xvii) लागत बढ़ोत्तरी स्फीति (Cost Induced Inflation)—जब वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ने से सरकार एवं जनता को अधिक धन व्यय करना पड़े तो उसे लागत बढ़ोत्तरी स्फीति कहेंगे।

(xviii) मांग वृद्धि स्फीति (Demand Pull Inflation)—जनगण्यता की तीव्र वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि होने पर वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि सम्भव न हो और मूल्यों में वृद्धि हो जाये तो इसे मांग वृद्धि स्फीति कहेंगे।

(xix) पूर्णतया, अर्द्ध एवं आंशिक स्फीति (Full, Semi- and Partial Inflation)—फीन्स के अनुसार देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति होने पर नवीन निकाली गई मुद्रा का पूर्ण उपभोग पर व्यय होना सम्भव नहीं होने से मूल्यों में जो वृद्धि होती है उसे पूर्णतया स्फीति कहते हैं। इसके विपरीत जब देश में पूर्ण रोजगार का अभाव हो तो नवीन मुद्रा का उपयोग नये व्यक्तियों को रोजगार देने में किया जाता है और उसके फलस्वरूप जो मूल्यों में वृद्धि होकर स्फीति आती है उसे अर्द्ध या आंशिक स्फीति कहेंगे।

(xx) अवमूल्यन से स्फीति (Inflation from Devaluation)—मुद्रा का अवमूल्यन करने से निर्यात की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे जनता के उपभोग के लिए पदार्थों का अभाव हो जाता है। परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है और इससे जो स्फीति आती है उसे अवमूल्यन से स्फीति कहा जाता है।

(xxi) हीनार्थ से स्फीति (Inflation from Deficit)—आर्थिक विकास के लिए भी हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लिया जाता है। इन योजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में कर एवं ऋण प्राप्त न होने पर हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लिया जाता है। इससे मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है और ऐसी स्फीति को हीनार्थ से स्फीति या वजतीय स्फीति कहते हैं।

### मुद्रा-स्फीति के कारण (Causes of Inflation)

मुद्रा-स्फीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख निम्नलिखित हैं—(1) मौद्रिक कारण, एवं (2) सरकारी नीति सम्बन्धी कारण।

#### (1) मौद्रिक कारण

मुद्रा-स्फीति को प्रभावित करने वाले मौद्रिक कारणों में प्रमुख निम्नलिखित हैं—

(i) लागत वृद्धि—देश में थम गति की वमी होने पर मजदूरी की दरों में वृद्धि हो जाती है, जिससे माल निर्मित करने के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है एवं निम्न माल का मूल्य बढ़ जाता है। इस वृद्धि को लागत वृद्धि स्फीति कहते हैं। इसमें मुद्रा की मात्रा में वृद्धि मजदूरी की मात्रा में वृद्धि के अनुपात में होती है।


(ii) पूंजी आयात स्फीति—इसमें बचत वाले देशों में वमी वाले राष्ट्रों से पूंजी आयात होती है और पाठे वाले राष्ट्रों में प्रायः मुद्रा प्रसार की स्थिति बन जाती है। देश का मूगतान सन्तुलन पक्ष में होने, एवं उस राष्ट्र से आयात होने से विदेशी पूंजी की मांग बढ़ जाती है, फलस्वरूप बैंकों द्वारा साख को प्रोत्साहन मिलता है व उस राष्ट्र में मुद्रा-स्फीति की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं।

(iii) साख प्रसार—बैंकिंग व्यवस्था का समुचित विराम हो जाने पर व्यापारिक बैंक देश के समस्त प्रकार के व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जिससे साख की मात्रा में वृद्धि होकर साख प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(iv) मांग वृद्धि स्थिति—दुर्घ एवं आपत्तिकातीन समय में वस्तुओं की मांग में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है।

मुद्रा-स्फीति के कारणों को निम्न चार्ट द्वारा भी दिखाया जा सकता है—

मुद्रा-स्फीति के कारण<sup>1</sup>




मुद्रा प्रसार की अवस्थाएँ  
(Stages of Inflation)

मुद्रा प्रसार की प्रमुख अवस्थाएँ निम्नलिखित हैं—

(1) पूर्ण रोजगार से पूर्व अवस्था (Pre-Full-employment Stage)—इस अवस्था में मुद्रा प्रसार की गति बहुत धीमी होती है जो उद्योगों की स्थापना के लिए लाभदायक होती है, जनता को रोजगार मिलता व आय में वृद्धि होती है। इस अवस्था में मूल्यों में क्रमिक वृद्धि होकर उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होती है। आंशिक स्फीति की घटना पूर्ण रोजगार बिन्दु से पूर्व उत्पन्न हो सकती है, परन्तु वास्तविक स्फीति की घटना पूर्ण रोजगार के बाद ही उत्पन्न होती है जंसा कि चित्र 10.2 में दिखाया गया है।

B बिन्दु पूर्ण रोजगार का संकेतक है। B बिन्दु के बाद ज्यों ही मुद्रा की मात्रा बढ़ायी जाती है AB रोजगार वक्र एक खड़ी रेखा हो जाती है और PP मूल्य रेखा पूर्ण रोजगार बिन्दु B के बाद ऊपर को चढ़ती हुई रेखा है जो मूल्य वृद्धि को बताती है। B बिन्दु के बाद ज्यों ही मुद्रा की मात्रा बढ़ायी जाती है AB रोजगार वक्र एक खड़ी रेखा बन जाता है जो यह बताता है कि रोजगार में कोई वृद्धि नहीं होती परन्तु PP मूल्य रेखा-पूर्ण रोजगार बिन्दु B के बाद भी ऊपर चढ़ती है जो यह प्रदर्शित करती है कि पूर्ण रोजगार के बाद भी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। अतः मुद्रा स्फीति की स्थिति AB के बाद ही उदय होती है। इस वृद्धि के अनेक कारण हैं, जो कि निम्न लिखित हैं<sup>2</sup> :—



चित्र 10.2

(i) साधनों की अभावगता—उत्पत्ति के साधनों में साम्य न होने से माँग बढ़ने पर उनकी पूर्ति बढ़ाने से हानि निम्न लागू होकर उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे स्फीति के लक्षण दृष्टिगोचर होकर मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। उदाहरणार्थ, धमिकों की कार्यक्षमता का अभाव होने से कमकुशल धमिकों के प्रयोग करने से उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार पूँजीगत सामग्री में साम्य के अभाव के कारण वस्तुओं की मूल लागत बढ़ जाती है, पूर्ति मूल्य बढ़ जाता है और उनमें मूल्यों में वृद्धि कर दी जाती है।

(ii) मजदूरी दरों में वृद्धि—उत्पादन में वृद्धि होने पर धमिक अधिक मजदूरी के लिए दबाव डालते हैं जिससे

1. यह कारण नीला द्वारा दिये गये।

उनके बढ़ते जीवन स्तर की पूर्ति हो सके। परन्तु साहसी उनकी मजदूरी में जीवन स्तर की तुलना में कम ही वृद्धि कर पाते हैं। इस वृद्धि से लागत व्यय बढ़ जाता है तथा मूल्यों में वृद्धि कर दी जाती है।

(iii) सीमान्त लागत में वृद्धि होना—अल्पकाल में थ्रिक के अतिरिक्त अन्य चल घटकों के मूल्यों में स्थायित्व बना रहता है तथा उनकी मांग बढ़ जाने से मूल्यों में वृद्धि हो जाना स्वाभाविक हो जाता है, फलस्वरूप सीमान्त लागत में वृद्धि होकर मूल्यों में वृद्धि हो जाती है।

(iv) साधनों का पूर्णतया बेलोच होना—उत्पत्ति के कुछ साधनों की पूर्ति सीमित होने से मांग बढ़ने पर उनकी पूर्ति में वृद्धि करना सम्भव नहीं हो पाता और अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दीर्घकाल में यह कठिनाइयाँ साधनों की पूर्ति बढ़ाकर दूर की जा सकती हैं, परन्तु अल्पकाल में कुछ साधनों की पूर्ति की लोच लगभग शून्य होने के कारण मांग बढ़ जाने पर उनके मूल्यों में भी वृद्धि हो जाती है।


(v) विविध साधन स्रोत—प्रभावशाली मांग को कई भागों या साधनों में विभाजित किया जा सकता है तथा समाज के उपभोग व वचत तथा तरल सम्पत्ति व अतरल सम्पत्ति के चुनाव पर मांग की रचना निर्भर करती है। बड़ी हुई मुद्रा पूर्णतया उत्पादन या लागत पर व्यय नहीं होती जिससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से प्रभावशाली मांग में वृद्धि हो जाती है, जिससे सामान्य मूल्य स्तर में भी वृद्धि हो जाती है। यदि आय का भाग सट्टे की ओर प्रवाहित हो जाये तो अंश बाजार में मूल्यों में वृद्धि हो जाती है तथा नवीन उत्पादन में वृद्धि सम्भव नहीं हो पाती।

(2) पूर्ण रोजगार की अवस्था (Full Employment Stage)—मुद्रा की मात्रा में क्रमिक वृद्धि होने से उत्पादन एवं रोजगार में तेजी से वृद्धि होती है और अन्त में अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में आ जाती है। इस अवस्था पर नवीन मुद्रा मांग में वृद्धि नहीं कर पाती और उत्पादन का क्रम रुक जाता है और मूल्यों में तीव्रता से वृद्धि होने लगती है।


(3) सम्पूर्ण रोजगार के बाद की अवस्था (Post-Full-Employment Stage)—मुद्रा स्फीति के तीव्रता से बढ़ने पर पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाती है और नवीन मुद्रा, मूल्यों में वृद्धि उत्पन्न करती है व उत्पादन लगभग एक-सा जाता है। उत्पादन की तुलना में मुद्रा की मात्रा में तेजी से वृद्धि होने से जनता का देश की मुद्रा व्यवस्था से विद्वेष सम्भाव्य हो जाता है और सरकार को पुरानी मुद्रा व्यवस्था को समाप्त करके नवीन मुद्रा का चलन करना पड़ता है।

मुद्रा-स्फीति की अवस्थाओं को क्रमशः रेंगती हुई स्फीति, चलती हुई स्फीति एवं दौड़ती हुई स्फीति भी कहा जा सकता है। इसे चित्र 10.3 द्वारा स्पष्ट किया गया है।

मुद्रा-स्फीति की अवस्थाओं को निम्न चार्ट द्वारा भी दिखाया जा सकता है—




### मुद्रा-स्फीति की अवस्थाएँ



एक अन्य विद्वेष के आधार पर यह अवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं :—

### मुद्रा-स्फीति की अवस्थाएँ



## मुद्रा-स्फीति एवं आर्थिक विकास (Inflation and Economic Growth)

विकासशील राष्ट्रों में सरकार द्वारा ऐसी मुद्रा नीति का पलन किया जाता है जिससे देश की आर्थिक प्रगति सम्भव हो सके। अविकसित राष्ट्रों में प्रायः पूँजी का अभाव बना रहता है, जिससे मुद्रा स्फीति द्वारा उच्च कमी को दूर करने के प्रयास किये जाते हैं। इसी प्रकार देश के उत्पादन का बाँचा पिछड़ा होने से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि सम्भव नहीं हो पाती, फलस्वरूप मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कर एवं ऋण वित्तीय व्यवस्था को पूर्ण करने में असमर्थ रहते हैं, जिससे मुद्रा-स्फीति का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार अविकसित देशों में आर्थिक प्रगति के साथ मुद्रा प्रसार की व्यवस्था भी बनी रहती है।

पक्ष में तर्क—मुद्रा-स्फीति द्वारा आर्थिक विकास में निम्न तर्क दिये जा सकते हैं—

(1) माँग में वृद्धि—मुद्रा-स्फीति में जनता की आय में वृद्धि होने से माँग में वृद्धि हो जाती है और उत्पादन को प्रोत्साहित करने का अवसर प्राप्त होता है।

(2) विकास को प्रोत्साहन—जिस देश में पर्याप्त प्राकृतिक साधन हों उन्हें स्वदेशी साधनों से ही अधिकतम कार्य करने के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि विदेशी सहायता के साथ राजनैतिक स्वार्थ जुड़े रहते हैं।

(3) विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन—मुद्रा-स्फीति काल में अधिक लाभ होने के कारण विदेशी पूँजी के आगमन को प्रोत्साहन मिलता है तथा देश के आर्थिक विकास को सहायता प्राप्त होती है।

(4) विनियोग में वृद्धि—मुद्रा-स्फीति काल में जनता को अधिक मात्रा में पूँजी के विनियोजन के अवसर प्राप्त होते हैं, फलस्वरूप नवीन उद्योगों की स्थापना होती है तथा व्यवसाय व रोजगार में अपार वृद्धि होती है।

विपक्ष में तर्क—मुद्रा-स्फीति के विपक्ष में निम्न तर्क दिये जा सकते हैं—

(1) विपक्ष भुगतान सन्तुलन—स्फीति में निर्गत कम हो जाते हैं तथा मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है। पूँजीपति अपनी पूँजी को चोरी छिपे विदेशों में जमा करने लगते हैं जिससे भुगतान सन्तुलन विपक्ष में हो जाता है।

(2) आर्थिक संकट—मुद्रा-स्फीति से देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है तथा देश में चोर बाजारों, वृष्टिम अभाव तथा घूसखोरी जैसी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तथा आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक साँभ पाने की सलाह से व्यापारी उत्पादन करने लगते हैं, जिससे मूल्यों में कमी हो जाती जिससे हानि की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं तथा देश में मन्दी का वातावरण फैल जाता है।


(3) विनियोग हतोत्साहित होना—निरन्तर बढ़ते हुए मूल्यों के कारण नवीन विनियोग हतोत्साहित होता है, क्योंकि प्रतिफल मिलने में काफी समय लग जाता है और पूँजी विनियोजन का आकर्षण भी प्रायः समाप्त हो जाता है। स्फीति काल में वास्तविक निजी पूँजी लगाने की प्रवृत्ति प्रायः कम होती है।

## मुद्रा-स्फीति के प्रभाव (Effects of Inflation)

मुद्रा प्रसार से कुल उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि रुक जाती है तथा समाज के विभिन्न वर्गों पर विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों पर भिन्न-भिन्न रूप से इसका असर पड़ता है। स्फीति का मुख्य प्रभाव यह पड़ता है कि लोग भविष्य में बचत नहीं कर पाते और उनका उत्साह भी कम हो जाता है। "प्रायः मुद्रा प्रसार का निम्न एवं स्थिर आय वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि ऊँचे एवं गतिशील आय वर्ग पर ऐसा नहीं होता।" मुद्रा प्रसार के आर्थिक नैतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक प्रभाव निम्न प्रकार हैं :—

1. "Generally speaking, inflation inflicts more harm on low and fixed income groups than on high and flexible income groups."—K. K. Kurihara: Monetary Theory and Public Policy, p. 52.

## मुद्रा-स्फीति के प्रभाव



## (1) आर्थिक प्रभाव (Economic Effects)

स्फीति के आर्थिक प्रभाव में निम्न वी सम्मिलित किया जाता है—

(1) उत्पादक व व्यापारी वर्ग—मुद्रा प्रसार से उत्पादक एवं व्यापारी वर्ग को काफी लाभ होते हैं और इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

(i) कम मजदूरी—उत्पादको को बिक्री के रूप में अधिक धन प्राप्त हो जाने से मजदूरी के रूप में कम धन देना पड़ता है जिससे उन्हें लाभ प्राप्त होता है।

(ii) चोर बाजारी का अवसर—व्यापारी वर्ग को स्फीति काल में चोर बाजारी एवं भ्रष्टाचार का अवसर प्राप्त होता है।

(iii) ऊँचे मूल्य—जनता के पास अधिक मात्रा में क्रय शक्ति बढ़ जाने से वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, जबकि पूर्ति में यथापक वृद्धि सम्भव न होने से ऊँचे मूल्यों पर वस्तुएँ बेची जाती हैं जिससे उत्पादको को लाभ प्राप्त होते हैं।

(iv) सस्ती वस्तुएँ प्राप्त होना—कच्ची सामग्री एवं मशीनें सस्ते मूल्यों पर प्राप्त करके तेजी के समय निमित्त माल को ऊँचे मूल्य पर बेचकर लाभ अर्जित किये जाते हैं।

(2) उपभोक्ता वर्ग—यदि उपभोक्ता की आय स्फीति के कारण बढ़ जाती है तो उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु उपभोक्ता का एक बड़ा वर्ग ऐसा होता है जिसकी आय प्रायः स्थिर होती है। इनकी आय की तुलना में निरन्तर वृद्धि होने से, कुछ वस्तुओं का उपभोग स्थगित करना पड़ता है तथा कम वस्तुएँ ही प्राप्त हो पाती हैं।

(3) ऋणी एवं ऋणदाता—मुद्रा प्रसार काल में ऋणी को लाभ प्राप्त होते हैं क्योंकि वह थोड़ी मात्रा में ही वस्तुओं को बेचकर अपना ऋण एवं व्याज चुका सकता है। परन्तु इस काल में ऋणदाता या विनियोजक को हानि रहन करनी पड़ती है क्योंकि अब उसे अधिक वस्तुएँ देकर उतना ही ऋण प्राप्त हो सकेगा और उसे हानि का सामना करना पड़ेगा।

(4) श्रमिक वर्ग—स्फीति काल में श्रमिक वर्ग पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। (i) उत्पादन में वृद्धि होने से श्रमिकों को रोजगार मिलने में सुविधा हो जाती है। (ii) श्रमिकों में संगठन स्थापित होकर वे अपनी मजदूरी को जीवन स्तर तक लाने व उसमें वृद्धि करने के प्रयास करते हैं। मतभेद होने पर हड़ताल करते हैं जिसमें औद्योगिक शान्ति को भय उत्पन्न हो जाता है। (iii) श्रमिकों की मांग बढ़ने पर उनकी सौदा या व्यवहार करने की श्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है और श्रमिक अधिक मजदूरी प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं।

(5) विनियोजक वर्ग—निश्चित आय वाले विनियोजक वर्गों को हानि का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें निश्चित मात्रा में लाभ प्राप्त होता है। एक ओर विनियोजक का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने पर भी भौतिक आय में कोई वृद्धि सम्भव नहीं हो पाती। इससे इनकी वास्तविक आय में कमी हो जाती है। परिवर्तनशील आय वाले विनियोजक वर्गों को अन्य व्यापार की आय पर निर्भर करनी है तथा इन्हें कोई भी हानि सहन नहीं करनी पड़ती।

(6) ऋणों में वृद्धि—सरकार प्रायः घाटे के बजट बनाती है और उम घाटे को पूर्ण करने के सम्बन्ध में सरकारी एवं व्यापारी वर्ग तीव्रता से ऋण प्राप्त करते हैं तथा उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास करते हैं।

(7) बचत की कम प्रवृत्ति—साधारण वर्गों की जनता की बचाने गये धन का मूल्य कम प्राप्त होना है जिससे जनता में भविष्य में बचत करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है तथा धन का संचय रुक जाता है। जनता अपने उपभोगों को

अतः श्रमिक व प्रवन्ध के अन्धे सम्बन्ध बने रहने आवश्यक है जिससे उत्पादन में वृद्धि की जा सके। स्फीति काल में विलासिता एवं गैर-आवश्यक वस्तुओं का नियंत्रित करके उनके बदले में आवश्यक वस्तुओं को ही प्राप्त करना चाहिए। वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से घरेलू बन्धी एवं आयात में वृद्धि को रोकने के लिए मुद्राकोष से धन उधार लिया जा सकता है तथा भुगतान सन्तुलन को ठीक किया जा सकता है।

(ग) मजदूरी नीति (Wages Policy)—युद्धकालीन मुद्रा प्रसार के समय युद्ध की लागत को कम करने एवं देशभक्ति के लिए श्रमिकों से सरकार के साथ सहयोग करने की अपेक्षा करते हुए उनकी मजदूरी दरों पर नियंत्रण रखा जाता है। परन्तु यह व्यवस्था शान्ति काल में नहीं अपनायी जाती। मुद्रा स्फीति के समय मजदूरी एवं अन्य लागतों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है। विकसित राष्ट्रों में मजदूरी स्तरों को बनाये रखने के लिए उसे सामान्य तागत ढाँचे से भिन्न रखना होगा। देश में श्रम सभ उचित मजदूरी नीति का पालन कर सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि सामान्य उत्पादकता के अनुरूप मजदूरी दरों में वृद्धि की जाये। इस नीति से मूल्यों में वृद्धि नहीं हो पाती। परन्तु एकाधिकारिक स्थिति में उत्पादन एव मौद्रिक मजदूरी में साम्य स्थापित करना कठिन हो जाता है। प्रायः यह कहा जाता है कि उत्पादकता में वृद्धि होने से मजदूरी में वृद्धि हो जाती है। परन्तु यह व्यवस्था पूर्ण प्रतियोगिता एवं दीर्घकाल में ही लागू होती है। जीवन स्तर में वृद्धि होने पर मजदूरी की दरों में भी वृद्धि होना आवश्यक माना जाता है। इस दृष्टि से सरकार सर्वे वस्तुओं को बढ़ने से रोकती है। श्रमिक वर्गों द्वारा लागत में वृद्धि के आधार पर ही मजदूरी में वृद्धि सम्भव की जा सकती है।

(2) प्रासंगिक उपाय (Fiscal Measures)—देश के आर्थिक स्थायित्व के लिए प्रचलित नीति को ही एक शक्तिशाली साधन माना जाता है। प्रासंगिक उपाय में उन समस्त उपायों को सम्मिलित किया जा सकता है जो सरकार के प्रशासनिक विभाग से सम्बन्धित होते हैं। प्रचलित उपायों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है—(क) कर; (ख) जन-ऋण; (ग) सरकारी व्यय में कमी करना।

(क) कर (Taxes)—करों के आभार पर जनता के हितार्थ धन व्यय किया जाता है तथा उसी के अनुरूप स्फीति का सहारा लिया जाता है। करों की प्राप्ति पर ही देश का बजट सन्तुलित ढंग से रखा जा सकता है। स्फीति के समय अधिक कर लगाकर मौद्रिक आय को कम करने के प्रयास करते चाहिए, परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाये कि देश की आर्थिक क्रियाओं पर बुरा प्रभाव न पड़े। करारोपण इस ढंग से किया जाना चाहिए कि वर्तमान आय स्तर में कमी हो जाये तथा व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष की आय में कमी करके भाग में कमी होनी चाहिए और इसके लिए आयकर ही उपयुक्त कर माना जाता है जो उपभोग कम करने में सहायक सिद्ध होता है। देश में आयात किये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं पर आयात कर कम कर देना चाहिए जिससे अल्पकाल में घरेलू स्फीतिक स्थिति को नियन्त्रित किया जा सके। सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे बजट का घाटा पूर्ण हो सके तथा सब विभागों से मितव्ययिता की व्यवस्था की जाये। देश में नवीन मदों पर भी कर लगाये जायें तथा कर नीति में कठोरता का पालन किया जाना चाहिए। करों द्वारा बजट का घाटा पूर्ण होने से सरकार को नवीन मुद्रा का सृजन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) जन-ऋण (Public Debt)—स्फीतिक काल में सरकार द्वारा ऋणपत्र प्रकाशित करके जनता को उन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जन-ऋण नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि विद्यमान क्रयशक्ति को प्राप्त किया जा सके। सरकार द्वारा व्यक्तित्व व कम राशि के ऋणपत्र निर्गमित किये जाने चाहिए जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति उसे त्रय कर सके। जन-ऋण में निम्नलिखित को सम्मिलित कर सकते हैं—

(1) बचत (Savings)—अनिवार्य बचत योजना जन-ऋण प्राप्त करने का एक प्रभावशाली ढंग है। इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता को अपनी आय का एक भाग बचत ऋण या ऋणपत्रों को त्रय करने में व्यय करना अनिवार्य हो जाता है, जिनका भुगतान एक निश्चित अवधि बाद कर दिया जाता है। इससे सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी की प्राप्ति हो जाती है, जिसे आवश्यक वस्तुओं के त्रय करने में व्यय किया जा सकता है। अनिवार्य बचत योजना का प्रमुख उद्देश्य जनता (विशेषकर सटोरियों) के हाथों में मुद्रा की पूंति को कम करना होता है। यह नीति स्फीतिक परिस्थितियों में अतिन सावधानी सिद्ध होती है। इसके अनिश्चित स्वैच्छिक बचत को भी प्रोत्साहित करना चाहिए और इसके लिए आवश्यकता होने पर ऋण या अन्य सभी प्रकार के ऋणपत्रों का निर्गमन किया जा सकता है।

(ii) स्वर्ण पर प्रतिबंध (Restriction on Gold)—स्फीतिक परिस्थितियों में स्वर्ण के भण्डारों पर प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं तथा बैंकों को अधिक मात्रा में स्वर्ण कोप रखने के आदेश दिये जा सकते हैं। स्वर्ण कोप की मात्रा बढ़ने से बैंक की साख देने की क्षमता में कमी हो जाती है तथा साख का विस्तार सीमित मात्रा में ही सम्भव हो पाता है, फलस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है तथा स्फीति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। यह नीति सं० रा० बमरीका जैसे राष्ट्र में अधिक प्रचलन हो पाती है, जहाँ मुद्रामान स्वर्ण पर ही आधारित हो।

(iii) अधिमूल्यन (Overvaluation)—देय में स्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनी मुद्रा का अधिमूल्यन किया जा सकता है। मुद्रा का अधिमूल्यन निम्न वारणों में स्फीति को रोकने में सहायक सिद्ध होता है—

(अ) इनने आयात में वृद्धि होगी तथा आयात व्यय बढ़ेगा।


(ब) विदेशी आयात सस्ते होने से उत्पादन लागत में कमी हो जायेगी तथा मूल्यों में वृद्धि सम्भव न हो सकेगी।

(घ) निर्यातों पर विचरीत प्रभाव पड़ेगा तथा घरेलू मौद्रिक आप में कमी हो जायेगी।

परि अन्य राष्ट्रों में भी स्फीतिक परिस्थितियाँ हों तो यह आवश्यक हो जाता है कि अपनी मुद्रा का अधिमूल्यन कर दिया जाये। ऐसा करने से आयात की कीमतों में कमी हो जायेगी, परन्तु इससे देय के मुद्रातन सन्तुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण इस नीति को दीर्घकाल तक अपनाया जाना सम्भव नहीं हो पाता।

(iv) ऋण प्रबंध (Debt Management)—असत ऋणों का प्रबंध इस प्रकार किया जा सकता है कि बाने साख का विस्तार या मुद्रा की पूर्ति को रोका जा सके। ऋणों का मुद्रातन करने के लिए प्रायः आधिक्य बजट बनाये जाते हैं जिससे ध्वानात्मिक बैंक उन प्रतिभूतियों के आधार पर और अधिक मात्रा में साख का विस्तार न कर सके। ऋणों का मुद्रातन बजट आधिक्य से अपना बैंक द्वारा लिये गये ऋणपत्रों को गैर-बैंकिंग संस्थाओं को बेचकर किया जा सकता है। परन्तु इनका उपयोग सीमित मात्रा में ही सम्भव हो सकता है।

(v) सरकारी व्यय में कमी करना (Decrease in Government Spending)—मुद्रा स्फीति के काल में सरकार अपने व्ययों में कमी करती है तथा अपनी आय के व्ययों को बढ़ाकर स्फीति को रोकने के प्रयास करती है। सरकार के सम्मुख कर्तों में वृद्धि करना कोई सम्भवा न होकर व्ययों में कमी करना है। इसके अतिरिक्त अल्पकालीन मुद्रा स्फीतिक उद्देश्य, दीर्घकालीन सार्वजनिक विनियोग के कारण अतनुति हो जाते हैं। सार्वजनिक व्ययों के सम्बन्ध में स्फीतिक प्रभावों को रोकने के सम्बन्ध में मुख्य बाधा अंतरराष्ट्रीय मुद्र की स्थिति व यथे से उपस्थित होती है जो मुख्यतः कार्य-वाहियों के लिए राष्ट्रीय बजट के विस्तार को प्रोत्साहित करती है। सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी व्यय में वृद्धि करना आवश्यक होता है, परन्तु अन्यथा स्फीतिक परिस्थितियों को दूर करने की दृष्टि से सरकारी व्ययों में कमी कर सकती है। सरकारी व्ययों में कमी करना ही स्फीति पर नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि जनता से वर एवं ऋण के रूप में मौद्रिक आप को प्राप्त करना भी आवश्यक माना गया है। कुल आय (Y) को उपभोग (C) तथा विनियोग (I) के योग के बराबर माना गया है। अन्वेषित को रोकने हेतु सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि तथा स्फीति को रोकने के लिए सार्वजनिक व्यय में कमी की जाती चाहिए। अतिरिक्त सार्वजनिक व्यय का G द्वारा व्यक्त करने पर कुल बढ़ा हुआ व्यय  $C+I+G$



होगा व सार्वजनिक व्यय कम करने पर कुल व्यय  $C+I-G$  होगा। यदि कुल व्यय  $C+I$  के स्थान पर  $C+I+G$  कर दिया जाये तो आय में वृद्धि होगी और यदि कुल व्यय  $C+I$  में घटाकर  $C+I-G$  कर दिया जाये तो आय में कमी होगी जैसा कि चित्र 10-4 में दिखाया गया है। कुल व्यय  $C+I$  होने पर सन्तुलन बिन्दु P व राष्ट्रीय आय OM है। सार्वजनिक व्यय बढ़ाने पर कुल व्यय  $C+I+G$  होने से सन्तुलन बिन्दु  $P_1$  व आय  $OM_1$  होगी। सार्वजनिक व्यय कम करने से कुल व्यय  $C+I-G$  होने से सन्तुलन बिन्दु  $P_2$  व आय कम होकर  $OM_2$  होगी।

(3) मौद्रिक उपाय (Monetary Measures) मुद्रा-स्फीति को नियंत्रण करने में प्रमुख मौद्रिक उपायों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है।



(i) जमा राशि में वृद्धि करना (Increase in Deposits)—स्कीति काल में रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा रखे जाने वाले जमा राशियों की मात्रा में वृद्धि करके बैंकों के साथ विस्तार पर प्रतिबन्ध लगाता है। ऐसा करने से बैंकों के पास उधार देने एवं विनियोग करने के लिए कम मात्रा में धन शेष रहता है।

सीमायें—इस नीति के पालन करने में निम्न सीमायें रहती हैं—

(अ) यदि बैंकों के पास रिजर्व फण्ड पर्याप्त मात्रा में हों तो वह साल का विस्तार सुविधापूर्वक कर सकते हैं और जमा राशि में वृद्धि करने वा उनके साथ विस्तार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकेगा।

(ब) यदि सरकार द्वारा ब्याज की दर कम रखी जाती है तो बैंक जमा राशि में धन जमा करना स्वीकार न करके अपने पास ही रखना अधिक पसन्द करेंगे।

(स) यदि सदस्य बैंकों के पास अधिक मात्रा में रिजर्व हो तो आधारभूत कानूनी आवश्यकतायें परिवर्तित करती होंगी, जिसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

(द) निर्यात में वृद्धि होने से बैंकों को पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था करनी होती है, जिससे जमा राशि में वृद्धि करने के प्रयाग असफल सिद्ध हो जाते हैं।

(ii) उपभोक्ता साख का नियंत्रण करना (Regulating Consumer's Credit)—उपभोक्ता साख का नियंत्रण करके स्कीति को नियंत्रित किया जा सकता है। उपभोक्ता साख का नियमन इस बात पर निर्भर करता है कि स्थायी वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की मौद्रिक मांग पूर्णतया अस्थिर रहे तथा सामान्य मूल्य वितरण में उसका सामरिक महत्व हो तथा वह रोजगार एवं उत्पादन को प्रभावित करता हो, जो राष्ट्र स्थायी वस्तुओं में जितना अधिक घनी होगा, उतनी ही अस्थिर उसकी अर्थव्यवस्था होगी। एक राष्ट्र में पूर्ण रोजगार की स्थिति में उपभोक्ता साख के नियमन से (अ) अर्थव्यवस्था की भावी स्थायित्व के लिए साख विस्तार का खतरा न्यूनतम हो जायेगा, (ब) उपभोक्ता सम्बन्धी स्थायी वस्तुओं पर व्यय की मात्रा कम हो जायेगी।

(iii) पुन. कटौती की दर में वृद्धि करना (Increasing Rates of Rediscount)—सामान्यतया पुन. कटौती दर में वृद्धि करना इस बात का सूचक है कि सरकार मुद्रा एवं साख नीति का सख्ती से पालन कर रही है जिसके परिणामस्वरूप व्यापारिक बैंक भी साख कार्यवाहियों को नियंत्रित करने लगते हैं। ऊंची दर पर सदस्य बैंक न्यूनतम मात्रा में ऋण प्राप्त करते हैं, उन्ही प्रकार ग्राहक भी कम से कम मात्रा में ऋण प्राप्त करके स्कीतिक दबाव को कम कर देते हैं। बैंक दर भी इस दर के माथ-माथ बढ़ जाती है और समाज में उद्योगों व व्यापार के लिए कम मात्रा में ही धन प्राप्त हो पाता है। यदि व्यापारिक बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त रिजर्व है तो इस प्रकार के साख नियंत्रण का कोई महत्व नहीं रहता।

सीमायें—निम्नलिखित परिस्थितियों से उच्च पुन. कटौती दर भी बेकार सिद्ध हो जाती है—

(अ) यदि व्यापारिक बैंकों के पास भारी मात्रा में अल्पकालीन पासकीय प्रतिभूतियाँ हों, तो वह इन प्रतिभूतियों को बेचकर नकद राशि प्राप्त कर सकते हैं और स्कीतिक परिस्थितियों को नियंत्रित करना कठिन हो जायेगा।

(ब) यदि शासकीय प्रतिभूति बाजार की सहायता के लिए बड़े हुए बैंक संघ का उपयोग किया जाये तो स्कीतिके प्रभाव को नियंत्रित करना सम्भव नहीं हो सकेगा। सरकार शासकीय प्रतिभूतियों के मूल्य ऊँचे रखेगी क्योंकि इससे कुल ब्याज भार की मात्रा में कमी होगी तथा वित्तीय समस्याओं के हितों की सुरक्षा होगी, विशेषकर वह संस्थापों जिन्होंने सरकारी बंधन ले रखे हैं।

(स) यदि गैर-बैंकिंग धारी सरकारी प्रतिभूतियों को नकद में परिवर्तित करे तो स्कीतिक नियंत्रण सम्भव नहीं हो पाता है। इन संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतियों को नकद में बदलने से मुद्रा की गति में वृद्धि होगी तथा बैंकों द्वारा रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों में वृद्धि होगी।

(iv) मार्जिन आवश्यकता (Margin Requirements)—मार्जिन आवश्यकता की सहायता से स्कीतिके

1. पुन. कटौती दर में आधा उग ब्याज दर में है, जो एक सदस्य बैंक की रिजर्व बैंक से प्रथम श्रेणी की सरकारी प्रतिभूतियों को मूनाने में देनी होती है।

नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही मात्रा पर नियंत्रण करके सट्टे की साथ ही नियमन किया जा सकता है। यदि मार्जिन में वृद्धि कर दी जाये तो व्यक्ति को अधिक मात्रा में नकद राशि रखनी होगी अथवा प्रतिभूतियों को त्रय करने के लिए कम मात्रा में साथ प्राप्त होगी तथा विनियोग राशि सट्टे के कार्य से हटकर उत्पादक क्रियाओं में प्रवाहित हो जायेगी। ऊंचे मार्जिन से मॉडिक विस्तार पर नियमन किया जा सकता है। ऊंचे मार्जिन आवश्यकता के लिए आय प्रभाव को नहीं भूतना चाहिए। इससे सट्टे की क्रियाओं पर नियंत्रण लगाकर अर्थव्यवस्था में स्थापित माने के सफल प्रयास किये जा सकते हैं। इसी प्रकार कमनियों में जोखिम एवं अनिश्चितताएं समाप्त होने लगेंगी तथा देश की अर्थव्यवस्था को विकास की ओर ले जाया जा सकेगा।

(v) खुले बाजार की क्रियाएं (Open Market Operations)—जब केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में साथ प्रतिभूतियों को खरीदता है, तो इससे बैंकों की कुल जमा में वृद्धि हो जाती है और उसकी साथ विस्तार की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में साथ प्रतिभूतियों को बेचने लगते हैं, तो बैंकों के पास रिजर्व कम हो जाते हैं, परिणामस्वरूप उनकी उधार देने व विनियोग करने की क्रियाएँ सिपिल पड़ जाती हैं।

(4) अन्य उपाय (Other Measures)—मुद्रा-स्फीति के उपचार के अन्य उपायों में निम्न को सम्मिलित किया जा सकता है—

(i) मजदूरी वृद्धि पर रोक (Check on Increase in Wages)—मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए मजदूरी वृद्धि पर रोक की नीति का पालन किया जाता है जिसमें नियोजता एवं मजदूर यह समझौता करते हैं कि आगामी 10 या 12 वर्षों तक मजदूरी की दरों में कोई भी वृद्धि नहीं की जायेगी। यदि प्रत्येक मूल्य वृद्धि के साथ-साथ मजदूरी की दरों में भी वृद्धि की जाये तो एक आर्थिक कुचक्र उत्पन्न हो जायेगा, जिससे सुदृक्ता पाना कठिन हो जायेगा।

(ii) मूल्यों पर कड़े नियंत्रण (Strict Control on Price)—स्फीति पर नियंत्रण लगाने के लिए वस्तु-मूल्यों पर कड़े नियंत्रण लगाने चाहिए जिससे उपभोक्ताओं द्वारा कम से कम मात्रा खरीदा जा सके। इस सम्बन्ध में बैंकों को ऋण देने पर कड़े प्रतिबन्ध लगा देने चाहिए, इससे वस्तुओं की माग कम होकर स्फीति पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा तथा उपभोक्तागण भी न्यूनतम मात्रा में वस्तुएं प्राप्त कर सकेंगे।

(iii) विनियोग पर नियंत्रण (Control on Investment)—विनियोग की मात्रा बढ़ने पर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, परन्तु उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि न होने से मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः स्फीति को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा नवीन विनियोजन पर कड़े नियंत्रण लगाये जायें।

(iv) उत्पादन में वृद्धि (Increase in Production)—यदि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि कर दी जाये तो पूर्ति में वृद्धि हो जाने से मूल्यों में वृद्धि पर रोक लग जाती है और स्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है।

### भारत में मुद्रा-स्फीति (Inflation in India)

विकासशील राष्ट्रों में योजनाओं की सहायता से आर्थिक विकास लाने के प्रयास किये जाते हैं। यह राशि देश में करों द्वारा तथा आवश्यकता पड़ने पर विदेशों से ऋण लेकर पूर्ण की जाती है। यदि व्ययों को पूर्ण करना सम्भव न हो तो पाठे की वित्त-व्यवस्था द्वारा ऋण किया जाता है। सुदृक्ता में सुरक्षा पर अधिक व्यय किया जाता है। इस प्रकार देश के विकास एवं सुदृक्ता में मुद्रा-स्फीति का महारा किया जाता है।

### सुदृक्ता में मुद्रा प्रसार

द्वितीय विश्व-युद्धकाल में मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई और इस वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

(1) स्थापित प्रतिभूतियों में वृद्धि—सुदृक्ता में भारत से भारी मात्रा में मान डिटेन को भेजा गया जिसके बदले में भारत के शोध में स्टागिंग देश जमा होते परे दिवके आघार पर भारत सरकार ने नोटों की निवामी की, जिसके परिणाम-स्वरूप मुद्रा स्फीति हुई।

(7) उत्पादन में वृद्धि—देश में वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से नवीन उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया तथा उन्हें कर मुक्त रखा गया। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन का संगठन किया गया जिससे देश में खाद्यान्न की कमी को दूर किया जा सके।

(8) स्वर्ण का विक्रय—जनता से मुद्रा वापस लेने के उद्देश्य से केन्द्रीय बैंक ने स्वर्ण का विक्रय करना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु वर्तमान समय में इस पर विशेष निर्भर नहीं रहा जा सकता है।

(9) सन्तुलित बजट—सार्वजनिक व्ययों में कमी करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सन्तुलित बजट बनाये गये तथा घाटों या कमी को कम करने के प्रयास किये गये।

(10) आयात नीति में सुविधायें—देश में उपभोग पदार्थों के अभाव को दूर करने की दृष्टि से आयात नीति में सुविधायें दी गईं जिससे अधिक मात्रा में माल का आयात हो सके।

विश्व में मुद्रा-प्रसार

भारत में ही नहीं विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी मुद्रा-स्थिति एवं महापाई है, जिसे निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

विश्व में मूल्य वृद्धि

विकसित देश	प्रतिशत वृद्धि	विकासशील देश	प्रतिशत वृद्धि
जापान	52.8	भारत	90.0
ब्रिटेन	49.8	इथियोपिया	45.7
फ्रान्स	38.2	पाकिस्तान	45.1
इटली	34.4	शील्वे	29.5
ऑस्ट्रेलिया	32.5	मॉसको	28.4
अमरीका	32.4	थाईलैंड	19.0
कनाडा	30.2	केनिया	18.8
पश्चिमी जर्मनी	27.2	ईरान	17.1
		मोरक्को	15.2

भारत में मुद्रा प्रसार

मुद्रा को गणपति के पश्चात देश में आर्थिक व राजनीतिक स्थिरता रही। 1951 से देश का आर्थिक विकास पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत किया गया जिससे मुद्रा की दृष्टि में निरन्तर वृद्धि होती गई।

रपये का मूल्य 1949 की तुलना में घटकर आज 38 पैसे रह गया है और रपये का मूल्य निरन्तर घट ही रहा है जिसे निम्न प्रकार रखा जा सकता है।

रपये की श्रय-शक्ति

वर्ष	रपये का आन्तरिक मूल्य	वर्ष	रपये का आन्तरिक मूल्य
1950-51	98	1965-66	0.59
1955-56	1.04	1970-71	0.44
1960-61	0.80	1972-73	0.38

## मुद्रा-स्फीति के कारण

योजनावाले में मुद्रा-स्फीति होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

(1) वित्तीय क्रियाओं का विस्तार—नियोजित विकास योजनाओं के द्वारा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में व्ययों में निरन्तर वृद्धि होती गई जिससे मुद्रा की गति एवं साक्ष की मात्रा में अधिकाधिक वृद्धि हुई व साथ ही बैंकों की वित्तीय क्रियायें भी बढ़ी।

(2) उत्पादन लागत में वृद्धि—प्रायः सभी वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होने से मजदूरी की दरों में भी वृद्धि हुई, फलस्वरूप सामान्य वस्तुओं को तैयार करने में अधिक धनराशि की व्यवस्था की गई व मुद्रा का प्रयोग बढ़ा, जिससे मुद्रा-स्फीति को प्रोत्साहन मिला तथा उसका कारण बनी।

(3) हीनार्थ प्रवर्धन—योजनाओं में हीनार्थ प्रवर्धन के कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की गई। प्रथम योजना में 333 करोड़ रुपये, द्वितीय योजना में 951 करोड़ रुपये, तृतीय योजना में 1,151 करोड़ रुपये, एवं चतुर्थ योजना में 948 करोड़ रुपये से हीनार्थ प्रवर्धन किया गया। पाचवी योजना में यह राशि केवल 550 करोड़ रुपये ही रखी गयी है। इस निरन्तर हीनार्थ प्रवर्धन के परिणामस्वरूप मुद्रा-स्फीति हुई व मूल्यों में वृद्धि हुई।

(4) बिगड़ी राजनैतिक दशाएँ—विद्वेष की राजनैतिक दशाएँ बिगड़ने से भारत में भी मूल्यों में वृद्धि हुई। भारत ने 1949 में अवमूल्यन किया जिसमें उसके आयात मंहंगे हो गये। पाकिस्तान ने भी साथ नहीं दिया। 1950 में कोरिया युद्ध के फलस्वरूप हथियारों के निर्माण पर ध्यान दिया गया जिससे नागरिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए कमी होने से मूल्यों में वृद्धि होती गई।

(5) असफल बचत व ऋण नीति—युद्ध के पश्चात् युद्ध एवं बचत नीति के असफल होने के कारण देश में भी स्फीतिक दशाएँ उत्पन्न हो गयीं और मुद्रा प्रसार फैल गया।

(6) उत्पादन में गिरावट—देश में उत्पादन में वृद्धि न होने से भी मुद्रा-प्रसार प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। देश के कुछ भागों में बाढ़ों का प्रकोप रहा जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन न बढ़ सका। औद्योगिक क्षेत्र में भी श्रम समस्याएँ, मशीनों का अभाव आदि के कारण उत्पादन में वृद्धि सम्भव न हो सकी।

(7) निर्यातों की समाप्ति—वस्तुओं के वितरण एवं मूल्यों पर से नियंत्रण इस कारण से हटाया गया कि व्यापारीगण अपना स्टॉक बाजार में ले आसंगे व मूल्य कम होंगे। परन्तु इसके विपरीत ही कार्य हुआ और नियंत्रण के हटते ही फिर से मूल्यों में वृद्धि हो गई।

(8) चलन मुद्रा में वृद्धि—इस काल में चलन मुद्रा में काफी वृद्धि हुई। 1950-51 में 2,016 करोड़ रुपये की मुद्रा बढ़कर 1967-68 में 5332 करोड़ रुपये तक हो गई जिससे वस्तुओं के मूल्यों में अपार वृद्धि हुई। चलन मुद्रा में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि सम्भव न हो सकी।

(9) साद्यान् संकट—देश विभाजन के बाद साद्यान् उगाने वाले अष्ट्रे व उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान के क्षेत्र में चले जाने से साद्यान् की कमी हो गई व साथ ही शरणार्थियों के आगमन से साद्यान् की मांग बढ़ी व कृषि पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हुई व कृषकों की भौतिक आय में वृद्धि हुई।

(10) नैतिक पतन—समाज में वस्तुओं की कमी एवं कीमत वृद्धि के कारण जमाखोरी एवं चोरबाजारी को प्रोत्साहन मिला, जिसके फलस्वरूप वस्तुओं का संचय होने लगा तथा विदेशीयों द्वारा माल में मिलावट करके क्रेताओं के शोषण करने के प्रयत्न किये गये।

(11) खूले बाजार की क्रियाएँ—रिजर्व बैंक देश में आवश्यकता पड़ने पर सरकारी एवं प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों का तय एवं विक्रय करता था जिससे समाज में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी एवं मुद्रा प्रसार को प्रोत्साहन मिला।

(12) योजनाओं में भारी विनियोजन—योजनाओं द्वारा देश के विभाग के कार्यक्रम बनाये गये तथा विभिन्न योजनाओं पर भारी राशि व्यय की गई। योजनाओं के लिए विदेशी पूँजी का भी सहारा लिया गया। न सवके उपरांत

## मुद्रा-स्फीति एवं मुद्रा-संकुचन

भी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि न होने से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई।

प्रायः मांग में वृद्धि होने से मूल्यों में वृद्धि होती है जो स्फीति को जन्म देती है इसे चित्र 10.5 द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं—

मांग बढ़ने के साथ मूल्य भी बढ़कर  $P_1, P_2, P_3, P_4$  आदि हो जाते हैं।

### मुद्रा-स्फीति रोकने के उपाय

भारत सरकार ने मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए विभिन्न उपायों का प्रयोग किया जो कि निम्नलिखित हैं—

(1) वितरण व्यवस्था करना—देश में आवश्यक वस्तुओं की वितरण व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से राशनियम व्यवस्था को चालू किया गया। देश में पर्याप्त मात्रा में सस्ते अनाज की दुकानों को खोलकर अनाज, धो, सब्जि आदि का सही वितरण किया गया।

(2) उद्योगों का विकास—स्वदेशी उद्योगों के विकास के प्रयास किये गये जिससे आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि सम्भव हो सके।

(3) साख नीति पर नियंत्रण—साख विस्तार को रोकने के उद्देश्य से बैंकों की साख नीति पर कठोर नियंत्रण लगाये गये।

(4) उपभोक्ता सहकारी भण्डार—देश में आवश्यक वस्तुओं के उचित वितरण के लिए उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की स्थापना की गई जिससे उचित मूल्यों पर माल की पूर्ति सम्भव हो सके।

(5) सट्टे पर प्रतिबन्ध—सट्टेबाजी पर नियंत्रण लगाये गये जिससे मूल्यों में वृद्धि सम्भव न हो सके।

(6) वस्तु संग्रह दण्डनीय—देश में वस्तु संग्रह को दण्डनीय घोषित करके गोदामी पर छापा मारकर मान जप्त किया गया जिससे मूल्यों में वृद्धि न हो सके।

(7) बचत योजनाएँ—उस काल में बचत योजनाएँ प्रारम्भ करके अतिरिक्त राशि को खींचने के प्रयास किये गये जिससे मुद्रा प्रसार को नियंत्रित किया जा सके।

(8) करारोपण—करारोपण में वृद्धि की गई जिसमें कुछ नवीन कर लगाये गये जिससे जनता के पास मुद्रा की मात्रा में कमी हो सके।

(9) वेतन में वृद्धि—देश में नौजरी करने वालों के वेतन एवं मजूगार्द भत्तों में इन आदाय से वृद्धि की गई कि उनकी भीड़भाड़ को रोकने के लिए मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव न पड़ सके।


(10) परिवहन साधनों का विकास—देश में परिवहन के साधनों के विकास किये गये जिसमें अभावग्रस्त क्षेत्रों में वस्तुओं की भेजकर मूल्य वृद्धि को रोका जा सके।

(11) आयात में वृद्धि—अभावग्रामी आवश्यक वस्तुओं के आयात में वृद्धि करके उनके अभाव को पूर्ति करने के प्रयास किये गये जिसमें वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि सम्भव न हो सके।

(12) मूल्य निश्चित करना—देश में अधिकता वस्तुओं के मूल्यों को पहले से निश्चित कर दिया गया जिससे उनमें उष्णचपन उन्हीं सीमाओं के अन्तर्गत सम्भव हो सके।

(13) सार्वजनिक धर्म में कमी—सरकार ने सरकारी व्ययों में कमी करके सार्वजनिक व्ययों में कमी करने के सरसक प्रयास किये। सरकारी बायों में मितव्ययिता को प्रोत्साहित किया गया।

(14) आठ-मूनी कार्यक्रम—1949 में धरये के अधिमूल्यन से पर्याप्त बाँधित लाभ प्राप्त न हो सके और मूल्य वृद्धि का दौर चला गया। इन स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने आठ-मूनी कार्यक्रम बनाया, जिसके फलस्वरूप मूल्यों में गिरावट आ सके।



चित्र 10.5

(15) सं० रा० अमरीका से गेहूँ का ऋण—इस काल में सं० रा० अमरीका से गेहूँ का ऋण लिया गया जिससे खनाज की कीमतों में वृद्धि न हो सके व दूसरे अनाज आदि को भ्रय करने में जनता की भ्रय शक्ति सरकार के पास हस्तांतरित हो गई। साथ वितरण के लिए सरते मूल्यों की दुकानें एवं राशनिय व्यवस्था का सहारा लिया गया।

(16) आयात स्थिति—26 जून 1975 से देश में आयात स्थिति की घोषणा की गयी, जिससे सभी वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण लगाये गये एवं मूल्य सूचिका लगाकर ग्राहकों को अधिक सुविधायी दी गयी, जिससे मूल्यों में भारी कमी आई।

### मुद्रा-विस्फीति (संकुचन) (Deflation)

**प्रारम्भिक**—मुद्रा-स्फीति की विपरीत स्थिति को मुद्रा-विस्फीति या मुद्रा-संकुचन कहते हैं। मुद्रा-संकुचन का सम्बन्ध वस्तुओं के गिरते हुए कीमत स्तर से लगाया जाता है। परन्तु जिस प्रकार मूल्यों में प्रत्येक वृद्धि मुद्रा-स्फीति नहीं होती, उसी प्रकार मूल्यों का प्रत्येक पतन मुद्रा-संकुचन नहीं हो सकता। मुद्रा-संकुचन से वाशय उम स्थिति से लगाया जाता है जिसमें मूल्यों की प्रत्येक कमी बेरोजगारी में वृद्धि करे तथा उत्पत्ति के साधनों की आय में कमी कर दें। जब राष्ट्र का मुग्तान सन्तुलन निरन्तर विपन्न में रहने पर विदेशी पूँजी का आयात होने पर भी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि सम्भव न हो और मूल्यों में भी स्थिरता बनी रहे तो मुद्रा-विस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

**परिभाषायें**—मुद्रा-संकुचन की प्रमुख परिभाषायें निम्न हैं—

- (1) पीगू के अनुसार, “जब समाज की मौद्रिक आय की तुलना में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन तेजी से बढ़े जिससे मुद्रा की भ्रय शक्ति में वृद्धि होकर, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें गिर जायें तो इस स्थिति को मुद्रा संकुचन कहेंगे।”
- (2) फ्राउयर के अनुसार, “मुद्रा-संकुचन वह स्थिति है, जिसमें मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो अर्थात् मूल्यों में कमी हो।”<sup>1</sup>

**परिस्थितियाँ**—प्रायः मूल्यों के गिरने से मुद्रा-संकुचन निम्न परिस्थितियों में ही सम्भव हो सकता है—

- (1) उत्पादन पूर्ववत् रहने से मौद्रिक आय में कमी हो तो मुद्रा संकुचन होता है।
- (2) मौद्रिक आय एवं उत्पादन दोनों बढ़ें, परन्तु उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने पर।
- (3) जब देश में उत्पादन बढ़े, परन्तु मौद्रिक आय में कमी हो।
- (4) जब उत्पादन एवं मौद्रिक आय दोनों में कमी हो, परन्तु मौद्रिक आय तेजी से घटे।
- (5) मौद्रिक आय यथास्थिर रहने पर यदि उत्पादन तेजी से बढ़ जाये तो संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

**संज्ञक**—मुद्रा-विस्फीति के प्रमुख लक्षण निम्न हैं—

- (1) मूल्यों में कमी—मुद्रा-संकुचन में मूल्यों में कमी होना पाया जाता है।
- (2) उत्पादन में अधिक वृद्धि होना—मुद्रा की मात्रा की तुलना में तुलनात्मक दृष्टि से उत्पादन में अधिक मात्रा में वृद्धि होती है। उत्पादन में अधिक वृद्धि हो जाने से वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं व मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है जिससे धीरे-धीरे मुद्रा-संकुचन या विस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- (3) विपन्न मुग्तान सन्तुलन—मुग्तान सन्तुलन के निरन्तर विपन्न में रहने से विदेशी पूँजी के आयात होने पर भी मुद्रा की मात्रा एवं वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि सम्भव न हो तो उस समय भी विस्फीति उत्पन्न हो सकती है।

1. “Deflation then becomes a state in which the value of money is rising, i.e., prices are falling.”—Crowther: *An Outline of Money* (1958), p. 107.

## मुद्रा-स्फीति एवं मुद्रा-संकुचन

### मुद्रा-संकुचन के कारण (Causes of Deflation)

प्रायः मुद्रा-संकुचन निम्न कारणों से उदय होता है—

- (1) भारी करारोपण एवं ऋण लेना—सरकार जनता पर भारी करारोपण करके तथा ऋण लेकर मुद्रा की मात्रा में कमी करके विस्फीति की स्थिति उत्पन्न कर सकती है।
- (2) वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि—चलन मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने पर वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर मूल्यों में कमी हो जाती है और मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- (3) मुद्रा परिमाण में कमी—सरकार मुद्रा के परिमाण में कमी करके या अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा को रद्द करके संकुचन की स्थिति उत्पन्न कर सकती है।
- (4) साल नियंत्रण नीतियाँ—केन्द्रीय बैंक साल-निर्माण पर नियंत्रण लगाकर मुद्रा-संकुचन कर सकती है। इसमें बैंको के रक्षित कोष की मात्रा को बढ़ाकर, जनता से प्रत्यक्ष रूप में ऋण लेकर, एच. एच. बाजार की क्रियाएँ आदि सम्मिलित की जाती हैं।
- (5) बैंक दर में वृद्धि करके—केन्द्रीय बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि करने पर अन्य बैंकिंग संस्थानों भी अपनी ब्याज दर में बढ़ोतरी कर देती हैं जिससे देश में साल का संकुचन हो जाता है और परिणामस्वरूप विस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

### अपस्फीतिकारी एवं स्फीतिकारी अन्तराल (Deflationary and Inflationary Gap)

(1) अपस्फीतिकारी अन्तराल—पूर्ण रोजगार बनाये रखने हेतु जितने व्यय की आवश्यकता हो और उस मात्रा से कम व्यय करने पर दोनों के अन्तर को अपस्फीतिकारी अन्तराल कहते हैं। इसे चित्र 10.6 द्वारा दिखाया गया है।  $MB - PB = MP$  है।


(2) स्फीतिकारी अन्तराल—पूर्ण रोजगार बनाये रखने वाले व्यय से जितना अधिक व्यय सरकार द्वारा किया जाये वह सब स्फीतिकारी अन्तराल कहलाता है। इसे चित्र 10.7 द्वारा स्पष्ट किया गया है।  $LM$  कुल व्यय की आवश्यकता तथा  $NM$  कुल व्यय है, तो स्फीतिकारी अन्तराल  $= NM - LM = NL$  है।

### मुद्रा-संकुचन के प्रभाव (Effects of Deflation)


मुद्रा संकुचन से समाज के विभिन्न वर्गों पर भिन्न-भिन्न ढंग से प्रभाव पड़ता है। मुद्रा-संकुचन के प्रभाव का अध्ययन निम्न प्रकार किया जा सकता है—

- (1) नैतिक प्रभाव।
- (2) आर्थिक प्रभाव।
- (3) सामाजिक व अन्य प्रभाव।

- (1) नैतिक प्रभाव—मुद्रा-संकुचन के नैतिक प्रभाव निम्न प्रकार हैं :
  - (i) निराशा की भावना—मुद्रा-संकुचन के समय कार्य बन्द होने लगते हैं, मजदूरों को काम नहीं मिलता जिससे उनमें निराशा की भावना फलने लगती है।
  - (ii) धोरी में वृद्धि—जनता की आय में कमी होने लगती है जिससे जीवन-स्तर को बनाये रखने के लिए मनुष्य को धोरी का सहारा भी लेना पड़ता है



चित्र 10.6



चित्र 10.7

जिसमें अनंतिकता में वृद्धि होती है।

(iii) बेरोजगारी—कारखानों की उत्पादन क्षमता में कमी हो जाने एवं माग में कमी हो जाने से अनेक कारखाने बन्द हो जाते हैं, जिससे बेरोजगारी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। बेरोजगारी फैलने से देश में अराजकता का वातावरण उत्पन्न होने लगता है, जिसे रोकने के सरकार हर सम्भव प्रयास करती है।

(2) आर्थिक प्रभाव—मुद्रा-संकुचन के आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित हैं :

(iv) व्यापारी एवं उत्पादक वर्ग—देश में वस्तुओं की कीमतें गिरने से व्यापारी एवं उत्पादक वर्ग को हानि का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस काल में माग कम हो जाने से बिक्री कम हो जाती है और स्टॉक में वृद्धि होने से उसे कम मूल्य पर बेचने के प्रयास किये जाते हैं, फलस्वरूप हानि की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ग्राहकों को सन्तुष्ट करने के लिए अतिरिक्त छूट दी जाती है तथा माल न बिकने से पूँजी का अभाव अनुभव किया जाता है।

(v) कृषकों को हानि—मुद्रा-संकुचन से किसानों को हानि सहन करनी पड़ती है। उन्हें लगान के रूप में एक पूर्व निश्चित राशि भुगतान करनी पड़ती है, जिससे इस राशि का वास्तविक भार बढ़ जाता है और कृषकों पर भार बढ़ जाता है। कृषि उपज की कीमतें अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गिरती हैं। इससे भी कृषकों को भारी हानि सहन करनी पड़ती है।

(vi) उपभोक्ता वर्ग को लाभ—मूल्यों के गिरने से सीमित आय में अधिक वस्तुएँ प्राप्त की जा सकती हैं, जिससे मुद्रा-संकुचन उपभोक्ताओं को लाभप्रद होता है। सीमित आय वाले उपभोक्ताओं को अधिक लाभ प्राप्त होता है और वे अपनी आवश्यकताओं को अधिक मात्रा में सन्तुष्ट करने में सफल हो जाते हैं।

(vii) ऋणों को हानि व ऋणदाताओं को लाभ—मुद्रा संकुचन से ऋणों की हानि होती है क्योंकि उसे मूल-धन व व्याज के लिए वस्तुओं व सेवाओं के रूप में अधिक त्याग करना पड़ता है और उन्हें ऋण का भार असहनीय हो जाता है। इसके विपरीत ऋणदाताओं को लाभ होता है, क्योंकि वस्तुओं व सेवाओं के रूप में मुद्रा का मूल्य पहले से अधिक हो जाता है और उन्हें लाभ प्राप्त होता है।

(viii) श्रमिक वर्ग को हानि—प्रारम्भिक अवस्था में मुद्रा संकुचन के कारण मूल्यों में कमी होने से मजदूरों को लाभ होते हैं क्योंकि उनकी मजदूरी पूर्ववत् ही रहती है। परन्तु थोड़े समय पश्चात् उद्योगपति जब मजदूरी घटाने लगते हैं तो अनेक मजदूरों को छटनी हो जाती है और इस प्रकार बेरोजगारी में वृद्धि होकर श्रमिकों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है जिससे उनके आर्थिक जीवन-स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(ix) विनियोजताओं को हानि—मुद्रा संकुचन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के अंश एवं प्रतिभूतियों के मूल्य गिरने से विनियोजताओं को हानि उठानी पड़ती है। मन्दी के कारण व्यापार व व्यवसाय के बन्द हो जाने से विनियोग-पत्रों का मूल्य गिर जाता है।

(3) सामाजिक एवं अन्य प्रभाव—मुद्रा संकुचन के सामाजिक एवं अन्य प्रभावों में निम्न को सम्मिलित किया जाता है :

(x) सरकार पर ऋण भार में वृद्धि—मुद्रा की क्रय शक्ति के बढ़ जाने से सरकार पर ऋण का भार बढ़ जाता है तथा उसे कभी-कभी अतिरिक्त ऋण भी लेना पड़ता है।

(xi) बैंक का काम में कमी—मन्दी के कारण बैंक एवं बीमा कंपनियों का कार्य भी घीमा हो जाता है तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। अनेक बैंक कार्य की कमी के कारण अपना व्यवसाय बन्द करने पर मजबूर हो जाते हैं।

(xii) कारखानाओं को हानि—मन्दी के समय जो कर लगाये जाते हैं, वस्तुएँ व सेवाओं के रूप में उनकी मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार कारखानाओं को कर चुकाने में हानि सहन करनी पड़ती है।


(xiii) व्यापार क्षेत्र पक्ष में—मन्दी आ जाने से निर्यात की मात्रा में वृद्धि होती है तथा आयात घटने से व्यापार क्षेत्र देश के पक्ष में हो जाता है। परन्तु बाद में मन्दी का प्रभाव सर्वत्र फैलने पर व्यापार में भी मन्दी आ जाती है और धीरे-धीरे विदेशी व्यापार ही समाप्त हो जाता है।

(xiv) सामान्य जनता को लाभ—मुद्रा संकुचन के कारण वस्तुओं के मूल्यों में कमी आ जाने से जनता को



## मुद्रा-स्फीति एवं मुद्रा-संकुचन

साम प्राप्त होते हैं, क्योंकि पहले की अपेक्षा उन्हें अब अनेक वस्तुओं पर प्राप्त होने लगती है।  
मुद्रा-संकुचन के प्रभावों को निम्न चार्ट द्वारा स्पष्ट किया गया है :



### मुद्रा-संकुचन पर नियंत्रण (Control on Deflation)

मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने के लिए निम्न उपायों को काम में लाया जा सकता है।

- I सरकारी नीति एवं उपाय।
- II. मौद्रिक उपाय।

#### I. सरकारी नीति एवं उपाय

सरकार द्वारा संकुचन को नियंत्रित करने के लिए निम्न कार्य किये जा सकते हैं—

- (1) ऋणों को सीटाना—इस काल में सरकार अपने द्वारा लिये गये ऋणों को लौटाकर जनता व बैंकों के पास धन की वृद्धि करती है जिससे मन्त्रालय में मौजूद मुद्रा के आने में संकुचन का प्रभाव कम होगा।
- (2) करों में छूट—सरकार अनेक क्षेत्रों में करों की मात्रा में छूट देकर जनता के पास अधिक मात्रा में क्रय शक्ति छोड़ देती है, इससे मुद्रा संकुचन का प्रभाव कम हो जाता है।
- (3) सरकार द्वारा शरीर—सरकार अनिश्चित मास को स्वयं शरीरकर मूल्यों में होने वाली कमी को रोकती है। यह शरीरदा हुआ भाग अधिक के लिए संग्रह करके अपना दूगरे राष्ट्रों को ऋण के रूप में दिया जा सकता है।
- (4) विदेशी विनियोग—संकुचन का प्रभाव कम करने के लिए सरकार विदेशी विनियोग को प्रोत्साहित करती है जिससे नवीन पूँजी के आगमन में संकुचन की स्थिति में सुधार सम्भव हो सके।
- (5) अनिश्चित उत्पादन को नष्ट करना—मूल्यों की कमी को रोकने के लिए देश के अनिश्चित उत्पादन को नष्ट करके मूल्यों को गिरने में रोकना जा सकता है। यह व्यवस्था विभिन्न देशों में विरोधक आनायी जाती है। विकासशील एवं अर्द्धविकसित देशों में इसे बहुत कम प्रयोग किया जाता है।
- (6) निर्माताओं को प्रोत्साहन—मुद्रा-संकुचन के समय सरकार निर्माता प्रोत्साहन के लिए आवश्यक योजनाओं का निर्माण कर सकती है जिससे मूल्यों में कमी न हो। इसके लिए आर्थिक सहायता, सस्ते ऋण की व्यवस्था आदि उपायों को अपनाया जा सकता है।
- (7) पूँजी की सहायता—मुद्रा-विस्फीति काल में सरकार नवीन उद्योगों को पूँजी एवं ऋण सम्बन्धी सहायता प्रदान कर सकती है जिससे नवीन उद्योगों की स्थापना में रोकथाम में वृद्धि हो तथा आय में भी वृद्धि सम्भव हो सके।
- (8) नवीन निर्माण कार्य—मुद्रा-संकुचन के समय सरकार द्वारा अनेक नवीन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से रोकथाम में वृद्धि की जा सकती है इससे मांग में वृद्धि होकर संकुचन के प्रभावों को कम किया जा सकता है।

#### II. मौद्रिक उपाय


मुद्रा-संकुचन पर नियंत्रण लगाने के लिए निम्न मौद्रिक उपायों का पालन किया जा सकता है—

- (1) बैलिंग विधान—सरकार द्वारा बैंकों के विधान के लिए आर्थिक सहायता देकर मांग का विस्तार किया जा सकेगा तथा मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
- (2) मुद्रा का निर्गमन—देश में मुद्रा का अधिक मात्रा में निर्गमन करके गिरने हुए मूल्यों को रोका जा सकेगा।

तथा मुद्रा-संकुचन पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके लिए नवीन प्रकार के नोटों का प्रचलन किया जाता है तथा देश में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है।

(3) साख नीति में सुविधा—केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नीति में सुविधाएं देने से व्यापारी बैंकों को अधिक साख विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। व्याज की दर कम होने के से व्यापारी भी अधिक ऋण लेगा तथा मुद्रा-संकुचन की स्थिति में सुधार होने लगेगा।

इसे निम्न चार्ट द्वारा भी दिखाया जा सकता है—



### मुद्रा-स्फीति अनुपयुक्त एवं मुद्रा-संकुचन अन्यायपूर्ण

रोजगार एवं उत्पादन की पूर्णता ही मुद्रा-प्रसार या मुद्रा-संकुचन की कसौटी है। देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति होने के बाद भी मूल्यों में यदि वृद्धि हो तो वह मुद्रा-प्रसार होगा। इसी प्रकार मूल्यों में कमी आने से रोजगार एवं उत्पादन में कमी आने लगे तो उसे मुद्रा-संकुचन कहेंगे।

**मुद्रा-प्रसार अनुपयुक्त—**मुद्रा-प्रसार से द्रव्य का मूल्य गिर जाता है व उसकी प्रय शक्ति कम हो जाती है जिससे प्रतिभूतियों में विनियोग करने से व्यक्ति की वास्तविक आय कम हो जाती है। उत्पादकों को मुद्रा-स्फीति में लाभ प्राप्त होते हैं क्योंकि वे कम मूल्य पर कच्चा माल खरीदकर ऊँचे दाम पर निर्मित माल बेचकर लाभ अर्जित करते हैं। उधार लेने वालों को मुद्रा-प्रसार से लाभ प्राप्त होने हैं क्योंकि ऋण वापस करते समय मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है परन्तु उधार देने वालों को हानि का सामना करना पड़ता है। यदि हीनार्थ प्रवृत्तन द्वारा नोटों की मात्रा में वृद्धि कर दी जाये तो इसका भार निर्धनों पर पड़ेगा और उनकी आय में कमी हो जायेगी जिससे वे अपनी आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने में भी असफल रहेंगे। इस प्रकार मुद्रा-प्रसार के समय समाज के एक वर्ग को लाभ प्राप्त होते हैं परन्तु दूसरे और समाज के दूसरे वर्ग के व्यक्ति हानि उठाते हैं। इसी कारण मुद्रा प्रसार को अनुपयुक्त कहा गया है।

### मुद्रा-स्फीति के कारण—

- (i) सामान्य जनता की श्रम शक्ति बहुत कम हो जाती है और उसे वस्तुएं महंगे मूल्यों पर मिलती हैं।
- (ii) इससे ऋणदाता वर्ग को हानि होती है, क्योंकि जिस समय राशि उधार ली जाती है, उस समय मुद्रा की श्रम शक्ति बढ़ नहीं रहती जो पहले थी।
- (iii) इससे निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है और मूल्य बढ़ने से उनका नियमित संचय बलना कठिन हो जाता है।
- (iv) स्फीति में अनेक प्रकार के अनैतिक अपराध होने लगते हैं, जिससे नागरिकों को नष्ट होता है और प्रशासन पर भी दबाव बढ़ जाता है और अस्तित्व का साक्षात्करण उत्पन्न हो जाता है।


मुद्रा-संकुचन अन्वयायपूर्ण—मुद्रा-संकुचन में मान की मांग कम होने से वस्तुओं के मूल्य गिरने लगते हैं जिससे विविध आय वाले व्यक्तियों की अल्पकाल में साम प्राप्त होते हैं, परन्तु दूरी ओर उद्योग एवं व्यापारिक संस्थाएँ बन्द होने लगती हैं, क्योंकि वे अपने लागत मूल्य को भी प्राप्त करने में असमर्थ रहने हैं पत्रव्यवस्था बरखाने बन्द हो जाते हैं मजदूरों में बेरोजगारी फैलती है तथा समाज की भयंकर मन्दी का सामना करना पड़ता है। बैंकों की प्रतिभूतियों के मूल्य भी गिरने लगते हैं जिससे बैंकों की आर्थिक सहायता का सामना करना पड़ता है। देश की सम्पूर्ण व्यापारिक एवं औद्योगिक व्यवस्था ध्वंस हो जाती है, सरकार भी सरलता से करोड़ों को बचाने करने में असमर्थ रहती है तथा प्रत्येक वर्ग को मन्दी की हानि का सामना करना पड़ता है। मुद्रा-संकुचन के अन्वयायपूर्ण होने के मुख्य कारण निम्न हैं।

- (1) बेरोजगारी—मुद्रा-संकुचन से देश में बरखाते बन्द हो जाते हैं और अनेक धर्मित बेरोजगार हो जाते हैं। त्रिमये सामान में असन्तोष का वातावरण उत्पन्न हो जाता है।
- (2) उदासता में निषिद्धता—संकुचन काल में मूल्यों में कमी होने से उत्पादकों के साम कम हो जाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था की हानि सहन करनी होती है।

बीनों से तो मुद्रा-संकुचन ही अधिक बन्धुत्वपूर्ण—मुद्रा प्रसार केवल कुछ वर्गों को ही अधिक बन्धु देता है और यह कष्ट एवं हानि ही फैलता है, परन्तु मुद्रा-संकुचन का प्रभाव व्यापक रूप से फैलता है जो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को बिगाड़ देता है। मुद्रा-संकुचन में मूल्यों में गिरावट प्रारम्भ हो जाती है और जनता का अविश्राम उद्योगों को जाने बढ़ने में रूकावट उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार मुद्रा प्रसार में व्यापार, उद्योग, बैंक व्यवस्था तथा श्रमिकों आदि को पर्याप्त लाभ प्राप्त होने है और देश की अर्थव्यवस्था उन्नति की ओर जाती है। परन्तु मुद्रा संकुचन के समय कृषि व्यवसाय एवं विदेशी व्यापार में मन्दी आ जाती है अनेक व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं तथा देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। मुद्रा-प्रसार यदि मुद्रा है तो मुद्रा-संकुचन अक्षय एवं आवश्यक है। इसी कारण प्रो० कीन्ग का कथन है कि मुद्रा प्रसार की स्थिति अन्वयायपूर्ण है तथा मुद्रा-संकुचन अनुसुचित और इन दोनों में मुद्रा-संकुचन ही अधिक सुरा है।

### मुद्रा अपस्फीति (Dis-Inflation)

देश में मुद्रा-सन्धीन की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर उसे सामान्य मूल्य स्तर तक लाने के लिए मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाती है, जिसे मुद्रा-अपस्फीति कहते हैं। इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए प्रायः मुद्रा-संकुचन की रीतियों को ही काम में लाया जाता है। मुद्रा-अपस्फीति में मुद्रा की मात्रा को एक असामान्य रूप स्तर से सामान्य स्तर तक लाने के समय प्रयास किये जाते हैं। मुद्रा-अपस्फीति देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक मानी जाती है, जबकि मुद्रा-संकुचन से राष्ट्र की हानि होने की सम्भावना बनी रहती है।



चित्र 10.8

चित्र 10.8 में मुद्रा-प्रसार, मुद्रा-संकुचन, संस्फीति एवं विपरीति को समझाया गया है—

### मुद्रा-अपस्फीति के ढंग

मुद्रा-अपस्फीति लाने के प्रमुख ढंग निम्नलिखित हैं—

- (1) मुद्रा को रद्द करना—पुरानी मुद्रा का एक बड़ा भाग रद्द करके मुद्रा की मात्रा को कम कर दिया जाता है त्रिमये स्थिति में सुधार लाया जा सके।
- (2) बचत को प्रोत्साहन—देश में बचतों को प्रोत्साहित करके मुद्रा चलन में कमी कर दी जाती है।
- (3) बर खाना—सरकार अपनी बरखाने करने वा ऋणियों को बेचकर चलन के अधिकाधिक मात्रा में चलन मुद्रा को बाहर लाने के प्रयास किये जाते हैं।

(4) उत्पादन में वृद्धि—देश में उत्पादन की मात्रा में शीघ्रता से वृद्धि करके अतिरिक्त मुद्रा को घोषण करने के प्रयास किये जाते हैं, जिससे स्फीति पर नियंत्रण रखा जा सके।

### मुद्रा-अपस्फीति एवं मुद्रा-संकुचन में अन्तर

मुद्रा-अपस्फीति एवं मुद्रा-संकुचन में प्रमुख अन्तर इस प्रकार हैं :—

(1) स्थिति—मुद्रा-अपस्फीति से देश में सामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है, परन्तु मुद्रा-संकुचन से मंदी का वातावरण उत्पन्न होने से अनेक व्यवसाय व उद्योग बन्द हो जाते हैं।

(2) परिस्थितियाँ—देश में मुद्रा-अपस्फीति की नीति का पालन एक निश्चित रीति के आधार पर किया जाता है और सरकार इसके लिए सक्रिय प्रयास करती है, जबकि मुद्रा-संकुचन अपने आप परिस्थितियों वश हो जाता है।

(3) मूल्य स्तर—मुद्रा-अपस्फीति में मूल्य स्तर सामान्य अवस्था में आ जाता है जबकि मुद्रा-संकुचन से देश में मन्दी की स्थिति उत्पन्न होती है।

(4) मुद्रा की मात्रा—मुद्रा-अपस्फीति में मुद्रा की मात्रा को घटाकर एक सामान्य स्तर तक लाया जाता है। इसके विपरीत मुद्रा-संकुचन की स्थिति में मुद्रा की मात्रा सामान्य स्तर से गिरकर बहुत नीचे की ओर चली जाती है।

(5) बेकारी—संकुचन में बेकारी फैलती है परन्तु अपस्फीति में यह दोष नहीं रहता क्योंकि सरकार मूल्य को इस प्रकार समायोजित करती है कि बेरोजगारी न हो पावे।

### मुद्रा-अपस्फीति के उपाय

मुद्रा-अपस्फीति के लिए सरकार (i) पुरानी मुद्रा का एक बड़ा भाग रद्द कर सकती है जैसाकि जर्मनी में हुआ था। (ii) बचतों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे मुद्रा चलन में कम हो जाती है, (iii) सरकार ऋणपत्र बेचकर या नवीन कर लगाकर चलन से अधिक मुद्रा वापस कर सकती है, (iv) उत्पादन में शीघ्रता से वृद्धि करके अतिरिक्त मुद्रा का घोषण करने के प्रयत्न किये जाते हैं।


### मुद्रा-संस्फीति

(Reflation)

मुद्रा-संकुचन के कारण मूल्यों में कमी होने से देश में बेरोजगारी बढ़ती है और उसे मुधारने की दृष्टि से जान-बूझकर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके मूल्यों में वृद्धि की जाये तो उसे मुद्रा-संस्फीति कहेंगे। मन्दी के अभावों को दूर करने की दृष्टि से जान-बूझकर किये गये मुद्रा प्रसार को मुद्रा संस्फीति कहेंगे।<sup>1</sup> इस प्रकार नियंत्रित मुद्रा-प्रसार को संस्फीति कहा जाता है।

### मुद्रा-संस्फीति के ढंग

#### मुद्रा संस्फीति के ढंग



मुद्रा-संस्फीति साने के लिए प्रमुख ढंग निम्नलिखित हैं—

(1) उत्पादन की सरीद—देश में अतिरिक्त उत्पादन को सरकार स्वयं त्रय कर ले या विदेशों में माल निर्यात कर दिया जाये तो मुद्रा-संकुचन की स्थिति का अन्त हो जायेगा।

1. "Reflation may be defined as inflation deliberately undertaken to relieve a depression."  
—G. D. H. Cole.

(2) निर्माण कार्य—सरकार जनता को श्रुण देकर अपना नवीन निर्माण कार्य प्रारम्भ करके अधिक मुद्रा को चलन में आने के प्रयास किये जाते हैं जिससे मन्दी को समाप्त किया जा सके।

(3) विनियोगों को प्रोत्साहन—इसमें सरकार द्वारा विनियोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे पूंजी का उपयोग नवीन कारखानों की स्थापना में सुविधापूर्ण ढंग से किया जा सके।

### मुद्रा-संस्फीति एवं मुद्रा-स्फीति में अन्तर

मुद्रा-संस्फीति एवं मुद्रा-स्फीति में प्रमुख अन्तर निम्नलिखित है—

(1) प्रभाव—मुद्रा-संस्फीति से सन्तुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, परन्तु स्फीति से मूल्यों में वृद्धि होती है।  
 (2) नियंत्रण—मुद्रा-संस्फीति को एक निश्चित सीमा पर नियंत्रित किया जा सकता है, परन्तु मुद्रा-स्फीति को रोकना कठिन होता है।

(3) सुधार—मुद्रा-संस्फीति का उद्देश्य संकुचन की बबस्था में सुधार करना होता है, परन्तु मुद्रा-स्फीति अल्पकालीन कारणों से उदय होती है।

(4) जानबूझकर—मुद्रा-संस्फीति को जानबूझकर प्रारम्भ किया जाता है और इसका प्रारम्भ मुद्रा-संकुचन की चरम सीमा तक पहुँचने पर होता है। मुद्रा-स्फीति विशेष परिस्थितियों में प्रारम्भ की जाती है जिस पर प्रायः सरकार का नियंत्रण बना रहना है।

इस प्रकार मुद्रा-संस्फीति देना के लिए सामंदायक परन्तु मुद्रा-स्फीति हानिकारक होती है।

### मुद्रा-संस्फीति के उपाय

मुद्रा-संस्फीति के मुख्य उपाय निम्न हैं :

- (i) सरकार श्रुण देकर या नवीन निर्माण कार्य प्रारम्भ करके अधिक मुद्रा प्रचलन में आने का प्रयास करती है।
- (ii) देश में विनियोगों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जाते हैं।
- (iii) अतिरिक्त उत्पादन को सरकार स्वयं ख़य करके या विदेशों में निर्यात करने का प्रयत्न करके स्थिति को सुधारा सकती है।

## व्यापार-चक्र (TRADE CYCLES)


**प्रारम्भिक**—किसी भी देश का आर्थिक विकास व्यवस्थित एवं नियमित रूपसे नहीं हो पाता। देश का विकास आर्थिक क्रियाओं—विनियोग, नियोजन, रोजगार एवं उत्पादन—के उच्चावचन से प्रभावित होता रहता है। आर्थिक जगत में सम्पन्नता तथा सम्पन्नता के बाद मन्दी व मन्दी के बाद पुनः सम्पन्नता की स्थिति आती रहती है। भूतकाल में भी यह उच्चावचन पाये जाते थे, परन्तु उस समय इन घटनाओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि समाज पर इनके प्रभाव अधिक भीषण नहीं थे। विस्तार के समय देश की कुल अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो जाती थी, फलस्वरूप व्यापार, रोजगार तथा मूल्यों में वृद्धि होकर अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ता था। इसके विपरीत मन्दी के समय सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़कर उत्पादन, रोजगार एवं मूल्यों आदि पर बुरा प्रभाव पड़ा। वर्तमान गतिशील अर्थव्यवस्था में चक्रीय उच्चावचन आते रहते हैं। परन्तु अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विस्तार का प्रभाव संकुचन के प्रभावों की अपेक्षा अधिक तीव्र होता है। मन्दी के समय स्थिति अधिक बिगड़ जाती है और प्राकृतिक ढंग से उसमें कोई सुधार सम्भव नहीं होता और इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए देश में कृत्रिम उपाय करने पड़ते हैं। वर्तमान समय में अर्थशास्त्री चक्रीय परिवर्तनों के प्रभाव, स्वभाव एवं विशेषताओं आदि के सम्बन्ध में गहन जांच पड़ताल करते चले हैं। आर्थिक उच्चावचन विभिन्न रूपों में हो सकता है जिसमें से कुछ बड़े तथा अन्य छोटी अवधि के लिए होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् व्यावसायिक चक्रों की गहनता में अत्यधिक वृद्धि हो गई तथा विश्व के अनेक राष्ट्रों में भीषण बेरोजगारी फैल गई। 1929-30 की महान मन्दी काल में परिस्थितियाँ अधिक गम्भीर हो गईं और यह अनुभव किया गया कि अवसाद के पश्चात् पुनर्स्थापन स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाता और उसके लिए विशेष कृत्रिम उपायों का सहारा लेना पड़ता है। अतः अर्थशास्त्रियों ने व्यावसायिक क्रियाओं की इस चक्रीय प्रवृत्ति के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जांच करना आरम्भ कर दिया। इस जांच का आधार ही व्यापार-चक्र माना गया।

**उच्चावचनों के रूप**

(Forms of Fluctuations)

आर्थिक एवं व्यावसायिक जगत में होने वाले समस्त उच्चावचन चक्रीय नहीं होते। आर्थिक जगत में ऐसे निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं जिसमें साम्य की स्थिति को प्राप्त करना सम्भव नहीं हो पाता। विभिन्न प्रकार के उच्चावचनों के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं—

### उच्चावचनों के रूप




(1) अनियमित उतार-चढ़ाव (Irregular Fluctuation)—इस प्रकार के उच्चावचन प्रायः यावत्सिद्ध

परिवर्तन जैसे बाढ़, भूचाल, अनाज, मूंगमरी आदि के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। वर्ष में कुछ अवधि ऐसी होती है जिनमें अप्रत्याश उतारान क्षेत्र में व्यावसायिक क्रियाओं में तेजी से वृद्धि होने लगती है। इसी प्रकार जलवायु के परिवर्तनों के कारण भी व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्रियाओं में अनेक प्रकार के उच्चावचन आते रहते हैं। यह उच्चावचन निश्चित समय पर नहीं आते बल्कि अनिश्चित ढंग में आते रहते हैं। इनके कारण वस्तुओं की मांग, पूंजी एवं मूल्य सम्बन्धी व्यवस्था में संतुलन नहीं रह पाता और व्यावसायिक क्रियाएँ बदल जाती हैं। इस उच्चावचन से देश के उद्योगों एवं व्यवसायों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ने लगते हैं।

(2) दीर्घकालीन उच्चावचन (Secular Fluctuations)—विरव में कुछ परिवर्तन स्थायी एवं दीर्घकालीन प्रकृति के होते हैं जो अर्थव्यवस्था पर एक दीर्घकाल की अवधि तक प्रभाव डालते हैं। यह परिवर्तन प्रायः जनसंख्या में वृद्धि प्राविधिपन उल्लान, भूमि सुधार, नवीन आविष्कार एवं अन्य मौलिक परिवर्तनों के कारण होते हैं। यह परिवर्तन निश्चित योजनाओं के फलस्वरूप ही प्राप्त होते हैं।

(3) अचानक उच्चावचन (Random Fluctuations)—इन परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाया नहीं जा सकता है। प्रारम्भ में यह प्राकृतिक होते हैं, परन्तु इनमें अनिश्चितता का अंग अधिक होता है। यह परिवर्तन असाध्यिक कारणों से भी उत्पन्न होते हैं। जैसे राजस्विक घटनाओं में परिवर्तन, नवीन आविष्कार एवं नवीन प्रकार की सामानों का मिल जाना आदि। यह परिवर्तन प्रायः व्यावसायिक क्रियाओं में उच्चावचनों के कारण आते हैं। यह परिवर्तन विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करते हैं जिनके लिए विभिन्न प्रकार के उपायों का पालन करना पड़ता है।

(4) षष्ठीय उच्चावचन (Cyclical Fluctuations)—षष्ठीय उच्चावचन देश में अन्य प्रकार के परिवर्तनों से जुड़े रहते हैं परन्तु यह परिवर्तन निश्चित रूप में होते रहते हैं। यह अल्पकालीन उच्चावचन होते हैं और अक्सर ही व्यावसायिक कार्यवाहियाँ विस्तार की ओर आते-सूटते हैं। धीरे-धीरे विस्तार कम फिर एक बार रुक जाता है। जिससे मनुष्य की क्रिया प्रारम्भ हो जाती है। यह क्रिया कुछ समय तक चलकर फिर रुक जाती है और विस्तार की प्रवृत्ति पुनः उत्पन्न हो जाती है। यहाँ से व्यावसायिक विस्तार का क्रम फिर से पढ़ने की भाँति प्रारम्भ हो जाता है, परन्तु यह क्रम फिर से टूट जाता है। इन क्रम में पर्याप्त नियमितता नहीं रहती है तथा विस्तार व मनुष्य की दो अवस्थाओं के मध्य एक निश्चित अवधि का अन्तर बना रहता है। सांख्यिक व्यावसायिक क्रिया नियमितता के रूप में दिखाई देता है और इनके फलस्वरूप व्यावसायिक क्रिया की वृद्धि एवं उसका पतन धीरे-धीरे होता रहता है। इन उच्चावचन को चित्र 11.1 द्वारा दिखाया गया है।



चित्र 11.1

जन्म का चित्र में दिखा गया मुद्रा प्रसार धीरे-धीरे बढ़ता है। परन्तु अभिवृद्धि (Boom) में पतन (Slump) महसूस हो जाता है और पतन के पश्चात् फिर पुनरुत्थार (Recovery) का कार्य धीरे-धीरे प्रारम्भ होता है जिसमें बारी-बारी से प्रसरण होता है। ये उतार-चढ़ाव एक तरह के मसाले होते हैं जिनमें मनुष्य एवं विस्तार की अवस्था एक के बाद दूसरे पर स्वयं ही घटित हो जाना बहती है। इनमें क्रियाएँ विस्तार की ओर आकर बहती जाती हैं फिर कुछ समय पश्चात् यह क्रम रुक जाता है तथा मनुष्य की क्रियाएँ प्रारम्भ हो जाती हैं। मनुष्य की घटते-समान एवं घटते-बढ़ते क्रम आते हैं और विस्तार पुनः प्रारम्भ हो जाता है। इन प्रकार अर्थव्यवस्था में मनुष्य एवं विस्तार की प्रवृत्तियाँ एक दूसरे के बाद घटित होती रहती हैं और इसी अवस्था के कारण इन षष्ठीय उच्चावचन के नाम में जाना जाता है। मनुष्य के बाद विस्तार तथा विस्तार के बाद मनुष्य की स्थिति घटित होती रहती है।

## व्यापार-चक्र की परिभाषायें

व्यापार-चक्र की अनेक परिभाषायें दी जा सकती हैं, जिसमें से प्रमुख परिभाषायें निम्न हैं—

(1) कैन्स के अनुसार, "व्यापार चक्र से आशय अच्छे व्यापार-समय, जो बढ़ते मूल्य एवं निम्न बेरोजगार प्रतिशत को बताता है, एवं इसके विपरीत बुरे व्यापार समय, जो गिरते मूल्य एवं ऊंचे बेरोजगार प्रतिशत द्वारा प्रदर्शित होता है, से लगाया जाता है।"<sup>1</sup>

(2) मिचेल के अनुसार, "व्यापार-चक्र संघटित-समुदाय में होने वाले आर्थिक क्रियाओं के उच्चावचन हैं। व्यवसाय शब्द इस धारणा को उन क्रियाओं तक सीमित कर देता है, जो व्यवस्थित ढंग से व्यवसायिक व्यापार पर संचालित की जाती हैं। चक्र शब्द उन उच्चावचनों को पृथक् कर देता है जो नियमितता के साथ घटित नहीं होते।"<sup>2</sup>

(3) हाट्टे के अनुसार, "विशेष प्रकार के उच्चावचन व्यापार-चक्र कहलाते हैं, क्योंकि एक दिशा में अधिक गतिशीलता केवल अपने उपचार ही प्रस्तुत करती है, बल्कि दूसरी दिशा में गतिशीलता के आधिपत्य को प्रोत्साहित करती है।"<sup>3</sup>

(4) हेबरलर के अनुसार, "सामान्य अर्थों में व्यापार-चक्र को प्रगतिकाल एवं मन्दीकाल में अच्छे व बुरे व्यापार के उपाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।"<sup>4</sup>

(5) हेन्सन के अनुसार, "व्यापार-चक्र अर्थव्यवस्था के औद्योगिक ढांचे का विशेष दर्शन है, जिससे उच्चस्तरीय सम्बन्धित आधुनिक समाज में तेजी व मन्दी अन्य समुदाय में पुनर्वितरित होती रहती है।"<sup>5</sup>

(6) जे० टिन्बर्गन के अनुसार, "व्यापार-चक्र उच्चावचनों के मध्य का एक खेल है, और एक आर्थिक पद्धति इन उच्चावचनों के चक्रीय समायोजित विस्तार को प्रदर्शित करने में सफल हो जाती है।"<sup>6</sup>

(7) प्रो० बेनहम के अनुसार, "व्यापार-चक्र वैभव एवं सम्पन्नता का एक ऐसा काल है, जिसके पश्चात् मन्दी या अवकाश का आना स्वाभाविक हो जाता है।"

किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में तेजी व मन्दी, समृद्धि एवं गरीबी बारी-बारी से आती रहती है तथा इसके विकास में स्थायित्व नहीं रहता। अर्थव्यवस्था में तेजी के बाद मन्दी तथा मन्दी के बाद फिर से तेजी ज्वा-भाटे की भाँति आती रहती है। इससे मूल्य व रोजगार आदि में परिवर्तन नियमित व व्यवस्थित रूप से एक चक्र के समान आते रहते हैं। जब व्यवस्था प्रसार की ओर बढ़ती है तो आय, उत्पादन, मूल्यों एवं रोजगार आदि में वृद्धि हो जाती है। यह स्थिति एक निश्चित बिन्दु तक ही बनी रहती है और उस बिन्दु पर पहुँच जाने के पश्चात् आर्थिक व्यवस्था

1. "A trade cycle is composed of period of good trade characterised by rising price and low unemployment percentage alternating with periods of bad trade characterised by falling prices and high unemployment percentage."—J. M. Keynes : A Treatise on Money, Vol. I, p. 78.

2. "Business cycles are fluctuations in the economic activities of organized communities. The adjective 'business' restricts the concept to fluctuations in activities which are systematically conducted on a commercial basis. The noun 'cycles' bars out fluctuation which do not recur with a measure of regularity."—W. C. Mitchell : Business Cycles, Vol. I, p. 468.

3. "Special types of fluctuations are called business cycles because, an excess movement in one direction tends to bring into operation not only its own remedy but a stimulus to an excess movement in the other direction."—R. G. Hawtrey : Trade and Credit, p. 83.

4. "The business cycle, in the general sense, may be defined as an alteration of the period of prosperity and depression of good and bad trade."—Haberler.

5. "The business cycle is peculiarly a manifestation of the industrial segment of the economy from which prosperity or depression is redistributed to other groups in the highly interrelated modern society."—Hansen, A. H. : Fiscal Policy and Business Cycles, p. 21.


6. "Business cycle is the interplay between erratic stocks and an economic system able to perform cyclical adjustment movements to such stocks."—J. Tinbergen.



पतन की ओर जाने लगती है जिसे मन्दी के नाम से जानते हैं जिसमें आय, मूल्यों एवं रोजगार में निरन्तर कमी होती जाती है। यह प्रवृत्ति भी एक निश्चित बिन्दु तक बनी रहती है और उसके बाद फिर से तेजी की अवस्थाएँ आनी प्रारम्भ हो जाती है।

आर्थिक उच्चावचनों के प्रकार

आर्थिक उच्चावचनों के प्रकार



आर्थिक उच्चावचनों के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं—

(1) अति अल्प लहरें (Shorter Waves)—यह चक्रों को तीन पुनर्-पुनर् छोटे-छोटे चक्रों में विभाजित कर दिया जाये और प्रत्येक की समयावधि प्रायः 40 माह के बराबर हो तो उसे अति अल्प लहरें कहते हैं।

(2) अल्प लहरें (Short Waves)—इस प्रकार के व्यावसायिक उच्चावचनों की अवधि प्रायः 7 से 11 वर्ष होती है। इन चक्रों में विमाल नियमितता बनी रहती है। यह चक्र अपने पूर्व निर्धारित समय पर स्वतः ही घटित होते रहते हैं। कभी-कभी इन चक्रों की अवधि को ज्ञात किया जा सकता है।

(3) दीर्घ लहरें (Long Waves)—इन व्यावसायिक चक्रावली में 50 से 60 वर्ष तक की अवधि का अन्तर पाया जाता है। इन परिवर्तनों का क्रम बहुत अधिक नियमित बना रहता है और इनमें अनियमित एवं अनिश्चित घटनाओं का अभाव पाया जाता है।


व्यापार-चक्रों के कारण

व्यापार-चक्र व्यापारिक क्रियाओं को अन्तर्व्यस्त कर देते हैं, जो नियमित रूप से आते रहते हैं। व्यापार-चक्र रोजगार की स्थिति को बेकारी की स्थिति में परिवर्तित कर देते हैं। व्यापार-चक्र समाज में सम्पन्नता एवं विपन्नता का आतावरण उत्पन्न कर देते हैं जिन्हें पहले से रोका नहीं जा सकता। व्यापार-चक्र द्वारा अभिवृद्धि उत्पन्न होकर सम्पन्नता के दिग्गम पर पहुँच जाती है और फिर टूटकर संकट उत्पन्न करके अवसाद उत्पन्न कर देती है, जो स्वयं तैयारी के साथ आकर, कुछ समय रहकर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, फिर अभिवृद्धि व पुनरुत्थार का क्रम प्रारम्भ हो जाता है। यह क्रम निरन्तर चलता रहता है जिसका कोई अन्त नहीं है। व्यापार-चक्र के कारणों को निम्न चार्ट के रूप में रखा जा सकता है।

व्यापार-चक्रों के कारण

पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली

अन्य कारण



व्यापार-चक्रों के कारणों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

I. पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली,

II. अन्य कारण।

I. पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली—प्रायः अभिवृद्धि या संकुचन का सम्बन्ध पूँजीवादी राष्ट्रों में लगाया जाता है। पूँजीवाद की वृद्धि के साथ-साथ मुद्रा प्रसार या अवसाद भी गहनता बढ़ती जाती है। इन सम्बन्ध में यह भी नहीं कहा जा

सकता कि पूंजीवाद में मूल्यों की स्थिरता का अभाव पाया जाता है। वर्तमान समय में अत्यधिक मरकरारी हस्तक्षेप एवं समाजवादी आधार पर नियोजन की व्यवस्था करके आर्थिक संकटों को कम किया जा सकता है। पूंजीवादी में व्यापार-चक्रों को समाप्त करना असम्भव नहीं है। केवल उनकी अभिवृद्धि एवं व्यवसाय की गहनता को कम किया जा सकता है।

व्यापार-चक्रों के आधारभूत कारणों में पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली को महत्व दिया जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था स्वतन्त्र उपक्रम व्यवस्था पर आधारित होने से इसका संचालन लाभ प्रेरणा एवं मूल्य यंत्र द्वारा संचालित किया जाता है। यद्यपि दीर्घकाल के उत्पादन व उपभोग में साम्य स्थापित हो जाता है, फिर भी अल्पकाल में उत्पादन का आवश्यकताओं से कोई सम्बन्ध न होने से व्यापार-चक्र घटित होते रहते हैं। इसी कारण व्यापार-चक्रों का सम्बन्ध अल्पकालीन घटनाओं से ही माना जाता है। उत्पादक अपनी वस्तु का उत्पादन केवल लाभ की प्रेरणा से करता है जिसमें वस्तु की किस्म को महत्व नहीं दिया जाता। यदि उत्पादक को निम्न किस्म की वस्तुओं के बेचने से अधिक लाभ मिले तो वह अपनी शक्ति का केन्द्रीयकरण उसी ओर करेगा और विज्ञान व प्रचार द्वारा उसी वस्तु को अधिकाधिक बेचने के प्रयास करेगा। यदि बिक्री को बढ़ाने से लाभ बढ़ जाते हैं तो वह अधिक वस्तु का उत्पादन करके प्रचार द्वारा मांग में वृद्धि करने के प्रयास करेगा। उत्पादक का मुख्य लक्ष्य अपने लाभ की मात्रा को अधिकतम बढ़ाना है और इस लाभ को बढ़ाने की दृष्टि से वह किसी भी अच्छी या बुरी वस्तु का उत्पादन करने से नहीं चूकता। वास्तव में पूंजीवाद में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण वास्तविक मांग से न होकर भावी मांग से किया जाता है और अनुमान सही न होने से व्यापार-चक्र उत्पन्न हो जाते हैं। पूंजीवाद में जनता की आवश्यकताओं को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, जिससे उत्पादन की मात्रा आवश्यकता से कम या अधिक हो जाती है और अति-उत्पादन या न्यून-उत्पादन की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। प्रतियोगिता के कारण प्रायः छोटे-छोटे उत्पादक समाप्त हो जाते हैं, श्रमिकों की स्थिति बिगड़ती जाती है तथा उनकी मजदूरी में मूल्यों के अनुपात से वृद्धि नहीं हो पाती है जिससे जनता की श्रम शक्ति में ह्रास हो जाता है। फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होने पर श्रम शक्ति में आनुपातिक वृद्धि न होने से मांग में उसी अनुपात में वृद्धि सम्भव नहीं हो पाती। इस प्रकार आर्थिक संकट का मूलभूत कारण सामाजिक आवश्यकताओं एवं सामाजिक उत्पादन के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होना है। प्रायः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आवश्यकताओं एवं उत्पादन के मध्य सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता है। इस दोष को माल्थस एवं सिस्मोंण्डी (Sismondi) आदि ने पहले से ही पता लगाकर चेतावनी भी दे दी थी। कार्ल मार्क्स ने भी स्पष्ट कहा था कि पूंजीवाद स्वयं समस्याएँ उत्पन्न कर रहा है जिनको हल करना सम्भव नहीं होगा।

इसके विपरीत समाजवादी समाज में आर्थिक नियोजन पर ही अधिक जोर दिया जाता है, आर्थिक क्रियाओं के लिए मूल्य यंत्रों पर निर्भर नहीं रखा जाता तथा समाज की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर नियोजन द्वारा उत्पादन का आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करा लिया जाता है, फलस्वरूप उपभोग व उत्पादन में अन्तर न होने से असबाद या अभिवृद्धि पर रोक लग जाती है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन लाभ पर निर्भर न होकर सामाजिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। प्रायः लाभ भावना ही व्यापार-चक्रों को जन्म देती है, जिसे समाजवादी व्यवस्था में स्थान नहीं दिये जाने से आर्थिक संकट समाप्त हो जाते हैं।

II अन्य कारण—व्यापार-चक्र के अन्य कारणों में निम्न को सम्मिलित किया जा सकता है—

(1) मोसम के चक्रिक परिवर्तन—प्रायः मोसम में परिवर्तन आने से आर्थिक जीवन भी प्रभावित हो जाता है। यदि देश में अनुकूल मोसम है तो फसलों के उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा जो जनता के स्वास्थ्य एवं मानसिक दृष्टिकोण को प्रभावित करके अभिवृद्धि की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपत्तियाँ आने से आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

(2) प्रगतिशील प्रवृत्तियाँ—वर्तमान समय में प्रगतिशील प्रवृत्तियों के कारण नवीन आविष्कार होने से एक साधन की उत्पादन मात्रा का दूसरे साधनों की उत्पादन मात्रा से समायोजन करना सम्भव न होने से व्यापार चक्र उत्पन्न हो जाते हैं।

(3) साम का आकर्षण—उत्पादकों द्वारा लाभ के आकर्षण से व्यापार-चक्र उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि उत्पादक आवश्यकता से अधिक आनावादी हो जाने पर मांग का गलत अनुमान लगा लेते हैं और अधिक उत्पादन करके कच्चे माल एवं श्रमिकों की शक्ति को उत्पन्न कर देते हैं, फलस्वरूप बाजार में तेजी का रुत दिनाई देने लगता है। इसके विपरीत यदि

वापार में छोड़ी भी भी मन्दी आ जाती है तो उत्पादक अधिक मजदूरी हो जाने और उत्पादन को कम करने के लिए कच्चे मान व थकीलों की मांग को रद्द कर देने हैं त्रिमये मूल्यों के निगमन को और अधिक बन प्राप्त होता है—

(4) मांग एवं पूर्ति के समायोजन का अभाव—देश में मांग एवं पूर्ति के मजबूत समायोजन के अभाव के कारण भी व्यापार-चक्र उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें क्रय शक्ति का वितरण उत्पादन की तुलना में कम या अधिक हो जाता है। प्रायः उत्पादन मांग पर निर्भर करता है और मांग का ठीक रंग में अभाव लगाता कठिन होता है।

(5) बैंक क्रियाओं में उध्वस्तता—देश में बैंकों की क्रियाओं का आर्थिक उध्वस्तताओं पर प्रभाव पड़ता है। शून्यों की मात्रा में अनुचित या विनाश कर देने में मांग मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन हो जाते हैं त्रिमये मूल्यों की दरों में भी परिवर्तन होकर अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। बैंकों के नकद कोष की मात्रा में परिवर्तन होने से शून्यों की नीति में भी उन्नी के अनुस्यूत परिवर्तन कर दिये जाते हैं। इन परिवर्तनों का आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़कर व्यापार-चक्र उत्पन्न हो जाते हैं।

(6) बचत एवं वित्तियोग में समायोजन का अभाव—पूरीगत मान एवं उन्नत पदार्थों में अनुगत में परिवर्तन होने से व्यापार-चक्र उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि पूरीगत मान उद्योगों का वित्तियोग उद्योगों की तुलना में अधिक तेजी से होने लगता है।

(7) आय एवं व्यय में अन्तर—यदि उपभोक्ताओं की आय एवं व्यय में अन्तर बना रहे तो इन अन्तर की वित्तियोग द्वारा सुधारने में मजबूतता में मितने पर भी देश में व्यापार-चक्र उत्पन्न हो जाता है।

(8) उत्पादन के प्राविष्टार—नवीन व्यवसायों की उत्पत्ति एवं उत्पादन में नवीन आविष्कार भी व्यापार-चक्र की दशाएं उत्पन्न करने में महात्वक सिद्ध हो जाते हैं। इन प्रकार के नवीन आविष्कारों के कारण व्यापार-चक्रों पर परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं।

(9) मनोवृत्ति में अन्तर—मानव की मनोवृत्तियां भी व्यापार-चक्र के लिए त्रिमयेदार ठहरानी या मजदूरी हैं। मानव में आभाव एवं निगमावाद का वातावरण उत्पन्न होता रहता है। आभाव एवं प्रगति की दशा में मनोवृत्ति विचरान विद्या में कार्य करते लगती है। इसी प्रकार अव्ययत काल में भी मानव की मनोवृत्ति मन्दी की ओर हो जाती है त्रिमये व्यापार-चक्र उत्पन्न हो जाते हैं।

### व्यापार-चक्रों की विशेषताएं

व्यापार-चक्रों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

(1) निरन्तर गतिशील—व्यापार-चक्र निरन्तर गतिशील बने रहते हैं और इनमें एक मास अनेक चक्र क्रियाशील हो जाते हैं, जिनका विभिन्न क्षेत्रों पर एका प्रभाव पड़ने लगता है और यह व्यापार-चक्र स्वतन्त्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति—व्यापार-चक्रों की प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की होती है, अर्थात् किसी भी एक राष्ट्र में प्रारम्भ हो जाने पर इसका प्रभाव अन्य राष्ट्रों पर अवश्यमात्री रूप से पड़ने लगता है क्योंकि विदेशी व्यापार के माध्यम से मजबूत राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे में जुड़ी रहती हैं त्रिमये मन्दी या तेजी का प्रभाव एक राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र को पकड़ने लगता है।

(3) निश्चितता एवं नियमितता—व्यापार-चक्र प्रायः एक निश्चित त्रिमये के पर्याप्त विद्यमान रूप में आते रहते हैं तथा एक के पर्याप्त तुल्य दूसरा शान्त प्रारम्भ हो जाता है। विश्व के आर्थिक इतिहास का अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि तेजी के बाद मन्दी एवं मन्दी के बाद तेजी आती है और यह क्रम प्रत्येक 10 वर्ष बाद आता रहता है। व्यापार-चक्र की इस नियमितता के कारण अनेक अर्थशास्त्री यह इसका मान उठा पाते हैं।

(4) मजबूती प्रभाव—व्यापार-चक्र प्रायः मजबूत उद्योगों एवं व्यवसायों को एक साथ प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि तेजी का क्रम प्रारम्भ हो जाता है तो प्रायः सभी क्षेत्रों में तेजी आ जाती है और इसी प्रकार मन्दी का वातावरण उत्पन्न हो जाने पर मजबूत व्यवसायों में मन्दी का रूप उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के प्रभाव के दो कारण बताये जाते हैं। प्रथम, अनेक व्यवसाय एक दूसरे में सम्बन्धित रहते हैं और एक व्यवसाय में उत्पत्ति या वृद्धि होने से

अन्य सम्बन्धित उद्योगों की मांग में भी वृद्धि हो जाती है, जिसमें एक उद्योग का प्रभाव दूसरे उद्योगों पर स्वाभाविक रूप से पड़ने लगता है। द्वितीय, मनोवैज्ञानिक कारण से भी व्यापार-चक्र उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि एक व्यवसाय में मन्दी आते ही अन्य व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को शका उत्पन्न हो जाती है, जिससे वे सतर्क हो जाते हैं। यह शंका की लहर फैलती जाती है और समूचे व्यापारिक जगत् पर इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगता है।

(5) असमान प्रभाव—व्यापार-चक्रों का देश के विभिन्न उद्योगों पर समान प्रभाव नहीं पड़ना वरन् विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव असमान रूप से पड़ते हैं। उदाहरण के लिए पूँजीगत सामान उत्पन्न करने वाले उद्योगों पर व्यापार चक्रों का प्रभाव अधिक होता है और उपभोक्ता वस्तुओं से सम्बन्धित उद्योगों पर इसका प्रभाव कम हो जाता है।

(6) मुद्रा की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन—देश में कुल उत्पादन एवं कुल रोजगार में हुए परिवर्तन के अनुपात में ही प्रायः मुद्रा की मात्रा एवं उसकी गति में परिवर्तन होते रहते हैं।

(7) व्यापारिक क्षय में अधिक घट-बढ़—व्यापार-चक्र से अन्य स्रोतों से प्राप्त आय की तुलना में व्यापारिक क्षय में अधिक मात्रा में परिवर्तन हो जाते हैं जिससे अन्य उद्योगों एवं व्यवसायों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं।

(8) कीमतों की स्थिति—व्यापार-चक्र से कृषि पदार्थों के मूल्यों में अधिक परिवर्तन हो जाते हैं क्योंकि कृषि पदार्थों की कीमतें अधिक लोचपूर्ण होती हैं। इसके विपरीत निर्मित माल की कीमतें अधिक स्थिर पाई जाती हैं और व्यापार चक्रों का इनकी कीमतों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है।

(9) निर्मित माल पर व्यय में घटोतरी—व्यापार-चक्र से कुल विक्रय की अपेक्षा निर्मित माल पर किया गया व्यय अधिक मात्रा में कम या अधिक हो जाता है। प्रायः निर्मित माल की कीमतें स्थिर कर देते हैं जिससे व्यापार-चक्र का प्रभाव इनके मूल्यों पर न्यूनतम पड़े। अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर व्ययों का प्रभाव अवश्य पड़ता है और उससे मूल्य कम या अधिक हो जाते हैं।

(10) उत्पादन की मात्रा से मुद्रा मात्रा में परिवर्तन—व्यापार-चक्र में उत्पादन की मात्रा के आधार पर ही मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होते रहते हैं। तेजी के समय उत्पादन में वृद्धि हो जाती है तथा बैंकों से अधिक ऋण प्राप्त किये जाते हैं। इसके विपरीत मन्दी काल में उत्पादन गिर जाता है जिससे व्यापार की साख सर्वथा समाप्त हो जाती है। इसके फलस्वरूप साख का विस्तार न होने से मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है।

(11) मूल्य व उत्पादन एक ही दिशा में परिवर्तित—व्यापार-चक्र के प्रभाव के फलस्वरूप मूल्य एवं उत्पादन एक ही दिशा में परिवर्तित होने लगते हैं। उदाहरण के लिए मूल्यों में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि एवं मूल्यों में कमी होने से उत्पादन में भी कमी हो जाती है।


### व्यापार-चक्र की अवस्थायें

#### (Phases of Trade Cycles)

व्यापार-चक्र की अवस्थायें में एक नियमित क्रम में उच्छ्वासचन होते रहते हैं जिसमें तेजी एवं मन्दी का क्रम निरन्तर चलता रहता है तथा मूल्य व रोजगार भी घटते एवं बढ़ते रहते हैं। इस सम्बन्ध में कोई भी ऐसा स्थान या बिन्दु निर्धारित करना बटिन होगा, जहाँ से व्यापार चक्र का मार्ग प्रारम्भ होता है। अतः अध्ययन करने की सुविधा से कोई एक बिन्दु निश्चिन करना आवश्यक होता है। इस सम्बन्ध में सबसे अच्छा बिन्दु वह माना जाता है, जहाँ मूल्यों का उतार अधिकतम हो और जिसे मन्दी की अवस्था कहते हैं। इस प्रकार व्यापार-चक्र की प्रमुख अवस्थायें निम्नलिखित हैं—

- (1) अवसाद की अवस्था (Depression)
- (2) पुनरुद्धार अवस्था (Recovery)
- (3) पूर्ण रोजगार की अवस्था (Full employment)
- (4) अभिवृद्धि की अवस्था (Boom)
- (5) अवरोध की अवस्था (Recession)

व्यापार-चक्र की अवस्थाओं को निम्न चाटों द्वारा भी दिखाया जा सकता है—



### (1) अवसाद (Depression) या मन्दी की अवस्था

व्यापार-चक्र की यह प्रथम अवस्था होती है जिसमें उत्पादन एवं रोजगार में गम्भीरता से कमी होने लगती है। इस अवस्था में विनिमय की मात्रा कम होकर श्रमिक एवं उत्पत्ति के अन्य साधन बेकार हो जाते हैं व मजदूरी की दरों में भारी कमी हो जाती है। मजदूरी कम होने से मांग गिर जाती है व उपभोग पदार्थों की कीमतें भी कम हो जाती हैं। जिन मजदूरों को रोजगार प्राप्त होना है उनकी वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि पहले की अपेक्षा उन्हें अब अधिक वस्तुएँ प्राप्त होने लगती हैं, परन्तु समाज में बेरोजगार व्यक्तियों की अधिक संख्या होने के कारण इस ऊँची वास्तविक मजदूरी का प्रभाव प्रायः समाप्त हो जाता है तथा समाज में बेरोजगारी का भय सदैव बना रहता है। मूल्य कम होने से व्यापारी बर्ग को हानि होनी है और वह भावी बाजारों के प्रति निरुत्साहित हो जाता है। इस अवस्था में निर्मित माल की अपेक्षा कच्चे माल की कीमतों में तेजी से कमी होती है, फलस्वरूप कृषकों एवं कच्चे माल के उत्पादकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। इस प्रकार उत्पादन एवं वितरण की समस्त आर्थिक प्रणालियाँ अस्त-व्यस्त हो जाती हैं व देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। इस समय निराशा का वातावरण फैल जाता है और मन्दी के फँसने के मातृ-मातृ जनता में विवशता एवं विद्रोह की भावना विकसित होने लगती है एवं पूँजीगत सामानों में विनियोग करना लाभप्रद नहीं रह पाता। निर्माता एवं कृषकों के मध्य व्यापार की शर्तें उत्पादकों के प्रति अधिक अनुकूल हो जाती हैं। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की आय उत्पादन एवं रोजगार में कमी होने के कारण कम हो जाती है। कच्चे माल की तुलना में निर्मित माल की कीमतें कम गिरती हैं।

विशेषताएँ—मन्दी काल की प्रमुख विशेषताओं को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

- (i) विदेशी व्यापार में कमी—व्यापार में कमी हो जाने से विदेशी व्यापार की मात्रा में भी अधिक गिरावट आ जाती है।
- (ii) व्यवसाय बन्द होना—व्यापारी बर्ग को हानि होने से अनेक व्यवसाय बन्द हो जाते हैं।
- (iii) लाभ व मजदूरी में कमी—समाज में निम्न आय होने से मूल्य, मजदूरी एवं लाभ गिरने लगते हैं।
- (iv) व्याज दरों में कमी—पूँजी पर व्याज की दर पहले से बहुत मोची गिर जाती है।
- (v) निर्मित व्यापारिक क्रियाएँ—देश में विनियोग कम, उत्पादन का निम्न स्तर एवं व्यवसाय की क्रियाएँ विविध पट जाती हैं।
- (vi) निराशा का वातावरण—समस्त देश में गहन निराशा का वातावरण छा जाता है एवं जनता में विवशता व विद्रोह करने की भावना फैलना प्रारम्भ हो जाती है।
- (vii) रोजगार व आय का निम्न स्तर—देश में रोजगार एवं आय का स्तर निम्नतम हो जाता है।

### (2) पुनरुद्धार (Recovery) अवस्था

समाज में मन्दी की अवस्था कुछ समय तक बने रहने के उपरान्त प्रायः पुनरुद्धार की अवस्था प्रारम्भ हो जाती है। इस अवधि में समाज की स्थिति मन्दी की स्थिति में अच्छी मानी जाती है। देश के अन्य आर्थिक क्षेत्रों में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें व्यापारिक क्रियाओं में वृद्धि हो जाती है एवं अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार की अवस्था प्रारम्भ हो जाती है। विनियोग का नवीन क्षेत्र बढ़ जाने एवं सरकार द्वारा जनहित बाजारों पर अधिक धन व्यय करने से

रोजगार एवं उत्पादन की स्थिति में सुधार होने लगता है, बेकारी का आकार घटकर जनता की आय में वृद्धि होने लगती है तथा शक्ति एवं वस्तुओं की विप्री में वृद्धि होने लगती है व जनता में आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने की होड़-सी लग जाती है। इसने देश के व्यापार में पर्याप्त वृद्धि होती है व समाज में नवीन आशा का संचार होने लगता है व समस्त क्रियाएँ गतिशील हो जाती हैं। व्यापारी वर्ग को भी लाभ होने लगता है और वे भी बिक्री को बढ़ाने में रुचि लेना प्रारम्भ कर देते हैं। घोर मन्दी की अवस्था के पश्चात् पुनरुद्धार व्यापार-चक्र की द्वितीय अवस्था कहलाता है।

विशेषताएँ—इस काल की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं :

- (i) रोजगार में वृद्धि—इस समय में आय एवं रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाती है।
- (ii) सट्टे में वृद्धि—देश में सट्टे बाजार की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है।
- (iii) आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि—आर्थिक क्षेत्र में आशा, उत्साह एवं विश्वास में वृद्धि होकर आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि हो जाती है।

(iv) बैंक ऋणों में वृद्धि—बैंक ऋणों की मात्रा में भी काफी वृद्धि होती है।

(v) उत्पादन स्तर में वृद्धि—देश के उद्योगों के उत्पादन स्तर में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।

(vi) मजदूरी व लाभ में वृद्धि—देश में मजदूरी, कीमतों एवं लाभ में वृद्धि हो जाती है।

(vii) देश में विनियोग की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है।

(viii) आत्मविश्वास—व्यवसायियों में आत्मविश्वास जागृत होता है तथा विनियोगिता पुरानी एवं अप्रवृत्त पेशीनों के स्थान पर नवीन पेशीनों के विनियोग को प्रोत्साहित करते हैं।

(ix) संग्रह का अभाव—इस अवस्था में वस्तुओं को संग्रह करने की प्रवृत्ति कम महत्वपूर्ण हो जाती है।

(x) उद्योगों को प्रोत्साहन—देश में पूंजीगत समान वाले उद्योग पुनर्जीवन प्राप्त करने लगते हैं तथा देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ी-सी वृद्धि उद्योगों को और अधिक प्रोत्साहन देती है।

(xi) उपभोग में कमी—विनियोग में वृद्धि हो जाने से राष्ट्रीय आय में उपभोग की मात्रा कम हो जाती है।

(xii) चलन वेग में वृद्धि—देश में व्यवसाय में वृद्धि होने के कारण बैंक साक्ष के माध्यम से मुद्रा चलन के वेग में भी वृद्धि हो जाती है।

(xiii) बैंक कोष में कमी—बैंकों के कोष भी धर्म: धर्म: कम होने लगते हैं तथा वसूली करने की आदत में सुधार होने लगता है।

पुनरुद्धार की अवस्था उन शक्तियों पर निर्भर करती है जो उसे पुनर्जीवन प्रदान करती हैं। प्रायः इन शक्तियों में निम्न को सम्मिलित करते हैं— (अ) नवीन विपणियों की खोज करना, (ब) नवीन उत्पादकों का बाजार में आ जाना, (स) नवीन उत्पादन विधियों की खोज होना, (द) विनियोग के नवीन रूपों का पता लगाना।

### (3) पूर्ण रोजगार (Full Employment) की अवस्था

व्यापार-चक्र की यह आदर्श अवस्था होती है जिसे प्रत्येक राष्ट्र प्राप्त करने के प्रयास करता है और यह समस्त राष्ट्रों की आर्थिक नीति का एक प्रमुख नक्ष्य होता है। पूर्ण रोजगार में देश में उत्पादित के समस्त साधन काम में लग जाते हैं तथा उनसे अधिकतम उत्पादन कार्य लेने के प्रयास किये जाते हैं। पूर्ण रोजगार में भी बेरोजगारी की अवस्था विद्यमान होती है, परन्तु यह शक्ति द्वारा एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में लगने के समय के अन्तर की ही होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी प्रायः सभी विकसित एवं अशिक्षित राष्ट्रों में पाई जाती है। इसमें बेरोजगारी स्वेच्छा से ही पायी जाती है और देश में रोजगार की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार पूर्ण रोजगार आर्थिक प्रगति की एक ऐसी अधिकतम अवस्था होती है जिसके बाद विनियोग में वृद्धि करने पर प्रभावदायी भाग, रोजगार एवं उत्पादन में वृद्धि सम्भव नहीं होगी, बल्कि बहुरूपीति का कारण बन जाती है। इस अवस्था को प्राप्त करना प्रायः सभी राष्ट्रों की आर्थिक नीतियों का लक्ष्य होता है।

विशेषताएँ—पूर्ण रोजगार की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- (1) मूल्यों में स्थिरता—इस अवस्था में मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है।

(ii) उत्पत्ति के साधनों का उपयोग—उत्पत्ति के समस्त साधनों का पूर्ण उपयोग होने लगता है।

(iii) रोजगार में वृद्धि—व्यवसाय में आय, लाभ व लागत इतनी रहती है कि काम चाहने वाले प्रायः समस्त व्यक्तियों को रोजगार दे दिया जाता है।

(iv) स्थिर मौद्रिक आय—विभिन्न वर्गों की नकद या मौद्रिक आय प्रायः बनी रहती है।

(v) अनिच्छित बेरोजगारी का अभाव—इस काल में अनिच्छित बेरोजगारी का अभाव बना रहता है, परन्तु ऐच्छित, सामाजिक एवं सत्यानात्मक बेरोजगारी बनी रहती है।

(vi) अधिकतम उत्पादन—व्यवसाय व कारखानों में अधिकतम मात्रा तक उत्पादन सम्भव किया जा सकता है।

(vii) अनुकूलतम स्तर—इस अवस्था में अधिक क्रियाएं एक अनुकूलतम स्तर तक पहुँच जाती हैं।

(viii) मजदूरी की ऊँची दरें—मजदूरी की ऊँची दरें हो जाती हैं तथा सबको जीवन स्तर बनाये रखने के लिए पर्याप्त आय प्राप्त होने लगती है।

(ix) बैंकों द्वारा स्थायक वसूली—बैंकों द्वारा वसूली (clearings) विनाश पैमाने पर होने लगती है।

(x) व्यापारियों में निश्चितता—व्यवसाय में असफल होने के अवसरों में कमी हो जाती है जिससे व्यापारियों में निश्चितता एवं जागृति की भावना उत्पन्न होती है।

(xi) विनियोग में वृद्धि—स्थायी पूंजी के रूप में विनियोग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है।

(xii) तैयार माल में वृद्धि—देस में तैयार माल की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है।

#### (4) अभिवृद्धि (Boom) की अवस्था

पुनरुत्थार प्रारम्भ हो जाने पर यह सर्वव्यपक रोजगार की स्थिति उत्पन्न नहीं करता, बल्कि इस प्रयास में तेजी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मजाल में पूर्ण रोजगार की अवस्था को प्राप्त कर लेने के उपरान्त भी विनियोग में वृद्धि होनी रहे तो साधनों के पूर्ण उपयोग हो चुकने के कारण वास्तविक उत्पादन में तो वृद्धि नहीं हो पाती, बल्कि मूल्यों में वृद्धि अवश्य हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में शाही प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में आशावादी दृष्टिकोण अपना लेते हैं, परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यापार व उद्योग में अधिक मात्रा में विनियोग किया जाता है, पहले से रोजगार में बने व्यक्तियों पर काम का दबाव बढ़ जाता है और पूर्ण रोजगार की अवस्था अत्यधिक रोजगार की स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। अत्यधिक रोजगार में नौकरियों के स्थान अधिक, परन्तु श्रमिकों की संख्या कम रहती है, फलस्वरूप मजदूरी व उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है, परन्तु मजदूरी की तुलना में मूल्य इतने तेजी से बढ़ते हैं कि वास्तविक मजदूरी घट जाती है। मूल्य बढ़ने में लाभ बढ जाते हैं जो और अधिक विनियोग को प्रोत्साहित करते हैं। अधिक लाभ की नालसा से व्यापारी काम को रोककर देखते हैं तथा नवीन कारखानों को भी खोलने के प्रयास करते हुए उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार यही चक्र चलना रहता है और तेजी की यह स्थिति असाधारण ऊँचाई को प्राप्त कर लेती है।

विरोधनाएं—अभिवृद्धि की अवस्था की प्रमुख विरोधनाएं निम्नलिखित हैं—

(i) ऊँचे लाभ व ऊँचे ध्येय—सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होकर, ऊँचे लाभ एवं ऊँचे ध्येय प्राप्त होने लगते हैं।

(ii) अत्यधिक ऋण—इस काल में बैंकों द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऋण प्रदान किये जाते हैं।

(iii) विनियोग में वृद्धि—विनियोग की मात्रा में तेजी से वृद्धि हो जाती है।

(iv) सट्टेबाजी में वृद्धि—इस काल में सट्टेबाजी की क्रियाएँ एवं प्रवृत्तियाँ बढ़ जाती हैं।

(v) वास्तविक मजदूरी में कमी—मूल्यों की तुलना में मजदूरी इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती और इस प्रकार वास्तविक मजदूरी में कमी हो जाती है।

(vi) हड़तालें में वृद्धि—इस काल में श्रमसंगों की कार्यवाही बढ़ जाती है तथा हड़तालों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है।

(vii) भागा की तहर—इस अवस्था में व्यापारियों में अत्यधिक भागा की तहर फैल जाती है तथा वे

भविष्य के प्रति लापरवाही बरतने लगते हैं।

(viii) नवीन कारखानों की स्थापना—इस अवधि में प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हो जाती है तथा नवीन कारखानों की स्थापना की जाती है व नवीन व्यापार चलाये जाते हैं।

(ix) मूल्यों में वृद्धि—सामों में प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है और लाभ प्रसार में मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जाती है।

### (5) अवरोध (Recession) की अवस्था

तेजी की दशा में उसके विपरीत के रीज निहित होते हैं। तेजी की दशा प्रारम्भ हो जाने पर कुछ समय पश्चात् देश में अनेक कठिनाइयाँ आ जाती हैं जो कि निम्न प्रकार हैं।

(अ) व्याज की दरें ऊँची हो जाने के कारण बैंकों की ऋण देने की नीति में कठोरता आ जाती है जिससे पूँजी लागत में वृद्धि हो जाती है।

(ब) इस काल में मजदूरी बढ़ जाती है और उत्पादन वृद्धि करने के उद्देश्य में अकुशल श्रमिकों को भी काम पर रखना पड़ता है, जिससे मजदूरी के रूप में लागत व्यय बढ़ जाता है।

(स) पुरानी मशीनों के प्रतिस्थापन एवं कच्ची सामग्री के मूल्यों में वृद्धि हो जाने से उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है।

(द) भविष्य के प्रति जनता सन्देह की निगाह से देखने लगती है जिससे अवरोध की अवस्था का आगमन प्रारम्भ हो जाता है।

विरोधताएं—इस काल की प्रमुख विरोधताएं निम्न हैं—

(i) मजदूरी में गिरावट—इस अवस्था में मजदूरी, लागत एवं कीमतें गिरने लगते हैं।

(ii) व्यावसायिक क्रियाओं पर रोक—राष्ट्र में व्यावसायिक क्रियाओं पर रोक सी लग जाती है, तथा कुल व्यवसाय की मात्रा में कमी होने लगती है।

(iii) निराशा का वातावरण—व्यावसायिक क्षेत्र में भविष्य के प्रति जनता में निराशा का वातावरण उत्पन्न हो जाता है।

(iv) ऋण की मात्रा में कमी—ऋणों के सम्बन्ध में कठोर शर्तों एवं अधिक व्याज की दर के कारण बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण की मात्रा में कमी हो जाती है।

(v) रोजगार व विनियोग में कमी—देश में उत्पादन, आय, रोजगार एवं विनियोग की मात्रा में कमी होने लगती है।

(vi) उत्पादन में बाधाएँ—कच्चे माल एवं श्रम की दुर्लभता के कारण उत्पादन में अनेक बाधाएँ पड़ने लगती हैं तथा साहसियों के लागत-व्यय सम्बन्धी अनुमान गलत हो जाते हैं व उनमें निराशा फैलने लगती है।

(vii) सकोच एवं भय की भावनाएँ—इसमें अत्यधिक निराशावाद अत्यधिक तेजी सम्बन्धी आशावाद का स्थान ले लेती है। अत्यधिक निराशावाद के कारण साहसियों में सकोच, भय एवं संका की भावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

(viii) व्यावसायिक विस्तार में कमी—इस काल में नवीन योजनाओं को समाप्त कर दिया जाता है तथा अधूरी योजनाओं को भी छोड़ दिया जाता है। इतने व्यावसायिक विस्तार रक जाता है तथा कर्मचारियों में बेरोजगारी बढ़ जाती है।

(ix) द्रव्यता पसन्दगी में वृद्धि—द्रव्यता पसन्दगी में क्यायक वृद्धि हो जाती है और लोग विनियोग करने के स्थान पर जमा करना अधिक पसन्द करते हैं।


(x) निर्माण कार्य मन्द—इस काल में निर्माण क्रिया मन्द पड़ जाती है तथा बेकारी का प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ने लगता है।

(xi) अंशों के मूल्यों में कमी—उद्योगों व व्यवसायों में विप्लवता आने से अंश बाजार में दाम गिरने लगते हैं।



(xi) विनियोजन में कमी—मात्र देने की क्रिया अचानक रुक जाती है तथा विनियोजन की मात्रा में कमी हो जाती है।

इस प्रकार व्यापार-चक्र की पाँचों अवस्थाएँ क्रम से एक के बाद दूसरी घटित होती रहती हैं तथा यह क्रम निरन्तर चलता रहता है। व्यापार-चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को चित्र 11.2 द्वारा दिखाया गया है।



चित्र 11.2

उपरोक्त चित्र में AB रेखा पूर्णरोजगार की स्थिति को प्रदर्शित करती है। इस रेखा के ऊपर की अवस्था को तेजी की अवस्था तथा गिरती हुई दिशा को मन्दी एवं मन्दी के पुनर्गमन की दशा द्वारा दिखाया गया है। इस रेखा के नीचे उठती दशा में पुनर्जीवन तथा गिरती दशा में मन्दी की अवस्था को बताया गया है।

### व्यापार-चक्र पर नियन्त्रण (Control on Business Cycle)

पूजीवादी अर्थव्यवस्था में मन्दी के बाद तेजी तथा तेजी के बाद मन्दी के बार-बार आने से भारी संकट उत्पन्न हो जाने का भय बना रहता है जो सामाजिक हितों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। उत्पादन को दृष्ट से उस सीमा तक विस्तार करना अच्छा माना जाता है जब तक कि वह पूर्ण रोजगार की स्थिति तक न पहुँच जाये। पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद भी विनियोग करने से स्फीतिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और व्यापार-चक्र का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगता है। यदि पूर्ण रोजगार की स्थिति से आगे बढ़ने पर नियंत्रण लगा दिया जाये तो इससे बचा जा सकता है तथा व्यापार-चक्र पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के मुसाब की ओर बढ़ने पर निर्णयता, बेरोजगारी आदि अनेक प्रकार के बन्ध उठाने पड़ते हैं। इससे बचने के लिए यह आवश्यक होगा कि अर्थव्यवस्था को नियंत्रण की सहायता से पूर्ण रोजगार के स्तर से नीचे जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिये जायें।

अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता लाने के उद्देश्य से व्यापार-चक्रों पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है, जिससे मन्दी को समाप्त करके पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त किया जा सके। व्यापार-चक्र से अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जानी है, परन्तु निम्न कारणों से इनका कोई उचित समाधान सम्भव नहीं हो पाता—

- (i) प्रयास न करना—देश के साहसी इस समस्या को हल करने का प्रयास नहीं करते।
- (ii) सांगू करना सम्भव न होना—प्रत्येक समय के व्यापार-चक्र में कुछ न कुछ नवीनता होने से किन्हीं सामान्य नियमों को बनाकर उन्हें हल सम्भव परिस्थितियों में लागू करना सम्भव नहीं हो पाता है।
- (iii) समझने में असमर्थता—श्रमिक एवं उनके प्रतिनिधि व्यापार-चक्र के दोषपूर्ण परिणामों को समझने का प्रयत्न नहीं करते।
- (iv) अज्ञान का ध्यान हटाना—समाज में अभिवृद्धि की स्थिति आ जाने पर जनता का ध्यान मन्दी के समाधान

दी जाती है। निवारणात्मक उपायों में निम्न को सम्मिलित किया जा सकता है—

- (1) भौतिक नियंत्रण (Physical Control)
- (2) प्रयुक्त नीति (Fiscal Policy)
- (3) मौद्रिक नीति (Monetary Policy)
- (4) अन्य उपचार (Other Measures)


(1) भौतिक नियंत्रण—इसमें मूल्य नियंत्रण, मूल्य स्थिरता एवं राशानिग आदि साधनों को सम्मिलित किया जाता है। युद्धकाल में स्फीतिक प्रभावों को रोकने हेतु मूल्य नियंत्रण तथा युद्धोपरान्त मूल्यों को गिरने से बचाने के लिए मूल्य स्थिरता के उपायों को पालन करना चाहिए। जैसे ही मूल्य इन सीमाओं के ऊपर या नीचे जाते हैं, सरकार राशानिग द्वारा उनमें स्थिरता लाने के प्रयास करती है। मन्दीकाल में सरकार स्वयं भारी मात्रा में भाल खरीदकर गिरते मूल्यों को रोककर उत्पादकों की रक्षा करती है।

(2) प्रयुक्त नीति—सरकार रोजगार, उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय पर प्रभाव डालने वाले अवाञ्छित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त नीति को काम में लाती है। प्रयुक्त नीति में निम्न को सम्मिलित किया जाता है—

(अ) कुल व्यय—देश की कुल आय उपभोग एवं विनियोग के योग के बराबर होती है। मन्दीकाल में सार्व-जनिक व्ययों में वृद्धि करके तथा तेजीकाल में व्ययों में कमी करके व्यापार-वृद्ध के प्रभावों को ठीक करने के प्रयास किये जाते हैं। सार्वजनिक व्यय कुल व्यय का एक अंग होने में सार्वजनिक व्यय बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ जाता है और सार्वजनिक व्यय घटने पर कुल व्यय भी घट जाता है। कुल आय  $C+I$  होती है। यदि अनिश्चित सार्वजनिक व्यय को  $G$  द्वारा व्यक्त करें तो कुल बढ़ा हुआ व्यय  $C+I+G$  होगा व घटा हुआ व्यय  $C+I-G$  होगा। इसे चित्र 11.3 में दिखाया गया है। इसमें कुल व्यय  $C+I$  है और सन्तुलन बिन्दु  $E$  है। यदि सार्व-जनिक व्यय बढ़ जाये तो कुल व्यय बढ़कर  $C+I+G$  होगा और सन्तुलन बिन्दु  $E'$  होगा और आय बढ़कर  $OP'$  हो जाती है। यदि सार्वजनिक व्यय घटता है तो कुल व्यय  $C+I-G$  होगा, सन्तुलन बिन्दु  $E^2$  होगा व आय घटकर  $OP^2$  होगी।

अतः आय कम होने पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके कुल व्यय में वृद्धि की जानी चाहिए और आय अधिक है तो सार्वजनिक व्यय में कमी करके कुल व्यय में कमी की जानी चाहिए।

(ब) जन श्रृंखला—सार्वजनिक श्रृंखला का प्रभाव करारोपण के समान पड़ता है। श्रृंखला का भुगतान कर देने पर त्रय शक्ति जनता के हाथों में आ जाती है, व प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि हो जाती है। अतः तेजीकाल में जनता से श्रृंखला लेकर मन्दी के समय उसे धुका देना चाहिए। परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाये कि यह श्रृंखला समाज के उस वर्ग में प्राप्त किया जाये जिसके पास कोय फातूर पड़ा हो अर्थात् निजी उपभोग को कम करने की आवश्यकता न पड़े। मन्दी के समय श्रृंखला का भुगतान करके प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाया जा सकता है तथा व्यापार-वृद्ध का प्रभाव कम किया जा सकता है।



चित्र 11.3

(स) षर—करो में वृद्धि करने से जनता के पास ऋय-शक्ति में कमी हो जाती है, फलस्वरूप उपभोग एवं कुल व्यय गिर जाता है व रोजगार एवं राष्ट्रीय आय में कमी हो जाती है। देश में स्फीतिक प्रभावों को कम करने के लिए करो में वृद्धि करके उसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके विपरीत मन्दीकाल में करो में कमी करके व्ययों में वृद्धि सम्भव करके मन्दी के प्रभावों को रोक जा सकेगा। सार्वजनिक व्ययों को उपभोग पर व्यय, व्यक्तिगत विनियोग एवं सार्वजनिक विनियोग के रूप में विभाजित किया जा सकता है। सार्वजनिक व्ययों को प्रमुख मन्दी में सामाजिक उपरो-व्यय, विभागों का विन्धार, नियंत्रित वृद्धि, व्यक्तिगत उपभोग को प्रोत्साहन, ऋचे मान का सग्रह, अनुत्पादक कार्य एवं उद्योगों की स्थापना आदि सम्मिलित करते हैं।

सकता है—

(i) बिना लाभ विक्री—तेजीकाल में वस्तुओं की बिना बिना लाभ पर करके व्यापार-चक्र को नियंत्रित किया जा सकता है, परन्तु इसमें सफलता प्राप्त करना कठिन है। मन्दीकाल में वस्तुओं को लाभ पर बेचा जा सकता है।

(ii) बेकारी बीमा योजना—व्यावसायिक परिवर्तनों को रोकने हेतु इस नीति का पालन किया जाता है। यह योजना सभी धर्मिकों के लिए अनिवार्य कर दी जाती है जिससे प्राप्त धनराशि को एक पृथक् कोष में रखा जाता है व मन्दी तथा बेकारी के समय इस कोष का उपयोग किया जाता है जिसमें धर्मिकों के जीवन-स्तर को बनाये रखा जा सके।

(iii) उत्पादित मुद्रा से व्यय—कीन्स एवं उनके अनुयायियों ने इस रीति का समर्थन किया है क्योंकि (अ) इससे समाज के कुल व्यय में कोई कमी नहीं होती, (ब) यह मुद्रा उस समय तक स्फीतिक प्रभाव नहीं दिखा सकती, जब तक कि देश में बेरोजगार के मायन रहेंगे।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय उपाय—व्यापार-चक्र को नियंत्रित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न किये जाने चाहिए, जैसे मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि आदि।

(v) सरकारी नियंत्रण में उत्पादन—पूँजीवाद में लाभ की भावना में उत्पादन किये जाते हैं। यदि सरकारी नियंत्रण में उत्पादन किया जाये तो व्यापार-चक्रों को रोका जा सकता है।


### व्यापार-चक्र के सिद्धान्त (Theories of Trade Cycles)

व्यापार-चक्र के सिद्धान्तों को दो वर्गों में रखा जा सकता है—

- (अ) अमौद्रिक सिद्धान्त (Non-Monetary Theories)
- (ब) मौद्रिक सिद्धान्त (Monetary Theories)

व्यापार-चक्र के सिद्धान्तों को निम्न चार्ट द्वारा भी दिखाया जा सकता है—

व्यापार-चक्र के सिद्धान्त



## (अ) अमौद्रिक सिद्धान्त

व्यापार-चक्र के अमौद्रिक सिद्धान्तों में निम्न सिद्धान्तों को सम्मिलित किया जाता है :

(i) जलवायु सिद्धान्त (Climatic Theory)—इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करने वाले जेवन्स (Prof. Javens) हैं। इसे सूर्य-कलक सिद्धान्त (Sun-Spot Theory) के नाम से भी पुकारते हैं। इस सिद्धान्त द्वारा हम बात पर दल दिया गया है कि आर्थिक सक्रम उसी समय दिखाई देते हैं, जबकि सूर्य पर कुछ धब्बे दिखाई दें। सूर्य के ऊपर जो धब्बे दिखाई देते हैं, उनके दिखाई देने का एक निश्चित क्रम होता है और इन धब्बों के कारण ही देश में आर्थिक उच्चावचन उत्पन्न हो जाते हैं। सूर्य के यह धब्बे एक निश्चित क्रम से दिखाई देते हैं, जिनकी औसत अवधि लगभग 11 वर्ष होती है। सूर्य के इन धब्बों के कारण ही सूर्य विकिरण में परिवर्तन आ जाते हैं और इनसे भूमि पर वर्षा के चक्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार समय-समय पर सूर्य के जो धब्बे दिखाई देते हैं, वे वर्षा में निरन्तर परिवर्तन लाकर जलवायु को प्रभावित करने फलसो पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बुरी जलवायु के कारण देश में फसलें नष्ट हो जाती हैं, फलस्वरूप मन्दी की प्रारम्भिक अवस्थाएँ प्रारम्भ हो जाती हैं, जो कालान्तर में देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था के अन्य भागों को भी प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत अच्छी जलवायु उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देकर तेजी की अवस्था को प्राप्त करने के प्रयास किये जाते हैं। जलवायु सम्बन्धी यह परिवर्तन इतने क्रमिक होते हैं कि अच्छी फसलों व बुरी फसलों की अवधियों का तातासा बना रहता है। परन्तु वर्तमान समय में परिवहन व संचयवाहन के विकास हो जाने से एक राष्ट्र के प्रभावो को दूसरे राष्ट्रों में प्रवेश करने के अवसर प्राप्त हो जाने हैं। यदि किसी एक राष्ट्र में फसलें असफल हो गयी हैं तो यह अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित करता है। जैसे यदि फसलों के खराब होने से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो त्रय-शक्ति में कमी हो जाने से विदेशी माल की माग कम हो जायेगी और विदेशों में अत्युत्पादन (overproduction) की समस्याएँ सबी हो जायेंगी। इस प्रकार वर्षा का चक्र विपरीत दिशा में चलने से फसलें नष्ट हो जाती हैं तथा मानव के लिए मन्दी की दशाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। सिद्धान्त के समर्थकों का कथन है कि 1930-31 की महान् मन्दी का कारण जलवायु ही बताया गया। जलवायु परिवर्तनों ने कृषि प्रधान राष्ट्रों में मन्दी उत्पन्न करके औद्योगिक राष्ट्रों को प्रभावित किया तथा वहा से यह समस्त विश्व में फैला गया।

वर्तमान समय में प्रमुख अमरीकी अर्थशास्त्री मूर (Moore) ने व्यापार-चक्र एवं वर्षा चक्र में सम्बन्ध स्थापित किया तथा व्यापार-चक्र को उसका कारण बताया। मूर ने वर्षा चक्र का सम्बन्ध शुक्र ग्रह से लगाया जो प्रत्येक 8 वर्ष बाद पृथ्वी व सूर्य के मध्य से गुजरता है। इस प्रकार मीनम चक्र जो शुक्र की गति पर निर्भर होते हैं, ठीक वैसे ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे कि जेवन्स ने अपने सिद्धान्त में बताया था।

आलोचनाएँ—यद्यपि कृषि पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है और उद्योग धन्धे भी कच्चे माल की पूर्ति के लिए कृषि पर निर्भर होने से जलवायु से प्रभावित होते हैं, फिर भी इस सिद्धान्त को व्यापार-चक्र की एक वैज्ञानिक व्याख्या नहीं माना जा सकता। इस सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएँ निम्न प्रकार हैं—

(1) समान प्रभाव का अभाव—जलवायु का विश्व के समस्त राष्ट्रों में कृषि उद्योग पर एकसा प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि समान रूप से ही प्रभाव पड़ना चाहिए था।

(2) औद्योगिक जगत में प्रभाव—इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापार-चक्र समाप्त हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति इससे भिन्न है क्योंकि औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों में ही व्यापार-चक्र के प्रभाव अधिक दिखाई देते हैं।

(3) कारण बताने में अस्पष्ट—जलवायु परिवर्तन सिद्धान्त किसी समय पर भी व्यापार-चक्र की विद्योताओं को मन्तोपद्रव्य के रूप में बताने में अममयं रहता है। जैसे मन्दी की अपेक्षा तेजी की अवस्था में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ेगा, इसका कारण बताने में यह सिद्धान्त अममयं रहता है।

(4) प्रकृति का कम निर्भरता—चेती करने के ढंगों में परिवर्तन होने से प्रकृति पर निर्भरता कम हो गई है जिससे जलवायु सिद्धान्त व्यापार-चक्र की ठीक व्याख्या करने में अक्षम रहता है।

(5) सम्बन्ध का अभाव—व्यापार-चक्रों का जलवायु-चक्रों से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं रहता। प्रायः व्यापार-चक्र अन्य आर्थिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, जिसका अध्ययन इस सिद्धान्त में नहीं किया गया है।

(6) स्पष्ट चक्र का अभाव—पसलों के उत्पादन में प्रायः पूर्णतया स्पष्ट चक्र दृष्टिगोचर नहीं होते हैं।


(ii) अधिक-उत्पादन सिद्धान्त (Overproduction Theory)—इस सिद्धान्त के अनुसार व्यापार-चक्र प्रायः अधिक उत्पादन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। सिसमोंकी का विचार है कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादकों में महान प्रतिस्पर्धा बनी रहती है जिस पर कोई नियन्त्रण सम्भव नहीं हो पाता। प्रत्येक व्यापारी की यह इच्छा होती है कि वह अधिकाधिक बाजारों को अपने अधिकार में ले ले और इसी उद्देश्य के फलस्वरूप वह उत्पादन की मात्रा बढ़ाता है, परन्तु दूसरी ओर माग में इतनी वृद्धि सम्भव न होने से बाजार में मातृ बिना बिक्र अधिक मात्रा में रह जाता है। यह सिद्धान्त इस मान्यता को लेकर चलता है कि वर्तमान उत्पादन इतना कुशल हो जाता है कि वह उपभोग के साथ नहीं चल पाता और उत्पादन इतना अधिक बढ़ जाता है कि उपभोक्ताओं की श्रय शक्ति उसे श्रय करने में असमर्थ रहती है। अतः अतिरिक्त मातृ को बेचने के लिए मूल्यों में कमी करना आवश्यक हो जाता है। जैसे ही मूल्य कम किये जाते हैं, सारा मातृ धीरे-धीरे बिक्र जाता है। जैसे ही पुराना आधिक्य समाप्त होता है कि उत्पादक फिर से अति उत्पादकता कर लेते हैं और यह कठिनाई फिर से उपस्थित हो जाती है। मूल्यों में जरा-सी वृद्धि होने पर ही उत्पादक अपने उत्पादन को बढ़ा देते हैं, परन्तु मजदूरियों में मूल्यों की तुलना में उतनी वृद्धि सम्भव नहीं हो पाती, जिससे श्रय शक्ति में तेजी से वृद्धि नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त श्रय शक्ति का एक भाग ऐसे व्यक्तियों के पास चला जाता है जो उत्तम सचय कर लेते हैं, परिणामस्वरूप अति-उत्पादन हो जाता है तथा कठिनाइया उपस्थित हो जाती हैं।

उत्पत्ति के साधनों के मूल्यों में वृद्धि होने से उत्पादन व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। उत्पादन व्यय के परिणामस्वरूप मूल्यों में भी वृद्धि हो जाती है, जिसे उपभोक्ता सहन नहीं कर पाते और श्रय को थोड़े समय के लिए स्थगित कर देते हैं। फलस्वरूप साम्र घट जाते हैं व हाजि में वृद्धि होने लगती है, साहसियों में आर्थिक दिवाबिपायन प्रकट होने लगता है व सीमान्त उत्पादक अपना उत्पादन बन्द ही कर देते हैं।

अधिक उत्पादन सिद्धान्त का दूसरा रूप प्रतियोगिता सिद्धान्त है। व्यापार-चक्र का कारण प्रतियोगी पूंजीवाद बताया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगी शक्तियों दो प्रकार से व्यापार-चक्र को प्रभावित करती हैं—एक ओर तो वह अधिक उत्पादन को जन्म देती हैं और दूसरी ओर यह उत्पादन मागत को बढ़ाती हैं। संपर्न ने इन दोनों शक्तियों को श्रयः घनात्मक व श्रुपात्मक कहा है। इस घनात्मक एवं श्रुपात्मक प्रभाव के कारण ही समुद्र की लहरों की भांति व्यापारिक जगत् में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। इस प्रकार इस प्रतियोगिता व साम्र अक्षित करने की क्षमता से उत्पादक अधिकाधिक मातृ उत्पन्न करने के प्रयास करते हैं जिससे अति-उत्पादन होकर व्यापार-चक्र दृष्टिगोचर होने लगते हैं।

आलोचनायें—इस सिद्धान्त की मुख्य आलोचनायें निम्नलिखित हैं—

(1) कारण बताने में असमर्थ—यह सिद्धान्त व्यापार-चक्रों की प्रवृत्ति का कोई कारण बताने में असमर्थ रहता है। इसी प्रकार इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि व्यापार-चक्र सामान्य अति-उत्पादन के कारण उदय होते हैं, अथवा विशिष्ट अति-उत्पादन के कारण। इसे चित्र 11.4 द्वारा दिखाया गया है।



चित्र 11.4

(2) निर्दिष्ट समय की व्याख्या करने में असमर्थ—यह सिद्धान्त इस बात को बताने में असमर्थ रहता है कि व्यापार-चक्र अपना मार्ग पूर्ण करने में एक निर्दिष्ट समय क्यों लेते हैं और प्रत्येक व्यापार एवं संयोग पर ही इसका प्रभाव क्यों पड़ता है।

(3) सम्बन्ध बनाने में असमर्थ—यह सिद्धान्त इस बात को बताने में असमर्थ रहता है कि अभिवृद्धि के परभाव अवसाद काल ही क्यों आता है।

(iii) स्वयं-उत्पादन सिद्धान्त—मिचेल (Self-Generation Theory—Mitchell)—मिचेल का विचार है कि वर्तमान आर्थिक व्यवस्था का स्वभाव व्यापार-चक्रों को स्व-उत्पादित बनाना है। व्यापार-चक्रों का कारण पूँजीवादी प्रणाली में ही विद्यमान रहता है। पूँजीवादी आधुनिक अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण निम्न होते हैं—

- (1) आर्थिक क्रिया के प्रत्येक क्षेत्र में मध्यमों का होना।
- (2) सात मुद्रा का सरलता से प्राप्त होना।
- (3) अनेक प्रकार की अर्थगतियों के कारण मांग एवं पूँजि में सामन्त्रस्य स्थापित करना कठिन हो जाता है।
- (4) उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के मध्य बहुत अधिक दूरी बनी रहती है।
- (5) अर्थव्यवस्था में भारी मात्रा में पूँजी का वित्तियोजन किया जाता है।

वर्तमान पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का स्वभाव ही व्यापार चक्र के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि सम्पन्नता की अवस्था का सावधानी से विवेचन किया जाय तो इस काल में मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है, मूल्यों में वृद्धि होने से व्यवसायीय एक आभावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं और वे वस्तुओं का संग्रह करना प्रारम्भ कर देते हैं। देश की आर्थिक प्रणाली में अनेक प्रकार की कठिनाइयों के कारण उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि सम्भव नहीं हो पाती और उत्पादन लागत की अपेक्षा विक्रय मूल्यों में तेजी से वृद्धि होने लगती है, फलस्वरूप लाभ में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन, रोजगार एवं ऋणों की मांग में वृद्धि हो जाती है, जिससे जमा एवं ब्याज दरों में वृद्धि होने लगती है।

परन्तु इस वृद्धि की एक सीमा होती है और नमस्त साधनों के प्रयोग होने पर वृद्धि के न्यूनतम तक़द कोय घट जाते हैं, लागत में तेजी से वृद्धि होकर, मांग में वृद्धि होना रुक जाता है, लाभ गिरते हैं, परिणामस्वरूप व्यापारी बगैरे संग्रह करना प्रायः बन्द कर देते हैं। भारी मांग में कमी होने की सम्भावना से लाभ एवं ऋण की मात्रा कम हो जाती है। व्यवसायी अपनी विनीय स्थिति को सुधारने हेतु व्ययों में कमी करने के प्रयत्न करते हैं परन्तु मांग में कमी होने से आय में कमी हो जाती है। उपभोक्ता की मांग में कमी होने से उत्पादक बगैरे अपनी मांग को अपेक्षाकृत अधिक कम कर देता है।

आलोचनायें—इन सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनायें निम्न हैं—

(1) तुलना निरन्तर वालिन मशीन से करना—इस सिद्धान्त में आर्थिक यंत्र की तुलना एक निरन्तर चालित मशीन से की गई है, परन्तु व्यवहार में प्रत्येक मशीन के लिए अतिरिक्त शक्ति का उपयोग करना आवश्यक होता है तथा पट्टी की भांति समय-समय पर सावधि मशीन दो गई तो अनेक प्रकार के अवरोधों के कारण वह रुक जाते हैं। यदि आर्थिक चक्र में निरन्तर चलित का उपयोग नहीं किया, अर्थात् रुक-रुक कर चलाने से, अयोग्य।

(2) सम्बन्ध का अभाव—प्रत्येक आनेवाली अभिवृद्धि का बीज चुके अवसाद से ठीक उसी प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिए तथा प्रत्येक अवसाद का उपाने पूर्व की अभिवृद्धि के साथ होता है, परन्तु व्यवहार में ऐसा सम्भव नहीं होता। प्रायः यह देखा गया है कि एक विमान तेजी के बाद महान् मन्दी से आती है, परन्तु महान् मन्दी के परभाव विद्यमान तेजी का अभाव आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार इस सिद्धान्त में सम्बन्धों का अभाव पाया जाता है।

(iv) मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त—पीगू (Psychological Theory—Pigou)—यह सिद्धान्त प्रो० पीगू द्वारा प्रतिपादित किया गया है जो कि प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुकूल ही है। प्रतिष्ठित विचारधारा में यह माना गया है कि (अ) पूँजी एवं उपभोग की मांग पारस्परिक प्रतिक्रिया होने के कारण अधिक बचनें होने लगती हैं और उपभोग में कमी हो जाती है, परन्तु इन कमी का पूँजीगत मूल्य की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। (ब) पूँजि स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है, जिसमें अति-उत्पादन सम्भव मा हो जाता है। दार्शनिक स्थिति यह है कि अधिक मात्रा में बचत स्वयं विपणन मान की मांग को बढ़ा देती है। फलस्वरूप कुल मांग एवं कुल पूँजि में निम्नता नहीं हो पाती। प्रतिष्ठित

अर्थशास्त्रियों ने बताया कि समाज का आशावाद एवं निराशावाद ही साल की आर्थिक अस्थिरता एवं व्यापार-चक्र के उतर-वारी होते हैं। व्यापार-चक्र आने के प्रमुख कारण समाज में आशावाद एवं निराशावाद का पाया जाना है। आशावाद में तेजी काल व निराशावाद में मन्दी काल की अवस्था पायी जाती है।

पीगू के अनुसार व्यापार-चक्र आने का कारण मानसिक मनोवृत्ति है। मानव के मस्तिष्क में एक के बाद दूसरी आशावाद एवं निराशावाद के विचार उठते रहते हैं कि जो व्यावसायिक क्रियाओं में व्यापार-चक्र का आधार बनते हैं। पीगू की यह विचारधारा है कि प्रारम्भ में मानव की मनोवृत्ति आशा की ओर रहती है, परन्तु अपूर्ण प्रति-योगिता होने के कारण उत्पादकगण अपने नेता-फर्म की कीमतों का अनुकरण करके ध्यावसायिक क्रियाओं का विस्तार करते हैं। परन्तु मानव मनोवृत्ति स्थिर न रहने में धीरे-धीरे यह स्थिति बदल जाती है और लागत व्यय बढ़कर लाभ की मात्रा घट जाती है, फलस्वरूप उत्पादन गिर जाता है तथा अन्य उत्पादन उसका अनुकरण करना प्रारम्भ कर देते हैं, परिणामस्वरूप संकट उत्पन्न हो जाते हैं। इससे मनोवृत्ति पर बुरा प्रभाव पड़कर अर्थव्यवस्था मन्दी की ओर जाने लगती है तथा मनोवैज्ञानिक निराशा और अधिक बलवती बन जाती है तथा मन्दी या अवसाद काफी निम्न बिन्दु तक पहुँच जाता है। धीरे-धीरे जब उत्पादन ध्यय मूल्यों की तुलना में गिरने लगते हैं तो फिर से लाभ की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। इस समय मनोवृत्ति में फिर से परिवर्तन आने से पुनरुद्धार प्रारम्भ हो जाता है। तथा अन्त में सम्पन्नता की ओर अग्रसर होता जाता है। इस क्रम का पुनरावर्तन होने से व्यावसायिक क्रियाएँ व्यापार-चक्र के रूप में दिखाई देती हैं। इस प्रकार व्यावसायिक क्षेत्र में जब कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हो जाती है तो अन्य व्यक्तियों पर इसका शीघ्रता से प्रभाव पड़ने लगता है। उदाहरणार्थ, यदि मूल्य गिरने लगे तो प्रत्येक व्यक्ति हानि के डर से अपना माल बेचना नजर आने लगता है। एक व्यापारी को अपना माल बेचते देख अन्य व्यापारी भी अपना माल बेच जानते हैं। इसी प्रकार तेजी के काल में लाभ की आशा से काम होने लगता है। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में मन्दी व तेजी के काल में निरन्तरता बनी रहती है और एक के बाद दूसरी घटित हो जाती है।

आलोचनायें—इस सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनायें निम्नलिखित हैं—

(1) कारण बताने में असमर्थ—यह सिद्धान्त यह बताने में असमर्थ है कि मन्दी कैसे प्रारम्भ होती है तथा क्यों आती है।

(2) उतार-चढ़ाव समझने में असमर्थ—निदान्त में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उतार-चढ़ाव एक नियमित समय पर ही क्यों आते हैं ?

(3) व्यापारिक विश्वास पर प्रभाव—देश की व्यावसायिक दशाओं पर व्यापारिक विश्वास का गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय पर पूँजी की सीमान्त उत्पादकता एवं मौद्रिक व अमौद्रिक घटकों का प्रभाव पड़ता है, परन्तु इस सिद्धान्त में इन बातों की ओर ध्यान न देने से यह त्रुटिपूर्ण बन गया है।

(4) अपूर्ण व्याख्या—यह सिद्धान्त व्यापार-चक्रों की केवल अपूर्ण व्याख्या ही कर पाता है जिसमें यह सिद्धान्त अधूरा है।

(v) अधिक बचत या कम विनियोग सिद्धान्त—हॉबसन (Over-saving or Under-investment Theory—Hobson)—हॉबसन एवं उसके समर्थकों ने व्यापार-चक्र का कारण आय का असमान वितरण बताया है। इस सिद्धान्त के अनुसार समाज में अमीर एवं गरीबों की श्रम में जो व्यापक अन्तर पाया जाता है, उसके फलस्वरूप उत्पन्न हुई बचत या कम उपभोग की घटनाओं के कारण ही देश की समस्त अर्थव्यवस्था पर व्यापार-चक्र का प्रभाव पड़ता है। देश में आय के वितरण की असमानतायें ही आर्थिक संकटों को उत्पन्न करती हैं। आय का वितरण अगमान होने से ही देश में व्यापार चक्र उत्पन्न हो जाते हैं और आर्थिक संकटों को जन्म देते हैं।

समाज में रहने वाले व्यक्तियों को धनी एवं निर्धन दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। समाज की आय का एक बहुत बड़ा भाग धनी वर्ग को प्राप्त होता है, जो अपनी समस्त आय को उपभोग पर व्यय न करके उसका एक बड़ा भाग बचत करके विनियोग कार्य पर लगा देते हैं। परिणामस्वरूप उपभोग की वस्तुओं की मांग घट जाती है तथा विनियोग बढ़ने से आगे चलकर वस्तुओं की प्रुति में वृद्धि होकर मूल्यों में कमी करनी होती है। इससे लाभ घट जाते हैं व धनी वर्ग की आय कम होकर, बचत व विनियोग गिरकर उत्पादन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। उत्पादन व उपभोग समग्र समान हो जाते हैं,

फलस्वरूप मूल्य एवं लाभ फिर से घटने लगते हैं, जिसमें आय बढ़ जाती है, बचत एवं विनियोग बढ़कर फिर से पुरानी बात बहुरायी जाती है। इस प्रकार यह व्यापार-चक्र का भ्रम चलता ही रहेगा। यह भ्रम उन समय तक चलता रहेगा जब तक कि धनी व्यक्ति अधिक व्यय न करें या बचत करना न छोड़ दें या जब तक देश में आय का समान वितरण न हो जाये। बचत जितनी अधिक होगी तथा आय का जितना अधिक असमान वितरण होगा, उतने ही अधिक व्यापार-चक्र प्रभावशाली होंगे। व्यापार-चक्र के संकट में छुटकारा उभी समय प्राप्त हो सकता है जबकि उत्पादन-व्यय उप-भोक्ताओं की ऋण शक्ति के बराबर हो तथा वस्तु के उत्पादन करने में जितना खर्चा किया जाये वह समस्त धन समाज को ही किसी न किसी रूप में वापस कर दिया जाये, परन्तु यह सम्भव नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग साहकार, जमींदार व अन्य धनी वर्ग के पास चला जाता है जो संख्या में थोड़े होते हैं। परिणामस्वरूप उप-भोक्ताओं की ऋण शक्ति कम हो जाती है तथा दूसरी ओर धनी वर्ग अपनी आय को खर्च न करके बचन करते हैं और वह धन उपभोग पर व्यय नहीं हो पाता। इस कमी के कारण ही व्यापार-चक्र के संकट उत्पन्न हो जाते हैं।

आलोचनायें—इस सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनायें निम्न प्रकार हैं—

(1) बचत व विनियोग का भ्रमात्मक सम्बन्ध—इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि विनियोग के उच्चावचन, बचत के उच्चावचन से प्रभावित होते हैं। परन्तु व्यवहार में यह पाया जाता है कि विनियोगों में बचतों की तुलना में अधिक उच्चावचन होते हैं। सम्पन्नता काल में विनियोग में उच्च समय तक वृद्धि होती रहती है जब तक कि व्याज की दर कम रहती है। प्रायः मूल्य वृद्धि की सम्भावना मात्र में ही विनियोग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। परन्तु अवसाद काल में ही बचत विनियोग से अधिक हों जाती है जिससे ऋण लेने व देने दोनों में ही घबराहट होती है, फलस्वरूप यह बचने वेंकों में जमा कर दी जाती है।

(2) अभिवृद्धि के कारणों को स्पष्ट करने में असमर्थ—यदि आय से बचन की जाये तो वह विनियोग हो सकती है और उसका लाभ अन्ततः उपभोक्ताओं को ही प्राप्त होता है, जिससे बचत करने पर मांग में कमी होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसी प्रकार बचतों में वृद्धि करने से विनियोगों पर पड़ने वाले प्रभावों को ठीक प्रकार से नहीं बताया जाता।

(3) व्याज से विनियोग प्रभावित नहीं होते—प्रायः यह माना जाता है कि अधिक बचन करने से व्याज की दरें गिर जाती हैं और वह विनियोगों को प्रोत्साहित करेंगी। परन्तु व्यवहार में व्याज की नीची दरें विनियोग को प्रोत्साहित नहीं कर पाती, क्योंकि विनियोग में वृद्धि केवल लाभ की सम्भावना पर निर्भर करती है। उदाहरणार्थ, अवसाद काल में बचत जमा होने पर भी विनियोग की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि सम्भव नहीं हो पाती है।

(4) मूल्य एवं उपभोग वस्तु के सम्बन्ध को गलत धारणा—प्रायः यह माना गया है कि मत्तों के उच्चावचनो का उपभोग वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति को अधिक प्रभावित करते हैं और इस प्रकार शीघ्र नाशवान वस्तुओं की कीमतों में टिकाऊ वस्तुओं की अपेक्षा अधिक उच्चावचन होता है। परन्तु व्यवहार में यह सत्य नहीं है, क्योंकि अवसाद काल में भी विभिन्न राष्ट्रीय में लोहा, इस्पात व अन्य टिकाऊ वस्तुओं के मूल्य साच्च पदार्थों की तुलना में काफी कम पाये गये।

(5) गलत दिशा में बला देना—इस सिद्धान्त में गलत दिशा की ओर बल दिया गया है। व्यापार-चक्र व संकट का कारण जो आय के वितरण की असमानता माना गया है वह भ्रमात्मक है क्योंकि वितरण की असमानतायें निरन्तर बढ़ती जाती हैं।

(6) व्यापार-चक्र के कारण अस्पष्ट—उत्पादन कला में सुधार के साथ-साथ सामाजिक आय में वृद्धि होती है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को लाभ प्राप्त होते हैं। परन्तु इस लाभ का अधिकांश भाग धनी वर्ग को प्राप्त होता है। इसमें उपभोग की वस्तुओं की मांग घटकर विनाशिता की मांग में वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप उपभोग वस्तुओं के उत्पादन करने वाले उद्योगों में मन्दी आ जाती है। परन्तु यह व्यापार-चक्र आने के कारणों को स्पष्ट करने में असमर्थ रहते हैं।

(7) न्यून उपभोग व आय वितरण असमानता का व्यापार-चक्र से सम्बन्ध न होना—समाज में आय के वितरण की असमानता एवं न्यून उपभोग का व्यापार-चक्र से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है क्योंकि आर्थिक प्रगति के साथ-साथ मूल्य स्तर नीचे गिरते हैं तथा मुद्रा का विस्तार हो जाता है, जिससे शीघ्र नाशवान एवं टिकाऊ वस्तुओं का सम्बन्ध विगड़ जाता है।

(vi) नवोन्नत सिद्धान्त—गुम्पेटर (Innovation Theory—Schumpeter)—गुम्पेटर के अनुसार




व्यावसायिक चक्र प्रायः नवीनता के कारण उत्पन्न होते हैं, यदि नवीनतायें न हों तो अर्थव्यवस्था एक साम्य की स्थिति पर आकर टिक जायेगी जहाँ अवनत्य, उत्पादन-विधियाँ, साधन एवं रुतियों में कोई परिवर्तन न होगा। ऐसी दशा में शुद्ध बचत व विनिमय नहीं होते, उत्पादन मात्र के आधार पर समाजोचित होकर, व्यावसायिक चक्रों को उत्पन्न नहीं करता। परन्तु नवीनतायें उत्पादन व्यय एवं कीमतों में अनिश्चितता उत्पन्न कर देती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में निरन्तर उच्चावचन आते रहते हैं। यह उच्चावचन ही व्यापार-चक्र को जन्म देते हैं तथा व्यापार-चक्र के कारण होते हैं।

गुन्नीटर के अनुसार नवीनता में निम्न बातों को सम्मिलित करते हैं—(i) व्यवसाय के आन्तरिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, (ii) उत्पादन की विधि के लिए नवीन विधियों की खोज की जा सकती है। (iii) मन्दाव्यय में किन्ती नवीन वस्तु का उत्पादन सम्भव हो सकता है। (iv) उत्पादन की नवीन तकनीक का उपयोग करना। (v) कच्ची सामग्री के नवीन स्रोतों का पता लगाना। (vi) उत्पादन की नवीन विधियों का उपयोग करना।

उत्पादकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने से अधिक व व्यावसायिक जगत में भी परिवर्तन हो जाते हैं, जिनसे उत्पादन सामर्थ्य अस्थिर हो जाती है तथा देश में उद्योगों के उत्पादन को मात्र के आधार पर समाजोचित करना पड़ता है। परन्तु नवीन परिवर्तनों के साथ-साथ मात्र वक्र में भी बार-बार परिवर्तन होने रहते हैं जिससे यह अनिश्चित हो रहता है।

प्रारम्भ में अर्थव्यवस्था को साम्य की स्थिति में माना जाता है जिनमें, बचत एवं विनिमय दोनों समान होते हैं और पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। यदि साहसियों को किसी ऐसी नवीनता से परिचित कराया जाये, जो उनके लिए लाभदायक होगी तो वे उसे स्वीकार करके, बैंकों से ऋण आदि लेकर नवीन उपकरणों की स्थापना करेंगे। इनकी सकलता पर अन्य साहसी भी शक्य अनुकरण करते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में विस्तार होता है, विनियमों में वृद्धि एवं माँग का विस्तार होकर बैंक साख्त व मौद्रिक आयात का निर्माण होता है। परन्तु उत्पादन बढ़ाने में समय का समान आवश्यक है जिससे पुराने उपकरणों द्वारा उच्च मूल्यों व सामग्री की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और समन्वयता का काल प्रारम्भ हो जाता है। व्यापार-चक्र स्वयं को चक्रीय प्रक्रिया के रूप में व्यक्त करता है अर्थात् कि चित्र 11.5 से स्पष्ट है—



धीरे-धीरे नवीन उपकरणों भी निरन्तर बाजार में आने से पुरानी फर्मों के साथ प्रतिযোগिता होगी और उनके लाभ घट जायेंगे। उपभोक्तायन भी पुरानी वस्तुओं के स्थान पर नवीन वस्तुओं को प्राप्ति करेंगे, जिनसे पुरानी वस्तुओं की माँग गिर जायेगी। व्यवसाय की माँग बढ़ने पर नवीन फर्में अपने सामर्थ्य में बैंक ऋणों को वापस करने लगेंगे, जिससे बाजार में मुद्रा की मात्रा घटेगी एवं इतना मूल्यों पर विलक्षोक्ति (deflationary) प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार वस्तुओं की माँग पहले से भी अधिक कम हो जायेगी। पुरानी फर्मों की घटती माँग वा समान करना पड़ेगा है जिससे वह उत्पादन कम करके धनिकों व अन्य उत्पत्ति के साधनों को छुट्टी करेंगे। बेरोजगारी में वृद्धि होने से प्रभावकारी माँग में और अधिक कमी होगी। और मन्दी का काल प्रारम्भ हो जायेगा। इस काल में अत्यधिक अनिश्चितता के कारण स्थिति और भी गम्भीर हो जाती है। गुन्नीटर ने अवसाद की व्याख्या सौव लहरों (secondary waves) से की है, जिनका विस्तार प्रारम्भिक लहरों से उत्पन्न होता है और बाद में अत्यधिक निराशावाद का काल प्रारम्भ हो जाता है। बैंक अपनी तरलता बनाये रखने के प्रयास करती है तथा पुराने ऋणों को वापस मांगती है।

सारे सारे विशालता फर्में अपना व्यवसाय बन्द कर देती हैं, जिससे शेष फर्मों का भविष्य उन्मत्त हो जाता है और वे कुपायनापूर्वक उत्पादन कार्य करना प्रारम्भ कर देते हैं, जिनसे वित्तीयिक कम का विकास भी अन्त में अवसाद हो जाता है।

मातोचनाएं—गुन्नीटर के सिद्धान्त की अनुसृत मातोचनाएं निम्नलिखित हैं—

(1) बैंक साख्त का प्रभाव पड़ना—देश में समन्वयता की दशा में बैंक साख्त की मात्रा भी व्यापार-चक्र को प्रभावित करती है। प्रायः यह देखा गया है कि जितनी अधिक मात्रा की मात्रा में वृद्धि होगी, उतनी ही अधिक मात्रा में मूल्यों में भी वृद्धि सम्भव हो सकेगी।

(2) बेरोजगारी पर प्रभाव—यदि नवीन वस्तु से प्रभावित उद्योग किसी एक स्थान विशेष पर केन्द्रित हैं तो बेकारी पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि श्रमिक प्रायः गतिहीन होते हैं। परन्तु व्यवहार में नवीनता का प्रभाव किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित न होकर समूचे राष्ट्र पर पड़ने से बेरोजगारी पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(3) अनुचित मान्यताएँ—शुम्पीटर के सिद्धान्त में यह मानकर चना गया है कि देश की अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एवं अर्थप्रवर्धन हेतु बैंक साख की व्यवस्था है, परन्तु वास्तव में यह दोनों ही मान्यताएँ अनुचित एवं काल्पनिक हैं।

(4) अवधि का प्रभाव—व्यापार-चक्र पर नवीन उद्योगों की टक्करी का भी प्रभाव पड़ता है। किसी भी उद्योग के निर्माण में यह अवधि जितनी अधिक होगी, उतना ही मांग के अनुरूप उत्पादन को जल्दी प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। इसकी निदान में ध्यान में नहीं रखा गया।

(5) नवीनता के प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव—व्यापार-चक्र को गहनता के निर्धारण में नवीनता के प्रतिस्पर्धात्मक प्रभावों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे नवीन वस्तु के प्रचलन के कारण पुराने उद्योगों को पुनः समाप्त करना सरल होगा, परन्तु मांग में कमी होने पर उद्योगों को पुनः समाप्त करने में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

(6) सामाजिक मान्यताओं पर आधारित—शुम्पीटर के सिद्धान्त में लोचरूप में बेकिंग पड़ती को महत्व प्रदान करने पर भी उसे मौद्रिक सिद्धान्त में नहीं रखकर सामाजिक मान्यताओं पर आधारित माना है क्योंकि यदि मौद्रिक विशेषताओं को नियंत्रित कर दिया जाये तो व्यापार-चक्रों को सरलता से समाप्त किया जा सकेगा।

(7) नवीनता में अनियमितता के कारण बताने में असमर्थ—यह सिद्धान्त नवीनता में अनियमितता आने के कारण बताने में असमर्थ है। शुम्पीटर ने यह अनियमितता व्यक्तिगत साहसी के कारण बताई है, जबकि इसका कारण प्राविधिक एवं सामाजिक गति में समानता का अभाव होगा।

(8) अवसाद व पुनरोद्धार का सम्बन्ध भ्रमपूर्ण—सिद्धान्त में यह माना गया है कि अवसाद के पश्चात् पुनरोद्धार की अवस्था स्वतः ही प्रारम्भ हो जाती है। परन्तु यह मान्यता गलत है क्योंकि अवसाद प्रायः पूँजी व विनियोग की कमी के कारण उदय होते हैं और उसे सामान्य सिद्धि तक लाने के लिए सान के अतिरिक्त अन्य पदकों की भी आवश्यकता होती है, जिसे इस सिद्धान्त में ध्यान में न रखकर केवल लाभ की प्रेरणा पर ही जोर दिया गया है।

(9) नवीनता की गलत व्याख्या—शुम्पीटर ने नवीनता की जो व्याख्या की है वह सही नहीं है क्योंकि कुछ नवीनताएँ अधिक विशाल में आधारित उपस्थित कर देती हैं। इस प्रकार इस सिद्धान्त में नवीनता की गलत ढंग से व्याख्या की गयी है।

## (ब) मौद्रिक सिद्धान्त

आधुनिक काल में व्यापार-चक्रों के लिए मौद्रिक कारणों का निर्माण किया गया है। इन सिद्धान्तों में पूर्ण रूप से मौद्रिक कारणों की व्याख्या की गई है। इनमें प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

1. हाट्टे का मौद्रिक सिद्धान्त,
2. हिक्स का मुद्रक प्रक्रिया एवं गतिवर्धन सिद्धान्त,
3. हेपक का अधिक साख सिद्धान्त,
4. राबर्टसन का सिद्धान्त,
5. बीन्स का बचत एवं विनियोग सिद्धान्त,
6. व्यापार-चक्र का मकड़ी जाला प्रमेय, एवं
7. टिनबर्गन का व्यापार-चक्र सिद्धान्त।

1. हाट्टे का मौद्रिक सिद्धान्त (Hawtrey's Monetary Theory)—हाट्टे के अनुसार व्यापार-चक्र एक विमुक्त मौद्रिक प्रवृत्ति है तथा मुद्रा के प्रवाह में परिवर्तन ही आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है और इसी से उसी एवं मन्दी का मूलन हो जाता है। हाट्टे का सिद्धान्त तीन तथ्यों पर आधारित होता है—(i) देश में कुल मौद्रिक माय के

प्रवाह में परिवर्तन, (ii) धोक व्यापारियों का देश को अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होना, एवं (iii) बैंक निधियों को वापसी का महत्व ।

समात्र को तीन वर्गों में रखा जा सकता है—उपभोक्ता, व्यापारी एवं बैंक । उपभोक्तायण अपनी सीमित आय को प्राप्त करने एवं उसे व्यय करने में लगे रहते हैं । व्यापारी वर्ग आय प्राप्ति के साथ-साथ माल की बिक्री, मंचय, श्रम के आदेश आदि का कार्य भी करते हैं । बैंक धन को निक्षेप के रूप में प्राप्त करते तथा ऋण देने के कार्य करते हैं, परन्तु उनका एक अतिरिक्त कार्य नवीन मुद्रा का मूजन करना है जो प्रायः नकदी या बैंक साक्ष मुद्रा के रूप में हो सकती है । मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि होने से वस्तुओं की माग में वृद्धि होती है, जिसमें व्यापार, रोजगार, उत्पादन, आय एवं मूल्यों में वृद्धि होती है । इसके विपरीत मुद्रा के प्रवाह में कमी होने से वस्तुओं की माग में कमी, व्यापार में मन्दी, उत्पादन, रोजगार, आय एवं मूल्यों में भी कमी हो जाती है तथा अर्थव्यवस्था मन्दी की ओर बढ़ जाती है ।

समात्र के तीनों वर्ग मुद्रा की सपत एक वृद्धि में लगे रहते हैं । जब मुद्रा की आय के रूप में प्राप्त किया जाये तो नकदी की सपत तथा व्यय करने पर नकदी की मुक्ति कह्ये । समात्र के समस्त उपभोक्ताओं को मिलाकर उनकी मौद्रिक आय कुन व्यय के बराबर होती है । यदि उपभोक्ता बैंकों में ऋण उधार लेकर व्यय करे तो भी नकदी की मात्रा में शुद्ध वृद्धि सम्भव नहीं होगी, क्योंकि भविष्य में उन ऋणों का भुगतान अपनी आय से ही करना होगा, जिसमें व्ययों में कमी हो जायेगी । परन्तु इस प्रकार की आय प्राप्ति एवं व्यय में समयावधि का अन्तर पाला जाता है ।

व्यापारियों को वस्तुओं की बिक्री से आय प्राप्त होती है । यदि बिना लाभ के मान बेचा जाये तो बिक्री से प्राप्त आय उनके व्यय के बराबर होगी । जो नकद राशि उपभोक्ता द्वारा दी जाती है उसे व्यापारी प्राप्त करता है तथा स्वयं भी उत्पत्ति के साधनों का भुगतान करके उपभोक्ता रूपी धर्मियों व अन्य साधनों की आय में वृद्धि करता है । इस प्रकार उपभोक्ता व व्यापारी एक दूसरे को नकद राशि का हस्तांतरण करते रहते हैं । उपभोक्ता अपनी आय का एक भाग बचत के रूप में रखा है जिसे वह विनियोग कर देता है । यदि मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाये तो अपस्फीति को बढ़ावा मिलकर मन्दी का समय आ जाता है, जिससे माग में कमी हो जाती है, परन्तु स्वयं मूल्यों में कमी व उत्पादन घटकर बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है । परिणामस्वरूप आय में कमी हो जाती है । इसके विपरीत मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से तेजी को बढ़ावा मिलता है, माग में वृद्धि होकर मूल्य-उत्पादन, रोजगार एवं आय में वृद्धि हो जाती है । मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से तेजी तथा कमी होने से मन्दी की अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं ।

बैंक जनता से निक्षेप के रूप में धन स्वीकार करते हैं तथा साक्ष का निर्माण करके सन्तुलन स्थापित करने के प्रयास विचे जाते हैं । ऐसी परिस्थिति में कुन नकद राशि एवं साक्ष की मात्रा यथास्थिर रहती है । प्रायः व्यापारी वर्ग बैंकों में धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त करते तथा बाद में उसे वापस कर देते हैं । जब बैंक एवं समात्र के मध्य नकद राशि के हस्तांतरण सतिपूर्ण है तो इनका कोई विभेग महत्व नहीं होता । परन्तु यदि यह राशि इसने कम या अधिक हो जाये तो उनके परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं । देश में व्यापार-चक्र ऊपर की ओर उठे समय जाता है जबकि मांग में वृद्धि हो जाये । उत्पादक अधिक मात्रा में माल उत्पादित करके प्राप्त मुद्रा को उपभोक्ताओं को हस्तांतरित कर देते हैं । उपभोक्ता इन आय का उपयोग माल खरीदने में करके इस राशि को उत्पादकों को हस्तांतरित करते एवं अधिक माल निमित्त करने को प्रेरित करते हैं । इस प्रकार जब-जब व्यापारी अपने स्टॉक में वृद्धि करें, प्रत्येक बार उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी । माग पूर्ण न होने पर व्यापारी मूल्यों को बढ़ा देते हैं और तेजी की अवस्था आ जाती है ।

परन्तु बैंकों द्वारा माग प्रदान करने की एक सीमा होती है और वे उसमें अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करने में असमर्थ होते हैं । बैंक साक्ष पर नियन्त्रण नपा देते हैं और कुछ समयोपरान्त इसके प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगते हैं । माग पर लगाये गये प्रतिबन्ध व्यात्र की ऊँची दरों के रूप में प्रकट होकर संकट काल के आगमन को सूचित करती है । जब बैंक अपने ऋणों की भी वापस मागने लगते हैं तो इसने मूल्यों, आय, रोजगार आदि में कमी होने लगती है । धन वाशिय करने के लिए कुछ व्यापारियों को अपने विनियोगों को हानि पर भी बेचना पड़ता है । इस काल में मजदूरी में मूल्यों की अपेक्षा कमी कम गति से होती है । बैंकों द्वारा माग के विन्तार करने की कुछ सीमाएँ होती हैं क्योंकि उन्हें अपने दायित्वों को पूर्ण करने के लिए न्यूनतम मात्रा में नकद बीप रखना पडता है और जब बैंकों को यह अनुरात बनाये रखना कठिन हो जाता है तो वह साक्ष के विन्तार पर ही प्रतिबन्ध नहीं लगाते, बल्कि ऋणों की भी वापस मागने लगते हैं, जो व्यापारियों के लिए विरति का कारण

बन जाता है।

परन्तु मकुचन की भी एक सीमा होती है। उत्पादन घटने, आय में कमी होने एवं मकुचन की गहरी छाप गिरने से व्यापारी स्टाक की मात्रा में कमी करके उपार लिया हुआ ऋण बैंको को वापिस कर देते हैं और बैंको के नकद कोय पुनः भर जाते हैं। इस समय ब्याज की दरें काफी कम हो जाती हैं, जो विनियोग को आकर्षक बनाती हैं और बैंक फिर से साख के विस्तार की नीति का पालन करने लगते हैं। इस प्रकार तेजी व मन्दी की अवस्थाएं आती रहती हैं।

आलोचनाएं—हाट्टे के सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं—

(1) विनियोग के कारणों की अपेक्षा—इस सिद्धान्त में इन कारणों की व्याख्या नहीं की गई, जिन पर विनियोग निर्भर करते हैं। देश में उद्योग एवं विनियोग के परिवर्तनों से आर्थिक जीवन व अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। परन्तु इस सिद्धान्त में इस बात का उत्तर नहीं मिलता कि मुद्रा में वृद्धि क्यों होती है।

(2) साख की निम्न कीमत का गलत विचार—सिद्धान्त में यह बताया गया है कि साख का मूल्य कम करने से साख विस्तार होकर उत्पादन व पूँजों में वृद्धि व अभिवृद्धि का आगमन होता है। परन्तु आलोचकों का कथन है कि उत्पादन में वृद्धि होने के अन्य कारण भी होते हैं, जिन्हें ध्यान में नहीं रखा गया।

(3) ब्याज दर अग्रभावी—व्यापार-चक्र के इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि व्यापारीगण ब्याज की नीची दरों से प्रभावित होकर ही स्टाक बनाने की दिशा में प्रेरित व प्रोत्साहित होते हैं। परन्तु वास्तव में इस बात को देखकर स्टाक का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि ब्याज दरों के स्थान पर लाभ की मात्रा को ध्यान में रखा जाता है। यदि ब्याज दर ऊँची हो, परन्तु लाभ की सम्भावना हो तो भी उत्पादन व स्टाक में वृद्धि की जा सकती है।

(4) कारण व परिणाम का अन्तर समझने में भूल—हाट्टे अपने सिद्धान्त में कारण व परिणाम का अन्तर समझने में भूल कर बैठे। सिद्धान्त के अनुसार अभिवृद्धि के क्षिप्य पर ब्याज की दर में वृद्धि करने से संकट आते हैं, परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं होता क्योंकि ब्याज की दर की वृद्धि संकट से पूर्व सम्भव नहीं है बल्कि उनके पदचान् ही आती है और संकट आने से साख का पतन हो जाता है।

(5) बचत व विनियोग में सन्तुलन का अभाव—इस सिद्धान्त की यह मान्यता रही है कि बचत एवं विनियोग में सन्तुलन बना रहता है, परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं पाया जाता और बैंको की नीति इसमें बिपन्न उत्पन्न करती है।

(6) उत्पत्ति के साधनों की धारणा—सिद्धान्त में यह माना गया है कि उत्पत्ति के समस्त साधन काम में लगे हुए हैं तथा उनको सरलता से एक क्षेत्र में हटाकर दूसरे क्षेत्र को हस्तांतरित किया जा सकता है। परन्तु व्यवहार में यह मान्यता लागू नहीं होती और इस प्रकार के हस्तांतरण में अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती हैं।

(7) उपार देने से हानि नहीं होती—सिद्धान्त द्वारा यह बताया गया है कि बैंको द्वारा पन उपार देने से सदैव हानि का सामना करना पड़ेगा, परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं है।

(8) ऐच्छिक बचत की सीमा ज्ञात करना कठिन—उत्पादन त्रियाए ऐच्छिक बचत पर निर्भर न होकर साख विस्तार पर आधारित हैं, परन्तु उस ऐच्छिक बचत सीमा का पता लगाना कठिन होता है।


2. हिक्स का गुणक क्रिया एवं गतिवर्धन सिद्धान्त (Hicks Theory of Multiplier and Acceleration)—कीटने ने यह माना था कि उद्योग की गति का प्रारम्भ विनियोग से ही होता है तथा विनियोग पर किया गया व्यय उद्योगों में सम्भावना के गुणक को जन्म देता है। क्लेफी ने भी इस सम्बन्ध में अपने विचार रखे हैं और उन्होंने अपना ध्यान गुणक पर ही केन्द्रित व त्वरक विचार का आविष्कार किया। क्लेफी के अनुसार विनियोग में परिवर्तन करने से आय एवं रोज़गार की सम्भावना पर तुरन्त प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि एक काल में विनियोग बढ़ता है तो उस पर किसी दूसरे काल में बढ़ाये गये विनियोग का भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के प्रभाव आगे आने वाले विनियोगों में भी पड़ते हैं। परन्तु ऐसे प्रभाव में कुछ समय लगता है। वास्तविक जगत में विनियोग नियमित एवं निरन्तर न होने पर भी, विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने पर आय पर भी निरन्तर बढ़ता हुआ प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार विनियोग की मात्रा घटाने पर उसके प्रभाव विपरीत दिशा में पड़ते हैं। वर्तमान त्राय पर विनियोग की मात्रा निर्भर न होने के कारण गुणक प्रभाव दिखाई देने हैं। देश में विनियोग की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ, कान्वाटर में विनियोग की अगली वृद्धि पहली वृद्धि की तुलना में कम प्रभावपूर्ण होती है। विनियोग की तुलना में आय में वृद्धि नहीं हो पानी जिसके परिणामस्वरूप विनियोग की दर में कमी होने

बनती है। उनमें की वस्तुओं में मांग  $P$  और विनिमय की वस्तुओं की और  $P$  में वृद्धि होने से मन्दा में उनमें वस्तुओं की अथवा विनिमय वस्तुओं की मात्रा में अनिश्चित परिवर्तन होते हैं। इसी कारण से तब तक प्रवृत्ति अनिश्चित बदलती नहीं जाती है।

विश्व में आधार-वक्र में मुख्य एवं चरक सिद्धान्त का सम्मिलित प्रयोग किया है। विश्व में विनिमयों की दो भागों में विभक्त किया है—(i) स्वाभाविक (autonomous) एवं (ii) प्रेरित (induced)। स्वाभाविक विनिमय विनिमय का से बनते रहते हैं और उत्पादन की मात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा वेग में एक प्रतिक्रियात्मक एवं समतुल्य अवस्था की स्थापना हो जाती है। इसके विरुद्ध प्रेरित विनिमय में उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है जैसे मांग बढ़ने पर उत्पादन में वृद्धि की जाती है और यदि मांग की वृद्धि स्थानीय प्रवृत्ति की है तो उत्पादन के पूर्वगत मांग में विस्तार करता पड़ेगा। इस प्रकार से मांग में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि होगी जो विनिमय की प्रेरित एवं प्राथमिक करती है। इसी विधि को गतिक्रम सिद्धान्त (Principle of Acceleration) के नाम से जाना जाता है।

**मुख्य प्रक्रिया**—आज एक विनिमय की मात्रा में वस्तुएं उत्पादक सम्बन्ध होता है कि आज यदि विनिमय की मात्रा पर निर्भर करती है। अब विनिमय के स्तर के समान ही आज का भी एक स्तर होता है। आज एवं विनिमय के मध्य जो सम्बन्ध होता है उसी के आधार पर मुख्य एवं चरक सिद्धान्त की प्रक्रिया का नियंत्रण किया जाता है। इसी कारण यह माना जाता है कि विश्व की मांग में वृद्धि होगी, उसी वधि में विनिमय की मात्रा में भी वृद्धि हो पड़ेगी। अब विनिमय एवं उत्पादन के सम्बन्ध में हो तो चरक सिद्धान्त के परस्पर स्वभाविक विनिमय में वृद्धि होगी है और प्रेरित विनिमय की उसके साथ बढ़ जाये है। स्वाभाविक विनिमय में वृद्धि बहुत कम होगी है और उसका समतुल्य बिन्दु बना है और वह अपने पूर्व की स्थिति पर ही लौट आता है। परन्तु प्रेरित विनिमय में ऐसा सम्भव नहीं हो पाता। उत्पादन की वृद्धि प्रेरित विनिमय को बढ़ावा देती हुई वह आगे बढ़ती गई और वह एक एक उच्छास होता है जब तक कि वह अपने गौरव की सीमा तक न पहुंच जाये। अतः में उसकी यदि विनिमय दिशा की और होकर, उत्पादन एवं विनिमय दोनों बढ़कर समतुल्य के स्तर पर आ जाते हैं। प्रेरित विनिमय उत्पादन को मजबूत देने में असमर्थ रहने पर संतुष्टि की सीमा में रुकी हो जाती है और वह यदि वृद्धि की अथवा अनिश्चित हो जाती है, परन्तु स्वभाविक विनिमय एक के बाद एक अवस्था होने लगती है, उत्पादन की उच्छास अवस्था बढ़ जाती है उच्छास-विस्तार पर कुछ प्रभाव पड़ता है उच्छास का प्रभाव और अनिश्चित रहता होता जाता है।

आज में वृद्धि के साथ-साथ विनिमय में भी वृद्धि होगी है, जिससे विनिमय बढ़ नीचे से ऊपर उठता है जिसे चित्र 11.6 में दिखाया गया है।



चित्र 11.6

**आलोचनाएँ**—यह सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं।

(1) **मांग व वस्तु विनिमय**—सिद्धान्त में यह माना गया है कि उत्पादन में परिवर्तन करने से विनिमय का उत्पादन में परिवर्तन के साथ कुछ अनुपात बना रहता है, परन्तु स्वाभाविक स्थिति यह है कि दोनों के विस्तार की दर उनके विनिमय एवं मौद्रिक मात्राओं में मौलिक होती है और विनिमय विनिमयों की तुलना में वस्तु विनिमयों में अधिक काम उठाना आ सकता है।

(2) लघु विनियोग पर्याप्त—देश में लघु विनियोगों के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध होते हैं जबकि विशाल विनियोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अतः विशाल परिवर्तनों के लिए विनियोग सम्बन्धी आशा कम लोचदार होती है, जब कि लघु परिवर्तनों के लिए यह आशा अधिक लोचदार रहती है।

3 हेयक का अधिक साख सिद्धान्त (Hayek's Over-issue of Credit Theory)—देश में मुद्रा की वास्तविक एवं मौद्रिक दर के अन्तर के कारण ही मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होकर मूल्यों में वृद्धि एवं पतन हो जाता है। फलस्वरूप बचत की अपेक्षा विनियोग कम या अधिक हो जाते हैं। जब देश में व्याज दर उसकी प्राकृतिक दर से कम हो तो बचत की अपेक्षा विनियोग अधिक हो जाते हैं, जो प्रायः साख के विस्तार द्वारा ही सम्भव हो पाते हैं, जिसके परिणाम-स्वरूप मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होकर मूल्य स्तर भी बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत यदि व्याज दर प्राकृतिक दर से ऊंची रही तो विनियोगों का संकुचन होकर साख का संकुचन एवं मूल्यों में गिरावट आ जाती है। हेयक के अनुसार व्यापार-चक्रों का कारण व्याज दर एवं प्राकृतिक दरों का अन्तर है। समाज में साख का प्रचलन न होने पर बचतें पूंजी में बदल जाती हैं तथा व्यापार चक्र समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार बचत एवं विनियोग के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है।

यदि समाज में बचत स्थिर रहने पर साख का विस्तार क्रिया जाये तो बैंकों द्वारा इस कार्य में सफलता व्याज दरों को घटाने पर ही मिल सकेगी। विनियोग राशि उत्पादकों के हाथों में आने से पहले उपभोग वस्तु उद्योगों एवं बाद में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का विस्तार होगा। साख के निर्माण के कारण व्याज दर गिरेगी, तथा यह पूंजी की सीमान्त उत्पादकता या प्राकृतिक दर के बराबर नहीं होगी बल्कि यह दर प्राकृतिक दर से निम्न होगी। उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग पदार्थों की मांग बढ़ने में उपभोग पदार्थों का उत्पादन करना लाभप्रद हो जाता है। किन्तु यह वृद्धि उत्पादकीय साख के विस्तार के कारण स्वतन्त्र गति से नहीं हो पाती और यह व्याज दर को नीचा करने में सहायता प्रदान करती है। बाद में व्याज दर बढ़ जाती है, जिससे साख विस्तार भी रुक जाता है तथा अर्थव्यवस्था संकुचन की ओर जाने लगती है, जिससे पूंजी की कमी होकर सकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

व्यापार-चक्र के उपचार के सम्बन्ध में तटस्थ मुद्रा का सुझाव दिया गया। सप्रभातिक माग पर ही व्यवसाय नियमित ढंग में चलने के कारण मुद्रा की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए।

आलोचनायें—सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनायें निम्नलिखित हैं।

(1) उत्पत्ति के समस्त साधनों का प्रयोग—सिद्धान्त में यह माना गया है कि उत्पत्ति के समस्त साधन पूर्णरूप से उपयोगी हैं तथा प्रयोग में लगे हुए हैं और बैंकों द्वारा साख का विस्तार होने पर यह साधन एक स्थान से हटकर दूसरे स्थानों को जाने से उत्पत्ति कार्य में विघ्न व बाधाएँ उपस्थित होती हैं। परन्तु वास्तविक जीवन में उत्पत्ति के साधन कभी भी पूर्णरूप से कार्य में न आने के कारण उनका स्थानान्तरण सरल एवं सुविधाजनक नहीं होता।

(2) ऐच्छिक बचत की सीमा—हेयक ने यह माना कि उत्पादन क्रियाएँ, ऐच्छिक बचत पर निर्भर न होकर साख विस्तार पर निर्भर होने के कारण, उन्हें विस्तार करने पर अधिक हानिमा होने की सम्भावना हो जाती है। इसके अतिरिक्त उस सीमा को ज्ञात करना भी कठिन होता है जहाँ से ऐच्छिक बचत की सीमा समाप्त होकर साख सृजन का कार्य प्रारम्भ हो जाता है।

(3) सम्पन्नता को स्पष्ट करने में असमर्थ—मन्दी के पश्चात् जो सम्पन्नता की अवस्था प्रारम्भ होती है उसे स्पष्ट करने में यह सिद्धान्त असमर्थ है।

(4) साख विस्तार हानिप्रद सम्बन्धी गलत धारणा—इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि बैंकों द्वारा साख विस्तार करने से अर्थव्यवस्था को सदैव हानि का सामना करना पड़ेगा। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि साख विस्तार के साथ-साथ व्यापारिक क्रियाओं में भी वृद्धि होती है।

(5) बचत व विनियोग में सन्तुलन का अभाव—इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि बचत एवं विनियोग में प्रायः सन्तुलन बना रहता है। परन्तु वास्तव में ऐसा सम्भव नहीं हो पाता।

4. राबर्टसन का सिद्धान्त (Theory of Robertson)—प्रो० राबर्टसन ने व्यापार-चक्र का प्रमुख कारण वास्तविक व्यय एवं वास्तविक माग के उन परिवर्तनों को बताया, जिनके आधार पर आर्थिक प्रगति अनियमित गति से होने लगती है। मन्त्रदूरी एवं मुद्रा प्रणाली के संस्थापन कारण आर्थिक प्रगति के मार्ग में होने वाले उच्चावचनों को अनुपयुक्त बना

देते हैं। मजदूरी प्रगती में उत्पादन में वृद्धि करने हेतु ऊँची कीमत की प्रेरणा दी जाती है, जिसका प्रभाव साहसी बर्ष पर पड़ता है और मजदूरी में वृद्धि तुल्य न होकर थोड़े समय के परभाव ही होती है। इसी प्रकार जब उत्पादन का संकुचन किया जाता है तो मजदूरी में कमी तुल्य न होकर बाद में जाकर होती है। इस प्रकार मजदूरी में मूल्यों के साथ-साथ वृद्धि या कमी न होने से घनिष्ठता का तालम सम्भावनाएँ बढ जाती हैं तथा संकुचन काल में यह सम्भावनाएँ कम हो जाती हैं। साहसी द्वारा अधिक लाभ होने की सम्भावना माघ से कच्ची सामग्री एवं धनिकों पर अधिक व्यय किया जाता है जिससे तनाव की मौद्रिक बाध में वृद्धि हो जाती है। इसके लिए घन की व्यवस्था साहसी द्वारा स्वयं अपने साधनों एवं बैंकों से साक्ष विस्तार के माध्यम से की जाती है।

राबर्टसन ने व्यापार-चक्रों का सम्बन्ध मुख्यतः बैंकिंग पद्धति से थोड़ा है। यदि किसी बर्ष फलत अच्युती हो जाने तो बैंक उत्पादकों को अल्पकालीन ऋण देने की व्यवस्था करता है। अच्युती फलत के कारण अन्य उद्योग भी पनपने लगते हैं और वह भी बैंकों से अल्पकालीन ऋण की माग करते हैं और उधड़े अल्पकालीन ऋणों की माग में स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। यदि बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों का साक्ष विस्तार के साथ-साथ उद्योगों के उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है तो वस्तुओं के मूल्य ऊबे नहीं हो पाते। परन्तु व्यवहार में यह सम्भव नहीं होने से मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप साहसी उत्पादन बगाने हेतु और अधिक ऋण की माग करते हैं जिससे भविष्य में और अधिक ऊबे मूल्यों पर मात बेचा जा सके। इस समय तक माग में इतनी अधिक वृद्धि हो जाती है कि देश के कारखाने एवं परिवहन सेवाएँ उभे पूर्ण करने में असमर्थ रहते हैं। भविष्य में मूल्यों के बढ़ने के भय से स्टॉक में वृद्धि करना प्रारम्भ हो जाता है, इसके मूल्यों में और वृद्धि हो जाती है। परन्तु बैंक भी एक निश्चित सीमा तक ही साक्ष विस्तार कर पाते हैं तथा बैंक ही साक्ष-विस्तार को रोकते हैं, भविष्य में मूल्यों के गिर जाने के डर से व्यापारी अपना स्टॉक बेचना प्रारम्भ कर देते हैं जिससे साहसी इस्कर व्याज दर कम होने पर भी ऋण लेने में हिचकिचाते हैं। कालान्तर में ऋण की माग भी कम होती जाती है और बैंकों के पास नकद संभय बढ जाते हैं जिससे उन्हें फिर से साक्ष विस्तार की अनुकूल दशाएँ उत्पन्न होकर व्यावसायिक किना के विस्तार का अवसर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बैंकिंग प्रगती प्रत्यक्ष रूप से व्यापार-चक्रों को अन्न व प्रोत्साहित करती है।

सातोचनाएँ—इस सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएँ निम्न प्रकार हैं।

(1) परस्पर विरोधी तर्क—यह सिद्धान्त कारण एवं परिणाम के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी तर्कों को प्रकट करता है, क्योंकि सिद्धान्त में यह माना गया है कि माघ में वृद्धि किये बिना ही पुनरोत्थार की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, जबकि वास्तव में अर्थ-व्यवस्था का विनाश किये बिना माघ में वृद्धि करना सम्भव नहीं होता।

(2) तेजी टूटने सम्बन्धी घनत धारणा—सिद्धान्त में यह माना गया है कि व्याज दर में वृद्धि करके ही तेजी की स्थिति को रोका जा सकता है। परन्तु वास्तव में देश की अर्थ-व्यवस्था में तेजी को तोड़ने के लिए व्याज दर को बढ़ाना आवश्यक नहीं माना जाता, क्योंकि व्याज दर में वृद्धि प्रायः मुद्रा की माघ में वृद्धि होने के कारण आती है।

(3) वास्तविक तथ्यों से पृथक्—वास्तविक तथ्यों के आधार पर इस सिद्धान्त की पुष्टि सम्भव नहीं हो पाती। व्यवहार में यह पाया गया है कि अच्युती फलत होने पर तेजी के स्थान पर मन्दी का आगमन ही होता है जबकि इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि अच्युती फलत होने पर उत्पादक संघर्ष करता प्रारम्भ कर देते जिससे तेजी ही आयेगी।

(4) अवास्तविक मान्यताएँ—यह सिद्धान्त व्यवहार में लागू नहीं होता और इसका लागू करना कुछ अवास्तविक मान्यताओं पर ही आधारित माना गया है जैसे यह कल्पना करना कि देश की औद्योगिक संस्थाएँ अपनी पूर्ण कार्य-समर्थानुसार कार्य कर रही हैं तथा यह मानना कि देश के समस्त विनिमोग साधन पूर्णरूप से कार्य कर रहे हैं, कोई कल्पना मान है, जो व्यवहार में लागू नहीं होती, जिससे सिद्धान्त भी काल्पनिक समझा जाता है।

5. कीस का बचत व विनियोग सिद्धान्त (Saving and Investment Theory of Keynes)—कीस का व्यापार-चक्र सम्बन्धी बचत एवं विनियोग का सिद्धान्त रोचक एवं मुद्रा सिद्धान्त का ही एक भाग है। सामान्य सिद्धान्त द्वारा विनाशने गये वे निम्न-जो व्यापार-चक्र सिद्धान्त के लिए लागू किये गये हैं, निम्न प्रकार हैं:

(1) कुल माघ में कम वृद्धि—तनाव में कुल बाघ की वृद्धि के माघ-साथ यह पूर्णरूपेण सम्भावना बनी रहती है कि पूँज की तुलना में कुल माघ में अनेकानेक कम वृद्धि हो। माघ में वृद्धि होने से रोचकता की मनसा उत्पन्न हो जाती है, जिसे मुषारने के लिए सरकारी स्तर पर विनियोग में वृद्धि करना आवश्यक होगा।

(2) गुणक प्रभाव—गुणक प्रभाव के नियाशील होने के कारण विनियोग की मामूली-सी वृद्धि आय एवं रोजगार में कई गुनी वृद्धि कर देती है।

(3) विनियोग में वृद्धि—देश में बेरोजगारी में वृद्धि हो जाने पर उसे सुधारने के लिए मजदूरी में कमी करने के स्थान पर विनियोगों में वृद्धि करनी चाहिए।

(4) ब्याज दर—देश में प्रायः पूंजी की बचत एवं उसके विनियोग करने से ब्याज की दर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ पाता।

जिस प्रकार पूर्ण रोजगार तीन बातों पर निर्भर करता है, उसी प्रकार व्यापार-चक्र के लिए कीन्स ने तीन कारणों को ही विशेष महत्त्व दिया है, जो कि निम्नलिखित हैं—

(i) पूंजी की तरलता (Liquidity of Capital)

(ii) पूंजी की सीमान्त कार्यक्षमता (Marginal Efficiency of Capital)

(iii) उपभोग की प्रवृत्ति (Propensity to Consume)

व्यापार-चक्र सिद्धान्त में ब्याज दर के स्थान पर पूंजी की सीमान्त कार्यक्षमता पर अधिक ध्यान दिया गया है। कीन्स के अनुसार व्यापार चक्र पूंजी की सीमान्त कुशलता के चक्रिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त विनियोग गुणक (Investment multiplier) भी व्यापार-चक्र के आगमन में सहायता प्रदान करते हैं।

कीन्स के व्यापार-चक्र की व्याख्या संकटकाल से प्रारम्भ होती है। देश की अर्थव्यवस्था में सकट का प्रमुख कारण पूंजी की सीमान्त कार्यक्षमता में कमी होना है। मन्दी के समय पूंजी की सीमान्त कार्यक्षमता प्रायः अधिक होती है, क्योंकि (i) इस काल में पूंजीगत वस्तुओं की बढ़तवा आवश्यक हो जाता है, (ii) प्रायः संचित की गई चल-सम्पत्ति समाप्त हो जाती है, एवं (iii) नवीन आविष्कारों को प्रेरणा प्राप्त होती है। मन्दी के दिनों में ब्याज दर भी कम हो जाती है क्योंकि बैंकों के पास मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तथा जनता को द्रव्यता पसन्दगी में भी कमी आ जाती है। इस प्रकार देश में विनियोग, उत्पादन एवं आय में वृद्धि होकर भाग में वृद्धि होने लगती है, फलस्वरूप व्यापार का विस्तार एवं विनियोग में और अधिक वृद्धि होने लगती है। विनियोग गुणक तेजी की स्थिति उत्पन्न करके मूल्य में वृद्धि करने की स्थिति को उत्पन्न करता है। तेजी काल में व्यवसायी की आशाएँ बहुत अधिक होती हैं, जिन पर ब्याज एवं उत्पादन व्यय की वृद्धि का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे पूंजी की सीमान्त कार्यक्षमता कम हो जाती है तथा ब्याज दर बढ़ जाती है व विनियोग में कमी होने लगती है व अवसाद का काल प्रारम्भ हो जाता है। संकट के पश्चात् प्रायः नवीन विनियोग अवरुद्ध हो जाते हैं जिससे अनिर्मित माल का स्टॉक जमा हो जाता है तथा उत्पादन में कमी व पूंजी मात्रा भी कम होनी जाती है। इस प्रकार एक बार मन्दी प्रारम्भ होने पर, वह बढ़ती ही जाती है। मन्दी व तेजी का यह क्रम चलता ही रहता है जो व्यापार-चक्र को जन्म देता है। तेजी की स्थिति अधिक समय तक नहीं रह पाती क्योंकि व्यवसायियों के पास आशा से अधिक माल इकट्ठा हो जाता है, जिससे मूल्य कम किये जाते हैं, जबकि दूसरी ओर उनके उत्पादन व्यय बढ़ जाते हैं, फलस्वरूप पूंजी की सीमान्त कार्यक्षमता में कमी होकर विनियोग में कमी हो जाती है। दूसरी ओर जनता में द्रव्यता पसन्दगी बढ़ जाने से ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है जो स्थिति को और अधिक गम्भीर बना देती है। एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर उगम और तीव्रता हो जाती है और विनियोग गुणक विपरीत दिशा में कार्य करके मूल्यों में कमी की ओर प्रभाव डालने लगते हैं।

कीन्स की यह मान्यता है कि व्यापार-चक्रों का मुख्य कारण बचत एवं विनियोग के मध्य अन्तर होता है। गुणक सिद्धान्त के आधार पर यह अन्तर और अधिक गहन हो जाता है और यह क्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक कि वह तेजी के दिखार या मन्दी की गहनता तक न पहुँच जाये।

कीन्स ने मन्दी के निवारणार्थ मन्दी मुद्रा नीति को अपनाते का सुझाव दिया। इसी प्रकार तेजी को रोकने के लिए बैंक मुद्रा सकुचन पर जोर दिया। कीन्स ने व्यापार-चक्र का कारण आशावाद एवं निराशावाद का श्रमिक आना जाना माना, जो स्वयं मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित होता है। मन्दी का कारण न्यून उपभोग बताया गया व देहरी का सम्बन्ध अति-बचत से लगाया गया। विनियोग की प्रवृत्ति में बचत की प्रवृत्ति हो जाने पर मन्दी आती है तथा विनियोग की प्रवृत्ति में वृद्धि होने पर वृद्धि काल आ जाता है। बचन एवं विनियोग समान होने पर ही व्यापार-चक्र को रोना जा सकता है।

आलोचनाएँ—इस सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएँ निम्न हैं।



(1) कारण बताने में असमर्थ—सिद्धान्त में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि व्यापार-चक्र सदैव एक निश्चित समय पर ही क्यों आते हैं और उनके आने के निश्चित मार्ग ही क्यों बने हुए हैं।

(2) पूँजी की सीमान्त उत्पादकता—सिद्धान्त में पूँजी की सीमान्त उत्पादकता पर ही अधिक जोर दिया गया है जो सदैव साहसियों के निर्णय को प्रभावित करके विनियोग की मात्रा में कमी या वृद्धि करता है। कीन्स ने विनियोगों की मनोवृत्ति पर ही पूँजी की सीमान्त उत्पादकता को निर्भर माना है, जो स्वयं में कोई मनीवृत्ता न होकर धीरे के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पर ही आधारित माना गया है।

(3) विनियोग का ब्याज दर पर अनुचित प्रभाव—कीन्स ने अपने सिद्धान्त में इस बात पर जोर दिया कि ब्याज की दर में कमी करके मन्दी पर नियन्त्रण लगाकर पुनर्जीवन की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु आलोचकों का मत है कि केवल ब्याज की दर में कमी करने से ही विनियोगों की मात्रा में वृद्धि करना सम्भव नहीं है। प्रायः विनियोगों की मात्रा ब्याज दर के स्थान पर लाभ अर्जन करने की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि भविष्य में लाभ होने की सम्भावनाएँ हैं, तो ब्याज दर अधिक होने पर भी विनियोगों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत यदि लाभ की सम्भावनाएँ नहीं हैं तो ब्याज दर कम होने पर भी विनियोगों की मात्रा में वृद्धि सम्भव नहीं होगी।

(4) परिवर्तन क्रम की व्याख्या करने में असमर्थ—कीन्स का सिद्धान्त व्यापार-चक्र में आने वाले परिवर्तनों के क्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहता है, जिससे यह सिद्धान्त सोचदार बन जाता है।

(5) नूतन विचारों का प्रयोग—कीन्स के सिद्धान्त में नूतन अर्थशास्त्रीय विचारों का प्रयोग करके सिद्धान्त को अधिक व्यापक बनाया गया है।

(6) व्यापार-चक्रों के आधार का अभाव—कीन्स का सिद्धान्त व्यापार-चक्रों के आधार की व्याख्या करने में असमर्थ रहता है। यह सिद्धान्त मुद्रा प्रसार एवं असाद को दूर करने के उपाय बताता है।


(7) अभिवृद्धि को स्थिर रखने की गलत मान्यता—कीन्स ने यह माना कि अभिवृद्धि को बनाये रखना सम्भव है परन्तु व्यवहार में यह देखा गया कि अभिवृद्धि को स्थिर करने के प्रयत्न करना भी व्यर्थ था। उचित यही माना गया कि व्यापार-चक्रों की दुराइयों को ही दूर करने के प्रयत्न करना चाहिए।

6. व्यापार चक्र का मकड़ी वाला प्रमेय (Cobweb Theorem of Trade Cycles)—इस सिद्धान्त का निर्माण नोदरलेण्ड के शूल्त्ज़ (Schultz), इटली के अम्बर्टो रिचची (Umberto Ricci) एवं अमरीका के टिनबर्गन ने एक दूसरे से पृथक रहकर स्वतन्त्र रूप से किया। इस सिद्धान्त में यह बताया गया कि एक काल के मूल्यों के उच्चावचन अगले काल की उपभोग की मात्रा में किस प्रकार उच्चावचन उत्पन्न करके एक नवीन कीमत स्तर का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार यह नवीन मूल्य स्तर के उच्चावचन अगले काल के उत्पादन में उच्चावचन उत्पन्न करके फिर से नवीन मूल्य स्तर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह क्रम निरन्तर चलता ही रहता है।

इस सिद्धान्त की रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने पर मकड़ी के जाने वाले जैसा चित्र बनने के कारण इसका नाम मकड़ी जाने का व्यापार-चक्र सिद्धान्त रखा गया है। देखा कि मूल्यों व उत्पादन के समायोजन के फलस्वरूप जो मकड़ी के जाने का निर्माण होता है, उसे तीन चरणों में रखा जा सकता है जो निम्न प्रकार है :

- (अ) मिलनशील जाल (Convergent Cobweb)
- (ब) विपरीत दिशा वाला जाल (Divergent Cobweb)
- (स) निरन्तर जाल (Continuous Cobweb)


(अ) मिलनशील जाल—माँग की तुलना में यदि पूर्ति कम लोचदार हो जाये तो मिलनशील मकड़ी जाल बनते हैं। इसमें मूल्यों के समान परिवर्तनों के कारण माँग की तुलना में पूर्ति की मात्रा में अधिक व विपरीत उच्चावचन होते हैं और मूल्य व उपज दोनों की रेखाएँ अन्दर की ओर जाकर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार प्रत्येक आगे आने वाला मकड़ी जाल पहले की तुलना में अधिक संकीर्ण व संकुचित हो जाता है। जैसा कि चित्र 11.7 में दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि उत्पादन अधिक होने पर (PR) मूल्य कम हो जाता है जिससे उत्पादन घटता है




चित्र 11.7

और उसमें मूल्य फिर बढ़ जाता है।

(ब) विपरीत दिशा वाला जाल—इस अवस्था में प्रत्येक अवस्था पर मूल्य एवं उत्पादन का पतन होता जाता है और उसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वार्ग आना वाला जाला पहने की तुलना में अधिक बड़ा होता जाता है तथा विपरीत दिशा की ओर बढ़ता जाता है। जब बाजार में मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक लोचदार होती है, उस समय ऐसा विपरीत दिशा वाला मकड़ी का जाला बन जाता है। इसमें प्रत्येक जाला बढ़े से बड़ा होने के प्रधान में विपरीत दिशा में ही फैलता है। जैसा कि चित्र 11.8 से स्पष्ट है। इस चित्र में LM उत्पादन करने से मूल्य  $P_1$   $M_1$  हो जाता है और उत्पादन घटाने पर मूल्य बढ़ जाता है।



चित्र 11.8



चित्र 11.9

(स) निरन्तर जाल—जब मांग एवं पूर्ति की लोच समान हो तथा मांग पूर्ति की अपेक्षा विपरीत दिशा में हो तो निरन्तर मकड़ी जाल का निर्माण होता है। इसमें आरम्भ में कुछ समायोजन किये जाते हैं, परन्तु उन समायोजनों के पश्चात् व्यापार-चक्र फिर से पुनरावर्तन करके एक ही मार्ग पर घूमकर फिर से मूल्यो एवं उत्पादन सम्बन्धी श्रम व्यवस्था को दिखाता रहता है और यह श्रम निरन्तर चलता ही रहता है। जैसा कि चित्र 11.9 से स्पष्ट है। उत्पादन  $OM_1$  करने पर मूल्य  $P_1M_1$  होगा तथा उत्पादन  $(OM_2)$  कम करने पर मूल्य बढ़कर  $P_2M_2$  होगा। अतः प्रत्येक अगली अवधि में चक्र चलता रहता है और आदिक प्रणाली नियमित चलती रहती है।

आलोचना—इस सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएं निम्न हैं।

(1) गलत मान्यता पर आधारित—यह सिद्धान्त इस बात पर निर्भर करता है कि गत वर्ष मूल्यो की स्थिति क्या थी। परन्तु वास्तव में उत्पादन सम्बन्धी निर्णय कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं होते हैं।

(2) सिद्धान्त की सीमाएं—इस सिद्धान्त की प्रमुख सीमाएं निम्न प्रकार हैं—

(i) उपग्रह कीमत पर निर्भर—यह सिद्धान्त पूर्ण प्रतियोगिता की भांति केवल उसी समय लागू होता है जबकि उपग्रह पूर्ण रूप से केवल मूल्यो से ही प्रभावित हो।

(ii) गत वर्ष के उत्पादन में परिवर्तन न होना—सिद्धान्त में यह माना गया है कि गत वर्ष के बीतने से पूर्व उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया।

(iii) मूल्य पूर्ति द्वारा प्रभावित—यह सिद्धान्त केवल उन परिस्थितियों में ही लागू होता है जबकि मूल्य केवल पूर्ति द्वारा ही प्रभावित हुआ हो।

वास्तव में इन तीनों में से कोई भी बात व्यवहार में लागू नहीं होती है और यह मान्यताएं केवल कौरी कल्पना मात्र हैं।

(3) निरक्षर्य भ्रमात्मक—यह सिद्धान्त गलत एवं भ्रमात्मक निष्कर्षों पर आधारित है। इस सिद्धान्त में यह बताया गया है कि विपरीत दिशा वाला जाल सदैव बना रहता है और इसका एक ऐसा श्रम बन जाता है जो सन्धे काल तक चलता रहता है। परन्तु यह मान्यता सामान्य अनुभव एवं वास्तविकता के विरुद्ध है। व्यवहार में पाया गया है कि उत्पादक एक वर्ष साम लो अगले वर्ष हानि उठाते हैं, फलस्वरूप कुछ उत्पादक दिवालिया हो जाते हैं और इन प्रकार निरन्तर जाल समाप्त हो जाता है।

(4) अतन्तोपग्रह व्याख्या—यह सिद्धान्त व्यापार-चक्रों की सन्तोपग्रह व्याख्या करने में असमर्थ रहता है क्योंकि

मृत्यों पर आय, रश्चि, फंडेशन तथा अन्य पूरक व प्रतिपोगो वस्तुओं की कीमत का भी प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार मृत्यों को सरकार द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है।

7. टिनबर्जन का व्यापार-चक्र सिद्धान्त (Tinbergen's Theory of Trade Cycle)—टिनबर्जन का व्यापार-चक्र सिद्धान्त मन्दी काल से प्रारम्भ हुआ माना जाता है। मन्दी काल में निम्न उत्पादन स्तर, निम्न कीमतें, एवं बेरोजगारी आदि पाई जाती हैं। यह निम्न स्तर थोड़े काल तक बना रहता है और उसके बाद साहसी अनुकूल विचारों पर अधिक ध्यान देता है। इसके अनुकूल परिस्थितियाँ धीरे-धीरे अपने आप विकसित हो जाती हैं जिसमें उत्पत्ति के साधनों का पुनर्स्थापन, थमिक की उत्पादकता में वृद्धि, लाभ की मात्रा व दरों में वृद्धि नवीन घटनाओं का घटित होना, परिकल्पनात्मक आय का शून्य हो जाना, मजदूरी व बट्टा दरों का गिर जाना आदि सम्मिलित है। इस प्रकार शनै-शनै पुनरोद्धार का काल प्रारम्भ हो जाता है और आर्थिक अर्थव्यवस्था अभिवृद्धि की ओर अग्रसित होने लगती है।

पुनरोद्धार में एक बार अभिवृद्धि की स्थिति प्रारम्भ हो जाने पर धीरे-धीरे यह वह बल पकड़ती जाती है जिससे आय एवं लाभ में वृद्धि होने लगती है। बाजार में माग में यथायक वृद्धि होने लगती है, जिससे मूल्यों में भी वृद्धि होकर धाय बढ़ जाती है। मूल्यों में वृद्धि होने में मजदूरी एवं पूँजी की माग में वृद्धि होकर तरल साधनों का अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाता है। पूँजी की माग को प्रारम्भ में अल्पकालीन साह्य द्वारा पूर्ण किया जायेगा जिसमें अल्पकालीन व्याज की दर ऊपर होगी। धीरे-धीरे लाभ बढ़ने के साथ-साथ उत्पादन एवं स्टॉक में वृद्धि होगी व अभिवृद्धि काल का आयमन होगा। इस काल में ऊँचा उत्पादन, ऊँची आय, ऊँची कीमतें होकर बेरोजगारी में कमी हो जायेगी। यह स्थिति धीरे-धीरे शिखर तक पहुँचकर आगे उरसादन का विस्तार सम्भव नहीं हो सकेगा क्योंकि एक ओर तो बैंक अपनी साह्य नीति के अन्तर्गत साह्य का रोकथाम करना प्रारम्भ कर देते हैं तथा दूसरे पर्याप्त मात्रा में श्रम उपलब्ध नहीं हो पाता। पूँजी की माग में वृद्धि होने से लाभ दर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा परिकल्पनात्मक आय घटने लगती है, श्रम की उत्पादकता घटकर देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगते हैं। इस दिशा में अर्थव्यवस्था विपरीत दिशा में मुड़ जाती है तथा यही में उमका पतन शीघ्र गति से होने लगता है। यह क्रम निरन्तर बढ़ते हुए वेग से आगे बढ़ता है तथा विनियोग व आय घटती जाती है। इस प्रकार यह घटनाएँ क्रमिक गति से बढ़ती रहती हैं और मन्दी के पश्चात् पुनरोद्धार व तेजी के बाद फिर मन्दी का क्रम निरन्तर चलता रहता है तथा व्यापार-चक्र दिखाई देने लगते हैं।

व्यापार-चक्र के विभिन्न सिद्धान्तों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यापार-चक्रों की समस्या जटिल है तथा इसका कोई पूर्ण स्पेण सिद्धान्त बनाना कठिन है। व्यापार-चक्र अनेक समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, जिनके अध्ययन के लिए पर्याप्त तथ्यों एवं आकड़ों की आवश्यकता होती है। व्यापार-चक्र एक प्राकृतिक एवं क्रमिक प्रक्रिया का रूप धारण कर चुका है तथा इसका निदान करना तो असम्भव है, परन्तु इसकी गहनता को रोका जा सकता है और अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। विश्व के विकसित राष्ट्रों को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है।

## मौद्रिक एवं प्रशुल्क नीतियां (MONETARY AND FISCAL POLICIES)

**प्रारम्भिक**—निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा की मात्रा के संकुचन एवं विस्तार को मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में साख एवं मुद्रा का महत्त्व काफी बढ जाने से उसकी मात्रा का नियमन एवं नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष सम्बन्ध बैंक साख के संकुचन एवं विस्तार से लगाया जाता है, क्योंकि बैंक साख की सहायता से ही द्रव्य या मुद्रा का निर्माण होता है। अतः सरकार को मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य बैंक साख को नियंत्रण करना होता है, जिसे केन्द्रीय बैंक के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। मुद्रा की मात्रा को घटाना या बढ़ाना सरकार व केन्द्रीय बैंक की क्रियाओं व नीतियों पर निर्भर करता है। व्यापारिक बैंकों को सरलतापूर्वक साख देने पर साख की मात्रा में वृद्धि कर दी जाती है जिससे चलन वेग में वृद्धि होकर लेनदेन क्रियाओं एवं व्यापार में प्रगति हो जाती है। इसी प्रकार मुद्रा की उपलब्धि को दुर्लभ बनाकर उसकी मांग में परिवर्तन लाया जा सकता है। अतः मुद्रा प्रणाली को प्रभावित करने वाली समस्त क्रियाओं को मौद्रिक नीति में सम्मिलित कर लिया जाता है। वर्तमान समय में, मुद्रा के स्थान पर साख का महत्त्व बढ जाने से साख को भी मौद्रिक नीति का एक अत्यावश्यक अंग माना जाता है। अतः मौद्रिक नीति में मुद्रा एवं साख दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है।

### मौद्रिक नीति का महत्त्व (Importance of Monetary Policy)

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से, धतारों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा की पूर्ति पर आवश्यक नियंत्रण लगाया जाये। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के विभिन्न अंगों—उत्पत्ति, विनिमय, वितरण आदि पर ही अधिक बल प्रदान किया तथा मौद्रिक नीति को सस्ती मुद्रा नीति का एक साधन माना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् मौद्रिक नीति का महत्त्व काफी बढ गया तथा इसे आर्थिक नीतियों को कार्यान्वित करने एवं अनौद्रिक मुद्दों को सफल बनाने के लिए एक अत्यन्त उपयुक्त एवं प्रभावकारी साधन माना जाने लगा तथा इसका महत्त्व बढ गया।

**कारण**—मौद्रिक नीति के महत्त्व के बढने के प्रमुख कारण निम्न हैं :

(i) सीमित प्रशुल्क उपाय—विश्व में यह भावना फैल गई कि आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की तुलना में प्रशुल्क उपाय सीमित मात्रा में उपयोग किये जाते हैं, अतः देश में आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए मौद्रिक नीति का उपयोग करना आवश्यक समझा गया।

(ii) व्यापक मुद्रा प्रसार—द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् विश्वव्यापी मुद्रा प्रसार की स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति का महत्त्व बढा।

(iii) असफल मौद्रिक उपाय—राष्ट्रों में असफल मौद्रिक उपायों द्वारा कीमतों की वृद्धि में असमर्थता आने से मौद्रिक नीति को अपनाया जाना निरन्तर आवश्यक समझा गया।

(iv) सरकार की असमर्थता—देश में आर्थिक स्थायित्व लाने में सरकार की असमर्थता के कारण भी मौद्रिक



यह अनुभव किया जाता है कि आन्तरिक मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तनों से देश के अन्य विभिन्न विभागों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते हैं जिससे आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था में उचित समायोजन सम्भव नहीं हो पाता। आन्तरिक मूल्यों में स्थिरता लाने से विनिमय दरों में भी स्थायित्व लाया जा सकता है। अतः मौरिक नीति का प्रधान उद्देश्य आन्तरिक मूल्यों में स्थायित्व लाना था।

(ii) पूर्ण रोजगार प्राप्त करना—मौरिक नीति का प्रमुख उद्देश्य देश में रोजगार को प्राप्त करके उसे स्थायी बनाना है। जब चालू मजदूरी पर काम करने के इच्छुक व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध रहें तो उस स्थिति को पूर्ण-रोजगार की स्थिति कहेंगे। पूर्ण रोजगार मानवीय कल्याण को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने का एक साधन माना जाता है, अतः यह आवश्यक है कि साधनों के प्रयोग में अधिकतम कुशलता का उपयोग किया जाये जिससे पूर्ण रोजगार के अवसरों को प्राप्त किया जा सके। देश में आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि करके पूर्ण रोजगार की सीमा को प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए। देश की मौरिक नीति का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि चालू विनियोगों की मात्रा चालू बचत की अपेक्षा अधिक हो, इसके लिए साख मुद्रा अथवा चलन गति में वृद्धि लाई जा सकती है। देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होने पर विनियोग एवं बचत में सन्तुलन स्थापित करना चाहिए। अतः मौरिक नीति का उद्देश्य पूर्ण रोजगार के स्तर पर विनियोग एवं बचत में सन्तुलन स्थापित करना होना चाहिए।

(iii) वास्तविक आय व रोजगार का उच्च-स्तर—मौरिक नीति का उद्देश्य वास्तविक आय एवं रोजगार के उच्च-स्तर को प्राप्त करना होना चाहिए व साथ ही इनमें पूर्ण समन्वय स्थापित करना चाहिए। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मौरिक सहयोग का उदाहरण दिया जा सकता है जिसने रोजगार एवं वास्तविक आय के उच्च स्तर को बनाये रखने के प्रयास किये। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर यह भी पोंपित किया गया कि आर्थिक नीति का आधारभूत उद्देश्य अल्पिष्ठ में देश की अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार को बनाये रखना है। इस प्रकार प्रचुलक, मौरिक एवं अन्य प्रकार के आर्थिक हस्तक्षेप करने के सभी साधनों को इस उद्देश्य की प्राप्ति में ही प्रयोग किया जाता है।

(iv) विनिमय दरों में स्थायित्व लाना—मौरिक नीति का उद्देश्य विनिमय दरों में स्थायित्व लाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही 1914 तक विद्वदों में स्वर्णमान पद्धति को अपनाया गया तथा 1825-31 की अवधि में इसे विभिन्न रूपों में प्रयोग किया गया। उस समय यह भावना प्रचलित थी कि विनिमय दरों में स्थायित्व लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सफल संचालन करना आवश्यक है। अतः मौरिक नीति का उपयोग विनिमय दरों में स्थायित्व लाने के लिए किया जा रहा है।

(v) व्यापारिक क्रियाओं में स्थायित्व—व्यापारिक क्रियाओं में स्थिरता लाने के लिए केन्द्रीय बैंक सहयोग प्रदान करती है। व्यापारिक स्थिरता के माध्यम से मानव जाति का पूर्ण एवं निरन्तर विकास करने के प्रयास किये जाते हैं। मौरिक नीति की सहायता से मन्दी एवं तेजी काल में बेकार पड़े साधनों का पूर्ण उपयोग एवं साधनों का अत्यधिक प्रयोग सम्भव हो सकता है। इस प्रकार उत्पात्त के विभिन्न साधनों का पूर्ण उपयोग करके उत्पादन की मात्रा को अधिकतम करके समाज को अधिकतम लाभ पहुँचाये जा सकते हैं।

(vi) निष्पक्ष मौरिक नीति—मुद्रा को उसके प्रभावों से बचित करके पूर्ण रोजगार के स्तर पर बचत एवं विनियोग में सन्तुलन स्थापित किया जा सकता है। देश में मुद्रा अधिकारी द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वस्तुओं की बदला-बदली बिना किसी कठिनाई के सरलता में सम्भव हो सके। मुद्रा द्वारा निष्पक्षता के साथ कार्य करने पर देश में अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। देश में मुद्रा का सृजन करने से अनेक बुराईयाँ उत्पन्न हो जानी हैं जो आर्थिक दायों को छोड़ना बना देती हैं। देश में मुद्रा की मात्रा का निष्पक्षता के स्तर से बढ़ जाने पर मुद्रा प्रसार हो जाता है, तथा इसके विपरीत स्थिति होने पर मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निष्पक्ष मुद्रा का अर्थ मुद्रा के स्फीतिक एवं विस्फीतिक प्रभावों को कम करना है। अतः मुद्रा की मात्रा को ही पूर्णतया स्थिर रखकर मौरिक प्रभावों को समाप्त किया जा सकेगा।

दोष—निष्पक्ष मौरिक नीति के प्रमुख दोष निम्न हैं :

(अ) अपूर्ण प्रतियोगिता—यह कल्पना की गई है कि समाज में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान है तथा मूल्य स्वतः ही उत्पादन लागत से समायोजित हो जायेंगे। परन्तु वास्तव में देश में पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता

है, अर्थात् प्रायः अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति बने रहने से कीमतें उत्पादन लागत के साथ समायोजित नहीं हो पाती।

(ब) केन्द्रीय बैंक की कठिनाइयाँ—निम्नलिखित मौद्रिक नीति को कार्यान्वित करने में देश की केन्द्रीय बैंक को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे—

(1) संघय एवं उत्पादन मात्रा को ज्ञात करना कठिन—देश में सचय की राशि एवं उत्पादन की मात्रा को ज्ञात करना कठिन होगा।

(2) धर्मकों द्वारा विरोध—धर्मकों द्वारा इस व्यवस्था का विरोध किया जाता है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ वह अधिक मात्रा में आय प्राप्त करने की आशा रखेगा।

(3) पारिमाणिक सिद्धान्त से सम्बन्ध—इस नीति का सम्बन्ध मुद्रा के पारिमाणिक सिद्धान्त से रखा गया है जो स्वयं अपूर्ण एवं वृष्टिपूर्ण है।

(4) मुद्रा पर निरन्तर प्रवन्ध—देश में केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की मात्रा का निरन्तर प्रवन्ध करने की आवश्यकता होगी, जिससे मौद्रिक व्यय के प्रवाह में कोई बाधा उपस्थित न हो सके। परन्तु केन्द्रीय बैंक इस कार्य में उसी समय सफल हो सकेगा, जबकि वह व्यापारिक बंकों को निरक्षेप मुद्रा उत्पन्न करने व सृष्ट करने की राशि से वंचित कर दे। देश में मौद्रिक स्थायित्व लाने के उद्देश्य से केन्द्रीय बैंक को मुद्रा-मात्रा का नियमन करना होगा। इसी प्रकार जनसत्ता की वृद्धि होने पर मुद्रा की मात्रा को समायोजित करना होगा।

(5) मुद्रा की गति सम्बन्धी समस्याएँ—देश में असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न होने पर मुद्रा की मात्रा में गति उत्पन्न करने में अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होगी।

(6) उत्पत्ति में परिवर्तन के कारणों को ज्ञात करना कठिन—उत्पत्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के कारणों का पता लगाना कठिन होगा, अर्थात् यह ज्ञात करना कठिन होगा कि यह परिवर्तन जनसंख्या के परिवर्तन या उद्योग में उत्पादन के घटने या बढ़ने के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है।

(7) सन्तोषप्रद भुगतान सन्तुलन—विदेशी व्यापार में वृद्धि करने का उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाकर आवश्यक माल का आयात करना तथा भुगतान सन्तुलन की स्थिति को ठीक बनाना होता है, जिससे देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव न पड़े। वर्तमान समय में मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य भुगतान सन्तुलन स्थिति को अनुकूल बनाना है। सन्तुलन की स्थिति बिगड़ने पर देश की विनिमय दर भी बिगड़ जाती है जिससे व्यापारिक लेनदेन में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं तथा विदेशी व्यापार को अनेक प्रकार के तत्पर उत्पन्न हो जाते हैं। प्रतिभूत भुगतान सन्तुलन होने पर विदेशों से आवश्यक माल आयात करना कठिन हो जाता है। अतः मौद्रिक नीति का उद्देश्य भुगतान सन्तुलन की स्थिति को उचित-स्तर पर बनाये रखकर विनिमय दर में स्थायित्व प्राप्त करना है।

भुगतान सन्तुलन के ढंग—भुगतान सन्तुलन को अनुकूल बनाने के लिए मौद्रिक नीति का उपयोग निम्न ढंगों से किया जा सकता है :

(अ) व्याज दर बढ़ाना—श्रृण पूँजी पर व्याज दर को बढ़ाकर विदेशों से विदेशी पूँजी आयात करने बंकों में जमा किया जा सकता है। विदेशी पूँजी आयात करने से भुगतान सन्तुलन अनुकूल होकर विनिमय दर सामान्य स्तर पर आ जाती है। इसके विपरीत यदि व्याज दर बढ़ा दी जाये तो विदेशी पूँजी महंगी हो जाती है तथा देश में पूँजीगत माल की मांग कम हो जाती है, आयात गिर जाते हैं, व व्यापार सन्तुलन पक्ष में हो जाता है तथा विनिमय दर भी उचित स्तर पर बनाई रखी जा सकती है।

(ब) बंकों की सहायता—बंकों की सहायता में भुगतान व्यवस्था को सरल बनाकर भुगतान सन्तुलन की स्थिति को सुधारा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी लेनदेन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है तथा व्याज की दर की सहायता में भुगतान सन्तुलन को पक्ष में रखा जा सकेगा।

(स) नीची विनिमय दर—देश की विनिमय दर को नीची रखकर भी आयातों को हतोत्साहित एवं निर्यातों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह उपाय प्रायः अविकसित राष्ट्रों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। देश की केन्द्रीय संस्था द्वारा निर्यातों एवं आयातों में उचित सन्तुलन स्थापित करने के प्रयास किये जाते हैं जिससे भुगतान सन्तुलन भी ठीक

किया जा सके।

(६) विनिमय नियंत्रण—विनिमय नियंत्रण की सहायता से विनिमय दर एवं भुगतान सन्तुलन को अनुकूल बनाया जा सकता है। परन्तु यह ढंग संकटकालीन स्थिति में ही उपयोग किया जाता है।

(६) लोचदार विनिमय दर—लोचदार विनिमय दर की सहायता से भी भुगतान सन्तुलन की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। परन्तु विनिमय दर में उतार-चढ़ाव एक निश्चित सीमा तक ही रखे जा सकते हैं।

(viii) आर्थिक विकास—प्राचीन समय में देश के आर्थिक विकास को एक नियमित क्रिया माना जाता था जिसके लिए किसी प्रकार की नीति का निर्धारण करना सम्भव नहीं था। परन्तु वर्तमान समय में प्रजातन्त्र व्यवस्था के अन्तर्गत शासन व्यवस्थाओं को आर्थिक विकास का दायित्व अपने ऊपर लेना पड़ता है तथा देश की समस्त अर्थव्यवस्था एवं भौतिक नीति का संचालन इस ढंग से किया जाता है कि देश का पर्याप्त मात्रा में आर्थिक विकास सम्भव हो सके। प्राचीन समय में स्वर्णमान के अन्तर्गत मुद्रा संकुचन सम्बन्धी नीति देश के आर्थिक विकास में बाधक थी, परन्तु स्वर्णमान की समाप्ति के साथ-साथ यह समस्या भी समाप्त हो गई। उदार मुद्रा नीति द्वारा उत्पादन की नवीन रीतियों में प्रारम्भिक पूँजी की अधिक मात्रा विनियोजित की जाती है जिससे पर्याप्त मात्रा में पूँजी उपलब्ध करना सम्भव हो जाता है। देश के आर्थिक विकास की मात्रा इस ढंग पर निर्भर करती है कि उत्पादकता में वृद्धि होने पर मजदूरी में कितनी वृद्धि की मांग की जाती है। यदि मजदूरी में वृद्धि उत्पादकता में वृद्धि से अधिक होती है तो विकास की गति शिथिल हो जाती है। इसी प्रकार ऊँची ब्याज की दरें भी आर्थिक विकास में बाधाएँ उपस्थित करती हैं, क्योंकि इसके उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाने से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार ऊँची ब्याज दरें एक ओर तो उत्पादन को हतोत्साहित करती हैं, परन्तु दूसरी ओर बचतों को प्रोत्साहित करके पूँजी-निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। अतः अविकसित राष्ट्रों में पूँजी की कमी को ऊँची ब्याज दर द्वारा दूर किया जा सकता है।

आर्थिक विकास एवं मुद्रा-स्फीति—प्रायः यह कहा जाता है कि मुद्रा-स्फीति की सहायता से आर्थिक विकास सम्भव किया जा सकता है। जिन राष्ट्रों में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता पाई जाती है वहाँ मुद्रा प्रसार की हल्की-सी इका-इयो की सहायता से पूँजी की कमी को दूर करके विकास को गतिशील बनाया जा सकता है। परन्तु यदि देश पहले से ही अपनी सम्पूर्ण शक्ति का उपयोग कर रहा है और मुद्रा-स्फीति का सहारा लिया गया तो उससे आर्थिक विकास को लाभ होने के स्थान पर हानि होगी। इस प्रकार आर्थिक विकास में बाधाएँ उपस्थित होने के प्रमुख कारण निम्न हैं—

(अ) हड़तालें—स्फीतिकाल में मजदूरों की हड़तालें विकास के मार्ग में बाधाएँ उपस्थित करती हैं, क्योंकि इससे औद्योगिक वातावरण अशांत एवं दूषित हो जाता है।

(ब) निम्न कार्यकुशलता—स्फीतिकाल में अधिक कार्य करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा श्रमिकों की कार्यकुशलता गिर जाती है।


(स) उपभोग में वृद्धि—मुद्रा-स्फीति से उपभोग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तथा पूँजीगत माल की उत्पादन हतोत्साहित हो जाती है।

(द) विस्फीति—स्फीति प्रायः विस्फीति को जन्म देती है जो दीर्घकालीन आर्थिक विकास कार्यक्रमों में बाधाएँ उपस्थित करती है।

इस प्रकार यह कहा जाता है कि देश के आर्थिक विकास के लिए स्फीतिक नीति को अपनाना उचित नहीं है, परन्तु यह स्फीतिक नीति का प्रयोग सजगता एवं सावधानी से किया जाये तो उससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्राप्त होता है तथा अल्पकालीन में अपनाई गई नीति आर्थिक विकास को हानि पहुँचाने वाली होती है। अर्थव्यवस्था में ऐसी व्यवस्था हो कि मूल्य कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसे चित्र 12.1 में दिखाया गया है। AB वक्र नियंत्रण के अन्दर है और CD वक्र नियंत्रण के बाहर है जो ठीक नहीं है।

आर्थिक विकास व रोजगार—देश में अति-रोजगार की स्थिति होने पर सख्त नियंत्रण की नीति को काम में लाया जाता है तथा उपभोग पर नियंत्रण लगा दिया जाता है जिससे रोजगार सामान्य स्तर पर आ जाता है तथा उत्पादन में भी कमी हो जाती है। यदि नवीन तकनीक के प्रयोग करने में अधिक पूँजी के विनियोजन के साथ-साथ अधिराज्य मात्रा में मजदूरी की मांग की जाये तो उसमें रोजगार तो ऊँचे स्तर पर रहता है, परन्तु आर्थिक विकास की गति तीव्र नहीं हो पाती। इसी प्रकार कभी-कभी रोजगार देने के उद्देश्य से अलाभकारी उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है जिससे





चित्र सं० 121

रोजगार बढ़ जाता है, परन्तु आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

### अविकसित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति (Monetary Policy in an Undeveloped Economy)

अविकसित राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है, आर्थिक विकास की गति अत्यन्त शिथिल होती है, जनता में बेरोजगारी पाई जाती है, आर्थिक सम्पन्नता का अभाव पाया जाता है, पूँजी निर्माण की कमी रहती है, वहाँ मौद्रिक नीति की सहायता से देश में रोजगार तथा आर्थिक विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उदार मौद्रिक नीति को अपनाया आवश्यक होगा, जिससे देश को पूँजी की कमी का सामना न करना पड़े। इससे देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों को विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे, रोजगार तथा उत्पादन की मात्रा में भी पर्याप्त वृद्धि होगी। परन्तु इससे देश में मुद्रा व साक्ष का प्रसार होकर मूल्य स्तर में वृद्धि हो जायेगी, परन्तु यह देश के विकास में बाधक सिद्ध नहीं होगी।

अर्द्धविकसित एवं विकसित देशों में आर्थिक सम्पन्नता को प्राप्त करने एवं रोजगार व विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने हेतु व मूल्य-स्तर को नियंत्रित करने हेतु उदार मौद्रिक नीति को अपनाया जाता है।

इसके विपरीत विकसित राष्ट्रों की मौद्रिक नीति में रोजगार उच्च-स्तर पर होता है तथा विकास की गति भी तीव्र होती है। वस्तुओं के मूल्यों में कमी आने का भय बना रहता है जिससे मुद्रा एवं साक्ष की मात्रा को सीमित रखना आवश्यक होता है। इसके लिए जनता से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के प्रयास किये जाते हैं। प्रायः ध्याज की दर में वृद्धि करके पूँजी का निर्माण किया जा सकता है, जितने विकासशील राष्ट्रों में विनियोजित किया जा सकता है। विकसित राष्ट्रों में विनिमय दर एवं मूलतः सन्तुलन की स्थिति सर्वद्वय अनुकूल रहती है तथा यहाँ अधिक उत्पादन होने से मास को विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर पूँजी भी विकासशील राष्ट्रों को निर्यात कर दी जाती है विकासशील राष्ट्रों में मूलतः सन्तुलन की स्थिति प्रतिकूल अवस्था में बनी रहने से वहाँ पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है जो ध्याज की दर को बढ़ाकर ही सम्भव हो सकती है। परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ध्याज दर के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि न हो जाये।

### अर्द्धविकसित देशों में मौद्रिक नीति की सीमाएँ

अर्द्धविकसित देशों में मौद्रिक नीति के सफल होने का क्षेत्र सीमित रहता है और इसके मुख्य कारण निम्न हैं—

(अ) मौद्रिक नियंत्रण का सीमित प्रभाव—इसमें निम्न कारणों को सम्मिलित करते हैं—

(1) संगठित मुद्रा बाजार का अभाव—इन देशों में सुमंगलित मुद्रा बाजार के अभाव के कारण देश की साक्ष पर प्रभावशाली प्रभाव नहीं पड़ता।

(2) बिल बाजार का अभाव—अर्द्धविकसित देशों में प्रायः विकसित बिल बाजार का अभाव पाये जाने से वहाँ

साख प्रणाली ठीक से कार्य नहीं कर पाती है।

(3) ध्वस्तियत व्याज दर—इन देशों में व्याज दरों में एकरूपता का अभाव पाया जाता है। बैंक दर व व्याज दर में भारी अन्तर पाया जाता है जिनमें मौद्रिक नीति प्रभावपूर्ण नहीं हो पाती।

(4) अन्य कारण—इसमें (i) सदस्य बैंक व केन्द्रीय बैंक के मध्य प्रभावपूर्ण सहयोग न होना, (ii) बैंकिंग प्रणाली का केन्द्रीय बैंकिंग के नियंत्रण के क्षेत्र में बाहर होना सम्मिलित किया जाता है।


(ब) मौद्रिक नीति का सीमित क्षेत्र—इनमें निम्न को सम्मिलित करते हैं—

(1) साख का कम महत्व—यहां पर साख के स्थान पर मुद्रा का चलन अधिक होने से साख पर नियंत्रण लगाने से भी मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण नहीं हो पाता।

(2) विशाल अमौद्रिक क्षेत्र—यहां पर विशाल अमौद्रिक क्षेत्र पाया जाता है जहां पर मुद्रा के स्थान पर बदल-बदल की पद्धति प्रचलित रहती है। इससे मौद्रिक नीति का क्षेत्र अत्यन्त सीमित हो जाता है।

मौद्रिक नीति की सीमाओं को निम्न चाटों द्वारा दिखाया जा सकता है—

### अर्द्धविकसित देशों में मौद्रिक नीति की सीमाएं



### मौद्रिक प्रबन्ध की विधियां

(Methods of Monetary Management)

किसी भी राष्ट्र में मौद्रिक प्रबन्ध की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं—

(i) साख नियंत्रण (Credit Control)—साख नियंत्रण का कार्य देश की केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, जो कि इसका एक महत्व पूर्ण कार्य माना जाता है। साख नियंत्रण के अनेक ढंग हैं, जिन्हें केन्द्रीय बैंक द्वारा समय-समय पर पालन किया जाता है।

(ii) नोट निर्गमन का अधिकार—केन्द्रीय बैंक को देश में नोट निर्गमन करने का एकाधिकार प्राप्त होता है, अतः वह चलन-माध्यम का इस प्रकार नियमन व नियंत्रण कर सकता है कि विनिमय कार्यों में कोई कठिनाईयां उपस्थित न हों तथा व्यापारिक कार्य सुगमतापूर्वक चलता रहे।

(iii) अन्तिम श्रृणुता—कोई भी व्यापारिक बैंक केन्द्रीय बैंक से अपनी प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों को मुना-कर तरलता में वृद्धि कर सकती है। इसी प्रकार समय पढ़ने पर वह अन्तिम श्रृणुता के रूप में कार्य करके अपनी मूल्यवान सेवाएं प्रदान कर सकता है।

### मूल्य स्थिरता बनाम विनिमय स्थिरता

(Price Stability vs. Exchange Stability)

कुछ विद्वानों का मत है कि मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य मूल्यों में स्थिरता लाना है। इनके विपरीत कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि मौद्रिक नीति द्वारा विनिमय में स्थिरता लाई जानी चाहिए। इन प्रकार मूल्य स्थिरता एवं विनिमय स्थिरता के पक्ष व विपक्ष में विम्वन तर्क रखे जा सकते हैं—

## मौद्रिक एवं प्रभुत्व नीतियाँ

### मूल्य स्थिरता

पक्ष में तर्क—मूल्य स्थिरता के पक्ष में निम्न तर्क रखे जा सकते हैं—

(i) असामानता में वृद्धि—मूल्य स्थिरता के अभाव में बड़ी हुई कीमतों घन व आय के वितरण में इस प्रकार की

अनेक बाधाएँ उपस्थित करते हैं कि उसमें समाज में असामानता में निरन्तर वृद्धि होती जाती है, परिणामस्वरूप धनी व्यक्ति अधिक धनी व गरीब और अधिक गरीब होते जाते हैं।

(ii) आर्थिक व राजनैतिक अस्थिरता—कीमतों के उतार-चढ़ाव से देश में अनेक प्रकार की आर्थिक एवं राज-नैतिक अस्थिरता को प्रोत्साहन मिलता है।

(iii) श्रवसाय को हानि—यदि मूल्यों में तेजी से गिरावट आती है तो उससे व्यापार पर बुरे प्रभाव पड़कर उत्पादन एवं रोजगार की मात्रा में कमी होकर धमिकों को हानि का सामना करना पड़ता है।

(iv) संघर्षी प्रभाव—मूल्य अस्थिरता अपने संघर्षी प्रभाव छोड़ जाती है और एक बार स्थिति प्रारम्भ हो जाने पर समस्त अर्थव्यवस्था पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं।

विपक्ष में तर्क—मूल्य स्थिरता के विपक्ष में निम्न तर्क रखे जा सकते हैं—

(i) तकनीकी बाधाएँ—मूल्य स्थिरता प्राप्त करने में अनेक प्रकार की तकनीकी बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं जो कार्य करने में कठिनाईयाँ उपस्थित करती हैं।

(ii) व्यक्तिगत एवं वर्ग मूल्यों पर ध्यान न देना—मूल्य स्थायित्व की नीति में प्रायः व्यक्तिगत एवं वर्ग मूल्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता जिसमें वे समान परिणाम नहीं प्रदर्शित कर पाते।

(iii) मूल्य परिवर्तन में भेद न करना—मूल्य स्थायित्व की नीति मूल्य परिवर्तन में होने वाले कारणों को बताने में अमर्त्य रहती है जिससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को अध्ययन करना कठिन हो जाता है।

(iv) गतिशील समाज की उपेक्षा—मूल्य स्थायित्व की नीति को गतिशील अर्थव्यवस्था वाले समाज में अपनाया जाना कठिन होता है। इसे स्थिर अर्थव्यवस्था वाले समाज में ही सरलता से अपनाया जा सकता है।

(v) आर्थिक क्रिया का नियमन—मूल्यों में परिवर्तन करने से आर्थिक क्रिया का उचित ढंग से नियमन किया जा सकता है, जबकि इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

(vi) प्रोत्साहन व प्रेरणा का अभाव—मूल्यों में वृद्धि होने से व्यापारियों को कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, परन्तु मूल्य स्थायित्व में यह प्रोत्साहन व प्रेरणा समाप्त हो जाती है तथा व्यापारी को कार्य करने एवं व्यवसाय की प्रगति करने के अवसर व प्रेरणा प्राप्त नहीं हो पाते।

(vii) अस्पष्ट धारणा—एक सततोपद्रव मूल्य स्तर की परिभाषा देना उचित नहीं है और यह एक स्पष्ट धारणा प्रदान नहीं करता, जिससे स्पष्ट धारणा प्राप्त नहीं हो पाती।

### विनिमय स्थिरता

पक्ष में तर्क—विनिमय स्थिरता के पक्ष में निम्न तर्क दिये जा सकते हैं—

(i) ध्यान आकर्षित करना—विनिमय दर में उतार-चढ़ाव मरलता से ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। यदि आन्तरिक मूल्य में कितना ही बड़ा परिवर्तन क्यों न हो जाये, परन्तु उस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता।

(ii) उतार-चढ़ाव हानिकारक—जो राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर होते हैं उनकी विनिमय दरों में परिवर्तन होने से अत्यन्त हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं तथा हिसाब की गणना करने में अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

(iii) सट्टे को प्रोत्साहन—विनिमय स्थिरता के अभाव में देश में सट्टे की क्रियाओं को प्रोत्साहन प्राप्त होता है तथा देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(iv) विश्वास समाप्त होना—विनिमय दर में उतार-चढ़ाव होने में देश में विनिवेशकों का विश्वास हट जाता है तथा पूँजी देश में बाहर जाने लगती है। इससे विदेशी विनिमय कोषों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः विनिमय स्थिरता की नीति को अपनाया सदैव लाभकारी रहता है।

विपक्ष में तर्क—विनिमय स्थिरता के विपक्ष में निम्न तर्क रखे जा सकते हैं—

- (i) आश्रित होना—स्थायी विनिमय दर की नीति अपनाते से देश को अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों पर निर्भर होना पड़ता है, जिससे दूसरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं।
- (ii) मूल्य अस्थिरता की समस्या—इससे देश में आन्तरिक मूल्य अस्थिरता की समस्या उदय हो जाती है जो देश के सभी वर्गों के लिए हानिकारक सिद्ध होती है।

### मौद्रिक नीतियों का प्रभाव (Effect of Monetary Policies)

19वीं शताब्दी से पूर्व सरकार की नीति देश की आर्थिक क्रिया में हस्तक्षेप करने की नहीं थी। आर्थिक क्रियाएँ व्यक्तियों द्वारा ही संचालित की जाती थी। परन्तु 19वीं शताब्दी से यह अनुभव किया जाने लगा कि सरकार को देश में निजी माहूल पर पूर्णरूप से नियंत्रण लगाना चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकार को मुद्रा एवं सावध पर उचित नियंत्रण लगाकर स्थैतिक एवं संकुचन की परिस्थितियों को नियंत्रित करके व्यापारिक उतार-चढ़ावों को नियंत्रित करना चाहिए। देश की केन्द्रीय बैंक को मोट निर्गमन एवं सावध पर नियंत्रण लगाने के अधिकार प्रदान किये गये। इनसे व्यापारिक क्रियाओं पर नियंत्रण लगाकर देश की सामान्य आर्थिक क्रियाओं का नियमन किया जाता है।

20वीं शताब्दी में राज्य को एक ऐसी सत्ता समझा जाने लगा जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों को अनेक प्रकार से सेवाएँ प्रदान कर सकता था। वर्तमान समय में न केवल बैंकिंग एवं मौद्रिक नीतियाँ ही बल्कि अन्य घटक भी देश की आर्थिक दशा को प्रभावित करते हैं। इस सम्बन्ध में उपभोग व बचत की सीमान्त क्षमताएँ, बैंकरो की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ आदि भी आर्थिक उतार-चढ़ाव में महत्वपूर्ण भाग लेती हैं। इस सम्बन्ध में यह निश्चित ही है कि मौद्रिक एवं बैंकिंग नीतियों के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था पर अपत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।

### अन्य नीतियाँ (Other Policies)

मुद्रा एवं सावध को प्रभावित करने वाली अन्य प्रमुख नीतियाँ निम्नलिखित हैं—

(i) प्रशुल्क नीति (Fiscal Policy)—प्रारम्भ में प्रशुल्क नीति से आय, सरकार द्वारा स्थानीय साधनों को विकसित करने के लिए संरक्षण देने की नीति से लगाया जाता था। प्रारम्भ में मुक्त व्यापार की नीति का पालन किया जाता था लेकिन वर्तमान समय में प्रशुल्क नीति को इस रूप में अपनाया जाता है कि जिससे स्थानीय साधनों व उद्योगों को विकसित करने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा सके। रवतंत्र अर्थव्यवस्था में भी इस प्रकार की सहायता को उचित बताया गया।

(ii) बजट नीति (Budget Policy)—इसमें सरकार द्वारा आय प्राप्त करने एवं व्यय करने के ढंगों को सम्मिलित किया जाता है। करो को सपह करना देश में रहने वाले व्यक्तियों के स्वभाव, इच्छा एवं बचत करने की इच्छा पर निर्भर करता है। देश की समस्त आय को करो के रूप में वसूल करने से बचत एवं विनियोग तथा उत्पादन व राष्ट्रीय आय पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। परन्तु यदि करो के रूप में प्राप्त आय को सरकार द्वारा सार्वजनिक बत्थाण में व्यय कर दी जाये तो उसमें उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय पर अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। वर्तमान समय में आय के अन्य साधनों के अभाव में वित्तीय प्रशासन में घाटे की वित्त व्यवस्था का महत्त्व बढ़ता जा रहा है जिसके, देश की आर्थिक क्रियाओं पर, अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। एक विकसित राष्ट्र में घाटे की वित्त व्यवस्था पर देश के विकास की आर्थिक योजनाएँ निर्माण की जाती हैं तथा विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है।

(iii) औद्योगिक नीति (Industrial Policy)—जिसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार देश में समाजवादी समाज की रचना का निर्माण कर सकती है जिसका देश के विनियोग पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। यदि देश में स्पष्ट औद्योगिक नीति का अभाव पाया गया तो उससे अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

## मौद्रिक अस्थिरता के कारण (Reasons for Monetary Instability)

मौद्रिक अस्थिरता के कारण देश में अनेक प्रकार के आर्थिक उच्चावचन उत्पन्न हो जाते हैं तथा अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 1929 की विश्व मन्दी का मुख्य कारण मौद्रिक अस्थिरता ही बताया जाता है। मौद्रिक अस्थिरता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

(1) स्वर्ण संकट (gold crisis)—सन् 1920 के स्वर्ण संकट एवं मूल्यों में कमी होने से स्वर्ण के लिए विश्व-व्यापी मांग पुनः लौट आई। इस प्रकार स्वर्णमान को पुनः अपनाते से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। विश्व के कुछ ही राष्ट्रों में स्वर्ण के केन्द्रीयकरण होने से विश्व-कोष की मात्रा में कमी हो गई जिसके परिणामस्वरूप स्वर्ण खोने वाले राष्ट्रों को सास नियंत्रण करने पर बाध्य होना पड़ा। दूसरी ओर अमरीका के पास अपार स्वर्ण भण्डार होने से अत्यधिक मुद्रा प्रसार हुआ तथा विश्व की कीमतों को कम करने में मुख्य कारण बनी। इस प्रकार सोने की कमी एवं अधिकता दोनों ही संकट के लिए उत्तरदायी माने गये। फलस्वरूप मौद्रिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई।

(2) पूँजी की असाधारण अस्थिरता—द्वितीय विश्वयुद्ध के फलस्वरूप सम्पत्तियों में अत्यधिक हानि हुई जिसने पुनर्विकास एवं पुनर्निर्माण के लिए देश में पूँजी असाधारण अस्थिरता उत्पन्न हो गई तथा राष्ट्रों के मध्य लेनदार व देनदार के सम्बन्ध स्थापित हो गये।

(3) प्रथम विश्व युद्ध (First World War)—प्रथम विश्वयुद्ध-काल में स्वर्ण का अत्यधिक मात्रा में संग्रह केवल अमरीका में होता गया तथा मुद्रा प्रसार को रोकने के उद्देश्य से अमरीका ने स्वर्ण के आगमन को प्रभावहीन कर दिया। इस प्रकार स्वर्ण के असाधारण वितरण ने विश्व में गम्भीर मौद्रिक परिवर्तन ला दिये, जिसने अनेक प्रकार के वित्तीय संकटों को उत्पन्न कर दिया।

(4) सास विस्तार (Expansion of Credit)—1929 से पूर्व सदस्य बैंकों के मांग नियंत्रण में अधिक वृद्धि होने से अधिक मुद्रा प्रसार हुआ, परन्तु उत्पादन में तुलनात्मक दृष्टि से पर्याप्त वृद्धि होने से मूल्यों में वित्तीय वृद्धि सम्भव न हो सकी। इस प्रकार उत्पादन एवं सास में समान गति से वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि होने पर, लागतों में भी वृद्धि होने से सास का विस्तार स्वस्थ हो सकता है। परन्तु 1924-29 की अवधि में इस नियम का पालन न होने से मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई जिसने व्यापारियों को अधिक लाभ हुए तथा स्क्रैप बाजार में भी तेजी से वृद्धि हुई। इस व्यवस्था से देश की मौद्रिक स्थिरता पर बुरे प्रभाव पड़े।

(5) तकनीकी परिवर्तन (Technical Changes)—इंजिन एवं उत्पादन क्षेत्र में शीघ्रता से तकनीकी परिवर्तन के कारण लागतों में अपार कमी हुई, जिसने मौद्रिक अस्थिरता को जन्म दिया। अमरीकन अर्थव्यवस्था में पर्याप्त वृद्धि हुई परन्तु 1952 के पश्चात् मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई। इस प्रकार तकनीकी सुधार के फलस्वरूप देश में मौद्रिक स्थिरता का अभाव पाया गया।

(6) अन्य कारण—मौद्रिक अस्थिरता के अन्य कारणों में निम्न को सम्मिलित किया जा सकता है—

(i) सर्टेबाजी—इस अवधि में न्यूयार्क एवं विश्व के अन्य प्रमुख भागों में सर्टेबाजी को प्रोत्साहन मिला जिसने अनेक संकटों को प्रोत्साहित किया।

(ii) वातस्ट्रीट संकट—अमरीका के वातस्ट्रीट संकट के कारण 1929 की मन्दी का आगमन हुआ।

(iii) मजदूरी—इस अवधि में मजदूरी की दरों में तोष का अभाव पाया गया जिसने मौद्रिक संकट उत्पन्न कर दिये।

(iv) प्रचुत्क दरें—सरकार द्वारा जो प्रचुत्क दरों में वृद्धि करने से देश में मौद्रिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई।

## भारत में मूल्य स्थायित्व (Price Stability in India)

प्रामः समस्त राष्ट्रों में मूल्यों सम्बन्धी सूचनाएं पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने एवं जनता द्वारा इनके सरलता से अपनाकर व निश्चित नीति के रूप में अपनाकर मौद्रिक नीति में मूल्य स्थायित्व को सरलता में अपनाया जा सकता है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् मूल्य स्थायित्व की नीति को अधिक समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि उस समय मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो रही थी। युद्ध के कारण मुद्रा प्रसार, साख विस्तार, सामान की कमी, चोर बाजारी आदि अनेक दुर्बलतायें उत्पन्न हो गईं जिससे निश्चित आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को हानि का सामना करना पड़ा, जिसने मूल्यों के स्थायित्व की ओर विशेष जोर दिया। 1936 में यह विचार जोर पकड़ता गया कि मूल्य स्थायित्व के अतिरिक्त रोजगार, उत्पादन, मजदूरी प्रतिभूतियों के निर्गमन, विदेशी विनियोग, मजदूरी दरों, व्यापारिक आय, साख आदि पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। वर्तमान समय में मौद्रिक नीति का उद्देश्य ऐसे परिवर्तनों की सुविधा देना है जो उचित एवं स्वस्थ हो व लाभप्रद भी हो।

भारत में 1939 से मूल्य-स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जो मुद्रा प्रसार का द्योतक है। देश के अन्तरिक मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती गई। बाह्य स्थिरता के सम्बन्ध में रुपये का मूल्य स्थायी ही रहा। 1927 में विनिमय दर 1 रु० बराबर 18 पैसे थी, परन्तु युद्ध के प्रारम्भ होते ही भारतीय माल की मांग बढ़ने से भारतीय रुपये के अवमूल्यन पर विचार किया जाने लगा। युद्धोत्तर काल में भी विनिमय दर 18 पैसे पर ही स्थिर रही। वर्तमान समय में भारत का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बन जाने से, अन्य राष्ट्रों की मुद्राओं से स्वर्ण में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो गया है। 1939 व 1966 में भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया तथा भूगतान शेष की समस्या को सुधारने के प्रयास किये। इस प्रकार भारतीय रुपये के अन्तरिक एवं बाह्य मूल्यों में समानता स्थापित करनी चाहिए व साथ ही साथ पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करके मूल्यों में वृद्धि धरने चाहिए। पूर्ण रोजगार प्राप्त होने पर बचत एवं विनियोग में समानता स्थापित करके मूल्य स्तर को स्थायी रखा जाना चाहिए, क्योंकि लाभ व मजदूरी में वृद्धि होने से देश में स्फीतिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है अतः मूल्यों में स्थायित्व लाकर इसे दूर किया जा सकता है तथा उपलब्ध साधनों का पूर्ण सदुपयोग सम्भव हो सकता है। व जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है। विनियोग में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन में भी वृद्धि होने से स्फीतिक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। मौद्रिक नीति की सहायता से पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के प्रयास किये जाने चाहियें, जिससे अर्थव्यवस्था को सुधार कर प्रगति की जा सके।

### प्रशुल्क नीति (Fiscal Policy)

सरकार का मुख्य कर्तव्य देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना तथा सुरक्षा एवं विकास के कार्यों को संतुलित ढंग से बढ़ाना है। इसके लिए सरकार कर द्वारा आय प्राप्त करके उसे विकास के विभिन्न मनों पर व्यय करती है। सरकार द्वारा अपने धजट को संतुलित करने के प्रयास किये जाते हैं और आय की तुलना में व्यय अधिक हो जाने पर ऋण व प्रवन्ध किया जाता है या घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा नोटों का निर्गमन किया जाता है। इस प्रकार कर लगाने, घाटे की व्यवस्था करना, मुद्रा का निर्गमन करना एवं ऋण लेने आदि की सामूहिक रीतियों को प्रशुल्क नीति में सम्मिलित किया जाता है।

### प्रशुल्क नीति का महत्त्व (Importance of Fiscal Policy)

विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में पूर्ण रोजगार प्राप्त करने एवं आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करने के रूप में प्रशुल्क नीति का महत्त्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका महत्त्व समाजवादी राष्ट्रों के साथ-साथ पूँजीवादी राष्ट्रों में भी निरन्तर बढ़ रहा है। युद्धोत्तर काल में अत्यधिक मुद्रा प्रसार एवं १९२९ की महान मन्दी ने इसके महत्त्व को और अधिक बढ़ा दिया है, तथा अर्थव्यवस्था के संचालन में सरकारी धजट या स्थान अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में देश की अर्थव्यवस्था में प्रशुल्क नीति को एक प्रभावशाली अंग के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। वर्तमान समय में शासकीय बजट रोजगार एवं कीमतों में चढ़ाव-उतार लाने वाले आय एवं व्यय आदि घटकों का कार्य करते हैं। सरकारी व्यय बढ़ने से एक ओर तो मांग में वृद्धि होती है व दूसरी ओर इसे प्राप्त करने के लिए जनता पर कर लगाये जाते हैं, जो जनता की आय में कमी करके मांग में कमी व उत्पादन में गिरावट ला देते हैं, परिणामस्वरूप केन्द्र व राज्य दोनों के ही बजटों पर प्रभाव पड़ता है। देश के आर्थिक विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रशुल्क नीतियों में परस्पर सम्बन्ध हों तथा

सरकारी भाय एवं व्यय में उचित समायोजन किया जाये। सरकार को मन्दीकाल में घाटे के बजट व तेजी काल में आधिक्य के बजट बनाकर अर्थव्यवस्था को सन्तुलित ढंग से विकसित करने के प्रयास करने चाहियें। परन्तु इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि सन्तुलित बजट द्वारा राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक क्रिया पर निष्पक्षीय प्रभाव रखा जा सकेगा। वास्तव में बजट के आकार को परिवर्तित करके राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक क्रिया को प्रभावित किया जा सकता है, परन्तु प्रशुल्क नीति की प्रभावशीलता सरकारी आय एवं व्ययों के अन्तर की मात्रा पर ही निर्भर करेगी।

### मौद्रिक व प्रशुल्क नीति में अन्तर (Difference Between Monetary and Fiscal Policy)

मौद्रिक एवं प्रशुल्क नीतियां प्रायः एक दूसरे की पूरक हैं क्योंकि केन्द्रीय बैंको का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाने से वह सरकारी वित्त विभाग के आदेशों पर ही कार्य करता है, फलतः मौद्रिक एवं प्रशुल्क नीतियों में कोई विरोधाभास नहीं रहता। फिर भी दोनों में अनेक प्रकार की अंतरांगतायें हैं, जिन्हें निम्न प्रकार रखा जा सकता है।

(1) प्रभाव का अन्तर—प्रशुल्क नीति का जनता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है क्योंकि जब अधिक मात्रा में कर लगाये जाते हैं तो विनियोग कम होकर मूल्य बढ़ जाते हैं जिससे आय में कमी होकर माग पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार सरकार द्वारा ऋण लेने से राष्ट्रीय बचन एवं बैंक जमा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत मौद्रिक नीति का जनता पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है क्योंकि बैंक दर बढ़ाने से विनियोग कम व बैंक जमा में वृद्धि हो जाती है। प्रशुल्क नीति में सरकार जनता से प्रत्यक्ष व्यवहार करती है, जबकि केन्द्रीय बैंक की समस्त क्रियायें व्यापारिक बैंको के माध्यम से होने से उनका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है।

(2) व्यापकता का अन्तर—मौद्रिक नीति का प्रभाव अधिक व्यापक होता है क्योंकि सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों एवं वस्तुओं पर भिन्न-भिन्न प्रकार से कर लगाया जाता है। इसके विपरीत प्रशुल्क नीति का प्रभाव इतना व्यापक नहीं होता, क्योंकि इसका भार सब पर समान नहीं पड़ता।


(3) स्वतन्त्रता का अन्तर—प्रशुल्क नीति में सरकार की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक मद पर संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। इसके विपरीत मौद्रिक नीति के सम्बन्ध में केन्द्रीय बैंक को काफी स्वतन्त्रता रहती है, जो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मुद्रा व साख का संकुचन एवं विस्तार करती है। ऐसा करने से पूर्व उसे किसी भी प्रकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती।

(4) राजनैतिक प्रभाव का अन्तर—प्रशुल्क नीति प्रायः राजनीतिक तत्वों से प्रभावित होती है जिसमें जनता की व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं भावनाओं को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके विपरीत मौद्रिक नीति सदैव राजनीतिक प्रभावों से मुक्त रहती है तथा हन पर किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाओं एवं आवश्यकताओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार प्रशुल्क नीति पर राजनीतिक प्रभाव पड़ते हैं, जबकि मौद्रिक नीति पर कोई भी ऐसे प्रभाव नहीं पड़ते।

### प्रशुल्क नीति के उद्देश्य (Objects of Fiscal Policy)

प्रशुल्क नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

#### प्रशुल्क नीति के उद्देश्य



(1) व्यय व्यवस्था—सरकारी व्ययों की समस्त मदों पर संसद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। प्रजातन्त्र में प्रत्येक सरकारी व्यय अधिकतम सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाता है। व्यय करने की पद्धति ब्यस्त सरन व कुशल होनी चाहिए तथा मूगतान को व्यवस्था योग्य व ईमानदार व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए।

(2) कर-व्यवस्था—करों का प्रभाव प्रायः समाज के विभिन्न वर्गों पर समान रूप से नहीं पड़ता। करों में वृद्धि होने से उपभोग, उत्पादन आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऊँचे करों से उत्पादन व रोजगार पर बुरे प्रभाव पड़कर मूल्य बढ़ जाते हैं जिससे निर्यात व विनिमय दर में कमी होकर आर्थिक विकास पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। देश में नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में अनेक बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं। इसके विपरीत करों में कमी करने से जनता की श्रम शक्ति बढ़ जाती है, उत्पादन, बचत व विनियोग पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में कर प्रणाली को जटिल बनाया जा रहा है, जिससे पक्षपात एवं भ्रष्टाचार आदि दोष उत्पन्न हो गये हैं तथा योजनाओं का संचालन उचित ढंग से नहीं हो पाता। समाजवादी अर्थव्यवस्था में करों को उपभोक्ताओं से वसूल कर लिया जाता है। अतः देश के समतुलित विकास के लिए कर नीति लोचदार एवं व्यावहारिक होनी चाहिए व साथ ही उसकी संचालन व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से व दुरुतापूर्वक होनी चाहिए, जिससे निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति सरलता से की जा सके।

(3) घाटे की व्यवस्था—सरकारी व्यय जब आय से अधिक हो जाते हैं तो इस घाटे की पूर्ति नोट निर्गमन करके या ऋण प्राप्त करके की जा सकती है। यदि नोटों की संख्या बढ़ने पर उत्पादन में वृद्धि न हो तो स्फीतिक प्रभाव आ जाते हैं। कुल राशि का अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपयोग में समतुलित विनियोग किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा ऋण लेने में व्यापारिक बैंकों के निक्षेप कम होकर साख निर्माण शक्ति में कमी हो जाती है। अतः सरकार को ऋण उस समय प्राप्त करने चाहिए, जबकि मुद्रा बाजार में घन की अविश्वता हो।

### प्रभुलक नीति एवं विभिन्न परिस्थितियाँ

#### (Fiscal Policy and Different Circumstances)

प्रभुलक नीति विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है जो कि निम्न हैं—

(1) अवसाद काल (Depression)—अवसाद काल में समस्त आर्थिक क्रियाएँ धीमी होकर विनियोजन की प्रवृत्ति प्रायः समाप्त हो जाती है। जनता के पास श्रम शक्ति में कमी हो जाती है तथा सरकारी आय भी गिर जाती है, जिसे अतिरिक्त पत्र-मुद्रा निकालकर पूर्ण किया जा सकता है। मन्दी के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य में रोजगार के नवीन स्रोत प्रारम्भ किये जा सकते हैं। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में भी सस्ते ऋण आदि की व्यवस्था की जा सकती है। इससे जनता की श्रम शक्ति में वृद्धि करके, भाग में वृद्धि करके, लाभ की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, तथा मूल्य स्तर को सामान्य स्तर पर लाया जा सकेगा।

(2) स्फीतिक काल (Inflation)—स्फीतिक काल में साख नियंत्रण के साथ-साथ प्रभुलक नीति का प्रयोग भी करना होगा। इसके लिए प्रशासनिक व्ययों में कमी, योजनाओं को स्थगित करना, अनिवार्य उद्योगों में ही पूँजी का विनियोजन, घाटे की व्यवस्था पर प्रतिबंध आदि उपायों का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में भी व्ययों को कमी की जानी चाहिए। इस काल में सरकार को अधिक कर लगाने चाहिए, जिससे भाग में कमी करके मूल्य स्तर को घटाया जा सके। ऋण के रूप में राशि प्राप्त करने के लिए सरकार को व्यवस्थित ऋण योजना प्रारम्भ करनी चाहिए जिन पर व्याज के अनिश्चित इनाम का भी प्रयोजन किया जा सकता है व अनिवार्य जमा योजना, व अन्य ढंगों से जमा राशि प्राप्त करनी चाहिए।

(3) सामान्य दशा—देश के आर्थिक विकास एवं पूर्ण रोजगार के लिए सामान्य स्थिति को अच्छा माना जाता है, जिससे उत्पादन विनियम व उपभोग को प्रोत्साहन मिल सके। इस परिस्थिति में सरकार द्वारा विकास योजनाएँ प्रारम्भ की जा सकती हैं तथा विनियोजन के लिए जनता से ऋण भी लिये जा सकते हैं व विदेशों से भी सरलता से ऋण प्राप्त हो जाते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रभुलक नीति का प्रभावशील प्रयोग मौद्रिक नीति के साथ ही सम्भव हो सकता है। मौद्रिक व प्रभुलक दोनों ही नीतियाँ देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मानी जाती हैं तथा देश के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। विकासशील एवं अर्द्धविकसित देशों में मौद्रिक एवं प्रभुलक नीतियाँ देश के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होती हैं।



द्वितीय भाग

बैंकिंग एवं साख-व्यवस्था

(BANKING AND CREDIT SYSTEM)

प्रारम्भिक—वर्तमान औद्योगिक युग में बैंकों का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, जो समाज की विभिन्न प्रकार से सेवाएँ करने हैं जिनका हमारे आर्थिक जीवन में अधिक महत्त्व है। वर्तमान समय में बैंकिंग व्यवस्था समाज के आर्थिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गई है। विभिन्न राष्ट्रों की बैंकिंग पद्धति में अन्तर पाये जाते रहे, परन्तु आधुनिक समय में समस्त राष्ट्रों में बैंकिंग प्रणाली केन्द्रीय बैंकिंग पद्धति के आधार पर विकसित हो रही है जिसके प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं— (1) व्यापारिक बैंक (Commercial Bank); (2) केन्द्रीय बैंक (Central Bank), एवं (3) अन्य सहायक संस्थाएँ (Other Subsidiary Institutions)।

### व्यापारिक बैंक व केन्द्रीय बैंक में अन्तर (Difference Between Commercial Bank and Central Bank)

व्यापारिक बैंक एवं केन्द्रीय बैंक में अन्तर रहता है, जो कि निम्नलिखित है—

(i) जनता से सम्बन्ध—व्यापारिक बैंकों द्वारा जनता का कार्य किया जाता है, जिससे उसका जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क बना रहता है। इसके विपरीत केन्द्रीय बैंक का कार्य देश की बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करना होता है, जिससे उसका जनता से कोई सम्पर्क नहीं रहता।

(ii) संख्या का अन्तर—व्यापारिक बैंकों की संख्या देश में अनेक होती है जो कि मांग के आधार पर निर्धारित की जाती है, जबकि केन्द्रीय बैंक देश में एक ही रहता है।

(iii) साम अत्रित का अन्तर—व्यापारिक बैंक लाभ पर कार्य करने वाली संस्था होती है, अतः इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ अत्रित करना होता है। इसके विपरीत केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ अत्रित न करके देश की आर्थिक एवं मौद्रिक नीति को कार्यान्वित करना होता है।

### शाखा एवं इकाई बैंकिंग पद्धति (Branch and Unit Banking Method)

संगठन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विश्व में निम्न प्रकार की बैंकिंग पद्धति पाई जाती हैं, जो कि निम्न है—

(1) शाखा बैंकिंग प्रणाली। (2) इकाई बैंकिंग प्रणाली। (3) समूह बैंकिंग व्यवस्था। (4) श्रृंखला बैंकिंग व्यवस्था।

#### (1) शाखा बैंकिंग प्रणाली

इस प्रणाली में एक बैंक की अनेक शाखाएँ होती हैं, जो सम्पूर्ण देश में फैली रहती हैं। भारत की बैंकिंग प्रणाली का संगठन भी शाखा बैंकिंग प्रणाली के आधार पर होता है। देश में अनेक व्यापारिक बैंक हैं, जिनकी शाखाएँ देश के विभिन्न भागों में खोलाएँ प्रदान करती हैं।

गुण—शाखा बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख गुण निम्न हैं :

(i) **देनदारों की स्थिति को जानकारी**—बैंक की शाखाएं सम्पूर्ण देश में फैली होने के कारण बैंको को देनदारों की स्थिति का ज्ञान सरलता से हो जाता है जिससे ग्राहको को दिये जाने वाले कर्ज की सीमा का निर्धारण सरलता से हो जाता है।

(ii) **मुद्रा का स्थानान्तरण**—शाखा बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा का स्थानान्तरण सरलता व सुगमता से हो जाता है क्योंकि एक शाखा दूसरी शाखा के साथ समन्वित ढंग में ही कार्य करती है तथा ग्राहको को हर प्रकार की सम्भव सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(iii) **बड़े पैमाने का उत्पादन व श्रम-विभाजन**—शाखा प्रणाली बड़े पैमाने के उद्योग की भांति कार्य करती है जिसमें बड़े स्तर पर समस्त बैंकिंग कार्य किये जाते हैं, जिससे उसे बृहत् पैमाने के लाभ प्राप्त होते हैं। बैंक का संगठन भी बड़े पैमाने पर होने से धम-विभाजन एवं विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होने लगते हैं तथा विभिन्न बैंकिंग कार्यों के लिए विशेषज्ञों की सेवाओं को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कार्य सम्पादन व्यय में भी मितव्ययिता प्राप्त की जा सकती है।

(iv) **नकद कोष में मितव्ययिता**—बैंकों की शाखाएं सम्पूर्ण देश में फैले रहने से बैंको को कम मात्रा में नकद कोष रखना होता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त मात्रा में धनराशि दूसरी शाखा से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार इन व्यवस्था में नकद कोष में मितव्ययिता लाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त इन बैंको का अन्य बड़ी-बड़ी बैंको से सम्बन्ध बने रहने में आवश्यकता पड़ने पर नकद कोष सरलता से प्राप्त कर सकते हैं।

(v) **जोखिम का वितरण**—इस व्यवस्था में जोखिम किसी एक पर न रहकर विभिन्न शाखाओं में वितरित हो जाती है। प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था गतिशील बनी रहती है, जिससे देश की व्यवस्था पर प्रभाव पड़ते हैं तथा रुचि व फँसान आदि में परिवर्तन आने से बैंकिंग व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। मन्दी के समय भी जो उद्योग प्रभावित होते हैं उनकी हानि को पूर्ति अन्य शाखा बैंको में सरलता से की जा सकती है तथा एक की हानि को दूसरी शाखा से सरलता से बमूल किया जा सकता है व दूसरी शाखा के लाभों से उसे समायोजित करके हानि को पूर्ति हो सकती है।

**दोष**—शाखा बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख दोष निम्न हैं :

(i) **बड़े पैमाने के दोष**—शाखा बैंकिंग में बड़े पैमाने के उत्पादन के सभी दोष पाये जाते हैं, तथा निरीक्षण, नियन्त्रण एवं प्रबन्ध को अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिन्हें सरलता से हल करना सम्भव नहीं हो पाता।

(ii) **व्ययपूर्ण प्रणाली**—शाखा बैंकिंग अत्यन्त व्ययपूर्ण प्रणाली है, क्योंकि नवीन शाखा की स्थापना पर काफी धनराशि व्यय करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त शाखाओं की संख्या बढ़ने पर उनमें नियंत्रण, निरीक्षण एवं समन्वय स्थापित करना अत्यन्त कठिन हो जाता है, जिसे पूर्ण करने में काफी धन व्यय करना पड़ता है।

(iii) **कुशलता पर आघात**—एक शाखा के दोषों का अन्य शाखाओं की कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी एक क्षेत्र में सकट आने पर उस क्षेत्र की शाखा को हानि होती है तथा उसकी हानि को अन्य शाखाओं द्वारा सहन करना पड़ता है।

(iv) **निरीक्षण कठिन**—शाखाएँ प्रायः प्रधान कार्यालय से दूर स्थित रहती हैं, जिससे उनका उचित ढंग से निरीक्षण करना सम्भव नहीं हो पाता तथा शाखा के अधिकारी व कर्मचारी अपनी मनमानी करने लगते हैं, जिन पर प्रधान कार्यालय का निरीक्षण करना कठिन हो जाता है।

(v) **एकाधिकार को प्रोत्साहन**—शाखा बैंकिंग प्रथा एकाधिकार को प्रोत्साहन देती है तथा पुँजी का केन्द्रीयकरण हो जाने से आर्थिक सत्ता थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में ही केन्द्रित हो जाती है, जिससे समाज को काफी हानि उठानी पड़ती है।

(vi) **अनावश्यक प्रतियोगिता**—शाखा बैंकिंग पद्धति से देश में अनावश्यक प्रतियोगिता को जन्म मिलता है जिससे बैंकों के विकास में बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं।

(vii) **आवश्यक बातों का अभाव**—बैंक की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि ग्राहको की रुचि के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, तथा सापेक्षता की प्रेरणा भी हो, परन्तु शाखा बैंकिंग व्यवस्था में इन दोनों बातों का प्रायः अभाव

पाया जाता है।

(viii) व्यक्तिगत सम्पत्ति का अभाव—घाटा बैंकिंग में प्रायः व्यक्तिगत सम्पत्ति का अभाव पाया जाता है, जिसमें धायाओं का कार्य स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर नहीं चल पाता है।

## (2) इकाई बैंकिंग

इस प्रणाली में बैंक का कार्य प्रायः केवल एक ही कार्यालय द्वारा किया जाता है तथा उसकी शाखाएँ नहीं होती हैं। इसमें बैंकों के कार्य का एकीकरण आर्थिक व सामाजिक खण्डों के आधार पर किया जाता है तथा बैंकों की कुल संख्या प्रायः जन-संख्या के अनुपात में अधिक रहती है। इस बैंक का व्यवसाय प्रायः उसी क्षेत्र की परिस्थितियों से सम्बन्धित होता है। इसकी स्थापना इस विचार पर की जाती है कि एकका प्रारम्भ स्थानीय समाज द्वारा होगा तथा उसका स्थापित भी स्थानीय समाज के व्यक्तियों में ही निहित होगा।

समान—इकाई बैंकिंग व्यवस्था के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं—

(i) मुक्त विद्यालय—यह पद्धति मुक्त उच्च विद्यालय पर आधारित रहती है, जिसमें कार्य करने में सरलता बनी रहती है।

(ii) एकाधिकार पर प्रतिक्रिया—इस प्रणाली द्वारा एकाधिकार बैंकिंग की वृद्धि पर रोक लगाई जाती है, क्योंकि बैंक की अनेक शाखाओं के स्थान पर विभिन्न प्रकार की अनेक बैंक होने से अधिक सन्तुष्टि का केन्द्रीकरण सम्भव नहीं हो पाता।

(iii) शीघ्र काम—इस व्यवस्था में बैंक का कार्य ठीक समय पर व शीघ्रता से सम्पन्न किया जाता है जिससे देश में कार्य होने की क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाती।

(iv) सफल प्रबंधन—इसमें बैंक का प्रबंध करना अत्यन्त सरल रहता है, क्योंकि इसमें विभिन्न शाखाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने की समस्याएँ उत्पन्न नहीं होने पाती।

(v) अनुशासन का अभाव—इस व्यवस्था में अनुशासन बैंक अधिक समय तक जीवित न रहने से अनुशासन का अभाव पाया जाता है।

(vi) विमर्यादितता—इसमें छोटे पैमाने की उत्पादन प्रणाली की मितव्ययता के लाभ सरलता से प्राप्त हो जाते हैं।

(vii) स्थानीय विनीय आश्वासनकार्य—इसमें स्थानीय विनीय आश्वासनकार्यों की ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है तथा स्थानीय जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क बने रहने से बैंक का संचालन उचित ढंग से सम्भव हो जाता है।

दोष—इकाई बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख दोष निम्न हैं :

(i) विफलता का भय—इसमें औद्योगिक व भौगोलिक विचलन न होने से बैंक की विफलता में बनी आ जाती है तथा अन्य कठिनाइयों उत्पन्न होने पर बैंकों की विफलता का भय बना रहता है।

(ii) सुधार में कठिनाई—इसमें व्यवसाय का पैमाना छोटा होने से बैंक के प्रबंधन में कृत्रिमता का अभाव पाया जाता है जिसमें सुधार करना अत्यन्त कठिन होता है।

(iii) विनीय मापनों का अभाव—इसमें बैंकों का आकार छोटा होने से पर्याप्त विनीय मापनों का अभाव पाया जाता है जिसमें स्थानीय आर्थिक विकास में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।

(iv) नियंत्रण व निरीक्षण का अभाव—इस व्यवस्था के अन्तर्गत बैंकों पर सरकारी नियंत्रण एवं निरीक्षण करना अत्यन्त कठिन होता है।

(v) गतिशीलता का अभाव—इस पद्धति में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है और इस कारण से नवदी के स्थानान्तरण की समस्या बनी रहती है।

## (3) समूह बैंकिंग प्रणाली


इस प्रणाली में दो या दो से अधिक बैंकों का कार्य एक प्रबंधन या ट्रस्ट में निहित हो जाता है। इस प्रणाली का विकास 1926 में अमेरिका में हुआ तथा 1929 तक इसमें काफी विकास हुआ, परन्तु 1929 की मन्दी के कारण इसका पतन

होता गया ! बाद के वर्षों में इस व्यवस्था में विषय सुधार सम्भव न हो सका ।

#### (4) शृंखला बैंकिंग व्यवस्था

यह व्यवस्था वर्तमान शताब्दी की घटना है तथा 1919-20 में यह प्रणाली अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थी । इस व्यवस्था के अन्तर्गत दो या दो से अधिक बैंको पर एक ही व्यक्ति का प्रभुत्व पाया जाता है । परन्तु 1929 की मन्दीकाल में अमरीका में अनेक शृंखला बैंको की असफलता के कारण इस प्रणाली के विकास को काफी ठेस पहुँची । इस प्रणाली को अमरीका में विरोधनीर पर विकसित किया गया, जहाँ कई शहरों में इसके विरोग विकास केन्द्र पाये जाते थे । अमरीका में सबसे बड़ी शृंखला बैंकिंग व्यवस्था विथम पद्धति (Witham System) थी जिसके सदस्य बैंको की संख्या लगभग 180 थी ।

बैंकिंग पद्धति के रूपों को निम्न चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है :



### बैंकिंग का विकास (Development of Banking)

बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मनी भाषा के Banck शब्द से हुई है, जिसका आशय ढेर या समूह से है । इसी प्रकार इटली में बैंकिंग का कारोबार करने वाले व्यवसायी बैंको पर बैठकर कार्य करने से उन्हें बैंको कहा जाता था, जिसे बाद में बैंक से नाम से पुकारा जाने लगा । बैंकिंग सम्बन्धी कार्यों को प्राचीन संसार में भी देखा जा सकता है । प्राचीन रोम सभ्यता में भी बैंकिंग का पर्याप्त विकास हो चुका था । लेकिन रोम के पतन के साथ-साथ बैंकिंग का भी पतन हो गया ।

12वीं शताब्दी के प्रारम्भ से बैंकिंग व्यवसाय को जन्म मिला, जिनमें निजी व्यक्तियों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण था । उस समय यह दी सोगो को समाज से पृथक् रखा जाता था, जो सम्पूर्ण सम्पत्ति को सुरक्षित रूप से रखते थे, जिसमें उन्हें बैंकिंग व्यवसाय के अपनाने में काफी सुविधाएँ रही और बैंकिंग व्यवसाय में इन्होंने काफी उन्नति की । इसके बाद इटैलियनों ने इस व्यवसाय में काफी प्रगति की और अपने व्यवसाय को सम्पूर्ण योरोप तक फैला दिया । प्राचीन इतिहास में विद्व की प्रथम सार्वजनिक बैंकिंग संस्था 1157 में बैंक ऑफ वेनिस (Bank of Venice) व बाद में 1401 में बैंक ऑफ बार्सेलोन (Bank of Barcelona) व 1407 में बैंक ऑफ जेनोआ (Bank of Genoa) की स्थापना हुई । इनके अनिश्चित योरोप में व्यापारिक क्रियाओं में वृद्धि के साथ-साथ वहाँ निजी बैंकिंग गृहों का विकास हुआ व साथ ही साथ सार्वजनिक बैंको का भी उदय हुआ । बैंको के विकास के कारण बैंक व्यवसाय में वृद्धि हुई, जिससे समाज को मूल्य का एक सर्वमान्य मापक प्रदान किया गया । 1694 में इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना होने पर व्यापारिक बैंकों का पूर्ण विकास हुआ व 1833 में बैंकिंग अधिनियम की स्थापना से बैंको का विकास हुआ । 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रान्ति से व्यापारिक बैंकिंग के विकास में काफी वृद्धि हुई ।

#### बैंकिंग का महत्व

वर्तमान समय में बैंकिंग के महत्व का अध्ययन निम्न प्रकार किया जा सकता है—

(1) उत्पादक कार्यों में विनियोग—व्यक्तियों व संस्थाओं के पास जो छोटी-छोटी बचतें पड़ी रहती हैं वे उत्पादक व अन्य कार्यों में उपयोग नहीं हो पाती । परन्तु बैंक उन्हें अपने जमा खाते में जमा करके व्यापार एवं उद्योग व अन्य

उत्पादक कार्यों में विनियोग करता है।

(2) मनीसीलता में सहायता—बैंकिंग प्रणाली प्रायः उन आर्थिक क्रियाओं में सम्बन्धित है, जिनके द्वारा सम्पत्तियों का उत्पादन व विपणन किया जाता है। इससे उत्पादन क्रियाओं में तीव्रता आती है तथा मूल्य व वित्त के मुगलान के अन्तर को सीमा को कम कर दिया जाता है।

(3) आर्थिक क्रियाओं का उचित संचालन—प्रत्येक समाज में प्रायः सीमित कर्तव्यों की असीमित माँग बनी रहती है, जिनके लिए यह आवश्यक है कि उपलब्ध कोषों को विभिन्न प्रयोगों में उचित ढंग से उपयोग किया जाये। इस कार्य को आपुनिक बैंकों द्वारा उचित ढंग से किया जाता है। इस प्रकार बैंकों द्वारा आर्थिक क्रियाओं का उचित संचालन करके सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग सम्भव बनाया जा सकता है।

(4) सन्तान के रखने के रूप में कार्य—बैंकों द्वारा जब धन प्राप्त किया जाता है तो उस व्यक्ति या संस्था के नाम को जमा कर देने की और जब यह धन उधार दिया जाता है तो धन लेने वाले व्यक्ति के खाते को नाम करके सन्तान रखने के रूप में कार्य किया जाता है। इस प्रकार बैंक खातों को उचित ढंग से रखकर उचित व्यवस्था करती है।

(5) साक्ष का उचित वितरण—बैंक द्वारा साक्ष का उचित ढंग से वितरण करके बैंक के हित के साथ-साथ समाज को भी अधिकतम लाभ पहुँचाया जा सकता है।

(6) धन उत्पादन में सहायक—व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर अधिकतम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से उत्पादन की योजना का निर्माण करता है तथा उसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन का विनियोग भी करता है। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर वे बैंकों से भी सहाय प्राप्त करते हैं। बैंकों द्वारा ऋण देने से पूर्व उनके विनियोग योजनाओं पर विचार-विमर्श किया जाता है और इस सम्बन्ध में प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ही धन उधार दिया जाता है।

(7) समन्वय स्थापित करना—सम्पत्तियों की जिन सम्बन्धी आवश्यकताएँ उनके आधार एवं व्यापार की मात्रा के आधार पर पड़ती-बढ़ती रहती हैं। इस प्रकार बैंकों द्वारा अपने तरल साधनों एवं माँगों में समन्वय स्थापित करके साधनों का अधिकतम उपयोग सम्भव किया जाता है।

(8) साक्ष का सृजन—बैंकों का प्रमुख कार्य साक्ष का सृजन करना होता है। व्यापार के अनेक कार्य नवद व्यापार पर न होकर साक्ष आधार पर सम्पन्न किये जाते हैं। जो व्यापारिक क्रियाओं में वृद्धि करके उत्पादन एवं वित्त के व्यवहारों में वृद्धि करती है। साक्ष सृजन द्वारा समाज को विभिन्न विनियम माध्यम उपलब्ध किये जाते हैं तथा अनेक वित्त-देन बैंकों द्वारा सरलता से निपटाये जा सकते हैं। इससे व्यापारिक क्रियाओं में वृद्धि हो जाती है तथा साक्ष का विस्तार भी सम्भव हो जाता है।

बैंक की परिभाषा

बैंक की अनेक परिभाषा समय-समय पर दी गयी हैं, जिनमें से प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

(1) एच. एल. हार्ट (H. L. Hart)—“एक बैंकर वह है, जो अपने साधारण व्यवसाय के अन्तर्गत धन प्राप्त करता है, और जिसे वह उन व्यक्तियों के बैंकों का मुगलान करके सुरक्षित है, जिनके खातों में वह धन जमा किया गया है।”<sup>1</sup>

(2) फिन्डली शिरस (Findley Shiras)—“एक बैंकर वह व्यक्ति, फर्म या कम्पनी है, जिसके पास एक व्यवसाय स्थान होता है, जहाँ मुद्रा या क्रेडिट की जमा या गिरावट द्वारा साक्ष का कार्य प्रारम्भ किया जाता है, तथा जहाँ सन्ध के आधार पर मुद्रा उधार दी जाती है व बोनड, बिल, बुलियन तथा प्रीनोट आदि बट्टे पर मुनाफे व बंधे जाते हैं।”<sup>2</sup>

1. A banker is one who in the ordinary course of his business, receives money which he pays by honouring cheques of persons from whom or on whose account he receives it.—H. L. Hart.

2. “A banker is a person, firm or company, having a place of business where credits are opened by the deposits or collection of money or currency; subject to be paid or remitted upon draft, cheques or where money is advanced or loaned or stocks, bonds, bullion and B/N and P/N are received for discount and sale.”—Findley Shiras.

(3) किनले (Kinley)—बैंक एक ऐसी संस्था है, जो सुरक्षा व आवश्यकता का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण प्रदान करती है, जिन्हें उसकी आवश्यकता है, और जिसके पास धन अनावश्यक पड़ा है, वे व्यक्ति अपने धन को जमा कर देते हैं।<sup>1</sup>

दोष—उत्पुंक्त परिभाषायें दोषपूर्ण एवं अपूर्ण हैं। हार्ट ने अपनी परिभाषा में बैंक के समस्त कार्यों को सम्मिलित नहीं किया है। इसी प्रकार किनले ने अपनी परिभाषा में केवल उधार लेने के कार्यों को ही सम्मिलित किया है, जबकि इसके अतिरिक्त बैंक के और भी अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य हैं, जिन्हें इस परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके विपरीत फिडले शिराज ने अपनी परिभाषा में न केवल बैंक के उधार देने के कार्य को ही सम्मिलित किया है, बल्कि साख्त उत्पन्न करने एवं एजेन्सी के कार्यों को भी सम्मिलित किया गया है। इस दृष्टि से इस परिभाषा को सन्तोषप्रद कहा जा सकता है। परन्तु कुछ व्यक्तियों के अनुसार यह परिभाषा भी दोषपूर्ण है क्योंकि इसमें बैंक द्वारा करेन्सी के विनिमय एवं द्रव्य द्वारा व्यापार को सहायता पहुँचाने वाले कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है, इस दृष्टि से इस परिभाषा को भी अपूर्ण माना गया है।

(4) कानूनी परिभाषा—भारतीय बैंकिंग अधिनियम की धारा 5 स के अनुसार “बैंकिंग कम्पनी उसे कहते हैं जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करें।”<sup>2</sup>

उपयुक्त परिभाषा—बैंक की उचित परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है—

“बैंकिंग व्यवसाय वह व्यवसाय है जो जनता को उधार देने एवं विनियोग के उद्देश्य से जनता के ही धन को जमा के रूप में स्वीकार करके, बैंक या अन्य किसी प्रकार के आदेश के आधार पर मांग करने पर भुगतान किया जाता है।”

### बैंकों के प्रकार (Types of Banks)

बैंक निम्न प्रकार के होते हैं :—

- (1) व्यापारिक बैंक (Commercial banks) — जो बैंक सामान्य बैंकिंग का कार्य करें उसे व्यापारिक बैंक कहते हैं।
- (2) औद्योगिक बैंक (Industrial banks)
- (3) कृषि बैंक (Agricultural banks)
- (4) बचत बैंक (Savings banks)
- (5) केन्द्रीय बैंक (Central banks)
- (6) विनिमय बैंक (Exchange banks)
- (7) अन्य बैंक (Other banks)

### साख्त का निर्माण (Creation of Credit)

बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करते समय अपने तरल या नकद कोषों की मात्रा को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। बैंक अपने तरल साधनों के आधार पर साख्त देने की व्यवस्था करते हैं तथा कई गुना साख्त का प्रवन्ध करने में सफल हो जाते हैं। अतः यह कहा जाता है कि बैंक साख्त का सृजन करते हैं तथा व्यापारिक नियाओं में वृद्धि करते हैं।

दृग्—बैंकों द्वारा साख्त सृजन करने के विभिन्न दृग् निम्नलिखित हैं :

1. “Bank is an establishment which makes to individuals such advances of money as may be required and safely made and to which individuals entrust money when not required by them for use.”—Kinley.

2. “Banking company means any company which transacts the business of banking.”

(1) नकद जमा रीति—प्रत्येक बैंक विभिन्न खातों के अलग-अलग जनता से धनराशि प्राप्त करते हैं जिसे नकद जमा कहते हैं और जमाकर्ता इस राशि का बहुत कम भाग ही अपनी आवश्यकता पड़ने पर निकालता है तथा शेष धन बैंक में ही बचाकर पड़ा रहता है। बैंक ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी जमा राशि का थोड़ा-सा भाग नकद में रखकर शेष धन को ऋण के रूप में दे देता है तथा ब्याज की आय प्राप्त करता है। बैंक जो ऋण स्वीकार करता है वह प्रायः नकद में देकर ऋणी के खाते में जमा कर दिया जाता है जो आवश्यकता पड़ने पर उसे बैंक लिखकर निकालता रहता है, जिसे साख जमा के नाम से जाना जाता है। साख जमा से बैंक की कुल जमा में वृद्धि हो जाती है, जिसके आधार पर बैंक अधिक मात्रा में ऋण देने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतनी ही अधिक जमा उसे प्राप्त होती है और जितनी अधिक जमायें उसे प्राप्त होती हैं, उतनी ही अधिक साख का सृजन किया जाता है। अधिक लम्बी अवधि के लिए जमा प्राप्त होने पर बैंक भी साख अधिक लम्बे समय तक दे सकते हैं।

(2) प्रतिभूतियों का ऋण—बैंक अपने ग्राहकों से प्रतिभूतियों को ऋण करके उनका भुगतान बैंक द्वारा करते हैं तथा अपने लिए नकद राशि की आवश्यकता पड़ने पर उसे केन्द्रीय बैंक से भुना लेते हैं। इस प्रकार प्रतिभूतियों का ऋण करके बैंक बड़े पैमाने पर साख का सृजन करते हैं।

(3) नोटों का निर्गमन—प्राचीन समय में बैंकों को नोटों का निर्गमन करके साख का निर्माण करने के अधिकार प्राप्त थे, जिसमें बैंकों द्वारा यह प्रतिज्ञा की जाती थी कि वह उन नोटों के बदले सोना या चांदी दे देगा। इस प्रकार जब कोई बैंक नोट जारी करता है तो उसे अपने पास कोष में सोना या चांदी रखनी पड़ती है जिससे नोटों को कभी भी भुनाकर साख का निर्माण किया जा सके। परन्तु सभी नोटधारी एक साथ नोटों का भुगतान नहीं मांगते अतः बैंक केवल कुछ प्रतिशत भाग ही धातु कोष में रख लेते हैं और इस प्रकार साख के निर्माण का कार्य करते हैं।

वर्तमान समय में मुद्रा व साख की मात्रा पर नियंत्रण रखने एवं नोटों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से नोटों के प्रकाशन का एकाधिकार देश के केन्द्रीय बैंक को सौंप दिया जाता है जो मूल्यवान धातु का कुछ प्रतिशत भाग ही अपने कोष में रखकर देश की व्यापारिक आवश्यकताओं के आधार पर नोटों का प्रकाशन करके साख का सृजन करता है। भारत में नोटों के प्रकाशन का एकाधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को सौंपा गया है। भारत में न्यूनतम जमा पद्धति के आधार पर नोटों का प्रकाशन किया जाता है। न्यूनतम जमा में 200 करोड़ ₹ २० की राशि ही जमा की जाती है जिसमें से 115 करोड़ रुपये का स्वर्ण एवं शेष सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाता है।


(4) अधिविक्रय की सुविधाएँ—बैंकों द्वारा अधिविक्रय की सुविधाएँ उन व्यापारियों को दी जाती हैं, जिनकी साख अच्छी होती है। अधिविक्रय की सुविधा में बैंक अपने ग्राहकों को स्वीकृत राशि से उनके खातों में जमा करके आवश्यकता पड़ने पर उसे निकालने की सुविधाएँ प्रदान करती है। इस प्रकार की व्यवस्था करके बैंक साख का सृजन करने में सहायता प्रदान करती है।

### साख निर्माण की शर्तें

#### (Conditions of Creation of Credit)

बैंकों द्वारा साख का निर्माण निम्न शर्तों पर ही सम्भव होगा :

#### साख निर्माण की शर्तें



(1) सब धन निकालने की प्रवृत्ति न होना—साख निर्माण करते समय दस बात की रूपना की जाती है कि तमस्त जमा करने वाले एक साथ आकर अपना धन नहीं निकालें क्योंकि जो व्यक्ति बैंक में धन जमा करते हैं, वह उसे एक साथ न निकालकर आवश्यकतानुसार धीरे-धीरे ही निकालेंगे, जिससे बैंकों को साख निर्माण करने के अवसर प्राप्त हो जायेंगे अतः एक साख धन न निकालने की प्रवृत्ति के आधार पर ही साख का निर्माण सरलता से किया जा सकता है।



(2) समाशोधन गृह की सुविधायें—चैक द्वारा भुगतान करने पर बैंक प्रत्येक चैक का भुगतान नकद न करके दूसरे बैंक के खाते में जमा कर लेते हैं तथा समाशोधन प्रणाली के अन्तर्गत अन्तर की राशि का हस्तांतरण कर लेते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया से वास्तविक लेनदेन की राशि की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि समाशोधन गृह की सुविधा से थोड़े से नकद कोष के आधार पर ही बैंक विदाय मात्रा में ऋण का सृजन कर लेते हैं।

(3) बैंक में विश्वास—जमा करने वालों को बैंक की आधिक्य दशा में विश्वास करना अत्यावश्यक है। बैंक में विश्वास होने पर ही वे अपना धन उसमें सरलता से जमा कर देते हैं, जिसके आधार पर बैंकों द्वारा साख का निर्माण किया जाता है। यदि जनता को बैंकों में विश्वास न रहे तो वह जमा राशि वापिस लेने लगे, जिससे बैंक की आदिक स्थिति विगड़ जाती है तथा वह असफल हो सकती है। अतः साख सृजन के लिए जनता द्वारा बैंक में विश्वास होना आवश्यक है।

(4) साख-पत्रों का प्रयोग—बैंकों द्वारा व्यापारिक कार्यों में चैक, बिल, ड्रप्पडी आदि साख-पत्रों का प्रयोग होना आवश्यक है, जिससे साख का निर्माण सरलता से किया जा सके।

### साख निर्माण की सीमाएँ

#### (Limitations of Credit Creation)

बैंकों द्वारा साख निर्माण की एक सीमा होती है, जिससे अधिक वह साख का निर्माण नहीं कर पाते। यदि उस सीमा से अधिक साख का निर्माण किया गया तो उससे जनता का बैंकों में विश्वास समाप्त होकर बैंक के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जायेगा। अतः साख निर्माण की सीमाओं को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) बैंकिंग आदत—यदि जनता में बैंकिंग आदत है तो वह थोड़े से धन को अपने पास रखकर रोप राशि को बैंक में जमा कर देंगे। बैंक में नकद राशि अधिक आने पर वह अधिक मात्रा में साख का सृजन कर सकेंगे। इसके विपरीत जनता में बैंकिंग आदत का अभाव पाया जाता है तो वह नकद राशि बैंकों में जमा न करके अपने पास रखेंगे और बैंक साख का निर्माण सरलता से करने में कठिनाई अनुभव करेंगे।

(2) केन्द्रीय बैंक के पास रखा कोष—प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपने दायित्वों का कुछ प्रतिशत भाग केन्द्रीय बैंक के पास सुरक्षित कोष में रखना पड़ता है, जिसमें दायित्वों की राशि के आधार पर कमी या वृद्धि होती रहती है। यदि यह राशि बढा दी जाये तो बैंकों के साख निर्माण की शक्ति सीमित हो जाती है। इसके विपरीत यदि इसमें कमी कर दी जाये तो बैंक अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर सकेंगे। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक इस कोष की मात्रा में कमी या वृद्धि करके साख निर्माण कर सकता है।

(3) जनता का विश्वास—यदि जनता को बैंकों में अधिक विश्वास है कि माँगने पर धन अविलम्ब वापस मिल जायेगा तो वह बैंक में अपना धन जमा कर देंगे और बैंकों के साख निर्माण की सीमा बढ जायेगी। इसके विपरीत यदि जनता को विश्वास नहीं है तो साख सृजन सीमा में कमी हो जायेगी।

(4) जमानत की प्रवृत्ति—बैंक प्रायः अच्छी व प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ही ऋण देना उचित समझती है। यदि देश में अच्छी प्रतिभूतियों का प्रचलन है तो बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में ऋण दिया जा सकेगा, अन्यथा नहीं।

(5) केन्द्रीय बैंक का प्रतिबन्ध—देश में आर्थिक स्थिरता लाने के उद्देश्य से केन्द्रीय बैंक साख का नियमन व नियन्त्रण करता है, जिसमें बैंक दर नीति, खूले बाजार की क्रियाएँ, सुरक्षित कोष अनुपात में परिवर्तन आदि बातें सम्मिलित हैं। इस प्रकार देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय बैंक साख का प्रसार या संकुचन करती है।

(6) नकद कोष—प्रत्येक बैंक को अपने दायित्वों का कुछ निश्चित प्रतिशत भाग नकद कोष में रचना पड़ता है जो बैंक की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है। यदि वह प्रतिशत बढा दिया जाये तो बैंकों के साख का संकुचन हो जायेगा। इसके विपरीत यदि यह प्रतिशत घटा दिया जाये तो साख में वृद्धि हो जायेगी।

(7) मुद्रा की मात्रा—यदि देश में मुद्रा की मात्रा का प्रचलन अधिक है तो जनता द्वारा बैंकों को अधिक धन जमा किया जायेगा, जिसके आधार पर बैंक अपने साख का सृजन कर सकेंगे। इसके विपरीत मुद्रा की कम निकामी होने पर साख सृजन की मात्रा भी सीमित हो जायेगी।

### बहुगुनी साख-सृजन

बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक बैंक अपने नकद जमा की राशि के कई गुने तक साख का सृजन कर सकती है। साख सृजन पर भी एक सीमा लगा दी जाती है, जो उस अनुपात द्वारा निर्धारित की जाती है जो कि केन्द्रीय बैंक अपने पास नकद कोष के सम्बन्ध में निश्चित करती है। प्रत्येक बैंक प्रायः बहुगुनी-साख सृजन की नीति अपनाती है। जिस प्रकार समुद्र में पत्थर डालने पर उठने वाली लहरें सम्पूर्ण चौड़ाई पर अनेक लहरें उत्पन्न करती हुई तटों पर जाकर समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार एक बैंक द्वारा साख का सृजन करने पर अन्य बैंको को भी साख सृजन की प्रेरणा प्राप्त होती है तथा यह सीमा नकद कोषों के अनुपात पर जाकर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार किसी एक बैंक की तुलना में देश में स्थापित की गई समस्त बैंकों द्वारा साख का सृजन करना बहुमुखी साख सृजन कहलाता है, जो सदैव ही सुरक्षित कोष के वैधानिक अनुपात के आधार पर निश्चित एवं निर्धारित की जाती है। केन्द्रीय बैंक समस्त अनुसूचित बैंको से जमा राशि के प्रतिशत में कमी करके बहुगुनी साख-सृजन करने में सहायता प्रदान कर सकती है।

वर्तमान आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में बहुगुनी साख का महत्त्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि मुद्रा के आधार पर ही व्यापार व वाणिज्य का विस्तार सम्भव हो सका है। विश्व के अधिकांश विकसित राष्ट्रों में मुद्रा के स्थान पर साख मुद्रा का प्रचलन अधिक बढ़ गया है, जबकि वैधानिक मुद्रा को ही साख मुद्रा का आधार माना जाता है। वैधानिक मुद्रा के साथ-साथ साख मुद्रा की मात्रा में भी घट-बढ़ होती रहती है जो मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा सकुचन को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में साख मुद्रा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान होता जा रहा है। साख सृजन पर विभिन्न ढंगों से नियन्त्रण लगाये जाते हैं, जिनका पालन केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। देश की आवश्यकताओं व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय बैंक अपनी साख नियन्त्रण रीतियों द्वारा मुद्रा एवं साख का प्रसार एवं सकुचन करती है।

## साख एवं साख-पत्र (CREDIT AND CREDIT INSTRUMENTS)

**प्रारम्भिक—सम्पत्ता की प्रारम्भिक अवस्था में मनुष्य की सीमित आवश्यकतायें होने पर वह अपने ही साधनों से अपनी समस्त आवश्यकतायें पूर्ण कर लिया करता था। परन्तु आवश्यकताओं के बढ़ जाने पर उन्हें अपने ही साधनों से पूर्ण करना कठिन हो गया तथा इसके हल के लिए विनियम एवं श्रम-विभाजन की रीतियों को अपनाया गया। प्रारम्भ में वस्तु-विनियम ढग को अपनाया गया। इसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित होने पर द्रव्य का आविष्कार किया गया तथा वस्तुओं के त्रय-वित्रय में उसका उपयोग किया जाने लगा। वर्तमान समय में आवश्यकताओं में अपार वृद्धि होने एवं सूक्ष्म श्रम-विभाजन होने के कारण विनियम के बिना आवश्यकताओं की पूर्ति करना सम्भव नहीं हो पाता। द्रव्य के अभाव में आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करना सम्भव नहीं हो पाता। व्यवहारों की संख्या बढ़ने के कारण समस्त लेनदेन नकद रूप में न होकर उधार या साख के रूप में किये जाते हैं। वर्तमान समय में साख का महत्त्व इतना अधिक बढ़ गया है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था को साख मुद्रा अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाने लगा है। अतः भविष्य में भुगतान करने की प्रतिज्ञा के आधार वर्तमान में मुद्रा, वस्तुएं एवं सेवाएँ प्राप्त करना ही साख कहलाता है। केवल व्यापारिक लेनदेन, बैंको अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की क्रियाओं की गणना ही साख के अन्तर्गत आती है। मुद्रा साख का आधार होने पर भी अधिकांश आर्थिक क्रियाएँ साख द्रव्य के आधार पर ही पूर्ण की जाती हैं। साख मुद्रा एक ऐसी आधारगिता है जिस पर सभी प्रकार की आर्थिक क्रियायें आधारित रहती हैं। विकसित एवं अविकसित राष्ट्रों में साख-मुद्रा की सहायता से ही समस्त कार्य सम्पन्न किये जाते हैं।**

### साख का अर्थ

साख शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द Credit से ही हुई है, जिसका अर्थ है 'I believe' अर्थात् मैं विश्वास करता हूँ। अतः अंग्रेजी के Credit शब्द का अर्थ विश्वास से लिया जाता है। लेटिन भाषा का Credo शब्द स्वयं संस्कृत भाषा के Cred से बना है। साख का अभिप्राय केवल विश्वास से लिया जाता है। आर्थिक दृष्टि से साख का अर्थ भुगतान करने के आश्वासन पर वस्तुएं प्राप्त करना है। इस प्रकार उधार लेना-देना ही साख कहलाता है। व्यापारिक दृष्टि से साख का अर्थ किसी व्यक्ति की बाजार में प्रतिष्ठा से लगाया जाता है। बहीखाते की दृष्टि से साख से आगत धातों की जमा पस से लिया जाता है।

### साख की परिभाषाएं

विभिन्न विद्वानों द्वारा साख की परिभाषाएं निम्न प्रकार दी जा सकती हैं :

(1) कोल (Cole) — "साख वह त्रय शक्ति है जो आय से प्राप्त न होकर वित्तीय संस्थाओं द्वारा या तो बैंकों के जमा के रूप में रबी गई निष्पन्न आय के एक उत्पाद के रूप में, अथवा त्रय शक्ति की कुल राशि में वृद्धि के रूप में,

प्राप्त की जाती है।<sup>1</sup>

(2) जोड (Gide)—“साख एक विनिमय है जो एक निश्चित समयावधि के पश्चात् भुगतान करने पर पूर्ण हो जाता है।”<sup>2</sup>


(3) टामस (Thomas)—“साख शब्द को मनुष्य की नीयत एवं आर्थिक शोष क्षमता के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें अन्य व्यक्तियों की बहुमूल्य वस्तुएं सरलता में प्राप्त हो जाती हैं, चाहे वे मुद्रा, वस्तुएं, सेवाएं या स्वयं साख के रूप में हों, जबकि एक व्यक्ति अपने नाम व प्रतिष्ठा का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति को करने की अनुमति प्रदान करता है।”<sup>3</sup>

(4) विंगफील्ड स्ट्रेटफोर्ड (Wingfield Stratford)—“साख का अभिप्राय विश्वास से लगाया जाता है, तथा विश्वास एक्य विपणि में उन वस्तुओं का सार है, जिनकी आशा की गई है, जिनके लिए वस्तुओं के साक्ष्य को देखा नहीं गया।”<sup>4</sup>

### साख के मुख्य तत्त्व

साख में मुख्यतया दो तत्त्वों का होना आवश्यक है—वस्तु तथा सेवाओं का हस्तांतरण एवं भविष्यता। साख के तत्त्वों को निम्न चार्ट द्वारा दिखा सकते हैं :

#### साख के मुख्य तत्त्व



साख के प्रमुख तत्त्वों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है :

(1) क्षमता (Capacity)—किसी भी व्यक्ति में विश्वास उत्पन्न करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसमें व्यवसाय को सफल बनाने की पूर्ण क्षमता हो। इस सम्बन्ध में शिक्षा एवं अनुभव क्षमता पर प्रभाव डालते हैं।

(2) पूंजी एवं अन्य सम्पत्ति—बैंक द्वारा साख प्रदान करने से पूर्व ऋणी की पूंजी एवं अन्य सम्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। यदि ऋणी की पूंजी व सम्पत्ति व्यवस्था अच्छी है तो वह बैंक से अधिक ऋण प्राप्त कर सकता है अन्यथा नहीं।

(3) साख अवधि—बैंक द्वारा तम्बी अवधि के लिए ऋण देना सर्वे जोखिमपूर्ण होता है। अतः प्रायः छोटी अवधि के लिए ही ऋण देना अधिक पसन्द किया जाता है जिसमें अधिक जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं रहती।

(4) विश्वास—साख विश्वास से ही उत्पन्न होती है, यदि किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं है तो वह ऋण देना स्वीकार नहीं करेगा। इसके विपरीत यदि उसे विश्वास है तो वह आवश्यकता से अधिक भी ऋण दे सकेगा।

1. "Credit is purchasing power not derived from income but created by financial institutions either as an offset to idle income held by depositors in the banks, or as a net addition to the total amount of purchasing power." —G. D. H. Cole, Money, p. 308

2. "Credit is an exchange which is complete after the expiry of a certain period of time after payment." —Gide

3. "The term credit is now applied to that belief in a man's probity and solvency, which will permit of his being entrusted with something of value belonging to another, whether that something consists of money, goods, services or even credit itself as when one man entrusts to another the use of his good name and reputation." —S. E. Thomas : Elements of Economics

4. "Credit is nothing more or less than faith and faith no less on the stock exchange than before the altar, is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen."

—Wingfield Stratford : History of British Civilization. Vol. II, p. 651.

(5) प्रतिष्ठि व चरित्र—यदि उधार लेने वाले व्यक्ति का चरित्र अच्छा है व वह प्रतिष्ठि प्राप्त किये हुए है, तो उसकी साख भी अधिक होगी, और वह बैंक से अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त कर सकेगा।


(6) राशि की मात्रा—राशि की मात्रा पर भी साख निर्भर करती है। यदि बड़ी राशि मांगी गई है तो उसे प्राप्त करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होंगी। इसके विपरीत छोटी मात्रा में मांगी गई राशि सरलता से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसमें जोखिम का सर्वद्व अभाव पाया जाता है और वह सरलता से स्वीकृति भी हो जाती है।

प्रो० चण्डलर ने साख के 3 आधार निश्चित किये हैं—(1) उधार लेने वाले का व्यक्तिगत चरित्र, (2) ऋण ष्टकाने की शक्ति, एव (3) ऋण लेने के अधिकार में पूँजी की मात्रा।

## साख का वर्गीकरण

साख के वर्गीकरण को निम्न प्रकार रखा जा सकता है :

### साख का वर्गीकरण



(1) सावँजनिक एवं व्यक्तिगत साख (Public and private credit)—जो ऋण सरकार द्वारा लिये जायें उसे सावँजनिक साख कहेंगे, जबकि व्यक्तियों द्वारा लिये गये ऋणों को व्यक्तिगत साख कहेंगे।

(2) बैंक साख व अन्य साख (Bank credit and other credit)—बैंक साख प्रायः बैंकिंग संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें समस्त प्रकार के जमा, नोट, बैंकर की स्वीकृतिया, साख-पत्र, वॉण्ड आदि सम्मिलित किये जाते हैं। बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाला साख कुल साख का एक बहुत बड़ा भाग होता है, जो स्वयं अन्य साख का आधार बन जाता है। इसके विपरीत वह साख जो सरकार, व्यक्ति या अन्य संस्थाओं द्वारा दी जाती हो, उसे अन्य साख के अन्तर्गत सम्मिलित करते हैं। केन्द्रीय बैंक साख इसका प्रधान स्रोत माना जाता है।

(3) उत्पादन व उपभोग साख (Productive and consumption credit)—उत्पादन कार्यों के लिए प्राप्त साख को उत्पादन साख में सम्मिलित करते हैं, जिसकी आय से मूलधन व ब्याज के भुगतान की व्यवस्था की जा सकती है। यह साख बड़ी मात्रा में प्राप्त की जाती है जो अनेक संस्थाओं एवं व्यक्तियों से प्राप्त की जाती है। इसके विपरीत उपभोग साख उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ली जाती है, जिसमें ऋणी को कोई आय प्राप्त नहीं होती और मूलधन व ब्याज के भुगतान की व्यवस्था अपने साधनों से ही करनी पड़ती है। उपभोग साख छोटी मात्रा में ही आवश्यक होती है, जिसका प्रबन्ध एक या दो व्यक्तियों द्वारा सम्भव हो सकता है, तथा इस पर अधिक ब्याज दिया जाता है।

(4) व्यापारिक व औद्योगिक साख (Commercial and industrial credit)—दैनिक व्यापारिक कार्यों के लिए उधार लिये गये धन को व्यापारिक साख में सम्मिलित करते हैं, जिसकी आवश्यकता कच्ची सामग्री त्रय करने, वितादन, श्रमिकों को मजदूरी देने आदि में किया जाता है। इसका सम्बन्ध अल्पकालीन ऋणों से होता है, जो बैंकों व महाजनों से प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत औद्योगिक व निर्माण कार्यों के लिए विशाल मात्रा में जो पूँजी प्राप्त की जाये, उसे औद्योगिक साख कहेंगे, जिसकी आवश्यकता भूमि, भवन, मशीन, व अन्य स्थायी संपत्तियों के त्रय के लिए आवश्यक होती है। यह ऋण दीर्घकालीन अवधि के लिये प्राप्त किये जाते हैं।

(5) अल्पकालीन, मध्यकालीन, व दीर्घकालीन साख (Short term, medium and long term credit)—जो ऋण कुछ दिनों या महीनों के लिये प्राप्त किये जायें वह अल्पकालीन साख कहलाता है। जो ऋण 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त किये जायें, उन्हें मध्यकालीन साख कहेंगे। इसके विपरीत जो ऋण 5 से अधिक वर्षों के लिए प्राप्त किये जाते हैं, उन्हें दीर्घकालीन ऋण कहेंगे।

वर्तमान समय में मांग पर देय साख का महत्व काफी बढ़ गया है, जो ऋणदाता की मांग पर वापस कर दिया जाता है। इसे याचना ऋण के रूप में रखा जाता है, जो किसी भी समय वापस मांगे जा सकते हैं। मांग पर देय साख का प्रयोग प्रायः ऐसी सम्पत्तियों पर किया जाता है जो किसी भी समय तरलता में परिवर्तित किये जा सकते हैं।

### साख के गुण

साख विभिन्न दृष्टिकोणों से बहुत उपयोगी है, जिसका आभास निम्न विवरण से हो सकता है :

- (1) वैयक्तिक सुख—बुद्धिमानों से प्रयोग की गई साख जीवन में भौतिक सुखों की पूर्ति में योगदान कर सकती है। साख ही आबस्मिक विपत्तियों से छुटकारा दिलाने का सर्वोत्तम साधन मानी जाती है।
- (2) सरल भुगतान—भुगतानों में सरलता मिलने के कारण देशी एवं विदेशी व्यापार की प्रोत्साहन मिलता है और विभिन्न देश राजनीतिक दृष्टि से एक-दूसरे के बहुत समीप आ गये हैं।
- (3) तैल का काम—आयिक कठिनाइयों से अवरुद्ध औद्योगिक इन्धनों के लिए साख तैल का कार्य करती है। इससे देश में औद्योगिक क्षमता में वृद्धि होती है व राष्ट्रीय सम्पन्नता को प्रोत्साहन मिलता है।
- (4) लेनदेन में सुविधा—साख से साख-यत्रों का प्रचार बढ़ा है और लेनदेन में सुविधाएं हो गयी हैं।
- (5) राष्ट्रीय हित—सरकार अनेक कार्यों को उधार लेकर ही पूर्ण करती है। इसमें जनता का अधिक विरयस रहता है और देश-विदेश से कम व्याज पर पर्याप्त राशि उधार ली जा सकती है।
- (6) पूंजी निर्माण—राज के कारण जनता बचतों को बैंक में जमा करने लगी है जो पूंजी का रूप धारण कर लेती है।
- (7) नियंत्रित अर्थव्यवस्था—साख के माध्यम से देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को अनुशासन में रखा जा सकता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में साख-नियंत्रण अर्थात् नियमन का महत्वपूर्ण अंश है।

### साख की सीमाएं

साख की सीमाओं को निम्न तीन भागों में रखा जा सकता है :

- (अ) साख प्रदान करने वाला व्यक्ति—इस सम्बन्ध में साख की सीमाएं निम्न बातों से निर्धारित होती हैं—
  - (i) पूंजी की मात्रा—अधिक बचत होने पर अधिक मात्रा में पूंजी का निर्माण किया जा सकता है और अधिक मात्रा में साख प्रदान की जा सकती है। औद्योगिक राष्ट्रों में जनता का जीवन स्तर ऊंचा होने के कारण वहां अधिक मात्रा में धन के विनियोजन की आवश्यकता होती है, जिससे साख प्रदान करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत अविश्वसित राष्ट्रों में बचत कम होने से पूंजी का निर्माण सम्भव नहीं हो पाता और साख की व्यवस्था भी सम्भव नहीं हो पाती।
  - (ii) आय की मात्रा—यदि साख प्रदान करने से अच्छी आय प्राप्त होने की सम्भावना हो तो देश में साख प्रदान करने की प्रोत्साहन मिलता है तथा साख की सीमाएं भी बढ़ जाती हैं।
  - (ब) साख प्राप्त करने वाला व्यक्ति—इस सम्बन्ध में निम्न बातें साख की सीमा को प्रभावित करती हैं।
    - (i) पूंजी—यदि साख लेने वाले पर अधिक पूंजी की व्यवस्था है तो उस व्यक्ति को बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में साख प्रदान की जा सकती है।
    - (ii) क्षमता—साख की मात्रा ऋण लेने वाले व्यक्ति की क्षमता पर भी निर्भर करती है। यदि साख प्राप्त करने वाला व्यक्ति अन्य साधनों से धन प्राप्त करके भुगतान करने की क्षमता रखता हो तो उसे पर्याप्त मात्रा में साख उपलब्ध हो सकेगी।
    - (iii) चरित्र—यदि साख लेने वाले व्यक्ति का चरित्र अच्छा है और उसने ऋण चुकाने में अपनी प्रतिष्ठा बना ली हो तो उसे पर्याप्त मात्रा में व सरलता से साख प्राप्त हो जाती है। इनके विपरीत यदि व्यक्ति ईमानदार नहीं है और उसका चरित्र दुर्बल है तो उसे साख सुविधाएं प्राप्त न हो सकेंगी।
    - (iv) प्रतिभूति—यदि साख लेने वाला व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में अच्छी प्रतिभूति दे सकता हो तो उसे अधिक

मात्रा में साख प्राप्त हो सकेगी, अन्यथा नहीं।

(स) राष्ट्र की परिस्थितियाँ—राष्ट्र की परिस्थितियाँ साख की सीमा को निम्न प्रकार में प्रभावित करती हैं।

(i) राजनैतिक शान्ति—यदि देश में राजनैतिक दृष्टि से शान्ति है तो साख का विस्तार सरलता से किया जा सकता है। इसके विपरीत अशान्तिपूर्ण स्थिति में साख का विस्तार सम्भव नहीं हो पाता।

(ii) मुद्रा नीति—यदि केन्द्रीय बैंक द्वारा सखी मुद्रा नीति अपनाकर बैंक दर नीची रखी जाये तो साख की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत महँगी मुद्रा नीति अपनाने से साख का सकुचन होने लगता है।

(iii) प्रयोग की आदत—यदि देश में मुद्रा के स्थान पर साख मुद्रा का अधिक प्रचलन हो, तो वहाँ साख का विस्तार सरलता से सम्भव हो सकेगा। इसके विपरीत यदि नकद मुद्रा का अधिक प्रचलन किया जाता है तो साख का विस्तार सम्भव न हो सकेगा।

(iv) व्यापार की वृद्धि—तेजी के काल में व्यापारिक समृद्धि के कारण व्यापारी अधिक मात्रा में धन उधार लेना प्रारम्भ कर देते हैं, जिससे साख का विस्तार हो जाता है। मन्दी के काल में लाभ की सम्भावना कम होने से कम मात्रा में धन उधार लिया जाता है।

(v) सट्टा बाजार—सट्टेरिये द्वारा भविष्य में मूल्य बढ़ने की सम्भावना से ऋणों व साख की मात्रा बढ़ जाती है। परन्तु मूल्य गिरने की सम्भावना से ऋण व साख की मात्रा भी कम हो जाती है।


(vi) एकाधिकार—साख व्यवस्था में अधिक सम्पत्ति वाले को सरलता से कम व्याज पर ऋण प्राप्त हो जाते हैं। अतः बड़ी इकाइयाँ अत्याधिक मात्रा में पूँजी प्राप्त करके उत्पादन एवं वितरण पर एकाधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

(vii) नैतिकता की हानि—साख के कारण धन का दुरुपयोग होने लगता है जिससे समाज से जुआखोरी, वेश्यावृत्ति आदि को पोसाहन मिलता है और इससे नैतिक पतन होने लगता है।

(viii) बैंकिंग प्रणाली—देश में बैंकिंग प्रणाली का सुव्यवस्थित ढंग से चलने पर साख का विस्तार हो जाता है, व बैंकिंग प्रणाली का विकास न होने पर साख का विस्तार सम्भव नहीं हो पाता।

साख की सीमाओं को निम्न चार्ट के रूप में रखा जा सकता है:

#### साख की सीमाएं



#### साख का महत्व

साख के आधार पर बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय-विक्रय किया जाता है, जिसमें जोषिम व अन्य असुविधाओं से बचन हो जाती है। व्यापारिक व औद्योगिक विकास में साख का महत्व बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में मनुष्य द्रव्य के स्थान पर धन के युग में रहता है। साख के महत्व को उद्योगों में अधिक बल दिया जाता है। मात्रा मुद्रा प्रणाली में समस्त प्रकार के साख मुद्रा पत्र, मात्रा मुद्रा अधिनियम एवं साख मुद्रा संस्थाएं सम्मिलित की जाती हैं। साख के महत्व को निम्न प्रकार में अभ्यपन किया जा सकता है।

(1) मितव्ययिता—व्यय को पूँजी के रूप में एकत्रित करके साख के आधार पर लाभ अर्जित किया जा सकता

है, जो कि जनता में मितव्ययिता को प्रोत्साहित करके पूँजी निर्माण की दर को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है।

(2) व्यापार की वृद्धि—साख के आधार पर व्यापार एक निरिच्छत अवधि के लिए धन प्राप्त कर लेता है। जिसे वह व्यापारिक कार्यों में लगा देता है, इससे व्यापार की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तथा व्यापारिक क्रियाएँ भी बढ़ जाती हैं।

(3) मूल्यों में स्थिरता—देश में तेजी या मन्दी की आशंका से बैंक पहले से ही साख पर नियन्त्रण करके मूल्यों की घटा-बढी पर नियन्त्रण लगाकर स्थिरता लाने का प्रयास करती है।

(4) दोहरी सेवाएँ—साख के आधार पर विनिमय प्रणाली एवं पूँजीपति प्रणाली के रूप में दोहरी सेवाएँ प्राप्त होती हैं। इनमें देनदार स्वामी न होने पर भी वस्तुओं का पूर्ण उपयोग सरलता से कर सकता है। उदाहरण के लिए अमरीका में कित्त आधार पर कार एवं अन्य वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं जिसका उपयोग व्यक्ति थोड़ी सी ही राशि देकर प्रारम्भ कर सकते हैं।

(5) रोजगार में वृद्धि—साख पूँजी निर्माण दर पर प्रभाव डालकर देश में उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि करता है। मन्दी के समय ऋण का प्रसार करके तथा तेजी के समय साख का संकुचन करके अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाई जा सकती है। साख की सहायता से उत्पत्ति के बेकार पड़े साधनों का उपयोग करके रोजगार की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार उत्पत्ति में वृद्धि करके बचतों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(6) सकट में सहायक—सकट के समय साख पर पर द्रव्य प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से की जा सकती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय सकट के समय या योजनाओं के निर्माण में विदेशों से ऋण लेकर सकट की परिस्थिति को दूर किया जा सकता है।

(7) पूँजी में वृद्धि—बैंकों में विश्वास होने के कारण जनता अपनी छोटी-छोटी बचतों को बैंकों में जमा कर देती है, जिससे बैंक के पास विशाल गोप एकत्रित हो जाते हैं जो व्यापारियों व उद्योगपतियों को साख के रूप में उधार देकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार साख की सहायता से देश में पूँजी का निर्माण हो जाता है, जिसे लाभदायक कार्यों में विनियोग किया जा सकता है।

(8) हस्तान्तरण सुविधाएँ—साख-पत्रों के प्रयोग से एक स्थान से दूसरे स्थान एवं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सरलता से धनराशि का हस्तान्तरण किया जा सकता है। इसमें धन को गिनने व परखने की कठिनाइयाँ बच जाती हैं तथा साख-पत्र को मंगाने व भेजने में भी कम से कम व्यय होगा।

(9) धातु मुद्रा की बचत—साख मुद्रा के प्रयोग के कारण धातु मुद्रा की बिसाई व न्हास आदि की बचत हो जाती है तथा धातु को डालने आदि का व्यय भी कम हो जाता है। साख-पत्रों के प्रसार द्वारा मुद्रा की कमी को पूर्ण किया जा सकेगा।

## साख की हानियाँ

साख की हानियों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है।

(1) फिमूलखर्चों—जब देश में साख के आधार पर वस्तुएँ व सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, जो फिमूलखर्चों को प्रोत्साहित करती हैं।

(2) वर्ग संघर्ष—साख के कारण समाज में दो वर्गों का निर्धारण हो गया है जो एक दूसरे को नीचा बिसाने में व्यस्त रहते हैं। इस प्रकार वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहित मिलता है।

(3) एकाधिकार की स्थापना—साख प्रसार द्वारा देश के बड़े-बड़े पूँजीपतियों को अनेक सुविधाएँ प्राप्त होने लगती हैं जो एकाधिकार की स्थापना करके श्रमिकों के शोषण को प्रोत्साहित करती हैं।

(4) शोषों का छिपाव—साख के आधार पर व्यापारी श्या प्राप्त करके उसे चलाते रहते हैं जिससे व्यापारिक दुर्बलता का पता नहीं चल पाता।

(5) अत्यधिक प्रसार—अधिक लाभ अर्जित करने के लालच में कभी-कभी साख का अत्यधिक प्रसार कर



दिया जाता है, जो व्यापारियों में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को जन्म देकर उसे प्रोत्साहित करती है। उत्पादन अधिक होने पर देश में अधिक सकट उत्पन्न होने के भय बने रहते हैं।

### साख और आर्थिक विकास (Credit and Economic Growth)

वर्तमान युग में आर्थिक विकास में साख का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापार, उद्योग धीमा आदि में साम् के बिना कोई कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता। साख देश के आर्थिक विकास में निम्न प्रकार से योगदान देता है।

(1) चालू पूँजी—उद्योगों की चालू पूँजी का एक महत्वपूर्ण भाग बैंकों से ऋण के रूप में प्राप्त करना होता है।

(2) मजदूरी भुगतान—उद्योग व व्यापार को अनेक बार मजदूरी चुकाने के लिए भी साख का महारा लेना होता है।

(3) अतिरिक्त पूँजी—बड़े पैमाने के उद्योगों को पूँजी अनेक व्यक्तियों से प्राप्त होती है जो प्रबन्धकों की साख पर ही अद्य खरीदे जाते हैं।

(4) व्यापार—आधुनिक व्यापार का ऋय-विश्रय साख के आधार पर ही चलता है। साख बन्द हो जाये तो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

### साख मुद्रा पर नियन्त्रण (Control On Credit Money)

मुद्रा के समान साख मुद्रा ने भी समाज को अनेक बुराईया प्रदान की हैं। साख मुद्रा ने विश्व के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान की है व साथ ही साथ साख मुद्रा ने अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त भी कर दिया है। जैसे 1920-21 का आर्थिक संकट अस्थिर साख मुद्रा का परिणाम था व 1929 की महान् मन्दी का प्रमुख कारण साख मुद्रा का अत्यधिक विस्तार होना था। यदि साख मुद्रा पर नियन्त्रण न रखा जाये तो समाज को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़े। समाज में साख मुद्रा की मात्रा बढ जाने पर सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है जो देश के आर्थिक विकास में रुकावटें उत्पन्न करता है। साख मुद्रा व व्यापार व उद्योग के विकास में भी अस्थिरता उत्पन्न कर देता है तथा समाज में धनी व गरीब दो वर्गों को उत्पन्न कर देता है। अतः साख मुद्रा पर उचित नियन्त्रण लगाना आवश्यक है।

### बैंकों द्वारा साख का निर्माण

देश की विकाश प्रणाली व्यापार तथा उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करके देश के आर्थिक विकास में योगदान देती है, जो कि स्वयं साख निर्माण पर ही सम्भव हो सकता है जो बैंकों द्वारा ही निर्माण की जाती है। प्रत्येक बैंक अपनी नकद जमाओं की कई गुना राशि उधार देकर कई गुना साख का निर्माण करती है। बैंक एक व्यापारिक संस्था होने के कारण अपने लाभ की मात्रा को अधिकतम करने के प्रयत्न करती है और इसके लिए जमाओं को प्राप्त करके तथा ऋण देकर उचित व्यवस्था करती है। बैंक केवल आवश्यक मात्रा में नकदी को अपने पास रखकर शेष राशि को उधार देकर अधिकतम लाभ अर्जित करने के प्रयास करता है। साम् निर्माण का प्रारम्भ जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में अपनी फालतू नकदी को जमा करने से प्रारम्भ होता है। प्रत्येक बैंक अनुभव द्वारा इस बात को ज्ञात कर लेता है कि जमाकर्ता कितनी राशि नकद में प्राप्त कर सकेगा, वह उतनी ही राशि को रखकर शेष राशि साख निर्माण में लगा देती है। इस प्रकार प्रत्येक बैंक की अधिकतम साख निर्माण सीमा जमाकर्ताओं की प्राथमिक जमा की राशि द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध में उधार लेने वाले वर्ग द्वारा साख मुद्रा की वास्तविक मांग को निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार बैंक का कार्य उस समय से प्रारम्भ हो जाता है, जबकि वह जमाकर्ताओं के शेष या प्रयोग करना प्रारम्भ कर देती है। बैंक अपने ही जमाकर्ताओं के रूप में या लेनदेन करती है। साख विस्तार या सञ्चयन में केन्द्रीय बैंक का अधिक महत्त्व होता है। केन्द्रीय बैंक द्वारा

विभिन्न ढंगों से साख पर नियंत्रण लगाया जाता है। भारत में रिजर्व बैंक ही केन्द्रीय बैंक होने के कारण साख नियन्त्रण का कार्य करती है और इसके लिए विभिन्न विभागों की स्थापना की गयी है।

### साख नियन्त्रण की विधियाँ

साख नियन्त्रण की विभिन्न विधियों को केन्द्रीय बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग किया जाता है। साख नियन्त्रण की प्रमुख विधियों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—(1) बैंक दर नीति। (2) खुले बाजार की क्रियायें (3) न्यूनतम कोष विधि। (4) आदेश देना व नैतिक दबाव। (5) प्रचार एवं विज्ञापन। (6) अन्य रीतियाँ—जैसे साख मुद्रा का राशानिय करना, आदेश का पालन न करने पर अनुशासकों को रद्द करना, बैंकों के खातों को समय-समय पर जांच करना आदि।

इन विभिन्न साख नियन्त्रण विधियों का प्रयोग बैंक द्वारा समय-समय पर किया जाता रहा है।

### साख-पत्र (Credit Instruments)

जब कोई ऋण लिया जाता है तो इसके प्रमाण के लिए किसी न किसी प्रकार का लिखित ठहराव किया जाता है तो उसे साख-पत्र कहते हैं। यह साख-पत्र मुद्रा की ही भाँति कार्य करते हैं।

#### प्रकार

साख-पत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जो कि निम्न हैं

(1) चेक (Cheque)—चेक एक शर्तरहित आज्ञा-पत्र है जो किसी बैंक पर लिखा जाता है, जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं तथा जिसमें यह आदेश होता है कि मांग करने पर एक निश्चित धनराशि निश्चित व्यक्ति को या बाहक को दी जाय।

चेक में लेखक, लेखपत्र एवं प्राप्तकर्ता तीन पक्षकार होते हैं। चेक बाहक या आदेशानुसार हो सकता है। बैंक को अधिक सुरक्षित बचाने के लिए उसका रेखांकन कर दिया जाता है। चेक के प्रयोग से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं जैसे शीघ्र भुगतान प्राप्त होना, भुगतान का साध्य होना, स्थानीय भुगतान में सुविधा, न्यूनतम व्यय पर धन का हस्तांतरण सम्भव, मुद्रा के प्रयोग की बचत, एवं भुगतान की सुरक्षा बचने रहना।

(2) हुण्डी (Hundi)—हुण्डी भारतीय जित ऑफ एनसर्ज कहलाते हैं, जिसका प्रयोग प्रायः व्यापारी एवं महाजन आदि करते हैं। हुण्डी कई प्रकार की होती है जैसे—देखनहार हुण्डी, नामजोग हुण्डी, साहजोग हुण्डी एवं फरमानजोग हुण्डी। हुण्डी को बोलिमी एवं जिकरी चिट्ठी के रूप में भी विभाजित किया जा सकता है। इसका प्रयोग भारत में बहुतायत से किया जाता है तथा इसका प्रचलन अधिक लोकप्रिय है।

(3) ऋण स्वीकृति (I. O. U.)—यह ऋण प्राप्त करने की एक लिखित स्वीकृति है, जिसमें लेखक इस बात को स्वीकार करता है कि उसने पत्र में लिखी राशि को ऋण के रूप में प्राप्त किया है। इसमें देनदार का नाम, धनराशि, व तिथि के साथ हस्ताक्षर करना आवश्यक है, इसमें भुगतान की तिथि नहीं दी जाती है।

(4) बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft)—यह एक प्रकार का बैंक होता है जो एक बैंक अपनी अन्य किसी स्थान पर स्थित शाखा के नाम लिखता है जिसमें यह आदेश होता है कि ड्राफ्ट में लिखे व्यक्ति या उसके आदेशानुसार व्यक्ति या धारक को लिखित राशि का भुगतान कर दिया जायें। एक स्थान से दूसरे स्थान को धन भेजने के लिए प्रायः ड्राफ्ट का ही उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में ऋणों के भुगतान में ड्राफ्ट का उपयोग ही बहुतायत से किया जाता है।

(5) प्रण-पत्र (Promissory Note)—यह एक शर्तरहित लिखित पत्र होता है, जिसमें लेखक किसी अन्य व्यक्ति को या उमके बाहक को माँगने पर एक निश्चित धनराशि चुकाने का वचन देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा शाख विधे गये नोट इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। इसमें लेखक व प्राप्तकर्ता केवल दो ही पक्ष होते हैं। यह प्रण-पत्र

अनेके या संयुक्त रूप में हो सकते हैं।


(6) बिल (Bill of Exchange)—विनिमय बिल चर्चरहित एक लिखित आज्ञापत्र होता है, जिसमें लिखने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष को यह आज्ञा देता है कि एक निश्चित घनराशि स्वयं को या उसकी आज्ञानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या पत्र के बाहक को मायने पर एक निश्चित अवधि के पश्चात् चुका दी जाये।

इनमें सेखन, लेखपात्र तथा प्राप्तकर्ता तीन पञ्चकार होते हैं। बिल अनेक प्रकार के होते हैं जैसे बाहक या आज्ञानुसार बिल, देशी या विदेशी बिल, मियादी या दर्शनी बिल, व्यापारिक या अनुग्रह बिल आदि। बिलों के अनेक लाभ होते हैं जैसे—(i) विदेशों से भुगतान भेजने का एक सरल व सस्ता माधन है, (ii) यह ऋणी को एक लिखित स्वीकृति होती है, (iii) इनसे व्यापार के विकास को काफी प्रोत्साहन प्राप्त होता है, (iv) ऋणी को भुगतान की विधि का स्पष्ट ज्ञान बना रहता है, (v) परिपक्वता से पूर्व भुगतान पाने पर उसे किसी बैंक या व्यापारी से छूट पर भुनाया जा सकता है, (vi) ऋण का भुगतान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सरलता से हस्तांतरित किया जा सकता है।

(7) दीर्घकालीन साख-पत्र (Long-Term Credit Instruments)—दीर्घकालीन साख-पत्रों में बौन्ड या ऋणपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों एवं कर्गनियों के बंधों को सम्मिलित किया जा सकता है।

(8) विनिमयसाध्य साख-पत्र (Negotiable Credit Instruments)—ऐसे साख-पत्र जिनका स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को केवल सुसुदंगी देने या बेचान करने से हस्तांतरित हो जाये तो उसे विनिमयसाध्य साखपत्र कहेंगे। इनकी 4 विशेषतायें होती हैं जैसे—(i) मयाविधिधारी को दोषरहित अधिकार प्राप्त होना, (ii) धारी को अपने नाम से मुकद्मा चलाने का अधिकार, (iii) केवल हस्तांतरण या बेचान द्वारा हस्तांतरण का अधिकार होना, (iv) प्रतिफल देने का अनुमान लगाना आदि। यह दो वर्षों में रहे जाते हैं जैसे प्रचलित चलन के साख-पत्र एवं कालूनी साख-पत्र।

साख-पत्रों के विभिन्न रूपों को निम्न चाटें द्वारा दिखाया जा सकता है :




## केन्द्रीय बैंक-व्यवस्था (CENTRAL BANKING)

**प्रारम्भिक—**विश्व के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रों में मौद्रिक एवं वित्तीय प्रणाली को उचित ढंग से चलाने में केन्द्रीय बैंक का महत्वपूर्ण स्थान है। केन्द्रीय बैंक की सहायता से सरकार की प्रशुल्क नीति के सफल संचालन करने एवं अर्थ-तंत्र को सुचारु रूप से चलाने में केन्द्रीय बैंक का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय बैंक की क्रियाओं में व्यापक परिवर्तन हो गये हैं जिससे देश के आर्थिक विकास में इनका योगदान बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान समय में केन्द्रीय बैंक को देश में आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार माना गया है।

विश्व का सर्वप्रथम केन्द्रीय बैंक 1656 में स्वीडेन में निजी पूंजी की सहायता से रीक्स बैंक के नाम से स्थापित किया गया था। इस बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार होने पर भी 1830 के बाद राष्ट्र की प्रमुख व्यापारिक बैंकों ने नोट निर्गमन का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। अतः 1897 में रीक्स बैंक को ही विधान पारित करके नोट निर्गमन का एकाधिकार सौंप दिया गया। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से केन्द्रीय बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक प्रारम्भ में ही संसदीय विधान द्वारा स्थापित किया गया था जिसे नोट निर्गमन के भी अधिकार सौंपे गये। इसके उपरान्त विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी केन्द्रीय बैंक की स्थापना की गई जैसे 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस, 1814 में नोडरलैंड बैंक, 1816 में बैंक ऑफ नार्वे, 1860 में बैंक ऑफ हस, तथा 1875 में रीज़ बैंक ऑफ जर्मनी की स्थापना हुई। वास्तव में केन्द्रीय बैंक व्यवस्था का सूत्रपात 20वीं शताब्दी में ही प्रारम्भ हुआ जबकि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में केन्द्रीय बैंकों की स्थापना 1900 के पश्चात् ही हुई। जैसे अमरीका में फ़ेडरल रिज़र्व सिस्टम (Federal Reserve System) की स्थापना 1913 व कनाडा बैंक 1934 में स्थापित किया गया।

स्थापना के कारण

### केन्द्रीय बैंक की स्थापना के कारण



विश्व में 1940 के पश्चात् अधिकांश राष्ट्रों में केन्द्रीय बैंक की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख कारण निम्न हैं :

(i) वित्तीय समस्याएं—युद्धोत्तरकाल में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समस्याएं इतनी जटिल हो गई थी कि आपसी वित्तीय सम्बन्ध बनाये रखने के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लेनदेन करने के लिए केन्द्रीय बैंक का निर्माण करना आवश्यक समझा गया।

(ii) मुद्रा का नियमन—वित्त में स्वर्णमान की समाप्ति से मुद्रा में स्वयं संचालकता का गुण समाप्त हो गया था, अतः ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया जो मुद्रा का उचित ढंग से नियमन व नियंत्रण कर सके।

(iii) स्वतन्त्रता—1940 के पश्चात् एशिया एवं अफ्रीका के अनेक राष्ट्रों को राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई,


जिन्होंने अपनी मुद्रा एवं बैंक व्यवस्था के उचित संचालन के लिए केन्द्रीय बैंक की स्थापना आवश्यक समझी।

(iv) उचित मार्ग दर्शन—एक वर्षों में प्रायः सभी राष्ट्रों में बैंको का अत्यधिक विकास हुआ तथा बैंकिंग कार्यवाहियों में अधिक जटिलता उत्पन्न हो गई। अतः बैंकों के कार्यों के उचित मार्गदर्शन एवं पूर्ण नियमन व नियन्त्रण के लिए उन राष्ट्रों में केन्द्रीय बैंक की स्थापना करना अनिवार्य एवं आवश्यक समझा गया तथा विभिन्न राष्ट्रों में केन्द्रीय बैंक की स्थापना हुई।

केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता (Need for a Central Bank)

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् राष्ट्रीयता की भावना एवं राजकीय नियन्त्रण उत्पन्न होने से केन्द्रीय बैंकिंग के विकास को अधिक महत्त्व दिया गया। 1920 में ब्रूसेल्स में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त सम्मेलन हुआ, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना का मुद्दा रखा गया, जो विभिन्न बैंकों के पथ-प्रदर्शन का कार्य कर सके। सम्मेलन में प्रस्ताव पारित होने के 30 वर्षों की अल्पाधि में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में केन्द्रीय बैंक का तीव्र गति से विकास हुआ। 1920 से 1937 तक लगभग प्रति वर्ष विश्व के किसी न किसी राष्ट्र में केन्द्रीय बैंक की स्थापना होती रही। प्रत्येक राष्ट्र में केन्द्रीय बैंक की स्थापना करना निम्न कारणों से आवश्यक समझा गया।

केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता के कारण



(i) मुद्रा सम्बन्धी कार्य—देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन विभिन्न बैंको द्वारा किया जाता था, जिसमें विभिन्न प्रकार के नोट निर्गमित किये जाते थे तथा उनकी नीतियों में एक-रूपता का अभाव पाया जाता था। नोट निर्गमन में असमानता उत्पन्न होकर आवश्यकता का ध्यान नहीं रखा जाता था। अतः यह आवश्यक समझा गया कि मुद्रा सम्बन्धी समस्त कार्य किसी एक बैंक द्वारा किया जाना चाहिए, जो देश की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य का संचालन करके नोट निर्गमन की उचित व्यवस्था कर सके।

(ii) मुद्रा व साख का नियन्त्रण—मुद्रा व साख की मात्रा का प्रभाव राष्ट्र के विभिन्न उद्योगों व व्यापार पर पड़ता है। अतः व्यापार व उद्योग पर नियन्त्रण लगाने के लिए मुद्रा व साख पर नियन्त्रण लगाना होगा, जो कि केन्द्रीय बैंक द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

समन्वय साने हेतु—देश में विभिन्न प्रकार के बैंक व्यापार एवं उद्योगों का अर्थ-प्रबन्धन करते हैं, जिनमें किसी प्रकार का समन्वय न होने के कारण वह देश की आर्थिक व्यवस्था को खतरे में डाल देते हैं। अतः इन समस्त बैंकों में आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए केन्द्रीय बैंक की स्थापना करना आवश्यक समझा गया।

परिभाषा

केन्द्रीय बैंक की प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं :

(1) बैंक ऑफ इण्डियन नेशनल सेंट्रल बैंक—“किसी भी राष्ट्र में केन्द्रीय बैंक वह बैंक है, जिसे देश में मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियमन करने का दायित्व सौंप दिया गया हो।”<sup>1</sup>

(2) प्रो० केन्ट—“यह एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित की जा सकती है, जिसे सामान्य जनकल्याण के हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार एवं संकुचन को प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व होता है।”<sup>2</sup>

इस प्रकार केन्द्रीय बैंक साख एवं मुद्रा का देश के हित में नियमन करता है, मुद्रा के बाह्य मूल्य का नियन्त्रण

1. “A central bank is the bank in any country to which has been entrusted the duty of regulating the volume of currency and credit in the country.”—Bank for International Settlements

2. “It may be defined as an institution charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of the general public work.”

—Money and Banking, p. 351

व्यवस्थापन करता तथा उत्पादन, व्यापार मूल्य एवं रोजगार के उन्नायचर्चों को रोकता है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो देश की मौद्रिक, साख एवं वैश्विक व्यवस्था का निर्देशन एवं नियमन करती है तथा देश की आर्थिक प्रगति में योग देती है। केन्द्रीय बैंक द्वारा पर्याप्त मात्रा में मुद्रा चलन में आनी जाती है, साख की मात्रा का नियमन किया जाता है तथा वैश्विक व विदेशी विनिमय व्यवस्था पर नियन्त्रण रखा जाता है।


**उचित परिभाषा—**केन्द्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो देश की मौद्रिक, वैश्विक एवं साख-व्यवस्था का नियमन एवं निर्देशन इस ढंग से करती है कि उसके देश की आर्थिक प्रगति उचित ढंग से सम्भव हो सकें।

### केन्द्रीय बैंक व व्यापारिक बैंक में अन्तर

यह अन्तर निम्न प्रकार है

- (i) नीति का अन्तर—राष्ट्र की मौद्रिक नीति प्रतिकूल होने पर केन्द्रीय बैंक एक उचित नीति अपनाकर उसे सुधारने की चेष्टा करता है, जबकि व्यापारिक बैंक ऐसी नीति नहीं अपना सकता।
- (ii) राजनीतिक प्रभाव—केन्द्रीय बैंक निष्पक्ष रूप से बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के कार्य करता है, जबकि व्यापारिक बैंकों के कार्यों पर राजनीतिक दलों का प्रभाव पड़ता है।
- (iii) उद्देश्य का अन्तर—केन्द्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य देश में आर्थिक स्थिरता स्थापित करना होता है तथा लाभ कमाना उसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता। इसके विपरीत व्यापारिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है तथा आर्थिक स्थिरता की स्थापना से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता।
- (iv) अन्तिम ऋणदाता—आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय बैंक अन्तिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है।
- (v) मुद्राचलन अधिकार—मुद्रा चलन पर केन्द्रीय बैंक का एकाधिकार होता है, जबकि व्यापारिक बैंकों को ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते।

### केन्द्रीय बैंक के कार्य (Functions of Central Bank)



डॉ० डी० कोक (De Kock) ने केन्द्रीय बैंक के निम्न कार्य बताये हैं :

- (1) नोट निर्गमन का एकाधिकार (Monopoly of Note Issue)
- (2) अनुसूचित बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक (Custodian of Cash Reserves of Scheduled Banks)
- (3) अन्तिम ऋणदाता (Lender of Last Resort)
- (4) साख का नियंत्रण (Control of Credit)
- (5) सरकारी बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार (Government Banker, Agent and Advisor)
- (6) अन्तर्राष्ट्रीय करेंसी का संरक्षक (Custodian of International Currency)
- (7) रातों का समायोजन व स्थानान्तरण (Bank of Clearance and Transfer)

### (1) नोट निर्गमन का एकाधिकार

प्रत्येक राष्ट्र में नोटों के निर्गमन का एकमात्र अधिकार केन्द्रीय बैंक को प्राप्त होता है तथा किसी अन्य बैंक को नोट निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। विश्व के कुछ राष्ट्रों में तो केन्द्रीय बैंक की स्थापना ही नोट निर्गमन के लिए की गई। अधिकृत एवं विनामसील राष्ट्रों में नोट निर्गमन का महत्त्व बढ़ जाने से बैंक-व्यवस्था का विनोद विकास

हुमा है व विकसित राष्ट्रों में बैंक निक्षेप का महत्त्व बढ़ता जा रहा है।

नोट निर्गमन एकाधिकार के गुण—केन्द्रीय बैंक को ही नोटों के निर्गमन का कार्य सौंपने से निम्न लाभ प्राप्त होते हैं—

(i) जनता का विश्वास—केन्द्रीय बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार देने से जनता के विश्वास में वृद्धि सम्भव हो जाती है।

(ii) व्यापारिक आवश्यकतायें—देश की व्यापारिक आवश्यकताओं से निकट का सम्पर्क रहने के कारण केन्द्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सकता है।

(iii) निर्गमन में एकरूपता—नोट निर्गमन का अधिकार केवल केन्द्रीय बैंक को देने से निर्गमन में एकरूपता व समानता आ जाती है।

(iv) ऋतियों पर नियन्त्रण—इससे सरकार को नोट निर्गमन के सम्बन्ध में ऋतियों पर नियन्त्रण रखने में सरलता हो जाती है।

(v) लाभ से सुविधा—केन्द्रीय बैंक को लाभो पर कर लगाकर नोट निर्गमन के लाभो को प्राप्त करने में सुविधा रहती है।

(vi) स्थिरता—केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आन्तरिक एवं बाह्य कीमत में स्थिरता स्थापित की जा सकती है।

(vii) नियन्त्रण समस्या का समाधान—केन्द्रीय बैंक को एकाधिकार देने से नियन्त्रण की समस्या मूलभूत जाती है तथा साथ मुद्रा के विस्तार को भीमित कर दिया जाता है।

(viii) नियमन व नियन्त्रण—मुद्रा स्फीति के भय से बचने के लिए निर्गमित राशि का एक निश्चित प्रतिशत भाग स्वर्ण कोष में रख दिया जाता है जिससे नोट निर्गमन की मात्रा का उचित ढंग से नियमन व नियन्त्रण किया जा सके।

## (2) अनुसूचित बैंको के नकद कोषों का संरक्षण

इंग्लैण्ड के केन्द्रीय बैंक की प्रारम्भिक काल से ही व्यापारिक एवं वैकिंग क्षेत्र में बहुत ऊँची साख थी। इसी कारण इंग्लैण्ड के अधिकांश बैंको ने अपने छोटे बैंक ऑफ इंग्लैण्ड में खोले तथा आपत्ति के समय बैंक आफ इंग्लैण्ड से उपयुक्त राशि उधार ले लेते थे। अतः व्यापारिक बैंक स्वेच्छा से केन्द्रीय बैंक में राशि जमा कर देते थे और इस स्वस्थ परम्परा को बमरीका में 1913 में वैधानिक रूप दे दिया गया। इसे अन्य देशों ने भी अपनाता प्रारम्भ कर दिया। केन्द्रीय बैंक का देश की अन्य बैंको से लगभग उसी प्रकार का सम्बन्ध रहता है जैसा कि एक साधारण बैंक का अपना ग्राहको से होता है। इस कारण इसे बैंको का बैंक कहा जाता है, तथा इसके पास सदस्य बैंको के नकद कोषों का एक भाग जमा के रूप में रहता है, जिससे इसे सुरक्षित कोषों का रक्षक कहा जाता है और जो देश की वैकिंग एवं साख प्रणाली को सुदृढ़ बनाती है।

लाभ—इस प्रकार की व्यवस्था के प्रमुख लाभ निम्न हैं :

(i) साख नीति का नियन्त्रण—केन्द्रीय बैंक को व्यापारिक बैंकों के साथ निर्माण नीति को नियन्त्रित करने के अवसर प्राप्त होते हैं।

(ii) नकद कोष में मितव्ययिता—बैंको का घापसी लेन-देन केन्द्रीय बैंकों के द्वारा होने से मुद्रा का प्रयोग न्यूनतम मात्रा में किया जाता है, जिससे नकद कोषों के उपयोग में मितव्ययिता लाई जा सकती है।

(iii) कोष का सदुपयोग—व्यापारिक बैंकों के पास बड़ी मात्रा में कोष बँधा नहीं रहता जिससे सकट के समय उसका सदुपयोग सरलता से किया जा सकता है।

(iv) व्यावसायिक परामर्श—केन्द्रीय बैंक अन्य बैंको के मित्र एवं मार्गदर्शक का कार्य करके, उन्हें समय-समय पर व्यावसायिक परामर्श भी प्रदान करता है।

(v) समाशोधन का कार्य—प्रायः सभी बैंको के खाने केन्द्रीय बैंक में होने के कारण उन बैंकों के समस्त लेन-देन का समाशोधन भी सरलता से किया जा सकता है।

दोष—इस व्यवस्था के प्रमुख दोष निम्न हैं :

(i) तरल कोषों में कमी—इस व्यवस्था में बैंको के तरल कोषों में कमी आ जाती है तथा यह मूल सम्पत्ति के समान पड़ी रहती है जिससे बैंक अन्य कार्यों में उपयोग नहीं कर पाते।

(ii) ब्याज की हानि—इन कोषों पर व्यापारिक बैंकों को ब्याज का भुगतान करना होता है, जिसमें उसे ब्याज की हानि सहन करनी पड़ती है।

### (3) अंतिम ऋणदाता

व्यापारिक बैंकों के ग्राहकों द्वारा अधिक मात्रा में उधार मागने पर केंद्रीय बैंक से सहायता प्राप्त की जाती है और इन प्रकार वह अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। यह सहायता दो ढंगों से की जा सकती है जो निम्न हैं—

(i) प्रतिभूति पर ऋण—केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को धरोहर के रूप में रखकर एक वर्ष की अवधि के लिए ऋण की व्यवस्था की जाती है, जिसमें किसी प्रकार की कोई जोखिम भी नहीं रहती है। इन सरकारी प्रतिभूतियों को किसी भी समय बाजार में बेचा जा सकता है।

(ii) पुनर्कंठीती सुविधा—व्यापारी द्वारा उधार भाल खरीदने पर वह विनैता को प्रायः 91 दिन का बिल स्वीकार करके दे देता है। विनैता इस बिल को तत्काल अपने बैंक से भुना लेता है। व्यापारिक बैंक उल बिल को आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक से पुनर्कंठीती करके पन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक द्वारा पूंजी की कमी को दूर किया जाता है व साथ को प्रोत्साहन मिलता है व व्यवसाय में वृद्धि होती है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में सुविधायें देकर व्यापारिक बैंकों को सहायता प्रदान करते हैं।

### (4) साख का नियंत्रण

साख नियमन व नियंत्रण को ही केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य माना जाता है। साख नियंत्रण का उपयोग विनिमय दरों में स्थिरता लाने एवं प्रातरिक मूल्य स्थायित्व के लिए उपयोग किया जाता है। मूल्यों का प्रभाव देश की प्रातरिक व्यवस्था के प्रतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ता है। इस कार्य को केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता रहा है। भारत में रिजर्व बैंक अधिनियम के प्राधार पर यह कहा जाता है कि 'बैंक का प्रमुख कार्य बैंक नोटों के निर्गमन को नियंत्रित करना है तथा देश-हित के लिए मुद्रा एवं साख पद्धति को संचालित करने तथा भारत में मौद्रिक स्थिरता लाने के उद्देश्य से साधनों को रखा जाता है।'<sup>1</sup>

सफलता के मूल तत्व—साख नियंत्रण की सफलता के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है—

(i) केंद्रीय बैंक का प्रभाव—देश की व्यापारिक बैंकों पर केंद्रीय बैंक का यथेष्ट प्रभाव होना चाहिए, जिससे उनकी क्रियाओं पर उचित नियंत्रण लगाया जा सके।

(ii) व्यापक अधिकार—केंद्रीय बैंक के पास साख नियमन के व्यापक अधिकार होने चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर साख का विस्तार या संकुचन किया जा सके।

साख नियमन के उद्देश्य—साख नियमन के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं :—

(i) प्रातरिक मूल्य स्थायित्व व विनिमय दर में स्थायित्व—साख नियमन का उद्देश्य देश में प्रातरिक मूल्यों में स्थायित्व लाने का होना चाहिए तथा इसके लिए उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए समन्वयात्मक नीति अपनानी चाहिए।

(ii) रोजगार की उचित व्यवस्था—साख नियमन का उद्देश्य देश में रोजगार को उचित व्यवस्था करना

1. "The main function of the bank is to regulate the issue of the Bank notes and the keeping of resources with a view to recurring monetary stability in India generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage."

— Reserve Bank of India Act 1934.



होना चाहिए जिसमें रोजगार समस्या को हल किया जा सके।

(iii) **धार्मिक विकास**—साख नियमन का उद्देश्य देश का धार्मिकाधिक धार्मिक विकास करना चाहिए, क्योंकि विनिमय स्थिरता, मूल्य-स्तर, संपूर्ण रोजगार आदि में अत्यंत घनिष्ठ एवं गहरे संबंध बने रहते हैं तथा एक-दूसरे में समन्वय स्थापित करके ही उचित ढंग से विकास लाया जा सकता है। इस संबंध में मौद्रिक नीति के साथ-साथ प्रत्यक्ष नीति का भी समुचित सहयोग प्राप्त होना आवश्यक होगा।

#### (5) सरकारी बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार

व्यक्तियों एवं अन्य व्यापारिक संस्थाओं की भांति सरकार को भी बैंक की सेवाओं की आवश्यकता होती है। सरकार प्रति वर्ष जनता से कर व अन्य भाय के रूप में धन प्राप्त करके उसे प्रशासन व जनकल्याण पर व्यय करती है और इसका हिसाब-किताब रखना एक जटिल समस्या माना जाता है। इसके विपरीत विदेशों से भी अनेक प्रकार के लेन-देन चलते रहते हैं। अतः इन समस्त कार्यों को करने के लिए एक ऐसी बैंक की सेवाओं की आवश्यकता होती है जिसकी माहिरा देश व विदेशों में फैली हो। इन समस्त सेवाओं को केंद्रीय बैंक द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है जो सरकार के लिए समस्त प्रकार की वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करता है।

सलाहकार के रूप में कार्य—केंद्रीय बैंक सरकारी बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में निम्न ढंग से कार्य करता है :—

(i) **ऋण व्यवस्था**—आवश्यकता पड़ने पर सरकार को केंद्रीय बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋण दिए जाते हैं।

(ii) **सरकारी हिसाब**—यह बैंक विभिन्न विभागों के सरकारी हिसाबों को तथा उनके खातों को उचित ढंग से रखता है।

(iii) **धन जमा करना**—यह बैंक सरकार के हिसाब में धन जमा करता है।

(iv) **मुद्रा का हस्तांतरण**—यह बैंक सरकार की ओर से धन का हस्तांतरण सुविधापूर्वक बना देता है।

(v) **मुद्रा सौदे**—इस बैंक द्वारा देश-विदेश में सरकार की ओर से मौद्रिक सौदे किए जाते हैं।

(vi) **विस्तीय परामर्श**—इस बैंक द्वारा समय-समय पर विस्तीय मामलों पर उचित परामर्श ली जाती है जो बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति को सफल बनाने में सहायता प्रदान करता है।

(vii) **ऋण की व्यवस्था**—सरकार द्वारा जारी किए गए समस्त ऋणों की उचित व्यवस्था करके हिसाब-किताब आदि को उचित ढंग से रखा जाता है।

(viii) **ऋण का भुगतान**—सरकार की ओर से जारी किए गए ऋणों व उस पर ब्याज के भुगतान की व्यवस्था इसी बैंक द्वारा की जाती है।

(ix) **सरकारी माल का क्रय-विक्रय**—यह बैंक सरकारी माल एवं विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करता है।

(x) **संकट काल**—यह बैंक संकट काल में असाधारण ऋण की व्यवस्था करके सहायता प्रदान करता है।

(xi) **सरकारी हिसाब रखना**—यह बैंक सरकार की समस्त भाय को प्राप्त करके उसके व्ययों की भी चुकाता है।

अतः यह स्पष्ट है कि केंद्रीय बैंक सरकार की धर्मनीति के निर्धारण तथा संचालन में बुद्धि, धर्म तथा धन-राशि से सहायक सिद्ध होता है।

#### (6) अंतर्राष्ट्रीय करेंसी का संरक्षक

1929 की विदवन्दी के पश्चात् विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से विनिमय समानीकरण कोष (Exchange Equalisation Account) की स्थापना की गई, जिन्के संचालन का भार केंद्रीय सरकार को सौंपा गया। अर्थात् की जाने वाली समस्त विदेशी मुद्रा को इन कोषों में जमा कर दिया जाता है तथा उसकी आवश्यकता होने पर उचित प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक देश के विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक के

रूप में कार्य करता है। विदेशों में ढूँढाबासी के व्यय के लिए भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है व ग्रन्थ धामवीय एवं व्यावसायिक कार्यों के लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी व्यवस्था केंद्रीय बैंक द्वारा ही की जाती है। देश की मुद्रा की दर को स्थिर रखने के उद्देश्य में भी विदेशी विनिमय कोषों को सुरक्षित रखा जाता है। इसके प्रतिरिक्त केंद्रीय बैंक को यह भी अधिकार होता है कि वह देश की विदेशी विनिमय की समस्त आय को अपने ही नियंत्रण में रखे, जिसमें उसे सुविधापूर्वक कार्य में लपाया जा सके। विदेशी विनिमय कोष पर्याप्त मात्रा में होने से विदेशों में उचित साल बनी रहती है।

### (7) खातों का समाशोधन व स्थानांतरण

देश में प्रत्येक बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक में कुछ धन जमा किया जाता है। अतः इन बैंकों के पारस्परिक लेन-देन को नकद में भुगतान न करके केंद्रीय बैंक की सहायता से समाशोधन की सहायता से पूर्ण कर लेते हैं प्रयात् श्रेणी बैंक अपने लेनदार बैंक को एक बैंक केंद्रीय बैंक के नाम में दे देना है, जो केंद्रीय बैंक खाते में जमा व श्रेणी के खाते में नाम लिखकर समाशोधित व्यवहार कर दिया जाता है। प्रत्येक बैंक के पास दूसरे बैंकों पर लिखे बैंक जमा प्रादि के लिए खाते रहते हैं। अतः केंद्रीय बैंक ऐसी व्यवस्था करता है कि एक स्थान के समस्त बैंक के प्रतिनिधि बैंक एक स्थान पर एकत्रित होकर प्रत्येक बैंक की लेनदारी एवं देनदारी का एक सामूहिक विवरण-पत्र तैयार कर लेता है, जिस पर प्रतिनिधियों की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त विवरण को केंद्रीय बैंक को भेज दिया जाता है। केंद्रीय बैंक इन विवरण के आधार पर विभिन्न बैंकों के खातों को नामों व जमा कर दिया जाता है। इस प्रकार बिना नकद भुगतान किए समाशोधन गृह की सहायता से नामों के लेन-देन का निपटारा सरलता से हो जाता है।

लाभ—समाशोधन व्यवस्था के प्रमुख लाभ निम्न हैं :—

(i) कम मुद्रा की आवश्यकता—इस व्यवस्था में समस्त बैंकों के लेन-देन के लिए कम मुद्रा की आवश्यकता होती है तथा उक्त अन्य कार्यों में प्रयोग किया जा सकेगा।

(ii) धन की बचत—बैंकों के समस्त लेन-देन एवं व्यवहारों में बहुत-सा धन बच जाता है जिसे बैंक स्वयं अन्य कार्यों में उपयोग कर सकता है।

(iii) घनिष्ठ संबंध—समाशोधन के लिए एकत्रित होने पर बैंक कर्मचारियों के माध्यम से बैंकों में आपस में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है जिससे समान प्रकार की नीतियों के निर्माण में सहायता प्राप्त होती है।

(iv) धनराशि का हस्तांतरण—केंद्रीय बैंक अपने समस्त सदस्य बैंकों को धन के हस्तांतरण की सुविधाएं प्रदान करता है तथा ये सेवाएं निःशुल्क दी जाती हैं। इससे धन का सुविधापूर्वक व शीघ्रता से हस्तांतरण संभव हो जाता है।

केंद्रीय बैंक पर प्रतिबंध—केंद्रीय बैंक के निम्न कार्यों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं :—

बैंकिंग कार्यों पर प्रतिबंध—केंद्रीय बैंक देश में साधारण व्यापारिक बैंकिंग के कार्य नहीं कर सकता है तथा वह (प) धन संरक्षण पर श्रेण नहीं दे सकता, (ब) भिगाहो बिल न तिन सकता है और न स्वीकार कर सकता है, (ग) किसी को धरिष्ठ श्रेण प्रदान नहीं कर सकता, (द) जमाओं पर ब्याज नहीं दे सकता, (इ) कितों भी कंपनी के धन नहीं खरीद सकता, एवं (फ) व्यापार व वाणिज्य में भाग नहीं ले सकता।

### साल नियंत्रण के उद्देश्य (Objects of Credit Control)

मुद्रा पर नियंत्रण प्रत्यक्ष माना जाता है जिसे केंद्रीय बैंक जनता को नोटों का निर्गमन करके स्वयं ही नियंत्रित करता है तथा आवश्यकतानुसार इसकी मात्रा में कमी या वृद्धि कर देता है। परंतु आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में मुद्रा के प्रतिरिक्त अन्य धनिक कार्य साध मुद्रा द्वारा किए जाते हैं, जिन पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। वर्तमान समय में साध मुद्रा का नियंत्रण व नियंत्रण करना ही केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य माना जाता है। इस प्रकार प्रचलित मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण रखने के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि बैंक जमा का भी उचित नियमन किया जाए।

## उद्देश्य

देश की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुरूप साख की पूर्ति का समायोजन करना ही साख नियंत्रण कहलाता है। साख नियंत्रण के विभिन्न उद्देश्यों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

## साख नियंत्रण के उद्देश्य

- |                 |                   |                             |                            |                     |                         |              |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| मूल्य स्थायीकरण | सस्ती ऋण सुविधाएं | व्यापारिक दशाओं में स्थिरता | मुद्रा बाजार में स्थायित्व | संतुलन स्थापित करना | विनिमय दर में स्थायित्व | पूर्ण रोजगार |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
- (i) मूल्य स्थायीकरण—देश में वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण नीति द्वारा मूल्यों में स्थायित्व लाता है।
- (ii) सस्ती ऋण सुविधाएं—केंद्रीय बैंक की साख नीति द्वारा सरकार को विभिन्न विकास योजनाओं के लिए सस्ते दर पर ऋण की व्यवस्था करनी होती है।
- (iii) व्यापारिक दशाओं में स्थिरता—साख नीति का उद्देश्य देश में व्यापार व वाणिज्य को बढ़ाकर व्यापारिक दशाओं में सुधार करके स्थिरता लाना है।
- (iv) मुद्रा बाजार में स्थायित्व—साख नीति का उद्देश्य मुद्रा बाजार में स्थायित्व लाना है जिसके लिए आवश्यकतानुसार साख का प्रसार व संकुचन किया जाता है।
- (v) संतुलन स्थापित करना—देश में साख नीति की सहायता से राष्ट्रीय भ्रमंभवस्था के विभिन्न भागों एवं देश-विदेश की दशाओं के मध्य उचित संतुलन स्थापित करना चाहिए।
- (vi) विनिमय दर में स्थायित्व—प्रारंभ में केंद्रीय बैंक की साख मुद्रा का उद्देश्य विनिमय दर में स्थायित्व लाना था व साथ ही साथ घांतरिक मूल्य स्तर में भी स्थिरता लाना आवश्यक समझा गया।
- (vii) पूर्ण रोजगार—द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् साख नीति का उद्देश्य बेरोजगारी को समाप्त करके देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना था जिससे देश का शीघ्रता से आर्थिक विकास संभव किया जा सके।

## आवश्यकता

विश्व के विभिन्न राष्ट्रों का आर्थिक विकास साख मुद्रा के आधार पर ही संभव हो पाया है, परंतु साथ ही साथ इससे भ्रमंभवस्था अस्त-व्यस्त भी हो गई है और इसी कारण 1920-21 में आर्थिक संकट एवं 1929 में विश्व की महान् मंदी का सामना करना पड़ा। इस प्रकार साख मुद्रा पर नियंत्रण न रखने से विश्व की आर्थिक भ्रमंभवस्था को अनेक प्रकार की बड़बुदायों का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार "मुद्रा मानव जाति के लिए अनेक सुखों का साधन है, नियंत्रण के अभाव में भ्रमंसाधन एवं मुसीबतों का कारण भी बन जाती है।" उसी प्रकार यदि साख मुद्रा पर नियंत्रण न लगाया गया तो उससे देश की भ्रमंभवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देश में साख मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाने पर देश में मट्टेबाजी की प्रोत्साहन मिलता है, फलस्वरूप देश के आर्थिक विकास में अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। इसी प्रकार व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के विकास में साख मुद्रा अनेक प्रकार की आर्थिक स्थिरता उत्पन्न कर देती है। साख-मुद्रा ने समाज को धनी एवं गरीब दो वर्गों में विभाजित कर दिया है जिसने बगैरे सपनें को जन्म दिया है। इस प्रकार देश की भ्रमंभवस्था को विकसित करने एवं देश के आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक माना गया है कि साख मुद्रा पर उचित नियंत्रण लगाया जाए तथा उसका उचित ढंग से नियमन करना भी आवश्यक है।

1. "Money, which is a source of many blessings to mankind, becomes also, unless we can control it, a source of peril and confusion."—D. H. Robertson : Money.

## साख नियंत्रण की रीतियाँ (Instruments of Credit Control)

बैंकों की साख निर्माण दायित्व का उचित नियंत्रण करने के लिए यह आवश्यक है कि उनके मकद कोषों का उचित नियंत्रण किया जाए। साख नियंत्रण को दो भागों में रखा जा सकता है—

### (अ) परिमाणात्मक नियंत्रण (Quantitative Controls) :

इसमें निम्न रीतियों को सम्मिलित करते हैं—

- (1) बैंक दर (Bank Rate)
- (2) न्यूनतम कोष दर (Minimum Reserve Ratio)
- (3) तरलता अनुपात (Liquidity Ratio)
- (4) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)


### (ब) गुणात्मक नियंत्रण (Qualitative Controls) :

इसमें निम्न रीतियों को सम्मिलित करते हैं—

- (5) चूना साख नियंत्रण (Selective Credit Controls)
- (6) प्रचार व्यवस्था (Publicity Arrangement)
- (7) साख नियंत्रण (Credit Rationing)
- (8) नैतिक प्रभाव (Moral Persuasion)
- (9) प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action)

साख नियंत्रण की रीतियों को निम्न चाटें द्वारा भी दिलाया जा सकता है :—

### साख नियंत्रण की रीतियाँ



### (1) बैंक-दर

जिन दर पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंक को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करें या उन्हें ऋण प्रदान करें तो उंग बैंक-दर कहते हैं। इसे कटौती दर (Discount Rate) भी कहते हैं।

बैंक दर एवं व्याज दर में संबंध—बैंक दर एवं व्याज दर में दृढ संबंध होता है। बाजार दर से प्रायः यह दर है जिन पर व्यापारिक बैंक प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों के साधारण ऋण प्रदान करते हैं। बैंक दर बढ़ने पर बाजार दर बढ़ जाती है तथा घटने पर गिर जाती है। प्रायः बैंक दर व्याज दर में अधिक रहती है। जब व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी साख में ऋण प्राप्त नहीं हो पाता, तो वे केंद्रीय बैंक से महायत्ना मांगते हैं और इन समय मांग बढ़ने में ऊंची व्याज दर समूह की जाती है, परिणामस्वरूप यह महायत्ना भी ऋणियों में व्याज की ऊंची दर मांगने लगती है, जिससे व्याज दर बढ़कर बैंक दर के बराबर हो जाती है। दीर्घ काल में बैंक दर व बाजार दरों में बराबर होने की

प्रवृत्ति पाई जाती है।

**बैंक दर का प्रभाव**—प्रायः बैंक दर में परिवर्तन करने से मुद्रा बाजार की अन्य समस्त दरों में भी परिवर्तन हो जाते हैं। यदि देश में स्फीतिक परिस्थितियाँ हैं तो उन्हें रोकने के लिए बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है, परिणामस्वरूप अन्य सस्थाएँ भी अपनी-अपनी व्याज दरें बढ़ा देती हैं व उत्पादकों व व्यापारियों को ऋण लेना महंगा हो जाता है जिससे कम धन लिया जाता है। इस प्रकार एक और मुद्रा की माग कम हो जाएगी व साख का सकुचन होगा तथा दूसरी ओर व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रियाएँ शिथिल हो जाएँगी, मजदूरी घटेगी, बेरोजगारी में वृद्धि होगी व मूल्य स्तर भी गिरेंगे। देश में व्याज दर के बढ़ने से अल्पकालीन कार्यों के लिए विदेशों से पूँजी का आयात करना पड़ता है व देश का भुगतान संतुलन प्रतिबल हो जाता है। इसके विपरीत यदि देश में विस्फीतिक परिस्थितियाँ हों तथा देश में साख की मात्रा में वृद्धि करनी हो, तो बैंक दर में कमी कर दी जाती है तथा केंद्रीय बैंक सस्ते व्याज दर पर बिलों की पुनर्कटौती एवं ऋण प्रदान करता है, परिणामस्वरूप व्यापारिक बैंक भी अपने ऋण की दरों में कमी कर देते हैं, फलस्वरूप व्यापारी एवं उद्योगपति बैंकों से अधिक मात्रा में ऋण लेने लगते हैं, जिससे देश में साख मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार बैंक दर की घट-बढ़ का देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, रोजगार, व्यापार, पूँजी, भुगतान संतुलन आदि पर प्रभाव पड़ता है।

**विदेशी पूँजी पर प्रभाव**—बैंक दर विदेशी पूँजी के आवागमन को भी प्रभावित करती है। बैंक दर में वृद्धि करने पर व्याज दर भी बढ़ जाएगी व विदेशी बैंकों से पूँजी आयात होने लगती है तथा घरेलू पूँजी का निर्यात नहीं हो पाता। इसके विपरीत यदि बैंक दर में कमी कर दी जाए तो पूँजी का विदेशी बैंकों में निर्यात प्रारम्भ हो जाता है तथा विदेशी पूँजी का आयात रुक जाता है।

**सफलता के तत्त्व**—बैंक दर की सफलता की मुख्य बातें निम्न हैं—

(i) निर्भरता—बैंक दर उसी समय सफल हो सकती है, जबकि मुद्रा की पूर्ति के लिए केंद्रीय बैंक पर ही निर्भर रहा जाए। मदी काल में जनता द्वारा ऋण नहीं लिए जाते तथा व्यापारिक बैंकों के चाहने पर भी साख में वृद्धि करना संभव नहीं हो पाता। इसके विपरीत स्फीतिक काल में अधिक लाभ होने से नवीन क्षेत्रों में विनियोजन की माग बढ़ जाती है व साख की निरन्तर माग बढ़ने से व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक पर ही निर्भर रहना पड़ता है, परिणामस्वरूप केंद्रीय बैंक कटौती दर में वृद्धि करके साख नियंत्रण करने में सफल हो जाता है।

(ii) प्रभाव न पड़ना—केंद्रीय बैंक की बैंक दर परिवर्तन का व्यापारिक बैंकों की दरों पर प्रभाव न पड़ने पर उसे साख नियंत्रण के अन्य ढंगों का पालन करना होता है।

(iii) वित्तीय संस्थाएँ—ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं की स्थापना होने से बैंकों से पूँजी की माग में वृद्धि नहीं हो पाती परंतु अधिकसित राष्ट्रों में जहाँ पूँजी बाजार व मुद्रा बाजार में कोई समन्वय नहीं है, वहाँ दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन व्याज दरों का एक-दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः वित्तीय संस्थाओं के प्रभाव से बैंक दर में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

(iv) बिलों का प्रचार—बैंक दर के प्रभाव के लिए देश में बिलों का प्रचार होना आवश्यक है, परंतु वर्तमान समय में व्यापारिक बिलों का प्रचार कम होने से बैंक दर का प्रभाव भी कम हो जाता है।

(v) उपलब्धता—बैंक दर ऋणों की उपलब्धता में भी कमी या वृद्धि करती है, परिणामस्वरूप केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा वाले बिलों की ही कटौती करता है।

**बैंक दर वृद्धि की परिस्थितियाँ**—बैंक दर में वृद्धि निम्न परिस्थितियों में की जा सकती है—

(i) अन्य देशों में वृद्धि होने पर—देश की पूँजी का अन्य राष्ट्रों को निर्यात होने पर तथा अन्य राष्ट्रों में बैंक दर में वृद्धि होने पर अपने देश में भी बैंक दर बढ़ा दी जाती है।

(ii) स्वर्ण निधि की सुरक्षा—जब स्वर्ण बाहर जाने लगे तो उसकी सुरक्षा के लिए बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है।

(iii) विनिमय दर में सुधार—भुगतान संतुलन विपदा में होने पर विनिमय दर में सुधार करना आवश्यक होता है, जिसके लिए बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है।

(iv) सट्टे की रोकना—सट्टे में वृद्धि होने की संभावना पर नो बैंक दर में वृद्धि कर देते हैं, जिससे उन पर प्रतिबंध लग सके ।

बैंक दर में कमी की परिस्थितियाँ—निम्न परिस्थितियों में बैंक दर में कमी कर दी जाती है—

(i) विदेशी पूंजी के प्रायात पर रोक—विदेशी पूंजी के प्रायात को रोकने के लिए बैंक दर में कमी कर दी जाती है ।

(ii) रुपए का प्रभाव—यदि देश में मुद्रा का घनाव हो, परन्तु केंद्रीय बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में राशि उपलब्ध हो, तो बैंक दर में कमी कर दी जाती है ।

(iii) मुद्रा एकत्रित होने पर—जब बैंकिंग संस्थाओं के पास पर्याप्त मात्रा में धन एकत्रित हो गया हो तो बैंक दर में कमी करके देश की मांग का निर्माण संभव बनाया जाता है ।

सौमार्य—बैंक दर की प्रमुख सीमाएं निम्न हैं—

(1) व्यापारिक बैंकों की प्रतिशिया—यदि व्यापारिक बैंक अपनी प्रतिभूतियों को पुनर्कटौती हेतु केंद्रीय बैंक पर नहीं जाते तो यह नीति मजबूत नहीं हो पाती ।

(ii) व्यापारियों की मांग—वृद्धि काल में साल की मांग बढ़ जाने पर बैंक दर में वृद्धि करके नौ साल मुद्रा की मांग को कम नहीं किया जा सकता ।

(iii) मंदी काल—मंदी काल में बैंक दर सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाती तथा बैंक दर घटाने पर भी व्यापारी नवीन कारखानों में धन का विनियोजन करना उचित नहीं समझता ।

बैंक दर महत्व में कमी—वर्तमान समय में बैंक दर नीति का महत्व कम हो गया है जिसके प्रमुख कारण निम्न हैं—

(i) विनिरता में कमी—वर्तमान समय में केंद्रीय बैंक पर अन्य बैंकों की विनिरता कम हो गई है जिससे बैंक दर में परिवर्तन का बैंकों की क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

(ii) सस्ती मुद्रा नीति—प्रायः प्रचिन्तित राष्ट्रों में आर्थिक नियोजन को सफल बनाने के लिए सस्ती मुद्रा नीति एवं नीची बैंक दर नीति का प्रयत्न किया है ।

(iii) तरलता में वृद्धि—व्यापारिक बैंकों की तरलता स्थिति में स्वयं सुधार हो जाने से उन्हें अब केंद्रीय बैंक पर अधिक निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती है ।

(iv) अधिक ब्याज नीति—बैंक जमा पर अधिक ब्याज देकर बैंक दर वृद्धि के प्रभाव को दूर कर सकते हैं क्योंकि ब्याज दर बढ़ने पर अधिक जमा प्राप्त होने से केंद्रीय बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

(v) अल्पकाल में प्रभाव का अभाव—बैंक दर में परिवर्तन करने से अल्पकाल में मुद्रा बाजार पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ने से इसका महत्व कम हो गया है ।

(vi) अन्य प्रभावशाली उपाय—बैंक दर के प्रतिरिक्त अन्य प्रभावशाली उपायों के प्रचलन के कारण बैंक दर नीति का प्रभाव कम हो गया है ।

(vii) नरुद साल का महत्व—प्राथमिक व्यापार के अर्थ-प्रवर्धन में नरुद साल का महत्व बढ़ने से बैंक दर नीति का प्रभाव कम हो गया है क्योंकि बिक्री की पुनर्कटौती की आवश्यकता कम हो गई है ।

(viii) लोच का अभाव—राष्ट्रों की आर्थिक अर्थव्यवस्था में लोच के अभाव के कारण बैंक दर संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालने में असमर्थ रहती है ।

यह सत्य है कि परिस्थितियों के अनुसार बैंक दर का प्रयोग अनेक स्वरूपों में किया जाता है, परन्तु इसका मौलिक महत्व किसी भी प्रकार में कम नहीं हो पाया है ।

(2) स्थूलतम कोष दर—केंद्रीय बैंक मध्य बैंकों की वित्तों की बटौती आदि की सुविधाएँ प्रदान करते हैं, और उनके बढ़ने में बाधा एवं स्थायी निशियों का कुछ प्रतिशत भाग नरुद कोष में केंद्रीय बैंक के पास जमा कर देते हैं, जिसमें कमी या वृद्धि करने का अधिकार केंद्रीय बैंक को प्राप्त होता है । देश में साख में कमी करने के लिए इस कोष

के प्रतिगत मे वृद्धि कर दी जाती है जिससे बैंकों को अधिक धन केंद्रीय बैंक के पास जमा करना होता है, फलस्वरूप उनकी साख निर्माण शक्ति कम हो जाती है। इसके विपरीत साख मे वृद्धि करने के लिए कोषो के प्रतिगत में कमी कर दी जाती है जिससे बैंको को साख निर्माण के लिए अधिक धन प्राप्त हो जाता है।

## लाभ

इस पद्धति के प्रमुख लाभ निम्न हैं—

(i) साख नियंत्रण मे सहयोग—यह व्यवस्था समस्त कोषों पर प्रभाव डालकर समस्त देश मे समान रूप से साख नियंत्रण मे सहयोग प्रदान करती है।

(ii) विदेशी पूंजी से प्रभावित—इस व्यवस्था को विदेशी पूंजी की व्यवस्था से प्रभावित नहीं किया जा सकता।

(iii) सरल व सुविधाजनक—साख नियंत्रण की यह व्यवस्था सरल एवं सुविधाजनक है जो नकद कोषो में केंद्रीय बैंक के आदेश के आधार पर तत्काल परिवर्तन ला देती है।

(iv) प्रतिभूतियों को प्रभावित—यह व्यवस्था प्रतिभूतियों के मूल्य को प्रभावित करने में सफल रहती है।

## सीमाएं

इस व्यवस्था की प्रमुख सीमाएं निम्न हैं—

(i) प्रभावहीन—विभिन्न प्रकार की जमाओं के लिए विभिन्न अनुपात के कोष रहे जाते हैं तथा रक्षित कोष का अनुपात बदलने से कोष की राशि को एक खाते से दूसरे खाते मे हस्तांतरित कर दिया जाता है जिससे रक्षित कोष मे परिवर्तन करने का प्रभाव कमी-कमी प्रभावहीन हो जाता है।

(ii) कठिनाई—घनेक परिस्थितियों मे रक्षित कोष के अनुपात में परिवर्तन करने में घनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(iii) कठोर नीति—सभी बैंकों पर एक साथ प्रभाव पड़ने के कारण यह एक कठोर नीति मानी जाती है।

(iv) कम महत्व—रक्षित कोष के परिवर्तन पर बैंक कम ध्यान देते हैं क्योंकि तेजी बाल में कम नकद कोष होने पर भी बैंक अपना कार्य सुविधापूर्वक चला लेते हैं।

(3) तरलता अनुपात—द्वितीय युद्ध काल मे साख नियंत्रण की इस नवीन पद्धति का आविष्कार हुआ। इस पद्धति के अन्तर्गत व्यापारिक बैंको की अपनी सम्पत्ति का एक निश्चित भाग तरल रूप में रखना आवश्यक होता है।

इसका प्रभाव यह होता है कि व्यापारिक बैंक एक निश्चित राशि नकद मे रखते हैं और उस सीमा तक उनकी साख निर्माण की शक्ति कम हो जाती है। बैंको के अपने साधनों का एक भाग अनिवार्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करने से खुले बाजार की क्रियाओं में सुविधा हो जाती है।

(4) खुले बाजार की क्रियाएं—केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण कार्यों में खुले बाजार की क्रियाएं एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली अस्तन मानी जाती हैं। इससे आशय केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदने एवं बेचने से है। मुद्रा बाजार में मुद्रा की अधिकता होने पर उसमे कमी लाने के लिए केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचना प्रारंभ कर देता है जिससे जनता बैंकों में जमा धनता धन निकाल कर प्रतिभूतियों के क्रय पर व्यय कर देती है, जिससे मुद्रा की मात्रा कम होकर बैंको के पास कोष मे कमी हो जाती है व साख का मूजन भी घट जाता है व व्यापारियों को कम ऋण प्राप्त हो पाता है, फलस्वरूप व्यापार व उद्योग मे भी विनियोग घट जाते हैं, मजदूरियां कम होकर रोजगार व माग मे कमी होकर मूल्य स्तर गिर जाता है, परिणामस्वरूप साख संकुचन प्रारंभ हो जाता है।

इसके विपरीत साख की मात्रा में वृद्धि करने के लिए यदि मुद्रा बाजार मे धन की कमी है तो केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना प्रारंभ कर देता है, जिससे जनता पर अधिक मुद्रा आ जाती है। जो वह बैंकों

परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

(ii) केंद्रीय बैंक की क्षमता—खुले बाजार की क्रिया इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रतिभूतियों को खाली माना व उनके मूल्यों पर खरीदने एवं कम मूल्यों पर बेचने की केंद्रीय बैंक की कितनी क्षमता व ठहराव है। यदि केंद्रीय बैंक हालि उठाये की भी ठहरा हो जाए तो भी हो सकता है कि प्रतिभूतियों की पूंति क्षमता हो।

(iii) बैंकों के नकद कोष प्रभावित होता—यदि केंद्रीय बैंक प्रतिभूतिया देवता है तो बैंकों के नकद कोष कम हो जाने चाहिए। परन्तु यदि अनता अतिरिक्त धन की बैंक में जमा कर दे या मुद्रागत संतुलन अनुकूल होने से विदेशों से धन आ रहा हो तो बैंकों के नकद कोष कम नहीं होंगे और केंद्रीय बैंक की खुले बाजार की नीति सफल नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार यदि केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां खरीदने लगे तो बैंकों के नकद कोष में वृद्धि होगी चाहिए, परन्तु हो सकता है कि अनता में संग्रह प्रवृत्ति बढ़ने या विदेशों की पूंजी के निर्यात होने से ऐसा संभव न हो सके। अतः खुले बाजार की क्रियाएँ इसी समय सफल हो सकती हैं, जबकि उल्टे माय बैंकों के नकद कोष भी प्रभावित हों।

(iv) व्यापारियों की अनुकूल प्रतिक्रियाएँ—खुले बाजार की क्रिया की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि व्यापारियों एवं उद्योगपतियों की सहाय नीति में अनुकूल प्रतिक्रियाएँ होंनी चाहिए। यदि यह संभव न हो तो यह नीति सफल नहीं हो सकेगी उदाहरणार्थ यदि केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां खरीदकर, मास प्रसार के उद्देश्य से बैंकों के नकद कोष में वृद्धि कर दे, परन्तु व्यापारियों की मूल्य कम होने की आशंका हो और वह कम व्याज पर भी सहाय सेवा व विनिर्माण करना स्वीकार न करे, तो बैंकों के पास अतिरिक्त धन बेकार पड़ा रहेगा तथा साख प्रसार का उद्देश्य सफल नहीं हो सकेगा। मेट्रोडिक काल में साख संकुचन की नीति की सहायता से केंद्रीय बैंक मूल्यों में कमी करने में सफल हो जाता है, परन्तु भरी काल में साख का निर्माण करने में अनेक प्रकार की वज्रियाइयों का सामना करना पड़ता है।

बैंक दर व खुले बाजार की क्रियाओं में अंतर

बैंक दर व खुले बाजार की क्रियाओं में प्रमुख अंतर निम्न हैं—

(i) आवृत्ति का अंतर—खुले बाजार की क्रियाओं को वर्ष में कितनी ही बार प्रयोग किया जा सकता है परन्तु बैंक दर में वाग-वार परिवर्तन करना न तो संभव है और न ही उचित, क्योंकि इतने विदेशी बैंकों के कोष भी प्रभावित होते हैं।

(ii) परिणाम—बैंक दर में परिवर्तन करने से व्यापारिक बैंकों के कोषों के परिवर्तनों का पूर्वानुमान नहीं लगाना जा सकता, जिससे खुले बाजार की क्रियाओं के परिणाम अविश्व प्रभावशील होते हैं, बैंक दर के नहीं।

(iii) समय का अंतर—बैंक दर प्रायः अल्पकालीन दरों को प्रभावित करती है, क्योंकि बैंकों द्वारा प्रत्यक्षतापूर्वक सहाय हो दिए जाते हैं। इसके विपरीत खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत दीर्घकालीन प्रतिभूतिया देवी जाती है, जो व्याज की दरों को प्रभावित करती है।

(iv) प्रभाव का अंतर—बैंक दर द्वारा बैंकों के नकद कोषों पर अत्यल्प प्रभाव पड़ता है, जबकि खुले बाजार की क्रियाओं का विस्तृत प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार खुले बाजार की क्रियाएँ बैंक दर की तुलना में अधिक प्रभावशाली हैं।

(v) दबाव का अंतर—खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों पर कोई दबाव डालने में असमर्थ रहता है क्योंकि केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों की व्याज दर में कमी या वृद्धि ही कर सकता है, परन्तु प्रतिभूतियों को खरीदने की मजदूर नहीं कर सकता। प्रायः बैंक अतिरिक्त धन के सान्त्व में ही बाजार इन प्रतिभूतियों के प्रयत्न में रूचि रखते हैं। इसके विपरीत बैंक दर प्रत्येक सहाय सेने वाले बैंक को अपनी व्याज दर बढ़ाने की मजदूर कर सकता है।

(5) चुना साख-नियंत्रण—(Selective Credit Control)—मुद्रकाल में साख नियंत्रण की अनेक पधतियों का प्रचलन हुआ, जिनमें से कुछ तो मनुचे धर्म-अर्थ पर सामान्य प्रभाव डालती हैं और कुछ सीधिया इन



प्रकार को है कि जो केवल विशेष क्षेत्रों की आर्थिक या वित्तीय क्रियाओं को ही प्रभावित करती है। संकट काल के समय केंद्रीय बैंक देश की समस्त वित्तीय संस्थाओं को अन्तिम सहारे के रूप में सहायता करता है। ऐसी परिस्थितियों में केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की भाग को अस्वीकार या प्रतिबंधों के साथ स्वीकार कर सकता है, परिणामस्वरूप पर्याप्त मात्रा में साख का निर्माण संभव न हो सकेगा। इस नीति को साख नियंत्रण की नीति के नाम से जानते हैं।

**स्वरूप—**साख नियंत्रण के विभिन्न स्वरूप निम्नलिखित हैं—

(i) रिजर्व कोषों का सीमित उपयोग—व्यापारिक बैंकों द्वारा अपने दायित्वों का कुछ निश्चित प्रतिशत भाग जो केंद्रीय बैंक में जमा किया जाता है इसमें भिन्नता अपनाई जा सकती है तथा कुछ विशेष क्षेत्रों में विनियोजन करने वाले बैंकों को विशेष प्रकार की छूट देकर साख का सृजन किया जा सकता है तथा उस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है।

(ii) पूर्व अनुमति—विशेष क्षेत्रों में ऋणों को प्रोत्साहित करने एवं अन्य क्षेत्रों में उसे निरस्ताहित करने के उद्देश्य से एक निश्चित राशि में अधिक मात्रा में ऋण देने पर केंद्रीय बैंक से अनुमति लेना अनिवार्य किया जा सकता है, जिससे नवीन औद्योगिक संस्थाओं के लिए जनता से पूंजी प्राप्त की जा सके। इस प्रकार पूर्व अनुमति का प्रतिबंध लगाने से साख का उचित नियमन व नियंत्रण सहाया जा सकता है।

(iii) अंतर निर्धारण में हस्तक्षेप—बैंकों द्वारा जमानत पर जो ऋण दिए जाते हैं उनमें मूल्य व ऋण की राशि में कुछ अंतर रखा जाता है, जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। इससे साख सृजन मात्रा में कमी हो जाएगी।

(iv) उपभोक्ता किस्त साख का नियमन—पदिचमी राष्ट्रों में विलासिता व टिकाऊ वस्तुएँ किस्तों पर उपलब्ध हो जाती हैं, जिसमें साख विस्तार होने का भय बना रहता है। द्वितीय युद्धकाल में यूरोपीय राष्ट्रों में इस साख पर कड़े नियंत्रण लगा दिए जाते थे। इस व्यवस्था में मुग्तान प्रवधि एवं किस्त की न्यूनतम राशि भी निश्चित कर दी जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य माल खरीदने पर प्रतिबंध लगाना है, जिसमें घस्तुओं के भाव नहीं बढ़ पाते।

(v) आयात हेतु जमा राशि—प्रायः विदेशों से माल आयात करते समय आयात राशि का एक भाग केंद्रीय बैंक में अनिवार्य रूप से जमा करना होता है जिस पर आयातक को व्याज की हानि होती है। इस नीति का प्रयोग विदेशों से आयात निरस्ताहित करने हेतु किया जाता है।

(vi) कटौती दरों में भिन्नता—केंद्रीय बैंक विभिन्न प्रकार के विनिमय पत्रों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की कटौती दरों को निर्धारित कर सकता है, जिसमें कुछ क्षेत्रों को ऋण व साख की सुविधाएं दी जा सकती हैं व दूसरी ओर अन्य क्षेत्रों में उस पर कड़े नियंत्रण भी लगाए जा सकते हैं। अविश्वसित परंतु कृषि प्रधान राष्ट्रों में प्रायः कृषि औजारों के आयात पर इस प्रकार की विशेष छूट देकर साख का सृजन किया जा सकता है तथा अन्य क्षेत्रों में साख सृजन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

यह व्यवस्था वांछित क्षेत्र के मूल्यों व साख को ही प्रभावित करती है, जिसमें सनकता में कार्य लेना पड़ता है।

(6) प्रकार व्यवस्था—केंद्रीय बैंक द्वारा पत्र-व्यवहारों के प्रकाशन के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति को जनता के सम्मुख रखकर सविषय की नीति के संबंध में विचार रखे जाते हैं, जिनके आचार पर बैंक अपनी साख नीति की व्यवस्था करने के प्रयास करते हैं। केंद्रीय बैंक के अधिकारी, सभाओं, सम्मेलनों आदि में अपनी नीति पर प्रकाश डालकर बैंकों की साख नीति पर उचित परिवर्तन ला देते हैं।

(7) साख नियंत्रण—प्रथम युद्धोत्तर काल में जर्मनी के केंद्रीय बैंक ने साख-विस्तार को रोकने के लिए साख का राशनिप कर दिया। इसमें प्रत्येक व्यापारिक बैंक के लिए यह निश्चित कर दिया गया था कि उसे एक निश्चित राशि में अधिक राशि नहीं मिलेगी। वर्तमान समय में भी, साख विस्तार को रोकने के लिए मास राशनिप पद्धति को अपनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक व्यापारिक बैंक की मास की सीमा को निश्चित कर दिया जाता है। संकटकालीन परिस्थितियों में केंद्रीय बैंक द्वारा यह निश्चित कर दिया जाता है कि व्यापारिक बैंकों को अधिकतम प्राप्त होने वाली साख की मात्रा बना होगी। इस प्रकार के प्रतिबंधों से साख सृजन में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

(8) नैतिक प्रभाव—केंद्रीय बैंक का देश की व्यापारिक बैंकों पर काफ़ी प्रभाव होने से उनके समस्त कार्यों

पर पूर्ण नियंत्रण बना रहता है और वह अनेक रीतियों द्वारा बैंकों की ऋण नीतियों को प्रभावित कर सकता है। परंतु कठिनाइयाँ उपस्थित होने पर वह नियमन व नियंत्रण की विधि को भी प्रयोग करता है। बैंकों द्वारा साख विस्तार की नीति अपनाने पर बैंकों को यह सलाह दी जा सकती है कि वह साख की कुल मात्रा एक निश्चित सीमा तक सीमित रखें। सलाह का प्रभाव न पड़ने पर बैंकों को उचित चेतावनी भी दी जाती है व उसकी उपेक्षा करने पर उचित कार्यवाही की जा सकती है। परंतु इस नीति की सफलता प्रायः संबंधों, वैधानिक शक्तियों, बैंक व्यवस्था की परंपराओं पर निर्भर होती है। विकसित राष्ट्रों में यह नीति अधिक सफल हो जाती है।

(9) प्रत्यक्ष कार्यवाही—व्यापारिक बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक के आदेशों का पालन न करने पर प्रत्यक्ष कार्यवाही की नीति को अपनाया जाता है, जिसमें वह किसी भी बैंक को ऋण देने से इंकार कर सकता है, विलो की पुनर्कटौती को रोक सकता है तथा साख सृजन पर प्रतिबंध लगा सकता है। परंतु यह कदम उसी समय उठाए जाते हैं जबकि केंद्रीय बैंक के अन्य उपाय असफल सिद्ध हो गए हों।

केंद्रीय बैंक किसी बैंक को कोई कार्य करने अथवा न करने का प्रत्यक्ष आदेश देने से पूर्व उसे ऋण देना बंद कर सकता है या उससे सामान्य से अधिक व्याज माग सकता है। यह उस समय किया जाता है जबकि कोई बैंक साख की मात्रा उचित राशि तक सीमित करने की दिशा में बार-बार चेतावनी देने पर भी सक्रिय कदम नहीं उठाता। इन कार्यों का बैंक पर इतना गंभीर प्रभाव पड़ता है कि वह केंद्रीय बैंक की इच्छा का पालन करने के लिए बाध्य हो जाता है।

## साख नियमन की कठिनाइयाँ

### (Difficulties in Credit Control)

साख नियमन में केंद्रीय बैंक को निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है—

(i) परंपराओं का अभाव—ब्रिटिश बैंकों की भांति, अन्य राष्ट्रों में परंपराओं का अभाव पाया जाता है। ब्रिटेन में परंपराएँ इतनी परिपक्व हैं कि साख नीति के संकेत मात्र से ही व्यापारिक बैंक उनका तत्काल अनुसरण करते हैं, अतः अन्य राष्ट्रों में साख नियंत्रण एक समस्या बनी हुई है।

(ii) क्षेत्र का अंतर—बड़े राष्ट्रों में कुछ क्षेत्र उद्योग-प्रधान व कुछ कृषि-प्रधान होते हैं, जिनकी समस्याएँ सर्वथा भिन्न होती हैं और उनके लिए पृथक् साख नियंत्रण नीतियों को अपनाने में कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं।

(iii) दुर्बल एवं असंगठित बैंक व्यवस्था—अधिकतर राष्ट्रों में बैंक व्यवस्था दुर्बल एवं असंगठित है जिससे केंद्रीय बैंक एवं उनमें कोई पारस्परिक संबंध एवं समन्वय का अभाव पाए जाने से साख नीतियाँ सफल नहीं हो पाती हैं।

(iv) वित्तीय संस्थाएँ—कुछ राष्ट्रों में वित्तीय संस्थाएँ पाई जाती हैं, जो ऋण के लेन-देन का कार्य करती हैं, फलस्वरूप साख नीतियों का नियंत्रण करना प्रायः संभव नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक का इन संस्थाओं पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं रहता।

(v) प्रभावहीन मुद्रा बाजार—कुछ राष्ट्रों में मुद्रा बाजार पर केंद्रीय बैंक की नीतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे बैंक दर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इससे साख नियंत्रण में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं।

## केंद्रीय बैंक की विशेषताएँ


### (Characteristics of Central Banking)

केंद्रीय बैंक की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं—

(1) सरकारी स्वामित्व—केंद्रीय बैंकों की जो स्थापना हुई है, वह सब पूर्णतः सरकारी हैं, अनेक पुराने निजी स्वामित्व वाले बैंकों को भी सरकारी अधिकार में ले लिया गया है। इन प्रकार इन बैंकों पर सरकारी स्वामित्व स्थापित हो गया है जिसके दो कारण हैं—(अ) सभी देशों में मुद्रा विदेशी व्यापार आदि की समस्याएँ इतनी जटिल हो गई हैं कि उनके समाधान के लिए केंद्रीय बैंकों पर सरकारी अधिकार होना आवश्यक था। (ब) केंद्रीय बैंक में लाभ अति न होने पर भी बहुत लाभ प्राप्त होते हैं जिस पर सरकार का स्वामित्व होना आवश्यक है।

(ii) व्यापारिक बैंकों से व्यवहार—केंद्रीय बैंक सर्वे व व्यापारिक बैंको से ही व्यवहार करते हैं, जनता से नहीं क्योंकि केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य बैंक व्यवस्था एवं मौद्रिक व्यवस्था को उचित स्तर पर बनाए रखना था। व्यापारिक बैंको की जाति केंद्रीय बैंक माधारेण व्यापारिक कार्य नहीं कर सकता। केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक से प्रतिस्पर्धा करने पर साख व ऋण नीतियो का नियंत्रण न हो सकेगा।

(iii) लाभ भावना का अभाव—केंद्रीय बैंक का प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है। केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंको को साख की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके लिए व्यापारिक बैंको को बिलों की कटौती भादि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसका उद्देश्य बैंको को आर्थिक सहायता देकर साख का सृजन करना है। लाभ प्रवृत्ति होने से देश के व्यापार एवं उद्योगो को हानि होगी, देश में स्फीतिक स्थिति उत्पन्न होने पर मूल्य वृद्धि का भय बना रहेगा।



**अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था एवं केंद्रीय बैंक**  
(Underdeveloped Economy and Central Banking)

अर्द्धविकसित राष्ट्रों में बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं का अभाव पाया जाता है तथा मुद्रा बाजार अतिक्रमिit प्रवस्था में पाया जाता है। इन राष्ट्रों में केंद्रीय बैंक का कार्य बैंकिंग प्रणाली के सतुलित विकास के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास को विकसित करना है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंको की स्थापना की प्रोत्साहित करने के प्रयत्न करती है। संगठित मुद्रा बाजार देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना जाता है, जो कि औद्योगिक प्रगति का आधार माना जाता है तथा व्यापार व उद्योगो को सभी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। अतः केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार एवं कृषि वित्त की समस्या को हल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। देश में सरकारी एवं भूमिबधक बैंको के विकास की धोर भी समुचित ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार केंद्रीय बैंक का कार्य अर्थव्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण करके देश का आर्थिक विकास करना है। भारत में देश के आर्थिक विकास के लिए रिजर्व बैंक कार्य करता है, जो मुद्रा बाजार को विकसित करके वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयास करता है।

**अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक के कार्य**

अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य निम्न हैं :—

(1) अर्थव्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण—इसमें केंद्रीय बैंक के उन समस्त कार्यो को सम्मिलित करते हैं जो वे विकसित देशों में करते हैं जैसे कि नोट निर्मन, साख नियंत्रण, सरकारी सलाहकार भादि।

(2) आर्थिक विकास संबंधी कार्य—इसमें निम्न दो कार्यो को सम्मिलित करते हैं—

(अ) आर्थिक विकास हेतु कार्य,

(ब) आर्थिक स्थिरता का प्रवर्तन।

(अ) आर्थिक विकास हेतु कार्य—इसमें केंद्रीय बैंक के निम्न कार्यो को सम्मिलित करते हैं—

(i) नोक उपक्रमों का विकास—उद्योगो की स्थापना एवं विन्यास में सरकार को पूंजी लगानी होती है, जिसके लिए केंद्रीय बैंक ऋण की भी व्यवस्था करता है।

(ii) औद्योगिक वित्त प्रबंधन—अर्द्धविकसित देशों में औद्योगिक वित्त की अभावपूर्ण सुविधाएं होने से केंद्रीय बैंक यहाँ पर पर्याप्त औद्योगिक वित्त का प्रबंध करता है।

(iii) विनियोग को प्रोत्साहन—सरकार बड़े स्तर पर नवीन विनियोग के लिए आवश्यक प्रोत्साहन देती है। इसके लिए सस्ती मुद्रा नीति लाभकारी रहती है। मौद्रिक नीति के द्वारा व्याज में कमी करके भी विनियोग को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

(iv) पर्याप्त मुद्रा—आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा को पूर्ण पर्याप्त माना में हो। इसमें चल मुद्रा का अधिकाधिक प्रचलन होना चाहिए तथा साख मुद्रा का भी विस्तार किया जाना चाहिए।

(v) बैंकिंग प्रणाली का विस्तार—केंद्रीय बैंक को समस्त बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था के विकास में सहायता करनी चाहिए तथा वित्तीय संस्थाओं की रचना को प्रोत्साहित करना चाहिए।

(vi) कुशल भुगतान यंत्र—आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि केंद्रीय बैंक एक कुशल भुगतान यंत्र की व्यवस्था करे।


(vii) कृषि वित्त की व्यवस्था—अर्द्धविकसित देशों में केंद्रीय बैंक का यह कर्तव्य है कि वह व्यापारिक बैंकों के कार्यों का ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार करे तथा कृषकों की अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन साख की व्यवस्था करे।

(viii) विनिमय स्थिरता—केंद्रीय बैंक का उद्देश्य विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना है जिससे व्यापार व उद्योगों के विकास का क्रम निरंतर बना रहे।

(ix) आर्थिक स्थिरता का प्रवर्तन—आर्थिक विकास हेतु केंद्रीय बैंक का दूसरा कार्य मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना है। बढ़ते मूल्य को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक को साख नियंत्रण के प्रसाधनों को प्रयोग करना होता है।

एक अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक के कार्यों को निम्न चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है :—

अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक के कार्य



### प्रभावशील मौद्रिक नीति

अर्द्धविकसित राष्ट्रों में मौद्रिक नीति को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न उपायों को करना आवश्यक माना जाता है—

(1) मुद्रा बाजार की परिस्थितियाँ—केंद्रीय बैंक की नीति मुद्रा बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करती

है, जिसकी सहायता से केंद्रीय बैंक साल का उचित ढंग से नियंत्रण कर सकती है। मुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित नीतियों का ही पालन किया जाना आवश्यक है।

(ii) साल प्रभावित करने की क्षमता—मुद्रा नीति उसी समय सफल हो सकती है, जबकि केंद्रीय बैंक सभी प्रकार की साल को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। इसके लिए साल प्रदान करने वाली समस्त संरचनाओं को केंद्रीय बैंक का नेतृत्व स्वीकार करना आवश्यक होगा तथा व्यापारिक बैंकों का केंद्रीय बैंक से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होना चाहिए।

प्रायः अर्द्धविकसित राष्ट्रों में उपर्युक्त बातों का प्रभाव पाए जाने से मुद्रा नीति प्रभावकारी ढंग से लागू नहीं हो पाती। अतः मौद्रिक नीति का सफल बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि उपर्युक्त दोनों बातों को पूर्ण दिया जाए।

तृतीय भाग

अंतर्राष्ट्रीय भुगतान एवं विदेशी विनिमय  
(INTERNATIONAL PAYMENT AND FOREIGN EXCHANGE)

## व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन

(Balance of Trade and Balance of Payments)

२

प्रारंभिक—सामान्यतः विदेशी व्यापार में दो शब्दों—व्यापार एवं संतुलन का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि संबंधित देश के आयात एवं निर्यातों का अंतर क्या है। व्यापार एवं भुगतान संतुलन देश के आर्थिक जीवन एवं विकास पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सदैव दो या दो से अधिक राष्ट्रों का होना आवश्यक है जो एक-दूसरे की आवश्यकता के लिए आपस में निर्भर रहते हैं। यह पारस्परिक निर्भरता प्राचीन समय में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पायी जाती थी, जबकि व्यापारिक लेन-देन वस्तु-विनिमय पर ही आधारित होते थे। वर्तमान समय में मुद्रा के प्रयोग के कारण इस पारस्परिक निर्भरता में कमी हो गई है तथा अधिकृत एवं अर्ध-विकसित राष्ट्र अपने देश के आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूंजी का भी सहाय लेने लगे हैं। विकसित राष्ट्रों में भुगतान संतुलन के अध्ययन करने पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विदेशों में पूंजी के विनिवेशन से कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। व्यापार एवं भुगतान संतुलन का देश का मौखिक बैरोमीटर माना जाता है, जिसके आधार पर देश की बदलेती हुई आर्थिक दशाओं का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है, विदेशी व्यापार की निर्भरता को ज्ञात करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। प्रत्येक राष्ट्र के विदेशी व्यवहार अनिश्चित होते हैं जिससे प्रति वर्ष भुगतान के लेख को ज्ञात करने की आवश्यकता उदय हो जाती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है।

### व्यापार संतुलन

(Balance of Trade)

वस्तुओं के आयात एवं निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। यदि आयात वस्तुओं का मूल्य निर्यात वस्तुओं के मूल्य में अधिक है तो इसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहेंगे। इसके विपरीत यदि निर्यात का मूल्य अधिक व आयात का मूल्य कम है तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहेंगे।

प्रत्येक राष्ट्र प्रति वर्ष द्रव्य एवं भद्रय मर्दों का आयात निर्यात करता है। द्रव्य मर्दों से तात्पर्य वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से होता है, जिनका बदरगाह पर लेखा कर दिया जाता है। भद्रय मर्दों से आशय उन सेवाओं से लगाया जाता है जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को भुगतान तो कर दिया जाता है, परंतु उसका बदरगाह पर कोई लेखा नहीं होता है, जिससे उन्हें विदेशी व्यापार की भद्रय मर्द कहते हैं। इस प्रकार एक ऐसा विवरण तैयार किया जाता है जिसमें एक ओर निर्यात की गई विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं एवं मूल्यों को, तथा दूसरी ओर आयात की गई विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं एवं मूल्यों को प्रदर्शित किया जाता है और इन दोनों के अंतर को व्यापार संतुलन के नाम से जाना जाता है। निर्यात मूल्यों को सदैव 'बदरगाह तक मुक्त (F. O. B. or Free on Board) दर पर तथा आयात के मूल्यों को सदैव लागत, बीमा व भाड़ा मुक्त दर (C. I. F. or Cost, Insurance and Freight) पर ही दिखाते हैं। व्यापार संतुलन में दो खाने दिखाए जाते हैं, जिनमें एक खाने में निर्यात

को बंदरगाह तक मुक्त एवं दूसरे खाने में घायात को C. I. F. दर पर दिखाया जाता है। किसी देश का व्यापार संतुलन भिन्न-भिन्न देशों से भिन्न-भिन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिन देशों से राशि प्राप्त करनी हो, उनसे लेकर लेनदार देशों को भुगतान की जा सकता है।

व्यापार संतुलन प्रायः एक वर्ष की अवधि के आधार पर बनाए जाते हैं। इस प्रकार व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों को ही सम्मिलित किया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य एवं प्रदृश्य दोनों मदों को सम्मिलित करते हैं। भुगतान संतुलन में समस्त नाम (Debit) एवं जमा (Credit) पर विचार किया जाता है। इस प्रकार व्यापार संतुलन की अपेक्षा भुगतान संतुलन अधिक व्यापक है। भुगतान संतुलन में अनेक मदों को सम्मिलित किया जाता है जैसे (i) व्यापार संतुलन, (ii) पूँजी हस्तांतरण संबंधी भुगतान, (iii) बैंक शुल्क, बीमा एवं जहाज किराया, (iv) राजनैतिक शुल्क व अन्य सेवाएं।

व्यापार संतुलन की अपेक्षा भुगतान संतुलन अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापार संतुलन को तो भुगतान संतुलन का एक आवश्यक अंग माना गया है। किसी भी राष्ट्र का व्यापार संतुलन अनुकूल या प्रतिकूल रह सकता है, परन्तु उसका भुगतान संतुलन प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। यदि किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल स्थिति में है तो उसका यह अर्थ होगा कि देश की स्थिति बिगड़ती जा रही है तथा देश आर्थिक विकास न कर सकेगा। इसके विपरीत यदि व्यापार संतुलन सदैव भी प्रतिकूल है तो उससे यह आशय नहीं लगाया जा सकता कि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है तथा वह आर्थिक प्रगति नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार यदि व्यापार संतुलन पर मे है तो भी उससे यह कल्पना करना व्यर्थ होगा कि देश की आर्थिक स्थिति संतोषप्रद है और वह आर्थिक प्रगति कर सकेगा। उदाहरणार्थ इंग्लैंड का व्यापार संतुलन प्रतिकूल होने पर भी उसकी आर्थिक स्थिति संतोषप्रद थी, क्योंकि उसका भुगतान संतुलन स्थिति में था।

### भुगतान संतुलन का अर्थ

भुगतान संतुलन किसी देश के अन्य देशों से संपूर्ण लेन-देन का विस्तृत व्योरा होता है। इसमें आयात एवं निर्यात के अतिरिक्त पूँजी, ऋण, व्याज तथा भुगतान संबंधी अन्य सभी लेन-देन सम्मिलित किए जाते हैं। भुगतान संतुलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न मत प्रकट किए हैं। भुगतान संतुलन के संबंध में विभिन्न मतों को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है—

(1) वाल्टर क्राउ (Walter Krause)—“एक राष्ट्र का भुगतान संतुलन समस्त आर्थिक व्यवहारों का एक व्यवस्थित लेखा है, जो विशेष समय प्रायः एक वर्ष में उस राष्ट्र के निवासी एवं विदेश के निवासियों के मध्य पूर्ण होता है।”<sup>1</sup>

(2) जेम्स सी० इन्ग्राम (James C. Ingram)—“एक निश्चित दिए हुए समय की अवधि में भुगतान संतुलन एक राष्ट्र के निवासियों एवं विश्व के समस्त बचे निवासियों के मध्य समस्त आर्थिक व्यवहारों का सूक्ष्म लेखा है।”<sup>2</sup>

(3) डेलबर्ट ए० स्नाइडर (Delbert A. Snider)—“एक निश्चित दिए हुए समयवधि में भुगतान संतुलन को एक राष्ट्र एवं विश्व के अन्य राष्ट्रों के मध्य निवासी, व्यापारी, सरकार एवं अन्य संस्थानों के मध्य वस्तुओं,

1. “The Balance of Payment of a country is a systematic record of all economic transactions completed between its residents and residents of the world, during a given period of time usually a year.”—Walter Krause: *The International Economy*, p 43.

2. “The Balance of Payment is a summary record of all economic transactions between residents of one country and the rest of the world during a given period of time.”—James C. Ingram: *International Economic Problems*, p 51.



सेवाओं, ऋण, स्वामित्व, आदि के मूल्य के विनिमय के सारास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।<sup>13</sup>

(4) ई. टी. एलिसवर्थ (E. T. Ellsworth)—“भुगतान संतुलन एक राष्ट्र के निवासियों एवं विदेश के दोष निवासियों के मध्य समस्त सेन-सेन का संतुलित विवरण है। यह एक निश्चित समयवधि के लिए होता है, प्रायः एक वर्ष।”<sup>14</sup>

किसी भी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था की प्रकृति को भुगतान संतुलन के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है तथा यह ज्ञात किया जा सकता है कि कोई राष्ट्र विदेश प्रथमव्यवस्था में किनसा भाग ले रहा है। इस प्रकार “समस्त आर्थिक व्यवहार जो एक राष्ट्र की सीमा को पार कर जाते हैं, उन्हें भुगतान संतुलन में ग्रहण एवं संतुलित किया जाता है।”<sup>15</sup>

(5) समुद्रसन्त (Samuelson)—“अंतर्राष्ट्रीय भुगतान दोष से हमारा अर्थ इस विवरण में है, जिसमें समस्त वस्तुओं के मूल्यों, समस्त उपहार, समस्त विदेशी सहायता, समस्त पूंजीगत ऋण तथा समस्त वस्तुएं जो प्राचीन एवं जाती हैं, एवं समस्त मर्दानों के प्रायसी संबंधों की ध्यान में रखा जाता है।”<sup>16</sup>

### भुगतान संतुलन के विभिन्न अर्थ

“भुगतान संतुलन कुछ विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है जो एक-दूसरे से भ्रम उत्पन्न करता है। इन सब में भेद करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा न करने में भयंकर गलत धारणाएं उत्पन्न हो सकती हैं।”<sup>17</sup>

भुगतान संतुलन के विभिन्न अर्थों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) प्रायः ज्ञात पर प्रयोग—इस अर्थ में प्रयोग ज्ञान पर भुगतान संतुलन में व्याज संतुलन, एवं व्यापार व सेवाओं के संतुलन को सम्मिलित करते हैं। यदि यह मर्दानों निष्कम्य रहती है, तो विदेशी मुद्रा का स्वयंस्वरूप होना है जो स्वर्ण के बाहर जाने के समान होता है। स्वर्ण का बाहर जाना अत्यंत राष्ट्र के लिए हानिकारक सिद्ध होता है।

(2) विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति की व्यवस्था—किसी समय विदेश पर अदस्त दायित्वों की कुल राशि का मांग करना ही पर्याप्त नहीं है और न ही उस अवधि के वास्तविक भुगतानों का लेगा करना ही पर्याप्त होता है, बल्कि यह भी विचार करना आवश्यक होगा कि मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए यह ज्ञात किया जाये कि ये

1. “Balance of payment may be defined as a summary of the money value of all exchanges and transfer of goods, services and evidences of debt or ownerships appropriately classified between the residence, business and the Government and other Institutions of one country and the rest of the world for a given period of time”—Delbert A. Snider : *Introduction to International Economics*, p. 110

2. “Balance of payment is a summary statement of all the transactions between the residents of one country and the rest of the world. It covers a given period of time, usually a year.”—E. T. Ellsworth : *International Economy*, p. 230.

3. “All the diverse Economic transactions that cross a Nation’s border are captured and summarised in its balance of payments.”—James C. Ingram, *op. cit.*

4. “By balance of international payments we mean the statement that takes into account the values of all goods, all gifts and foreign aid, all capital loans (IOU) and all goods coming in and going out and the interrelations among all these items.”—Samuelson : *Economics*, p. 645-46.

5. “The term balance of payments is used in a number of different senses, which are apt to be confused with one another. It is very important to distinguish between them as the failure to do so has led to serious misconceptions.”—Haberler : *The Theory of International Trade*, p. 18.

दायित्व किस प्रकार उदय हुए। इस प्रकार विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा की माग एवं पूति का प्रभाव पड़ता है।

(3) विदेशी मुद्रा को क्रय व विक्रय की मात्रा—भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा की उस मात्रा को सम्मिलित किया जाता है जो एक अवधि में ध्रय एवं विक्रय की जाए। इस ध्रय में भुगतान संतुलन सर्वद ही साम्यावस्था में होगा क्योंकि क्रय की गई मात्रा आवश्यक रूप से विक्रय की मात्रा के बराबर ही होगी।

(4) विदेशों से प्राप्त व दिए गए भुगतान—भुगतान संतुलन से आशय विदेशों से प्राप्त एवं विदेशों को दिए गए भुगतान से लगाया जाता है। इसमें विदेशी मुद्रा के प्रातिरिक्त विदेशी विनियोगों के हस्तांतरण को भी सम्मिलित किया जाता है। दीर्घकालीन अवधि में इस ध्रय में भुगतान संतुलन साम्यावस्था में ही रहेगा। स्वर्ण उत्पादक राष्ट्र का भुगतान संतुलन स्वाई रूप से निष्क्रिय रह सकता है, ध्रय राष्ट्रों में यह संतुलन सक्रिय रहता है।

(5) अंतर्राष्ट्रीय ऋणप्रस्तता का संतुलन—इस ध्रय में भुगतान संतुलन में दायित्वों एवं पावनों (Claims) की समस्त मात्राएं दिखाई जाती हैं जो किसी समयावधि में प्राप्त हैं व चुकानी हैं। इस प्रकार भुगतान संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय ऋणप्रस्तता के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है।

व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर

इन दोनों में अंतर निम्नलिखित है :—

(1) व्यापार संतुलन में केवल आयात एवं निर्यात को ही महत्त्व दिया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन में आयात व निर्यात के अतिरिक्त पूजीगत लेन-देन भी सम्मिलित रहते हैं।

(2) किसी भी देश का व्यापार संतुलन पक्ष या विपक्ष में हो सकता है, परंतु उसका भुगतान संतुलन सर्वद संतुलित रहता है।

भुगतान संतुलन की मदें

(Items of Balance of Payment)

भुगतान संतुलन की मदें

वस्तुओं में व्यापार	साह संतुलन	सरकारी व्यवहार	सेवाओं का भुगतान	विविध मदें	स्वर्ण का आवागमन	जनसंख्या का आवागमन	पूजी का आवागमन	उपहार मुद्रा का आवागमन
---------------------	------------	----------------	------------------	------------	------------------	--------------------	----------------	------------------------

प्रो० हैबरलर ने भुगतान संतुलन में निम्न मदों को सम्मिलित किया है—

(1) वस्तुओं में व्यापार—भुगतान संतुलन में यह सबसे महत्त्वपूर्ण मद है। प्राचीन समय में इसी को अधिक महत्त्व दिया जाता था। आयात एवं निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। निर्यात के अंतरगत विभिन्न मदों को सम्मिलित करते हैं जो इस प्रकार हैं—(i) निर्यात की गई समस्त वस्तुएं, (ii) विदेशी बंदरगाहों पर बेचा गया माल, (iii) अंतर्राष्ट्रीय डाक, (iv) चोरी से भेजी गई वस्तुएं, (v) विदेशों को बेचे गए जहाज, (vi) विदेशों में बेची गई स्वदेशी वस्तुएं, (vii) विदेशों को दी गई विजला आदि। यदि निर्यात अधिक व आयात कम हो तो धनुकूल व्यापार संतुलन होगा। इसके विपरीत यदि निर्यात कम व आयात अधिक है तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन होगा।

(2) साह संतुलन (Credit Balance)—इसमें एक ओर तो व्याज संतुलन, पूजी भुगतानों का संतुलन, व दूसरी ओर पूंजी संतुलन, पूंजी भुगतानों का संतुलन आदि को सम्मिलित किया जाता है। पूंजी भुगतानों में विनियोग को भी सम्मिलित किया जाता है जो अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों हो हो सकते हैं। दीर्घकालीन पूंजी का प्रवाह सर्वद अल्पकालीन पूंजी के प्रवाह से संबंधित होता है।

(3) सरकारी व्यवहार (Government transactions)—प्रत्येक राष्ट्र की सरकार प्रत्य देशों में अपने दूतावासों पर भारी राशि व्यय करती है। इसी प्रकार एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को मुद्रा व्यय, दंड, दान व सतिपूति आदि के रूप में कुछ राशि का भुगतान करता है। इसके विपरीत सरकार को यह राशि प्राप्त भी होती है। इस प्रकार समस्त सरकारी व्यवहारों को इसमें सम्मिलित करते हैं।

(4) सेवाओं का भुगतान (Payments for service)—वस्तुओं के आयात-निर्यात के प्रतिरिक्त सेवाओं के आयात-निर्यात को भी भुगतान संतुलन में सम्मिलित करते हैं। इन सेवाओं के भुगतान में निम्न को सम्मिलित करते हैं—

(i) विशेषताओं की सेवाएँ—प्रायः अविकसित राष्ट्र अन्य विकसित राष्ट्रों में प्रोफेसर, इंजीनियर एवं अन्य विशेषज्ञों की सेवाओं को प्राप्त करते हैं, जो अपनी आय को अपने राष्ट्रों को भेज देते हैं। इस प्रकार जिस राष्ट्र से यह आते हैं उसके लिए इनकी सेवाएँ मद्रस्य निर्यात होती हैं और जिस राष्ट्र में यह सेवाएँ प्रदान करते हैं उसके लिए वे मद्रस्य आयात होती हैं।

(ii) व्यापारिक कंपनियों की सेवाएँ—बैंक एवं बीमा कंपनियाँ व्यवसाय करने पर रहती हैं। पर निवासियों को व्यापारिक सेवाएँ, परिवहन एवं वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती हैं और उसके बदले जो कमीशन या लाभ प्राप्त करती हैं वे मद्रस्य निर्यात में सम्मिलित होती हैं। जो देश इन सेवाओं को प्राप्त करता है उसके लिए वे मद्रस्य आयात होते हैं।

(iii) शिक्षा एवं पर्यटकों की सेवाएँ—विकसित राष्ट्रों में प्रति वर्ष विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने एवं पर्यटक भ्रमण करने के उद्देश्य में आते जाते हैं। इस प्रकार जिस राष्ट्र में वे विद्यार्थी एवं पर्यटक आते हैं, उसके लिए यह मद्रस्य आयात और जिस राष्ट्र में यह आते हैं उनके लिए मद्रस्य निर्यात होते हैं।

(5) अन्य विविध मर्दें—इसमें अन्य मसफ्ट मर्दों को सम्मिलित किया जाता है जैसे विदेशी सिनेमा फिल्मों पर तार व टेलीफोन सेवाओं पर रायल्टी तथा विदेशी विशेषताओं को बेतन।

अन्य मर्दें—भुगतान संतुलन में सम्मिलित की जाने वाली अन्य मर्दें निम्नलिखित हैं—

(6) स्वर्ण का आवागमन—भुगतानों का संतुलन न होने पर यह व्यवस्था स्वर्ण के आवागमन द्वारा पूर्ण की जाती है। इस प्रकार जिस देश में स्वर्ण दिया जाता है उसके लिए यह निर्यात व पाने वाले राष्ट्र के लिए आयात होता है।

(7) जनसंख्या का आवागमन—नागरिकों का एक देश को छोड़कर दूसरे राष्ट्र में जाने पर अपना धन प्रादि भी साथ ले जाते हैं। ऐसी देश में जिस राष्ट्र में मनुष्य जा रहे हो, उसके लिए यह मद्रस्य आयात एवं जिस राष्ट्र को आ रहे हो, उसके लिए यह मद्रस्य निर्यात में सम्मिलित किए जाते हैं।


(8) पूँजी का आवागमन—एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को धल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं। जब यह ऋण एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को भेजा जाता है तो वह ऋणदाता के लिए मद्रस्य आयात एवं ऋणग्राहक के लिए मद्रस्य निर्यात होता है। विदेशियों के सामान्य प्रवृत्त करने की इच्छा से भी कुछ राष्ट्र अपनी पूँजी को विदेशों में विनियोजित करते हैं। ऐसी पूँजी एक प्राप्त होनेवाला लाभदायक एवं व्याज की भांति देश के भुगतान संतुलन को मद्रस्य आयात एवं मद्रस्य निर्यात के रूप में प्रभावित करता है।

(9) उपहार (Gifts)—उपहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत एवं सरकारी रूप में दिए जा सकते हैं। इन उपहारों को निर्यातकर्ता राष्ट्र निर्यात वस्तु की भाँति लिखता है। जो राष्ट्र इन उपहारों को देता है उसके लिए आयात एवं प्राप्त करने वाले राष्ट्र के लिए यह निर्यात के समान होता है।

(10) मुद्रा का आवागमन—जब किसी राष्ट्र द्वारा विदेशों को निजो रकम में जमा करने के उद्देश्य से स्वदेशी मुद्रा भेजी जाती है तो उसे जमा देश में द्रविष्ट किया जाता है। जिस राष्ट्र से मुद्रा भेजी जाती है, उसके लिए यह आयात के समान होता है।

### भुगतान संतुलन के भाग (Parts of Balance of Payment)

#### भुगतान संतुलन के भाग



(i) खाल खाता—इसमें वर्तमान में स्थानांतरित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की राशि को सम्मिलित किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी भुव वस्तुओं का भाषात व निर्यात है व अन्य मदों में सेवाओं, व्याज, लाभांश, भुगतान व अन्य विविध मदों (जैसे विशेषज्ञों व एजेंसियों की सेवाएं आदि) को सम्मिलित करते हैं।

(ii) पूँजी खाता—इसमें विदेशों को किए जाने वाले सरकारी एवं व्यक्तिगत या बैंकिंग खातों में ऋणों के निर-देन को सम्मिलित करते हैं, जिसमें अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार की पूँजी को सम्मिलित करते हैं। इसमें पुराने ऋणों की वापसी स्वर्ण कोष में हुए परिवर्तन, आदि को भी सम्मिलित करते हैं। अविकसित राष्ट्रों में प्रायः बैंकिंग खातों के पूँजी सन्धि भाषागमन प्रपेक्षाकृत बड़े होते हैं। सरकारी ऋणों में विदेशी सरकारों एवं संस्थाओं से प्राप्त ऋण भी सम्मिलित रहते हैं। केंद्रीय बैंक के प्रतिरिक्त अन्य बैंकों के षेणों को भी सम्मिलित करते हैं।

भुगतान संतुलन के स्वरूप को एक तालिका या खाते के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, यह निम्न प्रकार है—

(अ) भुगतान संतुलन का चालू खाता  
(Current A/C of Balance of Payment)

Visible account  
Invisible account

चालू खाते में तीन मदें आती हैं—वस्तु खाता, सेवाओं का खाता तथा विदेशी भुनुदान व दान। सेवाओं व भुनुदान खातों को भद्रश्य खाता भी कहा जाता है। वस्तु खाते में समस्त वस्तुओं के लोदों का लेख करते हैं। सेवाओं के खातों में समस्त सेवाओं का लेखा रखा जाता है। चालू खाते में भुनुदानों को भी सम्मिलित करते हैं।

चालू खातों का संतुलित होना भावश्यक नहीं होता। चालू खातों के घाटे को पूरा करने के लिए पूँजी खाते का भाषिक्य प्रयोग किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष में इस खाते की मदों का वर्णन निम्न प्रकार किया है—

देश का चालू खाता Credit

भुगतान	प्राप्तियाँ
1. वस्तुओं के भाषात	1. वस्तुओं के निर्यात
2. विदेशी यात्रा पर व्यय	2. नागरिकों द्वारा विदेशियों को दी जाने वाली यातायात सुविधाओं में प्राप्ति
3. विदेशी यातायातों की सेवाओं की प्राप्ति पर व्यय	3. विदेशी कंपनियों से देश की बीमा कंपनियों की प्राप्ति
4. अन्य देशों के नागरिकों द्वारा देश से प्राप्त व्याज व लाभांश	4. विदेशी पर्यटकों द्वारा इस देश में व्यय
5. राज्य द्वारा विदेशों में व्यय	5. नागरिकों द्वारा विदेशों में लगाई गई पूँजी पर व्याज एवं लाभांश
6. विदेशी बीमा कंपनियों से बीमा	6. विदेशी कृत्नीतियों द्वारा देश में व्यय
7. विविध	7. देश की अन्य सेवाओं पर प्राप्त राशियाँ

(ब) भुगतान संतुलन का पूँजी खाता  
(Capital A/C of Balance of Payment)

पूँजी खाते के रूप में भुगतान संतुलन को प्रदर्शित करने के लिए बाईं ओर समस्त दृश्य एवं भद्रश्य निर्यातों को उनके मूल्य सहित दिखाते हैं तथा दाहिनी ओर समस्त दृश्य एवं भद्रश्य प्राप्ति को उनके मूल्य सहित प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार बाईं ओर के विवरण का योग विदेशियों से प्राप्त की जाने वाली राशि दिखाता है तथा दाहिनी ओर के विवरण का योग विदेशियों को दी जाने वाली राशि दर्शाता है। प्राप्ति एवं भुगतान के अंतर को भाषिक्य या घाटे के रूप में दिखाते हैं। पूँजी खाते के रूप में भुगतान संतुलन को निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है—



भुगतान संतुलन सदैव समतुलित रहता है  
(Balance of Payments always Balances)

श्रीमती जॉन रोबिन्सन का मत है कि 'भुगतान संतुलन सदैव समतुलित ही रहता है; व्यापार संतुलन ऋणों के षेप का प्रतिकूल रहता है।<sup>1</sup> प्रत्येक राष्ट्र का भुगतान संतुलन एक खाते के समान होता है जिसके दोनों पक्षों का सदा समतुलन बना रहता है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति का चिट्ठा समतुलित रहता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र का भुगतान-संतुलन भी सदैव संतुलित रहता है—यदि कभी घाटे की व्यवस्था हो जाए तो इसकी पूर्ति निम्न तरीकों में की जा सकती है, जिसे जमा व नाम पक्ष सदा समतुलित हो जाते हैं—

(i) धाय हस्तांतरित करना—यदि वर्षों में अग्रिम की गई धाय को हस्तांतरित करके भुगतान संतुलन के अंतर को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार विदेशों में प्राप्त ऋण राशि का भुगतान लेकर घाटे को पूर्ण किया जा सकता है।

(ii) पूंजी का आयात—घाटे को पूर्ण करने के उद्देश्य से विदेशी पूंजी का आयात किया जा सकता है। इसे एक जमा की मद मानते हैं जिससे भुगतान संतुलन में जमा की धार दिखाकर घाटे को समतुलित किया जा सकता है।

(iii) स्वर्ण का निर्यात—घाटे को पूर्ण करने के लिए स्वर्ण का निर्यात किया जा सकता है तथा इसे जमा पक्ष की धार दिखाया जाता है।

जिन राशि का भुगतान नहीं किया जाता, वह विदेशों के प्रति दायित्व माना जाता है, जिसे जमा पक्ष में अल्पकालीन विदेशी ऋण शीर्षक के अंतर्गत दिखाकर दोनों पक्षों को समतुलित किया जाता है। इस प्रकार जमा मदों का योग धनिवाच्य रूप से नाम मदों के योग के बराबर होगा। राष्ट्र के भुगतान संतुलन को तुलना धाय-व्यय विवरण से की जा सकती है। जिस प्रकार धाय-व्यय विवरण में लेनदार एवं देनदार का सदैव संतुलन बना रहता है, उसी प्रकार ये भुगतान संतुलन में भी भुगतान व प्राप्ति दोनों के मध्य सदैव संतुलन बना रहता है। वास्टर क्रॉब के अनुसार "एक राष्ट्र का व्यापार संतुलन का संतुलित अवस्था में रहना आवश्यक नहीं है, परन्तु उसका भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है।"<sup>2</sup>

### राष्ट्र में भुगतान संतुलन की विभिन्न अवस्थाएँ (Various Stages of Country's Balance of Payments)

विश्वी नौ राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तर पर भुगतान संतुलन की विभिन्न अवस्थाएँ निम्न हैं—

(i) वृद्धिशील राष्ट्र—इस परिस्थिति में राष्ट्र आयात अधिक व निर्यात कम करता है तथा अन्तर की राशि को दूसरे राष्ट्र से उधार लेकर पूर्ण कर लेता है। ऐसा करने से वह अपना पूंजी ढांचा निमित्त करने में समर्थ हो जाता है।

(ii) परिपक्व राष्ट्र—इस अवस्था में भूतकालीन ऋणों पर लानाश एवं ब्याज की बियाय रकमों का भुगतान किया जाता है तथा चातू खाते के षेप को संतुलित किया जाता है। पूंजी के आवागमन भी संतुलित अवस्था में रहते हैं।

(iii) नव ऋण दाता राष्ट्र—इस काल में निर्यात अधिक बढ़ा दिए जाते हैं तथा आयात कम हो जाते हैं। इस प्रकार विदेशों से स्वर्ण व अन्य स्वीकृतियाँ प्राप्त होती हैं।

1. Balance of Payment always balances; balance of trade is inverse of balance of indebtedness.—Mrs. Joan Robinson.

2. "A country's balance of trade may not balance; but its balance of payments always balances."—Walter Krause, *op. cit.*, p. 52.

(iv) परिपक्व लेनदार राष्ट्र—इस व्यवस्था में चालू भावश्यकताएँ पूर्ण होने के बाद पिछले विनियोगों पर विदेशों से प्राप्त होने वाली आय भी सम्मिलित की जाती है।

### भुगतान संतुलन में असाम्यता (Disequilibrium in Balance of Payments)

भुगतान संतुलन में जो साम्यावस्था दृष्टिकोण से होती है वह भ्रामक है, क्योंकि इन उपायों को सर्वत्र प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इस कुसमायोजन के सुधार के लिए प्रायास पर प्रतिबंध लगाकर निर्यात को प्रोत्साहित करना होगा। प्रायः भुगतान संतुलन में असाम्यता की स्थिति बनी ही रहती है। इस प्रकार का असंतुलन अनेक परस्पर तत्वों का सम्मिलित परिणाम होता है, जिन्हें एक-दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। भुगतान संतुलन में असंतुलन की स्थिति कितने ही कारणों से उत्पन्न हो सकती है। यदि कोई कारण हमारे भुगतानों को बढ़ाता है या हमारी भ्रामदनी को कम करता है तो हमारे भुगतान संतुलन में घाटा उत्पन्न होगा और उससे असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। भुगतान संतुलन में असाम्यता के कारणों को डेलबर्ट ए० स्नाइडर (Delbert A. Snider) ने निम्न दो भागों में विभाजित किया है—

(अ) रचना संबंधी कारण (Structural reasons)।

(ब) चक्रीय एवं मौद्रिक कारण (Cyclical and monetary reasons)।

(अ) रचना संबंधी कारण—प्रत्येक राष्ट्र के प्राथिक विकास में आयात एवं निर्यात की सहायता लेनी पड़ती है। आयात एवं निर्यात में संतुलन न रहने पर रचना संबंधी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

(i) विशिष्टीकरण एवं औद्योगीकरण—विशिष्टीकरण के कारण उत्पादन के साधनों में असंतुलन स्थापित हो जाता है क्योंकि विभिन्न राष्ट्रों के मुख्य सापेक्षिक तत्व स्थायी न रहकर परिवर्तित होते रहते हैं। इसी प्रकार औद्योगीकरण रचना संबंधी असाम्यता समाप्त करने को प्रोत्साहित करती है क्योंकि इससे निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़कर आयात को माप गिर जाती है।

(ii) व्यापार शर्तें—यदि निर्यात कीमतें धीरे-धीरे बढ़ें व आयात का मूल्य तेजी से बढ़े तो व्यापार शर्तें अनुकूल नहीं मानी जाती। इनके विपरीत यदि जनसंख्या की वृद्धि के कारण कृषि उत्पादनों के मूल्य बढ़ जाएँ तो व्यापार शर्तों में सुधार हो जाता है। इस प्रकार प्रतिकूल व्यापार शर्तें असाम्यता को जन्म देती हैं।

(iii) दीर्घकालीन पूंजी प्रवाह में परिवर्तन—दीर्घकालीन पूंजी प्रवाह में परिवर्तन माने पर भुगतान संतुलन में असाम्यता स्थापित हो जाती है। उदाहरणार्थ विदेशों में प्राप्त होने वाली दीर्घकालीन विदेशी राशिओं में अंतर माने पर असाम्यता स्थापित हो जाती है।

(iv) मर्यादात असाम्यता—जब व्यापार करने वाले राष्ट्र व्यापार पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो ऐसी असाम्यता उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार यदि प्रमुख को बड़ा दिया जाए तथा आयात पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए जाएँ तो भुगतान संतुलन में असाम्यता उत्पन्न हो जाएगी।

(v) प्राथिक संबंधों का रूप—जब एक राष्ट्र को समतुल्यता एक विशेष व्यापार पर प्राधान्य हो, तो वह विदेशी प्राथिक संबंधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है तथा इसमें परिवर्तन माने से संतुलन पूर्ण रूप से अस्त-भूत हो जाता है।

(vi) मांग एवं पूर्ति का परिवर्तन—मांग एवं पूर्ति की दशा में परिवर्तन होने से भी असाम्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रति व्यक्ति आंतरिक मांग में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होने लगता है। इसी प्रकार यमिको का प्राथमिक उद्योगों से निमित्त उद्योगों को जोर देखाउरण होने से मांग में वृद्धि हो जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए विदेशों का आश्रय लेना पड़ता है।

(vii) पूंजी की भारी हानि—पूँजी की भारी हानि भी रचना संबंधी असंतुलन उत्पन्न कर देती है। इसमें उत्पादन एवं प्रति स्थिति आय में कमी का अंतर है बिनके अग्रतक परिणाम नजर आते हैं। इस हानि के परिणाम-

स्वरूप धायात की मांग बढ़ जाती है व दूसरी ओर निर्यातक राष्ट्र मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं कर पाता, जिससे असाम्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(viii) घटक-स्तर पर संरचना संबंधी विवृति—सी० पी० क्रिडलबर्गर का मूड है कि कमी-कमी किसी घटक का मूल्य बढ़ जाने से दूसरे घटक का प्रयोग बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् इटली में धम का मूल्य बढ़ जाने से वहाँ पर पूँजी-गहन तकनीकों का प्रयोग बढ़ गया। इससे देश में पूँजी की कमी एवं धन की बेरोजगारी नाथ-साथ बनी रही और भुगतान संतुलन में भी गंभीर प्रभुत्व उत्पन्न हो गया।

(ब) चञ्ची एवं मौद्रिक कारण—इस संबंध में प्रभावित को सम्मिलित किया जाता है—

(i) धरेलू राष्ट्रीय धाय—धरेलू राष्ट्रीय धाय में परिवर्तन भुगतान संतुलन में असाम्यता प्रोत्साहित करता है। इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय धाय में परिवर्तन धायात को प्रभावित करते हैं, परंतु निर्यात पर उल्लाल प्रभाव नहीं पड़ता।

(ii) राष्ट्रीय मूल्य एवं लागत स्तर—कीमत व लागत में वृद्धि होने के कारण धायात में वृद्धि व निर्यात में कमी हो जाती है व घाटे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(iii) विनिमय दर—विनिमय दर में कमी करने पर मूल्य-स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव धरेलू मूल्यों में वृद्धि या विदेशी मूल्यों में कमी के बराबर होते हैं। यदि धायात को प्रोत्साहित करके निर्यातों में कमी करके, मुद्रा का अत्यधिक मूल्यजन किया जाए तो संतुलन में घाटे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

(iv) अल्पकालीन कारण—अल्पकालीन परिवर्तन के परिणामस्वरूप भी भुगतान संतुलन में असाम्यता उत्पन्न हो जाती है। इसमें धाय एवं धन संबंधी अल्पकालीन परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है।


(v) मूल्यों एवं धन के स्तर में परिवर्तन—देश में मूल्यों एवं धन के सामान्य स्तर में परिवर्तन धाने से भी असाम्यता उत्पन्न हो जाती है। यदि मांग बढ़ने पर पूर्ति नहीं बढ़ती तो स्फीतिक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इससे देश में भुगतान संतुलन में असाम्यता उत्पन्न होगी क्योंकि महंगे माल की विदेशों में मांग कम होने पर निर्यात कम हो जाएगा।

(vi) विविध—असाम्यता के विविध कारणों में उत्पादन के साधनों की सापेक्षिक वृद्धि, लागतों व कीमतों का स्तर, विनिमय दर आदि में होने वाले परिवर्तनों को भी सम्मिलित करते हैं।

(vii) विनिर्दुर्ण सरकारी हस्तक्षेप—यदि धायातों व निर्यातों पर सरकार द्वारा वर लगा दिया जाए और धायातों की मांग बेमोचदार व निर्यातों की मांग लोचदार हो तो घाटे के असंतुलन की स्थिति का सामना करना होगा। जिस राष्ट्र की व्यापार-धन विपरीत होती है, उसको भुगतान संतुलन के घाटे के संतुलन की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

भुगतान असंतुलन के कारणों को निम्न चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है :—

भुगतान असंतुलन के कारण





## समायोजन की विधियाँ (Systems of Adjustment)

भुगतानों के अंतरराष्ट्रीय सामंजस्य की स्थापना के लिए विभिन्न विधियाँ अपनायी जा सकती हैं, जो कि निम्नलिखित हैं—

(i) स्वर्णमान में सामंजस्य—इस व्यवस्था में विदेशी विनिमय दरों को स्थिर रखने एवं राष्ट्रीय धन्य, धन की मात्रा, बैंकिंग एवं प्रयुक्त नीति आदि की सहायता से संतुलन स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं।


(ii) विनिमय नियंत्रण—इसमें राष्ट्रीय धन्य एवं धन की मात्रा को यथावत् रखकर एक दृकाई विनिमय दर स्थापित की जाती है जिसमें आयात को निर्यात के स्तर पर सीमित कर दिया जाता है।

(iii) कागजी धान में सामंजस्य—इसमें घरेलू कीमत-स्तर राष्ट्रीय धन्य, प्रयुक्त सवधि व्यवहारो, मौद्रिक एवं बैंकिंग नीति को यथावत् रखकर विनिमय दरों में परिवर्तन लागू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समायोजन करने के प्रयास किए जाते हैं।

### असाम्यता को सुधारने के उपाय

भुगतान संतुलन की असाम्यता को सुधारने के सम्बन्ध में निम्न विचारों को रखा जा सकता है—

#### भुगतान संतुलन को सुधारने के उपाय



### (1) प्रतिष्ठित सिद्धांत

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि भुगतान संतुलन में असाम्यता उत्पन्न होने पर उक्त उपाय स्वचालित ढंग से हो जाएगा। इस संबंध में सर्वप्रथम ह्यूम (Hume) ने 'ध्यापार संतुलन के स्वयं-नियमन सिद्धांत' (Theory of automatic regulation of balance of trade) का प्रतिपादन किया। इन अर्थशास्त्रियों ने असाम्यता को दूर करने के लिए निम्न उपाय बताए—

(i) स्वर्ण भंडार का समान वितरण—स्वर्ण एक ऐसी वस्तु है जिसे सीधे ही विनिमय किया जा सकता है तथा सर्वव्यापी मांग होने के कारण इसकी कीमत में समानता की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक राष्ट्र में न तो अधिक मात्रा में स्वर्ण रह सकता है और न ही कम मात्रा में। इस प्रकार स्वर्ण भंडार का समान वितरण संभव हो जाता है।

(ii) स्वर्णमान का कार्यवाहन—जब किसी राष्ट्र को स्वर्ण प्राप्त होता है तो उसे कुछ देर तक प्रयुक्त कर दिया जाता है, जिसमें धन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार स्वर्णमान की कार्यवाही बिना किसी दबाव के निरंतर

चलती रहती है।

(iii) स्थिर होने की प्रवृत्ति—यह माना गया है कि विनिमय दर एक निश्चित टकसाली समता पर स्थिर हो जाएगी भुगतान संतुलन में साम्यावस्था का ज्ञान व्यवसाय करने वाले राष्ट्रों के मध्य एक निश्चित स्पर्ण समता पर विनिमय दर स्थिर हो जाने पर ही हो सकता है।

व्यवहार में ये समस्त बातें उस समय लागू होती हैं जब कि स्वर्णमान के खेल के नियमों का मही ढंग से पालन किया जाए।

## (2) रिकार्डों का सिद्धांत

रिकार्डों ने एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को वस्तुओं के आवागमन व द्रव्य के आवागमन को शासित करने वाले सिद्धांतों का पता लगाया। जब एक राष्ट्र के भुगतान संतुलन के साम्य में कोई स्कावट भा पड़े तो स्वचालित शक्तियाँ सक्रिय होकर साम्य की पुनः स्थापना कर देती हैं।

## (3) नव-परपरावादियों के विचार

नव-परपरावादियों ने प्रतिष्ठित सिद्धांत में अनेक सुधार किए जो कि निम्न हैं—

(i) पूँजी का आवागमन—भुगतान संतुलन में साम्य केवल स्वर्ण के आवागमन पर ही संभव नहीं होता, बल्कि पूँजी के आवागमन द्वारा भी साम्य स्थापित किया जा सकता है।

(ii) सशोधित रूप—इन्होंने अपरिपक्व व्याख्या के स्थान पर सशोधित एवं परिपक्व रूप को अपनाया। वर्तमान समय में मुद्रा पूँजी पर मानुषातिक कोष प्रणाली द्वारा नियंत्रण रखा जाता है जिससे मुद्रा प्रसार पर रोक लगा दी जाती है तथा मुद्रा प्रणाली पर उचित नियंत्रण बना रहता है।

## (4) आधुनिक उपाय

वर्तमान समय में भुगतान संतुलन में साम्य स्थापित करने वाले प्रमुख उपाय निम्न हैं—

(अ) मौद्रिक उपाय।

(ब) अमौद्रिक उपाय।

### (अ) मौद्रिक उपाय (Monetary Measures)

मौद्रिक उपायों में निम्न को सम्मिलित किया जाता है—

(i) मुद्रा का अवमूल्यन—जब भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के उद्देश्य से स्वदेशी मुद्रा के बाह्य मूल्य को घटाना हो तो सरकार द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाता है, जिससे स्वदेशी मुद्रा का बाह्य मूल्य गिर जाता है। यदि देश स्वर्णमान पर आधारित हो तो स्वदेशी मुद्रा की धातु मात्रा को कम कर दिया जाता है। इससे निर्यात प्रोत्साहित एवं आयात हतोत्साहित होते हैं व भुगतान संतुलन पक्ष में हो जाता है।

(ii) आंतरिक मूल्य को ऊँचा करना—स्वदेशी मुद्रा का आंतरिक मूल्य बढ़ने से भी असाम्यता दूर हो जाती है। इसके लिए सामान्य मूल्य-स्तर को मुद्रा को संकुचन करके गिराया जाता है तो कीमतें घट जाती हैं जिससे ऋण के लिए प्रच्छा व विक्रय के लिए बुरा बाजार बन जाता है, इससे निर्यात बढ़ते हैं व आयात घटकर भुगतान संतुलन में साम्य स्थापित हो जाता है।

(iii) मुद्रा के बाह्य मूल्य का ह्रास—विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ने पर स्वदेशी मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है। संतुलन में प्रतिकूलता होने पर स्वदेशी मुद्रा के लिए मांग में कमी हो जाती है, फलस्वरूप बैंक अपनी विदेशी मुद्रा का भाव बड़ा देते हैं, इससे विदेशी मुद्रा में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। इस स्थिति को मूल्य ह्रास कहते हैं। इस प्रकार स्वदेशी मुद्रा विदेशियों के लिए सरती हो जाती है, फलस्वरूप निर्यात प्रोत्साहित होते हैं। इसके विपरीत जब विदेशी धनपुं स्वदेश में महंगी हो जाती है, इससे आयात निरस्त हो जाते हैं। इससे निर्यात प्रोत्साहित

एवं भारत ह्येलाहिय ह्येपि त्रिकोण देश के मुद्रा संयुक्त पर कक्षा प्रभाव पड़ेगा व उन्में प्रतिक्रिया का, उनापोषक मरतवा से हो जाएगा ।

भारत की दरों में परिवर्तन—भारत की दरों में वृद्धि करके भी विदेशी पूंजी का देश में आयात किया जा सकता है तथा देश को पूंजी को बाहर जाने से रोका जा सकता है । इन्से मुद्रा संयुक्त की स्थिति पर कक्षा प्रभाव पड़ेगा । यदि संयुक्त बहुत अधिक हो तो वह उपाय पर्याप्त नहीं माना जा सकता ।

**(ब) अर्थिक उपाय (Non-Monetary Measures)**

इन्में आयात-निर्गत को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जाता है । इन उपायों से आयातों को ह्येलाहिय एवं निर्गतों को प्रोत्साहित किया जाता है । अर्थिक उपाय निम्नलिखित हैं—

(i) निर्गत में वृद्धि—मुद्रा संयुक्त में सुधार लाने के लिए निर्गत में वृद्धि करने के प्रयास किए जाने चाहिए। निर्गत बढ़ाने के लिए निम्न प्रयास किए जा सकते हैं—

(i) मशीन विनिर्गतों को होत्र—निर्गत को बढ़ाने के लिए विदेश के अन्य राष्ट्रों में नवीन विनिर्गतों को खोज की जाती चाहिए तथा विकासशील देशों में निर्गत उपायनामों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए ।

(ii) बहुपक्षीय समझौते—बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम पर निर्गत में वृद्धि करने के प्रयास किए जाएं ।

(iii) सामान में कमी—उत्पादन लागत में कमी करके विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने योग्य मान होना चाहिए ।

(iv) बुंजी वारिष्ठ करना—निर्गत के लिए प्रयोग में आने वाले कच्चे मालों पर बुंजी को वारिष्ठ कर देना चाहिए ।

(v) आर्थिक सहायता—आवश्यकता पड़ने पर कृत निर्गत को आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करना चाहिए ।

(vi) विदेशी सुविधाएं—एक निश्चित सीमा से अधिक मात्रा में निर्गत करने पर आयातियों को विशेष सुविधाएं दी जाती चाहिए ।

(vii) दरों में कमी—निर्गत दरों में कमी करके निर्गत को प्रोत्साहित किया जा सकता है ।

(viii) अनुकूल शर्तें—विदेशी मालों को आयात करने के लिए भारत की अनुकूल शर्तों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। त्रिकोण निर्गत को मात्रा में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि संभव हो सके ।

(ix) स्थानीय मांग को सीमित करना—जहां तक संभव हो सके स्थानीय मांग को सीमित करने के उपाय मात को निर्गत करने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

(x) आवश्यक निर्गत—समुद्र उत्पादन का एक निश्चित प्रतिशत मात्रा निर्गत के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए तथा उत्पादकों को हर संभव सुविधाएं देने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

(2) आयात में कमी—मुद्रा संयुक्त को सुधारने के लिए अनावश्यक आयातों में कमी हो जानी चाहिए ।

इन संबंध में निम्न प्रयास करने चाहिए—

(i) स्थानान्तरण—जिन वस्तुओं के स्थानान्तरण उचित हों उनका स्थानान्तरण रूप से उत्पादन संभव बचाके आयात में कमी करना चाहिए ।

(ii) भावी आयात में कमी—ऐसी वस्तुओं के आयात को प्राथमिकता देनी चाहिए जो अर्थिक में आयात घटाने में सहायक सिद्ध हो सके ।

(iii) वित्तियता के आयात को सीमित करना—ऐसी वस्तुएं जिनका आयात कमी करें द्वारा वित्तियता के लिए किया जाता है, उन्हें मुद्रा में कम किया जाना चाहिए ।

उपाय—आयात को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों को करना जा सकता है—

(i) आयात कर—आयात कम करने के लिए भारी मात्रा में आयात कर लगाया जाए। इन्से मुद्रा उच्च हो जाएं तथा विक्रेताओं के लाभ कम हो जाते हैं व प्रोडार्थों की मात्रा भी कम हो जाती है तथा कर के रूप में धन सरकारी खजाने में जमा हो जाता है । इस प्रकार आयात कर मुद्रा संयुक्त को प्रतिक्रिया का सुधारने का एक प्रभाव-

शाली उपभूय प्रणाली-जाता है-

(ii) अभ्यन्त प्रणाली (Quota system)—कोटा प्रणाली के आधार पर भी आयातों को सीमित किया जा सकता है। इनके विभिन्न रूप हैं जो कि निम्न हैं—

(अ) एक पक्षीय कोटा प्रणाली—इसमें प्राप्त करने वाला राष्ट्र अपने आयातों पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें आयात को अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है जिसे विरथ के किसी भी राष्ट्र से पूरा किया जा सकता है।

(ब) विभाजित कोटा—यदि आयात के लिए निश्चित की गई मात्रा को विभिन्न राष्ट्रों से आयात करना निश्चित कर दिया गया हो तो उसे विभाजित कोटा कहेंगे।

(स) द्विपक्षीय कोटा प्रणाली—इसमें सरकार द्वारा आयात की एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है, जिस सीमा तक रियायती दर पर आयात किए जा सकते हैं, किंतु उससे अधिक आयात करने पर ऊंची दर से मूल्य वसूल किए जाते हैं।

(द) अनुज्ञा कोटा प्रणाली—इसमें सरकार कुछ सीमित व्यापारियों को ही अनुज्ञापत्र देकर निश्चित मात्रा तक ही आयात करने को सुविधाएँ देती है। आयात किये जाने वाली वस्तुओं एवं उनकी मात्रा का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है।

(iii) आयात निषेध—आयात को रोकने के लिए जिन वस्तुओं का आयात देश के लिए हानिप्रद हो उनके आयात को निषेध किया जा सकता है तथा भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधार जा सकता है।

(iv) प्रशासनिक ढंग—इस व्यवस्था में ऐसी पद्धतियों को अपनाया जाता है जो व्यापारियों को परेशान करने उन्हें निरुत्साहित करें, जिससे वे अपनी इच्छा से आयात की मात्रा में कमी कर सकें।

(3) विनियम नियंत्रण—इस प्रणाली में समस्त व्यापारियों को जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है उसे केंद्रीय कोष में जमा करने का आदेश दिए जाते हैं तथा बाद में इस राशि को प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न मदों पर वितरित कर दिया जाता है। आयातन-संशोधी को अनुज्ञापत्र दिए जाते हैं तथा अनुज्ञापत्र रहित व्यापारियों को आयात करने की सुविधाएँ नहीं दी जाती। इस प्रकार विनियम पर कठोर नियंत्रण लगाकर भुगतान संतुलन की समस्याओं को दूर किया जा सकता है।

(4) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष—वर्तमान समय में भुगतान संतुलन की समस्याओं को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी सहायता ली जाती है, जो राष्ट्रों को विभिन्न प्रकार के परामर्श देती है। इस दृष्टि से भुगतान संतुलन की समस्याओं को दूर करने में रखा गया है—(अ) मौलिक समस्या, एवं (ब) अस्थायी समस्या। इस बीच के समस्त सदस्यों के लिए यह आवश्यक होता है कि भुगतान संतुलन की समस्याओं को दूर करने के लिए इस कोष से उचित परामर्श कर लिया जाए।

(5) प्राय नीति—इस नीति में मौद्रिक नीति की सहायता से प्रत्येक उपायों द्वारा, प्राय पर नियंत्रण लगाए जाते हैं। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति में प्राय में कमी होने पर आयात में भी कमी हो जाती है। अतः मौद्रिक एवं प्रत्येक नीति का प्रयोग करते समय अधिकारियों को प्रांतिक संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखना चाहिए तथा भुगतान संतुलन में सुधार करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(स) व्यापार संबंधों उपाय (Trade Measures)—इसमें निम्न उपायों को सम्मिलित किया जाता है :—

(i) भदला-बदली—प्राचीन समय के अनुसार वर्तमान समय में भी एक देश से दूसरे देश के साथ दस्तुओं के बारे में भदला-बदली के समझौते होते हैं। इसमें स्वयंसेव से ही संतुलन बना रहता है भदला-बदली योजना समय के आधार पर दोनों देश साइमैंग-पत्र जारी करते हैं।

(ii) स्वतंत्र व्यापार—संतुलन का कारण नियंत्रण न होकर किसी के नियंत्रणों के कारण भुगतान के घाटे की स्थिति उत्पन्न होना है। स्वतंत्र व्यापार पद्धति को चालू करने से यह समस्या दूर की जा सकती है।

## भारत का भुगतान संतुलन (India's Balance of Payment)

प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व भुगतान संतुलन की असाम्यता को स्वर्ण द्वारा समायोजित किया जाता था। परंतु वर्तमान काल में इसमें अनेक परिवर्तन हो गए हैं तथा अन्य अनेक ढंगों द्वारा भुगतान संतुलन को समायोजित करने के प्रयास किए जाने हैं।

### युद्ध-पूर्व स्थिति

युद्ध-पूर्व भारत का भुगतान संतुलन पक्ष में था, परंतु स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं थी। देश के उत्पादन का अधिकांश भाग ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था तथा देश की स्थिति इतनी सुदृढ़ थी कि वह सरलता से गृह खर्चों एवं व्याज प्राप्ति की व्यवस्था कर सकता था। देश से प्रायः कच्चे माल का निर्यात होने से व्यापार घातें प्रतिकूल रहती थीं। बाह्य खर्चों को संतुलित करने में स्वर्ण का आवागमन किया जाता था तथा स्वर्ण का प्रायात एवं निर्यात दोनों ही किए जाते थे। भारत ने कोई भी संरक्षणात्मक एवं प्रतिबंधात्मक नीति को नहीं अपनाया तथा निर्यात द्वारा देश को सम्पन्न बनाने के अनेक प्रयास किए गए।

### युद्धकालीन स्थिति

युद्धकालीन अवधि के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी है, पौरुष पावने के संबंध में ही जानकारी प्राप्त हो सकी है। इस काल में भुगतान संतुलन की अनेक विशेषताएँ रही, जो कि निम्न हैं—

(i) व्यापक कथ शक्ति—युद्धकालीन स्फीतिक प्रवृत्ति ने जनता के हाथों में व्यापक कथ शक्ति छोड़ दी। इस में मशीन उद्योगों की स्थापना के लिए अनेक प्रकार की मशीनों का आयात करना पड़ा तथा देश का पौरुष पावना होने के कारण विदेशों को स्वर्ण निर्यात करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

(ii) अनुकूल संतुलन—पौरुष पावने की वृद्धता के कारण देश में भुगतान संतुलन अनुकूल स्थिति में ही बना रहा। इस अनुकूल स्थिति का कारण आयात में कमी, मूल्यों में सुधार एवं भारी मात्रा में अद्रुस्य मदों में बढोती करना था।

(iii) गृह खर्चों की समाप्ति—सोवामो के भुगतान में कमी करके गृह खर्चों को समाप्त करके भारत एक कर्बेदार राष्ट्र बन गया।

### द्वितीय विश्व युद्ध बाद स्थिति

इस काल में व्यापार के घाटे ने व्यापार की घातों को प्रतिकूल बना दिया। युद्धोत्तर काल में भारत ने महीने घातों पर माल का आयात किया जिससे उसे व्यापारिक घाटे का सामना करना पड़ा। इस काल के भुगतान संतुलन की प्रमुख विशेषताएँ निम्न थीं—

(i) भुगतान व प्राप्ति में एकदृष्टता—1948 तक व्यापारियों के माल के समस्त भुगतान एवं प्राप्ति दोनों में एकदृष्टता बनी रही।

(ii) वार-भौतिक स्वर्ण का महत्वपूर्ण आवागमन—इस अवधि में वार-भौतिक स्वर्ण के आवागमन का कोई विशेष महत्व नहीं पड़ा। इस काल में ब्रिटेन से भुगतान प्राप्त होने के कारण भुगतान संतुलन अनुकूल स्थिति में बना रहा।

(iii) उदार-प्रायात नीति—इस अवधि में उदार प्रायात नीति के कारण स्थिति बिगड़ने लगी जिससे व्यापार पक्ष क्षय हो गई। उदार प्रायात नीति इस कारण अपनायी गयी कि देश में उद्योगों के विकास के लिए मशीनों की आवश्यकता थी।

(iv) बालू ताले में आधिपत्य—निर्यात मूल्यों में वृद्धि होने के कारण बालू ताले में आधिपत्य बना रहा।

निर्यातवरो में वृद्धि करने के उपरांत भी निर्मात में वृद्धि हो रही थी। इस प्रकार भुगतान की स्थिति में सुधार हुआ।

(v) बालू छाते में घाटा—1951 में छायात्मक का भारी मात्रा में आयात करने के परिणामस्वरूप बालू छाते में पुनः घाटे की स्थिति उत्पन्न हो गई।

(vi) भुगतान संतुलन में सुधार—पौष्ट क्षेत्र में सुधार होने के कारण भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ। कठोर आयात प्रतिबंध लगाने से आयात घट गए।

(vii) नवीन आयात नीति—1949 में नवीन आयात नीति को अपनाते पर भुगतानों का अन्तर कम हो गया। 1949 में अवमूल्यन करने से स्थिति में और अधिक सुधार हुआ। इससे निर्यातों में सुधार हुआ व आयात में कमी हुई।

(viii) नियंत्रण को अंशतः ढीला करना—1947 में आयातों पर नियंत्रण को अंशतः ढीला कर दिया गया तथा दूसरी ओर प्राप्तियों में वृद्धि हुई, इससे व्यापार संतुलन में कोई विशेष हानि नहीं हुई।

15 अगस्त, 1947 के विभाजन के पश्चात् व्यापार की स्थिति में सुधार हुआ है। विभाजन के पश्चात् भारत से निर्यात वस्तुओं का निर्यात बढ़ा तथा कच्ची सामग्री का आयात बढ़ा। भारत एक निर्माता राष्ट्र बन गया, देश की भौतिक स्थिति ने मौद्रिक स्थिति को प्रभावित करने के संपूर्ण आर्थिक नीतियों पर प्रभाव डाला। इसी प्रकार नवीन राजनीतिक सीमाओं ने नवीन हितों को प्रभावित किया। अवमूल्यन का देश के भुगतान संतुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा तथा आयात कम हुए व निर्यात बढ़े। कठोर मुद्रा वाले क्षेत्रों में भारत का व्यापार संतुलन विपन्न में रहा। अतः भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना पड़ता था। विभाजन के पश्चात् कठोर मुद्रा वाले क्षेत्रों को निर्यात में कमी हो गई तथा हाल की स्थिति भी खराब हो गई। पाकिस्तान के निर्माण से विभाजन के प्रारंभिक वर्षों में भुगतान संतुलन में उतार-चढ़ाव आते रहे। पाकिस्तान से प्रायः कच्चे माल का आयात होता है।

भारत के भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता के कारण

भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता के प्रमुख कारण निम्न हैं—

(1) डालर संकट—डालर संकट एक विश्वव्यापी समस्या बन गया है जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। इस समस्या के प्रमुख कारण निम्न हैं—

(i) माल की अधिक मांग—विभिन्न राष्ट्रों के विकास एवं पुनर्रचना के कारण मांग में वृद्धि हुई तथा दूसरी ओर उत्पादन में वृद्धि न हो सकी। परंतु सं० रा० अमेरिका में उत्पादन पर्याप्त रूप से बढ़ा। विश्व में अमेरिका ही एक ऐसा राष्ट्र था जो विश्व की बढ़ती मांग को पूर्ण कर सकता था। अमेरिका ने विश्व के अनेक राष्ट्रों को माल निर्यात किया और बदले में डालर मांगा, जिससे डालर की मांग बढ़ गयी और डालर-संकट उत्पन्न हो गया।

(ii) अर्द्धविकसित राष्ट्रों का विकास—अर्द्धविकसित राष्ट्रों में उद्योगों का विकास हो रहा है जो निर्यात बढ़ाने के प्रयास में लगे हैं, परंतु इसके लिए विदेशों से आयात करना आवश्यक था, जिसने डालर-संकट उत्पन्न किया।

(iii) युद्ध की क्षति—विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में युद्ध से क्षति हुई, जिसके पूर्ण करने में आयात बढ़ाने पड़े एवं निर्यात में कमी होने से डालर-संकट उत्पन्न हुए।

(iv) अमेरिकी तकनीकी सर्वोच्चता—अमेरिका के सर्वोच्च तकनीकी विकास से अनेक वस्तुओं के उत्पादन में अंधार वृद्धि हुई जिसने विश्व के बाजारों में माल निर्यात किया तथा डालर अर्जित किए, जिसने अन्य राष्ट्रों में डालर की कमी कर दी।

(2) विदेशी पूंजी का आयात—भारत में पूंजीगत आवश्यकताओं एवं बचतों के मध्य रिक्त स्थान होने के कारण विदेशी पूंजी पर निर्भर रहना पड़ा। देश की योजनाओं को पूर्ण करने के लिए भी विदेशी पूंजी का सहारा लिया गया, जिससे भुगतान संतुलन प्रतिकूल होता गया।

(3) पर्यटक यातायात का विकास—भारत प्रतिवर्ष देशवासियों के विदेशी यात्राओं पर भारी व्यय करता है जिसके लिए भारी मात्रा में विदेशी विनिमय का भुगतान देना पड़ता है जिससे भुगतान संतुलन विपन्न में हो गया।

(4) सहायक सेवाएँ—भारत को सहायक सेवाओं के कारण विदेशी परिवहन एवं बीमा कंपनियों

की सेवाओं के कारण भारी मात्रा में भुगतान करना पड़ा। इससे भुगतान संतुलन विपन्न में हो गया।

(5) शॉट पावना—शॉट पावने की मात्रा में निरंतर कमी हो रही थी। भारत के पास सीमित साधन होने के कारण डालर क्षेत्र से माल आयात नहीं किया जा सका। शॉट क्षेत्र में भी आयात नीति कठोर होनी गई। मुद्रा स्थिति में माल की अधिक पूति को आवश्यक बना दिया जिससे देश से अभाव की स्थिति को सुलभताया जा सके। अधिक आयात होने से स्थिति और अधिक बिगड़ गई, अतः आयात पर कठोर नियंत्रण लगाए गए।

(6) प्रतिकूल व्यापार शर्तों—व्यापार शर्तों के प्रतिकूल होने से भुगतान संतुलन की स्थिति भी खराब होती गई। देश में आयात की मात्रा में निरंतर वृद्धि होनी गई तथा निर्यात कम हो गए, फलस्वरूप भुगतान संतुलन की स्थिति बिगड़ती गई।

(7) युद्धकाल में निर्यातों की अधिकता—निर्यात अधिक होने एवं आयात कम होने से स्टॉक प्रतिकूलता प्राप्त हुई, जिनके आधार पर नोटों का प्रकाशन किया गया, जिसने रूपाति को प्रोत्साहित करके स्थिति को खपव कर दिया।

(8) अवभूत्यन—1949 में भारत के अवभूत्यन के साथ पाकिस्तान ने अवभूत्यन न किया, जिससे पाकिस्तानी आयात बढ़ने पड़े व भुगतान संतुलन विपन्न में हो गया।

(9) निर्यात में कमी—भुगतान संतुलन के विपन्न में होने का एक अन्य कारण देश में ही अनेक प्रकार के उपयोगों का अस्तना है जहाँ पर कच्ची सामग्री का प्रयोग बंद गया और कच्ची सामग्री का निर्यात संभव न होने से भुगतान संतुलन विपन्न में हो गया।

(10) निम्न उत्पादन स्तर—देश में आवश्यक सामग्री के अभाव, प्राकृतिक प्रकोप व अन्य कारणों से उत्पादन में वृद्धि संभव न हो सकी, जिससे निर्यात बड़ाए न जा सके व भुगतान संतुलन विपन्न में हो गया।

(11) दोषपूर्ण व्यापारिक प्रणाली—देश में सहयोग व सङ्गठन के अभाव तथा दोषपूर्ण व्यापारिक प्रणाली के कारण निर्यातों की मात्रा में वृद्धि करना संभव नहीं हो सका। देश में विज्ञापन पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता।

(12) अन्य कारण—स्वतंत्रता के पश्चात् दूतावासों एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने से व्यय में वृद्धि हो गई है, जिससे भुगतान संतुलन पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

### प्रतिकूल संतुलन सुधारने के उपाय

भारत के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं—

(1) आयात पर प्रतिबंध—भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने हेतु आयात पर कठोर प्रतिबंध लगाने होंगे तथा निर्यातों को बढ़ाना होगा। इस संबंध में सरकार ने निम्न उपाय अपनाए हैं—

(i) लाइसेंस प्रथा—आयात को सीमित करने के लिए सरकार ने लाइसेंस प्रथा आरंभ की तथा बिना लाइसेंस आयात पर प्रतिबंध लगा दिए गए।

(ii) देश में उपलब्ध वस्तुएं—जो वस्तुएं देश में ही उपलब्ध हैं उनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिए गए।

(iii) नीति पर पुनर्विचार—माल में दो बार आयात नीति को पुनर्विचार करके घोषित किया जाता है, जिससे उसे नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजित किया जा सके।

(iv) स्थगित भुगतान पद्धति—आयात मार को कम करने के उद्देश्य से स्थगित भुगतान व्यवस्था की नीति को आयात में अपनाया गया है।

(v) विद्या में परिवर्तन—दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों से आयात की दिशा गुणवत्ता मुद्रा क्षेत्रों की ओर मोड़ दी गयी तथा बाटा होने पर आयात पर प्रतिबंध लगाए गए।

(vi) प्राथमिकता सूची—आयात वस्तुओं की प्राथमिकता सूची बनाई गई, जिसमें प्राथमिकता वाले आयात को प्राथमिकता दी गई।

(vii) निर्यात आयात—अनेक वस्तुओं को सुनी सूची से हटाकर निर्यात आयात के अंतर्गत रखा गया

जिससे आयात की मात्रा में कमी की जा सके।

(viii) आयात सलाहकार परिषद्—देश में आयात सलाहकार परिषद् की स्थापना की गई जो आयात के संबंध में आवश्यक सलाह देता है।

(2) स्फीति पर नियंत्रण—स्फीति पर नियंत्रण लगाने से मूल्य कम होकर निर्यात प्रोत्साहित होंगे तथा संतुलन पक्ष में होगा।

(3) विनिमय नियंत्रण—रिजर्व बैंक को विदेशी विनिमय संबंधी अधिकार देने से विनिमय पर नियंत्रण लगा दिए जाते हैं तथा इसका उपयोग आवश्यक आयात के लिए ही किया जाता है।

(4) राजकीय व्यापार निगम—देश में राजकीय व्यापार निगम की स्थापना की गई जो व्यापार एवं निर्यात बढ़ाने के प्रयास करता है, जिससे भुगतान संतुलन पक्ष में हो सके।

(5) द्विपक्षीय समझौते—द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम पर विदेशी विनिमय की कठिनाइयां होने पर भी आवश्यक माल आयात किया जा सकता है तथा निर्यात को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

(6) ऋबमूल्यन—मुद्रा का ऋबमूल्यन होने से विदेशों में माल सस्ता हा जाता है जिससे निर्यात सस्ते व आयात महंगे हो जाते हैं तथा आयात हतोत्साहित व निर्यात प्रोत्साहित हो जाते हैं तथा भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता कम हो जाती है।

(7) अधिक उत्पादन—सरकार ने अधिक उत्पादन व्यवस्था करने के प्रयास किए, जिससे निर्यात की मात्रा को प्रोत्साहित किया जा सके।

(8) निर्यात में वृद्धि—देश में निर्यात में वृद्धि करके संतुलन को ठीक किया जा सकता है। निर्यात बढ़ाने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं—

(i) करों में कमी—निर्यात किए जाने वाले माल पर न्यूनतम मात्रा में कर लगाने चाहिए।

(ii) श्रेष्ठ किस्म—निर्यात किए जाने वाले माल की किस्म श्रेष्ठ होनी चाहिए, जिससे वह विदेशी प्रति-योगिता का सामना कर सके।

(iii) सट्टे पर प्रतिबंध—निर्यात होने वाली वस्तुओं के सट्टे पर प्रतिबंध लगा देने चाहिए।

(iv) संगठन की स्थापना—निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से देश में निर्यात संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए।

(v) सुविधाएं—निर्यातकों को कच्चे माल एवं मशीनरी आदि की प्राप्ति की सुविधाएं होनी चाहिए।

(vi) व्यापारिक संबंध—विश्व के अधिक से अधिक राष्ट्रों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(vii) न्यूनतम हस्तक्षेप—निर्यात व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए।

(viii) निर्यात सलाहकार परिषद्—निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात सलाहकार परिषद् की स्थापना की गई है। भारत में ऐसी लगभग 20 निर्यात परिषदों की स्थापना की गई है।

(ix) जोशिम बीमा निगम—निर्यातकों को जोशिम को कम करने के उद्देश्य से देश में जोशिम बीमा निगम की स्थापना की गयी।

(x) प्रतिनिधि मंडल—व्यापारिक अध्ययन के लिए विदेशों में प्रतिनिधि मंडल भेजे गए हैं जो निर्यात बढ़ाने के प्रयास करते हैं।

(xi) विशेष सुविधाएं—निर्यातकों को विशेष प्रकार की छूट एवं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे वे निर्यात में वृद्धि कर सकें।

(xii) सुरक्षित—उत्पादन का कुछ प्रतिशत भाग निर्यात के लिए सुरक्षित रखा दिया गया है।

(9) अन्य उपाय—निर्यात में वृद्धि करने के लिए अन्य उपाय भी अपनाए जाते हैं, जिसमें किस्म सुधार तथा मूल्यों में कमी करना आदि प्रमुख हैं।



रहेगी। इसी प्रकार इस योजना के अंत में आयात की मात्रा 2,220 करोड़ ₹ रहेगी जो 1980-81 में बढ़कर 2,950 करोड़ ₹ होगी। 1980-81 में दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम के आधार पर विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी हो जाएगी। धारा है 1980-81 में व्यापार संतुलन अनुकूल बना रहेगा।

### पांचवी योजना

इस योजना में निर्यात लक्ष्य 2,890 करोड़ ₹ रखा गया है और निर्यात वृद्धि दर 7.6% रखी गयी है। निर्यात आय में वृद्धि इजीनियरिंग सामान, खनिज लोहा, इस्पात व मछली आदि के निर्यात से होगी। विश्व में इजीनियरिंग सामान का निर्यात 1970 में 74 बि० डालर था जो 10% वार्षिक से बढ़कर 1978-79 में 400 करोड़ ₹ हो जाएगा। 1973-74 में देश का निर्यात 2,000 करोड़ ₹ से बढ़कर 1978-79 में 2,890 करोड़ ₹, 1983-84 में 4,170 करोड़ ₹ व 1985-86 में 4,770 करोड़ ₹ होने की संभावना है।

भुगतान संतुलन की वर्तमान स्थिति (Present Position of Balance of Payment)—प्रथम योजना-काल में विदेशी विनिमय कोष 127 करोड़ ₹ था। द्वितीय योजना में 600 करोड़ ₹ इस कोष से निकाले गए। तृतीय योजना में इस कोष में 6 करोड़ ₹ से कमी हो गयी। चतुर्थ योजना में 1972-73 तक इस कोष में 846 करोड़ ₹ जमा थे। पांचवी योजना में निर्यात में वृद्धि एवं आयात में कमी करके इस कोष में वृद्धि करने के प्रयास करने हैं। विदेशी विनिमय कोष की स्थिति को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है :—

### विदेशी विनिमय कोष


(करोड़ ₹ में)

वर्ष	राशि	वर्ष	राशि
1960-61	304	1974-75	969
1965-66	298	1975-76 :—	
1970-71	732	अप्रैल	1008
1971-72	849	मई	936
1972-73	846	जून	891
1973-74	947		

(Source : The Financial Express Sep. 20, 1975)

भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति 1974-75 की तुलना में 1975-76 में और अधिक खराब हो गयी। जून 1975 तक विदेशी विनिमय कोष 891 करोड़ ₹ था जिनमें मई 1975 की तुलना में 45 करोड़ ₹ की कमी आयी। 1975-76 के प्रारंभ में भारत के स्वर्ण भंडार 183 करोड़ ₹ के थे जबकि विशेष आह्वरण अधिकार में 6 करोड़ ₹ से कमी आयी। परिवर्तित कोष की मात्रा मार्च 1975 में 610 करोड़ ₹ से घटकर जून 1975 में 538 करोड़ ₹ हो गयी। ऊँचे आयात मूल्य के कारण विदेशी कोष की स्थिति और खराब हो गयी। परिणामस्वरूप भारत को अगस्त 1975 में SDR से 201 बि० डालर निकालने पड़े। इस पर व्याज दर 7.75% रहेगी। भारत ने स्वर्ण भंडार से भी 485 करोड़ डॉलर निकाल लिए हैं। अतः निर्यात को बढ़ाकर ही इस कोष की स्थिति को सुधारा जा सकता है। भारत के विदेशी विनिमय कोष की स्थिति को अग्र पृष्ठ पर चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है :—

चित्र



1970-71 से 1975-76 तक भारत के घातक मासिक आयात एवं निर्यात को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

भारत का विदेशी व्यापार  
(मासिक घातक)

(करोड़ ₹० में)

वर्ष	आयात	निर्यात
1970-71	136.18	127.93
1971-72	152.04	134.02
1972-73	155.62	164.24
1973-74	243.77	210.28
1974-75	362.39	271.09
1974-75 (अप्रैल-जुलाई)	332.69	239.10
1975-76	351.07	269.18

(Source : The Economic Times Sep. 22, 1975)

1975-76 के प्रथम चार माह में कुल निर्यात 1076.72 करोड़ ₹० था, जो गत वर्ष की तुलना में 12.6% अधिक था जबकि आयात में गत वर्ष की अपेक्षा 5.5% से ही वृद्धि हुई है। 1971-72 में निर्यात में 4.8% से वृद्धि हुई जो 1973-74 में बढ़कर 22.5%, 1974-75 में 28% हो गई। भविष्य में निर्यात में 30% से वृद्धि होने की संभावना है। 1974-75 में आयात में 48.7% से वृद्धि हुई जबकि 1973-74 में यह वृद्धि 56.6% थी। साधान में आयात कम होगा, परंतु अन्य वस्तुओं का आयात अधिक होने के कारण भारत के विदेशी व्यापार पर भारी दबाव पड़ेगा।<sup>1</sup>  
संदर्भ—6 जून 1966 को भारतीय रुपये का प्रचलन रिया गया। तृतीय योजना में निर्यात महामात्र

1. The Economic Times Sep 22, 1975.

एवं आयात कर का व्यापक स्तर पर प्रबंध करके ही अन्वमूल्यन को अमनाया गया । अन्वमूल्यन से हमारे आयात 36.5 प्रतिशत से महंगे हो गए । यदि 6 प्रतिशत ही आयात की मात्रा हो तो अब उन्हें खरीदने के लिए 40% अधिक राष्ट्रीय आय व्यय करना होगा । यदि आयात की वित्तीय व्यवस्था विदेशी ऋण से हो जाए तो स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं आएगा । आयातों का भुगतान निर्यातों के द्वारा ही किया जाता है । अन्वमूल्यन के कारण विदेशी आय अधिक मात्रा में प्राप्त न हो सकेगी क्योंकि विदेशी निर्यातों में मूल्य कम हो जायेंगे । आयात पर कर कम करके ही आयात को लाभदायक बनाया जा सकता है । भारत में भुगतान संतुलन की स्थिति में आयात एवं बचतों को बढ़ाकर निर्यात एवं निर्यातों को संतुलित करना होगा । इस व्यवस्था में आय: विनिर्भोग बचतों से अधिक होते हैं । इसमें मूल्यों में आंतरिक दबाव पड़ता है और दूसरी ओर भुगतान संतुलन पर बाहरी दबाव पड़ता है । इस प्रकार भारत का भुगतान संतुलन स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पक्ष में था, परंतु 1947 के पश्चात् देश का व्यापार संतुलन विपक्ष में होता गया । अन्वमूल्यन के पश्चात् भुगतान संतुलन में सुधार होने की संभावना थी, परंतु आयात अधिक होने एवं निर्यात न बढ़ने के कारण यह स्थिति संभव न हो सकी ।

## विदेशी विनिमय (Foreign Exchange)

### प्रारंभिक


विश्व के विभिन्न देशों में मृषक्-मृषक् प्रकार-प्रकार, मूल्य तथा नाम की मुद्राएं प्रचलित होती हैं जिससे दो समस्याएं उदय होती हैं—प्रथम एक देश दूसरे देश से जो माल क्रय करता है उसकी कीमत अपनी मुद्रा में किस प्रकार से निर्धारित की जाए। दूसरी समस्या प्राची है कि किस प्रकार से विदेशी मुद्रा में भुगतान दिया जाएगा। इन समस्याओं का समाधान विदेशी विनिमय दरों के निर्धारण से संभव हो सकता है।

प्राचीन समय में मानव की आवश्यकताएं सीमित होती थीं, जिन्हें वह स्थानीय हाथों से पूर्ण कर लिया करता था। सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, जिन्हें स्थानीय साधनों से पूर्ण करना संभव नहीं था, अतः इनकी मांग को विदेशों से पूर्ण किया जाने लगा। विश्व के समस्त राष्ट्रों में समान प्रकार की मुद्रा का चलन न होकर भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्रा का प्रचलन रहने से एक देश की मुद्रा को दूसरे देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः विदेशों से सामान मंगाने पर उसके भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा या विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना संभव नहीं हो पाता। अतः एक देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करना ही विदेशी विनिमय कहलाता है। विश्व के अतिक्रिस्त एवं अर्द्धविक्रिस्त राष्ट्र विदेशी सहायता के बिना अपने देश का विकास करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि विकास की अनेक वस्तुएं, विद्येयताओं की सेवाएं आदि विक्रिस्त राष्ट्रों से ही प्राप्त करनी होती हैं। विदेशी वस्तुओं एवं विदेशी विद्येयताओं की सेवाओं के बदले में धन देना पड़ेगा और उसे अपने विदेशी राष्ट्रों को भेजने की सुविधा देने से विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी।

### विदेशी विनिमय का अर्थ

विदेशी विनिमय को विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है, जो कि निम्न हैं—

#### विदेशी विनिमय का अर्थ



(1) सुविधाएं—विदेशी विनिमय का अर्थ उन सुविधाओं से लगाया जाता है जो कि विदेशी भुगतानों से संबंधित होती हैं।

(2) विदेशी विल—विदेशी विनिमय का अर्थ विदेशी विलों से भी लगाया जा सकता है।

(3) विनिमय दर—विदेशी विनिमय का अर्थ विनिमय दर से भी लगाया जा सकता है, जिसमें इस बात

की जात किया जाता है कि एक राष्ट्र की एक मुद्रा की इकाई के बदले दूसरे राष्ट्र की मुद्रा की कितनी इकाइयां प्राप्त होगी।

(4) विनिमय प्रणाली—विदेशी विनिमय को विनिमय प्रणाली के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है।

### परिभाषाएं

विदेशी विनिमय की प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं—

(1) हार्टले विदर्स—“विदेशी विनिमय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा परिवर्तन करने की कला एवं विज्ञान है।”<sup>1</sup>

(2) एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका—“विदेशी विनिमय वह पद्धति है जिसमें व्यापारिक राष्ट्र एक-दूसरे के प्रति अपने ऋणों का भुगतान करते हैं।”<sup>2</sup>

(3) डा० थॉमस—“विदेशी विनिमय भ्रंशशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, जिसमें हम ऐसे सिद्धांतों का निर्धारण करते हैं, जिसमें विश्व के मनुष्य एक दूसरे के प्रति अपने ऋणों का भुगतान करते हैं।”<sup>3</sup>

(4) डा० ब्रियन टिब (Dr. Brian Tew)—“विदेशी विनिमय बाह्य तरलता की समस्या को कहते हैं।”<sup>4</sup>

(5) विदर्स—अन्य स्थान पर हार्टले विदर्स के अनुसार, “विदेशी विनिमय एक ऐसा मंत्र है, जिसमें एक राष्ट्र एवं दूसरे राष्ट्र के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का समझौता होता है।”<sup>5</sup>

इस प्रकार विदेशी विनिमय के संबंध में विभिन्न लेखकों में मतभेद है। वास्तव में इनमें अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के भुगतान को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें भुगतान के ढंग, भुगतान के नियम एवं सहायता देने वाली संस्थाओं का वर्णन रहता है। अतः विदेशी विनिमय की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है—“विदेशी विनिमय वह प्रणाली या पद्धति है जिसके आधार पर विदेशी मुद्राओं का आपसी लेन-देन संभव हो पाता है।”

### विदेशी विनिमय की समस्या

विश्व के भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्राओं का चलन होता है और प्रत्येक राष्ट्र के व्यापारी अपनी ही मुद्रा में भुगतान स्वीकार करेंगे। अतः यह समस्या उदय होती है कि विदेशी भुगतान के लिए कौन-सी मुद्रा का प्रयोग किया जाए। वर्णमान के प्रचलन होने पर यह भुगतान स्वर्ण में कर देने से कोई विशेष समस्या उदय नहीं होती थी। परंतु वर्तमान समय में अनेक कारणों से स्वर्णमान विश्व से टूट गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करना होता है। अतः विदेशी विनिमय की समस्याएं उदय होती हैं। विदेशी विनिमय की प्रायः दो समस्याएं उदय होती हैं जो निम्न हैं—

(i) कीमत निर्धारित करने की समस्या—जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से माल खरीदता है तो अपनी मुद्रा में वह मूल्य किस प्रकार निर्धारित करेगा।

(ii) भुगतान की समस्या—माल खरीदने पर उसकी कीमत का भुगतान किम प्रकार किया जाएगा।

इन समस्याओं की हल करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों को आपस में अपनी मुद्राओं की विनिमय दरें निर्धारित

1 “Foreign exchange is the Art and Science of International money changing.”

—Hartley Withers.

2. “Foreign exchange is the system by which commercial nations discharge their debts to each other.”—Encyclopaedia Britannica.

3. “Foreign exchange is that branch of the Science of Economics in which we seek to determine the principles on which the peoples of the world settle their debts one to the other.”—Dr. Thomas

4. “Foreign exchange is the problem of external liquidity.”—Dr. Brian Tew.

5. “Foreign exchanges are a mechanism by which international indebtedness is settled between one country and another.”—Hartley Withers.

## विदेशी भुगतान के साधन

(Sources of Foreign Payment)

विदेशी भुगतान के साधनों में निम्न को सम्मिलित करते हैं—

(1) बैंक ड्राफ्ट—यह ड्राफ्ट एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक पर इस प्रार्थना के साथ लिखा जाता है कि वह उसे ऋण की राशि के लिए एक ड्राफ्ट बेच दें। यह ड्राफ्ट विदेशी लेनदार को भेज देते हैं जो धन का संग्रह कर लेता है।

(2) बैंक—जिस फर्म की विदेशों में अच्छी ख्याति होती है वह अपने विदेशी ऋणदाता को बैंक द्वारा भुगतान करती है। ऋणी स्वदेशी बैंक पर बैंक लिखता है, परंतु विदेशी लेनदार उसे अपने देश में किसी भी बैंक से अपनी ही मुद्रा में मुना लेता है तथा विदेशी बैंक इस राशि को देनदार बैंक से बसूल कर लेता है और एक विपरीत दिशा वाले साख-पत्र के रूप में राशि प्राप्त करता है।

(3) यात्री बैंक—विदेशों में यात्रा करने वाले व्यक्ति प्रायः अपने साथ नकद राशि न रखकर यात्री साख-पत्र ले जाते हैं। यह पत्र किसी बैंक द्वारा विदेशी शाखाओं के नाम लिखा जाता है तथा उन शाखाओं को सूचना भी भेज दी जाती है। इस पर प्राप्तकर्ता के एक स्थान पर हस्ताक्षर होते हैं और उनसे मिलान करके ही उसे बैंक का भुगतान मिल जाता है।

(4) बिल ऑफ एक्सचेंज—अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में यह एक लोकप्रिय साधन है। विनिमय बिल एक लिखित आदेश होता है जिसमें ऋणदाता अपने ऋणी को मुद्रा की एक निश्चित धन राशि एक निश्चित समय पर ऋणदाता या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को देने का वचन देता है। ऋणी बिल को स्वीकार करके लेखक को वापस कर देता है जो उसे देनदार के किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान के बदले दे देता है और उसे बिल भेज देता है जो निर्धारित समय पर देनदार से धन प्राप्त कर लेता है।

(5) तार हस्तांतरण (Telegraphic Transfer)—धन को शीघ्र भेजने के लिए इस साधन का उपयोग किया जाता है। इसमें धन हस्तांतरण करने वाला बैंक अपनी विदेश स्थित शाखा को तार द्वारा एक निश्चित राशि किसी एक निश्चित व्यक्ति को चुकाने का आदेश देता है। इस व्यवस्था से लेनदार को 3-4 दिनों में ही भुगतान प्राप्त हो जाता है।


(6) साख चिट्ठियाँ (Letter of Credits)—यह वह वक्का है जो किसी व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह चिट्ठी लिखने वाले पर एक निश्चित धन राशि तक का बैंक लिख सकता है। इसमें आयातकर्ता किसी बैंक में अपना खाता खोलकर बैंक से साख चिट्ठी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आयातों का भुगतान आयातकर्ता द्वारा बैंक लिखकर किया जा सकता है। इसमें निर्माता भी सुविधापूर्वक नि.संकोच सरलता से माल बेच देता है।

(7) ड्राक द्वारा हस्तांतरण—इसमें ग्राहक अपने बैंक के पास धन राशि जमा करके उसे आदेश दे देता है कि निश्चित धन राशि एक निश्चित बैंक में किसी निश्चित व्यक्ति के खाते में जमा कर दी जाए। बैंक उस देश में स्थित अपनी शाखा को उस व्यक्ति के खाते में निश्चित राशि जमा करने के आदेश दे देता है। सूचना प्राप्त होने पर वह राशि संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा करके उसकी सूचना व्यक्ति को दे दी जाती है। इस व्यवस्था में यह निश्चित नहीं रहता कि राशि किन्तु दिनों में पहुँचेगी। अतः गारंटी सहित धन स्थानांतरण की सुविधाएँ दी जाती हैं, जिसके बदले में प्रति-रिक्त शुल्क बसूल किया जाता है।

(8) मनीआर्डर—विदेशी मनीआर्डर भेजकर भी भुगतान किया जा सकता है, परंतु इसकी एक उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है। इसका उपयोग अल्पराशि भेजने में ही किया जाता है, जिससे व्यापारियों के लिए यह अधिक उपयोगी नहीं है।

(9) अन्य षंग—इसमें तार द्वारा स्वयं भेजने, हस्तांतरण भुगतान पत्र (Transfer payment order) पत्रों को सम्मिलित करते हैं।

विदेशी भुगतान के साधन




विदेशी भुगतान के ढंग

(Methods of Foreign Payments)

विदेशी भुगतान करने के अनेक ढंग होते हैं और सुविधा के लिए हमे निम्न प्रकार से रखा जा सकता है—

विदेशी भुगतान के ढंग



- (a) आयातकर्ता की दृष्टि से ।
- (b) निर्यातकर्ता की दृष्टि से ।
- (c) आयातकर्ता की दृष्टि से—एक आयातकर्ता विदेशी भुगतान देने के लिए निम्न ढंगों को अपनाता है—
  - (i) बैंक—आयातकर्ता अपने देश की बैंक पर लिखा गया धँक भेज सकता है जिसे निर्यातकर्ता अपने देश के बैंक में जमा करने सहित के लिए उसे आयातकर्ता के देश की भेज सकता है तथा धन प्राप्त कर सकता है ।
  - (ii) विनिमय बिल—आयातकर्ता, निर्यातकर्ता के किसी व्यक्ति पर लिखा गया बिल सहीदकर निर्यातकर्ता को उसे भेज सकता है जो उसे किसी बैंक की सहायता से वसूल कर लेता ।
  - (iii) बैंक ड्राफ्ट—आयातकर्ता बैंक से एक बैंक ड्राफ्ट जारी कर उसे सेनदार को भेज सकता है । सेनदार उसे अपने बैंक में जमा कर सकता है तथा रकम वा संप्रह कर सकता है ।
  - (iv) डाक द्वारा मुद्रा भेजना—आयातकर्ता अपने देश की मुद्रा को डाक द्वारा भी भेज सकता है । निर्यातकर्ता इसे अपने बैंक में जमा कर सकता है तथा उसके शाले में इसे अपने देश की हियाकर मुद्रा में प्राप्त कर लेता है ।
  - (v) लिखे गए बिल को स्वीकार करना—आयातकर्ता अपने ऊपर लिखे गए बिल को स्वीकार करके उसे निर्यातकर्ता को भेज सकता है, जिसे बैंक में जमा करने मनाया जा सकता है । परिपक्वता पर उसे आयातकर्ता के देश में भेजकर रकम वा संप्रह किया जा सकता है । बैंक अपनी सेवाओं के लिए कमीशन वसूल करती है ।
- (d) निर्यातकर्ता की दृष्टि से—निर्यातकर्ता अपने मास के बदले में भुगतान पाने के लिए निम्न ढंगों में से कोई भी ढंग प्रयोग कर सकता है—
  - (i) बिल लिखना—आयातकर्ता को सेनदार समझकर निर्यातकर्ता उस पर मास जहाज पर सादर

साधारण ढंग से भुगतान के लिए बिल लिख सकता है, तत्पश्चात् उसे बैंक से भुनाकर राशि प्राप्त कर सकता है।

(ii) बैंक से जमा की व्यवस्था करना—यदि निर्यातकर्ता अपरिचित हो तो वह आयातकर्ता से अपने लिए माल की व्यवस्था कर लेगा। ऐसा होने पर निर्यातकर्ता उस बैंक पर बिल लिखकर राशि प्राप्त करेगा।

(iii) दस्तावेजी बिल लिखना—जब आयातकर्ता की आर्थिक स्थिति के संबंध में परिचय न हो तो ऐसी परिस्थिति में माल के अधिकार संबंधी कागज़-पत्र उसे सीधे न भेज कर किसी बैंक को भेज दिए जाते हैं जो आयातकर्ता से बिल पर स्वीकृति प्राप्त करके उसे माल की सुपुर्दगी देगा। इससे अधिक सुरक्षा के लिए बैंक माल का भुगतान प्राप्त करके उन दस्तावेजों को सौंप सकता है।

(iv) मध्यस्थों की सेवाएं—मध्यस्थों की सेवाएं भी निर्यातकर्ता प्राप्त करके अपने माल के बदले भुगतान प्राप्त कर सकता है।

## विनिमय दर

### (Exchange Rate)

विश्व के समस्त राष्ट्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्राओं का चलन होता है और जिस देश से माल खरीदा जाता है वह उसी मुद्रा में भुगतान चाहता है। अतः खरीदने वाले को अपनी मुद्रा में कितना धन व्यय करना होगा इसके लिए विनिमय की दर को ज्ञात करना आवश्यक होगा। इस प्रकार भुगतान करने तथा व्यापारिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक देश में विनिमय दर को ज्ञात करना आवश्यक माना जाता है। विनिमय बाजार में प्रत्येक व्यवहार प्रायः विनिमय दरों के आधार पर ही किए जाते हैं। जब कोई आयातकर्ता किसी बैंक से कोई बिल या ड्राफ्ट खरीदता है तो विनिमय दर के आधार पर उसकी गणना अपनी मुद्रा में की जाती है। अतः विनिमय दर वह दर है जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा से परिवर्तित की जा सकती हो।

परिभाषाएं—विनिमय दर की प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं—

(1) आर० एस० संपर्स—“मुद्रा के एक दूसरे के रूप में प्रकट किए गए मूल्यों को विदेशी विनिमय दर के नाम से पुकारते हैं।”<sup>1</sup>

(1) एसाचर के अनुसार—“एक राष्ट्र की मुद्रा के मूल्य को दूसरे राष्ट्र की मुद्रा में व्यक्त करना ही विनिमय दर है।”<sup>2</sup>

(3) केशरी जी० दूपा—“वह दर जिस पर राष्ट्रीय एवं विदेशी मुद्राओं को विनिमय किया जाए, विदेशी विनिमय दर कहलाती है, जिसे उस मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि एक इकाई विदेशी मुद्रा के लिए स्वदेशी मुद्रा में भुगतान की जाए।”<sup>3</sup>

भेद—विनिमय दर के विभिन्न भेदों को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है—

(1) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विनिमय दरें (Direct and indirect exchange rates)—राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की दृष्टि से आंतरिक मुद्रा की एक इकाई को विदेशी मुद्रा में प्रकट किया जाए तो उसे प्रत्यक्ष दर कहा जाता है, जैसे 1 रुपया = 1 शिलिंग 6 पेंस या 1 रुपया = 21 सेंट। इसके विपरीत यदि स्वदेशी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की एक

1 “The prices of currencies in terms of each other are called foreign exchange rates.”

—R. S. Sayers : *Modern Banking*, p. 158.

2 “Rate of exchange is the price of the money of one country expressed in the money of the other.”—Escher. *Foreign Exchange*.

3 “The rate at which this exchange between national and foreign currencies is performed is called the foreign exchange rate, which may hence be defined as the price that must be paid in local currency for a unit of foreign currency.”—Keshri D. Doodha : *Economic Relations in International Trade*, p. 116.



द्विगुण में प्रकट किया जाए तो उसे अप्रत्यक्ष दर कहते हैं। उदाहरणार्थ 1 पौण्ड=13.33 रुपया या 1 डॉलर=4.76 रुपया आदि।

विनिमय दर प्रकट करने के लिए कोई भी अंग नग्न न भ्रमनाया जाए, दोनों का अर्थ समान ही होता है।

(ii) अग्र एवं विक्रय दरें (Purchase and sales rates)—अग्र दर वह दर होती है जिस पर कोई बैंक व्यापारियों से विदेशी मुद्रा संबंधी कार्यों को स्वीकार करती है। इसके विपरीत विक्रय दर वह है जिस पर बैंक व्यापारियों को विदेशी मुद्रा बेचने को तत्पर हो जाए।

(iii) हाजिर दर (Spot rate)—जिस दर पर विदेशी मुद्रा को तत्काल खरीद-विक्री की जाए, उसे हाजिर दर कहते हैं। प्रेषक एवं विक्रेता द्वारा भिन्न-भिन्न विनिमय दरें घोषित की जाती हैं। इन दरों में अन्तर होता है, जो परिवहन एवं अन्य व्ययों को सम्मिलित करता है।

(iv) स्वाभाविक एवं वास्तविक दरें (Natural and real rates)—स्वाभाविक विनिमय दर विभिन्न मौद्रिक परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार से निर्धारित की जाती है। इसके विपरीत वास्तविक विनिमय दर मांग एवं पूर्ति की असंतुलन प्रतिप्रिया द्वारा निर्धारित की जाती है। वास्तविक विनिमय दर सर्वदैव स्वाभाविक विनिमय दर के साम-साम ही चलकर लगानी रहती है।

(v) अग्रिम दर (Forward rate)—प्राचीन समय में जब विनिमय बाजार स्वतंत्र होते थे, उस समय अग्रिम दर ही अधिक लोकप्रिय मानी जाती थी। यदि कोई व्यक्ति कुछ अवधि के पश्चात् विदेशी मुद्रा को खरीदे तो जिस दर पर भविष्य में मुद्रांगी दी जाएगी, उस दर को अग्रिम दर के नाम से जानते हैं।

(vi) मुहूर्ती दर (Long rate)—विदेशी भुगतानों के लिए प्रायः विनिमय बिलों का प्रयोग किया जाता है, जो प्रायः दर्शनी एवं भिषादी होते हैं। इनके लिए पृषक्-पृषक् रूप में विनिमय दरों को घोषित किया जाता है। दर्शनी विनिमय दर वह होती है, जिस पर कोई बैंक विदेशी बिलों को प्रस्तुत करने पर ही खरीद ले। इसके विपरीत मुहूर्ती या भिषादी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक बैंक एक निश्चित अवधि के पश्चात् विदेशी मुद्रा के बिलों को खरीदना या बेचना है।

(vii) अल्पकालीन विनिमय दर (Short-term exchange rates)—दो मुद्राओं की मापदंडक मांग एवं पूर्ति के आधार पर जो विनिमय दर निर्धारित की जाए उसे अल्पकालीन विनिमय दर कहते हैं। मुद्रा की मांग एवं पूर्ति संबंधी दशाएं अनेक परिवर्तित होने से अल्पकालीन विनिमय दरों में परिवर्तन होते रहते हैं। विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन होने का प्रमुख कारण देश के निवासियों द्वारा विदेशियों की लिए जाने वाले अथवा विदेशों से प्राप्त होने वाले भुगतानों में परिवर्तन होता है। विभिन्न राष्ट्रों की मुद्रा की मांग एवं पूर्ति अनेक भुगतान अनुबन्ध पर निर्भर करती है तथा इन अनुबन्ध में परिवर्तन होने पर ही विनिमय दरों में भी परिवर्तन होने रहते हैं।

## विनिमय दरों का महत्त्व

### (Importance of Exchange Rates)

विनिमय दर विदेशी बाजारों में प्रचलित मूल्यों में स्वदेशी बाजार में प्रचलित मूल्यों का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करती है। निम्न विनिमय दर सामान को प्रोत्साहित व निर्यात को हतोत्साहित करके भुगतान अनुबन्ध में घाटा उत्पन्न करती है। इसके विपरीत उच्च विनिमय दर निर्यातों को प्रोत्साहित एवं आयातों को हतोत्साहित करके भुगतान अनुबन्ध में आधिक्य उत्पन्न करता है। विनिमय दरों के महत्त्व को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(i) आयात-व्यय उत्पन्न होना—विनिमय दरों में उन्नत-चढ़ाव द्वारा भुगतान अनुबन्ध में अमान्यताएं उत्पन्न हो जाती हैं। यदि उच्च विनिमय दर है तो हमसे निर्यात प्रोत्साहित व आयात हतोत्साहित होते हैं। इसके विपरीत निम्न विनिमय दर पर निर्यात हतोत्साहित एवं आयात प्रोत्साहित होते हैं।


(ii) अन्तर्राष्ट्रीय ऋण व्यवहार—विनिमय दरें प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय ऋण व्यवहार को कठिन या सरल बनाती हैं।

(iii) प्रत्यक्ष संबंध—विनिमय दरें स्वदेशी एवं विदेशी बाजारों में मूल्यों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करती हैं।

विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण

(Reasons of Fluctuations in exchange rates)

विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के प्रमुख कारण निम्न हैं—(1) बैंकिंग कारण, (2) व्यापारिक कारण, (3) मौद्रिक कारण, (4) स्कन्ध विनिमय संबंधी कारण, (5) राजनैतिक कारण।



(1) बैंकिंग कारण—विनिमय दर को प्रभावित करने वाले बैंकिंग कारण निम्न हैं—

(i) साख पत्रों का क्रय-विक्रय—प्रायः बैंक अपने विनिमय अधिक मुद्रा अधिक दया वाले राष्ट्र के वित्तों में करके निश्चित मात्रा में लाभ अर्जित करते हैं। इससे विदेशी को पूँजी का हस्तांतरण होता है। इसके विपरीत जब विदेशियों द्वारा स्वदेशी साख पत्रों का क्रय-विक्रय करने पर विदेशी पूँजी का आगमन होता है। यदि विदेशी से पूँजी का आगमन अधिक हो तो देशी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में बढ़ जाएगा। इससे विनिमय दर पक्ष में हो जाएगी। इसके विपरीत विदेशों को पूँजी का हस्तांतरण होने पर विनिमय दर विपक्ष में हो जाएगी।

(ii) बैंक दर—यदि बैंक दर ऊँची कर दी जाए तो विदेशी पूँजी का आगमन बढ़ जाता है और विनिमय दर पक्ष में हो जाती है। यदि बैंक दर कम कर दी जाए तो स्वदेशी पूँजी भी विदेशों को जाने लगेगी और बैंक दर विपक्ष में हो जाती है।

(iii) मध्यस्थों की क्रियाएं—मध्यस्थों की क्रियाओं का विनिमय दर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विभिन्न दरों में भिन्नता के कारण लाभ उठाने के लिए बैंकों द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं। इन संस्थाओं के पास पर्याप्त कोष होने से यह विभिन्न राष्ट्रों में अनेक सपठनों से सम्पर्क स्थापित करते हैं। इन क्रियाओं द्वारा दो विभिन्न केंद्रों में दो मुद्राओं के मध्य विनिमय दरों में समानता लाई जाती है। यदि इन मध्यस्थों द्वारा स्वदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो विनिमय दर पक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने पर विनिमय दर विपक्ष में हो जाती है। वर्तमान समय में विनिमय बाजार नियंत्रित होने से मध्यस्थों की क्रियाओं के प्रभाव पर नियंत्रण हो गए हैं।

(2) व्यापारिक कारण—यदि स्वदेशी वस्तुओं की विदेशों में अधिक मांग है तो निर्यात अधिक व आयात कम होते तथा स्वदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाने से विनिमय दर पक्ष में हो जाएगी। इसके विपरीत यदि आयात अधिक व निर्यात कम है तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने से विनिमय दर विपक्ष में हो जाएगी। इस प्रकार व्यापारिक कारणों का विनिमय दर पर प्रभाव पड़ता है।

(3) मौद्रिक कारण—विनिमय दर को प्रभावित करने वाले मौद्रिक कारण निम्न हैं—

(i) मुद्रास्फीति—यदि देश में स्वर्णमान प्रचलित है तो विनिमय दर में परिवर्तन स्वर्ण बिन्दुओं तक सीमित होते हैं। परिस्थितीय वस्तु मुद्रास्फीति वाले राष्ट्रों में विनिमय दर उतार-चढ़ावों की कोई सीमा नहीं होती।

(ii) मुद्रा प्रसार—देश में मुद्रा प्रसार होने पर मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और विनियोग विदेशों में अधिक लाभप्रद गिना होने से जिनसे विनिमय दर देश के प्रतिकूल हो जाती है।

(iii) मुद्रा संकुचन—देश में मुद्रा संकुचन होने की स्थिति में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाने से उसकी मांग बढ़ने लगती है जिनसे परिणामस्वरूप विनिमय दर पक्ष में हो जाती है।

(4) स्टाक विनिमय संबंधी कारण—विनिमय दर को प्रभावित करने वाले स्टाक विनिमय संबंधी कारण निम्न हैं—

(i) प्रतिभूतियों का अन्व-विन्वय—जब विदेश में प्रतिभूतियों का अन्व क्रिया आता है तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाने से विनिमय दर विपक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत जब विदेशी विनियोगका देशी प्रतिभूतियों में धन का विनियोगन करते हैं तो स्वदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने से विनिमय दर पक्ष में हो जाती है।

(ii) ऋण व्यवस्था—ऋण संबंधी वेन-वेन विनिमय दर को प्रभावित करती है। जब विदेशों में ऋण प्राप्त किया जाता है तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से विनिमय दर पक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत यदि विदेशों को ऋण दिए जाएं तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने से विनिमय दर विपक्ष में हो जाती है। यदि इस प्रकार के ऋण का प्रयोग वस्तुएं खरीदने में किया जाए तो विनिमय दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(5) राजनैतिक कारण—राजनैतिक परिस्थितियाँ विनिमय दर को निम्न प्रकार से प्रभावित करती हैं—

(i) वित्त नीति—यदि सरकार द्वारा चांटे की विधीय व्यवस्था की जाती है तो विनिमय दर देश के प्रतिकूल हो जाएगी, क्योंकि चांटे की व्यवस्था से देश में स्थानीय परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

(ii) अनुकूल नीति—यदि सरकार स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण देकर आयात में कमी एवं निर्यात को प्रोत्साहित करती है तो भुगतान संतुलन देश के अनुकूल होकर विनिमय दर पक्ष में हो जाएगी।

(iii) विनिमय नियंत्रण—सरकार द्वारा विनिमय नियंत्रण की नीति अपनाते पर विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत यदि कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता तो विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाती है।

(iv) नाति व्यवस्था—यदि देश में नाति एवं राजनीतिक स्थिरता है तो विदेशियों का विश्वास जमाने के कारण वे अपनी पूंजी लगाना प्रारंभ कर देते हैं, फलस्वरूप स्वदेशी पूंजी की मांग बढ़ने से विनिमय दर पक्ष में हो जाती है।

### विनिमय दर उच्चावचनों की सीमाएं

#### (Limits of Fluctuations of Exchange Rates)

कारणिक जगत् में विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन होने से विनिमय दरों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। विनिमय दरों में उच्चावचनों की सीमाओं को निम्न प्रकार सम्झना जा सकता है—

(1) दो देशों में स्वर्णमान होने पर—जब दोनों राष्ट्रों में स्वर्णमान चलन में हो तो विनिमय दर में उतार-चढ़ाव स्वर्ण-बिन्दुओं द्वारा सीमित हो जाता है। विनिमय दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु से ऊंची होने पर व्यापारिक स्वर्ण लरीदार भेजना प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार विनिमय दर का स्वर्ण आयात बिन्दु से नीचे गिरने पर विदेशी देनदार स्वर्ण भेजना प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार विनिमय दरों में उच्चावचन स्वर्ण बिन्दुओं तक ही सीमित रहेगा।

(2) स्वर्णमान एवं रजतमान—यदि एक देश स्वर्णमान तथा दूसरा देश रजतमान पर आधारित हो तो विनिमय दर के उच्चावचन की सीमाएं स्वर्ण बिन्दुओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

(3) रजतमान—जब दोनों देशों में रजतमान ही तो विनिमय दरों के उच्चावचन की अधिकतम व निम्नतम सीमाएं रजत बिन्दुओं तक सीमित रहेंगी।

(4) पत्र-मुद्रामान वाले राष्ट्र—जब दोनों राष्ट्रों में पत्र-मुद्रामान चलन में हों तो विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव की प्रायः कोई सीमा नहीं होती। प्रायः विनिमय दर की प्रवृत्ति ऋय चकित समता के पास होने की होती है।

(5) स्वर्णमान व पत्र-मुद्रामान वाले राष्ट्र—स्वर्णमान वाले राष्ट्र में स्वर्ण के मूल्य का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, परंतु पत्र-मुद्रामान वाले राष्ट्रों में स्वर्ण का मूल्य बाजार की परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। अतः स्वर्णमान वाले राष्ट्र के लिए निम्नतम सीमा नहीं होती, परंतु उसकी उच्चतम सीमा स्वर्ण निर्यात बिन्दु से सीमित हो जाती है। इसी प्रकार पत्र-मुद्रामान वाले राष्ट्र में निम्नतम सीमा तो निर्धारित रहती है, परंतु उसकी उच्चतर सीमा नहीं होती।

### अनुकूल एवं प्रतिकूल विनिमय दरें (Favourable and Unfavourable Exchange Rates)

विनिमय दर को प्रायः दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है जिसके आधार पर विनिमय दर की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता को ज्ञात किया जाता है। यह व्यवस्था निम्न प्रकार है—

(१) जब विनिमय दर विदेशी मुद्रा में ही—यदि विनिमय दर को विदेशी मुद्रा में प्रकट किया जाए, तो दर बढ़ने पर वह पक्ष में तथा घटने पर विपक्ष में हो जाती है। उदाहरणार्थ यदि विनिमय दर 1 रुपया = 25 सेंट हो जो यदि बढ़कर 1 रुपया = 25 सेंट हो जाय तो यह दर पक्ष में होगी, क्योंकि अधिक विदेशी माल खरीदा जा सकेगा। यदि यही दर घटकर 1 रुपया = 16 सेंट हो जाए तो विनिमय दर प्रतिकूल हो जाएगी, क्योंकि अब कम मात्रा में ही विदेशी माल खरीदा जा सकेगा।

(2) स्वदेशी मुद्रा में प्रकट करने पर—यदि विनिमय दर स्वदेशी मुद्रा में प्रकट की जाती है तो गिरती हुई विनिमय दर पक्ष में तथा बढ़ती हुई दर विपक्ष में हो जाएगी। उदाहरणार्थ यदि विनिमय दर 1 पौण्ड = 12 रुपये हो तो यदि दर घटकर 10 रुपये रह जाए तो हमें पहले की तुलना में कम स्वदेशी मुद्रा देनी होगी जिससे यह पक्ष में रहेगी। इसके विपरीत यदि दर बढ़कर 1 पौण्ड = 18 रुपये हो जाए तो अब 1 पौण्ड का माल खरीदने के लिए 18 रुपये देने होंगे, अतः विनिमय दर देश के प्रतिकूल हो जाएगी।

### विनिमय दरों के आर्थिक प्रभाव (Economic effects of Exchange Rates)

विनिमय दरों में उच्चावचन होने पर देश के आयात एवं निर्यातों पर अवश्यम्भावी प्रभाव पड़ते हैं और विनिमय दर के अनुकूल एवं प्रतिकूल होने पर पड़ने वाले प्रभावों को निम्न ढंग से रखा जा सकता है—

(1) अनुकूल दर का प्रभाव—यदि विनिमय दर हमारे अनुकूल है तो इससे निर्यात हतोत्साहित एवं आयात प्रोत्साहित होंगे जिससे आयातकर्ता को लाभ होगा, परंतु उत्पादकों को हानि होने से निमोण बायें बन्द होकर देश में बेरोजगारी को बढ़ायेगा। इसका कारण यह है कि विनिमय दर अनुकूल होने पर स्वदेशी मुद्रा महंगी हो जाती है, जिससे खरीदी हुई वस्तुएं महंगी लगने लगती हैं, परन्तु इसमें विदेशी ऋणों का मुगतान करने में लाभ रहता है तथा विदेशी ऋण को वापस भेजना भी लाभकारी रहता है।


(2) प्रतिकूल दर का प्रभाव—यदि विनिमय दर देश के प्रतिकूल है तो इससे निर्यात प्रोत्साहित व आयात हतोत्साहित होंगे जिससे निर्यातकों एवं उत्पादकों को लाभ व उपभोक्ताओं को हानि होगी। अर्थिकों का रोजगार बढ़ेगा, परन्तु निश्चिन्त भाव वाले व्यक्तियों को हानि रहेगी। इस प्रकार गिरती हुई विनिमय दर निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित व आयात व्यापार को हतोत्साहित करके मुगतान संतुलन पक्ष में लाकर विनिमय दर को पक्ष में लाएगा।

## गैर-आधिकारिक विदेशी विनिमय दर

हांगकांग में गैर-आधिकारिक विदेशी विनिमय दर 30 जून 1970 को निम्न प्रकार रही—

## विदेशी विनिमय दर (30 जून, 1970)

देश का नाम	100 डॉलर का मूल्य	सरकारी दर
1. आस्ट्रेलिया	0.91	0.89 डॉलर
2. ब्रुनी (Brunei)	3.09	3.06 डॉलर
3. बर्मा	15.10	4.76 ब्यात्
4. कम्बोदिया	120.00	55.00 रीसेल (Reils)
5. कनाडा	1.02	—
6. सऊदी	11.80	1.20 रयाए
7. फिजी	0.96	0.87 डॉलर
8. फ्रांस	5.53	5.50 फ्रैंक
9. ए० जर्मनी	3.63	3.66 मार्क
10. हांगकांग	6.05	6.06 डॉलर
11. भारत	12.60	7.50 रयाए
12. इण्डोनेशिया	376.00	378.00 रुपिया
13. इराक	3.56	3.50 शिकिल (Shekel)
14. जापान	366.00	360.00 येन
15. क्रीया	8.80	7.14 डिलिंग
16. द० कोरिया	350.00	305 वॉन (Won)
17. साओम	520.00	500 किय (Kip)
18. रोचानान	3.17	3.15 पीएफ
19. मकाऊ (Macau)	6.11	6.06 पताकास (Patacas)
20. मलेशिया	3.09	3.06 डॉलर
21. नेपाल	16.00	10.10 रयाए
22. नोदरलैंड	3.60	3.60 गार्डिस्टर
23. न्यू जेसेडोनिया	101.00	101.00 फ्रैंक
24. न्यूजीलैंड	0.98	0.89 डॉलर
25. पाकिस्तान	10.50	4.76 रयाए
26. फिलीपाइन्स	6.50	—
27. सिंगापुर	3.09	3.06 डॉलर
28. द० अफ्रीका	0.77	0.71 रान्ड
29. स्विटजरलैंड	4.27	4.30 फ्रैंक
30. ताहिती (Tahiti)	101.00	101.00 फ्रैंक
31. तैवान (Taiwan)	40.50	40.00 N. T. \$
32. थाइलैंड	8.80	7.14 डिलिंग
33. बाह्रमैन्ड	20.70	20.80 बेह्ट (Baht)



प्रस्तुत चित्र में  $x$  अक्ष पर मांग एवं पूर्ति को दिखाया गया है और  $y$  अक्ष पर मूल्य को दिखाया गया है।  $xx'$  मांगरेखा है तथा  $yy'$  रेखा पूर्ति रेखा है और दोनों रेखाएँ  $P$  बिंदु पर आपस में मिलती हैं, जहाँ पर मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है।

## (2) टकसाली समता सिद्धांत (स्वर्णमान के अंतर्गत विनिमय दर) (Mint Par of Exchange Theory)

टकसाली समता सिद्धांत का अध्ययन निम्न परिस्थितियों में किया जा सकता है—

(अ) जब दोनों राष्ट्रों का स्वर्णमान हो—जब दो राष्ट्र स्वर्णमान पर आधारित हों तो स्वामाबिक विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र के विधान में मुद्रा में विमुद्र स्वर्ण की मात्रा को निश्चित कर दिया जाता है तथा दो मुद्राओं में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा को ज्ञात करके टकसाली समता को ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार जो टकसाली समता के आधार पर विनिमय दर निर्धारित की जाती है उसे टकसाली समता सिद्धांत कहते हैं।

परिभाषाएँ—टकसाली समता सिद्धांत की प्रमुख परिभाषाएँ निम्न हैं—

(1) थॉमस (Thomas)—“टकसाली समता दो राष्ट्रों के मध्य प्रमाण मौद्रिक इकाइयों के मध्य, समान मौद्रिक प्रमाण पर वैधानिक स्वर्ण समानता अनुपात प्रदर्शित करता है।”<sup>1</sup>

(2) क्लेयर एवं क्रम्प (Clare and Crump)—“टकसाली समता संक्षेप में सिक्के पर निर्भर न रह कर, उसकी वैधानिक परिभाषा पर निर्भर करता है, मुद्रा के अंकित मूल्य पर निर्भर न रहकर उसके आंतरिक मूल्य पर निर्भर रहता है—जब तक अधिनियम में परिवर्तन न हो टकसाली समता में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।”<sup>2</sup>

(3) हैबरलर—“यदि दो या दो से अधिक व्यापारिक राष्ट्र स्वर्ण प्रमाण पर आधारित हों और यदि स्वर्ण के आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो विभिन्न मुद्राएँ सुदृढ़ ढंग से गठबंधित होती हैं। उदाहरणस्वरूप यदि 1 पौंड स्वर्ण को पौंड की निश्चित मात्रा में तथा मार्क की 20 गुनी मात्रा में बनाया जा सके—यह बलपूर्वक ही यह कि मुद्रा दालने में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होता—कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक 20 मार्क के बदले 1 पौंड या

1. “Mint par is an expression of the ratio between the statutory bullion equivalents of the standard monetary units of two countries on the same monetary standards.”—Thomas.

2. “The Mint par depends, in short, not on the coin itself but on the legal definition of it, not on the sovereign defacto, but on the Sovereign dejure.....unless and untill the law is altered, the Mint Par cannot alter.”—Clare and Crump.

1 पौंड के बरतने में 20 मार्क प्राप्त कर सकता है।"<sup>1</sup>

### टकरासाली समता पर विनिमय दर का निर्धारण

प्रथम विरह युद्ध से पूर्व अमेरिका एवं इंग्लैंड दोनों में स्वर्णमान प्रचलित था। उनमें विनिमय दर का निर्धारण टकरासाली समता पर निर्भर था। उस समय साबरेन में शुद्ध स्वर्ण 113.0016 ग्रैन तथा डालर में शुद्ध स्वर्ण 23.2200 ग्रैन मात्रा थी। अतः डालर एवं पौंड में टकरासाली दर समता के आधार पर विनिमय दर 113.0016 अनुपात 23.2200 थी, अर्थात् 1 पौंड बराबर 4 8665 डालर निश्चित किया गया।

उपरोक्त आधार पर निराली गई विनिमय दर प्रादर्श मानी जाती थी, जो कि दीर्घकाल तक प्रचलित रहती थी। इसमें मांग एवं पूर्ति के आधार पर दैनिक रूप से परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु यह परिवर्तन एक निश्चित सीमाओं तक ही होने थे। इस प्रकार से यह निर्धारण निरालता है कि स्वर्णमान वाले दोनों देशों में विनिमय दर का निर्धारण टकरासाली समता के आधार पर किया जाता है।

### उच्चवचनो की सीमाएं

स्वर्णमान वाले राष्ट्रों को यह सुविधा रहती है कि वह भुगतान दिनों के स्थान पर स्वर्ण भेजकर डालर दें, परंतु इसमें स्वर्ण भेजने का भाड़ा, संवैष्टन, बीमा, म्याज की हानि आदि व्यय को भी सम्मिलित किया जाता है। उदाहरणार्थ यदि पौंड एवं फ्रैंक के मध्य टकरासाली समता दर 1 पौंड=124.41 फ्रैंक हो तथा स्वर्ण भेजने का व्यय कुल मिलाकर .50 फ्रैंक हो तो फायसियो द्वारा डिटेन को स्वर्ण भेजने में प्रत्येक पौंड के लिए कुल व्यय 124.41 + 0.50 अर्थात् 124.91 फ्रैंक देना होगा। इसी प्रकार इंग्लैंड से प्राप्त की स्वर्ण में भुगतान देने पर कुल 124.41— .50 अर्थात् 123.91 फ्रैंक प्राप्त होये। अतः यदि विनिमय दर 124.91 फ्रैंक से कम है तो भुगतान के लिए सात पत्रों का प्रयोग होगा और यदि विनिमय दर 124.91 फ्रैंक से अधिक हो जाए तो स्वर्ण भेजना लाभदायक रहेगा। अतः स्वर्ण प्राप्त से इंग्लैंड को निर्यात होने लगेगा। इसे पास के लिए स्वर्ण निर्यात बिंदु तथा इंग्लैंड के लिए स्वर्ण आयात बिंदु के नाम से जाना जाएगा।

ठीक इसी प्रकार यदि विनिमय दर 1 पौंड=123.91 फ्रैंक से अधिक रहे तो भुगतान के लिए सात पत्रों का प्रयोग होगा। यदि विनिमय दर 123.91 फ्रैंक से भी नीचे हो जाए तो स्वर्ण का उपयोग किया जाने लगेगा। इस प्रकार इंग्लैंड से स्वर्ण प्राप्त को निर्यात होने लगेगा जो इंग्लैंड की दृष्टि से स्वर्ण निर्यात बिंदु तथा फ्रांस के लिए स्वर्ण आयात बिंदु होगा। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र में विनिमय दर मंद हो स्वर्ण निर्यात एवं स्वर्ण आयात बिंदुओं तक सीमित पृथी है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि टकरासाली समता दर में स्वर्ण निर्यात व्यय जोड़ने से उच्चतर निर्यात स्वर्ण बिंदु या जाता है तथा कम कर देने से स्वर्ण आयात बिंदु आ जाता है। अतः दो स्वर्णमान वाले राष्ट्रों में विनिमय दरों में उच्चा-चढ़ाव हो गतते है, परंतु यह स्वर्ण बिंदुओं की सीमा में ही हो पाते हैं।

(घ) स्वर्ण बिंदु एवं मुद्रा बोनो (Gold points and I. M. F.)—अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बोनो के सदस्य देशों में विनिमय दर एक निश्चित प्रतिपात से अधिक या कम नहीं हो सकती। यदि उन सीमा से कम या अधिक विनिमय दर होती है तो केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप होना प्रारंभ हो जाता है जो आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा की बेचना एवं खरीदना प्रारंभ

1. "If two or more trading countries are on gold standard, and if there are no obstacles to the import and export of gold, then the different currencies are rigidly linked together. For instance, if an ounce of gold can be coined into a definite number of pounds sterling and into twenty times as many marks, then—still under the provisional assumption that no costs are involved—one can convert at will twenty marks into one pound and vice versa."

—Habster : *The Theory of International Trade*.

कर देता है। ऐसा करने से विनिमय दर पुनः अपने स्थान पर आ जाती है।

(ब) स्वर्णमान एवं रजतमान में विनिमय दर—यदि एक राष्ट्र स्वर्णमान पर तथा दूसरा राष्ट्र रजतमान पर आधारित हो तो दोनों मुद्राओं के शुद्ध स्वर्ण को ज्ञात करके विनिमय दर ज्ञात की जा सकती है जो कि कठिन होता है। उदाहरणार्थ यदि इंग्लैंड में स्वर्णमान तथा भारत में रजतमान प्रचलित हो तथा इंग्लैंड अपनी 30 मुद्राओं के बदले 1 औंस स्वर्ण खरीद सकता हो जबकि भारत 600 मुद्राओं द्वारा 1 औंस स्वर्ण ख़य करता हो तो दोनों देशों की विनिमय दर  $30=600$  अर्थात्  $1=20$  होगी। इस प्रकार इंग्लैंड के एक पाँड के बदले में भारत के 20 रुपये प्राप्त किए जा सकते हैं जिससे विनिमय दर 1 पाँड=20 रुपये होगी।

### उच्चावचन की सीमाएं

रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण—स्वर्ण निर्यात एवं स्वर्ण आयात बिंदु को निम्न रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं—

(1) स्वर्ण निर्यात बिंदु—चित्र में SS पूर्ति वक्र व DD मांग वक्र है। साम्य बिंदु मांग व पूर्ति के संतुलन पर निर्भर करते हैं जो  $P_1 P_2$  है, परंतु उच्चतम स्वर्ण बिंदु PM है जिससे भागे दर नहीं बढ़ेगी।



(2) स्वर्ण आयात बिंदु—चित्र में साम्य बिंदु  $P_1, P_2$  है परंतु निम्नतम साम्य बिंदु P है तथा मुद्रा की पूर्ति PM से कम नहीं हो सकती। इस प्रकार स्वर्ण निर्यात व आयात से अपने भाग व्यापार संतुलित हो जाता है।

इन राष्ट्रों में उतार-चढ़ाव की सीमाएं स्वर्ण एवं रजत के मूल्यों में परिवर्तन एवं स्वर्ण भेजने के व्यय पर निर्भर करती हैं। इस संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि स्वर्णमान वाला राष्ट्र स्वर्ण में तथा रजतमान वाला राष्ट्र चांदी में ही भुगतान प्राप्त करना पसंद करेगा। इस प्रकार निर्धारित की गई विनिमय दरों में अधिक परिवर्तन होते रहते हैं।

(स) रजतमान वाले राष्ट्रों में विनिमय दर—यदि दोनों राष्ट्रों में रजतमान प्रचलित हो तो एकसूत्री समता द्वारा विनिमय दर निर्धारण करने में दोनों मुद्राओं को शुद्ध चांदी को ज्ञात करके उनके आधार पर अनुपात के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण कर दिया जाता है। स्वर्णमान वाले राष्ट्रों की ही भांति रजतमान में विनिमय दरों में जो उतार-चढ़ाव होते हैं वह चांदी के आयात एवं निर्यात व्यय तक सीमित होते हैं।

(द) स्वर्णमान एवं पत्र-मुद्रामान में विनिमय दर—जब एक देश स्वर्णमान पर तथा दूसरा देश पत्र-मुद्रामान पर आधारित हो तो इन दोनों राष्ट्रों में विनिमय दर के निर्धारण करने के लिए यह ज्ञात करना होगा कि स्वर्णमान वाले राष्ट्र की मुद्रा की एक इकाई कितने स्वर्ण के तुल्य है तथा पत्र-मुद्रामान वाले राष्ट्र की मुद्रा की एक इकाई के बदले में कितना स्वर्ण खरीदा जा सकता है, उन दोनों का अनुपात ज्ञात करके ही विनिमय दर का निर्धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य ढंग के आधार पर दोनों राष्ट्रों की मुद्राओं की क्रय शक्ति ज्ञात करके उनके अनुपात के आधार पर भी विनिमय दर का निर्धारण किया जा सकता है। परंतु इस प्रकार ज्ञात की गई विनिमय दरों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होते रहते हैं, जिसकी कोई सीमा निर्धारित करना कठिन होता है।

स्वर्णमान एवं पत्र-मुद्रामान वाले देशों की मुद्राओं की विनिमय दर ज्ञात करने की द्वितीय पद्धति यह है कि दोनों देशों की मुद्राओं की एक-एक इकाई की क्रय-शक्ति उन देशों में पृथक्-पृथक् ज्ञात की जाती है और उनका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। यह अनुपात ही विनिमय दर कहलाती है।






राशि पर एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं को खरीदें, उनके अनुपात को ही क्रय शक्ति समता निश्चित करेंगे।

उदाहरण—माना इंग्लैंड एवं अमेरिका दोनों में परिवर्तनीय पत्र मुद्रा का प्रचलन है। यदि इंग्लैंड में कुछ वस्तुएं 200 पाँड में खरीदी जाती हैं जबकि अमेरिका में वही वस्तुएं 1000 डालर में क्रय की जाती हैं तो दोनों राष्ट्रों को मुद्रा 200 पाँड=1000 डालर होगी अर्थात् 2 पाँड=10 डालर या 1 पाँड=5 डालर होगी। यह विनिमय दर दोनों राष्ट्रों में क्रय शक्ति की समानता के आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि किसी कारण से बाजार में विनिमय दर बढ़कर 1 पाँड=5.15 डालर हो जाए जबकि दोनों मुद्राओं की क्रय शक्ति समान ही रहे, तो इंग्लैंड का निवासी अपने देश में वस्तुएं खरीदने के स्थान पर अमेरिका से प्राप्त करना लाभकारी समझेगा, क्योंकि वह 1 पाँड के बदले 5.15 डालर प्राप्त करके 5 डालर में उतनी ही वस्तुएं क्रय कर लेगा तथा 0.15 डालर की बचत कर लेगा। दूसरी ओर अमेरिका का निवासी भी अपने ही राष्ट्र में वस्तुओं को क्रय करना लाभदायक समझेगा, फलस्वरूप वस्तुओं का प्रवाह इंग्लैंड की अपेक्षा अमेरिका की ओर बढ़ जाएगा, जिससे डालर की मांग बढ़ेगी और विनिमय दर घटकर फिर से 1 पाँड=5 डालर हो जाएगी। इसके विपरीत यदि 1 पाँड का विनिमय मूल्य घटकर 4.90 डालर रह जाए, तो इंग्लैंड में ही वस्तुएं खरीदना लाभकारी होगा। इससे इंग्लैंड से निर्यात बढ़ जाएंगे फलतः पाँड की मांग बढ़ जाएगी और विनिमय दर फिर से बढ़कर 1 पाँड=5 डालर हो जाएगी। इस प्रकार छोटे-मोटे परिवर्तनों को छोड़कर विनिमय दर प्रायः परिवर्तित रहती है। विनिमय दर में परिवर्तन उस समय होता है जबकि क्रय शक्तियों में परिवर्तन हो जाए।

विनिमय दर के इन निर्धारण को निम्न चित्र द्वारा भी दिखाया जा सकता है—



विदेशी विनिमय की मांग बढ़ने पर

जब विनिमय दर क्रय शक्ति समता बिंदु के आसपास घटती-बढ़ती रहती है, किन्तु उसकी दीर्घकालीन प्रवृत्ति समता बिंदु के समीप होने की रहती है।

### सिद्धांत के गुण

इस सिद्धांत के प्रमुख गुण निम्न प्रकार हैं—

(1) समस्त चलन पद्धतियों में लागू—यह सिद्धांत प्रायः हर प्रकार की चलन पद्धति में लागू किया जा सकता है और सरलता से प्रयोग किया जा सकता है।

(2) व्यापार प्रवृत्ति का ज्ञान—इस सिद्धांत की सहायता से व्यापार प्रवृत्ति एवं ऋणों के दोष की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है।

(3) घनिष्ठ संबंध—इस सिद्धांत के आधार पर आंतरिक मूल्य स्तर एवं विनिमय दर में बहुत घनिष्ठ संबंध रहता है। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र अपनी मुद्रा नीति एवं दीर्घकालीन विनिमय दर को ज्ञात करके अपने लाभ प्राप्त कर सकता है।

(i) इंग्लैंड का उदाहरण—1925 में इंग्लैंड द्वारा पुनः स्वर्णमान अग्रताने से उत्तरे स्वर्ण समता दर स्वाभाविक दर से ऊँची रखी, फलतः मूल्य बढ़े व भुगतान संतुलन विपक्ष में हो गया व स्वर्ण का निर्यात होने लगा, जिसके लिए श्रद्धा की भी व्यवस्था की गई परंतु इससे स्वर्ण निर्यात बिंदु निष्क्रिय हो गया तथा पौंड का मूल्य गिरने पर वह जल्दी ही अपने स्वाभाविक स्तर पर आकर रुक गया।

(ii) डालर स्टैलिग दरें—द्वितीय विश्वयुद्ध काल में स्पया-डालर दरें एवं डालर-स्टैलिग दरें अपने क्रय शक्ति समता से काफी भिन्न हो गई थीं जिसे विनिमय नियंत्रण द्वारा स्तर पर रखने के प्रयास किए गए, जिससे संबंधित राष्ट्रों को भुगतान संतुलन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतः यह आवश्यक समझा गया कि देश में लागू एवं मूल्यों को कम करके क्रय शक्ति समता को बढ़ाया जाए, तथा अपनी मुद्राओं का मूल्य डालर में घटाकर स्वाभाविक दरों एवं नियंत्रित दरों में समानता स्थापित की जाए। इस प्रकार विनिमय दरों में स्थायित्व लाने के लिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत की गणना करना अत्यंत आवश्यक समझा गया। यह समझा जाने लगा कि विनिमय दरों में औचित्य क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अध्ययन से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार इस सिद्धांत की व्यावहारिक उपयोगिता अधिक रही।

### सिद्धांत की आलोचनाएं

त्रय शक्ति समता सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं निम्न प्रकार हैं—

(1) आंतरिक व्यापार की वस्तुएं—देश में आंतरिक मूल्यों के सूचनांक उन वस्तुओं के मूल्यों को लेकर बनाए जाते हैं जो प्रायः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित नहीं की जाती। आंतरिक वस्तुओं के मूल्यों में होने वाला परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की मूल्यों को भी प्रभावित कर सकता है, बशर्ते साधन विभिन्न उद्योगों के मध्य पूर्णरूप से गतिशील हो, परंतु व्यवहार में ऐसी गतिशीलता का अभाव रहता है, अतः आंतरिक व्यापार की वस्तुओं के मूल्यों से क्रय शक्ति समता निर्धारण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे वास्तविक विनिमय दर क्रय शक्ति के आधार पर निर्धारित विनिमय दर से भिन्न हो जाती है।

(2) संरक्षण करों का व्यापार में हस्तक्षेप—संरक्षण करों का व्यापार में हस्तक्षेप होता है। यदि कोई देश आयात पर संरक्षण कर लगाता है तो मुद्रा के लिए मांग अपरिवर्तित हो जाएगी परंतु विदेशी मुद्रा के लिए मांग घट जाएगी। इस प्रकार संरक्षण कर लगाने वाले राष्ट्र की मुद्रा के मूल्य का पता नहीं लग सकेगा।

(3) उपयुक्त सूचनांक चुनाव में कठिनाई—त्रय शक्ति समता सिद्धांत को ज्ञात करने में उपयुक्त सूचनांक के चुनाव की कठिनाईयां उपस्थित होती हैं। यदि थोक मूल्यों या रहन-सहन स्तर का सूचनांक लिया जाए तो उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः उपयुक्त सूचनांक के चुनाव की कठिनाई के कारण त्रय शक्ति समता के आधार पर विनिमय दर को ज्ञात करना कठिन हो जाता है।

(4) गतिशील परिस्थितियों—यह सिद्धांत केवल स्थिर परिस्थितियों में ही लागू हो सकता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दशाएँ सदैव गतिशील एवं परिवर्तित रहती हैं जिससे यह सिद्धांत लागू नहीं हो पाता।

(5) परिवहन व्ययों की उपेक्षा—मूल्यों के घटने एवं बढ़ने में परिवहन व्ययों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, परंतु इस सिद्धांत में परिवहन व्यय की उपेक्षा की गयी है।

(6) आर्थिक संबंधों के परिवर्तनों की उपेक्षा—इस सिद्धांत में समय-समय पर आर्थिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रखा जाता। इससे विनिमय दर का उचित ढंग से निर्णय नहीं हो पाता।

(7) निरपेक्ष मूल्य स्तर में लागू न होना—यह सिद्धांत निरपेक्ष मूल्य स्तर में लागू नहीं होता और यह मूल्य-स्तरों के परिवर्तन में ही लागू होता है।

(8) फंडान व अन्य स्तर में परिवर्तन—देश में फंडान व प्रायः स्तर में परिवर्तन होने से देश की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है, परंतु इस सिद्धांत में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता।

(9) मूल्य स्तर पर प्रभाव—यह सिद्धांत इस बात पर ध्यान देता है कि मूल्य स्तर संबंधी परिवर्तन

विनिमय दरों में परिवर्तन साते हैं, परंतु विनिमय दरों के परिवर्तन का मूल्य स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु यह कथन सत्य सिद्ध नहीं होता।

(10) अन्य घटकों का प्रभाव—मुद्रा की मांग एवं पूर्ति संबंधी दशाएं केवल मूल्य परिवर्तनों से ही प्रभावित न होकर अन्य घटकों से भी प्रभावित होती है जिन पर इस सिद्धांत में ध्यान नहीं रखा जाता। इनमें कोषों का भावागमन, सट्टा, व्यवहार, परस्पर सरकारी ऋणप्रस्तुता आदि को ही सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार सिद्धांत में विनिमय दर निर्धारण में अन्य घटकों की उपेक्षा कर दी जाती है।

(11) सूचक संकेतों में भिन्नता—विनिमय दर का निर्धारण दो राष्ट्रों के मध्य मूल्य सूचकांकों की तुलना पर आधारित होता है। परंतु विभिन्न राष्ट्रों में आधार वर्ष, भार, रचना आदि में परिवर्तन होने के कारण उन्हें तुलना योग्य नहीं बनाया जा सकता। अतः इन निर्देशांकों की पारस्परिक तुलना करने से वास्तविक त्रय शक्ति समता की भाव नहीं किया जा सकता।

(12) अनुभव सिद्धांत के विरुद्ध है—व्यवहार में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां विनिमय दर का निर्धारण त्रय शक्ति समता सिद्धांत के आधार पर हुआ हो। इस प्रकार इस सिद्धांत का कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं रहता।

(13) त्रय शक्ति नापने का गलत ढंग—त्रय शक्ति समता में सामान्य मूल्य स्तरों की ध्यान में रखा जाता है जो निर्देशांकों की सहायता से बनाए जाते हैं, परंतु निर्देशांक बनाने में अनेक दोष उपस्थित हो जाते हैं जिनमें उसके आधार पर निर्धारित की गई विनिमय दर भी दोषपूर्ण होती है।

इस प्रकार व्यावहारिक जीवन में इस सिद्धांत का विशेष महत्त्व नहीं है। व्यवहार में विनिमय दर केवल मुद्राओं की तुलनात्मक त्रय शक्ति से ही निर्दिष्ट नहीं होती, बल्कि दोनों राष्ट्रों की मुद्राओं की तुलनात्मक मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों से निर्दिष्ट होती है।

शेयरमालीन—परंपरागत के अनेक सिद्धांतों की भांति त्रय-शक्ति समता सिद्धांत भी केवल दीर्घकालीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। मध्यकाल में विनियोग, भुगतान संतुलन तत्त्व, आदि मुद्रा की विनिमय दर को प्रभावित करते हैं, जिन्हें इस सिद्धांत में कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। इस प्रकार इस सिद्धांत को विनिमय-दर निर्धारण करने का एकमात्र आधार मान लेना उचित नहीं माना जाता।

#### (4) भुगतान संतुलन सिद्धांत (Balance of Payment Theory)

जिसी राष्ट्र की विनिमय दर का निर्धारण उसके भुगतान संतुलन की स्थिति पर निर्भर करता है। भुगतान संतुलन प्रतिफल होने पर विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है जिसमें उमका मूल्य बढ़ जाता है। इसके विपरीत भुगतान संतुलन घनुकूल होने पर स्वदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है व उमका मूल्य बढ़ जाता है, इसमें विनिमय दर पक्ष में परिवर्तित हो जाती है।

इस प्रकार यह सिद्धांत बताता है कि विनिमय दर का निर्धारण भुगतान संतुलन की मांग एवं पूर्ति द्वारा होता है। प्रायः भुगतान संतुलन की मांग एवं पूर्ति उन स्वतंत्र घटकों द्वारा निर्धारित होती है जो विनिमय दर में उतार-चढ़ाव साते हैं। इन स्वतंत्र घटकों में स्थायी भुगतान की मदों, कच्ची सामग्रियों के आयात की मांग आदि को सम्मिलित किया जाता है। स्थायी भुगतान की मदों में क्षतिपूर्ति की राशि, विदेशी ऋणों पर व्याज आदि को सम्मिलित किया जाता है।

प्रमुख बातें

भुगतान संतुलन के विवरण में निम्न मदों को सम्मिलित किया जाता है—

(1) बालू साता—इसमें दृश्य एवं अदृश्य मदों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें व्यापार संतुलन भी रहा जाता है।

(2) पूंजी लागत—इसमें पूंजी के भायात एवं नियांत को सम्मिलित करते हैं। इसमें अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण पूंजी-मुद्रक दिखाते हैं।

(3) एकपक्षीय हस्तांतरण—इसमें निजी तौर पर भेजी गयी राशियां, सरकार द्वारा की गयी सहायता, पेंशन राशि आदि सम्मिलित की जाती हैं।

(4) स्वयं छात्र—इसमें स्वयं क्रय की राशि देनदारों की ओर तथा स्वयं विक्रय राशि को सेनदारों की ओर लिखा जाता है।

(5) मूल-खर्क—इसमें अनुमानित मूल की राशि को भाय अथवा व्यय की ओर लिख देते हैं।

नुगठान संतुलन सिद्धांत को निम्न चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है—

चित्र में DD मांग वक्र तथा SS पूर्ति वक्र है जो एक दूसरे

को A बिन्दु पर काटते हैं जहाँ मुद्रा की पूर्ति AP तथा मांग OR है। किन्तु अन्य विनिमय दर पर मांग व पूर्ति बराबर न होने से अर्थसंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

गुण—इस सिद्धांत के प्रमुख गुण निम्न हैं—

(1) सामान्य साम्य विरलेपण का अंग—इस सिद्धांत ने

विनिमय दर को सामान्य साम्य विरलेपण का एक अंग बना लिया है क्योंकि अर्थशास्त्र का एक प्रमुख विषय माना जाता है।

(2) मुद्रा देना—यह सिद्धांत बताता है कि विनिमय दरों

में सन्तुलन करके मुद्रा प्रसार या संकुचन द्वारा न करके भी नुगठान संतुलन को अन्ततया को टीक किया जा सकता है।

(3) मांग व पूर्ति का आधार—इस सिद्धांत में विनिमय दर के निर्धारण में मांग एवं पूर्ति की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।


(4) अन्य घटक—इस सिद्धांत में अनेक बाह्य घटकों का भी विनिमय दर के निर्धारण में प्रभाव पड़ता है।

दोष—नुगठान संतुलन सिद्धांत के प्रमुख दोष निम्न हैं—

(1) बेरोज मांग का अभाव—त्रिन बस्तुओं की मांग को बेरोज समझकर सिद्धांत का निर्माण किया गया

है, वह सोचदार होती है, त्रिनमे मूल्य परिवर्तन का प्रत्येक दम्बु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार नुगठान संतुलन विनिमय दर के परिवर्तनों से स्वतंत्र नहीं माना जा सकता।

(2) मात्राएं मानना—नुगठान संतुलन की मरों को दो हूँद मात्राएं माना गया है, जबकि उन्हें मात्रा के स्थान पर अनुसुविना माना जाना चाहिए, क्योंकि वे स्थिर मात्राएं न होकर घटती-बढ़ती मात्राएं होती हैं।



## विनिमय नियंत्रण (Exchange Control)

### प्रारम्भिक

विनिमय दर विदांतों का निर्माण प्रायः स्वयं विनिमय बाजारों को ध्यान में रखकर किया गया है। परंतु वर्तमान समय में बिस्व में कहीं भी स्वयं विनिमय बाजार नहीं हैं। प्रत्येक राष्ट्र में विनिमय नियंत्रण प्रणाली को ही अपनाया जा रहा है, परंतु इनमें अनेक समस्याओं को जन्म दिया है जैसे स्थिर एवं लोचदार विनिमय दर, आवश्यक एवं बहुमुखी विनिमय दर आदि। प्रथम विश्वयुद्ध काल में प्राथिक क्रियाओं में सरकार के हस्तक्षेप को महत्व दिया गया। फामिलिट एवं समाजवादी नेता यह प्रचार कर रहे थे कि लोगों के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर पूर्णरूप से नियंत्रण लगा दिया जाए। 1926 तक बिस्व के अधिकांश राष्ट्रों ने विनिमय नियंत्रण को अपनाया, परंतु बाद में मुद्रा में स्थायित्व आने पर इनमें कमी कर दी गई तथा 1931 तक अधिकांश नियंत्रणों को हटाया गया था, परंतु 1929 की मंदी में विनिमय नियंत्रणों को फिर से प्रारंभ किया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की स्वतंत्रता समाप्त होने से सरकारी नियंत्रणों को उचित ठहराया गया। इन काल में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान स्थिति पर नियंत्रण लगाना अत्यंत आवश्यक समझा गया। युद्ध समाप्ति के पश्चात् प्राथिक संबंधों को पुनः जोड़ना आवश्यक समझा गया, परंतु विभिन्न राष्ट्रों द्वारा भुगतान पर नियंत्रण लगाने से अनेक समस्याएं उदय हुईं तथा विनिमय पर नियंत्रण लगाना आवश्यक समझा गया। 1930-34 में स्वयंमान का पतन होने से अनेक देशों की मुद्राओं की विनिमय-दरों में अत्यधिक उच्चा-वचन होने प्रारंभ हो गए। इन उच्चा-वचनों को रोकने के लिए विभिन्न देशों में मुद्रा के क्रय-विक्रय एवं भुगतान संबंधी नियंत्रण लगाए गए और शासन द्वारा विनिमय दरों के परिवर्तन रोकने हेतु सक्रिय हस्तक्षेप प्रारंभ किए गए। 1950 तक नियंत्रण लगाना आवश्यक तथा सामान्य बात माना गया। विनिमय नियंत्रण को जन्म देने में जर्मनी का स्थान घाता है, जबकि प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् जर्मन-मार्क की विनिमय दर गिर जाने पर विनिमय नियंत्रण की सहायता लेकर उसे स्थिर किया जा सका। वर्तमान समय में अधिकांश राष्ट्रों द्वारा अपरिवर्तित पत्र-मुद्रामान धरना देने विनिमय दर में स्थिरता आने के लिए विनिमय नियंत्रण रखना आवश्यक माना गया।

### विनिमय नियंत्रण में आयाज

विनिमय नियंत्रण में आयाज मौद्रिक अधिकारी के उन सभी हस्तक्षेपों में होता है, जो विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए प्रयोग की जाती है। प्रायः विनिमय नियंत्रण में विनिमय बाजार में किए गए समस्त सरकारी हस्तक्षेपों को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान समय में विनिमय नियंत्रण में आयाज उन समस्त प्रतिबंधों में लगाया जाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा निजी विनिमय व्यवहारों के संबंध में प्रयोग किए जाते हैं। प्रो० हेबरवर के शब्दों में 'विनिमय नियंत्रण विदेशी विनिमय बाजार में प्राथिक गतिधरों की स्वतंत्र क्रिया को समाप्त करके राजकीय नियंत्रण की

संगाने के उद्देश्य से भी विनिमय नियंत्रण लगाया जाता है जिससे वे विदेशी विनिमय का प्रयोग देन के अहित में न कर सकें ।

(5) मुद्रा संबंधों को स्थिर रखना—विदेश के अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रों के साथ मुद्रा संबंधों को स्थिर रखने के उद्देश्य से भी विनिमय नियंत्रण लगाया आवश्यक हो जाता है ।

(6) उचित विनिमय दर का निर्धारण—जब सरकार यह धनुमय करती है कि विनिमय दर को स्वतंत्र रूप में छोड़ देने पर उचित ढंग से दर का निर्धारण नहीं होगा तो उचित स्तर पर विनिमय दर के निर्धारण के लिए विनिमय नियंत्रण लगाया आवश्यक हो जाता है ।

(7) विदेशी ऋण व ब्याज का भुगतान—विदेशी ऋण एवं ब्याज का भुगतान करने के उद्देश्य से भी विनिमय नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है । इसमें निर्यातों को प्रोत्साहित एवं आयातों को हतोत्साहित करके आधिसय का उपयोग विदेशी ऋणों के भुगतान में किया जाता है तथा इसके लिए विनिमय मूल्य को ऊँचे स्तर पर निश्चित कर दिया जाता है । इस प्रकार मुद्रा का अधिकमूल्यन करने से विदेशी ऋणों का भार हल्का हो जाता है तथा आयात मसने होने से उनके मूल्य चुकाने में सरलता बनी रहती है ।

(8) विदेशों से आवश्यक वस्तुओं की खरीद पर नियंत्रण—देन में पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय बोग होने पर उभका उपयोग विदेशों से आवश्यक वस्तुओं की खरीद पर किया जा सकता है । परत इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी विनिमय नियंत्रण लगाया जाने है । इसी उद्देश्य से द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारंभ से विनिमय नियंत्रण लगाया गया जिससे युद्ध सामग्री का आयात किया जा सके व पौष्टिक कच्चे माल, मशीनें एवं अन्य आवश्यक सामान का आयात करके आर्थिक योजनाओं को सफल बनाया जा सके । देन में निर्यात बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं । तथा आवश्यक आयातों पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं । देन के आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूंजी का स्वतंत्रतापूर्वक आयात किया जाता है तथा विनिमय दरों को स्थिर रखने के प्रयास किए जाते हैं । इस प्रकार आर्थिक योजना की सफलता के लिए विदेशी विनिमय को एक आवश्यक घंग माना गया है, जिससे योजना के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद जा सके ।

(9) भुगतान संतुलन में सुधार—देन में भुगतान संतुलन की स्थिति बिगड़ने पर विनिमय नियंत्रण को अपनाया जाता है जिससे देन की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर दिया जाता है, फलतः आयात महँगे व निर्यात सस्ते हो जाते हैं व भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होने लगता है ।

(10) विनिमय दर में स्थिरता—विनिमय दर में स्थिरता के अभाव में विदेशी व्यापार के लाभ अस्थिर होकर गट्टेबाजी की प्रोत्साहन मिलता है । परत इन पर उचित नियंत्रण लगाने के लिए एवं विनिमय दर में स्थिरता साने के लिए विनिमय नियंत्रण की नीति का प्रयोग किया जाता है । अस्थायी विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव गट्टेबाजी को प्रोत्साहित करते हैं जिस पर उचित नियंत्रण लगाया आवश्यक होता है । परंतु स्वार्थ उतार-चढ़ाव प्रायः अस्थिर परिवर्तन के कारण उदय होते हैं, जिनसे राष्ट्र को कोई सतता भी उत्पन्न नहीं होता और इन्हें रोकना अथवा प्रतिबंध भी नहीं होता है । परंतु व्यवहार में यह सात करना कठिन होता है कि कौन से परिवर्तन स्थायी होते हैं और कौन से अस्थायी । परत विनिमय दरों में परिवर्तन होने पर प्रायः विनिमय नियंत्रण की नीति को अपनाया जाता है ।

(11) पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना—विनिमय नियंत्रण इस उद्देश्य से भी प्रारंभ किए जाते हैं कि देन में विदेशी मुद्रा का जोर पर्याप्त मात्रा में बना रहे जिसका उपयोग कठिनाई के समय सरलता से किया जा सके तथा आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त की जा सकें ।


(12) विनिमय स्थायित्व—विनिमय नियंत्रण का उद्देश्य विनिमय दर में स्थायित्व बनाए रखना है विनिमय दर में उतार-चढ़ाव रोकने के लिए निरंतर सख्त और सख्त रखता परता है । विनिमय दर में स्थायित्व उद्योग, व्यापार, रोजगार, उद्योग आदि की प्रगति के लिए आवश्यक होता है ।

विनिमय नियंत्रण के ढंग

(Methods of Exchange Control)

विनिमय नियंत्रण के ढंगों को निम्न तीन ढंगों में रखा जा सकता है—

विनिमय नियंत्रण के ढंग



(घ) प्रत्यक्ष ढंग, (ङ) अप्रत्यक्ष, (च) अन्य ढंग ।

(घ) प्रत्यक्ष ढंग

वे समस्त उपाय क्रमिक प्रकार पर सरकार प्रभावकारी नियंत्रण रख सके, प्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। प्रत्यक्ष ढंग में निम्न को सम्मिलित किया जाता है—

(i) विनिमय प्रतिबंध (Exchange restriction)—इसमें मुद्रा अधिकारी की उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनमें विदेशी विनिमय की स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित कर दिया जाता है तथा विनिमय बाजारों में स्वदेशी मुद्रा की पुनः की धनिकार्य रूप में रोक दिया जाता है। इसका उपयोग सर्वप्रथम जर्मनी ने- 1931 में किया व बाद में अन्य राष्ट्रों ने भी इसे अपनाया। इसमें प्रायः निम्न उपायों को सम्मिलित किया जाता है—

(i) क्रय-विक्रय—इस रीति के अनुसार प्रायः विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय पर केंद्रीय बैंक का एकाधिकार स्थापित कर दिया जाता है और निर्यात को समस्त धाय को केंद्रीय बैंक से जमा करा दिया जाता है।

(ii) नागरिकों को बिक्री—एकत्र की गई विदेशी विनिमय का एक भाग सरकार रखती है तथा बाेष को ऊँचे दामों पर खनना को बेच दिया जाता है।

(iii) प्राथमिकता क्रम—देश में धान आयात करने के लिए एक प्राथमिकता क्रम का निर्धारण करके अना-वस्तु आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

(iv) अवरुद्ध करने की नीति—इस नीति के अंतर्गत विदेशियों को अपनी सम्पत्ति ले जाने का अधिकार रोक दिया जाता है, तथा उन्हें इसका मूद्रातान उनकी मुद्रा में नहीं दिया जाता।

(च) विदेशी मुद्रा पर रोक—विदेशी व्यक्तियों के लिए सीमित मात्रा में विदेशी मुद्रा दी जाती थी।

(घ) सरकार को मुद्राबंधी—नागरिकों को यह आदेश दे दिए जाते हैं कि वे अपनी विदेशी मुद्राएँ सरकार को सौंप दें।

(ग) बट्ट-विनिमय दर प्रथा—इस रीति के अंतर्गत आयात एवं निर्यात के लिए विभिन्न विनिमय दरें निर्धारित कर दी जाती हैं तथा आयात को विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न विनिमय दरें रखी जाती हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य आयात को घटाकर निर्यात को बढ़ाना है जिससे दुर्लभ विदेशी मुद्रा को अक्रिय किया जा सके। इस प्रणाली का जन्म जर्मनी से हुआ। जिस राष्ट्र में इस प्रथा को अपनाया जाता है, वहाँ नाइचेलर आदि प्रतिबंधों को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती।

बट्ट-विनिमय दर प्रथा के दोष—बट्ट-विनिमय दर प्रथा के प्रमुख दोष निम्न हैं—

(i) असंगत दर—इस प्रथा में दो राष्ट्रों के मध्य असंगत विनिमय दर निर्दिष्ट हो जाते का मय बना रहता है जो कि देश के लिए हानिकारक हो सकता है।

(ii) निर्योजित विकास में बाधा—इस व्यवस्था में निर्योजित विकास में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं तथा

(5) वित्तमन्त्र काल व्यवस्था—इस व्यवस्था में विदेशी निर्यातकों को मुग्तान करने पर प्रतिबंध तथा दिना जाता है। इसमें असाई मनाधान हो जाता है, जिसमें श्रेणी करने देश की मुद्रा में मुग्तान करते हैं जो बंध के पास जमा कर दी जाती है जो एक निश्चित समय के पश्चात् विदेशी निर्यातकों के प्रति मुक्त कर दिए जाते हैं। मंत्रीमन्त्र में अनेक राष्ट्रों द्वारा इस व्यवस्था का प्रयोग किया गया था।

(6) भुगतान समझौते—इस व्यवस्था के अंतर्गत मुग्तान संबंधी समझौते करके विदेशी विनिमय पर नियंत्रण लगाये जाते हैं। इस व्यवस्था में दोनों राष्ट्रों द्वारा परस्पर साक्ष मुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं।

भुगतान समझौते के दोष—भुगतान समझौते के प्रमुख दोष निम्न हैं—

(i) शेष अदत्त—झातों में कोई शेष अदत्त रह जाने पर उसका प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से वस्तुएं खरीद करके ही किया जा सकता है।

(ii) लेखा विधि व्यवस्था—इस व्यवस्था में मुग्तानों के संबंध में झातों को केवल नामें व जमा किया जाता है जिससे लेखा विधि व्यवस्था का ही प्रयोग किया जाता है और व्यवहार में कुछ नहीं होता।

### (व) अग्रत्यक्ष ढंग

इसके अंतर्गत सरकार विभिन्न नीतियों द्वारा वस्तुओं के आवागमन पर प्रतिबंध लगाती है। इसमें प्रायः वे ढंग सम्मिलित किए जाते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु अपनाये जाते हैं। इनमें निम्न को सम्मिलित किया जाता है—

(1) आयात पर रोक—आयात पर रोक लगाकर विनिमय नियंत्रण किया जाता है। यह रोक दो प्रकार में लगाई जा सकती है (अ) कौटा व लाइसेन्स द्वारा तथा (ब) आयात कर लगाकर। जब आयात वस्तुओं के संबंध में व्यापारियों को कौटे एवं लाइसेन्स दिए जाते हैं तो आयात पर प्रतिबंध स्वतः ही मग जाने हैं। इसी प्रकार आयात पर कर लगाने से मूल्य बढ़ने में मांग में कमी हो जाती है। अतः विदेशी मुद्रा की मांग घट जाती है व विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है।

(2) निर्यात सहायता—निर्यात करों में छूट देकर भी निर्यातों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसी प्रकार निर्यातकों को आर्थिक सहायता देकर भी निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें स्वदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तथा विनिमय दर पक्ष में हो जाती है।

(3) व्याज दरों में परिवर्तन—व्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव पूंजी के आयात एवं निर्यात पर पड़ता है। यदि देश में व्याज दर ऊंची कर दी जाए तो विदेशी पूंजी का आगमन बढ़ जाएगा जिससे स्वदेशी पूंजी की मांग बढ़ने में विनिमय दर पक्ष में हो जाएगी। इसके विपरीत व्याज दर कम करने पर विदेशी पूंजी वापस जाने लगती है व मांग ही स्वदेशी पूंजी भी विदेशों को जाने लगती है, जिससे विदेशी पूंजी की मांग बढ़कर विनिमय दर विपक्ष में हो जाती है। 1924 व 1930 में जर्मनी ने इसी विधि का प्रयोग करके विगतान माका में विदेशी पूंजी प्राप्त की थी।

### (घ) अन्य ढंग

विनिमय नियंत्रण की अन्य रीतियों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) नाम-प्राप्त-क्रिया—विनिमय दरों में परिवर्तन होने की संभावना में उसे नाम-प्राप्त-क्रिया द्वारा प्रभावित होने से रोक दिया जाता है। परन्तु अन्तःपरिवर्तनशील मौरिक व्यवस्था होने से यह क्रियाएं प्रायः अयंभव हो गई हैं। वर्तमान समय में विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है तथा उन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अन्तर्व्ययित दरों के कारण व्यापार करने प्रतिकूल होने पर मुद्रा का मूल्य घट जाता है तथा धनुहूल होने पर बढ़ जाता है।

(2) पक्षाधिकार समझौते—इस व्यवस्था के अंतर्गत दो राष्ट्रों के मध्य अंतर्गत के आवागमन पर प्रतिबंध तथा दिए जाते हैं तथा श्रेणियों के मुग्तान को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस प्रकार श्रेणी को मन्त्र देकर उसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाता है। इसमें पूंजी के आवागमन पर रोक लगाकर विनिमय दर को



चीलता को महत्व दिया जाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापार की हानि होती है तथा कुल व्यापार की मात्रा भी कम हो जाती है।

(6) राष्ट्रीय हित—विनिमय नियंत्रण से प्राथमिक राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है तथा राष्ट्रीय हितों को ही सुरक्षित रखने के प्रयत्न किए जाते हैं, जिससे विश्वयुद्ध की भूमिका का निर्माण हो जाता है।

(7) स्थायी रूप—यदि परिस्थितिवश एक बार विनिमय नियंत्रण की नीति को अपना लिया जाए तो यह अपना स्थायी रूप ग्रहण कर लेती है तथा व्यापार पर भी स्थायी रूप से नियंत्रण हो जाता है।

(8) व्यापार में कमी—विनिमय नियंत्रण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आ जाती है। विनिमय नियंत्रण लगाने एवं प्राथमिक मूल्यों का ऊंचा स्तर रखने से आयात एवं निर्यात दोनों ही कम हो जाते हैं तथा व्यापार के लाभ में भी कमी आ जाती है।

(9) पक्षपात को बढ़ावा—विनिमय नियंत्रण पक्षपात एवं लालचीतावाही को बढ़ावा देता है तथा जनता एवं अफसरों के नैतिक स्तर को गिराता है। व्यापारियों को अनुज्ञा पत्र भादि लेने की कठिनाइयों के कारण यह अनेक प्रकार की असुविधाओं को जन्म व प्रोत्साहन देता है।

### विनिमय नियंत्रण का संचालन

विनिमय नियंत्रण के संचालन से संबंधित प्रमुख बातें निम्न हैं—

(1) एक ही दर का निर्धारण—एक देश का दूसरे देश से समस्त प्रकार के लेन-देन के लिए एक ही दर का निर्धारण किया जाता है, जिसे विनिमय नियंत्रण द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है।

(2) अनुज्ञापत्र—विनिमय नियंत्रण लगाने पर निजी व्यापारियों को माल के आयात के लिए अनुज्ञापत्र निर्गमित किए जाते हैं। सरकारी खाते में किए जाने वाले आयात पर ऐसे अनुज्ञापत्र निर्गमित नहीं किए जाते।

(3) भुगतान व्यवस्था—मुद्रा के हस्तांतरणों को प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत करके विदेशी भुगतान की व्यवस्था की जाती है।

(4) अवश्य मदें—अवश्य व्यापारिक मदों के भुगतान के लिए आवश्यक विनिमय अनुज्ञापत्र दी जाती हैं जो बिना किसी भेदभाव के निर्गमित की जाती हैं।

(5) प्रमुख लक्ष्य—विनिमय नियंत्रण का प्रमुख लक्ष्य स्वर्ण एवं डॉलर की सुरक्षा करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त के लिए विदेशी व्यापार को डालर व दुर्लभ राष्ट्रों की धोर से हटाकर स्टैलिग तथा अन्य सुसभ राष्ट्रों की धोर मोड़े जाते हैं।

(6) पूंजीगत स्थानांतरण—सीमित क्षेत्र में बाहर किए जाने वाले पूंजी संबंधी सभी हस्तांतरणों को स्वीकृति मिलने की आवश्यकता होती है जिससे ऐसे हस्तांतरण सुविधापूर्वक किए जा सकें।

(7) आयात का भुगतान—आयात के भुगतान के लिए किसी भी अन्य मुद्रा का उपयोग किया जा सकता है।

(8) प्राप्तियां—समस्त विनिमय प्राप्तियों के लिए किसी एक बैंक को समस्त अधिकार दे दिए जाते हैं जो उसे प्राप्त करने की उचित व्यवस्था करता है।

(9) प्रशासन व्यवस्था—दैनिक कार्य व्यापारिक बैंकों द्वारा किए जाते हैं तथा अन्य विदेशी विनिमय कार्यों पर प्रशासन व्यवस्था केंद्रीय बैंक की बनी रहती है।

(10) सीमित क्षेत्र—विनिमय नियंत्रण व्यवस्था उन्हीं राष्ट्रों के साथ किए गए विनिमय पर लागू की गयी जो देश स्टैलिग क्षेत्र में बाहर थे। इस प्रकार यह व्यवस्था सीमित क्षेत्रों पर ही लागू होती थी।

### भारत में विदेशी विनिमय नियंत्रण

सितंबर, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा से भारत में विदेशी विनिमय नियंत्रण को प्रारंभ किया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध काल में विनिमय नियंत्रण स्टैलिग क्षेत्र तक ही सीमित था क्योंकि उस समय इन मुद्राओं के

उपयोग में मितव्ययिता लाने की अत्यंत आवश्यकता अनुभव की गई। युद्ध की समाप्ति पर भारत ने पर्याप्त विदेशी विनिमय प्रजित कर लिया था, परंतु विनिमय नियंत्रण की आवश्यकता को अनुभव करते हुए उसे जारी रखा गया। 1947 के बाद विनिमय नियंत्रण के कार्यक्षेत्र को प्रौर अधिक विस्तृत किया गया तथा भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के साथ विनिमय नियंत्रण को 1951 तक मुक्त रखा गया। भारत में प्रारंभ में विनिमय नियंत्रण का उद्देश्य ब्रिटेन को सहायता करना था। परंतु वर्तमान समय में विनिमय नियंत्रण के उद्देश्यों को पंचवर्षीय योजनाओं के साथ समायोजित किया गया है। देश के औद्योगीकरण एवं आर्थिक विकास के लिए विदेशों से ऋण लेना एवं पूंजी को आकर्षित करके अत्यावश्यक आयात पर प्रतिबंध लगाना विनिमय नियंत्रण नीति का आवश्यक अंग बन गया है। अतः विनिमय नियंत्रण द्वारा विदेशी मुद्रा को आवश्यक आयातों के लिए सुरक्षित करना है। 1957 के पश्चात् अत्यावश्यक आयातों को नियंत्रित कर दिया गया है। विनिमय नियंत्रण नीति को व्यापार नियंत्रण नीति के साथ लागू किया जाता है तथा बाह्य लेन-देन से संबंधित समस्याओं का नियमन किया जाता है। भारत की विनिमय नियंत्रण प्रणाली ब्रिटेन की प्रणाली पर आधारित होने के कारण उससे मिलती-जुलती है। भारत में विनिमय नियंत्रण का प्रशासन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। दैनिक व्यवहारों से संबंधित विदेशी विनिमय कार्यों को विदेशी विनिमय में अधिकृत व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है तथा रिजर्व बैंक जनता से प्रत्यक्ष रूप से कोई लेन-देन नहीं करती है। रिजर्व बैंक का गवर्नर विनिमय नियंत्रण विभाग का नियंत्रक होता है जो उपनियंत्रक की देख-रेख में कार्य करता है। उपनियंत्रक की सहायता के लिए सहायक नियंत्रक नियुक्त किए जाते हैं। सहायक नियंत्रकों की देख-रेख में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कानपुर एवं नई दिल्ली में विनिमय नियंत्रण संबंधी कार्य उप-कार्यालयों द्वारा संपन्न किया जाता है। प्रत्येक उप-कार्यालय का अपना क्षेत्र बटा होता है जहां पर कार्य को किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा संबंधी प्रार्थना-पत्रों को उससे संबंधित उप-कार्यालय को ही भेजा जा सकता है, जहां पर उस पर विचार किया जाता है।

विदेशी विनिमय पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1947 में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार को समस्त विदेशी विनिमय के लेन-देन करने का नियमन करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं—

- (1) अधिकृत व्यापारी—विदेशी-विनिमय का लेन-देन केवल अधिकृत व्यापारी ही कर सकता है।
- (2) आयात का भुगतान—आयात के लिए आवश्यक अनुज्ञानाम्य निर्गमित किए जाते हैं। आयातकर्ता को विदेशों का भुगतान करने के लिए एक अधिकृत बैंक में निर्धारित फार्म भरना होगा तथा भुगतान उसी देश की मुद्रा में देने के प्रयास किए जाते हैं। भुगतान हो जाने पर लाइसेंस की प्रति रिजर्व बैंक को वापस कर दी जाती है।
- (3) प्रतिक्षण, यात्रा आदि—विदेशों में प्रतिक्षण एवं यात्रा आदि के लिए विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में दी जाती है।
- (4) परिवहन शुल्क—विदेशों को जाने वाले माल का किराया रुपयों में ही चुकाना जाता है, परंतु विदेशों में आयात पर भाड़ा विदेशी मुद्रा में दिया जाता है जिसके लिए रिजर्व बैंक की स्वीकृति ली जाती है।
- (5) पारिवारिक निर्वाह—विदेशी कर्मचारी भारत में अपने पारिवारिक निर्वाह के लिए वेतन का 50% भाग या 2360 रुपए जो भी कम हो नियमित रूप से प्रतिवर्ष भेज सकते हैं।
- (6) फुटकर भुगतान—फुटकर विदेशी भुगतान के लिए 200 रुपए प्रतिवर्ष तक की राशि का भुगतान रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना भेजा जा सकता है।
- (7) विदेशी पूंजी—यदि विदेशी कंपनी भारत में विदेशी पूंजी विनियोग करना चाहें, तो पूंजी निर्यात नियंत्रक से आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होती है। इसी प्रकार विदेशी पूंजी वापस करने के लिए रिजर्व बैंक से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
- (8) भारतीय मुद्रा—गारंटी द्वारा विदेशों से कोई भी भारतीय मुद्रा आयात नहीं की जा सकती। विदेशी यात्री अपने साथ 20 रुपए तक की भारतीय मुद्रा हो ला सकते हैं।
- (9) विदेशी मुद्रा—विदेशी यात्री किमी भी मात्रा में विदेशी मुद्रा को ला सकते हैं, परंतु इसकी प्रविष्टि कस्टम अधिकारियों के पास कराना आवश्यक होगी।

(10) विनिमय दरें—विनिमय दरें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित होती हैं, परंतु इनमें 1% तक घट बढ़ हो सकती है। स्टॉलिंग के संबंध में विनिमय दर का निर्धारण 'भारतीय विदेशी विनिमय व्यापारी संघ' (Foreign exchange Dealers Association of India) द्वारा निर्धारित की जाती है।

(11) अल्प भुगतान—भारत को अल्प निजी कार्यों से 100 करोड़ रुपए के वार्षिक भुगतान करने होते हैं जिसे सुविधा के लिए षाठ वर्षों में विभाजित किया जा सकता है।

(12) वार्षिक यात्राएँ—हर सप्ति प्रत्येक यात्रा संबंधी प्रार्थना पर विचार करती है तथा दो वर्ष में केवल एक बार जाने की अनुमति प्रदान करती है।

(13) बीमा शुल्क—विदेशी मुद्रा में बीमा पालिसी लेने पर प्रतिवर्ष है, परंतु भारत स्थित विदेशी ऐसी पालिसी ले सकते हैं। प्रायः बीमा शुल्क विदेशों में भेजने की अनुमति दे दी जाती है। जहाजों के मूड़े को विदेशी मुद्रा में छुटाने पर रिजर्व बैंक की अनुमति लेना आवश्यक होता है।

(14) पूजा स्थानांतरण—विदेशी पूजा की स्थानांतरण रिजर्व बैंक की अनुमति से किया जा सकता है। भवनाश प्राप्त व्यक्ति अपनी पूरी बचत, सामांश आदि विदेशों को ले जा सकते हैं तथा डातर क्षेत्र का व्यक्ति निजी सम्पत्ति के प्रतिरिक्त 1.25 लाख रुपए तक प्रतिवर्षियों को अपने देश में हस्तांतरित कर सकता है। विदेशों में बने भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से 50,000 रुपए तक विदेशों को ले जा सकते हैं।

(15) विदेशों से प्राप्त धन्य—निर्यात के लिए भी आवश्यक अनुज्ञापत्र प्राप्त करने होते हैं और प्राप्त कुल विदेशी विनिमय अधिकृत बैंक में जमा करके रिजर्व बैंक को उसकी सूचना दी जाती है। विदेशी मुद्रा को बैंक की सहायता से देशी मुद्रा में बदला जा सकता है, परन्तु 20,000 रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा को भारत में भेजने से पूर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करनी होगी। विदेशों में 50 रुपए तक के पार्सल भेंट के रूप में बिना अनुमति के भेजे जा सकते हैं।

(16) स्वर्ण—स्वर्ण व हीरे जवाहरात के आयात-निर्यात के लिए भी आवश्यक अनुज्ञापत्र लेने पड़ते हैं। विदेशों में जाने वाला यात्री 15,000 रुपए तक के जेवर आदि ले जा सकता है। पाकिस्तान के लिए यह राशि 2000 रुपए निर्धारित की गई है। रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करके इस सीमा से अधिक का सामान भी ले जाया जा सकता है।

इस प्रकार विनिमय नियंत्रण नियम पर्याप्त लोचदार व अनुकूल हैं जिसमें पर्याप्त उदारता एवं सावधानी का प्रयोग किया जाता है। योजनाकाल में विदेशी विनिमय समस्या उपस्थित होने से व प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण कठोर विनिमय नियंत्रण लगाए गए जिससे विदेशी विनिमय की समस्या का समाधान किया जा सके। देश की वित्त वार्षिक परिस्थितियों एवं आर्थिककालीन स्थिति की घोषणा के परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय दर पर और कठोर नियंत्रण लगाए गए हैं जिससे विदेशी विनिमय की समस्या को सुलझाया जा सके।

विनिमय नियंत्रण का वर्तमान प्रचालन रिजर्व बैंक के हाथों में है। इसके 5 उप-कार्यालय भी हैं, जिनके अधिकार व क्षेत्र निम्न हैं—

नियंत्रण कार्यक्षेत्र	अधिकार क्षेत्र
1. नई दिल्ली	1. देहली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर व राजस्थान।
2. मद्रास	2. आंध्रप्रदेश, मद्रास, केरल, मिसूर व पाठीचेरी।
3. बम्बई	3. गुजरात व महाराष्ट्र।
4. बनकटा	4. आसाम, बिहार, मनीपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा, प० बंगाल, अठमान व निकोबार।
5. वानपुर	5. मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश।

## अवमूल्यन एवं अधिमूल्यन (Devaluation and Over-Valuation)

### अवमूल्यन (Devaluation)

**प्रारम्भिक**—देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में मूल्य कमकर देने की प्रक्रिया को अवमूल्यन कहते हैं। जब कोई देश अपनी मुद्रा के बदले में दूसरे देश की पूर्ण की अपेक्षा कम मुद्रा लेने के लिए तैयार हो जाए तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहेंगे। यह कभी सरकार द्वारा सभी मुद्रा के संबन्ध में ही की जाती है। इसमें मुद्रा का आंतरिक मूल्य तो अप्रभावित रहता है, परंतु उसका बाह्य मूल्य कम हो जाता है। मुद्रा के आन्तरिक मूल्य के कम होने को मूल्य ह्रास कहते हैं। मूल्य ह्रास प्रायः मुद्रा स्फीति के कारण होती है।

**परिभाषाएं**—अवमूल्यन की प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं—

(1) पाल एनजिग—“अवमूल्यन से आशय मुद्रा की अधिकृत तुलना में कमी होने से है।”<sup>1</sup>

(2) डा० गांगुली—“अवमूल्यन को सरल शब्दों में एक देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।”<sup>2</sup>

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 1944 में स्थापना के पश्चात् विरह के अनेक राष्ट्रों द्वारा अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में निर्धारित किया गया था। मुद्रा का अवमूल्यन करने पर उसे स्वर्ण में अपना मूल्य कम करना होता था।

### भारत में रुपये का अवमूल्यन

6 जून 1966 को भारतीय रुपये का 36.5% से अवमूल्यन किया गया, जो भारत के लिए एक अप्रतपूर्व घटना थी। इससे पूर्व भी भारत ने 1949 में रुपये का अवमूल्यन 10% से किया। इस समय देश में मूल्य-स्तर काफी बढ़ गए थे देश की आर्थिक परिस्थितियां काफी बिगड़ गई थीं, तथा निर्यात अत्यन्त घट रहे थे। इन परिस्थितियों ने अवमूल्यन को अनिवार्य कर दिया। अवमूल्यन से भारतीय रुपये का विदेशी मुद्रा में मूल्य 36.5% से गिर गया और अवमूल्यन के अन्तर्गत के लिए 4.76 रुपये के स्थान पर 7.50 रुपये तथा ब्रिटिश पौण्ड के लिए 13.33 रुपये के स्थान पर 21 रुपये चुकाने होंगे। यह अवमूल्यन विदेव बैंक की वेत आयोग की सिफारिशों पर किया गया था।

### अवमूल्यन को प्रेरित करने वाली परिस्थितियां

भारत में अवमूल्यन को प्रेरित करने वाली मुख्य परिस्थितियां निम्न थीं—

1. “Devaluation means lowering of the official parities.”—Paul Enzig.
2. “Devaluation may be simply defined as the lowering of the external value of the currency of a Country.”—Dr. Ganguli.

(1) अत्यधिक ऊँचा मूल्य स्तर—देश के परेनू मूल्य-स्तर में काफी वृद्धि हो गई थी, क्योंकि द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में काफी धन का विनियोग किया गया, परन्तु उसकी तुलना में उत्पादन में उतनी वृद्धि न होने से मूल्यों में वृद्धि हुई जिससे निर्यात घटे जिसने भ्रवमूल्यन को प्रेरित किया।

(2) विदेशी व्यापार में अवांछनीय क्रियाएँ—भारत के विदेशी व्यापार में अनेक प्रकार की अवांछनीय क्रियाएँ पनप चुकी थी जैसा आयात-निर्यात लाइसेन्सी का दुरुपयोग, तस्करी व्यापार, आयात में अधिक राशि के बीजक बनाना आदि। इन समस्त क्रियाओं को दूर करने के लिए भ्रवमूल्यन आवश्यक समझा गया।

(3) अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार—देश की अर्थव्यवस्था को आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए भी भ्रवमूल्यन करना आवश्यक समझा गया।

(4) आयात प्रतिस्थापन—आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भी भ्रवमूल्यन किया गया, क्योंकि इससे आयात की जाने वाली वस्तुएँ महगी होने से आयात प्रतिस्थापन पर ही ध्यान देना होगा।

(5) विदेशी सहायता—पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिए विदेशी सहायता आवश्यक समझी गई। 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण एवं कई स्थानों पर सूखा पड़ जाने से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। अतः योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भ्रवमूल्यन करना आवश्यक समझा गया।

(6) भुगतान असन्तुलन—पिछले कई वर्षों से आयात अधिक व निर्यात कम होने से व्यापारिक घाटा बढ़ रहा था तथा विनिमय दर विपक्ष में हो रही थी। अतः भुगतान असन्तुलन को ठीक करने के लिए निर्यातों में वृद्धि करना आवश्यक था जो भ्रवमूल्यन द्वारा ही सम्भव हो सकता था।

(7) स्टैलिग क्षेत्र की सदस्यता—भारत स्टैलिग क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता था। अतः 18 सितम्बर 1947 को जब सर स्टैफोर्ड क्रिस्त के निवेदन पर सभी स्टैलिग क्षेत्र के सदस्यों ने अपनी-अपनी मुद्राओं का भ्रवमूल्यन किया, तो भारत का भी नैतिक कर्तव्य था कि वह भी रुपये का भ्रवमूल्यन करे।

(8) पौण्ड पावनों के मूल्य में कमी—भारत को ब्रिटेन से 1700 करोड़ रुपये के पौण्ड पावने वसूल करने थे। यदि भारत रुपये का भ्रवमूल्यन न करता तो पौण्ड पावनों का रुपये में मूल्य कम हो जाता।

(9) डालर की कमी—भारत का अमेरिका के साथ प्रतिकूल व्यापार असन्तुलन था जिसे दूर करने के लिए रुपये का भ्रवमूल्यन कर दिया गया।

भ्रवमूल्यन के पश्चात् सरकार ने आयातों में उदारता की नीति अपनाई तथा देश के 59 उद्योगों को प्राथमिकता की सूची में रखा गया, जिसके लिए कच्ची सामग्री एवं अन्य वस्तुओं के आयात को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की गई तथा अनावश्यक आयात पर भारी आयात कर भी लगाए गए।

## भ्रवमूल्यन के उद्देश्य

भ्रवमूल्यन के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—

(1) आयात को कम करना—भुगतान असन्तुलन की प्रतिकूलता को कम करने के उद्देश्य से आयात को हतोत्सहित करने की नीति का पालन किया जाता है, जिसके लिए आयात पर भारी कर एवं आयात निषेध की नीति का पालन, लिपि, अ. यन्त्र, इ.।

(2) विनिमय नियंत्रण—विनिमय नियंत्रण की सहायता से व्यापारिक प्रतिकूलता को सुधारा जा सकता है। इसमें निर्यातकों को यह आदेश दे दिए जाते हैं कि वह अपनी विदेशी विनिमय सम्बन्धी समस्त आय सरकार को मुपुर्द कर दें जिसे आयातकर्ताओं में उचित ढंग से वितरित कर दिया जाएगा। इस प्रकार आयातों को निर्यात की सीमा तक ही रखा जा सकेगा।

(3) निर्यात को प्रोत्साहित करना—भुगतान असन्तुलन को ठीक करने के लिए उत्पादन मागत में कमी करके निर्यात को प्रोत्साहित करना होता है। भ्रवमूल्यन की सहायता से सस्ते मूल्यों पर विदेशों में माल बेचा जा सकेगा जिससे निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा।

(4) मुद्रा का संकुचन—मुद्रा प्रसार के प्रभावों को कम करने के लिए मुद्रा का संकुचन करना होगा, जिसमें

मुद्रा के परिमाण में कमी कर दी जाती है, परिणामस्वरूप कीमतें व लागतें घटने लगती हैं जिनमें देश बुरा विक्रय बाजार तथा प्रच्छा क्रय बाजार बन जाता है, फलस्वरूप निर्यात प्रोत्साहित एवं आयात हतोत्साहित हो जाते हैं।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण—मुग्तान मन्तुलन की प्रमायता को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेकर व्यवस्था की जा सकती है, परन्तु यह एक अस्थिर एवं प्रमायी उपाय है जिन पर दीर्घकाल तक निर्भर नहीं रहा जा सकता।


(6) आन्तरिक मूल्य स्तर को ढँबा उठाना—देश में मूल्य स्तर नीचे गिरने पर वस्तुएँ विदेशों में मस्की हो जाती हैं, जिससे आन्तरिक मूल्य स्तर ढँबा उठ जाएगा। यदि आयात किया जाए तो वह महंगा पड़ेगा, जिससे मूल्य स्तर बढ़ जाएगा। इस प्रकार उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार बढ़कर मुद्रा संकुचन की स्थिति समाप्त हो जाएगी।

(7) मुद्रा की आन्तरिक व बाह्य कीमतों में समानता—देश में आन्तरिक मूल्य स्तर बढ़ने से मुद्रा का बाह्य मूल्य ढँबा हो जाता है। इस प्रकार आन्तरिक एवं बाह्य मूल्य में समानता लाने के लिए उत्पादन लागत में कमी प्रयत्न बाह्य मूल्य को कम करना होगा। उत्पादन लागत में कमी करना सरल न होने से प्रवृत्तय द्वारा बाह्य मूल्य को कम किया जा सकता है।

(8) संरक्षण प्रदान करना—जब कोई ग्रन्थ राष्ट्र राष्ट्रियतातन द्वारा उद्योग-वन्धों को नष्ट कर रहा हो तो इते देश की मुद्रा के प्रवृत्तयन द्वारा ही रक्षा जा सकता है।

(9) व्यापार दस्ता बनाए रखना—निर्यात व्यापार में प्रपनी पूर्ण स्थिति को बनाए रखने के लिए भी मुद्रा का प्रवृत्तयन किया जाता है।

(10) मुग्तान मन्तुलन की प्रतिफलता सुधारना—प्रवृत्तयन से निर्यात में वृद्धि एवं आयात में कमी होकर मन्तुलन दूर हो जाता है। प्रवृत्तयन के ऋणात्मक एवं धनात्मक प्रभाव होते हैं जो कि निम्न चित्र द्वारा दिखाये जा सकते हैं—



चित्र में प्रवृत्तयन से पूर्व विनिमय दर AB है। इस दर पर निर्यात OE है और निर्यात का कुल मूल्य AEGB है। प्रवृत्तयन में विनिमय दर घटकर CC हो जाती है। इस दर पर निर्यात बढ़कर AF हो जाता है और कुल निर्यात मूल्य AFHC हो जाता है। यदि BCOG आयात का क्षेत्रफल EFHO आयात में कम है तो प्रवृत्तयन का प्रभाव धनात्मक होगा अन्यथा अधिक क्षेत्रफल होने पर प्रभाव ऋणात्मक होगा।

आवश्यक शर्तें

प्रवृत्तयन की सफलता के लिए निम्न आवश्यक शर्तों का पालन करना आवश्यक है—

(1) सहयोग करना—विदेशी राष्ट्र को चाहिए कि वह प्रवृत्तयन करने वाले राष्ट्र के साथ सहयोग करे तथा प्रवृत्तयन के प्रतिरोध उपायों का पालन न करे जैसे संरक्षण कर लगाना, आयात पर प्रतिबंध लगाना आदि।

(2) मांग लोचदार होना—प्रवृत्तयन की सफलता प्रायः विदेशी विनिमय की मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करेगी। यदि लोच कम है तो अधिक मात्रा में प्रवृत्तयन करने की आवश्यकता होगी। यदि मांग बेलोच है तो प्रवृत्तयन करने से मुग्तान मन्तुलन में साम्यता की स्थापना नहीं हो सकेगी। प्रवृत्तयन उसी समय सफल हो सकता है जबकि दोनों राष्ट्रों की मांग लोचदार हों। ऐसा करने से आयात में कमी एवं निर्यात में वृद्धि की जा सकेगी।

(3) अनुकूल प्रतिप्रिया—प्रवृत्तयन करने वाले राष्ट्र में मूल्यों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए अन्यथा प्रवृत्तयन के प्रभाव ध्येय हो जाएंगे। अतः मूल्यों पर नियंत्रण लगाकर निर्यात होने वाली वस्तुओं के मूल्यों को पूर्व स्तर पर ही स्थिर रखना चाहिए।

## 1966 अर्थमूल्यन के कारण

1966 का अर्थमूल्यन निम्न कारणों का परिणाम था—

(1) बहु-विनिमय दर प्रणाली—बहु-विनिमय दर प्रणाली एक स्थायी उपचार के रूप में प्रयोग हो सकती थी, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का सदस्य होने के कारण भारत इसे स्थायी लक्षण नहीं बना सकता था। अतः अर्थमूल्यन ही श्रेष्ठ उपाय माना गया।

(2) अधिकृत विनिमय दर व बाजार विनिमय दर में अन्तर—रूपरे की अधिकृत विनिमय दर 5 रु० = 1 डालर थी, परन्तु बाजार में 7.50 रु० 1 डालर के बराबर था। अतः दो बाजारों के विद्यमान होने से स्थिति विगड़ रही थी जिसे अर्थमूल्यन में ही सुधारा आ सकता था।

(3) विदेशी मुद्रा का बढ़ता अन्तर—आयात बढ़ने से विदेशी मुद्रा की कमी बढ़ती गयी जिसे सुधारने हेतु आयातों को घटाना तथा निर्यातों को बढ़ाना आवश्यक था जो अर्थमूल्यन द्वारा ही सम्भव था।

(4) निर्यात प्रोत्साहन की विफलता—निर्यात प्रोत्साहन के कदम विफल होने से मुगलान-रोप में भारी अस्तित्वन आ रहा था जिसे अर्थमूल्यन द्वारा ही ठीक किया जा सकता था।

(5) आयात में निरन्तर वृद्धि—कड़े नियंत्रण लगाने के बाद भी आयातों में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। अर्थमूल्यन में आयात महंगे होने के कारण आयातों पर स्वतः ही रोक लग गयी।

(6) काला बाजारी पर रोक—देश में विदेशी वस्तुओं की मांग अत्यधिक बढ़ गयी थी, अतः काला बाजारी को रोकने के लिए अर्थमूल्यन का सहारा लिया गया।

(7) आंतरिक मूल्यों में वृद्धि—भारत में मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही थी, जिसे रोकने के लिए अर्थमूल्यन को आवश्यक समझा गया।

## अर्थमूल्यन से लाभ

अर्थमूल्यन से प्राप्त होने वाले लाभों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है :—

(1) आयात प्रतिस्थापन में वृद्धि—अर्थमूल्यन से आयात महंगे होने के कारण देश में आयात प्रतिस्थापन में वृद्धि होगी तथा पूँजी का आकर्षण ऐसे उद्योगों में बढ़ जाएगा।

(2) अष्टाचार एवं अन्त घबहार पर रोक—रूपरे की क्रय शक्ति घटने के कारण अष्टाचार विकसित हुआ तथा तस्वरी व्यापार में निरन्तर वृद्धि हो रही थी, जिसे रोकना कठिन हो गया था। अतः यह आशा की गई कि अर्थमूल्यन के पश्चात् इन समाज-विरोधी क्रियाओं में कमी हो जायेगी।

(3) विदेशी राशि को प्रोत्साहन—अर्थमूल्यन द्वारा मुगलान सन्तुलन में वाछनीय परिवर्तन किए गए तथा यह आशा की गई कि विदेशी राशि को प्रोत्साहन मिलकर मुगलान सन्तुलन अनुकूल हो जाएगा। इसके प्रमुख कारण हैं— (i) देश में पर्याप्त मात्रा में विदेशी पूँजी आने लगेगी, (ii) भारत में विदेशी यात्रा तस्ती होने के कारण पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। (iii) विदेशी कम्पनियाँ अपने लाभों को देश में ही विनियोग करना अधिक उचित समझेंगी। विदेशों में विनियोजित धन भी वापस आने लगेगा।

(4) सरकारी धाय में वृद्धि—अर्थमूल्यन की नीति अपनाकर सरकारी धाय में वृद्धि होने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं।

(5) विदेशी विनिमय का अज्ञात होना—अर्थमूल्यन के द्वारा निर्यात को बढ़ाकर विदेशी विनिमय कोषों को मजबूत बनाया जा सकेगा।

(6) पक्षपूर्ण दरें—अर्थमूल्यन के पश्चात् विदेशी विनिमय दरें आयातों व निर्यातों पर लागू होने के अनिश्चित अदृश्य प्रभावों पर भी लागू होंगी। देश में पूँजी व धन का आकर्षण बढ़ेगा तथा नवीन विनियोगों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

(7) निर्यात को प्रोत्साहन—अर्थमूल्यन से यह आशा की गई कि इससे निर्यात प्रोत्साहन होकर देश की

अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अधिमूल्यन से औद्योगिक मान प्रोत्साहित होगा एवं वृष्टि निर्यातों की मात्रा में भी वृद्धि होगी।

(8) वस्तुयोजना के लिए विदेशी सहायता—विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी वस्तुयोजना की सहायता के लिए अधिमूल्यन की सहायता रखी थी, जिसे पूर्ण करना आवश्यक माना गया। इससे अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता प्राप्त होने की संभावना थी।

### अधिमूल्यन की हानियाँ

#### (Disadvantages of Devaluation)

अधिमूल्यन की हानियों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) विदेशी श्रेष्ठ भार में वृद्धि—अधिमूल्यन से यह भय बना रहता है कि विदेशी श्रेष्ठ भार एवं उत्तरी व्यापक का भार बढ़ जायगा तथा पहले की तुलना में अधिक मात्रा में भुगतान करना होगा। पंचवर्षीय योजनाओं में जो विदेशी श्रेष्ठ लिए गए हैं उनके भुगतान में अधिक धनपत्रों का व्यय करनी होगी।

(2) प्रतिद्वन्द्व व्यापार शर्तें—अधिमूल्यन ने व्यापार शर्तें प्रतिद्वन्द्व हो जाएँगी क्योंकि आयातों का मूल्य बढ़ जायगा तथा निर्यातों का मूल्य घट जाएगा।

(3) विदेशी विनियमों का एकाधिकार—अधिमूल्यन के माप-माप उदार आयात नीति को अपनाया गया तथा विदेशी वस्तु के आयात पर से निर्यात हटा दिए गए, फलस्वरूप विदेशी विनियमों का अधिकार हुआ, परन्तु इससे विदेशी विनियमों के एकाधिकार का खौफ बढ़ गया।

(4) मूल्यों में वृद्धि—अधिमूल्यन से मूल्यों में वृद्धि होने का भय बना रहता है, क्योंकि आयातों के मूल्य बढ़ जाते हैं जिनसे उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। इससे देश के आर्थिक विकास में रुकावट उत्पन्न हो जाती है।

(5) सरकारी व्यय में वृद्धि—विदेशी वृद्धावर्तों एवं अन्य सरकारी व्ययों पर जो व्यय किया जाता था, अधिमूल्यन के पश्चात् उसमें पर्याप्त वृद्धि होने से सरकारी व्यय में वृद्धि हो जायेगी। इसके प्रतिरिक्त आयात हुई वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से भी योजनाओं का व्यय बढ़ जाएगा।

(6) शिक्षा पर कुप्रभाव—अधिमूल्यन से विदेशी पुस्तकें, वैज्ञानिक उपकरण आदि महंगे होने के कारण शिक्षा पर व्ययों में वृद्धि होगी तथा विदेशों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए समस्या उत्पन्न हो जायेगी तथा पहले से अधिक मात्रा में धन व्यय करना होगा।

(7) तस्करी व्यापार—अधिमूल्यन के परिणामस्वरूप तस्करी व्यापार करने के स्थान पर बढ़ गया जो कि निरर्थक ही एक दमकीर समस्या थी।

### अधिमूल्यन के प्रभाव

अधिमूल्यन के प्रभावों का निम्न प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है—

(1) निर्यात में वृद्धि—अधिमूल्यन के पश्चात् भारतीय मान विदेशों में सस्ता हो जायेगा तथा विदेशी बाजारों में मान की लागत बढ़ेगी। अधिमूल्यन के वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए 57.5% से अधिक निर्यात करने होंगे तथा पहले की तुलना में 36.5% से अधिक निर्यात में वृद्धि करनी होगी। परन्तु देश में उत्पादन में वृद्धि न होने के कारण अधिक मात्रा में मान का निर्यात संभव न हो सकेगा। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी उपकरण आदि आयात करने होंगे जिनके लिए अधिक भुगतान करना होगा जिनसे निर्यात से प्राप्त होने वाले लाभ भी मूल्य हो जायेंगे। इसके विपरीत कुछ वस्तुओं के निर्यातों में कमी हुई जैसे धातु, कमी एवं कच्चा आदि। इन प्रकार जर्मनी, ब्रिटेन, रूस को निर्यात घटे तथा जापान, संका आदि को निर्यात बढ़े। परन्तु नवम्बर 1967 में ब्रिटेन के पौष्ट के अधिमूल्यन में इनकी काशी घबरा गया तथा ब्रिटेन को निर्यात 14% में घटने हो गए हैं। भारत में इंडोनिशिया व सिंगापुर मान का निर्यात बढ़ा है। इसके क्षेत्र में निर्यात बढ़ा व अमेरिका, कनाडा व साम्राज्य बाजार को निर्यात घटे। अधिमूल्यन के तानों



को प्राप्त करने के लिए चाय एवं जूट उद्योगों का प्राधुनिकीकरण करके निर्यातक उद्योगों के विकास के लिए विद्योप प्रावधान करने होंगे। ध्रुवमूल्यन में इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में काफी सफलता प्राप्त हुई है। निर्यातकों को सास सुविधायें देने से निर्यात में और अधिक वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। चतुर्थ योजना में निर्यात में 7% वार्षिक से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। पंचम योजना में निर्यात बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया है।

(2) विदेशी ऋण भार पर प्रभाव—ध्रुवमूल्यन से विदेशी ऋणों एवं ब्याज के भार में वृद्धि हो जायेगी जिसमें दायित्वों में वृद्धि होकर देश के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

(3) मूल्य-स्तर पर प्रभाव—जो उद्योग आयातित माल पर निर्भर हैं उनके मूल्यों में वृद्धि होने से धन्य वस्तुओं के मूल्य भी प्रभावित होंगे तथा देश में स्कोतिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जायेंगी, जिस पर सरकार पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं कर सकेगी। मूल्य बढ़ने से महंगाई भत्ता बढ़ाना पड़ा जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई।

(4) नवीन निर्यातों को प्रोत्साहन—ध्रुवमूल्यन ने अनेक नवीन वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित किया जिसमें विदेशी बाजारों में बिक्री बढ़ी व विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

(5) राष्ट्रीय आय पर प्रभाव—ध्रुवमूल्यन के बाद राष्ट्रीय आय में लगभग 20% से वृद्धि हुई, वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हुई व आयात में कमी हुई है।

(6) पूंजी विनियोजन पर प्रभाव—ध्रुवमूल्यन का उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए विदेशी विनियोगों को आकर्षित करना था, परंतु इस उद्देश्य में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि अतिनी विदेशी राशि स्वीकृत की गई, उतनी प्राप्त न हो सकी तथा अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

(7) आयात पर प्रभाव—ध्रुवमूल्यन से आयात होने वाले सामान का मूल्य 57.5% से बढ़ गया, जिसमें आयात घटक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ा। विदेशों में आयातित माल की कीमतें बढ़ने से निर्यात वस्तुओं के मूल्य बढ़े। अत आयातों पर प्रतिबंध लगाकर निर्यात में वृद्धि करके भ्रूणतान संतुलन को पक्ष में किया जाना चाहिए। आयातों पर कठोर प्रतिबंध लगाना आवश्यक माना गया है।

निष्कर्ष—उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि—

- पर्याप्त मजगतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर ही ध्रुवमूल्यन के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।
- ध्रुवमूल्यन के बाद मावधानी प्रयोग न करने से देश को दुष्परिणाम भुगतने होते हैं।
- ध्रुवमूल्यन तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम माना जाता है।
- ध्रुवमूल्यन स्वयं में कोई लक्ष्य न होकर, केवल समस्याओं का समाधान मात्र है।

### अधिमूल्यन (Over-Valuation)

जब देश की मुद्रा इकाई की विनिमय दर को विनिमय बाजार की स्वतंत्र रूप में निर्धारित होने वाली विनिमय दर की तुलना में ऊंची दर पर निर्धारित किया जाये तो उसे अधिमूल्यन कहते हैं।

#### उद्देश्य (Objectives)

अधिमूल्यन के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—

(1) विदेशी ऋण भार में कमी—मुद्रा का अधिमूल्यन करके विदेशी ऋण भार में कमी की जा सकती है तथा उमकी भ्रूणतान व्यवस्था भी जा सकेगी।

(2) देश का आर्थिक शोषण—देश का आर्थिक शोषण करने की दृष्टि से भी मुद्रा का अधिमूल्यन किया जाता है। परंतु यह उमी समय सफल हो सकेगा, जबकि दूसरे राष्ट्र अधिमूल्यन करने वाले देश से किसी भी मूल्य पर वस्तुओं को श्रेय करने के लिए तत्पर हो।

(3) स्थला आयात—मुद्रा का अधिमूल्यन करके विदेशों से मरदा आयात प्राप्त किया जा सकता है तथा भ्रूणतान संतुलन पर भी इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) विकास ध्यय में कमी—अधिमूल्यन द्वारा कोई भी राष्ट्र अपने आर्थिक विकास संबंधी ध्ययों में कमी

कर सकता है। निर्यात की मरम्मत के लिए आवश्यक मात्रा में मशीनें व अन्य उपकरण आयात किए जा सकते तथा न्यूनतम व्यय पर ही देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है तथा आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है।

### अधिमूल्यन के कारण

अधिमूल्यन की नीति के अवनाने के प्रमुख कारण निम्न हैं—

(1) विगत ऋण चुकाने पर—यदि किसी राष्ट्र को विगत मात्रा में ऋण चुकाने हों तो उसे अपनी मुद्रा का अधिमूल्यन करके पान प्राप्त करने चाहिए जिससे उसके भार में कमी की जा सके।

(2) निर्यात पर अल्पविक निर्भरता—यदि कोई देश निर्यातों पर अल्पविक निर्भर हो, तो उस देश के लिए मुद्रा का अधिमूल्यन करना उचित माना जाता है, इससे देश को लाभ प्राप्त होते हैं।

(3) विदेशों से भारी मात्रा में अल्पविक—यदि युद्धकालीन तथा अन्य आतंकवादी परिस्थितियों में अचानक ही विदेशों से भारी आयात करना पड़े तो अधिमूल्यन की नीति का सहारा लिया जा सकता है। पुनर्निर्माण कार्यों में भारी मात्रा में आयात करने पर अधिमूल्यन नीति का ही प्रयोग करना होगा।

(4) मुद्रा प्रसार का सामना—आंतरिक मुद्रा प्रसार का सामना करने के लिए भी मुद्रा का अधिमूल्यन किया जाना चाहिए क्योंकि (i) इससे निर्यातों को प्रोत्साहन नहीं मिलना, (ii) विदेशी सामानों की कीमतों को मजबूत कर देना है, (iii) इससे आयात प्रोत्साहित होकर सामान व्ययों में भी वृद्धि हो जाती है। अतः अधिमूल्यन द्वारा सामना को बचाने में सहायता मिलती है।

अधिमूल्यन की नीति अधिमूल्यन करना भी देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। अधिमूल्यन के भीषण प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होने पर देश में अधिमूल्यन की नीति का ही सहारा लिया जा सकता है।

चतुर्थ भाग

अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग

(INTERNATIONAL MONETARY COOPERATION)

## अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund)

### प्रारंभिक

ग० रा० अमेरिका में स्वर्णमान के पतन के पश्चात् इंग्लैंड, फ्रांस एवं अमेरिका में जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ। वह 3 मितम्बर, 1939 को द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभ होते ही समाप्त कर दिया गया और विदेशी विनिमय के लेन-देन पर फ्रांस तथा इंग्लैंड ने बहुत कड़े प्रतिबंध लगा दिए। युद्धकाल में प्रारंभिक लेन-देनो तथा भुगतानों में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हुईं। अर्थशास्त्रियों के महत्त्वपूर्ण प्रथम विश्वयुद्ध के अनुभव अभी स्पष्ट में और पालू महायुद्ध समाप्ति के पश्चात् युद्ध तथा विनिमय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा भुगतान, मूल्य-स्तर और अदिकमित देशों के विकास की समस्याओं का पूर्वानुमान किया जा सकता था। द्वितीय विश्वयुद्ध में पूर्व भी अंतर्राष्ट्रीय वित्त एवं व्यापार के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था होने से विश्व बाजार में उत्पन्न हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाना आवश्यक समझा गया। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना एक अभूतपूर्व घटना है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संबंधों की दिशा में एक सचेत एवं उचित प्रयास था।

### पृष्ठभूमि

#### (Background)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना 1944 में हुई परन्तु इसका उद्भव प्रथम विश्वयुद्ध के समय से ही प्रारंभ हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष को जन्म देने वाली प्रमुख परिस्थितियां निम्न थीं—

(1) अत्यधिक मुद्रा प्रसार—युद्धकाल में प्रायः सभी राष्ट्रों ने अत्यधिक मात्रा में नोटों का निगमन किया, जो कि अतिरिक्तनीति थे। इस अत्यधिक मुद्रा प्रसार के कारण आर्थिक दशाएं बहुत बिगड़ गईं व मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा तथा आंतरिक व्यापार पर भी आघात पहुंचा।

(2) धन व संपत्ति की बर्बादी—युद्धकालीन धर्म प्रबंधन में मानवीय धन व सम्पत्ति की बहुत ही बर्बादी एवं हानि हुई, जिससे बचने के लिए अत्यधिक पुनर्बांध एवं पुनर्निर्माण के कार्यक्रम निर्माण करने में व्यस्त था।

(3) स्वर्णमान का परिवर्तन—प्रथम विश्वयुद्ध में पूर्व जिन राष्ट्रों में स्वर्णमान चलन में था उसे स्थगित करना पड़ा तथा पुनः स्थापना के प्रयास विफल हो गए तथा राष्ट्रों की मौद्रिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण वह जल्दी ही टूट गया। पतनस्वरूप विश्व में विनिमय दरों में अस्थिरता उत्पन्न हो गई तथा विनिमय नियंत्रण की नीति का महत्त्व लिया गया।

(4) स्वायत्तपूर्ण आर्थिक नीति—प्रत्येक राष्ट्र अपनी स्वायत्तपूर्ण आर्थिक नीति अपनाते में संतुष्ट था। कुछ राष्ट्रों ने अपनी मुद्राओं का पतनपूर्ण ढर्रे के नियंत्रण में वृद्धि करने के प्रयास किए तथा आयातों पर नियंत्रण लगाने के प्रयास किए गये, जिससे मौद्रिक व्यवस्था में बड़ प्रतिक्रियाएं स्थापित हो गईं।

(5) प्रतिस्पर्धी नीति—प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् विभिन्न राष्ट्रों ने रोजगार एवं आर्थिक स्थिरता के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी नीति को अपनाया। विश्व के अनेक राष्ट्रों ने अतिरिक्तनीय पतन-मुद्रा को अपनाया। मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना अनुविधाजनक हो गया तथा आंतरिक समझौतों की सहायता से विनिमय दरें

निश्चित की गयी।

(6) गलाकाट प्रतिस्पर्धा—धार्मिक अस्थिरता के कारण विभिन्न राष्ट्रों में गलाकाट प्रतिस्पर्धा हो रही थी, जिससे विनिमय दर अस्थिर हो गई तथा सभी राष्ट्रों के व्यापार में कमी हो गई।

(7) सराव अर्थव्यवस्था—विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में द्वितीय विश्वयुद्ध से स्थिति अत्यन्त सराव हो गयी थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना से ही दूर किया जा सकता था।

(8) पुनर्वास व पुनर्निर्माण की समस्याएँ—युद्ध के कारण विश्व के राष्ट्रों में पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की समस्याएँ उत्पन्न हो गयीं जिसने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सहयोग की आवश्यकता बना दिया।

(9) दोषपूर्ण विनिमय दर प्रतिबंध—विनिमय दर पर लगाए गये प्रतिबंध अत्यन्त दोषपूर्ण थे जिनके स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय उपाय अपनाए जा सकें।

(10) विभिन्न विनिमय दरें—1930 में विश्व के राष्ट्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के लिए भिन्न-भिन्न विनिमय दरें अपनाई गईं जिसने अनेक बुराइयों को जन्म दिया।

(11) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध—द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाये गये जिनसे अनेक व्यापारिक एवं धार्मिक समस्याओं को प्रेरित किया। इन समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अभावना आवश्यक समझा गया, क्योंकि उत्पादन एवं विश्व व्यापार में अत्यन्त कमी हो गई थी तथा मुश्किलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय इकाई का अभाव था। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि एक ऐसे विनीय यंत्र की स्थापना की जाये जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्रदान कर सके तथा धार्मिक अस्थिरता लाने में सहयोग प्रदान कर सके।

### संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के इतिहास को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—


(1) ब्रैटनवुड्स सम्मेलन (Brettonwoods Conference)—द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व विश्व की अर्थोप-जनक स्थिति पर विचार करने के उद्देश्य से सन् 1944 अमेरिका में विश्व के कुछ राष्ट्रों के साथ मिलकर ऐसी अंतर्राष्ट्रीय योजनाएँ बनाने पर ध्यान दिया जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग दे सकें। इस समय अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के लिए हेरी डी० व्हाइट (Harry D. White) एवं हल (Hull) अग्रणी थे, उभर दूतरी धोरेंट ब्रिटेन में भी इन समस्याओं पर विचार किया जा रहा था। अतः अगस्त 1942 में ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की योजना का निर्माण हुआ रहा था। सन् 1944 अमेरिका के प्रस्तावों को व्हाइट योजना (White Plan) के नाम से जाना गया। इनके अन्तर्गत अमेरिकी एवं ब्रिटिश वित्तियों के मध्य अनेक विचार-विमर्श हुए।

(2) व्हाइट योजना—इसमें अमेरिकी सरकार का दृष्टिकोण व्यक्त किया गया। इस योजना को 10 जुलाई, 1943 में प्रस्तावित किया गया।

(3) व्हाइट योजना—यह योजना 8 अगस्त, 1943 को जे० एम० बीन्स द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें एक ऐसी प्रणाली को स्थापित करने की सिफारिश की गई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तिय पद्धति की अभावनाएँ दीर्घकालीन पूँजी के वित्तियोजन की व्यवस्था की जा सके।

दोनों योजनाओं में समानता थी, जिसमें स्वर्ण के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा इकाई की व्यवस्था की गई। धारणीय मतभेदों को दूर करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन एवं कुछ अन्य राष्ट्रों के मध्य अगस्त, 1944 में सम्मेलन हुआ। जुलाई, 1944 में आयोजित करने वाले सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 44 राष्ट्रों को आमन्त्रित किया। ब्रैटनवुड्स के सम्मेलन में दो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं की रचना की गई—अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक।

गणितात्मक विवरण



स्थापना—अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना का निर्णय 22 जुलाई, 1944 को किया गया। 27 दिसम्बर, 1945 को 30 देशों ने समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किए और कोष को वैधानिक रूप मिला। इन कोष द्वारा वास्तविक व्यवहार। मार्च, 1947 को शरंभ किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के उद्देश्य

मुद्रा-कोष के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—

- (1) बहुराष्ट्रीय व्यापार पद्धति—यह कोष बहुराष्ट्रीय व्यापार सम्झौतों को विकसित करने की सुविधाएं देगा।
- (2) विनिमय नियंत्रणों को हटाना—यह कोष विनिमय नियंत्रणों को निरस्त/हटाने करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावेगा। कोष की अनुमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा।
- (3) विषमता को दूर करना—सुपेरात संतुलन की विषमता को दूर करने के लिए कोष सदस्य राष्ट्रों को मौद्रिक सहायता देगा।
- (4) संतुलित विकास में सहायता—सभी राष्ट्रों में रोजगार एवं आय के स्तर को ऊंचा करने के उद्देश्य से यह कोष देश के संतुलित विकास में सहायता प्रदान करेगा।
- (5) पूंजी का विनियोजन—कोष का उद्देश्य नानप्रद कार्यों के पूंजी के विनियोजन को प्रोत्साहित करना है।
- (6) संकट काल में सहायता—कोष का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को संकट काल में मौद्रिक सहायता प्रदान करना है।
- (7) विनिमय दरों में स्थानित्व—अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए यह कोष विनिमय दरों में स्थानित्व नाने का प्रयास करेगा तथा इसके लिए आवश्यक कार्यवाही को जानेगी।
- (8) मौद्रिक सहयोग—अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से यह कोष आर्थिक समस्याओं की सुनन्धने के प्रयास करेगा।

मूल-सिद्धांत

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं—

- (1) विनिमय दर में समायोजन—विनिमय दरों में आसानी समायोजन करने के लिए कोष की सहमति प्राप्त करना आवश्यक माना गया।
- (2) वित्तीय क्षेत्र—मुद्रा-कोष के अपने वित्तीय साधन होते हैं जो कि मुद्रासंग्रहण घटों के प्रचीन किन्हीं भी सदस्य को प्रदान किए जा सकते हैं। दुगमें सदस्य अपनी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर सकता है।
- (3) संडी पर रोक—मुद्रा-कोष के सदस्य राष्ट्र इन बात पर सहमत थे कि वे मुद्रा में संडी को रोकने के हर संभव प्रयास करेंगे बिना सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया।
- (4) निर्देशकों का प्रयोग—इन कोष को 14 निर्देशकों द्वारा शासित किया जाता है, जिनमें से 5 की नियुक्ति 80 रा० अमेरिका, चीन, फ्रेड ब्रिटेन, फ्रांस व नार्वे द्वारा की जाती है, शेष का चुनाव अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- (5) सरकारों में संबंध—यह कोष केवल सरकारों में ही संबंध रखता है और इनका विनिमय बाजार से कोई संबंध नहीं है।
- (6) बहुराष्ट्रीय व्यवस्था—विनिमय के क्षेत्र-देशों पर से अतिरिक्त हटाकर स्वतंत्र बहुराष्ट्रीय व्यवस्था कायम की जानेगी, जिनसे किन्हीं भी मुद्रा को सरमता से दूसरी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सके।

(7) स्वर्ण में रूपान्तरण—सदस्यों को मुद्राओं को स्वर्ण में व्यक्त करने की सुविधाएं प्रदान की गयीं।

(8) विनिमय दर में स्वायत्तिय—प्रत्येक सदस्य राष्ट्र विनिमय दरों में स्वायत्तिय लाने के प्रयाग करेगे तथा उसमें परिवर्तन भी एक सीमा तक ही होने देंगे।

### कोष का संगठन एवं प्रबंध व्यवस्था

कोष के संगठन एवं प्रबंध से संबंधित मुख्य बातें निम्न हैं—

(1) सदस्यता—जिन राष्ट्रों ने 31 दिसम्बर, 1945 में पूर्व इस कोष की सदस्यता स्वीकार की, वह इसके मूल सदस्य कहलाते हैं। कोई भी सदस्य आवश्यक सूचना देकर सदस्यता का परित्याग कर सकता है। वर्तमान समय में इस कोष के 127 राष्ट्र सदस्य हैं।

(2) पूंजी व्यवस्था—प्रत्येक सदस्य का पूंजी का कोष निश्चित कर दिया जाता है, जिसमें परिवर्तन कुल मतों का 80% पक्ष में होने पर ही किया जा सकता है। प्रत्येक राष्ट्र को कुछ राशि स्वर्ण में व रोप धरणी राष्ट्रीय मुद्रा में देनी पड़ती है। स्वर्ण की मात्रा कोटे के 25% या कुल डालर कोष के 10% जो भी कम हो, के बराबर होगी। रोप भाग स्वदेशी मुद्रा में दिया जायेगा।

(3) प्रधान कार्यालय—जिस देश का कोटा सबसे अधिक हो, वही इसका प्रधान कार्यालय रहेगा। इस समय यह कार्यालय स. ० रा. ० अमेरिका में है। कोष का केंद्रीय कार्यालय वाशिंगटन (डी. ० सी. ० 20, 431) में स्थित है। इसके अन्य कोई कार्यालय नहीं हैं। कोष के कार्यों को अधिकतम 120 दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता है।

(4) प्रबंध मंडल—कोष की प्रबंध व्यवस्था के लिए संचालक मंडल, गवर्नर मंडल एवं अन्य स्टाफ होता है। इसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र द्वारा एक गवर्नर व एक यथाक्रम गवर्नर (Alternate governor) नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। संचालक मंडल में 12 सदस्य होते हैं जिसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं। संचालकों की सहायता के लिए उप-संचालकों की भी नियुक्ति की जाती है।

(5) मताधिकार—मुद्रा-कोष के सामान्य निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। यह बहुमत, सदस्य मर्यादा द्वारा न होकर कुल मताधिकार द्वारा निर्धारित हो जाता है। प्रत्येक सदस्य को 200+ एक मत प्रति लाख डालर धर्म्यदा का अधिकार होता है। वर्तमान समय में भारत का मताधिकार 9,650, अमेरिका का 67,250, ब्रिटेन का 28,250, जर्मनी का 16,250, फ्रांस का 15,250, है।

### कोष की कार्य-विधि

मुद्रा-कोष के पाग विभिन्न राष्ट्रों की मुद्रा एवं स्वर्ण के रूप में अग्रार पूंजीगत साधन होते हैं। कोष की कार्य प्रणाली इस प्रकार की है कि उसमें विदेशी विनिमय में न्यूनतम उच्चावचन हो तथा बहुपक्षीय व्यापार पद्धति के द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो सके। कोष की कार्य प्रणाली को प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं—

(i) परिवर्तन की सुविधा—कोष द्वारा विनिमय दरों को परिवर्तन करने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं जो कि निम्न प्रकार हैं—

(i) परामर्श लेना—किसी भी देश द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्य में 10% तक कमी या वृद्धि करने के लिए उसे मुद्रा-कोष से केवल परामर्श लेना होगा जिसके लिए कोष मना नहीं कर सकता।

(ii) स्वीकृति—यदि परिवर्तन 10% से अधिक करना हो तो कोष से स्वीकृति लेनी होगी। 20% तक परिवर्तन की स्वीकृति कोष द्वारा 72 घंटों में दे दी जायेगी।

(iii) बहुमत—यदि 20% से भी अधिक परिवर्तन करना है तो इसकी अनुमति का निर्णय 3 बहुमत से लिया जायेगा।

(iv) प्राणुपातिक परिवर्तन—कोष सभी राष्ट्रों की मुद्राओं में प्राणुपातिक परिवर्तन ला सकता है। यदि कोई राष्ट्र अर्धन्युत्प है तो उसे इसकी सूचना 72 घंटों के अंदर कोष को दे देनी चाहिए, जिसमें विनिमय दर में परिवर्तन न किया जा सके।

(2) विदेशी मुद्रा पर प्रतिबंध—मुद्रा-कोष के पास पर्याप्त मात्रा में कोष बना रहे, इसके लिए विदेशी मुद्रा पर प्रतिबंध लगाते हुए निम्न व्यवस्था की गयी है—

(i) मुद्रा की मात्रा—कोष के पास किसी भी समय मुद्रा की मात्रा उसके कोटे के 200% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) सरोदर की सीमा—कोई भी राष्ट्र 12 माह की अवधि में कोष से अपनी मुद्रा के बदले में अपने कोटे की राशि के 25% से अधिक नहीं सरोदर सकता।

(iii) बड़ी ब्याज दर—मुद्रा-कोष का ऋण बढ़ने पर ऋणी सदस्य को बड़ी दर से ब्याज दर देनी होगी।

(iv) समुचित उपयोग—ऋण का समुचित उपयोग हो व कोष के उद्देश्य में पूर्ण हो, इसके लिए कोष के कार्यों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाये गये हैं।

(3) स्वर्ण का स्थान—प्रत्येक राष्ट्र को अपने कोटे का 25% या स्वर्ण कोष का 10% स्वर्ण कोष में जमा करना पड़ता है। किसी भी राष्ट्र की मुद्रा के अभाव होने पर कोष स्वर्ण देकर उसे सरोदर सकता है। इस प्रकार स्वर्ण की विनिमय दरों एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर का आधार बना दिया गया है। बाद में यह व्यवस्था की गयी कि प्रत्येक देश अपने अर्थशास्त्र का 25% स्वर्ण में बुकाने का उत्तरदायी होगा।

(4) बुद्धिपूर्व—युद्धकालीन अव्यवस्था को शांतिवर्ती व्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए सदस्य राष्ट्रों को विनिमय नियंत्रण जारी रखने की छूट दी गई तथा यह आश्वासन भी दिया कि यह नियंत्रण शीघ्रतापूर्वक हटा दिये जायेंगे।

(5) धातु का वितरण—कोष की धातु का प्रथम 2% भाग उन लेनदार राष्ट्रों को दिया जाता है, जिनकी मुद्रा-कोष के पास उनके कोटे के  $\frac{1}{4}$  से कम रहती है। धातु भाग को सदस्यों में उनके कोटे के अनुपात में उनकी ही मुद्रा में वितरित कर दिया जाता है।

(6) केंद्रीय बैंक का बैंक—मुद्रा-कोष को केंद्रीय बैंक का बैंक कहा जाता है क्योंकि सदस्य देशों के केंद्रीय बैंक को एक स्थान पर एकत्रित कर लिया जाता है।

(7) साधनों की तरल रक्कत—मुद्रा-कोष को अपने साधनों की तरल रूप में रखना आवश्यक है और इसके लिए निम्न उपाय किये जा सकते हैं :—

(i) कोष के पास सदस्य देश की अधिक मुद्रा होने पर उसे स्वर्ण देकर सरोदर जा सकता है।

(ii) सदस्य स्वर्ण के बढ़ते कोई भी विदेशी मुद्रा भ्रष्ट कर सकते हैं।

(iii) कोष के पास रखी मुद्रा का कुछ भाग प्रत्येक राष्ट्र को स्वर्ण देकर पुनः भ्रष्ट करना होगा।

(8) ऋण व्यवस्था करना—मुद्राकोषों के सममूल्य में घटा-बढ़ी की रोकने हेतु कोष भूगतान की विषयता को मुद्देपरने में सहायता देना है तथा उन राष्ट्र को पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा को धुका देना। किसी देश की परेशान वित्त नीति में परिवर्तन होने पर कोष ममभारता बुझाता है।

(9) स्वर्ण द्वारा मुद्रा मूल्य का निर्धारण—सदस्य बनने पर प्रत्येक राष्ट्र को सोने में अपनी मुद्रा का स्वर्ण-मूल्य निर्दिष्ट करना पड़ता है जिससे अपनी विनिमय दर निर्धारण में कोई कठिनाई न हो। इस प्रकार स्वर्ण विभिन्न राष्ट्रों की मुद्राओं के विनिमय का सम-मूल्य हो गया। इसकी सीमाएं निर्दिष्ट कर दी जाती हैं जिनके बीच में ही कोई सदस्य देश अपनी मुद्रा का प्रवृत्तय या अधिमूल्यन कर सकेगा। इसमें विनिमय दरों की स्थिरता स्थापित होने में बड़ा साम प्राप्त हुआ है। विनिमय दरों में स्थिरता से अधिक विकास के सफल प्रयास किए जा सकते हैं।

### मुद्रा-कोष के आर्थिक साधन

(Economic Resources of the I. M. F.)

मुद्रा-कोष का सदस्य बनने से पूर्व उस देश का अर्थशास्त्र निर्दिष्ट हो जाता है। अर्थशास्त्र में परिवर्तन 80% मतपरिवर्तन पथ में होने पर ही संभव हो सकता है। सममौद्रता व्यवस्था में यह प्रावधान है कि स्वर्ण भाग का 40% भाग अमेरिका के अधिनियंत्रित 4 अन्य देशों में रहेगा जिनके नाम ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस व भारत हैं। केंद्रीय बैंक में मुद्रा-कोष



का एक साठा खोल दिया जाता है। प्रयोगों के संबंध में हर पाचवें वर्ष पुनर्निर्धार किया जाता है। प्रयोगों में परिवर्तन 15 सितंबर, 1959 को 50% से वृद्धि की गयी। 1966 में प्रथमतः 25% बढ़ा दिए गए। मई 1970 में प्रयोगों में तीसरी वृद्धि की गयी। मुद्रा-कोष में मुख्य राष्ट्रों के प्रयोग निम्न प्रकार हैं—

### मुद्रा-कोष में प्रयोग

देश	प्रारंभिक प्रयोग	1970 के बाद प्रयोग (मि० टालर में)
भारत	400	940
जापान	—	1200
जर्मनी	330	1600
फ्रांस	525	1500
चीन	550	550
ब्रिटेन	1300	2800
अमेरिका	2750	6700

### कार्यप्रणाली (Working)

उद्देश्यों को सामने रखते हुए इस कोष के प्रमुख कार्य निम्न थे—

(1) समता विनियम दरों का निर्धारण—विश्वयुद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को असन्तुलित कर दिया था और यह आवश्यक समझा गया कि विनियम दरों में समता स्थापित करके ही पुनर्रचना के कार्य में सहायता मिल सकेगी। अवमूल्यन की रीति को उचित नहीं माना गया क्योंकि इससे राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न होने के भय बने रहते थे। दिसंबर, 1946 में विनियम दरों को स्वीकृत किया गया जो 32 राष्ट्रों की विनियम दरों में निर्धारण किया गया। समता दरों से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को कोष द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकार विनियम दरों के स्थापित्व को और भी उचित ध्यान दिया गया।

(2) विनियम दर समायोजन—इस संबंध में कोष ने 1948 में फ्रांस के फ्राक का तथा 1949 में ब्रिटेन के पौंड स्टर्लिंग का अवमूल्यन किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति विग्रह जाने से 1948 में अवमूल्यन को स्वीकार किया गया जिससे निर्यात बढ़े तथा फ्राक की मांग बढ़ी। इसी प्रकार 18 सितंबर, 1949 को पौंड का 30.5% से अवमूल्यन किया गया। उसके पश्चात् विभिन्न अन्य राष्ट्रों को मुद्राओं का अवमूल्यन हुआ। इससे अंतर्राष्ट्रीय मूलतान का ढंग अधिक संतुलित हो गया।

(3) तकनीकी सहायता—विभिन्न सदस्य राष्ट्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोष ने तकनीकी सहायता की सुविधाएँ प्रदान कीं। इसमें कोष के कर्मचारी सदस्य देशों को परामर्श देते हैं तथा कोष बाह्य विशेषज्ञों की भी सेवाएँ प्रदान करने के सफल प्रयास करता है।

(4) अल्पकालीन सहायता—मूलतान संतुलन की बट्टनाइयों वाले राष्ट्रों को मुद्रा द्वारा अल्पकालीन सहायता प्रदान की गई। मुद्राओं के लेन-देन की सीमित मात्रा होने के प्रमुख कारण निम्न थे—

(i) अमेरिका द्वारा सहायता—संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व के विकासशील राष्ट्रों को व्यापक रूप से वार्षिक सहायता देने को तत्पर था, जिसमें मुद्रा-कोष पर अतिरिक्त भार में कमी हो गई।

(ii) संतुलन के घाटे—युद्धोत्तर काल में संयुक्त राष्ट्रों के घाटे बढ़ रहे थे जिससे कोष के माधनो या उचित प्रयोग नहीं हो रहा था। घाटे की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से विनियम नियंत्रण की नीति अपनाई गई जिससे मुद्राओं को कम मात्रा में खरीदने की आवश्यकता हुई।

(iii) प्रतिबंधों का प्रयोग—सदस्य राष्ट्रों को अति उपलब्ध बराने में प्रतिबंधों के प्रयोग के कारण मुद्रा का लेन-देन सीमित मात्रा में हुआ।

(5) भाषणों का प्रयोग—मुद्रा-नीति के सदस्यों को सीमित रूप में ही भाषण उपलब्ध कराए जाते थे। नीति के भाषणों का प्रयोग सदस्य राष्ट्रों द्वारा नूतनान संयुक्त को अस्थाई घाटे की व्यवस्था को ठीक करने के लिए उपयोग दिया जाता है। सहायता प्राप्त न होने पर विविध नियंत्रण की विधि का प्रयोग में लाया जाता है।

(6) ऋण पर ब्याज—नीति द्वारा सदस्य राष्ट्रों को जो ऋण दिया जाता है उस पर ब्याज की सीमा बतलाई है। ब्याज में संबंधित प्रमुख व्यवस्था निम्न प्रकार है:—

(i) 25 प्रतिशत तक ऋण—यदि ऋण धरने वाले के 25% तक ही ऋण लेने का प्रयत्न 3 माह तक कोई ब्याज नहीं लेगा, परंतु धरने 9 माह के लिए प्रतिवर्ष  $\frac{1}{2}$ % से ब्याज निरा जाएगा जो प्रतिवर्ष  $\frac{1}{2}$ % से बढ़ता जाएगा।

(ii) धन की मात्रा—कोटे में अधिक ऋण लेने पर प्रत्येक 25% अधिक पर प्रथम वर्ष  $\frac{1}{2}$ % और धरने वर्षों में प्रतिवर्ष  $\frac{1}{2}$ % ब्याज निरा जाएगा।

(iii) 25 व 50% तक ऋण—यदि ऋण धरने वाले के 25 व 50% तक के मध्य निरा जाता है तो धरने वाले प्रत्येक वर्ष में  $\frac{1}{2}$ % प्रतिवर्ष ब्याज निरा जाएगा।

इन प्रकार ब्याज की सीमा 5% तक निर्धारित की गई है। वर्तमान समय में ब्याज की दर 7.25% है। ब्याज का नूतनान स्वयं के रूप में ही दिया जाता है। यदि मौद्रिक प्रतिस्ठिति उनके कुल कोटे के धरने में भी कम है तो कुछ भाग का नूतनान स्वयं में तथा शेष का नूतनान धरने देय की ही मुद्रा में किया जाएगा।

(7) विविध प्रतिबंध—सदस्यों का यह दायित्व है कि वह विविध के मेल-मेल प्रतिबंधों को दूर करें तथा उन्हें बनाए रखने के लिए उसे नीति में परामर्श लेना चाहिए। नीति का उद्देश्य विदेशी विविध के प्रतिबंधों को समाप्त करना है विविध विविध आधार में प्रगति की जा सके। अतः नूतनान संयुक्त की परिस्थितियों में सुधार लाने की दृष्टि से प्रतिबंधों को हटाना जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

(8) प्रतिक्षण व्यवस्था—नीति द्वारा सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को प्रतिक्षण की व्यवस्था की की गई है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1964 में एक प्रतिक्षणपत्र व्यवस्था किया गया। यह प्रतिक्षण दायित्व विकास, संकट संकल्प, संवर्धनकारी नूतनान, वित्तीय व्यवस्था एवं विविध संवर्धनकारी नीतियों से संबंधित होता है। प्रतिक्षण अधिपति एवं अन्य भाषणों में प्रदान किया जाता है।

लिए किया जावेगा, जिसे उद्देश्य के लिए इस कोष की स्थापना की गई है। इसका उपयोग अन्य कार्यों में नहीं किया जा सकेगा।

### अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष एवं स्वर्णमान

मुद्रा कोष में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपने कोट के 25% या अपने स्वर्ण कोषों के 10% भाग स्वर्ण में जमा कराना आवश्यक होता है। सदस्य राष्ट्रों की मुद्राओं के सममूल्य स्वर्ण में घोषित किए जाते हैं। इनके मूल्यों में एक निश्चित सीमाओं के अन्दर ही परिवर्तन करने की प्राजा दी जाती है। स्वर्ण का मूल्य 35 डॉलर प्रति औंस निश्चित किया गया है। यदि कोष के पास किसी मुद्रा का भ्रमाव हो तो वह उमें स्वर्ण के बदले में फल कर सकता है। कोष के माध्य सदस्य राष्ट्रों द्वारा व्यवहार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्णमान एक-दूसरे से संबंधित हैं। इनके विपरीत मुद्रा कोष को स्वर्णमान से निम्न भी माना जाता है और इस संबंध में निम्न तर्क दिए जाते हैं—

(i) मुद्रा संकुचन विचार तर्करहित—स्वर्ण खोने वाले राष्ट्र में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक माना जाता है, परन्तु ऐसा होना आवश्यक नहीं है क्योंकि मुद्रा संकुचन संबंधी विचार तर्करहित नहीं है।

(ii) स्वर्ण प्राधार नहीं—मुद्रा-कोष योजना में स्वर्ण को स्वर्णमान की भांति प्राधार नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें एक निश्चित सीमाओं के अन्दर आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं।

(iii) मूलमान संतुलन में साम्य—प्राधिकार एवं घाटे वाले दोनों ही प्रकार के राष्ट्रों से यह अनुरोध किया जाता है कि मूलमान संतुलन में साम्य स्थापित किया जाये। परन्तु स्वर्णमान में इस प्रकार के समायोजन करने की व्यवस्था नहीं की। इन प्रकार इस कोष की योजना स्वर्णमान की तुलना में विनियमित विपरीत ढंग से कार्य करती है।

स्वर्णमान की तुलना में मुद्रा-कोष योजना निश्चय ही श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वर्णमान में देश की प्रातरिक एवं बाह्य मंडिक नीतियों में संघर्ष होने लगता था। मुद्रा-कोष में किसी भी राष्ट्र को अपनी मुद्रा का संकुचन या प्रसार करने की आवश्यकता नहीं होती। विनिमय दरों में भी आवश्यकतानुसार समायोजन किया जा सकता है। स्वर्णमान के टूटने के परवाना विरुद्ध अधिकांश राष्ट्रों ने पत्र-मुद्रा मान को अपनाया, परन्तु मुद्रा कोष ने विनिमय दरों के परिवर्तनों को भी सीमित करके पत्र-मुद्रा की हानियों से बचाया।

### मुद्रा-कोष की सफलताएँ

मुद्रा-कोष की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य वार्षिक कठिनाइयों को दूर करने प्राधिकार विभाग की दर को बढ़ाकर पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना था। मुद्रा-कोष की सफलता को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) मूलमान की व्यवस्था—मुद्रा-कोष की स्थापना के समय सभी राष्ट्रों के विदेशी विनिमय कोष घट रहे थे और उन्होंने विनिमय नियंत्रण लगाकर विदेशी व्यापार को मात्रा को कम कर दिया था। अतः स्थिति को सुधारने के लिए मुद्रा-कोष ने विदेशी मुद्रा में ऋण देने की योजना का निर्माण किया। इसका लाभ यह हुआ कि एक और ती ऋण देने वाले राष्ट्रों को विदेशी विनिमय स्थिति सुदृढ़ हो गई तथा दूसरी ओर उन्हें अधिक सहायता प्राप्त होने की संभावना बढ़ गई। इस प्रकार अन्य राष्ट्रों के पास जो मुद्राओं के नष्टार थे, उनके बदले में निश्चित दर पर कोई भी मुद्रा फल की जा सकती थी। इस प्रकार बहुमुखी मुद्रादान व्यवस्था में विदेशी विनिमय में वृद्धि होकर विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय तरलता—1963 में अन्तर्राष्ट्रीय तरलता को ध्यान में रखते हुए विशेष साहचर्य प्राधिकार योजना प्रारंभ की गयी जिसे अंतर्राष्ट्रीय कोष की भांति उपयोग किया जा सकता था। इस प्रकार 1 जनवरी, 1970 में सदस्य राष्ट्रों को 350 करोड़ डॉलर का इस प्रकार का प्राधिकार दिया गया है।

(3) विनिमय दरों में स्थिरता—मुद्रा-कोष ने विभिन्न सदस्य राष्ट्रों के विनिमय दरों में स्थिरता लाने के प्रयास किये। सन् 1969 तक 104 राष्ट्रों की मुद्राओं की मजबूती दरें निश्चित की गयीं तथा आवश्यकता पड़ने पर इन दरों में परिवर्तन करने की सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं। 1944 में प्रांम ने अपनी मुद्रा का ध्वजमूल्य किया

तथा 1949 तक इंग्लैंड सहित 28 राष्ट्रों ने अपनी मुद्राओं का प्रवृत्तन किया जो राष्ट्रों के लिए अनुकूल एवं आवश्यक था। इस प्रकार अनेक प्रयासों द्वारा मुद्रा-कोष ने विनिमय दरों में स्थायित्व लाने के प्रयास किये। 1970 तक सभी देशों की समता दरें निश्चित हो चुकी थीं। 1971 एवं 1973 में आंतर संकट के कारण विनिमय दरों का सारा ढांचा अस्त-व्यस्त हो गया है।

(4) अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण विनिमय मान—मुद्रा-कोष की स्थापना के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण विनिमय मान की स्थापना हुई, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में घोषित करता है। कोष ने 35 आंतर कोषी घौस स्वर्ण के बराबर माना है। स्वर्ण के क्रय-विक्रय की सुविधा के लिए कोष ने 1952 में एक 'स्वर्ण-व्यवहार सेवा' (Gold Transactions Service) को प्रारंभ किया जिसमें माल बेचने में सुविधा हो गई।

(5) स्वर्णमान के लान—कोष के निर्माण के फलस्वरूप विश्व में स्वर्णमान की स्थापना के बिना ही स्वर्णमान संबंधी समस्त लान प्राप्त हुए।

(6) तकनीकी सहायता—कोष ने विश्व के अनेक भागों में तकनीकी सहायता के कार्यक्रम बनाए। इसके प्रतिरिक्त सदस्य राष्ट्रों को अनेक मौद्रिक विषयों पर उचित तकनीकी परामर्श भी दिया गया। सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। कोष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क स्थापित रखता है जिससे विश्व में होने वाले समस्त परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त कर सकें।

(7) असंतुलन को दूर करना—कोष के पास विभिन्न राष्ट्रों की मुद्रा में पर्याप्त कोष होने से विभिन्न राष्ट्रों में घुसतान असंतुलन स्थिति को दूर करने के प्रयास किये गए हैं। आवश्यकतानुसार विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय करके विदेशी विनिमय संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूर्ण कर दी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय घुसतान में साम्य स्थापित करने का भार लेनदार एवं देनदार दोनों ही राष्ट्रों पर समान रूप से डाला जाता है।

(8) मौद्रिक अनुसंधान—मुद्रा-कोष ने अपने प्रयासों द्वारा मौद्रिक अनुसंधान में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि की है। सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपनी समस्याओं को हल करने में कोष द्वारा समुचित सहायता प्रदान की जाती है तथा इस बात का आश्वासन बना रहता है कि विनिमय दरों में भी स्थिरता बनी रहेगी। सदस्य राष्ट्रों को आवश्यकता पड़ने पर हर प्रकार की मौद्रिक सहायता प्राप्त होने का आश्वासन बना रहता है।

(9) अन्य सफलताएं—मुद्रा-कोष की अन्य प्रमुख सफलताएं निम्नलिखित हैं :—

(i) विदेशी आहरण अधिकार की स्थापना—मुद्रा-कोष के इतिहास में विदेशी आहरण अधिकार की स्थापना करके मौद्रिक कोषों की मात्रा में वृद्धि की गई। 1970 के प्रारंभ में सदस्य राष्ट्रों में 3500 मिलियन डॉलर का प्रथम कोटा स्वीकृत किया गया। इस प्रकार स्वर्ण एवं म० र० डॉलर के प्रतिरिक्त विदेशी अधिकार को नवीन रिजर्व साधनों के रूप में माना गया।

(ii) सामान्य कोटे में वृद्धि—कोष के साथ यह समझौता किया गया कि 1970 में कोटे में 35% में वृद्धि की जानी थी। परिणामस्वरूप कोष के वर्तमान माधनी (21.3 बिलियन डॉलर) में 7.6 बिलियन डॉलर से वृद्धि हो जायेगी जिसमें सबसे अधिक कोटा देने वाले राष्ट्र मुख्यतया जापान, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली एवं कनाडा आदि प्रमुख हैं।

(iii) स्वर्ण बाजार में स्वर्ण मूल्य—अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई कि स्वर्ण का मूल्य स्वतंत्र बाजार में निश्चित किया जायेगा तथा स्वर्ण का मूल्य 35 डॉलर प्रति घौस निर्धारित किया गया है तथा 1969 के घट में दादायी प्रतीका से यह प्रनुबंध व प्रबंध किया गया है कि जब भी बाजार में स्वर्ण का मूल्य 35 डॉलर प्रति घौस में गिरेगा, तो कोष अपने मौद्रिक स्टॉक में वृद्धि करने के लिए नवीन सदाओं से निकाला गया स्वर्ण सहीदेगा। जून 1970 तक इन कोष ने 300 मि० डॉलर का स्वर्ण क्रय किया था।

(iv) औद्योगिक राष्ट्रों का कोष—1970 में विश्व के 14 औद्योगिक राष्ट्रों के कोष में 10,767 मि० डॉलर या 20% में वृद्धि हुई, जिसमें स्वर्ण, विदेशी विनिमय, विदेशी आहरण अधिकार तथा रिजर्व आदि सम्मिलित हैं। कोष की मात्रा 54,539 मि० डॉलर में 65,306 मि० डॉलर हो गयी। इन वर्षों में कनाडा, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका तथा 10 राष्ट्र योरोप के सम्मिलित हैं। इन राष्ट्रों के कोष में वृद्धि होने का प्रमुख कारण जनवरी, 1970 में विदेशी

घाट्टरण षधिवार के प्रारंभ होने से है। जनवरी, 1970 में विशेष घाट्टरण षधिवार के घंत्तगत 2,276.2 मि० डालर प्राप्त हुआ, जबकि पूर्ण षधिवार को राशि 3,414 मि० डालर थी। इंग्लैंड व अमेरिका के विशेष घाट्टरण षधिवार में कमी होने पर भी 14 राष्ट्रों के घाट्टरण षधिवार को कुल मात्रा 2,423.3 मि० डालर थी। औद्योगिक षधिवारों के विदेशी विनिमय की मात्रा 17,545 मि० डालर तक बढ़ गई जबकि इसकी मात्रा 8,643 मि० डालर थी। मुद्रा-कोष में इन राष्ट्रों का भाग 2,119 मि० डालर के स्थान पर 2,556 मि० डालर हो गया तथा उनके घाट्टरण षधिवार 753.3 मि० डालर के स्थान पर 978.5 मि० डालर हो गये परंतु इन राष्ट्रों के स्वर्ण कोष 17,525 मि० डालर के स्थान पर घटकर 17,395 मि० डालर हो गये। षधिवारों में विदेशी विनिमय का सबसे बड़ा भाग जर्मनी का था जो 2,748 मि० डालर के स्थान पर 8,455 मि० डालर हो गया, इटली व फ्रांस का स्थान इसके पश्चात् प्राप्त है। इटली का भाग 1194 मि० डालर के स्थान पर बढ़कर 2,059 मि० डालर व फ्रांस का भाग 286 मि० डालर के स्थान पर बढ़कर 1,257 मि० डालर हो गया।

(v) सयुक्त राष्ट्र कोष—1969 के घंत्त में सं० राष्ट्र का कुल कोष 16,964 मि० डालर था जो 1970 के घंत्त तक घटकर 14,487 मि० डालर हो गया। इसी प्रकार स्वर्ण कोष की मात्रा 11,859 मि० डालर के स्थान पर घटकर 11,072 मि० डालर, विदेशी विनिमय कोष की मात्रा 2,781 मि० डालर के स्थान पर 629 मि० डालर तथा विशेष घाट्टरण षधिवार की मात्रा 866.9 मि० डालर के स्थान पर घटकर 850.7 मि० डालर हो गयी। इस प्रकार राष्ट्र की कोष में स्थिति 2,324 मि० डालर के स्थान पर घटकर 1,935 मि० डालर हो गयी।

(vi) अन्य राष्ट्रों के कोष की स्थिति—(अ) कनाडा—कनाडा के कुल कोष की मात्रा 1970 में 3,106 मि० डालर के स्थान पर बढ़कर 4,679 मि० डालर हो गयी, परन्तु इसके स्वर्ण कोष 872 मि० डालर से घटकर 791 मि० डालर रह गये। विदेशी विनिमय कोष 1,756 मि० डालर में बढ़कर 3,037 मि० हो गये तथा उनके विशेष घाट्टरण षधिवार 124.3 मि० डालर के स्थान पर बढ़कर 182.1 मि० डालर हो गये। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष में कनाडा के कोष की स्थिति 478 मि० डालर के स्थान पर बढ़कर 670 मि० डालर हो गयी।

(ब) जापान—जापान का कुल कोष 3,654 मि० डालर में बढ़कर 4,839 मि० डालर हो गया। देश की स्वर्ण मात्रा 413 मि० डालर में बढ़कर 532 मि० डालर तथा विदेशी विनिमय कोष की मात्रा 2,615 मि० डालर में बढ़कर 3,188 मि० डालर तथा इसके घाट्टरण षधिवार 121.8 मि० डालर में बढ़कर 146.3 मि० डालर व मुद्राकोष में इसके कोष की मात्रा 627 मि० डालर के स्थान पर बढ़कर 973 मि० डालर हो गई।

(स) इंग्लैंड—1970 में इंग्लैंड के कुल रिजर्व की मात्रा 3,654 मि० डालर में बढ़कर 4,839 मि० डालर हो गई तथा विशेष घाट्टरण की राशि 409 मि० डालर से घटकर 265.7 मि० डालर हो गई।

(vii) विदेशी मुद्राओं का अय-विक्रय—मुद्रा-कोष के सदस्यों द्वारा मुद्रा की खरीद का विवरण निम्न प्रकार है—

वर्ष	मुद्रा की खरीद	वार्षिक औसत
1969	2,839	2,839
1968	1,348	1,348
1967	1,061	1,061
1961—66	8,164	1,633
1956—61	2,786	557
1948—56	1,236	154

### मुद्रा-कोष के लाभ

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष में निम्न लाभ प्राप्त हुए हैं—

(1) प्राथमिक लाभ—कोष का प्रतिशत संस्थान विकासशील देशों के व्यक्तियों को मौद्रिक एवं वार्षिक

समस्याओं के समाधान के अवसर प्रदान करता है जिससे प्राथमिक ज्ञान का लाभ अन्य राष्ट्रों को प्राप्त होता है।

(2) विनिमय दरों का निर्धारण—मुद्रा-कोष से विश्व के समस्त देशों की विनिमय दरों का निर्धारण हो गया है।

(3) विदेशी भुगतान में सफलता—मुद्रा-कोष विश्व के प्रमुख देशों की मुद्राओं का भण्डार है जिससे किसी भी देश की मुद्रा में भुगतान करना सरल हो गया है।

(4) भुगतान संतुलन में सहायक—मुद्रा-कोष से विश्व के विभिन्न देशों के भुगतानों में उत्पन्न ग्रहणशील संतुलन को दूर करने में सहायता प्राप्त हुई है। जिन देशों ने मुद्रा-कोष से सहायता ली है उनमें से कुछ का वर्णन निम्न प्रकार है—

### मुद्रा-कोष द्वारा सहायता

(रि० डालर में)

देश	सहायता	देश	सहायता
1. मिश्र	326	6. कनाडा	726
2. कोलम्बिया	405	7. भारत	1,090
3. चिनी	467	8. फ्रांस	2,250
4. ब्राजील	578	9. अमेरिका	3,552
5. अर्जेंटीना	714	10. ब्रिटेन	7,868

(5) राजनीतिक दबाव से मुक्ति—मुद्रा-कोष ने कृष्ण लेने में कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं डाला जाता।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय संबंध—मुद्रा-कोष ने विश्व के राष्ट्रों के लिए एक साभा मंच तैयार किया है जो पारस्परिक समस्याओं पर विचार करते हैं। इससे आपसी सहयोग बड़ा है।

(7) संकट का साथी—मुद्रा-कोष दुःख का साथी है। जब किसी देश के सामने आर्थिक संकट आता है तो मुद्रा कोष उदारतापूर्वक सहायता देने का प्रयत्न करता है।

### कोष की असफलताएं

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की प्रमुख असफलताएं एवं आलोचनाएं निम्न हैं—

(1) कौटे का आधुनिक आधार—कोष में विभिन्न राष्ट्रों द्वारा दिये गये चन्दे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। चन्दे का आधार विदेशी व्यापार की मात्रा या व्यापार शेष हो सकता था, परन्तु इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया।

(2) भेदभाव—कोष ने ऋण एवं अन्य प्रकार की सुविधाओं को देने में भेदभाव पूर्ण नीति को अपनाया।

(3) आसुर की कमी—मुद्रा-कोष की स्थापना में ही डालर की कमी अनुभव हो रही थी, फिर भी कोष ने उसे दुर्लभ मुद्रा घोषित नहीं किया, फलस्वरूप सदस्य राष्ट्रों को डालर में प्रत्यक्ष मरम्मत करने पड़े।

(4) साधनों का अभाव—कोष के पास पर्याप्त साधनों के अभाव के कारण सदस्य राष्ट्रों को दीर्घकालीन ऋण देकर रोजगार एवं देश के आर्थिक विकास में वृद्धि करना सम्भव नहीं हो पाया है।

(5) सुस्ती की प्रोत्साहन—कुछ राष्ट्र इस कोष से धन उधार लेकर अपने आर्थिक विकास में लगे हुए हैं जबकि इनमें पूर्वी अफ्रीकागत विकसित राष्ट्रों ने ही सहाई है। इस प्रकार यह कोष सुस्ती को प्रोत्साहित करता है।

(6) सास योग्यता पर विचार नहीं किया—कोष के सदस्य राष्ट्रों की सास क्षमता पर विचार किये बिना ही उन्हें ऋण प्रेषित किए गए, जिससे योग्यता की अवहेलना करते हुए ऋणों की स्वीकार किया गया।

(7) शोधपूर्ण सारस्वता—कोष की कार्यकारिणी की सदस्यता इन प्रकार रखी गई कि केवल अमेरिका के हितों की रक्षा की जा सके, इनसे सदस्य ने दीर्घपूर्ण सदस्यता की प्रोत्साहित किया।

(8) अन्तर्दीर्घक प्रयत्न—मुद्रा-कोष ने सदस्य राष्ट्रों की भी सहायता प्रदान की है वह बहुत ही अल्प एवं

अनन्तपञ्चक है तथा इसकी विद्यमानता से कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होते।

(9) दोषपूर्ण विनियम दरें—कोप ने विनियम दरों का निर्धारण दोषपूर्ण ढंग से किया है जबकि मुद्रा प्रायः अधिकमूल्यवत् थी। बाद में अधिकतर राष्ट्रों की मुद्रा का अवमूल्यन किया गया।

(10) सीमित कार्यक्षेत्र—कोप ने अपने कार्यक्षेत्र को सीमित रखा है क्योंकि कोप ने केवल विदेशी विनियम समस्याओं को हल करने का ही प्रयास किया है, और प्रायात-निर्यात, युद्ध ऋण, स्टलिंग आदि की समस्याएँ कोप के क्षेत्र से बाहर हैं।

(11) विकासशील राष्ट्रों पर दबाव—मुद्रा कोप में विकसित राष्ट्रों का अधिक भाग है, जिससे यह देश भविष्य में अपने अधिक विकास के लिए कोप पर नियंत्रण हटवाने के प्रयास करेंगे जो कि विकासशील राष्ट्रों के हित में नहीं होगा। इस प्रकार विकासशील राष्ट्रों पर विकसित राष्ट्रों का अनावश्यक दबाव पड़ेगा जो विकास में बाधक सिद्ध होगा।

(12) दोषपूर्ण नियम—कोप के कुछ नियम अत्यंत ही दोषपूर्ण हैं जो कोप की स्थिति को असहाय बना देते हैं। जैसे आन्तरिक स्फीतिक फँसने पर भुगतान संतुलन पर गंभीर प्रसंतुलन होने पर कोप उस राष्ट्र को 10% से अधिक मुद्रा के अवमूल्यन के लिए रोक नहीं पाता और अवमूल्यन 10% से ज्यादा का ही करना पड़ता है।

(13) अन्य आलोचनाएँ—कोपेनहेगन (Copenhagen) में सितम्बर, 1970 में होने वाले सम्मेलन में इस कोप की निम्न आलोचनाएँ की गईं—

(i) ब्रिटिश पौण्ड का 1967 में अवमूल्यन, 1969 में फ्रैंक का अवमूल्यन, तथा गत वर्ष जर्मन मार्क का पुनर्मूल्यन ने मुद्रा मूल्य के स्थायित्व में सहायता प्रदान की। परन्तु कुछ वित्तीय संस्थाओं का अनुभव है कि भागे-घाने वाले समय में मुद्रा दरों के समस्त आधार को पुनर्मूल्यांकित करना होगा।

(ii) कुछ राष्ट्र विशेषकर सं० राष्ट्र यह चाहेंगे कि उनकी मुद्रा में अधिक लोच बनी रहे जिससे अन्य किसी राष्ट्र को वित्तीय कठिनाइयों से बचाया जा सके।

(iii) निश्चित सीमा मार्जिन की सहायता में घससाई मुद्रा संकट को अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

(iv) मार्जिन की उच्च व निम्न सीमा के विस्तार का योरोपियन प्रायिक समुदाय के राष्ट्रों द्वारा विरोध किया गया है जो कि एक समान योरोपियन मुद्रा (Common European Currency) की स्थापना करने के इच्छुक हैं।

(v) स्फीतिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार को अधिकतम कार्यवाही करना चाहिए तथा इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का साहस होना चाहिए।

(vi) मुद्रा-कोप स्फीतिक बुराइयों को सहन करने में असमर्थ रहा।

(vii) कोप के विशेषज्ञों ने स्फीतिक के आर्थिक प्रभावों को एक जटिल समस्या माना जो कि आन्त प्रौद्योगिक राष्ट्रों को प्रभावित करती है।

(viii) स्फीति ने सं० रा० अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है।

### भारत एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप (India and I. M. F.)

सन् 1944 में ब्रिटेन वुड्स में हुए सम्मेलन में भारत ने भाग लिया तथा अक्टूबर, 1946 में वह इसका सदस्य बन गया। परन्तु इस सम्बन्ध में वाद-विवाद ही रहा कि क्या भारत को इसमें लाभ प्राप्त होंगे। सदस्य बनने के विपक्ष में कुछ तर्क गये गए जो कि निम्न प्रकार हैं—

(1) सैनिक गुट—कोप के प्रमुख सदस्य सैनिक गुटों के सदस्य थे। अतः कोप से केवल उन्हीं राष्ट्रों को ही लाभ मिलने की सम्भावना थी जो कि सैनिक गुणों के सदस्य होंगे।

(2) विकसित राष्ट्रों की सहायता—यह कल्पना की गई कि यह कोप केवल विकसित राष्ट्रों को ही सहायता प्रदान करेगा तथा विकासशील राष्ट्रों को प्रभावित नहीं हो सकेंगे।

(3) अनुकूल भुगतान संतुलन—भारत की अविव्य में भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का मामला नहीं करना होगा, जिसमें उभरा कोप का सदस्य बनना आवश्यक नहीं है।

(4) स्ट्रिंगिंग पावना—यह भी कहा जाता था कि जब तक इंग्लैण्ड अपनी स्ट्रिंगिंग पावने की शक्ति भारत को नहीं चुका देता, उस समय तक भारत को कोष की मददपता स्वीकार नहीं करनी चाहिए।

उपर्युक्त तथ्य वर्तमान होने के कारण भारत ने प्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की मददपता स्वीकार कर ली। मददपत बनने के उपरान्त भारत के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह विदेशी विनिमय के लेन-देन पर में नियंत्रण डाले। मुद्रा-कोष ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि राष्ट्रों में विनिमय नियंत्रणों को धीरे-धीरे गिराया गया। मददपता प्रहण करने के पश्चात् 18 दिसम्बर, 1946 को रुपए की विनिमय दर 1 रुपया = 0 268601 सेन मोटा निश्चित किया गया। स्ट्रिंगिंग में विनिमय दर = 1 रुपया = 1 गि० 6 पैन्स निश्चित की गई, क्योंकि ब्रिटेन ने 1 पौण्ड = 3 58134 सेन स्वर्ण अपनी मुद्रा घोषित की थी। इस प्रकार भारत का मान अब स्ट्रिंगिंग मान न रहकर स्वर्ण समता मान हो गया था। भारत-मुद्रा ने कोष में जो लेन-देन किया, उसका वर्णन निम्न प्रकार है—

(पि० डायर में)

1947-55	100
1957	200
1961	250
1962	25
1965	200
1966	225
1967	90

### भारत को लान

भारत कोष में धन्दा देने वाले 5 देशों में गिना जाने लगा है, इस प्रकार वह कोष का स्यासी मददपत बन गया। भारत को मुद्रा-कोष में जो लान प्राप्त हुए, वे निम्न प्रकार हैं—

(1) विदेशी विनिमय ऋण—1947-48 में भारत ने इस कोष से 280 लाख डायर के विदेशी विनिमय ऋण प्राप्त किए जो अपने कोष्ट के 25% में भी अधिक थे।

(2) ढालर सहायता—1948-49 तक भारत ने 7.19 करोड़ ढालर व 1949-50 में 10 करोड़ ढालर की सहायता प्राप्त की। इसी प्रकार 1953 में व्यापार अनुदान की स्थिति खराब होने पर 360 लाख ढालर अपनी मुद्रा का पुनः ऋण किया गया।

(3) षबनुयन—1949 में अनेक राष्ट्रों की भांति स्ट्रिंगिंग के साथ भारत ने भी अपनी मुद्रा का षबनुयन 30.5% में किया जिसके लिए कोष में आवश्यक अनुदान प्राप्त हो गई।

(4) योजना में सहायता—कोष ने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अनेक सहायता प्रदान की। यह सहायता निम्न प्रकार रही—

(i) प्रथम योजना—वह एक छोटी योजना थी तथा भारत के पास स्ट्रिंगिंग पावने के रूप में पर्याप्त विदेशी विनिमय बांध होने में मुद्रा-कोष ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

(ii) द्वितीय योजना—इस काल में जारी व्यापार अनुदान के कारण मुद्रा-कोष में 12.7 करोड़ ढालर की विदेशी सहायता एवं 7.2 करोड़ ढालर के ऋण प्राप्त हुए।

(iii) तृतीय योजना—इस योजना में प्रथम वर्ष मुद्रा-कोष ने सहायता प्राप्त की गई। 1961 में 12.6 करोड़ ढालर, 1962 में 2.9 करोड़ ढालर के ऋण प्राप्त किए व 1963 में 2 करोड़ ढालर का भुगतान कर दिया गया। 1964 में फिर से विदेशी विनिमय संकट प्राया व 1966 में 18.7 करोड़ ढालर की सहायता प्राप्त हुई।

(5) पुनः षबनुयन—भुगतान अनुदान की स्थिति में सुदृढ़ता पाने के लिए भारत ने जून 1966 में अपनी मुद्रा का पुनः 36.5% में षबनुयन किया।



इसी प्रकार जर्मनी व जापान का आर्थिक विकास भी बढ़ा।

(9) व्यापार स्थिति (Trade Flow)—कम-विवसित राष्ट्रों की व्यापार शर्तों में काफी सुधार हुआ। कम-विकसित राष्ट्रों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने से निर्यात मात्रा में पर्याप्त सुधार हुआ। 1975 में निर्यात पहले की तुलना में बढ़े हैं।

(10) भुगतान स्थिति (Payments Position)—सं० रा० अमेरिका में मॉडिक स्थिति में दबाव में कमी के कारण विश्व के मॉडिक एवं पूँजी बाजार में प्रभाव पड़ा, फलस्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि हुई। विदेशी विनिमय बाजार में मारी सट्टे की प्रवृत्ति बढ़ी। पूँजी की गतिशीलता में वृद्धि यूरो-डालर बाजार की स्थापना से बढ़ी। इसी प्रकार भुगतान स्थिति में परिवर्तन फ्रान्क के फ्रैंक एवं डच के मार्क की दरों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप हुए। ब्याज दरों में वृद्धि होने से ऋण सेवाओं में वृद्धि हुई। इससे पूँजी के शुद्ध प्रवाह में कमी हो गई।

(11) नीति संबंध (Policy Issues)—स्फीतिक परिस्थितियों ने आर्थिक नीति की पर्याप्तता पर कुछासा-घात किया। गत 25 वर्षों की तुलना में आर्थिक प्रबंध की स्थिति युद्ध-काल की तुलना में अच्छी रही। इन राष्ट्रों की प्रमुख नीति में सुधार होना आवश्यक था। औद्योगिक राष्ट्रों में 1965 व उसके उपरान्त प्रमुख नीति में सुधार लाना आवश्यक समझा गया। जनहित में मजदूरी एवं मूल्यों में परिवर्तन किए गए। स्फीतिक परिस्थितियों को सुधारने के प्रयास किए जायेंगे।

(12) क्रय (Purchases)—1969-70 में 33 सदस्य राष्ट्रों ने 17 मुद्राओं में 2996 मि० डालर की कुल खरीद की। इसमें 22 राष्ट्रों द्वारा 2261 मि० डालर की राशि भी सम्मिलित है। फ्रांस एवं ब्रिटेन प्रत्येक का इसमें भाग 44% था। 23 सदस्य राष्ट्रों ने 2381 मि० डालर का क्रय किया। पुनः क्रय 1671 मि० डालर का रहा, जिसमें से 934 मि० डालर ब्रिटेन द्वारा पुनः क्रय किया गया, जो समस्त क्रय का 56% भाग था।

(13) रिजर्व में वृद्धि (Reserve Growth)—मुद्रा कोष के 126 सदस्य राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय कोष में 27 वि० SDR से बढ़कर 1974 के अंत तक 178 वि० SDR हो गया। इस कोष में 9% से वृद्धि हुई। औद्योगिक राष्ट्रों के कोष में 2 वि० से वृद्धि हुई। कम-विकसित राष्ट्रों के कोष में 1.3 वि० SDR से वृद्धि हुई। 1974 में विश्व के कोष में 18% से वृद्धि हुई जबकि वास्तविक कोष में कमी रही, क्योंकि निर्यात मूल्य 35-40% से गिर गए थे। 30 अप्रैल, 1975 के वर्ष में विदेश आहरण अधिकार का उपयोग 826 मि० था जिसमें से प्रमुख उपभोक्ता आस्ट्रेलिया (135 मि०), इटली (150 मि०), न्यूजीलैंड (57 मि०) एवं इस्राइल (25 मि०) थे। इसके प्रतिरिक्त 248 मि० SDR का उपयोग भाग लेने वाले राष्ट्रों द्वारा हुआ। वर्ष में SDR का डेप 9314.4 मि० था।<sup>1</sup> विश्व के औद्योगिक राष्ट्रों ने राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक एवं कोषागार से 20 वि० डालर की साव-सुविधाएं प्राप्त की।

(14) स्वर्ण बाजार (Gold Markets)—औद्योगिक एवं कलात्मक स्वर्ण की मांग 1969 में 930 मि० डालर घाती गई जो नवीन स्वर्ण प्रति का 72% भाग था वर्तमान स्वर्ण उत्पादन का 65% भाग था। 1969 में 40.7 मि० औंस स्वर्ण का मूल्य 35 डालर औंस के हिसाब से 1425 मि० डालर का मूल्यांकित किया गया। अधिकारी तौर पर स्वर्ण स्टॉक में 110 मि० डालर से वृद्धि होकर 1969 के अंत तक स्वर्ण की कुल मात्रा 41 बिलियन डालर हो गई।

भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष द्वारा विकास सहायता की मात्रा, गुण एवं प्रभाव में पर्याप्त परिवर्तन किया जाना निश्चित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के प्रबंध संचालक ने यह विचार व्यक्त किया है कि कोई भी बड़ा राष्ट्र कनाडा की भांति अपनी मुद्रा को स्वतंत्रतापूर्वक विश्व बाजार में विवरित नहीं करेगा। कोष की नीति का आशय अपने सदस्य राष्ट्रों की मुद्रा के स्टॉक को पर्याप्त मात्रा में बनाए रखना था और इसके लिए कोष ने स्वर्ण की विक्री भी की है। कोष द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पूँजी जोखिम बीमा सुविधाओं के अंतर्गत निजी उपकरणों की सुविधाओं में वृद्धि करके विकासशील राष्ट्रों में विनियोग की सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी तथा विनिमय नियंत्रण, भ्रममूल्यन, गृह युद्ध (Civil Strife)

प्रादि खतरों को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे।

'कागजी स्वर्ण' (Paper Gold) विशेष आह्वरण अधिकार का प्रथम नाम है जिसे अक्टूबर, 1969 में स्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत 1972 के अंत तक 9500 मिलियन डॉलर का कागजी स्वर्ण का वितरण करना था। कोष के 20 राष्ट्रीय प्रशासनिक संचालक मंडल में 5 स्थान स्थायी सदस्यों के सुरक्षित हैं—सं० राष्ट्र, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस व भारत। अभी हाल ही में जापान ने अपना कोटा बढ़ा दिया था जिससे भारत को अपनी सदस्यता व संचालक नियुक्त करने के अधिकारों के समाप्ति का भय हो गया, परंतु जापान ने यह आश्वासन दिया कि वही उसका स्थायी सदस्य बना रहेगा।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष में विभिन्न राष्ट्रों का अंशदान है और इसमें समय-समय पर कमी एवं वृद्धि होती रही है। विश्व की वर्तमान भौतिक रिजर्व स्थिति को निम्न प्रकार रखा जा सकता है —

### विश्व भौतिक रिजर्व

(सं० रा० अि० डॉलर में)

राष्ट्र का नाम	1959	1969	जुलाई 1970
1. सं० रा० अमेरिका	21,504	16,964	16,065
2. ब्रिटेन	2,801	2,527	2,796
अन्य योरोपीय मुक्त व्यापार राष्ट्र—			
3. आस्ट्रिया	697	1,537	1,685
4. डेनमार्क	328	446	324
5. नार्वे	281	712	674
6. पुर्तगाल	639	1,444	1,371
7. स्वीडन	478	696	669
8. स्विट्जरलैंड	2,063	3,995	3,506
योरोपीय साका बाजार राष्ट्र—			
9. बेल्जियम	1,306	2,388	2,716
10. फ्रांस	1,736	3,833	4,657
11. सं० जर्मनी	4,790	7,129	9,979
12. इटली	3,056	5,013	4,219
13. नीदरलैंड	1,442	2,529	2,799
14. कनाडा	2,030	3,106	4,444
15. जापान	1,447	3,654	3,948
16. आस्ट्रेलिया	1,143	1,261	1,710
17. दक्षिणी अफ्रीका	469	1,397	1,296
विकासशील राष्ट्र—			
18. ब्राजील	366	658	1,011
19. वेनेजुएला	724	933	906
20. सऊदी अरब	175	582	708
21. सं० राष्ट्र अरब	304	145	136
22. भारत	814	926	1,117
23. मलायिया	333	683	690
24. थाइलैंड	319	985	966
25. श्रीलंका	70	918	1,626
योग-विश्व	57,670	76,950	83,070

इस प्रकार कोप में विरल मौद्रिक रिजर्व की मात्रा 1959 में 57,670 मि० डालर थी जो 1969 में बढ़कर 76,950 मि० डालर व जुलाई 1970 तक बढ़कर 83,070 मि० डालर हो गई।

कुल विरल निर्यात में 300% से भी अधिक, आयात में लगभग 350%, रिजर्व बैंक 150% में से वृद्धि हुई। स्वर्ण उत्पादन में भी वृद्धि हुई परंतु इसकी तुलना में कम रही। अप्रैल 1975 को, समाप्त होने वाले वर्ष में कुल आय 166.5 मि० SDR थी। जबकि 1974 में यह आय 38.5 मि० व 1973 व 41.6 मि० थी।<sup>1</sup>

1. The Financial Express, Aug. 26, 1975.

को सदस्य बैंक की अनुमति से ही प्रयोग किया जा सकता है।

(iii) प्राथम्यता होने पर—नेत्र 80% भाग सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्राथम्यता होने पर उत गमय मांगा जाता है जबकि दायित्वों को पूर्ण करना प्राथम्यक ही।

(iv) अधिकार—अधिक चर्चे की मांग करने पर सदस्य राष्ट्र को यह अधिकार दिया जाता है कि वह उंगे स्वयं, डालर अथवा अन्य किसी मुद्रा में भुगतान कर दे।

(4) कार्य-क्षेत्र—बैंक के कार्य-क्षेत्र को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(i) सीमित व्यवसाय—बैंक केवल सदस्य राष्ट्रों के साथ ही व्यवसाय कर सकता है और उंगे अन्य स्थानों के साथ प्रत्यक्ष व्यापार करने का अधिकार नहीं है।

(ii) स्थानगत ऋणों को प्रोत्साहन—बैंक द्वारा स्थानगत ऋणों को प्रोत्साहित किया जाता है तथा स्थानगत विदेशी ऋण प्राप्त न होने पर वह अपने पास से ऋण की व्यवस्था करती है।

(iii) गारंटी की शर्तों—ऋण प्रदान करने से पूर्व बैंक ऋणों की वास्तविक मांग की स्थिति को देखता है। ऋण की गारंटी के समय में बैंक की प्रमुख शर्तें निम्न हैं—

(अ) संभावना की कमी—ऋणी देश की विदेश के अन्य देशों से अन्य किसी मायनों से ऋण प्राप्त होने की संभावना नहीं होना चाहिए।

(ब) समर्थन करना—ऋण समिति द्वारा ऐसे मांगे गए ऋण का समर्थन किया जाना चाहिए।

(स) हितों का ध्यान—गारंटी देने से पूर्व ऋण देने वाले तथा लेने वाले तथा सदस्यों के हितों को ध्यान में रखा जाता है।

(द) व्यव व्यवस्था—ऐसे ऋणों को केवल पुनर्निर्माण एवं विकास योजनाओं पर ही व्यय किया जा सकता है।

(ध) उपयुक्त रीति—ऋण को चुकाने एवं व्याज भुगतान करने की उपयुक्त रीति होनी चाहिए।

(फ) केंद्रीय बैंक द्वारा गारंटी—यदि देश स्वयं ऋण नहीं लेता तो उंगे देश की केंद्रीय बैंक की व्याज, ऋण व अन्य शर्तों के चुकाने की गारंटी देनी पड़ती है।

(iv) जांच करना—ऋण में संबंधित योजना पर ध्यान देकर उसकी प्रगति का विवरण बैंक को देना पड़ता है तथा बैंक भी समय-समय पर विवेचनाओं द्वारा जांच कराती रहती है।

(v) सीमित भाग—बैंक योजना का केवल उतना ही भाग देता है जो विदेशों से प्राप्त मांगाने में थय हो, जो कुल पाय के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(vi) बहुउद्देशीय निष्ठा—बैंक प्रायः बहुउद्देशीय निष्ठा के आधार पर कार्य करता है, जिससे किसी भी राष्ट्र में मात्र गरीबी न सतता है। ऋणों का उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य होने पर उंगे अव्यय पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं।

(vii) कमीशन लेना—जिन स्थानगत ऋणों की गारंटी ली जाती है, बैंक उस पर अपना कमीशन वगून करता है। गारंटी के ऋणों पर बैंक 1 से 1.5% तक कमीशन प्राप्त करता है।

(viii) ऋण व चर्चे का संबंध—चर्चे केवल दायित्वों की सीमा का ही निर्धारण कर पाते हैं, जिसमें सदस्यों को प्राप्त होने वाले ऋण की मात्रा का चर्चे से कोई संबंध नहीं रहता।

(5) प्रबंध व्यवस्था—विदेश बैंक की प्रबंध व्यवस्था को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(i) गवर्नर मंडल (Board of Governors)—विदेश बैंक की गणतंत्र स्थितियों गवर्नर मंडल में निर्हित होती है। बैंक में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक गवर्नर एवं एक स्थानागम गवर्नर होता है, जिसकी अवधि 5 वर्ष होती है। स्थानागम गवर्नर, गवर्नर की अनुपस्थिति में कार्य करता है, गवर्नर मंडल माधारण सभा का कार्य करती है, जिन्हें कोई वेतन नहीं मिलता है। इन मंडल की मीटिंग वष में 1 बार प्रत्यय होती है।

(ii) संचालक मंडल (Board of Directors)—बैंक के प्रशासनिक कार्यों की देखभाल के लिए संचालक मंडल की नियुक्ति की जाती है जिसमें प्रायतः 20 प्रशासनिक संचालक होते हैं जिसमें 5 सदस्य पांच बड़े धर्म्यय वाले

राष्ट्रों के होते हैं तथा देश को प्रतिनिधि निर्वाचन विधि द्वारा निर्वाचित किया जाता है। प्रत्येक संचालक को अपनी सरकार द्वारा धारण किए हुए प्रभुत्व के अनुपात में मत देने का अधिकार होता है। गवर्नर मंडल ने अपने अधिकार अधिकारों को संचालक मंडल को सौंपा दिया है, जो बैंक के सामान्य कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहता है। इन संचालकों की प्रवृत्ति दो वर्ष होती है तथा यह प्रत्येक माह अपनी सभा का आयोजन करते हैं।

(iii) अध्यक्ष (President)—संचालक मंडल द्वारा एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है जो न तो संचालक मंडल का सदस्य होता है और न ही गवर्नर मंडल का, यह बैंक के दैनिक कार्यों चलावने के लिए जिम्मेदार होता है। अध्यक्ष कार्यकारी दल का प्रधान होता है जो संचालक मंडल के संचालन एवं निर्देशन के अधीन व्यापार के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी सहायता के लिए अनेक विभाग होते हैं।

(iv) सलाहकार परिषद (Advisory Council)—गवर्नर समिति द्वारा कम से कम 7 सदस्यों की एक सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है जिसमें कृषि, उद्योग, बैंकिंग, वाणिज्य व श्रम आदि विषयों में महानिपुण विभिन्न विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। इस परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 1 बार प्रवश्य होती है जिसका संपूर्ण व्यय बैंक सहन करती है तथा यह परिषद सामान्य नीति के संबंध में अपनी परामर्श देती है।

(v) ऋण समिति (Loan Committee)—बैंक को ऋण का प्राप्तिपत्र प्राप्त होने पर उसकी समुचित जांच के लिए एक ऋण समिति नियुक्त की जाती है, जिसमें बैंक के 2 सदस्य व ऋणी राष्ट्र का एक सदस्य होता है। इन समिति के आधार पर ही बैंक ऋण देने या न देने का निर्णय करता है।

(6) धाया का वितरण—बैंक के कुल लाभ का 2% भाग उन सदस्य राष्ट्रों में वितरित किया जाता है, जिनकी मुद्राओं में ऋण का उपयोग किया गया है। शेष लाभ का वितरण सदस्य राष्ट्रों में उनके चंटे के आधार पर वितरित कर दिया जाता है। लाभ का भुगतान सदस्य राष्ट्र की मुद्रा में कर दिया जाता है या स्वर्ण में भुगतान करने की व्यवस्था कर दी जाती है।

### आधारभूत सिद्धांत (Basic Principles)

जिन सिद्धांतों पर विश्व बैंक की स्थापना की गई है वे आधारभूत सिद्धांत निम्न हैं—

(1) पूंजी की सुरक्षा—बैंक द्वारा सदस्य राष्ट्रों के किसी व्यापारी, उद्योग या सरकार को ऋण दिया जा सकता है। यदि ऋण गैर-सरकारी संस्था को दिया जाता है तो उसके भुगतान एवं ब्याज के लिए सरकार द्वारा कोई गारंटी नहीं दी जाती। परंतु बैंक के साधनों की सुरक्षा के लिए निम्न प्रतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है—

(i) ऋण के दायित्वों को निभाता—बैंक कर्ज लेने वाले राष्ट्र से यह आशा रखता है कि वह अपने दायित्वों को निभाने में सफल होगा। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि ऋण लेने वाले राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्राथम्य में हो तथा ऋण देने वाला राष्ट्र मान्य एवं संभाव्य के आधार पर प्रतिरिक्त स्थिति में हो। यदि ऋण लेने वाले राष्ट्र में विदेशी विनिमय की कमी की समस्या है तो बैंक उस पर ब्याज शर्तों को कम कर देगा तथा तीन वर्षों तक ब्याज का भुगतान उस देश की मुद्रा में ही स्वीकार कर लिया जाएगा।

(ii) विदेशी मुद्रा का प्रबंध—किसी भी योजना का व्यय उसी कोष से ही पूर्ण किया जाना चाहिए। बैंक द्वारा कर्ज का प्रबंध प्रायः उसी मुद्रा में किया जाता है जिस देश में पूंजीगत या अन्य सामान्य प्रयत्न करता हो।

(iii) पुनर्निर्माण व विकास के लिए ऋण—बैंक द्वारा ऋण प्रायः पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए ही दिया जा सकता है। ऋण देने से पूर्व विशेषज्ञों द्वारा उसकी जांच की जानी चाहिए। ऋण का प्रयोग प्रायः उत्पादन के लिए ही किया जाना चाहिए।

(iv) उद्देश्यों में प्रयोग—ऋणों का प्रयोग केवल उन उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए, जिनके लिए वह ऋण दिया गया है।

(2) बैंक के स्थापन—सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्वर्ण में एक अपने देश की मुद्रा में चंटे के रूप में धन जमा किया जाता है तथा 80% भाग को गारंटी के रूप में रखा जाता है। बैंक प्रायः अपने कोष में से प्रत्यक्ष रूप से कर्ज देने के

स्थान पर उम कौय मे से ऋण दे सकता है जो कि बैंक के द्वारा उधार लिया गया है। इसी प्रकार बैंक ऋणों की गारंटी भी दे सकता है। इस प्रकार बैंक के साधन काफी विस्तृत होते हैं।

(3) प्रतिस्पर्धा का प्रभाव—बैंक द्वारा ऋण देने में प्रतिस्पर्धा का प्रभाव पाया जाता है। बैंक का प्रमुख उद्देश्य निजी विनियोगों को प्रोत्साहित करना है। निजी विनियोग प्राप्त न होने पर बैंक अपनी पूंजी को उत्पादन कार्यों में प्रयोग करती है।

### विश्व बैंक के कार्य (Functions of International Bank)

बैंक के प्रमुख कार्य निम्न हैं—

(i) दोहरी भूमिका (Dual role)—उदर राष्ठी द्वारा प्रदान की गई पूंजी द्वारा उसके समस्त कार्यों की वित्तीय व्यवस्था संभव नहीं हो पाती और यह मात्रा आवश्यकता के अनुसार बहुत कम थी। यह बैंक ऋण देने के प्रतिरिक्त ऋण भी प्राप्त करके दोहरी भूमिका का कार्य करता है।

(2) निर्देशक सिद्धांत (Guiding Principles)—ऋण प्रदान करते समय बैंक कुछ नीतियों का पालन करता है, जो कि निम्न प्रकार हैं—

(i) भूगतान संभावना—बैंक द्वारा राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों, उपलब्ध उत्पादक प्लांट क्षमता तथा राष्ट्र के विद्युत रिज़र्व के आधार पर ऋण की भूगतान संभावना का अनुमान लगाना अत्यन्त आवश्यक होता है।

(ii) विदेशी विनिमय—बैंक द्वारा ऋण लेने वाले राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशी विनिमय का उचित प्रबंध किया जाता है।

(iii) परामर्श देना—बैंक ऋण लेने वाले राष्ट्र के साथ नियमित सबंध स्थापित करके उसकी प्रगति का अवलोकन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर परामर्श देने की व्यवस्था करता है।

(iv) निजी परेसू उपक्रम—बैंक द्वारा देश के ही परेसू निजी उपक्रमों के विकास के लिए अप्रत्यक्ष उपाय किए जाते हैं।

(v) सस्ती व्यवस्था—ऋण लेने वाले राष्ट्र को मह सुविधा रहती है कि प्राप्त ऋण का उपयोग सस्ते व अच्छे सामानों को क्रय करने में किया जाये और इस संबंध में कोई बंधन नहीं रखा जाता।

(vi) विशिष्ट योजनाओं में ऋण—बैंक द्वारा केवल ऐसी विशिष्ट योजनाओं के लिए ही ऋण दिये जाते हैं, जो मितव्ययी एवं उच्च प्राथमिक प्रकृति के हों। विश्व बैंक द्वारा निम्न ऋण दिए गए—

### बैंक द्वारा दिए गए ऋण

(मि० डालर में)

		प्रतिशत
1. संवादवाहन	415	2
2. कृषि, वन, मछली	1,565	9
3. उद्योग	2,995	16
4. परिवहन	5,529	30
5. विद्युत	5,574	30
6. अन्य	2,207	13
	18,285	100

(3) ऋण की सुविधाएं (Lending facilities)—बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने में निम्न सुविधाएं दी जाती हैं—

(i) गारंटी देकर—निजी विनियोकताओं द्वारा दिए गए ऋणों की गारंटी देना ।

(ii) प्रत्यक्ष ऋण देना—बैंक द्वारा सदस्य राष्ट्रों को प्रत्यक्ष रूप से भी ऋण देने की व्यवस्था की जाती है । यह ऋण प्रायः अल्पविक्रमित देशों की ही दिए गए हैं जिसका वर्णन निम्न प्रकार है—

## विकास ऋण

(मि० डालर में)

देश	राशि	प्रतिशत
1. पूर्वी अफ्रीका	1,000	5
2. पश्चिमी अफ्रीका	920	5
3. पूर्वी एशिया	1,915	11
4. मेक्सिको, केन्द्रीय अमेरिका	2,380	13
5. यूरोप, मध्य-पूर्व उत्तरी अमेरिका	2,759	15
6. दक्षिणी एशिया	2,712	15
7. अर्गेंटीना	2,898	16
8. दक्षिणी अमेरिका	3,701	20
	18,285	100

(4) तकनीकी सहायता (Technical Assistance)—बैंक द्वारा ऋण देने के प्रतिरिक्त तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है । बैंक द्वारा विकास सलाहकार सेवाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें धर्मशास्त्री, सलाहकार एवं प्रशासक होते हैं ।

(5) ब्याज दर (Rate of Interest)—बैंक द्वारा वह ब्याज दर वसूल की जाती है जो उसे अन्य राष्ट्रों को चुकानी हो व साथ ही इसमें 1% कमीशन एवं 1/4% प्रशासनिक व्ययों को भी जोड़ दिया जाता है ।

(6) ऋण स्वीकार करने की विधि (Stages in granting Loans)—ऋण स्वीकार करने में चार स्थितियों से गुजरना पड़ता है जो निम्न हैं—

(i) प्रारंभिक धरण—ऋण लेने वाले राष्ट्र एवं बैंक में प्रारंभिक रूप में विचार-विमर्श करके ऋण के भुगतान की समावधि की ज्ञान किया जाता है तथा इस संबंध में अध्ययन के लिए बैंक का एक विदेश दल अध्ययन हेतु भेज दिया जाता है ।

(ii) अनुमंथान—ऋण की आवश्यकता का अनुमंथान करके अध्ययन दल द्वारा तकनीकी वितीय एवं प्रशासनिक पहलू पर अनुमंथान किया जाता है ।

(iii) शर्तों का निर्माण—इस धरण में ऋण के रूप में ली जाने वाली राशि एवं ब्याज ऋद्धि का निर्धारण किया जाता है तथा अन्य शर्तों का निर्माण किया जाता है ।

(iv) ऋण का प्रशासन—बैंक का प्रतिनिधि नियमित रूप से ऋण के उपयोग का निरीक्षण करके उसकी नियमित प्रगति को ज्ञात करठा रहता है ।

## विदेश बैंक की सफलताएं

30 जून, 1975 तक विदेश बैंक ने अपने जीवन के 29 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं । इस बैंक की सफलता के वर्णन को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) विकास हेतु अधिक ऋण—इस बैंक ने विकास कार्यों के लिए अधिक मात्रा में ऋण प्रदान किए । 1969 में 1399 मि० डालर के ऋण स्वीकार किए गए । 1947 तक बैंक का कार्य पुनर्निर्माण से संबंधित रहा । 1947 के पश्चात्

समय कठिनाइयाँ समाप्त हो गई हैं जिनसे भारत को पूँजी प्राप्त होने में सुविधा प्राप्त हो गई है। विश्व बैंक द्वारा भारत को 40 ऋण 1206 मि० डालर के लिए गए, जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया गया। विश्व तथा विकास कार्यक्रम भी प्रभाव गति में चल रहा है विकास कार्यों के लिए प्राप्त वित्तीय सहायता का वर्णन निम्न रूप में रखा जा सकता है—

(i) रेलों के लिए ऋण—रेलों के विकास के लिए भारत को समय-समय पर अनेक ऋण प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में पहला ऋण 18-8-1949 को 34 मि० डालर का प्राप्त हुआ। यह ऋण 15 वर्ष के लिए 3% व्याज व 1% कमीशन पर प्राप्त हुआ। इस ऋण का भुगतान 1950 से प्रारंभ हो गया। इसके उपराल भी रेलों के विकास के लिए ऋण प्राप्त हुए हैं।

(ii) दामोदर घाटी योजना ऋण—अप्रैल 1950 को विश्व बैंक ने दामोदर घाटी योजना के लिए मि० 18.5 डालर का ऋण प्रदान किया तथा 1958 में 25 मि० डालर का प्रतिरिक्त ऋण मिला।

(iii) विद्युत योजना हेतु ऋण—विद्युत विकास के लिए 1954 में टाटा को 16.2 मि० डालर का ऋण दिया गया। इसके प्रतिरिक्त कोयला, जल विद्युत योजना एवं शक्ति के विकास के लिए, बोकारो विद्युतगृह के लिए भी ऋण प्रदान किया गया।

(iv) बंदरगाहों के लिए ऋण—1958 को कलकत्ता बंदरगाह के विकास के लिए 29 मि० डालर एवं मद्रास बंदरगाह के विकास के लिए 14 मि० डालर का ऋण मिला।

(v) हवाई परिवहन की उन्नति हेतु ऋण—1957 में एयर इंडिया को 5.6 मि० डालर का ऋण वायुयान क्रय करने को दिया गया।

(vi) औद्योगिक विनियोग को ऋण—औद्योगिक साक्ष एवं विनियोग नियम को 1955 को 10 मि० डालर ऋण वित्त कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु दिया। 1959 में 10 मि० डालर व 1960 को 20 मि० डालर का ऋण प्राप्त हुआ। इस पर व्याज दर 5½% रही।

(vii) लोहा व इस्पात हेतु ऋण—देश में लोहा एवं इस्पात की उत्पादन सुविधाओं के विस्तार के लिए अनेक ऋण समय-समय पर स्वीकृत किए गए।

(viii) कृषि विकास हेतु ऋण—कृषि विकास के लिए 1949 में 10 मि० डालर का ऋण मिला तथा अन्य कृषि योजनाओं को भी सहायता के रूप में प्राप्त किया गया।

(3) ऋणों की सुविधा—विश्व बैंक द्वारा यह सुविधा भी प्रदान की गयी कि वह प्राप्त ऋणों का उपयोग किसी भी कार्य में सुविधापूर्वक करे। विश्व बैंक द्वारा भारत को इन प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं कि वह प्राप्त ऋणों का उपयोग उन्ही प्रयोजन में न करके किसी भी कार्य में सुविधापूर्वक कर सके।

(3) ऋणदाताओं की बैठक—विश्व बैंक ने भारत की भागों को ऋणदाताओं की बैठक के सामने रखा है तथा उनके सामने विनियम संबंधी कठिनाइयों को रखा गया तथा उसी के परिणामस्वरूप त्रितीय योजना के लिए 600 मि० डालर की सहायता प्राप्त हुई। भारत को सबसे अधिक ऋण अमेरिका से प्राप्त होते हैं।

(4) विदेशी विनियम संकट में सहायता—देश में विदेशी विनियम का संकट उत्पन्न होने पर विश्व ने मदद सहायता प्रदान की है तथा संकट दालने में सहायता की है।

(5) तकनीकी सहायता (Technical Assistance)—विश्व बैंक ने भारत को तकनीकी सहायता भी प्रदान की है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है—

(i) तकनीकी परामर्श देना—देश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए विश्व बैंक से तकनीकी परामर्श प्राप्त होता रहता है जिसके आधार पर योजनाओं को पूर्ण किया जाता है।

(ii) सर्वे दल—विश्व बैंक ने भारत के विकास कार्यों के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर सर्वे दल भेजे हैं तथा भारत के अधिनारियों में प्रावश्यक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है।

(6) पाकिस्तान विवाद में मध्यस्थता—विश्व बैंक ने पाकिस्तान विवाद में भी मध्यस्थता करके 1960 में नहर पानी विवाद को मुलमाया।



(7) सार्वजनिक क्षेत्र पर महत्व—विश्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को अधिक महत्व देना स्वीकार किया है, जिसमें भविष्य में देश के विकास को सहायता प्राप्त हो सके। भारतीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं को प्रारम्भ करने पर ही भारतीय उपकरण का अधिकतम उपयोग सम्भव किया जा सकता है। विश्व बैंक अमेरिकी सलाहकार के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार अपनाती है। उदाहरणार्थ दस्तुर एण्ड कंपनी को 0.3 मि. टन इस्पात योजना (IISCO) के विस्तार के लिए जो ऋण दिया गया, उस पर भारतीय सलाहकारों की नियुक्ति को स्वीकार नहीं किया गया।

(8) मध्य प्रदेश के खम्बल क्षेत्र विकास को ऋण—विश्व बैंक की एक टीम ने अभी हाल ही में उत्तरी मध्य प्रदेश की खम्बल घाटी का अध्ययन करके राज्य सरकार को सहायता देना स्वीकार किया है। इस घाटी के विकास के लिए 70-62 करोड़ रुपये की योजना का निर्माण किया गया है जिसके पूर्ण होने पर ढकंती समस्या के समाप्त होने के साथ-साथ कृषि में भी विकास सम्भव हो सकेगा। विश्व बैंक की सहायता दस टीम की रिपोर्ट के आधार पर निश्चित किया जाएगा जिसमें मडक एवं वायु मार्ग से 2.63 लाख हेक्टर क्षेत्र का सर्वेक्षण करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की योजना का निर्माण किया है। वर्तमान वर्ष में डिमनी चान्दपुर (Dimni Chandpur) के 770 एकड़ भूमि एवं सुधारखेडा (Budharkheda) में 550 एकड़ भूमि पर इस कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया है। इस प्रकार प्रति वर्ष लगभग 800 हेक्टर भूमि पर सुधार कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाकर 5 वर्षों में यह कार्य पूर्ण किया जा सकेगा। इस कार्य के लिए 6 करोड़ रुपये की लागत के 2000 हल्के ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त 1 लाख हेक्टर भूमि पर कृषि कार्य किया जाएगा तथा अतिरिक्त 1 लाख हेक्टर भूमि पर घास व जंगल लगाए जायेंगे। मिर्चाई बांधों के लिए मुरदा एवं भिण्ड जिले में लगभग 5000 नलकूप एवं 5000 कुएँ निर्माण किए जाएंगे, जिसके लिये इन जिलों में पर्याप्त जल साधन उपलब्ध हैं। इस योजना से मध्य प्रदेश के भिण्ड, मुरदा, ग्वालियर एवं दतिया जिलों को लाभ होगा।

(9) भारत सहायता क्लब (Aid India Club)—भारत में योजनाओं के निर्माण से विदेशी प्रावश्यकताओं में काफी वृद्धि हो गई है, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में प्रायतः करने पड़े हैं। तृतीय योजना काल में भारत को 5472 मि. टन अन्न के ऋण देने का वचन दिया गया जिसमें भारत को प्राथमिक कठिनाइयों को दूर करने में सहायता प्राप्त हुई। 1958 में ही विदेशी राष्ट्रों ने भारत को सहायता देने के उद्देश्य से सम्मेलन किये एवं 1961 में फ्रान्स में सम्मेलन ने भारत सहायता क्लब की स्थापना करके देश को प्रति वर्ष विदेशी सहायता प्रदान की जाती है। इससे विदेशी वित्तिय कठिनाई हल होने में सुविधा मिलती।

विश्व बैंक सहायता के पहलू

विश्व-बैंक द्वारा भारत को सहायता दी जा रही है, उसके प्रमुख पहलू निम्न हैं—

(1) कृषि की महत्त्व—भारतीय प्रयोज्यवस्था में कृषि की अधिक महत्त्व है जिसे विश्व-बैंक ने भी समझ लिया है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक उपाय है। कृषि का विकास निश्चित प्रबन्धनों एवं तकनीकी समर्थारियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस दिशा में विश्व-बैंक, विश्व कृषि संगठन (F.A.O.) एवं अन्तर-राष्ट्रीय विकास परिषद (I.D.A.) साथ मिलकर कार्य करेंगे।

(2) सहायता की शर्तें—विश्व बैंक व अन्य सहायक संस्थाओं से प्राप्त होने वाली सहायता की शर्तें काफी उदार बना दी गई हैं तथा वित्तीय सहायता में भी वृद्धि कर दी गई है। प्रयोग में न लिए गए ऋण के भार को कम करने के उद्देश्य से वार्षिक व्यय 3/4% से घटाकर 3/8% कर दिया गया है। इस प्रकार ऋण की धारणा को भी बढ़ा कर 30 वर्ष तक कर दी है।

(3) प्राथमिक सहायता की आवश्यकता—भारत में प्राथमिक विकास को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक में प्रथम प्राथमिक सहायता की आवश्यकता है। पर्याप्त मात्रा में बाह्य सहायता प्राप्त होने पर योजनाओं के प्रसार में वृद्धि की जा सकती है। परन्तु यदि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के माध्यम से बढ़ा दिए जायें तो भी इनसे प्राप्त होने वाली सहायता भारत की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होगी, क्योंकि जो देश ऋण प्राप्त कर रहे हैं, उनकी भी

प्रावश्यकतायें भविष्य में बढ़ने की सम्भावनाएँ हैं। प्रगतीकी राष्ट्र भी धीरे-धीरे स्वतंत्र हो रहे हैं तथा इनके प्राथिक विकास के लिए साधनों की मांग भी इनसे ही प्राप्त हो सकेगी।

(4) स्वतन्त्र सहायता—स्वतंत्र रूप से विदेशी सहायता प्राप्त करके दी देश का प्राथिक विकास सम्भव हो सकता है।

### विश्व बैंक सहायता के पहलू



भारतीय योजनाओं के लिए स्वतन्त्र सहायता की प्रावश्यकता है क्योंकि सशर्त ऋणों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न रहती हैं तथा समय पर पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति नहीं ही पाती।

भालोचनाएँ—विश्व बैंक से भारत को जो सहायता प्राप्त हुई है उनकी प्रमुख भालोचनाएँ निम्न हैं—

(i) ऊंची ब्याज दर—विश्व बैंक ने ऋणों पर जो ब्याज वसूल किया है वह भारत जैसे अधिकभित राष्ट्रों के लिए महंगा है। अतः यह प्रावश्यक है कि बैंक द्वारा ब्याज के सम्बन्ध में उदारता की नीति अपनाई जाय।

(ii) सीमित ऋण—भारत को विश्व बैंक से अन्य राष्ट्रों की तुलना में सबसे अधिक ऋण मिला है, फिर भी यह ऋण देश की आवश्यकताओं को देखते हुए कम है।

(iii) निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति—बैंक के ऋण निश्चित उद्देश्यों के लिए ही प्रदान किए जाते हैं जिनमें उगे अन्य किसी प्रयोजन में प्रयोग न करने से अधिक लाभ नहीं उठाया जा सकता। अतः प्रावश्यकता इस बात की है कि सामान्य ऋण प्रदान किए जायें जिन्हें किसी भी उद्देश्य से प्रयोग किया जा सके।

### विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्टें

विश्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्टें देते समय बताया कि विकासशील राष्ट्रों में उत्पादक एवं सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग तथा उत्पादन में तीव्र वृद्धि करनी चाहिए। 1955 व 1964 की अवधि में विश्व के विकासशील राष्ट्रों में निर्माण कार्यों के उत्पादन में 7% वार्षिक से वृद्धि हुई, परन्तु इस क्षेत्र में रोजगार में केवल 4% से ही वृद्धि हुई। एशिया की माणरिक श्रमशक्ति का 1/4 भाग निर्माण एवं सार्वजनिक उपयोगिता के उद्योगों में केन्द्रित थी। इसी अनुपात को 2000 वर्ष तक बनाए रखा जा सकता है। इन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए यह प्रावश्यक होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग एवं उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह अनुमान लगाया गया कि सरकारी व्यापार एवं उनकी क्रियाओं को तीव्रता में नहीं बढ़ाया जा सकता। रोजगार के अवसरों के अभाव में ग्रहणी व्यक्तियों को परम्परागत सेवा कार्यों में जुट जाना होगा। इन संबंध में विदेशी व्यापार एवं उसकी सहायक नीतियों को प्राकृष्ट करने के प्रयास करने होंगे। ग्रहणी विकास का उद्देश्य उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि करके न्यूनतम लागत पर सेवाएँ प्रदान करना है। विश्व बैंक वर्ष में भारत को अधिकतम ऋण प्राप्त हुआ है और जून 1975 तक 36 बि० डालर में से 5 बि० डालर का ऋण विश्व बैंक से मिला। 1975 तक भारत ने विश्व बैंक से 4,978 मि० डालर का ऋण प्राप्त किया— 44 बैंक ऋण 1,536 मि० डालर, 71 I. D. A. ऋण 3,441 डालर की थी। IDA ऋण 50 वर्षों में भुगतान होना है।

बैंक की पुढे प्राय 1970 में 123 मि० डालर थी तथा संचालकों ने 100 मि० डालर की राशि को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को हस्तान्तरित कर दिया। जून 1970 में संघ द्वारा एक समझौता हुआ जिसमें तीन वर्षों में 800 मि० डालर की राशि का प्रवन्ध करना निश्चित किया गया। यह समझौता 1971 से प्रारम्भ हुआ। विकासशील राष्ट्रों का सबसे धरेनु उत्पादन 6.7% से व निर्यात 1969 में 9% से बढ़ गया। इसके अतिरिक्त कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में नवीन विनियोग किए गए। विकासशील राष्ट्रों ने नवीन बाह्य पूंजी को उत्पादक कार्यों में विनियोग किया। जनसंख्या

## अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation)

### प्रारंभिक

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् विश्व में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई उनमें सबसे अधिक सफलता विद्युत बैंक को प्राप्त हुई है। विद्युत बैंक की स्थापना के बाद विद्युत के विछेड़े हुए राष्ट्रों के आर्थिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इसके उपरान्त भी एक सश्रील संस्था की स्थापना की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा था क्योंकि विद्युत बैंक की आर्थिक सहायता में दो कमियों का अनुभव किया गया जो सर एडवर्ड बॉयल (Sir Edward Boyle) के अनुसार निम्न प्रकार थी—

(i) ऋणपूर्वकी में भाग न लेना—विद्युत बैंक केवल ऋण प्रदान करता है, जिसमें वह उद्योग की प्रगति आदि के संबंध में कोई रक्षि शर्तों लेता। इसके प्रतिरिक्त ऋण लेने वाली संस्था पर एक स्थायी भार बना रहता है जो व्याज के रूप में प्रतिवर्ष चुकाना पड़ता है। इसके विपरीत ऋणकारी को लाभ होने पर ही सामांय दिया जाता है तथा उसका संस्था पर कोई भार नहीं होता।

(ii) गारंटी पर ऋण देना—विद्युत बैंक द्वारा ऋण सरकार की गारंटी पर ही दिए जाते हैं, परंतु इसमें विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलता, क्योंकि सरकार प्रत्येक प्रकार के उद्योग के लिए गारंटी देना पसंद नहीं करती तथा सरकारी गारंटी लेने पर यह भय भी बना रहता है कि सरकार संस्था के व्यापार में हस्तक्षेप न करने लगे।

अविश्रमित देशों को ऋण की अपेक्षा पूंजी सस्ती तथा अधिक उपयोगी मिळती है।

उपर्युक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए तथा सहस्य राष्ट्रों को अधिकतम आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की गई जिसने जुलाई, 1955 में अपना कार्य प्रारंभ किया। निगम के प्रारंभ में 31 सदस्य थे जिसकी कुल स्वीकृत पूंजी 7.8 करोड़ डालर थी। यह विद्युत बैंक की ही एक सहायक संस्था के रूप में कार्य करता है तथा उसकी प्रवृत्त व्यवस्था भी विद्युत बैंक के समान ही होती है। विद्युत बैंक का अध्यक्ष ही इस वित्त निगम का महापति होता है।

### वित्त निगम की आवश्यकता

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की आवश्यकता निम्न कारणों से उदय हुई—

(1) पर्याप्त सहायता का अभाव—विद्युत बैंक द्वारा पर्याप्त मात्रा में सहायता प्राप्त नहीं हो पाती थी, जिससे विकास के प्रयत्न प्राप्त न हो सके।

(2) सरकारी हस्तक्षेप—निजी संस्थाएं सरकारी हस्तक्षेप के भय से सरकार की गारंटी पर ऋण लेना पसंद नहीं करती थीं।

(3) पूंजी का अभाव—विद्युत बैंक से केवल ऋण प्राप्त हो पाते थे और जोधिम पूंजी प्राप्त नहीं हो पाती थी क्योंकि विद्युत बैंक केवल ऋण प्रदान कर सकता था, जोधिम पूंजी नहीं।

(4) रक्षि का अभाव—विद्युत बैंक उद्योगों के विकास में रक्षि नहीं लेता था क्योंकि वह एक ऋणदाता ही बना रहता था जिसमें उद्योग के विकास में विशेष हित नहीं होता।

(5) पूंजी सत्ती एवं उपयोगी—प्रविकसित राष्ट्रों में ऋण की तुलना में पूंजी मस्ती एवं उपयोगी भाजी जाती है जो कि विरव बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जाती थी ।

प्रत पृथक अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना में आवश्यकता अनुभव की गई, जिसने विरव बैंक की कमियों को दूर करते हुए एक पूरक के रूप में कार्य करके प्रविकसित राष्ट्रों को सहायता प्रदान की ।

## उद्देश्य

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—

(1) पूंजी तथा व्यवस्था में सहयोग—निगम का उद्देश्य देशी तथा विदेशी निजी पूंजी में सहयोग स्थापित करके उन अनुभवों प्रबंध से संयोजित करना है ।

(2) निजी विनियोग को प्रोत्साहन—वित्त निगम का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के निजी उद्योगों को भाषित सहायता प्रदान करके उन राष्ट्रों में उत्पादक उद्योगों की स्थापना करके, विकास एवं प्रसार करना है । यह कार्य उस देश की सरकार या केंद्रीय बैंक की गारंटी के बिना ही किया जाता है ।


(3) विदेशी पूंजी विनियोग को प्रोत्साहन—वित्त निगम का उद्देश्य विकसित राष्ट्रों को प्रतिरिक्त पूंजी की मात्रा को प्रविकसित राष्ट्रों में विनियोजन के लिए प्रोत्साहित करना है । इस संबंध में भाते वाली कठिनाइयों को वित्त निगम दूर करने के प्रयास करेगा । आवश्यकता पड़ने पर निगम निजी उद्योगपतियों के साथ मिलकर निजी व्यवसायों में पूंजी का विनियोजन भी करेगा ।

(4) समन्वय स्थापित करना—निगम का उद्देश्य निजी पूंजी एवं प्रबंध में समन्वय स्थापित करना है । इस प्रकार यह निगम निजी पूंजी के लिए कुशल प्रबंधकों एवं कुशल प्रबंधकों के लिए पूंजी का प्रबंध करता है । परिणाम-स्वरूप निगम के इन प्रयासों से प्रविकसित राष्ट्रों में निजी क्षेत्र में पूंजी के विनियोजन में वृद्धि हो जाती है ।

(5) समाशोधन गृह का कार्य—देशी एवं विदेशी पूंजी, अनुभवों प्रबंध एवं विनियोग के प्रवृत्तियों को खोज करके वित्त निगम समन्वय एवं समाशोधन गृह का प्रबंध करके उनके सामञ्जस्य द्वारा अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के प्रयास करेगा ।

(6) उत्पादक विनियोग को बढ़ावा—वित्त निगम देशी एवं विदेशी निजी पूंजी के उत्पादक विनियोगों को प्रोत्साहित करेगा तथा उनके विकास के अवसर प्रदान करेगा ।

## अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उद्देश्य



## निगम की सदस्यता

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विरव बैंक को एक संबद्ध संस्था के रूप में कार्य करती है तथा इसका सदस्य होने के लिए विरव बैंक का सदस्य होना आवश्यक होता है । जो राष्ट्र विरव बैंक की सदस्यता को देता है वह स्वतः ही इस निगम की सदस्यता में भी हट जाता है । कोई भी सदस्य राष्ट्र कभी भी विनियत सूचना देकर वित्त निगम की सदस्यता को छोड़ सकता है तथा अपनी पूंजी वापस ले सकता है । विरव बैंक के सभी सदस्य निगम के सदस्य नहीं बन पाए हैं । निगम की वर्तमान सदस्य संख्या 96 है । सदस्यता-मुक्त होने पर निगम उन राष्ट्रों की पूंजी को पारम्परिक समझौते के आधार पर वापस कर देता है ।

### निगम की पूंजी

प्रंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की अधिकृत पूंजी 11 करोड़ डालर है जो एक-एक हजार डालर के 1 लाख 10 हजार शर्शों में विभाजित है। यह पूंजी सदस्यों में शर्शों के रूप में विभाजित की गई है। सदस्यों को शर्श का विभाजन उसी अनुपात में किया गया है जो अनुपात उनकी पूंजी का विश्व बैंक की पूंजी के साथ है। प्रत्येक शर्श का मूल्य 1000 डालर है। 30 जून, 1975 को निगम की स्वीकृत पूंजी 11 करोड़ डालर थी जिसमें से प्रमुख राष्ट्रों का भाग निम्न प्रकार था—

### पूंजी का विभाजन

(लाख डालर में)

राष्ट्र	पूंजी	प्रतिशत भाग
सं० रा० अमेरिका	351.68	36.45
ब्रिटेन	144.00	14.93
फ्रांस	58.15	6.03
भारत	44.31	4.59
जर्मनी	36.55	3.79
कनाडा	36.00	3.73
नीदरलैंड्स	30.46	3.16

इस प्रकार विश्व के 7 राष्ट्रों के पास 7.27 करोड़ डालर की पूंजी है जो कुल का 68% भाग है। इस निगम के कोष को विश्व बैंक के कोष में वृद्ध रखा जाता है जो बैंक से उधार लेन-देन नहीं कर सकता परंतु बैंक के अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त कर सकता है। यह विश्व के अन्य वित्तीय संस्थाओं से संपर्क स्थापित करता है तथा इसका कार्यालय विश्व बैंक के माध्यम ही होता है तथा अन्य नगरों को वही भी स्थापित किया जा सकता है। इस निगम के प्रमुख कार्यालय पेरिस, न्यूयार्क व लंदन में हैं।

### निगम की प्रबंध व्यवस्था

निगम का प्रबंध विश्व बैंक की भांति किया जाता है जिसमें गवर्नर महल (Board of governors) होता है और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को स्थान दिया जाता है। सदस्य राष्ट्रों द्वारा विश्व बैंक में मनोनीत किए गए गवर्नर ही इस बोर्ड के सदस्य होते हैं। निगम के दैनिक कार्यों को चलाने के लिए एक संचालक मंडल होता है। विश्व बैंक का अध्यक्ष इस निगम के संचालक मंडल का समापति होता है। वित्त निगम का अध्यक्ष संचालक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो संचालक मंडल की बैठकों में भाग लेता है। परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। इस निगम को विश्व बैंक में वृद्ध रखा जाता है, तथा इसकी संपत्ति भी वृद्ध रखी जाती है। यह निगम विश्व बैंक में श्रेण भी ले सकता है तथा प्रत्येक सदस्य को प्रति शर्श एक वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है तथा निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। विश्व बैंक की भांति प्रत्येक सदस्य को 250+1 मत प्रति शर्श देने का अधिकार प्राप्त है। इसका नियंत्रण पूर्ण रूप से विश्व बैंक द्वारा ही किया जाता है जिसमें प्रत्येक प्रंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य विश्व बैंक की महासभा में ही किया जाता है। वित्त निगम का प्रधान कार्यालय विश्व बैंक व माध्य है। इसके प्रमुख कार्यालय लंदन, पेरिस एवं न्यूयार्क में हैं।

### वित्त निगम की कार्य-प्रणाली

निगम को केवल श्रेण देने के अधिकार दिए गए हैं। 1 नवंबर, 1961 से निगम को उद्योगों में पूंजी विनियोग करने के अधिकार दे दिए हैं।

- (2) औद्योगिक क्षेत्र—निगम अपने धन का विनियोग औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिरिक्त अन्य क्षेत्रों नहीं करेगा।
- (3) दीर्घकालीन ऋण—वित्त निगम द्वारा प्रायः 5 से 15 वर्ष के लिए दीर्घकालीन ऋण दिए जाते हैं।
- (4) धनपूँजी से परिवर्तन—निगम अपने ऋणों को निजी उद्योगों में धन पूँजी के रूप में कभी भी परिवर्तित कर सकता है।

(5) विस्तृत विनियोग—वित्त निगम के विनियोग स्थायी न्याय वाले बचक षाठ से लेकर अनुरसित ऋण पत्रों में हो सकते हैं। इस प्रकार निगम को विनियोग करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं।

(6) पृथक्-पृथक् ब्याज दर—प्रत्येक ऋण पर जोखिम मात्रा एवं अन्य शर्तों के आधार पर पृथक्-पृथक् ब्याज दरों का निर्धारण किया जाता है।

(7) विनियोग की मात्रा—वित्त निगम द्वारा लगाई गई विनियोग की मात्रा कभी भी विनियोजित होने वाली कंपनी की पूँजी के प्राये से अधिक नहीं होगी।

(8) निजी क्षेत्र—वित्त निगम अपनी पूँजी का विनियोजन सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र में ही करेगा।

(9) अधिकसिक्त राष्ट्रों की प्राथमिकता—निगम द्वारा धन के विनियोजन के समय विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा अधिकसिक्त राष्ट्रों को ही प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

### ऋण की आवश्यक राशियाँ

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जिन राष्ट्रों पर ऋण प्रदान करता है, वे गर्वो विन्म हैं—

(1) उत्पादक उद्देश्य—निगम द्वारा केवल उन संस्था को ही वित्तीय सहायता दी जानी है, जिसका उद्देश्य देश में उत्पादक उद्योगों की स्थापना करना तथा देश की धर्मसंबन्धता का विकास करना है। इस प्रकार निगम केवल निर्माण उद्योगों में ही धन का विनियोजन करता है। यह सार्वजनिक कार्यों एवं विदेशी व्यापार के धर्म-प्रबंध के लिए कोई भी ऋण प्रदान नहीं करता।

(2) विनियोग का आधार—निगम उन उद्योगों में ही धन का विनियोजन करेगा जिसकी स्वयं की पूँजी कम-से-कम 5 लाख डॉलर हो तथा जिसने कम-से-कम 1 लाख डॉलर के ऋण की मांग की हो। निगम अधिकतम 30 लाख डॉलर तक ऋण प्रदान कर सकता है।

(3) निजी उपक्रमों में विनियोग—वित्त निगम केवल निजी उपक्रमों में ही धन का विनियोग करेगा तथा सार्वजनिक एवं शासकीय उपक्रमों में धन का विनियोग नहीं करेगा। यदि किसी संस्था में सरकार ने खोड़ी परंतु निजी ग्राहकियों ने अधिक पूँजी लगाई है तो उस संस्था को निगम द्वारा ऋण प्रदान किया जा सकता है। निगम देशी एवं विदेशी दोनों ही प्रकार के उद्योगों में धन का विनियोजन करता है।

(4) कुशल प्रबंध—उपक्रम का प्रबंध कुशल एवं सक्षम हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि उसकी प्रबंध व्यवस्था कुशल मंचालक मंडल के हाथों में हो।

(5) निजी सहयोग—वित्त निगम के विनियोग के प्रतिरिक्त निजी पूँजीपतियों का सहयोग भी प्राप्त होना चाहिए, तथा लगभग धापी या धापी से अधिक पूँजी का विनियोग निजी विनियोजकों द्वारा किया जाना चाहिए।

(6) उत्पादक व उपयोगी उपक्रम—निगम द्वारा केवल उन उत्पादक एवं उपयोगी उपक्रमों को ही ऋण प्रदान किया जाएगा जो निजी क्षेत्र में हैं तथा देश के लिए आवश्यक हैं।

(7) उद्योगों का स्थान—निगम प्रायः ऐसे उद्योगों को ही ऋण प्रदान करता है जो कि अधिकसिक्त राष्ट्रों में ही स्थापित किए जाते हैं। ऋणों देगों के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने स्वतः निर्धारित ढंग से रहे, उनका नियमित धरोक्षण करावें तथा धरोक्षण रिपोर्टें यथासमय निगम को देते रहें।

### वित्त निगम का वित्तीय ढंग

प्रारंभ में वित्त निगम धन पूँजी से विनियोजन के प्रतिरिक्त किसी अन्य रूप में विनियोग नहीं कर सकता

था। परंतु बाद में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आने पर यह निश्चित किया गया कि प्रारंभ में उद्योगों को ऋण ही देना चाहिए। इस प्रकार निगम के चार्टर में उसे पूँजी में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया, परंतु बाद में उसे पूँजी में परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रख दिया गया। इसमें अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं जिससे 1961 में निगम को प्रत्यक्ष रूप से ग्रह पूँजी क्य करने के अधिकार प्राप्त हो गये, जिससे निगम को लाभान्वित होने का अधिकार रहेगा व साथ ही प्रतिभूतियों का अभिगोचन कर सकेगा। निगम भिन्न-भिन्न प्रकार के ऋणों पर विभिन्न दर से व्याज वसूल करता है। निगम अपने ऋणों को 5 से 15 वर्ष की अवधि में धरो में परिवर्तित कर सकता है। प्रतिभूति का स्वभाव उद्योग की प्रकृति, अवधि, शर्तों एवं अन्य अनेक बातों पर निर्भर करता है। प्रार्थी को ऋण की रकम एक मुदत या किस्तों में दी जा सकेगी। ऋण का उपयोग उद्योग द्वारा किसी भी रूप में किया जा सकेगा और उसमें निगम कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऋण देने से पूर्व उपक्रम की प्रबंध क्षमता आदि को ध्यान में रखा जाता है, परंतु किसी भी उपक्रम के प्रबंध की जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। निगम किसी भी उद्योग के प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऋण देने के उपरांत निगम द्वारा उपग्रहों के कार्यों पर ध्यान दिया जाता है जिससे उसके ऋण का सदुपयोग होता रहे। ऋणों पर उभ देश की सरकार की किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं मांगी जाती है। निगम द्वारा समस्त विनियोग प्रायः डालरों में विनियोग किए जाते हैं। ऋण का भुगतान एक मुदत अवधि में किया जा सकता है।

### वित्त निगम की प्रगति

30 जून, 1976 तक निगम ने अपने 20 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इस काल में इसकी प्रगति को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) विनियोजन में वृद्धि—निगम ने जिन सत्याग्रहों को ऋण प्रदान किए हैं, उनकी कुल लागत 1010 मि० डालर थी जिसमें निगम का भ्रश 190 मि० डालर था। इस प्रकार निगम के प्रत्येक 1 डालर के विनियोग के लिए उसे 6 डालर का विनियोजन प्राप्त हुआ। इस प्रकार निगम को विनियोजन में पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है।

(2) विश्व बैंक को सहायता—वित्त निगम विश्व बैंक के सहयोग के साथ विश्व बैंक के अधिकृत राष्ट्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इससे एक और अधिकृत राष्ट्रों को वित्तीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं तथा दूसरी ओर विश्व बैंक का दायित्व हल्का हो जाता है। अब तक निगम ने 17 कंपनियों में 19 मि० डालर के भ्रश क्य किए।

(3) सहायता प्राप्त राष्ट्र—निगम अधिक से अधिक राष्ट्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयास करता है तथा ऋण की मात्रा में भी वृद्धि की गई है। निगम ने भौगोलिक दृष्टि से व्यवसाय में वृद्धि की है तथा अफ्रीका एवं एशिया के राष्ट्रों में विनियोजन में वृद्धि की है।

(4) साधनों में वृद्धि—निगम को 1965 से अपनी पूँजी एवं कोष की तुलना में विश्व बैंक से 4 गुने तक ऋण लेने की शक्ति प्रदान की है, जिससे इसके साधनों में वृद्धि हो गई है तथा वह अधिक मात्रा में ऋण प्रदान कर सकता है।

(5) विनियोग की मात्रा—निगम ने अपने विनियोग अधिकृत राष्ट्रों में अधिक किए हैं। निगम को अपने विनियोगों पर 74% से वार्षिक धाम हुई है। अशो में निगम का विनियोग 40% तक बढ़ गया है। निगम जनता के धर्मों, विनियोग का अभिगोचन भी करता है जिससे सत्याग्रह पूँजी का आरंभिक विकास हो जाता है। निगम अपने विनियोगों की मात्रा को सदैव परिवर्तित करता रहता है।

(6) ऋण की मात्रा—निगम ने विश्व के अनेक राष्ट्रों को ऋण प्रदान किए हैं तथा अधिकृत राष्ट्रों को अधिकृत सहायता प्रदान की है। प्रायः ऋण 5 से 10% व्याज पर दिए जाते हैं तथा निगम अपनी ऋण पूँजी को धर्म पूँजी में परिवर्तित करने का अधिकार रखती है। निगम ने 57 राष्ट्रों में स्थित उद्योगों में लगभग 1262 मि० डालर के विनियोग किए हैं। अब तक 57 राष्ट्रों में 249 उद्योगों में पूँजी का विनियोग किया गया है। इस प्रकार ऋण देने वाली यह एक प्रमुख संस्था है। इनमें उद्योगों में अन्य विनियोग 5131 मि० डालर के रहे हैं।

जून, 1975 में निगम ने 20 विकसित राष्ट्रों को 32 उद्योगों में 211.7 मि० डालर का ऋण दिया है जबकि 1974 में 203.4 मि० डालर ऋण दिया गया था। इसमें से 9.5 मि० डालर एक भारतीय कंपनी को प्राप्त हुआ है।

1974-75 में विश्व के औद्योगिक राष्ट्रों में 30 वि० डालर का व्यापार रोप में घटा था। इन राष्ट्रों में उत्पादन 1973 में 6% था जो 1974 में घटकर 0.4% रह गया। 1975 में वार्षिक विकास में 1.5% से कमी हुई। 1974 में मशीनरी एवं औद्योगिक उपकरणों का मूल्य 1970 की तुलना में 75% बढ़ गया था। 1975 में 211.7 वि० डालर के ऋण में 80.1 वि० डालर सेटिंट अमेरिका की 12 योजनाओं में, 63.4 वि० डालर यूरोप की 7 योजनाओं में 55.1 वि० डालर एशिया की 8 योजनाओं में, 8.4 वि० डालर ए० एशिया की 3 योजनाओं में तथा 4.7 वि० डालर अफ्रीका की 3 योजनाओं को दिया गया।<sup>1</sup>

(7) ऋणों देश की सरकार से संबंध—निगम किसी उद्योग में पूंजी लगाने से पूर्व उस देश की सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं करता, परंतु विनियोजन की मूल्यता भव्य दी जाती है। यदि सरकार पूंजी विनियोजन की अनुमति न दे तो निगम उद्योगों में पूंजी लगाने से इनकार कर सकता है।

### भारत एच अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (India and I F. C.)

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत को जो वार्षिक सहायता प्राप्त हुई है, उसका वर्णन निम्न प्रकार है—

(1) सहाय—भारत 5 बड़े स्थायी सदस्यों में से एक है, जिसमें यह निगम के प्रशासनिक संवाहक मंडल का भी स्थायी सदस्य है।

(2) उद्योगों का काम विकसित होना—भारत में आयोजन काल से ही अधिकांश उद्योग सरकारी क्षेत्र में ही विकसित किए गए हैं जिससे वित्त निगम का लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि यह निगम केवल निजी उद्योगों को ही वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है।

(3) सहायता व ऋणपूंजी—भारत के विभिन्न उद्योगों को निगम ने कुल मिलाकर 18 वि० डालर ऋण एच अक्षयपूंजी के रूप में 8.1 वि० डालर प्रदान किए हैं। अर्णों तथा ऋण पूंजी का ब्यौर निम्न प्रकार है—

(लाख डालर में)

	ऋण	पूंजी	योग
1. आसाम तिलमेनाइट	0.8	—	0.8
2. फोटॉ ग्लोस्टर	1.5	3.5	5.0
3. प्रिगेजिन विद्यार्थि	2.1	3.8	5.9
4. जयश्री केमिकल्स	3.6	1.0	4.6
5. सड़भी मशीन वर्क	4.3	3.1	7.4
6. महिंद्रा स्टोन	14.3	8.3	22.6
7. इंडियन एक्स्प्लोसिव	40.9	24.3	65.2
8. जुधारी केमिकल्स	112.5	37.1	149.6
	180.0	81.1	261.1

(4) लाभ नहीं उठाना—भारत ने प्रारंभिक वर्षों में वित्त निगम से कोई लाभ नहीं उठाए क्योंकि उसे काम ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण विश्व बैंक से प्राप्त हो जाते रहे।

आवधिकार—अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की प्रमुख आवधिकारें निम्न प्रकार हैं—

(1) ऊंची ब्याज दर—निगम द्वारा ऊंची ब्याज दर ली गई जो प्रायः 6 से 10% तक रहती थी और इस ब्याज का भार अविश्वसित राष्ट्र उठाने में अत्यंत भारी है।



(2) छोटे उद्योगों की उपेक्षा—निगम कम से कम 1 लाख डालर से कम की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है जिससे यह ऋण केवल बड़े उद्योगों को ही प्राप्त हो पाता है तथा मध्यम व छोटे वर्ग के उद्योग वित्त निगम की सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।

(3) साधनों का अभाव—वित्त निगम के स्वयं के वित्तीय साधन अत्यल्प हैं, जिससे अधिकृत राष्ट्रों की ऋण संबंधी मांग को पूर्ति नहीं हो पाती है। निगम ने अभी तक केवल 20 करोड़ डालर के ऋण लिए हैं जो अधिकृत राष्ट्रों की मांग को देखते हुए अत्यल्प हैं।

(4) नियमों में कठोरता—निगम द्वारा यह कठोर शर्तें लगाई गई हैं कि ऋण एवं ब्याज का भुगतान अमेरिकी डालर में ही होगा, जो अधिकृत राष्ट्रों के लिए एक समस्या बन जाती है।

(5) भेदभावपूर्ण व्यवहार—निगम भेद-भावपूर्ण व्यवहार अपनाता है और इससे अधिकृत राष्ट्रों के ऋण लेटिन अमेरिका के राष्ट्रों को ही दिया है जिससे अफ्रीका एवं एशिया के अधिकृत राष्ट्रों की उपेक्षा की गई।

### कठिनाइयाँ

वित्त निगम को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो कि निम्न हैं—

(1) जागृति का अभाव—निगम की वित्तीय प्रबंध की दृष्टि दुर्लभ आवश्यकताओं एवं जटिलताओं के प्रति ध्यान से जागृति का अभाव पाया जाता है जिससे आवश्यकता पड़ने पर योग्य वित्तीय विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।

(2) पूंजी की कमी—जब किसी विशेष योजना के लिए पूंजी के एकत्रीकरण का प्रस्ताव रखा जाता है तो वह उसकी आवश्यकता से कम पड़ जाती है, जिसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और समय पर पूंजी का प्रबंध नहीं हो पाता।

(3) कार्यशील पूंजी का अत्यल्प अनुमान—यह अनुमान लगाया जाता है कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की रकम से अल्पकालीन ऋण लेकर पूर्ण कर दिया जाएगा, जिससे कार्यशील पूंजी का अत्यल्प अनुमान लगाया जाता है।

(4) विलंब—आवश्यक योजनाओं के निर्माण होने एवं उन्हें सामयिक ढंग से संचालन करने में बहुत विलंब हो जाता है।

(5) वित्तीय प्रबंध उपकरणों का अभाव—निगम को अनेक प्रकार के वित्तीय प्रबंध उपकरणों की आवश्यकता रहती है, जिसका सर्वथा अभाव पाया जाता है।

(6) अनुभव की कमी—विकासशील राष्ट्रों में वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुभव की कमी पाए जाने के कारण आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक दशाएँ स्थिर नहीं रह पाती।

इन कठिनाइयों के होते हुए भी निगम ने अधिकृत राष्ट्रों के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की हैं तथा निजी क्षेत्र के विनियोजन में काफी सहायता प्रदान की है। निगम को अल्पपूंजी कर्ष करने के अधिकार मिलने से वह उद्योगों में असाधारण रूप से मांग ले सकता है। निगम ऋण देते समय किसी राजनीतिक व आर्थिक धर्म नहीं लगाता। इस प्रकार से यह निगम देश के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। यद्यपि है, भविष्य में वित्त निगम वित्तीय सहायता देने में पूर्ण रूप से सफल हो सकेगा।

## अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association)


### प्रारम्भिक

विश्व के विकसित एवं अ विकसित राष्ट्रों को आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता अनुभव हुई। विश्व में विश्व बैंक के प्रतिरिक्त अन्य कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो यह कार्य पूर्ण कर सके। विश्व बैंक बहुत समय से विश्व में एक ऐसे संगठन की स्थापना की आवश्यकता को अनुभव कर रहा था जो विश्व बैंक के सहायक के रूप में अ विकसित राष्ट्रों को सस्ती दर पर ऋण प्रदान कर सके। इस प्रकार के संगठन की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम 1958 में अमेरिका के सिनेट सदस्य श्री मोनरोनी (Monroney) ने रखा और 1959 की विश्व बैंक की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया जिस पर सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त होने पर 24 नवम्बर, 1960 में लागू करके नवम्बर, 1960 में नियमपूर्वक कार्यान्वित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ एक नवीन संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अ विकसित एवं अल्प-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास कार्यक्रमों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

### आवश्यकता

इन संघ की स्थापना की आवश्यकता विकसित राष्ट्रों के सम्मुख अनेक पूँजी संबंधी गंभीर समस्याओं के कारण उत्पन्न हुई। इन समस्याओं को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

#### अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की आवश्यकता



(1) पूँजी की समस्या—प्रत्येक देश को प्रायः दो प्रकार की पूँजी की आवश्यकता होती है। (घ) विकास पूँजी जो बड़े उद्योगों के विकास के लिए प्रयोग की जाती है। यह पूँजी उत्पादक होती है, जो उत्पादन कार्यों में लगाई जाती है। (च) सामाजिक पूँजी जो सार्वजनिक हित के कामों में प्रयोग की जाती है। यह पूँजी अ उत्पादक होती है और इसके भुगतान के लिए सबी अर्थों का ऋण लेना आवश्यक होता है।

(2) ब्याज की समस्या—दीर्घकालीन पूँजी के लिए ब्याज चुकाने की समस्या उत्पन्न होती है जो कि अ विकसित राष्ट्रों के लिए एक भार स्वरूप होता है। अतः इन भार को कम करने के लिए कोई समुचित व्यवस्था होना आवश्यक था क्योंकि ब्याज का भुगतान प्रायः विदेशी मुद्रा में ही मांगा जाता है। इससे समस्या और अधिक गंभीर हो

जाती है क्योंकि 5 या 6% वार्षिक की दर से ब्याज लगाने से भी 20 वर्ष में यह राशि भूखण्ड के बराबर हो जाती है।

(3) सामाजिक उद्योग—निजी उद्योग प्रायः लाभकारी उद्योगों में ही धन का विनियोजन करते हैं तथा सरकारी विनियोजन प्रायः सामाजिक उद्योगों में किया जाता है जो दर से लाभ देने वाले होते हैं और बिलंब में ही लाभ प्रदान करते हैं। इन उद्योगों में पूँजी लगाने की क्षमता भी सीमित होती है। अतः यह आवश्यक होता है कि कोई बाह्य संस्था सामाजिक उद्योगों के विकास के लिए ऋण का प्रबंध करे।

(4) पूँजी संबंधी समस्याएँ—अंतर्राष्ट्रीय बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम व्यावसायिक मिश्रणों पर चलाए जाने के कारण अविश्वसित राष्ट्रों की वित्त संबंधी समस्याओं को हल करने में समर्थ नहीं हो पाई हैं। इसके प्रतिरिक्त सदस्य राष्ट्रों के सम्मुख ऋणों के भुगतान की समस्या अत्यंत गंभीर हो गई है, जिसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना आवश्यक हो गया है।

### अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना तथा उद्देश्य (Establishment and Arms of International Development Association)

अमेरिका की मिनेट के सदस्य श्री मौनरोनी ने 1957 में विद्व में एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के निर्माण का सुझाव दिया था जो अविश्वसित देशों को अपने ऋण प्रदान कर सकें और भुगतान उन देशों की ही मुद्रा में प्राप्त करने को तैयार हो सकें। राष्ट्रपति फ्राइड्रनहावर ने इस योजना पर अपनी सहमति प्रदान की।

उद्देश्य—संघ का मुख्य उद्देश्य विद्व बैंक के पूरक के रूप में कार्य करने हुए अविश्वसित सदस्य राष्ट्रों को विधान संबंधी सहायता एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है। विकास संघ मुख्य ऋणों की व्यवस्था करता है।

### संघ का संगठन

विद्व बैंक का सदस्य बनने पर कोई भी राष्ट्र इस संघ का भी सदस्य बन सकता है। 30 जन, 1968 को इस संघ में सदस्यों की संख्या 108 थी जो विविध एवं अविश्वसित दो वर्गों में विभाजित थी। विविध राष्ट्र 18 व अविश्वसित राष्ट्र 90 इसके सदस्य थे। इस संघ की पूँजी 100 करोड़ डॉलर है जिसमें से 75 करोड़ डॉलर विविध देशों एवं 25 करोड़ डॉलर अविश्वसित देशों के लिए हैं। संघ की प्रायित पूँजी 99.91 करोड़ डॉलर है। विविध राष्ट्रों की धनदा वटा स्वर्ण का परिवर्तनीय मुद्रा में देना पड़ता है जबकि अविश्वसित देशों को धनदा वंटे का 10% स्वर्ण में तथा 90% भाग राष्ट्रीय मुद्रा में देना पड़ता है जो 5 किन्हीं में श्रुतना पड़ता है। इस संघ के बड़े अध्यापियों में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी व कनाडा का नाम है जिनके वंटे निम्न प्रकार हैं—

### वंटे का विवरण

राष्ट्र का नाम	वंटे की राशि (मि० डॉलर में)
कनाडा	37.83
जर्मनी	52.96
इंग्लैंड	131.14
अमेरिका	320.29
भारत	40.35

अविश्वसित राष्ट्र ऋण के लिए उन्हीं संघ पर निर्भर हैं परंतु संघ के वित्तीय साधन अल्पमित होने से इस पर अधिक निर्भर नहीं रहा जा सकता। अतः संघ के साधनों में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस की प्रवृत्ति व्यवस्था विद्व बैंक की ही मानि होती है जिसमें सर्वोत्तर संडर, सहायक सडर एवं अन्य उच्च अधिकारी-गण कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त वही व्यक्ति होते हैं जो विद्व बैंक में कार्य कर रहे हैं। विकास संघ की सदस्यता विद्व

बैंक के सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए सुधी है तथा भव्य षतें विदव बैंक की सदस्यता के समान ही है। प्रत्येक सदस्य को 500+प्रति 5000 डालर पर एक मत देने का अधिकार होता है। भारत को 8570 वोट देने का अधिकार है।

विकास संघ का प्रबंध—विदव बैंक का संचालन करने वाले व्यक्तियों के हाथों में ही इस संघ की प्रबंध व्यवस्था है। गवर्नर मण्डल, प्रशासनिक संचालक एवं उच्च अधिकारियों के प्रतिरिक्त विदव बैंक के कर्मचारी इसके समस्त कार्य की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी हैं। आवश्यकता पड़ने पर संस्था के लिए पृथक से कर्मचारी नियुक्त किए जा सकते हैं।

### अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के कार्य (Functions of I. D. A.)

यह संघ विदव बैंक की पूरक संस्था है तथा अधिकतम देगों को विकास करने के लिए मस्ते एव दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करता है। संघ की शर्तें सरल एवं सुविधाजनक हैं। संघ द्वारा वित्तों योजनाओं के लिए भी ऋण दिए जाते हैं। विदव बैंक के समान विकास संघ भी एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करती है जो पूर्वखेण प्रथम्यन करके अपनी रिपोर्ट संघ के सम्मुख रखती है जिसके आधार पर ऋण देने या न देने का निदचय किया जाता है। संघ द्वारा ऐसी शर्तों पर ऋण दिया जाता है जिसका भुगतान सन्तुलन पर बुरा प्रभाव न पड़े। यह संघ अधिकतम राष्ट्रों के वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सार्वजनिक प्रतार्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करता है। संघ द्वारा राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। संघ के ऋण प्रायः स्थानीय मुद्राओं में वापस किए जाएंगे, जिससे यह अपने सीमित दुर्लभ मुद्रा साधनों से बचत न रह जाएं। ऋण देने के बाद संघ द्वारा समय-समय पर जाच-पड़ताल करनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर संघ प्राविधिक सहायता की भी व्यवस्था कर सकता है। इस प्रकार संघ के ऋण देने की व्यवस्था अधिक सरल व सुविधाजनक रहती है, क्योंकि ऋण अधिक रोजगार एवं लचीले होते हैं। इस उदारता के मुख्य कारण निम्न हैं—

- (1) दीर्घकालीन ऋण—यह ऋण कम से कम 15 वर्ष की अवधि के लिए दिये जाते हैं जिससे ऋण पर्याप्त हो सकें।
  - (2) प्राथमिकता—ऋण प्रदान करते समय उन राष्ट्रों को प्राथमिकता दी जाती है, जिन्हें साध के अभाव के कारण विदव बैंक से ऋण प्राप्त नहीं हो सका था।
  - (3) विकासात्मक प्राथमिकता—संघ द्वारा विकास से सम्बन्धित उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत किए जाते हैं।
  - (4) सरकार की गारन्टी—यह संघ भी विदव बैंक की भांति सरकार की गारन्टी के बिना ही निजी साहसियों को ऋण प्रदान करते हैं।
  - (5) स्थानीय मुद्रा की सुविधा—संघ के ऋण स्थानीय संस्था द्वारा स्थानीय मुद्रा में भी वापस किए जा सकते हैं।
  - (6) कम व्याज दर—संघ की व्याज दर विदव बैंक की तुलना में बहुत ही कम है। प्रायः ऋणों पर प्रशासनिक व्ययों को भी सम्मिलित किया जाता है।
  - (7) बिनियोजन—संघ के सागत व्यय का एक निश्चित भाग स्वयं ही ले लिया जाता था, परन्तु इनसे विदेशी बिनियम की समस्या का सरलता से हल किया जा सकता है।
- इस प्रकार संघ द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण अधिक सरल एवं प्राप्त होने वाले हैं जिन्हें सरलता से निजी क्षेत्र में बिनियोजित किया जा सकता है तथा देश के विकास के प्रयास किए जा सकते हैं।

### संघ की प्रगति

इस संघ ने अपनी कार्य 8 नवम्बर, 1961 में प्रारम्भ किया तथा 30 जून, 1967 को इस संघ ने 1684 मि० डालर के ऋण स्वीकृत किए। इसके प्रतिरिक्त 96 मि० डालर के ऋण घबड़ (uncommitted) थे। 30 जून, 1968 को स्वीकृत ऋण की राशि बढ़कर 1776 मि० डालर हो गई और घबड़ ऋण की मात्रा 55 मि० डालर थी। संघ द्वारा

ऋण शक्ति, परिवहन, कृषि एवं वन विकास, शिक्षा, जल पूर्ति योजना, उद्योग आदि पर ऋण दिया गया जो ब्याजरहित होता है। ऋण पर 3/4% की दर से ब्याज लिया जाता है। ऋण का सबसे अधिक भाग एशिया एवं मध्य-पूर्व के राष्ट्रों को ही प्राप्त हुआ है। संघ की अतिदान राशि 1017 मि० डालर हो गयी है। विकास संघ द्वारा 57 देशों को कुल 4406 मि० डालर के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 2424 मि० डालर की राशि ही वितरित हो सकी है। संघ द्वारा दिए गए ऋण का विवरण निम्न प्रकार है—

### संघ द्वारा दिए गए ऋण

देश	स्वीकृत ऋण	वितरित राशि
1. मिय	56	—
2. ट्यूनीशिया	63	125
3. संजानिया	78	47
4. इथियोपिया	83	31
5. केनिया	83	40
6. कोरिया	91	45
7. टर्की	149	96
8. इण्डोनेशिया	333	51
9. पाकिस्तान	590	655
10. भारत	1525	1290

### भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (India and I. D. A.)

भारत इस संघ का एक प्रारम्भिक सदस्य है और अपने चन्दे के आधार पर भारत को संघ में एक प्रशासनिक संचालन नियुक्त करने का अधिकार है। संघ की स्थापना के समय से ही भारत को मदको, रेलों, विचार, विद्युत शक्ति बन्दरगाह एवं परिवहन के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋण प्राप्त हुआ है। 1966 में संघ ने भारत को 150 मि० डालर का ऋण, आवश्यक विदेशी विनिमय का प्रबन्ध करने के उद्देश्य से, स्वीकृत किया। यह ऋण ब्याजरहित है जिसे अपने 10 वर्ष बाद अर्थात् 1976 में 50 वर्षों की अवधि में वापस करना होगा। 31 मार्च, 1969 तक संघ ने भारत को 758 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए जिनमें से 570 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है। भारत को संघ द्वारा कुल सहायता का लगभग 50% भाग प्राप्त हुआ है। इस प्रकार संघ ने भारत के प्रति उदारतापूर्ण दृष्टिकोण प्रदर्शित है।

विश्व बैंक एवं अन्य विश्व संस्थानों के ऋणों की सहायता से भारत ने निर्माण उद्योगों में काफी प्रगति की है एवं अनेक प्रकार के उद्योगों की स्थापना की है व साथ ही इनके विकास पर प्राथमिकता दी गई है। विदेशी विनिमय की कठिनाई के कारण भारत आवश्यकता की वस्तुओं को आयात करने में असमर्थ था, जिससे इस संघ ने नवीन ऋणों को स्वीकृत करके विदेशी विनिमय संबंधी सुविधाएं प्रदान की हैं।

घाभी हाल ही में इस संघ ने औद्योगिक आयात के लिए भारत को 75 मि० डालर का ऋण स्वीकृत किया है। यह ऋण सरल शर्तों पर मिला है जो 10 वर्ष परचात् 50 वर्षों की अवधि में भुगतान किया जाएगा। यह ऋण ब्याजमुक्त है, परन्तु 0.75% की दर से प्रशासनिक लागत ही ली जाएगी। 1950 से पूर्व भारत का औद्योगिक उत्पादन में भाग कुल सबन्ध राष्ट्रीय उत्पादन का 13% था जो 1968-69 में बढ़कर 18% हो गया। इस प्रकार भारतीय औद्योगिक उत्पादन में काफी विकास हुआ। इस ऋण की सहायता से पूंजीगत वस्तुओं एवं कृषि उत्पादन सम्बन्धी उद्योगों का विनाश सम्भव हो गेगा। इस ऋण द्वारा विदेशों से बचनी सामग्री, उपकरण व अन्य भागों के आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी। औद्योगिक क्षेत्र में व्यापारिक गाहिया, कृषिगत ढ़ंकरण, परिवहन संबंधी उपकरण,

मशीन टूलस, विद्युत मोटर, खाद एवं अन्य उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है। लाभ प्राप्त करने वाली संस्थाएं 1.6 मि० ब्यक्तिगो को रोजगार प्रदान करेगी तथा माशा की जाती है कि 1970-71 तक उद्योगो द्वारा 1 बिलियन डालर को लागत का मास उत्पादित किया जा सकेगा।

विकास संघ द्वारा भारत को 44 ऋण स्वीकृत किए गए हैं जिसकी राशि 1925 मि० डालर है। यह राशि कुल स्वीकृत ऋणो की लगभग 45% है।

## भ्रालोचनाएं

संघ की प्रमुख भ्रालोचनाएं निम्न हैं—

- (1) उदार ऋणों की भ्रालोचनाएं—भ्रालोचको का कथन है कि इस संघ द्वारा उदार राशियों पर ऋण प्रदान करने से विद्वद बैंक द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा सम्भव न हो सकेगी।
- (2) मुद्रा प्रसार का भय—उदार ऋणो के कारण ऋणी देश मुद्रा प्रसार के चक्र में फंस सकते हैं जिससे देश का धार्मिक विकास खतरे में पड़ सकता है।
- (3) तोच का भ्रभाव—संघ द्वारा जो ऋण प्रदान किए जाते हैं, उनमें प्रायः पर्याप्त तोच का भ्रभाव पाया जाता है।
- (4) व्यापार के स्वरूप पर प्रभाव—संघ द्वारा जो ऋण भविक्रमित राष्ट्रों के विकास के लिए दिए जाते हैं, उस मुद्रा का प्रयोग व्यापार के स्वरूप पर प्रभाव डाल सकता है।
- (5) घेसम का नियम लागू होना—घेसम का नियम विदेशी सहायता के संबंध में भी लागू किया जा सकता है।
- (6) सीमित साधन—भविक्रमित राष्ट्रों की विकास संबंधी प्रावस्थताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस संघ के वित्तीय साधन बहुत सीमित हैं जिससे यह राष्ट्रों के विकास के लिए अल्प मात्रा में ही ऋण प्रदान करके उनके विघास में सहयोग दे सकेंगे।

## सुझाव

संघ के कार्यों को उपयोगी बनाने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं—

- (1) वित्तीय साधनों में वृद्धि—संघ के वित्तीय साधनों में वृद्धि करना प्रावश्यक है जिससे भविक्रमित राष्ट्रों के विकास के लिए अधिकारिक ऋण प्रदान किए जा सकें।
  - (2) संघ को माध्यम बनाना—वित्त के अन्य राष्ट्रों द्वारा भविक्रमित राष्ट्रों को सहायता प्रदान की जाए, वह सहायता प्रत्यक्ष देने के स्थान पर प्रायः संघ के माध्यम से दी जानी चाहिए, जिससे विकास कार्यों में समन्वय स्थापित किया जा सके।
  - (3) कम व्याज—संघ द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों पर न्यूनतम व्याज वसूल करनी चाहिए, जिससे ऋणो का प्रच्छा व उचित उपयोग सम्भव किया जा सके।
  - (4) ठहरावों में प्रविष्टि—संघ को किसी भी सदस्य देश में सरस्यो की मुद्रा में अतिरिक्त साधन प्राप्त करने के ठहरावों में प्रविष्टि होने की सुविधा होनी चाहिए, जिनमें, आवश्यक ऋण सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त हो सकें।
- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारत को 227.5 मि० डालर की सहायता दी गई जो संघ द्वारा स्वीकृत की गई सम्पूर्ण राशि 605.6 मि० डालर का 37% भाग है। संघ ने गुजरात व पंजाब में दृष्टि साक्ष योजनाओं के लिए सहायता स्वीकार की। इस संघ ने भारत के औद्योगिक साक्ष व विनियोग निगम को 40 मि० डालर का एक ऋण भी स्वीकार किया है। अभी हान ही में इस संघ ने भारत में धार्मिक वित्तीयकरण के लिए 43 करोड़ ६० की मास स्वीकृत की है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा उन लोगों तक पहुंचना है जिन तक बिन्दु बैंक नहीं पहुंच पाता। संघ का उद्देश्य उन लोगों को सुन्दर, स्वस्थ तथा निर्माणकारी जीवन प्रदान करना है। यदि 1975 वर्ष के लिए प्रथम साम है। यह साक्ष सिचाई के लिए पानी का उपयोग करके दृष्टि उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होगी। यह योजना प्राचीन विद्युत निगम

## एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank)

### प्रारम्भिक

एशियाई विकास बैंक की स्थापना का प्रश्न सर्वप्रथम 1963 में उठाया गया और 26 नवंबर, 1966 को इसकी विधिवत् स्थापना की गयी। एशिया महाद्वीप के अधिकांश राष्ट्र चिरकाल तक विदेशी साहाय्य द्वारा पोषित होते रहे तथा जनता पर अनेक प्रकार के शोषण किए गए। यह राष्ट्र प्रारंभ से ही गरीब रहे हैं, परंतु अधिकांश राष्ट्रों में स्वतंत्रता प्राप्त होने से आर्थिक विकास की घोर व्यापकता दिखी। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक, विकास संध एवं बिन नियम की स्थापना से एशिया के अधिकांश पिछड़े हुए राष्ट्रों को पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है, फिर भी इन राष्ट्रों की विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एशियाई विकास बैंक की स्थापना की आवश्यकता को अनुभव किया गया। अतः दिसंबर, 1963 में मनीला में एक आर्थिक सम्मेलन हुआ जिसमें एशिया के विकास के लिए पूंजीकृत बैंक की स्थापना के संबंध में विचार किया गया तथा ऐसी संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया। एशिया एच सुडूर पूर्व के आर्थिक सहयोग (Ecafc) ने इस प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करते एक कार्यकारी समिति या निर्माण किया जिसने अपनी रिपोर्ट 1965 में वॉशिंगटन में होने वाली आर्थिक सभा के सम्मुख प्रस्तुत की। इस सभा में एक सलाहकार समिति नियुक्त की गई, जिसने अपना दौरा करके एक समझौता पत्र तैयार किया, जिसे इकैके के द्वितीय अधिवेशन में 1965 में स्वीकार कर लिया गया जिस पर 31 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा इस बैंक का कार्य 19 दिसंबर से प्रारंभ किया गया। 31 दिसंबर, 1967 को स्विटजरलैंड भी इसका सदस्य बन गया, जिससे इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 32 हो गई।

### एशियाई विकास बैंक के उद्देश्य एवं कार्य

इस बैंक के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य निम्न प्रकार थे—

- (1) विनियोग को प्रोत्साहित करना—बैंक का उद्देश्य देना में सरकारी एवं निजी विनियोग को प्रोत्साहित करना होता है।
- (2) व्यापार को बढ़ावा—बैंक विदेशी एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के प्रयास करेगा।
- (3) विकास बिल प्रदान करना—बैंक द्वारा अपने साधनों का प्रयोग सदस्य राष्ट्रों की विकास योजनाओं के लिए आवश्यक विनीय साधन प्रदान करना है व साथ ही उन विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता प्रदान की है जो समूचे राष्ट्र का आर्थिक विकास कर सकें।
- (4) सहायता प्रदान करना—बैंक का उद्देश्य एशिया के राष्ट्रों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहायता प्रदान करना होता है।
- (5) तकनीकी सहायता—यह बैंक विकास योजनाओं कार्यक्रमों की तैयारी आदि के लिए भी तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

(6) समन्वय स्थापित करना—बैंक मदस्य राष्ट्रों की विकास नीतियों एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करके साधनों के अधिकतम उपयोग करने के प्रयास करता है।

(7) सहयोग प्रोत्साहित करना—बैंक का प्रमुख कार्य एकेडे के क्षेत्र में विकास व सहायता को प्रोत्साहित करना है जिससे आर्थिक विकास शीघ्र संभव हो सके।

(8) अन्य संगठनों से सहयोग—बैंक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थापित किए गए अन्य संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करना है।

(9) अन्य कार्य—बैंक का उद्देश्य विकास में संबंधित अन्य समस्त कार्य भी करता है। इस प्रकार से एशियाई विकास बैंक का मुख्य कार्य इसके क्षेत्र के देशों के आर्थिक विकास में आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है एशिया के आर्थिक विकास देशों में इन तत्वों का समावेश पाया जाता है और उसी पूर्व इस बैंक द्वारा की जाती है।

## सदस्यता

एशियाई विकास बैंक में निम्न राष्ट्र सदस्य हो सकते हैं—

- (1) इनफे के सदस्य राष्ट्र।
- (2) इनफे के संयुक्त सदस्य राष्ट्र।
- (3) संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसमें संबद्ध संस्था के सदस्य।
- (4) अन्य विकसित राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र सघ या अन्य संस्था के सदस्य हैं।

जिनकी भी राष्ट्र को इस बैंक का सदस्य उसी समय बनाया जा सकता है, जबकि बैंक के कूल गवर्नरों का 2/3 भाग, जिनके पास कम से कम 2/3 मतदान समता हो, उस राष्ट्र को सदस्य बनाने के पक्ष में हों व सिफारिश करें। वर्तमान समय में इस बैंक में 35 राष्ट्र सदस्य हैं। इनमें से 21 सदस्य सुदूर-पूर्व-क्षेत्र एवं शेष 14 सदस्य बाहरी क्षेत्र में हैं।

## पूजी व्यवस्था

बैंकों की अधिष्ठित पूजी 1100 मि० डालर है जिसमें से 1004 मि० डालर की पूजी बिक चुकी है। इसमें से आधी पूजी प्रदान पूजी है। साधनों में वृद्धि करने के लिए बैंक पूजी में वृद्धि या श्रृंखला पधों को बंध सकता है। इस बैंक ने धनी तक तकनीकी सहायता विशेष कोष, कृषि विशेष कोष एवं बहुउद्देशीय विशेष कोष का निर्माण किया है। इस बैंक ने धनी तक कोई श्रृंखला पध नहीं बंधे हैं। इसकी पूजी का 60% भाग एशियाई राष्ट्रों द्वारा तथा 40% भाग अन्य राष्ट्रों द्वारा सरोदा आ सकता है। बैंक की कूल पूजी का 38% भाग एशिया के बाहर के राष्ट्रों द्वारा सरोदा गया है यह राशि 380 मि० डालर है। चूंकि पूजी का आधा भाग स्वर्ण में या परिवर्तित मुद्रा में 5 बिल्लियों में तथा शेष आधा भाग धनी मुद्रा में दिए जाने की व्यवस्था है। अमेरिका व जापान प्रत्येक का अंशदान 200 मि० डालर है, भारत का अंशदान 93 मि० डालर है। आस्ट्रेलिया का अंशदान 85 मि० डालर है। इस प्रकार बैंक के अमेरिका जापान एवं भारत सबसे बड़े हिस्सेदार हैं।

पूजी के प्रतिरिक्त बैंक श्रृंखला द्वारा धन ले साधनों में वृद्धि कर सकता है। बैंक के विशेष कोषों में विकसित देशों में भी अनुदान प्राप्त किए जा सकते हैं। जब तक कृषि विशेष कोष, तकनीकी सहायता विशेष कोष, एक बहु-उद्देशीय विशेष कोष की स्थापना की जा चुकी है। एशियाई विकास बैंक द्वारा अभी तक कोई श्रृंखला-पध नहीं बंधे गए हैं।

## प्रबंध व्यवस्था

बैंक का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इनके गवर्नर बोर्ड में एक गवर्नर एवं एक वैकल्पिक गवर्नर नियुक्त करता है। यह बोर्ड महासचिव अथवा निर्विकल करता है जिसमें 10 ध्यक्षित होते हैं। इनमें 7 संभावक एशियाई राष्ट्रों के तथा 3 संभावक अ-एशियाई राष्ट्रों में लिए जाते हैं। एशियाई राष्ट्र का आधिकारिक, जो गवर्नर महकम में हो वह अध्यक्ष का



चुनाव भी करते हैं जो संचालक मण्डल का सभापति तथा स्टाफ का प्रमुख अधिकारी होता है। मतों का 80% भाग सदस्यों में उनके हिस्सों के अनुपात में तथा दोष 20% सब सदस्यों में समान रूप से बाटा जाता है। भारत, जापान एवं फ्रांस्त्रेनिया को संचालक मण्डल में उनके प्रयोगदान के आधार पर चुना गया है। इनके गैर-क्षेत्रीय संचालकों में इंग्लैण्ड, फ्रैन्सिसा एवं प० जर्मनी हैं। क्षेत्रीय संचालक 10% अंश पूजी के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। क्षेत्रीय संचालक फ्रैन्सिसा, प० कोरिया एवं फिलीपाइन हैं तथा गैर-क्षेत्रीय संचालकों में इंग्लैण्ड, फ्रैन्सिसा एवं प० जर्मनी हैं। स्टाफ को निम्नलिखित शैक्षणिक विवरण को ध्यान में रखकर किया जाता है। जापान के टाकेशी वाटानाबी (Takeshi Watanabe) को 5 वर्ष के लिए इस बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। 1968 में फ्रांस्त्रेनिया के विलियम मेकमोहन (William McMohan) को चेयरमैन चुना गया था।


### बैंक के कार्य

यह बैंक अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रवर्तन में वृद्धि करेगा। इसका प्रबंध एवं संचालन एशिया के राष्ट्रों द्वारा ही किया जाता है। पूंजी की कमी के कारण एशिया के राष्ट्र अपने देश का आर्थिक विकास करने में असमर्थ रहे हैं। यह बैंक एशिया के राष्ट्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। बैंक के क्षेत्र में वृद्धि, उद्योग एवं शक्ति आदि को सम्मिलित किया जाता है। यह बैंक 6% वार्षिक की दर से व्याज वसूल करता है। बैंक द्वारा 20-25 वर्ष की दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण दिए जाते हैं।

### बैंक की कार्य-प्रणति

एशियाई विकास बैंक की कार्य-प्रणति निम्न प्रकार है—

#### एशियाई विकास बैंक की कार्य-प्रणति



(1) वित्त एवं ऋणों का भावदण्ड—यह बैंक सदस्य राष्ट्रों के विभिन्न योजनाओं में ही वित्त-व्यवस्था करता है। योजनाओं का चुनाव करते समय राष्ट्र को आवश्यकताओं एवं विकास की धोर भी विवेक ध्यान दिया जाता है। किसी भी राष्ट्र द्वारा प्राप्त उद्योग जाने पर बैंक उद्योग विवेक में विनियोग नहीं करेगा। ऋण उचित शर्तों पर दिए जाएँ त्रिम में दायित्व के मुदतान को सामर्थ्य को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(2) बैंकिंग सिद्धांतों का पालन—बैंक अन्तरी माल को बढ़ाने एवं द्वितीय श्रेणियों को प्राकृतिक करने के उद्देश्य से दुर्नम ऋण नीति का पालन करता है तथा अपने कार्यों का संचालन मुद्रु बैंकिंग सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है।

(3) वित्त व्यवस्था—यह बैंक सदस्य राष्ट्रों के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो कि अन्तरी चुनना पूंजी में से प्रत्यक्ष रूप में ऋण देकर या पूंजी बाजार में ऋण लेकर मासोदार होकर धन उपार दिया जाता है। वह बैंक ऋणों की गारंटी भी देता है। यह वृद्धि, उद्योग एवं विद्युत शक्ति के लिए 6% व्याज पर 20 से 25 वर्ष के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है।

(4) विनियोगों का उपयोग—विनियोगों एवं ऋणों का उपयोग केवल सदस्य राष्ट्रों में उल्लासित वस्तुएं कर करने में ही किया जा सकता है। गैर-सदस्य राष्ट्रों में विनियोग के लिए संचालकों में से दुः संचालकों की स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है।

नीति निर्धारित करने वाले सिद्धांत—सदस्य देशों की विभिन्न स्थितियों में जो आर्थिक सहायता एशियाई विकास

बैंक द्वारा प्राप्त हो जाती है, उसका निर्धारण निम्न सिद्धांतों पर आधारित है —

- (i) बैंक के कार्य का संचालन व्याज की दर का निर्धारण लाभ अर्जित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।
- (ii) बैंक सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं के लिए आर्थिक सहायता दे सकता है ।
- (iii) बैंक छोटे देशों को विशेष लाभ पहुंचाने के प्रयास करता है ।
- (iv) बैंक क्षेत्रीय महत्व की विशिष्ट योजनाओं के लिए ही आर्थिक सहायता प्रदान करता है ।
- (v) जिन देशों को अन्य स्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती है, उन्हें आर्थिक सहायता देने में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है ।
- (vi) ऋण प्रदान करते समय ऋणों की अदायगी की संभावना पर भी विचार किया जाता है ।

### बैंक का महत्व

एशियाई विकास बैंक के महत्व को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

- (1) स्थिरता—इस बैंक की स्थापना में संपूर्ण एशिया में आर्थिक विकास हो रहा है जिसमें समस्त देशों में राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिरता में वृद्धि हो गई है ।
- (2) गैर-क्षेत्रीय राष्ट्रों का योगदान—बैंक की स्थापना में अद्विकसित क्षेत्रीय सदस्यों एवं गैर-क्षेत्रीय विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास में विकास के प्रवर्तन प्राप्त हो रहे हैं ।
- (3) क्षमता में वृद्धि—पश्चिम के विकसित राष्ट्रों द्वारा एशियाई राष्ट्रों को वित्तीय सहायता देने में बैंक की वित्तीय क्षमता में अत्यंत वृद्धि हुई है । इसने अमेरिका पर भी सहायता का भार कम हो गया है ।
- (4) महत्वपूर्ण संस्था—अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भीमिक्त भाषाओं में ही ऋण प्रदान किया जाता था । एशियाई राष्ट्रों को आर्थिक विकास के लिए दुर्लभ मुद्रा में वित्तीय साधनों के प्राप्त होने से इस बैंक को एक महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है ।
- (5) बहुपक्षीय सहायता—इस बैंक की स्थापना ने एशिया के राष्ट्रों को वित्तीय सहायता बहुपक्षीय समझौते के आधार पर प्राप्त होनी है जिससे विश्व के अन्य राष्ट्र भी एशिया के राष्ट्रों के विकास में योगदान देने लगे हैं ।
- (6) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग—यह बैंक एशिया के राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक आवश्यक व लाभप्रद संस्था मानी जाती है । भारत इस बैंक का सदस्य होने के कारण बैंक से अनेक प्रकार की सहायता प्राप्त करता है ।

### तकनीकी सहायता

यह बैंक आर्थिक सहायता के अतिरिक्त तकनीकी सहायता भी निम्न कार्यों के लिए देता है—

- (i) कृषि, उद्योग एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में कामेंरत उपक्रमों को तकनीकी सहायता प्रदान करना ।
- (ii) प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय विकास के लिए योजना निर्माण करना तथा उनके लिए माधनों की उचित व्यवस्था करना ।
- (iii) बैंक द्वारा विशेषज्ञों के दल को भेजने की व्यवस्था करना ।

### प्रगति

19 दिसंबर, 1975 को इस बैंक ने अपने 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं । इस अवसरार्थ में बैंक की उपसभियों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

- (1) संपटन का कार्य—बैंक ने अपने संपटन संबंधी कार्य को पूर्ण कर लिया और अपने अपनी आर्थिक पूंजी का 978 वि० कायम प्राप्त कर लिया है जिसका 60% मात्र 19 राष्ट्रों द्वारा प्रदान किया गया है ।

- (2) धारमदनी—बैंक को 1969 में 5.5 मि० डालर की शुद्ध धारमदनी हुई है जबकि 1968 में यह धारम 2.1 मि० डालर थी।
- (3) ऋण—31 दिसंबर, 1969 तक बैंक ने 27 ऋण 139 मि० डालर स्वीकृत किए।
- (4) व्याज दर—साधारण पूंजी से दिये गये ऋणों पर 6 $\frac{1}{2}$ % तथा कोष में से दिये गये ऋणों पर 1 $\frac{1}{2}$ % से 3% तक व्याज लिया गया।
- (5) कृषि सर्वेक्षण—सदस्य देशों ने कृषि को महत्त्व दिया, धन: बैंक ने कृषि सर्वेक्षण प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य कृषि विकास के योगदान को ज्ञात करना है।
- (6) क्षेत्रीय परिवहन सर्वेक्षण—मनेशिया सरकार की प्रार्थना पर इस बैंक ने क्षेत्रीय परिवहन सर्वेक्षण प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य परिवहन के विकास की संभावनाओं का अध्ययन करना था।
- (7) वित्तियोग—1969 के घंटे में बैंक के कुल वित्तियोग 225 मि० डालर थे।
- (8) तकनीकी सहायता—10 राष्ट्रों को 2.23 मि० डालर की तकनीकी सहायता दी गई।
- (9) बौद्ध को विक्री—बैंक ने प्रथम बार 1969 में बौद्धों की विक्री की, जिनकी राशि 60 मि० डालर थी इन पर व्याज 7% व धर्मार्थ 15 वर्ष निश्चित की गई।
- (10) वित्तीय साधन—बैंक की साधारण पूंजी 401 मि० डालर थी, जिसमें से 340 मि० डालर परिवर्तनशील मुद्रा से थी।
- (11) वित्तीय विकास—बैंक ने एशिया के राष्ट्रों के वित्तीय विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋण प्रदान किए, जिसमें से कुछ भाग साधारण पूंजी के रूप में भी लगाया गया।

### भारत एवं एशियाई विकास बैंक (India and A. D. B.)

भारत में बैंक के साधनों का सीमित मात्रा में ही उपयोग किया गया है, फिर भी यह बैंक देश के विकास में सहायक रहा है। इस संबंध में मुख्य बातें निम्न हैं—

(1) ऋण उत्पादन में सहायक—एशियाई विकास बैंक भारत में साक्षात् उत्पादन में विशेष सहायक विद्य हो सकता है। देश का कृषि विकास मिर्चाई, विद्युत, उर्वरक एवं अन्य साधनों की सुलभता पर निर्भर करता है। ऐसी परिस्थिति में देश के वित्तीय विकास के लिए यह आवश्यक है कि विकास बैंक द्वारा इच्छी योजनाओं के विकास पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। एशियाई विकास बैंक विभिन्न राष्ट्रों के विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने में सहायता प्राप्त कर सकता है।

(2) प्रविष्टि स्थिति में सुधार—भारत का व्यापार संतुलन प्रविष्टि स्थिति में है। आयात की मात्रा अधिक परंतु निर्यात की मात्रा कम रही है जिससे व्यापार संतुलन की स्थिति प्रतिकूल रही है। इस स्थिति को सुधारने के लिए बैंक द्वारा ऐसे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए जिसमें उत्पादन में वृद्धि होकर आयात में कमी हो गई। इसके प्रतिरुद्ध कृषि से संबंधित उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिससे निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा अर्जित हो जा सकता है। धुगमान संतुलन की स्थिति को सुधारने के लिए इस बैंक ने पर्याप्त सहायता प्रदान की है।

(3) स्थिति भूगतान पद्धति—निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशों में मशीनों आदि के धाधान के लिए स्थिति भूगतान पद्धति की विधि को अपनाया गया।

(4) पूंजीगत वस्तुओं में उत्पादन वृद्धि—भारत में पूंजीगत वस्तुओं में धन वित्तियोग करने के लिए वित्तीय साधनों का अभाव पाया जाता है। जिसे बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करके समस्त कार्य सुगमता से किए जा सकते हैं। यह बैंक भारत को मदद करता है।

## वर्तमान स्थिति

बैंक को 54 मि० डालर का ऋण 3 राष्ट्रों द्वारा प्रदान किया गया जिससे सरल व कम ब्याज दरों पर विकासशील एशियाई राष्ट्रों को ऋण प्रदान किए जा सकें। इस ऋण में से 30 मि० डालर जापान ने दिए हैं। यह निर्णय बैंक के गवर्नर मण्डल के तृतीय मीटिंग में लिया गया। यह धन, एक विशेष बैंक कोष में जमा किया गया जो अधिकृत राष्ट्रों को सामान्य ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेगा। इस कोष द्वारा 8 विकासशील योजनाओं के लिए 23 मि० डालर की राशि दी जा चुकी है। इस बैंक द्वारा पर्यटक विभाग के विकास की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है तथा परिवहन सेवाओं के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋण दिया जा चुका है। इस बैंक द्वारा एक क्षेत्रीय परिवहन सर्वेक्षण किया जा रहा है जो भ्रमण वेस वनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्यक्रमों का निर्माण करेगा। इस सर्वेक्षण द्वारा उद्योग, खनिज, जंगल, मछली, कृषि एवं पर्यटक क्षेत्र से संबंधित परिवहन आवश्यकताओं का अध्ययन किया गया है। इसके प्रतिरिक्त मानवीय साधनों पर विनियोग की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। एशिया के प्रत्येक देश में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है जिसका प्रायः अभाव पाया जाता है। अतः ऋण प्रदान करते समय व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया जाता है। अगस्त 1970 तक बैंक की प्राप्ति पूंजी 488.6 मि० डालर हो गई जिसमें से 411.1 मि० डालर परिवर्तित मुद्रा के रूप में थी। इसके प्रतिरिक्त बैंक ने 1969 में 15 मि० डालर टच मार्क एवं 5 मि० डालर के बराबर फ्रास्ट्रैलियन शिल्लिंग के बराबर भंडाव जारी किए। बैंक ने ऋण देने के अधिक वायदे किए हैं, परंतु साधनों के अभाव के कारण उन्हें पूर्ण करना संभव नहीं है। अतः उदार ऋणों के लिए बैंक के विशेष कोष में भंडावदान देना आवश्यक हो गया है। ब्रिटेन ने 1970-73 की अवधि में इस कोष में 6 मि० स्टैनिंग के बराबर भंडावदान करने की घोषणा की।

एशिया के अधिकृत राष्ट्रों को समस्या के समाधान के लिए बैंक ने विशेष कोष का निर्माण किया है जिसमें ब्रिटेन ने 6 मि० पौण्ड, जापान ने 30 मि० डालर एवं फ्रास्ट्रैलिया ने 10 मि० डालर की राशि का भंडावदान किया है। इसके प्रतिरिक्त इस कोष में भंडावदान करने के लिए भारत, फिलीप, नीडरलैंड, पाकिस्तान एवं स्विटजरलैंड ने भी वायदे किए हैं। इस धन का उपयोग सदस्य राष्ट्रों के मुद्रातान संतुलन की समस्या के समाधान पर ध्यान दिया जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान जैसे विकासशील राष्ट्रों ने बैंक के तकनीकी सहायता विशेष कोष (Technical Assistance special fund) में भंडावदान देकर यह सिद्ध कर दिया है कि विकसित राष्ट्र ही नहीं बल्कि विकासशील राष्ट्र भी स्वयं विकास के लिए प्रयास कर सकते हैं। बैंक के अध्यक्ष का कथन है कि सिंगल (Seoul) मीटिंग में सदस्य राष्ट्रों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर बैंक का गवर्नर मण्डल शीघ्र ही विचार करेगा। बैंक के सदस्य राष्ट्र तकनीकी शिक्षा के दित की ओर विशेष रुचि से रहे हैं बैंक का ऋण योजना के धरेलू एवं विदेशी विनियम को सम्मिलित करते हुए उपयोग किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बैंक को सिफारिस की कि ऋण व सहायता साधनों का उपयोग सरल ऋणों (Soft Loans) के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें ब्याज दर कम हो तथा अवधि दीर्घकालीन हो। ब्रिजियम एवं नीदरलैंड का विचार है कि ऋण देने में विशेष कोष का उपयोग किया जाना चाहिए। बैंक को अपने ऋणों का उपयोग सुविधाजनक व सरल शर्तों पर देना चाहिए जिससे एशिया के अधिकृत राष्ट्रों का शीघ्रता से विकास किया जा सके।

एशियाई विकास बैंक के तकनीकी सहायता विशेष कोष में अगस्त में 21 लाख रूपए का भंडावदान घोषित किया है, जिसका उपयोग भारत में तकनीकी सहायकार एवं विशेषज्ञों के रूप में उपयोग किया जायेगा। इस बाप में फ्रास्ट्रैलिया, ब्रिटेन, जापान एवं सं० रा० अमेरिका ने भी भंडावदान दिए हैं।

इस बैंक ने एक नवीन योजना प्रारंभ की है जिसमें बैंक ऋण के धारकों का इन्तजार किए बिना ही अपने विशेषज्ञों को एशिया के अधिकृत एवं विकासशील राष्ट्रों को भेजकर वहां अपने ऋण के उपयोग संबंधी योजनाओं का सुझाव देगा है। इस संबंध में निर्धारित यज्ञाने वाले राष्ट्र—K.M.T., चीन, दक्षिणी कोरिया एवं हांगकांग का आधिकारिक दृष्टि से शीघ्र गति से विचार हो रहा है। जापान ने अपने देन का आर्थिक विकास संतोषप्रद कर लिया है। बैंक के पाय मीटिंग साधन होने के कारण सुवम ऋण सीमित मात्रा में ही दिए गए हैं, परंतु भविष्य में दुर्लभ ऋण कोष में भी यह ऋण दिए जा सकेंगे। दुर्लभ ऋण कोष में 420 मि० डालर की राशि थी। भविष्य में बैंक बाह्य राष्ट्रों

से पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त कर सकेगा तथा 1969 में बैंक ने बौद्ध निर्मित करने के लिए के रूप में कार्य किया।

वर्तमान समय में एशियाई विकास बैंक एक ऐसी नीति का निर्धारण कर रहा है, जिसमें ऋण प्राप्त करने वाले राष्ट्र की विविधताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से सहायता देने के प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार यह बैंक एशिया के अर्थव्यवस्थाएँ एवं विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए अनेक प्रकार की सुलभ बातों पर ऋण देने के प्रयत्न कर रहा है। धारणा है इन राष्ट्रों को विकास के लिए पर्याप्त धन प्राप्त हो सकेगा।

### बैंक की कठिनाइयाँ

एशियाई विकास बैंक की प्रमुख कठिनाइयों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

- (1) द्विपक्षीय समझौते में कमी—यह धारणा व्यक्त की गई कि विकसित राष्ट्रों से एशिया के द्विपक्षीय समझौते में कमी हो जाएगी।
- (2) क्षेत्रीय प्रतियोगिता—बैंक को क्षेत्रीय प्रतियोगिता से आर्थिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- (3) अर्थात् पूंजी—बैंक के पास पूंजी की कमी के कारण उसके कार्यक्रमों में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
- (4) स्थानीय मुद्रा में संशोधन—अनेक राष्ट्रों द्वारा स्थानीय मुद्रा में संशोधन देने में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं और इनका प्रयोग सीमित मात्रा में ही किया जा सकता है।

### घातोचनाएँ

एशियाई बैंक की प्रमुख घातोचनाओं को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

- (1) अतिवृद्धि हस्तक्षेप—यह बैंक कमी भी राष्ट्र के उद्योगों में साधारण पूंजी के रूप में धन का विनियोग कर सकता है। इस प्रकार विदेशी पूंजी के विनियोजन से उन राष्ट्र के उद्योगों के प्रदूषण में अत्यधिक हस्तक्षेप होने के भय बने रहते हैं, जिनमें देश का आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाता।
  - (2) भारत का अल्पमत—इस बैंक में भारत का संदेव ही अल्पमत रहेगा, क्योंकि अमेरिका एशिया के छोटे राष्ट्रों के समर्थन में समूचे बैंक पर छा जाएगा और अपनी नीति से बैंक को कार्यप्रणाली को प्रभावित करेगा तथा राजनीतिक कुचक्रों का विस्तार अन्य राष्ट्रों को बनाएगा। अधिक धनदान देने में अमेरिका बैंक के अनासक्त मण्डल का स्थायी सदस्य बना रहेगा जिसे जापान व फ्रांस्त्रिंका जैसे सदस्यों एवं अफिरानाई सं-क्षेत्रीय सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त होता रहेगा। इसमें अमेरिका का बैंक पर प्रभाव पड़ने की संभावना बड़ जाएगी।
  - (3) सरकारी क्षेत्र की उपेक्षा—बैंक में अमेरिका का अधिक प्रभुत्व होने में यह भय बना रहता है कि भारतीय सरकारों को उपेक्षा की जाएगी जिनमें भारत के समाजवादी मन्त्र के सदस्य की प्राप्ति न हो सकेगी। इस संबंध में निजी क्षेत्र के उद्योगों के विकास की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है।
- बैंक के सफल सौमित्र होने हुए भी एशिया के अर्थव्यवस्थाएँ राष्ट्रों के विकास में इस बैंक का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बैंक अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग बढ़ाने एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करने में अनेक सहयोग देगा तथा एशिया के अर्थव्यवस्थाएँ एवं विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास में सहयोग देगा। धारणा है अन्तिम में बैंक एशिया के विकासशील देशों के आर्थिक विकास में पूर्ण रूप में योगदान देगा।

## स्टर्लिंग एवं डालर क्षेत्र (Sterling and Dollar Areas)

### प्रारंभिक

किसी देश की मुद्रा का संबंध स्टर्लिंग से होने की व्यवस्था को ही स्टर्लिंग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसमें प्रायः भूगतान एवं व्यापार स्टर्लिंग में ही किया जाता है। द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व विश्व में ब्रिटेन ही एक ऐसा राष्ट्र था जिसका साम्राज्य दूर-दूर तक फैला हुआ था। ब्रिटेन का व्यापार विश्व के अधिकांश राष्ट्रों से होने के कारण लंदन विश्व का एक प्राकार्यक वित्तीय केन्द्र बना हुआ था जहाँ प्रत्येक बैंक अपनी प्रतिरिक्त पूंजी रखकर समस्त पारस्परिक लेन-देनों को स्टर्लिंग की सहायता से निपटाता था तथा उन्हीं के खातों में स्टर्लिंग की कमी या वृद्धि कर दी जाती थी। जो राष्ट्र स्टर्लिंग के माध्यम से लेन-देन करते थे वे स्टर्लिंग क्षेत्र के नाम से जाने जाने लगे। परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटेन की स्थिति खराब हो गई। युद्धोपरान्त अनेक उपनिवेश स्वतंत्र हो गए जिसमें ब्रिटेन के व्यापार एवं भाव में हानि हुई। परिणामस्वरूप ब्रिटेन अब पहले की भांति अधिक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं रहा। इसके विपरीत सं० रा० अमेरिका की प्राथिक शक्ति में वृद्धि हो रही थी और न्यूयार्क विश्व का श्रेष्ठतम वित्त केंद्र बन गया था, जिससे ब्रिटेन की अपेक्षा न्यूयार्क में घन एकत्रित एवं जमा होने लगी; फलस्वरूप डालर की मांग बढ़ने से डालर एक दुर्लभ मुद्रा बन गया। डालर का बाजार में सदैव अभाव बना रहा तथा सं० रा० अमेरिका का भूगतान संतुलन सदैव पक्ष में ही बना रहा। वर्तमान समय में अमेरिका डालर के प्रतिरिक्त स्विस फ्रैंक एवं जर्मन मार्क भी दुर्लभ मुद्रा में ही गिने जाते हैं।

### स्टर्लिंग क्षेत्र (Sterling Area)

ऐसे समस्त राष्ट्र जो अपने विदेशी भूगतान पौण्ड-स्टर्लिंग में करें तथा अपनी मुद्रा का संबंध भी स्टर्लिंग से हो जोड़ें तो उन्हें स्टर्लिंग क्षेत्र कहेंगे। स्टर्लिंग क्षेत्र के अंतर्गत प्रायः संबंधित राष्ट्र अपने विदेशी विनिमय कोषों को लंदन में रखते हैं तथा समस्त अंतर्राष्ट्रीय भूगतान भी स्टर्लिंग में ही करते हैं। इन राष्ट्रों की विनिमय दरें भी स्टर्लिंग से जुड़ी रहती हैं जिनमें ब्रिटेन की महमति से ही परिवर्तन किया जा सकता है। स्टर्लिंग क्षेत्र के राष्ट्रों में प्रायः व्यापार एवं भूगतान संतुलन स्टर्लिंग में ही किया जाता है तथा बाहर के देशों में पौण्ड-स्टर्लिंग कोष भी रखे जाते हैं। ऐसा करने में विदेशी भूगतान में अनेक सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं।

### विकास

1930 तक स्टर्लिंग क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं था, किन्तु ब्रिटेन साम्राज्य के सभी राष्ट्रों के ब्रिटेन से अनेक व व्यापारिक व्यापारिक संबंध थे। 1931 में ब्रिटेन ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया, फलस्वरूप साम्राज्य के राष्ट्रों ने स्टर्लिंग में संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से स्टर्लिंग विनिमय मान को अपनाया। द्वितीय विश्वयुद्ध काल में ब्रिटेन के गमन्य बहुोपी राष्ट्रों ने विनिमय नियंत्रण समाप्त कर दिया तथा जिनसे स्टर्लिंग में भूगतान करना सुविधाजनक हो गया और सभी समय से स्टर्लिंग क्षेत्र को मान्यता मिली। हम क्षेत्र में साम्राज्य के बाहर के राष्ट्र भी महत्व देने हैं जिन्होंने

घरना संबंध स्टलिंग से ही बनाए रखा। बहुमुखी समझौता होने से दो कार्य अपनाए गए—प्रथम विश्व में यूरोपीय भुगतान संघ की स्थापना की गयी तथा द्वितीय मुद्रा क्षेत्र की स्थापना हुई, जिसमें स्टलिंग क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। बहुमुखी समझौते ने दो दिशाएं अपनाई, प्रथम में यूरोपीय भुगतान संघ की स्थापना हुई तथा द्वितीय में मुद्रा क्षेत्रों की स्थापना हुई, जिसमें स्टलिंग क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है।

कौन्त ने स्टलिंग क्षेत्र के राष्ट्रों को निम्न भागों में विभाजित किया—

- (1) ब्रिटेन एवं प्रायश्चित्त गणराज्य जो पूजी विनियोजन की व्यवस्था करते हैं।
- (2) दक्षिणी अफ्रीका एवं दक्षिणी रोडेसिया जो स्वयं उत्पादक राष्ट्र हैं।
- (3) ब्रिटेन के उपनिवेश राष्ट्र जो डालर अर्जित कर सकते हैं।
- (4) आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड जो कृषि एवं अन्य मामल पर धन का विनियोग करते हैं।
- (5) रुपया क्षेत्र वाले राष्ट्र—भारत, पाकिस्तान व लका।
- (6) अन्य क्षेत्र जिसमें बर्मा, ईराक, आइसलैंड आदि को सम्मिलित किया जाता है।

## विशेषताएं

स्टलिंग क्षेत्र की 1939 तक प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार रहीं—

- (1) घनिष्ठ संबंध—ब्रिटेन से इन राष्ट्रों के घनिष्ठ व्यापारिक संबंध बने रहे।
- (2) कोय संदन में—ये राष्ट्र अपने विदेशी विनियम कोय संदन में ही रखते थे।
- (3) सारों की निबन्धा—इन क्षेत्र के राष्ट्र अपने लेनदेन का निबन्धा लंदन के द्वारा ही किया करते थे।
- (4) व्यापक मददपता—इन क्षेत्र की मददपता बहुत व्यापक थी तथा इनमें प्रत्येक राष्ट्र सम्मिलित किए जाते थे।
- (5) संबंध—पीछे एवं डालर में घनिष्ठ संबंध होने से इनमें विनियम दर में परिवर्तन होते रहते थे।
- (6) स्टलिंग से संबंध—इन क्षेत्र के राष्ट्रों में अपनी मुद्रा का संबंध स्टलिंग से जोड़ लिया था।
- (7) समूह—यह विभिन्न राष्ट्रों का एक समूह था।

## वर्तमान क्षेत्र की विशेषताएं

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् स्टलिंग क्षेत्र में घने परिवर्तन हो गए जिससे उनकी विशेषताएं परिवर्तित हो गईं। वर्तमान समय में स्टलिंग क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं—

- (1) नियंत्रणों में कमी—स्टलिंग क्षेत्र से संबंधित सभी राष्ट्र अपने राष्ट्र के विदेशी विनियम पर न्यूनतम नियंत्रण रखते हैं।
  - (2) पूजी निर्यात पर रोक—इन क्षेत्र के बाहर के राष्ट्रों को पूजी के निर्यातों पर बंदो प्रतिबंध लगाए जाने थे।
  - (3) नियंत्रण कोय—मददय राष्ट्रों द्वारा अर्जित की गई मदद दुर्लभ मुद्रा को एक पृथक् से नियंत्रण कोय में रखा दिया जाता है।
  - (4) भुगतान व्यवस्था—स्टलिंग क्षेत्र के बाहर के राष्ट्रों को भुगतान करने के लिए सीमित मात्रा में ही दुर्लभ मुद्रा उपलब्ध हो सकती है।
  - (5) स्वतंत्रतापूर्वक भुगतान—क्षेत्र के घंटे भुगतान प्रायः स्वतंत्रतापूर्वक किए जाते हैं।
  - (6) सीमित धारण—डालर एवं दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्रों से धारण सीमित कर दिया जाता है, जिसमें उन राष्ट्रों के साथ भुगतान संतुलन की समस्या न हो पावे तथा भुगतान संतुलन प्रतिष्कृत न हो सकें।
- स्टलिंग क्षेत्र का संयुक्त विश्व में अपना एक प्रभावशाली पृथक् अस्तित्व था तथा उसमें भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाता था।

### स्टलिंग क्षेत्र के लाभ

स्टलिंग क्षेत्र के निर्माण से अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं जो कि निम्न है—

(1) भूगतान में सुविधा—लंदन एक केंद्रीय बैंक की भांति कार्य करता है जहां क्षेत्र के सभी राष्ट्र अपनी राशि जमा कर देते हैं तथा लंदन के माध्यम से ही आपसी भूगतानों को संपन्न कर दिया जाता है।

(2) संयुक्त परिवार—स्टलिंग क्षेत्र को तुलना एक संयुक्त परिवार से की जा सकती है जिसमें समस्त राष्ट्र अपनी धातु को एक सामान्य निधि में जमा कर देते हैं जो सफट काल में निर्वस राष्ट्रों की सहायता प्रदान करता है।

(3) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग—यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मौरिक एवं आर्थिक सहयोग का एक संक्षिप्त रूप है ज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है।

(4) पूंजी विनियोजन सरल—स्टलिंग क्षेत्र के सदस्यों को पूंजी का विनियोजन करना अत्यंत सरल ए सुविधाजनक होगा है क्योंकि सदस्य राष्ट्र लंदन मुद्रा बाजार से पूंजी प्राप्त कर सकता है तथा मुद्रा बाजार की सेवाएं का लाभ सरलता में प्राप्त किया जा सकता है।

(5) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा—इस क्षेत्र के विभिन्न राष्ट्र आपस में एक-दूसरे के समीप भाते हैं तथा व्यापार आसानी भात की प्राप्ति सुविधा प्रदान करते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहजता मिलती है, परिणाम स्वरूप उनके व्यापार में प्रगति होती है।

(6) पूंजी का स्थानान्तरण सरल—स्टलिंग क्षेत्र के अंदर पूंजी का स्थानान्तरण सुविधापूर्वक कर दी जा सकता है, जिसमें स्वतंत्रता बनी रहती है।

### स्टलिंग क्षेत्र की समस्याएं

स्टलिंग क्षेत्र विभिन्न राष्ट्रों का गठबंधन होने से अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा है इन क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं निम्न हैं—

(1) डातल भूगतान समस्या—डातल भूगतान समस्या ने डातल आयात पर प्रतिबंधों की कटौती को अड़ता है।

(2) आतकारी का अभाव—डातल पूर्ति का अनुमान लगाने के लिए आतकारी का अभाव पाया जा रहा है जिससे आतृत्तिक कोष का प्रदानन अति दय में नहीं हो पाता।

(3) अतनीय नीति—ब्रिटेन की नीति सदस्य राष्ट्रों के लिए सतुयप्रदान होने से इस क्षेत्र के सदस्यों को अनुचित नहीं रह पाते।

(4) अतृत्तिक कोष की अतनीय नीति—ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र के प्रमुख राष्ट्र इंग्लैंड ने लंदन में अतृत्तिक कोष की अतनीय नीति से अतृत्तिक किया है, जिसमें अनेक अतृत्तिकों का सामना करना पड़ा।

(5) अतृत्तिक नीति में अतृत्तिक—स्टलिंग क्षेत्र के सदस्य राष्ट्र आतृत्तिक एवं आर्थिक दृष्टि से अतृत्तिक होने के कारण उनकी अतृत्तिक राष्ट्रीय नीतियां होती हैं जिनमें अतृत्तिकता पाए जाने के कारण अतृत्तिक अतृत्तिक नीति का अतृत्तिक करना अतृत्तिक हो जाता है जिनमें मौरिक अतृत्तिकों में अतृत्तिक स्थापित करना अतृत्तिक नहीं हो पाता।

(6) अतृत्तिक अतृत्तिक—अतृत्तिक राष्ट्रों द्वारा अतृत्तिक अतृत्तिक मुद्रा को लंदन में जमा करने पर अतृत्तिक मुद्रा अतृत्तिकता अतृत्तिक पर अतृत्तिक राष्ट्र को अतृत्तिक नहीं हो पाती और अतृत्तिक अतृत्तिक अतृत्तिक में अतृत्तिक राष्ट्रों में अतृत्तिक कर दिया जाता है, जिनमें राष्ट्रों को अतृत्तिक की अतृत्तिक कर दी जाती है।

(7) अतृत्तिक अतृत्तिक की अतृत्तिक—अतृत्तिक अतृत्तिक अतृत्तिक के अतृत्तिक अतृत्तिकों के अतृत्तिक होने से अतृत्तिक अतृत्तिक अतृत्तिक नीति का अतृत्तिक किया। इन राष्ट्रों को अतृत्तिक अतृत्तिक अतृत्तिक अतृत्तिकों की अतृत्तिक अतृत्तिक के अतृत्तिक अतृत्तिक से, अतृत्तिक अतृत्तिक इन राष्ट्रों में अतृत्तिक अतृत्तिक का अतृत्तिक पाया गया।

(8) अतृत्तिक अतृत्तिक अतृत्तिक—ब्रिटेन की अतृत्तिक अतृत्तिक अतृत्तिक अतृत्तिक होने से अतृत्तिक अतृत्तिक



संतोषप्रद रहा जिससे 1949 व 1967 में दो बार स्टलिंग का प्रबन्धन करना पड़ा।

### भारत की लाभ

स्टलिंग क्षेत्र के निर्माण से भारत को जो लाभ प्राप्त हुए वे निम्न हैं—

- (1) भुगतान की जिम्मेदारी—भारत को प्रत्येक देशों से घातराष्ट्रीय व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तथा भुगतान की जिम्मेदारी बैंक ऑफ इंग्लैंड पर शान दी गई।
- (2) पौड पावना—युद्धकाल में भारत ने काफी मात्रा में पौडी व अन्य उपभोग्य सामान इंग्लैंड को निर्यात किया जिसके बदले में पौड पावने एकत्रित हो गए जिन्हे बाद में वस्तुओं के आयात के रूप में प्रयोग किया गया।
- (3) पूँजी का हस्तांतरण संभव—भारत को प्रत्येक देशों से पूँजी के हस्तांतरण की सुविधा प्राप्त हुई जिससे भारत को घनेक प्रकार के लाभ प्राप्त हुए व पूँजी का हस्तांतरण सरल एवं सुविधाजनक हो गया।

### स्टलिंग क्षेत्र का भविष्य

स्टलिंग क्षेत्र के भविष्य की निम्न प्रकार रसा जा सकता है—

- (1) यूरोपीय साम्राज्य बाजार की सरस्यता—भारत राष्ट्रमंडल एवं स्टलिंग क्षेत्र से घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से ब्रिटेन यूरोपीय साम्राज्य बाजार का सरस्य नहीं हो पाया है क्योंकि साम्राज्य बाजार के राष्ट्र इंग्लैंड को समस्त सुविधाएं देने की तत्पर नहीं है। घट: ब्रिटेन अभी तक उस बाजार का सदस्य नहीं हो पाया है।
- (2) घातराष्ट्रीय संगठन—घातराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना के कारण संतन के मुद्रा एवं पूँजी बाजार का महत्व घट गया है जिससे स्टलिंग क्षेत्र की मांग भी घट गयी है।
- (3) ब्रिटेन का योगदान—स्टलिंग क्षेत्र में घातराष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र में व्यापार के विकास एवं भुगतान को सरल बनाने में उल्लेखनीय प्रयास किया है, जिससे ब्रिटेन को काफी स्वागत करना पड़ा है तथा इस बात पर भी ध्यान रसा गया है कि स्टलिंग क्षेत्र के किसी भी राष्ट्र को हानि न हो।
- (4) स्टलिंग क्षेत्र के अन्य राष्ट्र—इस क्षेत्र के अन्य राष्ट्र योजनाबद्ध आर्थिक विकास में सतत हैं और अधिक पूँजी, मशीन आदि के आयात पर निर्भर हैं, जो सुविधाएं उसे इंग्लैंड से प्राप्त नहीं हो पाएंगी। दूसरी ओर जर्मनी, जापान एवं अमेरिका अपना मास बेचने के लिए तत्पर हैं व घनेक प्रकार की ऋण सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं। इनके परिणाम प्रत्येक राष्ट्रों ने अपने पृथक् संघ का निर्माण कर लिया है जिससे स्टलिंग क्षेत्र के महत्व में कमी आने की संभावना है। घन: इसका भविष्य उज्ज्वल नहीं कहा जा सकता।

स्टलिंग के रूप में विदेश व्यापार की मात्रा में बहुत कमी हो गई है। द्वितीय विश्वयुद्ध के संतन में स्टलिंग क्षेत्र का व्यापार दुगुना था जो अब केवल 20% ही रह गया है। परंतु मूल्य की दृष्टि से इसमें 60% की वृद्धि हुई है और कुल व्यापार 25 बिलियन डॉड अथवा 60 बिलियन डाटर मूल्यवित्त किया गया। विदेश व्यापार में वृद्धि के पनसवरूप स्टलिंग में वित्तीय मूल्य में वृद्धि होगी। युद्ध के परभाव ब्रिटेन का विदेश-व्यापार में माग कम हो गया है, फिर भी ब्रिटेन का अधिकांश वित्तियोग नामतवैत्य के राष्ट्रों में ही केंद्रित है। 1966 तक स्टलिंग क्षेत्रों में वित्तियोग करने पर ब्रिटेन पर कोई प्रतिबंध नहीं था, 1968 में ब्रिटिश सरकार ने कोई भी प्रतिबंध न लगाने का निरन्धय किया है। स्टलिंग से बाहर के राष्ट्र क्षेत्रीय पूँजी के लिए इंग्लैंड पर निर्भर नहीं रहने।

भारत में भी वित्तियोग बतमान रहने-यौड स्टलिंग संघ के स्थान पर रुपये को 'मुद्रामो के बास्केट' (Basket of currencies) में मबद्ध करने का विचार कर रहा था। इसके लिए रुपये का विदेशी वित्तियोग मूल्य भारत के विदेशी व्यापार के भार के आधार पर निर्धारित हुआ। भारत ने वर्तमान में 1975 के लिए 201 वि० SDR निशाने है।<sup>1</sup>

(11) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक—यूरो-डालर का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में किया गया है जिससे भुगतान संतुलन में सुविधा हो गई है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपार वृद्धि हुई।

इस प्रकार यूरो-डालर का आविष्कार अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जिससे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सुविधाएं उत्पन्न हो गईं तथा अमरीकी अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, इससे बैंकों की क्रियाओं में वृद्धि होकर लाभ अर्जित करने की शक्ति में भी वृद्धि हुई। यूरो-डालर की सहायता से अविध्य में भी एशिया के व्यापार एवं बैंकिंग व्यवस्था को अधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो गई है।

## अमेरिकी निर्यात-बैंक एवं विकास ऋण कोष (Export Bank and Development Loan Fund of United States)

### प्रारम्भिक

विश्व के राष्ट्रों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है—प्रथम विकासशील राष्ट्र एवं द्वितीय विकसित राष्ट्र। विकासशील राष्ट्रों को प्रायः दीर्घकाल तक मशीनों एवं अन्य पूंजीगत सामान विदेशों से मंगवाना पड़ता है जिसका तत्काल भुगतान करना सम्भव नहीं हो पाता। विकासशील राष्ट्र प्रायः केवल उन्हीं राष्ट्रों से मात्र खरीदते हैं जहाँ से उन्हें दीर्घकाल के लिए ऋण मिल जाए। विश्व में, दूसरे वर्ग में विकसित राष्ट्र रहे जाते हैं जो विकास के उच्च स्तर पर पहुँच गए हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है तथा अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। इन राष्ट्रों के मान की विकासशील राष्ट्रों में बेचना आवश्यक होता है। अन्यथा वहाँ बेरोजगारी एवं घरायशहीनता फैलने का भय बना रहता है। विकासशील राष्ट्र की भुगतान क्षमता सीमित एवं अपर्याप्त होने से उन्हें ऐसे राष्ट्रों से मात्र ऋण करने में प्राथमिकता देनी होती है जो उन्हें दीर्घकाल तक सुविधापूर्वक ऋण प्रदान कर सकें। ऋण के प्रतिरिक्त विकसित राष्ट्रों द्वारा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।

अमेरिका विश्व का एक विकसित राष्ट्र है, जिसके कुल निर्यात विश्व के निर्यातों के 15-20 प्रतिशत तक रहते हैं। घमरोका कृषि एवं उद्योग दोनों में ही सम्पन्न है तथा उनका प्रतिरिक्त मान विदेशों में बिकना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि घमरोका द्वारा निर्यात किये जाने वाला मान अच्छा ब मस्ता हो तथा बिक्री के लिए उधार की विनय सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। इन समस्या सुविधाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही निर्यात बैंक की स्थापना की गई।

### स्थापना

1934 में मोविपत-घमरोकी व्यापार के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के लिए अमेरिकी निर्यात बैंक की स्थापना की गई। इन वर्ष एक अन्य बैंक की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य अमेरिकी मान को विकासशील राष्ट्रों में बिक्री के लिए सहायता प्रदान करना था। अतः 1936 में इन दोनों बैंकों को मिलाकर एक कर दिया गया तथा उनका नाम निर्यात-प्रायात बैंक रखा गया। प्रारंभ में इस बैंक की स्थापना 5 वर्षों के लिए की गई थी, बाद में उसे समय-समय पर बढ़ाया जाना रहा है। इस बैंक की स्थापना 1945 में के अधिनियम के आधार पर हुई है। 1968 में इस बैंक का नाम अमेरिकी निर्यात-प्रायात बैंक कर दिया गया तथा उसका कार्यकाल 30 जून, 1973 तक बढ़ा दिया गया है।

### बैंक का उद्देश्य

बैंक का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ाकर अमेरिका की वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करना था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्न उपायों का प्रयोग किया गया—

(1) कटौती ऋण सुविधा—इन बैंक ने गिनवम्बर 1966 में व्यापारिक बैंकों को विदेशी निर्यात वित्तों की प्रभाव पर एक वर्ष के लिए ऋण की सुविधाएँ प्रदान की हैं तथा इन वित्तों का इस बैंक में कटौती करके भुनाया जा सकता है। गिनवम्बर 1967 में अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तों पर ऋण की कटौती की सुविधाएँ दी जाने लगी हैं।

(2) प्रत्यक्ष ऋण सुविधा—बैंक द्वारा आयातों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान की जाती है, परन्तु ऋण देते समय व्यापारियों की पुगतायन क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। इसके प्रतिरिक्त उत्पादन प्रवधि एवं उत्पादन गति को भी ध्यान में रखा जाता है। यह ऋण सुविधाएं केवल उन्हीं विदेशी व्यापारियों को प्रदान की जाती हैं, जो केवल अमेरिका से ही माल का प्रय करते हैं।

प्रक्रिया—यदि कोई विदेशी व्यापारी अमेरिका के किसी उत्पादक से मान खरीदना चाहता है तो वह इस बैंक के पास एक प्रार्थनापत्र भेजता है, जिसमें यह बताया आवश्यक है कि खरीददार मान का तत्काल भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। बैंक द्वारा स्वीकृति देने पर माल निर्यात कर दिया जाता है तथा मान की स्वीकृति प्राप्त होती ही प्रतिशत-अन दे दिया जाता है तथा बैंक द्वारा अमेरिकी व्यापारी को राशि का भुगतान कर दिया जाता है। इसके निर्यातक को भी तत्काल भुगतान प्राप्त हो जाता है बैंक द्वारा अपने देश के निर्यात बढ़ाने में सहायता प्राप्त होती है तथा विदेश प्रसार की जोखिम भी नहीं उठानी पड़ती तथा माल की बिक्री में भी वृद्धि हो जाती है।

ऋण का उद्देश्य—बैंक द्वारा ऋण प्रायः पूर्योग्यत मामान प्रय करने के लिए दिए जाते हैं। कभी-कभी ऋण श्रुति पत्रों को प्रय करने के लिए भी दिए जा सकते हैं। विदेशी वित्त निगम भी बैंक से सुविधाएं प्राप्त करते हैं। शहर की कुर्मता के कारण बैंक के ऋण द्वारा इसे दूर करने के प्रयास किए गए हैं।

अवधि—बैंक द्वारा ऋण योजना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 5 से 15 वर्षों की अवधि के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। व्याज दर का निर्धारण भी योजना के स्वरूप एवं बाजार दर को भी ध्यान में रखकर किया जाता है। ऋण के भुगतान की किस्त का निर्धारण योजना के फलीभूत होने के समय को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है।

सावधानियाँ—बैंक द्वारा ऋण प्रदान करते समय निम्न सावधानियों को ध्यान में रखा जाता है—

(i) सरकारी गारण्टी—जिन राष्ट्रों में विविध नियंत्रण नये हुए हैं उन राष्ट्रों को ऋण देते समय सरकारी गारण्टी प्राप्त करना आवश्यक होगा जिनमें आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त विदेशी विनिमय प्राप्त हो सके।

(ii) तकनीकी क्षमता की जांच—ऋण प्रदान करते समय योजना की तकनीकी क्षमता की जांच करना निश्चित आवश्यक होगा है। ऋण देने समय अमेरिकी सरकार की नीति एवं अनुमान मंतुलन की स्थिति पर पढ़ने प्रभावों का अध्ययन अवश्य किया जाता है जिसमें आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर पढ़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सके।

(iii) ऋण का मान—ऋण प्रदान करते समय शर्तों की कुल शरत की स्थिति एवं उसे पूराने हेतु क्षमता पर पूर्ण ध्यान दिया जाता चाहिए।

(iv) गारण्टी का आधार—जिन व्यापारियों की साम प्रकृति नहीं है उन्हें गारण्टी के आधार पर ही ऋण प्रदान किए जाते हैं जो किसी भी बैंक, व्यक्ति या सरकार की हो सकती है।

(3) गारण्टी एवं बीमा की सुविधा—बैंक द्वारा अमेरिकी निर्यातकों को गारण्टी एवं बीमे की सुविधाएं दी जाती हैं। निर्यातकों को ऋण की गारण्टी 5 वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है। इस संबंध में व्यापारिक बैंक को प्रथम 18 मास की व्यापारिक जोखिम स्वयं उठानी पड़ती है। विदेशी राष्ट्रों द्वारा मान के भुगतान की जोखिम का बीमा विदेशी मान बीमा संघ द्वारा दिया जाता है। इस संघ की स्थापना अक्टूबर 1961 को हुई थी। बीमे की सुविधा उगी समय प्राप्त होगी, जबकि निर्यातक ने वित्तीय प्रवर्धन स्वयं ही किया हो। बीमा की मुक्त की राशि मान भंगाने वाले राष्ट्र की बाजार स्थिति द्वारा निर्धारित की जाती है। अल्पसंख्यक निर्यात पर व्यापारिक क्षति के 90% की पूर्ति की जाती है। बैंक द्वारा 80% मान का क्षति भंगाना जाता है।

(4) अन्य सुविधाएं—इस बैंक ने अमेरिका में खरीदे गए माल पर शरत ऋण की सुविधाएं प्रदान की हैं तथा विनामनीय राष्ट्रों के विकास के लिए स्थापित किए गए अनेक संघों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। अमेरिका द्वारा उपायित सुरक्षा का मानान विक्रयों को सुरक्षा में बैंक गया है तथा विनामनीय राष्ट्रों ने विकास योजनाओं से विशेष साम प्राप्त किए हैं।

## बैंक के वित्तीय साधन

इस बैंक को प्रदत्त पूंजी 1000 मि० डालर है जो पूर्वतया अमेरिका द्वारा हो प्रदान की गई है। इसकी कोपनिधि 1120 मि० डालर है तथा यह बैंक समय-समय पर पूंजी बाजार से ऋण भी प्राप्त करता रहता है तथा अमेरिका कोषगार से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। बैंक के दायित्व 900 करोड़ डालर से बढ़कर 13.5 अरब डालर तक हो सकते हैं।

## मुग्तान संतुलन स्थिति

बैंक की वार्षिक क्रियाओं से न केवल अमेरिकी उत्पादकों को लाभ प्राप्त हुए हैं बल्कि मुग्तान संतुलन की स्थिति में भी सुधार हुआ है। 1961 व 1969 की अवधि में इस बैंक को 10 अरब डालर का लाभ हुआ। गत वर्ष ऋण की मात्रा में और अधिक वृद्धि होने से मुग्तान संतुलन की स्थिति में सुधार होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

## वार्षिक सहायता

इस बैंक ने अपने कार्यकाल में लगभग 10 अरब डालर की वार्षिक सहायता प्रदान की है जिसका 80 प्रतिशत भाग ऋण व शीप गारण्टी या बीमा के रूप में प्रदान किया गया है। इस प्रकार निर्यात व्यापार की वित्तीय व्यवस्था करने में इस बैंक का योगदान अत्यन्त प्रभावशाली रहा है। सहायता प्राप्त करने वाले राष्ट्रों की संख्या लगभग 165 हो गई है। बैंक द्वारा सबसे अधिक सहायता दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों को प्रदान की गई। एरिवाई राष्ट्रों को भी पर्याप्त सहायता प्रदान की गई है।

## प्रबन्ध व्यवस्था

बैंक की प्रबन्ध व्यवस्था एक निदेशक मण्डल द्वारा की जाती है जिसके अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों की नियुक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसकी नीतियों का निर्धारण वित्तीय सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है। नाटु वार समिति की स्थापना भी की गई है, जिसमें 9 सदस्य होते हैं। बैंक समय-समय पर नीतियों का निर्धारण के लिए बैठकों का आयोजन करता रहता है।

## सिद्धांत

यह बैंक वार्षिक सहायता प्रदान करने में निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखता है—

- (1) निश्चित कार्य—यह सहायता निश्चित कार्यों के लिए ही दी जाती है जिसमें ऋण की वापसी की वित्तीय संभावनाएं हों।
- (2) मुक्त व्यवस्था—बैंक द्वारा गारण्टी एवं बीमा मुक्त के रूप में जोरिम् के आधार पर ही मुक्त किया जाता है।
- (3) पूरक के रूप में कार्य—बैंक को निजी साहस के पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे वार्षिक सहायता देने के प्रयास करने चाहिए। बैंक द्वारा निजी साहस के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की जाती।

## अमेरिकी विकास ऋण कोष

(Development Loan Fund of America)

अमेरिका के विभिन्न राष्ट्रों को वार्षिक सहायता देने के उद्देश्य से एवं उन राष्ट्रों के वार्षिक विकास के लिए सन्तुलन राष्ट्रों के विकास के लिए आवश्यक ऋणों द्वारा वित्तीय, सरकारी, वित्त निर्यात व विदेशी व्यापारियों आदि को प्राप्त हो क है सकते। ऋण

## यूरोपीय भुगतान संस्थाएं (European Payments Institutions)

### प्रारंभिक

यूरोप के राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए यूरोपीय भुगतान संस्थाओं की स्थापना पर अधिक जोर दिया गया, जो न केवल आर्थिक सहायता देंगे बल्कि तकनीकी सहयोग भी प्रदान करेंगे। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् यूरोप के राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई थी। इस काल में विभिन्न राष्ट्रों की उत्पादन क्षमता पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा तथा युद्ध की समाप्ति के पश्चात् यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों में उपभोग एवं निर्यात के लिए वस्तुओं की कमी हो गई। इस काल में स्वर्णमान के समाप्त हो जाने पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली प्रायः समाप्त हो गई तथा विदेशों से आवश्यक वस्तुओं का आयात करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का सहारा लिया गया। अनेक राष्ट्रों ने इस संबंध में बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का भी प्रयोग किया। इस समय यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन के सदस्यों ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को स्थापित करने के उद्देश्य से यूरोपीय भुगतान संस्था की स्थापना की।

### विश्वयुद्ध का प्रभाव

द्वितीय विश्वयुद्ध का यूरोप के राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसे निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) स्फीतिक वातावरण—दुसरे काल में देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से मुद्रा का प्रसार किया गया, फलस्वरूप देश में स्फीतिक वातावरण उत्पन्न हो गया और मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा।

(2) उत्पादन में कमी—युद्धकाल में प्रायः यूरोप के सभी राष्ट्रों में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन गिर गया क्योंकि युद्ध के कारण उद्योग एवं परिवहन व्यवस्था नष्ट हो गई तथा कृषि पर भी बुरा प्रभाव पड़ा, इसमें उत्पादन में कमी हो गई।

(3) अनिश्चित भुगतान संतुलन—युद्ध के कारण पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों में निरंतर वृद्धि होती गई, व निर्यात बढ़ नहीं सके जिससे भुगतान संतुलन बिभ्रस में हो गया।

(4) डालर की प्राप्ति में बाधनाई—उत्पादन एवं व्यापार की स्थिति बिगड़ने से धार्मिक स्थिति में सुधार लाना संभव नहीं था, व्यापार, उत्पादन एवं भुगतान व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा जिसमें डालर प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो गया।

### इतिहास

यूरोप की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य में निम्न उपाय प्रयोग में लाए गए—

(1) यूरोपीय पुनर्जीवन कार्यक्रम—द्वितीय विश्वयुद्ध में घनिष्ठ यूरोप के राष्ट्रों को सहायता देने के उद्देश्य से य. स. रा. स. समिति ने उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता देने के कार्यक्रम बनाए, जिसमें अनुदान एवं ऋण की राशि को

भी सम्मिलित किया जाता है। परन्तु इनके यूरोप की आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ तथा यूरोप में साम्राज्यवाद के बढ़ने का भय बढ गया। अतः यूरोप के राष्ट्रों को साम्यवाद से बचाने एवं उन राष्ट्रों को आर्थिक मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से यूरोपीय पुनर्जीवन कार्यक्रम का निर्माण किया गया जिसके माध्यम से यूरोप के राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देना आवश्यक माना गया। इस कार्यक्रम से उत्पादन में वृद्धि होकर भुगतानों में सुविधा प्राप्त हो सकती थी। इसकी मार्गदर्श योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायता के फलस्वरूप उत्पादनका सूचक काफी बढ गया तथा यूरोप में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होकर व्यापार संतुलन पथ में हो गया।

(2) अंतरयूरोपियन भुगतान एवं धतिपूर्ति समझौते—विभिन्न राष्ट्रों के आपसी लेनदेन का समासोधन करने एवं ऋणों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अंतरयूरोपियन भुगतान एवं धतिपूर्ति समझौते पर ध्यान दिया गया। 1947 के परिचामी राष्ट्र व्यापार की वृद्धि करना चाहते थे, परन्तु भुगतान की कठिनाई के कारण ऐसा करना संभव न हो सका। अतः इस कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से दो समझौते किए गए जिन्हें अंतरयूरोपियन भुगतान एवं धतिपूर्ति समझौते के रूप में जानते हैं। इन समझौतों के अंतर्गत इन राष्ट्रों ने आपसी लेनदेन का समासोधन करने का निश्चय किया तथा ऋणों को स्वीकार किया गया। इस प्रकार भुगतान संतुलन की राशि को ध्यान में रखते हुए ऋणों को स्वीकार किया गया तथा तात्कालिक कठिनाइयों को दूर किया गया। परन्तु इस व्यवस्था में अनेक प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पडा जिन्हें दूर करने के उद्देश्य से यूरोपियन भुगतान सभ का निर्माण किया गया जिस पर 19 सितंबर, 1950 को समस्त सदस्य राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। सभ की स्थापना से पूर्व यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य सीमित मात्रा में ही व्यापार होता था। इन सभ की स्थापना के पश्चात् भुगतान संबंधी स्थिति में काफी सुधार हुआ। इनसे यूरोपियन राष्ट्रों के मध्य वास्तविक आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सका है तथा इन राष्ट्रों की उत्पादनता में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई है।

### यूरोपीय भुगतान सभ के उद्देश्य

इन सभ के उद्देश्यों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) व्यापार को प्रोत्साहन—इन सभ की स्थापना का उद्देश्य यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य आपसी व्यापार में वृद्धि करना है। इनके अनिश्चित सदस्य राष्ट्रों की ऋण सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं जिससे प्रविरमित एवं निबंधित राष्ट्र मिलिय होकर व्यापार में वृद्धि करने के प्रयासों को ही त्याग न सकें। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का सम्बंध समूचे अंतरयूरोपीय व्यापार का 15 प्रतिशत भाग ही निश्चित किया जाता था, परन्तु व्यापार की मात्रा में अधिक वृद्धि होने पर उनके सम्बंध में परिवर्तन किया जा सकता था।

(2) व्यापार संतुलन में सुधार—इन सभ का उद्देश्य सदस्यों को अपनी व्यापार संतुलन स्थिति में सुधार के लिए प्रोत्साहित करना है, तथा इसी दृष्टि से प्रत्येक सदस्य को अपने सम्बंध का 20% तक ऋण सरलता में प्राप्त हो सकता था। परन्तु यह ऋण सम्बंध के बराबर ही मात्रा था वो ऋण की पूरी राशि को स्वयं में चुकाना पड़ता था।

(3) अंतरराष्ट्रीय भुगतान बंध—सदस्य राष्ट्रों के आयात-निर्यात का लेखा अंतरराष्ट्रीय भुगतान बंध की सीमा दिनांकित या त्रिमासे समस्त सदस्य राष्ट्रों के केंद्रीय बैंक के खाने होने से तथा समासोधन गृह की भांति जो समस्त राष्ट्रों के लेनदेन का हिसाब कर देता था। इसमें भुगतान संतुलन अनुदान होने पर भी तत्काल भुगतान नहीं किया जाता था तथा वह राशि उन राष्ट्र के नाम में खाने में कर दी जाती थी।

### संघ की पूंजी

मार्गदर्श योजना के अंतर्गत रखी गई पूंजी में से 350 वि० डालर की राशि को इन सभ की पूंजी के रूप में कार्य में लाया गया। यह राशि ऋणदाताओं के लिए वारंटी के रूप में कार्य करती थी।

### हिनाय मुद्रा

सभ द्वारा धरने हिनाय की मुद्रा स्वयं रखाई में रखी गई थी 0.888671 ग्राम शुद्ध स्वर्ण के समान थी। इस

संघ की मौद्रिक इकाई के मूल्य को सदैव के लिए स्थायित्व प्रदान करने की व्यवस्था की गई तथा इस मूल्य में कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया गया।

### प्रशासन व्यवस्था

इस संघ का प्रशासन अंतरराष्ट्रीय भुगतान बैंक एवं केंद्रीय बैंक की सहायता से किया जाता था और इस संघ का अपना स्वयं कोई कर्मचारी मण्डल नहीं था। यह संघ यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के अंतर्गत कार्य करता था। इस संगठन में एक प्रबंधकारिणी परिषद होती थी जिसमें प्रबंध मण्डल के 7 सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष होता था। यह परिषद ऋण की शर्तें एवं अन्य नीतियों का निर्धारण करती थी तथा संबंधित राष्ट्रों को आवश्यक सुझाव देती थी। इस परिषद द्वारा विशेष परिस्थितियों में ऋण देने की व्यवस्था भी की जाती थी। इस परिषद के सदस्य पूर्णकालीन नहीं होते थे तथा सर्वममत्त निर्णयों को ही स्वीकार किया जाता था। परिषद को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ सरलता से प्राप्त हो जाता था जिससे इसकी नीतियाँ सरलता से कार्यान्वित हो जाती थीं।

### यूरोपीय भुगतान संस्था से लाभ

इस संघ की स्थापना से सदस्य राष्ट्रों को निम्न लाभ प्राप्त हुए—

(1) व्यापार में वृद्धि—भुगतान समस्या के लिए समाधान गृह की स्थापना से आपसी व्यापार एवं लेनदेन में पर्याप्त वृद्धि हो गयी है जिससे कुल व्यापार में भी वृद्धि हो गयी है। भुगतान संबंधी समस्या के सरल हो जाने से इन राष्ट्रों के आपसी व्यापार में तीव्र गति से वृद्धि हुई।

(2) मुद्राएं परिवर्तनशील—इस संघ की स्थापना से सदस्य राष्ट्रों की मुद्राएं आपस में परिवर्तनशील हो गईं क्योंकि समस्त व्यापारिक लेनदेन इसी संघ के द्वारा किया जाता था।

(3) व्यापार में सुविधा—सदस्य राष्ट्रों को कहीं से भी माल क्रय करने की छूट मिलने से प्रेरणा व सत्ता प्राप्त किया जाता था। भुगतान संतुलन की व्यवस्था के आधार पर ऋण आदि भी सरलता से प्राप्त हो जा पाते थे।

### कठिनाइयाँ

संघ की प्रारंभ में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो कि निम्न प्रकार हैं—

(1) असंतुलन की समस्या—संघ के कुछ सदस्य राष्ट्र निर्दिष्ट रूप से व्यापारिक घाटे की स्थिति में थे जबकि कुछ अन्य राष्ट्र सदैव आधिक्य की स्थिति में रहते थे। अतः संघ के सामने यह समस्या थी कि असंतुलन की स्थिति वाले राष्ट्रों की समस्या का किस प्रकार समाधान किया जाए। इसके लिए अमेरिकी सहायता की सुविधाएं देने का प्रबंध किया गया।

(2) ऋण शेष—भुगतान संघ की स्थापना होते समय यूरोपीय राष्ट्र एक-दूसरे के ऋणी थे। यह राशि ऋणी राष्ट्रों से समान ऋण करके पूर्ण की जाती थी, इससे व्यापारिक भेदभाव वने रहने की संभावना थी जिससे संघ के सिद्धांतों को घाघात पहुंचने की संभावना थी। इस कठिनाई को हल करने के उद्देश्य से ऋणी राष्ट्र द्वारा ऋण की राशि का एकमुश्त ऋणवा किस्तों में भुगतान करने का कार्यक्रम बनाया गया। इसी प्रकार किसी राष्ट्र के शेष कोषों का व्यापारिक घाटे की पूर्ति में उपयोग किया जा सकता था।

यह संघ अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की भांति कोई स्थायी संघ नहीं था, परंतु इसकी स्थापना से यूरोपीय राष्ट्रों में आर्थिक सहयोग की भावना बढ़ी। इसी में प्रेरित होकर 1957 में यूरोपीय साम्राज्य की स्थापना की गई। परंतु 1958 में यूरोप के प्रमुख 12 राष्ट्रों द्वारा अपनी मुद्राओं को परिवर्तनशील घोषित करने से यूरोपीय भुगतान संघ की मांग की आवश्यकता प्रायः समाप्त-ही हो गई। इन प्रकार यह संघ यूरोप के सदस्य राष्ट्रों के मध्य बहुदेशीयता की



पुनः स्थापित करने में सफल सिद्ध हुआ है। संघ के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलते हैं। इस संघ ने यूरोपीय व्यापार एवं मुद्रा व्यवस्था में घनिष्ठता एवं निरुद्धता का संवध स्थापित कर दिया। सन् 1958 में भुगतान संघ का समापन करके यूरोपीय मीट्रिक समझौता किया गया जिसमें 600 मि० डालर की वूजी का उपयोग ऋण देने में किया गया। परन्तु इस ओर कम ध्यान दिए जाने से यूरोपीय मीट्रिक समझौता समाप्त कर दिया गया। अतः यूरोपीय भुगतान संघ एवं यूरोपीय मीट्रिक समझौता दोनों ही समाप्त कर दिए गए हैं।

## अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएं एवं सहयोग (International Monetary Institutions and Helps)


### प्रारंभिक

वर्तमान समय में आर्थिक, सामाजिक एवं मौद्रिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ रहा है। विश्व के अर्द्धविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के भावी विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त हुआ है। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक नीतियों में परस्पर निर्भरता को ही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के नाम से जानते हैं। देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इन सब में निजी विदेशी विनियोग का भी अत्यन्त महत्व है। प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष एवं विश्व बैंक द्वारा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता प्राप्त होने की आशा न होने से मौद्रिक सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य मौद्रिक उपायों को अपनाया गया, जिसमें अनेक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं ने सहयोग प्रदान किया। विश्व के अर्थविकसित राष्ट्रों का विकास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना सम्भव नहीं है। प्रायः विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों को अनेक प्रकार के ऋण व अन्य सहायता प्रदान की जाती है तथा आवश्यकता पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं से भी आवश्यक सहायता एवं ऋण प्राप्त कर लिए जाते हैं।

### अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की आवश्यकता

वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग निम्न कारणों से आवश्यक हो गया है—

#### अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की आवश्यकता



(1) भुगतान संतुलन में घाटा—अर्थविकसित राष्ट्रों द्वारा भारी मात्रा में पूंजीगत सामान आयात किया जाता है तथा वे अधिक मात्रा में आन का निर्यात भी नहीं कर पाते, जिससे भुगतान संतुलन में निरंतर घाटा बना रहता है तथा वे सदैव विदेशी विनिमय का अभाव अनुभव करते हैं, जिसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

(2) पुनर्निर्माण एवं पुनर्गठन—द्वितीय विश्वयुद्ध से प्रसित राष्ट्रों की धर्मव्यवस्था को नष्ट कर दिया और उनके पुनर्निर्माण एवं पुनर्गठन के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग प्राप्त करना आवश्यक हो गया।

आर्थिक अंतर को कम करना—विभिन्न राष्ट्रों के मुख्य आर्थिक अंतर को कम करने के उद्देश्य से भी

भंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग प्राप्त करना आवश्यक हो गया था।

(4) विश्व शांति—सद्विविधित एवं विवादासील राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए विश्व शांति का होना प्रतिभावाचक है और इस उद्देश्य की पूर्ति भंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग द्वारा संभव हो सकती है।

(5) तकनीकी कर्मचारी—विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जिसका प्रविविधित राष्ट्रों में अभाव पाया जाता है। परंतु भंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की सहायता से विविधित राष्ट्रों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाया जा सकता है।

(6) विशाल विनियोग—प्रविविधित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए विशाल पूंजी विनियोगन की आवश्यकता होती है जो इन राष्ट्रों में उपलब्ध नहीं होती। बड़े पैमाने पर पूंजीगत विनियोग का प्रबंध भंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग द्वारा ही संभव हो सकता है, क्योंकि प्रविविधित राष्ट्रों में आय व उत्पादन का निम्न स्तर होने से पूंजी का निर्माण संभव नहीं हो पाता।

### विभिन्न भंतर्राष्ट्रीय भौतिक संस्थाएं एवं सहयोग

द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व स्वर्णमान प्रचलन में था तथा विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सहयोग एवं समन्वय पाया जाता था व राष्ट्रीयता को महत्व दिया जाता था। 1931 में स्वर्णमान के टूटने पर राष्ट्रीयता समाप्त हो गई। अतः मुद्रा में स्थायित्व लाने के उद्देश्य से ब्रिटेन, सं० रा० अमेरिका एवं फ्रांस ने एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इसके परचात् भीटाबा समझौता द्वारा भंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए गए, परंतु वास्तव में भंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की धारणा का विकास वर्तमान राज्यांशों में ही हुआ है। द्वितीय विश्वयुद्ध के परचात् अनेक भौतिक संस्थाएं भंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में विकसित हुईं, जिनको निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

#### (1) अमेरिकन ऋण कार्यक्रम

(American Loan Programme)

द्वितीय विश्वयुद्ध ने ब्रिटेन एवं यूरोप के राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को लड़खला दिया और इन राष्ट्रों की युद्ध जर्जरित अर्थव्यवस्था को पुनः जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से भारी मात्रा में पूंजीगत सामान, खाद्यान्न एवं अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता थी, जो कि सं० रा० अमेरिका से ही प्राप्त हो सकती थी। परंतु उत्तर की कमी के कारण अमेरिका ने यह समझ समान प्रय करता संभव नहीं था। फलस्वरूप भंतर्राष्ट्रीय भौतिक समझौते हुए जिसमें अल्प समझौते किए गए तथा इन राष्ट्रों को एक निश्चित सीमा तक अमेरिका से उधार लेने की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस व्यवस्था को अमेरिकन ऋण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया, जिसमें अनेक प्रविविधित राष्ट्रों ने लाभ उठाया।

#### (2) यूरोपियन पुनर्जीवन कार्यक्रम

(European Recovery Plan)


अमेरिकन ऋण कार्यक्रम के संतर्गत जो अल्प स्वीकृत करके सहायता प्रदान की गई वह उन राष्ट्रों की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सके तथा देश का विकास करने के लिए इन राष्ट्रों को और अधिक अल्प की आवश्यकता थी। अतः अमेरिका के स्टेट सचिव जार्ज मार्शल ने 1947 में यूरोपीय राष्ट्रों के आर्थिक विकास एवं पुनर्गठन के लिए अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता देने का वचन दिया तथा इस संबंध में उन्हें अपनी समस्याओं के हल करने में परस्पर सहयोग भी प्रदान करना होगा। अतः यूरोपियन राष्ट्रों की आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से अप्रैल, 1948 में यूरोपियन पुनर्जीवन कार्यक्रम कानून पारित किया गया जिससे यूरोप के राष्ट्रों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हुईं।

#### (3) यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन

(The Organisation for European Economic Cooperation)

इस समय 18 यूरोपियन राष्ट्रों ने निम्नकर एक यूरोपियन आर्थिक सहयोग संघठन की स्थापना की जिसका प्रमु

विभिन्न अंतराष्ट्रीय मोदिक संघाएं एवं सहयोग



कार्यालय वैरिस में रखा गया। अमेरिकन सहायता कार्यक्रम की चराने में सहायता देने का कार्य वाणिज्य में स्थित यूरोपियन सहयोग प्रशासन को सौंप दिया गया। यह प्रशासन सदस्य राष्ट्रों एवं यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन को सरकारी से सम्पर्क स्थापित करता था। यह प्रशासन सहायता पाने वाले राष्ट्रों के मामलों की मूल्यांकन रिपोर्टें भी प्रकाशित करता था। इस प्रकार यह संगठन यूरोपियन सहयोग का एक स्थायी केंद्र बन गया। इस संगठन ने अपने कार्यों का संवादन अत्यन्त कुशलता के साथ किया तथा यूरोप के राष्ट्रों ने आशातीत प्रगति की। इस संगठन ने सदस्य राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग पर्याप्त सीमा तक बढ़ाया, तथा उत्पादन बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने एवं व्यापार मंजुलन लाने में अत्यन्त सहायता प्रदान की।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् विश्व के समस्त प्रभावित राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने एवं पुनर्निर्माण के कार्य में लग गए थे, क्योंकि युद्ध में राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त हो गयी थी। प्रत्येक राष्ट्र तीव्र औद्योगिकरण एवं व्यापार का विनाश करना चाहता था। परंतु इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता थी। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया जो कि व्यावहारिक न हो सका। विश्व व्यापार की वृद्धि करने हेतु तटकरों में कमी एवं पक्षपात को हटाने के उद्देश्य से वाट<sup>1</sup> का प्रस्ताव रखा गया जिससे तुरंत लाभ प्राप्त हो सकें। इसी समय यूरोप के कुछ राष्ट्रों ने मिलकर एक संपू संघ का निर्माण किया जिसे "यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन" के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना अप्रैल, 1948 को हुई।

सदस्य—इस संगठन के निम्नलिखित 16 सदस्य हैं—फ्रांस, १० जर्मनी, डचरी, पुर्तगाल, नाबे, यूनान, नीदरलैंड, स्वीडन, बेल्जियम, आस्ट्रिया, लिचटनश्टेन, आइसलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, मैग्सेबर्ग और टर्की। सं० रा० अमेरिका व कनाडा इस संगठन के सदस्य नहीं हैं, परंतु विशेष ध्यान पर कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। इंग्लैंड भी इसमें सम्मिलित किया जा सकेगा। यद्यपि इस संगठन के प्रायः समस्त सदस्य यूरोपीय राष्ट्र ही हैं, परंतु व्यापारिक एवं औद्योगिक सहत्व के कारण इस संगठन का प्रभाव, यूरोप से बाहर के क्षेत्रों में भी फैल रहा है। आजकल इस संगठन का महत्व काफी बढ़ गया है।

#### (4) यूरोपियन भुगतान संघ (European Payment Union)

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् स्वर्णमान के टूट जाने से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की संश्लिष्ट व्यवस्था टूट गई, जिससे विदेशी वस्तुएँ प्राप्त करना कठिन हो गया। अतः आवश्यकता की वस्तुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से यूरोपियन राष्ट्रों ने द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापारिक समझौतों का सहारा लिया। इन संबंधों में भुगतान की समस्या को निवटारने के उद्देश्य से यूरोपियन भुगतान संघ की स्थापना की गई। इसमें सभी सदस्य राष्ट्र चातू खाता दोष की राशि की मूचना दिया करते थे तथा इसके आधार पर प्रत्येक देश सामूहिक लेनदेनों को ज्ञात कर लेता था, परंतु इनके भुगतान की जिम्मेदारी इसी संघ पर होती थी जिसमें सदस्य राष्ट्रों ने इस संघ को अपने भण्डार के 20% तक साख देने की सुविधा दी। यदि लेनदार सदस्य का आधिपत्य इससे अधिक होता था तो दोष का 50% तक का भुगतान स्वयं में किया जाता था। 100% में अधिक के धारों का भुगतान पूर्णतया स्वयं में ही किया जाता था। वस्तुओं को संघ के किसी भी सदस्य राष्ट्र से खरीदा जा सकता था।

उद्देश्य—इस संगठन की स्थापना निम्न उद्देश्यों के लिए की गई—

- (1) आर्थिक शक्ति का विकास—सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक शक्ति का विकास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सहायता से करना।
- (2) उत्पादन क्षमता बढ़ाना—सदस्य राष्ट्रों की उत्पादन-क्षमता एवं योग्यता के विकास के लिए संगठित प्रयास करना।
- (3) आधुनिकीकरण—ईंधन एवं औद्योगिक यंत्रों का आधुनिकीकरण करके उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करना।

(4) व्यापार की बाधाओं को हटाना—व्यापार के मार्ग में खाने वाली बाधाओं को हटाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास करना ।

(5) पूर्ण रोजगार प्राप्त करना—पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के प्रयत्न करना ।

(6) धार्मिक विकास में स्वायत्तता लाना—धार्मिक-व्यवस्था में स्वायत्तता लाने के प्रयास करना जिससे राष्ट्रीय मुद्रा में जनता का विश्वास स्थिर रहे एवं व्यापारिक विकास हो सके ।

इसका प्रमुख न्यायान्य वेरिस (फ्रांस) में है। समय-समय पर सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि यहाँ एकत्रित होते हैं तथा नीति का निर्धारण करते हैं ।

यूरोपियन उत्पादकता एजेंसी (European Productivity Agency) की स्थापना इसी संगठन के अंतर्गत की गई है जो उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके सदस्य राष्ट्रों के व्यक्तियों के रहन-सहन के स्तर में सुधार करने के प्रयास करेगी। यह विभाग श्रम एवं पूंजी के मतभेद दूर करता है तथा उद्योगों में वैज्ञानिकरण एवं वैज्ञानिक प्रबंध लाने का प्रयास करता है ।

परन्तु इस संगठन के कार्यों से अग्रगण्य होकर 6 सदस्य राष्ट्रों<sup>1</sup> ने यूरोपियन साम्राज्य बाजार तथा 7 सदस्य राष्ट्रों<sup>2</sup> ने यूरोपियन मुक्त व्यापार-क्षेत्र (European Free Trade Area) की पृथक् से स्थापना कर ली है ।

### (5) स्टर्लिंग क्षेत्र पद्धति

(Sterling Area System)

1931 में स्वर्णमान के टूटने से ब्रिटेन से संबंधित राष्ट्रों ने अपनी मुद्रा का संबंध स्टर्लिंग से स्थापित कर दिया और विभिन्न मुद्राओं का एक पृथक् क्षेत्र बना दिया गया जिसे स्टर्लिंग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। द्वितीय विश्व-युद्ध में स्टर्लिंग क्षेत्र सङ्कुचित हो गया तथा विनिमय नियंत्रण व्यवस्था को अपनाया जाने लगा। इससे सदस्य राष्ट्र क्षेत्र के अन्य राष्ट्रों से वस्तुओं का स्वतंत्रतापूर्वक आदान-प्रदान कर सकता है तथा सरलतापूर्वक पूंजी का स्थानांतरण भी कर सकता है। परन्तु इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के राष्ट्रों के सम्मिलित होने से प्रशासन संबंधी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारत को भी इस क्षेत्र के निर्माण से अनेक लाभ हुए ।

### (6) धार्मिक सहयोग एवं विकास संगठन

(The Organisation for Economic Cooperation and Development)

यूरोपीय धार्मिक सहयोग संगठन जो एक क्षेत्रीय संगठन था, अब एक व्यापक संगठन के रूप में परिवर्तित हो गया है, जिसे 'धार्मिक सहयोग एवं विकास संगठन' कहते हैं। इसमें 18 यूरोपीय राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व करना एवं अमेरिका भी सदस्य बन गए हैं। इस संगठन की एक 'विकास सहायता समिति' (Development Assistance Committee) है, जो प्रतिबन्धित राष्ट्रों को धार्मिक सहायता देने की संभावनाओं का पता लगाती है। जापान इस समिति का एक सक्रिय सदस्य है। इस समिति में पूंजी प्रदान करने वाले निम्न 10 राष्ट्र सम्मिलित हैं—अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, जापान, जर्मनी, बेल्जियम एवं कनाडा। इसके प्रतिनिधित्व यूरोपीय धार्मिक अनुदान का कमीशन भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

1970 में टोकियो में 67 राष्ट्रों की निर्माण समिति की सहायता से विकास सहायता समिति के सदस्य विचार-विमर्श के लिए एकत्रित हुए। 1968 में इस संगठन के सदस्य राष्ट्रों द्वारा किए गए ऋण का 56% भाग बटिन व परंपरागत ऋणों पर निर्भर था। निजी विनियोग के लिए 'पीअरसन आयोग' (Pearson Commission) ने द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम की सिफारिश की है। निजी पूंजी के प्रवाह में उत्तेजनीय प्रगति हुई है। 1965 व 1968 के मध्य प्रत्यक्ष व द्विपक्षीय समझौते के आधार पर विकासशील राष्ट्रों को पूंजी के प्रवाह में 3000 मि० अरब धार्मिक में वृद्धि हुई। यह

1. इसमें फ्रांस, यू० ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड एवं हॉलैंड सम्मिलित हैं।

2. इसमें स्वीडन, दलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, सिडन, नीदरलैंड एवं पुर्तगाल सम्मिलित हैं।

## (9) कोलम्बो योजना (Columbo Plan)

दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के राष्ट्रों के नागरिकों के जीवन-स्तर को ऊंचा करने एवं बहा की प्राथमिक व सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए कोलम्बो योजना का निर्माण किया गया। 1950 में प्रथम बैठक कोलम्बो में की गयी। इन राष्ट्रों के प्राथमिक विकास की विभिन्न समस्याओं पर परामर्श करने के उद्देश्य से एक सलाहकार समिति का निर्माण किया गया और इस समिति की प्रथम बैठक 1950 में मिडनी में हुई जिसमें इन राष्ट्रों के प्राथमिक विकास के लिए 6 वर्षीय विकास योजना का कार्यक्रम बनाया गया। इसके प्रतिरिक्त तकनीकी विद्या की कमी को पूर्ण करने के लिए तकनीकी ज्ञान के विस्तार पर भी ध्यान दिया गया और इस उद्देश्य के लिए पृथक् से एक स्थायी समिति की स्थापना की गयी जिसने यह सुझाव दिया कि इन राष्ट्रों के विकास कार्यक्रम के लिए अपार मात्रा में विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी और इसके लिए विश्व के अन्य राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होगा। अतः इस संबंध में एक सामूहिक तकनीकी योजना को प्रारंभ किया गया जिसको सहायता से सदस्य राष्ट्रों के विकास के प्रयास किए जाएंगे।

सदस्यता—प्रारंभ में इस योजना की सदस्यता केवल राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्रों तक ही सीमित थी, परंतु बाद में इनकी सदस्यता अन्य राष्ट्रों के लिए भी खोल दी गई है। इस समय इस योजना में 24 राष्ट्र सदस्य हैं जो इस प्रकार हैं—भ्राटेइलिया, बर्मा, कनाडा, भारत, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपीन, थाईलैंड, वियतनाम, अफगानिस्तान, जापान, मालदीव द्वीप-समूह, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, पाकिस्तान, नेपाल, लाओस, इण्डोनेशिया, लंका, कम्बोडिया एवं भूटान।

तकनीकी योजना की विशेषताएँ—कोलम्बो योजना की सामूहिक तकनीकी योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं—

(1) प्राथमिक-तकनीकी दृष्टि से सहायता—इसमें प्राथमिक-तकनीकी दृष्टि से विकसित सदस्य राष्ट्रों द्वारा कम विकसित राष्ट्रों को पर्याप्त सहायता दी जाती है जैसे थाईलैंड को सबसे अधिक प्राथमिक सहायता अमेरिका व जापान से प्राप्त हुई है।

(2) सुझाव को छूट—कोई भी सदस्य राष्ट्र कार्यक्रमों में परिवर्तन साने के उद्देश्य से आवश्यक सुझाव रखने की स्वतंत्रता रखता है, जिससे पारस्परिक सद्भावना में वृद्धि होती है।

(3) राजनैतिक स्वार्थों से मुक्ति—इस योजना द्वारा उपलब्ध सहायता सर्व राजनैतिक स्वार्थों से मुक्त रहती है तथा सदस्य राष्ट्रों के मध्य किसी प्रकार की राजनैतिक दासता उपस्थित नहीं होती है। इस योजना की सफलता को देखते हुए प्रारंभ में 6 वर्ष के लिए बनाई गई योजना को बढ़ाकर इसकी अवधि 1971 तक बढ़ा दी गई।

योजना की प्रगति—25 वर्षों की अवधि में इस योजना के अंतर्गत सदस्य राष्ट्रों का काफी विस्तार किया गया तथा इस क्षेत्र के लगभग सभी राष्ट्रों के व्यक्तियों के रहन-सहन का स्तर सुधारने एवं प्राय बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए। इन उद्देश्यों को प्राप्त के लिए इन राष्ट्रों की सरकारों ने विकास की योजनाओं का पालन किया एवं उन्हें कार्यान्वित किया है। इस योजना के कुछ राष्ट्रों में निर्यात की दर में काफी वृद्धि हुई है। इस योजना के अधिनियम राष्ट्र-द्विपक्षीय पर आधारित है अतः योजना में द्विपक्षीय विचारों की धोर बढ़ाने के अधिक प्रयास किए गए। इसके प्रतिरिक्त इन राष्ट्रों में औद्योगिक क्षेत्रों में भी काफी प्रगति हुई है। इन राष्ट्रों में औद्योगिक योजनाओं को पूर्ण करने का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है तथा विद्या, परिवहन आदि के विकास पर भी पूर्ण ध्यान दिया जा रहा है। इससे इन राष्ट्रों के प्राथमिक एवं जनकल्याण संबंधी योजनाओं को पूर्ण करने में सहायता मिली। इस योजना से द्विपक्षीय एवं औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त विकास संभव हो सका है। इससे बेरोजगारी की स्थिति में भी सुधार हुआ है। भारत को सबसे अधिक प्राथमिक सहायता अमेरिका, भ्राटेइलिया, कनाडा, ब्रिटेन, जापान एवं न्यूजीलैंड से प्राप्त होती है। इसके प्रतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बैंक से भी पर्याप्त मात्रा में प्राथमिक सहायता प्राप्त होती है। कोलम्बो योजना के अंतर्गत सदस्य राष्ट्रों में तकनीकी व्यक्तियों का अभाव है, फिर भी भारत ने इस संबंध में प्रयासपूर्ण कार्य किया है। भारत ने विभिन्न राष्ट्रों के हितों को ध्यान में रखी प्रविणता सुविधाएं प्रदान की हैं। एंगो प्रसार भारत को विदेशी विशेषताओं की

संबाएं प्राप्त होती हैं। भारत को विदेशों से पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इस प्रकार इस योजना के सदस्य राष्ट्रों ने पर्याप्त प्रगति की है।

### (10) विश्व व्यापार नीति (World Trade Policy)

संघट्टाट (UNCTAD) को विकासशील राष्ट्रों के साथ मिलकर एक विश्व व्यापार नीति का पालन करना चाहिए था जिसमें 1970 तक विकासशील राष्ट्रों के विदेशी मुद्रा घाटन करने में 2000 मि० डालर की कमी हो जानी थी। वर्तमान समय में विकासशील राष्ट्रों की दृष्टि में कोई विश्वव्यापार नीति नहीं है। इस बात की नितांत आवश्यकता है कि विकासशील राष्ट्रों से निर्गत को ध्वस्तियत देन से बढ़ाया जाए तथा औद्योगिक राष्ट्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयात को प्राथमिकता दी जाए। व्यापार में वृद्धि करने के लिए कोई समान नीति का पालन नहीं किया गया है।

### (11) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ (International Trade Organisation)

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की स्थापना से विश्व व्यापार में घाने वाली कठिनाइयों को समाप्त करना था। द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व ही विश्व के प्रायः सभी राष्ट्रों से स्वतंत्र व्यापार व्यवस्था सनात हो गई थी तथा प्रत्येक विकासशील राष्ट्र संरक्षण की नीति अपनाकर अपने राष्ट्र की आत्मनिर्भर बनाने में संलग्न था। इससे विश्व के विदेशी व्यापार में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पडा। सन् 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने यह धनुमब किया कि यदि शीघ्र ही सामूहिक आचार पर कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए तो विदेशी व्यापार में पुनः अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों में विभिन्न राष्ट्रों की सरकारें हस्तक्षेप करती थी तथा व्यापार में भी भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी। यूंजी के स्वतंत्र आवागमन पर प्रतिबंध था। अतः अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता उदभ हुई जिससे विश्व व्यापार की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। अतः 1945 के व्यापार सम्झौते एवं 1946 के वित्तीय सम्झौते के फलस्वरूप एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना के विचार का जन्म हुआ। इस संगठन की प्रथम बैठक 1947 में जेनेवा में तथा द्वितीय बैठक 1948 में हवान में हुई। विश्व के लगभग 58 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। भारत ने भी इसमें सक्रिय भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की विशेषताएं—इस संघ के प्रमुख निर्देश निम्न हैं—

(1) प्रशुल्क कर एवं प्राथमिकता—इस सम्झौते में यह स्वीकार किया गया कि सदस्य राष्ट्र प्रशुल्क कर में कमी करें तथा प्राथमिकताओं को समाप्त करें। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र एक-दूसरे के प्रति शर्तहीन परमानुगृहीत राष्ट्र का व्यवहार (Unconditional Most Favoured Nation Treatment) रखे तथा प्रशुल्क करों में कमी बहुमुखी व्यापार (Multilateral basis) पर की जाय।

(2) पूर्ण रोजगार—प्रत्येक सदस्य राष्ट्र यह प्रयत्न करेगा कि वह अपने क्षेत्र में पूर्ण रोजगार प्रदान करे। यह प्रयास उसके राजनैतिक स्वरूप के अनुरूप हो तथा संघ के उद्देश्यों के विरुद्ध न हो।

(3) प्रतिबंधक व्यापारिक रीतियों पर प्रतिबंध—प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इस बात का प्रयास करेगा, कि उसके राष्ट्र में उपयोगित ऐसा कोई कार्य नहीं करे जो प्रतियोगिता को रोकें तथा एकाधिकार को बढ़ावे।

(4) पारिभाषिक प्रतिबंध एवं विनिमय नियंत्रण—संघ का कोई भी सदस्य राष्ट्र अन्य सदस्य राष्ट्रों के आयात एवं निर्यात पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगायेगा। परंतु इसके निम्न ध्येयवाद हैं—

1. समस्त राष्ट्रों को समान अधिकार का आवाहन देना, भेदभाव की नीति न अपनाना तथा बदने में अन्य देशों से समानता के व्यवहार को धारण करना ही अंतर्राष्ट्रीय परमानुगृहीत राष्ट्र का व्यवहार बहनाता है।



(i) साथ पदाय एवं कच्चे माल के अभाव का सामना करने हेतु लगाये गये प्रत्याई प्रतिबंध, (ii) अल्प-भूति वस्तुओं के वितरण पर लगाये गये प्रतिबंध, (iii) सरकारों के मध्य हुए वस्तु समझौते के अंतर्गत प्रतिबंध तथा (iv) भुगतान संतुलन हेतु प्रायास पर नियंत्रण।

(5) आर्थिक प्रगति—युद्धजर्जरित राष्ट्रों को यह सुविधा दी गई कि वे व्यापार पर नियंत्रण लगाकर अपने राष्ट्र को पुनः संस्थापित कर सकें। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राष्ट्र भी विदेशी व्यापार पर नियंत्रण लगाकर औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करते हैं।

(6) प्राकृतिक संपत्ति का विकास—विश्व के प्राकृतिक संपत्तियों का पूर्ण विकास करने एवं उनका अनावश्यक दुरुपयोग रोकने के लिए यह संघ समस्त प्रयासों का प्रयोग करेगा।

(7) अल्प वस्तु के उत्पादन का विस्तार—सब ऐसी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेगा जो अल्पमात्रा में उत्पादित की जाती हैं तथा उनसे उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(8) वस्तु समझौते—संघ में उन समस्त परिस्थितियों को भी स्पष्ट कर दिया गया है जिनके आधार पर विभिन्न राष्ट्र आपस में आयात, निर्यात, उत्पादन एवं मूल्य के संबंध में कोई समझौता कर सकते हैं। यह समझौते एक निश्चित अवधि के लिए ही होंगे तथा इन पर पुनर्विचार व परिवर्तन किया जा सकता है।

## (12) हवाना चार्टर

(Havana Charter)

गठ दो विश्वयुद्धों में विश्व के अनेक राष्ट्रों को काफी हानि उठानी पड़ी। अतः विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने यह अनुभव किया कि समस्त राष्ट्रों की उन्नति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों द्वारा ही सम्भव हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुपक्षीय समझौते के आधार पर बढ़ाने की दृष्टि से 1947 में हवाना में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना हेतु एक चार्टर का निर्माण किया गया जो 'हवाना चार्टर' के नाम से प्रसिद्ध है। इस चार्टर पर लगभग 54 राष्ट्रों ने अपनी सहमति दी जिनमें से भारत भी एक था।

हवाना चार्टर एक ऐतिहासिक चार्टर है जिसमें 9 अध्याय हैं।

हवाना चार्टर के उद्देश्य—इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—

- (1) विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना।
- (2) लोगों की मांग, आय व उपभोग बढ़ाना।
- (3) पिछड़े राष्ट्रों में आर्थिक व औद्योगिक विकास करना तथा वहां पर विदेशी पूंजी को बढ़ावा देना।
- (4) उत्पादन बढ़ाने में प्रत्येक राष्ट्र को समान सुविधायें प्रदान करना।
- (5) विश्व में आर्थिक विकास, रोजगार, व्यापार नीति इत्यादि से संबंधित समस्याओं को हल करना।
- (6) विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को सहायता प्रदान करना जिससे विश्व व्यापार में बाधाएं उपस्थित न हों।
- (7) प्रयुक्त ऋणों में कमी करना, अन्य खातों से दूर करना तथा लाभप्रद व्यापार में वृद्धि करना।
- (8) 'अल्पमात्रा वस्तुओं, अल्प वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना'।
- (9) समस्त राष्ट्रों के उत्पादकों को समान अवसर प्रदान करना।
- (10) विश्व के अल्प वस्तुओं में आर्थिक समझौते करना तथा अंतर्राष्ट्रीय परमानुसूचीय राष्ट्रों का व्यवहार करने की सुविधाएं प्रदान करना।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नियमों का पालन करके विश्व व्यापार में सरलता से वृद्धि की जा सकती है। भारत ने 1949 प्रयुक्त अध्यायों में इन चार्टर को स्वीकार करने की सिफारिश की थी।

अन्वित्य—हवाना चार्टर अमल में नहीं आया है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की आज तक स्थापना नहीं की गई है। 54 राष्ट्रों में से केवल 3 राष्ट्रों ने ही इसे मान्यता प्रदान की। स्वयं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1951 में इसे मानने से इंकार कर दिया। भारत का निर्णय भी द्वन्द्व व अमेरिका के निर्णय पर आधारित था। अमेरिका के इंकार करने

ते भारत भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इस चार्टर का कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं रहा और यह सम्-  
झौता केवल एक वागवही के रूप में ही रह गया। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ का अविष्य भी अंधकार-  
मय हो गया।

(13) प्रमुख एवं व्यापार का सामान्य सम्झौता अथवा गाट  
(General Agreement on Tariffs and Trade or G. A. T. T.)

सन् 1947 में जिस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ के लिए चार्टर बनाया जा रहा था, उसी समय सदस्य  
राष्ट्रों ने प्रमुख संबंधी बातों पर प्रायः बहने का निश्चय किया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि हेतु जी० ए० टी० टी०  
की रूपरेखा तैयार की। उसमें एक सम्झौता किया गया जो 1 जनवरी, 1948 से व्यवहार में लाया गया। इस सम्झौते में  
यह निश्चय किया गया कि विभिन्न राष्ट्र व्यापारिक संबंधों को बढ़ावे तथा प्रायात व निर्यात करों में कमी करें। अन्य  
राष्ट्रों को इस सम्झौते का लाभ देने के उद्देश्य में 1949 में द्वितीय कार्रवाई ऐनेक्सी (फ्रान्स) में की गई, जिसमें 28 राष्ट्रों  
ने भाग लिया। इस सम्झौते का 16वां सम्मेलन मई-जून, 1960 में जेनेवा में हुआ। वर्तमान समय में इस सम्झौते के  
चतुर्थ भाग को परिवर्तन करने हेतु 11 जुलाई, 1966 को एक सम्मेलन बुलेल में हुआ।

जी० ए० टी० टी० के उद्देश्य इस सम्झौते के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—

- (1) विश्व में सदस्य राष्ट्रों में स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहित करना।
- (2) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भेदभावपूर्ण व्यवहार को पूर्णतया समाप्त करना।
- (3) 'अंतर्राष्ट्रीय परमानुगृहीत राष्ट्र व्यवहार' की नीति को बहुमुखी बनाना।
- (4) वर्तमान दाहरी प्राथमिकता पद्धति (Imperial Preference System) को गाट के क्षेत्र से पृथक  
करना।

(5) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रकावट हटाने वाले प्रतिबंधों एवं प्रमुख करों को हटाना।

(6) विदेशी विनिमय संबंधों को दूर करना।

जी० ए० टी० टी० एक अंतर्राष्ट्रीय सम्झौता है जिसमें यह ध्येयवा की गई है कि विदेशी एवं देशी माल  
में समान व्यवहार प्रत्यापना जाए। सदस्य राष्ट्रों के व्यापारिक संबंधों के लिए एक व्यापारिक नीति संहिता (Code of  
Trade Policy) का निर्माण किया गया है। नवम्बर, 1958 में प्रतिवर्ष दो सम्मेलन बुलाये जाते हैं जिसमें महत्त्वपूर्ण  
समस्याओं पर विचार किया जाता है। सदस्य राष्ट्र इस सच से पृथक नहीं हो सकता और पृथक होने के लिए भी उसे  
6 माह पूर्व ही सूचना देना आवश्यक होगा। इस सम्झौते से विकसित राष्ट्रों को अविश्वसित राष्ट्रों की तुलना में अधिक  
लाभ प्राप्त हुआ है। विश्व व्यापार में औद्योगिक राष्ट्रों को अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। अविश्वसित राष्ट्रों को प्राइ-  
मरी उत्पादकों के निर्यात पर विनये वाली छूट के बदले निर्मित माल के आयात पर अधिक छूट देनी पड़ती है। इससे  
अविकसित राष्ट्र प्राकृतिक संपत्तियों का देश के अत्युत्कृष्ट उपयोग नहीं कर सकें। इस सम्झौते के गिद्धांतों में परिवर्तन किया  
गया तथा विकसित राष्ट्रों में यह मान लिया कि विश्व बाजार में प्राइमरी उत्पादन को अधिक विकासकों दो जायं तथा  
सन्तुष्टों की शोषणों में हदोचित लाया जाय। इसी प्रकार औद्योगिक राष्ट्र इस गिद्धांत पर राजी हो गये हैं कि वे  
अविकसित राष्ट्रों को दो गई छूट व रियायतों के बदले, किसी भी प्रकार के लाभ की प्राप्ति नहीं रखेंगे। परंतु इसे व्यव-  
हार में पालन करना इतना सरल नहीं है। इस सम्झौते ने विश्व व्यापार को स्वतंत्र बनाने में सफलता प्राप्त की है।

वर्तमान समय में गाट में 68 सदस्य हैं। विक्टोरिया में 1 अगस्त, 1966 को इस सम्झौते में प्रवेश किया।  
इसमें से 45 राष्ट्र विकसित एवं दो अविश्वसित राष्ट्र सदस्य हैं। इस सम्झौते का महान असहयोगी प्रांत है जिसने अपनी  
तक सम्झौते में हुए परिवर्तन को मानने में इंकार कर दिया है।

भारत एवं जी० ए० टी० टी० : भारत प्रारंभ से ही गाट के विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेता रहा है। 1948-  
49 के तीसरे सम्मेलन में भारत को उम बर्न 1.85 करोड़ डॉ० की प्रत्यक्ष एवं 5.13 करोड़ डॉ० की अप्रत्यक्ष छूट प्राप्त

1. 1947 में जेनेवा में एक बैठक हुई जो और द्वारा चार्टर बनाने में बनाया जा रहा था।

हुई। इसके बदले में भारत ने आयात माल पर .89 करोड़ र० की प्रत्यक्ष एवं 3.77 करोड़ र० की अप्रत्यक्ष सहायता दी। परंतु इससे भारत को विद्येय लाभ नहीं हुआ क्योंकि भारत ने जिन वस्तुओं पर छूट दी थी, वे औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक थी और जिन वस्तुओं पर छूट प्राप्त हुई उनमें भारत को एकाधिकार प्राप्त था। ये वस्तुएं बिना किसी छूट के भी बेची जा सकती थीं। 1958 के जेनेवा सम्मेलन में भारत ने जापान को कई सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की। इस भारतीय कुटीर वस्त्र के माल पर रियायत दे रहा है। वर्तमान समय में जटा (Coir) माल में, जिसमें भारत को लगभग एकाधिकार प्राप्त है, डच, यूरोपीय आर्थिक संगठन से रियायतें प्राप्त करने से, विस्व बाजार में भारत से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। डच के इस उद्योग को आवश्यक नक्चा माल भारत से ही प्राप्त होता है। घट. गाट के अंतर्गत रियायतें प्राप्त करने की अपेक्षा यह उचित व प्रच्छा रहेगा कि भारत अपनी नीति में सुधार करके, आवश्यक कच्चे माल का निर्यात डच को बंद कर दे। यह सुझाव दिया जाता है कि भारत को प्रशुल्क करों में छूट प्राप्त करते समय निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए—

- (1) आयात पर अधिक छूट—इस संघ की सदस्यता होने से भारत को पूंजीगत माल एवं मशीनरी के आयात पर अधिक छूट प्राप्त करनी चाहिए।
- (2) उन वस्तुओं के निर्यात पर अधिक छूट देनी चाहिए जो निर्मित माल हो, विदेशों में जिन पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा हो, तथा जिनकी स्थानापन्न वस्तुएं विदेशों में खोबी जा चुकी हों।
- (3) समन्वित के अंतर्गत होने वाले व्यापार की प्रगति की समय-समय पर जांच की जानी चाहिए।
- (4) भारतीय छोटे पैमाने के उद्योग एवं कुटीर उद्योग तथा अन्य निर्मित माल के निर्यात पर अधिकाधिक सुविधाएं व छूट प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
- (5) जिन-जिन वस्तुओं के संबंध में समन्वित हुए, उनके आयात-निर्यात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए।
- (6) अविष्य में समन्वित के अंतर्गत जो नवीन शर्तें तय की जायें उन पर व्यापारी एवं उद्योगपतियों की सलाह ले लेनी चाहिए।

जो०ए०टी०टी० का भविष्य—वर्तमान समय में प्रशुल्क करों एवं प्रतिबंधों का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में स्वतंत्र व्यापार-नीति को मान्यता नहीं दी जाती। देश की प्रगति बहुपक्षीय समन्वितों पर ही आधारित है। द्विपक्षीय समन्वित एक प्रस्थायी उपाय हैं। द्विपक्षीय समन्वितों से कुल विश्व व्यापार में बमी धा जाती है। भारत बहुपक्षीय समन्वितों द्वारा ही विदेशी व्यापार की प्रगति कर सकता है। भारत को अपने आयात विस्व के सस्ते एवं सर्व-श्रेष्ठ बाजार से प्राप्त करने चाहिए, इसी प्रकार निर्यातों को विश्व के अछे बाजारों में बेचना चाहिए। निर्यात का बाजार क्षेत्र भी व्यापक बनाना चाहिए। बहुपक्षीय समन्वित एवं गाट समन्वित का भविष्य पिछड़े हुए एवं अर्थ-विकसित राष्ट्रों के निर्यात बढ़ाने पर निर्भर है। अविष्य में प्राधा की जाती है कि विश्व के अन्य राष्ट्र भी इसके सदस्य बनेंगे एवं विश्व व्यापार तथा बहुपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी। यद्यपि वर्तमान समय में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के छः राष्ट्र एवं केनेडी प्रस्ताव (Kennedy Round of Talks) के राष्ट्रों के साथ विदेशी व्यापार में रक्षावर्त धा सक्ती हैं परंतु इसकी सदस्य सत्या बढ़ने पर विश्व व्यापार एवं भारत के व्यापार में वृद्धि होगी। अब यह भी स्वीकार कर लिया गया है कि विकसित एवं औद्योगिक प्रगति वाले राष्ट्रों के स्थान पर कम विकसित राष्ट्रों को अपनी वस्तुएं निर्यात करने के लिए अधिक प्रोत्साहन देना होगा।

अभी हाल ही में गाट ने एक ट्रेनिंग कोर्स प्रारम्भ किया है जिनमें भारत, इत्याइल, कोरिया, हांगकांग मलबाई, पीक, फिलीपाइन्स, अरब व उगण्डा के अधिकारियों ने भाग लिया। यह कोर्स 5 माह का होगा जिनमें व्यापार नीति, अर्थ व्यापार प्रवृत्ति, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि पर विचार किया जाएगा। इस कोर्स का उद्देश्य विकसित राष्ट्रों को सहायता करना है जिससे वे नीतिनिर्धारण करने वाले सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दे सकें। अभी समन्वितों के आधार पर वर्तमान बपट्टे के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाजार प्रणाली को तीन बलों के लिये धागे बना दिया है जो कि अगले निवम्बर में समाप्त होने वाली थी। 1975 में छोटे औद्योगिक राष्ट्रों की क्रियाएं 7 बड़े राष्ट्रों की तुलना में ठीक थीं। 1974 व 1975 के मध्य 6 बड़े राष्ट्रों का सम्मिलित व्यापार मूल्य 16,000 मि० डालर था। यदि वित्तीय मपस्यार्थ धम्नोर हो जाए तो औद्योगिक राष्ट्रों को अर्थव्यवस्था पर स्थीनक प्रभाव पड़ेगा। इन राष्ट्रों ने 1974 में

औद्योगिक क्षेत्र में 81,000 मि० डालर का माल आयात किया था। विद्वत् उत्पादन में 3% से ही वृद्धि हुई थी। पूर्वी ब्लॉक के राष्ट्रों के उत्पादन में 6.5 से व विस्तृत राष्ट्रों के उत्पादन में 5% में वृद्धि हुई थी। विद्वत् व्यापार में 6% में ही वृद्धि हुई। तीन राष्ट्रों के निर्यात में 220 प्रतिशत से व विक्रमशील तेल-आयात राष्ट्रों में 200% से वृद्धि हुई। औद्योगिक राष्ट्रों के निर्यात में 7% में वृद्धि हुई। निर्यात माल के निर्यात में 1/3 में वृद्धि हुई जबकि कृषि उत्पादन में 23% से वृद्धि हुई। व्यापार क्षेत्र के सम्बन्ध में तेल निर्यातक राष्ट्रों का योग 66,000 मि० डालर था।<sup>1</sup>

#### (14) मुक्त व्यापार क्षेत्र (Free Trade Area)

यूरोपीय आर्थिक सहयोग मण्डल (O. E. E. C.) की कार्यवाही से प्रसिद्ध होकर सदस्य राष्ट्रों के दूसरे दल ने 20 नवम्बर, 1959 को अपना एक पुनः व्यापारिक संध बनाया जिसे 'यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र' के नाम से जानते हैं।

सदस्य—इस क्षेत्र के 7 सदस्य हैं स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, आस्ट्रिया एवं इंग्लैंड। इंग्लैंड इस दल का नेता है। इसमें आर्थिक विकास की विभिन्न प्रवृत्तियाँ हैं। डेनमार्क कृषि-प्रधान एवं इंग्लैंड उद्योग प्रधान राष्ट्र होने के कारण इस प्रकार समझौता किया गया है जिससे सदस्य राष्ट्रों के व्यापार में वृद्धि हो। इन 7 राष्ट्रों का कुल व्यापार सन् 1959 में विद्वत् व्यापार का 17.7 प्रतिशत था जब कि यूरोपीय साम्राज्य बाजार का व्यापार 23 प्रतिशत था।

उद्देश्य—इस क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं—

(1) सदस्य राष्ट्रों में पारस्परिक व्यापार बढ़ाना, (2) यूरोप की व्यापार संबंधी समस्याओं का हल निकालना, एवं (3) विद्वत् के अन्य राष्ट्रों से व्यापारिक संबंध बढ़ाना।

विशेषताएँ—इस संध की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं—

(1) तटकर की समाप्ति—यह संध प्रांतीय तटकर समाप्त करेगा, परंतु गैर-सदस्य राष्ट्रों पर कर लगाने की पूर्ण स्वतंत्रता सदस्य राष्ट्रों को दी जायेगी।

(2) उपनिवेशों की छोड़ना—इन संध में समुदाय उपनिवेश सम्मिलित नहीं किये गये हैं।

(3) औद्योगिक माल तक सीमित क्षेत्र—इस संध का क्षेत्र केवल औद्योगिक माल तक ही सीमित है क्योंकि कृषि माल के संबंध में पूर्ण रूप से कोई समझौता नहीं हो पाया है।

(4) सीमित बंधन—इस संध में बंधन सीमित हैं तथा इसका उद्देश्य आवाहिक है।

मुक्त व्यापार संध एवं भारत—भारत के विदेशी व्यापार में इस संध का काफी महत्व है। भारत के कुल आयात व निर्यात में क्रमशः 20% व 30% भाग इसी क्षेत्र का है, परंतु इसमें से अधिकांश व्यापार केवल इंग्लैंड द्वारा ही होता है। इंग्लैंड में साम्राज्य प्राथमिकता योजना (Commonwealth Preference Scheme) के अंतर्गत भारतीय माल को विशेष सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। भारत के अधिकांश निर्यात इंग्लैंड में करमुक्त हैं। इस संध के योग 6 राष्ट्रों को भारत में केवल 5 प्रतिशत निर्यात किये जाते हैं। विद्वत् व्यापार में इस संध का काफी महत्व है क्योंकि इस क्षेत्र में विद्वत् के 1/6 निर्यात एवं 1/5 आयात किये जाते हैं।

मुक्त व्यापार क्षेत्र की प्रगति—अनुमान था कि दिसम्बर, 1966 तक यह संध निर्मित माल के लिए एक 'घरेलू स्वतंत्र बाजार' के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जायेगा। इस क्षेत्र के सदस्य राष्ट्रों में 1973 तक तटकर पूर्णरूप में समाप्त हो जायेंगे। इस क्षेत्र का औद्योगिक व्यापार 612 मि० डालर हो गया जबकि पूर्व में मासिक औद्योगिक

1. The financial Express, Sep. 4, 1975.

2. यह राष्ट्र हीने व्यापारिक प्रतिबंध करने से विद्वत् सदस्य राष्ट्र द्वारा मार्बोविद्वत् एवं अतिरिक्त अधिकार बनाये रहें। यह सुविधा यूरोपीय आर्थिक सहयोग मण्डल में अत्यंत नवीनीकरण से राष्ट्र समुदाय को देते हैं।

3. इन दल का नेता इंग्लैंड था।

व्यापार केवल 305 मि० डालर था। इस क्षेत्र के व्यापार में वार्षिक 12 प्रतिशत से वृद्धि हुई। यूरोपीय साम्राज्य बाजार से इस क्षेत्र की वृद्धि 10 प्रतिशत ही हुई। साम्राज्य बाजार की निर्यात में 5 प्रतिशत एवं आयात में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विश्व के विकसित राष्ट्रों से इस क्षेत्र के व्यापार में विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इस क्षेत्र का औसत मासिक आयात 3,000 मि० डालर था।

EFIA क्षेत्र के राष्ट्रों में नाबॉ ने काफी प्रगति की है और भूगतान संतुलन में काफी वृद्धि हुई है। इनके व्यापार में 147% से वृद्धि हुई है। इन राष्ट्रों में स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और नाबॉ स्वयं अच्छे बाजार हो गये हैं। इस क्षेत्र के निर्माण से सदस्य देशों के निर्यात एवं आयात व्यापार में विशेष रूप से वृद्धि हुई है। भविष्य में यह क्षेत्र अधिक शक्तिशाली सिद्ध हो सकता है।

### (15) यूरोपीय साम्राज्य बाजार

(European Common Market or E. C. M.)

प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व विश्व में स्वतंत्र व्यापार की नीति का पालन हो रहा था। इससे प्रायः समस्त राष्ट्रों की विदेशी व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से यूरोप दो भागों में बंट गया। पूर्वी यूरोप पर सोवियत रूस और पश्चिमी यूरोप पर अमरीका का प्रभाव बढ़ने लगा। इन दोनों भागों में तीव्र प्रतिस्पर्धा होने लगी। रूस व साम्यवादी राष्ट्रों के प्रभाव को खत्म करने हेतु अमरीका ने सन् 1944 में मार्शल योजना बालू की। इसी प्रकार पश्चिमी जर्मनी को पादशास्य राष्ट्रों के प्रभाव के अंतर्गत लाने हेतु अनेक प्रयास किये गये। 1929 की विश्वमंदी एवं द्वितीय विश्वयुद्ध ने यूरोपीय राष्ट्रों की स्थिति बहुत खराब कर दी थी। अतः आर्थिक क्षत्र में मिलकर काम करने की प्रेरणा प्रारंभ हुई। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर सर्वप्रथम सन् 1951 में यूरोप के 6 राष्ट्रों ने मिलकर राजनैतिक एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर 'यूरोपियन कोयला एवं स्थापक संगठन' (European Coal and Steel Community) का निर्माण किया। इसका उद्देश्य समस्त 6 राष्ट्रों में कोयला एवं स्थापक के उत्पादन में विवेकीकरण एवं वृद्धि करना था। इस योजना की सफलता से प्रेरित होकर इन्हीं राष्ट्रों ने एक 'यूरोपियन सुरक्षा संगठन' (European Defence Community) की स्थापना का प्रयास किया। इस संगठन का उद्देश्य सैनिक शक्ति का एकीकरण करना था। लेकिन फ्रांस द्वारा विरोध करने से इस संगठन की स्थापना न हो सकी।

परन्तु इस असफलता के फलस्वरूप भी आर्थिक अंगत में सघ स्थापित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। अतः इन राष्ट्रों ने एक 'यूरोपियन परमाणु शक्ति संगठन' (European Atomic Energy Community) की स्थापना की। इसमें इन्हें काफी सफलता प्राप्त हुई। इससे प्रेरित होकर 25 मार्च, 1957 को इन्हीं राष्ट्रों ने रोम संधि पर हस्ताक्षर किये और इसी संधि के आधार पर यूरोपीय साम्राज्य बाजार (European Common Market) की स्थापना की गई। इस बाजार का निर्माण 1 जनवरी, 1958 को हुआ। इसके 6 सदस्य राष्ट्र निम्न प्रकार हैं—(1) बेल्जियम, (2) पश्चिमी जर्मनी, (3) फ्रांस, (4) इटली, (5) लक्जेंबर्ग, एवं (6) हाल्लंड। इन सदस्य राष्ट्रों के प्रतिरिक्त 16 सहयोगी राष्ट्र और हैं। इस बाजार का प्रथम स्वतंत्र प्रजातांत्रिक प्रणाली के आधार पर होना है। इस बाजार की अपनी कार्यकारिणी, मंत्रिमंडल एवं सदस्य हैं। यद्यपि यह बाजार एक 'तटकर संगठन' (Custom Union) के रूप में ही प्रारंभ किया गया था परन्तु आज यह विश्व की एक महान् आर्थिक एवं राजनैतिक शक्ति का रूप ग्रहण कर रहा है। इस बाजार का क्षेत्रफल 4.49 लाख वर्गमील एवं जनसंख्या 17 करोड़ है। इस बाजार ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और आज यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी हो गया है।

### उद्देश्य

इस बाजार के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

(1) बाजार क्षेत्र विस्तृत करना—बाजार का ध्येय इतना विस्तृत करना कि सदस्य राष्ट्रों के उद्योगों का समतुल्य संवाहन हो तथा संपूर्ण क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली बन जाय।

1. इस योजना से सन् 1952 की योजना सन् 1956 में कोयला एवं स्थापक का उत्पादन दुगुना हो गया।

(2) कम लागत पर उत्पादन—विस्तृत बाजार उपलब्ध करना जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन कम लागत पर सम्भव हो सके।

(3) तटकर संगठन की स्थापना—एक तटकर संगठन (Custom Union) की स्थापना करना, जो 12 वर्षों की अवधि में तटकरों को समाप्त करके एक ऐसे बाजार का निर्माण करे जिसमें बिना प्रतिबंध के परस्पर व्यापार बढ़ सके।

(4) करों की दरें समान करना—समुद्र पाठ राष्ट्रों के माल के प्रायात व निर्यात पर करों की दरें समान करना जो कि सदस्य राष्ट्रों में प्रचलित करों की औसत दर में अधिक न हो।

(5) श्रम व पूंजी की गतिशीलता—बाजार के क्षेत्र के अंदर श्रम व पूंजी की गतिशीलता पर कोई भी प्रतिबंध न होगा।

(6) आचरण संहिता का निर्माण—एक सामान्य आचरण संहिता रखी जायेगी जो सदस्य राष्ट्रों के उद्योगों को प्राथिक सहायता दे।

(7) सभान परिवहन व मजदूरी दरें—सदस्य राष्ट्रों के मध्य परिवहन व मजदूरी की दरें समान रहेंगी।

(8) यूरोपियन सामाजिक कोष—अधिकों के सहायताार्थ एक 'यूरोपियन सामाजिक फंड' (European Social Fund) की स्थापना होगी जिसने अधिकों के प्रतिपाल हेतु भाषा व्यय चुकाया जायेगा।

(9) यूरोपियन निवेशन कोष—एक यूरोपियन निवेशन फंड (European Investment Fund) की स्थापना का लक्ष्य रखा गया जो उद्योगपरिषदों की, अधिकों की दशाएं सुधारने हेतु वित्तीय सहायता देगा।

(10) खेत्रवार व मूल्य में स्वायत्तत्व—सदस्य राष्ट्र ऐसी प्राथिक नीतियां अपनायें, जिनमें सामूहिक अंतराष्ट्रीय भुगतान गारन्टीयता में रहे राष्ट्रीय मुद्रा में विन्यास बड़े एवं खेत्रवार व मूल्य में स्वायत्त रहे।

(11) परामर्श-मौद्रिक समिति—एक परामर्श-मौद्रिक समिति (Advisory Monetary Committee) की स्थापना का लक्ष्य रखा गया जो सदस्य राष्ट्रों के मुद्रातान संयुक्त पर निगरानी रखे तथा कठिनाइयां उत्पन्न होने पर उपाय बताये।

## संगठन

इन बाजार की प्राथिक मामलों में अनागरण प्रभुसत्ता प्राप्त है। इसके कार्य विभिन्न एजेंसी द्वारा किये जाने हैं। यूरोपियन प्राथिक संघटन (European Economic Council) प्रशासन संबंधी कार्य करता है। इनमें शक्तिक सदस्य राष्ट्र का एक-एक सदस्य होता है। इस संगठन के सहायताार्थ 9 सदस्यों का एक यूरोपियन समीक्षण है। इसके प्रतिरिक्त एक परामर्श-मौद्रिक समिति एवं 'यूरोपियन प्राथिक एवं सामाजिक समिति' का भी गठन किया गया है।

## ब्रिटेन व यूरोपीय सामा बाजार

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन यूरोप में एक गतिशीलता राष्ट्रीय माना जाने लगा। 1947 में ब्रिटेन को विलियम मंडल का सामना करना पडा। यद्यपि इस समय अमरीका द्वारा मार्शल योजना प्रारंभ कर दी गई थी, परन्तु ब्रिटेन ने इनमें कोई नाम प्राप्त नहीं किया। ब्रिटेन ने उदार नीति का पालन किया जिससे यूरोप में इनका प्रभाव घट गया। मन् 1957 में जब ई० सी० एच० के लिए रोम संधि हुई तो ब्रिटेन ने इसका विरोध किया और फरमा स्वयं का एक अलग गृह बना दिया।<sup>1</sup> जुलाई, 1961 में टिनसैट की डक ने गृह का सदस्य बना गया। लेकिन यह संघ बनने उद्देश्यों की पूर्ति में असमर्थता प्राप्त नहीं कर सका। आस्ट्रिया प्रस्तुत, 1965 में साम्ना बाजार का लक्ष्य बनने का प्रयास कर रहा है और उसे अनुमति भी प्राप्त हो गई है। मन् 1965 में ब्रिटेन ने साम्ना बाजार के सदस्य बनने का एक अलग प्रयास किया। ब्रिटेन प्रारंभ से ही साम्ना बाजार का सदस्य होता नहीं चाहता था और इसी कारण उसने

1. ब्रिटेन के इस गृह का नाम यूरोपियन खेत्र संगठन रख दिया गया। इसके कुल 7 सदस्य थे—ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेन, डेनमार्क एवं नीदर। ब्रिटेन इस गृह का नेता था।

रोम संधि प्रस्तावों को नहीं माना था।

समान कृषि नीति के प्रश्न पर साम्राज्य बाजार में समझौता होने से ब्रिटेन को अधिक मंरक्षण मले ही प्राप्त हो जायें, परंतु उसे राजनैतिक सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी व इटली को चार-चार वोट, नीदरलैंड व बेल्जियम को दो-दो वोट एवं लक्जेम्बर्ग को एक वोट मिला है। पहले प्रत्येक राष्ट्र को वोटों का अधिकार था, परंतु अब बहुमत द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं जो समस्त राष्ट्रों को मान्य होंगे। अब जर्मनी व फ्रांस एक हो गए हैं, जो ब्रिटेन पर राजनैतिक दबाव अवश्य डालेंगे। यह प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की राजनैतिक सत्ता को एक चुनौती थी। प्रारंभ से ही फ्रांस ब्रिटेन को साम्राज्य बाजार में सदस्य बनाने के पक्ष में नहीं था और ब्रिटेन भी सदस्य होना नहीं चाहता था। परंतु अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। ब्रिटिश विदेश मंत्री—ने घोषित किया था कि "ब्रिटेन साम्राज्य बाजार का सदस्य बनने को तैयार व इच्छुक है, बशर्ते कुछ ब्रिटिश हितों की रक्षा की जाए—सरकार एक विस्तृत यूरोपियन एकता देलना चाहती है।" ब्रिटेन ने साम्राज्य बाजार का सदस्य बनने का आग्रह किया। फ्रांस भी रोम संधि प्रस्तावों में मशौघन चाहता है, इन कारण ब्रिटेन का सदस्य होना अब निश्चित-सा हो गया है। ब्रिटेन का साम्राज्य बाजार में सदस्य बन जाने पर यह आवश्यक नहीं है कि यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार संधि का अस्तित्व समाप्त ही हो जाए। साम्राज्य बाजार में ब्रिटेन के सदस्य बन जाने से अन्य सदस्य राष्ट्रों को भी पर्याप्त लाभ हुआ है परंतु कामनवैल्य के राष्ट्रों ने ब्रिटेन के साम्राज्य बाजार में सदस्य बनने का पूर्ण रूप से स्वागत नहीं किया है। उदाहरणस्वरूप, ब्रिटेन के साम्राज्य बाजार में सदस्य बनने से आस्ट्रेलिया के निर्यात व्यापार में लाखों पौंड की हानि होगी, न्यूजीलैंड के निर्यात व्यापार कम होये व साइप्रस की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

### भारत और यूरोपीय साम्राज्य बाजार

भारत को यूरोपीय साम्राज्य बाजार से अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में साम्राज्य बाजार के अत्यंत निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई है। यह व्यापार विकसित एवं बिकासशील दोनों ही प्रकार के राष्ट्रों के साथ बढ़ा है। भारत के ब्रिटेन से सदैव ही घनिष्ठ व्यापारिक संबंध रहे हैं। सन् 1913-14 से पूर्व भारत के कुल आयात में से 93% भाग ब्रिटेन का था परंतु द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यह घटकर 26% ही रह गया। सन्-सन्: ब्रिटेन से आयात की अपेक्षा निर्यात बढ़े तथा भारत विदेशी विनिमय अर्जित करने लगा। वर्तमान समय में भारत ब्रिटेन को बहुत अधिक मात्रा में माल निर्यात करता है। ब्रिटेन के साम्राज्य बाजार में सम्मिलित होने से भारत के विदेशी व्यापार पर कुप्रभाव पड़ेगा।

### साम्राज्य बाजार एवं वर्तमान संकट

प्रारंभ में 1965 से फ्रांस ने साम्राज्य बाजार से अपने को पृथक कर लिया था, परंतु फरवरी, 1966 से पुनः उसने भाग लेना स्वीकार कर लिया है। साम्राज्य बाजार के सदस्य राष्ट्रों ने एक समान कृषि नीति को कार्यान्वित करने का विचार कर लिया है। अब कोई भी राष्ट्र 'वोटों' का प्रयोग नहीं करेगा और समस्त निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे।

अब ब्रिटेन के साम्राज्य बाजार में प्रवेश से भारत को व्यापारिक दृष्टि से लाभ होगा या नहीं, इसका निर्णय भविष्य में ही हो सकेगा। लेकिन साम्राज्य बाजार के साथ निरंतर बढ़ता प्रतिफल व्यापारिक समुलन सरकार के लिए एक विचार का कारण बन गया है। भारत सरकार को साम्राज्य बाजार के साथ निर्यात बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। साम्राज्य

"Britain is ready and willing to join the Common Market, provided that certain British Interests can be safeguarded.....the Government would like to see a wider European unity." British Foreign Minister declared.

२. इसके निम्न कारण हैं—(१) साम्राज्य बाजार के राष्ट्रों में अहदबन्ध उन्नति हुई है, (२) सारी घटियाँ को मोटि अब बचपनी नहीं रही, (३) कामनवैल्य के संबंध में ब्रिटेन में घनिष्ठ नहीं रहे, (४) कामनवैल्य राष्ट्रों में राजनैतिक एकता नहीं है।

बाजार ने भारत से निर्यात होने वाली कुछ वस्तुओं पर 31 दिसम्बर, 1966 तक कोई भी कर न लगाने का निश्चय किया था। ताजा बाजार के विनाश पर ही विश्व का व्यापार निर्भर है। भारत के निर्यात में वृद्धि भी ताजा बाजार की प्रगति पर निर्भर है।

### (16) सर्वाधिक मान्य राष्ट्र धारा (Most Favoured Nation Clause)

जब कोई दो राष्ट्र व्यापारिक सम्मोदा करते हैं तो उसमें प्रत्येक धाराओं को भी सम्मिलित करने के साथ-साथ 'सर्वाधिक मान्य राष्ट्र धारा' को भी सम्मिलित कर लेते हैं। इस धारा का यह अर्थ होता है कि यदि विदेशी व्यापार में कोई राष्ट्र कोई सुविधा किसी राष्ट्र को देता है तो यह सुविधा स्वतः ही उस राष्ट्र को भी प्राप्त हो जाएगी जिस राष्ट्र के सम्मोदा में इस धारा का उल्लेख है। उदाहरणार्थ भारत व जापान के मध्य व्यापारिक सम्मोदा में 'सर्वाधिक मान्य राष्ट्र धारा' भी सम्मिलित है और यदि भारत प्रमरीका से प्राने वाले किसी माल पर आयात-कर 30 प्रतिशत कर दे जबकि उस माल पर सामान्य आयात-कर 40 प्रतिशत है तो इस धारा के अनुसार जापान से प्राने वाले माल पर भी अब आयात-कर 30 प्रतिशत ही लगेगा, 40 प्रतिशत नहीं।

सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा राष्ट्रों तटकरों में संबंध के परस्पर सुविधाओं का विनियम करने लगे हैं। व्यापारिक सम्मोदा करने वाले राष्ट्र यह निश्चय कर लेते हैं कि वे विशेष करों को कम कर देंगे। यह कभी सामान्य एवं विशेष हो सकती है।

साम—(1) सही रास्ते पर जाना—जब कोई राष्ट्र ऊंचे तटकर लगाता है तथा टेरिफ वार्ता में भी भाग नहीं लेता तो उसके विरुद्ध इस धारा का प्रयोग करके उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है।

(2) व्यापार में वृद्धि—जो राष्ट्र निर्यात माल का निर्यात करता है, उसके साथ इस धारा का उपयोग करके व्यापार में वृद्धि हो जा सकती है।

(3) लाभ प्राप्त होना—जो राष्ट्र अन्य प्रकार की सुविधाएं नहीं देते हैं, उन्हें इस धारा से महत्वपूर्ण रियायतें व लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

(4) बहुमूल्य रियायत—इस धारा के प्रावधान से ही राष्ट्र के विदेशी व्यापार में बहुमूल्य रियायत प्राप्त हो जाती है।

हानियों—इसकी हानियां निम्नलिखित हैं—

(1) यदि किसी व्यक्ति में स्वतंत्र व्यापार की नीति या संरक्षण की नीति प्रचलित हो इस धारा से सामान्य करों में भी विराट्ट पा जाती है और व्यापार पर मुद्रा प्रभाव पड़ता है।

(2) एक मांग प्रत्येक राष्ट्रों में इस धारा के संतर्गत वार्ता चर्चाता प्रायः कठिन व सम्पादनात्मक होता है।

(3) इस धारा के प्रयोग किए बिना ही करों में भारी छुट्ट प्राप्त की जा सकती है।

(4) कम व्यवस्थित होते एवं अप्रतुल्य बाजार वाले राष्ट्रों के लिए यह धारा बहुत हानिकारक रहती है।

(5) यह धारा विशेष तटकर संधियों के निर्माण को रोकती है।

(6) इस प्रकार तटकर में कमी करना एक सुराई एवं भाषिक बोझ माना जाता है।

### (17) खुला सामान्य लाइसेंस (Open General Licence)

भारत के विदेशी व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए सन् 1947 में आयात-निर्यात नियंत्रण अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार आयात एवं निर्यात दोनों पर नियंत्रण करती है। भारत से वस्तुओं का निर्यात बिना लाइसेंस किए नहीं किया जा सकता और जिन वस्तुओं पर नियंत्रण लगाया गया है उनको एक सूची में दर्ज कर लेते हैं। जो वस्तुएं इस सूची में दर्ज नहीं की जाती हैं वे वस्तुएं नियंत्रण से मुक्त होती हैं तथा बिना निर्यात लाइसेंस किए ही निर्यात की जा सकती हैं।



इसके प्रतिरिक्त कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो निर्यात निर्यात वस्तुओं की सूची में तो होती हैं परंतु इन पर निर्यात लाइसेंस अथवा श्राव्य अधिकार बनाना से प्राप्त हो जाता है। ऐसी वस्तुओं को पृथक् से लिखा जाता है, और इन पर जो लाइसेंस निर्मित किया जाता है, उसे 'खुला सामान्य लाइसेंस' कहते हैं। वर्तमान समय में भारत में निम्न चार प्रकार के खुले सामान्य लाइसेंस दिए जाते हैं—

- (1) वे समस्त वस्तुएं जो विदेशों में उपयोग हेतु निर्यात की जाती हैं।
- (2) मिन, जिसका निर्यात दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों को किया जाता है।
- (3) वे समस्त वस्तुएं जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और जिन्हें सरलता से विदेशों में निर्यात किया जा सकता है। इसमें 59 वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं।
- (4) पाकिस्तान को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं जिनकी समय-समय पर सरकार द्वारा घोषणा की जाती है।

### (18) संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन

(United Nations, Conference of Trade and Development or UNCTAD)

अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं मंथों के निर्माण के बावजूद भी विद्व के विकासशील एवं षट्टविकसित राष्ट्र अपने क्षेत्र का औद्योगिक विकास तीव्रगति से न कर सके। बीसवीं शताब्दी में जारी किए गए हवाना चार्टर एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व तटकर समझौते (गार्ट) से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होने एवं विकासशील राष्ट्रों की अर्थ-व्यवस्था में सुधार होने की आशा की गई थी, परंतु इससे व्यापार एवं अर्थव्यवस्था दोनों को ही प्रोत्साहन नहीं मिला तथा गरीब एवं अमीर राष्ट्रों की दूरी बढ़ती ही गई तथा 1970 तक विकासशील राष्ट्रों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। अतः विकासशील राष्ट्रों के व्यापार एवं अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए जोर दिया गया और इसी प्रयास के परिणामस्वरूप 1960 में संयुक्त राष्ट्र सभ के व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) का जन्म हुआ।

प्रथम सम्मेलन जेनेवा में हुआ, जिसमें विकासशील राष्ट्रों की समस्याओं एवं उनके निराकरण पर विशेष जोर दिया गया। इन राष्ट्रों के विकास से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करके विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक संबंधों में वृद्धि करने के उद्देश्य से कुछ निश्चित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इन समस्त निष्कारियों को वाप्यांगित करने के उद्देश्य से एक मण्डल का निर्माण किया गया तथा यह आशा व्यक्त की गई कि द्वितीय सम्मेलन होने तक मण्डल के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा परंतु प्रथम सम्मेलन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी वृद्धि हुई, फिर भी विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास की गति कम होकर अमीरी व गरीबी के बीच की खाई में और अधिक वृद्धि हुई। विकसित राष्ट्रों में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय 60 डालर प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, वहाँ अर्थव्यवस्था में इनकी वृद्धि 2 डालर है। प्रारंभ में यह निष्कारियों की गई थी कि विकसित राष्ट्र अपनी आय का एक प्रतिशत भाग सहायता के रूप में विकासशील राष्ट्रों को देंगे, परंतु इसमें निरंतर कमी होती गई तथा गाड़े व अन्य क्षेत्रों में भेदभावपूर्ण नीति अपनाने में विकासशील राष्ट्रों का भ्रुष्टता सतुलन स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है। विकासशील राष्ट्रों के निर्यात में भी वृद्धि नहीं हुई है तथा इनकी विदेशी मुद्रा के अभाव का सामना करना पड़ा।

इस सम्मेलन में विकासशील राष्ट्रों को तटकर आर्थिक सुविधाओं से जो बंचित रखा जाता था उन्में परिवर्तन किया गया तथा इन राष्ट्रों को भी अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गईं। विकासशील राष्ट्रों को जो सहायता दी जाएगी, उसके बदले में उनसे किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। इसी प्रकार केनेडी समझौते से भी विकासशील राष्ट्रों को व्यापार संबंधी अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गईं। तृतीय व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD III) द्वारा विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास करने के प्रयास किए गए।

समस्याएं— विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है कि इन राष्ट्रों की समस्त समस्याओं को आपसी बानबान द्वारा दूर कर दिया जाय। द्वितीय सम्मेलन 1967 में भी समस्त समस्याओं का समाधान करना संभव नहीं था, अतः प्राथमिकता एवं छापाती विचार-विमर्श के अनुसार उन कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। विभिन्न राष्ट्रों में विकासशील राष्ट्रों के विकास के लिए अनेक विचार-विमर्श किए गए तथा

यह निश्चित किया गया कि समस्त विकासशील राष्ट्रों के भाधारपूर्ण हित परकममान हैं। इस संबंध में विकासशील राष्ट्रों में एकता होना आवश्यक है। इनके लिए स्वयं प्रयास करने की आवश्यकता है। अतः पारस्परिक व्यापार को बढ़ाने, एवं घनिष्ठ सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है।

इस सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन 29 मार्च, 1963 को समाप्त हुआ। यह अधिवेशन 58 दिन तक चला। यदि ब्रिटेन एवं स० रा० अमरीका में आर्थिक संकट उत्पन्न न हुए होते तो शायद इस सम्मेलन के अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होने क्योंकि इन राष्ट्रों ने अपनी आवश्यकताओं के प्रति सास-तोर से ध्यान दिया। विश्व के विकसित राष्ट्रों में विकासशील राष्ट्रों की कठिनाइयों के संबंध में आवश्यक जागरूकता का अभाव पाया जाता है। विकासशील राष्ट्रों की औद्योगिक क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस सम्मेलन में 77 राष्ट्रों ने एकता का परिचय दिया है। इस प्रकार विकसित एवं अविश्वसित राष्ट्रों में सहयोग की भावना उत्पन्न हो सकेगी।

इस सम्मेलन का तृतीय अधिवेशन भी हो चुका है और इस अधिवेशन से विकासशील देशों के विकसित होने के समयों में अंतर बूझ हुई है। आशा है भविष्य में विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में आपसी भावना और बढ़ेगी।

## अंतर्राष्ट्रीय तरलता (International Liquidity)

### प्रारम्भिक

प्रत्येक श्रेय के लिए नगदी में भुगतान करना आवश्यक होता है। अतः नकद सौदों को श्रेय करने, ऋणों के भुगतान के लिए एवं आर्थिक विपत्तियों के लिए जो कुछ भी बचाकर रखा जाता है उसे तरलता कहते हैं। विदेशों में आयात किए गए माल का भुगतान निर्यात द्वारा किया जाता है। यदि आयात की मात्रा निर्यात की अपेक्षा अधिक है तो शेष दायित्व का भुगतान स्वर्ण द्वारा किया जाता है या उन देश के मंचित वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार उन देशों की विदेशी मुद्रा की मंचित निधि एवं स्वर्ण वस्तु ही विदेशी भुगतान का सहारा होता है और इस प्रकार इन वस्तुओं के संपूर्ण योग ही अंतर्राष्ट्रीय तरलता कहते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय तरलता से आयात स्वर्ण एवं विश्व बाजारों में स्वतंत्रता से स्वीकार की जाने वाली मुद्रा के वस्तुओं की कुल विश्व पूंति से है। कुल द्रव्यता में स्वर्ण एवं राष्ट्रीय मुद्रा को महत्व दिया जाता है।

### अंतर्राष्ट्रीय तरलता की परिभाषा

(1) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बोप की रिपोर्ट—अंतर्राष्ट्रीय तरलता में ये समस्त साधन सम्मिलित किए जाते हैं, जो राष्ट्रों के मौद्रिक अधिकारियों को भुगतान समुलन संबंधी घाटे को पूर्ण करने हेतु उपलब्ध होते हैं।<sup>1</sup>

(2) फ्रिट्ज़ माच्लुप (Fritz Machlup)—“अंतर्राष्ट्रीय तरलता का अर्थ भुगतान क्षमता की तत्परता से लगाया जाता है। इसे वस्तुओं के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो एक निश्चित समयावधि में बाह्य वस्तुओं को उपलब्ध करता है।”<sup>2</sup>

(3) वीथ हौसफ़ील्ड—अंतर्राष्ट्रीय तरलता से आयात विश्व के स्वर्ण वस्तु या मुद्रा की पूंति से लगाया जाता है, जो कि स्वतंत्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किया जाता है जैसे डालर या स्टर्लिंग तथा उन्हें ऋण प्राप्त करने की सुविधाएं भी सम्मिलित हैं।<sup>3</sup>

1. “International liquidity consists of all the resources that are available to the monetary authorities for the purpose of meeting balance of payments deficits.”—I. M. F. Annual Report, 1964, p. 25

2. “International liquidity means capacity to pay promptly. It can be expressed as a ratio of funds disposable to funds needed over a certain period of time.”

3. “International liquidity is the terms given to the world supply of reserves of gold or of currencies which are freely usable internationally, such as dollars or sterling plus facilities for borrowing these.”—Finance and Development, Dec. 1964, p. 171.

वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तरलता का पूर्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुग्तान करने हेतु उपलब्ध वित्तीय साधनों पर निर्भर है। इन वित्तीय साधनों में स्वर्ण, विदेशी मुद्राएं एवं ऋण लेने की योग्यता को सम्मिलित किया जाता है। स्वर्ण कोषों को मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय तरलता का सबसे उत्तम अंग माना जा सकता है। वर्तमान समय में विदेशी मुद्राएं भी कोष में रखी जा सकती हैं। इसी प्रकार जिन राष्ट्रों में ऋण लेने की योग्यता है वह सरलता से आयातों का मुग्तान कर सकता है, जिसे विदेशी व्यापार निरंतर चलता रहता है।


1960 में डालर का पतन हुआ तथा उस पर दौड़ प्रारंभ होने से अंतर्राष्ट्रीय द्रव्यता की पर्याप्तता पर संका की जाने लगी। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष में निरंतर वृद्धि हो रही है, परंतु स्वर्ण कोष अनुपात से कम बढ पाए हैं। वर्तमान समय में विश्व अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने से स्वर्ण एवं मुद्रा का संतुलन बिगड़ गया है जिससे द्रवता के अभाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्वर्ण में वृद्धि करना सरल न होने से यह आवश्यक है कि इन अभाव को मुद्राओं की सहायता से दूर किया जाए, परंतु ऐसा करना भी सरल नहीं है।

### अंतर्राष्ट्रीय तरलता के अंग

अंतर्राष्ट्रीय तरलता के अंग निम्न प्रकार हैं —

- (1) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के विशेष आहरण अधिकार।
- (2) द्विपक्षीय उपारी समझौते।
- (3) दुर्लभ मुद्राएं।
- (4) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा राष्ट्रों के केंद्रीय बैंकों के पास सोने के कोष।
- (5) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष पर कोटा एवं निकासी का अधिकार।
- (6) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के अस्थायी आहरण अधिकार।

उपर्युक्त में से किसी में भी वृद्धि होने से विश्व तरलता में वृद्धि हो सकती है। इसे निम्न चार्ट द्वारा भी दिखाया जा सकता है—



### अंतर्राष्ट्रीय द्रवता की आवश्यकता

अंतर्राष्ट्रीय मुग्तान किसी भी राष्ट्र की मुद्रा में किया जा सकता है, जिसके लिए एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में परिणत करना पड़ता है जो कि विनिमय बैंकों या केंद्रीय बैंक द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है। इस संबंध में यदि केंद्रीय बैंक के साधन पर्याप्त न हों तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से ऋण लिया जा सकता है। यदि यह व्यवस्था संभव न हो सकेगी तो संबंधित राष्ट्र आयात न कर सकेंगे तथा विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि संभव न हो सकेगी। अतः विश्व व्यापार की वृद्धि के लिए स्वर्ण एवं अन्य परिवर्तनशील मुद्रा की उपलब्धि होना आवश्यक है जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय तरलता का प्रबंध होना आवश्यक है।

### अंतर्राष्ट्रीय तरलता का महत्त्व

वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन का मुग्तान करना एक कठिन समस्या बन गया है। यदि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापार संबंधों का प्रबंध न किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना

करना पडता है । इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय तरलता का काफी महत्व है । इस महत्व को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में सरलता—पर्याप्त मात्रा में तरल कोष होने पर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सरलता एवं नियमितता बनी रहेगी तथा तरल कोषों के अभाव में भुगतान करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी तथा व्यापार पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

(2) डालर की दुर्लभता—डालर की माग बढ़ने से 1957 तक डालर की दुर्लभता बनी रही जिससे स्वर्ण के निर्यात होने का नय बना रहता है । सरलता होने पर इस समस्या को हल किया जा सकता है ।

(3) अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएं—विद्वेक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष एवं अन्य मौद्रिक संस्थाओं की स्थापना से अंतर्राष्ट्रीय तरलता का महत्व बड़ गया है ।

(4) सीमित डालर सहायता—डालर सहायता उदारतापूर्वक प्राप्त होने पर तरल कोषों की कमी को दूर किया जा सकता था, परंतु 1968 से महायत्ना में कमी करने के कारण तरल कोषों में जो अभाव उत्पन्न हो गया है उसकी पूर्ति करने के लिए तरलता का महत्व बड़ गया है ।

(5) नवीन योजनाएं—अनेक प्रकार की नवीन योजनाओं के प्रारंभ होने से तरल कोषों का अभाव अनुभव किया गया जिससे विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । अतः विदेशी व्यापार के समुचित विकास के लिए तरलता को बनाए रखना आवश्यक है ।

(6) विद्वेक व्यापार में वृद्धि—गत 20 वर्षों में विद्वेक व्यापार की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से विद्वेक के तरल कोषों पर भारी प्रभाव पड़ा है जिसे दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि करना आवश्यक होगा ।

(7) स्वर्ण कोषों में कमी—अमरीकी स्वर्ण कोषों की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय तरलता की मात्रा में भी कमी होने से तरलता का महत्व बड़ गया है ।

(8) प्रतिकूल व्यापार संतुलन—स्वर्ण कोषों का 70% भाग सं० रा० अमरीका के पास था जिससे अन्य राष्ट्रों के सम्मुख नियमित रूप से भुगतान करने की समस्या बनी हुई थी । यदि अमरीका का व्यापार संतुलन प्रतिकूल हो जाता तो समस्या का समाधान संभव था, परंतु ऐसा संभव न होने से अंतर्राष्ट्रीय तरलता का महत्व बड़ गया ।

(9) विदेशी व्यापार—विदेशी व्यापार में वृद्धि करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तरलता का महत्व अधिक है ।

### अंतर्राष्ट्रीय तरलता की माप

अंतर्राष्ट्रीय तरलता को निम्न सूत्र से मापा जा सकता है—

सूत्र—

$$L = R - R_{\min} + F_o + F_p - \Delta R_{\min}$$

यहां पर,

L = तरलता ।

R = स्वर्ण व विदेशी मुद्रा-कोष ।

R min = न्यूनतम कोष मात्रा ।

F\_o = सरकारी वित्त प्रवचन ।

F\_p = निजी वित्त प्रवचन ।

$\Delta R_{\min}$  = तरलता के प्रयोग के कारण R min में वृद्धि ।

### तरल कोषों की पर्याप्तता

(Adequacy of Liquidity)

किसी भी राष्ट्र में तरल कोषों की स्थिति पर्याप्त है या नहीं, यह उस राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, जनता की बचत क्षमता, व्यापारिक स्थिति आदि बातों पर निर्भर करेगा । राष्ट्रों की आर्थिक नीतियाँ भिन्न-भिन्न होने से तरल कोषों की पर्याप्तता भी भिन्न-भिन्न हो जाती है । देश के आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तरलता का पर्याप्त

मात्रा में होना प्रति आवश्यक है। कोपी की पर्याप्तता का अनुमान आर्थिक नीति के माध्यम पर लगाया जा सकता है जो कि विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न-भिन्न होती है।


### अंतर्राष्ट्रीय तरलता के उद्देश्य

अंतर्राष्ट्रीय तरलता की पर्याप्तता के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—

- (1) यथोचित वितरण—अंतर्राष्ट्रीय कोपी का विभिन्न राष्ट्रों में यथोचित वितरण होना चाहिए क्योंकि एक ही राष्ट्र में कोपी का केंद्रीयकरण होने से यह पर्याप्त नहीं माने जा सकते।
- (2) विदेशी व्यापार का नियमित भ्रूगतान—यदि देशी मुद्रा के प्रति जनता का विश्वास बना रहे तथा विदेशी व्यापार की नियमित ढंग से भ्रूगतान व्यवस्था हो तो तरल कोपी पर्याप्त माने जाएंगे। यदि निर्यात व्यवस्था संभव न हो तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में ऋण प्राप्ति की सुविधाएँ होनी चाहिए।
- (3) आयात-निर्यात की मात्रा—सुव्यतान संतुलन प्रतिकूल होने पर विदेशी विनिमय अथवा स्वर्ण द्वारा उसे संतुलित किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न राष्ट्रों के मुल आयात एवं निर्यात की भाषा तरल कोपी को प्रभावित करती है।
- (4) उतार-चढ़ाव का प्रभाव—यदि अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन प्राकृतिक उतार-चढ़ाव के प्रभाव में चरते रहे तो अंतर्राष्ट्रीय तरल कोपी को पर्याप्त माना जाएगा, अन्यथा कोपी में वृद्धि करना आवश्यक होगा।
- (5) राष्ट्रीय दृष्टिकोण—राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रत्येक देश में पत्र-मुद्रा के पीछे स्वर्ण या विदेशी विनिमय कोप रखा जाता है। व्यवहार में केंद्रीय बैंक निर्धारित भाषा से अधिक मात्रा में कोप रखते हैं जिससे मौद्रिक अर्थ-व्यवस्था में पर्याप्त लीच बनी रहे। इसी प्रकार आंतरिक स्तर पर तरल कोपी रखने का उद्देश्य भी मुद्रा के मूल्य को स्थिर रखकर मुद्रा की सुदृढ़ बनाना है।
- (6) विनिमय दर में स्थिरता—तरलता की पर्याप्त मात्रा में रखकर मुद्रा की विनिमय दर को स्थिर बनाए रखा जा सकता है और इसके लिए विदेशी विनिमय पर नियंत्रण लगाए जा सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय तरलता के उद्देश्यों को निम्न चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है :

#### अंतर्राष्ट्रीय तरलता के उद्देश्य



### तरलता में वृद्धि के कारण

अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि निम्न कारणों से होती है—

- (1) विदेशी विनिमय—विवरक के सभी राष्ट्र प्रथमः उन्हीं मुद्राओं को रखना चाहते हैं, जिन्हें सभी राष्ट्रों में स्वीकार किया जाए जैसे डॉलर व स्टलिंग। 1948 से अमरीका का भ्रूगतान संतुलन प्रतिकूल होने से अंतर्राष्ट्रीय तरलता में अथार वृद्धि हुई है। यदि अमरीका भ्रूगतान संतुलन अनुकूल हो गया तो तरलता में कमी धा जाएगी।
- (2) स्वर्ण की स्थिति—स्रोतों से निचलने वाले स्वर्ण का कुछ मात्रा औद्योगिक कार्यों एवं कुछ संग्रह के लिए निजी भंडार में रखा जाता है तथा कुछ केंद्रीय बैंक के पास जमा हो जाता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक में जो स्वर्ण जमा होता है वह अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कोपी में वृद्धि करता है।

### अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि के उपाय

अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि करने के निम्न उपाय बताए जा सकते हैं—

(1) स्वर्ण मूल्य में वृद्धि करना—स्वर्ण के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि करने अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि की जा सकती है। इसमें स्वर्ण का भौतिक मूल्य बढ़ जाएगा। ऐसा करने से सबसे अधिक लाभ अमरीका को प्राप्त होगा।

(2) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का निर्गमन—अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष को अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक की भांति कार्य करना चाहिए। इसके लिए विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का निर्गमन किया जाना चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष को समाशोचन गृह के रूप में कार्य करना चाहिए।

(3) स्वर्ण उत्पादन में वृद्धि—अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि स्वर्ण उत्पादन में वृद्धि की जाए, जिसके लिए नवीन स्रोतों की खोज करना आवश्यक होगा। परन्तु इस संबंध में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि लागत में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अनुमान लगाया गया है कि इस प्रकार से स्वर्ण कोषों में वृद्धि करने की सम्भावनाएं सबसे कम हैं।

(4) लोचपूर्ण विनिमय दर—लोचपूर्ण विनिमय दर अपनाने से विश्व के सभी राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को हल किया जा सकता है।

### समस्याएं

अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि करने में अनेक समस्याएं उपस्थित हो जाती हैं जो कि निम्न प्रकार हैं—


(1) तस्कृत बाजार—स्वर्ण का बाजार मूल्य अधिक होने पर वहां तस्कृत व्यापार द्वारा स्वर्ण प्राकर बिकेगा, जिससे विदेशी विनिमय बाजारों को निरंतर हानि होगी। स्वर्ण का मूल्य बढ़ने पर एक और तो काता घन जमा करने वालों को लाभ होगा तथा दूसरी ओर स्वर्ण में ही विनियोजन बढ़ेगा।

(2) मुद्रा स्फीति—प्रत्येक राष्ट्र स्वर्ण की छान्न पर पत्र-मुद्रा का प्रचलन करता है। स्वर्ण के मूल्य में वृद्धि होने पर मुद्रा-स्फीति का भय बना रहेगा और देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़कर देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन नहीं मिल सकेगा।

(3) ढालर के अवमूल्यन की समस्या—विश्व के अनेक राष्ट्रों ने ढालर एवं स्टैलिंग को अपनी पत्र-मुद्रा का आधार बना लिया है। स्वर्ण के मूल्य में वृद्धि होने मात्र से स्वर्ण की मांग बढ़ जाएगी, परिणामस्वरूप समस्त स्वर्ण कोष समाप्त होकर दायित्वों को पूर्ण करना संभव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार स्वर्ण के मूल्य में वृद्धि होने से ढालर में अवमूल्यन द्वारा समस्या जाएगा।

तरलता वृद्धि संबंधी विभिन्न योजनाएं

### तरलता वृद्धि संबंधी विभिन्न योजनाएं



अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि करने हेतु प्रमुख योजनाएं निम्न प्रकार हैं—

(1) हैरोड योजना (Harrod Plan)—मूल्यों में निरंतर वृद्धि होने से हैरोड ने यह सुझाव रखा कि स्वर्ण कोष का 35 शतर प्रति शीत से बढ़कर 70 शतर प्रति शीत कर दिया जाए, अर्थात् ढालर के मूल्य में अवमूल्यन कर दिया जाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि की जा सके।

### रोप

इस योजना के प्रमुख दोष अग्रनिमित्त ये—

- (i) प्राधिक्य बढ़ना—डालर का प्रवृत्त्यन करने से चालू ऋतु में प्राधिक्य बढ जाएगा जिससे प्रतिस्पर्धिक प्रवृत्त्यन होने लगेगा ।
- (ii) मुद्रा प्रसार की समस्या—स्वर्ण मूल्यों में वृद्धि करने से मुद्रा प्रसार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी ।
- (iii) सट्टे में वृद्धि—मूल्य बढ़ने से स्वर्ण मूल्यों की प्रवृत्ति के संबंध में अनिश्चितता उत्पन्न होकर सट्टे की प्रवृत्तियों में वृद्धि हो जाएगी ।
- (iv) स्वर्ण उत्पादकों को लाभ—स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से विद्व के स्वर्ण उत्पादक राष्ट्रों को विशेष लाभ होने की संभावना हो जाएगी ।
- (v) कारण का प्रभाव—प्रमरीका के भुगतान सतुलन में प्रभाव्यता उपस्थित न होने से डालर का प्रवृत्त्यन करने से कारण बताने संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी ।
- (2) विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights)—प्रतारतीय तरलता में वृद्धि करने के लिए विशेष आहरण अधिकार योजना का पालन किया जा सकता है । इस योजना की प्रमुख विशेषताओं निम्न हैं—
- (i) मुद्रा का रूप—घाटे वाला राष्ट्र प्रारम्भिक 5 वर्ष की अवधि में अपने अधिकार के 70% तक प्रत्य मुद्रा को लौटि सकेगा ।
- (ii) अधिकार का स्वर्ण मूल्य—इसमें स्वर्ण का मूल्य प्रवर्तित दर के हिसाब से निश्चित किया जाता है । तथा ध्याज की दर भी कम रखी गई है, जिससे धन का दुष्प्रयोग न हो ।
- (iii) प्रवृत्त्यन—मुद्रा का प्रवृत्त्यन होने पर संबंधित राष्ट्र को प्रतिरिक्त भुगतान करना होगा ।
- (iv) प्रतारहित आहरण—इसमें अधिकतम निर्धारित सीमा तक आहरण करने के लिए देनदार राष्ट्र पूर्णरूप से स्वतंत्र होंगे तथा यह राशि 5 वर्ष बाद वापस की जाएगी ।
- (v) प्रतिरिक्त कोष—सदस्य राष्ट्र वार्षिक आधार पर निविद्य राशि तक प्रतिरिक्त कोष निर्माण किए जायेंगे और इसका प्रयोग भुगतान सतुलन संबंधी घाटों की पूर्ति के लिए ही किया जा सकेगा ।

### S D R योजना के पक्ष में विचार

- (1) कोई भी राष्ट्र SDR के माध्यम से भुगतान समंतुलन को दूर कर सकता है ।
- (2) अन्तर्विस्तृत देशों की व्यापार की स्थिति, व्यापार का बातावरण, पूँजी एवं सहायता प्रादि की संभावनाएं बढ जाएंगी ।
- (3) SDR योजना को प्रणायकर परिवर्तनशील विनिमय दरों की नीतियों को टुकरा दिया गया है ।
- (4) SDR की योजना से प्रतारतीय सहयोग में वृद्धि होगी ।
- (5) SDR की यह योजना प्रतारतीय तरलता की समस्या को हल करने में सहायक सिद्ध होगी ।

### सीमाएं

विशेष आहरण अधिकार योजना की अपनी कुछ सीमाएं हैं, जिन्हें निम्न प्रकार रखा जा सकता है :

- (i) महत्वपूर्ण भाग को छोड़ देना—इस कोष की सदस्यता विद्वध्यायी न होने से विद्व ध्यापार एवं भुगतान का महत्वपूर्ण भाग छोड़ दिया गया है ।
- (ii) वैज्ञानिक ढंग का प्रभाव—इसमें कोटे का निर्धारण मुद्रा-कोष के आधार पर किया गया है जो कि कोई वैज्ञानिक ढंग नहीं है ।
- (iii) उद्देश्यों के विपरीत—विकागतल राष्ट्रों ने इस अधिकार का प्रयोग दुर्लभ मुद्रा की प्राप्ति में किया है, जिससे इसका उपयोग योजना के उद्देश्यों के विपरीत है ।
- (iv) यहाँ योजना कोई स्वामी हल प्रस्तुत नहीं करती है क्योंकि तरलता का मुख्य आधार स्वर्ण है जिसका उत्पादन बढ़ाया जाना आवश्यक है ।
- (v) SDR में मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि होगी और थोड़े समय में ही तरल कोषों की कमी हो जाएगी ।



(vi) SDR विकास का प्रबंध करने में प्रयत्न करते हैं। यह केवल मुद्राओं के घाटे को पूरा करने में ही मदद करते हैं।

(vii) SDR की वास्तव में प्रत्यापी हल माना गया है।

(viii) SDR पर व्याज की दर नी बहूत कम है जो कि केवल 1.5% है।

(ix) अनुमान है कि 1980 तक अल्पविकसित देशों के घाटे की राशि 26 अरब डॉलर होगी, जिसका प्रबंध करना कठिन होगा।

(x) SDR का मनी देजों द्वारा स्वीकार किया जाना भी संकास्तर है।

(xi) कहा जाता है कि SDR से केवल अनरोका को ही लाभ प्राप्त होगा।

(xii) इससे केवल विकसित देशों को ही लाभ होगा। 86 अल्पविकसित देशों को SDR का 28% तथा विकसित देशों को SDR का 72% प्राप्त होगा।

(xiii) कठिन समय में SDR को कोई भी प्राप्त करना नहीं चाहेगा।

(3) ट्रिफिन योजना (Triffin Plan)—इस योजना के अनुसार राष्ट्रीय मुद्राओं से कोपों का राष्ट्रीय-करण करके अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए जो आवश्यकतानुसार साख उतारने करे तथा मुद्रा को रिजर्व मुद्रा के रूप में चलाना या सके।

## दोष

इस योजना के प्रमुख दोष निम्न हैं—

(i) असांखिक—इस योजना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नकलना प्राप्त करना असांखिक माना जाता है।

(ii) मुद्रा प्रसार—इस व्यवस्था में मुद्रा प्रसार का भय बना रहता है जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उचित नहीं समझा जाता।

(iii) राष्ट्रीयता का हानन—इस व्यवस्था की अंशनासे राष्ट्रीय हितों को त्यागना पड़ता है, जिससे राष्ट्रीयता का हानन हो जाता है तथा समस्त कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही किए जाते हैं।

(4) जैकबसन योजना (Jacobson Plan)—इस योजना के अंतर्गत यह प्रस्ताव रखा गया कि अर्थिक मुद्राओं वाले राष्ट्यों के साथ स्थायी रूप में अल्पविकसित-समन्वित किए जाने चाहिए, जिससे तरलता की मांग बढ़ने पर प्रमुख मुद्रा को उधार निदा या सके तथा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्यों को अल्प प्रदान किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-नियंत्रण में भी इस योजना को स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार अन्य विभिन्न योजनाओं एवं उपायों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि करने के उपाय किए गए हैं, जिनमें मुद्रा एवं कोटा वृद्धि की योजनाएं प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-नियंत्रण द्वारा विदेश आह्वार प्रतिहार योजना को स्वीकार करके उसे कार्यान्वित किया गया है।

(5) बर्नस्टीन योजना (Bernstein Proposal)—इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद समस्त देश मुद्रा-नियंत्रण को अल्प दें तथा बरतने में व्याज सहित बाध दें से, जिनके पीछे स्वर्ण की कमी हो। इन बाधों की निरविवध परिपक्वता का समर्थन होना। इसमें विश्व मुद्राओं का एक सहामुख संस्था का निर्माण भी किया जाना था।

(6) स्वर्ण पूल (Gold Pool)—अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक की कमी से एक स्वर्ण पूल का निर्माण करके जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से स्वर्ण संचयन को स्थायी बनाने में किया जाए। यह सचयन खानी हो बना है।

## मूल्य परिवर्तन को मापने की विधि (निर्देशांक)

[(Technique for Measuring Price Variations (Index Number))]

### प्रारंभिक

निर्देशांकों का उद्देश्य मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति की ओर संकेत करना है। सामान्य प्रवृत्ति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु ही विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को कीमतों का प्रामाण्य ज्ञात किया जाता है। इसी प्रीसत को सामान्य मूल्य स्तर या निर्देशांक कहते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति ही मुद्रा का मूल्य होता है। वस्तुएं एवं सेवाएं मुद्रा के रूप में मापने के कारण मुद्रा का संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं से ही होता है। मुद्रा की क्रय शक्ति घटने पर कम वस्तुएं एवं सेवाएं तथा मुद्रा का मूल्य अधिक होने पर अधिक वस्तुएं व सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। इस प्रकार मुद्रा के मूल्य एवं वस्तुओं के मूल्यों में विरोधी संबंध रहता है। इस प्रकार जब मुद्रा का मूल्य घटता है तो वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि तथा जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो वस्तुओं के मूल्यों में कमी हो जाती है। वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें एक साथ नहीं घटती-बढ़ती, बल्कि इनमें धीरे-धीरे ही परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़ते, कुछ के घटते एवं अन्य के स्थिर रहते हैं, परंतु मूल्यों में एक केंद्रीय प्रवृत्ति पाई जाती है। वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन होने से द्रव्य के मूल्यों में उच्चावचन होते जिससे समाज के विभिन्न वर्गों की प्राथिक गिथि में परिवर्तन होते रहते हैं, फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। उचित प्राथिक नीतियों की सहायता से द्रव्य के मूल्य को स्थिर रखना आवश्यक है जिससे समाज में स्थिरता एवं प्राथिक समृद्धि को प्राप्त किया जा सके। द्रव्य के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए सूचक संकी (Index Numbers) का प्रयोग किया जाता है।

### निर्देशांक की परिभाषा

निर्देशांक की प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं—

(1) किन्ले—“निर्देशांक एक ऐसा संकेत है, जो एक चुनी वस्तु या वस्तुओं के समूह के मूल्यों को प्रदर्शित करता है या एक निश्चित तिथि पर उन वस्तुओं के सामयिक मूल्यों का प्रीसत प्रदर्शित करे, जो एक प्रमाण के रूप में उपयोग की जाए, जहां प्रायः चलकर हम उन्हीं वस्तुओं के मूल्यों की तुलना कर सकें।”<sup>1</sup>

(2) सैकराइट के अनुसार—“निर्देशांक संकेतों की एक शृंखला है, जो कि मुद्रा के मूल्यों के साथ मूल्य स्तर में परिवर्तन को दिखाती है। यह सापेक्षिक संकेत होते हैं, जो विभिन्न समयों पर मुद्रा की क्रय शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन

1. “An index number is a number which represents the price of a chosen commodity or group of commodities or the average of closely consecutive prices of those commodities at a selected date, which is used as a standard wherewith we may compare the prices of the same article at later dates.”—Kinley : *Money*, p. 13.

मूल्य में महान्क होते हैं, तथा मूल्य स्तर के उच्चार-वर्द्धाव को मापते हैं।<sup>1</sup>”

(3) चांदतर—“निर्देशांक श्रृंखला है, जो कि एक समय में मौसव मूल्यों की ऊंचाई को सापेक्षता को प्रदर्शित करे।”<sup>2</sup>

यदि मूल्यनांक बढ़ रहे हैं तो सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि मानी जाती है, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं में मूल्यों में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। इसके विपरीत यदि मूल्यनांक गिर रहे हैं तो सामान्य मूल्य स्तर कम हो जाता है, जिसमें वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं परंतु मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। निर्देशांक मुद्रा मूल्य का प्रत्यक्ष मापक नहीं है, बल्कि मूल्यों के तुलनात्मक रूप को ही प्रदर्शित करता है। इस प्रकार निर्देशांक मुद्रा के मूल्य के पूर्ण एवं निरपेक्ष मापक को प्रदर्शित नहीं करता। यह मूल्यों के परिवर्तन के तुलनात्मक रूप को ही प्रदर्शित करते हैं। मूल्यों के निर्देशांक दो विभिन्न समय में मूल्य स्तरों की तुलना करने में सहायक सिद्ध होते हैं। प्राथमिक घटना के तुलनात्मक परिवर्तन को सूचित करने के लिए भी निर्देशांक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार निर्देशांक मूल्यों के परिवर्तन के तुलनात्मक रूप को ही प्रदर्शित करते हैं।

निर्देशांक संबंधी अनुसंधान का कार्य सर्वप्रथम 1707 में ह्यूमा और इन पद्धति का विस्तृत प्रयोग 1860 के पश्चात् ही हुआ है। सबसे प्राचीन निर्देशांक विद्या फ्लोटवूड (Bishop Fleetwood) द्वारा निम्नित क्रोनिकोन प्रेसियोसम (Chronicon Preciosum) में देखने को मिलता है। इन निर्देशांकों का प्राविष्टकार मुद्रा में होने वाले परिवर्तनों को मापने हेतु किया गया था, परंतु वर्तमान काल में देशका क्षेत्र अल्पव्य विस्तृत हो गया है और प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाने लगा है। भावकाल इसका प्रयोग उत्पत्ति, विक्रय एवं व्यापार आदि में होने लगा है।

### निर्देशांक के भेद

निर्देशांक दो प्रकार के होते हैं—

(1) साधारण निर्देशांक—यह बहु श्रृंखला होते हैं जिनको तैयार करने में वस्तुओं के सापेक्षिक महत्व को ध्यान में नहीं रखते हैं।

भारतियन निर्देशांक (Weighted Index Number)—यह मूल्यस्तर के वे श्रृंखला होते हैं जिनको तैयार करते समय वस्तुओं के सापेक्षिक महत्व को भी ध्यान में रखा जाता है।

### मूल्यनांक बनाने की विधि

मूल्यनांक या निर्देशांक बनाने में निम्न बातों को ध्यान दिया जाना चाहिए—

(1) वस्तुओं एवं सेवाओं का चुनाव—समाज में अनेक प्रकार की वस्तुओं का त्रय-विक्रय किया जाता है, अतः प्रत्येक वस्तु की कीमत का विचार करना अत्यन्तव है। अतः ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का चुनाव किया जाता है जो कि अन्य वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करें। चुनाव करते समय निर्देशांक के उद्देश्यों को भी ध्यान देना आवश्यक है। यदि निर्देशांक का उद्देश्य रहन-सहन स्तर का पता लगाना है तो जीवन से संबंधित वस्तुओं का ही चुनाव करेंगे। इस संबंध में यह ध्यान रखना होगा कि वह वस्तुएं समाज के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जाती हों। प्रो० निर्वेल का कथन है कि “बुनी हुई वस्तुओं की संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वस्तुओं के वर्गों की संख्या दृढ़नी पर्याप्त होगी

1. “Index numbers are series of numbers which show variations in price levels with those in the value of money. These are relative numbers which enable us to compare the purchasing power of money at different periods of time, and measure the movements in the level of Prices.”—Secrist : *An Introduction to Statistical Methods*, p. 295.

2. “Index numbers are figures which show the height of average prices at one time relative to their height at some other time.”—Chandler : *An Introduction to Monetary Theory*, p. 8.

(7) वस्तुओं का चुनाव—वस्तुओं का चुनाव करते समय इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वे वस्तुएं सर्वसाधारण के उपयोग की एवं प्रतिनिधि हों। वस्तुओं का चुनाव करते समय प्रायः निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए—

(i) वर्गीकृत एवं प्रमाणीकृत—वस्तुएं वर्गीकृत एवं प्रमाणीकृत होनी चाहिए जिनमें मूल्यों का निर्धारण उचित ढंग से किया जा सके।

(ii) प्रतिनिधि स्थानों का चुनाव—प्रायः ऐसे स्थानों का चुनाव करना चाहिए जहां वस्तुएं बड़ी मात्रा में खरीदी एवं बेची जाती हो तथा जहां के मूल्य अन्य स्थानों को प्रभावित कर सकें।

(iii) शोक मूल्य—निर्देशकों की गणना में वस्तुओं के शोक मूल्यों को लिया जाता है, क्योंकि एक ही स्थान पर यह समान रूप से पाए जाते हैं।

(iv) लोकप्रिय वस्तुएं—वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो उम स्थान पर अधिक लोकप्रिय हों तथा प्रत्येक व्यक्ति उनका प्रयोग करता हो।

(v) गुण में समानता—चुनी हुई वस्तुओं के गुण में कोई विशेष अंतर नहीं होना चाहिए। प्रायः उन वस्तुओं को ही लेना चाहिए जो सर्वाधिक प्रचलित हो।

(vi) प्रतिनिधित्व—वस्तुएं ऐसी हों जो रीति-रिवाज, रचि, भावत एवं भावदयकताओं का उचित प्रतिनिधित्व करें। प्रतिनिधित्व वाली वस्तुएं ही अधिक उपयोगी मानी जाती हैं।

(8) वस्तुओं का वर्गीकरण—विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तनों का पृथक्-पृथक् अनुमान लगाने में वस्तुओं का वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। परिवर्तन की दिशा व मात्रा का अनुमान वर्ष के आधार पर ही किया जाना चाहिए जिनमें प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त हो सके। भारत में शोक निर्देशकों की 112 वस्तुओं को 5 प्रमुख वर्गों एवं 20 उपवर्गों में विभाजित किया गया है।

(9) भारत करने का ढंग—निर्देशक रचना में वस्तुओं को उनके महत्व के आधार पर भार देना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि व्यावहारिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं समान मात्रा में प्रयोग नहीं की जाती। भार का चुनाव उचित ढंग से करना चाहिए, अन्यथा परिणाम अमोत्यादक होंगे। भार निर्दिष्ट करने के दो ढंग हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं—

(i) परिमाण भार—इस विधि में समस्त वस्तुओं को परिमाणा के आधार पर भार प्रदान किया जाता है।

(ii) मूल्य भार—इसमें मूल्यों के आधार पर वस्तुओं को भार प्रदान किया जाता है। इसकी दो विधियां हैं जो कि निम्नलिखित हैं—

(अ) प्रत्यक्ष भार (Explicit)—जो भार शंको के रूप में दिए जायें, उन्हें प्रत्यक्ष भार कहते हैं। उदाहरणार्थ यदि नोजन पर 30 रु०, बस पर 20 रु० एवं इंधन पर 20 रु० व्यय हो तो भार क्रमशः 3 : 2 : 2 होगा।

(ब) अप्रत्यक्ष भार (Implicit)—जब वस्तु को अधिक महत्व प्रदान करना हो तो उसमें बर्दा प्रकार के मूल्यों का समावेश किया जाना चाहिए जिनमें यदि गेहूँ व चाकर क्रमशः 5 : 3 प्रकार के हो तो उनका भार भी क्रमशः 5 : 3 होगा।

(10) मूल्य-अनुपात निकालना—इसकी गणना करने में आधार वर्ष के मूल्य को 100 मानकर दिए हुए वर्ष की कीमतों का निर्देशक बनाना होता है जिनमें आधार वर्ष की कीमतों के प्रतिगमन में साठ करते हैं। इसे निम्न मूल्य से साठ कर सकते हैं—


मूल्य—(1) स्थिर आधार रीति—

$$\text{प्रचलित वर्ष का निर्देशक} = \frac{\text{आवृ वर्ष का मूल्य}}{\text{आधार वर्ष का मूल्य}} \times 100$$

(ii) श्रृंखला आधार रीति :

$$\text{निर्देशांक} = \frac{\text{चालू वर्ष का मूल्य}}{\text{विद्यते वर्ष का मूल्य}} \times 100$$

इसे निम्न चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है--



### निर्देशांक उद्देश्य

निर्देशांक के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—

- (1) मनुष्य के विभिन्न वर्गों पर पढ़ने वाले परिवर्तनों के प्रभाव का अध्ययन करना ।
- (2) मूल्यों में होने वाले सामान्य परिवर्तनों को मापना ।

### निर्देशांकों के लक्षण

निर्देशांक के प्रमुख लक्षण निम्न हैं—

- (1) सापेक्ष रूप—निर्देशांक सदैव सापेक्ष रूप में ही बनाए जाते हैं, जबकि निरपेक्ष रूप में प्रकट करने पर वह तुलना के योग्य नहीं होते । इसमें आधार को 100 मानकर प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाता है ।
- (2) सार्वभौम उपयोगी—निर्देशांकों की उपयोगिता सार्वभौमिक होती है तथा प्रत्येक बात का प्रदर्शन विद्यते वर्षों के आधार पर किया जाता है ।
- (3) संख्यात्मक में प्रदर्शन—निर्देशांक सदैव संख्यात्मक में ही प्रदर्शित किए जाते हैं, जिससे उनका स्थायी प्रभाव पड़ता है ।
- (4) तुलना का आधार—तुलना समय या स्थान के आधार पर की जाती है । समय के लिए विद्यते माह या वर्ष को तथा स्थान के लिए विद्यते भू-भाग को आधार माना जाता है ।
- (5) माध्य के रूप में—निर्देशांक द्वारा परिवर्तन की सूचना को माध्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें सामान्य रूप से समस्त प्रकार के परिवर्तनों की दिशा एवं मात्रा को दर्शाया जा सकता है ।

### निर्देशांक की विनोपताएं

निर्देशांक को सर्वोत्तम उसी समय कहा जाता है, जबकि उसमें निम्न विनोपताएं हों—

- (1) वस्तु की इकाई को सम्मिलित करना—आधार वर्ष में देय की मूद्रा के बराबर मूल्य की वस्तु की इकाई को ही सम्मिलित किया जाता है, जिसमें भार की समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है ।
- (2) प्रवृत्ति सूचनांक—इसमें प्रवृत्ति सूचनांक का निर्माण करना भी आवश्यक होता है, जिससे सामान्य स्तर पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सके ।

(3) भाषिक वस्तुएं—मूचनाक में समस्त क्षेत्र की अधिकाधिक वस्तुओं को सम्मिलित करना चाहिए जिससे उनकी उपयोगिता बढ जाए। यदि थोके मूल्यों या छुटकर मूल्यों का निर्देशांक तैयार करना है तो उससे सम्बन्धित मनी वस्तुओं के मूल्यों को सम्मिलित किया जाता चाहिए।

(4) मात्रा में परिवर्तन—कंसान, रचि एवं स्त्रमाड में परिवर्तन होने से मात्रा में भी प्रडिक्पे परिवर्तन होना आवश्यक है।

निर्देशांकों का महत्त्व

(Importance of Index Numbers)

निर्देशांक के महत्त्व को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(i) भाषिक बैरोमीटर एवं पूर्वानुमान—निर्देशांक को भाषिक बैरोमीटर कहा जाता है जिसमें भाषिक घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।

(ii) परिवर्तन को व्यक्त करना—अनुसंधान की विषय-मामधी में होने वाले परिवर्तन की मात्रा एवं प्रवृत्ति को व्यक्त करने के उद्देश्य से भी निर्देशांक प्रयोग किए जाते हैं।

(iii) तुलनात्मक अध्ययन—भाषिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए निर्देशांकों को ही आधार माना जाता है।

(iv) व्यावसायिक उच्चावचन—व्यवसाय में होने वाले अवसाद या समृद्धि को निर्देशांक की सहायता से सरलता से मापा जा सकता है।

(v) सापेक्षिक परिवर्तन—परिवर्तन सर्वे सापेक्षिक व महत्त्वपूर्ण होते हैं तथा इन्हें मापने के लिए प्रायः निर्देशांक ही अधिक उपयुक्त माने जाते हैं।

### निर्देशांक का बनाना

निम्न दान्पनिक उदाहरण से निर्देशांक की रचना की जा सकती है—

#### साधारण सुचनार्क

वस्तुएं	मूल्य 1960	निर्देशांक 1960	मूल्य 1976	निर्देशांक 1976
	प्रति कि०		प्रति कि०	
गेहूं	25	100	100	400
बाबन	20	100	50	250
दरकर	200	100	800	400
कपडा प्रतिपत्र	20	100	50	450
घोचड		100		$\frac{1300}{4} = 325$

1960 की घरेला 1976 के मूल्यों में 225% के वृद्धि हुई।

भारत निर्देशांक

वस्तुएं	मात्र	1960		1976	
		मूल्य	निर्देशांक	मूल्य	निर्देशांक
गहू	6	25	$100 \times 6 = 600$	100	$400 \times 6 = 2400$
चावल	3	20	$100 \times 3 = 300$	50	$250 \times 3 = 750$
शक्कर	2	200	$100 \times 2 = 200$	800	$400 \times 2 = 800$
कपड़ा	1	20	$100 \times 1 = 100$	50	$250 \times 1 = 250$
			1200		4200
			12		12
			= 100		350

अतः स्पष्ट है कि 1960 की अवस्था 1976 में मूल्यों में 250 प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

निर्देशांक की उपयोगिता  
(Utility of Index Numbers)

निर्देशांक की उपयोगिता को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

- (1) मूल्यों के निरूपण—निर्देशांक वर्तमान आंकड़ों को प्रकट करने के अनिश्चित, मूल्यों के बारे में भी निरूपण निकारने हैं तथा वर्तमान आंकड़ों को नियंत्रित एवं संशोधित करते हैं।
- (2) राष्ट्रीय आय का अनुमान—निर्देशांक की सहायता से राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तनों का पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं तथा उनके आधार पर ही योजनाएं निर्मित की जाती हैं।
- (3) कठिन तथ्यों को सरल—निर्देशांक कठिन तथ्यों को सरल बनाते हैं तथा अनेक भावार्थक तथ्यों को निर्देशांक की सहायता से ही व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाता है।
- (4) सरकारी नियंत्रण साधन—विभिन्न क्षेत्रों के परिवर्तनों को ज्ञात करके सरकार उन पर उचित नियंत्रण लगाकर देण हित में कार्य कर सकती है।
- (5) वेतन निर्दिष्ट करने में सहायक—श्रम-निर्वाह निर्देशांक की सहायता से श्रमजनों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है तथा वेतन प्रादि निर्दिष्ट करने में सफलता बनी रहती है।
- (6) मूल्यों के परिवर्तनों का अध्ययन—निर्देशांक की सहायता से मूल्यों के परिवर्तनों का अध्ययन करके व्यवसायी एवं उपन्यासगण अपनी क्रियाओं को संशोधित कर सकते हैं।
- (7) जन-साधारण को लाभ—बीमा कंपनियां प्रत्यादि की दर, रेलवे भाड़े की दरें प्रादि को निर्देशांक की सहायता से निर्दिष्ट करती हैं। इस प्रकार निर्देशांक की सहायता से अनेक प्रकार की महत्त्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं।
- (8) विभिन्न राष्ट्रों की तुलनाएं—निर्देशांक की सहायता से विभिन्न राष्ट्रों की उत्पादन, क्रय शक्ति प्रादि अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं जो देश के नियोजित आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मानी जाती हैं।
- (9) तुलनात्मक अध्ययन संभव—निर्देशांक की सहायता से तुलनात्मक अध्ययन संभव हो जाता है, क्योंकि निर्देशांक आंकड़ों को सामेयिक रूप में प्रकट करते हैं, जिससे तुलना करने में सुविधा बनी रहती है।

निर्देशांक की सीमाएं  
(Limitations Of Index Numbers)

निर्देशांक की प्रमुख सीमाएं इस हैं—

- (1) व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना—निर्देशांक में व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना की जाती है तथा यह सामान्य रूप से ही सत्य होने है तथा समस्त इकाइयों पर प्रोमत रूप से ही लागू होते हैं।
- (2) तुलना समभव नहीं—विभिन्न स्थानों पर व्यक्तियों के रहन-सहन का ढग विभिन्न होने से निर्देशांक तुलना योग्य नहीं हो पाते।
- (3) शक्यपद दृष्टि—निर्देशांक विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनके निर्माण करने की विधिया विभिन्न प्रकार की होती है जिससे उन्हें शक्यपद दृष्टि से देखा जाता है।
- (4) संकेत मात्र—निर्देशांक द्वारा परिवर्तन की दिशा एवं प्रोमत की धोर ही संकेत मात्र होने से वास्तविक स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता।
- (5) भ्रमात्मक परिणाम—निर्देशांक से परिस्थितियों का स्पष्टीकरण न होने से परिणाम भ्रमात्मक होते हैं।
- (6) निम्नता की ध्यान नहीं—मूल्यों के निर्देशांक निर्मित करते समय किस्म की भिन्नता पर ध्यान किसी नहीं दिया जाता।
- (7) अन्य कार्यों में अनुपयोगी—किसी एक उद्देश्य से निर्मित किए गए निर्देशांकों का प्रयोग दूसरे अन्य कार्यों में संभव नहीं हो पाता।
- (8) अमृद्धता—निर्देशांक आधार वर्ष पर निर्भर होते हैं और आधार वर्ष के चुनाव में अनुविधा होने पर परिणाम अमृद्ध निकलते हैं।
- (9) अपूर्ण—निर्देशांक आधारों के आधार पर निर्मित किए जाने से अपूर्ण रहते हैं।
- (10) गुणों की कम महत्व—निर्देशांक की सहायता से गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक रूप प्रदान किया जाता है जिससे गुणों की कम महत्व दिया जाता है।
- (11) पदार्थ के गुण की अवहेलना—उत्पादन निर्देशांक निर्माण करते समय पदार्थ के गुणों की अवहेलना करने से निष्कर्ष भ्रमात्मक होते हैं।
- (12) फुटकर मूल्य निर्देशांक का अभाव—प्रायः निर्देशांक थोक मूल्य के आधार पर बनाए जाते हैं जिसके फुटकर मूल्य निर्देशांकों का अभाव बना रहना है।

### निर्देशांक निर्माण में कठिनाइयाँ

#### (Difficulties in the Construction Of Index Number)

निर्देशांक निर्माण करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो कि निम्नलिखित हैं—

- (1) अनेक संग्रह करना कठिन—प्रायः फुटकर रूप से बेची जाने वाली वस्तुओं के संशोधन प्रारंभ प्राप्त करना कठिन होने से रहन-सहन संबंधी निर्देशांक दोषपूर्ण होते हैं।
- (2) तुलना में अनुविधा—विभिन्न देशों में खान-पान एवं रहन-सहन समान न होने में एक समय एक राष्ट्र के लिए बनाए गए निर्देशांक दूसरे समय या राष्ट्र के लिए तुलना योग्य नहीं हो पाते।
- (3) आधार वर्ष चुनाव में कठिनाई—निर्देशांक बनाने में एक ऐसे वर्ष के चुनाव करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी जिसमें कोई असाधारण घटना घटित न हुई हो। परिस्थितियों के परिवर्तन होने से आधार वर्ष में भी परिवर्तन करना आवश्यक होता है।
- (4) प्रोमत की कठिनाई—प्रोमत ज्ञात करने की अनेक विधिया हैं और भिन्न-भिन्न प्रोमत के प्रयोग करने से भिन्न-भिन्न निर्देशांक प्राप्त होते हैं जिसमें प्रोमत का चुनाव कठिन हो जाता है।
- (5) मूल्यों एवं मात्राओं में भिन्नता—प्रायः मात्रात्मक मूल्यों एवं मात्राओं में परिवर्तन होने से निर्देशांक के निर्माण करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
- (6) अनुविधों के चुनाव एवं भार देने में कठिनाई—प्रतिनिधि वस्तुओं का चुनाव करने एवं उन्हें उचित भार देने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे संशोधन निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो पाते।



## भारत में निर्देशांक (Index Numbers in India)

भारत में निर्देशांक बनाने के मुख्य स्रोत निम्न हैं—

(i) सरकारी साधन—भारत सरकार प्रतिमास देश की व्यापारिक स्थिति के निर्देशांक प्रकाशित करता है। 1939 में भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार द्वारा निर्देशांक तैयार किये जाते हैं जिसमें 23 वस्तुओं के षोडश एवं 18 वस्तुओं के मुख्य द्विप वस्तुओं के सूचक अंक तैयार किये जाते हैं। इनके प्रतिरिक्त थम कमिशनर भी निर्देशांक तैयार करते हैं। रिजर्व बैंक भी प्रतिमास निर्देशांक प्रकाशित करता है।

(ii) गैर-सरकारी स्रोत—इसमें भारत की प्रमुख पत्र-पत्रिकाएं एवं अनेक व्यापारिक संस्थाएं समय-समय पर अनेक पत्रिकाओं के माध्यम से निर्देशांक तैयार करती हैं, इनमें कामर्स, क्रेडिटर्स, ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट आदि प्रमुख हैं।

भारतीय निर्देशांक के प्रमुख दोष निम्न हैं—

(i) अपूर्ण एवं अविश्वसनीय—भारत में तैयार किये जाने वाले निर्देशांक प्रायः अपूर्ण एवं अविश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इन्हें तैयार करने के साधन अनुपयुक्त एवं अयोग्य माने जाते हैं, जिससे पर्याप्त समंक प्राप्त नहीं हो पाते।

(ii) साधन अयोग्यता—भारत में शिक्षित, योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों का अभाव होने से निर्देशांक के साधन अयोग्यताग्रस्त हैं।

(iii) पूर्णतया तटस्थ—नगण अधिकारी सरकारी कार्यों में अधिक व्यस्त होने के कारण इन कार्यों में पूर्णतया तटस्थ रहते हैं, जिससे आंकड़े अत्यन्त अयोग्यताग्रस्त एवं अविश्वसनीय रहते हैं।

(iv) ज्ञान का अभाव—नेत्रपाल या अन्य व्यक्ति जो समंक एकत्रित करते हैं, उन्हें प्रायः ज्ञान के अभाव के कारण पूर्णतया निर्देशांक तैयार करने में कठिनाइयां उपस्थित होती हैं।

आशा है कि भारत सरकार इन कमियों को दूर करने के प्रयास करेगी तथा नियोजन कार्य में उपयोग में लाएगी। नवित्थ में इन कमियों को दूर करके ही सही ढंग से निर्देशांक बनाए जा सकते हैं।

## द्रवता पसंदगी एवं ब्याज सिद्धांत (Liquidity Preference and Interest Theories)


### प्रारंभिक

धन की नकदी में रचना ही तरलता कहलाती है। प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः अपने धन को तरल रूप में रखना चाहता है जिससे आवश्यकता के समय वह उसे उपयोग कर सके और अपनी मांग की पूर्ति कर सके। मुद्रा का कार्य वस्तु का संचय करना है। भविष्य अनिश्चित होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति भविष्य में अपनी आवश्यकतानुसार वस्तुएं प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने साधनों को तरल रूप में रखना पसंद करता है। यदि वे अपने साधनों को किसी अन्य ढंग में रखें तो उन्हें यह लाभ प्राप्त नहीं होगा। सम्पत्ति को तरल रूप में रखना एक मनोवैज्ञानिक दशा है और भविष्य अनिश्चित होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति साधनों को नकद रूप में ही रखना अधिक पसंद करता है। निजी विनियोग प्रायः दो बातों से प्रभावित होते हैं—पूजी की सीमांत कार्यक्षमता एवं ब्याज की दर। ब्याज की दर को प्रभावित एवं निर्धारित करने वाले प्रत्येक सिद्धांत हैं। प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार ब्याज वर्तमान उपयोग से बचित रखने का प्रतिफल है। इसके विपरीत कीम में ब्याज दर का पूर्णतया मौद्रिक मापदंडों पर विवेचन किया है। समस्त सम्पत्तियों में मुद्रा ही सर्वाधिक तरल मानी जाती है और जनता अपने सम्पत्ति की तरलता में रचना अधिक पसंद करती है। उन्हें इन तरलता से दूर रखा जा सकता है बसने इसके बदले उन्हें कुछ पारितोषिक प्राप्त हो, जो उन्हें ब्याज के रूप में ही प्राप्त हो सकता है।

किसी भी वस्तु की भांति ब्याज दर का निर्धारण मुद्रा की मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। इन संबंध में मुद्रा की पूर्ति वस्तु की पूर्ति की तुलना में भिन्न होती है। मुद्रा की मांग पर मुद्रा की पूर्ति को सरकार या केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में रखा जाता है। अतः मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, जिस पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं होता। अतः ब्याज दर के निर्धारण में मुद्रा की मांग अथवा तरलता पसंदगी का ही अधिक प्रभाव पड़ता है।

### तरलता पसंदगी या मुद्रा की मांग (Liquidity Preference or Demand of Money)

घाय प्राप्त होने के उपरान्त प्रत्येक व्यक्ति यह निश्चित करता है कि वह अपनी घाय का कितना भाग उन्मोघ पर व्यय करे तथा बचे हुए भाग को किस रूप में रखे। इन बचे हुए भाग को या तो वह किसी को उधार दे सकता है या अपने ही पाम तरल रूप में रख सकता है। यदि वह बची हुई घाय किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देता है तो वह उसके प्रयोग में बचि हो जायेगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी घाय को सर्वत्र नकद रूप में ही रखना चाहेगा जिसके प्रमुख 3 उद्देश्य होते हैं जो कि निम्न हैं—



## व्याज सिद्धांत (Interest Theories)

अर्थ

राष्ट्रीय लाभान का वह भाग जो पूँजी के बदले पूँजीपति को दिया जाए उसे व्याज कहते हैं। इस प्रकार व्याज वह मूल्य है जो ऋणी ऋणदाता को पूँजी की सेवाओं के बदले देता है। दूसरे शब्दों में व्याज पूँजी की सेवाओं का पुरस्कार है।

परिभाषाएं

धर्मशास्त्रियों ने व्याज की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ दी हैं, जिनमें कोई मौलिक भेद नहीं है। व्याज की प्रमुख परिभाषाएँ निम्न हैं—

(1) कार्वर—“व्याज वह आय है जो कि पूँजी के स्वामी को प्राप्त होती है।”<sup>1</sup>

(2) कीन्स—“व्याज वह मूल्य है जो कि तरलता से दूर रहने के बदले में भुगतान किया जाता है।”<sup>2</sup>

(3) सेलिगमैन—“व्याज पूँजी के बोध में प्राप्त होने वाला प्रत्याय है।”<sup>3</sup>

(4) मार्शल—“किसी एक ऋणी द्वारा ऋण के उपयोग के बदले जैसे एक धर्म के लिए जो भुगतान किया जाता है, वह ऋण के भुगतान के अनुपात में व्यक्त किया जाता है, जिसे व्याज वृत्त है। इस शब्द का उपयोग वृहत् रूप से उम कुल आय के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जो कि पूँजी से प्राप्त होती है।”<sup>4</sup>

(5) विकर्सल—“व्याज पूँजी को उपार लेने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया वह भुगतान है, जो कि उसकी उत्पादकता के कारण पूँजीपति को उसके बंचित रहने के कारण प्राप्त होती है।”<sup>5</sup>

(6) चंपमैन—“शुद्ध व्याज पूँजी पर ऋण के बदले में भुगतान है, जबकि ऋण लेने वाले पर कोई भोक्ति, कोई अनुविधा एवं कोई कार्य नहीं ढाना जाता। इस भुगतान को शुद्ध व्याज, नेट व्याज या धार्मिक व्याज कहते हैं।”<sup>6</sup>

व्याज के प्रत्येक मिश्रण बताए गए हैं जिन्हें सुविधा की दृष्टि से निम्न दो वर्गों में रखा जा सकता है—

(अ) प्रामौद्रिक सिद्धांत (Non-Monetary Theories)

(ब) मौद्रिक सिद्धांत (Monetary Theories)

1 “Interest is the income which goes to the owner of capital.”—Carver.

2 “Interest is the price paid for parting away with liquidity.”—Keynes.


3 “Interest is a return from the fund of capital.”—Seligman

4 “The Payment made by a borrower for the use of a loan for say a year is expressed as the ratio which that payment bears to the loan and is called interest. And this term is also used more broadly to represent money equivalent of the whole income which is derived from capital.”—Marshall

5 “Interest is a payment made by the borrower of capital, by virtue of its productivity, as a reward for his abstinence.”—Wicksell.

6 “Net income is a payment for the loan of capital, when no risk, no inconvenience and no work is entailed on the lender. This payment is termed pure interest, net interest or economic interest.”—Chapman

व्याज के सिद्धांतों को मध्य चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है—



### (अ) भ्रमौद्रिक सिद्धांत

व्याज के विभिन्न भ्रमौद्रिक सिद्धांतों में निम्न को सम्मिलित किया जाता है—

(1) व्याज का त्याग सिद्धांत (Abstinence Theory of Interest)—यह सिद्धांत सेनियर (Senior) द्वारा प्रतिपादित किया गया जिसमें उन्होंने बचत में त्याग को सम्मिलित किया। बचतकर्ता को कुछ त्याग करना पड़ता है, मत: इस त्याग के बदले जो प्रतिफल दिया जाता है उसे व्याज कहते हैं। मत: त्याग के बदले में जो पारितोषिक प्राप्त होता है उसी को व्याज कहेंगे।

### आलोचनाएं

इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं निम्न प्रकार हैं—

(i) बिना कष्ट के बचत—कुछ व्यक्ति बिना किसी कष्ट के ही बचत कर लेते हैं क्योंकि ये व्यक्ति या तो धनी होते हैं या मितव्यायी। इन लोगों की भाव भावश्यकता से अधिक होने के कारण धन संचय करने में कोई विशेष त्याग नहीं करना पड़ता।

(ii) दूरदर्शिता—कुछ व्यक्ति अपनी दूरदर्शिता के कारण भी बचाकर धन एकत्रित करते हैं तथा इन्हें व्याज की दर की चिंता नहीं रहती।

इस प्रकार इसमें त्याग किए बिना ही धन संचय करने से व्याज प्राप्ति का हक समाप्त हो जाना चाहिए जो व्यवहार में संभव नहीं है।

(2) समय पसंदगी सिद्धांत (Time Preference Theory)—यह सिद्धांत फिजर द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह भनोविज्ञान पर आधारित है। यह सिद्धांत इस कल्पना पर आधारित है कि भविष्य अनिश्चित होने से मनुष्य अभी सुखों की प्रेरणा वर्तमान सुखों को अधिक महत्व प्रदान करता है। मुद्रा की वर्तमान आवश्यकताओं पर ही व्यय किया जाता है जिसके मुख्य कारण निम्न हैं—

(i) धन का समयानुसार वितरण—धन के संबंध में कई प्रकार की संभावनाएं बन जाती हैं जैसे (i) धन के साथ-साथ आमदनी में वृद्धि होती रहे, (ii) धन में धन्यु के आधार पर कमी भी होती रहे, तथा (iii) धन

व्यक्ति के जीवनपर्यन्त एक समान बनी रहे। यदि भविष्य में प्राय बढ़ने की संभावना हो तो वर्तमान में व्यय करने की धातुरता बढ़ जाती है और भविष्य की अधिक चिन्ता नहीं की जाती। इसके विपरीत यदि भविष्य में प्राय के बढ़ने की संभावना न हो तो मानव को भविष्य की अधिक चिन्ता हो जाएगी तथा वर्तमान में कम व्यय किया जाएगा।

(ii) व्यक्तियों का स्वभाव—व्यक्तियों के स्वभाव पर भी धन की पसंदगी निर्भर करती है। यदि एक दूरदर्शी विन्वत है तो वह भविष्य के प्रति अधिक सतर्क बना रहता है तथा वर्तमान आवश्यकताओं पर व्यय करते समय भविष्य की माय को भी ध्यान में रखता है।

(iii) प्राय का आकार—धनवान व्यक्ति में निर्धन की अपेक्षा अधिक मात्रा में समय पसंदगी पाई जाती है और उनकी दर भी ऊंची होती है। प्राय एक निर्धन व्यक्ति वर्तमान पर व्यय करने के लिए अधिक धातुर रहता है तथा भविष्य की ओर विशेष ध्यान नहीं देता।

(iv) भविष्य में प्रयोग की निश्चितता—मनुष्य को भविष्य में अपनी प्राय की जितनी अधिक निश्चितता होगी उतनी ही वर्तमान आवश्यकताओं पर व्यय करने की धातुरता कम होगी। यदि भविष्य में प्राय की निश्चितता नहीं है तो वर्तमान में अधिक व्यय करने की धातुरता बनी रहेगी।

इस प्रकार जिस व्यक्ति की समय पसंदगी की दर अधिक होगी, वह ऋण लेने को तत्पर हो जाएगा। इसके विपरीत जिस व्यक्ति की समय पसंदगी कम होगी वह ऋण उधार देगा तथा लाभ उठायेगा। इस प्रकार धीरे-धीरे निर-देन की दर समय पसंदगी दर के बराबर हो जाएगी।

### भ्रालोचनाएं

इस सिद्धांत की प्रमुख भ्रालोचनाएं निम्न हैं—

(i) स्वभाव को स्थिर मानना—सिद्धांत में बचत करने वालों के स्वभाव को वर्तमान एवं भविष्य में स्थिर माना गया है, जबकि वास्तव में इसमें समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है।

(ii) अपूर्ण सिद्धांत—फिशर का सिद्धांत एकपक्षीय एवं अपूर्ण है क्योंकि इसमें केवल समय पसंदगी को ही ध्यान में रखा जाता है तथा अन्य बातों को छोटा दिया जाता है।

(iii) अन्य शक्ति को अपरिचित मानना—फिशर ने अपने सिद्धांत में वर्तमान एवं भविष्य के मध्य मुद्रा की अन्य शक्ति को अपरिचित माना है जो कि वास्तविकता के विरुद्ध है।

इस प्रकार समय पसंदगी व्यक्तिगत रूप से निर्धारित होती है तथा अन्य घटकों का भी व्याज दर के निर्धारण में काफी प्रभाव पड़ता है जिसका अध्ययन करना निम्न आवश्यक है।

(3) व्याज का उत्पादकता सिद्धांत (Productivity Theory of Interest)—यह सिद्धांत जे० बी० से (J. B. Say) द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसमें यह माना गया कि पूँजी की सहायता से प्रतिरिक्त उपज प्राप्त हो जाती है। उस प्रतिरिक्त उपज में से पूँजी के प्रयोग के बदले में व्याज देने को व्यक्ति तत्पर हो जाते हैं। यदि उन्हें प्रतिरिक्त उपज अधिक प्राप्त होती हो तो वे अधिक व्याज देने को तत्पर होंगे। बाद में जे० बी० क्लार्क ने इसमें सुधार करके व्याज दर के निर्धारण में पूँजी की सीमांत उत्पादकता को ध्यान में रखा। इसके उपरांत इसमें भी सुधार करके मुद्रा एवं बुन उत्पादकता में संशोधन किया गया। यह माना गया कि मुद्रा उत्पत्ति ही व्याज दर का निर्धारण करती है। वर्तमान समय में व्याज निर्धारण में पूँजी की मौद्रिक उत्पादकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

### भ्रालोचनाएं

इस सिद्धांत की प्रमुख भ्रालोचनाएं निम्न हैं—

(i) केवल मांग पक्ष को महत्व—सिद्धांत में केवल मांग पक्ष को ही ध्यान दिया गया है जबकि व्याज का निर्धारण मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा ही होता है।

(ii) सीमांत उत्पादकता—पूँजी की सीमांत उत्पादकता निम्न-निम्न व्यवस्थाओं में निम्न-निम्न होती है जिसमें व्याज दर को निम्न-निम्न होनी चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं होता और व्याज दर को समान रखा जाता है।

(iii) उत्पादन में सहायक—पूजी केवल उत्पादन में ही सहायक होती है और वह मूल्य निर्धारण में सहायता प्रदान नहीं करती है।

(iv) उत्पादन शक्ति का आधारित होना—सिद्धांत के अनुसार व्याज का निर्धारण पूजी की सीमांत उत्पादकता के आधार पर होता है, परंतु वास्तव में सीमांत उत्पादकता का निर्धारण व्याज की दर से होता है। यदि व्याज दर अधिक है तो पूजी की सीमांत उत्पादकता अधिक होगी अन्यथा नहीं।

(v) सीमांत उत्पादकता को मापना कठिन—व्यवहार में उद्योग की सीमांत उत्पादकता को मापना अत्यन्त कठिन होता है और व्याज दर का निर्धारण संभव न होता।

(vi) अनुत्पादक ऋणों पर व्याज—व्यवहार में अनुत्पादक ऋणों पर भी व्याज ली जाती है जबकि केवल उत्पादक ऋणों पर ही व्याज लेनी चाहिए थी।

(4) व्याज का आस्ट्रियन सिद्धांत (Agió Theory)—यह सिद्धांत 1834 में जॉन रे (John Rae) द्वारा प्रतिपादित किया गया परंतु इसे वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय बॉम बावर्क (Bohm Bawerk) को प्राप्त है। इसमें बाद में फिशर एवं अन्य अमरीकन अर्थशास्त्रियों ने मशोधन करके इसे लोकप्रिय बनाया। यह सिद्धांत मनोविज्ञान पर आधारित है जिसमें इस बात की कल्पना की गयी है कि प्रत्येक मनुष्य भविष्य की अपेक्षा वर्तमान को सदैव ही अधिक महत्व प्रदान करता है। अतः व्याज की उत्पत्ति इस कारण होती है कि लोग भविष्य की अपेक्षा वर्तमान उपयोग को अधिक महत्व देते हैं। उधार देने के कारण तरलता में कुछ समय के लिए कमी हो जाती है और उपयोग को स्थगित करना पड़ता है और इस स्थगन का पुरस्कार ही व्याज कहलाता है। भविष्य अनिश्चित होने के कारण राशि उधार देने में वर्तमान में कुछ बढ़ा लग जाता है जिसे हम ऋणों में वसूल करते हैं। यही पारितोषिक (Agió) हमें व्याज के रूप में प्राप्त होता है।

### उपयोगी बातें

इस सिद्धांत की प्रमुख उपयोगी बातें निम्नलिखित हैं—

(i) व्याज का निर्धारण—उत्पादक एवं अनुत्पादक दोनों ही प्रकार के ऋणों पर व्याज का निर्धारण किया जा सकता है।

(ii) अपनी पूंजी पर व्याज—पूजीपति जब अपने उद्योग में अपनी ही पूंजी का विनियोजन करता है तो उसे उस पर भी व्याज मिलनी चाहिए, क्योंकि वह वर्तमान उपयोग को रोककर अपनी आय में बचत करता है।

### ग्रालोचनाएं

इस सिद्धांत की प्रमुख ग्रालोचनाएं निम्न हैं—

(1) वर्तमान वस्तुओं में अधिक उपयोगिता—मनुष्य वर्तमान वस्तुओं में भविष्य की अपेक्षा अधिक उपयोगिता अनुभव करने के कारण वह वर्तमान आवश्यकताओं को ही अधिक महत्व प्रदान करता है।


(ii) भविष्य अनिश्चित होता है—भविष्य अनिश्चित होने के कारण कुछ नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में क्या होगा, जिससे वह वर्तमान को ही अधिक महत्व देता है।

(iii) वर्तमान आवश्यकता की तीव्रता—वर्तमान आवश्यकताएं भावी आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती हैं जिससे भावी आवश्यकताओं को कम मूल्यांकित किया जाता है।


(5) प्रतिष्ठित व्याज सिद्धांत (Classical Theory of Interest)—यह सिद्धांत बचत की मांग एवं पूंजी के सिद्धांत पर आधारित है। एक साधारण वस्तु की मांग मुद्रा का मूल्य भी बचत की मांग एवं पूंजी द्वारा ही निर्धारित होता है। मांग का संबंध उन व्यक्तियों से रहता है जो विनियोग करते हैं तथा पूंजी का संबंध बचत करने वालों से होता है। मांग एवं पूंजी को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) बचत के लिए मांग—पूजी की मांग प्रायः उद्योगपरिचयों द्वारा की जाती है जो उसे उद्योगों में

विनियोजित करते हैं। पूंजी की मात्रा कम होने पर बेचन उत्पादक कार्यों के लिए ही पूंजी का विनियोजित किया जाता है। इसके विपरीत पूंजी की मात्रा अधिक होने पर उसे कम उत्पादक कार्यों में भी विनियोजित किया जा सकता है। प्रत्येक उत्पादक पूंजी का विनियोजन उस मीमा तक करता है जहाँ पर व्याज दर पूंजी की मीमात उत्पादकता के बराबर हो जाये। इस प्रकार व्याज दर ऊँची होने पर पूंजी की माग कम होगी और व्याज दर नीची होने पर पूंजी की माग अधिक होगी। इसका अर्थ यह है कि पूंजी का माग वक्र ऊपर से नीचे की ओर झुकने की प्रवृत्ति रखता है जैसा कि निम्न चित्र में स्पष्ट किया गया है—



(ii) बचन की पूर्ति—पूँजी या बचत की पूर्ति समाज में व्यक्तियों की बचत पर आधारित है। बचत करने पर व्यक्ति को वर्तमान मुल का त्याग करना पड़ता है और उसके बदले वह पुरस्कार पाने के प्रयास करता है जो कि व्याज कहलाता है। प्रायः व्यक्ति व्याज दर के आधार पर अपनी बचत करते हैं तथा व्याज दर बढ़ने पर बचत की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है तथा पूंजी अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगता है। इसके विपरीत व्याज दर कम होने पर पूंजी की मात्रा में कमी हो जाती है। अतः पूंजी की पूर्ति रेखा दायीं ओर से दायीं ओर बली जाती है जैसा कि निम्न चित्र से स्पष्ट है—



(iii) साम्य की स्थापना—प्रतिष्ठित प्रबंधनविमों के अनुसार व्याज की स्थापना माग एवं पूर्ति के साम्य बिन्दु पर निर्भर करती है। जहाँ पर कुल बचत एवं कुल विनियोग बराबर हों वहीं पर व्याज दर का निर्धारण हो जाता है। यदि किसी समय बचत विनियोग में अधिक हों तो व्याज दर कम होगी जिससे जनता द्वारा बचत में कमी की जायेगी तथा विनियोग के लिए माग बढ़ जायेगी और बाद में बचतों एवं विनियोगों में साम्य स्थापित हो जायेगा। इसके विपरीत यदि बचत विनियोग में कम हों, तो व्याज दर बढ़ जायेगी। व्याज दर बढ़ने में बचतें बढ़ेंगी तथा विनियोग के लिए पूंजी की माग घटेगी और अंत में बचत एवं विनियोग में फिर से साम्य स्थापित हो जायेगा और इस प्रकार माग

एक पूंति के साम्य पर ब्याज दर का निर्धारण हो जाता है। इसे (भगने पूछ पर) विन की सहायता से दिखाया जा सकता है—

उत्पन्न विन में मांग वक्र (DD) पूंति पक्ष (SS) को र बिंदु पर काटता है। यही साम्य का बिंदु है जहां पर ब्याज दर का निर्धारण हो जाता है। xy ही ब्याज की दर है। इस संबंध में दो बातें महत्वपूर्ण हैं—(i) पूंती की मांग रेखापूंती की सीमांत उत्पादकता को भी दर्शाती है, (ii) पूंती की मांग रेखा विनियोग की मांग को भी बताती है और पूंती की पूंति रेखा वस्तुओं की पूंति बताती है, अतः संतुलन ब्याज की दर पर विनियोग की मांग एवं बचत की पूंति दोनों बराबर होती है।

### मालोचनाएं

इस सिद्धांत की प्रमुख मालोचनाएं निम्न हैं—

(i) विनियोग में ब्याज लेव का प्रभाव—ब्याज दर एवं विनियोग में मांग का संबंध अप्रत्यक्ष एवं दूरस्थ होता है। विनियोग में ब्याज लेव का प्रभाव माया जाता है। अतः ब्याज दर ऊंची होने पर भी विनियोग स्तर काफी ऊंचा हो जाता है क्योंकि ब्याज दर के स्थान पर पूंती की सीमांत उत्पादकता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। समाज की वचत प्रवृत्ति एवं ब्याज दर में दूर का संबंध बना रहता है। प्रायः ब्याज दर का वचत पर कम प्रभाव पड़ता है, फिर भी धार-स्तर का प्रभाव अधिक प्रभावशाली माना जाता है। एक विशेष धार-स्तर पर ब्याज बेचोच माना जाता है, जबकि कुछ धार-स्तर पर वचत होती ही नहीं है। अतः इस समस्या के समाधान में प्रतिष्ठित सिद्धांत असफल रहा है।

(ii) बैंक सार्व को उपेक्षा—पूर्णमान समय में साध मुद्रा का महत्व अधिक बढ़ गया है। सिद्धांत के अनुसार विनियोग की मागा बढ़ने पर ब्याज दर में भी वृद्धि होनी चाहिए, परंतु यह व्यवस्था वर्तमान समय में सही नहीं है।

(iii) अनुमान धर्मोय है—इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज को जिस ढंग से व्याख्या की गई है वह अनुमान धर्मोय प्रतीत होती है। यह दोष इस कारण उदय होता है कि पूर्ण रोजगार के अनुरूप ही धार का एक स्थायी स्तर माना गया है।

(iv) मुख्य सूचक के रूप में उपेक्षा—प्रतिष्ठित लेखकों ने मुद्रा के मुख्य सूचक के रूप में कार्य की उपेक्षा की है, विनियोग में पूंति रहना स्वाभाविक हो गया है।

(v) संतुलन का प्रभाव—प्रायः यह कहा जाता है कि ब्याज दर वचत एवं विनियोग के मध्य संतुलन स्थापित करने में धर्मोय रहता है।

(vi) ब्याज द्रवता के ध्याय का पुनरुत्कार—शास्त्र में ब्याज उस शक्ति को प्राप्त होता है जो अपने लक्ष्य साधनों का परिवर्तन करता है, जबकि सिद्धांत में ब्याज को उपभोग से विरत रहने का पुनरुत्कार माना है।

(vii) विनियोग के महत्व की भूलाना—ब्याज दर के निर्धारण में विनियोग का स्थान महत्वपूर्ण होता है परन्तु उसके महत्व को मुसा दिया गया है।

(viii) साम्य का धर्मोय—वचत एवं विनियोग में साम्य की स्थापना ब्याज दर के फलस्वरूप न होकर धार-स्तर में धार-स्तर के परिवर्तन द्वारा ही संभव हो पाती है।


### (ब) भौतिक सिद्धांत

ब्याज के भौतिक सिद्धांत में निम्न को सम्मिलित करते हैं—

(6) ऋण कोय सिद्धांत (Loanable Funds Theory)—इस सिद्धांत का प्रतिपादन बिकसैल ने किया। इसमें वार्षिक बचतें एवं धार दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। यह पूंति पक्ष को धार ध्यान देता है। विनियोग अनुसूची मांग पक्ष की ओर ध्यान देती है और दोनों के साम्य पर ही ब्याज दर का निर्धारण हो जाता है।



विवर्तन के अनुसार बैंक साख का व्याज दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि बैंक साख की मात्रा प्रायः बैंक की मरुद कोष स्थिति पर निर्भर करती है। इस प्रकार इस सिद्धांत में व्याज दर का निर्धारण विनियोग एवं बचत के साम्य पर निर्भर करेगा। इसे निम्न चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है—



विनियोग (I) एवं बचत (S) एक-दूसरे को M बिंदु पर काटते हैं जहाँ साम्य की स्थिति है और इस बिंदु पर व्याज दर का निर्धारण हो जाता है। M H वक्र प्रसंचयन-व अविविनियोग के कारण उपलब्ध उधार देय-कोषों की पूर्ति को दर्शाता है। इस प्रकार ऋण कोष सिद्धांत में मूद्रा निष्पन्न नहीं रहती, बल्कि सक्रिय रूप से भाग लेती है। इसी कारण से व्याज की बाजार दर स्वाभाविक दर से निम्न होती है।

उधार-देय-कोष की पूर्ति—कोष की पूर्ति निम्न स्रोतों से होती है—

- (1) बचत—य बचत व्यक्तियों द्वारा व्यापारियों द्वारा की जाती है।
- (2) पिछली बचत—पिछली संचय की गयी बचतों का संचय बँटने पर उधार-देय-कोष की मात्रा बढ़ जाती है।
- (3) बैंक साख—बैंक साख द्वारा पूँजी की पूर्ति बढ़ायी जा सकती है।
- (4) अन्यतत्त्व—कोष की मात्रा घिसावट कोष, सामान्य कोष एवं धार्मिक नीति द्वारा निर्धारण होता है।

उधार-देय-कोष की मांग—यह मांग निम्न स्रोतों से होती है—

- (1) सरकार द्वारा मांग—युद्ध एवं सखट काल के समय सरकार इस कोष की मांग करती है।
- (2) उत्पादकों व व्यापारियों द्वारा मांग—पूँजीगत सामान तैयार करने एवं व्यापार के लिए मांग तैयार करने हेतु उधार-देय-कोष की मांग की जाती है।
- (3) उपभोक्तियों द्वारा मांग—उपभोक्तियों द्वारा धन से अधिक उपभोग करने पर इस कोष की मांग की जाती है।
- (4) सखत हेतु मांग—युद्ध की मरुद रूप में रहने पर भी कोष की मांग की जाती है।

### भालोचनाएँ

इस सिद्धांत की प्रमुख भालोचनाएँ निम्न हैं—

- (i) मांग संबंधी घटकों की उपेक्षा—इस सिद्धांत में मांग संबंधी मौद्रिक घटकों की उपेक्षा की गई है जिससे यह एकरूपीय रह जाता है।
- (ii) गन्त धारणा—बैंक साख वक्र को व्याज नोच रहित मानना गलत है, क्योंकि व्याज दर कम होने पर साख का मात्र कम होगा व धार्मिक दर होने पर मात्र भी अधिक होगा।

(iii) ब्याज दर प्रतिनिधित्व—इस सिद्धांत के अनुसार व्याज की दर प्रतिनिधित्व रहती है।

इस प्रकार शून्य कोष में वचन एवं मांग मुद्रा की पूर्ति दोनों का समावेश किया जाता है। यह सिद्धांत प्रतिष्ठित व्याज सिद्धांत की दुर्बलताओं को दूर करने के प्रयास करता है।

(7) शूम्पीटर का गतिशील ब्याज सिद्धांत (Schumpeter's Dynamic Interest Theory)—शूम्पीटर ने गतिशील एवं स्थैतिक समाज में भेद किया है। स्थैतिक समाज में उत्पादन एवं उपभोग अपरिवर्तित होने से प्राथिक माध्य की दशा बनी रहती है, कीमते उत्पादन लागत के बराबर होने से व्याज उदय नहीं होता। इस प्रकार वित्तियोग में कोई वृद्धि नहीं होती। इसके विपरीत गतिशील समाज में उत्पादन की नवीन विधियों के प्रयोग होने से उत्पादन प्रक्रिया में वृद्धि होने से नवीन मुद्रा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति माध्य सृजन द्वारा की जाती है। सीमित कोषों में प्रतिभोगिता होने से व्याज दर में वृद्धि हो जाती है तथा नवीन वस्तुएं अधिक मूल्य प्राप्त करती हैं। यह स्थिति तब समय तक बनी रहती है जबकि नवीन उपयोग परमध्यवस्था के संग नहीं बन जाते।

(8) कीन्स का द्रवता पसंदगी सिद्धांत (Liquidity Preference Theory of Keynes)—कीन्स ने व्याज सिद्धांत के लिए एक नवीन शैक्षिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार व्याज वह पुरस्कार है जो कि एक विशेष अवधि में द्रवता के त्याग के बदले में प्राप्त होता है। इसके सिद्धांत के अनुसार व्याज दर का निर्धारण मुद्रा की पूर्ति एवं मांग द्वारा होता है। मुद्रा की पूर्ति सदैव स्थायी रहती है क्योंकि उस पर बैंकिंग प्रणाली द्वारा नियंत्रण लगाया जाता है, अतः व्याज दर पर नियंत्रण मुद्रा की मांग या द्रवता पसंदगी द्वारा ही होता है। मुद्रा की पूर्ति को M द्वारा प्रदर्शित करने पर


$$M = m_1 + m_2$$

यहां पर M = मुद्रा की मात्रा

$$m_1 = \text{सक्रिय मुद्रा}$$

$$m_2 = \text{सूट्टे उद्देश्य में रखी गयी मुद्रा}$$

मुद्रा की मांग रेखा सदैव नीचे की ओर गिरती हुई होती है जिसे निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है—



द्रवता पसंदगी में प्रायः पर्यव्यवस्था में विभिन्न कारणों के लिए मुद्रा की मांग में है। इसमें द्रवता पसंदगी से प्रायः उच्च प्राथमिकता में लगाया जाता है जो नकदी के रूप में प्रदर्शित की जाती है। द्रवता पसंदगी के प्रायः तीन कारण प्रमुख होते हैं, जैसे—


(i) दूरदर्शिता उद्देश्य—मनुष्य सबट या अन्य आकस्मिक कारणों के लिए नकद में धन रखना पसंद करता है, जिसमें उसे सबसे अधिक सुविधा बनी रहती है। आवश्यकता पड़ने पर भाल खप करने या अन्य कार्यों के लिए वह इस मुद्रा का उपयोग सरलता में कर सकता है।

(ii) व्यापारिक उद्देश्य—प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन के कारणों के लिए धन की आवश्यकता होती है। रोजगार एवं उत्पादन में वृद्धि होने में व्यापारिक उद्देश्यों के लिए मांग में वृद्धि हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को मुद्रा के रूप में प्रायः प्राप्त होती है तो व्यापारिक उद्देश्य के लिए उस मात्रा में मुद्रा की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत यदि प्रायः व व्यव में पवित्र धर है, तो वहां द्रवता पसंदगी अधिक होगी। इसके प्रतिरिक्त आय व मूल्यों में धर


होने पर भी मुद्रा की तरलता निर्भर करती है।

(iii) सट्टा उद्देश्य—सट्टोरिए उतार-चढ़ावी से होने वाले लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से भी द्रव्य को तरल रूप में रखना पसंद करते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है जो कि श्रेण्यदाना के मनोविज्ञान पर आधारित है।

इस विधान के अनुसार यदि व्यक्तियों की द्रवता पसंदगी स्थिर रहे तो व्याज दर में भी परिवर्तन होते रहते हैं। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर व्याज दर गिर जायेगी। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाये तो व्याज दर बढ़ जाती है। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा एवं द्रवता पसंदगी में मर्दब विपरीत दर संबंध बना रहता है। मुद्रा की मात्रा एवं द्रवता पसंदगी में परिवर्तन होने से व्याज दर पर इन दोनों घटकों का प्रभाव पड़ता है। इसे निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है—



व्याज के इस विधात को निम्न चार्ट द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—



सन्तुलन व्याज दर को निम्न समीकरण द्वारा बताया जा सकता है—

$$M = m_1 + m_2$$

### अन्वेषणाएँ

बीज के व्याज विधात की प्रमुख अन्वेषणाएँ निम्न हैं—

(i) द्रव्य की अस्पष्ट व्याख्या—बीज ने अपने विधान में द्रव्य की स्पष्ट व्याख्या नहीं की जिससे मुद्रा का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता।

(ii) अनिश्चितता—प्रतिष्ठित विधात की भांति बीज के विधान में भी अनिश्चितता पाई जाती है क्योंकि धाय का स्वर प्राप्त किए बिना द्रव्य की माप एवं पूर्ति के आधार पर व्याज दर जान करना संभव नहीं हो पाता।

(iii) अधूर्ण—बीज का विधान एकधारीय है क्योंकि व्याज दर निर्धारण में केवल द्रवता पसंदगी को ही ध्यान महत्त्व दिया गया है, जबकि व्याज निर्धारण में पूर्ति का भी प्रभाव पड़ता है।

(iv) वास्तविक घटकों की उर्ध्वता—व्याज को एक विमुक्त मौद्रिक घटना माना गया है जबकि वास्तविक

घटकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जबकि व्याज दर में वास्तविक घटकों को उद्देश्य की गई है।

(v) पुरस्कार संबंधी गलत धारणा—कीन्स ने व्याज दर को पुरस्कार संबंधी गलत धारणा में संबंधित किया है जो कि अमात्मक है।

(vi) पूँजी के विनियोजन में स्वतंत्रता का अभाव—कीन्स के अनुसार व्याज दर विनियोजन में कोप की मांग स्वतंत्र होती है जबकि वास्तव में ऐसा संभव नहीं होता।

(vii) समय तत्त्व का स्पष्ट होना—कीन्स ने अपने सिद्धांत में समय तत्त्व की विचारधारा का स्पष्ट वर्णन नहीं किया है, जिससे सही प्रश्न जात करना उठिन हो जाता है।

(viii) बचत की उद्देश्य करना—कीन्स ने व्याज को द्रवता पसंदगी के त्याग का पुरस्कार बताया है, न कि प्रतीक्षा का पुरस्कार है। हालाँकि का विचार है कि बिना बचत या प्रतीक्षा के विनियोग के लिए कोप प्राप्त नहीं हो पाते।

(iv) यथार्थता में मेल नहीं खाना—यह सिद्धांत यथार्थता में मेल न खाने के कारण पूर्ण रूप में त्रुटिपूर्ण माना जाता है। संदीक्षान में व्याज दर अधिकतम होनी चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति अधिकतम मात्रा में तरल संपत्ति अपने पास रखना पसंद करेंगे। इसी प्रकार पुनर्स्थापन की प्रवृत्तियाँ व्याज दर ग्राहक होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विनियोग करने का इच्छुक होता है। परंतु वास्तव में यह देखा गया है कि इन दोनों ही परिस्थितियों में व्याज दर यथार्थता से विपरीत दिशा की ओर रहती है।

(x) धर्मगति एवं प्रसव्य धारणा—वास्तव में मांग में प्राथम्य निष्क्रिय कोषों के लिए मांग तथा व्याज से प्राथम्य द्रवता के परिस्थान के लिए जुड़ाई गई कीमत में है। परंतु कीन्स ने निष्क्रिय कोषों में मागम्य रूप पक्ति संबंधी समस्त क्षमिकारों को ही सम्मिलित किया है। इनमें कीन्स का कथन धर्मगत एवं अस्पष्ट प्रतीत होता है।

(xi) दीर्घकाल में व्याज नहीं करता—यह सिद्धांत दीर्घकाल में व्याज की दर की व्याख्या नहीं करना और केवल अल्पकाल में ही लागू होता है।

(xii) बाँस बावक की आनोचनाएँ—यह सिद्धांत बाँस बावक के सिद्धांत से मेल खाता है, जिससे बाँस बावक की समस्त आनोचनाएँ भी इसी सिद्धांत में लागू हो जाती हैं।

(xiii) सीमांत उत्पादकता के विचार की अवहेलना—पूँजी की मांग पर उसकी सीमांत उत्पादकता का अधिक प्रभाव पड़ता है, परंतु कीन्स ने अपने सिद्धांत में पूँजी की सीमांत उत्पादकता को एकदम भुला दिया है जो कि उचित नहीं है। व्यापार में पूँजी की मांग बढ़ने में प्रायः में वृद्धि होती है जिससे व्याज का भुगतान मरलता से किया जा सकता है। अधिकतम एवं गरीब राष्ट्रों में व्याज दर ऊँची होती है, क्योंकि वहाँ पूँजी का अभाव पाया जाता है और पूँजी की सीमांत उत्पादकता भी अधिक होती है। परंतु इस सिद्धांत में पूँजी की सीमांत उत्पादकता का काफी महत्त्व है जिसे भुलाया नहीं जा सकता।

कीन्स एवं प्रतिष्ठित सिद्धांत की तुलना

(Comparison between Keynes and Classical Theory of Interest)

कीन्स का व्याज सिद्धांत प्रतिष्ठित सिद्धांत की तुलना में निम्न दृष्टि में भिन्न है—

(1) मांग एवं पूँजी का अंतर—प्रतिष्ठित धर्मशास्त्री द्वारा बचत एवं विनियोग की मांग एक पूँजी पर ध्यान दिया गया है, जबकि कीन्स ने मुद्रा की मांग एवं पूँजी द्वारा व्याज दर का निर्धारण माना है। प्रतिष्ठित धर्मशास्त्री उपयोग के लिए पूँजी की मांग का अध्ययन करते हैं जबकि कीन्स ने निष्क्रिय कोप की मुद्रा की मांग में व्याज दर की निर्धारक माना है।

(2) व्याज एवं बचत का संबंध—प्रतिष्ठित धर्मशास्त्री का विचार है कि व्याज दर में वृद्धि होने में बचत में वृद्धि हो जाती है, जबकि कीन्स का कथन है कि बचत का संबंध मर्दव प्रायः से होता है। कीन्स के अनुसार व्याज दर ऊँची होने पर प्रायः एवं बचत में बमी हो जायेगी।


(3) मुद्रा का प्रवाह—प्रतिष्ठित सिद्धान्त में मुद्रा के प्रवाह को घाघार मानकर व्याज दर निरिचत की गई है जबकि कीम्य ने व्याज की दर को ही मुद्रा के प्रवाह का परिणाम माना है।

(4) धाय बचन विनियोग का अंतर—प्रतिष्ठित धर्मशास्त्री द्वारा धाय को कोई महत्व नहीं दिया जाता बल्कि बचत एवं विनियोग के साम्य पर व्याज दर के निर्धारण को माना है। इसके विपरीत कीम्य ने धाय को रोजगार पर आधारित माना है तथा व्याज दर को धाय पर आधारित माना है।

(5) पूर्ण रोजगार का अंतर—प्रतिष्ठित धर्मशास्त्री पूर्ण रोजगार पर व्याज दर का निर्धारण करते हैं जबकि कीम्य रोजगार एवं धाय दोनों को ही निरंतर परिवर्तनशील मानकर बदलना करते हैं तथा व्याज का निर्धारण करते हैं।

(6) तत्वों का अंतर—प्रतिष्ठित धर्मशास्त्री व्याज को मिश्रव्ययना एवं पूंजी की उत्पादकता पर आधारित मानते हैं, जबकि कीम्य ने व्याज को एक मौद्रिक घटक मानकर मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के घाघार पर व्याज दर का निर्धारण किया है। कीम्य तरलता परमदमी एवं निष्क्रिय वीर्यों को महत्व प्रदान करते हैं।

(7) व्याज का माधुनिक सिद्धान्त—व्याज की दर उन बिन्दु पर निर्धारित होती है जिन पर IS तथा LM वक्र एक-दूसरे को काटते हैं। IS वक्र बचत व विनियोग के मध्य संतुलन को व्यक्त करता है जबकि LM वक्र मुद्रा की माग एवं पूर्ति के मध्य संतुलन को व्यक्त करता है। जहाँ पर यह दोनों वक्र एक-दूसरे को काटते हैं वहाँ पर मुद्रा, व्याज तथा धाय का संतुलन स्थापित हो जाता है। अन्य व्याज की दर पर ये दोनों वक्र एक-साथ संतुलन में नहीं होते हैं। इसे निम्न चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है—



पंचम भाग

भारत में मौद्रिक एवं बैंकिंग स्थिति

MONETARY AND BANKING CONDITION IN INDIA

### भारत में रजतमान (1835-98)

1835 में देश में रजतमान को स्थापना हुई जिसके लिए मुद्रा अधिनियम पारित किया गया। इस मान को प्रमुख विशेषताएं निम्न थी—

(i) टकराएल स्वतंत्र एवं असीमित धोपित की गई (ii) रुपये का सिक्का असीमित विधि ग्राह्य माना गया, (iii) स्वर्ण से अनुपात 15:1 निश्चित किया गया (iv) चांदी के रुपये में शुद्धता  $\frac{1}{2}$  व वजन 180 ग्रैन निर्धारित किया गया (v) भारत में एक धातु—रजतमान की स्थापना की गई।

1848-49 में आस्ट्रेलिया तथा कैलिफोर्निया में सोने की खानें मिलने से सोने का मूल्य गिरना प्रारंभ हो गया जिसके परिणामस्वरूप 25 दिसंबर, 1852 की सरकारी घोषणा के अनुसार सोने के सिक्के भुगतान में स्वीकार करना बंद कर दिया गया।

मैसफोल्ड आयोग—चांदी की उत्पत्ति कम होने से चांदी के भावों में निरंतर वृद्धि होती गयी। परिणामस्वरूप मुद्रा की पूति की समस्या उत्पन्न हो गयी जिसका समाधान करने हेतु 1866 में मैसफोल्ड आयोग की नियुक्ति की गयी जिसने 5, 10 व 15 रुपये की स्वर्ण व चांदी की मुद्राएं चलाने की सिफारिश की। सरकार ने 10 व 5 रुप० के मूल्य की स्वर्ण मुद्राएं चालू की, परंतु कुछ समय पश्चात् चांदी के मूल्य गिरना प्रारंभ हो गया।

1871 से रजतमान का पतन प्रारंभ हो गया तथा चांदी का मूल्य भी घटने लगा था। एक ओर चांदी की पूति बढ़ने एवं दूसरी ओर मांग कम होने से चांदी का मूल्य 1873 व 1894 के मध्य 40% तक घट गया जिससे देश में चांदी का आयात बढ़ने से मुद्रा की मात्रा बढ़ी व स्फीतिक परिस्थितिया उत्पन्न होकर मूल्यों में वृद्धि हो गई, जिसका विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा।

### हरशेल समिति 1892

(Herschell Committee 1892)

1871 के पश्चात् रजतमान में अनेक प्रकार की कठिनाइया उत्पन्न होने पर 1892 में लार्ड हरशेल की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया।

कार्य—इस समिति को निम्न कार्य सौंपे गए—

(i) भारत में स्वर्णमान स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं।

(ii) रुपये व स्टलिंग की विनिमय दर क्या निश्चित की जाए।

(iii) चांदी की स्वतंत्र मुद्रा डलाई क्या बंद कर दी जानी चाहिए।

सिफारिशें—इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्न थे हैं—

(i) देश में स्वर्ण के सिक्कों का चलन रोक दिया जाए।

(ii) रुपये की विनिमय दर 1 सि० 4 पेंस निश्चित की जाए।

(iii) सोने एवं चांदी की स्वतंत्र डलाई बंद कर दी जाए।

1893 में सरकार ने एक नवीन मुद्रा अधिनियम पारित किया जिसमें समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया, जिससे विदेशी पूंजी का आयात आकर्षित हुआ व चांदी का आयात हतोत्साहित हुआ।

### फाउलर समिति 1893

(Fowler Committee 1898)

1893 में 1 सि० 4 पेंस की दर निर्धारित की गई, परंतु परिस्थितिवश यह दर कभी न रह सकी। मुद्रा व्यवस्था में भी अनेक अनिश्चितताएं व अधिनियमितताएं उत्पन्न हो गईं। अतः आवश्यक मुद्दा देने के उद्देश्य से 1898 में सर हेनरी फाउलर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई।

सिफारिशों—इस कनिष्ठ ने निम्न सिफारिशों पेश कीं—

- (i) ब्रिटिश शासन को अनिश्चित विधि बाह्य उन्नतता घोषित किया गया ।
- (ii) मुद्रण के काम को पृथक् स्वर्ण कोष में बना कर दिया गया जो रुपये को मासिक में परिवर्तित करने हेतु इस निधि का प्रयोग किया जायेगा ।
- (iii) प्रतिबन्ध व्यापार संतुलन होने से सरकार को स्वर्ण देने की व्यवस्था की गई ।
- (iv) चांदी के रुपये को अनिश्चित विधि बाह्य माना जाए परन्तु इनकी स्वतंत्र कलाई न हों ।
- (v) रुपये की विनिमय दर 1 सि० 4 पैसे पर स्थिर रखी गई ।

सरकार ने इस कनिष्ठ की सिफारिशों को मान लिया तथा 1899 में एक नवीन मुद्रा अधिनियम पारित किया गया जिसमें शासन को विधि-बाह्य मुद्रा घोषित करके, स्वर्णमान को स्थापित किया गया तथा स्वर्ण दालने की योजना को रद्द कर दिया गया । इससे स्वर्ण-विनिमय मान की स्थापना की गई ।

स्वर्ण विनिमय मान की स्थापना—शासन सचिब की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने स्वर्ण मुद्राएं निबानकर हाकबतों एवं रोसबे थायोलियों के माध्यम से प्रचारित करने के प्रयास किए परन्तु कुछ समय पश्चात् ही देश में निरंतर प्रवाल पड़ने के कारण स्वर्ण मुद्राएं बापस लौट आयीं और सरकार ने यह माना कि देश की जनता स्वर्ण मुद्राओं के पक्ष में नहीं है और उनका टहन बंद करके स्वर्ण विनिमयमान की दिशा में प्रथम प्रयास किया ।

स्वर्ण विनिमयमान की दिशा में दूसरा प्रयास सरकार द्वारा मुद्रा टंकण पर होने वाले काम को भारत में न रखकर इंग्लैंड में रखने से हुआ । इन काम को इंग्लैंड में विनिर्देशित किया गया जिससे प्राव्यवस्था के समय इससे चांदी त्रय की जा सके ।

दोसरी घटना के रूप में सरकार ने 1900 में स्वर्ण मुद्रा का परिहाय कर चांदी के रुपये टंकण करने प्रारंभ कर दिए । इस प्रकार स्वर्ण विनिमयमान की सनी शर्तें पूर्ण कर दी गयीं ।

विदेशीकरण—स्वर्ण विनिमयमान की प्रमुख विशेषताएँ निम्न रहीं—

- (i) सीमित मात्रा में ब्रिटिश शासन प्रचलन में था ।
- (ii) दो कोषों की स्थापना करके विनिमय दर को स्थिर रखने के प्रयास किये गये ।
- (iii) धातुिक कार्यों के लिए रखत मिकता एवं पत्र मुद्रा प्रचलन में थी ।
- (iv) रुपये का अधिकतम स्वर्ण में मूल्य 16½ पैसे तथा न्यूनतम मूल्य 15 पैसे निर्दिष्ट किया गया ।

दोष—इस व्यवस्था से निम्न दोष उत्पन्न हो गए—

- (i) सरकार को प्रत्येक बार कार्य में हस्तक्षेप करना पडा जिससे यह प्रणाली बटिय होनी गई ।
- (ii) देश में मूल्यों में स्थिरता कायम न हो सकी ।
- (iii) मूल्यों की अनिश्चरता ने व्यापार एवं धातुिक जीवन में अनिश्चरता उत्पन्न करके देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला जिसकी जनता ने धानीकताएँ कीं ।



(v) स्वर्ण मुद्रा भारत के लिए उपयुक्त नहीं होने में मोने का सीमित मात्रा में ही मुद्रण किया जाना चाहिए ।

1914 में प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ जाने से धातुओं की निष्कारियों को कार्यान्वित न किया जा सका ।

### प्रथम युद्धकाल (1914)

प्रथम विश्वयुद्ध का मुद्रा प्रणाली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक उपाय अपनाए । युद्ध प्रारंभ होते ही समाज में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया तथा व्यापार एवं वाणिज्य में अनिश्चितता छा गई । विनिमय की दर में कमी होती गई, अतः सरकार ने निजी व्यक्तियों को स्वर्ण देना बंद कर दिया दूसरी ओर धातु कम होने से व्यापार संतुलन अनुकूल हो गया । चांदी की मांग में निरंतर वृद्धि होने के कारण, उसके मूल्य में वृद्धि हो गई । स्थिति को सुधारने के लिए चांदी का निर्यात बंद कर दिया गया तथा सरकार ने बड़ी मात्रा में चांदी खरीदी तथा पत्र मुद्रा में भारी मात्रा में वृद्धि की गई, फलस्वरूप स्वर्ण विनिमय मान टूट गया । युद्धकाल में सरकार के सम्मुख मुद्रा संबंधी अनेक कठिनाइयां उपस्थित हुईं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है—

(1) धातु सुरक्षा—पत्र-मुद्रा बढ़ते पर बिकने लगी थी । चांदी एवं स्वर्ण मुद्राएँ मालाने पर प्रतिबंध लगा दिए गए और विदेशी से प्राप्त मोना या चांदी सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य कर दिया गया ।

(2) विनिमय दर—चांदी के मूल्य बढ़ने एवं व्यापार संतुलन पक्ष में होने के कारण रुपये की विनिमय दर बढ़ना प्रारंभ हो गयी । यह विनिमय दर 1919 में 2 सि० 4 पैसे व 1920 में 2 सि० 11 पैसे तक हो गयी और स्वर्ण विनिमय मान टूट गया । विदेशी विनिमय स्रोतों पर कोई प्रतिबंध लगा दिए गए ।

(3) मुद्रा की पूर्ति—युद्धकाल में मांग बढ़ने से मुद्रा की मांग अधिक हो गयी । अमेरिका ने हम कठिनाई में भारत सरकार को 20 करोड़ डॉलर चांदी बेची परन्तु उससे भी मांग की पूर्ति संभव न हो सकी । चांदी के माव भी तीव्र गति से बढ़ने से रुपये का टकल करना कठिन हो गया । अतः सरकार ने 1 ह० व 2½ ह० के नोट चालू किए ।

(4) धन्य—सरकार ने मुद्रा स्थिति को रोकने हेतु कोषागार विषय बेचना प्रारंभ किया तथा दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किए । जनता पर नए कर लगाए गए ।

### बैबिंगटन-स्मिथ समिति (1919)

(Babington-Smith Committee 1919)

युद्ध की समाप्ति के पश्चात् व्यापार रोप अनुकूल रहा, जिससे भारतीय रुपये की मांग बढ़ी व चांदी के मूल्यों में वृद्धि होती गई तथा पत्र मुद्रा को निकले में बढलना कठिन हो गया । इस काल में रुपये की विनिमय दर में अनेक परिवर्तन हुए । अतः देश की मौद्रिक स्थिति की जांच करने के लिए 1919 में सर हेनरी बैबिंगटन-स्मिथ की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई जिसे निम्न कार्य सौंपे गए—

(i) विनिमय मान की स्थिरता के लिए आवश्यक सुझाव देना ।

(ii) युद्ध के प्रभाव का अध्ययन भारतीय चलन पद्धति पर देखना ।

(iii) चलन में हेर-फेर की सिफारिशें करना ।

सिफारिशें—समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्न हैं—

(i) विदेशी विनिमय दर स्वर्ण में 2 सि० की दर पर निश्चिन् की जानी चाहिए ।

(ii) विदेशी भुगतानों के लिए सरकार के पास अधिक मात्रा में स्वर्ण कोष जमा करना ।

(iii) रुपये को प्रसीमित विधि ग्राह्य बना रहना चाहिए ।

सरकार ने फरवरी 1920 में 1 रुपये = 2 सि० की दर को स्वीकार कर लिया, परन्तु बार-बार सरकार के प्रयास करने के अंशतः भी वह सफल न हो सकी और अंत में विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ना पड़ा । इससे भारत का निजी व्यापार हतोत्साहित हुआ, तथा धातु व्यापार प्रोत्साहित हुआ जिससे व्यापार अनुकूल प्रतिकूल हो गया । परन्तु यह स्थिति बहुत समय तक नहीं रही । इसमें विनिमय दर में धीरे-धीरे वृद्धि हो गई । 1925 में इर्लैण्ड ने स्वर्ण-

मान ग्रहण किया जिससे स्वर्ण एवं स्टैलिग का स्वर्ण मूल्य समान हो गया। अतः विनिमय की दर 1 शि० 6 पैस पर ही स्थिर बनी रही।

### हिल्टन यंग कमीशन 1925 (Hilton Young Commission 1925)

अगस्त 1925 में हिल्टन यंग की अध्यक्षता में 11 सदस्यों का एक शाही प्रायोग नियुक्ति किया गया जिसकी रिपोर्टें 4 अगस्त, 1926 को प्रकाशित हुईं।

उद्देश्य—इस कमीशन की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे—

(i) चलन एवं बैकिंग पद्धति में समन्वय स्थापित करना तथा केंद्रीय बैंक के संबंध में आवश्यक सुझाव देना।

(ii) रुपये की विनिमय दर बना रखी जाए।

(iii) स्वर्ण विनिमय मान की कार्यप्रणाली की जांच करना।

मुद्रा प्रणाली के दोष

कमीशन ने मुद्रा प्रणाली का अध्ययन करके उसमें निम्न दोषों को बताया—

(i) लोच का अभाव—मुद्रा प्रणाली में लोच का अभाव होने से आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन सान संभव नहीं था।

(ii) कोषों का दुहरापन—इस मान में दो कोष रखे जाते थे, एक भारत में एवं दूसरा स्वर्ण कोष संदन में। इससे बढ़त-सा स्वर्ण व्यर्थ में बेकार पड़ा रहता था।

(iii) इंग्लैण्ड पर निर्भरता—मुद्रा प्रणाली इंग्लैण्ड पर आधारीत थी, जिससे इंग्लैण्ड के आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव भारतीय मुद्रा पर पड़ता था।


(iv) अटिस प्रणाली—भारतीय मुद्रा प्रणाली को अटिस बताया गया जो सर्वसाधारण की समझ में सरलता से नहीं आती थी।

(v) स्वचालकता का अभाव—स्वर्ण का स्वतंत्र आयात एवं निर्यात न होने से प्रणाली में स्वचालकता का अभाव पाया जाता था।

(vi) सख्त व मुद्रा पर नियंत्रण का विभाजन—मुद्रा पर सरकार का तथा मान पर इंटीरियन बैंक का नियंत्रण रहता था, जिससे रुपये के मूल्य में स्थिरता नहीं लाई जा सकी।

सिफारिशें—रसीयन की सिफारिशों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

#### हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशें



(1) स्वर्ण पाट मान का सुझाव—भारत में स्वर्ण विनिमय मान 15 वर्ष तक सफनतापूर्वक चलता रहा। यह व्यवस्था हम सर्वोत्तम तथा लोचदार थी, परंतु कमीशन ने भारत के लिए स्वर्णपाट मान को अपनाते की सिफारिश की तथा इसकी निम्न विशेषताएं बताई गई—

(अ) रुपये को स्वर्ण से संबंधित कर देने पर भी स्वर्ण वास्तविक रूप में मुद्रा की भांति नहीं चलेगा।

(ब) कानून द्वारा मुद्रा प्रणालियों पर आधिकारिक रखा जाए जिससे रुपये के स्वर्ण मूल्य एवं विनिमय दर में स्वर्ण बिंदुओं में स्थिरता आ जाए।

(स) चलन में चलन-नोट एवं चांदी के रूप ही बने रहने चाहिए और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए।

भारत को धातु बाजार में स्वर्ण क्रय करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई तथा औद्योगिक कार्यों के लिए स्वर्ण की पूर्ति संभव की जा सकेगी। कमीशन ने भारत के लिए स्वर्ण पाठ मान को ही अरुद्ध बनाया और इस संबंध में निम्न तर्क दिए—

(अ) एक टोस कदम—उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा गया कि स्वर्ण मान का पक्षान करना कठिन है अतः विकल्प के रूप में स्वर्णपाठ मान को ही अपनाते की ओर एक टोस कदम था।

(ब) विनियोग व बैंकिंग आदत का विकास—मुद्रा का विशाल भाग संचित के रूप में रखने से मुद्रा प्रणाली का कुशल संचालन संभव नहीं हो पाता, इसमें मुद्रा प्रसार एवं संकुचन का भय भी बना रहेगा तथा मूल्यों में उतार-चढ़ाव की आशंका संभव बनी रहेगी। परंतु स्वर्णपाठ मान में यह दोष दूर हो जाएगा तथा विनियोग एवं बैंकिंग आदत का विकास संभव हो सकेगा।

(स) सरल एवं विश्वसनीय—यह मान सरल है तथा मुद्रा के स्थायित्व में शीघ्रता से विश्वास उत्पन्न करने में सफल हो जाता है। सांकेतिक मुद्रा की परिवर्तनशीलता के अधिकार को सरलता से समझा जा सकता है।

(द) न्यूनतम व्यय पर स्वर्ण कोष—इस व्यवस्था में न्यूनतम व्यय पर अधिकतम स्वर्ण कोष का उपयोग संभव हो सकता है, जिसमें मूल्यों पर बुरे प्रभाव नहीं पड़ेंगे तथा व्यापार व वाणिज्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(इ) अन्य कारण—स्वर्ण पाठमान को अपनाने के अन्य कारणों में निम्न को सम्मिलित किया जाता है—

(i) मुद्रा के बाह्य मूल्य को स्थिर रखने में स्वर्ण का उपयोग हो सकेगा। (ii) मुद्रा का प्रसार एवं संकुचन को स्वचालित किया जा सकेगा। (iii) इंग्लैंड भी स्वर्ण धातुमान पर आधारित था। (iv) औद्योगिक कार्यों के लिए स्वर्ण का उपयोग संभव हो सकता है।

अतः व्यवहार में स्वर्णधातु मान के स्थान पर स्वर्ण विनिमय मान या स्थिर विनिमय मान की ही स्थापना हो गयी जिसका आयोग ने तर्कसंगत विरोध किया था।

## (2) विनिमय दर संबंधी मुद्दा

गृह अध्यायन के परिचालन समिति ने देश में 1 सि० 6 पेंस की विनिमय दर अपनाते की सिफारिश की और इसके पक्ष एवं विपक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किए—

पक्ष में तर्क—1 सि० 6 पेंस की दर के पक्ष में निम्न तर्क रखे गए—

(3) पहले से संतुलित व्यवस्था—दस दर पर देश में मूल्य, मजदूरियाँ आदि पहले से ही संतुलित हो चुकी थी। अतः इसमें परिवर्तन करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता।

(ii) अन्य दर का असफल होना—16 पेंस की दर पूर्व वर्षों में असफल हो चुकी है अतः उस दर को निश्चित करने में अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ सकता था।

(iii) व्यापार संतुलन में सुविधा—देश में व्यापार संतुलन की स्थिति के लिए भी 18 पेंस की दर को अपनाया उचित एवं न्यायमंगल था।

(iv) ऋणदाताओं व ऋणियों के लिए न्यायपूर्ण—यह दर ऋणी एवं ऋणदाताओं के लिए सबसे अधिक न्यायमंगल एवं न्यायपूर्ण मानी जाती है।

(v) 16 पेंस की कृत्रिम दर—16 पेंस की दर को बनाए रखने के लिए मुद्रा प्रसार की सहायता लेनी पड़ेगी, जिसमें यह एक कृत्रिम दर है, जिसे अपनाया जाता संभव नहीं होगा।

(vi) भारतीय स्तर में गिरावट—अन्य दर को स्वीकार करने से भारत का आंतरिक मूल्य स्तर गिर जाएगा जिसमें मुद्रा प्रसार का सहारा लेना होगा।

(vii) गृह खर्चों को कम करना—दस दर के अपनाते में गृह खर्चों का भार कम हो जाएगा तथा देश में औद्योगीकरण में सहायता प्राप्त होगी।

(viii) स्वर्ण धायात संभव—अन्य दरों के अग्राने में स्वर्ण का मूल्य फिर जाएगा तथा स्वर्ण का धायात संभव न हो सकेगा। अतः 18 पैस की दर ही उचित मानी जाती है।

(ix) केंद्रीय बजटों का आधार—कई वर्षों से केंद्रीय व प्रांतीय बजट इसी दर पर बनाए जा रहे थे, अतः इसी दर को उचित बताया गया।

(x) स्वाभाविक एवं प्राकृतिक दर—इस दर को स्वाभाविक एवं प्राकृतिक दर बताया गया क्योंकि विछने वर्षों से यही दर स्थिर दर थी।

(xi) श्रृण एवं ठेके—धायोग का मत था कि वृत्त 3-4 वर्षों में विदेशों को माल देने तथा श्रृण घाटि के रूप में 18 पैस की दर पर छोड़े किए गए हैं, अतः इसी दर को स्वीकार करना उचित होगा, क्योंकि 16 पैस की दर करने पर भारतीय धायातको को अधिक खर्च चुकाने होंगे और श्रृणियों को हानि होगी।

विषय में तर्क—1 सि० 6 पैस के विरोधी में अनेक तर्क दिए गए जिनमें से प्रमुख निम्न हैं—

(i) मूल्य स्तर में समायोजन का अभाव—विनिमय दर 18 पैस स्थापित होने में भारतीय मूल्य का समायोजन संभव नहीं हो पाया है, जिससे भारतीय उत्पादकों को बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा।

(ii) इस दर पर विदेशी उद्योगपति लाभान्वित—16 पैस की दर अग्राने में विदेशी उत्पादकों को 12½% की दर से धायिक लाभ प्राप्त होने की संभावनाएँ बढ जाएंगी।

(iii) श्रृणियों को हानि—18 पैस की दर अग्राने में श्रृणियों को 12½% का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जो कि अग्रानेपूर्व एवं अग्रगत रहेगा।

(iv) समय लगना—18 पैस की दर पर मूल्यों में समायोजन करने में अधिक समय लगेगा, जिसमें देय की अग्रव्यवस्था पर बुरे प्रभाव पड़ेंगे।

(v) निर्यात में कमी—18 पैस की दर अग्राने में देश के निर्यात व्यापार में कमी हो जाएगी जिसमें देय के उत्पादकों एवं कृषकों को हानि का सामना करना पड़ेगा।

(vi) मजदूरी समायोजन में रुठनाई—इस दर पर मजदूरी को समायोजित करने के लिए उतने कमी करनी होगी, जिसमें औद्योगिक संघर्ष बढेगा व अग्रव्यवस्था को हानि उठानी पड़ेगी।

(vii) अप्राकृतिक दर—18 पैस की दर को अप्राकृतिक बताया गया जिसका देय की व्यवस्था पर अछा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(viii) प्राचीन दर—16 पैस की दर को प्राचीन दर बताया गया जो कि वृत्त 25 वर्षों में भारत में प्रचलित है।

(ix) वित्त पर अछा प्रभाव—16 पैस की दर का देय की वित्तीय अग्रव्यवस्था पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(x) युद्ध पूर्व दर को अग्राना—विश्व के समस्त राष्ट्रों ने युद्ध पूर्व दर को अग्राना है, अतः भारत को उभी दर को अग्राना चाहिए।

(xi) अग्रिकों पर अछा प्रभाव—इस दर के अग्राने में मजदूरी पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसमें अग्रिकों पर अछा प्रभाव पड़ेगा।

(xii) व्यापार संतुलन पर अछा प्रभाव—16 पैस की दर अग्राने में व्यापार संतुलन पर अछा प्रभाव पड़ेगा तथा अतिकूल व्यापार संतुलन की स्थिति पर अछा प्रभाव पड़ेगा।

(xiii) कृषकों को हानि—18 पैस की दर को अग्राने में कृषकों को हानि होगी। 1917 में पूर्व जो अग्रविदे हुए थे उनके लिए 16 पैस की दर को उचित बनाया गया जिसमें कृषकों को लाभ होगा।

भारत सरकार ने 1920 में चलन विनियम पारित करके 1 सि० 6 पैस की विनियम दर को स्वीकार कर लिया।

## (3) मुद्रा अधिकारी संबंधी सुभाव

देश में मुद्रा एव साख की नीतियों में समन्वय लाने के उद्देश्य से कमीशन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नामक केंद्रीय बैंक स्थापित करने के सुभाव दिए। यह बैंक चलन एवं साख पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ विदेशी विनिमय दर पर भी नियंत्रण एव प्रबंध रखेगा। सरकार ने इस मत को स्वीकार कर लिया परंतु अत्यधिक विरोध होने के कारण रिजर्व बैंक संबंधी विधेयक 1928 में पास न हो सका। 1934 में पुनः यह विधेयक रखा गया और इसे स्वीकार कर लिया गया। फलतः, अक्टूबर, 1935 से रिजर्व बैंक ने कार्य प्रारंभ कर दिया।

## स्टैलिग विनिमय मान (1931-1939)

भारत में स्टैलिग विनिमय मान भी स्थापना के प्रमुख कारण निम्न थे—

(i) स्वर्णमान का त्याग—मार्च 21, 1931 को इंग्लैंड ने अपना स्वर्णमान का परित्याग कर दिया जिससे स्टैलिग का स्वर्ण से संबंध विच्छेद हो गया। अतः स्टैलिग विनिमय मान पर निर्भर रहना पड़ा।

(ii) स्वर्ण धातु मान की असफलता—मुद्रा अधिनियम 1927 के अंतर्गत भारत में जिस स्वर्ण धातु मान की स्थापना की गई, वह स्थापित न हो सका।

## स्टैलिग विनिमय मान के पक्ष व विपक्ष में तर्क

पक्ष में तर्क—विनिमय मान के पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं—

(i) पक्षपात—स्टैलिग ने रुपये का गठबंधन करने में अंग्रेजी माल के आयात के लिए विदेश सुविधाएं प्रदान की गईं।

(ii) स्वर्ण कोयों का बिक्रय जाना—स्टैलिग का ह्रास होने में स्वर्ण कोयों के बिक्रय जाने का भय बना हुआ था।

(iii) व्यापार के लिए हानिप्रद—अन्य राष्ट्रों ने अपनी-अपनी मुद्रा का भवमूल्यत्व कर दिया था, परंतु भारत में 1 सि० 6 पैस की दर को ही कायम रखा जिससे व्यापार में हानि का सामना करना पड़ा।

(iv) हिल्टन यंग कमीशन द्वारा विरोध—यह कमीशन रुपये को किसी भी राष्ट्र के साथ संबंधित करने के पक्ष में नहीं था।

(v) आर्थिक पराधीनता—भारत आर्थिक दृष्टि से इंग्लैंड के साथ पराधीन हो जाएगा।

विपक्ष में तर्क—स्टैलिग विनिमय मान के विपक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं—

(i) गृह खर्च में अनुविधा—रुपये को स्टैलिग से संबंध विच्छेद करने से गृह खर्चों में अनेक प्रकार की अनुविधाओं का सामना करना पड़ेगा।

(ii) व्यापार में लाभ—रुपये का स्टैलिग से संबंध स्थापित करने में विदेशी व्यापार के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।

(iii) स्वर्ण मूल्य में कमी—रुपये का स्टैलिग विनिमय मान से संबंध स्थापित करने से स्वर्ण मूल्य में कमी हो जाने की संभावना थी।

(iv) स्वर्ण राष्ट्रों से व्यापार में वृद्धि—रुपये को स्टैलिग से गठबंधन करने से, स्वर्णमान राष्ट्रों के साथ में वृद्धि हो जाएगी।

(v) देश की अंतरा—भारत एक दिनदर देस था, अतः उसे स्वतंत्र रूप में छोड़ देने से देश की अधिक मात्रे का भय था।

(vi) विनिमय दर में अस्थिरता—रुपये का स्टैलिग से गठबंधन करने से विनिमय दर में स्थिरता बनी रहेगी तथा किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा।

तथा बाद में नोटों के प्रकाशन की जिम्मेदारी भी रिजर्व बैंक ने अपने ऊपर ले ली तथा नोटों के निर्गमन का कार्य भी संभाल लिया ।

### सरकारी प्रयास

भारत सरकार ने मुद्रा प्रणाली के संबंध में निम्न कार्य किये—

- (i) भारतीय रुपये की विनिमय दर 1 सि० 6 पैस पर निश्चित की गई ।
- (ii) 1927 में देश में स्वर्ण धातुमान की स्थापना की गई ।
- (iii) मुद्रा एवं सात पर नियंत्रण लगाने के लिए देश में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई ।

### द्वितीय महायुद्ध एवं मुद्रा प्रणाली

3 मितम्बर, 1939 को द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हो गया, उस समय भारत में स्टैबिलिटी विनिमय मान प्रचलित था तथा रुपए का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था । रुपए को देश का प्रामाणिक मिकका माना जाता था तथा चांदी का रुपया व घटती अपरिमित विधि ग्राह्य मुद्रा थी । विनिमय दर की न्यूनतम सीमा 1 सि० 5 $\frac{1}{2}$  पैस एवं अधिकतम दर 1 सि० 6 $\frac{3}{8}$  पैस निश्चित की गई । इस समय भारतीय मुद्रा प्रणाली में लोच का प्रभाव पाया जाता था तथा इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था ।

### मुद्रापूर्ति की समस्या

द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ होते ही जनता का पुनः पत्र-मुद्रा में अधिस्वाम उत्पन्न हो गया और नागज के नोटों के बदले में चांदी के रुपयों की मांग बढ़ गयी । जून में अगस्त, 1940 तक 22 करोड़ ६० की चांदी की मुद्रा जनता को दी गयी । इस परिस्थिति का सामना करने हेतु 25 जून, 1940 को एक अध्यादेश निकालकर आवश्यकता से अधिक चांदी के सिक्के एक्त्रित करना अपराध माना गया जिसे मुद्रा की मांग कम हो गयी ।

### मुद्रा स्फीति

द्वितीय युद्धकाल की महत्वपूर्ण घटना मुद्रा-स्फीति थी । अगस्त, 1939 में 179 करोड़ ६० के मूल्य की पत्र-मुद्रा चलन में थी जो 1945 में बढ़कर 1152 करोड़ रुपए हो गयी । मुद्रा स्फीति के अनेक कारण थे (i) उत्पादन में वृद्धि संभव न होना, (ii) व्यापार की मात्रा में वृद्धि होना, (iii) सरकार के रखा व्यय में अंतर वृद्धि होना, (iv) सेना के लिए सामान भेजने से नागरिकों के लिए सामान की कमी हो गयी, (v) ब्रिटिश सरकार को युद्ध संचालन के लिए बहुत अधिक भाल सहरोदना था ।

### विनिमय नियंत्रण

युद्ध प्रारंभ होते ही भारत सरकार ने भारत रखा नियमों के अंतर्गत समस्त विदेशी विनिमय के त्रय-विक्रम पर प्रतिबंध लगा दिए और इसके लिए देश में एक विनिमय नियंत्रण विभाग की स्थापना की गयी । युद्धकाल में स्टैबिलिटी के तैनादेन पर कोई प्रतिबंध नहीं था । विदेशी मुद्राओं के त्रय-विक्रम के लिए रिजर्व बैंक से सादसित सेना अतिवार्य कर दिया गया । इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा तथा सिक्कों के तैनादेन पर रोक लगा दी गयी । स्वर्ण के निर्यात को रोक दिया गया और भारत में आयात होने वाला समस्त स्वर्ण तथा चांदी रिजर्व बैंक में जमा करना अनिवार्य कर दिया गया । 28 जुलाई, 1941 को जापानी व्यापारिक सस्थाओं के हाते रोक दिए गए । युद्धकाल में विदेशी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए गए । कोई भी व्यक्ति रिजर्व बैंक की अनुमति बिना भारत से अन्य देशों को नहीं जा सकता था । विदेशी विनिमय का प्रयोग अत्यंत आवश्यक कार्यों के लिए ही प्राथमिकता के आधार पर किया जाता था ।

प्रभाव

द्वितीय विश्वयुद्ध का भारतीय मुद्रा प्रणाली पर निम्न प्रभाव पड़ा—

(1) नियंत्रित वितरण की योजना—देश में रुपए के सिक्कों की कमी हो गई थी, जिससे 15 जून, 1940 को नियंत्रित वितरण की योजना का निर्माण किया गया जिसमें आवश्यकता से अधिक मात्रा में सिक्कों के जमा पर प्रतिबंध लगाकर उसे दंडनीय घोषित कर दिया गया।

(2) सिक्कों की प्रामाणिक शुद्धता में कमी—चादी के रुपयों की मांग बढ़ने से सरकार ने चादी के सिक्कों की प्रामाणिक शुद्धता को कम कर दिया तथा नवीन नोटों का प्रकाशन भी किया।

(3) नवीन रेजगारी का प्रबंध—1942 में छोटे सिक्कों का भ्रमाव होने से उस कमी को दूर करने के सरकार ने अनेक प्रयास किए—(i) लाहौर में एक नवीन टकसाल खोली गई, (ii) छेद वाला पैसा निकाला गया, (iii) सभी टकसालों में सिक्के डालने की गति में वृद्धि की गई, (iv) गिल्ट का भ्रमना चालू किया गया एवं (v) नवीन सिक्को का प्रचलन बढ़ाया।

(4) विदेशी विनिमय नियंत्रण—सरकार ने विदेशी विनिमय नियंत्रण का कार्य रिजर्व बैंक को सौंप दिया। नियंत्रण अधिकारियों ने विनिमय दर को 1 सि० 6 पैस की दर पर स्थिर रखा।

(5) साम्राज्य डालर कोष योजना—युद्ध के कारण दुर्लभ मुद्राओं को उचित दर पर क्रय-विक्रय करने के उद्देश्य से साम्राज्य डालर कोष योजना प्रारंभ की गई, जिसमें स्टलिंग क्षेत्र के सभी राष्ट्र अपने निर्यातों से प्राप्त डालर को इस कोष में जमा करते थे तथा स्टलिंग के रूप में साख प्राप्त करते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे व्यय करते थे। बाद में इसका नाम बदलकर 'स्टलिंग क्षेत्र डालर कोष' कर दिया गया।

(6) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष—1944 में वित्तीय मामलों में सहयोग प्राप्त करने एवं विनिमय दरों में स्थायित्व लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। इस कोष का भारत भी एक सदस्य था।

(7) स्टलिंग पावने में वृद्धि—युद्ध से पूर्व भारत इंग्लैंड का ऋणी था, परंतु युद्धकाल में भारत ने अधिक मात्रा में निर्यात होने से भारत को पौंड पावने में अत्यधिक वृद्धि हुई। सरकार ने इस पौण्ड पावने के आधार पर नोट छापकर भारतवासियों का सुगठान किया जिससे एक घोर लो मुद्रा प्रसार हुआ तथा दूसरी ओर इंग्लैंड पर भारी ऋण जमा हो गया।

(8) चलन एवं साख मुद्रा में वृद्धि—युद्धकाल में चलन एवं साख मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई जिससे मुद्रा का मूल्य कम हो गया तथा वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई। इस प्रकार देश में मुद्रा स्फोति फैल गई जिसे रोकने के कोई प्रयास प्रारंभिक अवस्था में नहीं किए गए।

(9) पुराने सिक्कों को बंद करना—पुराने सिक्कों में चादी की अधिक मात्रा होने से सरकार ने उन्हें वापस लेना व चलन से बंद करना प्रारंभ कर दिया तथा उनके स्थान पर नम वजन के नवीन सिक्के प्रचलित किए गए।

(10) अचरमित विधि प्राप्त नोटों का चलन—रुपए की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने 1940 में 1 र० व 2 रुपए के अचरमित विधि प्राप्त नोटों के रूप में प्रकाशन किया जिन्हें रुपए के सिक्कों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था।

(11) जनता के विश्वास में कमी—युद्ध प्रारंभ होते ही जनता का देश की मुद्रा प्रणाली में विश्वास कम हो गया, जिनमें जनता ने बैंकों व शास्त्रानों से अपना रुपया वापस निकालना प्रारंभ कर दिया। इससे नोटों को परिवर्तित करने की दौड़ प्रारंभ हो गई तथा प्रत्येक व्यक्ति जल्द से जल्द अपनी जमा राशि को वापस लेना चाहता था। परिणामस्वरूप रुपए के सिक्के प्रचलन से बाहर हो गए तथा देश में सिक्कों की अपार कमी हो गई।

(12) आयात एवं निर्यात नियंत्रण—विदेशी विनिमय का समुचित उपयोग करने के उद्देश्य से स्टलिंग क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रों में बौट्टी भी बन्दु का आयात करने पर प्रतिबंध लगाए गए। उपभोग पदार्थों का आयात बैंकन स्टलिंग क्षेत्र के राष्ट्रों से ही हो सकता था। इसी प्रकार स्टलिंग क्षेत्र के बाहर के राष्ट्रों को जाने वाली वस्तुओं के निर्यात पर भी बंधन नियंत्रण लगाए गए। इस प्रकार व्यापार संतुलन को प्रतिकूलता को दूर करने के प्रयास किए गए।

(13) धन्य नियंत्रण—इसके प्रतिरिक्त विनिमय नियंत्रण की नीति को सफल बनाने के लिए निम्न उपाय अपनाए गए—

(i) भूगतान पर प्रतिबंध—1941 से व्यापारिक कंपनियों रिजर्व बैंक से साइडेंस लेकर ही स्टेलिंग डॉलर से बाहर अपने लाभ को भेज सकती थीं।

(ii) अनुज्ञा-पत्र—स्वर्ण के आयात-निर्यात के लिए अनुज्ञा-पत्र लेना आवश्यक कर दिया गया।

(iii) मुद्रा के आयात-निर्यात पर रोक—नवम्बर, 1940 से यह प्रतिबंध लगाया गया कि भारतीय मुद्रा का निर्यात बिना सरकारी आज्ञा के संभव न हो सकेगा। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा के आयातों पर भी कठोर नियंत्रण लगाए गए।

(iv) जमा शक्ति पर प्रतिबंध—धन-राष्ट्रों का जो धन भारतीय बैंकों में जमा था उसके निकालने पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए।

द्वितीय विश्वयुद्ध काल में भारतीय मुद्रा की प्रमुख समस्या मुद्रा प्रसार संबंधी थी। इस प्रकार युद्ध का भारतीय मुद्रा पर गहरा प्रभाव पड़ा जिसने अनेक नवीन समस्याओं को जन्म दिया तथा देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। अधिक मुद्रा प्रसार के कारण जनता को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा जनता में अविश्वास की लहर व्याप्त हो गई।

### युद्धोत्तर काल में मुद्रा प्रणाली (1945-47)

युद्ध की समाप्ति के पश्चात् भारतीय मुद्रा प्रणाली में अनेक घटनाएँ घटीं जो कि निम्न प्रकार हैं—

(1) देश विभाजन—देश विभाजन के साथ-साथ भारतीय मुद्रा का भी भारत व पाकिस्तान में क्रमशः 133 के अनुपात में विभाजन कर दिया गया और भारतीय नोट पाकिस्तान में 30 नितम्बर, 1947 तक चले और 1 अक्टूबर, 1948 से पाकिस्तान में अपने नोटों का प्रचालन किया।

(2) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व बैंक की स्थापना—1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना हुई, जिससे इंग्लैंड-स्टर्लिंग का गठबंधन समाप्त हो गया तथा रुपए का मूल्य 0.268601 ग्राम स्वर्ण निश्चित किया गया। इस प्रकार देश में स्वर्ण-मर्यादा मान की स्थापना हुई और रुपए का संबंध अन्य मुद्राओं में भी स्थापित हो गया।

(3) आर्थिक पद्धति का प्रयोग—बोर बाजारी एवं सट्टे पर रोक लगाने की दृष्टि से सरकार ने जनवरी, 1947 में 500 रु०, 1000 रु० व 10,000 रु० के नोटों का प्रमुद्राकरण करके उसे गैर-कानूनी घोषित किया तथा 15 अगस्त, 1950 से नवीन मुद्राओं को पूर्णतया भारतीय बना दिया गया तथा 1 अप्रैल, 1957 में मुद्रा की आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया।

(4) रुपए का प्रचलन—18 नितम्बर, 1949 को इंग्लैंड द्वारा पौंड का प्रचलन करने से भारत ने अपनी मुद्रा का 30.5% से प्रचलन कर दिया, फलस्वरूप रुपए का डॉलर मूल्य 30.225 सेंट से घटकर केवल 21 सेंट रह गया तथा स्वर्ण मूल्य 0.268601 ग्राम स्वर्ण से घटकर 0.186621 ग्राम स्वर्ण हो गया। रुपए का पुनः प्रचलन 6 जून, 1966 को किया गया था।

(5) हीनार्थ प्रबंधन—अप्रैल, 1951 से देश के आर्थिक विकास में आर्थिक नियंत्रण की पद्धति को अपनाया गया, जिसमें वित्तीय साधनों के लिए हीनार्थ प्रबंधन की पद्धति का सहारा लिया गया।

### बड़े नोटों का विमुद्राकरण

द्वितीय युद्धकाल में बोर बाजारी एवं घूसखोरी द्वारा व्यक्तिगतों ने बहुत धन अर्जित किया जो प्रायः बड़े मूल्यों के नोटों में ही रखा गया होगा। अतः 11 व 12 जनवरी, 1946 को दो अध्यादेश जारी करके 100 रु० से ऊपर की राशि के सब नोटों को रद्द करने की घोषणा की गयी। इन नोटों के विमुद्राकरण का उद्देश्य बोर बाजार, घूसखोरी तथा करों की चोरी करने वालों को पकड़ना तथा यह रद्द धन को उत्पादन के कार्यों में लगाना था। परन्तु इस योजना का उद्देश्य पूर्ण न हो सका क्योंकि बड़े व्यापारियों को इस नीति का ज्ञान पहले से ही जाने के कारण उन्होंने अपना धन बैंकों में



जमा करके इस हानि से बच गए।

**विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम—1947**  
(Foreign Exchange Regulation Act—1947)

मानें, 1947 में भारतीय मुद्रा नियम संपात होने पर विदेशी विनिमय पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से मार्च, 1947 में ही विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया जिसकी मुख्य बातें निम्न थी—

(i) मुद्रा को भेजना—भारत में रहने वाले विदेशी सीमित मात्रा में विदेशी को मुद्रा भेज सकते थे।

(ii) संपत्ति को राशि—विदेशी का स्वदेश लौटने पर वह अपने वेतन आदि की समस्त राशि अपने देश में वापिस ला सकेगा।

(iii) व्याप को भेजना—भारत में स्थित विदेशी व्यापारिक सहाय्य अपने लाभों को प्रधान कार्यालय को भेज सकती है।

(iv) प्रतिबंध—हीरे, जवाहरात, सोना एवं अन्य प्रतिभूतियों के आयात-निर्यात पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए।

(v) विनियोजन की भाशा—विदेशों में पूँजी के विनियोजन की भाशा प्रदान नहीं की गई।

(vi) आयात लाइसेंस—आयात के लिए आयात लाइसेंस लेना आवश्यक कर दिया गया जिसका भुगतान स्वतंत्रतापूर्वक किया जा सकता है।

(vii) ऋणों का ध्यान आदि—ऋणों पर व्याज की मा आदि का भुगतान विदेशी मुद्रा में स्वतंत्रतापूर्वक किया जा सकता है।

(viii) विदेशी विनिमय का सेत-देत—विदेशी विनिमय के सेत-देत का कार्य केवल रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंकों द्वारा ही संभव हो सकता है।

**साम्राज्य डालर कोष**  
(Empire Dollar Pool)

मुद्राकाल में डालर दुर्लभ मुद्रा हो गयी थी क्योंकि मुद्रा का सामान केवल अमेरिका में ही प्राप्त हो सकता था। डालर का महत्व बढ़ जाने से यह आवश्यक हो गया कि उसके कोषों का सदुपयोग किया जाए।

द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व प्रायः अधिकांश राष्ट्र अपनी विदेशी मुद्रा कोषों को स्टैलिग के रूप में सन्दन में रखते थे। परन्तु युद्ध प्रारंभ होने पर स्टैलिग की स्वतंत्र परिवर्तनीयता समाप्त हो गई जिससे स्टैलिग को डालर में परिवर्तित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन कठिनाई से बचने के लिए समस्त राष्ट्रों ने *जुलै 1939 से एक साम्राज्य डालर कोष की स्थापना की।*

इन कोष में ब्रिटिश साम्राज्य के राष्ट्रों का विदेशी विनिमय जमा कर दिया जाता था तथा आवश्यकता पड़ने पर उस कोष से धन निकाल लिया जाता था। इस प्रकार स्टैलिग क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रों को निर्यात करने पर जो डालर प्राप्त होता था वह उन्हें डालर कोष में जमा करके उसके बदले स्टैलिग साम प्राप्त कर लिया करता था। इस कोष में से प्रत्येक राष्ट्र अपनी आवश्यकतानुसार डालर निकाल सकता था तथा उसके अभाव्य पर प्रतिबंध था। इस प्रकार दुर्लभ मुद्रा को प्राप्त करके उसे सामूहिक कोष में जमा करना तथा एक निश्चित दर पर अथ एव विनय की योजना का निर्माण करना था।

भारत इस कोष का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। युद्ध की समाप्ति पर 1946 में इस कोष को सन्दन में केंद्रीय कोष में रखा गया। भारत को इस कोष के उपयोग की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई और इसका उपयोग पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया। मुद्राकाल में भारत ने डालर-कोष में कुल 453 करोड़ ६० के मूल्य की विदेशी मुद्रा जमा की, जिसमें से 405 करोड़ ६० अमेरिकन डॉलर थे। इसमें से भारत ने 339 करोड़ ६० की विदेशी विनिमय काम में ले ली। अ. डालर कोष में भारत की मुद्रा जमा राशि 114 करोड़ ६० थी।

## भारत का पौंड पावना (Sterling Balance of India)

द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व भारत इंग्लैंड का ऋणी था परन्तु युद्ध काल में भारत का इंग्लैंड पर भारी मात्रा में ऋण चढ़ गया क्योंकि जो माल इंग्लैंड या उसके मित्र-राष्ट्रों को भेजा जाता था वह भारत सरकार के हितानुसार में इंग्लैंड में जमा हो जाया करता था, इसी कारण इसका नाम स्टर्लिंग या पौंड पावना पड़ा। रिजर्व बैंक को इस पावने की प्राप्ति पर नोट निगमन करने के अधिकार प्राप्त थे, फलतः एक ओर इंग्लैंड पावने एकत्रित होते गए तथा दूसरी ओर भारत में नोटों की मात्रा में वृद्धि हो गई जिससे मुद्रा प्रसार बढ़ा। अतः युद्ध काल में मुद्रा प्रसार होने का प्रमुख कारण स्टर्लिंग पावने का एकत्रित होना था।

### पौंड पावने की वृद्धि

युद्ध से पूर्व भारत का रिजर्व बैंक अपनी सम्पत्ति का कुछ भाग स्टर्लिंग प्रतिभूतियों के रूप में इंग्लैंड में रखा करता था जिसकी मात्रा 1939 में केवल 64 करोड़ रुपए थी। परन्तु युद्ध काल में इसकी मात्रा में असाधारणतः वृद्धि हुई और यह मात्रा बढ़कर लगभग 25 गुनी हो गई और 1946 में यह कोष बढ़कर 1662 करोड़ रुपए हो गया। पौंड पावने की इस वृद्धि को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

### पौंड पावने की वृद्धि

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	पौंड पावना	मूल्य स्तर	नोट निगमन
1939	64	100	176
1939-40	91	108	209
1940-41	169	143	241
1941-42	211	160	307
1942-43	394	238	513
1943-44	755	245	777
1944-45	1182	244	969
1945-46	1549	280	1163
1946-47	1662	302	1223

### पौंड पावना वृद्धि के कारण

पौंड पावने में वृद्धि होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

(i) रक्षा-व्यय संबंधी समझौता—सितम्बर, 1939 में इंग्लैंड एवं भारत के मध्य युद्ध-व्यय के बंटवारे के संबंध में एक समझौता हुआ, जिसके अन्तर्गत पर एक सीमित मात्रा से अधिक व्यय होने पर उत्तम भुगतान इंग्लैंड द्वारा किया जाएगा। इससे भारत को इंग्लैंड में काफी बड़ी राशि युद्ध-व्यय के रूप में प्राप्त होने से पौंड पावने में वृद्धि हो गई।

(ii) डालरों में भुगतान प्राप्त—युद्धकाल में अमेरिकी सेनाएं भारत में रहीं और उनके व्यय के बदले में डालरों में भुगतान प्राप्त हुआ, परन्तु इन्हीं साम्राज्य डालर कोष में जमा कर दिया जाता था जिससे भारत के पौंड पावने में वृद्धि-वृद्धि हुई और काफी मात्रा में पौंड पावना एकत्रित हो गया।

(iii) मूल्यवान् धातुओं की विनिष्पत्ति—युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में धूम्रकाल धातुओं की विनिष्पत्ति से उत्पन्न भुगतान भी स्टर्लिंग के रूप में ही प्राप्त हुआ जिसे पौंड पावने के रूप में बढ़ा दिया गया।

(iv) निर्यात में वृद्धि—भारत में मित्र-राष्ट्रों को धमस्त उपभोग सामग्रियों का काफी मात्रा में निर्यात किया

घोर उमके बदले में स्टलिंग प्राप्त किए जिससे पींड पावने में वृद्धि हो गई।

(v) इंग्लैंड द्वारा वस्तुओं का क्रय—युद्धकाल में इंग्लैंड ने भारत से जो वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्राप्त की उनका भुगतान भी उसे स्टलिंग के रूप में ही प्राप्त हुआ, जिससे पींड पावने में वृद्धि हो गई।

पींड पावने के भुगतान के संबंध में वाद-विवाद रहा है। प्रारंभ में यह कहा गया था कि भारत को इतका भुगतान प्राप्त नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टलिंग ऋण युद्ध ऋण है, रुपए की जैसी विनिमय दर, युद्ध से भारत को लाभ एवं इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति क्षराब होना चाहिए। इसके विपरीत भारत ने भुगतान प्राप्त करने पर जोर दिया क्योंकि यह ऋण महान् त्याग के बाद दिया गया, निर्बंधित मूल्य पर माल बेचा गया, यह एक पूंजी थी जिसके आधार पर आर्थिक विकास सम्भव हो सकेगा, देश का विकास करना था तथा यह ऋण इंग्लैंड को-युद्धपूर्वक दिया गया था। इस संबंध में काफी तर्क-विर्कें रहा घोर इंग्लैंड भुगतान को टालता रहा। भारत ने इस प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन के सम्मुख रखा जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया कि इंग्लैंड इस भुगतान को देने-पाने करेगा। इस संबंध में घनेक समझौते हुए जो कि निम्न प्रकार हैं—(i) जनवरी, 1947 का प्रथम समझौता, (ii) 14 अगस्त, 1947 का समझौता, (iii) जुलाई, 1948 का समझौता, (iv) जुलाई, 1949 का समझौता, (v) जुलाई, 1951 का समझौता, (vi) फरवरी, 1952 का समझौता।

वर्तमान स्थिति—सन् 1952 के समझौते के बाद भारत सरकार पींड पावने का प्रयोग करने में लगभग स्वतंत्र रही घोर पंचवर्षीय योजनाओं के कारण पींड पावने की राशि में तेजी में कमी आई। पींड पावने का उपयोग पंचवर्षीय योजनाओं के लिए किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्टलिंग निधि का अधिक उपयोग संभव न हो सका। द्वितीय योजना काल में इनका अधिक उपयोग किया गया जिससे स्टलिंग की मात्रा केवल 213 करोड़ रुपए ही रह गई। तृतीय योजना के प्रारंभ में स्टलिंग कोष की मात्रा 136 करोड़ रुपए थी जो 1962 में घटकर 87 करोड़ रुपए रह गई, जबकि विधान के अनुसार सरकार को चलन के लिए न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की स्टलिंग निधि रखना अनिवार्य था।

पींड पावने भुगतान संबंधी आलोचनाएँ—पींड पावने के भुगतान के संबंध में प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

(i) दीर्घकालीन योजना का अभाव—स्टलिंग भुगतान संबंधी समझौते प्रत्यावधि के थे जिससे दीर्घकालीन योजना का निर्माण न किया जा सका, परिणामस्वरूप पींड पावने का उपयोग उपभोक्ता सामान व अन्य अनुपयोगी वस्तुओं के क्रय करने में किया गया, जो देश के आर्थिक विकास के लिए उचित नहीं था।

(ii) पूंजी माल की सुविधा का अभाव—ब्रिटेन द्वारा पींड पावने के बदले उचित मूल्य पर पूंजी माल को न देने से औद्योगिक विज्ञान में सहायता प्राप्त नहीं हुई।

(iii) कम व्याज दर—एकत्रित स्टलिंग सेष पर भारत को बहुत कम व्याज दर मिली जो औसतन 0-78% वार्षिक थी।

(iv) अधिक शीतल वृद्धता—ब्रिटेन के युद्ध कार्यों के लिए अधिक शीतल वस्तु की गई जिससे स्टलिंग सेष काफी घट गए।

(v) समझौतों में कड़ापन—आरंभिक समझौतों के आधार पर स्टलिंग राशि प्रयोग न होने पर उसे रद्द कर दिया जाता था तथा अगले वर्ष अधिक राशि की आवश्यकता होने पर अधिक राशि उपलब्ध नहीं हो सकती थी, इसमें बाध करने में घनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं।

(vi) सीमित राशि उपलब्ध होना—इस क्षेत्र में सीमित मात्रा में ही धन उपलब्ध हो सका जिसका पूर्णतः से उपयोग नहीं किया जा सका।

(vii) अल्पकालीन राशि—देश की आवश्यकताओं को देखते हुए जो राशि प्राप्त होती थी वह बहुत ही कम एवं अल्पकाली थी, जिसका उपयोग देश के विकास में संभव न हो सका।

पींड पावने भारतीय कर्जों को एक कठनी है घोर इनका प्रयोग देश को आर्थिक कष्टों से मुक्त करने के लिए किया गया था।

रुपए का पींड ने सबसे 25 नवम्बर, 1975 में लौट दिया गया। इनका युद्ध प्रभाव यह होगा कि आगाम

प्रवमूल्यन के विषय किसी भी अन्य तरीके से उसे ठीक नहीं किया जा सकता था।”

18 सितम्बर, 1949 को ब्रिटेन ने पौंड का 30 5% प्रवमूल्यन कर दिया और पौंड की विनिमय दर 4.03 डॉलर से घटकर 20 80 डॉलर हो गयी। अनेक अन्य देशों ने भी अपनी-अपनी मुद्रा का प्रवमूल्यन घोषित किया। 1949 का प्रवमूल्यन युद्धोत्तरकालीन प्राथिक जगत की एक प्रमुख घटना थी। भारत ने अपनी मुद्रा का प्रवमूल्यन 29 सितम्बर, 1949 को किया। स्टर्लिंग का प्रवमूल्यन होने के 24 घंटे के अन्दर मारल ने भी अपनी मुद्रा का 30 5% से प्रवमूल्यन कर दिया जिससे रुपए का डॉलर मूल्य 30.225 सेंट से घटकर 21 सेंट हो गया तथा स्वर्ण मूल्य 268.601 ग्राम से घटकर 186.611 ग्राम हो गया। डॉलर का मूल्य रुपए में 31 पैसे से बढ़कर 4 रुपए 75 पैसे हो गया।

प्रवमूल्यन के कारण—भारतीय रुपए के प्रवमूल्यन करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

(i) स्टर्लिंग क्षेत्र से व्यापार—भारत का अधिकतर व्यापार स्टर्लिंग क्षेत्र से होता था और यदि रुपए का प्रवमूल्यन न करते तो भारतीय माल स्टर्लिंग क्षेत्र में महँगा होने से व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता।

(ii) पौंड पावना—भारत का इंग्लैंड पर जो पौंड पावना रोप था, प्रवमूल्यन न करने पर उस कोष में कमी हो जाती और हानि उठानी पड़ती।

(iii) अमेरिका के मूल्य—मुद्रा प्रसार के कारण भारत में वस्तुओं के मूल्य अमेरिका के मूल्य से अधिक हो जाते। यदि प्रवमूल्यन न किया जाता तो यह मूल्य स्टर्लिंग क्षेत्र में और महँगे हो जाते, जिससे इंग्लैंड व अन्य स्टर्लिंग क्षेत्रों में भारतीय माल प्रतियोगिता नहीं कर पाता।

(iv) प्रतिफल व्यापार संतुलन—युद्धोत्तरकाल में भारत का व्यापार संतुलन विषम में था। अतः स्थिति को सुधारने के लिए निर्यात को प्रोत्साहित एवं आयात को हतोत्साहित करना था। यह उही समय संभव हो सकता था जबकि प्रवमूल्यन का सहारा लिया जाता।

(v) डॉलर संकट—भारत में डॉलर संकट निरंतर बढ़ रहा था जिसके लिए यह आवश्यक था कि अमेरिका से आयात कम एवं निर्यात अधिक किए जाएं, और इस उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्रवमूल्यन से ही हो सकती थी।

(vi) डॉलर क्षेत्र व्यापार में वृद्धि—प्रवमूल्यन के अभाव में अमेरिका अन्य राष्ट्रों से माल सस्ते भाव पर खरीद लेता और भारत का व्यापार डॉलर क्षेत्र में कम हो जाता। अतः स्थिति को सुधारने के लिए रुपए का प्रवमूल्यन करना आवश्यक समझा गया।

(vii) स्टर्लिंग से घनिष्ठ संबंध—भारत का सर्वेस से स्टर्लिंग के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है जिससे नैतिक दृष्टि से स्टर्लिंग क्षेत्र के नियमों का पालन करना पड़ता है। परिणामस्वरूप स्टर्लिंग के प्रवमूल्यन होने से भारत को भी अपनी मुद्रा का प्रवमूल्यन करना पड़ा।

## घाट सूत्रीय कार्यक्रम

प्रवमूल्यन के प्रभाव को ध्यान रवाने हेतु भारत सरकार ने 5 अक्टूबर, 1949 को एक घाट सूत्रीय कार्यक्रम बनाया। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे—

- (1) भारत विदेशी विनिमय दर का प्रयोग न्यूनतम करेगा।
- (2) दुर्लभ क्षेत्र में निर्यात पर निर्यात कर लगाकर दुहरी प्राप्ति प्राप्त की जाएगी।
- (3) बैंकिंग सुविधाओं द्वारा जनता को धन बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- (4) सरकारी रूप में वित्तव्ययिता लाने के प्रयास किये जाएंगे।
- (5) दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र में न्यूनतम माल आयात किया जाएगा।
- (6) वस्तुओं के मूल्य कम से कम रखने की चेष्टा की जाएगी।
- (7) कर को खोरी करने वालों को अपेक्षित राशि जमा करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- (8) धनाढ्य एवं अन्य साधन वस्तुओं के मूल्य में 10% में कमी की जाएगी।

### अवमूल्यन के प्रकार (Effects of Devaluation)

रुपये के अवमूल्यन के प्रमुख प्रकारों को निम्न प्रकार कहा जा सकता है—

(i) अनुकूल व्यापार संतुलन—अवमूल्यन से निर्यातों में वृद्धि एवं आयातों में कमी हो गई, फलस्वरूप व्यापार संतुलन अनुकूल हो गया।

(ii) मुद्रा स्तर में वृद्धि—देश में प्रचलन में आंतरिक, मुख्य स्तर में बाढ़ी वृद्धि हो गई। सरकार ने मुद्रा वृद्धि को रोकने के अनेक प्रयास अन्वयित, परन्तु इनमें सफलता प्राप्त न हो सकी।

(iii) मीठ पावने में कमी—स्टॉलिन निधि का जितना भाग अमेरिका में व्यय किया गया, उसके मूल्य में 30.5% की कमी हो गई।

(iv) ऋण स्तर में वृद्धि—अवमूल्यन से अमेरिका व विदेश बैंक के ऋण स्तर में वृद्धि हो गई।

(v) बाह्य-स्तर पर बुरा प्रभाव—आयात प्रतिबंधों के कारण देश में उद्योग पदार्थों का अभाव हो गया, उद्योग क्षेत्र के अनेक पदार्थों के आयात में 40% की वृद्धि हो गई तथा मशीन बस्तियों के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण जीवन-स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ा।

(vi) विदेशी विनिमय में वृद्धि—हाल के रूप में प्रतिद्वन्दियों के मध्ये होने से भारत में विदेशी विनिमय की मांग में वृद्धि हो गई।

(vii) टर्क बचान उद्योग में संकट—माकिन्टॉक, अमरीका आदि राष्ट्रों द्वारा अवमूल्यन न करने से बूट व बचान के मूल्यों में वृद्धि हो गई, जिससे ये उद्योग संकट में आ गये और देश के औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई।

(viii) अनुकूल मुद्रागत संतुलन—अवमूल्यन के निर्यात में वृद्धि एवं आयात में कमी हो आयी तथा मुद्रागत संतुलन अनुकूल हो आया।

### विदेशी विनिमय संकट (Foreign Exchange Crisis)

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत की समस्याओं में से विदेशी विनिमय ही गंभीर समस्या थी। योजनायान में जारी आयात होने से यह समस्या और बढ़ती ही गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल 318 करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय का आटा रहा, जिसमें से 196 करोड़ रु० की पूर्ति विदेशी सहायता से की गयी तथा शेष 122 करोड़ रु० की पूर्ति देश के विदेशी विनिमय से की गई। द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष से ही मुद्रागत-संतुलन की स्थिति बहुत बिगड़ गयी और आन्तु आरत में 292 करोड़ रु० से आटा रहा। 31 मार्च, 1957 को मीठ पावने की पूर्ति 413 करोड़ रु० रह गयी। इस योजना में कुल 1100 करोड़ रु० से मुद्रागत शेष का घाटे का अनुमान किया गया। इस संकट के प्रमुख कारण थे—(i) व्यापारों एवं ले प्रथम योजना के अन्त में प्राप्त आरतियों का मात्र द्वितीय योजना के प्रारम्भ में प्राप्त किया तथा (ii) सरकार ने विदेशी विनिमय अल्पव्ययताओं के अनुमान लगाने में मूल की कमी कुल 1527 करोड़ रु० की विदेशी विनिमय व्यय की गई। तृतीय योजना में कुल 3200 करोड़ रु० के विदेशी विनिमय के घाटे का अनुमान लगाया गया जिसमें से 2500 करोड़ रु० की सहायता भारत सहायता समूह से ली गयी।

योजना काल में अपने कार्यों के अतिरिक्त घन व्यय करने के कारण विदेशी विनिमय संकट में वृद्धि हुई जिससे विनिमय दर घटती गई और उसे संभालने के लिए रु० का अवमूल्यन करना पड़ा।

### रुपये की मुद्रा-अवमूल्यन—1966 (Again Devaluation of Rupee in—1966)

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय रुपये का दो बार अवमूल्यन किया जा चुका है। प्रथम बार अवमूल्यन 18

1950-51 में व्यापार संयुक्त 42-60 करोड़ रुपए से विदेश में था जो सन् 1965-66 में बढ़कर 547.60 करोड़ रुपए हुआ।

(2) विदेशी विनिमय की कठिनाई लगातार बढ़ रही थी, आयात पर कठोर नियंत्रण लगाए गए, फिर भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जैसे बेकारी फैलना, कारखानों का बंद होना, उत्पादन में कमी तथा क्रोमों में वृद्धि होना आदि।

(3) रत्ना की कम पकड़ घट गई थी, क्योंकि वस्तुओं की क्रोमों में 80 प्रतिशत तक वृद्धि हो गई थी। इन वृद्धि हुए क्रोमों को नीचे लाना मुमकिन नहीं था और इसके क्रोमों के कारण भारतीय माप को विदेशों में बेचने में कठिनाईयां आ रही थी। भारतीय माप को विदेशों बाजार में अस्था बनाने की यह प्रयत्नशील रीति निकाली गई।

(4) टकर व्यापार में वृद्धि हो रही थी तथा विदेशी मुद्रा की कमी बढ़ती जा रही थी।

(5) आयात में लगातार वृद्धि हो रही थी और उद्योगों में आत्मनिर्भरता कम होती जा रही थी। सन् 1950-51 में 651 करोड़ रुपए का मात्र आयात किया गया जो सन् 1965-66 में बढ़कर 1349 करोड़ रुपए हो गया।<sup>1</sup>

(6) विद्युत बलों में ऐसी अनेक कठिनाइयाँ थी गई और विनिमय लगाए गए विनिमय मुद्रागत आ अंतर दूर होने की आशा थी, किन्तु इनमें अचर्यता रही।

(7) देश के नीचे रहे विदेशी मुद्रा कोष की मात्रा में कमी होती जा रही थी।

साध्यताएँ—भारत में अचर्यपूर्ण इन समस्याएँ तक सामंजस्य सिद्ध नहीं होगी, जब तक कि निम्न निम्नताओं का पालन नहीं किया जाय—

(1) सरकारी व्ययों में कमी करनी होगी जिनसे लागत कम हो सके और विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा की जा सके।

(2) उत्पादन सीमित करने के समस्त बंधनों को हटाना होना जिनसे क्रोमों में स्थायित्व बना रहे तथा माप की कमी भी महसूस न हो सके।

(3) विद्युत् पकड़, लाय, इन्साय व मोनेट के कारखानों के अतिरिक्त समस्त विद्युत कारखानों की इनकी पूर्ण क्षमतापूर्वक उत्पादन कार्य में लगाना होगा।

(4) अचर्य मोक्षता के आकार एवं प्राथमिकता के क्रम को एक समय तक निश्चित नहीं करना चाहिए जब तक कि उत्पादन आदि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन न कर लिया जाय।

अचर्यपूर्ण को सहायक कार्यवाहियाँ—सरकार ने अचर्यपूर्ण के साथ-साथ निम्न सहायक कार्यवाहियों की घोषणा की—

(1) अनेक वस्तुओं पर निर्वास कर लगा दिए गए।

(2) आना ों के लिए विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विदेशी विदेशी सहायता प्राप्त होने की आशा की गई।

(3) आयातक मशीनों व अन्य संबंधित माप के आयात करने में उदारता अपनाई गई।

(4) उत्पादन में बाधक नियंत्रणों को हटाकर उत्पादित के क्षेत्रों को पनपने के अधिकारिक अवसर दिए गए।

अचर्यपूर्ण की व्यवस्था—अचर्यपूर्ण की व्यवस्था निम्न बातों पर निर्भर करेगी—

(1) निर्वास में मुख्यतः उन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाय, जिनकी माप मोक्षता हो, जिनसे क्रोमों घटने पर निर्वास बढ़ाने जा सके। (2) निर्वास की जाने वाली परपद्यत एवं अंतर-परपद्यत वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, जिनसे देश में पूँज पर बुधा प्रभाव नहीं पड़े, (3) देश की पूँज-व्यवस्था में पर्याप्त मोक्षता होनी चाहिए, (4) देश की पूँज-व्यवस्था में प्रतिस्पर्धित वस्तुएँ उत्पादन करने की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए, जिनसे क्रोमों

1. The Fourth Five Year Plan, p. 76.

2. Based on the article written by Dr. K. D. Dhadha—Forum of Free Enterprise, Bombay-1.

पर बुरा प्रभाव न पड़े, (5) मूल्य स्थायित्व होने की परिस्थिति में ही अवमूल्यन का उपयोग करना चाहिए।

### अवमूल्यन का भारतीय विदेशी व्यापार पर प्रभाव

अवमूल्यन से भारत के विदेशी व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेंगे। यह प्रभाव निम्नलिखित हैं—

(1) निर्यात में वृद्धि—अवमूल्यन के पश्चात् विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं के दाम डाक्टर के हिसाब में 36.5 प्रतिशत में कम हो गए हैं। इससे भारतीय माल अल्प प्रतिस्पर्धा करने वाले देशों की तुलना में गस्ता सिद्ध होगा। इस सुविधा से भारतीय निर्यात व्यापार बढ़ाने में अत्यधिक सुविधा प्राप्त होगी। परंतु अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि उसी तमय होगी जबकि—

- (i) देश में वस्तुओं की उत्पादन क्षमता कम की जाय,
- (ii) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के गुणों में वृद्धि की जाय,
- (iii) निर्यात प्रोत्साहन उपायों में लगातार वृद्धि की जाय।<sup>1</sup>

अनुमान है कि यदि निर्यात की मात्रा 57.5% से बढ़ जाए तो पूर्णरूप से प्रति इकाई डाक्टर अल्प की हानि बराबर हो सकती है। यदि निर्यात 57.5% से भी अधिक हो जाय तो व्यापार का अवनतान कम हो जाएगा। 1965-66 में 803 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ यदि इसका ही निर्यात 1966-67 में हो तो हमें 341 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुए। परंतु हम जो वस्तुएं निर्यात करते हैं, वही वस्तुएं अफीका के देश भी निर्यात करते हैं जिससे उनकी वस्तुएं अल्प महंगी हो जाएंगी और उनका बाजार में टिकना कठिन हो जाएगा। श्री वेणीप्रसाद दानवधिया का विचार था कि "इसमें संदेह नहीं कि अवमूल्यन से निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। आयात विकल्प के प्रति रुचि बढ़ेगी और निर्यात उद्योग विकसित होंगे, परंतु इसके लिए उत्पादन में बाधक नियंत्रणों को छोड़ देना चाहिए।"

(2) आयात पर प्रभाव—अवमूल्यन के पश्चात् आयात पर अधिक दरए देने पड़ेंगे इसके आयात में कमी होगी और देश में ही कच्चे औद्योगिक पदार्थों का अधिक उपयोग हो सकेगा। इस प्रकार भारत आत्मनिर्भरता की धोर तंत्रों से बचेगा। 1965-66 में 1350 करोड़ रु० का आयात किया गया। यदि उत्पादन वृद्धि नहीं की गई तो 1966-67 में इसका ही आयात करने से अवमूल्यन की नई दर से आयात में 776 करोड़ रु० अधिक अर्थात् कुल 2126 करोड़ रु० देना होगा। आयातित वस्तुओं में 75% पूंजीगत कच्चा माल तथा 25% साधक अल्प पदार्थ रहते हैं। अतः औद्योगिक विकास के लिए मशीनों व अल्प उपकरणों के आयात में कमी करना संभव नहीं दिखाई देता फिर भी प्रयास किया जाएगा कि आयात कम हो। अवमूल्यन से देश की अर्थव्यवस्था पर दो प्रकार के प्रभाव पड़ने की आशा थी—

- (i) विदेशी माल महंगा होने से कम मात्रा में माल आयात होंगे।
- (ii) उद्योगपतियों को आयात होने वाले माल के उत्पादन में रकम बिनियोग करने की प्रोत्साहन प्राप्त होगा। इस प्रकार निर्यात पर अनुकूल और आयात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से विदेशी व्यापार बराबर हो जाएगा और विदेशी भुगतान हेतु कम मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी।

(3) विदेशी पूंजी में वृद्धि—अवमूल्यन से विदेशी पूंजी बढ़ेगी तथा विदेशी उद्योगपति अधिक आकर्षित होंगे, उद्योगों को विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा। जो विदेशी अब भारत में कल-सुर्जें या घन लगाएंगे, उन्हें रुपए में पहले से कम भुगतान करना होगा।

(4) भविष्य में लाभ—विदेशी पूंजीपतियों को लगी हुई पूंजी पर लाभ, रायल्टी एवं भुलपन आदि जो बाहर भेजा जाता है इसमें अल्प लाभ होगा क्योंकि अल्प उद्योगों के चलते। बाहर भेजना पड़ेगा जबकि पहले 4 रु० 75 पैसे में ही 1 डाक्टर अपने देश भेज सकता था। इस प्रकार हमें 15-20 करोड़ रु० तक की विदेशी मुद्रा भी बचत होगी।

(5) मोने की तस्करों में बचो—अवमूल्यन से पूर्व मोने का भाव दरों अधिक होने से तस्करों में वृद्धि हो रही थी तथा विदेशी मुद्रा को तस्कर व्यापारी बचा लेते थे। परंतु अवमूल्यन से भाव का अंतर कम हो जाएगा और चोरी से

1. Based on the statement made by Dr. V. K. R. V. Rao, former member Planning Commission and Chairman of Institute of Foreign Trade.

सोना जाने में मुनाफा घट जाएगा, उल्टे तर्कों में कमी होगी। रूप के अवमूल्यन से तस्कर व्यापार का लाभ कम हो जाएगा क्योंकि तस्कर व्यापारियों को भारत में अपना नाम बेचने से जो राशि प्राप्त होगी वह अब विदेशी मुद्रा में कम होगी।

(6) पर्यटन से आय में वृद्धि—अब भारत में आने वाले मुनाफियों की संख्या बढ़ जाएगी उल्टे विदेशी मुद्रा का नकार बढ़ेगा उना आय में वृद्धि होगी। दूसरी ओर भारत से विदेश जाने वाले व्यक्तियों की संख्या पहले से बहुत कम हो जाएगी।

(7) मूल्यों पर प्रभाव—अवमूल्यन से विनाशिता की वस्तुओं जैसे मोटोरे, रेकोर्डेटर तथा उपभोक्ता वस्तुएं जैसे अनाज, जल आदि जो विदेशों से आती हैं, उनका कीमतों में वृद्धि होगी तथा देश में वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। अवमूल्यन की घोषणा के तुरंत बाद ही कचका, बंदई जैसे बड़े गृहों से उपभोक्ता की वस्तुएं एक बाजार से अचानक गायब हो गईं।

(8) विदेशी सहायता—विदेशी सहायता जो प्राप्त हो चुकी है उसके मूल्यमान पर 57.4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। विदेशी सहायता 2600 करोड़ ₹ से बढ़कर अब 4000 करोड़ ₹ हो जाएगी। परंतु अनुबंध योजना के अंतर्गत जो विदेशी सहायता प्राप्त होगी, उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मूल्य रुपये में नरें दर पर ही होगा। अनुबंध योजना में 4340 करोड़ रूपे विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी।

(9) पंचवर्षीय योजनाओं पर प्रभाव—यदि अवमूल्यन से महंगाई बढ़ी तो योजनाओं के लिए अधिक धनराशि जुटाई होगी और इसके लिए गन्ना-दूध व मसालों की आवश्यकता होगी जिससे जीवन-स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

(10) देनदारों में वृद्धि—अवमूल्यन से बर्ज व मुद्र के रूप में बाकी रकम लगानी पड़ेगी। अतः इसमें कोई शक नहीं कि अपने अपने वर्षों में अवमूल्यन से हनरी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। देनदारों का पहले की अपेक्षा अधिक नुसतान करना होगा।

(11) उत्पादन बढ़ाने में बाधा—तीन योजनाओं के दौरान भारत में छोटे, मझमे व बड़े अनेक कारखाने स्थापित हो चुके हैं। इन कारखानों को पूर्ण क्षमतापूर्वक उत्पादन करने के लिए आवश्यक मात्रा में कच्चा माल, पुरे व उपकरण आदि का प्राप्ति होना आवश्यक है। अतः इन कारखानों को पूर्णरूपेण चालू रखने के लिए पहले के मुद्दावले 200-250 करोड़ रूपे का प्रतिरिक्त आयात करना होगा जिसमें अधिक नुसतान देना होगा। इस कारण अवमूल्यन से औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

(12) देश पर विदेशी उद्योगों का प्रभाव बढ़ेगा—अवमूल्यन से देश में भारतीय कंपनियों में विदेशी पूंजी 57.5 प्रतिशत से बढ़ जायेगी इससे हमारे राजनीतिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अवमूल्यन से भारतीय बाजारों में अमेरिकन पूंजी की बढ़तावट हो जायेगी।

(13) बजट की मान—अवमूल्यन से निर्वात वस्तुओं में कांदा घाय होगी और विदेशी सहायता के रूप का मूल्य बढ़ जायेगा। इस नकार कुत निकास बजट पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस वृद्धि के 3 अंश बचाए गए—

(i) सरकार का अंतर् निर्वात सम्बन्धन योजनाओं पर ही रखा था, जो अब जाएगा क्योंकि अवमूल्यन के पश्चात् निर्वात संबन्धन योजना समाप्त कर दी गयी है।

(ii) 12 वस्तुओं के निर्वात पर कर लगाए गए उल्टे 140 करोड़ रूपे को प्रतिरिक्त आय का अनुमान लगाया गया।

(iii) सरकार को विदेशी मुद्रा में जो सहायता प्राप्त होगी, रुपये में उनका मूल्य घटित होगा।

(14) कच्चा माल व पुरे के आयात में वृद्धि—योजनाओं में जो कारखाने खाने गये, उनमें से अधिकांश विदेशों से आने वाले कच्चे माल एवं कच्चे-पुरे की कमी के कारण पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को बचाकर ही देश में कानों में स्थिरता नार्दी या सृष्टी है। अतः अवमूल्यन के पश्चात् कच्चा माल एवं पुरे के आयात का अठोहा कांदा चलन कर दिया गया है। इसके साथ ही देना प्रवन्ध किया जायेगा कि निट्टी का तेल, नारियल की तिया एवं कपस का आयात बढ़ाया जा सके।



(15) खाद प्रोग्राम में कठिनाई—ध्वमूल्यन से खाद प्रोग्राम में कठिनाई का उपस्थित होना—ऐसा अनुमान लगाया गया कि 6 नये खाद कारखानों में, जो कि सरकारी क्षेत्र में खुलेंगे, प्रब 58 करोड़ रुपए की अधिक राशि व्यय होगी। इन कारखानों में 100 करोड़ रु० के स्थान पर प्रब 158 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इस बड़ोत्तरी से सस्ते खाद उत्पादन की प्राप्ति नहीं रही। सस्ते खाद का प्रबंध करने हेतु प्रब 50 करोड़ रु० की धार्मिक सहायता सरकार देगी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 2.4 मिलियन टन नाइट्रोजन, 1 मिलियन टन फॉस्फेट का लक्ष्य रखा गया है जबकि खाद उद्योग की वर्तमान उत्पादन क्षमता केवल क्रमशः 2.4 लाख टन व 1.2 लाख टन है। वर्तमान समय में 9 खाद कारखाने उत्पादन काम में संभरन हैं, 5 कारखाने निर्माण प्रवस्था में हैं, 4 ध्वन्य कारखानों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। इसके प्रतिरिक्त 4 नये कारखाने निजी क्षेत्र में खुलेंगे। इस प्रकार समस्त कारखानों की उत्पादन क्षमता 1.6 मि० टन ही होगी जब कि उपयोग 2.4 मि० टन सन् 1970-71 तक हो जाने की संभावना है। विदेशी विनिमय की कठिनाई से तथा ध्वमूल्यन हो जाने से नये कारखानों की स्थापना करने में घनेने कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

दबाइयों की कीमतों में 15-20% प्रतिशत से वृद्धि—ध्वमूल्यन से दबाइयों की कीमतों में 15-20% से वृद्धि हो जाने की संभावना है। ध्वमूल्यन से कच्ची सामग्रियों, ध्वन्य सखों, धम व्यय तथा पैकिंग सामग्रियों की लागत में वृद्धि हो जाने का अनुमान है। इस उद्योग का प्रायात बिजु जो 6 से 9 करोड़ तक के बीच रहता था प्रब 57% से बढ़ जायेगी। इसने दबाइयों के मूल्यों 15-20 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी। प्रायातक प्रायात किए गए माल के वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य का बोझ बनवाकर अंतर की राशि को प्रायातक के लाले में विदेशों में जमा कर देते थे। ध्वमूल्यन से इस लाभ की सोचा में कमी हो जायेगी।

(17) सरसर्कों की ऋण—ध्वमूल्यन में उन सरसर्कों को काफी हानि उठानी पड़ेगी जिनके वार्ड (ward) विदेशों में ध्वमूल्यन कर रहे हैं। प्रब: पुरानी व नई दरी से उत्पन्न हुई दूरी को बम करने के लिए सरकार ने ऋण की व्यवस्था की है जिस पर 2 प्रतिशत व्याज लिया जायेगा तथा जिसे 5 वर्ष की अवधि में लौटाया जा सकेगा। इस निर्णय से 1966-67 वर्ष के बजट में 165 करोड़ रुपए की हानि हुई। इस हानि को पूरा करने हेतु 140 करोड़ रुपए की राशि प्रतिरिक्त निर्यात-कर के रूप में वसूल की जायेगी तथा 25 करोड़ रु० कर-लात योजना की समाप्ति से प्राप्त हो जाने की संभावना है।

(18) पाकिस्तान से व्यापार में कठिनाई—पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा का ध्वमूल्यन नहीं किया इसने पाकिस्तान से प्रायात प्रहृते पड़ेगे। ऐसी संभावना है कि ध्वमूल्यन से पूर्वी पाकिस्तान से जूट की तस्करी में वृद्धि होगी। यह जूट कसकता की मित्तों की भेजा जा सकता है।

(19) भारत की सात विरों—ध्वमूल्यन से मुद्रा का मूल्य गिरा, साथ ही भारत की प्रतिष्ठा भी बम हो गई। देश में इतना उत्पादन भी नहीं होगा कि निर्यात पर्याप्त मात्रा में बढ़ाये जा सकें। श्री उ० न० डेबेर ने भी ध्वमूल्यन का विरोध करते हुए कहा कि इसमें देश की पर्यम्बवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा।

(20) वस्त्र निर्यात प्रहृगा—वस्त्र निर्यात से विदेशी मुद्रा का 10 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया जाता है। परन्तु इसके विरिद्ध इसकी प्रायात राशि भी बहुत अधिक है। पिछले 5 वर्षों में जहाँ वस्त्र के निर्यात से 344 करोड़ रु० की प्राय हुई वहा 538 करोड़ रु० का सामान विदेशों में मंगवाया भी गया। इस प्रकार इस व्यापार में 1964 तक 194 करोड़ रु० का घाटा ही रहा। प्रब ध्वमूल्यन होने के बाद भी वस्त्र निर्यात में लाभ नहीं होगा जब तक कि प्रायात पर प्रतिबंध नहीं लगाये जायेंगे।

(21) अमेरिकी अनाज का प्रायात विनाशक—भारत को प्रब अमेरिका में मंगाने सादाप्र का मूल्य डालरों में घुसना होगा। अने काले वर्षों में भारत को सादान्नों के प्रायात पर 545 करोड़ रु० खर्च करने होंगे। सादान्नों की प्राप्ति 1 करोड़ टन होगी और इने मंगाने में 90 करोड़ रु० का जहाजी भाडा देना होगा। यह संभव राशि आंतर में ही पुफानी होगी। मुद्रा के ध्वमूल्यन में सादान्नों का प्रायात प्रब अधिक विनाशक हो गया है।

(22) विज्ञान मूल्य में वृद्धि—ध्वमूल्यन से विज्ञान मूल्यों में 10 प्रतिशत में वृद्धि हो गई है। इसका उद्योगों पर भार पड़ेगा और सरकार के धायर में बनी ही जायेगी।

महंगाई में वृद्धि—ध्वमूल्यन के परचान् महंगाई में निरंतर वृद्धि हो रही है। अनेक पदार्थों का मूल्य 20-

25 प्रतिशत में बढ़ गया। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की कीमत अपनी सीमा से बहुत अधिक बढ़ गई। उपभोक्ताओं में घबराहट फैल गई। कीमतों के बढ़ने का मूल कारण है—रुपये की माग की तुलना में पूर्ति की अधिकता, सरकार की बढ़ी-बढ़ी योजनाएँ, करों की अधिकता, घाटे की प्रत्येकवस्था आदि।

(24) जनसंख्या में वृद्धि—प्रवृत्तियों से जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति में कोई भी हकाबट पैदा नहीं हो सकती। इसकी रोकने हेतु अन्य उपाय काम में लाने होंगे।

(25) मुद्रा स्फीति की प्राशंका—प्रवृत्तियों से मुद्रा स्फीति का डर बढ़ गया, जो कि सतुलित प्रत्येकवस्था के लिये घातक सिद्ध होगा। यदि देश में उत्पादन की कमी एवं उत्पादन लागत की अधिकता बनी रही, तो प्रवृत्तियों से भारतीय प्रत्येकवस्था के लिये एक अभिशाप बन जायेगा।

(26) शिक्षा क्षेत्र में कठिनाइयाँ—प्रवृत्तियों से सभी विदेशी पुस्तकों के मूल्य में वृद्धि हो गयी जिससे अध्यापन की कठिनाइयाँ बढ़ गयीं। विदेशी पुस्तक 10 डॉलर की जो पहले 48 रुपए में मिलती थी, अब 75 रुपए में मिलेगी।

1975 में रुपए की विनिमय दर पौंड से प्रलय किए जाने से उत्पन्न अनिश्चिताएँ भी दूर कर दी जाती हैं जिससे विनिमय दर में स्थिरता लायी जा सके। पौंड की कीमत तेजी से घट रही थी जिससे निर्यात तो लाभदायक थे, परन्तु आयात महंगा था। यह स्थिति अनिश्चित काल तक नहीं चलने दी जा सकती थी। देश में मुद्रास्फीति नियंत्रण होने से रुपए की मजबूती बढ़ रही है। आंतरिक विकास की गति देकर रुपए को मजबूत बनाया जाना चाहिए। इसके लिए आर्थिक प्रगति एवं उत्पादन की क्षमता का विस्तार जरूरी है। इसमें निर्यात हेतु अधिक माल उपलब्ध होकर रुपए को ताकत मिलेगी। वर्तमान समय में कोई भी राष्ट्र एक दूसरे से प्रयत्न रहकर कार्य नहीं कर सकता, अतः मुद्रा विनिमय दर में स्थिरता लाना आवश्यक है। विरव मे विकासशील देशों की शक्ति को सब स्वीकार करने लगे हैं। भारत भी अपनी जहरतों के प्रति जागृक है।<sup>1</sup>

### प्रवृत्तियों-आलोचनात्मक मूल्यांकन

प्रवृत्तियों को धोषित करने का उद्देश्य भारतीय प्रत्येकवस्था में सुधार करना था। सरकार अब भी मूल्य वृद्धि को रोकने के प्रयास कर रही है इसके स्पष्ट है कि प्रवृत्तियों ने मुद्रा प्रसार को प्रोत्साहित किया और इसका प्रभाव भारतीय प्रत्येकवस्था के विभिन्न पहलुओं पर देखा जा सकता है।

यह सत्य है कि प्रवृत्तियों निर्यात की बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था, जिससे विदेशों में भारतीय माल 36.5% से सस्ता हो जाय, तथा आयात को घटाने के लिए किया गया था क्योंकि आयात की कीमत में 57.5% से वृद्धि हो जायेगी। उदार आयात नीति के अंतर्गत उद्योगों की आवश्यक कच्चा माल एवं अन्य सामग्री प्राप्त हो जायेगी परन्तु उसका लाभ उम समय तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि विद्यमान वर्तमान क्षमता का पूर्णरूप से उपयोग नहीं किया जाये। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में लगभग 80% भाग परंपरागत वस्तुओं का है जिनका निर्यात वैशेष है। इनमें जूट, चाय, कपड़ा, तेल व खली, मसाले, चमड़ा व चमड़े का सामान, फल व सब्जियाँ आदि प्रमुख हैं। शेष निर्यात में 20% भाग इंजीनियरिंग सामान का है जिसके निर्यात को बढ़ाने के भरसक प्रयास करने चाहिए।

प्रवृत्तियों के परिचात् के कुछ वर्षों की व्यापार सतुलन की स्थिति निम्नलिखित रही—

### भारत का व्यापार सतुलन

(करोड़ रुपये में)

	आयात	निर्यात	सतुलन
1965-66	1,499		613
1966-67	1,932	806	838
1967-68	19,87	1,094	789
1968-69	1,911	1,198	654
1975-76	4,212	1,357	972
		3,240	

1. नवभारत टाइम्स, 27 मिनम्बर, 1971।

धनमूल्यन के परचात् निर्यात कम होने के प्रमुख कारण थे—(1) मूंगे व गानमूत के अयस्कन होने से घरेलू उत्पादन में भारी कमी एवं (2) औद्योगिक उत्पादन में कमी होना। कृषि क्षेत्र की कठिनाइयों को सरलता से नहीं किया जा सकता परंतु औद्योगिक उत्पादन में उदार धायात नीति तथा विदेशी महायत्ना के द्वारा वृद्धि की जा ती। इनके प्रतिरिक्त धनमूल्यन के बाद कुछ कठिनाइया आई जिन्हें दूर नहीं किया जा सके। ये कठिनाइया हैं—

(1) धनमूल्यन के साथ ही निर्यात-सहायता योजनाएँ, जो उस समय चालू थीं, समाप्त कर दी गईं।

(2) निर्यात अनुबंधों की स्थिति, जो धनमूल्यन से पूर्व किए गए थे, प्रतिरिक्त रही विशेषतया रपया गान क्षेत्रों में।

(3) यह धारणा कि धनमूल्यन से भारतीय निर्यात को अचानक लाभ होगा, विदेशी शरीदरों ने मूल्य कम के पर अत्यधिक जोर डाला।

मुद्दा—धनमूल्यन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरे प्रभाव न पड़कर अच्छे प्रभाव ही पड़े, इस संबंध में ननिश्चित शुभाव दिए जा सकते हैं—

(1) निजी व्यापारियों द्वारा मूल्यों पर कठोर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए।

(2) मूल्य स्थायित्व को अधिकतम प्राथमिकता देनी चाहिए, तथा मुद्रा प्रसार को दर को 6% तक सीमित देना चाहिए।

(3) उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करने होंगे तथा उद्योगों को कठोर लाइसेंसिंग पद्धति में मुक्त रखना होगा।

(4) हीनार्थ प्रबंधन पर कठोर नियंत्रण लगाया होगा।

(5) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को अच्छा लाभ प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए।

(6) धाय पर लगाये गये प्रतिरिक्त 10% परचार्ज को समाप्त करना चाहिए तथा प्रतिरिक्त मूल्य ह्याम प्रबंध करना चाहिए।

(7) समस्त धनावरणक प्रतिबंधों व नियंत्रणों की जिनमें सान फीजागाही (Red Tapsism) की प्रयोगाहनता है, तुरंत हटा देना चाहिए, जिनसे प्रगति सीधना से हो सके।

(8) मजदूरी का निर्धारण उत्पादनता के आधार पर होना चाहिए।

(9) सार्वजनिक क्षेत्र के केवल जन्ही उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो जल्द व अच्छे नतीजे Results) दें।

(10) धायत व उत्पादन करों को कम करके, विशेषतया धायत की गई मशीनरी व बच्ची सामग्री पर, लोगों की सागत को कम करने के प्रयास करने चाहिए।

(11) निर्यात प्रोग्याहन व धायत प्रतिस्थापन में प्राय लेने वाले समस्त उद्योगों को पर्याप्त व उचित गुणता देनी चाहिए जिनके धनाव में वे उद्योग यूरोप व अमेरिका के उद्योगों में प्रतिस्पर्धा करने में धममर्ष हों।

(12) देश में कई उद्योगों को जो निर्यात बढ़ाने में समर्थ हैं, धनमूल्यन के उरारात भी महायत्ना व सुविधाएँ धावश्यक हैं। ऐसा करने पर ही देश धायतनिर्भरता प्राप्त कर सकेगा तथा भुगतान संतुलन की स्थिति को पश में आ गवेगा।

(13) इनके प्रतिरिक्त श्री सी० एम० मोदी, भारतीय बैंकमें डॉ० कामरं ने उपाध्यक्ष ने धनमूल्यन के लभ प्राप्त करने के लिए निम्ननिगिन उपायों को धयनाने पर जोर दिया—

(i) कठोर उपायों द्वारा देश के धायार व उद्योग को अधिक मात्रा में स्वयंत्रता प्रदान की जानी चाहिए।

(ii) सरकार को नियन्त्रण व नियंत्रण के क्षेत्र को सीमित कर देना चाहिए।

(iii) संयुक्त अर्थ संस्थानों को बंधर भूमि पर संतो करने की धनुमति देनी चाहिए।

(iv) भारी निर्यात करों में छूट देनी चाहिए।

1. Based on the statement made by Mr. Dinash Singh, former Commerce Minister, the Lok Sabha.

है। विदेशी मुद्रा विनिमय के लिए अब भारतीय रुपए का संबंध उन देशों की मुद्राओं से रहेगा, जिनसे भारत का व्यापार चलता है। रुपए का संबंध डालर, पौण्ड, स्टर्लिंग, मार्केयन आदि से जोड़ा जाएगा। तेल निर्यात करने वाले पश्चिमी एशिया के देशों में से एक की मुद्रा भी इस समूह में शामिल कर ली जाएगी। नवीन व्यवस्था में भारतीय रुपए का विदेशी मुद्रा मूल्यानुक्रम प्रतिदिन कुछ छुने हुए देशों की विदेशी मुद्रा से निर्धारित किया जाएगा, जिनसे हमारा व्यापार अधिक चलता है, तो भी रिजर्व बैंक स्टर्लिंग, पौण्ड का प्रयोग बीच की मुद्रा के रूप में करता रहेगा। 25 सितंबर, 1975 से पौण्ड की खरीद व बिक्री के लिए निर्धारित वर्तमान मूल्य 18 60 रुपए प्रति पौण्ड के स्थान 18 3048 रु० प्रति पौण्ड निर्धारित किया गया है। भविष्य में इस विनिमय दर का निर्धारण उन देशों की विदेशी मुद्राओं की तुलना में निर्धारित किया जाएगा, जिन्हें भारत अपनाएगा। बहुत-सी विदेशी मुद्राओं की दर प्रायः बदलते रहने के कारण अंतरिम रूप से नई व्यवस्था अपनायी गयी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नरों के बोर्ड की अंतरिम समिति की बैठक में विदेशी मुद्रा विनिमय की टिकाल प्रणाली अपनाते पर विचार किया जाना है, भासा है, सीएन निर्णय होकर अनिश्चय की वर्तमान स्थिति समाप्त हो जाएगी।<sup>1</sup>

वर्तमान भारतीय मुद्रा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं—

(i) पत्र-चलन—रिजर्व बैंक द्वारा पत्र-चलन में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए व 100 रुपए के नोट जारी किए जाते हैं। बाद में सरकार की गारंटी पर 1 रुपए के नोट निर्गमित किए गए।

(ii) विनिमय दर—स्टर्लिंग के रूप में रुपए का मूल्य 1 रि० 6 पैसे निर्धारित किया गया है। स्वर्ण में रुपए का मूल्य 18662 घेत स्वर्ण या 23 94 सेंट अमरीकी डालर निश्चित किया।

(iii) मौद्रिक इकाई—भारत में मौद्रिक इकाई रुपया है जो 100 नये पैसे में विभाजित है। दसमलव सिक्के 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 व 100 पैसे के हैं।

(iv) विनिमय नियंत्रण—विदेशी विनिमय को सुरक्षित रखने एवं पूंजी का निर्यात रोकने की दृष्टि से भारत ने जटिल विनिमय नियंत्रण प्रणाली को अपनाया है। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं—

(अ) नियंत्रित दर—व्यापारिक संधियों को जो विदेशी मुद्रा प्राप्त हो, उसे नियंत्रित दरों पर देना पड़ता है।

(ब) अधिकृत एजेंसियों—आवश्यक विदेशी मुद्रा देश की अधिकृत एजेंसियों वाली संस्थाओं से सीमित मात्रा में प्राप्त की जा सकती है।

(स) रिजर्व बैंक द्वारा—समस्त विदेशी विनिमय व्यवहार रिजर्व बैंक द्वारा ही संचालित किए जा सकते हैं।

(द) नियंत्रण—प्रायात एवं निर्यात पर आवश्यक नियंत्रण लगाये गये हैं जिनसे विदेशी विनिमय संबंधी मांग एवं पूर्ति का नियंत्रण किया जा सके।

(घ) विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रतिबंध—विदेशी प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय पर कठोर नियंत्रण लगाये जाते हैं।

(च) बहुमुखी भुगतान प्रणाली—मुद्रा कोष द्वारा बहुमुखी भुगतान प्रणाली के साथ-साथ विनिमय नियंत्रण को धराने के प्रयास भी किए जाते हैं।

रुपए की वौड के माध्यम इस कारण गठित किया गया था कि दिसम्बर 1971 से विनिमय दरों में स्थायित्व बना रहे। अगस्त 1971 में डालर की स्वर्ण में परिवर्तित करना रोकने से स्थिर विनिमय दर का अन्त हो गया। रुपए व पौण्ड की विनिमय दर 18 9677 रुपए प्रति पौण्ड थी। यदि इसे केन्द्रीय दर माना जाए तो 2.25% के मासिक का समापोजन समभव हो सकता है। रिजर्व बैंक ने 18 80 रुपए को ही पौण्ड से विनिमय दर माना और कुछ माह बाद यह दर 18 60 रुपए प्रति पौण्ड कर दी गयी थी।<sup>2</sup>

1 नर भारत दायम् 26 सितंबर, 1975

2. The Financial express Sep 25, 1975

## भारत में बैंकिंग का विकास एवं बैंकिंग विधान (Development of Banking in India and Banking legislation)

### प्रारंभिक

भारत में महाजन द्वारा लेन-देन के कार्यों को संपन्न करने में कहा जाता है कि वैदिक काल में ही भारत में बैंकिंग संबंधी कार्य संपन्न किए जाते थे। मुस्लिम युग में इनके कार्यों में अत्यन्त वृद्धि हुई जिसने विदेशियों को मुद्रा परिवर्तन का कार्य भी सम्मिलित था। परंतु अंग्रेजों के आने के उपरांत इसका पतन प्रारंभ हो गया। बैंकिंग के विकास को निम्न भागों में रखा जा सकता है—

#### (1) 1806 तक का काल

बैंकिंग विकास संबंधी इस काल की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं—

- (i) महत्व कम होना—महाजन एवं माहूकार अंग्रेजी भाषा व विदेशी प्रणाली से परिचित न होने से व्यापार में हाथ नहीं बढ़ा सके जिससे उनका महत्व कम हो गया।
- (ii) एजेंसी-गृह की स्थापना—बंबई एवं बनारस में अनेक एजेंसी-गृहों की स्थापना हुई, जिनने व्यावहारिक कार्यों में सुविधा मिली।
- (iii) एजेंसी-गृह के कार्य—एजेंसी-गृह के कार्यों में बिनोद स्थापना, जमा पर रचना प्राप्त होना, मुद्रा का निर्गमन करना आदि सम्मिलित थे।
- (iv) व्यापारिक अधिकारों का अंत—1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों का अंत हो गया जिससे एजेंसी-गृह का भी अंत: अंत: पतन हो गया।

#### 1806 से 1860 तक का काल

इस काल की प्रमुख विशेषताएं निम्न थीं—

- (i) प्रेसीडेंसी बैंक की स्थापना—इस समय में 3 प्रेसीडेंसी बैंकों की स्थापना हुई, जो कि बनारस, बंबई व मद्रास में थे।
- (ii) हिस्सा पूंजी—सरकार इन तीनों बैंकों में प्रथम हिस्सा पूंजी रखती थी। तीनों ही बैंक सरकार के कार्यों को चला करते थे।
- (iii) कार्य में अतन्त्रता—इन बैंकों के कार्यों में एकीकरण न होने से वे सफलतापूर्वक कार्य न कर सके।
- (iv) नोट निर्गमन का अधिकार—1862 से पूर्व इन बैंकों के नोट निर्गमन के अधिकार को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया।
- (v) कार्यों पर प्रतिबंध—अन्यता के हितार्थ इन बैंकों के कार्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गये थे जैसे विदेशी

(vii) सट्टे व्यवसाय—बैंकों ने अधिक लाभ अर्जित करने के लालच में अपना धन सट्टे व्यवसाय में लगाया जिससे वे शीघ्र विचलित हो गये ।

(viii) धापसी प्रतियोगिता—बैंकों के अधिकाधिक व्यापार करने के उद्देश्य से नकद कोषों की मात्रा में अत्यधिक कमी हो गई तथा जनता द्वारा बैंकों पर दौड़ करने पर बैंक प्राथिक संकट में फँस गये तथा असफल हो गये । उपर्युक्त कारणों से देश में अनेक व्यापारिक बैंक असफल हो गये तथा बैंकों की स्थिति काफी बिगड़ गई ।

### (5) 1939 से 1946 तक का काल

युद्धोत्तर काल में देश में पुराने बैंकों की उन्नति हुई तथा अनेक नवीन बैंक स्थापित हो गये । बैंकिंग व्यवस्था संगठित रूप में कार्य कर रही थी तथा बैंकों का काफी विकास हुआ । इस काल की प्रमुख विशेषताएँ निम्न थी—

(i) नवीन बैंकों की स्थापना—इस काल में बैंकों का तेजी से विकास हुआ तथा बैंकों ने लाभ अर्जित किये जिससे नवीन बैंकों की स्थापना हुई ।

(ii) विनियोग नीति में परिवर्तन—इस अवधि में बैंकों ने नकद कोष में वृद्धि करके अपनी विनियोग नीति में परिवर्तन किये ।

(iii) जमा राशि में वृद्धि—जनता का विश्वास शून्य शून्य बैंकों में बढ़ने से जमा राशि में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो गई ।

(iv) असंतुलित प्रसार—बैंकिंग सुविधाओं में अत्यधिक वृद्धि होने से नवीन शाखाएँ सहरी क्षेत्रों में स्थापित की गई तथा ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, फलस्वरूप देश में बैंकों का असंतुलित ढंग से प्रसार हुआ ।

दोष—इन काल में बैंकिंग विकास के प्रमुख दोष निम्नलिखित थे—

(i) लाभांश वितरण—बैंकों में अपने बड़े हुए लाभों को मुद्रित कोष में रखने के स्थान पर लाभांश के रूप में वितरित कर दिया गया, जिससे लाभों का उचित उपयोग सम्भव न हो सका ।

(ii) शोषण प्रबंध—बैंकों की शाखाओं में तीव्रता से वृद्धि होने के कारण प्रबंध में अनेक दोष उत्पन्न हो गये जिससे बैंकों के ठप्प होने का क्रम बराबर बना रहा ।

(iii) बैंकिंग सेवाओं का असमान वितरण—बैंकों की शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित न होने से बैंकों का असमान विकास हुआ ।

(iv) व्यवसाय का परिवर्तन—बैंकों के व्यवसाय का नियंत्रण ऐसे व्यक्तियों को हस्तांतरित हो गया जो अपने व्यवसाय में अधिक दिलचस्पी रखते थे ।

### (6) 1947 से बाद का काल

इस काल की प्रमुख विशेषताएँ निम्न थी—

(i) विभाजन के प्रभाव—1947 में भारत के विभाजन के साथ-साथ साम्प्रदायिक भगड़े बढ़े जिससे बैंकिंग व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा । इसने कुछ बैंक असफल हो गये व अन्य प्राथिक संकट में फँस गये । कुछ बैंकों के प्रधान कार्यालय जो पाकिस्तान में थे, उन्हें वहाँ से हटाकर भारत में स्थापित करना पड़ा ।

(ii) उद्योग व व्यापार का विकास—देश में उद्योग एवं व्यापार का तीव्र गति से विकास होने से व्यापारियों ने अपनी बचत के उपयोग के साथ-साथ बैंकों से प्रथम राशि ऋण के रूप में प्राप्त की ।

(iii) वित्तीय स्थिति में सुधार—इस काल में बैंकों की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ ।

(iv) छोटे-छोटे बैंकों का एकीकरण—देश में अनेक छोटे-छोटे बैंकों के एकीकरण की प्रवृत्ति पाई गई जिससे बैंकों की प्राथिक स्थिति सुदृढ़ हो गई ।

(v) बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949—1949 में बैंकिंग कंपनी अधिनियम पारित किया गया, जिससे बैंकिंग व्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई ।

(vi) ऋण लेने की सुविधा—विभाजन के दुष्परिणामों से बचने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने ऋण लेने की सुविधाओं में वृद्धि की जिससे अनेक बैंक असफल होने से बचे तथा बैंकों ने अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल कर प्रगति करने के सफल प्रयास किये।

### (7) वर्तमान स्थिति

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में बैंकों ने तीव्र प्रगति की तथा अनेक शहरी एवं नागरिक क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएँ खोली गईं। इस समय तक अनेक छोटे-छोटे बैंकों को मिलकर बड़े बैंक में परिवर्तित कर दिया गया तथा बैंकिंग व्यवस्था काफी सुदृढ़ हो गई।

भारत में बैंकिंग के विकास को निम्न चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है—

#### भारत में बैंकिंग का विकास

1806 तक का काल	1806 से 1860 तक का काल	1860 से 1913 तक का काल	1913 से 1939 तक का काल	1939 से 1946 तक का काल	वर्तमान स्थिति
					1947 से बाद का काल

### बैंकिंग व्यवस्था के दोष

भारत की वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था के प्रमुख दोष निम्न थे—

(i) बैंकिंग का असंतुलित विकास—गत 23 वर्षों में बैंकों की नवीन शाखाएँ व्यापारिक केंद्रों पर खोली गई हैं तथा कस्बों में इनका संबंध अभाव पाया जाता है, जिससे बैंकिंग का संतुलित विकास संभव न हो सका।

(ii) विशिष्ट संस्थाओं का अभाव—भारत में विशिष्ट संस्थाओं के अभाव के कारण कृषि आदि कार्यों के लिए बैंकों से पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध न हो सके। इसी प्रकार विदेशी व्यापार को वित्तीय सहायता देने वाले विदेशी विनियम बैंकों का अभाव पाया जाता है।

(iii) विल वाजार के विकास का अभाव—भारत में विल वाजार के विकास के अभाव के कारण व्यापारियों को सस्ती साख की सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पायीं।

(iv) बैंकिंग कार्य प्रणाली में दोष—भारत में बैंकिंग प्रणाली के अग्र्य प्रमुख दोष निम्न हैं—

(अ) पूंजी की कमी—बैंकों के पास पूंजी के अभाव के कारण वे अपने दायित्वों को ठीक ढंग से निभाने में असमर्थ रहे।

(ब) अपर्याप्त जमानत—बैंकों ने अपर्याप्त जमानत पर भी ऋण प्रदान किए हैं।

(स) अनुचित संबंध—व्यापारियों द्वारा बैंकों से अनुचित संबंध स्थापित करने के कारण बैंकों के कार्यों में असुविधा का गामना करना पडा।

(द) झूठे समंक—बैंकों की वास्तविक स्थिति को छुपाने की दृष्टि से झूठे समंक प्रस्तुत किए गए।

(घ) शाखाएँ लोलीता—बैंकों ने अपनी शाखाएँ ऐसे स्थान पर खोली, जहाँ पहले से ही बैंक विद्यमान थे।

(च) प्रबंध में क्षमता का अभाव—प्रबंधकों की अयोग्यता के कारण प्रबंध में क्षमता का अभाव पाया गया।

(व) अप्रभावी साख नियंत्रण नीति—रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण की अप्रभावी नीति के कारण बैंकों पर नियंत्रण का अभाव पाया गया।

(vi) एकीकरण का अभाव—आधुनिक बैंकों एवं स्वदेशी बैंकर में एकीकरण के अभाव के कारण साख व्यवस्था

का अनुचित प्रकार संबन्ध नहीं हो पाया।

(vi) अग्रणीय कार्यशील पूंजी—भारत में बैंकों की कार्यशील पूंजी अग्रणीय होने से वे अपने बापों की कुशलतापूर्वक संभाल करने में असमर्थ रहते हैं।

(vii) अग्रणीयजनक मुविधार्—अनुसंधान एवं प्रसार की दृष्टि से भारत में बैंकों का अभाव पाया जाता है जिससे बैंकिंग मुविधाओं का प्रकार नहीं हो पाया है।

मुद्दाव

बैंकिंग विकास के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं—

(i) पब्लिक मुविधार्—ग्राम राष्ट्रीय की भाँति भारत में भी बैंकिंग मुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से बैंकों की संख्याओं में वृद्धि होनी चाहिए।

(ii) अनाधिक इकाइयों की समाप्ति—बैंकों की कार्यशील पूंजी में वृद्धि करके अनाधिक इकाइयों को समाप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। बैंकों की परिदृष्टि पूरी एवं रक्षित कोष 5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए।

(iii) कार्य-विधि में सुधार—बैंकों को अपनी कार्य-विधि में सुधार करके बैंकिंग सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

(iv) बैंकों का एकीकरण—देश की छोटी-छोटी बैंकिंग इकाइयों का एकीकरण करके अनाधिक इकाइयों को समाप्त कर देना चाहिए, जिससे भारतीय प्रतिरोधिता को मजबूत किया जा सके।

(v) अना बीमा नियम—अध्ययन वर्ग के अनाकर्ताओं के धन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अना बीमा नियम की स्थापना की जानी चाहिए।

(vi) कुशल प्रबंधक—बैंकों के कार्यों पर कड़ा नियंत्रण लगाने के लिए बैंकों में नियुक्त प्रायः एवं कुशल प्रबंधकों को ही रखा जाना चाहिए।

(vii) ऋण एवं विनियोग नीति—अना राशि का एक निश्चित भाग ही ऋण के रूप में दिया जाना चाहिए। इनके प्रतिनिधि बैंकों को अपनी अना राशि को सरकारी प्रतिद्वंद्वियों में ही अना करना चाहिए जिससे अना के विकास में वृद्धि हो सके उदात्त संघर्ष की दृष्टि से अधिक उचित बन सके।

(viii) ग्रामीण क्षेत्रों में मुविधार्—बैंकिंग मुविधाओं का विकास नगरीय क्षेत्रों के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जिससे बैंकों का अनुचित ढंग से विकास किया जा सके। तबसे आकार इस प्रकार खोनी जानी चाहिए कि उनमें भारतीय प्रतिद्वंद्वियों न हों। इसी उद्देश्य से स्टेट बैंक ने अपनी आकार ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करके इस क्षेत्र को समाप्त करने के उद्देश्य प्रयास किये हैं। इनसे बैंकों का अनुचित ढंग से विकास संबन्ध होकर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

### बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Banking)



(iii) अन्य बैंकों की स्थापना व विकास—बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ध्यापारिक बैंकों के विकास के साथ-साथ अन्य कृषि, औद्योगिक एवं विदेशी विनिमय बैंको की स्थापना एवं विकास संभव हो सकेगा।

(iv) साख निर्माण—बैंको के राष्ट्रीयकरण द्वारा ही बैंको की साख-निर्माण शक्ति का राष्ट्र हित में उपयोग किया जा सकेगा।

(v) सुविधाओं का विकास—राष्ट्रीयकरण से बैंकिंग सुविधाओं का विकास होगा तथा निम्न लाभ प्राप्त हो सकेंगे—

(अ) कुशलता एवं मितव्ययता—सरकारी प्रबंध वाले अधिक कुशलता एवं मितव्ययता से कार्य करके जनता का अधिकतम विश्वास प्राप्त कर सकेंगे।

(ब) बचत को प्रोत्साहन—देश में बचत को प्रोत्साहन करने एवं उसे बैंकों में जमा करने की प्रवृत्ति का विकास करना होगा कि जो राष्ट्रीयकरण द्वारा ही संभव हो सकता है।

(स) सुदृढ़ स्थिति—राष्ट्रीयकरण से मापसी प्रतियोगिता समाप्त होकर बैंको की स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी।  
विपक्ष में तर्क—राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं—

(i) योग्य प्रबंधकों का अभाव—भारत में योग्य प्रबंधकों के अभाव के कारण यह उचित नहीं होगा कि बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय जो कि देश हित में नहीं होगा।

(ii) कुशलता में कमी—सरकारी संस्थाओं में लोच, मितव्ययता एवं कुशलता का अभाव पाये जाने से कार्य संचालन में बाधाएँ उपस्थित होंगी जो आर्थिक विकास के लिए हानिप्रद होंगी।

(iii) औद्योगिक विकास में बाधा—औद्योगिक विकास में अनेक बाधाएँ उपस्थित होना उद्योगों में गोपनीयता की समाप्ति के कारण है जो राष्ट्रीयकरण करने से संभव होगा।

### जमा-बीमा-निगम

(Deposit-Insurance-Corporation)

स्थापना—जून 1960 में लक्ष्मी बैंक महाराष्ट्र एवं भ्रमस्त 1960 में प्लाई मेट्रल बैंक के असफल होने पर जनता ने सरकार से अपने व्यक्तिगत हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से जमा बीमा निगम की स्थापना का सुझाव दिया, फलस्वरूप 1 जनवरी, 1962 को सरकार ने पृथक् से जमा बीमा निगम की स्थापना की।

पूँजी—निगम की अधिकृत पूँजी एक करोड़ रुपये है जो रिजर्व बैंक द्वारा दी गई है। यह निगम रिजर्व बैंक से 5 करोड़ रुपये तक ऋण भी ले सकता है।

प्रबंध व्यवस्था—रिजर्व बैंक का गवर्नर इस निगम का अध्यक्ष होता है तथा 5 सदस्यों का संचालक मंडल प्रबंध के लिए रखा जाता है।

कार्य—प्रत्येक कार्य को बीमित बैंक के रूप में पूँजीकृत करना होगा तथा जमाकर्ता के बीमे की राशि 1500 रुपये निर्धारित की गई है। इस प्रकार प्रत्येक 5 में से 4 जमाकर्ताओं को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होगी तथा कुल जमा का 24% भाग तक बीमा हो सकेगा। बीमा के व्यय को पूर्ण करने के उद्देश्य से 100 रुपये पर 15 पैसे की दर से प्रति-रिजर्व प्रमात्रि लिया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में यह दर 5 पैसे सँकड़ा है। बैंको के कार्यों के निरीक्षण के आधार पर इस योजना की सफलता निर्भर करती है। निगम रिजर्व बैंक से निवेदन करके किसी भी बैंक का निरीक्षण कर सकता है।

### आलोचनाएं

इस निगम की प्रमुख आलोचनाएं निम्न हैं—

(i) वास्तविक आधार का अभाव—भारत में प्राकडो के अभाव के कारण वास्तविक आधार निर्दिष्ट करना संभव नहीं है जिससे प्रमात्रि की दर तय करने में कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं।

(ii) अल्पव्यक्त उपाय—बैंकों के प्रगल्भ होने में हानि के घबने का जमा बीमा निगम ही पर्याप्त उपाय नहीं है जब तक कि बैंकों पर पहले से अधिक मात्रा में नियमन व नियंत्रण न लगाए जाएं। अतः यह एक अल्पव्यक्त उपाय माना जाता है।

(iii) अनावश्यक योजना—जनता की 90% व भी अधिक जमाएं प्रायः ऐसे बैंकों में हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ है, जिससे इन निगम की स्थापना करना अनावश्यक होगा।

(iv) प्रीमियम का अधिक भार—छोटे बैंकों पर अधिक मात्रा में भार पड़ता है क्योंकि बड़े बैंकों की तुलना में उन्हें अधिक मात्रा में प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होता है।

### बैंकिंग का भविष्य (Future of Banking)

भारत में बैंकिंग का भविष्य काफी उज्ज्वल है, जबकि देश में बैंकिंग का समुचित ढंग से विकास संभव नहीं हो पाया है। देश के आर्थिक विकास के लिए निवेशन की नीति को अयत्नाया गया है जिसके लिए बैंकों को सुदृढ़ आधार पर स्थापना हो, इसके लिए 1949 में बैंकिंग कंपनी अधिनियम पारित किया गया। बैंकों के कामों के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है तथा कुशल प्रबंध एवं संचालन की ओर ध्यान दिया जा रहा है। भविष्य में बैंकों के एकीकरण एवं राष्ट्रीयकरण की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

### भारत में बैंकिंग विधान (Banking Legislation in India)

इतिहास—भारत में बैंकिंग विधान के इतिहास को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) भारतीय कंपनी अधिनियम 1913—1905 में बैंकिंग मकट के कारण बैंकिंग विधान की आवश्यकता का अनुभव किया गया, फलतः भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 में संशोधन करके बैंकिंग व्यवसाय पर नियंत्रण लगाने के प्रयाग किये गये।

कंपनी अधिनियम 1936—केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने 1931 में पृथक् बैंकिंग विधान के निर्माण की सिफारिश की, परंतु सरकार ने इसे स्वीकार न करते हुए कंपनी अधिनियम 1936 में संशोधन कर दिए।

(3) कंपनी अधिनियम में संशोधन—रिजर्व बैंक 1939 की सिफारिशों के आधार पर कंपनी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये गये।

(4) रिजर्व बैंक अधिनियम—इस अधिनियम के अंतर्गत बैंकों पर नियंत्रण एवं नियमन करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में पारित किया गया।

(5) सरकारी अध्यादेश—1946 में सरकारी अध्यादेश ने रिजर्व बैंक को विभिन्न बैंकों के राशियों को जांच आदि को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की।

(6) बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949—बैंकिंग व्यवस्था का समुचित नियमन एवं नियंत्रण करने के उद्देश्य से बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 में पारित किया गया।

#### बैंकिंग विधान की आवश्यकता

स्वयंमान का पंत होने में बैंक दर भी अधिक मात्रमायी हो पाई है अतः देश में बैंकों का समुचित विकास करने के लिए बैंकिंग विधान की आवश्यकता हुई। बैंकिंग एक सेवा उद्योग है और इसमें चालू पूंजी का अधिकतम भाग जमा करने वालों का होता है, परंतु प्रबंध-व्यवस्था अल्पसंख्यकों के अधिकार में ही रहती है और जमा करने वालों का उनमें कोई हाथ नहीं रहता। अतः सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था होना आवश्यक था, जिसमें जमाकर्ताओं के विशेषों का का सुरक्षित गमक न हो सके। इसके लिए बैंकिंग विधान बनाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया। विधान की

प्रावश्यकता के प्रमुख कारण निम्न थे—

(i) शाखाओं पर प्रतिबंध—बैंको ने अपनी शाखाओं का विस्तार बिना जाच-पड़ताल के किया है जिससे अधिकतर शाखाएं प्रलाभकारी सिद्ध हुई हैं।

(ii) असंतुलित विकास—कहीं प्रावश्यकता से अधिक बैंक हैं तथा दूसरी ओर इतका पूर्णतया प्रभाव पाया जाता है जिससे बैंको का मंतुलित ढंग से विकास संभव नहीं हो पाया है।

(iii) अधिकारों में वृद्धि—बैंकिंग विधान के लागू होने से साख एवं विदेशी विनियम संबंधी नीति को सरलता से कार्यान्वित किया जा सकता है।

(iv) बैंकों का असफल होना—अनेक बैंक असफल हुए अतः प्रबंध एवं संचालन में सुधार लाना प्रावश्यक है।

(v) समन्वय स्थापित करना—स्वदेशी बैंक एवं आधुनिक बैंकिंग में समन्वय के अभाव के कारण साख नियंत्रण का प्रभाव पाया जाता है, जिससे बैंकिंग का समुचित विकास संभव नहीं हो पाया है।

### वर्तमान बैंकिंग अधिनियम 1949

भारत में सर्वप्रथम भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 में पारित किया गया जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं—

(1) बैंक की परिभाषा—अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ऐसी कंपनी को बैंक कहा गया है जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हो और बैंकिंग का व्यवसाय करती हो। कोई भी कंपनी इस व्यवसाय को उसी समय कर सकती है जबकि वह अपने नाम के सामने बैंक शब्द का प्रयोग करे।

(ii) प्रबंध व्यवस्था—इस संबंध में निम्न व्यवस्था है—

(अ) प्रबंध अधिकारता—बैंकिंग कंपनियों के प्रबंध के लिए कोई भी व्यक्ति प्रबंध अधिकारता नियुक्त नहीं किया जा सकता।

(ब) संचालक—कोई भी व्यक्ति किसी बैंक का संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता यदि वह किसी दूसरे बैंक का संचालक है या अन्य किसी व्यवसाय में संलग्न है। इसी प्रकार दिवालिया व्यक्ति को बैंक का संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता तथा कंपनी के लाभ पर कमीशन नहीं दिया जा सकेगा।

(iii) पूंजी एवं मतदान व्यवस्था—बैंक की प्राप्ति पूंजी उसकी अधिकृत पूंजी के भागे से कम नहीं होनी चाहिए तथा प्राप्त पूंजी प्रायिक पूंजी के भागे से कम न हो। पूंजी में वृद्धि करने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। अमेरिका में बैंकों को जनसंख्या के अनुरूप पूंजी रखनी होती है, परंतु भारत में बैंक के समस्त कार्यक्षेत्र को आधार मानकर पूंजी निश्चित की जाती है।

मतदान का अधिकार पूंजी के आधार पर था, परंतु 1963 के संशोधन के आधार पर अंशधारी को कुल मतदान के 1% से अधिक मत देने का अधिकार न होगा।

(iv) नकद कोष व्यवस्था—प्रत्येक अनुमूर्चित बैंक को अपनी मांग दायित्व का 5% एवं समय दायित्व का 2% भाग नकद में रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। इस प्रतिशत में प्रावश्यकतानुसार 15 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकती है। 1949 अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि गैर-अनुमूर्चित बैंको को भी रिजर्व बैंक के पास चालू खाते में नकद कोष रखना होगा।

(v) शाखाएं—अधिनियम के अंतर्गत कोई भी बैंक रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना न तो कोई नवीन शाखा खोल सकता है और न ही उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित कर सकता है, जिससे एक ही स्थान पर बैंकों का केंद्रीकरण न हो सके।

(vi) एकीकरण व्यवस्था—दो या दो से अधिक बैंक प्राप्त में एकीकरण की व्यवस्था कर सकते हैं तथा इसके लिए साधारण बैंडक में एकीकरण की योजना को प्रस्तुत किया जाता है।

(vii) बैंक का समापन—बैंक द्वारा श्रेष्ठों का भुगतान न करने पर रिजर्व बैंक की प्रार्थना पर न्यायानुय

द्वारा हम बैंक का समापन किया जा सकता है। केंद्रीय सरकार द्वारा आदेश प्राप्त होने पर ही रिजर्व बैंक प्रायंता कर मनेगा। प्रायंता देने पर सरकारी निस्तारक नियुक्त किया जाएगा तथा न्यायपाल्य की आज्ञा ही अंतिम मानी जाती है।

(viii) ऋणों पर प्रतिबंध—कोई भी बैंक अपने ऋणों की जमानत पर या गंचालकों को उचित जमानत के अभाव में ऋण नहीं दे मनेगा। बैंक जनहित को ध्यान में रखते हुए ही नीति का निर्धारण करता है। इस संबंध में रिजर्व बैंक मास का नियंत्रण कर सकता है तथा मूल्य वृद्धि पर रोक लगा सकता है।

(ix) संपत्ति में तरलता—संपत्ति में तरलता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक बैंक अपनी मांग-जमा तथा मदद-जमा का कम से कम 20% भाग तरल संपत्ति के रूप में रखेगा। इस तरलता का कम से कम 75% भाग भारत में ही रचना होगा।

(x) लाभ वितरण पर प्रतिबंध—प्रत्येक भारतीय बैंक एवं विदेशी बैंकों के भारतीय शाखाओं के वार्षिक लाभ का कम से कम 20% भाग प्रतिवर्ष उचित कोष में रचना आवश्यक होगा।

(xi) पूर्णरूप पूंजी तथा रक्षित कोष—बैंकों की शाखाएँ बनकला या बर्बई में होने पर उनकी परिदत्त पूंजी एवं रक्षित कोष मिटाकर 10 लाख रुपए होना चाहिए। यदि बैंक के समस्त कार्यालय एक ही राज्य में हैं तो यह सीमा 5 लाख रुपए होनी चाहिए। यदि बैंकों की कोई भी शाखा बर्बई एक कलकत्ता में नहीं है तो प्रधान कार्यालय में पूंजी एवं रक्षित कोष की मात्रा 1 लाख रुपए तथा प्रत्येक कार्यालय में यह सीमा 10 हजार रुपए होगी। यदि बैंकों की स्थापना बाहर हुई तो यह राशि 15 लाख रुपए तथा आधाएँ बनकला या बर्बई में होने पर यह राशि 20 लाख रुपए होनी चाहिए। वर्तमान समय में नवीन बैंकिंग कंपनी को परिदत्त पूंजी की मात्रा को न्यूनतम सीमा को 50,000 रुपए में बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।

(xii) व्यवसाय का विवरण—अधिनियम में बैंकों द्वारा अधिभूत व्यवसाय की पूरी सूची दी गई है। बैंक को किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष व्यापार करने का अधिकार नहीं होगा, किसी भी अवल संपत्ति को 7 वर्ष में अधिक की अवधि के लिए नहीं रख सकता, बैंक कोई महायक कंपनी स्थापित नहीं कर सकता तथा किसी भी कंपनी के प्राप्त पूंजी के 20% में अधिक के अंश नहीं खरीद सकता।

(xiii) उद्देश्य—अधिनियम का निर्माण बैंकों के दोषों को दूर करने के लिए किया गया था। बैंकों के प्रमुख दोष निम्न थे—

(अ) अवल संपत्ति को घाड़ पर अधिक मात्रा में ऋण दे दिया जाता था।

(ब) संचालकों द्वारा टिन रखने वाली कंपनियों में अवयंता प्रतिभूति की घाड़ पर अधिक ऋण दे दिया जाता था।

(ग) चिट्ठे द्वारा वास्तविक स्थिति का ठीक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता था।

(द) बैंक के प्रबंधक धन का दुरुपयोग किया करते थे।

(ध) बैंकों ने बिना मोचे-मगमके अपनी शाखाओं का विस्तार किया जो कि अलासकारी सिद्ध हुआ।

(xiv) सम्भेयन अधिकार—रिजर्व बैंक को यह अधिकार दे दिए गए कि रिजर्व बैंक यदि किसी बैंक की वार्षिक स्थिति में गड़बड़ी है तो वह केंद्रीय सरकार से उस बैंक के लिए विलंब बाल (Moratorium) घोषित करने की सिफारिश कर सकता है, त्रियमे बैंक 6 माह तक कार्य बन्द कर देता है। इन अवधि में रिजर्व बैंक उस बैंक को किसी भी बैंक के मास बिसाले की योजना बना सकता है।

## रिजर्व बैंक के अधिकार

बैंको पर उचित नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से अधिनियम ने रिजर्व बैंक को निम्न अधिकार प्रदान किए हैं—

(1) ऋण नीति का नियंत्रण—रिजर्व बैंक को ऋण नीति को नियंत्रित करने का अधिकार होता है। देश के प्रतिन से नीति होने पर रिजर्व बैंक उन समस्त ऋण नीतियों पर प्रतिबंध लगा सकता है तथा कार्य को उचित व्यवस्था कर सकता है।

(1) वैदिककरण प्रकृति में अनकल—भारत में वैदिक अधिनिम्न केंद्रीकरण की प्रकृति को रोकने में अनकल रहा है ।

(2) अननुचित विवास—बैतों का विवास गहरी क्षेत्रों में ही अधिब हुआ है और प्रानीय क्षेत्र को उनेका की गई है, जिनसे अननुचित विवास को प्रोत्साहन मिला है ।

(3) निरंतरण का अभाव—वैदिक विवास ने प्रानीय माल पर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा बैतों का अनुचित ढंग से विवास एवं संगठन संभव नहीं हो पाया है ।

(4) तरलता का अभाव—अधिनिम्न ने बैतों की तरलता की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है जिससे अधिकांश बैत अनकल हो गए हैं ।

इन दोषों को दूर करने के उद्देश्य से वैदिक विवास में समय-समय पर अनेक संशोधन हुए हैं जैसे 1950, 1951, 1953, 1956, 1959, 1960, 1962, 1963, एवं 1964 में आद्यत्मक संशोधन शदीकार किए गए ।

## मुद्रा बाजार एवं बिल बाजार (Money Market and Bill Market)

### मुद्रा बाजार

#### प्रारंभिक

मुद्रा बाजार वह बाजार केंद्र है जिसमें अल्पकालीन पूंजी का लेन-देन होता है। फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयार्क के अनुसार "मुद्रा बाजार मुद्रा तथा मुद्रा संबंधी ऐसी सम्पत्ति के लेन-देन के लिए एक सक्रिय बाजार है, जिसे वित्त संस्थाएँ सामान्य व्यवसाय के अंतर्गत अपनी प्राथिक स्थिति पर्याप्त तरल बनाए रखने हेतु रखती हैं।" प्रायः बाजार शब्द से आशय उच्च सम्पन्न क्षेत्र से लगाया जाता है जहाँ क्रेता एवं विक्रेता स्वतंत्रतापूर्वक प्रतियोगितापूर्ण स्थिति में माल का क्रय एवं विक्रय करते हैं। मुद्रा बाजार में मुद्रा के क्रेता एवं विक्रेता होते हैं जिनमें परस्पर प्रतियोगिता पाई जाती है। मुद्रा के उधार लेने को क्रय एवं मुद्रा के उधार देने को विक्रय कहते हैं। मुद्रा के खरीदने वालों में ऋणियों, व्यापारियों आदि को सम्मिलित किया जाता है तथा मुद्रा के बेचने वालों में ऋणशाळा एवं अन्य संस्थाएँ सम्मिलित की जाती हैं। वस्तु की भाँति मुद्रा का मूल्य निर्धारण भी मुद्रा की माँग एवं पूर्ति के संतुलन पर निर्भर करता है।

#### परिभाषाएँ

मुद्रा बाजार की प्रमुख परिभाषाएँ निम्न हैं—

- (1) क्राउथर—“मुद्रा बाजार एक सामूहिक नाम है जो विभिन्न श्रेणियों की मुद्रा में व्यवहार करने वाली विभिन्न फर्मों एवं संस्थाओं को दिया जाता है।”<sup>1</sup>
- (2) चाको (Chakoo)—“एक मुद्रा बाजार ऐसा यंत्रोपकरण है जो कि ऋणियों को ऋण प्राप्त करना सभव बनाता है तथा ऋणदाताओं को धन के विनियोजन के उपयुक्त अवसर प्रदान करता है।”<sup>2</sup>
- (3) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया—“मुद्रा बाजार मुख्यतया अल्पकालीन प्रवृत्ति की मौद्रिक सम्पत्ति की व्यवहार करने का एक केन्द्र बिन्दु है, जहाँ ऋणियों की अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूर्ण करने, ऋणदाताओं को तरलता या नकदी का प्रवण्य करता है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ अल्पकालीन विनियोजित ऋण विनीय एवं अन्य संस्थाओं व व्यक्तियों की इच्छा पर उपलब्ध किए जाते हैं तथा ऋणियों को स्वीकार किए जाते हैं, जिनमें संस्थाएँ, व्यक्ति एवं स्वयं सरकार

1. “The money market is the collective name given to the various firms and institutions that deal in various grades of money”—Crowther.

2. “A money market is a mechanism which makes it possible for borrowers to obtain funds and for lenders to find suitable outlets for that money.”—Chakoo.

को सम्मिलित किया जाता है।<sup>1</sup>


### मुद्रा एवं पूँजी बाजार

मुद्रा एवं पूँजी बाजार में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी भौतिक अन्तर पाया जाता है। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन तथा पूँजी बाजार में दीर्घकालीन ऋणों का लेन-देन स्वीकार किया जाता है। प्रायः अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों को पृथक् करना समबन्ध होने से पूँजी बाजार को मुद्रा बाजार का ही एक अंग माना जाता है। पूँजी बाजार में अगो, ऋण-पत्रों एवं अन्य दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का अय-विश्रय किया जाता है। पूँजी बाजार में लम्बी अवधि के लेन-देन को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा एवं पूँजी बाजार में केवल अवधि का अन्तर पाया जाता है। संगठित मुद्रा बाजार में प्राथमिक लेन-देन संबंधों रीति-नीतियों में समन्वय पाया जाता है और कार्य-विधियाँ व्यवस्थित रहती हैं। इस स्थिति के अभाव में मुद्रा बाजार को अंगगठित बाजार कहा जाता है।

### मुद्रा बाजार के कार्य

(Functions of Money Market)

मुद्रा बाजार के कार्यों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—




(i) मुद्रा इकाई में स्थिरता—मुद्रा बाजार में उचित नियमन द्वारा मुद्रा इकाई में स्थिरता लाई जा सकती है। पूँजी के संवय को प्रोत्साहित करके उसमें गतिशीलता उत्पन्न करके विभिन्न व्यवसायों एवं क्षेत्रों में उसका वितरण कर दिया जाता है।

(ii) साक्ष प्रदान करना—मुद्रा बाजार द्वारा उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन साक्ष की पूर्ति की जाती है जिससे राष्ट्रीय आय एवं संपन्नता में वृद्धि की जा सके।

### मुद्रा बाजार के अंग

मुद्रा बाजार के दो अंग होते हैं—



1. "A money market is the centre for dealings, mainly of short-term character in monetary assets, it meets the short-term requirements of borrower and provides liquidity or cash to the lenders. It is the place where short-term investible funds are placed at the disposal of financial and other institutions and individuals are bid by borrowers again comprising institutions and individuals and also the Government itself."—Reserve Bank of India : Functions and workings, p. 21-22.

(i) ऋणी क्षेत्र, एवं


(ii) ऋणदाता क्षेत्र—इसके भी दो अंग होते हैं जैसे (प्र) प्राथमिक भाग एवं (ब) स्वदेशी भाग ।

(प्र) प्राथमिक भाग का गठन आधुनिक ढंग से किया जाता है। यह संगठित भाग होता है और इसमें स्टेट बैंक, मिश्रित पूंजी वाले बैंक, रिजर्व बैंक आदि संगठित बैंकों को सम्मिलित किया जाता है।

(ब) स्वदेशी भाग असंगठित भाग होता है, जिसमें महाजन, सर्राफ आदि को सम्मिलित किया जाता है।

### भारतीय मुद्रा बाजार (Indian Money Market)

भारतीय मुद्रा बाजार में द्विधासिद्धा का गुण पाया जाता है, जिसमें एक अंग संगठित है तथा दूसरा अंग असंगठित व तीसरा अंग सहकारी है। संगठित भाग में रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, विदेशी बैंक तथा भारतीय बैंक आते हैं। असंगठित बाजार में साहूकारों एवं देशी बैंकों का प्रभुत्व बना रहता है। तृतीय अंग में सहकारी साहू संस्थाएँ आती हैं। भारतीय मुद्रा बाजार सर्वथा अल्पव्यवस्थित नहीं है, क्योंकि देशी बैंकों को स्टेट बैंक से वटौती की सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं। इसके प्रतिरिक्त अन्य बैंक भी सुविधाएँ प्रदान करती हैं। इसे निम्न चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है—



#### मुद्रा बाजार की विशेषताएँ

भारतीय मुद्रा बाजार की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) बट्टा बाजार का अभाव—व्यापारिक वित्तों के अभाव के कारण देश में बट्टा बाजार का अभाव पाया जाता है।

(ii) अंतर्बैंक व्यवस्था—मुद्रा बाजार में अंतर्बैंक भाग मुद्रा बाजार की व्यवस्था की सुविधाएँ पाई जाती हैं।

(iii) दलाल—मुद्रा बाजार में स्वयं दलाल (Stock brokers) एवं माँग-ऋण दलाल (Call loan brokers) पाए जाते हैं।

(iv) दो प्रकार के बाजार—देश में संगठित एवं असंगठित दो प्रकार के बाजार पाए जाते हैं, जहाँ ब्याज की दर विभिन्न प्रकार की पाई जाती है।

(v) संस्थाएँ—मुद्रा बाजार में मिश्रित पूंजी के बैंक एवं अर्द्ध-सहकारी संस्थाएँ भी पाई जाती हैं।

(vi) क्लिप बाजार का अभाव—भारत में विकसित बिल बाजार के अभाव के कारण मुद्रा बाजार के विकास में बाधाएँ उपस्थित होती हैं।

(vii) भेद का अभाव—असंगठित भाग में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन बिल में कोई भेद प्रतीत नहीं होता।

#### मुद्रा बाजार का महत्त्व (Importance of Market)

संगठित मुद्रा बाजार देश के आर्थिक विकास में बहुत उपयोगी है। इसके महत्त्व को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(i) पूंजी का उचित वितरण—मुद्रा बाजार की सहायता से देश की पूंजी का विभिन्न क्षेत्रों में उचित



वितरण संभव हो जाता है तथा व्यापारियों को उचित व्याज दर पर पर्याप्त मात्रा में अल्पकालीन पूंजी प्राप्त हो जाती है।

(ii) तरलता में वृद्धि—व्यापारिक बैंक अपनी प्रतिभूतियों को कभी भी तरलता में बदल सकते हैं जिससे विकसित राष्ट्रों में व्यापारिक बैंक अपनी जमा को याचना शृंखला एवं अल्पकालीन प्रतिभूतियों में विनियोजित कर देते हैं जिससे सम्पत्ति की तरलता के साथ-साथ व्याज भी प्राप्त होता रहता है।

(iii) सूचक संकेत—संगठित मुद्रा बाजार देश की अर्थव्यवस्था का सूचक संकेत माना जाता है, जिसके आधार पर सरकार अपनी अर्थ-नीति में आवश्यक परिवर्तन कर सकती है। मुद्रा बाजार को भी आर्थिक नीति के अनुरूप परिवर्तित कर दिया जाता है।

(iv) वित्तीय पूर्ति—संगठित मुद्रा बाजार में सरकार अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से कर सकती है तथा आवश्यक मात्रा में धन प्राप्त कर सकती है।

(v) प्रभावशाली मौद्रिक नीति—संगठित मुद्रा बाजार मौद्रिक नीति को प्रभावशाली बनाने में सहायता प्रदान करता है तथा साक्ष का नियमन सरलता व सुविधापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है। केन्द्रीय बैंक व्याज दर की सहायता से साक्ष की मात्रा को उचित स्तर पर ला सकता है।

(vi) वित्तीय संस्थाओं को उपयोगी—संगठित मुद्रा बाजार व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। एक ओर तो बचत को प्रोत्साहन मिलेगा तथा दूसरी ओर उस बचत को उत्पादक कार्यों में विनियोजित किया जा सकता है।

(vii) व्यापार को उपयोगी—संगठित मुद्रा बाजार व्यापार एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयोगी होता है क्योंकि एक ओर तो बचत प्राप्त हो जाती है तथा दूसरी ओर विनियोजन के लिए उपयुक्त प्रतिभूतियाँ प्राप्त हो जाती हैं।

### भारतीय मुद्रा बाजार के दोष (Defects of Indian Money Market)

मुद्रा बाजार अविकसित अवस्था में है तथा देश के विकास के साथ-साथ वित्तीय मामलों में भी अनेक परिवर्तन घाना स्वाभाविक है। वर्तमान में भारतीय मुद्रा बाजार में अनेक दोष पाए जाते हैं जो कि निम्न प्रकार हैं—

(1) व्याज दर में अस्थिरता—भारत में स्थान-स्थान पर व्याज दर में अन्तर पाया जाता है। इन व्याज दरों में अन्तर में कोई संबंध नहीं होता तथा बैंक दर का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्याज दर में अस्थिरता होने का प्रमुख कारण मुद्रा बाजार का असंगठित होना है।

(2) धन का अभाव—मुद्रा बाजार में व्यापार एवं उद्योगों के लिए पूंजी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के अभाव के कारण धन का प्रायः अभाव बना ही रहता है।

(3) देवी साहूकारों की अधिकता—मुद्रा बाजार में देवी साहूकारों की अधिकता पाई जाती है जो कि ग्रामीण एवं प्राथमिक व्यापार को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इनकी संख्या अधिक होने के साथ-साथ बैंकिंग व्यवस्था से कोई गठबंधन नहीं है तथा रिजर्व बैंक भी इनको नियोजित नहीं कर सका है। इससे मुद्रा बाजार अस्त-व्यस्त हो गया है।

(4) संगठित बिल बाजार का अभाव—भारत में अभी तक सुसंगठित बिल बाजार का विकास नहीं हो पाया है। देश में हण्डियों का प्रयोग अति प्राचीन समय से होता आया है, फिर भी इनका उपयोग बहुतायत से नहीं हो पाया है तथा बैंकों द्वारा भी विलों एवं हण्डियों के रूप में अधिक मात्रा में विनियोजन नहीं किया जाता। रिजर्व बैंक द्वारा भी इसके विकास के विशेष प्रयास नहीं किए गए। 1952 में रिजर्व बैंक ने बिल बाजार योजना को कार्यान्वित किया।

(5) विशिष्ट संस्थाओं का अभाव—भारत में वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली विशिष्ट संस्थाओं का अभाव पाया जाता है जिनसे व्यापार एवं वाणिज्य की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती।

(6) अल्पकालीन बैंकिंग सुविधाएँ—जनसंख्या एवं प्राकृतिक साधनों की तुलना में देश में बैंकिंग सुविधाओं की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की अपार कमी है। हमारा देश इस दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। बैंकों

## भारत में बिल बाजार (Bill Market in India)

सन् 1935 से पूर्व इम्पीरियल बैंक भारत सरकार के चपत विभाग से 12 करोड़ रुपए तक की राशि ही उधार ले सकता था। बिल बाजार में बिलों को खरीदने एवं बेचने वाले व्यापारी होते हैं उसे बिल बाजार कहते हैं। बिल बाजार की सहायता से संकट के समय केंद्रीय बैंक से साख प्राप्त हो जाती है तथा संकट समाप्त होने पर उसे वापिस कर दिया जाता है। इससे मुद्रा एवं कोषों का हस्तांतरण सुविधापूर्वक किया जा सकता है तथा विदेशी विनिमय कोषों का सदुपयोग संभव हो सकता है। रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चान् आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक से प्रतिनूतियों के आधार पर ऋण प्राप्त किया जाता था। परन्तु 1951 में रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि करने पर प्रतिनूतियों की जमागत पर ऋण दिया जाने लगा। इसी समय रिजर्व बैंक ने एक नवीन योजना प्रारम्भ की जो बिल बाजार योजना के नाम से जानी जाती है और जनवरी 1952 से इसकी घोषणा की गई थी।

### बिल बाजार का महत्त्व

भारत में बिल बाजार के महत्त्व को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

- (1) कृषि उपज का स्थानान्तरण—बिल बाजार कृषि उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान की हस्तांतरण में सुविधाएं प्रदान करता है तथा कृषकों को आवश्यकता पड़ने पर अल्पकालीन वित्त की सुविधाएं भी प्रदान करता है।
- (2) वित्तीय सहायता—बिल बाजार की सहायता से व्यापारियों को सुगमता से वित्तीय सहायता प्राप्त हो जाती है।
- (3) केंद्रीय बैंक का सहयोग—केंद्रीय बैंक के सक्रिय सहयोग से बिल बाजार का समुचित ढंग से विकास संभव हो जाता है।
- (4) अल्पकालीन साख—बिल बाजार की सहायता से अल्पकालीन साख सुविधापूर्वक प्राप्त हो जाती है।
- (5) विनियोग के सुलभ साधन—वैजिंग संस्थाओं को अल्पकालीन विनियोग के लिए सुगमता से साधन उपलब्ध हो जाते हैं तथा वार्षिक संकट के समय बिलों को बेचकर आवश्यक राशि प्राप्त की जा सकती है।

### बिल बाजार की विशेषताएं

बिल बाजार की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं—

- (i) घाघा प्रतिशत कम ब्याज—बिलों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ऋणों पर बैंक दर से घाघा प्रतिशत कम ब्याज लेने की व्यवस्था की गई।
- (ii) ऋण की न्यूनतम सीमा—प्रत्येक बैंक को दिए जाने वाले ऋण की न्यूनतम सीमा 25 लाख रुपए निर्धारित की गई है तथा प्रत्येक बिल की न्यूनतम सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
- (iii) ऋण देने की व्यवस्था—रिजर्व बैंक द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि तक बिलों की जमागत पर ऋण देने की व्यवस्था की गई है जो रिजर्व बैंक के बिना भी कार्यालय में प्राप्त किए जा सकते हैं।
- (iv) मुद्रांक वर का घाघा भाग—बिलों के प्राथमिक प्रचार के लिए यह सुविधा दी गई कि माघ बिलों को माघिक बिलों में परिवर्तित करने के लिए जो मुद्रांक वर संवेगा उनका घाघा भाग रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा बिलों के प्राथमिक प्रचार संभव हो सके।

### रिजर्व बैंक की बिल बाजार योजना

प्रथम संवर्धनीय योजना के प्रारम्भ होने पर 16 जनवरी, 1952 को रिजर्व बैंक ने बिल बाजार योजना की



रिजर्व बैंक द्वारा प्रवृत्त ऋण  
(करोड़ रुपए में)

योजना	राशि
1. प्रथम योजनाकाल	567
2. द्वितीय योजनाकाल	1320
3. तृतीय योजनाकाल	1462

रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक आधार पर दिए गए ऋण की राशि निम्न प्रकार है—

ऋण राशि  
(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राशि
1971-72	1165
1968-69	1353
1967-68	368
1966-67	418
1965-66	323
1960-61	255
1955-56	229
1951-52	29

इस तालिका से स्पष्ट है कि बैंकों को दिए गए ऋणों की राशि में उधार-चक्राव बने रहते हैं। यह कुछ वर्षों से इनकी मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। 1951-52 में ऋण राशि 29 करोड़ रुपए थी जो 1971-72 में बढ़कर 1165 करोड़ रुपए हो गई।

सुसंगठित बिल बाजार अभाव के कारण

भारत में बिल बाजार का संयुक्त ढंग से विकास संभव नहीं हो पाया है और इसके प्रमुख कारण निम्न हैं—

(1) सीमित पुनः कटौती की सीमा—इंफ्लेक्शन बैंक को अन्य व्यापारिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा होने के कारण बिलों को पुनाने में हिचकिचाते रहे। 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना के उपरान्त भी बिल बाजार का समुचित विकास नहीं हो सका क्योंकि—(i) भारत में बिलों की अवधिक कमी रही है, तथा गैर-सामानों की कमी के कारण वृद्धि बिलों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि संभव नहीं हो सकी है।

(ii) वृद्धियों के लिलने की माया एवं ढंग निम्न-निम्न प्रकार के हैं जिससे उनका अधिक प्रयोग व प्रचलन संभव नहीं हो पाया है।

(iii) रिजर्व बैंक ने व्यापारिक बैंकों को बिलों की मात्रा पर प्रथम ऋण देने की प्रोत्साहित नहीं किया।

(2) वृद्धियों में बिबिधता—प्रायः वृद्धियों क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा में लिखी जाती हैं, जिससे उनका प्रचलन भारतीय बाजार नहीं बन पाता।

(3) बीवागार-बिपणों का निर्गमन—भारत में व्यापारिक बैंक अपने धन को बीवागार बिपणों में

विनिमोजित करना लाभप्रद समझते हैं जिससे बिल बाजार के विकास को प्रोत्साहन नहीं मिल सता है।

(4) भारी मुद्रांक कर—भारी मुद्रांक कर के कारण बिलों के हस्तांतरण में कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं तथा बिल-बाजार विकसित नहीं हो पाता।

(5) ऋण देने की व्यवस्था—बैंक प्रायः बिलों को बट्टा करके ऋण देने की तुलना में नकद में ऋण देना अधिक प्रच्छा समझते हैं क्योंकि इसे कभी भी वापस या रद्द किया जा सकता है।

(6) निर्गम व स्वीकृत गृहों का अभाव—भारत में बिलों को निर्गमित करने एवं स्वीकार करनेवासी संस्थाओं के अभाव के कारण बिल बाजार का समुचित ढंग से विकास संभव नहीं हो पाया है।

(7) सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग—बैंकों द्वारा अपनी संपत्ति की तरलता बनाए रखने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करना प्रच्छा समझते हैं, क्योंकि इनके माध्यम पर कभी भी नकद राशि प्राप्त की जा सकती है। इससे बिल बाजार का अधिक विकास संभव नहीं हो पाया है।

(8) विशेष संस्थाओं में कमी—पाठ्यालय देशों में बिलों को स्वीकार करने वाली तथा कटौती करने वाली विशेष संस्थाएँ हैं। भारत में इस प्रकार की विशेष संस्थाओं का सर्वथा अभाव पाया जाता है।

### बिल बाजार में सुधार के उपाय

भारतीय बिल बाजार में सुधार लाने के निम्न उपाय किए जा सकते हैं—

(1) निर्गम व स्वीकृत गृहों की स्थापना—भारत में निर्गम एवं स्वीकृत गृहों जैसी संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए, जो कि व्यापारियों की आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन करके बिलों के उपयोग में वृद्धि कर सकें।

(2) समाशोधन गृह—देश के विभिन्न भागों में पर्याप्त मात्रा में समाशोधन गृहों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे बिलों के भुनाने व भुगतान करने में सुविधा प्राप्त हो सके।

(3) एकरूपता—बिलों को परिभाषा एवं लेखन विधि में एकरूपता होनी चाहिए जिससे बिलों को प्रसिद्ध भारतीय स्तर पर उपयोग किया जा सके एवं उनका प्रचार बढ़ाया जा सके।

(4) खड़ी फसल पर ऋण—खड़ी फसल की भाँड़ पर बिलों को निर्गमित किया जाना चाहिए तथा उन्हें अधिकारिक प्रचार करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(5) मुद्रांक कर में कमी—देश में मुद्रांक कर में कमी की जानी चाहिए, जिससे बिलों का हस्तांतरण सुविधापूर्वक किया जा सके।

(6) बट्टा दर में कमी—बिलों के बट्टे दर में भी कमी की जानी चाहिए, जिससे बिलों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।

(7) केंद्रीय बैंक की स्थापना—प्राचीन समय में यह मुद्दाव दिया गया था कि बिल बाजार के विकास के लिए देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। इस दृष्टि से 1935 में मे रिजर्व बैंक की स्थापना करके इसे कार्यान्वित किया गया।

(8) भण्डार गृहों की स्थापना—देश में भण्डार गृहों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे माल को इन भण्डार गृहों में रखकर रसीद को बिलों के साथ संलग्न करके साह्य प्राप्त की जा सके।

(9) कृषि उपज पर बिल—भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि उपज के माध्यम पर बिलों को निर्यात जाना चाहिए तथा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।

(10) स्वदेशी बैंक की हृण्डियाँ—भारत में अन्य बिलों की भाँति स्वदेशी बैंक की हृण्डियों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।

(11) बिलों में परिवर्तन—प्रसूचित बैंकों को अपने माय बिलों का साधारण बिलों में परिवर्तित करने की सुविधाएँ प्रदान करने की चाहिए जिससे बिलों को अधिक प्रोत्साहित किया जा सके।

(12) बैंकिंग विकास—देश में सभी प्रगतिशील भागों में बैंकों की शाखाएँ स्थापित की जानी चाहिए जिससे

कृषि वा मुद्रा बाजार के साथ संबंध स्थापित किया जा सके।

एक प्रच्छे बिल बाजार में एक स्वतंत्र पुनर्कटौती पद्धति एवं वित्तों को पुनर्कटौती सुविधाओं का होना आवश्यक है। वित्तों को बट्टा गृह (Discount House) में व्यापार में स्टॉक (Stock in trade) को ही भाँति माना जाता है। देश में बट्टा गृहों की स्थापना से व्यापारिक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि ये गृह विदेशी मुद्रा माध्यम पर कार्य करें, तो वे रिजर्व बैंक के साथ नियंत्रण उपायों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। विदेश में सदन का बिल बाजार विख्यात है। विभिन्न राष्ट्रों के बिल बाजार में बट्टा दरें भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं, अतः विश्व व्याज की दरों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

विदेश व्याज दरें  
केंद्रीय बैंक की बट्टा दरें—(प्रतिशत में प्रतिवर्ष)

राष्ट्र	1960	1965	1966	1967	1968	1969	1970
विकसित राष्ट्र							
1. ब्रिजियम	5.00	4.75	5.25	4.00	4.50	7.50	7.50
2. कनाडा	3.50	4.75	5.25	6.00	6.50	8.00	6.50
3. डेनमार्क	5.50	6.50	6.50	7.50	6.00	9.00	9.00
4. फ्रांस	3.50	3.50	3.50	3.50	6.00	8.00	7.50
5. प० जर्मनी	4.00	4.00	5.00	3.00	3.00	6.00	7.00
6. इटली	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	4.00	5.50
7. जापान	6.94	5.48	5.48	5.84	5.84	6.25	6.25
8. न्यूजीलैंड	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
9. द० अफ्रीका	4.50	6.00	6.00	6.00	5.50	5.50	5.00
10. स्वीडेन	5.00	5.50	6.00	6.00	5.00	7.00	7.00
11. स्विट्जरलैंड	2.00	2.50	3.50	3.00	3.00	3.75	3.75
12. यूनाइटेड किंगडम	5.00	6.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00
13. यूनाइटेड स्टेट्स	3.00	4.50	4.50	4.50	5.50	6.00	6.00
विकासशील राष्ट्र							
14. ब्राजील	8.00	12.00	12.00	22.00	22.00	20.00	20.00
15. पाना	4.00	4.50	7.00	6.00	5.50	5.50	5.50
16. भारत	4.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00
17. ताइवानिया	5.50	5.00	5.00	5.00	4.50	4.50	4.50
18. पाकिस्तान	3.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
19. फिलीपाइन्स	5.00	6.00	4.75	6.00	7.50	10.00	10.00
20. थाइलैंड	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
21. समुक्त अरब राज्य	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

इन प्रकार प्रत्येक राष्ट्र की व्याजदरों में 1960 की तुलना में 1970 में वृद्धि हुई है जो प्राचीन व फिलीपाइन्स में अधिक रही है।

### बिल बाजार योजना की आलोचना

भारत में बिल बाजार योजना की मुख्य आलोचनाएं निम्न हैं—

(1) इस योजना से छोटे बैंक लाभान्वित नहीं हो पाते हैं।

(2) ऋण देने की नीति अत्यंत अस्थिर है जिससे रिजर्व बैंक बैंक को कार्यपद्धति को भी जवाब करना है।

(3) इस योजना का उद्देश्य मौसमी आवश्यकताओं को पूर्ण करना है जिससे यह उद्योग व व्यापार की साख की आवश्यकता को पूर्ण करने में असमर्थ रहती है।

(4) देशी बैंकों को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(5) व्यापारिक बिलों को स्वतंत्र रूप से न्यून करने व धुनाने की व्यवस्था न होने से, यह एक उचित योजना नहीं मानी जाती।

(6) बैंकों को श्रुण लेने के लिए बहुत-सी शर्तों को पूर्ण करना होता है जो बहुत असुविधाजनक है।

मौसमी बिल बाजार योजना—नवंबर 1970 से एक नयी बिल बाजार योजना प्रारंभ की गयी जिसका नाम बिल पुनर्कटौती योजना है। इसमें रिजर्व बैंक केवल देश के लाइसेंस प्राप्त अनुसूचित बैंकों के बिलों की ही पुनर्कटौती करेगा। इसके लिए प्रत्येक बिल की न्यूनतम राशि एक हजार रुपए व पुनर्कटौती की न्यूनतम राशि 50 हजार ६० निर्धारित की गयी थी। 6 अप्रैल, 1972 से भारतीय औद्योगिक साल एवं विनियोग नियम पर लिखित बिलों को भी इस योजना में स्वीकृत किया गया है।

## रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India)

### प्रारंभिक

सर्वप्रथम बारन हेस्टिंग्स ने देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रश्न उठाया तथा बैंक प्रोचंबंगाल एवं बिहार को केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की। 1913 में बेंबरलेन आयोग के सदस्य सार्ज वीग्न ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रश्न उठाया और इसकी सिफारिशों के आधार पर उस समय तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई परंतु उसे तोट निर्गमन का भविकार नहीं दिया गया। 1926 में हिल्टन वंग कमीशन ने भी देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना पर जोर दिया जिससे मुद्रा बाजार का व्यवस्थित एवं संगठित ढंग से विकास किया जा सके। आयोग का मत था कि भारतीय मुद्रा बाजार में मुद्रा एवं साख नियंत्रण करने की दृष्टांतन पद्धति वांछित किया जाना चाहिए। 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी रिज़र्व बैंक की स्थापना पर जोर डाला। 1933 में मोल मेज़ सम्मेलन में केंद्रीय बैंक की स्थापना पर जोर दिया गया जिस पर 6 मार्च, 1934 को वाइसराय के हस्ताक्षर हो गए तथा 1 अप्रैल, 1935 से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई।

### इंपीरियल बैंक को केंद्रीय बैंक न बनाने के कारण

उस समय इंपीरियल बैंक को ही रिज़र्व बैंक बनाया जा सकता था, परंतु निम्न कारणों से ऐसा संभव न हो सका—

(i) व्यापारिक कार्यों की समाप्ति—इंपीरियल बैंक को रिज़र्व बैंक में परिणत करने से उसे अपने समस्त व्यापारिक कार्यों छोड़ने पड़ते जो देश हित में नहीं था।


(ii) चलन का दुरुपयोग—चलन का प्रबंध अधिकांश इंपीरियल बैंक को छोड़ने से चलन के दुरुपयोग होने का भय था।

(iii) प्रतिभोगिता—इंपीरियल बैंक, एक व्यापारिक बैंक होने के कारण वह अन्य बैंकों से प्रतिभोगिता करता जिससे अदृष्टता का विद्वान केंद्रीय बैंक में नहीं रहता।

(iv) संघातक मंडल—बैंक का संघातक मंडल भी केंद्रीय बैंक के प्रत्याय के विरुद्ध था।

भावश्यकता—भारत में रिज़र्व बैंक की स्थापना की आवश्यकता निम्न कारणों से अनुभव की गई—

भारत में रिज़र्व बैंक की आवश्यकता के कारण





(1) रुपए के मूल्य में स्थायित्व—देश में रुपए के आंतरिक एवं बाह्य मूल्य में स्थिरता लाने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता की अनुभव किया गया।

(2) कृषि साख व्यवस्था—देश में कृषि साख व्यवस्था का प्रबंध करने के लिए भी केंद्रीय बैंक आवश्यक था।

(3) विदेशों से मौद्रिक संपर्क—विदेशों से मौद्रिक संपर्क बनाए रखने के लिए भी रिजर्व बैंक की स्थापना करनी आवश्यक थी।

(4) इंपीरियल बैंक में कमियाँ—इंपीरियल बैंक देश में केंद्रीय बैंक के कुछ कार्यों को कर रहा था, परंतु उसमें कुछ कठिनाइयों के कारण उसे देश का केंद्रीय बैंक बनाना अनुपयुक्त समझा गया।

(5) मुद्रा बाजार का संगठन—देश में मुद्रा बाजार का उचित ढंग से संगठन करने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना पर जोर दिया गया।

(6) बैंकिंग का विकास—देश में बैंकिंग व्यवस्था का विकास करने एवं उसके सफल संचालन के लिए रिजर्व बैंक की आवश्यकता थी।

(7) नकद कोषों का केंद्रीयकरण—भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना से नकद कोषों का एकीकरण करके उसे बैंक के लाभार्थ प्रयोग किया जा सकता था तथा मुद्रा व साख व्यवस्था में लोच बनी रहती।

(8) मुद्रा एव साख नीति में समन्वय—रिजर्व बैंक की स्थापना में देश में मुद्रा एवं साख नीति में समन्वय स्थापित किया जा सकता था।

### रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण

रिजर्व बैंक की स्थापना के समय से ही उसके राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उठाया जाता रहा था। इसी बीच विद्वद में केंद्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण की भावना प्रभावगामी हो गयी थी जिसके फलस्वरूप 1945 में बैंक ऑफ फॉस तथा कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा 1 मार्च 1946 से बैंक ऑफ इंग्लैंड को सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया। इस पृष्ठभूमि में भारत के स्वतंत्र होते ही रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न जोर पकड़ गया। रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष एवं विपक्ष में अनेक तर्क दिए गए जो निम्न हैं—

पक्ष में तर्क—राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निम्न तर्क दिए गए—

(i) वैधानिकता—मुद्राकाल में रिजर्व बैंक सरकारी बैंक की भाँति कार्य करने से उसे स्वतंत्रता नहीं थी, परंतु राष्ट्रीयकरण से उसे अपनी स्थिति का वैधानिक रूप प्राप्त हो जाएगा।

(ii) विस्तृत अधिकार—केंद्रीय बैंक के विस्तृत अधिकारों को निजी संस्था में रहना अनुचित एवं अनावश्यक समझा जाने से उनका राष्ट्रीयकरण करना ही उचित समझा गया।

(iii) मुद्रा बाजार पर नियंत्रण—रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण से मुद्रा बाजार पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगाया जा सकेगा तथा उसे संगठित करके उसके दोषों को दूर किया जा सकेगा।

(iv) धार्मिक एवं मौद्रिक नीति की सफलता—सरकार की धार्मिक एवं मौद्रिक नीति की सफलता भी रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण पर ही संभव हो सकेगी।

(v) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग—देश की अनेक मौद्रिक समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त होना आवश्यक था जो रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण द्वारा ही संभव हो सकेगा।

(vi) बैंकिंग विवरण प्राप्त करना—एक व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करने से अन्य बैंकों का बैंकिंग संबंधी विवरण प्राप्त करना कठिन होगा, परंतु राष्ट्रीयकरण से यह समस्या समाप्त हो जाएगी।

(vii) मूल्य स्तर पर नियंत्रण—दीर्घपूर्ण नीति के कारण मुद्रा स्थिति में मूल्यों में वृद्धि की। मूल्य स्तर पर नियंत्रण लगाने के लिए रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक समझा गया।

(viii) योजनाओं की सफलता—देश के धार्मिक पुनर्निर्माण के लिए जो योजनाएँ बनाई गईं, उनकी सफलता भी रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण होने पर ही संभव हो सकती थी।

(ix) अधिकारों का दुरुपयोग—रिजर्व बैंक में अंशों का केंद्रीयकरण बढ़ रहा था तथा अधिकारों के दुरुपयोग होने का भय था, जिसे राष्ट्रीयकरण द्वारा ही दूर किया जा सकता था ।

(x) अन्य राष्ट्रों में केंद्रीयकरण—विदेशों में केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, अतः भारत में भी रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक समझा गया । इंग्लैंड जैसे देश ने, जहाँ निजी साहम को अधिक महत्त्व दिया जाता है, अपने केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया तो भारत जहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था का प्रारंभ ही हुआ था वहाँ रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करके सरकार को मुद्रा नियमन संबंधी अधिकार दिए जाने चाहिए ।

विषय में तर्क—रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के विषय में निम्न तक दिए जा सकते हैं—

(i) राजनैतिक प्रभाव—राजनैतिक प्रभाव के अभाव में ही रिजर्व बैंक सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है परंतु राष्ट्रीयकरण में राजनैतिक प्रभाव पड़ने की संभावनाएँ अधिक बढ़ जाती हैं ।

(ii) नीकरसाही तथा सालफीतासाही—राष्ट्रीयकरण से नीकरसाही एवं लालफीताशाही की बुराइयों के घाने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, जिससे प्रबध व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं ।

(iii) जनता के धन की बर्बादी—राष्ट्रीयकरण करने से जनता का धन बर्बाद होगा तथा जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा जा सकेगा ।

(iv) तकनीकी योग्यता का अभाव—केंद्रीय बैंक तकनीकी संस्था है परंतु राष्ट्रीयकरण होने से उसके संचालन में विशेष योग्यता वाले व्यक्ति प्राप्त नहीं हो सकेंगे व इनका कार्य सुचारु रूप से संपन्न नहीं हो सकेगा ।

(v) स्वतंत्रता की समाप्ति—राष्ट्रीयकरण करने से रिजर्व बैंक अपने कार्यों को स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर सकेगा क्योंकि कार्यों पर सरकार का नियंत्रण रहेगा तथा उस पर राजनीतिक प्रभाव अधिक पड़ेगा ।

(vi) औद्योगिक नीति के विरुद्ध—रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करना सरकार की औद्योगिक नीति के विरुद्ध था ।

राष्ट्रीयकरण के पक्ष में अधिक तर्क होने से 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । भारत सरकार ने 1948 में रिजर्व बैंक अधिनियम पास कर दिया और 1 जनवरी, 1949 से बैंक पर पूर्णतः सरकारी अधिकार हो गया । बैंक के प्रत्येक अंश के बदले में 100 रु० मूल्य के स्थान पर 118 रु० 10 पाने हर्जाने देने का निश्चय किया गया ।

### रिजर्व बैंक की वर्तमान स्थिति

रिजर्व बैंक की वर्तमान स्थिति में निम्न को सम्मिलित किया जाता है—

(1) पूंजी व्यवस्था—इस बैंक की पूंजी 5 करोड़ रुपए है जो 100-100 रुपए के 5 लाख अंशों में विभाजित है । 1935 में इस बैंक ने एक अंशधारी बैंक के रूप में कार्य प्रारंभ किया था और उसकी संचालन शक्ति कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में ही केंद्रित थी जिससे 1940 में यह नियम बताया गया कि कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपए से अधिक के अंश अपने नाम में नहीं रख सकेगा । 5 अंशों पर 1 वोट देने का अधिकार था । राष्ट्रीयकरण के पदचालन समस्त अंशों को सरकार ने 100 रुपए के अंश को 118 रुपए 62 पैसे में क्रय कर लिया । इस समय सभी अंश केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं ।

(2) प्रबंध व्यवस्था—रिजर्व बैंक का प्रबंध 15 सदस्यों वाली केंद्रीय संचालक समिति द्वारा किया जाता है । इसकी प्रबध व्यवस्था में निम्न व्यक्ति होते हैं—

(i) गवर्नर व उप-गवर्नर—रिजर्व बैंक में 1 गवर्नर तथा 3 उप-गवर्नर होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है । यह समस्त वेतन प्राप्त कर्मचारी होते हैं जिन्हा वेतन केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

(ii) संचालक—केंद्रीय बोर्ड में 6 संचालक केंद्रीय सरकार द्वारा 4 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं जो बायी-बायी से नियुक्त होते रहते हैं ।

(iii) बोर्डों के संचालक—रिजर्व बैंक के 4 बोर्डों के लिए केंद्रीय बोर्ड से 4 संचालक 5 वर्ष की अवधि

के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

(iv) सरकारी कर्मचारी—केंद्रीय बोर्ड में केंद्रीय सरकार द्वारा एक सरकारी कर्मचारी भी मनोनीत किया जाता है जो सरकार की इच्छानुसार अवधि तक कार्य करता है, परंतु उसे मतदान का कोई अधिकार नहीं होता।

(3) केंद्रीय बोर्ड—इस बोर्ड में 1 वर्ष में कम से कम 6 तथा तीन माह में कम से कम 1 बैठक होना अनिवार्य है। रिजर्व बैंक का गवर्नर इस बोर्ड की बैठक को बुलाने का प्रायोजन कर सकता है। इसी प्रकार तीन संचालक भी गवर्नर से बैठक के लिए निवेदन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के 4 स्थानीय बोर्ड बंबई, कलकत्ता, मद्रास व दिल्ली में हैं, जिसमें 5 सदस्य होते हैं, और इनकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। ये बोर्ड केंद्रीय बोर्ड द्वारा सौंपे गए कार्यों को करते हैं। रिजर्व बैंक का गवर्नर बैंक का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसकी सहायता के लिए उप-गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं।

संचालक मंडल के सदस्यों की प्रयोग्यताएं—निम्नलिखित ध्यक्तियों को संचालक मंडल के सदस्य के रूप में प्रयोग्य माना जाता है—

(i) जो कभी दिवालिया घोषित किए जा चुके हैं।

(ii) जो किसी व्यापारिक एवं निजी बैंक के संचालक हैं।

(iii) जो सरकारी वेतनभोगी अधिकारीगण हैं।

(iv) जो पागल या अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति हैं।

(4) रिजर्व बैंक का कार्यालय (Office of Reserve Bank)—रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय बम्बई में है और उसने अपने कार्यों को संतोषप्रद ढंग से पूर्ण करने के लिए कलकत्ता, नई दिल्ली, कानपुर, नागपुर, बम्बई, बसलौर एवं मद्रास में स्थानीय कार्यालय भी स्थापित किए हैं। रिजर्व बैंक अपनी शाखाएं कहीं भी खोल सकता है, परंतु इसके लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक के कार्यालय नहीं हैं वहां पर एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद तथा बैंक ऑफ मैसूर आदि कार्य करते हैं। इस बैंक के बैंकिंग विभाग की एक शाखा लंदन में भी खोली गई है। इस बैंक के नियंत्रण विभाग चार स्थानों नई दिल्ली, कलकत्ता, कानपुर एवं मद्रास में हैं।

(5) प्रशासनिक विभाग (Administrative Department)—रिजर्व बैंक की प्रशासन व्यवस्था ठीक ढंग से चलाने के लिए कई विभाग स्थापित किए गए हैं, जिनमें से मुख्य विभाग निम्नलिखित हैं—

(i) बैंकिंग विभाग—इसकी स्थापना 1 जुलाई 1935 को हुई। यह विभाग एक ओर तो सरकारी कार्य करता है तथा दूसरी ओर बैंकों का धन अपने पास जमा करता है तथा उन्हें आवश्यकतानुसार धन देकर समाशोधन गृह का कार्य करता है।

(ii) विनिमय नियंत्रण विभाग—इसकी स्थापना सितंबर 1939 में हुई। विनिमय नियंत्रण के लिए 1947 में विनिमय नियमन अधिनियम पारित किया गया।

(iii) औद्योगिक वित्त विभाग—सितंबर 1957 में इसकी स्थापना की गई जो छोटे, मध्यम उद्योगों एवं राज्य वित्त नियम को वित्तीय व्यवस्था करता है।

(iv) बैंकिंग विभाग—इसकी स्थापना 1951 में की गई। यह विभाग बैंकिंग कंपनी अधिनियम, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम आदि की धाराओं को समय-समय पर जारी करता है।

(v) गैर-बैंकिंग कंपनियों का विभाग—जनता से जमा प्राप्त करने वाली कंपनियों के कार्यों के अध्ययन एवं नियंत्रण के लिए इस विभाग की स्थापना की गई है।

(vi) धार्मिक विभाग—यह विभाग देश की विभिन्न धार्मिक समस्याओं का अध्ययन करता है।

(vii) अनुसंधान एवं सत्रक विभाग—इस विभाग का मुख्य कार्य साख, मुद्रा, वित्त आदि समस्याओं का अध्ययन एवं अनुसंधान करके सदस्यित आंकड़ों को एकत्रित एवं प्रकाशित करना है तथा रिजर्व बैंक को नीतियों के निर्धारण में सहायता करता है।

(viii) बैंकिंग कार्यवाही एवं विकास विभाग—1964 में बैंकिंग विकास एवं बैंकिंग कार्यवाही विभाग को

मिनाकर बैंकिंग कार्यवाही एवं विकास विभाग बनाया गया जो दो कार्य करता है—(अ) बैंकों का गणन-समय पर निरीक्षण करके बैंकों द्वारा भिन्न गण विवरणों की जाच करता है तथा धूरी में वृद्धि एवं एकीकरण के संबंध में नियंत्रण करता है तथा बैंकों के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सुझाव प्रस्तुत करता है। (ब) यह विभाग प्राचीन वचनों को प्रोत्साहित करके गाल-गुविघार्यों में वृद्धि करता है तथा व्यापारिक बैंकों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है।

(ix) कृषि साक्ष विभाग—प्रारंभ 1935 में इस विभाग की स्थापना की गई। यह विभाग कृषि साक्ष समस्याओं का अध्ययन करता है तथा राज्य सहायकारी बैंकों से समन्वय स्थापित करता है।

(x) नोट नियंत्रण विभाग—यह विभाग नासिक में स्थित इंडिया मिक्सुरिटी प्रेस (India Security Press) से नोट प्रकाशित करके सरकारी मजानों को वितरण के लिए भेजता है तथा उसका पूर्ण हित्वाव रखता है। इस विभाग की शाखाएँ कलकता, बम्बई, नई दिल्ली, बंगलौर, नागपुर, कानपुर एवं मद्रास में हैं।

### रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य (Functions of Reserve Bank of India)

रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसके कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

रिजर्व बैंक के कार्यों को निम्न षार्ट द्वारा भी दिया जा सकता है—

#### रिजर्व बैंक के कार्य

#### (I) नियमन एवं नियंत्रण संबंधी कार्य

#### (II) प्राथिक विकास संबंधी कार्य

#### प्राथिक विकास करना

#### प्राथिक स्थिरता का प्रवर्धन करना

#### (अ) साधारण बैंकिंग के कार्य

#### (ब) केंद्रीय बैंक के कार्य

1. निश्चित दरों पर ऋण विभ्रय करना।
2. ऋण देना।
3. अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में गाठा खोलना।
4. ऋण लेना।
5. कृषि जिलों का ऋण-विभ्रय।
6. जमा पर रक्षा प्राप्त करना।
7. मौख ड्राफ्ट जारी करना।
8. विदेशी प्रतिभूतियों का ऋण-विभ्रय।
9. अन्य कार्य।

1. नोटों का नियंत्रण करना।
2. बैंकों का बैंक।
3. सरकारी बैंकर।
4. विनिमय दर का स्थायीकरण।
5. साख का नियमन।
6. अन्य कार्य।

#### (1) नियमन एवं नियंत्रण संबंधी कार्य

(अ) साधारण बैंकिंग के कार्य (General Banking Functions)—रिजर्व बैंक के साधारण बैंकिंग के कार्यों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) निविचन दरों पर क्रय-विक्रय करना—रिजर्व बैंक समय-समय पर निश्चित दरों पर भारत में भुगतान किए जाने वाले 90 दिवस की अवधि के व्यापारिक एवं वाणिज्यिक बिलों का क्रय-विक्रय करता एवं उन्हें धुनाता है। इसी प्रकार इंग्लैंड में 90 दिन में भुगतान होने वाले विनिमय बिलों को भी धुनाता एवं क्रय-विक्रय करता है।

(2) ऋण देना—रिजर्व बैंक भी वित्तीय एवं राज्य सरकारों को 90 दिवस में भुगतान होने वाले ऋण देता है जो कि स्वीडृत प्रतिभूतियों, स्वर्ण, चांदी या वचन-पत्रों आदि की जमानत पर दिए जाते हैं।

(3) अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में खाता खोलना—रिजर्व बैंक विदेशी के केंद्रीय बैंक में अपनी खाता खोलता है तथा एजेंसियों के रूप में संबंध स्थापित करता है।

(4) ऋण लेना—रिजर्व बैंक किसी भी बैंक से 1 महीने की अवधि के लिए अपनी हिस्सा पूंजी के बराबर ऋण ले सकता है।

(5) कृषि बिलों का क्रय-विक्रय—रिजर्व बैंक भारत में भुगतान होने वाले 15 माह की अवधि के कृषि संबंधी बिलों का क्रय-विक्रय करता एवं उन्हें धुनाता है।

(6) जमा पर रचना प्राप्त करना—रिजर्व बैंक बिना व्याज के सरकार या जनता से जमा पर रचना प्राप्त कर सकता है।

(7) मांग ड्राफ्ट जारी करना—रिजर्व बैंक अपने ही कार्यालयों पर मांग ड्राफ्ट जारी कर सकता है।

(8) विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय—रिजर्व बैंक भारत के बाहर अन्य देशों की उन प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय कर सकता है जिनका भुगतान क्रय करने की तिथि से 10 वर्षों के अंदर हो जाता है।

(9) अन्य कार्य—रिजर्व बैंक अपनी रक्षा में हीरे, जवाहरात एवं प्रतिभूतियों रख सकता है, स्वर्ण एवं चांदी के सिक्कों का क्रय-विक्रय कर सकता है, केंद्रीय एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय कर सकता है तथा 1 लाख रुपए तक की स्टॉक का बैंक से क्रय-विक्रय कर सकता है।

(ब) केंद्रीय बैंक के कार्य—ये कार्य निम्न हैं—

(1) नोटों का निर्गमन करना (Issue of Notes)—इस संबंध में रिजर्व बैंक निम्न कार्य करता है—

(i) एकाधिकार—रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन करने का एकाधिकार प्राप्त है। इसके लिए रिजर्व बैंक ने पृथक् से एक नोट निर्गमन विभाग की स्थापना की है। इस विभाग का विवरण पृथक् से रखा जाता है। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 24 के अनुसार 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 तथा 10,000 रुपए के नोट निर्गमित कर सकता है।

(ii) सुरक्षित कोष व्यवस्था—नोटों का निर्गमन एक सुरक्षित कोष के आधार पर किया जाता है जिसमें स्वर्ण, प्रतिभूतियां तथा स्वीडृत विनिमय बिलों को सम्मिलित किया जाता है।

(iii) धानुपातिक कोष प्रणाली—1956 तक चलन के पीछे 40% भाग स्वर्ण में तथा 60% भाग प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाता था।

(iv) न्यूनतम कोष प्रणाली—1956 में अधिनियम में संशोधन किया गया और धानुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली पद्धति को अपनाया गया। इन नवीन व्यवस्था के अंतर्गत कम से कम 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां तथा 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण रखने की व्यवस्था की गई। स्वर्ण का मूल्य 62.50 प्रति तोला के हिसाब से मूल्यांकित किया गया था।

(v) नवीन संशोधित व्यवस्था—31 अक्टूबर, 1957 को अधिनियम में नवीन संशोधन किया गया, जिसके अनुसार नोट निर्गमन विभाग द्वारा रखे जाने वाले कोष की मात्रा 200 करोड़ रुपए की दर गई, जिसमें से कम से कम 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण होना आवश्यक था। इस प्रकार विदेशी प्रतिभूतियों की मात्रा घटकर 85 करोड़ रुपए कर दी गई। इनके चलन व्यवस्था अधिक मोबदार हो गई है।

(vi) चलन तिबोरियां (Currency Chests)—मुद्रा की समुचित मात्रा चलन में लाने के लिए रिजर्व बैंक के निर्गमन विभाग के 10 कार्यालय (बंगलौर, बंबई, बाइकत (बंबई), कन्नूर, कानपुर, हैदराबाद, मद्रास, नागपुर, पटना तथा नया-दिल्ली) तथा 1 उप-कार्यालय गौहाटी में हैं। इनके अतिरिक्त देश-भर में लगभग 2000 स्थानों

पर रिजर्व बैंक की तिजोरिया रनी रहती हैं जिनमें नोट रहते हैं। ये तिजोरियां स्टेट बैंक तथा अन्य सहायक बैंकों की प्रमुख शाखाओं में रनी रहती हैं। व्यापारिक बैंकों की साख की आवश्यकता रिजर्व बैंक की तिजोरी से पूरी हो जाती है।

(2) बैंकों का बैंक (Banker's Bank)—रिजर्व बैंक संकट के समय प्राधिक सहायता प्रदान करता है तथा बैंकों का नियमन करता है। इस संबंध में रिजर्व बैंक निम्न कार्य करता है—

(i) साख नीति का नियमन—रिजर्व बैंक बैंक-दर या खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा बैंकों की साख नीति का नियमन एवं नियंत्रण करता है।

(ii) बैंकों का पय-प्रदर्शन—वैकिक कंपनी अधिनियम ने रिजर्व बैंक को नियंत्रण संबंधी व्यापक अधिकार दे दिए हैं जिससे यह बैंकों के पय-प्रदर्शन का कार्य करता है।

(iii) अंतिम श्रणदाता—प्रत्येक अनुमूचित बैंक को अपनी मांग दायित्व का 5% व काल दायित्व का 20% भाग नकद रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता था। 1949 में अधिनियम में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि बैंकों को रिजर्व बैंक के पास चालू खाते खोलकर नकद कोप रखने होंगे। सप्टम्बर 1956 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि बैंकों द्वारा मांग दायित्व का 20% तथा काल दायित्व का 80% भाग तक नकद कोप में जमा किया जा सकता है। सितंबर 1962 में संशोधन के आधार पर यह निश्चित किया गया कि बैंकों को कुल मांग दायित्व व काल दायित्व का केवल 30% भाग ही जमा करना होगा जिसे रिजर्व बैंक द्वारा 15% तक बढ़ाया जा सकता है। रिजर्व बैंक बैंकों को धार्मिक संकट के समय धार्मिक सहायता प्रदान कर सकता है।

(3) सरकारी बैंकर (Banker to the Governments)—रिजर्व बैंक केंद्रीय व राज्य सरकारों के समस्त बैंक संबंधी कार्यों को संभाल करता है जो कि निम्नलिखित हैं—

(i) सरकारी ऋणों का प्रबंध करना—रिजर्व बैंक सरकारी ऋणों का प्रबंध करके उनका हिसाब-किताब रखता है। बैंक सरकार को 90 दिवस का मत्पकालीन ऋण प्रदान करता है।

(ii) धार्मिक सलाहकार—रिजर्व बैंक सरकार को साख, मुद्रा एवं अन्य समस्याओं के संबंध में समय-समय पर धार्मिक सलाह देता है। धार्मिक नीति के निर्माण में भी सरकार को सहायता प्रदान करता है।

(iii) सरकारी धन प्राप्त करना—रिजर्व बैंक सरकार की ओर से धन प्राप्त करता है तथा उसे भुगतान धार्मिक में प्रयोग करता है। सरकार का वार्षिक लेन-देन 140 करोड़ रुपये का होता है। इनमें राशि का लेन-देन करने तथा समय-समय पर उसका हिसाब सरकार को भेजने में भारी धम एवं कुशलता की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए बंबयोर, बंबई, बलकत्ता, मद्रास, कानपुर, नागपुर, नयी-दिल्ली एवं पटना में बैंक के सार्वजनिक लेखा विभाग हैं तथा रोप खानों पर स्टेट बैंक ही रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। समस्त लेन-देन योजनागत नियमों के आधार पर किए जाते हैं।

(iv) विदेशी विनियम की व्यवस्था—रिजर्व बैंक विदेशी विनियम की व्यवस्था करता है तथा धन के हस्तांतरण में सहायता देता है। सरकारी साधारण कार्यों के बदले उसे प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है।

(v) प्रतिभूतियों का श्रय-विश्रय—रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का श्रय-विश्रय करता एवं धन का हस्तांतरण करता है।

(vi) ऋण देना—आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक सरकार को समय-समय पर ऋण देने का प्रबंध करता है।

(vii) विदेशी सरकार का ओर से कार्य—रिजर्व बैंक विदेशी सरकार की ओर से भी कार्य करता है।

(4) विनियम दर की स्थायीकरण (Stability of Exchange Rate)—रिजर्व बैंक द्वारा विनियम दर को स्थायी रखने के प्रयाग किए जाते हैं। इसके लिए समय-समय पर निश्चित दरों पर विदेशी विनियम का श्रय-विश्रय किया जाता है तथा 1939 में विनियम नियंत्रण विभाग एवं 1947 में विदेशी विनियम निष्पन्न अधिनियम धार्मिक किए गए। अप्रैल 1947 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप का सदस्य बनने से पहले स्टैबिलिटी ऑफ एक्चेंज रेटिफिकेशन अधिनियम तब बंधन में लाया था जो 1949 में संशोधन करने पर

यह मूल्य 186 ग्राम हो गया और 1966 के अवसूच्यन के पश्चात् यह घटकर 118 ग्राम स्वर्ण हो गया। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय निश्चित दरों पर करता है।

(5) साख्त नियमन (Control of Credit)—साख्त देश की प्रयत्नव्यवस्था का प्रमुख साधन होने से उस पर समुचित नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। रिजर्व बैंक की साख्त के नियमन संबंधी निम्नलिखित प्रमुख प्राधिकार प्राप्त हैं—(i) बैंक दर में परिवर्तन करना, (ii) नकद कोष धनपत्र में परिवर्तन करना, (iii) खुले बाजार की क्रियाएं करना, (iv) मुद्रा व साख्त संबंधी प्रावण्डे एकत्रित करना, (v) जनता से प्रत्यक्ष व्यवहार करना, (vi) बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही करना एवं (vii) समझाने, बुझाने की रीति प्रपनाना।

(6) अन्य कार्य—रिजर्व बैंक के अन्य कार्यों में निम्न को सम्मिलित किया जा सकता है—

(i) कृषि वित्त व्यवस्था—कृषि साख्त की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से कृषि साख्त विभाग में विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है। यह विभाग सहकारी बैंकों को परामर्श भी देता है तथा कलकत्ता, बंबई, नयी दिल्ली एवं मद्रास में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यह विभाग 1956 से गोदावरी की भी व्यवस्था करता है।

(ii) समक एकत्रित व प्रकाशित करना—रिजर्व बैंक, साख्त, बैंकिंग, मुद्रा व वित्त संबंधी समक एकत्रित करके वार्षिक रिपोर्ट के रूप में उन्हें प्रकाशित भी करता है तथा आवश्यक धनमधान कार्यों को करता है।

(iii) साख्त नियंत्रण—रिजर्व बैंक साख्त नियमन विधियों द्वारा साख्त नियंत्रण का कार्य करता है तथा प्रावण्डकतानुसार साख्त प्रसार या संकुचन करता है।

(iv) समाशोधन गृह—रिजर्व बैंक समाशोधन गृह की सुविधाएं प्रदान करता है जिससे रुपये का हस्तांतरण काफ़ी सुविधाजनक बन गया है। रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् समाशोधन गृहों की संख्या 4 से बढ़कर 160 हो गयी है, इनमें से बंगलौर, बंबई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, नागपुर एवं नयी दिल्ली के समाशोधन गृहों की व्यवस्था रिजर्व बैंक करता है। शेष की व्यवस्था स्टेट बैंक व उसके सहायक बैंक करते हैं।

(v) औद्योगिक वित्त—रिजर्व बैंक उद्योगों के विकास एवं समस्याओं का अध्ययन करके औद्योगिक वित्त प्रदान करता है।

(vi) बैंकिंग शिक्षा—रिजर्व बैंक देश में बैंकिंग शिक्षा की समुचित व्यवस्था करता है।

(vii) मुद्रा परिवर्तन—रिजर्व बैंक बड़े नोटों के बदले छोटी-छोटी इकाई की मुद्रा को परिवर्तित करने के कार्य भी करता है।

## (II) वार्षिक विकास संबंधी कार्य

(1) वार्षिक विकास करना—रिजर्व बैंक ने देश के वार्षिक विकास के लिए निम्न कार्य किया है—

(i) बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार—साधनों के अभाव एवं व्याज की ऊँची दर के कारण रिजर्व बैंक अनावश्यक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने में प्रयत्नशील रहता है। इसके लिए एक पृथक् बैंकिंग विकास विभाग खोला गया है।

(ii) रिजर्व बैंक एवं कृषि साख्त—रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों एवं समितियों द्वारा कृषि कार्यों के लिए दीर्घ, मध्य एवं अल्पकालीन वित्त उपलब्ध कराने में सहायता की है। इसके लिए देश में राष्ट्रीय कृषि साख्त (दीर्घकालीन) कोष तथा राष्ट्रीय कृषि साख्त (स्थापित) कोष की स्थापना की गयी है। इन कोषों की स्थापना फरवरी 1956 में की गयी। 15 वर्षों में रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली कृषि-साख्त की वार्षिक राशि 45 गुनी बढ़ गयी है। रिजर्व बैंक भूमि-बंधन बैंकों के द्वारा ऋण-पत्र खरीदता है और उनकी बरीहूर पर ऋण भी देता है। 1957 में एक प्राचीन-ऋण-पत्र योजना भी प्रारंभ की गयी।

(2) वार्षिक स्थिरता का प्रवर्तन करना—पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में रिजर्व बैंक दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है—

(i) वार्षिक विकास हेतु आवश्यक वित्त प्रदान करना।

समय-समय पर बैंक दरों में जो परिवर्तन किए हैं वे निम्न प्रकार हैं—

1975	8%
8 जनवरी, 1971	5% से बढ़ाकर 6%
2 मार्च, 1968	4½% से बढ़ाकर 5½%
17 फरवरी, 1965	6% से घटाकर 5%
26 सितंबर, 1964	4½% से बढ़ाकर 5%
3 जनवरी, 1963	4% से बढ़ाकर 4½%
16 मई, 1957	3½% से बढ़ाकर 4%
15 नवंबर, 1951	3% से बढ़ाकर 3½%

त्रिभोपताएं—भारत में बैंक दर की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार रही हैं—

(1) 1935-51 तक का काल—1 अप्रैल 1935, को बैंक दर 3½% थी जो नवंबर 1935 में घटाकर 3% कर दी गई और 15 नवंबर, 1951 को फिर से बढ़ाकर 3½% कर दी गई। इस अवधि में भारतीय बैंकों ने साख सुविधाओं का बहुत कम लाभ उठाया जिसके प्रमुख कारण निम्न हैं—

(अ) ट्रेजरी पत्रों का अधिक प्रयोग—बैंकों ने तरलता एवं परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए विलों की अपेक्षा ट्रेजरी पत्रों का अधिक उपयोग किया।

(ब) इच्छा में कमी—इस काल में बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से ऋण लेने की इच्छा में कमी रही।

(स) आर्थिक स्थिति में सुधार—युद्धोत्तर काल के प्रारंभिक वर्षों में बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार रहा जिससे बड़े की सुविधाओं को कम प्रयोग किया गया।

(द) सरकारी प्रतिभूतियों का संवय—इस काल में बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में काफी मात्रा में संवय एवं विनियोग किया, जिससे साख सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया जा सका।

(ii) 1951-57 तक का काल—15 नवंबर, 1951 को बैंक दर बढ़ाकर 3½% कर दी गई तथा रिजर्व बैंक द्वारा यह घोषणा की गई कि वह बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां नहीं खरीदेगा, फलस्वरूप बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों में भारी कमी हो गई। इस काल में बैंक दर नीति काफी प्रभावशाली रही।

(iii) 1957 के बाद का काल—मुद्रा स्फीति की दशाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बैंक दर में परिवर्तन हुए। 15 मई, 1957 को बैंक दर 3½%; बढ़ाकर 4% से 2 जनवरी, 1963 को 4%; बढ़ाकर 4½% से 25 सितंबर को इसे बढ़ाकर 5% तथा 17 फरवरी, 1965 को बढ़ाकर 6% कर दिया गया। इससे देश में धन का संवय बढ़ा तथा दूसरी ओर विदेशी पूंजी के आयात को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार यह 10-15 वर्षों से बैंक दर की नीति साख नियंत्रण करने में सफल हुई है।

(2) नकद कोष में परिवर्तन (Change in Cash Reserves)—रिजर्व बैंक को सदस्य बैंकों में नकद कोषों में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। प्रत्येक बैंक को अपनी मांग दायित्व का 5% व काल दायित्व का 2% नकद कोष रिजर्व बैंक में जमा करना होता है। 1949 में बैंकिंग कंपनी अधिनियम में परिवर्तन करके रिजर्व बैंक के पास चालू खाते खोलने का अधिकार दिया गया। बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में नकद कोष होने से रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष में परिवर्तन करने से साख नियंत्रण की नीति अधिक प्रभावशाली न हो सके। अतः इस कोष को दूर करने के उद्देश्य से 1956 में रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करके काल दायित्व का प्रतिशत 2% से बढ़ाकर 8% तथा मांग दायित्व का प्रतिशत 5% से बढ़ाकर 20% तक कर सकता था। सितंबर 1962 में अधिनियम में संशोधन करके यह परिवर्तन किया गया कि बैंकों को मांग दायित्व व काल दायित्व का केवल 3% भाग ही जमा करना होगा जिसे 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 1956 के संशोधन अधिनियम में रिजर्व बैंक को प्रतिरिक्त धन जमा करने के अधिकार दिए गए। इस प्रकार नकद कोष में परिवर्तन करके साख का नियंत्रण किया जाता है।



(3) चुना साख नियंत्रण (Selective Credit Control)—साख का नियंत्रण विविष्ट कार्यों के लिए करते पर उद्ये चूना साख नियंत्रण कहते हैं। एक प्रतिक्रमिण राष्ट्र मे नियंत्रण का उद्देश्य आवश्यक कार्यों को प्रोत्साहित करता है। रिजर्व बैंक देशहित मे बैंकों की ऋण नीति को निर्धारित कर सकता है। प्रतः रिजर्व बैंक बैंकों को यह भावेस दे सकता है कि निश्चित कार्यों के लिए ही ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। 1956 मे साख वृद्धि होने से सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिला तथा मूल्य स्तर में वृद्धि हुई। प्रतः साख पर नियंत्रण इस उद्देश्य से लगाया गया कि सट्टे के व्यवहारों को रोका जा सके तथा देश का धार्मिक विकास समव किया जा सके।

(4) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)—इसमे रिजर्व बैंक द्वारा साख की मात्रा को नियंत्रित करने के उद्देश्य से खुले बाजार की नीति का पालन किया जाता है जिसमे रिजर्व बैंक द्वारा खुले तौर पर प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री की जाती है। द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व यह क्रियाएँ मर्याद सीमित मात्रा मे की जाती थी। युद्धकाल मे इन क्रियाओं द्वारा विनियोग सीमित रखा गया, परंतु युद्ध समाप्त होते ही इन क्रियाओं द्वारा विनियोग की मात्रा मे वृद्धि हो गई। 1951 मे रिजर्व बैंक ने यह घोषणा की कि वह सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय नहीं करेगा, जिससे बैंक दर नीति अधिक प्रभावशाली हो गई तथा साख के नियंत्रण करने मे अधिक क्षमता मिली। प्रथम योजनाकाल मे रिजर्व बैंक ने 150 करोड़ रुपये का विनियोजन किया। 1957 से प्रतिभूतियों का विक्रय अधिक बढ़ा जिससे बैंकों की तरलता मे कमी हो गई। इस प्रकार साख कम करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियाँ बेची जाती हैं तथा साख में वृद्धि करने के लिए प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है तथा बैंकों को अधिक मात्रा मे घन दिया जाता है, परिणामस्वरूप साख का विस्तार हो जाता है। यह नीति काफी सफल रही।

रिजर्व बैंक को धारा 17 (8) के अनुसार रिजर्व बैंक को खुले बाजार की क्रियाओं के लिए निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं—

- (i) साख रुपये से कम मूल्य के विदेशी विनिमय का ऋण-विक्रय रिजर्व बैंक कर सकता है।
- (ii) रिजर्व बैंक केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी भी मर्याद की प्रतिभूतियों का ऋण-विक्रय कर सकता है।
- (iii) रिजर्व बैंक ऐसे व्यापारिक बिलों की खरीद, बेच या चुना सकता है जिन पर कम से कम दो प्रतिशत हस्ताक्षर हो। इनकी मर्याद 90 दिन व कुल संबंधी बिलों की मर्याद 15 माह तक हो सकती है।

(5) तरलता अनुपात में परिवर्तन (Change in Liquidity Ratio)—रिजर्व बैंक देश के अनुसूचित बैंकों को एक न्यूनतम तरलता अनुपात बनाए रखने के भावेस देता है जो कि कम से कम 25% होना चाहिए। परंतु भारत मे बैंकिंग कर्पनिया प्रारंभ से ही इससे भी अधिक मात्रा मे तरलता अनुपात रखे हुए हैं। इस प्रकार रिजर्व बैंक ने बैंकों के तरलता अनुपात में परिवर्तन करके उन्हें बैंकिंग सिद्धांत के आधार पर मुदद ही नहीं बनाया, बल्कि देश मे साख की मात्रा का उचित ढंग से नियंत्रण एवं नियंत्रण भी किया है।

(6) नैतिक प्रभाव (Moral Suasion)—रिजर्व बैंक प्रत्य मे नैतिक प्रभाव की नीति का पालन करके साख की मात्रा को नियंत्रित करने मे सफल हो जाता है। इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक द्वारा दो बैंकों की सभाएँ बुलाई जाती हैं तथा बैंकों मे साख की मात्रा को कम करने के लिए नैतिक दबाव डाला जाता है। इस प्रकार के प्रत्येक उदाहरण सामने आए हैं, जबकि रिजर्व बैंक ने इस विधि द्वारा साख का नियंत्रण एवं नियंत्रण किया है।

### गुणात्मक साख नियंत्रण

उच्च केंद्रीय बैंक कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मर्याद बैंकों को साख प्रदान करने के भावेस देना है तो ऐसे साख नियंत्रण को गुणात्मक साख नियंत्रण कहा जाता है। रिजर्व बैंक को देश के अन्य बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की मात्रा, उद्देश्य व ढंग को निर्धारित करने का अधिकार है। गुणात्मक साख नियंत्रण के संबंध में रिजर्व बैंक की निम्न क्रियाएँ रही हैं—

(1) अनुमति की आवश्यकता—ऋण की सीमा बाधने पर उच्च निश्चित सीमा से अधिक ऋण देने पर रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी। उदाहरणार्थ खाद्यान्न की अभाव पर ऋण देने से पूर्व रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त

करना आवश्यक था।


(ii) मूल्यांतर निश्चित करना—गुणात्मक साख नियंत्रण का प्रयोग 1956 में किया गया। 17 मई, 1956 को रिजर्व बैंक ने अनुमूचित बैंकों को यह आदेश दिए कि किसी भी संस्था को 50 हजार रुपए से अधिक राशि उधार न दी जाए और इनकी जमानत के माजिन को 10% बढ़ा दिए जाएं। 1963 में चीनी की जमानत पर दिए गए ऋण पर 45% माजिन लगा दिया गया। वनस्पति धी के विरुद्ध अग्रिम देने के लिए माजिन 50% कर दिया।

(iii) ऋण पर प्रतिबंध—रिजर्व बैंक ने 1946, 1957 व 1958 में व्यापारिक बैंकों को अंशों की जमानत पर ऋण न देने के आदेश दिए। 11 मार्च, 1960 को कंपनी के अंशों की जमानत पर दिए जाने वाले ऋण पर 50% माजिन निश्चित किया गया।

अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ने अपनी साख नीति में धीर सुविधाएं प्रदान की हैं। व्यापारिक बैंक अब खाद्य निगम तथा अन्य राज्य एजेंसियों के साखान की मात्रा के 80% तक रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस घोषणा से निरांत हेतु अग्रिम राशि एवं कृषि के लिए प्रत्यक्ष ऋण व्यवस्था के अतिरिक्त समस्त पुनर्वित्त सुविधाओं को वापस ले लिया गया है। यह सुविधा इसलिए प्रदान की गई है कि साखान की वित्त व्यवस्था के लिए स्टेट बैंक 100 करोड़ रुपए से अधिक सहायता देने में असमर्थ था। रिजर्व बैंक द्वारा साखान प्राप्ति संबंधी साख की व्यवस्था अपने ही साधनों से करनी होगी।

रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा व साख नियंत्रण को निम्न चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है—

### रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा व साख का नियंत्रण



### अप्रभावी साख नियंत्रण नीति

#### (Ineffective Credit Control Policy)

भारत में रिजर्व बैंक साख नियंत्रण नीति में बहुत सफल नहीं हो पाया है, जिसके प्रमुख कारण निम्न हैं—

(1) संगठित मुद्रा एवं बिल बाजार का अभाव—भारत में मुद्रा बाजार का संगठित ढोपपूर्ण है जिससे विभिन्न अंशों में संपर्क का अभाव पाया जाता है जिससे बैंक दर में परिवर्तन होने पर व्याज दर में परिवर्तन नहीं हो पाता। इसी कारण से प्रभावशाली बैंक दर नीति के लिए संगठित बिल बाजार का होना आवश्यक है जो देश में अविद्यमान अवस्था में है जिससे रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण की क्रियाएं सीमित मात्रा में ही सफल हो सकी हैं।

(2) लोच का अभाव—देश में आर्थिक ढांचा लोचदार होने पर बैंक दर में परिवर्तन होने से व्याज दरों में भी परिवर्तन होना चाहिए। परंतु भारत में व्याज, मूनी एवं मजदूरी पर अनेक नियंत्रण लगाए गए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में लोच का अभाव पाया गया व रिजर्व बैंक की साख नीति सफल नहीं हो पाई।

(3) स्वदेशी बैंकर पर नियंत्रण का अभाव—भारत में बिल की व्यवस्था स्वदेशी बैंकर द्वारा की जाती है, परंतु उन पर रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रख सका है जिससे वे प्राथमिक बैंकिंग व्यवस्था से घृणक रहते हैं। इस प्रकार स्वदेशी बैंकर पर नियंत्रण के अभाव में साख नियंत्रण नीति सफल नहीं हो पाई है।

(4) बैंकों पर नकद कोष की अग्रिकता—मुद्रोत्तर काल में बैंकों पर मुद्रा प्रसार के कारण काफी मात्रा में नकद कोष एकत्रित होने से, वे स्वयं बड़ी मात्रा में साख का निर्माण कर लेते हैं, जिससे रिजर्व बैंक साख नियंत्रण नीति

में सफल नहीं हो पाता ।

(5) घुसे बाजार को सीमित शक्ति—रिजर्व बैंक घुसे बाजार में स्वतंत्र रूप से कार्य न कर सका जिससे साख नियंत्रण नीति प्रथिफ सफल न हो सकी ।

### सफलता के उपाय

साख नियंत्रण नीति को सफल बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने जो उपाय अपनाए हैं, उन्हें निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) नकद कोषों में परिवर्तन—1956 में अधिनियम में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि काल दायित्व का प्रतिशत 2 से बढ़ाकर 8% तक तथा माग दायित्व का प्रतिशत 5 से बढ़ाकर 20% तक कर दिया जाय । इसके प्रतिरिक्त अधिक जमा कोष रखने के भी अधिकार मिलें । 1962 में संशोधन करके माग एव काल दायित्व की सीमा 3% से 15% तक कर दी गई ।

(2) बैंक दर व घुसे बाजार की क्रियाएँ—रिजर्व बैंक ने समय-समय पर बैंक दर में वृद्धि की जो 6% तक हो गई इससे साख की मात्रा में संकुचन हुआ । इसी प्रकार 1951 में यह घोषणा की गई कि रिजर्व बैंक अब सरकारी प्रतिभूतियों का प्रय नहीं करेगा । इससे भी साख की मात्रा में संकुचन हुआ ।

(3) साख सूचना प्राप्त करना—1962 में अधिनियम में संशोधन करके रिजर्व बैंक को यह अधिकार मिला कि वह बैंकों से सूचना प्राप्त करे और इसके लिए साख सूचना विभाग की स्थापना भी की गई है । इस प्रकार की प्राप्त सूचनाएँ उन बैंकों को प्रदान की जाती हैं, जो उन्हें प्राप्त करना चाहें ।

(4) गैर-बैंकिंग संस्थाओं पर नियंत्रण—1963 के संशोधन से रिजर्व बैंक को व्यापारिक बैंकों पर सख्त नियंत्रण रखने एवं गैर-बैंकिंग संस्थाओं से समस्त वित्तीय जानकारी प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं ।

(5) बिल बाजार योजना—मुद्रा एवं साख की मात्रा में अधिक नियंत्रण करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 1952 को रिजर्व बैंक ने बिल बाजार योजना में शुरु उद्यम की ।

(6) घुना साख नियंत्रण नीति—1949 के बैंकिंग कंपनी अधिनियम के प्राधार पर रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए, जिसके प्राधार पर वह ऋणों संबंधी प्रतिबंध लगा सकता है, परंतु इस नीति से भारत को सीमित माना में ही सफलता प्राप्त हुई है ।

(7) इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण—यह बैंक व्यापारिक बैंक की भांति कार्य कर रहा था तथा इसके निजी साधन काफी प्रचुर मात्रा में थे, परंतु इसकी साख नीति रिजर्व बैंक की नीति के प्रतिकूल रहती थी । अतः नीति में एकरूपता लाने के उद्देश्य से इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ।

### रिजर्व बैंक एवं कृषि साख (Reserve Bank and Agriculture Credit)

रिजर्व बैंक ने प्रथक से कृषि साख विभाग की स्थापना की है, जिसका कार्य कृषि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना तथा परामर्श देना है । 1947 तक रिजर्व बैंक ने इस प्रौर विधेय कार्य नहीं किया, परंतु 1949 से इन दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए ।

### सेवाएँ

कृषि वित्त के संबंध में कृषि साख विभाग निम्न सेवाएँ प्रदान करता है—

(i) प्रखिल भारतीय सर्वेक्षा आयोजन—रिजर्व बैंक द्वारा 1951-52 में प्रखिल भारतीय स्तर पर साख सर्वेक्षा का आयोजन किया गया है ।

(ii) सहकारी प्रांशोत्तन से संबंध—यह विभाग सहकारी प्रांशोत्तन से निकट का संबंध रखता है तथा समय-

समय पर अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है।

(iii) तकनीकी सलाह—यह विभाग केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को कृषि साख से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण तकनीकी सलाह प्रदान करता है।

(iv) संपर्क स्थापित करना—इस विभाग के अधिकारी ग्रन्थ विभागों एवं एजेंसियों से संपर्क स्थापित करते हैं।

(v) ऋण संबंधी सामग्री—यह विभाग ऋण संबंधी सामग्री को एकत्रित करके उपचार नियमों पर अपना परामर्श भी देता है।

(vi) बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ—इस विभाग ने कृषि ग्रन्थप्रबंधन से संबंधित पर्याप्त मात्रा में सामग्री एकत्रित करके बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना पर अधिक जोर दिया है।

रिजर्व बैंक की कृषि साख सेवाओं को निम्न चार्ट के रूप में रखा जा सकता है—

### रिजर्व बैंक एवं कृषि साख विभाग की सेवाएं

अखिल भारतीय सर्वे का आयोजन	सहकारी भादोलन से संपर्क	तकनीकी सलाह	संपर्क स्थापित करना	ऋण संबंधी सामग्री	बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ
----------------------------	-------------------------	-------------	---------------------	-------------------	-----------------------------

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वे कमेटी की सिफारिशें

1951 में श्री ए० डी० गोरवाला की अध्यक्षता में ग्रामीण साख का सर्वेक्षण करके सिफारिशें देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वे समिति की नियुक्ति की गई जिसने निम्न सिफारिशें पेश की—

(i) कोषों का निर्माण—साख विस्तार के लिए समिति ने विभिन्न कोषों के निर्माण की सिफारिशें की, जो कि निम्नलिखित हैं—

(अ) राष्ट्रीय कृषि साख स्थायित्व कोष (National Agricultural Credit Stabilisation Fund)—इस कोष का प्रारंभ 1 करोड़ रुपये से प्रारंभ किया गया। इसका प्रयोग राज्य सहकारी बैंकों को मध्यकालीन ऋण देने में किया गया।

(ब) राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष (National Agricultural Credit long-term Operation Fund)—इस कोष का प्रारंभ 10 करोड़ रुपये से किया गया, इसका उपयोग राज्य सरकारों को ऋण देने एवं केंद्रीय भूमि बंधक बैंकों को ऋण देने में किया गया। इस कोष की राशि का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया गया है—

(i) राज्य सरकार की गारंटी पर केंद्रीय भूमि-बंधक बैंकों को 20 वर्ष तक के लिए ऋण देना।

(ii) राज्य की सहकारी साख समितियों के भ्रंश क्रय करने के लिए 20 वर्ष तक के लिए ऋण देना।

(iii) राज्य सहकारी बैंकों को 15 माह से 5 साल तक के लिए ऋण देना।

(iv) राज्य सहकारी बैंकों की गारंटी पर केंद्रीय भूमि बंधक बैंकों के ऋणपत्रों को क्रय करना।

(स) राष्ट्रीय कृषि साख (सहायता एवं गारंटी) कोष (National Agricultural Credit-Relief and Guarantee-Fund)—इस कोष में कृषि एवं खाद्य मंत्रालय प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये देगा जिसका उपयोग सहकारी समितियों के लिए होगा।

(द) राष्ट्रीय गोदाम विकास कोष (National Warehousing Development Fund)—इस कोष का प्रयोग गोदाम नियम की प्रथम पूंजी में भाग लेने एवं वित्तीय सहायता देने में किया जाता है।

(3) कृषि साख कोष—रिजर्व बैंक ने कृषि साख से संबंधित दो कोषों का निर्माण करके सहकारी बैंकिंग के संबंध में पर्याप्त सहायता प्रदान की है।

(4) सहकारी संस्थाओं का निरीक्षण—कृषि साख विभाग समय-समय पर सहकारी संस्थाओं का निरीक्षण करके साख आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है।

(5) हाथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को सहायता—रिजर्व बैंक द्वारा हाथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को बैंक दर से  $1\frac{1}{2}\%$  कम ब्याज दर पर साख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(6) गहन कृषि कार्यक्रम हेतु सहायता—ज्ञादान्न व अन्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गहन कृषि कार्यक्रम बनाए गए हैं तथा इनकी सफलता के लिए रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है। इस क्षेत्र के केंद्रीय सहकारी बैंकों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(7) भूमिबंधक बैंकों को सहायता—रिजर्व बैंक भूमि बंधक बैंकों के ऋण-पत्रों को क्रय करके उन्हें सहायता प्रदान करता है।

(8) पूति सुविधा (Reimbursement Facility)—रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किए गए मध्यकालीन ऋणों के 75% भाग तक पूति कर सकता है जिससे सहकारी बैंकों को साख विस्तार में काफी सहायता प्राप्त होती है।

## सहकारी विकास नीति

### (Cooperative Development Policy)

रिजर्व बैंक की सहकारी विकास नीति को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) कार्य प्रोग्राम (Action Programme)—रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी साख कार्यों के लिए जो ऋण स्वीकृत किया जाता है उनका पूर्णरूप से उपयोग संभव नहीं हो पाता, जिनमें ऋण नीति को सफलतापूर्वक कार्य करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः इन संबंध में अधिकधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से देश में रिजर्व बैंक द्वारा कार्य प्रोग्राम का निर्माण किया गया जिसमें साख को उत्पादन व्यय की आवश्यकताओं से संबंधित कर दिया जाता है। राज्य एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों की ऋण नीति में इस प्रकार परिवर्तन करना होगा, जिससे ऋणों का संबंध फल के उत्पादन व विपणन से किया जा सके।

(2) कृषि साख स्थायीकरण कोष (Agricultural Credit Stabilisation Fund)—भारत में प्रतिवर्ष बाढ़, सूखा व बीमारी आदि से फसलें नष्ट हो जाती हैं और कृषक ऋण वापिस करने में असमर्थता अनुभव करता है, इनसे सहकारी बैंकिंग व्यवस्था भी विगड़ जाती है। इस स्थिति का सामना करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने कृषि साख स्थायीकरण कोष की स्थापना की। इस कोष में राज्य एवं केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अपने वार्षिक लाभ का कम से कम 25% भाग हस्तांतरित कर दिया जाएगा और राज्य सहकारी बैंक आवश्यकता पड़ने पर इस कोष से धन प्राप्त कर सकेंगे।

(3) सहकारी बैंकों पर वैधानिक नियंत्रण (Statutory Control over Cooperative Bank)—कृषि साख की व्यवस्था सहकारी बैंकों से की जाती है अतः रिजर्व बैंक का सहकारी बैंकों पर वैधानिक दृष्टि से नियंत्रण होना आवश्यक है। अतः सन 4 में एक 'बैंकिंग नियम विधेयक 1964' पारित किया गया। इस विधेयक (Bill) में यह व्यवस्था की गई कि 'बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949' का नाम बदल कर 'बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम 1949' कर दिया जाएगा।

(4) कृषि साख निगम (Agricultural Credit Corporation)—कृषि उपज में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों में कृषि साख निगम की स्थापना की अनुभव किया गया। यह निगम केवल उनी समय कार्य करना प्रारंभ करेगा जबकि सहकारी समितियां सुचारु रूप में कार्य करता प्रारंभ नहीं कर देती हैं।

रिजर्व बैंक ने प्रथम बार सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले अधिम की न्यूनतम ऋण दर निर्दिष्ट की है। इनके मूलकनी, तिन्हन एवं अन्य कृषि उत्पादों पर 14% न्यूनतम अधिम राशि निर्धारित की है। सुस्त काल में

के लिए पार्याप्त मात्रा में पूंजी का प्रबंध करना है तथा दूसरी ओर मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करके अधिकाधिक विनियोग के अन्तर्गत प्रदान करने हैं। रिजर्व बैंक ने प्रथम एवं द्वितीय योजनाओं की वित्त-व्यवस्था में सहायता प्रदान करके योजनाओं को सफल बनाने में काफी योगदान दिया। तृतीय एवं चतुर्थ योजना की सफलता के लिए भी आवश्यक मौद्रिक साधनों को जुटाने के प्रयत्न किए जायेंगे। रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित प्रोत्साहन के लिए वार्षिक सहायता देने के प्रयत्न किए जाते हैं। चतुर्थ योजना में निर्मित वृद्धि का लक्ष्य 7% रखा गया परंतु 1969-70 में निर्गत में 4.3% से ही वृद्धि संभव हो सकी। पंचम योजना का निर्गत लक्ष्य 7% रखा गया।

### रिजर्व बैंक का आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Appraisal of Reserve Bank)

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 40 वर्षों से भी अधिक समय में महान सफलताओं एवं अग्रफलताओं का सामना किया है। रिजर्व बैंक की प्रगति, सफलताओं एवं असफलताओं के विवरण को निम्न प्रकार उचित ढंग से रखकर अध्ययन किया जा सकता है—

#### प्रगति एवं सफलताएं

1966 को समाप्त होने वाले गत 15 वर्षों की अवधि में नरकद साक्ष एवं अधिविक्रय की मात्रा में कमी रही, क्योंकि जो मात्र-सीमा स्वीकृत की गई उसका पूर्ण उपयोग संभव न हो सका तथा बैंक मुद्रा का उपयोग काफी बढ़ा। चालू जमा गति 1951 में 38 से बढ़कर 1966 में 45 हो गई, फिर भी कुल साक्ष की मात्रा 1951 में 16.4 के स्थान पर अक्टूबर 1966 में 16.3 हो गई। इस अवधि में बैंकों के जमा में उल्लेखनीय प्रगति हुई जो 1951 में 777 करोड़ रुपये से बढ़कर 1966 में 2,980 करोड़ रुपये हो गई, अर्थात् इसमें 280% से वृद्धि हुई। जमा का डेबिट योग 1951 में 18,227 करोड़ रुपये से बढ़कर 1966 में 40,663 करोड़ रुपये हो गया जिसमें 120% से वृद्धि हुई। इसी प्रकार ऋण, वित्त एवं नरकद साक्ष व अधिविक्रय की मात्रा 1951 में 550 करोड़ रुपये के स्थान पर 1966 में 2,065 करोड़ रुपये हो गई। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में यह 83.8% थी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 2% थी। जमा में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में 1,077% थी। टण्डन समिति की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि बैंकों द्वारा उद्योग व व्यापार को दिए जाने वाले ऋण पर अधिक ब्याज दर वसूल की जाएगी। नरकद साक्ष पर ब्याज दर 10/0 अधिक व अधिविक्रय ऋण पर ब्याज दर 1 1/2% अधिक रहेगी।<sup>1</sup>

1957 में रिजर्व बैंक ने एक पृथक औद्योगिक वित्त विभाग की स्थापना करके उद्योगों को वार्षिक सहायता प्राप्त की। रिजर्व बैंक राज्य वित्त निगमों को ऋण प्रदान करता है। पुनर्वित्त निगम एवं औद्योगिक साक्ष तथा विनियोग आयोग की भी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

अनिवासी (Non-residents) के कोष पर अर्जित ब्याज को राशि को रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना विदेशों को सरलता से भेजा जा सकता है। यह सुविधा विदेशी विनिमय कोषों को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रदान की गई। इससे दो वर्ष पूर्व केंद्रीय सरकार ने ऐसे कोषों पर अर्जित ब्याज को भावकर से मुक्त घोषित किया था। इस प्रकार विदेशी कोषों को आकर्षित करने का यह द्वितीय साधन था जिसे रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किया गया। इस संबंध में 'विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1947' में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं तथा बैंकों को इस संबंध में निर्देश देकर पृथक से खाते खोलने की समुचित व्यवस्था की गई है जिससे विदेशी कोषों को सरलता से आकर्षित किया जा सके।

विदेशी बैंकों ने रिजर्व बैंक के साथ खाते खोलना निवृत्त किया है तथा बैंकिंग व गैर-बैंकिंग व्यवसाय का पृथक से हिसाब रखा जाएगा, जिससे सशक्त क्षेत्र में इनके योगदान में वृद्धि हो सके। इस संबंध में रिजर्व बैंक दृढ़ बनना परीक्षण करेगा कि हंडी को किस प्रकार व्यापारिक कार्यों में परिवर्तित किया जा सकता है। छोटे

व्यापारियों, उद्योगपतियों व नलाकारों को साक्ष सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। इन स्वदेशी बैंकों का कार्य फुटकर प्रकृति का होता है तथा उनके स्थानीय ज्ञान एवं कम लागत का अपना विशेष महत्त्व होता है। रिजर्व बैंक का प्रयास स्वदेशी बैंकों को संगठित बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित करने का रहा। मर्राफ द्वारा समस्त ऋण उत्पादक कार्यों के लिए ही दिए गए तथा कोई भी ऋण घरेलू या व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए स्वीकृत नहीं किया गया। हुंडी एक धसु-रक्षित ऋण होने पर भी बैंक को उसके पुनः कटौती में कोई हानि नहीं उठानी पड़ी। इस संबंध में मुन्तानी सर्राफ का योगदान विशेष उल्लेखनीय रहा है। भविष्य में व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों की प्रतियोगिता के कारण स्वदेशी बैंकों के व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। परंतु स्वदेशी बैंकों ने संगठित बैंकिंग पद्धति के विकास में सहायक के रूप में कार्य किया है। इस संबंध में यह सुझाव रखा गया कि यदि मुन्तानी सर्राफ आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए अपने खातों एवं प्रबंध को व्यवस्थित ढंग से रखकर अपनी पूंजी को कंपनी के रूप में लगाकर संगठित ढंग से विकास कर सकें तो इनका भविष्य उज्ज्वल हो सकेगा तथा देश के आर्थिक विकास में योगदान प्राप्त होगा।

रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय औद्योगिक साक्ष (दीर्घकालीन) कोष में 60 करोड़ ₹ के अंशदान को बढ़ाकर 1974-75 में 125 करोड़ ₹ कर दिया है। रिजर्व बैंक का कृषि एवं उद्योग में विनियोग जून 1974 में 115 करोड़ ₹ से बढ़कर जून 1975 में 220 करोड़ ₹ हो गया है।

रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि साक्ष (दीर्घकालीन) कोष में 1974-75 में 50 करोड़ ₹ का विनियोग बढ़ाकर कुल विनियोग 334 करोड़ ₹ किया है। इस प्रकार से राष्ट्रीय कृषि साक्ष (स्थायित्व) कोष में 45 करोड़ रुपये का विनियोग किया गया है और कुल कोष की मात्रा 140 करोड़ ₹ हो गयी है। रिजर्व बैंक द्वारा 1974-75 में 45 करोड़ ₹ का अंशदान करने से कृषि क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र द्वारा अधिक विनियोग संभव हो सकेगा। इस साधन में से कुछ धन 50 ग्रामीण बैंकों के निर्माण पर व्यय होगा, जो मुख्यतया कृषि वित्त में उपयोगी सिद्ध होंगी।

राष्ट्रीय औद्योगिक साक्ष (दीर्घकालीन) कोष में रिजर्व बैंक ने 145 करोड़ ₹ से वृद्धि की जिससे 1974-75 में इस कोष में 390 करोड़ ₹ जमा हो गए। इस कोष में से मुख्यतया भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन निगम को लाभ होगा, जिनके पास कोष का अंश है।

1975-76 बजट में रिजर्व बैंक के आधिकारिक रूप में 150 करोड़ ₹ दिखाये गए हैं और 1974-75 में रिजर्व बैंक का लाभ 370 करोड़ ₹ था।<sup>1</sup>

### सफलता की विशेषताएं

रिजर्व बैंक की सफलता की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं—

- (1) भौतिक नीति—रिजर्व बैंक देश की एक मुलम मुद्रा नीति देने में सफल रहा। बैंक दर जो 7 से 9% रहती थी, उसे घटाकर 3% कर दिया और बाद में यह दर बढ़कर 6% हो गयी।
- (2) बैंकों का बैंक—रिजर्व बैंक ने देश के अग्र्य बैंकों को आर्थिक सहायता देने एवं उनकी स्थिति सुदृढ़ बनाकर बैंकिंग व्यवस्था को एक दृढ़ नींव प्रदान की।
- (3) बैंकिंग व्यवस्था का विकास—रिजर्व बैंक ने बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत सुदृढ़ बैंकिंग विकास की नींव डाली एवं निर्बल बैंकों के एकीकरण को प्रोत्साहित किया।
- (4) रुपये के मूल्य में स्थायित्व—रिजर्व बैंक 41 वर्षों में ₹ का बाह्य एवं आंतरिक मूल्यों में स्थायित्व बनाए रखने में सफल रहा।
- (5) नोट निर्गमन के कार्य—रिजर्व बैंक ने पत्रमुद्रा के निर्गमन का कार्य सफलतापूर्वक निभाया। 1956 से म्यूनतम जमा प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन किया गया।
- (6) स्कीम पर नियंत्रण—रिजर्व बैंक के साक्ष के नियमन द्वारा स्कीम पर नियंत्रण लगाये गये हैं और इसी

उद्देश्य से बैंक दर में वृद्धि की गई तथा 1956 में छुने साल नियंत्रण की नीति को अपनाया, जिससे देश के आर्थिक विकास में पर्याप्त वित्त व्यवस्था संभव हो सके।

(7) सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध—रिजर्व बैंक ने सरकार की ओर से सार्वजनिक ऋणों का उचित ढंग से प्रबंध किया है तथा ग्रन्थकालीन ऋण की उचित व्यवस्था की है।

(8) औद्योगिक वित्त व्यवस्था—रिजर्व बैंक ने औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम तथा अन्य निगमों की स्थापना करके औद्योगिक वित्त की समुचित व्यवस्था की है।

(9) धन का हस्तांतरण—रिजर्व बैंक ने बहुत कम व्यय पर धन का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान को किया है।

(10) साख्त का नियमन—रिजर्व बैंक विभिन्न उपायों को अपनाकर साख्त का नियमन करने में सफल हुआ है तथा छुनी साख्त नियंत्रण पद्धति द्वारा सट्टे पर रोक लगाई गयी है तथा मूल्यों को नियंत्रित किया गया है।

(11) बिल बाजार की स्थापना—1952 में रिजर्व बैंक ने देश में बिल बाजार की स्थापना करके बिल बाजार को प्रोत्साहित किया है तथा लोच उत्पन्न की है।

(12) आंकड़ों का प्रकाशन—रिजर्व बैंक मुद्रा, बैंकिंग, साख्त एवं सहकारिता आदि के संबंध में आवश्यक आंकड़ों को एकत्रित करके उनके प्रकाशन की व्यवस्था करता है जिससे बैंक द्वारा संपर्कों का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके।

(13) संगठित बैंकिंग प्रणाली—1949 बैंकिंग कंपनी अधिनियम से रिजर्व बैंक को संगठित बैंकिंग प्रणाली की स्थापना में योगदान मिला है। इस संबंध में कमजोर बैंकों के एकीकरण की व्यवस्था की जाती है। रिजर्व बैंक को कमजोर बैंकों का प्रतिवार्य रूप से विलियन करने का अधिकार भी प्राप्त है।

(14) विनियम दर में स्थिरता—अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने से भारत के रुपये का मूल्य स्वर्ण में धोपित करके विनियम दरों में स्थिरता लाने के सफल प्रयास किये हैं।

(15) कृषि साख्त विभाग—वृषि क्षेत्र में वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने कृषि साख्त विभाग की स्थापना की है तथा अखिल भारतीय ग्रामीण साख्त समिति की सिफारिशों के आधार पर साख्त-व्यवस्था का पुनर्निर्माण किया है।

(16) अंतिम ऋणदाता—रिजर्व बैंक ने अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करके अनेक बैंकों को डूबने से बचाया है।

(17) व्याज दर में स्थिरता—साख्त की मात्रा में आवश्यकतानुसार प्रसार एवं संकुचन करके व्याज की दरों में स्थिरता लाने के प्रयास किये गये हैं।

(18) स्फीति नियंत्रण—रिजर्व बैंक ने साख्त नियमन विधियों द्वारा स्फीति पर नियंत्रण लगाने के सफल प्रयास किये हैं। इन संबंध में बैंक दर को बढ़ाया गया तथा सरकारी प्रतिभूतियों के बंधन करने की नीति में परिवर्तन किया है। इसी प्रकार देश के आर्थिक विकास के लिए समय-समय पर पर्याप्त मात्रा में कोष उपलब्ध किए हैं तथा नियंत्रण की वित्त व्यवस्था की है।

### सफलताएं

रिजर्व बैंक की सफलताओं को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली में संगठन का अभाव—1949 के बैंकिंग अधिनियम से रिजर्व बैंक को मुद्रा बाजार में विभिन्न साख्त संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने के अधिकार प्राप्त हैं, परन्तु मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली में संगठन का अभाव पाया जाता रहा, जिसे रिजर्व बैंक दूर न कर सका।

(2) वृषि साख्त की संपर्क व्यवस्था—रिजर्व बैंक को, दो कोषों का निर्माण करके, वृषि साख्त में वृद्धि करने के अधिकार मिले, परन्तु वह वृषि साख्त की समुचित व्यवस्था न कर सका।



- (3) मूल्य स्थिरता में अक्षयता—रिजर्व बैंक रुपये का आंतरिक मूल्य स्थिर रखने में असमर्थ रहा। देश में मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण न लगाये जा सके जिसका देश की आर्थिक स्थिति पर दहशत भरा प्रभाव पड़ा।
- (4) साख्त मुद्रिया का अभाव—रिजर्व बैंक ने बैंकों के विस्तार में उदार नीति का पालन किया, फिर भी साख्त मुद्रियाओं का आर्थिक अभाव बना रहा और रिजर्व बैंक इस अभाव को दूर नहीं कर सका।
- (5) संगठित मिल बाजार का अभाव—1952 में मिल बाजार का विकास व स्थापना जिस उद्देश्य में की गई, उसमें रिजर्व बैंक सफल न हो सका।
- (6) स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण का अभाव—रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार के महत्वपूर्ण अंग स्वदेशी बैंकिंग को न तो नियंत्रित कर सका और न उसके लिए उचित प्रबंध व्यवस्था कर सका।
- (7) ब्याजदर में असमानता—देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में ब्याजदर में असमानता पायी जाती रही, जिसे रिजर्व बैंक नियंत्रित करने में असमर्थ रहा।
- (8) बैंकिंग संकट में असमर्थता—बैंकिंग संकट से बैंक जो बड़ी मात्रा में अक्षय हो जाते थे, उसे रिजर्व बैंक ने कम अवधि विषय, परंतु पूर्णरूप से नियंत्रण करने में असमर्थ रहा।
- (9) रुपये के मूल्य में स्थिरता का अभाव—अनेक प्रयासों के बावजूद भी रिजर्व बैंक रुपये के मूल्य में स्थायित्व लाने में असमर्थ रहा और मुद्रा की अन्य शक्ति कम होती गयी।
- (10) विदेशी विनिमय में असफलता—विदेशी विनिमय के क्षेत्र में रिजर्व बैंक मिश्रित पूंजी वाले बैंकों को अवसर देने में असमर्थ रहा।
- (11) बैंकिंग मुद्रियाओं की अक्षयता—रिजर्व बैंक देश में पर्याप्त मात्रा में बैंकिंग मुद्रियाएँ प्रदान करने में असमर्थ रहा।

का सुझाव दिया था, परंतु अनेक कारणों से इस प्रस्ताव को प्रस्वीकृत कर दिया गया। ये कारण निम्न थे—

(i) यह बैंक भारतीय बैंकों के हित में कार्य नहीं कर पाता।

(ii) इसका उद्देश्य प्रारंभ से ही अधिकाधिक लाभ अर्जित करना था, अतः इसे केंद्रीय बैंक के अधिकार प्रदान करना उचित नहीं था।

(iii) यह एक पूर्णतः व्यापारिक बैंक था जिसकी देश-भर में 300 शाखाएं होने से व्यापारिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा होने के भय से इसे केंद्रीय बैंक नहीं बनाया जा सका।

(iv) इस बैंक की प्रबंध व्यवस्था पूर्णतया विदेशियों के हाथों में थी, जिससे इसे केंद्रीय बैंक में परिवर्तित करने पर जनता का विश्वास कम होने का भय था।

### सरकारी नियंत्रण

सरकार ने इम्पीरियल बैंक पर कुछ नियंत्रण लघाये जो कि निम्नलिखित थे—

(i) सरकार द्वारा नियुक्ति—प्रबंध मंडल के अधिकांश सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी। सरकार को 2 व्यवस्थापक गवर्नर, मुद्रा नियंत्रक एवं स्थानीय मंडल के सचिव व 4 गवर्नरों को नियुक्ति करने का अधिकार था।

(ii) खातों की जांच—सरकार को बैंक के खातों की जांचने के पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। खातों की जांचने का कार्य अकैशनों द्वारा किया जाता था, जिनकी नियुक्ति एकाउन्टे जनरल द्वारा की जाती है।

(iii) व्यापारिक बैंकों के अधिकार—बैंक को व्यापारिक बैंक के समस्त कार्य करने के अधिकार प्राप्त थे, परंतु यह 6 माह से अधिक अवधि के लिए ब्रह्मा नहीं दे सकता था।

(iv) विदेशी विनिमय पर प्रतिबंध—बैंक अपनी निजी आवश्यकताओं के अतिरिक्त विदेशी विनिमय में लेन-देन नहीं कर सकता था।

(v) प्रबंध व्यवस्था—बैंक की प्रबंध व्यवस्था 3 स्थानीय कार्यालयों द्वारा होती थी तथा कोई अन्य मंडल सरकारी अनुमति के बिना कार्य नहीं कर सकता था।

(vi) वित्तीय नीति—सरकार वित्तीय नीति के संबंध में बैंक को आदेश दे सकती थी तथा कोई भी सूचना प्राप्त की जा सकती थी।

### इम्पीरियल बैंक का महत्त्व

#### (Importance of Imperial Bank)

इम्पीरियल बैंक का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक महत्त्व था जिसके प्रमुख कारण निम्न थे—

(i) विस्तृत कार्यक्षेत्र—इम्पीरियल बैंक की पूरे देश में 300 से भी अधिक शाखाएं होने से इसका कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत था तथा देश के विभिन्न भागों में सरलता व मितव्ययता से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा सकती थी।

(ii) एजेंट का कार्य—जहां पर रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं थी, वहां पर इसने एजेंट का कार्य करके सरकार का समस्त कार्य किया।

(iii) जनता का विश्वास—इस बैंक की नीतियां एवं साधन अच्छे होने से जमा की राशि काफी अधिक रहती थी और जनता को इस बैंक में अधिक विश्वास था।

### इम्पीरियल बैंक के दोष

#### (Defects of Imperial Bank)

इम्पीरियल बैंक की कार्यप्रणाली में प्रमुख दोष निम्न थे—

(i) केंद्रीय बैंक के रूप में असफल—इम्पीरियल बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों के साथ प्रतियोगिता करता था जिससे यह बैंक केंद्रीय बैंक के कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने में असमर्थ रहा तथा देश में केंद्रीय बैंक का अभाव

(ii) भारतीय अधिकारी—इस बैंक को एकाधिकार प्राप्त होने पर भी उच्च पदों पर विदेशी लोग सेवार्त थे, जिससे इस व्यवस्था के भारतीयकरण करने का परामर्श दिया गया।

(iii) निजी एकाधिकार—यह बैंक सरकार के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों को करता है परंतु फिर भी इस पर सरकार का प्रबंधन न होकर निजी एकाधिकार है जिससे देश के विकास को अंतरा बना रहता है।

(iv) स्थानीय कार्यालयों का अभाव—इस बैंक के स्थानीय कार्यालयों का अभाव था, जबकि सरकारी कामकाज करने के लिए कम से कम 275 स्थानों पर बैंकों की शाखाएं खोलने की आवश्यकता को अनुभव किया गया।

आलोचनाओं के साथ-साथ समिति का यह पट था कि इम्पीरियल बैंक के परिष्कृत स्थानीय कार्यालय एवं शाखाओं की स्थापना की जानी चाहिए। समिति इस बैंक के राष्ट्रीयकरण के स्थान पर उसके अधिकारिक सरकारी नियंत्रण के पक्ष में थी।

ग्रामीण साख सर्वे समिति, 1954

(Rural Credit Survey Committee, 1954)

श्री ए० डी० गोरवाला की अध्यक्षता में ग्रामीण साख सर्वे समिति की स्थापना की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1954 में प्रस्तुत की। इसकी सिफारिशें निम्न प्रकार हैं—

(i) विशेषाधिकारों को समाप्त—बैंक के विशेषाधिकारों को समाप्त करके उन पर कड़े नियंत्रण लगाए जाने चाहिए।

(ii) धन हस्तांतरण को सुविधा—सरकारी खजाने द्वारा बैंक को सस्ती दर पर धन के हस्तांतरण की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

(iii) मतदान अधिकार पर प्रतिबंध—बैंक के पदाधिकारियों के मतदान अधिकार पर प्रतिबन्ध लगा देने चाहिए।

(iv) भारतीयकरण—इंपीरियल बैंक के उच्च पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों का भारतीयकरण कर देना चाहिए।

(v) ग्रामीण साख सुविधाएं—देश में एक शक्तिशाली बैंक की स्थापना कर के देशांतरों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।

(vi) इंपीरियल बैंक एवं दस अन्य बैंकों को मिलाकर एक नये बैंक की स्थापना की जानी चाहिए जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा जाए तथा जिसमें अधिकार पूजी सरकार के अधिकार में हों।

### (ख) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

(State Bank of India)

ग्रामीण साख सर्वे समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की तथा रिजर्व बैंक ने इंपीरियल बैंक के समस्त धंधों को ग्रहण कर लिया। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पारित किया गया तथा इम्पीरियल बैंक की समस्त संपत्ति एवं दायित्व स्टेट बैंक को हस्तांतरित कर दिए गए।

पूजी व्यवस्था—बैंक की अधिकृत पूजी 20 करोड़ रुपये रखी गई है जो 100 रुपये के 20 लाख धंधों में विभाजित है। बैंक की प्रदात पूजी 5.525 करोड़ ६० है जिसे बढ़ाकर 12.5 करोड़ ६० किया जा सकता है। इम्पीरियल बैंक के जो धंधा न्य चिये गए उनका मूल्य पूर्वोक्त धंधों पर (500 धंध) 1765 ६० 10 भागें एवं अंशतः दस धंधों पर (125 ६०) 431 ६० 12 भागें 4 पाई निश्चित की गई। स्टेट बैंक के धंधों का बाजार मूल्य 350 ६० निश्चित किया गया तथा इम्पीरियल बैंक के पुराने धंधधारियों को 350 ६० पर धंध ग्रहण करने के अधिकार प्रदान किये गए। बैंक की पूजी कम से कम 55 प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास रहेगी व शेष धन्य प्राप्ति को दिया जाएगा, परंतु रिजर्व बैंक के पास वास्तव में 92% धंध है। इम्पीरियल बैंक के धंधधारियों को 10,000 ६० का भुगतान तत्काल

तथा शेष के लिए 3½% वाले सरकारी ऋण पत्रों के निर्गमन की व्यवस्था की गई जिसका भुगतान 1965 में करना था। स्टेट बैंक में कोई भी व्यक्ति या सस्था 200 प्रशों से अधिक भ्रय नहीं कर सकते परंतु यह सीमा किसी निगम, स्वायत्त सस्था निजी एव सार्वजनिक धार्मिक ट्रस्टों पर लागू नहीं होती है। इसकी व्यवस्था प्रजातांत्रिक है क्योंकि कोई भी व्यक्ति 1% से अधिक मतदान देने का अधिकारी नहीं है।

प्रबंध व्यवस्था—प्रबंध केन्द्रीय बोर्ड तथा 7 स्थानीय कार्यालयों द्वारा होता है।

(अ) केंद्रीय बोर्ड—बैंक की स्थापना के समय संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या 20 होती थी जिसमें से निजी भ्रसाधारियों द्वारा 6 संचालक नियुक्त किए जाते थे। परंतु 1 दिसंबर, 1964 को अधिनियम में संशोधन करके संचालक मंडल का गठन निम्न प्रकार रखा गया—

(1) संचालक मंडल की सिफारिश पर सरकार द्वारा 1 अध्यक्ष तथा 1 उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है।

(2) स्थानीय मंडल का सभापति केन्द्रीय संचालक मंडल का पदेन सदस्य होता है। वर्तमान समय में स्थानीय मंडल के सदस्यों की संख्या 7 है।

(3) सरकार न्यूनतम 2 व अधिकतम 6 संचालक नियुक्त कर सकती है।

(4) सरकार के अनुमोदन पर संचालक मंडल द्वारा कम से कम 2 प्रबंध संचालक नियुक्त किए जाएंगे।

(5) यदि निजी भ्रसाधारियों पर 10% से कम भ्रंश है तो वे 2 संचालक नियुक्त कर सकते हैं।

(ब) स्थानीय बोर्ड (Local Boards)—स्टेट बैंक का केंद्रीय कार्यालय बंबई में है, परंतु इसके 7 स्थानीय मंडल भी हैं, जो कि कानपुर, महमदाबाद, मुद्रास, हैदराबाद, नई दिल्ली, बंबई एवं कलकत्ता में हैं। स्थानीय बोर्ड का गठन निम्न प्रकार है—

(i) संचालक मंडल के सदस्य—संचालक मंडल के कार्यक्षेत्र में रहने वाले सदस्य संबंधित स्थानीय बोर्ड में भी रहते हैं।

(ii) भ्रसाधारियों द्वारा चुना सदस्य—प्रत्येक क्षेत्र में निवास करने वाले भ्रसाधारियों द्वारा प्रत्येक मंडल के लिए एक सदस्य चुना जाता है, भारत पूर्य के कम से कम 2½% भ्रंश उनके पास हो।

(iii) गवर्नर—सभापति द्वारा स्थानीय मण्डल के सदस्यों में से 1 सदस्य को रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया जाता है।

(iv) अध्यक्ष—स्टेट बैंक के अध्यक्ष प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में पदेन अध्यक्ष होते हैं।

(v) सरकार द्वारा नियुक्त—प्रत्येक स्थानीय मण्डल में रिजर्व बैंक की सलाह के 6 सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

(vi) स्टेट बैंक द्वारा नियुक्त—मण्डल का कोषाध्यक्ष एवं सचिव पदेन सदस्य होते हैं, जो कि स्टेट बैंक द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

स्टेट बैंक के उद्देश्य

स्टेट बैंक की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे—

(1) बैंकिंग विकास—स्टेट बैंक का मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकधिक शाखाएं खोलकर बैंकिंग सुविधाओं का विकास करना था। धारा 16 (5) के अनुसार यह निर्दिष्ट किया गया कि स्टेट बैंक प्रथम 5 वर्षों में देशभर में 400 नई शाखाएं खोलेगा और इसकी पूति 1 जून, 1960 को हो गयी। बैंक ने भावी विकास के लिए मुद्भाव देने हेतु प्रो० कर्वे की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसने भ्रायामो 5 वर्षों में 300 नवीन शाखाएं खोलने का मुद्भाव रखा। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना था। 1965 में तीसरी विस्तार योजना प्रारंभ की गई। बैंक की 86% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गयी। बैंक का विस्तार निम्न प्रकार था—

## शाखा विस्तार की प्रगति

वर्ष	स्टेट बैंक	सहायक बैंक	कुल
1972	2,574	1,406	3,980
1965	1,275	658	1,933
1960	908	381	1289
1955	498	—	498

(2) एक शक्तिशाली बैंक—बैंक का उद्देश्य देशी राज्यों की बैंकों को मिलाकर एक शक्तिशाली बैंक की स्थापना करना था।

(3) शामोय साख—बैंक द्वारा शामोय क्षेत्र में साख का विस्तार करने का मुख्य लक्ष्य था।

स्टेट बैंक के कार्य

(Functions of State Bank)

स्टेट बैंक के कार्यों को निम्न दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(क) व्यापारिक बैंक के कार्य

व्यापारिक बैंक के रूप में स्टेट बैंक के प्रमुख कार्य निम्न हैं—


- (i) ऋण प्रदान करना—स्टेट बैंक विनिमय बिलों एवं वाडों के माध्यम पर ऋण प्रदान करता है।
- (ii) धन प्राप्त करना—यह बैंक जनता से धन प्राप्त करता, ग्राहकों की ओर से एजेंट के रूप में कार्य करता तथा धन का हस्तांतरण व अन्य बैंकिंग कार्यों को संपन्न करता है।
- (iii) विनियोग करना—अन्य व्यापारिक बैंकों की भांति यह बैंक भी अपने धन की सरकारी प्रविष्टियों में विनियोग करता है।

(ख) केंद्रीय बैंकिंग कार्य

स्टेट बैंक केंद्रीय बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है तथा केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य करता है जो कि निम्नलिखित हैं—

- (i) बैंकों का बैंक—स्टेट बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करके उन्हें पुनः कटौती से मुक्ति एवं समाशोधन गृह वा कार्य करके बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है।
- (ii) सरकारी बैंक—स्टेट बैंक सरकारी बैंक के रूप में भी कार्य करता है। यह सरकार की ओर से धन वसूल करता तथा सरकार के भावेषानुसार उधार प्रणाली करता है। यह बैंक सार्वजनिक ऋणों की भी अनुचित व्यवस्था करता है। इस प्रकार सरकार के भावेषों पर इस बैंक द्वारा अनुचित कार्य किया जाता है।

स्टेट बैंक के कार्यों को निम्न चार्ट द्वारा भी दिखाया जा सकता है—




## स्टेट बैंक के वर्जित कार्य

(Prohibited functions of State Bank)

स्टेट बैंक के वर्जित कार्यों में निम्न को सम्मिलित किया जाता है—

- (i) प्रचल संपत्ति पर रोक—स्टेट बैंक अपने कार्यालयों एवं पदाधिकारियों के निवास स्थल के प्रतिरिक्त अन्य प्रचल संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकता।
  - (ii) 6 माह से अधिक अवधिवाले बिल—स्टेट बैंक ऐसे बिलों को नहीं भुना सकता जिनकी परिपक्वता की अवधि 6 माह व कृषि साख से संबंधित बिलों की अवधि 15 माह से अधिक है।
  - (iii) बिल भुनाने पर प्रतिबंध—बैंक ऐसे बिलों को नहीं भुना सकता जिन पर दो हस्ताक्षर न हों।
  - (ix) निश्चित राशि—वह किसी व्यक्ति या फर्म की पूर्व निर्धारित राशि से अधिक के बिल न तो भुना सकता है और न ही ऋण प्रदान कर सकता है।
  - (v) अज्ञात पर ऋण—बैंक अपने ही अज्ञात पर 6 माह से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकता।
- स्टेट बैंक के वर्जित कार्यों को निम्न चाटें द्वारा दिखाया जा सकता है—



## स्टेट बैंक की सफलताएं

(Progress of State Bank)

स्टेट बैंक की प्रमुख सफलताएं निम्न थी—

(i) ग्रामीण साख सुविधा—ग्रामीण साख सर्वोद्योग समिति का मुम्भव था कि ग्रामीण साख व्यवस्था सहकारी माध्यम से होनी चाहिए जिसका पालन स्टेट बैंक कर रहा है और कृषि संबंधी सहायता को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

(i) विपणन एवं प्रक्रिया साख—जिन क्षेत्रों में केंद्रीय सहकारी बैंक विपणन एवं प्रक्रिया के लिए ऋण देने में असमर्थ हों, वहां स्टेट बैंक सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण देने की व्यवस्था करता है। यह ऋण प्रायः जमानत पर दिया जाता है।

(ii) नूनि बंधक बैंकों की सहायता—इस संबंध में स्टेट बैंक केंद्रीय भूमि बंधक बैंकों के ऋण-पत्रों को क्रय करके उन्हें भाषिक सहायता प्रदान करता है। स्टेट बैंक प्रत्येकालीन ऋण की भी समुचित व्यवस्था करता है तथा ग्रामीण साख की व्यवस्था करने वाली सभी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करता है।

(iii) सामान्य सहायता—राज्य सहकारी बैंकों को सप्ताह में 3 बार घन भेजने की सुविधाएं दी जाती हैं तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों को 1 बार घाखामों को घन भेजने की सुविधा दी गई है। इसके प्रतिरिक्त सहकारी प्रति-नृतियों की धरोहर पर ऋण प्रदान किया जाता है तथा यह ऋण सरकारी गारंटी पर भी दिया जाता है।

(iv) गोदामों के लिए वित्त—केंद्रीय गोदाम निगम (Central Warehousing Corporation) ने स्टेट बैंक ने 1 करोड़ रुपये के प्रथम धरोहरकर प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की है। स्टेट बैंक समय-समय पर इन निगमों में अपने अधिकारों निरुक्त करके आवश्यक परामर्श देता है। इसके प्रतिरिक्त गोदामों की रसीद के आधार पर सुविधा दर पर ऋण भी प्रदान किया जाता है।

नवीन योजनाएं—स्टेट बैंक ने कृषि क्षेत्र में प्राथिक सहायता देने के उद्देश्य से निम्न नवीन योजनाओं को प्रारम्भ किया है—

(i) सहकारी संस्थाओं को वित्त—सहकारी संस्थाओं एवं स्टेट बैंक की क्रियाओं में सहयोग व समन्वय स्थापित करना आवश्यक होता है। नगरों में सहकारी बैंकों को स्टेट बैंक प्रत्यक्ष सहायता देता है। सहकारी संस्थाओं को 300 करोड़ रु० तक ऋण दिए गए हैं।

(ii) ग्रामों को गोद लेना—सघु कृषक योजना की सफलता के लिए स्टेट बैंक कुछ ग्रामों को गोद ले लेता है और उनमें रहने वाले कृषकों को कृषि कार्यों के लिए प्राथिक सहायता दी जाती है।

(iii) सघु कृषक योजना—स्टेट बैंक ने 1969 में छोटे कृषकों को चालू पूंजी संबंधी आवश्यकता पूरी करने हेतु एक योजना लागू की है, जिसमें पशुपालन तथा कुटीर उद्योगों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

(iv) कृषि विशाल शाखाएं—स्टेट बैंक ने देश-भर में कृषि विकास हेतु 150 कृषि विकास शाखाएं खोलने का निर्देश किया है। स्टेट बैंक ने अभी तक 50 शाखाएं खोल ली हैं।

(2) बैंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था एवं विकास—स्टेट बैंक का उद्देश्य विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में अधिकधिक शाखाएं खोलकर बैंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था एवं विकास करना है। स्टेट बैंक ने यह निर्दिष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 400 नवीन शाखाएं प्रारम्भ की जाएगी और यह कार्य 1 जून, 1960 को पूर्ण कर लिया गया। प्रारम्भिक 5 वर्षों में बैंक ने 286 शाखाएं खोलीं। प्रायः नवीन शाखा के खोलने में प्रारम्भिक व्यवस्था में हानि उठानी पड़ती है, जिसे पूरित करने के उद्देश्य से 'समन्वय एवं विकास कोष' (Integration and Development Fund) का निर्माण किया गया जिसमें से 5 वर्षों तक होने वाली हानि को पूर्ण करने की व्यवस्था की गई है। 1 जून, 1960 को 400 शाखाएं खोलने के उपरान्त भावी विकास हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से श्री डी० जी० कार्वे (Shri D. G. Karve) की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसने प्रायः 5 वर्षों में 300 नवीन शाखाएं खोलने की सलाह दी तथा पुरानी शाखाओं को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए।

(3) सहायक बैंक—ग्रामीण साक्षर जाति समिति का मत था कि स्टेट बैंक में 10 राजा-महाराजाओं द्वारा स्थापित किए गए बैंकों का क्लियर करके इसे शक्तिशाली बैंक में परिणत कर दिया जाए। परंतु काफी प्रयास के उपरान्त 8 बैंकों में सहायक होना ही स्वीकार किया। अतः सहायक बैंकों की योजना के अंतर्गत सभी बैंकों के नाम के साथ स्टेट (State) शब्द को जोड़ दिया गया और प्रत्येक ऐसे बैंक में कम से कम 55% प्रत्यक्ष स्टेट बैंक द्वारा लिए गये तथा कोई भी 200 ग्रामों से अधिक खरीद नहीं सकता था तथा किसी को भी (स्टेट बैंक को छोड़कर) 5% से अधिक मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। सहायक बैंकों की प्रबंध व्यवस्था संचालक मंडल करता है जिसका अध्यक्ष स्टेट बैंक का अध्यक्ष होता है। इस प्रकार 31 दिसंबर 1958 को स्टेट बैंक के कुल कार्यालयों की संख्या 1547 हो गई।

कठिनाइयाँ—प्रारम्भिक काल में स्टेट बैंक को खाली विस्तार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो कि निम्नलिखित हैं—

(i) भवन का अभाव—प्रायः सभी स्थानों पर उपयुक्त भवन के अभाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

(ii) प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव—नवीन शाखाओं के खोलने में कर्मचारियों का अभाव प्रमुख किया गया।

(iii) स्थान चयन में कठिनाई—यह ज्ञात करना कठिन था कि किन स्थानों पर बैंकों की शाखाएं खोली जानी चाहिए।

(iv) उपकरण प्राप्ति में कठिनाई—नवीन शाखाओं में काम में आने वाले उपकरणों को प्राप्त करने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

(4) लघु उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं—भारत में उत्पादन बढ़ाने, रोजगार में वृद्धि करने एवं देश के प्राथमिक विकास की दृष्टि से लघु उद्योगों के विकास को महत्व को स्वीकार करते हुए इनके लिए वित्तीय सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि व्यापारिक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं पराजित माना में प्राप्त नहीं

होती थी। प्रतः इस उद्देश्य से स्टेट बैंक ने अप्रैल 1956 में निदेशक योजना (Pilot Plan) प्रारम्भ करके 9 शाखाओं द्वारा ऋण देने का कार्यक्रम बनाया गया। 1 जनवरी, 1959 से सतोपप्रद प्रगति देखकर इसे सार्वजनिक रूप से प्रहण किया गया तथा वर्तमान समय में स्टेट बैंक द्वारा लघु उद्योगों को ऋण देने की व्यवस्था की जाती है। प्रतः लघु उद्योगों को मल्पकालीन ऋण स्टेट बैंक द्वारा तथा मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण सरकारी उद्योग विभाग एवं राज्य वित्त निगम द्वारा देने का प्रबंध किया गया। इस संबंध में स्टेट बैंक निगम के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है तथा प्रार्थना-पत्रों की जाच-पड़ताल करके ऋण देने के संबंध में सिफारिशें भी करता है। ऋण देने के संबंध में स्टेट बैंक ने ग्रामो नोति को काफी उदार व सरल बना लिया है। इन ऋणों पर 6% वार्षिक व्याज लिया जाता है, परंतु ऋण देने में प्रायः देरी होने की शिकायतें की जाती हैं। निदेशक योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों को मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण राज्य सरकारों के उद्योग विभाग तथा राज्य वित्त निगम द्वारा मल्पकालीन ऋण देने की व्यवस्था की गई है। ऋण देने में सहायता देने की दृष्टि से स्टेट बैंक वित्त निगम के एजेंट का काम करता है। उदार योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों को किसी भी वस्तु की धरोहर पर ऋण दिया जा सकता है। माल न होने पर स्थायी संपत्ति की जमानत पर ऋण दिया जा सकता है। 1967 में साहसो योजना के अंतर्गत एक योजना बनायी गयी, जिसमें तकनीकी श्रेष्ठता तथा आर्थिक दृष्टि से ठोस आधार पर ऋण दिए जाते हैं। ग्रामीण उद्योग परियोजना के अंतर्गत कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए कारीगरो को बिना जमानत के 500 रुपए तक ऋण दिया जा सकता है। निर्यातक योजना के अंतर्गत स्टेट बैंक ऐसी लघु इकाइयों को ऋण देने में प्राथमिकता देता है जो भारत में निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। रिजर्व बैंक का ग्रामीण साख का कार्य स्टेट बैंक को सौंप दिया जाना चाहिए क्योंकि—

(i) रिजर्व बैंक का सीमित कार्यक्षेत्र है और उसके कार्यालय भी सीमित मात्रा में ही हैं।

(ii) रिजर्व बैंक को केवल महत्वपूर्ण कार्यों को स्वयं करना चाहिए तथा ग्रामीण साख के कार्य को स्टेट बैंक को सौंप देना चाहिए।

(iii) रिजर्व बैंक की मुद्रा, साख एवं विदेशी विनिमय संबंधी समस्याएँ ही अत्यन्त गंभीर हो गई हैं जिससे इन्हीं समस्याओं के समाधान पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा अन्य कार्यों को स्टेट बैंक को सौंप देना चाहिए।

(5) एक व्यक्ति ग्राम कार्यालय (One Man Village Office)—स्टेट बैंक ने 'एक व्यक्ति ग्राम कार्यालय' की योजना का निर्माण किया है जिसमें प्रारम्भ में सहायक बैंकों द्वारा चुने हुए ग्रामीण केंद्रों पर धन जमा करने के लिए गतिशील कार्यालयों (mobilising offices) की स्थापना की गई है जो वहाँ जाकर ग्रामीणों से धन स्वीकार करेंगे।

(6) विदेशी विनिमय व्यवस्था—स्टेट बैंक विश्व की अनेक महत्वपूर्ण मुद्राओं में लेन-देन संबंधी व्यवस्था करता है तथा प्राहुको एवं सरकार को विदेशी भुगतान संबंधी सेवाएँ प्रदान करता है। इस कार्य के लिए तमक सूचना देने के उद्देश्य से केंद्रीय कार्यालय में समक सूचना सेवा की स्थापना की गई है। स्टेट बैंक विदेशी यात्रियों के लिए यात्री चंको की भी व्यवस्था करता है जिसकी मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है।

(7) प्रशिक्षण व्यवस्था—स्टेट बैंक में समय-समय पर नुराल कर्मचारियों को कमी धनुभव की जाती है। प्रतः इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से अनेक शाखाओं पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। क्लर्कों के प्रशिक्षण के लिए 9 केन्द्र कार्यरत हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 2 दिसम्बर 1961 को 'स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय' (Staff Training College) की स्थापना हैदराबाद में की गई, जहाँ प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

(8) किरत साख योजना (Instalment Credit Scheme)—स्टेट बैंक ने 1962 में किरत साख योजना को प्रारम्भ किया जिसमें मर्दानों एवं नुरदा संबंधी सामान के निर्माण के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं तथा 5 वर्षों की अवधि में इसका भुगतान किरतों में किया जाता है। ऋण की राशि भी 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। ऋण संबंधी नियम अत्यन्त सोचदार बनाए गए हैं, जिससे अधिक से अधिक व्यापारी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकें।

(9) निर्यात हेतु ऋण—स्टेट बैंक द्वारा विदेशों से कच्चा माल प्रांयाउ करके उसे निर्यात रूप में परिवर्तित



करके निर्यात करने के लिए भी आवश्यक ऋण सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। यह ऋण रियायती व्याज दरों पर प्रदान किया जाता है, जिससे देश से निर्यात में वृद्धि की जा सके तथा व्यापार व भुगतान संतुलन को पक्ष में किया जा सके। इस संबंध में स्टेट बैंक ने उल्लेखनीय कार्य किया है। स्टेट बैंक द्वारा रिजर्व बैंक की साख गारंटी योजना के अंतर्गत काफी मात्रा में ऋण प्रदान किए जाते हैं। स्टेट बैंक का देश-भर में शाखाओं का एक जाल-सा बिछा होने के कारण वह अपनी शाखाओं के माध्यम से सारे देश को कृषि समस्याओं से पूर्ण परिचित होने के कारण प्राचीन साख का व्यवस्थापन-धिकार संपूर्ण रूप में स्टेट बैंक को देना सर्वथा उचित माना गया है।

(10) मत देने का अधिकार—सरकार ने यह निश्चित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक गिरवी रखे गए धंधों को अपने नाम हस्तांतरित कर सकेंगे, तथा जनता के हित को ध्यान में रखते हुए इन धंधों के मताधिकार को प्रयोग करेगा। यह अधिकार बैंकों द्वारा धंधों के केंद्रीयकरण पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से दिया गया। इसके प्रतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी बैंक ऐसे धंधों के बदले अधिक नहीं देगा तथा मताधिकार प्राप्त नहीं करेगा। यह निर्णय उन परिस्थितियों में लागू नहीं होगा, जबकि एक बैंक की इन धंधों के विरुद्ध अधिविकल्प सीमा 50,000 रुपये से अधिक नहीं होती। इसी प्रकार यह व्यवस्था अंग-दलालों के संबंध में भी लागू नहीं होगी।<sup>1</sup>

### स्टेट बैंक की प्रगति

1955 में स्टेट बैंक की कुल शाखाएँ 497 थीं जो 1975 तक बढ़कर 4,000 से भी अधिक हो गईं। कृषि साख के सबब में स्टेट बैंक की बकाया राशि लगभग 225 करोड़ रुपये थी। लघु उद्योगों की उदार साख योजना के अंतर्गत 63000 औद्योगिक इकाइयों को 400 करोड़ रु० से अधिक के ऋण स्वीकृत किए और उनमें से 250 करोड़ रु० के ऋण वेप थे। जमा के क्षेत्र में 1969 में स्टेट बैंक में 1239 करोड़ रु० जमा थे जो जून 1974 में बढ़कर 3007 करोड़ रु० हो गया। जून 1974 में स्टेट बैंक की 1167 प्राचीन क्षेत्र में शाखाएँ, 1124 अर्द्धनगरीय शाखाएँ, 437 नगरीय शाखाएँ तथा 344 शाखाएँ औद्योगिक क्षेत्रों में हैं। इसकी सहायक बैंकों के 737 सहायक शाखाएँ, 566 अर्द्धनगरीय शाखाएँ, 189 नगरीय शाखाएँ, 160 ग्रामीण शाखाएँ हैं।<sup>2</sup> सहकारी इकाइयों को दिए जाने वाले ऋण की संख्या में 63.0% से वृद्धि हुई और यह ऋण मात्रा 63.8 करोड़ रुपये से बढ़कर 110.5 करोड़ रुपये हो गई। अदत्त राशि की मात्रा में 226.5% से वृद्धि हुई तथा यह राशि 16.8 करोड़ रुपये से बढ़कर 54.8 करोड़ रुपये हो गई। सहकारी बैंकों को अदत्त अधिक राशि की मात्रा 7.7 करोड़ रुपये के स्थान पर 27.1 करोड़ रुपये हो गयी। बैंक द्वारा लघु उद्योगों को साख की मात्रा 69.0 करोड़ रुपये से बढ़कर 191.1 करोड़ रुपये सीमा के रूप में तथा अदत्त के रूप में यह राशि 37.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 103.4 करोड़ रुपये हो गयी। वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली इकाइयों की संख्या 1969 में 6419 (41.5%) से बढ़कर 21,892 हो गयी। हथकरघा इकाइयों को 1.3 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया था। बैंक की 379 निर्यात लघु उद्योग इकाइयों की। साख सीमा इन इकाइयों की 7.0 करोड़ से बढ़कर 10.6 करोड़ रुपये तथा अदत्त राशि 3.9 करोड़ से बढ़कर 6.8 करोड़ रुपये हो गयी। देश में स्टेट बैंक की 4000 से भी अधिक शाखाएँ हैं और इसके कुल निक्षेप 2500 करोड़ रु० हैं। यह बैंक अपने विशाल धातवा के कारण ही न्यूयार्क, फ्रैंकफर्ट तथा बँसल में अपने कार्यालय स्थापित कर सका है। आधा है स्टेट बैंक अपनी विद्यमानता का लाभ देश की प्राचीन अर्थव्यवस्था को प्रदान करके देश को सुख-समृद्धि प्रदान करेगा।

1. Announced by Mr. Vidya Charan Shukla, Ex-Minister of State for Finance.
2. The financial express July 8, 1975.

## भारत में व्यापारिक बैंक (Commercial Banking in India)

### प्रारंभिक


भारत में व्यापारिक बैंकों का इतिहास अति प्राचीन नहीं है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही इनका इतिहास प्रारंभ होता है। प्रारंभ में अंग्रेजों द्वारा स्थापित एजेंसी गृह असफल हो गए थे जिससे अधिकोपप ध्वस्त करने वाली संस्थाओं की स्थापना की गयी और देश में व्यापारिक बैंकों की स्थापना प्रारंभ हो गयी। 20वीं शताब्दी से देश में वाणिज्यिक अधिकोपों के विवास को गति मिली और वे प्रगति के पथ पर अग्रसर होते गए। जिन बैंकों की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हो, उन बैंकों को व्यापारिक बैंक या मिश्रित पूंजी वाले बैंक नहते हैं। इन बैंकों में पूंजी एक से अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक एवं विविध बैंकों को सम्मिलित नहीं किया जाता।

### वर्गीकरण

(Classification)

व्यापारिक बैंकों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है जो कि निम्न है—

#### व्यापारिक बैंक का वर्गीकरण



(अ) अनुसूची के आधार पर—अनुसूची के आधार पर व्यापारिक बैंकों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है—


(1) अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank)—जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी सारिणी नं० 2 में सम्मिलित कर लिया है उन्हें अनुसूचित बैंक कहते हैं। इस श्रेणी में वे बैंक सम्मिलित किए जाते हैं, जिनके संबंध में यह पूर्ण विश्वास हो कि समस्त कार्य जमाकर्ताओं के हित में किया जाएगा।

### विशेषताएं

अनुसूचित बैंकों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं—

को यानी बैंक जारी किए जाते हैं तथा समय-समय पर उन्हें वार्षिक सलाह व परामर्श भी दिया जाता है। बैंक ग्राहक की ओर से किराए बनूल करना, प्रतिनूतियों पर ब्याज प्राप्त करना आदि प्रत्येक कार्य संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं। व्यापारिक बैंकों के कार्यों को निम्न चाटों द्वारा दिलाया जा सकता है—

**व्यापारिक बैंकों के कार्य**



**व्यापारिक बैंकों की वर्तमान स्थिति**

भारत में व्यापारिक बैंकों ने अथार प्रगति की है। रिजर्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य देश में बैंकिंग प्रणाली का विकास करना है जिससे बढ़ती हुई माग एवं आवश्यकता को पूरित की जा सके। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को प्रसार पर बल दिया जा रहा है। बैंकों को यह सुझाव दिया जाता है कि तुलनात्मक दृष्टि से उन राज्यों एवं क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार किया जाना चाहिए कि जहाँ बैंकिंग सुविधाएं प्रविकसित प्रवस्था में हैं या जहाँ बैंकिंग सुविधाओं का पूर्णतया अभाव है। अनुसूचित बैंकों के बैंक निक्षेप की मात्रा 1974 तक 11,440 करोड़ रुपये हो गई थी। सरकारी प्रतिनूतियों में विनियोग की मात्रा 1163 81 करोड़ रुपये हो गई थी। विकासशील अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व काफी अधिक है तथा बैंकों को सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूरित करनी होती है। बैंकों ने अभी तक कृषि एवं लघु उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं, परंतु ब्रिटिश ढांचे पर निर्मित बैंकों ने व्यापार एवं वाणिज्य की आवश्यकताओं को ही पूर्ण किया है। योजनाकाल में विशेषकर द्वितीय एवं तृतीय योजना काल में उद्योगों के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण बैंकों ने अपना ध्यान उद्योगों की वित्तीय व्यवस्था की ओर लगाया। इसके विपरीत व्यापारिक बैंकों ने कृषि क्षेत्र में कोई सहायता नहीं की और यह कार्य सहकारी क्षेत्र को छोड़ दिया गया। परंतु कृषि क्षेत्र में यंत्रिकरण एवं उसमें विकास होने के फलस्वरूप अधिक मात्रा में वित्त की आवश्यकता पड़ेगी जिसे प्रदेले सहकारी संस्थाओं द्वारा पूर्ण करना संभव नहीं होगा। अतः व्यापारिक बैंकों को इस ओर भी ध्यान देना होगा। इनके प्रतिरिक्त अन्य सहायक कार्यों जैसे विपणन, प्रक्रिया एवं परिवहन आदि के विकास के लिए भी व्यापारिक बैंकों का योगदान प्राप्त होना प्रत्याशयक है। परंतु लघु उद्योग, लघु कृषक आदि की वित्तीय आवश्यकताओं की ओर बैंकों द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। बैंकों की क्रियाओं में सुधार करने, उन्हें आधुनिकीकरण करने आदि के संभव में सुझाव देने हेतु श्री प्रार० जो० सरैया (R. G. Saraiya) की अध्यक्षता में बैंकिंग कमिशन की नियुक्ति की गई। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सामाजिक नियंत्रण की ओर विशेष प्रयास किया गया है। बैंकों ने सहायकों को दिए जाने वाले ऋणों की सीमाएं निश्चित कर दी हैं।

व्यापारिक बैंकों ने 1974 में 18,180 नवीन कार्यालय खोलें, जबकि 1973 में 16,503 शाखाएं खोली गयी थी। इनमें से 1057 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में खोली गयीं। राष्ट्रीयकरण के परचात् व्यापारिक बैंकों के ढांचे में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। बैंक की शाखा विस्तार को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है—

**शाखा विस्तार**

	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1980
ग्रामीण	8262	10,131	12013	13622	15362	16936	27000
अर्ध-ग्रामीण	1833	3,363	4280	4817	5501	6166	11200
शहरी	3342	3718	4040	4401	4751	5116	8500
औद्योगिक	1584	1,744	1949	2504	2764	3087	7600
जनसंख्या प्रति कार्यालय	1503	1606	1744	1900	2286	2567	

(Source : The Financial Express August 27, 1975)

शाखा विस्तार 22% वार्षिक से हुआ। जून 1969 में कुल शाखाएं 8262 थीं जो 1974 में बढ़कर 18,180 हो गयीं। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार 3 1/2 गुना हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों का अंशदान 22.3% के स्तर पर बढ़कर 36.4% हो गया और जनसंख्या के प्रति शाखा 65000 से घटकर 30000 रह गयी है। 1980 तक शाखाओं की संख्या 27000 हो जाएगी। सरकार 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करेगी। 1980 तक 40% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होंगी। 1980 में ग्रामीण शाखाएं 1974 में 6631 से बढ़कर 11,200 होंगी।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंक निक्षेप में तेजी-से वृद्धि हुई है जिसे निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

#### बैंक निक्षेप

	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1980
जमा (करोड़ ₹०)	4646	5275	6216	7610	9165	10706	26,000
जमाप्रति शाखा (लाख ₹०)	58	53	52	56	60	63	96
प्रतिव्यक्ति निक्षेप	88	98	113	125	167	195	388
राष्ट्रीय आय से प्रतिशत	15.3	15.9	18.3	21.3	23.5	20.5	25

(Source: The Financial express August 27, 1975)

जून 1975 तक निक्षेप की मात्रा 12,250 करोड़ ₹० हो गयी। वर्तमान में प्रति 9 माह में 1000 करोड़ ₹० से वृद्धि हो रही है। औसत जमा प्रति शाखा जून 1969 में 58 लाख ₹० से बढ़कर दिसंबर 1974 में 63 लाख ₹० हो गयी है। प्रति व्यक्ति जमा 88 ₹० से बढ़कर 209 ₹० हो गया है जिसमें 137% से वृद्धि हुई है। स्थायी जमा 50% से बढ़कर 53% हो गया है। 1980 में यह बढ़कर 56% होगा। परंतु जमा में ह्रास हुआ है। 1972-73 में 1418 करोड़ ₹० से घटकर 1350 करोड़ ₹० हो गयी। 1973-74 में कुल वित्तीय संवर्धन में यह हिस्सा 45% से घटकर 39% रह गया। प्राथमिक क्षेत्रों में अधिमान मात्रा में वृद्धि हुई है। जो 1969 में 14.9% से बढ़कर 1974 में 25.3% हो गयी। अधिमान विवरण को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

#### अधिमान

	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1980
साख (करोड़ ₹०)	3599	4213	4763	5480	6412	7827	18200
साख प्रति शाखा (लाख ₹०)	45	42	40	40	42	46	
प्रति व्यक्ति साख	68	78	87	97	117	143	270
प्राथमिक क्षेत्रों में साख (करोड़ ₹०)	439	761	897	15.8	1292	1688	5460
							6370
प्राथमिक क्षेत्र को अंश (%) में	14.9	31.2	22.1	23.0	23.8	25.3	30.0
साख-जमा अनुपात	77.5	79.9	76.6	72.0	70.0	73.1	70.0
विनियोग-जमा अनुपात	29.3	28.5	29.1	30.5	32.1	30.8	30.0

(Source: The Financial Express Aug. 27, 1975)

1969 व 1974 की अवधि में कुल साख एवं प्रति व्यक्ति साख में दुन्ने से वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र में दिए गए ऋण की मात्रा में वृद्धि हुई है। 1969 में सार्वजनिक क्षेत्र का अंशदान 8.1 प्रतिशत था जो 1973 में बढ़कर 12.4 प्रतिशत हो गया। धारा है 1980 तक सार्वजनिक, निजी एवं प्राथमिक क्षेत्र में कोष की मात्रा में अग्रगण्य वृद्धि होगी। परिवर्धन में साख पर कटौत नियंत्रण लगाया जाएगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की मांग की पूर्ति मात्र हो सके। वर्तमान उपलब्धता जो कि लगभग 30% है, के आधार पर 1980 में साख का अनुमान 16800 करोड़ ₹० है।

1980 में विभिन्न क्षेत्रों में साधन के वितरण को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है।

1980 में क्षेत्रानुसार साधन वितरण

(करोड़, ५० में)

क्षेत्र	साव्यवधिक	निजी	प्रायमिक	योग
साधन (प्रथम)	4,550	8,190	5,460	18,200
साधन (द्वितीय)	4,550	7,280	6,370	18,200

(Source : The Financial Express Aug. 27, 1975)

सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से व्यापारिक बैंकों को साधन पर उचित नियंत्रण रखना होगा। वर्तमान समय में साधन वितरण के क्षेत्र में बैंकर का महत्व परिवर्तित हो रहा है। ग्रह बैंक को श्रृंखला की जरूरत के प्रतिरिक्त इस बात पर मो ध्यान देना है कि लिए गए श्रृंखला का उपयोग उनी कार्य में हो रहा है, जिन उद्देश्य से श्रृंखला लिए थे। बैंकों की शाखा के तीव्र विस्तार, निक्षेप गतिशीलता, अग्रिम में वृद्धि, प्रत्येक प्रकार की सेवाएं आदि के कारण अनेक ग्राहकों को असंतुष्ट होना पड़ा है। यह कहा जाता है कि बैंक की सेवाएं घट गयी हैं। बैंकों के बाह्य ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर पाते। बैंकों पर प्रभाव कार्यालय का नियंत्रण कम हो गया है तथा पुराने ढंग से कार्य करने से बैंकों के व्यवसाय पर बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं।

श्रृंखला नीति—उत्पादन को प्रेरित करने वाली श्रृंखला नीति में निम्न 3 बातों का होना प्रति आवश्यक है—

(i) श्रृंखला की पर्याप्तता—बैंकों को पूर्णरूप से वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करके श्रृंखला की पर्याप्तता को ध्यान देना चाहिए। श्रृंखला की पर्याप्तता और-उत्पादक उपयोग को प्रोत्साहित करेगी।

(ii) पर्याप्त निरीक्षण—बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले श्रृंखला पर पर्याप्त रूप से निरीक्षण रखना आवश्यक है, जिनसे यह निश्चित रूप से कहा जा सके कि श्रृंखला को उत्पादक कार्यों में ही लगाया जा रहा है।

(iii) रचनात्मक परामर्श—बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले समस्त श्रृंखला पर परामर्श लेना आवश्यक है। यह परामर्श वित्तीय एवं तकनीकी दो मामलों में दिया जा सकता है। यदि श्रृंखला लघु उद्योगपति है तो उसे कच्ची सामग्री के अर्थ करने या विपणन समस्याओं के संबंध में परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ेगी। कृषक को फसल उगाने से लेकर विपणन करने तक अनेक स्थानों पर वित्त की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति व्यापारिक बैंकों द्वारा की जानी चाहिए। श्रृंखला देने की प्रक्रिया सरल एवं सुविधाजनक होनी चाहिए तथा श्रृंखला की मात्रा के स्थान पर उसके गुण की ध्यान विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की शाखाओं को मोदने के प्रयास करने चाहिए तथा जमा करने कार्यों की विभिन्न प्रकार की नवीन सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इस संबंध में बचत खातों में जमा करने वालों को बैंक, मुक्त साधन हस्तांतरण, मुक्त मात्रा बैंक आदि की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। व्यापार के विकास के लिए स्थान प्रशिक्षण, अनुसंधान, विज्ञान आदि सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए।

व्यापारिक बैंकों को विदेशी स्टॉक को नियुक्त करना चाहिए जो लघु उद्योगों की साधन आवश्यकताओं का धम्यन करके उसे पूरा कर सके। निधन में बैंकिंग दृष्टिकोण से परिवर्तन लाकर ही बैंकिंग का विकास किया जा सकता है।

व्यापारिक बैंकों के दोष

(Defects in Commercial Bank)

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् भारत में बैंकों का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ है, फिर भी हमारे देश में बैंकों एवं बैंकिंग सुविधाओं में अनेक दोष पाए जाते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) बैंकों का असंतुलन होना—भारत में समय-समय पर बैंकिंग संकट आए हैं तथा बैंक असंतुलन हुए हैं जिससे बैंकों ने जनता का विश्वास कम हो गया है। 1949 में बैंकिंग कर्तव्य अधिनियम के पारित होने से त्रिवर्षी बैंक ने

एन बैंको का नियमन व नियंत्रण किया है, जिससे बैंको का असफल होना बठिन हो गया है।

(2) विदेशी विनिमय बैंक—विदेशी व्यापार अधिक समय तक विदेशियों के हाथों में रहने से समस्त लेन-देन इंपोस्सिबल बैंक या विदेशी विनिमय बैंकों द्वारा किया गया, जिससे व्यापारिक बैंक पतन नहीं सके। विनिमय बैंक, व्यापारिक बैंको से प्रतिस्पर्धी करके उनके व्यवसाय में हकाबट्टे डालते रहे तथा तीव्रगति से विकास संभव न कर सके।

(3) बैंकिंग का असंतुलित विकास—बैंकिंग के असंतुलित विकास के कारण बैंको का तीव्र गति से विकास संभव न हो सका। बैंकों की स्थापना प्रायः बड़े-बड़े औद्योगिक केंद्रों तक सीमित रही, जिससे पारस्परिक प्रतिभोगिता बढी, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में बैंको का विकास संभव न हो सका।

(4) बैंकिंग छादत का प्रभाव—प्रायः निवासियों की प्राय बहुत कम है तथा उनमें बहुत न होने से बैंकिंग छादत का प्रभाव पाया जाता है, जिससे बैंको को पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त नहीं हो पाता तथा बैंकों का समुचित विकास संभव नहीं हो पाता।

(5) सरकार की उदासीन नीति—सरकार एवं अन्य सरकारी संस्थाओं की बैंको के प्रति नीति उदासीन रही है और इन्होंने अपने साते बैंकों में न खोलकर उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया है। इसके प्रतिरुद्ध बैंको के विकास की ओर सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया जिससे बैंकिंग सुविधाओं का विकास संभव न हो सका।

(6) संगठित बिल बाजार का प्रभाव—भारत में संगठित बिल बाजार के प्रभाव के कारण बैंकिंग विकास में अनेक बाधाएं आईं तथा बैंको का विकास संभव न हो सका।

(7) बैंको की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली—भारतीय बैंको की कार्यप्रणाली में अनेक दोष पाए जाने से बैंको का समुचित रूप से विकास संभव न हो सका। ये दोष निम्नलिखित थे—

(i) दोषपूर्ण विनियोग नीति—बैंको ने अपने धन का अधिकतम भाग सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग कर दिया है जिससे संगठित बिल बाजार का विकास नहीं हो पाया है और बैंकों का विकास संभव नहीं हो पाया।

(ii) व्यक्तिगत जमानत पर ऋण का प्रभाव—भारत में व्यक्तिगत जमानत पर ऋण नहीं दिया जाता, जिससे साख-मुविद्याओं का प्रसार नहीं हो पाया है और बैंकिंग व्यवसाय में विशेष वृद्धि नहीं हो पाई है।

(iii) योग्य संचालकों का प्रभाव—भारत में योग्य संचालकों का प्रभाव पाया जाने से व्यापारिक बैंकों से जनता का विश्वास उठ गया है और वे विकास नहीं कर सके।

(iv) लाभ का दोषपूर्ण वितरण—बैंको ने लाभ का अधिकतम भाग मंडयारियों में विभाजित कर दिया है, जिससे बैंकों में आर्थिक स्थिरता का प्रभाव पाया जाता है।

(v) पूंजी का प्रभाव—प्रायः व्यापारिक बैंको की पूंजी एवं अमा राशि इतनी कम रही है कि वे अपने व्यवसाय को लाभप्रद ढंग से नहीं चला पाए हैं, जिससे बैंकों का विकास नहीं हो सका है।

(8) 'प्रतियोगिता रिजर्व बैंक नियंत्रण'—रिजर्व बैंक का व्यापारिक बैंको पर नियंत्रण 'प्रतियोगिता एवं नियंत्रण' रहा है जिससे बैंकों की वास्तविक आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। प्रायः निरीक्षण भी उचित ढंग से नहीं होता था, क्योंकि निरीक्षण से पूर्व ही बैंको की मुचना भेज दी जाती थी जिससे वे सतर्क हो जाते और स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता।

### दोषों को दूर करने के सुझाव

#### (Suggestions to Remove the Defects)

बैंकों के दोषों को दूर करने के लिए समय-समय पर अनेक सुझाव दिए गए हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं—

(i) विनिमय बैंकों पर रोक—विनिमय बैंको का कार्य विदेशी व्यापार में विदेशी विनिमय तक ही सीमित कर देना चाहिए, जिससे व्यापारिक बैंकों को विकास के अवसर प्राप्त हों सके।

(ii) एक व्यक्ति एक बैंक पद्धति—विदेशों की भांति भारत में भी 'एक व्यक्ति एक बैंक पद्धति' को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे व्यक्तिगत या पूरा ज्ञान प्राप्त करके उन्हें व्यक्तिगत साख के आधार पर प्रदान किए जा सके तथा बैंकिंग व्यवसाय में भी वृद्धि संभव हो सके।

## बैंकों का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Banks)

### प्रारम्भिक

नियोजित अर्थव्यवस्था में एक अच्छी व विकसित बैंकिंग व्यवस्था का होना अपरिहार्य है। राष्ट्र को सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था के लिए एक सुदृढ़ एवं अनित्यमान्नी समर्थित बैंक व्यवस्था का होना अत्यन्त ही आवश्यक है। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर आ गयी है जहाँ सामाजिक तथा आर्थिक नीति के उद्देश्यों, आर्थिक शून्यतियों एवं देश की संस्थागत संरचना में विरोधाभास पाया जाता है। जहाँ एक ओर देश को मुद्रा स्थैति का सामना करना पड़ता है, वहाँ दूसरी ओर रिज़र्व बैंक की परंपरागत नीतियाँ स्फीतिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में प्रसमर्थ रही हैं। देश में बढ़ती हुई गरीबी, आर्थिक असमानताएं, अनियमित वस्तुओं का भारी अभाव, बढ़ते हुए मूल्य आदि ये देशवासियों के मन में आर्थिक अस्थिरता का वातावरण छा गया है। ऐसी परिस्थिति में देश में कृषि एवं लघु उद्योगों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है। देश में बैंको द्वारा साल का 85% भाग बड़े उद्योगों को तथा 4% भाग लघु उद्योगों व 0.2% कृषि क्षेत्र को प्राप्त होता है जबकि कृषि का राष्ट्रीय आय में भाग 53% है। अतः स्पष्ट है कि देश के बैंक आर्थिक विकास के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप साल को व्यवस्था करने में असमर्थ रहे जिससे देश के व्यापारिक बैंको का राष्ट्रीयकरण किए जाने की मांग जोर पड़कती गयी।

### • बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण

प्रारंभ में सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग को प्रतीकार करके 14 दिसम्बर, 1967 को सामाजिक नियंत्रण लागू किए जाने की घोषणा की। 23 दिसम्बर, 1967 को प्राथमिकोपेय नियमन (संगोचन) विधेयक पारित किया गया और इसे 1 फरवरी, 1969 से पूरे देश में प्रभावशील किया गया।

### उद्देश्य

सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे—

- (1) साक्ष्य सुविधाएं कृषि, लघु उद्योगों एवं निर्गत के क्षेत्रों को भी उपलब्ध की जाएं।
- (2) संबन्धक मण्डल में सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाए।
- (3) बैंकिंग का सम्पन्न करने हेतु बैंकिंग प्रायोग की नियुक्ति की जाए।
- (4) बैंकिंग नीति में परिवर्तन करके उसे योजनाओं के उद्देश्यों के अनुरूप बनाया जाए।
- (5) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विकास करके देश में साक्ष्य समतुल्य को दूर करना चाहिए।

### सामाजिक नियंत्रण योजना की विशेषताएं

बैंको पर सामाजिक नियंत्रण की मुख्य विशेषताएं निम्न थीं—

- (1) शासनियोजन एवं राष्ट्रीय साक्ष्य परिषद्—सामाजिक नियंत्रण योजना के प्रतर्गत देश में शासनियोजन

एवं राष्ट्रीय साख परिषद् की स्थापना करनी थी जो ऋण एवं विनियोग नीतियों में समन्वय, बैंकिंग साख की माग का अनुमान एवं ऋणों व धनियों की प्राथमिकताओं को निश्चित करेगा।

(2) रिजर्व बैंक का अधिक नियंत्रण—बैंकों में प्रबंधक, अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति से पूर्व रिजर्व बैंक से अनुमति लेना प्रावश्यक कर दिया गया जिससे रिजर्व बैंक के नियंत्रण में वृद्धि हो गयी है।

(3) संचालक मंडल का पुनर्गठन—संचालक मंडल में 59% सदस्य, बैंकिंग व्यवसाय, कृषि, ग्रामीण प्रय-व्यवस्था, वित्त, सधु उद्योग, महकारिता क्षेत्र से होंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।

(4) निर्देशक—प्रौद्योगिक इकाई में 90% से अधिक अंश रखने वाला व्यक्ति बैंक का निर्देशक नहीं बन सकता। बैंक के निर्देशक को ऋण नहीं दिया जा सकता।

(5) ऋण पर प्रतिबंध—बैंक अपने ही धनो की प्रतिभूति पर ऋण नहीं दे सकता।

(6) बैंक को लेना—प्रावश्यकता पडने पर सरकार किसी भी बैंक को ले सकती है।

सामाजिक नियंत्रण को प्रधुरा कदम बताया गया और बैंकों के राष्ट्रीयकरण की माग बढ़ती गयी, फलस्वरूप देश के प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

### व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण के पक्ष व विपक्ष में तर्क

(Arguments for and against of Nationalisation of Commercial Banking)

जब व्यापार, उद्योग या वाणिज्य का स्वामित्व सरकार अपने हाथों में ले ले तो उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। इसमें संचालन सरकार के हाथों में आ जाता है तथा नीतियों का निर्धारण भी सरकार द्वारा ही किया जाता है। इन प्रकार राष्ट्रीयकरण में उद्योग का स्वामित्व, संचालन, नियंत्रण एवं नीति निर्माण का कार्य सभी सरकार के हाथों में आ जाते हैं। लंका एवं बर्मा में बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने से भारत में भी राष्ट्रीयकरण की भावना प्रबल होती गई, परंतु कुछ व्यक्तियों ने राष्ट्रीयकरण को प्रनुचित बताया। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के पक्ष व विपक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं।

पक्ष में तर्क—राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निम्न तर्क रखे जा सकते हैं—

(i) बैंकों की असफलता से सुरक्षा—रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् भी व्यापारिक बैंकों का असफल होना बंद नहीं हुआ जो कि उनकी असंतोषजनक स्थिति की शोचक है। जमा बीमा निगम की स्थापना से 5,000 करोड़ तक ही सुरक्षा मिलती है और इसमें अधिक की जमाएं अब भी प्रनुरक्षित रहती हैं। अतः बैंकों की असफलता से सुरक्षा करने के लिए राष्ट्रीयकरण होना प्रावश्यक माना गया।

(ii) सरकारी नीति की सफलता—सरकारी नीति की सफलता के लिए यह प्रावश्यक है कि घोषण के संपूर्ण माघन सरकारी नियंत्रण में हो। देश के बैंकिंग विकास के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना प्रावश्यक है। राष्ट्रीयकरण होने में बैंकों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्र में होगा, बचत को प्रोत्साहन मिलेगा तथा देश में समाजवादी समाज की स्थापना होगी।

(iii) विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था—विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था अधिकांशतया विदेशी बैंकों के पास है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने में पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था संभव हो सकेगी तथा विदेशी व्यापार के समस्त लाभ प्राप्त हो सकेंगे। बीजक कम मूल्य के बनाकर जो विदेशी मुद्रा की चोरी की जाती है उग पर रोक लगा दी जाएगी।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं—ग्रामीण क्षेत्र में राशि प्राप्त करके बचत को प्रोत्साहित करना प्रावश्यक है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधाओं का विस्तार राष्ट्रीयकरण द्वारा ही संभव हो सकेगा।

(v) सट्टे पर रोक—देश के अनेक बैंक पूंजीपतियों के हाथों में हैं जो इन धन को व्यक्तिगत स्वार्थ में उपयोग करते तथा सट्टे को प्रोत्साहित करते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सट्टे पर रोक लगाई जा सकती है।

(vi) साख का प्रसार करना—देश के प्रौद्योगिक विकास के लिए समुचित मात्रा में साख का प्रसार होना प्रावश्यक है जो कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अभाव में संभव नहीं होगा।



संबंधी धारणा कमजोर है क्योंकि केवल 2000 करोड़ रुपए तक ही यह पूंजी संभव हो सकेगी, जो कि आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। इस दृष्टि से कमजोरता के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना उचित नहीं मान पड़ता।

(x) निजी उद्योगों को कठिनाइयों—बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने में पूंजी का अनियोजित प्रायः सरकारी उद्योगों में दिया जाएगा, जिससे निजी उद्योगों को पूंजी प्राप्त न हो सकेगी तथा उन्हें अपने प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस दृष्टि से धारणा पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना उचित प्रतीत नहीं होता।

(xi) ऋणग्रस्तता एवं प्रतिनिधितता—बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने पर ऋणग्रस्तता एवं प्रतिनिधितताओं में वृद्धि होगी जिससे सरकार को विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। इस समस्या का समाधान रिजर्व बैंक द्वारा सचकांता एवं सावधानी बख्तर दूर किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक नहीं होगा।

(xii) रिजर्व बैंक द्वारा तत्परता—भारतीय बैंकिंग प्रतिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक को प्रत्येक व्यापक प्रतिभार दिया गया है, जिसके अंतर्गत वह बैंकों पर उचित दम से नियमन एवं नियंत्रण करके बैंकों के शीर्षों को दूर कर सकता है और इसके लिए राष्ट्रीयकरण की नीति अन्तर्गत की कोई आवश्यकता न होगी।

(xiii) शीर्ष संयोजन का प्रभाव—सरकार का राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी शीर्ष संयोजन बनाने का कोई विचार नहीं है तथा प्रत्येक बैंक का वर्तमान प्रोफिट ही चालू रखा जाएगा तथा इन बैंकों का एक या दो नियमों में विभाजित करने का विचार किया गया है। इस विचार मिलाप करने में बैंकों की आपसी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी तथा वे अपने ग्राहकों को तुल्य सेवाएं प्रदान नहीं कर सकेंगे।

(xiv) राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति—प्राणावका का यह कथन रहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है और इसका देश के आर्थिक विकास पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(xv) विदेशी सहायता पर बुरा प्रभाव—राष्ट्रीयकरण करने में भारत में विदेशी विनियोग हतोत्साहित होगा जिससे विदेशी सहायता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बैंकों में विदेशी पूंजीपति अपनी पूंजी लगाने में हिचकिचाएंगे और बैंकों को पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध न हो सकेगी।

(xvi) सामाजिक नियंत्रण की नीति—सरकार ने 1 फरवरी, 1969 में सामाजिक नियंत्रण की नीति अपना ली थी जिसमें सरकार को यह विस्तृत अधिकार प्राप्त थे कि नियंत्रण नीति का उन्मूलन करने पर बैंकों को अपने अधिकार में विना जा सक्ता था। अतः इसी में और अधिक सुधार करके स्थिति को सुदृढ़ बनाया जा सकता था, परन्तु राष्ट्रीयकरण करना अनुचित एवं अत्यावश्यक बताया गया।

(xvii) कार्य प्रणाली में परिवर्तन—यह आश्वासन दिया गया कि राष्ट्रीयकरण करने से बैंकों की कार्य प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और बैंक एवं ग्राहक के सबब यथावत् ही चलें रहेंगे। परन्तु प्राणावका का मत है कि राष्ट्रीयकरण का पालन करने में बैंकों की कार्य प्रणाली में परिवर्तन अवश्य आएंगे जिससे ग्राहकों के साथ संबंधों में बिगाड़ प्रवृत्त होगा।

(xviii) उद्योगों पर बुरा प्रभाव—राष्ट्रीयकरण करने से देश के उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता प्राप्त न हो सकेगी और व्यापार एवं उद्योग का विकास पहले की तुलना में विरुद्ध जाएगा जो आर्थिक विकास के लिए हानिकारक होगा।

### भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of 14 Banks in India)

1 फरवरी, 1969 से बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति प्रारंभ की गई थी। इसके प्रभावों का अध्ययन भी नहीं किया गया था कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन बंगलौर में हुआ जिसमें प्रधानमंत्री ने समाजवादी व्यवस्था बनाने के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। परन्तु इन अधिवेशन में कांग्रेस दल में मतभेद हो गया और राष्ट्रपति के पृष्ठान को लेकर यह मतभेद और तीव्र हो गया। प्रधानक मन्त्रालय ने एक अध्यादेश जारी करके 19 जुलाई, 1969 को 14 प्रमुख बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की जिसकी सूची 50 करोड़ रुपए थी। 25 जुलाई,

को इसी आराध का लोक सभा ने एक अध्यादेश (Bill) पेश किया गया, जिस पर 9 अक्टूबर, 1969 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए।

### बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुख्य लक्ष्य निम्न थे—

(1) साधन उपलब्ध कराना—राष्ट्रीयकरण करने से सरकार को 5000 करोड़ रु० की जमा पर नियंत्रण प्राप्त होने से साधनों का प्रयोग सात्व निर्माण में सभव हो सकेगा जिससे योजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।

(2) लघु उद्योगों को प्रोत्साहन—बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लघु उद्योगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और विकास के लिए उन्हें पर्याप्त धन प्राप्त हो जाएगा।

(3) सार्वजनिक भाग में वृद्धि—राष्ट्रीयकरण से अर्जित लाभ निजी व्यापारियों के हाथों में न जाकर सरकार को प्राप्त होगा, जिसे राष्ट्रीय विकास कार्यों में विनियोजित किया जा सकेगा।

(4) राष्ट्रीय बचत—व्यापारिक बैंक प्रामोण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने में कोई रुचि नहीं दिखाते थे, जब कि राष्ट्रीय बचत में प्रामोण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार आवश्यक था, जिसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके ही प्राप्त किया जा सकता था।

(5) कृषि क्षेत्र को पर्याप्त साधन—सरकार ने कृषि को प्राथमिक क्षेत्र घोषित किया, परंतु देश के व्यापारिक बैंक कृषि साधन में विशेष रुचि नहीं दिखा रहे थे। कृषि को प्राप्त होने वाला साधन 100 रु० के पीछे 21 पैसा था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके ही कृषि को पर्याप्त साधन प्राप्त हो सकती थी।

(6) केंद्रीयकरण की समाप्ति—देश के व्यापारिक बैंक कुछ गिने-पुने उद्योगपरियों के हाथों में हैं जो बैंकों का धन अपने उद्योगों में लगाते हैं जिससे प्राथमिक शक्ति का केंद्रीयकरण होता है। अतः राष्ट्रीयकरण से प्राथमिक विपन्नता को कम किया जा सकेगा और आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीयकरण सभव होगा।

(7) बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार—देश में व्यापारिक बैंकों का विस्तार संतुलित ढंग से संभव नहीं हो पाया है। आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और सभी व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। इस असंतुलन को बैंकों के राष्ट्रीयकरण द्वारा ही दूर किया जा सकता है।

(8) अन्य उद्देश्य—(i) बैंकों में योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति सभव हो सकेगी।

(ii) बैंकों के प्रबंध एवं प्रशासन में सुधार लाना,

(iii) नवीन उद्योगपरियों को प्रोत्साहित किया जाना है।

### राष्ट्रीयकरण की विशेषताएं

(Characteristics of Nationalisation)

14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधी प्रमुख विशेषताएं निम्न थीं—

(1) सरकारी अधिकारी—भारत में 14 बड़े बैंकों का स्वामित्व सरकारी अधिकार में चला गया जिसकी जमा पूंजी लगभग 50 करोड़ रुपए थीं। ये बैंक इस प्रकार थे—(i) बैंक ऑफ इंडिया, (ii) बैंक ऑफ बड़ोदा, (iii) कनारा बैंक, (iv) देना बैंक, (v) यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया, (vi) इंडियन बैंक, (vii) इंडियन प्रोविडेंट बैंक, (viii) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, (ix) इलाहाबाद बैंक, (x) सिटी बैंक ऑफ इंडिया, (xi) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, (xii) यूनाइटेड कर्माचयल बैंक, (xiii) पंजाब नेशनल बैंक, (xiv) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।

(2) क्षतिपूर्ति का निर्धारण—बैंकों को प्राप्त होने वाली समस्त या न्यायाधिकरण के निर्णय के आधार पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी जो प्रायः सरकारी प्रतिभूति के रूप में होगी।

(3) संचालक मंडल—इन बैंकों के समस्त संचालकों के पद समाप्त करके संचालक मंडल को गठन कर दिया जाएगा।

(4) सरकार द्वारा नियम—इन बैंकों के संचालन के लिए सरकार द्वारा नियम बनाए जाएंगे।

(5) सरकारी कर्मचारी—बैंकों के कर्मचारी अपने पदों पर ही रहेंगे, परंतु वे सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे।

(6) पररक्षक (Custodian) की नियुक्ति—बैंक के मुख्य अधिकारी को उसका पररक्षक नियुक्त किया गया है।

(7) सरकारी अधिकार—इन बैंकों की संपत्ति, कोष एवं दायित्वों पर सरकारी अधिकार रहेगा।

(8) समाजवादी नीति—प्रायः सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीयकरण समाजवादी नीति के कारण किया गया और यही बात भारत के लिए भी सत्य है।

(9) विदेशी प्रभुत्व को कम करना—विदेशी प्रभुत्व को कम करने के उद्देश्य से भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक समझा गया।

(10) सरकारी नीति का पालन—कुछ राष्ट्र सरकारी नीति का उचित पालन करने की दृष्टि से व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हैं।

### सरकारी दायित्व

इन बैंकों के दायित्वों की सीमा इनकी पूंजी एवं कोष की मात्रा पर निर्भर करती है। 31 दिसम्बर, 1968 को इन बैंकों की कुल पूंजी 67 20 करोड़ रुपए थी। इन बैंकों की प्रदत्त पूंजी, जमाएं, विनियोग, कोष, भ्रग्रिम एवं कार्यालयों की सख्या आदि को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

### बैंकों की स्थिति—31 दिसम्बर, 1968

(करोड़ रुपए में)

बैंक का नाम	प्रदत्त पूंजी	कोष	विनियोग	भ्रग्रिम	जमाएं	कार्यालय संख्या
1. बैंक ऑफ इंडिया	4 05	6.52	102	253	395	250
2. बैंक ऑफ बड़ोदा	2.50	3.41	84	196	314	333
3. कनारा बैंक	1.50	1.53	40	97	146	323
4. देना बैंक	1.25	1.61	38	74	122	214
5. इलाहाबाद बैंक	1 05	1.49	34	70	113	128
6. इंडियन ओवरसीज बैंक	1 00	1.15	23	58	93	138
7. बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1.48	0.64	23	50	73	137
8. इंडियन बैंक	0.98	1.14	20	57	85	233
9. सिटीकेट बैंक	1.36	1.58	31	71	112	254
10. यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया	1.25	1.15	25	68	115	213
11. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2.69	1.34	34	100	144	185
12. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	2 80	4.38	77	144	241	323
13. पंजाब नेशनल बैंक	2.00	5 02	1 30	209	356	544
14. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	4.79	7.63	120	296	433	504
योग	28 70	38.59	781	1743	2742	3829

सरकार को प्रबंध व्यवस्था का भार स्वयं सहन करना पड़ा तथा सरकार को उसके लिए प्रयत्न एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी व साथ ही संचालक मंडल के लिए नवीन संघालको की नियुक्ति करना आवश्यक होगा। परंतु यह सब कार्य रिजर्व बैंक एवं स्टेट बैंक की सलाह एवं परामर्श से ही किया जाएगा।

### बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य

बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का मुख्य उद्देश्य देश में आर्थिक असमानता को दूर करना एवं कृषि क्षेत्र में साख का विस्तार करना था। भारत में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के प्रमुख उद्देश्यों को प्रधान मंत्री द्वारा 21 जुलाई, 1969 को संसद में रखे विवरण के अनुसार निम्न प्रकार बताया गया—

#### बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य

वचत को गतिशील बनाना	प्राकृतिक साधनों का विकास	ध्यापार की बंध साख की पूर्ति	उत्पादक क्षेत्र की पूर्ति	विकास के नवीन ऋवसर	बैंक साख का सही उपयोग	प्रबंध का पर्याप्त वातावरण	हिठों की सुरक्षा
---------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------	------------------

(1) जनता को वचत को योजना व प्राथमिकता के आधार पर गतिशील बनाने के लिए राष्ट्रीयकरण जन-नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपाय है।

(2) सरकार का विचार है कि प्रमुख बैंको पर जनता का स्वामित्व होने से प्राकृतिक साधनों के विकास एवं गतिशीलता में सहायता प्राप्त होकर उद्देश्यों की प्राप्ति निश्चितता के साथ संभव हो सकेगी।

(3) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् निजी उद्योगों एवं ध्यापार की बंध साख आवश्यकता की पूर्ति संभव हो सकेगी।

(4) भ्रष्टव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र, विशेषकर कृषक, लघु स्तरीय उद्योगों आदि की उत्पादक आवश्यकताओं को पूर्ति करना।

(5) राष्ट्रीयकृत बैंकों का यह प्रमुख उद्देश्य होगा कि नवीन व प्रगतिशील उपक्रमों को विकास के नवीन ऋवसर प्रदान करें तथा राष्ट्र के विभिन्न प्रसूते क्षेत्रों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दें।

(6) बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंक साख का उपयोग सट्टे एवं अन्य अनुत्पादक कार्यों में संभव न हो सकेगा।

(7) बंकिंग क्षेत्र में व्यावसायिक प्रबंध के विकास का पर्याप्त वातावरण उत्पन्न होगा।

(8) अनाकस्मिकी के हिठों की सुरक्षित रखने के साथ-साथ उनके हिठों को बैंक के कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होता रहेगा।

दिसंबर 1974 को अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की जमा राशि 11,440 करोड़ 80 बी अबकि 1973 में यह राशि 107.6 करोड़ 80 थी। गुणात्मक दृष्टि से बैंक यूनिशन का स्वयं प्रत्यत महत्वपूर्ण है जो कि कर्मचारियों के दृष्टिकोण में परिश्रम लालकर बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सफल बनाएंगे।

जमा की राशि में कमी होने के प्रमुख कारण थे—(i) स्फीति से राष्ट्र की वचत करने की क्षमता में कमी हो गई, व कार में वृद्धि तथा ऋन दक्षिण के हस्तांतरण से यह राशि और कम गई, (ii) बैंकों की धारणाओं में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण जमा वृद्धि की राशि में वृद्धि न हो सकी, (iii) इसके अतिरिक्त बैंकों को अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा जैसे जमा राशि के लिए ब्याज दरों की उपयुक्तता, प्राथमिक क्षेत्रों में धारकों की सेवाओं का पुनर्निरीक्षण, तथा विकास बैंकों की स्टाफ संबंधी व उनके परीक्षण आदि संबंधी समस्याएं। व्यापारिक बैंकों द्वारा दी गई अग्रिम राशि में पूर्व की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई।

भेदों का विवरण

(राशियाँ लाखों में)

विवरण	30-6-1969			31-12-1969		
	काश का संख्या	पैसा	रुप	काश का संख्या	पैसा	रुप
1. ट्रेडर व्यापार	12,328	169	145	14,809	223	201
2. क्लाइंट	353	3	3	400	4	4
3. बहुर्र	236	1	1	307	1	1
4. नार्ड	390	1	1	458	2	2
5. इर्डी	879	5	4	1042	6	5
6. इर्डीनर	93	3	3	155	5	5
7. बाकटर	657	22	21	833	31	30
8. बर्डी	352	8	7	431	9	9
9. इर्डीनर नाविक	401	25	25	737	69	69
10. बुनर	210	1	1	270	3	3

11. नौशिकी	89	1	1	120	1
12. नक्षिकार	942	12	12	928	19
13. नक्षिकी वाने	437	2	2	462	3
14. मुनार	232	1	1	244	2
15. कूरक	2447	43	42	5529	72
16. हाटन वाने	131	3	2	164	3
17. बरन वाने	3	—	—	7	—
18. लघु उद्योग	28	4	2	39	3
19. अन्य	651	10	9	987	15
(अ) योग	20,870	314	282	28,042	471

(ब) 30-6-1970 को

योग्यता :

(खासों की संख्या में 30%)

व क्षेत्र में 50% से वृद्धि) 36,400

(ग) 31-12-1970

की योग्यता :

(खासों की संख्या में 40%)

व क्षेत्र में 40% से वृद्धि) 43,650

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों ने छोटे परंतु व्यावसायिक व्यक्तियों को ध्यान देना प्रारंभ करके उन्हें स्वयं सच से व्यापार करने को प्रोत्साहित किया है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व इस छोटे बैंकों द्वारा विदेश ध्यान नहीं दिया जाता था। प्राचीन क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं को प्रारंभ करने के लिए बुनियादी एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों का वर्तमान प्रभाव पाया गया है कि वे प्रशिक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था करके दूर किया जा सकता है। भारत में व्यापारिक बैंकों के प्राचीन इतिहास 1969 में 1833 से जो 1975 में बढ़कर 6754 हो गए। इन निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

## प्राचीन कार्यालय

वर्ष	प्राचीन कार्यालयों की संख्या प्रतिशत
1969	1833 (22.1)
1970	3063 (30.2)
1971	4250 (35.6)
1972	4715 (35.4)
1973	5561 (36.2)
1974	6166 (36.5)
1975	6754 (36.2)

Source : The Economic Times, Sept. 19, 1975.

नियुक्त किये गये अध्ययन समुदाय (Study Group) के अनुसार देश में 2700 में से 617 ऐसे नगर थे जो व्यापारिक बैंकों द्वारा उपेक्षित थे। इनमें से भी 444 नगर ऐसे थे जहाँ सहकारी बैंकिंग सुविधाएँ भी नहीं थीं। देश में 6 लाख गाँवों में से लगभग 5000 गाँवों में ही व्यापारिक बैंकों की सेवाएँ उपलब्ध हैं, भारत में 1974 तक 32,000 जनसंख्या के छोटे व्यापारिक बैंकों की सेवाएँ उपलब्ध थी, जबकि ब्रिटेन में यह संख्या 4000 व स० रा० अमेरिका में 7000 है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों का प्राणीय क्षेत्रों की ओर विस्तार होने की संभावना है। बैंकों की साथ ग्रामीण-आयुष्या प्रौद्योगिक क्षेत्र की ओर रही है जो मात्र भी कुल साख मा 61.7% है। उद्योगों का प्रथमान विकास होने से प्रौद्योगिक साख भी प्रथमान रूप से वितरित की गयी है। 1973 तक कृषि क्षेत्र में बैंक साख 9.4% था। प्रौद्योगिक दृष्टि से विछड़े क्षेत्रों में बढो मात्रा में कृषि साख देकर इस अथमान वितरण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने 5 राज्यों—प्रायद्वेस, मैसूर, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश एवं हरियाणा के 81 जिलों में कार्यरत प्राथमिक कृषि साख समितियों को व्यापारिक बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रखा। इन स्थानों पर सहकारी बैंकों ने रिजर्व बैंक की संपूर्ण साख सुविधाओं का वित्तीय एवं प्रशासनिक दृष्टि से उपयोग नहीं किया है। इस प्रस्ताव का समर्थन अध्ययन समुदाय एवं रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नियुक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यरत समुदाय (Working Group) ने किया है। इस कार्यक्रम के अनुसार कृषकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वित्तीय प्रबंध किया जा सकेगा। तकनीकियन, कर्नाकार एवं अन्य योग्य व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने से पूर्व उनका रोजगार पाना आवश्यक है जिससे वह प्राप्त धन का सदुपयोग कर सकें। डाक्टर एवं वकीलों को भी उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य कृषकों को ट्रेक्टर या पंपसेट आदि के मरम्मत हेतु या खाद, बीज आदि की पूर्ति के लिए डिपो खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कुछ व्यापारिक बैंकों ने बैरोजगार इशानिपर को काम देने की योजनाओं का निर्माण किया है।

### बैंकों की प्रगति

जमा के क्षेत्र में स्टेट बैंक व उसकी सहायक बैंकों में 1969 में 1239 करोड़ रु० जमा थे और 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में 2633 करोड़ रु० जमा थे जो 1974 में बढ़कर क्रमशः 3007 करोड़ रु० व 5927 करोड़ रु० हो गई। 1974 में समस्त प्रमुख बैंकों में कुल जमा का 84% भाग सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में था। प्रति कार्यालय में कुल जमा 1969 में 59 लाख रु० से बढ़कर 1974 में 65 लाख रु० हो गया। 1969 में स्टेट बैंक व राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अधिम के रूप में क्रमशः 1185 करोड़ रु० व 1832 करोड़ रु० दिया जो 1974 में बढ़कर क्रमशः 1875 करोड़ रु० व 3459 करोड़ रु० हो गया। जून 1974 तक कुल अधिम का 84.7% सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा दिया गया, परंतु प्रति बैंक साख में कमी हो गयी जो 1969 में 46 लाख रु० से घटकर 1973 में 39 लाख रु० हो गयी। बैंकों द्वारा 1969 में प्राथमिक एवं अग्रुदे क्षेत्र को दिये गये ऋण का विवरण निम्न प्रकार था—

### प्राथमिक क्षेत्र को ऋण

(करोड़ रुपये में)

	स्टेट बैंक	14 राष्ट्रीयकृत बैंक
कृषि (प्रत्यक्ष)	11	29
कृषि (अप्रत्यक्ष)	89	33
नव्य उद्योग	103	148
सड़क व जल परिवहन।	—	5
घुटकर व्यापार	—	19
चिन्ता	—	—

Source : The Financial Express July 8, 1975.

नितंबर 1973 तक प्राथमिक क्षेत्र को कुल भ्रमिण 1560 करोड़ रु० या बिठमें से सावंधनिक क्षेत्र का भाग 1367 करोड़ रु० (8७%) या । लघु उद्योगों का भाग महत्वपूर्ण या जो 1969 में 57% करोड़ या धीर भिर-कर 1973 में 48% रह गया । लघु उद्योगों पर भ्रमिण राशि 1973 में 665 करोड़ रु० थी जो जून 1974 में बढ़कर 868 करोड़ रु० हो गई । प्रत्यक्ष रूपि भ्रमिण को कुल भाग 24 करोड़ रु० से बढ़ गरी जबकि बनूती में वृद्धि 6 करोड़ रु० से थी । बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंकों में सामाजिक दायित्व को पूर्ण करने के प्रभाव क्रिये हैं । भ्रमिण राशि 1972 में 26,202 लाखों पर 87.26 लाख रु० थी जो 1974 में बढ़कर 2,56,236 लाखों पर 10.85 करोड़ रु० हो गयी । इन प्रकार प्रति लाख में मोच्च वृद्धि 1972 में 333 रु० के स्थान पर 1973 में 423 रु० हो गयी ।<sup>1</sup>

व्यापारिक बैंक जमा में वृद्धि

वर्ष	कुल बैंक जमा (नि० रु० में)	प्रतिशत परिवर्तन	बैंक जमा सरकत राष्ट्रीय उत्सादन से प्रतिशत
1950-51	8,810	—	8.5
1955-56	11,100	25.0	10.0
1960-61	17,890	61.2	11.9
1965-66	29,740	66.2	12.5
1966-67	34,490	16.0	12.6
1967-68	38,810	12.5	12.2
1968-69	43,650	12.5	13.4
1970	52,150	—	15.9
1971	62,160	—	18.3
1972	76,100	—	21.3
1973	91,650	—	23.5
1974	1,14,400	—	21.9

(Source : The Financial express July 4, 1975)

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों के शाखा विस्तार में विशेष वृद्धि हुई है । 1969 में बैंकों को कुल शाखाएं 8,321 थीं जो 1974 तक बढ़कर 18,180 हो गयीं । शाखा विस्तार को निम्न प्रकार रखा जा सकता है —

शाखा विस्तार

	जून 1969	जून 1970	जून 1971	जून 1972	जून 1973	जून 1974	दिसम्बर 1974
शाखा-संख्या	8262	10131	12013	13622	15362	16936	18180
ग्रामीण क्षेत्र	1833	3363	4280	4817	5561	6166	6631
मध्य-नगरीय क्षेत्र	3342	3718	4010	4401	4751	5116	5434
नगरीय क्षेत्र	1584	1744	1949	2504	2764	3087	3144
बंदरगाह क्षेत्र	1503	1606	1744	1900	2286	2567	2971
प्रति कार्यालय							
जनसंख्या (हजारों में)	65	54	46	40	36	32	30

Source : The Financial Express July 4, 1975.

1. The Financial Express July 8, 1975.



8. देना बैंक	2.93	121.88
9. यूनियन बैंक	2.56	115.22
10. इलाहाबाद बैंक	2.54	112.72
11. सिन्धीकेट बैंक	2.66	112.19
12. इंडियन घोवरसीड बैंक	2.15	93.22
13. इंडियन बैंक	2.06	84.59
14. बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2.02	73.02
<b>योग</b>	<b>66.01</b>	<b>2741.75</b>

इन 14 बैंकों की प्रदत्त पूंजी 28.5 करोड़ रुपये थी तथा धेय राशि इनकी कोष राशि थी। इन बैंकों को अपने लाभ का 20% भाग कोषों में हस्तांतरित करना आवश्यक था तथा धेय लाभ को ही लाभभाज के रूप में घोषित कर सकते थे। इस प्रकार इन बैंकों के स्वयं के कोष प्रत्यक्ष हैं तथा समस्त कार्य ऋण पूंजी एवं जमा के बल पर ही किया जाता है। इसी कारण इन बैंकों द्वारा जमा राशि में अधिकाधिक वृद्धि करने के प्रयास किए जाते हैं। ये बैंक मुद्रा बाजार, जीवन बीमा निम्न, यूनिट ट्रस्ट एवं रिजर्व बैंक से भी सहायता प्राप्त करते रहते हैं। गत वर्ष रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंध लगाने के उपरांत भी इन बैंकों को जमा राशि कमजोर ही रही। यह बात प्रत्यंत महत्वपूर्ण है कि बैंकों की संस्थापन व्यय एवं शाखा विस्तार के कारण व्ययों में वृद्धि होने पर भी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उत्प्रेक्षणीय लाभ अर्जित किए। निम्न तालिका में बैंकों द्वारा अर्जित लाभ एवं उसमें से केंद्र सरकार को हस्तांतरित लाभ (बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 की धारा 10 के अनुसार) को दिखाया गया है—

### लाभ व सरकार को हस्तांतरित भाग

(करोड़ रु० में)

	1969		1970		1971		1972		1973	
	लाभ	सरकार	लाभ	सरकार	लाभ	सरकार	लाभ	सरकार	लाभ	सरकार
1. इलाहाबाद बैंक	0.40	0.08	0.43	0.21	0.54	0.13	0.52	0.07	0.50	0.01
2. बैंक ऑफ बडोदा	0.56	0.27	1.43	0.47	2.19	0.54	2.41	0.54	2.38	0.53
3. बैंक ऑफ इंडिया	1.61	0.38	1.99	0.81	2.35	0.84	2.40	0.85	2.65	0.86
4. महाराष्ट्र बैंक	0.47	0.07	0.28	0.15	0.31	0.16	0.17	—	0.17	0.02
5. कनारा बैंक	0.71	0.12	1.03	0.28	1.39	0.31	1.46	0.27	1.47	0.23
6. सेंट्रल बैंक	1.09	0.38	2.08	0.32	2.89	0.34	2.17	0.32	2.95	0.16
7. देना बैंक	0.31	0.08	0.51	0.16	0.65	0.20	0.63	0.20	0.44	0.04
8. इंडियन बैंक	0.09	0.06	0.23	0.05	0.24	0.02	0.50	0.13	0.69	0.14
9. इंडियन घोवरसीड बैंक	0.09	0.03	0.37	0.08	0.39	0.08	0.37	0.01	0.66	0.10
10. पंजाब नेशनल बैंक	1.59	0.30	2.44	0.61	2.45	0.61	2.46	0.61	2.40	0.55
11. सिन्धीकेट बैंक	0.29	0.10	0.65	0.22	0.90	0.23	1.01	0.23	1.19	0.23
12. यूनियन बैंक	0.32	0.08	0.49	0.17	0.74	0.19	0.93	0.19	1.11	0.19
13. यूनाइटेड बैंक	0.26	0.12	0.72	0.23	0.93	0.26	0.93	0.23	0.87	0.02
14. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	0.89	0.25	1.42	0.47	1.80	0.53	1.81	0.53	1.81	0.46

बंगलौर में 10 नूतने कमरे बन प्रस्तुत करते समय प्रभावशाली ने प्राप्ता व्यक्त की थी कि यदि बैंकों के रिजर्व अनुपात को 5% ने बढ़ा दिया जाए तो वार्षिक क्षेत्र में विनियोग के लिए 200 करोड़ रुपये प्रतिरिक्त प्राप्त हो सकेंगे, जबकि वास्तव में रिजर्व बैंक को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह इस अनुपात को 40% तक, बैंकिंग नियमन अधिनियम एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के प्रसंगत दता सकता है, जबकि वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए इस अनुपात को 28% से बढ़ाकर 32% तक कर दिया गया है। यदि देश में प्रायः अर्जित करने वाले प्रत्येक व्यक्त सदस्य से कितनी भी उद्देश्य से केवल 1/- हो प्रसंगत के रूप में लिया जाए तो पर्याप्त राशि प्राप्त की जा सकती है। देश में बैंकिंग भाव एवं बैंक के उपयोग द्वारा मुद्रा पूर्ति को कम किया जा सकता है। बैंकिंग का विस्तार किया जा रहा है और प्रतिवर्ष 1500 शाखाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जितने देश के प्रत्येक भाग में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा सकें। वतुर्पुं योजनाकाल में बैंक जमा राशि का लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपये तक हो जाने का रखा गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध है, केवल उन्हें प्राप्त करना शेष है जिसे ग्रामीण सुविधाएं देकर प्राप्त किया जा सकता है। जना के लिए मुद्रा-रूपी प्रभाव करना गरीबों के विरुद्ध एक चुनौती है, जिसमें हमें हार नहीं माननी होगी।

### राष्ट्रीयकरण संबंधी समस्याएं

(Problems relating to Nationalisation)

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित जो विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, वे निम्नलिखित हैं—

(1) सार्वजनिकता—बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संचालन व्यवस्था में नोकरशाही एवं सार्वजनिकता पनपेगा, जितने प्रायः कार्यवाहिका बंद जाएंगी तथा कार्य करने में देरी होगी।

(2) छोटे वर्गों की मांग बढ़ना—राष्ट्रीयकरण होने से छोटे वर्गों के व्यक्ति ऋण प्राप्त करने की प्राप्ताएं तथाएं बंटे हैं जितने इनकी मांग में वृद्धि होने की संभावना है जितने लिए बैंकों को अनुसूचक योजनाओं का निर्माण करना होगा।

(3) संचालन में राजनीति का भय—बैंकों के संचालक मंडल में राजनीतियों के प्रवेश होने का भय बना हुआ है जिसमें प्रबंध कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकेगा तथा अनेक प्रकार की रुझानों का सामना करना होगा।

(4) एकता एवं क्षेत्रीय संतुलन का प्रभाव—संचालक मंडल में राज्य सरकारों का विजना प्रतिनिधित्व होगा तथा बैंक के बांधों का उपयोग किंतु प्रकार किया जाएगा यह एक क्षेत्रीय अनिर्णय के बंधन की संभावना उद्भव बनी रहती है। इसी प्रकार समस्त राशि का उपयोग किंतु क्षेत्र में किया जाएगा तथा अतिरिक्तित राज्य अपने ही राज्यों में पूंजी के प्राधिकारिक विनियोजन की मांग करेंगे, जो अन्य राज्यों के लिए समस्या उत्पन्न करेगा तथा एकता को सर्वत्र खतरा बने रहने का भय बना रहेगा। अतः राष्ट्रीयकरण से समस्याएं अधिक उत्पन्न होने की संभावनाएं बंद जाएंगी।


(5) धारक सेवाओं में कमी—राष्ट्रीयकरण के पश्चात् वैविध उद्योग में ग्राहक सेवाओं में कमी हो गयी है तथा बैंकों की उत्पादनता भी घट गयी है। इसका मुख्य कारण ठीक गति से बैंक शाखाओं में वृद्धि होने से योग्य व्यक्तियों की अनुपस्थिति का प्रभाव है।

(6) संचालन लागत में वृद्धि—ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों द्वारा कार्य करने से उनके संचालन व्यय में वृद्धि होकर बैंकों के लागतों में कमी हो जाएगी।

(7) प्राधिकारों पर अधिक ध्यान—राष्ट्रीयकरण से कर्मचारियों में कर्तव्य के स्थान पर अधिकारों की मनो-भावना अधिक पर कर गयी है, जिससे वे ग्राहकों की अधिकतम संतुष्ट करने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं।

राष्ट्रीयकरण संबंधी समस्याओं की निम्न चार्ज के रूप में रखा जा सकता है—

### राष्ट्रीयकरण संबंधी समस्याएं



#### सुझाव

राष्ट्रीयकरण की योजना को सफल बनाने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं—

(1) जमा वृद्धि के प्रयास—इन बैंकों को अपनी जमा पूंजी में वृद्धि करने के प्रयास करने चाहिए तथा कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना आवश्यक है। इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन शाखाएं खोली जानी चाहिए जिससे जमा में वृद्धि की जा सके।

(2) सधु उद्योगों को उदारतापूर्वक ऋण—भारत में सधु उद्योगों का काफी महत्व है और लगभग 1 लाख से भी अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें 30 लाख व्यक्ति रोजगार पाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि सधु उद्योगों को बैंकों द्वारा उदारतापूर्वक ऋण प्रदान किया जाना चाहिए।

(3) साल नीति को समायोजित करना—व्यापारिक बैंकों को अपनी साल नीति को पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर समायोजित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे योजनाएं सफलतापूर्वक कार्य कर सकें।

(4) सेवा-लागत में कमी—वैकिंग सेवाओं में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि बैंकों की सेवा-लागत में कमी की जाए तथा कुछ सेवाओं का उचित ढंग से यंत्रीकरण करना आवश्यक है। बैंकों का ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने में सेवा-लागत में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि वहां पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

(5) सेवाओं में सुधार—बैंकों की सेवाओं में पर्याप्त सुधार करना आवश्यक है और इसके लिए निम्न उपायों का प्रयोग किया जा सकता है—

(i) प्रतिरिक्त भत्ता—कर्मचारियों के कार्यों में कुशलता को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें कार्य के बदले प्रतिरिक्त भत्ता दिया जाना चाहिए। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि कर्मचारियों के लिए भी म्यूनतम कार्य का निर्धारण किया जाना चाहिए।

(ii) नवीन योजनाएं—ग्राहकों की बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन योजनाओं को प्रारंभ किया जाना चाहिए।

(iii) चयन प्रणाली में सुधार—बैंकों के कर्मचारियों को चयन प्रणाली में भी आवश्यक सुधार लाने चाहिए तथा श्रेष्ठ व योग्य कर्मचारियों को ही रखा जाना चाहिए।

(iv) ग्राहकों से संपर्क—बैंकों की सेवाओं के संबंध में समय-समय पर ग्राहकों से संपर्क स्थापित करना चाहिए तथा कमियों को दूर करने के प्रयास करने चाहिए।

(6) निर्यातों को सहायता—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 7% वार्षिक से निर्यातों में वृद्धि करके 1973-74 में 1900 करोड़ रुपये वार्षिक व 1980-81 में 3020 करोड़ रुपये वार्षिक तक निर्यात बढ़ाने हैं। अतः इस संबंध में बैंकों द्वारा भी यथासंभव वार्षिक सहायता प्रदान करनी चाहिए तथा निर्यातों को प्रोत्साहित करने के सफल प्रयास करने चाहिए।

(7) कृषि को ऋण देना—व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि वित्त की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। बैंकों द्वारा कृषि मांग का केवल 4% भाग ही पूर्ण किया जाता है तथा देश के लिए उसे सहकारी बैंकों एवं संस्थाओं पर निर्भर

रूढ़ा पड़ना है। अतः कृषि व्यवसाय को प्रविद्याधिक श्रेण प्रदान करने की सुविधाएँ दी जानी चाहिए। कृषि के लिए बीज, उर्वरक, ट्रैक्टर आदि के लिए व्यापारिक बैंकों द्वारा ही वित्तीय सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए जिनसे इस उद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा सके।

(3) कर्मचारियों की प्रगति में परिचयन—बैंक के कर्मचारी अपने-आपको उन्नता का संकेत न समझकर अधिकारी समझते हैं और उन्नता से प्रच्छा व्यवहार नहीं करते, विभिन्न उन्नत-सेवा की भावना ही प्रायः समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार धन जमा करने एवं निष्कालने में पनेछ जटिल प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है जिनसे सरलतम व्यवसाय प्रावश्यक है। ग्राहक के साथ प्रच्छा व्यवहार करने की भर्त्सना ही होनी चाहिए जिससे अधिनामिक ग्राहक प्राकल्पित हो सके।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने समस्त व्यापारिक बैंकों को परामर्श दिया है कि श्रेण स्वीकृत करते समय संभावनाओं की व्यक्तिगत मारटो पर अधिक धोर न दें। ऐसी मारटो प्रावश्यकता पड़ने पर ही प्राप्त की जानी चाहिए तथा श्रेण लेते बानी संख्या में कोई पारिस्थितिक संभावनाओं को प्राप्त नहीं होता चाहिए। इस संबंध में श्रेण लेने वाली कंपनी एवं प्रत्याभूति देने वाले में एक प्रतिज्ञा-पत्र लिया जाएगा कि श्रेण की मारटो के समय कोई भी कमीशन प्रस्ताव या अप्रत्याश रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने श्रेण स्वीकृत करने हेतु मार्गदर्शक का निर्माण किया है। मारटो केवल निम्न परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए—

(i) ऐसी कंपनी का जिनके अंश प्राप्त किए गए हैं।

(ii) जहाँ कंपनी में प्रबंध की निरंतरता की प्रावश्यकता हो।

(iii) सार्वजनिक मोहित कंपनियों को भी श्रेण स्वीकृत किया जा सकता है।

(iv) ऐसी सार्वजनिक कंपनियाँ जिनकी वित्तीय स्थिति श्रेण प्राप्त करने के पश्चात् भी सुदृढ़ न हो।

(v) सहायक कंपनियों जिनकी स्वयं वित्तीय स्थिति संतोषजनक न हो।

(vi) जहाँ कंपनी की स्थिति विवरण या वित्तीय विवरण अपने-आपों को किसी अन्य कंपनी में लया हुआ दिखाता हो।

अभी हाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने निम्न-मध्यम-वर्ग के व्यक्तियों के लिए गृह-निर्माण के लिए श्रेण प्रदान करने की योजना का निर्माण किया है। यह श्रेण अधिक से अधिक व्यक्तियों को दिया जाएगा। इस संबंध में शर्तों के निर्धारण के लिए रिजर्व बैंक ने एक मनिफेस्टो का निर्माण किया है। जीवन बीमा निधि 4.5 से 8.5% पर गृह निर्माण के लिए श्रेण प्रदान करता है। 8.5% पर निधि ने 17.31 करोड़ रुपये श्रेण दिए हैं जो विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों को दिए गए हैं। इनके परिचरक बैंकों द्वारा भी यह श्रेण प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इन बातों के मरसक प्रमाण किए हैं कि उनके कार्य क्षेत्र की योजनाओं के साथ संबंधित हो जाएँ। अपने साल-कावों के आधार पर बैंक विभिन्न उरतादक संस्थाओं को अधिकतम लाभ प्रदान करने के प्रमाण कर रहे हैं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् 6 वर्षों में बैंकों के क्षेत्र में मुतासक परिवर्तन आए हैं जो निम्न प्रकार हैं—

(i) बैंकों द्वारा श्रेण प्राथमिक क्षेत्रों को दिया जाने लगा है ज्ये कि कृषि, लघु उद्योग, छोटे व्यवसाय, सड़क व जन परिचरक, व्यावसायिक बैंकाएँ आदि। निम्न मध्य में बैंक इन क्षेत्रों का ध्यान नहीं देते थे।

(ii) प्राथमिक क्षेत्र में ही निम्न प्राय के व्यक्तियों को श्रेण देने में अधिक धोर दिया जाता है और विभिन्न रिमायनी दरों पर व्याज की व्यवस्था की जाती है।

(iii) उद्योगों के क्षेत्र के प्रवाह में वृद्धि हुई है, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र में सादाल प्राप्ति एवैतों को सम्मिलित है।

(iv) बैंक माध्य में बढ़े एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को दिए जाने जाने हिलने में पर्याप्त कमी आई है।

(v) बैंकों द्वारा छोटे श्रेणों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है।

(vi) विभिन्न व्यापार की प्रव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंश मानने में बैंकों द्वारा इस क्षेत्र को प्राय-विकला में श्रेण दिया जाता है।

**वर्तमान बैंकिंग ढांचा**  
(Modern Banking Structure)

वर्तमान देश में औद्योगिक शक्ति एवं संबंधित परिवर्तन हो चुके हैं, फिर भी सरकार ने देश में बैंकिंग ढांचे को और और विभिन्न स्तर नहीं उठाया है। अधिकारियों का ध्यान समय-समय पर इस और बना है तथा चतुर्थ योजना में बैंकिंग इनीशन इस और महत्वपूर्ण काम करेगा। इस समस्या को और प्राथमिक रूप में ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि वर 150 वर्षों से भारत में बैंकों का विकास मुनिश्चित रूप से संभव नहीं हो सका है। द्वितीय, सरकार ने बैंकिंग पद्धति पर उनकी बना पर 83% नाम पर प्राथमिक प्राय करके अच्छी स्थिति प्राप्त कर ली है। इस उपाय का प्रमुख उद्देश्य बैंकिंग पद्धति को सामाजिक उद्देश्य को पूर्ण में लाना है, विशेष राष्ट्रीय प्राथमिकता एवं नीति के आधार पर देश के नवी वनों को नाम की पूर्ण को बा सके।

1935 के रिज़र्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत देश में ब्रिटिश बैंकिंग पद्धति का निर्माण हुआ जिसमें इंग्लिश बैंक, 105 भारतीय संयुक्त-संरक्ष बैंक एवं 17 विविध बैंकों, जिसकी बनासमि 234 करोड़ रुपये थी, पर केंद्रीय बैंक का अधिकार हो गया। इसी साथ विनाय के द्वारा रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों पर भी अपना अधिकार रखा। द्वितीय विश्वयुद्ध ने बैंकिंग के विकास को मोल्दाहित किया। बैंकों की साथ साथ मुद्रिया के काम सुदोमरात प्रत्येक बैंक प्रयत्न हो गए। 1956 के बाद देश में बैंकों का तीव्र गति से विकास हुआ। परंतु इस समय देश में 334 बैंक-संयुक्त बैंक जिसकी 1,101 शाखाएं एवं 74 करोड़ रुपये बना ससि थी, देश में कार्य कर रही थी। 30 जून, 1970 तक सर्व-जनिक क्षेत्र में बैंक ने 1456 शाखाएं स्थापित कीं, जिसका कु नाम प्रानोम क्षेत्रों में स्थापित किया गया।

**वर्तमान स्थिति**

जून 1969 में भारत में बैंकों के कुल 8187 कार्यालय थे जिनमें 166519 नाम रचना बना थे और बैंकों द्वारा 3600886 नाम रुपये प्रतिन के रूप में दिए गए थे जो 1974 में बढ़कर अमशः 16812, 1071354 नाम रुपये एवं 203944 नाम रुपये हो गए। परंतु यह विकास समस्त राज्यों में समान रूप से संभव नहीं सका। राज्य आधार पर बैंकों की वर्तमान स्थिति को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

नाम रुपये में

राज्य	कार्यालय	जून 1969		कार्यालय	जून 1974	
		बना	प्रतिन		बना	प्रतिन
1. प्रायनदेश	567	16279	14667	1234	44190	37630
2. आसाम	63	3429	1401	178	9069	4144
3. बिहार	272	16936	5227	671	49767	17890
4. गुजरात	753	40197	19543	1436	81753	50372
5. हरिजाना	171	5336	2622	390	15102	10642
6. हिमाचल प्रदेश	42	1406	382	159	6137	1054
7. बन्गू-कम्पीर	35	2826	545	164	7496	2332
8. कर्नाटक	755	23635	17462	1620	52237	47952
9. केरल	543	15202	9871	1063	33969	24534
10. मध्यप्रदेश	343	11116	6528	819	29660	18570
11. महाराष्ट्र	1114	112442	107062	1999	234941	213025
12. नागालैंड	2	107	6	7	318	78

532 / जन्मत मौद्रिक प्रबंधन

13. उड़ीसा	100	3113	1663	255	8955	4903
14. पंजाब	345	20308	5818	869	50275	22271
15 राजस्थान	364	8497	4426	743	21121	12589
16. तमिलनाडु	1060	29349	38063	1783	76532	84029
17. उत्तर प्रदेश	738	36490	17295	1660	95399	46789
18. प० बंगाल	503	64345	69971	988	136959	116768
19. चंडीगढ़	21	3620	6465	44	6818	17327
20. देहली	274	44925	29122	501	94955	69267
21. गोवा, दामन, दियु	85	4940	1981	133	9958	4474
22 अन्य	27	1911	766	91	5153	1804
योग	8187	466519	360886	16812	1071354	808944

(Source : The Financial Express, July 4, 1975)

व्यापारिक बैंकों ने प्रतिवर्ष 1800 नवीन कार्यालय खोले । 1969-70 में 1869 कार्यालय व 1974-75 में 1701 नवीन कार्यालय खोले गए । इसे निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

व्यापारिक बैंकों द्वारा खोले गए कार्यालय

वर्ष	कार्यालय	प्रतिशत वृद्धि
1969-70	1869	22.6
1970-71	1882	18.6
1971-72	1607	13.3
1972-73	1742	12.8
1973-74	1574	10.2
1974-75	1701	10.1

(Source : The Economic Times, Sept. 19, 1975)

देश में बैंकिंग का विकास सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में होता है । सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के कार्यालयों की संख्या निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक है । इसी प्रकार बैंक की जमा व बैंक साख की राशि निजी क्षेत्र की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक है । सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर बैंक कार्यालयों की सख्या जमा राशि एवं साख की मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई है ।

सहकारी साख प्रदान करने की प्रामाण्य विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया, परंतु इसने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया । इसी कारण से देश के प्रत्येक क्षेत्र में सहकारी एवं संयुक्त रूप दोनों ही एजेंसियों को विकास के भवभर प्रदान गए । वर्तमान समय में सहकारी साख ढांचा तीन रूपों में कार्य करके साख विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देता है ।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों ने प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने में प्राथमिकता धरनाई । अनुसूचित बैंको द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में 1969 में 3599 करोड़ रु० ऋण के रूप में दिए गए जो 1974 में बढ़कर 7914 करोड़ रु० हो गए । इसे निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

## अनुसूचित बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

	जून						दिसंबर
	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1974
साख (करोड़ ₹० में)	3599	4213	4763	5480	6412	7827	7914
प्रतिशाखा साख (साख ₹० में)	45	42	40	40	42	46	44
प्रतिव्यक्ति साख	68	78	87	97	117	143	144
प्राथमिक क्षेत्र को ऋण	439	761	897	1058	1292	1688	—
प्राथमिक क्षेत्र का भाग (प्रतिगत में)	14.9	21.2	22.1	23	23.8	25.3	—
साख-बन्धा अनुपात	77.5	79.9	76.6	72	70	73.1	69.2
विनियोग-बन्धा अनुपात	29.3	28.5	29.1	30.5	32.1	30.8	33.2

(Source : The Financial Express, July 4, 1975)

## बैंकिंग सुधार

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों के कार्य में पर्याप्त सुधार हुआ है। (i) बैंकों के ऋण षाहरो से हटकर क्षेत्रों को दिए जाने लगे हैं, (ii) ऋण प्राथमिक क्षेत्रों को धीरे परिवर्तित हो गया है, (iii) धन की सुरक्षा के स्थान पर योजना को महत्व दिया जाता है। इन सुधारों से बैंकों के पुराने विनियोग सिद्धांत जैसे तरलता, सुरक्षा लाभ आदि के स्थान पर कार्य-बजट को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य में बैंकों के संबंध में राष्ट्रीय नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इससे पूर्व बैंकिंग व्यवस्था आर्थिक नियोजन से संबंधित नहीं थी। विकास के कार्यों में समस्त साधनों का सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है, जिसमें से व्यापारिक बैंक भी एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसे हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान समय में बैंकिंग को आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण हथियार माना गया है जो बचतों को प्राप्त करके विभिन्न क्षेत्रों को साख की व्यवस्था करने में मदद करता है।

अनुशा बंध योजना के अंतर्गत बैंकों को दो कार्य करने होते हैं—(i) पिछड़े क्षेत्रों में ऋण की व्यवस्था करके विकास में सहायता देना, (ii) जिनमें कार्यरत सहकारिता एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए सीडर के रूप में कार्य करके विकास में मदद करना। इस योजना में देश के 336 जिलों को (बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चण्डीगढ़, देहली एवं गोवा को छोड़कर) सांख्यिक क्षेत्र की 22 बैंकों व निजी क्षेत्र की 2 बैंकों में वितरित कर दिया गया है। समस्त जिलों में जिला परामर्श समितियाँ बना दी गई हैं। बैंकिंग सेवाएँ भौगोलिक एवं कार्य दृष्टि से बढ़ रही हैं। देश के समस्त जिलों को बैंकों की शाखाओं से ढक दिया गया है और एक साधारण व्यक्ति भी बैंक की सेवाओं से लाभ प्राप्त कर सकता है। व्यापारिक बैंकों ने राष्ट्रीयकरण की चुनौती को स्वीकार कर लिया है तथा नवीन भारत की सरलता से सहन कर लिया है। बैंकों को साख-नियोजन के कार्य को सफलतापूर्वक सन्मूलन करना है। विकास योजनाओं का निर्माण व निष्पादन कार्य सरकार का है और बैंक सरकार द्वारा निर्मित योजनाओं में सहायता देते हैं। साख-योजना का बनाना ही आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना गया है। बैंक एवं नियोजक अधिकारों के समुचित प्रदानों से ही तीव्र विकास संभव हो सकता है। अतः बैंक साख योजना एवं जिले की आर्थिक योजना को साध-साध चतना चाहिए जिससे विकास शीघ्रता से संभव हो सके।

भारत में वर्तमान बैंकिंग ढांचे व व्यवस्था को निम्न चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है।

## विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Banks)

### प्रारम्भिक

जो बैंक विदेशी विनिमय में व्यवसाय करें एवं विदेशी व्यापार को वित्त व्यवस्था का प्रबंधन करें, उन्हें विदेशी विनिमय बैंक कहते हैं। वर्तमान समय में कोई भी राष्ट्र न तो अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति एकमात्र अपने उत्पादन से कर पाता है और न ही अपने उत्पादन को खपत स्वयं ही करके समुष्ट रह सकता है। अतः प्रत्येक देश को आयात एवं निर्यात पर निर्भर रहना पड़ता है और विदेशी व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश को विदेशी मुद्रा से संबंधित बैंकिंग व्यवहार करने होते हैं, जिसमें विविध बैंकिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। भारत में इन बैंकों का उद्गम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल से प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इनकी स्थापना को प्रोत्साहित किया। इनके प्रधान कार्यालय इंग्लैंड में तथा अन्य शाखाएं भारत में रहती थीं जो भारत के विदेशी व्यापार का प्रबंध-प्रबंधन किया करते थे। भारत सरकार द्वारा इन बैंकों को अनेक प्रकार की प्राथिक सहायता प्रदान की जाती थी, जिससे अल्पकाल में अनेक बैंक स्थापित हो गए तथा धीरे-धीरे यही बैंक अधिक शक्तिशाली हो लगे। ये बैंक प्रायः विदेशी संचालित किए जाते थे।

भारतीय बैंकों द्वारा विदेशी विनिमय के क्षेत्र में प्रवेश न करने के कारण—विदेशी विनिमय बैंक बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए थे। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय बैंकों ने विदेशी विनिमय व्यवसाय में प्रवेश करने के प्रयास किए, परन्तु वे इस कार्य में सफल न हो सके। इस असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

(i) शाखाओं का अभाव—विदेशी विनिमय बैंकों की शाखाएं विदेशों में थीं, परन्तु भारतीय बैंकों की शाखाएं प्रायः इंग्लैंड तक ही सीमित रहती थीं जिससे विदेशी व्यापार को सुगमतापूर्वक करना संभव न हो सका।

(ii) सरकार द्वारा उपेक्षा—भारत में व्यापार करने पर विदेशी बैंकों को सरकार द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती थीं, परन्तु भारतीय बैंकों को विदेशों में व्यापार करने पर यह सुविधाएं प्राप्त नहीं होती थीं तथा उनके कार्यों में अनेक प्रकार की बाधाएं पहुंचाई जाती थीं।

(iii) विदेशियों का स्वामित्व—प्रायः विदेशी व्यापार पर विदेशियों का ही स्वामित्व रहता था-जिससे केवल विदेशी विनिमय बैंक ही इसका प्रबंध-प्रबंधन कर सकते थे। भारतीय बैंकों के पास विदेशी व्यापार का कार्य कम रहने से वे विदेशी बैंकों की सहायता प्राप्त न कर सके।

(iv) पूंजी का अभाव—भारतीय बैंकों की पूंजी विदेशी बैंकों की तुलना में कम रहने से प्रतियोगिता में टकराना कठिन था। इसके अतिरिक्त विदेशी बैंकों का विदेशी मुद्रा बाजार से घनिष्ठ संबंध होने से वे विदेशों से आवश्यक पूंजी एकत्रित कर लेते थे जबकि भारतीय बैंकों को यह सभी सुविधाएं उपलब्ध न होने से वे विदेशी व्यापार को समुचित प्रबंध-व्यवस्था करने में असमर्थ थे।

(v) योग्य कर्मचारियों का अभाव—भारतीय बैंकों के पास कार्य करने के लिए कुशल कर्मचारियों का अभाव था जिससे वे अपने कार्यों को संचालित इस में नहीं कर सके थे। इसके विपरीत विदेशी बैंकों में कुशल कर्मचारी होने से उनका कार्य संचालित एवं व्यवस्थित रूप से किया जाता था और उन्हें स्थायि प्राप्त थी। परन्तु भारतीय बैंकों को ऐसी



स्वाति प्राप्त न होने से वे विदेशी बैंको से प्रतियोगिता न कर सके और सफल भी न हो सके ।


अरबि—भारतीय बैंक विदेशी व्यापार क्षेत्र में बैंकिंग कार्यों के क्षेत्र में कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाते थे क्योंकि वे घातरिक व्यापार में ही अपनी पूँजी से पर्याप्त लाभ अर्जित कर लेते थे जिससे इन बैंकों का व्यवसाय इस क्षेत्र में पनप नहीं सका ।

विदेशी विनिमय बैंकों के कार्य

(Functions of Foreign Exchange Banks)

विदेशी विनिमय बैंकों के कार्यों को निम्न चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है—

विदेशी विनिमय बैंकों के कार्य



विदेशी विनिमय बैंकों के प्रमुख कार्यों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) निर्यात व्यापार को सहायता—इस संबंध में विदेशी व्यापार के विकास के लिए विदेशी बैंक विदेशी विनिमय बिलों की स्वीकृति अथवा कटौती करके प्रार्थिक सहायता प्रदान करते हैं इससे वस्तुओं का आयात-निर्यात सरल हो जाता है । भारतीय व्यापारी द्वारा माल निर्यात करने पर विदेशी ग्राहक या उसके बैंक पर भुगतान बिल या दर्शनी स्वीकृति बिल जारी करता है । यह बिल प्रायः 3 माह की अवधि के होते हैं जो आयातकर्ता द्वारा साल की व्यवस्था करने पर ही लिखा जाता है । निर्यातक इस बिल को भारत में स्थित विदेशी बैंक की शाखा से भुना लेता है तथा इस प्रकार भ्रय किए गए बिल को विदेशी विनिमय बैंक विदेश में स्थित अपनी शाखा को भेज देता है । यह बैंक उस बिल की परिपक्वता की अवधि तक अपने पास रखकर आयातकर्ता से धन प्राप्त कर लेता है या उस बिल को सुरत मुद्रा बाजार में बेचकर धन प्राप्त कर लेता है । यदि निर्यातकर्ता इस बिल को विनिमय बैंक के पास संग्रह के लिए भेजता है तो उसे अपने का भुगतान बिल की अवधि समाप्त होने पर प्राप्त होता है । इस प्रकार विनिमय बैंक भारतीय विदेशी व्यापार में निर्यात को प्रोत्साहित करके अपने सीमित कोषों का अधिकतम उपयोग करते हैं ।

(2) आयात व्यापार को सहायता—विदेशी विनिमय बैंक आयात व्यापार को सहायता प्रदान करते हैं । प्रायः आयातकर्ता दो प्रकार के होने हैं और दोनों को ही यह बैंक प्रार्थिक सहायता प्रदान करते हैं । यह आयातकर्ता निम्न प्रकार के होते हैं—

(i) ऐसे आयातकर्ता जिनकी लंदन में कोई एजेंसी नहीं है—ऐसी स्थिति में निर्यातकर्ता बिल एवं संबंधित विपणों को उपजी कटौती करके ऐसे बैंक द्वारा करता है, जिनको भारत में शाखा है । इस बिल को भारत स्थित शाखा को भेज दिया जाएगा । इन बिल के बदले राशि प्राप्त होने पर उसे प्रधान कार्यालय को भेज दिया जाएगा । इन बिलों की अवधि प्रायः 60 दिनों की होती है ।

(ii) जिनकी इरलैण्ड में एजेंसी है—ऐसी परिस्थिति में निर्यातकर्ता लंदन के किसी विनिमय बैंक पर बिल

लिखकर उसे आयातक को सदन स्थित शाखा से स्वीकृत कराकर विनिमय बँक में दटौती करा लेगा। इस बिल को स्वीकार करके भारत स्थित शाखा को भेज दिया जाता है जो 60 दिनों की अवधि समाप्त होने पर उसकी राशि को आयातकर्ता से वसूल कर लेता है तथा उसे सदन स्थित शाखा को भेज देता है, जिससे निर्यातकर्ता को तुरंत राशि प्राप्त हो जाती है।

इस प्रकार विदेशी विनिमय बँक आयात व्यापार को प्रोत्साहित करके विदेशी व्यापार में अत्यंत गह्रावक सिद्ध होते हैं। विदेशी व्यापार में विनिमय बँकों के अभाव में कार्य करना कठिन हो जाता है।

(3) साधारण व्यापारिक बैंकिंग के कार्य—विदेशी विनिमय बँक देश में साधारण व्यापारिक बैंकिंग सबको व्यवसाय को भी करते हैं, जो देशी एवं विदेशी वित्तों का लेन-देन भी करते हैं तथा व्यापारिक बँकों को भाति जनता से धन प्राप्त करके ऋण प्रदान करते हैं, धन के हस्तांतरण की सुविधा देते एवं एजेंसी का कार्य करते हैं। ये बँक व्यापारिक बँकों से प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा जनता से धन भी स्वीकार करते हैं।

(4) घातृक व्यापार को सहायता—विदेशी विनिमय बँक देश के घातृक व्यापार में भी धार्मिक सहायता देकर उसे विकसित करने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में इन बँकों द्वारा देश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएँ स्थापित की जाती हैं जो व्यापारिक लेन-देन में अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करते हैं। इस प्रकार विदेशी बँक देश के घातृक व्यापार में भी देशी बँकों से प्रतिद्वेषिता करते हैं। देश के घातृक व्यापार में काफी धन इन्हीं बँकों में लगा हुआ है।

भारत स्थित विनिमय बँकों की वर्तमान स्थिति—भारत में विदेशी विनिमय बँक प्राचीन समय से ही कार्य कर रहे हैं जिनका भारत स्थित शाखाओं में काफी मात्रा में धन विनियोजित है। इन बँकों की अधिकांश शाखाएँ देश के बड़े-बड़े नगरों में स्थित हैं। ये बँक विदेशी व्यापार के प्रतिरिक्त देश के घातृक व्यापार में भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वर्तमान समय में देश में कुल 15 विदेशी विनिमय बँक कार्य कर रहे हैं, जिनकी कुल 125 शाखाएँ हैं। इन बँकों में अपने विदेशी शाखाओं से धन मगाकर विदेशी विनिमय को कठिनाई को दूर करने में सहायता प्रदान की है। ये बँक अपने विनियोग का 15% भाग देशी एवं विदेशी वित्तों में विनियोजित करते हैं। यह बँक निर्यात व्यापार का 70% तथा आयात व्यापार का 90% विदेशी व्यापारिक बैंकिंग कार्य संभालते हैं। वर्तमान समय में भारत में 13 विदेशी विनिमय बँक हैं जिसमें से 4 ब्रिटिश, 3 अमेरिकी, 2 जापानी, 1 नीदरलैंड, 1 हांगकांग तथा फ्रांस के हैं। 2 पाकिस्तानी बँक 26 फरवरी, 1966 में कस्टोडियन ऑफ एनीमो प्रावर्टी द्वारा ले लिये गए। नेशनल एंड सिंगल बँक, फर्स्ट नेशनल मिटी बँक तथा चाटर्ड बँक सबसे बड़े बँक हैं। इनके कुल विशेष समस्त विशेष के हैं तथा समस्त बँकों के निक्षेपों का 7.3% है।

विदेशी बँकों की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

### विदेशी विनिमय बँकों की स्थिति

(करोड़ रु० में)

वर्ष	बँकों की संख्या	शाखाएँ	निक्षेप	ऋण धेप कुल
1951-52	16	65	162	158
1955-56	17	67	185	189
1960-61	15	70	218	234
1965-66	15	95	349	282
1968-69	15	125	478	408
1972	13	131	686	492

विनिमय बैंकों को मुख्य विशेषता यह रही है कि भारत में कुल विनियोग राशि निर्यातों में अधिक रही है। 1972 में इन बैंकों ने 686 करोड़ रु० की जमाएँ थीं, जबकि इनके 492 करोड़ रु० ऋणों में, 205 करोड़ रु० सरकारी प्रतिनूतियों में एवं 24 करोड़ रु० याचना राशि में विनियोजित थे तथा 42 करोड़ रु० नकद थे। इस प्रकार कुल विनियोगजन 763 करोड़ रु० था। विदेशी विनिमय बैंक भारतीय व्यापार में 25-30 करोड़ रु० तथा विदेशी व्यापार में 50-60 करोड़ रुपए साक्षिक हो विनियोग करते हैं। यह कुल निक्षेपों का 15% विदेशी व देशी बिलों में विनियोजित करते हैं, जबकि भारतीय अनुमूचित बैंक बिलों में 11% ही विनियोजन करते हैं।

**महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ—**वर्तमान समय में भारत में विदेशी विनिमय बैंकों की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ हैं जिसके मुख्य कारणों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(i) व्यापार विदेशियों के हाथों में—भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार विदेशियों के हाथों में रहने के कारण समस्त कार्य इन्हीं बैंकों द्वारा किया जाता है।

(ii) साधनों की प्रचुरता—विदेशी विनिमय बैंकों के पास वित्तीय साधनों की प्रचुरता पाई जाती है जिसका उपयोग विदेशी व्यापार में करने से वे अधिक शक्तिशाली बन गए हैं।

(iii) कुशल कर्मचारियों प्रबंध—विदेशी विनिमय बैंकों का संभालन एवं प्रबंध कुशल कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, जिससे देश में उन्हें अधिक शक्तिशाली स्थान बना लिया है।

(iv) दीर्घकालीन कार्य—भारत में वे बैंक दीर्घकाल से कार्य करते आ रहे हैं जिससे इन्होंने जनता में विश्वास उत्पन्न कर लिया है तथा इनकी शक्ति बढ़ गई है।

(v) सरकार की उदार नीति—भारत सरकार की उदार नीति के कारण विनिमय बैंकों ने पहले से काफी विकास किया है तथा देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।

### विदेशी विनिमय बिलों की सफलता के कारण

विदेशी विनिमय बिलों की सफलता के मुख्य कारण निम्न हैं—

(1) नियंत्रण का अभाव—स्वतंत्रता से पूर्व इन बैंकों पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था और इन्हें प्रतिरिक्त मुक्ति प्राप्त होती थी जो भारतीय बैंकों को प्राप्त नहीं थी।

(2) व्यापार पर आधिकार्य—भारत के विदेशी व्यापार पर विदेशियों का आधिकार्य होने से वे विदेशी बैंकों को ही अपना कार्य अधिक देते थे, जिससे वे उन्नति करते गए।

(3) विज्ञान साधन—विदेशी विनिमय बैंकों के वित्तीय साधन भारतीय बैंकों की तुलना में बहुत अधिक थे। अतः वे बैंक विदेशी विनिमय के कार्यों को सरलता से कर पाते थे।

(4) दीर्घकाल से कार्य करना—यह बैंक भारत में दीर्घकाल से कार्य करते आ रहे थे, जिससे भारत में इनकी जड़ें मजबूत हो गईं।

(5) कुशल प्रबंध—विदेशी विनिमय बैंक भारतीय बैंकों की तुलना में अधिक कुशल रहे हैं जिससे जनता का विश्वास इन बैंकों में अधिक बन गया।

### विशेषताएँ

भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) विदेशी पूंजी का आयात—इन बैंकों ने अपने विदेश स्थित कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त मात्रा में विदेशी पूंजी का आयात करके विदेशी विनिमय की समस्या के समाधान में सहायता प्रदान की है।

(ii) बरफाहू केंद्र—विनिमय बैंकों के अधिकांश कार्यालय बरफाहू केंद्रों में स्थित होने के कारण विदेशी व्यापार के बिल को मात्र ही सरलता से पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होते थे।

(iii) ब्रिटिश बैंकों का प्रभुत्व—भारत में स्थित समस्त विदेशी बैंकों में से ब्रिटिश बैंकों की अत्यंत अधिक

होने से उनका प्रमुख व्यव भी पाया जाता है।

### विनिमय बैंकों के दोष (Defects of Foreign Exchange Banks)

भारत के हित को ध्यान में रखते हुए विदेशी विनिमय बैंकों के प्रमुख दोषों को निम्न प्रकार तथा सा यक्ष्य है—

(i) भारत विदेशी नीति—इन बैंकों ने भारत में ही भारत विदेशी नीति का चलन करने भारतीय व्यापारियों को विदेशी व्यापार के लिए हतोत्साहित किया। उदाहरणार्थ भारतीय व्यापारियों का साख्तन वा 10-15% भाग नकद जमा करने पर ही चलने की अनुमति मिल जाती थी। इसी प्रकार बिलों के संबंध में वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हो जाती थीं जो कि यूरोपियन व्यापारियों की ही जाती थीं। कभी-कभी प्रवर्तनवक पारिविक स्थिति वाले यूरोपियन व्यापारियों को आर्थिक स्थिति वर्गीकृतकर बनाकर भारतीय व्यापारियों को पीछा दिया जाता रहा। प्रादुर्भूत से यह अनुशासन किया जाता था कि वे अपने समस्त व्यापारिक लेन-देन विदेशी सरथाओं द्वारा ही करें। इस प्रकार अनेक रूपों से भारत विदेशी नीति अपनाकर भारतीय बैंकों को हतोत्साहित किया तथा विदेशी विनिमय बैंकों को प्रवर्तन के व्यवहार प्राप्त हुए।

(ii) पूंजी का विदेशी हित में उपयोग—भारत के विदेशी व्यापार वा अर्थव्यवस्था भारतीय पूंजी से होने के कारण भारतीय पूंजी का उपयोग विदेशी व्यापारियों के हित में किया जाता है, जिससे उस पूंजी से प्राप्त होनेवाला लाभ विदेशियों को जाता है जिसका विदेशी मुद्रागत अनुगत पर विद्यमान प्रभाव पड़कर देश की अर्थव्यवस्था कुम्भारित हो जाती है।

(iii) भारतीय बैंकों से प्रतिस्पर्धी—विदेशी विनिमय बैंकों ने प्रायः भारतीय बैंकों से प्रतिस्पर्धी करके भारतीय बैंकों के विकास को हतोत्साहित किया है। वे बैंक अपनी अर्थों साख के कारण कम व्याज दर पर अपना से धन आकर्षित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप देश के आर्थिक व्यापार में भी इनका महत्व बढ़ता जा रहा है। परिणामस्वरूप अनेक भारतीय बैंक अस्तित्व में आ गए तथा उन्होंने विकास नहीं किया।

(iv) विदेशी कर्मचारियों—विदेशी विनिमय बैंकों ने प्रायः विदेशी कर्मचारियों ही रखे जाते हैं, जिससे भारतीय कर्मचारियों को काम भीषण के व्यवहार प्राप्त नहीं हो पाते तथा उन्हें विकास करने के व्यवहार प्राप्त नहीं हो पाते।

(v) अनुचित वेतनाथ—विदेशी विनिमय बैंक समन्वयों को पूर्ण करने में देगी होने से अनुचित हर्षना वसूल करते हैं तथा वेतनाथ की नीति अपनाते हैं। इसके भारतीयों के विदेशी व्यापार पर अनुचित प्रभाव पड़ता है।

(vi) निरर्थक बैंक के प्रभाव का प्रभाव—विदेशी विनिमय बैंकों का संबंध प्रायः अंदर मुद्रा बाजार से बना रहता है जिससे निरर्थक बैंक द्वारा उनके कार्यों पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है। परिणामस्वरूप मुद्रा बाजार का स्थिति संवत्त संभव नहीं हो पाता।

(vii) विदेशी द्वारा नीति निर्धारण—प्रायः विनिमय बैंकों के प्रधान कार्यालय विदेशों में स्थित है जिससे इन बैंकों की नीतियों का निर्धारण विदेशी हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जो प्रायः भारतीयों के हितों में नहीं होती। इसके विदेशी व्यापार भी चल नहीं पाता तथा भारतीयों को लाभ से वंचित होना पड़ता है।

(viii) अनुचित रूप से बंटित—यह बैंक भारतीय व्यापारियों को सामान्य स्थितियों के लिए अनुचित रूप से दक्षिण करते रहे और विदेशियों को छोड़ दिया करते थे।

(ix) विदेशी कर्मचारियों को प्रोत्साहन—यह बैंक भारतीय व्यापारियों पर अनुचित प्रभाव डालकर विदेशी व्यापार का बीमा एवं बढ़ावा की कर्मियों को बाढ़ा दिया है, जिससे भारतीय कर्मियों को हानि का सामना करना पड़ा।

(x) भारतीय हितों को उपेक्षा—यह बैंक भारतीय व्यापारियों के हितों को उपेक्षा करते रहे, जिससे उन्हें नार्थ हानि उभरती पड़ी।

(xi) गलत सूचनाएँ देना—ये बैंक भारतीय व्यापारियों एवं कर्पणियों को धार्मिक स्थिति के बारे में सदैव गलत सूचनाएँ देकर प्रतिष्ठा पर प्रापात करते रहे।

(xii) कार्यों की गोपनीयता—यह बैंक अपने कार्यों एवं नीतियों को गोपनीय रखते थे, जिससे भारतीय व्यापारी प्रयत्न करने में रहते थे। यह न तो अकेला करता है और न ही धार्मिक स्थिति विवरण प्रकाशित करता है।

(xiii) शोषण बिल के लिए बाध्य करना—ये बैंक भारतीय व्यापारियों की स्वीकृत बिल के आधार पर मान निर्यात करने की योजनाएं देते रहे, और दूसरी ओर भारतीय आयातकर्ताओं को विदेशों के माल का आयात शोषण बिलों के आधार पर करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं, जिससे यह नीति भारतीय व्यापारियों के लिए उपयोगी नहीं रही।

### विनिमय बैंकों पर नियंत्रण (Regulation of Exchange Banks)

1949 में भारतीय बैंकिंग प्रविनिमय ने विदेशी विनिमय बैंकों पर अनेक प्रतिबंध लगाए, उन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए विनिमय बैंकों के दोषों को दूर करने के निम्न उपाय बताए जा सकते हैं—

(1) अनुज्ञापत्र लेना—भारत में स्थित समस्त विदेशी विनिमय बैंकों को अनुज्ञापत्र लेना अनिवार्य कर देना चाहिए तथा नियमों का पालन न करने पर उनके अनुज्ञापत्रों को रद्द कर देना चाहिए। लाइसेंस देते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे भारतीय हितों के विरुद्ध में न हों।

(2) भारतीय मुद्रा में चिट्ठा बनाना—प्रत्येक विदेशी विनिमय बैंक को अपनी धार्मिक विट्टा तैयार करके उसे भारतीय मुद्रा में प्रदर्शित करके प्रकाशित करना चाहिए। इस चिट्ठे को एक प्रतिनिधि धकेलक की रिपोर्ट सहित रिजर्व बैंक को भेज देनी चाहिए।

(3) रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंध—विदेशों में स्थित समस्त विदेशी विनिमय बैंकों को अपनी चुकता पूंजी एवं कोष की मात्रा 15 लाख रुपये करनी होगी और यदि इनके व्यवसाय कसकता एवं बन्दई में है तो यह मात्रा 20 लाख रुपये होनी चाहिए तथा यह समस्त राशि रिजर्व बैंक के पास नकद या प्रतिभूति के रूप में जमा करनी चाहिए।

(4) रिजर्व बैंक के पास जमा धन—विदेशी विनिमय बैंकों को भारत में स्थित शाखा की जमा राशि का कम से कम 75% भाग भारत में रखना चाहिए तथा अपनी कुल मांग दायित्व एवं काल दायित्व का 3% भाग मन्व व्यापारिक बैंकों को भानि नकद में रिजर्व बैंक के पास जमा करना होगा।

(5) कोष निर्यात पर प्रतिबंध—विदेशी विनिमय बैंक अपने कोषों का प्रयोजन भाग विदेशों को निर्यात कर देते थे जिससे अधिकांश पूंजी भारत से बाहर चली जाती थी। अतः भारत में व्यवसाय करने वाले समस्त विदेशी विनिमय बैंकों को अपने दायित्व का कम से कम 75% भाग भारत में ही रखना चाहिए।

(6) निरीक्षण व्यवस्था—रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारत में स्थित किसी भी विदेशी विनिमय बैंक का निरीक्षण इच्छानुसार कर सकता है तथा उसके आधार पर उचित प्रादेश भी दे सकता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय बैंकों की अनुचित कार्यों/बाधियों पर प्रतिबंध लगा सकता है।

(7) भारतीयकरण—इन बैंकों में अधिकांश भाग में भारतीयों को नियुक्त की जानी चाहिए तथा उनके प्रशासन का उचित प्रबंध करना चाहिए। 1947 के पश्चात् इन बैंकों में भारतीयों को ही अधिकांशतया नियुक्त किया गया है जिससे देश के हित में कार्य किया जा सके।

(8) भारतीय सदस्यों का सलाहकार मंडल—1 फरवरी, 1969 से भारतीय बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण होने से विदेशी विनिमय बैंकों के सलाहकार मंडल में भारतीयों को नियुक्त करना आवश्यक हो गया है, इससे देश के विकास में नीतियों का निर्माण हो गया तथा इति, नपु उद्योग एवं निर्यात कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में धन व धार्मिक सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

(9) पूंजी व कोष रिजर्व बैंक के पास रखना—बैंकिंग विधान की धारा 11 (2) के अनुसार भारत में शाखा खोलने वाले प्रत्येक विदेशी बैंक को कम से कम 15 लाख रुपये रिजर्व बैंक में रखना अनिवार्य कर दिया गया, और इनसे आयात कटौती व बन्दई में भी होने पर उन्हें 20 लाख रुपये जमा करने होते हैं। इसके अतिरिक्त

वार्षिक शुद्ध लाभ का 20% रिजर्व बैंक के पास और जमा कराना पड़ता है।

(10) भारतीय सत्ताहकार भंडन—1 फरवरी, 1969 से भारतीय बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण होने एवं 19 जुलाई, 1969 को व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से विदेशी बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वे अपने भारतीय व्यवसाय के लिए सत्ताह देने के लिए पूर्णतः भारतीय सदस्यों का सत्ताहकार मंडल नियुक्त करें जिससे भारत के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अधिक राशि प्राप्त होने में सुविधा बनी रहे।

### भारत में विनिमय बैंकों की उपयोगिता

(Importance of Foreign Exchange Banks in India)

भारत में विदेशी विनिमय बैंको की उपयोगिता निम्न दृष्टि से है—

(i) अन्तर्-संबंध—विदेशी विनिमय बैंक के कारण व्यापारियों एवं भारतीय बैंकों के मध्य अन्तर्-संबंध स्थापित हो जाते हैं जिससे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है तथा देश में अन्तर्-व्यवसायिक परंपराएं स्थापित हो जाती हैं। इससे भारत एवं अन्य देशों के मध्य व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो जाते हैं।

(ii) ग्राहकों को उच्चस्तरीय सेवा—विदेशी विनिमय बैंक ग्राहकों को उच्चस्तरीय सेवाएं प्रदान करते हैं। इससे ग्राहकों को सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है।

(iii) कुशल कर्मचारी—विदेशी विनिमय बैंको में कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, जो बैंकिंग सेवाओं के स्तर में उन्नति करने के प्रयास करते हैं।

(iv) यथेष्ट राशि की व्यवस्था—ये बैंक आवश्यक माना में पूंजी एवं राशि की व्यवस्था कर लेते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में स्थित शाखाओं से भी विदेशी पूंजी का आयात करते हैं।

### भारतीय विनिमय बैंकों का अभाव

भारत में भारतीय विनिमय बैंकों का मंदिर से ही अभाव रहा है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

(i) सीमित कोष—भारतीय विनिमय बैंकों के पास सीमित मात्रा में कोष होने से तथा उनका धन विदेशी विनिमय के कार्यों में ही फंसा रहने से उनके लिए विदेशी विनिमय कार्य बहुत ही असुविधाजनक हो गया है।

(ii) राजनैतिक कठिनाइयाँ—विदेशों में शाखाएं स्थापित करने में एव उन्हें सफलतापूर्वक संचालन करने में अनेक राजनीतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे भारतीय विनिमय बैंकों की स्थापना संभव न हो सकी।

(iii) लाभ का अभाव—प्रायः अंतरिक व्यापार के अर्थ प्रबंधन में ही बैंको को काफी लाभ प्राप्त होते हैं, जिससे वे विदेशी व्यापार में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाते।

(iv) कुशल कर्मचारियों का अभाव—विदेशी विनिमय बैंकों की सफलता के लिए कुशल कर्मचारियों का होना आवश्यक है परंतु भारत में सर्वत्र ही कुशल कर्मचारियों का अभाव बना रहता है जिससे भारतीय विनिमय बैंको की स्थापना अधिक मात्रा में संभव न हो सकी।

इस प्रकार यह आवश्यक है कि एक ओर तो विदेशी विनिमय बैंकों के कार्यों पर उचित नियंत्रण लगाया जाए तथा दूसरी ओर भारतीय विनिमय बैंको को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उन्हें हर प्रकार की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। भविष्य में विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन केवल भारतीय बैंकों को ही सौंपा जाना चाहिए। 1949 के बैंकिंग विधान के द्वारा विदेशी बैंको पर पर्याप्त नियंत्रण लग चुके हैं। आशा है भविष्य में विदेशी विनिमय बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली के पृथक् अस्तित्व के रूप में न रहकर देश की बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में सहयोग देंगे।

. षष्ठम भाग

भारत में वित्तीय व्यवस्था

**FINANCIAL ARRANGEMENT IN INDIA**

## भारत में कृषि-वित्त (Agricultural Finance in India)

### प्रारंभिक

भारत एक कृषिप्रधान राष्ट्र है जिसकी अर्थव्यवस्था में मुख्यतया कृषि का ही महत्वपूर्ण भाग रहा है। आज भी भारतीय राष्ट्रीय आय का 50% से भी अधिक भाग कृषि एवं कृषि से संबंधित उद्योगों से प्राप्त होता है। भारतीय कृषि प्रायः मानसून पर निर्भर रहती है। यदि मानसून समय पर आ गया तो कृषक की स्थिति ठीक रहती है। इसके विपरीत मानसून के असफल होने पर उसे ऋण लेकर ही अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। भारत में सिंचाई के साधनों के पर्याप्त मात्रा में विकास होने पर भी समय-समय पर सूखा पड़ने तथा बाढ़ आने की घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिनका भारतीय कृषि पर व्यापक एवं विपरीत प्रभाव पड़ता है।

भारत में बैंक साल से 61.7% औद्योगिक क्षेत्र को प्राप्त होता है जबकि कृषि कार्यों के लिए 9.6% ही प्राप्त हो पाता है। कुल कृषि ऋण, प्रति व्यक्ति कृषि साल एव विभिन्न राज्यों में प्रति हेक्टर साख आदि को पृष्ठ 546 व 547 पर दी गई तालिका के समान रखा जा सकता है—

देश के विकसित एवं अ्रविकसित भागों में कृषि साल भिन्न-भिन्न है। विकसित राज्यों में कुल साख का 61.4% दिया जाता है तथा विकसित जिलों में 72.1% तक ऋण दिया गया है। देश के 27 विकसित जिलों में कुल कृषि साख का 1/3 भाग दिया गया है। कृषि साल के वितरण को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

### कृषि साख का वितरण

राज्य	कुल का प्रतिशत		साधान्मूल्य		समस्त फसलों का मूल्य प्रति हेक्टर	सकल सिंचित क्षेत्र 1970-71	कृषि साख जून 1973
	साधान्मूल्य 1969-70	समस्त फसलों का मूल्य	कुल क्षेत्रफल	प्रति हेक्टर			
(1) औद्योगिक विकसित राज्य	42.2	45.8	41.7	302.65	1075.8	24.0	48.9
(2) अ्रविकसित राज्य	57.8	54.2	58.3	664.27	912.2	22.4	51.6
योग	100.0	100.0	100.0	712.22	980.4	23.0	49.3



## कृषि वित्त व्यवस्था

राज्य	राज्य-पर		जून		दिसंबर 1972		जून 1973		कृषि शोध समिति द्वारा पुनः पत्र का लार्च जुलाई 1963 से 1974 तक
	वित्त वर्ष 1972	वित्त वर्ष 1973	वित्त वर्ष 1973 + 1972	वित्त वर्ष 1972	वित्त वर्ष 1972	वित्त वर्ष 1973	वित्त वर्ष 1973		
असम	48(22)	15(9)	17(10)	18(12)	20(11)	10(8)	23(12)	11(8)	16
बिहार	21(14)	7(5)	8(6)	10(7)	9(6)	4(4)	10(7)	5(3)	31
गुजरात	60(27)	17(7)	19(9)	22(10)	27(9)	11(7)	31(11)	12(8)	9
कर्नाटक	88(39)	9(3)	10(4)	12(5)	10(3)	7(4)	12(4)	8(4)	2
केरल	52(27)	14(8)	16(9)	20(11)	22(12)	3(3)	24(13)	5(4)	6
महाराष्ट्र	29(23)	8(7)	10(8)	12(10)	10(8)	5(5)	12(10)	5(4)	25
पंजाब	93(56)	14(8)	16(9)	17(10)	21(7)	10(8)	22(8)	12(10)	10
तमिलनाडु	96(16)	13(2)	12(2)	15(3)	28(2)	6(2)	18(3)	9(2)	Neg.
प. बंगाल	—	1190(4)	1778(5)	830(3)	1190(4)	—	1778(5)	—	—
पश्चिम बंगाल	826(673)	13(5)	11(6)	24(19)	13(5)	—	11(6)	—	Neg.
राजस्थान	60(30)	14(6)	16(7)	18(9)	22(8)	7(5)	34(9)	10(6)	9
उत्तर प्रदेश	50(37)	10(8)	10(7)	15(12)	13(11)	8(6)	16(10)	7(5)	8
झारखण्ड	134(3)	18(Neg.)	22(Neg.)	25(Neg.)	23(Neg.)	15(1)	22(Neg.)	22(Neg.)	1
बिहार	13(10)	1(1)	2(1)	3(2)	1(1)	2(1)	2(1)	2(2)	2

द्विमास प्रदेस	9(7)	1(Neg.)	2(1)	2(2)	1(Neg.)	—(Neg.)	1(1)	2(2)	Neg.
जम्मू खीर ब्यासमीर	6(2)	Neg.(Neg.)	1(Neg.)	1(Neg.)	—	—(Neg.)	—	1(Neg.)	2
मध्य प्रदेश	8(7)	2(2)	3(3)	4(3)	3(2)	3(2)	5(3)	3(2)	3
मणिपुर	5(5)	Neg.(Neg.)	1(1)	1(1)	—	Neg.(Neg.)	—	1(1)	—
मेघालय	5(5)	1(1)	1(1)	1(1)	—	1(1)	9(9)	Neg(Neg)	—
गंगासंख	10(Neg.)	Neg.(Neg.)	Neg.(Neg.)	2(-)	—	Neg.(Neg)	—	Neg(Neg)	1
उड़ीसा	4(3)	1(1)	1(1)	2(1)	1(1)	1(Neg.)	1(1)	1(1)	Neg.
राजस्थान	10(5)	3(4)	5(5)	6(6)	6(5)	3(3)	7(6)	4(3)	1
बिहार	20(3)	1(Neg.)	4(Neg.)	5(1)	—	1(Neg.)	—	4(Neg.)	—
उत्तर प्रदेश	30(13)	5(3)	6(3)	8(3)	11(4)	3(3)	13(5)	2(2)	4
संजमान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सर्वशासक प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राष्ट्र	—	1(Neg.)	2(1)	—	—	1(Neg)	—	2(1)	—
गोवा	111(15)	13(2)	14(2)	18(2)	—	13(2)	—	14(2)	Neg.
सवाडीर	—	1(Neg.)	1(Neg.)	—	—	1(Neg.)	—	1(Neg.)	—
मिजोरिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल	337(288)	28(26)	32(28)	36(31)	—	28(26)	—	32(28)	2
पुन्य	7(2)	—	—	—	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	23(13)	5(3)	6(3)	8(4)	7(4)	3(2)	9(4)	4(2)	3
उत्तर प्रदेश	38(20)	9(4)	10(5)	15(6)	15(6)	5(3)	17(6)	6(4)	6

(Source : The Financial, Express July 11, 1975)

### भारत में ग्राम्य साख के अनुमान

भारत में ग्राम्य साख की आवश्यकता 700 करोड़ रु० वार्षिक है। यह अनुमान 1951 में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति द्वारा किया गया। 1964-65 के अनुमान के आधार पर यह आवश्यकता 1400 करोड़ रु० वार्षिक थी। ग्राम्य साख समीक्षा समिति 1969 के अनुसार 1973-74 में वार्षिक आवश्यकता 4000 करोड़ रु० थी। यह अनुमान निम्न प्रकार से विभाजित किए जा सकते हैं—

#### ग्राम्य साख की आवश्यकता

(करोड़ रु० में)

1. दीर्घकालीन	1,500
2. मध्यकालीन	2,000
3. मध्यकालीन	5,00
योग	4,000

साख समीक्षा समिति का अनुमान था कि दीर्घकालीन साख का प्रयोग सिंचाई, भूमि की सफाई, बिजली व्यवस्था व संरक्षण पर होगा। मध्यकालीन ऋण का नए पशु खरीदने तथा गाड़ी व भौजार खरीदने में उपयोग होगा। इन ऋणों में 1951-52 में साहूकारी का योगदान 68.6 था जो 1961-62 में घटकर 46.6% रह गया।

#### ग्राम्य साख का स्वभाव

1895 में सर फ्रेडरिक निकल्सन का मत था कि विश्व के आर्थिक इतिहास से स्पष्ट होता है कि कृषकों के लिए ऋण लेना अनिवार्य है। यदि ऋण का दुरुपयोग किया जाए तो ऋणप्रस्तुता विपत्ति का द्योतक बन जाती है। अतः ग्राम्य साख सरलता से उपलब्ध होनी चाहिए, उत्पादक एवं बचतों को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा साख का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाना उचित है कि साख महीनी, कठिन एवं अनुपयोगी न हों।

#### कृषि साख की आवश्यकता

(Need for Agricultural Finance)


कृषक को अनेक कार्यों के लिए ऋण प्राप्त करने होते हैं। यह ऋण उत्पादक एवं अनुत्पादक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। कृषि साख की आवश्यकता को निम्न भागों में रखा जा सकता है—

(1) अल्पकालीन ऋण—प्रायः 15 मास तक की अवधि के ऋण को अल्पकालीन ऋण की श्रेणी में रखा जाता है। इस ऋण का उपयोग बीज खरीदने, फसल बोने, साद दासने एवं अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। ऐसे ऋणों की उपलब्धि सरल होनी चाहिए तथा इनका भुगतान भी फसल कटने के पश्चात् ही किया जाना चाहिए।

(2) मध्यकालीन ऋण—यह ऋण प्रायः 15 मास से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त किए जाते हैं। इन ऋणों का उपयोग कृषि में सुधार करने, उपकरण क्रय करने, सिंचाई की समुचित व्यवस्था करने एवं पशु खरीदने में किया जाता है। यह ऋण प्रायः अधिक मात्रा में लिए जाते हैं।

(3) दीर्घकालीन ऋण—यह ऋण प्रायः 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्राप्त किए जाते हैं। इन ऋणों का उपयोग भूमि, महंगे उपकरण, कुएँ बनवाने आदि में किया जाता है। इन ऋणों की राशि अधिक होती है तथा इनका भुगतान भी लंबे काल के बाद किया जाता है तथा जितने में ही भुगतान किया जाता है। कृषि साख की आवश्यकता को निम्न चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है—

### कृषि साध की प्राथम्यता



### कृषि साध के लक्षण

(Characteristics of Agricultural Finance)

नाश में कृषि साध के प्रमुख लक्षणों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(i) मानसून पर निर्भरता—नाश में कृषि साध: मानसून पर निर्भर रहती है, जो स्वयं अनिश्चित है।

परिणामस्वरूप कृषि पेशाबों की पूंति प्रायः अनिश्चित बनी रहती है। कृषि में महवि का प्रभाव प्रविष्ट होने से प्रविष्ट सीमित रहती है, जिससे कृषि के विप साध प्राप्त करना कठिन होता है।

(ii) कृषक की कठिनायिका एवं स्वभाव—नाश में कृषक अनिश्चित एवं कठिनायिका होता है, तथा सामाजिक विच्छेदन के कारण समय पर उसे पर्याप्त साध व उचित दर पर साध प्राप्त नहीं हो पाती।

(iii) अनुपातिक व्यय—नाश में कृषक सूत्रनीय, विवाह आदि प्रत्येक अवसरों पर अनुपातिक व्यय करता है जिससे वह सर्वे साध बना रहता है और उसकी साध बहुत कम हो जाती है।

(iv) छोटी इकाई—नाश में उत्पादन इकाई बड़ी छोटी एवं प्रत्याधिक है, जिन पर प्रायः एक व्यक्ति का ही प्रविष्टार होता है, जिस पर पूरी साध करना प्रत्येक कठिन होता है तथा समय पर साध भी प्राप्त नहीं हो पाती।

(v) मुद्रा बाजार से संबंध का प्रभाव—कृषि का प्रायः मुद्रा बाजार से कोई प्रत्येक संबंध नहीं रहता, जिससे समय की वचन का प्रायः कृषक को प्राप्त नहीं होता है। जून एवं अगस्त के उचित मुद्राकर्म के प्रभाव में उन्हें उचित साध प्राप्त नहीं हो पाते।

(vi) भूस्वामि में विनिर्भर—नाश में कृषक अपने साध का समय पर भूस्वामि नहीं कर पाता, जिससे व्यापारिक बैंक प्रायः मूलभूत साध देना पसंद करते हैं, वे प्रत्येक वचन कृषकों को देकर उन्हें अनिश्चितता उत्पन्न नहीं करना चाहते।

### कृषि साध के प्रमुख स्रोत

(Main Resources of Agricultural Finance)

कृषि साध के प्रमुख स्रोतों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(i) सामाजिक साहकार (Money Lender); (ii) देशी बैंकर (Indigenous Bankers); (iii) उकावी साध (Taccavi Loans); (iv) साध कार्यालय (Loan Offices); (v) व्यापारिक बैंक (Commercial Banks); (vi) निधि एवं चित फंड (Nidhis and Chit Funds); (vii) सहकारी बैंक (Cooperative Banks); और (viii) सरकार (Government)।

#### (i) सामाजिक साहकार (Money Lender)

सामाजिक साहकार प्रायः वह व्यक्ति होता है जो अपने साहकों को समय-समय पर साध प्रदान करता रहता है। इसके साधन प्रत्येक सीमित होते हैं तथा वे प्रायः बिना जमानत के ही साध प्रदान करते हैं। वे जमानत वालों के विप भी साध दे देते हैं तथा उनका समय पर भूस्वामि प्राप्त नहीं हो पाता।

## वर्गीकरण

ग्रामीण साहूकारों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(अ) पेशेवर साहूकार—ये केवल लेन-देन का ही व्यवसाय करते हैं और उसी पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं। (ब) गैर-पेशेवर साहूकार—इन व्यक्तियों का मुख्य कार्य लेन-देन का नहीं होता, बल्कि ये समाज में अन्य कार्य करते हैं तथा साथ ही साथ ऋण देने का कार्य भी करते हैं।

ऋण प्रदान करने वाले व्यक्तियों में जमींदार, व्यापारी एवं कृषक मुख्य रूप से पाते हैं। अन्य वर्गों में वकील, अध्यापक, पठान, विधवाएँ, पैदान पाने वाले व्यक्ति आदि सम्मिलित किए जाते हैं। साहूकारों को भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है। साहूकारों का प्रपना कोई संगठन नहीं होता तथा समस्त क्रियाएँ केवल व्यक्तिगत संपर्क एवं व्यवहार के माध्यम पर ही की जाती हैं तथा समस्त लेन-देन व्यक्तिगत संपर्कों पर ही आधारित रहते हैं। बड़े-बड़े नगरीयों को छोड़कर जहाँ साहूकारों ने अपने सघन निर्माण कर लिए हैं जैसे गिरवारपुरी महाजन सघ, थाक सघ आदि; छोटे स्थानों पर इनके कोई संगठन एवं सामूहिक व्यवस्था नहीं है तथा कोई निश्चित नियम नहीं प्रपनाए जाते।

## ऋण पद्धतियाँ

• साहूकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख ऋण पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं—

(अ) गिरवी रखना—इसमें कीमती सामान को गिरवी रखकर ऋण प्रदान किया जाता है तथा वस्तु के मूल्य का 75% तक ऋण प्रदान कर दिया जाता है। यदि यह ऋण समय पर भुगतान न किया जाए तो गिरवी रखी गई वस्तुएँ साहूकार की संपत्ति बन जाती हैं।

(ब) ऋण प्रतिविकर्ष—जब एक साहूकार को थोड़े समय के लिए धन की आवश्यकता होती है तो वह दूसरे साहूकार से ऋण प्राप्त कर लेता है जिसे ऋण प्रतिविकर्ष के नाम से जानते हैं।

(स) घरोहर—जब अचल संपत्ति को रखकर ऋण प्राप्त किया जाए तो उसे घरोहर कहते हैं। इसमें प्रायः भूमि एवं अन्य उपकरणों को रखा जाता है।

(द) किस्त पद्धति—इस विधि में ऋणी को निश्चित राशि दे दी जाती है और वह इस ऋण का भुगतान किस्तों के रूप में करता है जो सप्ताहिक, मासिक या वार्षिक हो सकती है। यदि किस्त का भुगतान समय पर नहीं किया जाता तो कुछ राशि दंड के रूप में भी वसूल की जाती है।

(घ) बंधक—जब भूमि, मकान, दुकान आदि को रखकर ऋण प्रदान किए जाए तो उसे बंधक कहते हैं। इसमें प्रायः संपत्ति का कब्जा ऋणी को नहीं दिया जाता। यदि कब्जा दिया जाता है तो ऋणदाता उस संपत्ति का उपयोग कर सकता है तथा उसे फिराएँ पर उठाकर प्रायः प्राप्त कर सकता है।

(च) बावो व्यवस्था—जब साहूकार नकद के स्थान पर प्रनाज या अन्य वस्तुओं में ऋण प्रदान करे तो उसे बावो व्यवस्था कहते हैं।

## साहूकार की उपयोगिता

भारतीय ग्रामीणव्यवस्था में ग्रामीण साहूकार का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाया गया है कि कुल ग्रामीण साक्ष का 60-70 प्रतिशत भाग साहूकारों द्वारा पूर्ण किया जाता है तथा आवश्यकता के समय हर प्रकार के कार्य के लिए कृषक को सख्तता से ऋण प्राप्त हो जाता है। उत्पादक एवं अनुत्पादक कार्यों के लिए भी ऋण सख्तता से प्राप्त होने से साहूकारों की उपयोगिता में वृद्धि हो रही है।

## साहूकारों के दोष

### (Defects of Money Lenders)

साहूकारों के कार्यों की कट्टे आलोचनाएं की जाती हैं और उसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

(1) प्रतिज्ञा-पत्र—साहूकारों द्वारा जो ऋण प्रदान किए जाते हैं उनके बदले प्रथिक राशि के प्रतिज्ञा-पत्र लिखवा लिए जाते हैं। प्रायः राशि का स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है। और उन्हे बाद में मर्जी अनुसार प्रथिक राशि से भर दिया जाता है।

(2) अग्रिम व्याज—साहूकारों द्वारा व्याज अग्रिम लिया जाता है तथा उसे मूल राशि देते समय ही काट लिया जाता है।

(3) फसल खरीदने की शर्तें—साहूकार ऋण देते समय कृषक से सस्ते भाव पर फसल खरीदने का सौदा कर लेते हैं और प्रायः उसी शर्त पर ऋण प्रदान करते हैं। परिणामस्वरूप कृषक को मजदूर होकर अपनी फसल कम दामों पर साहूकार को बेचकर हानि उठानी पड़ती है।

(4) बेगार—साहूकार ऋणी से अपनी घर या व्यापार के फ़ानतू कार्यों कराके उनसे बेगार लेते रहते हैं तथा उसके बदले में कुछ भी मूल्य नहीं दिया जाता।

(5) मुक्त वसूल करना—ऋण प्रदान करते समय पर्मादा, गिरह सुलाई, गद्दी, सलामी, प्याऊ आदि के नाम से कुछ राशि ऋण में से ही काट ली जाती है।

(6) हिसाब में गड़बड़—साहूकार हिसाब में गड़बड़ करने में बदनाम हैं जो ऋणी द्वारा चुकाए गए हिसाब को ठीक ढंग से नहीं रखते और न ही उन्हें रखी देते हैं तथा वापिस किया गया पन ठीक से जमा नहीं करते।

(7) ऊंचे व्याज दर—साहूकारों द्वारा 12 से 75% तक व्याज दर वसूल की जाती है जो सामान्यतया प्रथिक होती है और कृषकों पर उसका प्रथिक भार पड़ता है। पनाज तथा वस्तुओं के ऋणों पर बहुत ऊंचा व्याज देना पड़ता है, क्योंकि सवाई एवं ह्योड़ी की प्रचलित व्यवस्था के अनुसार 25 से 50 प्रतिशत तक व्याज लिया जाता है। साहूकार ऊंचे व्याज लेने में इस कारण सफल हो जाता है कि ऋणी सामाजिक, प्राथिक एवं संवैधानिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होता है तथा उसे कहीं और से ऋण प्राप्त होना संभव नहीं हो पाता। इन्हें उधार देने में प्रथिक जोखिम रहती है तथा ऋण की वसूली के लिए काफी प्रयत्न करनी होती है, जिसका मूल्य प्रथिक व्याज लेकर वसूल किया जाता है।

मुद्दाव—साहूकारों के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से निम्न मुद्दाव दिए जा सकते हैं—

(1) पर्याप्त स्टाफ—साहूकारों की कार्यों प्रणाली को जांच करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टाफ की व्यवस्था की जानी चाहिए जो समय-समय पर उनके कार्यों का उचित मूल्यांकन कर सके।

(2) व्यवहारों का नियमन—विधि द्वारा ऋणदाताओं के पारस्परिक व्यवहारों का नियमन किया जाना चाहिए जिससे वे उचित ढंग से खाते रख सकें तथा व्याज की दर भी उचित ढंग से निर्धारित की जानी चाहिए।

(3) बैंकिंग ढांचा—साहूकारों की स्थिति में सुधार करके उन्हें बैंकिंग ढांचे में समायोजित किया जाना चाहिए जिसे उनके कार्यों से एकरूपता लाई जा सके।

(4) व्यापार का साहनेसिंग—साहूकार को लाभोंस दिए जाने चाहिए तथा उनके कार्यों पर प्रतिबंध लगाये जाने चाहिए, जिससे व्याज की अधिकतम दर का निर्धारण हो सके, खाते उचित ढंग से रखे जा सकें तथा सभी मुद्दावों के लिए रसोई प्राप्त की जाएं। इस संबंध में प्रथिक ऋणी का धृषक से खाता रखा जाना चाहिए जिससे हिसाब में गड़बड़ी न की जा सके।

(5) अनुत्पादक ऋणों पर रोक—साहूकारों द्वारा केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण दिया जाना चाहिए तथा अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋणों को हतोत्साहित करना चाहिए।

(6) निम्न व्यवस्था—कृषकों को अपनी फसल साहूकारों समितियों द्वारा ही बेचनी चाहिए जिससे उन्हें

(2) कार्य प्रणाली पर प्रतिबंध—इन बैंकों की पूंजी एवं कार्य प्रणाली पर रिजर्व बैंक द्वारा सख्त प्रतिबंध लगाने चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर सुविधाएँ भी प्रदान करनी चाहिए ।

(3) प्राधुनिक ढंग पर व्यवसाय—देशी बैंकों को अपना व्यवसाय प्राधुनिक ढंगों पर ही संचालित करना चाहिए, समस्त खातों को व्यवस्थित ढंग से रखकर, निरीक्षण व प्रकाशित करना चाहिए तथा जनता का विश्वास बढ़ाना चाहिए ।

(4) लाइसेंस प्रणाली—देशी बैंकों को लाइसेंस देकर उनके कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनके सहयोग प्राप्त हो सके ।

(5) अखिल भारतीय बैंकिंग संघ की सदस्यता—स्वदेशी बैंकों को ग्रन्थ बैंको की भाँति अखिल भारतीय स्तर पर बैंकिंग संघ की सदस्यता प्रदान करनी चाहिए ।

(6) नियमों का निर्माण—सरकार द्वारा प्रायः ऐसे नियमों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे ऋणियों का शोषण से बचाव हो सके तथा वे उचित शर्तों पर ऋण प्राप्त कर सकें ।

(7) बिल बाजार का विकास—व्यवसाय में बिलों की दलाली को भी मरिमिलित करना चाहिए जिससे देश में बिल बाजार को विकसित किया जा सके ।

(8) धन हस्तांतरण की सुविधा—रिजर्व बैंक को ग्रन्थ बैंको की भाँति देशी बैंकों को भी धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए ।

(9) ऋणियों की पुनःकटौती—देशी बैंकों द्वारा निर्गमित की गई ऋणियों को व्यापारिक बैंको द्वारा पुनःकटौती की सुविधाएँ दी जानी चाहिए ।

(10) रिजर्व बैंक का एजेंट—देशी बैंकों को रिजर्व बैंक से संबंधित करके उन्हें मर्यादाओं पर रिजर्व बैंक का एजेंट नियुक्त किया जाना चाहिए ।

देशी बैंकर का भविष्य—साहूकारों का जो स्थान देश की कृषि साक्ष व्यवस्था में है, देशी बैंकर को वही स्थान भारत के आंतरिक व्यापार में प्राप्त है। थाक समिति का मत था कि देश के आंतरिक व्यापार की वित्त व्यवस्था में 75 से 90 प्रतिशत ग्रंथ देशी बैंकर का है। ऋणियों में मुजताबी हंडी बहुत प्रचलित रही। ऋणियों का महत्व वर्तमान में कम हो गया है क्योंकि इन्हें रिजर्व बैंक से पुनःकटौती के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है। इनके स्थान पर बैंक डापट तथा विधेय साक्ष हस्तांतरण की रीतिया अधिक मस्ती व लोकप्रिय हो गई हैं।

### रिजर्व बैंक का नियंत्रण

देशी बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा धनिक वार नियंत्रित करने की प्रयास किए गए। सर्वप्रथम मई 1937 में रिजर्व बैंक ने देशी बैंकों को निम्न शर्तों को पूर्ण करने पर ऋण देने एवं ऋणियों की पुनःकटौती करने की सुविधाएँ देना निश्चित किया—

(i) ग्रन्थ व्यवसाय का त्याग—देशी बैंकर बैंकिंग व्यवसाय के अतिरिक्त अपने ग्रन्थ व्यवसाय को त्यागने को तैयार हों ।

(ii) पूंजी व्यवस्था—इसे अपनी पूंजी कम से कम 2 लाख रुपए तथा प्राये बसकर 5 लाख रुपए करनी होगी ।

(iii) अन्तिम खातों की प्रतिधा—उत्ते अपने अन्तिम खातों की प्रतिधा रिजर्व बैंक के पास भेजनी होगी ।

(iv) हिसाब प्राधुनिक ढंग से रखना—इन्हें अपने समस्त खाते व हिसाब प्राधुनिक ढंग से रखने के प्रयास करने चाहिए तथा उन्हें प्रकाशित भी करना चाहिए ।

(v) पूंजी व्यापार—देशी बैंकों को ग्रन्थ व्यापार की बैंकिंग व्यापार से वृत्त कर देना चाहिए ।

परन्तु इन शर्तों को देशी बैंकर द्वारा मान्य न करने पर यह योजना कार्यान्वित न हो सकी। पुनः 1941 में इस प्रस्ताव को दोहराया गया, परन्तु इसका पहले जैसा ही परिणाम निकला ।

वर्तमान समय में स्टेट बैंक एवं सहकारी संस्थानों के विकास के फलस्वरूप देशी बैंकों के महत्व में कमी

हो गई है जिससे भविष्य उज्ज्वल प्रतीत नहीं होता। यदि देशी बैंकर हंडियों का प्रमाणीकरण, बैंकिंग व्यवसाय को अन्य व्यवसाय से पृथक् करके रिजर्व बैंक की अन्य शक्तों को मान लें तो देश की भयंकर व्यवस्था में इनका महत्त्व बढ़ सकता है तथा कृषि एवं व्यापार को वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं।

### (iii) तकावी ऋण (Taccavi Loans)

भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883 (Land Improvement Loans Act 1883) एवं कृषक ऋण अधिनियम 1884 (Agriculturists' Loans Act 1884) के अंतर्गत सरकार द्वारा कृषकों को तकावी ऋण प्रदान किए जाते हैं। ये ऋण प्रारंभ में बाट, मूला आदि संकट से बचने हेतु प्रदान किए गए थे, परंतु कालांतर में यह सरकार का एक नियमित अंग बन गया। तकावी ऋण का उपयोग कृषकों द्वारा बीत, बीज खरीदने एवं उपभोग्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी किया जाने लगा है। प्रायः इस प्रकार के ऋणों के वितरण का कार्य पंचायत को सौंप दिया गया है जो विकास अधिकारी या तहसीलदार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन ऋणों का उद्देश्य कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ण करना होता है। ये ऋण प्रायः फसल के बाद ही शुरू किए जाते हैं। तकावी का इतिहास अर्थात्तः प्रयोग का इतिहास रहा है क्योंकि मात्रा व वितरण की दृष्टि से अर्थात्तः होने के अतिरिक्त उनका नियंत्रण व निरीक्षण भी असंतोषजनक रहा है। ग्रामीण साक्षर सर्वेक्षण समिति के अनुसार कृषि ऋण में सरकार का भाग केवल 3% था।

लाभ—तकावी ऋण का लाभ यह है कि ये ऋण दीर्घकालीन अवधि के लिए प्राप्त किए जाते हैं तथा इन पर व्याज दर भी बहुत कम ली जाती है। इनसे कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है तथा फसल प्राप्त होने के उपरांत ही इन्हें चुकाया जाता है।

कामियां—तकावी ऋणों की प्रमुख कामियों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

- (1) बड़े-बड़े कृषकों को मिलना—तकावी ऋण प्रायः बड़े-बड़े कृषकों मयबा जमींदारों को ही प्राप्त हो पाता है तथा छोटे कृषक वंचित रह जाते हैं; जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर ऋण के लिए साहूकार से ही ऋण प्राप्त करना पड़ता है।
- (2) देरी से मिलना—तकावी की राशि का निर्धारण बहुत देरी से किया जाता है तथा आवश्यकता के समय ऋण प्राप्त नहीं हो पाता। यदि तकावी ऋण स्वीकृत हो जाए तो उनके वितरण में कांक्षी समय लगा दिया जाता है।
- (3) राजस्व विभाग में घुमसोरी—ऋण को स्वीकृत कराने एवं प्राप्त करने में कृषकों को राजस्व अधिकारियों को ऋण का एक भाग घुम के रूप में देना पड़ता है।
- (4) भ्रष्टाचार—यदि ऋण पंचायत द्वारा वितरित किया जाए तो सरपंच भी बिना घुम लिए ऋण स्वीकार नहीं करता। इनसे समस्त स्थानों पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है।
- (5) धनराशि व्यय करना—कृषकों को ऋण प्राप्त करने में गवाहों आदि के रूप में भारी धनराशि व्यय करनी होती है जिसमें उने बहुत कठिनाई होती है।
- (6) अर्थात्तः व्यवस्था—तकावी ऋणों का स्वीकृत होना एवं उसका वितरण होना भी सर्वत्र ही अर्थात्तः एवं असंतोषजनक रहा है। सरकार द्वारा कृषि भाग का 3-4% भाग ही पूर्ण किया जाता है तथा शेष के लिए उसे साहूकारी आदि पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि न केवल सरकारी ऋणों की अर्थात्तःता पायी जाती है बल्कि उनकी स्वीकृति में लेकर वितरण तक अनियमितताएं भी दृष्टिगोचर होती हैं।

सुझाव—तकावी ऋण के दोषों को दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं—

- (1) सरकारी बैंक भी शाखा—प्रत्येक तहसील में सरकारी बैंक की शाखा खोली जानी चाहिए जो भूमि की जमानत पर दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था कर सके।
- (2) सरकार द्वारा सहायता—प्रचलित राष्ट्रों में सरकार द्वारा कृषि साक्षरों को उचित व्यवस्था करनी



चाहिए तथा प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान करने चाहिए।

(3) मितव्ययी प्रबंध—तकनीकी ऋणों की प्रबंध व्यवस्था में मितव्ययिता मानने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(4) उदार शर्तें—तकनीकी ऋणों को उदार शर्तों पर प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(5) विलंब न करना—ऋण स्वीकृत करने एवं प्राप्त होने तक कोई विलंब नहीं होना चाहिए तथा कृषक को उसकी आवश्यकता के अनुरूप तुरंत ऋण प्राप्त होना चाहिए।

(6) छोटे कृषकों का ध्यान—ऋण प्रदान करते समय बड़े कृषकों के स्थान पर छोटे कृषकों की आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखना चाहिए तथा जहां तक संभव हो इन्हें शीघ्रता से ऋण प्राप्त होना चाहिए।

(7) भ्रष्टाचार पर रोक—ऋण स्वीकृत करने एवं मुग्तान करने में भ्रष्टाचार को समाप्त करके के प्रयास करने चाहिए।

#### (iv) ऋण कार्यालय

(Loan Offices)

रंगान में मुख्यतया ऐसे ऋण कार्यालयों की स्थापना की गई है जो जमा स्वीकार करके वास्तविक भूमि के स्वामी को भूमि की जमानत पर एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की जमानत पर ऋण प्रदान करते हैं इनकी सहायता से आवश्यक व्यक्तियों को ऋण प्राप्त हो जाता है।

#### (v) व्यापारिक बैंक

(Commercial Banks)

भारत में व्यापारिक बैंक प्रायः व्यापार एवं वाणिज्य के कार्यों को ही ऋण प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी शाखाएं कम होने से इन बैंकों द्वारा कृषि साध को पूर्ण नहीं किया जाता है। कृषि विकास में व्यापारिक बैंकों का योगदान प्रत्यक्ष रूप से नगण्य के बराबर है। परंतु प्रत्यक्ष रूप से ये बैंक साहूकारों को ऋण प्रदान करते हैं जो कि कृषकों को ऋण प्रदान करते हैं तथा फसल के समय कृषि पदार्थों की घटोहर पर कृषकों को ऋण प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान करना काफी महंगा सिद्ध होता है। कृषक की उपज को बैंक अपने धोदामों में रखते हैं जिसका बीमा कराना आवश्यक होता है तथा बैंक अधिकारी समय-समय पर उसका निरीक्षण करते रहते हैं। इन समस्त प्रतिबंधों से धरकार कृषक व्यापारिक बैंकों से ऋण लेने के स्थान पर देशी बैंकों से लेना अधिक सरल एवं सुविधाजनक मानता है।

राष्ट्रीयकृत बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने लगी है और इन्होंने दिसम्बर 1974 तक कृषि उत्पादन के लिए 781 करोड़ ₹० का ऋण प्रदान किया है। जून 1974 तक राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की देश-भर में कुल 17,000 शाखाएं थीं जिनमें से 6,000 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। सहकारी संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के मध्य यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्पादन कार्य के लिए कुल कृषि आवश्यकता का 40% तक इनसे पूरा किया जाता है। इनसे स्पष्ट है कि कुल कृषि मांग का भारी भाग अभी भी पूर्ण होना बाकी है। अतः कृषि वित्त में 60% का अंतर है जिसे पूर्ण करना आवश्यक है परंतु ऋण की सुविधाएं न तो सीमांत कृषक और न ही कृषि श्रमिक को ही प्राप्त हो पायी हैं। अतः बहुत अधिकतर क्षेत्रों में नवीन साध संस्थानों की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए दो नवीन संस्थानों की स्थापना की गयी है। यह संस्थान हैं—

सूक्ष्म कृषक विकास एजेंसी (Small Farmer's Development Agencies) एवं सीमांत कृषक एवं कृषक श्रमिक विकास एजेंसी (Marginal Farmers and Agricultural Labourer's Development Agencies) हैं। यह दोनों संस्थाएं देश के लगभग 46 चुने क्षेत्रों एवं 41 योजना क्षेत्रों में कार्यरत हैं। कबीले क्षेत्रों (Tribal areas) की भाग को पूर्ण करने हेतु कबीले विकास निगमों (Tribal Development Corporations) की स्थापना की गयी है जो

कि अपने क्षेत्रों में साख एवं विपणन सुविधाएँ प्रदान करेंगे। धारा है सहकारी प्रादीतन एवं राष्ट्रीयकृत बैंक अपना कार्य क्षेत्र प्राचीण क्षेत्रों में भी बढ़ा लेंगे। 1968 में व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि साख के रूप में 20 करोड़ रु० दिए थे जिसकी मात्रा 1974 में बढ़कर 781 करोड़ रु० हुई गई। इसका विवरण निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

**घनसूचित व्यापारिक बैंकों के ऋण**

(करोड़ रु० में)

वर्ष	राशि
1968	20
1969	188
1972	440
1974	781

दोष—व्यापारिक बैंकों के दोषों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) सीमित ऋण—कृषकों को प्रायः दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता होती है, परंतु ये बैंक केवल मल्पकालीन ऋण ही प्रदान करते हैं तथा निरिखत प्रबधि के लिए ही ऋण प्रदान करते हैं तथा कृषकों की आवश्यकताओं को ध्यान नहीं दिया जाता।

(2) जानकारी का अभाव—ग्रहणों में स्थित व्यापारिक बैंकों को प्रायः प्राचीण परिस्थितियों की जानकारी नहीं होती है जिससे वे फसलों का उचित ढंग से मूल्यांकन करने में असमर्थ होते हैं।

(3) संपर्क का अभाव—व्यापारिक बैंकों के लिए प्रायः यह गंभव नहीं होता कि वे गांवों में कृषकों से संपर्क स्थापित कर सकें।

सुझाव—व्यापारिक बैंकों को कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं—

(1) विपणन क्षेत्र में सहायता—व्यापारिक बैंकों को विपणन के क्षेत्रों में अपने कार्यों को बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए तथा इन क्षेत्र को दो जाने वाली साख को मात्रा में वृद्धि करने के प्रयास करने चाहिए।

(2) प्राचीण क्षेत्र में शाखाएँ—व्यापारिक बैंकों को अपनी नवीन शाखाएँ प्राचीण क्षेत्र में स्थापित की जानी चाहिए तथा इसके विकास के लिए देश में अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना होगा।

(3) फसलों पर ऋण—व्यापारिक बैंकों को कृषकों की फसलों पर ऋण देने में प्राथमिकता देनी चाहिए तथा ये ऋण लंबे काल के लिए दिए जाने चाहिए जिससे कृषकों की मांग को सरलता से पूर्ण किया जा सके।

बैंकों पर साप्ताहिक नियंत्रण लागू होने एवं 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने से व्यापारिक बैंकों ने कृषि क्षेत्र को ऋण देने में प्राथमिकता के नियम को स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में बैंकों द्वारा रासायनिक खाद एवं जंगुनासक दवाओं के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। भविष्य में धारा है कि बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में कृषि साख के लिए ऋण प्रदान किए जा सकेंगे।

**(vi) निधियाँ एवं चिट फंड**

(Nidhis and Chit Funds)

मद्रास में प्रायः निधियों एवं चिट फंड का अधिक विकास हो पाया है। निधियाँ प्रदं-वैकिक सत्याओं के रूप में स्थापित हुई हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य बचत को प्रोत्साहित करके पुराने ऋणों से छुटकारा दिलाना है।

कठिनाइयाँ—निधियों को कार्यप्रणाली में धराने वाली कठिनाइयों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—


(1) कानून की अदृष्टता—इन निधियों द्वारा अपने कानून वा पालन नहीं किया जाता है तथा कानून के अनुरूप धन को जमा नहीं करते।

(4) क्षेत्र का अंतर—ग्राम्य समितियों का क्षेत्र प्रायः एक या दो ग्रामों तक सीमित होता है, जबकि नागरिक समितियाँ विस्तृत क्षेत्र के लिए बनाई जाती हैं।

(5) दायित्व—ग्राम्य समितियों का दायित्व प्रसीमित तथा नागरिक समितियों का दायित्व सीमित होता है।


(6) प्रबंध—ग्राम्य समितियों का प्रबंध प्रबंधित होता है, और नागरिक समितियों को नियमित वेतन दिया जाता है।

भारत में सहकारी साख प्रादेशिक स्तूपकार (Pyramidal) रूप में है, जिनमें ग्राम्य स्तर पर प्राथमिक साख समिति या जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक व भूमि बंधक बैंक हैं। इसे निम्न चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है—



इसे निम्न प्रकार भी दिखा सकते हैं—

सहकारी साख समितियों के प्रकार



सहकारी साख समितियों के प्रकार

साख समितियों को निम्न रूप में रखा जा सकता है—

(1) प्राथमिक साख समिति; (2) केंद्रीय सहकारी बैंक; (3) राज्य सहकारी बैंक; (4) भूमि बंधक बैंक।

(1) प्राथमिक साख समितियाँ

एक क्षेत्र या गाँव के 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण एवं पञ्जीयन कर सकते हैं, जिसमें समान हित वाले एवं सहकारिता के सिद्धांतों को समझने वाले व्यक्तियों को ही सदस्य बनाया जाता है, परंतु इनका कार्यक्षेत्र सीमित रखा जाता है। मेहता समिति 1958 के मुन्दाओं के आचार पर इन समितियों का सामान्य आकार रखा जाता है जिसमें सदस्यों की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके तथा वे स्वयं भी संपन्न हों। इन समितियों की व्यवस्था निम्न प्रकार होती है—

(i) पूँजी व्यवस्था—समितियों को पूँजी दान बेचकर, निधेन प्राप्त करके एवं सरकार से ऋण लेकर वित्तीय व्यवस्था की जा सकती है। प्रत्येक सदस्य को केवल 1 मत्त देने का ही अधिकार प्राप्त होता है।

(ii) ऋण व्यवस्था—ये समितियाँ केवल अपने सदस्यों को ही ऋण प्रदान कर सकती हैं। ऋण की मात्रा दान पूँजी एवं निधेन पर निर्भर करती है। ये ऋण प्रायः व्यक्तिगत अमानत पर दिए जाते हैं, जिस पर 9 से 12% तक ध्यात लिया जाता है। ये ऋण प्रत्यक्षानुगत दिए जाते हैं जो प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ही प्राप्त होते हैं। ऋण लेते

समय भूमि परोहर के रूप में रखकर, दो अन्य व्यक्तियों की जमानत दिलानी पड़ती है। समितियों की ऋण नीति का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है।

(iii) रूप—प्राथमिक साख समितियों के तीन रूप प्रमुख हैं—(अ) कृषि साख समितिया, (ब) प्रजाज समितिया, (स) गैर-कृषि साख समितिया। ये तीनों ही समितिया निम्न-भन्ने कार्यों के लिए ऋण की व्यवस्था करती हैं।

(iv) प्रबंध व्यवस्था—प्रबंध के लिए प्रबंध समिति निर्मित की जाती है, जिसमें साधारण नीतियों का निर्माण किया जाता है। समिति का मंत्री, समिति की क्रियाओं के प्रति उत्तरदायी होता है।

(v) लाभ-वितरण व्यवस्था—नाम का एक ग्रज प्रतिवार्य रूप से निधि में डालकर शेप लाभ को प्रसधारियों में वितरित कर दिया जाता है। लाभांश की अधिकतम सीमा 10% निश्चित की गई है।

नगरो में सहकारी बैंक ने अधिक प्रगति की है। निम्न तालिका में नगरीय सहकारी बैंक की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन अन्य सहकारी बैंकों के साथ किया गया है—

#### तुलनात्मक अध्ययन

संस्था का प्रकार	संस्था की संख्या	सदस्यों की संख्या	जमा राशि (रुप में)
1 राज्य सहकारी बैंक	26	21,000	179.59 करोड़
2 केंद्रीय सहकारी बैंक	344	3,55,000	300.62 "
3. प्राथमिक साख समितिया	1,55,000	3,40,00,000	110.04 "

प्राथमिक सहकारी बैंक (नगरीय बैंक) रिजर्व बैंक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मार्च 1966 में 'बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949' को संशोधित करके उते ऐसे नगरीय बैंको पर लागू कर दिया, जिनकी पूंजी व कोष की राशि 1 लाख रुपए से कम नहीं थी। भारत में नगरीय सहकारी बैंक केवल कुछ राज्यों में ही केंद्रित हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

#### नगरीय सहकारी बैंक

राज्य का नाम	संख्या
1. महाराष्ट्र	219
2. मसूर	216
3. तमिलनाडु	145
4. आंध्र प्रदेश	142
5. प० बंगाल	125
6. गुजरात	122
7. अन्य राज्य	158
योग	1127

भारत में सहकारी समितियों ने तीव्र गति से प्रगति की। यदि कोई साख समिति स्वयं 1000 रुपए की पूंजी प्राप्त करती है तो राज्य सरकार भी 1000 रु० के अग्र ऋण कर लेती है।

विशेषताएं—इन बैंकों की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं—

(i) यह बैंक आधारा में एक स्थानीय संगठन रूप में हैं जिनसे समाजवादी नीति का पालन करके सामान्य व्यक्ति की माख की आवश्यकता को पूर्ण किया है तथा अपने क्षेत्र में बैंकिंग आंदोलन का प्रचार किया है।

(ii) इन बैंकों के जमा व अग्रिम इकाइया व्यापारिक बैंकों की तुलना में छोटी हैं क्योंकि इनमें जमा करने वाले व्यक्ति निम्न व मध्यम आय श्रेणी के व्यक्ति हैं।

(iii) बैंक अग्र सहकारी संस्थाओं एवं सरकार पर कम से कम निर्भर रहता है तथा इन्होंने साधनों को अपने पास में ही प्राप्त किया है।

(iv) इन बैंकों द्वारा कुशल व प्रतिष्ठित स्टॉक की सेवाएं प्राप्त न होने से इनकी कार्यकुशलता में कमी आई है। इसके विपरीत व्यापारिक बैंकों ने समिथरण करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया है। 1951 में देश में 92 अनुसूचित एवं 474 अग्र-अनुसूचित बैंक थे जो 1969 में घटकर क्रमशः 73 व 17 रह गए।

वर्तमान स्थिति—प्राथमिक सहकारी बैंकों की वर्तमान स्थिति को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

### प्राथमिक सहकारी साख समितियां

(करोड़ रु० में)

	1950-51	1970-71
1. प्रदत्त पूंजी	8	206
2. निक्षेप	4	69
3. कोषनिधि	9	60
4. ऋण कोष	29	784
5. सहा (लाखों में)	1.15	1.61
6. सदस्य सहा (लाखों में)	52	340

इससे स्पष्ट है कि योजनाकाल में इन समितियों की प्रदत्त पूंजी में 25 गुनी, निक्षेप राशि में 17 गुनी, ऋण दोषों में 30 गुनी व सदस्य सहा में 6 गुनी वृद्धि हुई है। प्राथमिक सहकारी साख समितियों ने 1972-73 में 911 करोड़ रु० का ऋण दिया है।

सधु उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों पर सरकार ने साख गारंटी योजना के अंतर्गत गारंटी देने की व्यवस्था की है, जिसके लिए पोड़ी-सी फीस वसूल करने की व्यवस्था की गई है। अतः प्राथमिक सहकारी बैंकों को सधु उद्योगों के लिए ऋण शीघ्रता करने एवं उसे वितरित करने की समुचित व्यवस्था करनी होगी। उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देने में प्राथमिकता का पालन करना होगा। रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को ऋण का प्रबंध करके प्राथमिक सहकारी बैंक की अग्र पूंजी में पर्याप्त मात्रा में अंशदान करना चाहिए।

दोष—प्राथमिक साख समितियों के दोषों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(i) दोषपूर्ण कार्य—समितियों का संचालन, निरीक्षण एवं अग्र्य देखभाल संबंधी कार्य दोषपूर्ण होते हैं।

(ii) अनुत्पादक ऋण—ऋण प्रायः अनुत्पादक कार्यों के लिए दिए जाते हैं जिससे उनका नुगवान ठीक समय पर नहीं हो पाता है तथा कर्मों-कर्मों ऋण वसूल करना कठिन हो जाता है।

(iii) सीमित साख—समिति अपने सदस्यों को सीमित मात्रा में ही ऋण प्रदान कर पाती है जिससे आवश्यकता के समय उसे आहूकारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

(iv) ऊंचे व्याज दर—समिति द्वारा ऊंचे व्याज दर वसूल की जाती है।

सुभाष—समिति के दोषो को दूर करने के लिए निम्न सुभाष दिए जा सकते हैं—

(i) खुलो सदस्यता—समिति की सदस्यता प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतन्त्र होनी चाहिए तथा किसी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए ।

(ii) धंदा पूंजी - कार्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए समिति के पास प्रारम्भ में ही एक न्यूनतम धंदा पूंजी होनी चाहिए ।

(iii) केंद्रीय बैंक के पास कोष—समितियों को अपनी कोष केंद्रीय बैंक के पास जमा करना चाहिए, जिन पर प्रचलित दर में ब्याज प्राप्त हो सके ।

(iv) ऋण सीमा—इन समितियों की ऋण सीमा को धंदा पूंजी एवं कोष तक सीमित कर देना चाहिए ।

(v) साख राशनिय—इन समितियों में कोषों का अभाव पामा जाता है और कोषों का अभाव होने पर साख का राशनिय किया जा सकता है ।

(vi) धावदयक वस्तुओं की पूति—इन समितियों को अपने सदस्यों की धावदयक वस्तुओं की पूति करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा समय पर उसकी पूति करनी चाहिए ।

(vii) विपणन समितियों से सम्पर्क—समितियों द्वारा कूपकों को इस शर्त पर साख दी जानी चाहिए कि वे अपनी फसल को विपणन समितियों के माध्यम से ही बेचेंगे ।

(viii) राज्य समितियों से सहयोग—अच्छी ढाल व्यवस्था के लिए यह आवश्यक होगा कि इन समितियों को राज्य समितियों में निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहे ।

(ix) राज्य सार्वकारी—प्रतियोगिता से बचाव करने हेतु यह आवश्यक है कि इन समितियों में राज्य की सार्वकारी हो ।

(x) सहायता क्षेत्र—इन समितियों को उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करनी चाहिए जहाँ पर अन्य सहकारी बैंकों द्वारा सहायता प्रदान नहीं की जाती ।

(xi) प्रशिक्षित सचिव—समिति के प्रबंध के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित सचिव की नियुक्ति की जानी चाहिए जो कुशलतापूर्वक प्रबंध व्यवस्था कर सके ।

(xii) ऋण व्यवस्था—समितियों द्वारा ऋण स्वयं जेबरो या अन्य प्रतिनूतियों के माध्यम पर दिया जा सकता है ।

(xiii) उत्पादक ऋण—समिति द्वारा उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण दिया जाना चाहिए तथा यह ऋण अल्पकालीन न होकर मध्यकालीन या दीर्घकालीन होना चाहिए ।

(xiv) खड़ी फसल पर ऋण—कूपकों की आवश्यकता पड़ने पर खड़ी फसलों पर भी ऋण दिए जाने चाहिए तथा ऋण वसूल करने का उचित प्रबंध होना चाहिए ।

(xv) कोष का निर्माण—समितियों को प्रतिनियम रूप से कोष का निर्माण करना चाहिए जिसमें आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके ।

(xvi) स्थायी जमा—समितियों द्वारा केवल स्थायी जमा ही स्वीकार की जानी चाहिए ।

(xvii) सीमित दायित्व—समितियों के सदस्यों का दायित्व अपने धंशों तक ही सीमित होना चाहिए ।

(xviii) बृहत् आकार—इन समितियों का बड़ा आकार होना चाहिए, जिससे व्यापार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी एकत्रित की जा सके ।

## (2) केंद्रीय सहकारी बैंक

(Central Cooperative Bank)

धंदा में केंद्रीय सहकारी बैंकों की रचना समान नहीं है । ये बैंक प्रायः दो प्रकार के होते हैं—(i) जिनको मरम्मत केवल प्राथमिक सहकारी मात्र मरिक्तियों की ही प्राप्त है । (ii) ऐसी समितिया जिनमें व्यक्ति एवं समितिया

मदस्य वन मकती है।

भारत में प्रायः मिश्रित सदस्यता वाले बैंक पाए जाते हैं। प्रत्येक जिले में कम से कम एक बैंक की स्थापना करने का कार्यक्रम बनाया जाता है। भारत के सभी राज्यों में मिश्रित सदस्यता वाले केंद्रीय सहकारी बैंक पाए जाते हैं। धनो तुल्य वर्षों में सहकारी बैंकों का विकेंद्रीकरण किया गया है और प्रत्येक जिले में एक ही बैंक स्थापित करने की योजना को कार्यान्वित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप योजनाकाल में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 505 से घटकर 340 रह गई। इस पुनर्संगठन का मूल उद्देश्य दुर्बल बैंकों को शक्तिशाली बनाना है। इस बैंक की व्यवस्था निम्न प्रकार है—

(i) संचालन व्यवस्था—दूसरे प्रायः प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि होते हैं जिसमें नोंदियों का निर्धारण सहायगी विभाग के नियमानुसार होता है। इनके समस्त कर्मचारी सर्वतन्त्रित होते हैं तथा इनके कार्यों पर प्रतिबंध अधिकार द्वारा लगाया जाता है।

(ii) कार्य प्रणाली—एक बैंक प्रायः व्यापारिक बैंकों के समस्त कार्यों को करते हैं। इस क्षेत्र की समस्त सहकारी समितियों को अपनी पूंजी प्रतिवार्षिक रूप से इस बैंक में जमा करनी होती है। यह बैंक जनता से भी जमा स्वीकार कर लेते हैं तथा व्यापारिक बैंकों की तुलना में अधिक मात्रा में ऋण देते हैं, जिसमें परिवहन जमा को प्राथमिक किया जा सके।

(iii) ऋण व्यवस्था—राज्य सहकारी बैंक से ऋण लेकर पूंजी में वृद्धि करके सहकारी समितियों को ऋण प्रदान किए जाते हैं। यह ऋण तीन वर्षों तक 8% व्याज तक दिया जाता है। हृदि ऋण प्रायः विनिमय-पत्रों के आधार पर दिए जाते हैं। मुद्रा साम का 25% भाग रिजर्व कोष में रखना आवश्यक होता है।

(iv) प्रगति—इन बैंकों की पूंजी एवं ऋण-क्षमता में प्रत्यधिक वृद्धि हुई है तथा इनके द्वारा हृदि कार्यों के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऋण प्रदान किए गए हैं।

दीर्घ—केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रमुख क्षेत्रों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(i) निर्भरता—राज्य सहकारी बैंकों पर ऋणों के लिए निर्भर रहना पड़ता है।

(ii) बिना ऋण्ययन के ऋण देना—इन बैंक द्वारा प्रारंभिक मात्रा में बिना किसी ऋण्ययन के ऋण प्रदान किए जाते थे।

(iii) कम ऋण—प्राथमिक समितियों को धनियों की तुलना में कम मात्रा में ऋण प्रदान किया जाता था।

(iv) उंचे व्याज दर—बैंक द्वारा प्रदानत कम होने पर उंचे दर से व्याज लिया जाता था।

(v) देरी करना—प्रायः ऋणों को त्सींहट करने में देरी कर दी जाती है तथा समय पर ऋण प्राप्त नहीं हो पाता।

(vi) पूंजी का प्रभाव—इन बैंकों में प्रायः धंध पूंजी का प्रभाव पाया जाता है जिससे प्रावण्यकता के समय पर्याप्त मात्रा में ऋण प्रदान नहीं किया जाता तथा हृदि मात्र की व्यवस्था नहीं हो पाती।

मुद्दाव—केंद्रीय बैंकों के दौनों को सुधारने के लिए निम्न मुद्दाव दिए जा सकते हैं—

(i) प्रामांश बचतों का लाभ—इन बैंकों को प्रामांश बचतों से अधिकधिक मात्रा प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए।

(ii) मात्रा समितियों को प्राथमिकता—ऋण प्रदान करते समय धनिकियों के स्थान पर मात्रा समितियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(iii) सुरक्षित कोष—दुर्बले ऋण के लिए बैंक में सुरक्षित कोष का प्रबंध होना चाहिए।

(iv) कार्यक्षेत्र—प्रत्येक बैंक का कार्यक्षेत्र प्रायः एक बिना होना चाहिए। इस मुद्दाव को मानकर दो बैंकों का पुनर्संगठन किया गया है जिसमें दुर्बल बैंकों को मजबूत बैंकों के साथ बिना दिया गया है।

(v) ऋण व्यवस्था—बैंक के सदस्यों की समय पर पर्याप्त मात्रा में ऋण प्रदान करना चाहिए जिसमें हृदि मात्र की मात्रा को पूर्ण किया जा सके।

(vi) विद्वानों का पालन—इन बैंकों में सहकारिता, ऋण-नोंदित एवं बंधित के विद्वानों का पालन किया जाना चाहिए।

व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों को समान नीतियों एवं प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस संबंध में यह उचित माना जाएगा कि व्यापारिक बैंक ऋण देते समय राज्य एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों की सलाह अवश्य लें। देश के स्थल-बिनास के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों के मध्य कृषि वित्त संबंधी योजनाओं पर सूचनाओं का आदान-प्रदान स्वतंत्रतापूर्वक हो सके। परंतु इस संबंध में व्यक्तिगत व्यापारिक बैंकों की नीतियों में समन्वय व समझौता संभव नहीं हो सके। अतः व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों में अच्छा समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक के कृषि साख्त बोर्ड (Agricultural Credit Board) ने जिला एवं राज्य स्तर पर समन्वय समिति निर्माण करने का निश्चय किया है। कृषि वित्त के लिए पर्याप्त मात्रा के स्थान पर उसका नियोजित ढंग से उपयोग होना आवश्यक है, और इसी कारण से जिला-स्तर पर साख्त नियोजन (credit planning) प्रारंभ करना आवश्यक होता है। अतः विनास कार्यक्रमों का निर्माण करते-उन्हे पूर्ण करने की जिम्मेदारी विनिष्ठ बैंकों पर आसनी होगी। अतः जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अग्रणी बैंकों के सहयोग से विभिन्न जिलों में साख्त नियोजन कार्यक्रम में प्रोत्साहन दे रहे हैं। यही उपयुक्त समय है जबकि केंद्रीय सहकारी बैंक प्रांतीय प्रथम-व्यवस्था में प्रोत्साहन दे सके तथा अन्य राज्यों के अनुभव के आधार पर, विशेषकर महाराष्ट्र, यह कहा जा सकता है कि सहकारी बैंक प्रांतीय स्तर में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकेंगे।

### (3) राज्य सहकारी बैंक (State Co-operative Bank)

भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की गई है जिसमें प्रायः केंद्रीय सहकारी बैंक ही संस्थापक होता है। अनेक राज्यों के सहकारी बैंकों में प्राथमिक साख्त समितियाँ सदस्य थीं, परंतु धीरे-धीरे उन्हें इसकी सदस्यता से मुक्त कर दिया गया है। राज्य सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक तथा प्राथमिक साख्त समितियों के मध्य एक महत्वपूर्ण वित्तीय कड़ी का कार्य करते हैं। इन बैंकों की व्यवस्था निम्न प्रकार है—

- (i) पूंजी व्यवस्था—ये बैंक भंडारों को बेधकर जनता से निरक्षेप प्राप्त करते तथा ऋण लेकर पूंजी को व्यवस्था करते हैं; ये प्रायः रिजर्व बैंक से ऋण लेकर उन्हे केंद्रीय सहकारी बैंकों को प्रदान करते हैं।
- (ii) ऋण व्यवस्था—बैंक द्वारा ऋण प्रायः विभिन्न बिलों के आधार पर या रिजर्व बैंक की गारंटी पर प्रदान किए जाते हैं। ऋणों की अवधि 1 वर्ष होती है तथा व्याज दर 4-6% तक होती है।
- (iii) कार्य—राज्य सहकारी बैंक के प्रमुख कार्य निम्न हैं—
- (घ) द्रव्य बाजार से संबंध—बैंक द्वारा सरकारी प्रादोशन का द्रव्य बाजार से संबंध स्थापित किया जाता है।
- (च) संतुलन बनाए रखना—प्रत्येक राज्य में स्थापित जिला स्तर के केंद्रीय सहकारी बैंकों के मध्य संतुलन स्थापित करने का कार्य राज्य सहकारी बैंक द्वारा किया जाता है।
- (स) वित्त व्यवस्था करना—इन बैंकों द्वारा संपूर्ण सहकारी प्रादोशन के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय व्यवस्था की जाती है।

- (द) राष्ट्रीय प्रादोशन से संबंधित—सहकारी प्रादोशन को राष्ट्रीय प्रादोशन से संबंधित करने का कार्य एग्री बैंक द्वारा किया जाता है।
- (ध) समन्वय एवं नियंत्रण—राज्य के समस्त केंद्रीय सहकारी बैंकों के कार्यों में समन्वय एवं नियंत्रण लाने के प्रयास किए जाते हैं।

बोय—राज्य सहकारी बैंकों के प्रमुख दोष निम्नलिखित थे—

- (i) गैर-कृषि कार्य—इन बैंकों की अधिकतर पूंजी गैर-कृषि कार्यों में लगा दी जाती है जिससे कृषि विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में साख्त उपलब्ध नहीं हो पाती है।
- (ii) गैर-सदस्यों को ऋण—ये बैंक गैर-सदस्यों को भी ऋण प्रदान कर देते हैं जिससे सदस्यगण भावश्यकता के समय ऋण प्राप्त नहीं कर पाते।



(iii) ऋण समय पर वसूल न होना—प्रायः केंद्रीय मातृ समितियाँ एन घण्ट सात-संस्थाओं को जो ऋण प्रदान किए जाते हैं, वह समय पर वसूल नहीं हो पाते।

(iv) दीर्घकालीन ऋण—बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण प्रदान की जाती है, परंतु ऋण दीर्घकालीन धर्मियों के लिए दिए जाते हैं, जिससे धन का उचित समायोजन संभव नहीं हो पाता।

(v) संगठन की दुर्बलताएँ—इनके संगठन में अनेक प्रकार की दुर्बलताओं के लिए जाने के कारण प्रादोशन के विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित करना संभव नहीं हो पाता।

(vi) दुर्बल पूंजी व्यवस्था—बैंकों की दुर्बल पूंजी व्यवस्था से इनकी वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाती जिससे धन का अभाव बना रहता है और कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त नहीं हो पाता। वर्तमान समय में देश में कुल 26 राज्य सहकारी बैंक कार्य कर रहे हैं।

सुझाव—बैंकों के दोषों को दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं—

(i) कार्यों का पृथक्करण—इन बैंकों के व्यापारिक कार्यों का उसके वैयक्तिक कार्यों में पृथक् कर देना चाहिए।

(ii) धन वसूली में सुधार—जो ऋण प्रदान किए जाते हैं उनमें वसूली में सुधार किया जाना आवश्यक है।

(iii) प्रशिक्षण—बैंक के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

(iv) संस्थाओं को ऋण—बैंक द्वारा व्यक्तियों के स्थान पर संस्थाओं को अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करना चाहिए।

(v) पूंजी रचना में सुधार—बैंकों की पूंजी रचना में सुधार करके उसमें निरंतर वृद्धि करने के उपाय काम में लाये जाने चाहिए।

प्रगति—भारत में राज्य सहकारी बैंकों ने महत्वपूर्ण प्रगति की। इनकी प्रदत्त पूंजी 160 लाख रुपये से बढ़कर 3500 लाख रुपये हो गई, इस प्रकार पूंजी में लगभग 23 गुना से वृद्धि हुई। 30 जून, 1975 तक देश में 26 राज्य सहकारी बैंक थे जिनके पास 140 कार्यालय थे। इनकी प्रदत्त पूंजी 35 करोड़ रुपये थी। योजनाकाल में राज्य सहकारी बैंकों ने उल्लेखनीय प्रगति की है, इनकी निक्षेप राशि में 8 गुना से वृद्धि हुई है तथा ऋण क्षेत्रों में 18 गुना से वृद्धि हुई।

## भूमि बंधक बैंक

(Land Mortgage Banks)

देश में कृषकों को मध्याकालीन एवं अल्पकालीन ऋण प्रदान करने वाली अनेक संस्थाएँ थीं परंतु कृषकों की दीर्घकालीन ऋण की मांग को पूर्ण करने वाली संस्था का अभाव था। कृषक प्रायः भूमि में स्थायी सुधार करने के उद्देश्य से दीर्घकालीन ऋण की मांग करता है। सहकारी संस्थाओं के साधन प्रायः अल्पकालीन होने से वे इस मांग को पूर्ण करने में असमर्थ रहते हैं। अतः कृषकों की दीर्घकालीन मांग को पूर्ण करने के उद्देश्य से बंधक बैंकों की स्थापना की गई जो कृषकों को भूमि को बंधक रखकर दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1920 में अंग नामक स्थान पर भूमि बंधक बैंक की स्थापना की गई। तत्पश्चात् 1925 में मद्रास तथा 1929 में बर्मा में भूमि बंधक बैंकों की स्थापना की गई। भूमि बंधक बैंकों का नाम बदलकर भूमि विकास बैंक कर दिया गया है। वर्तमान समय में देश में 855 भूमि विकास बैंक हैं जो कि जून 1973 तक 1838 करोड़ रु० का कृषि ऋण प्रदान कर चुके हैं। 1972-73 में इन बैंकों ने 810 करोड़ रु० का कृषि ऋण दिया।<sup>1</sup>

महत्त्व—भारत में भूमि बंधक बैंकों का काफी महत्त्व है जिसे निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(i) कृषि उत्पादन में वृद्धि—भूमि बंधक बैंकों की स्थापना से कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्राप्त होगा तथा देश के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के सफल प्रयास किए जा सकेंगे।

1. The Financial Express, Sept. 23, 1975.

(ii) ब्याज दर में गिरावट—भूमि बंधक बैंको द्वारा प्रतियोगिता करने पर दाम्नीय क्षेत्रों में धन्य गंत्रधामों द्वारा दिए जाने वाले ऋण के लिए ब्याज की दरमें कमी हो जाएगी ।

(iii) सहकारी संगठन पर प्रचण्ड प्रभाव—कृषकों को ऋण के लिए देती साहकारी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिससे सहकारी संगठन पर प्रचण्ड तथा प्रभावी प्रभाव पड़ेगा ।

(iv) सहयोग में वृद्धि—कृषकों की मांग की पूर्ति होने पर कृषकों का सहकारिता में अधिकारिक सहयोग प्राप्त होगा ।


(v) साख में वृद्धि—कृषकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रतिभूति देना समय हो सकेगा, जिससे कृषकों की साख में वृद्धि हो जाएगी ।

(vi) प्रकृति पर कम निर्भरता—कृषकों को अपनी भूमि पर सुधार करने के धनप्राप्त होने, जिससे कृषि पर निर्भरता में कमी हो जाएगी ।

(vii) ऋण भार में कमी—भूमि बंधक बैंकों की स्थापना से यह धारा की जा सकती है कि ऋण भार में कमी होकर कृषकों की धार में वृद्धि होगी ।

संगठन व्यवस्था—भूमि बंधक बैंकों को निम्न भागों में रखा जा सकता है—

#### भूमि बंधक बैंकों की संगठन व्यवस्था



(i) मिश्रित व्यवस्था—ये ऋण लेने वाले एवं देने वालों के सम्मिलित रूप माने जाते हैं, जिसमें धन पूजा होती है तथा जो सीमित दायित्व के आधार पर कार्य करते हैं ।

(ii) सहकारी बैंक—इनमें कोई पूजा नहीं होती तथा केवल ऋण लेने वाले व्यक्ति ही सम्मिलित किए जाते हैं । धन की आवश्यकता पड़ने पर बंधक ऋण निर्गमित किए जाते हैं ।

(iii) गैर-सहकारी बैंक—ये बैंक लाभ की भावना से कार्य करते हैं तथा इनके कार्यों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है ।

(iv) संघारमक एवं एकात्मक—भारत में प्रायः संघारमक व्यवस्था ही घननाई जाती है जो ऋणियों से निरंतर संपर्क स्थापित करके भूमि-सुधार संबंधी परामर्श देते हैं ।

#### वास्तविक योजना (Realistic Plan)

कृषि में दीर्घदामीन विनियोग करके अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं । वित्त की व्यवस्था ऐत्यों की मांग के आधार पर हो जानी चाहिए । इस उद्देश्य के लिए साख नीति एवं व्यवहार वास्तविक व वैज्ञानिक योजना के आधार पर निर्धारित होना चाहिए, विशेषकर वित्त का स्तर, भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण आदि । इन समस्याओं से भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, जो कि जापान एवं अन्य राष्ट्रों की तुलना में प्रति एकड़ 20% कम है ।

वर्तमान समय में कृषि साख देने के सिद्धांत में भी परिवर्तन किया गया है । पहले भूमि या प्रतिभूति के आधार पर ही कृषकों को ऋण दिए जाते थे, परंतु अब संभावित फल के आधार पर ऋण दिए जाते हैं, इस फलदायक ऋण पद्धति (Crop Loan System) के नाम से जानते हैं । यह व्यवस्था सर्वप्रथम बम्बई में प्रारंभ की गयी जिसे

वाद में प्रत्येक राज्यों में भी प्रयुक्त। इनमें पुरानी ग्रामीण पुनर्भूतगत आधार पद्धति को बदलकर नवीन व्यवस्था लागू की।

### साधन आवंटन का उपयोग

भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक ने उत्पादन-वृद्धि के लिए नीति का निर्माण करके उदार ऋण साख व्यवस्था, विशेषकर ग्रामीणकालीन एवं मध्यकालीन उद्देश्यों की है। गत 10 वर्षों में रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत ग्रामीणकालीन साख सीमा का पूर्ण विपणन, उपयोग नहीं हो पाया है। इसके विपरीत दीर्घकालीन ऋण साख सत्यापन विपरीत व भिन्न स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। 1966-67 तक भूमि विकास बैंको के लिए कोई भी वार्षिक ऋण-पत्र आवंटन कार्यक्रम का निर्माण नहीं किया गया। 1965-66 तक 150 करोड़ रुपये तक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि भूमि विकास बैंको की ओर अर्द्ध ऋण की मात्रा 1965-66 तक 163 करोड़ रुपये थी। परन्तु 1972-73 के उपरान्त जबकि ऋण-पत्र कार्यक्रम वार्षिक आधार पर बनाए गए, प्राप्ति अपने लक्ष्यों से भी अधिक रही, जिससे निम्न रूप में रखा जा सकता है—

### ऋण-पत्र कार्यक्रम<sup>1</sup>

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति
1966-67	46.65	52.08
1967-68	66.00	71.00
1968-69	91.00	102.07
1969-70	113.00	121.44
1972-73	810.00	810.00

प्रारम्भ में ऋण की ग्रामीणकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया तथा दीर्घकालीन विनियोग की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, परन्तु दीर्घकालीन ऋणों के साधनों का उपयोग सर्वत्र से ही अच्छा व उपयुक्त रहा। चतुर्थ योजना में भूमि विकास बैंको के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जबकि ग्रामिण भारतीय ग्रामीण साख निरीक्षण समिति ने चतुर्थ योजना में दीर्घकालीन साख आवश्यकता की मात्रा 1500 करोड़ रुपये बताई है, अर्द्ध 800 करोड़ रुपये की कमी को ग्रन्थ संस्थाओं जैसे व्यापारिक बैंक आदि द्वारा पूर्ण किया जाएगा।

ग्रामिण भारतीय ग्रामीण साख सर्वोद्योग समिति ने 1973-74 तक ग्रामीणकालीन ऋण की मात्रा 2000 करोड़ रुपये निर्दिष्ट की है, जबकि सहकारी क्षेत्र द्वारा 752 करोड़ रुपये ही प्राप्त किये जा सकेंगे तथा 1300 करोड़ रुपये की कमी ग्रन्थ संस्थाओं जैसे व्यापारिक बैंक आदि द्वारा पूर्ण की जा सकेगी। अर्द्ध: व्यापारिक बैंकों के साधनों को मुद्रा वताना होगा। व्यापारिक बैंको ने दिसम्बर 1974 में ऋण साख के रूप में 781 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। ग्रामिण में यह बैंक ओर अधिक ऋण प्रदान करेंगे।

### विभिन्न राष्ट्रों में भूगतान अवधि

भारत में दीर्घकालीन ऋण साख के भूगतान की अवधि प्रायः 10-15 वर्ष है। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में अवधि के स्थान पर दीर्घकालीन ऋणों को ही प्राथमिकता प्रदान की जाती है। भूगतान क्षमता प्रायः (i) लघु सिंचाई सुविधाओं द्वारा प्रदान की गई निरंतर जल पूर्ति की उपलब्धता, (ii) पशुपूर्ण ऋण मूल्यों या मूल्यों में उन्नावधान का प्रभाव, (iii) सीमान्त रूपक या जीवन-स्तर आदि पर निर्भर करती है। विभिन्न राष्ट्रों में दीर्घकालीन ऋण के भूगतान की अवधि भिन्न-भिन्न है जो कि निम्न प्रकार है—

1. Neelkanth A. Kalyam, President, The Bombay State Cooperative Land Mortgage Bank Ltd. Bombay.

भुगतान प्रवधि

राष्ट्रों का नाम	प्रवधि (वर्षों में)
फ्रांस	75
इंग्लैंड	60
इटली	50
जापान	50
स्वीडेन	40
सं० रा० अमेरिका	30
जर्मनी	30
फ्लान्डा	25
भारत	20

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में भुगतान प्रवधि सबसे कम है, जबकि विदेशों में यह प्रवधि 60 से 75 वर्षों तक निर्धारित की गई है।

श्रृण नीति—बैंकों की श्रृण संबंधी नीति की विशेषताएं निम्न हैं—

(i) ब्याज दर—बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले श्रृणों पर ब्याज दर 6 से 9% तक वसूल की जाती है तथा श्रृण उत्पादक कार्यों के लिए ही दिए जाते हैं।

(ii) संपत्ति का मूल्यांकन—बैंक गिरवी रखी गई संपत्ति का समय-समय पर मूल्यांकन करते रहते हैं जिसके लिए प्रतिशत स्टाक रखा जाता है।

(iii) श्रृण की राशि—भूमि के मूल्य के 50% तक ही प्रायः श्रृण दिया जाता है।

(iv) स्वस्थ नीति—बैंक स्वस्थ नीति का पालन करते हुए भूमि की जमानत पर ही श्रृण प्रदान करते हैं।

(v) अधिकतम सीमा—श्रृण की अधिकतम सीमा 5000 रुपये से 10,000 रुपये तक ही निर्धारित की गई है और उससे अधिक श्रृण प्रदान नहीं किया जा सकता।

(vi) वार्षिक हितों में समूली—श्रृणों को वार्षिक हितों में वसूल दिया जाता है तथा बैंकों को श्रृण वसूल करने के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।

प्रगति—भारत में केवल 19 केंद्रीय भूमि बचक बैंक तथा 570 प्रांतीयता भूमि बचक बैंक हैं। 1973 तक इन बैंकों की संख्या बढ़कर 855 हो गयी थी तथा वृष्टि कार्यों के लिए प्रतिवर्ष रूप में 1838 करोड़ रु० प्रदान किए गए। योजनाकाल में बैंकों ने सहायनीय प्रगति की तथा सस्म्य-संस्था में अधिक वृद्धि हो गई है। इस प्रकार बैंक देश की दीर्घकालीन व्यवस्था को पूर्ण करने में योग्य एवं सक्षम हैं।

धीमी प्रगति के कारण—भारत में भूमि बचक बैंकों की प्रगति अत्यंत धीमी गति में हुई है। इसके प्रमुख कारणों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(i) धारकों का अभाव—कृषि से प्राप्त होनेवाली आय तथा उससे संबंधित व्ययों संबंधी धारकों का अभाव पाए जाने से कृषक की समता का गहरी अनुमान लगाना कठिन हो जाता है, फलस्वरूप हित का निर्धारण कृषक की धारण क्षमता के अनुसृत्य निर्धारित नहीं हो पाता तथा कृषक को भूमि के स्वामित्व से भी ह्रास घोना पड़ता है।

(ii) जनता का कम विश्वास—बैंक धारण कार्यों की प्रति आवश्यक मात्रा में श्रृण-पत्र निर्गमित करके करता है। परंतु जनता का श्रृण-पत्रों पर कम विश्वास होने से उसे पर्याप्त मात्रा में पत्र प्राप्त नहीं हो पाता।

(iii) प्रोत्साहन का अभाव—कृषक भूमि धरोहर को तैयार थे, परंतु उनके पास वित्तीय साधनों का अभाव था तथा भूमि बचक बैंक भी वार्षिक सहायता प्रदान नहीं कर रहे थे अतः कृषकों में भूमि धरोहर के लिए प्रोत्साहन

का प्रभाव बना रहा ।

(iv) मुद्र का प्रवृत्ता प्रभाव—गुरुकाल में कृपक की स्थिति काफी सुधार गई थी जिससे भूमि बचक बैंकों की सहायता संबंधी कोई विशेष कार्य नहीं करने पड़े, परिणामस्वरूप बैंकों की विशेष प्रगति संभव न हो सकी ।

(v) त्रुटिपूर्ण व्यवस्था—बैंकों द्वारा ऋण देने में देरी करना, प्रपॉजिट ऋण व्यवस्था, नियमों में लोच का प्रभाव, कटोर दस्त आदि अनेक दोष भव नों पाए जाते हैं । इसके अतिरिक्त पहलू ऋण का भुगतान होने पर दूसरा ऋण दिया जाता है, जो कृपकों को बहुत बचटापक मिद्ध होता है ।

(vi) पुराने ऋण के परिशोध पर बल—भूमि बचक बैंकों ने भूमि के सुधार एवं उन्नति के स्थान पर पुराने ऋणों के परिशोध पर अधिक बल दिया है जिसमें कृपि में सुधार संभव नहीं हो सका है ।

(vii) ऋणाल कार्य व्यवस्था—बैंकों की कार्य प्रणाली अत्यंत अशुभल एवं खर्चीली है । इनका सगठन भी प्राथमिक ढंग पर नहीं होता तथा इनमें 'पहलू' का प्रभाव प्रायः पाया जाता है । इनके पास स्टाफ भी अविशुद्ध एवं योग्य नहीं होता जिससे भूमि का मूल्यांकन उचित ढंग से संभव नहीं हो पाता ।

(viii) उत्पादक कार्यों पर कम बल—इन बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता था कि वह ऋण उत्पादक कार्यों पर ही व्यय हो ।

सुभाव—भूमि बचक बैंकों के सुधार के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं—

(i) भूमि का सही मूल्यांकन—बैंकों को सफलता भूमि के सही मूल्यांकन पर निर्भर करती है, जिसके लिए कुशल एवं योग्य कर्मचारियों की नियुक्त करना आवश्यक होगा । इस संबंध में कर्मचारियों को पर्याप्त शिक्षा भी दी जानी चाहिए ।

(ii) उत्पादक ऋण—बैंकों द्वारा ऋण केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही दिया जाना चाहिए । ऋण के सही उपयोग की जांच के लिए बैंकों के स्टाफ एवं प्रभोग सहकारी समितियों द्वारा आवश्यक देखरेख की जानी चाहिए ।

(iii) भूमि की उन्नति—कृपकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भूमि की उन्नति करना आवश्यक होता है । इसके लिए कृषि विभाग एवं इन बैंकों के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए । अतिरिक्त भूमि सुधार के लिए नस्ती दरो पर ऋणों का प्रबंध करना चाहिए ।

(iv) समन्वय—भूमि बचक बैंकों का अन्य सहकारी सगठनों के साथ उचित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए । इन संबंध में विभिन्न सहकारी समितियों को कृपक की आवश्यकता को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए ।

(v) ऋण-पत्रों का निर्गमन—देश में ऋण-पत्रों के निर्गमन को प्रवृत्त बनाकर जनता का विश्वास प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए । इसके लिए भूमि बचक बैंकों की वारंशप्रणाली में पर्याप्त सुधार होना चाहिए । रिजर्व बैंक का इन बैंकों में प्रत्यक्ष सहाय स्थापित किया जाना चाहिए । ऋण-पत्रों के शोधन का भी उचित प्रबंध होना चाहिए ।

(vi) कृषिों को बचसूत्री—इन बात का सर्वप्रथम करना चाहिए कि कृषकों से बचसूत्री की जांच वाली कृषि की स्थिति को समय पर प्राप्त कर लिया जाए ।

(vii) प्राकट्यों को सफह करना—कृषि संबंधी आवश्यक प्राय एवं अन्य संबंधी प्राकट्यों को संग्रह करने के प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कृषकों की आन्तरिक स्थिति को ज्ञात करके उसकी अतिरिक्त स्थिति को निश्चित किया जा सके ।

(viii) व्यापक विस्तार—देश में भूमि बचक बैंकों का तीव्रगति से विस्तार किया जाना चाहिए । कृषकों को दीर्घकालीन ऋण का प्रबंध करके कृषि में स्वामी रूप से सुधार लाया जा सकता है ।

सहकारी सहायकों की वर्तमान स्थिति

भारत में न्यायमत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री आर्थिक प्रोग्राम को देश के समस्त वर्गों द्वारा स्वीकार किया गया । इन कार्यक्रमों में प्रभोग जनता का विकास भी सम्मिलित है जिसके लिए मन्त्रालय स्तर की व्यवस्था सहायकी

16. औद्योगिक वस्तुया	135	9,071
17. मछली संध्याएं	3,784	3,95,125
18. अन्य गैर-कृषि संध्याएं	11,720	12,15,786
19. बीमा संध्याएं	7	13,456
20. निरीक्षण संध	779	44,670
21. राज्य एवं जिनमें संघ व संध्याएं	224	99,588

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में गैर-साल सहकारी संस्थाओं की संख्या में अपर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके प्रतिरिक्त सदस्य-संख्या में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। देश में औद्योगिक सहकारी संस्थाओं की संख्या सबसे अधिक है जो कि 35,472 है। परंतु सदस्यता उपभोक्ता मंडल में सर्वाधिक है जो कि 42,75,434 है। सबसे कम संख्या बीमा संस्थाओं की है, और सबसे कम सदस्यता औद्योगिक वस्तुओं की है।

### सहकारी साक्ष आंदोलन के दोष

भारत में सहकारी साक्ष आंदोलन की प्रगति सतोपप्रद नहीं रही है और उसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

- (1) सिद्धांतों की अज्ञानता—भारतीय जनता प्रसिद्धित एवं प्रपठ होने के कारण सहकारिता के सिद्धांत से अपरिचित एवं अज्ञान बनी रहती है, जिससे कार्यकर्ताओं का अभाव पाया जाता है जो इस दिशा में आवश्यक रूप से प्रचार कर सकें।
- (2) अनियमित हिसाब-किताब—सदसियों के हिसाब-किताब नियमित ढंग से नहीं रखे जाते, फलस्वरूप पूँजी का पूर्ण रूप से अनुपयोग समभव नहीं हो पाता क्योंकि इसके लिए प्रसिद्धित कर्मचारियों का अभाव पाया जाता है।
- (3) दीर्घकालीन साक्ष की कमी—सहकारी संस्था द्वारा कृषकों को दीर्घकालीन आधार पर ऋण प्रदान करने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है जिससे दीर्घकालीन मांगों की पूर्ति के लिए सहकारी पर निर्भर रहना पड़ता है।
- (4) दोषी ऋण नीति—सहकारी संस्थाओं की ऋण नीति दोषपूर्ण है। ये आवश्यकतानुसार ऋण प्रदान नहीं कर पाते तथा ऊँची दर से व्याज चमूल करते हैं तथा कृषकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- (5) अपर्याप्त वित्तीय साधन—इन समितियों को अपनी पूँजी के लिए प्रायः केंद्रीय सहकारी बैंकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, तथा वित्तीय व्यवस्था उचित ढंग से संभव नहीं हो पाती है। जनता से जमा आकर्षित करने में भी ये संस्थाएं प्रायः असफल रहती हैं तथा साधनों के अभाव में इन संस्थाओं का उचित ढंग से वांछित विकास समभव नहीं हो पाया है।
- (6) गैर-साल संस्थाओं का अभाव—भारत में गैर-साल सहकारी संस्थाओं का तीव्रगति से विकास समभव नहीं हो पाया है क्योंकि कृषक की प्रायः स्थिर होने से वह इन संस्थाओं के विकास में योगदान नहीं दे पाता।
- (7) अनुकूल प्रवृत्त व्यवस्था—समितियों के प्रबंध के लिए प्रायः कुशल एवं योग्य व्यक्तियों का अभाव पाया जाता है। प्रायः प्रवृत्त सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, जिन्हें बैंकिंग कार्यों का ज्ञान नहीं होता।
- (8) अनुचित व्यवहार—समितियों के अनुचित व्यवहारों की संख्या में तीव्र वृद्धि हो गई है। क्योंकि ऋण प्राप्त नवीनियों को ही प्रदान किए जाते हैं जिनकी चमूली की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता तथा ऋण भी अपर्याप्त माप में प्रदान किए जाते हैं।
- (9) सरकारी हस्तक्षेप—अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप के कारण सहकारी संस्थाएं सफल नहीं हो पाई हैं, क्योंकि इनके मगडन में सरकारी अफसरों द्वारा अधिक हस्तक्षेप किया जाता है, जिससे जनता का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता और सहकारी संस्थाएं विफल नहीं कर पातीं।
- (10) अंततः प्रवृत्त प्रगति—सहकारिता का उद्देश्य कृषकों को सस्ती व्याज पर अधिकतम ऋण प्रदान करना है, परंतु 1904 में सहकारिता अधिनियम पारित होने के उपरान्त भी ये संस्थाएं अभी भी प्राचीन साक्ष की भाँति पूर्ण करने में

₹० है जिसमें से 3,921 करोड़ ₹० ग्रामीण घरों पर, 3,448 करोड़ ₹० कृषकों पर, 473 करोड़ ₹० गैर-कृषकों पर, 186 करोड़ ₹० कृषि थ्रिफो को पर, 49 करोड़ ₹० कलाकारों पर तथा 239 करोड़ ₹० गैर-कृषकों पर हैं।<sup>1</sup>

ग्रामीण बैंक का विचार 1945 में गेडविल समिति ने दिया था। वर्तमान स्वरूप की ग्रामीण बैंक का विचार सर मनोलाल बी० नानावटी ने दिया था और एम। बैंक 'दीनार (शोराष्ट्र)' में कार्य भी कर चुकी है। इसी प्रकार की एक अन्य बैंक आतामुध (प्रांश प्रदेश) में भी कार्य कर रही है। सरैया पायोग (Saraiya Commission) ने ग्रामीण बैंकों के बारे में यह सुझाव दिया था कि ग्रामीण बैंकों की बैंकिंग कार्यों के प्रतिरिक्त कुछ अन्य गैर-बैंकिंग कार्य भी करने चाहिए जैसे कि (i) स्वयं के गोदाम निर्माण करना, (ii) एजेंट की भांति कार्य करना, (iii) कृषि उपकरणों को पट्टे पर देना, (iv) कृषि उपज विपणन में सहायता करना, (v) गांव के विकास में सहयोग देना।

इसी आधार पर सरकार ने देश में सभी 5 क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की है जो प्राथमिक सस्थाओं या कृषक सेवा सस्थाओं को वित्तीय सहायता देंगे। यह 1 करोड़ की जनसंख्या वाले क्षेत्र पर कार्य करेगी और इन्हें व्याज दर में सहकारी संस्थाओं की भांति छूट मिलेगी तथा रिजर्व बैंक से तरलता अनुपात बनाए रखने में भी छूट मिलेगी। यह संस्था छोटे कृषकों, व कृषक थ्रिफो को सहायता प्रदान करेगी। यह बैंक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या शीर्ष द्वारा सहायता प्राप्त करेगी जो मुख्य बैंक या प्रेरक बैंक कहलाएगी। यह बैंक अपनी शाखाएँ भी खोलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकों में स्वयं की धरोहर पर ऋण दिया जाएगा। यह कार्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। ऋण की सीमा सभी 10,000 ₹० रखी गई है जिसे बाद में बढ़ा दिया जाएगा।<sup>2</sup>

### (ब) कृषि पुनर्वित्त निगम

(Agricultural Refinance Corporation)

गाडविल समिति 1945 ने यह सुझाव दिया था कि देश के प्रत्येक प्रांत में कृषि साल निगम की स्थापना की जानी चाहिए, परंतु इन सुझाव का अल्प ग्रामीण समितियों द्वारा समर्थन न करने से इसे कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सका। परंतु देश में सहकारी संस्थाओं एवं भूमि-वपक बैंकों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से एक विशेष संस्था के निर्माण की आवश्यकता को अनुभव करते हुए 1 जुलाई, 1963 को कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना की गई। इस निगम की अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपये है जो 10-10 हजार रुपये के 25,000 अंशों में विभाजित है। निगम की निर्मित पूंजी 5 करोड़ रुपये है। इस निगम को सरकार ने 5 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है जिसका भुगतान 15 वर्षों के बाद होगा और उन पर कोई व्याज नहीं किया जाएगा।

इस निगम ने मद्रास राज्य में ऋण प्रदान करने के लिए मूिम के मृत्यांकन के नवीन विचार को रबीकार कर लिया है। निगम द्वारा सिंचाई कार्यों के लिए 3,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाता था, परंतु 3 एकड़ मूिम के स्वामी को 3500 रुपये में अधिक का ऋण प्राप्त नहीं होता था। मत वर्ष कृषकों को 14.5 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया। इस वर्ष कृषकों को 24 करोड़ रुपये के ऋण दिए जाने की संभावना है। विश्व बैंक द्वारा विकास कार्यों के लिए तमिलनाडु को 72 करोड़ रुपये प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों में परिवर्तन करके लघु कृषकों को अधिक महत्व दिया जाएगा। 'लघु कृषक विकास अगेंसियों' द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं को 100% पुनर्वित्त की सुविधाएं दी जाएगी, इनकी स्थापना विभिन्न राज्यों में की गई है। ऊंची फसल वाले क्षेत्रों में जहां सहकारी साज संस्थाएं प्रसफल हो गई हैं, वहां व्यापारिक बैंकों द्वारा लघु कृषकों को अल्पवित्तीय ऋण की व्यवस्था की जाएगी।

इस निगम का प्रमुख कार्य मदरसों द्वारा कृषि कार्य के ऋणों के लिए पुनर्वित्त की उचित व्यवस्था करना है। निगम द्वारा कम-से-कम 1 भाव रुपये की पुनर्वित्त व्यवस्था की जाती है। ये ऋण प्रायः 15 वर्ष के लिए दिए जाते हैं जिस पर 6% वार्षिक की दर में व्याज लिया जाता है। निगम ने कृषि विकास के लिए लगभग 160 करोड़ रुपये

1. The Financial Express, Sept. 25, 1975.

2. Ibid, 23 & 28, 1975.

की स्वीकृति प्रदान की है।

### (स) रिजर्व बैंक एवं कृषि साख (Reserve Bank and Agricultural Credit)

देग में ग्रामीण मान्य का महत्त्व होने के कारण रिजर्व बैंक ने प्रारंभ से ही कृषि साख विभाग की स्थापना कर दी की जिसे निम्न कार्य सौंपे गए—

- (1) कृषि साख के लिए रिजर्व बैंक, राज्य सरकारी बैंक एवं अन्य बैंकों में समन्वय स्थापित करना।
- (2) कृषि समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञ कर्मचारियों का दल रखा जाएगा जो परामर्श देगा।
- (3) ग्रामीण विन ऋणग्रन्थका व सहकारिता अधिनियमों का प्रव्ययन करके अपना मत प्रकट करेगा।
- (4) कृषि साख से संबंधित केंद्रीय एवं राज्य सरकारी को तकनीकी सलाह देना।
- (5) रिपोर्टें प्रकाशित करके कृषि ऋण प्रबंधन पर प्रकाश डालना।
- (6) केवल बैंकिंग का ही कार्य करने पर रिजर्व बैंक द्वारा विनो की कटौती की सुविधाएं प्रदान करना।
- (7) प्रांतीय सहकारी बैंकों को प्राथिक सहायता प्रदान करना, वगैरे उन्होंने प्रनो स्थायी व चालू जमा का 2½% रिजर्व बैंक में जमा कर दिया है।

(8) 1951 में गभिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों को केंद्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया।

कृषि साख संबंधी कार्य—रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषि साख संबंधी निम्न कार्य करता है—

- (1) रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों के 15 माह की अवधि के कृषि विनों की पुनः कटौती करता है।
- (2) नूमि-बंधक बैंकों के ऋण-पत्रों को क्रम करके उन्हे कार्यशील पूजो प्रदान की जाती है।
- (3) गोदामों में रखी कृषि उपज की घाड़ में भी ऋण दिए जाते हैं।
- (4) यह 90 दिन का प्रत्यक्षानुबन्ध ऋण राज्य सहकारी बैंकों एवं नूमि-बंधक बैंकों की स्वीकृति प्रतिनूतियों पर देता।
- (5) राज्य सरकारों को सहकारी साख सस्थाओं की ऋण पूजो के लिए दीर्घकालीन ऋण देता है।

#### रिजर्व बैंक के कोष

दरवरी, 1956 में मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणों के लिए रिजर्व बैंक ने निम्न दो कोषों की स्थापना की है—

(1) राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष—इस कोष में प्रारंभ में 10 करोड़ ६० जमा किए व घाने 5 वर्षों तक 5 करोड़ ६० वार्षिक देने का निश्चय किया। कोष में प्रपना कार्य 30 जून, 1956 में प्रारंभ किया। कोष का प्रयोग निम्न कार्यों हेतु होगा—

- (i) केंद्रीय नूमि-बंधक बैंकों के ऋण पत्रों पर राज्य सहकारी बैंक की गारंटी होने पर उन्हे ऋण करता।
- (ii) राज्य सहकारी बैंकों को 15 मास से 5 वर्ष तक के लिए ऋण देता।
- (iii) राज्य को सहकारी साख समितियों के ऋण ऋण करने हेतु 20 वर्ष के लिए ऋण देता।
- (iv) केंद्रीय नूमि-बंधक बैंकों को 20 साल तक के लिए दीर्घकालीन ऋण देता।

इस कोष के 143 करोड़ ६० जना में तथा प्रदत्त ऋण 57 करोड़ ६० था जिसमें से राज्य सरकारों को 32 ६० राज्य सहकारी बैंकों को करोड़ 15 करोड़ ६० व नूमि-बंधक बैंकों को 10 करोड़ ६० ऋण के रूप में दिए गए थे।

(2) राष्ट्रीय कृषि साख (स्थापित) कोष—इस कोष का निर्माण 30 जून, 1956 को किया गया। इस कोष का प्रयोग प्रांतीय सहकारी समितियों को ऋण देने में किया जाता है जो 15 मास से 5 वर्ष तक दिए जाते हैं। ये ऋण दो घटों पर दिए जाते हैं—



(i) राज्य सरकार इन ऋणों की गारंटी करे, (ii) ऋण लेने वाले प्रांतीय सहकारी बैंक इस कोष में से लो गैर ऋण की राशि का प्रयोग विपत्तों के शोषण करने में करें।

इस कोष का उद्देश्य प्रांतीय सहकारी बैंकों को मध्यकालीन ऋण देना है। इस कोष में 33 करोड़ ६० जमा थे और इसमें से 6 करोड़ ६० के ऋण बकाया थे।

#### (द) स्टेट बैंक एवं ग्रामीण साख (State Bank and Rural Credit)

ग्रामीण साख के क्षेत्र में स्टेट बैंक एवं ग्रन्थ सहायक बैंकों द्वारा की गई सहायता को 4 वर्षों में रखा जा सकता है—

(i) विपणन एवं प्रक्रिया साख—स्टेट बैंक उत्पादन कार्यों में संलग्न सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करता है।

(ii) लघु उद्योगों को वित्त—स्टेट बैंक व सहायक बैंक लघु व कुटीर उद्योगों को वार्षिक सहायता प्रदान करते हैं। इन सर्वत्र में अग्रगामी योजना (Pilot Scheme) लघु उद्योग नियम एवं कृषि पुनर्वित्त नियम आदि की स्थापना की गई है।

(iii) सामान्य सहायता—घन भेजने की नि:शुल्क सुविधा, सामान्य ब्याज से 1% कम ब्याज पर केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देना, सहकारी बैंकों के बैंक आदि रियायती दरों पर मुनाफा आदि को इसमें सम्मिलित करते हैं।

(iv) भात गोदामों हेतु वित्त—स्टेट बैंक भात गोदाम नियम की धंध पूजी में विनियोग करता है, भात गोदाम की रसीदों पर रियायती नियम की दर पर ऋण प्रदान करना, सरकारी गोदाम के स्थान पर नई छायाएं सोझना आदि।

#### (इ) कृषि वित्त निगम (Agricultural Finance Corporation)

बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण लगाने के फलस्वरूप यह आया की गई कि वे नियंत्रित, कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करेंगे। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 10 अक्टूबर, 1968 को कृषि वित्त निगम की स्थापना की गई, जिसने अपना समस्त कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस निगम की पूजी 10 करोड़ रुपये है, जिसमें व्यापारिक बैंकों द्वारा ही सरोदा गया है। निगम की प्रदत्त पूजी 5 करोड़ रुपये है। यह निगम मुख्यतया कृषि विकास के लिए ही ऋण प्रदान करेगा।

वर्तमान समय में सहकारी एवं ग्रन्थ संस्थाओं के विकास करने एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का कृषि-वित्त में सहयोग देने में कृषि साख सुविधाओं में निरंतर वृद्धि होने की संभावना है। कृषि में विकास करने एवं कृषि समस्याओं के समाधान के लिए 'कृषि आयोग' के निर्माण पर विचार किया जा रहा है।

चार-मूनी योजनाएँ—अभी हाल ही में सरकार के अनेक प्रकार के विविध उपायों द्वारा कृषकों को प्राप्त होने वाली साख सुविधाओं के लिए बैंकों की सुविधाओं को प्रयोग करने की व्यवस्था की है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से साख प्राप्त करने के उद्देश्य में एक चार-मूनी कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है। कृषकों को आसान शर्तों पर ऋण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए निम्न उपायों को अन्वयाया जाएगा—

(i) नवोन जालाएँ—सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा डिसेम्बर, 1970 तक बैंक-पेंडिंग क्षेत्रों में 1,139 जालाएँ सोनी जानी हैं।

(ii) दक्ष समुदाय—एक दक्ष समुदाय (Expert Group) की स्थापना की गई है जो बैंकों द्वारा कृषि साख संबंधी घटकों का अध्ययन करेगी, विशेषकर ऋण सुविधाओं व नूतन सुधार संबंधी विद्यमान प्रतिनिधियों को ध्यान में रखते हुए यह अध्ययन किया जाएगा।

(iii) चल कार्यालय—हुछ बँकों ने चल कार्यालयों (Mobile Offices) की स्थापना, ग्रामीण स्वीकृत योजना एवं धेन का प्रप्यन प्रादि का धनुभव किया ।

(iv) प्रावदकताधों का प्रप्यन—हुपको की माग की प्रप्यन करने के उद्देश से क्षेत्रीय प्रधिकारियों की नियुक्ति की गई जो स्थान-स्थान का प्रप्यन करते हैं ।

इसके प्रतिरिक्त रिजर्व बैंक ने ब्यापारिक बैंकों द्वारा जिलों में प्राथमिक कृषि सध्याधों को वित्तीय सुविधाएं देने की योजना का निर्माण किया है, जहाँ केंद्रीय सहकारी बैंक प्रशासनिक एवं वित्तीय दृष्टि से कमजोर होने से प्राथमिक सहकारी संस्थाधों को वित्तीय सुविधाएं देने में प्रगमर्थे हैं ।

इस योजना को प्रारंभ में देश के 5 राज्यों—मांध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मंगूर एवं उत्तर प्रदेश में परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है । इन राज्यों के 50 चुने हुए जिलों में ब्यापारिक बैंकों की साक्षात् लगभग 2000 प्राथमिक साख समितियों को, जो कि बैंक की दायता से 16 व 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं । वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती हैं ।

गैर-बैंकिंग क्षेत्रों को राष्ट्रीयकृत बैंको की सीधे बैंक योजना (Lead Bank Scheme) के अंतर्गत सौंप दिया गया है, जिसमें जमा संभावनाएं एवं साख प्रावदकताधों संबंधी सर्वेक्षण किये जायेंगे । प्रसिद्ध भारतीय ग्रामीण निरीक्षण समिति (All India Rural Credit Review Committee) की सिफारिशों के आधार पर एक सधु कृषक विकास एजेंसी का निर्माण किया गया है जो छोटे कृषकों को समस्थाधों का प्रप्यन करने उद्देश बैंकों एवं सहकारी समितियों से श्रुण प्राप्त में सहायता करेगा । इस समय में 46 प्राथमिक योजनाएं (Pilot Projects) 1 से 2 हेक्टर वाली जोत के 40,000 से 50,000 कृषकों को सम्मिलित करेंगी ।

इसके प्रतिरिक्त कृषि वित्त निगम (Agricultural Finance Corporation) ने 1969-70 के लिए 92.78 करोड़ रुपये की 142 योजनाएं स्वीकृत की हैं । इस प्रकार जून 30, 1970 तक कुल मिलाकर 259.51 करोड़ रुपये की 371 योजनाएं स्वीकृति की जा चुकी हैं ।

भारत में 1951-52 व 1961-62 के मध्य ग्रामीण साख के साधनों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

### ग्रामीण साख के साधन

साख सध्याएं	(प्रतिशत में)	
	1951-52	1961-62
1. सरकार	3.3	2.6
2. सहकारी संस्थाएं	3.1	15.5
3. रिस्तेदार	14.2	8.8
4. मूस्वामी	1.5	0.6
5. कृषक-साहूकार	24.9	36.0
6. ब्यावसायिक साहूकार	44.8	13.2
7. ब्यापारी एवं कमीशन एजेंट	5.5	8.8
8. ब्यापारिक बैंक	0.9	0.6
9. अन्य	1.8	13.9
<b>योग</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

देश को प्रथम-स्यवस्था में विभिन्न साधनों का प्रपना महत्वपूर्ण स्थान रहता है और सबकी सहायता से ही ग्रामीण साख के साधनों को सरलता में प्राप्त किया जा सकता है । इन सध्याधों में सहकारी सध्याधों व कृषक साहूकारों का महत्व काफ़ी बढ़ गया है तथा ब्यावसायिक साहूकार का महत्व घट गया है ।

सरकार की स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की विशेष योजनाएं पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं दे रही हैं। उदाहरणार्थ 51 लघु कृषक विकास एजेंसी योजना (Small Farmers Development Agency Project) में से आधी विकसित राज्यों में खोली गयी। इसी प्रकार 153 जिलों को चार विशेष कार्यक्रमों हेतु चुना गया था जिसमें से 59 जिले प्राठ विकसित राज्यों के थे। चार विशेष ग्रामीण विकास योजनाएं हैं—(i) लघु कृषक विकास एजेंसी योजना, (ii) सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक एजेंसी, (iii) ग्रामीण कार्य प्रोग्राम, (iv) योजना गहन ग्रामीण विकास योजना। इस प्रकार विकसित जिलों में से 46% व अविक्तसित जिलों का 37% इस योजना से लाभान्वित होंगे। 153 जिलों में से 47 जिलों को ही भौद्योगिक विकसित जिलों से चुना गया। कृषि विकास हेतु देहली, गुडगाव, बड़ौदा, विशाखापट्टनम व पूना जैसे विकसित जिलों को चुना गया है।<sup>1</sup> मरिच्य में ग्रामीण संघ के लिए अन्य संस्थाओं द्वारा भी सरल शर्तों पर ऋण प्राप्त होने की संभावनाएं हैं।

## भारत में औद्योगिक वित्त-व्यवस्था (Industrial Finance in India)

### प्रारम्भिक

अधिकसित राष्ट्रों में औद्योगिक विकास की गति प्रायः स्थिर होती है। इन राष्ट्रों में बृहत् पैमाने के उद्योगों का प्रभाव पाया जाता है, परन्तु लघु उद्योग भी लाभकारी नहीं होते। प्रायः दीर्घकालीन पूँजी की सुविधाएँ उपलब्ध न होने से बृहत् पैमाने पर उद्योगों की स्थापना करना संभव नहीं हो पाता। लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताएँ सीमित एवं अल्पकालीन होती हैं, परन्तु साह्र व घरोहर का प्रभाव पाया जाता है। देश के औद्योगिक विकास के आधार पर ही आर्थिक विकास निर्भर करता है। उद्योगों का विकास वित्त की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की वित्तीय व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, परन्तु निजी क्षेत्र के उद्योगों के सम्मुख समस्याएँ उदय हो जाती हैं। भारत में विभिन्न साधनों से प्राप्त होने वाली पूँजी की मात्रा प्रत्यंत सीमित है। देश में पूँजी बाजार के अतिक्रमिता समस्या में होने से उद्योगों को दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूर्ण करना संभव नहीं हो पाता। देश में वित्तीय सुविधाओं के अभाव के कारण ही जुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास संभव नहीं हो सका है। देश के औद्योगिक विकास के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था होना आवश्यक है। इसके लिए देश में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं की स्थापना करना आवश्यक होगा।

### औद्योगिक वित्त की आवश्यकता

आंक सन्मिति के अनुसार उद्योगों को तीन प्रकार की पूँजी की आवश्यकता होती है। उद्योगों के विकास के लिए वित्त की आवश्यकता को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है—

(1) दीर्घकालीन—उद्योगों को दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋणों की आवश्यकता होती है, व मृमि, मकान, मशीन, खरीदने आदि के लिए उसे उपयोग किया जाता है। जो ऋण 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्राप्त किए जाएँ, उन्हें दीर्घकालीन ऋण में सम्मिलित करते हैं।


(2) अल्पकालीन—कच्चे माल का ऋय करने, निमित्त माल का विक्रय करने एवं उत्पात्ति के विभिन्न साधनों को पारिश्रमिक चुकाने के लिए अल्पकालीन पूँजी की आवश्यकता होती है। जो ऋण 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए प्राप्त किए जाएँ, उन्हें अल्पकालीन ऋणों में सम्मिलित करते हैं।

(3) मध्यकालीन—उद्योगों में कभी-कभी मशीन आदि के किसी भाग को बदलने एवं औद्योगिक विस्तार के लिए मध्यकालीन पूँजी की आवश्यकता होती है। जो ऋण 1 से 10 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त किए जाएँ उसे मध्यकालीन ऋण में सम्मिलित करते हैं।

प्रायः 1 वर्ष तक लिए गए ऋणों को अल्पकालीन ऋण, 1 से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए प्राप्त ऋणों को मध्यकालीन एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्राप्त ऋणों को दीर्घकालीन ऋण के नाम से जानते हैं।

इसे निम्न बाटें द्वारा दिखाया जा सकता है—

औद्योगिक वित्त की प्राबल्यकता




औद्योगिक वित्त के साधन

(Sources of Industrial Finance)

भारत में औद्योगिक वित्त के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं—(i) जनता; (ii) विनियोजक संस्थाएं; (iii) देशी बैंकर एवं साहूकार, (iv) विदेशी पूंजी; (v) प्रबन्ध प्रभिकर्ता; (vi) केंद्रीय एवं राज्य सरकार; (vii) औद्योगिक सहकारी समितियां; (viii) व्यापारिक बैंक; (ix) बीमा कंपनियां; एवं (x) वैधानिक वित्त नियम। औद्योगिक वित्त के साधनों को निम्न चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है—

औद्योगिक वित्त के साधन



(i) जनता  
(Public)

जनता द्वारा धनको बचत का विनियोजन सुरक्षित प्रतिभूतियों में किया जाता है। विनियोजन की मात्रा जनता की बचत करने की शक्ति एवं विनियोजन की सुविधाओं पर निर्भर करेगी। जनता प्रायः प्रशो एवं ऋण-पत्रों में विनियोजन करना चाहती है। प्रत्येक व्यक्ति ऋण-पत्रों में ही विनियोग करना अधिक सुरक्षित समझता है क्योंकि अधिकतर ऋण-पत्रों पर सरकार की गारंटी होती है तथा उन पर निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है। मई, 1943 में भारत रक्षा निगम 93-अ के अंतर्गत पूंजी निर्गमन नियंत्रण प्रादेश के अंतर्गत पूंजी को उपयुक्त क्षेत्रों में विनियोजित करने को प्रोत्साहित किया गया। युद्ध के पश्चात् भी इसे लागू करके स्थायी रूप दे दिया गया। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया और उसके उपरान्त कंपनियों ने अपार मात्रा में पूंजी का निर्गमन किया। योजनाकाल में भारतीय कंपनियों द्वारा कुल 1400 करोड़ रुपये की नवीन पूंजी विनियोजित की गयी। पूंजी बाजार में ब्याज दर में वृद्धि होने एवं सरकार द्वारा प्रतिवर्ष ऋण लेने से विनियोग पर प्रभाव पडा है, फिर भी जनता की बचत का एक महत्वपूर्ण अंश नियमित रूप से निजी क्षेत्र में विनियोग किया जाता है।

(ii) विनियोजक संस्थाएं  
(Investment Trusts)

विनियोग प्रत्यासों द्वारा विनियोगों की मात्रा में अपार वृद्धि की जाती है, जो निजी बचतों को विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में विनियोजित करते हैं। इन संस्थाओं के द्वारा जनता की बचत को गतिशील बनाकर आवश्यक प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया जाता है। विनियोग संस्थाओं में विनियोग प्रत्यास एव यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को सम्मिलित करते हैं।

(क) विनियोग प्रत्यास

विनियोग प्रत्यास विनियोजक की छोटी-से-छोटी राशि को अनेक ढंग से विनियोग करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं तथा विनियोजकों को समस्त आवश्यक प्रतिभूतियों संबंधी सूचनाएं प्रदान करते हैं। इन प्रत्यासों द्वारा प्रायः वे ही प्रतिभूतियां क्रय की जाती हैं जो लाभप्रद एवं पूर्ण रूप से सुरक्षित हों। भारत में सर्वप्रथम विनियोग प्रत्यास की स्थापना 1869 में हुई थी।

भेद—विनियोग प्रत्यास दो प्रकार के होते हैं—

(अ) इकाई प्रत्यास (Unit Trusts)—ये प्रत्यास एक निश्चित अनुपात में अंश एवं ऋण-पत्रों को क्रय करते हैं तथा उसके समान विभाग बनाकर, उन्हें एक इकाई में विभाजित करके उनके स्वस्वाधिकार को जनता को बेच देते हैं। इसकी प्रवृद्ध व्यवस्था एक निश्चित प्रतिफल के बदले प्रबंधक कंपनी द्वारा की जाती है तथा प्राप्त लाभ को इकाईधारियों में विभाजित कर दिया जाता है।

(ब) विनियोग प्रबंध प्रत्यास (Management Investment Trusts)—ये प्रत्यास सामान्य संयुक्त स्कंध प्रबंध की भांति होते हैं जो साधारण एवं पूर्वाधिकार अंश बेचकर अपनी पूंजी प्राप्त करते हैं तथा उस पूंजी का उपयोग अन्य संस्थाओं के ऋण-पत्रों को क्रय करने में करते हैं तथा उनमें प्राप्त लाभों को एक निश्चित अनुपात में अपने अंशधारियों में विभाजित कर देते हैं। इस प्रकार ऋण-पत्रों का प्रबंध सम्बंधी कार्य इनके द्वारा किया जाता है।

(ख) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया  
(Unit Trust of India)

भारत में सामान्य विनियोजकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 फरवरी, 1964 को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई जिसने 10-10 रुपये की इकाइयां बेचनी प्रारंभ की है। इसकी प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़

रूपे है जिसमें से 2.5 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक, 75 लाख रुपये जीवन बीमा निगम, 1 करोड़ रुपये व्यापारिक बैंकों एवं अन्य संस्थाओं एवं 75 लाख रुपये स्टेट बैंक एवं उसके सहायक बैंकों में लगाए हैं। इकाई प्रणालि के समस्त भागिक साधन 46 करोड़ रुपये हैं। इस ट्रस्ट ने अपनी धन धरोहर, ऋण-पत्रों, सरकारी बैंकों एवं कोषागार विषयों आदि में विनियोग किया है। यूनिट ट्रस्ट ने देश के विभिन्न उद्योगों में पूँजी का विनियोजन किया है। इस प्रकार उद्योगों की आवश्यकता के समय पर्याप्त मात्रा में पूँजी उपलब्ध हो जाती है। इस ट्रस्ट ने 1972 तक 105 करोड़ रुपये की मुद्रा राशि बेची। पूँजी तथा विभिन्न प्रकार के कोष मिलाकर प्रणालि के कुल साधन 110 करोड़ रुपये हैं। इसमें से 105 करोड़ रुपये से उद्योगों के अंश व ऋण-पत्र खरीदे गए हैं। कुल विनियोजित राशि में 53 करोड़ 80 की अंश पूँजी तथा 41 करोड़ 80 के ऋण-पत्र सम्मिलित हैं। प्रणालि के कुल विनियोग का 70% भाग उद्योगों में लगा हुआ है।

साम—यूनिट ट्रस्ट से प्राप्त होने वाले सामों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) छोटी इकाई—प्रत्येक इकाई केवल 10 रुपये की होती है जिसे कोई भी छोटे से छोटा विनियोजक सरलता से क्रय कर सकता है। इसमें यूनिट खरीदने की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है और वह कितनी ही मात्रा तक इन इकाइयों को क्रय कर सकता है।

(2) हस्तांतरण की सुविधा—धन की आवश्यकता पड़ने पर कोई भी इकाई धारि अपनी इकाइयों को बैंक को हस्तांतरित करके आवश्यक धनराशि प्राप्त कर सकता है।

(3) प्रशासन व्यय—इस संस्था के प्रशासन पर 5% से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जा सकती तथा प्राप्त आय का कम से कम 90% भाग क्रेता को अवश्य दिया जाता है।

(4) कर-मुक्त आय—इन इकाइयों से प्राप्त होने वाली 1000 रुपये तक की आय कर-मुक्त होती है जिस पर अधि-कर नहीं लगता।

(5) खरीदने की सुविधा—इन इकाइयों को घर के सदस्य मिलकर पृथक् या संयुक्त रूप से क्रय कर सकते हैं। प्रत्येक के लिए इन्हें सरल को डारा क्रय किया जा सकता है।

(6) प्राप्ति स्थान—ये इकाइया स्टेट बैंक एवं अन्य प्रमुख व्यापारिक बैंकों से सरलता से प्राप्त की जा सकती है।

(7) सरल एवं सुविधाजनक—यूनिट खरीदने के लिए आवेदन-पत्र भरना होगा तथा अपनी इच्छानुसार इकाइयों को क्रय किया जा सकेगा। इस प्रकार इकाइया खरीदना सरल एवं सुविधाजनक है।

(8) भाव जागने में सुविधा—सरकार द्वारा यूनिट के क्रय एवं विक्रय करने के भावों की सूचना प्रसूचक एवं रेडियो द्वारा दी जाती है जिससे उन्हें निश्चित दरों पर इन्हें खरीदा जा सकता है।

(9) लाभ की मात्रा—इसमें प्रत्येक यूनिट क्रेता को कम से कम 6% लाभ प्राप्त होने की गारंटी दी जाती है।

(10) बिक्री की सुविधा—अपना धन वापस लेने के लिए खरीदार अपनी इकाइयों को पुनः ट्रस्ट को ही बेच सकता है। परंतु यह उसी दर पर लिए जाएँगे जो दर बिक्री की तिथि को प्रचलित होगी। इसमें साम एवं हानि के लिए निष्केता को ही जिम्मेवार ठहराया जाता है तथा सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं मानी जाती। इस प्रकार प्रत्येक छोटा विनियोजक अपनी छोटी बचत का अच्छा उपयोग कर सकता है।

### (iii) देशी बैंकर एवं साहूकार

(Indigenous Bankers and Money Lenders)

भारत में सामीन क्षेत्रों के छोटे एवं मध्यम श्रेणी के व्यक्ति अपने व्यवसाय एवं कारखानों के लिए देशी बैंकर एवं साहूकारों से ही ऋण प्राप्त करते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा संचालित साहूकारों योजना के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋण उद्योगों को बित्त व्यवस्था की गई है, फिर भी वे मूलतः आवश्यकता की पूर्ति करने में अक्षम होने से देशी बैंकर के महत्व को मुनासा नहीं जा सकता। प्रायः ऋण लेने वाला व्यक्ति अमानत नहीं दे पाता तथा बैंक-ऋणों

की दिशाओं से प्रभ्यस्त न होने के कारण वह बैंकों से ऋण प्राप्त करने में उदासीन रहता है। अतः ऋण प्राप्त करने में देशी बैंकर एवं साहूकारों की सहायता ही प्राप्त की जाती है। इनकी उत्तरदाता के कारण अधिक ध्यान पर भी सरलता से ऋण ले लिए जाते हैं। इन लोगों द्वारा दिए गए ऋणों की मात्रा लगभग 100 करोड़ रुपये से भी अधिक मानी गई है। इस प्रकार वर्तमान प्रयोज्यव्यवस्था में देशी बैंकर एवं साहूकारों के महत्त्व को कम नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एवं मध्यमवर्गीय कारीगर के लिए ऋण प्रयोज्यव्यवस्था देशी बैंकर से ही प्राप्त किए जाते हैं। अनु उद्योगों की 90% पूंजी व्यक्तिगत साधनों से प्राप्त की जाती है तथा 10% पूंजी की व्यवस्था बैंक तथा सरकार करते हैं। भारत में बुनकर, लोहार, चमार, तेली व छोटे कारीगर धातु की साहूकार से ही धन की व्यवस्था करते हैं।

#### (iv) विदेशी पूंजी (Foreign Capital)

भारतीय योजनाओं की सफलता एवं औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूंजी की सहायता पर निर्भर रहना आवश्यक होगा। द्वितीय योजना मुख्यतया उद्योग प्रदान होने से विदेशी पूंजी पर पूर्ण रूप से निर्भर रहा गया क्योंकि देश में पर्याप्त मात्रा में पूंजी का प्रबंध नहीं हो सका था। देश में विदेशी मुद्रा का संकट प्राने पर भी विदेशी पूंजी की आवश्यकता को अनुभव किया गया। तृतीय योजना में विदेशी सहायता की राशि में वृद्धि हुई। भारत में विदेशी पूंजी की सहायता से अनेक औद्योगिक संस्थान चले रहे हैं। देश में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, इटली आदि राष्ट्रों से विदेशी पूंजी प्रायाप्त की गई है। विश्व में विदेशी विनिमय की मात्रा 7 बड़े औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा 1200 करोड़ डॉ. से प्रारंभ होकर 50,200 करोड़ डॉ. तक है। भारत में कुल विदेशी पूंजी व विनिमय की मात्रा 1967 में 1,137 करोड़ डॉ. से बढ़कर 1974 में 6,824 करोड़ डॉ. हो गयी। प्रातरिक एवं बाह्य ऋण दोनों मिलाकर भारत सरकार का वार्षिक 24,826 करोड़ डॉ. हो गया।

#### (v) प्रबंध प्रतिकर्ता (Managing Agents)

भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास में प्रबंध प्रतिकर्ताओं ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रबंध प्रतिकर्ता ने प्रत्येक के रूप में देश में अनेक नवीन कारखानों की स्थापना की, पूंजी को समुचित व्यवस्था करके, प्रबंध कार्य में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। प्रबंध प्रतिकर्ता पूंजी का प्रविशोक्त करते हैं तथा न्यूनतम राशि प्राप्त न होने पर कर्पणियों के प्रयोग एवं ऋण-पत्रों को स्वयं ही क्रय कर लेते हैं। जनता से प्रत्यक्ष रूप से निवेश भी प्राप्त किए जाते हैं। भारतीय कर्पणियों में उद्योगों के लिए पूंजी प्राप्त करने में इनका योगदान सर्वत्र से ही महत्त्वपूर्ण रहा है। डॉ. वसुधा अनुमान था कि 1,720 कर्पणियों की 215 करोड़ डॉ. की पूंजी में से 30 करोड़ रुपये (14%) प्रबंध प्रतिकर्ताओं द्वारा क्रय की गयी थी। इस प्रकार प्रबंध प्रतिकर्ता पूंजी प्रदान करने का एक प्रच्छा स्रोत रहे हैं। प्रारंभ में प्रबंध प्रतिकर्ता कर्पणों के प्रविशोक्त में धन लगाए जाते थे, इस दौर को कर्पणी अधिनियम 1956 ने दूर कर दिया। नवीन अधिनियम के प्रवर्तन कोई भी व्यक्ति या संस्था एकसाथ 10 से अधिक कर्पणियों का प्रबंध प्रतिकर्ता नहीं बन सकता तथा पारिप्रतिक के रूप में लान के 11% से अधिक राशि प्राप्त नहीं कर सकता। नवीन कर्पणियों में प्रबंध प्रतिकर्ताओं की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इनकी नियुक्ति पर सरकार से अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया। प्रबंध प्रतिकर्ता देश के उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक धन माने गए थे। परंतु प्रबंध प्रतिकर्ता के प्रवाहनीय व्यवहारों के कारण इनकी प्रणाली प्रतीकृतिय बन गई। यह कर्पणों से लान के रूप में बहुत अधिक धन प्राप्त करते थे तथा संस्था के हित के स्थान पर अपने हितों को अधिक ध्यान देते थे। औद्योगिक संस्थाएं निजी वित्त-साधनों का कमी भी बिहास न कर सकीं। कंपनी के क्रयों वा प्रयोग अपने निजी लान के लिए किया जाता रहा। प्रबंध प्रतिकर्ता की कट्टा प्रालोचना एवं दोष को ध्यान में रखते हुए 1969 में समद में विशेष बिल पास करके यह निश्चित किया गया कि उद्योगों से प्रबंध प्रतिकर्ता प्रणाली को 3 अप्रैल, 1970 से समाप्त कर दिया गया है।



प्रबंध एवं दीर्घकालीन ऋण देने से व्यवस्था बिगड़ जाती थी। परंतु देय के व्यापारिक बैंकों ने उद्योगों के विकास के लिए प्रत्येककालीन साख को व्यवस्था की जो संपत्ति की जमानत पर दी जाती है। ब्रिटिश बैंकों की भांति ये बैंक नो प्रत्येककालीन ऋण प्रदान करते हैं क्योंकि इनमें जोखिम उठाने का साहस नहीं होता तथा उद्योगों की संपत्ति का उचित मूल्यांकन करना संभव नहीं हो पाता। परंतु कमी-कमी इन बैंकों द्वारा मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान किए जाते हैं। इन बैंकों ने कंपनियों के षंशो व ऋण-पत्रों को खरीदा है। बैंक द्वारा विभिन्न नियमों में भी धन का विनियोजन किया जाता है। भारतीय बैंक प्राधिकारणतया प्रत्येककालीन ऋण प्रदान करते हैं तब ये मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण देने बचना चाहते हैं।

इंग्लैंड तथा अमेरिका जैसे देशों में बैंकों द्वारा प्रबंध ऋण प्रदान किए जाते हैं। इंग्लैंड में जहां पर बैंक व्यवस्था का विकास नुरक्षावादी सिद्धांतों पर हुआ है वहां पर साख ऋण देने की प्रथा प्रचलित है। यह ऋण उद्योगों एवं व्यापारिक संस्थानों को तबों प्रबंध के लिए दिए जाते हैं। अमेरिका के बैंक उद्योगों को मध्यकालीन ऋण 1 से 8 वर्ष तक के लिए दे रहे हैं। वर्तमान समय में न्यूयार्क एवं अन्य बड़े नगरों में औद्योगिक ऋणों का 50 प्रतिशत दिया जाता है। भारत में बैंकों द्वारा माध्यम या दीर्घकालीन ऋणों का सदैव विरोध किया जाता रहा है।

दीर्घकालीन ऋण न देने के कारण—व्यापारिक बैंकों द्वारा मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण न देने के प्रमुख कारण निम्न हैं—

(1) मान पर देय—बैंकों के जमा प्राधिकारणतया मान पर देय होते हैं तथा दायित्व नो प्रत्येककालीन होते हैं, अतः दीर्घकालीन ऋण देना सदैव जोखिमपूर्ण होता है।

(2) अनुभवों कर्मचारियों का अभाव—बैंकों के पास योग्य एवं अनुभव कर्मचारियों का अभाव होने से दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करना संभव नहीं रहता।

(3) सिडीकेट का अभाव—विदेशों में जोखिम को बाटने के लिए सिडीकेट बनाए गए हैं, परंतु भारत में ऐसी संस्थाओं के अभाव के कारण दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना संभव नहीं हो पाता।

(4) ऋण-निर्धेय अनुपात—भारत में ऋण-निर्धेय अनुपात बहुत ऊंचे हैं, और यदि दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए गए तो कोशों की तरलता में कमी हो जाएगी।

(5) सीमित साधन—बैंकों के साधन अत्यंत सीमित होने से ये बड़ती हुई मांग को पूर्ण करने में असमर्थ रहते हैं तथा दीर्घकालीन ऋण देना संभव नहीं होता।

(6) संपर्क का अभाव—बैंकों एवं उद्योगों के मध्य निकट संपर्क के अभाव के कारण उद्योगों की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती और वे उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देने में असमर्थ रहते हैं।

(7) सट्टे में भाग लेना—भारतीय बैंकों ने सट्टे के कार्य में अनेक भाग लिया, जिससे इनका प्राधिकार धन सट्टे में लगे रहने के कारण ये उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देने में असमर्थ रहते हैं।

विदेशों में प्रबंध ऋण दिए जाते हैं, परंतु भारत में भिन्न परिस्थिति होने से प्रबंध ऋण प्रदान करना संभव नहीं हो पाता।

उद्योगों की बड़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने रामानुजम की अध्यक्षता में वित्त विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जिसने अपनी रिपोर्ट 1961 में प्रस्तुत की। समिति का मत था कि प्रबंध ऋण प्रत्येक बैंक द्वारा नहीं दिया जा सकता।

### प्रबंध ऋण का मापदंड

वित्त विशेष समिति ने प्रबंध ऋण के लिए निम्न मापदंड बताए—

(1) उचित जमानत—दीर्घकालीन ऋणों के लिए जमानत की राशि का निर्धारण करना उचित रहता है। इस प्रकार के ऋणों के लिए औद्योगिक संपत्तियों की जमानत से रूप में प्रयोग करना चाहिए।

(2) योजना की लागत का अनुमान—दीर्घकालीन प्रबंध ऋण देने से पूर्व योजना की लागत का अनुमान

करके उसके कार्यान्वयन की सभावना को ज्ञात करना चाहिए। इन संबंध में योजना की धार्य को ज्ञात करके उनकी भूमिगत करने की समता का पता लगाना चाहिए।

(3) पर्याप्त प्राविधिक ज्ञानकारी—प्रत्येक ऋण स्वीकृत करने के पूर्व उसकी स्थिति, भूमि, कच्ची सामग्री, आवागमन सुविधाओं आदि का अध्ययन करना आवश्यक है। विदेशी माल मंगाने पर विदेशी विनिमय एवं प्राविधिक ज्ञान वाले प्रशिक्षित कर्मचारी का अध्ययन करना आवश्यक है।

(4) प्रबंध व्यवस्था—घोषणाई इकाई की सफलता कुशल प्रबंध व्यवस्था पर निर्भर करती है। यदि उच्च कोटि का प्रबंध नहीं है तो ऋण बमूल करना कठिन होगा अन्यथा नहीं।

(5) अर्जन शक्ति—ऋणी की अर्जन शक्ति का अनुमान लगाकर उसकी मांग का अनुमान लगाना चाहिए। यदि एवं धार्य पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन करना चाहिए।

(6) पूंजी व ऋण में संतुलन—ऋण लेने वाली संस्था की पूंजी एवं ऋण में उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि ऋण पहले से ही अधिक है तो और ऋण देना न्यायसंगत नहीं होगा।

व्यापारिक बैंक भी उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करने लगे हैं जिसे निम्न प्रकार में रखा जा सकता है—

### बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

	1956	1961	1969
कुल ऋण	770	1305	2718
उद्योगों को ऋण	285	665	1770
प्रतिशत	37	51	65

उद्योगों को दिए गए ऋण का प्रतिशत 1956 में 37 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हो गया है।

गत वर्षों में सरकार एवं रिजर्व बैंक द्वारा लघु उद्योगों को ऋण देने की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। बैंकों द्वारा बृहत् एवं लघु दोनों प्रकार के विकास के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा लघु उद्योगों को बैंकों द्वारा ऋण देने की गारंटी दी जाती है। सरकार ने साख गारंटी योजना की अधिक उदार बनाकर ऋण की मात्रा में अधिकाधिक वृद्धि की है। जमा बीमा नियम की स्थापना से लघु उद्योगों के हित सुरक्षित होने से उद्योगों को ऋण देना मरल हो गया है। लघु उद्योगों को ऋण देने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उत्कृष्ट प्रगति की है। इसी प्रकार जुलाई 1960 से सरकार ने साख गारंटी योजना प्रारंभ की जिसमें लघु उद्योगों की कार्यशील पूंजी के लिए ऋणों की गारंटी दी जाती है, त्रिमंश हानियों से सुरक्षा बनी रहती है। इस योजना का लाभ बैंक, राज्य महकमारी बैंक एवं वित्त निगम उठा रहे हैं। कृषि ऋणों में कमी हुई है, परंतु सहकारी बैंकों ने इन कमी को पूर्ण किया है।

### नवीन परिवर्तन

1 फरवरी, 1970 से साख गारंटी योजना की अधिक उदार बना दिया गया है और इसमें निम्नलिखित नवीन परिवर्तन किए गए हैं—

(1) गारंटी की अधिकतम सीमा 2 लाख रु० से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दी गई है व 2.5 लाख रु० सावधि ऋण के रूप में दिए जा सकते हैं। इस प्रकार कुल 10 लाख रुपये उधार दिए जा सकते हैं।

(2) निर्मात करने वाले लघु उद्योगों को भी ऋण दिया जा सकता है। इस योजना से साख-गम, स्वीडिश साख आदि के लाभ उठाए जा सकते हैं।

(3) रिजर्व बैंक ऋण की राशि के 75% तक गारंटी करेगा व 25% ऋण देने वाले बैंक को ही वहन करना होगा।

(ix) बीमा कंपनियां  
(Insurance Companies)

बीमा कंपनियां एवं जीवन बीमा निगम उद्योगों के धर्मों एवं ऋण-पत्रों को खरीदकर उद्योगों को वित्त प्रदान करते हैं। ये कंपनियां धर्मों के अभियोगन का कार्य भी करती हैं। जीवन बीमा निगम की स्थापना से उद्योगों के धर्म-प्रवचन में वृद्धि हो गई है। जीवन बीमा निगम प्रायः दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। निगम का विनियोजन धर्मों एवं ऋण-पत्रों के रूप में होता है। जीवन बीमा निगम के कुल वित्तिय साधन 3000 करोड़ रुपये से भी अधिक हैं इसका अधिकांश भाग विभिन्न क्षेत्रों में विनियोजित कर दिया गया है। निगम का कुल विनियोग का 70% भाग सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित है तथा 20% भाग निजी क्षेत्र के उद्योगों में विनियोजित है। निगम नवीन धर्मों के अभियोगन का कार्य करता है। परंतु बीमा कंपनियों के विनियोग पर कठोर प्रतिबंध होने से इनके साधनों का एक बड़ा भाग सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करना आवश्यक होता है, जिससे उद्योगों के धर्मों एवं ऋण-पत्रों में बहुत कम विनियोग संभव हो सकेगा।

(x) वैधानिक वित्त निगम  
(Statutory Financial Institutions)

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में सरकार द्वारा अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई है जो उद्योगों को वित्तीय व्यवस्था प्रदान करती है। इन संस्थाओं का वर्णन निम्न प्रकार है—

(1) औद्योगिक वित्त निगम  
(Industrial Finance Corporation)

उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक वित्त निगम का निर्माण किया गया। इसका वर्णन निम्न प्रकार है—

1. स्थापना—भारत में औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 के अंतर्गत की गई। इसकी स्थापना 1 जुलाई, 1948 को हुई। यह एक केंद्रीय इकाई है और किसी भी राज्य में स्थापित औद्योगिक संस्था द्वारा ऋण प्राप्त किया जा सकता है। सार्वजनिक कंपनियां एवं सहकारी संस्थाएं निगम से ऋण प्राप्त कर सकती हैं। निगम का उद्देश्य उद्योगों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन पत्रों की व्यवस्था करना है। निगम एक केंद्रीय संस्था है जिससे किसी भी राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाई ऋण प्राप्त कर सकती है।

11. पूंजी व्यवस्था—निगम की अधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपये है जो 5-5 हजार रुपये के 20,000 धर्मों में विभाजित है। इसकी प्रदत्त पूंजी 9 करोड़ रुपये से अधिक है। यह पूंजी सरकारी रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंकों एवं बीमा कंपनियों द्वारा ऋण की गई। मार्च 1962 में निगम ने 4,000 नए धर्म 5,000 रु० मूल्य के निर्मित किए। इसके पश्चात् 2,692 धर्म और निर्मित किए गए। वर्तमान समय में पूंजी का वितरण निम्न धर्मों में है—

सहकारी बैंक	8%
अनुसूचित बैंक	20%
बीमा संस्थाएं	22%
औद्योगिक विकास बैंक	50%
योग	100%

पूंजी पर अधिक लाभ न होने की धारणा से सरकार ने पूंजी के मुद्रातन तथा 21% वार्षिक लाभ का

घोषणा की। 1948 के पश्चात् मुद्रा बाजार में व्याज की दरों में वृद्धि होने से मार्च 1962 के पश्चात् निर्गमित किए गए प्रभों पर सरकार ने 4% लाभांश को गारंटी दी है। लाभांश की अधिकतम दर 5% निश्चित की गई है जो सरकार का ऋण वापस करने एवं प्रदत्त पूंजी के बराबर कोष हो जाने पर ही घोषित किया जा सकता है। सरकार ने ब्रंटों को कभी भी खरीदने के अधिकार को सुरक्षित रखा है। निगम को ऋण-पत्र निर्गमित करने का अधिकार है। वित्तीय साधनों की पूर्ति के लिए खुले बाजार से ऋण लिए जा सकते हैं। यह निगम केंद्रीय सरकार की अनुमति से विदेश बैंक से भी विदेशी मुद्रा में ऋण प्राप्त कर सकता है। यह जनता से 5 वर्ष की अवधि के लिए 10 करोड़ रुपये तक जमा प्राप्त कर सकता है। निगम को प्रारंभ में अपनी छुट्टा पूंजी एवं कोष के 5 गुने तक ऋण प्राप्त करने की अनुमति थी जिसे बाद में बढ़ाकर 10 गुना कर दिया गया। निगम के वित्तीय साधन 21 करोड़ रुपये से भी अधिक हैं।

III. प्रबंध व्यवस्था—निगम का प्रबंध संचालक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त प्रबंधनिक अध्यक्ष एवं 12 संचालक होते थे, परंतु बाद में कृषिमंत्री समिति की सिफारिशों पर सरकार ने अध्यक्ष का पद वैधानिक तथा संचालकों की संख्या 13 कर दी। इनमें से 4 संचालक औद्योगिक विकास बैंक, 2 संचालक सहाकारी बैंकों, 2 संचालक अनुसूचित बैंकों, 2 संचालक केंद्रीय सरकार, 2 संचालक अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस मंडल की सहायता के लिए एक केंद्रीय समिति की स्थापना की गई है जिसमें अध्यक्ष एवं 4 संचालक होते हैं। यह केंद्रीय समिति किसी भी कार्य को करने की सक्षम है तथा निगम के समस्त अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार दैनिक कार्यों के संचालन के लिए केंद्रीय समिति कार्य करती है जिसमें 2 सदस्य चुने हुए संचालकों से लिए जाते हैं तथा 2 संचालक मनोनीत संचालकों में से चुने जाते हैं। इसके प्रतिरिक्त निगम की 5 विशेष परामर्श समितियां होती हैं, जिनमें 41 सदस्य होते हैं। ये परामर्श समितियां रसायन, वस्त्र, शक्कर, इंजीनियरिंग एवं विविध उद्योगों के लिए स्थापित की गई हैं। इन समितियों में संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सदस्य बनाया जाता है। उद्योगों को ऋण देने में पूर्व संबंधित समिति से प्रावश्यक परामर्श प्राप्त कर लिया जाता है। निगम का प्रयात कार्यालय दिल्ली में है, तथा सहायक कार्यालय कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में हैं।

IV. निगम के कार्य—औद्योगिक वित्त निगम के कार्यों को निम्न तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—(अ) गारंटी करना, (ब) ऋण प्रदान करना, एवं (स) भविष्योपन करना।

(अ) गारंटी करना—गारंटी के संबंध में निगम निम्न कार्य करता है—

(i) ऋण की गारंटी देना—निगम को यह अधिकार है कि वह उद्योगों द्वारा खुले बाजार से प्राप्त किए जाने वाले ऋणों की गारंटी दे। ये ऋण 25 वर्षों की अवधि के लिए प्राप्त किए जाते हैं। ऋण के लिए प्रारंभिक निगम के धन, कर्मकला मद्रास, नई देहली, प्रहमदाबाद आदि कार्यालय में दिए जा सकते हैं। प्रारंभिक परों में ऋण की मात्रा, प्रयोग की योजना, लाभ-हानि विवरण एवं संपत्ति विवरण भेजना होता है। कार्यालय जांच के बाद उसे अपनी सिफारिश के साथ केंद्रीय कार्यालय देहली भेजकर उसकी स्वीकृति प्राप्त करता है।

(ii) ऋण-पत्रों की गारंटी—निगम उद्योगों द्वारा निर्गमित किए जाने वाले ऋण-पत्रों का मूल्यत एव व्याज को वापस करने की गारंटी देता है, जिससे उद्योगों को सरलता में ऋण प्राप्त हो जाए।

(iii) स्थापित भुगतान की गारंटी—भारत में विदेशी विनियम की कठिनाइयों एवं विदेशी विनियम बैंकों द्वारा सीमित मात्रा में कार्य किए जाने से भारतीय उद्योगों को विदेशों से माल आयात करना असंभव कठिन हो रहा था जिससे प्रावश्यक मशीनें व अन्य पदार्थों का आयात करना संभव नहीं हो रहा था। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए 21 दिसंबर, 1957 को निगम के विधान में संशोधन करके उद्योगों द्वारा विदेशों से पूर्णतः सामान के आयात पर स्थापित भुगतानों की गारंटी देने की व्यवस्था की गई। परिष्कारमूलक निगम की गारंटी के आधार पर भारतीय उद्योग सरलता से विदेशों से अपनी प्रावश्यक वस्तुओं का आयात करके औद्योगिक विकास में योगदान दे सकते हैं। आयात के भुगतान की गारंटी देते समय निगम योजना की लागत, प्रतिष्ठित ऋण, राष्ट्रीय महत्व, साइनेस व्यवस्था एवं अन्य प्रावश्यक बातों की ध्यान रचना करता है। तत्पश्चात् एक गारंटी समझौता लिखा जाता है, जिसमें समस्त बातों का उल्लेख किया जाता है।

(iv) विदेशी मुद्रा ऋणों की गारंटी—निगम द्वारा विदेशों से प्राप्त ऋणों के बदले गारंटी भी दी जाती है। निगम अभी तक 5 प्रार्यनापत्रों पर कुल 23 करोड़ रुपये की गारंटी स्वीकार कर चुका है।

(ब) ऋण प्रदान करना—यह निगम उद्योगों को मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने की व्यवस्था करता है। ऋण प्राप्त करने के लिए उद्योग द्वारा निगम के किसी भी कार्यालय को प्रार्यना-पत्र देना होगा जिसमें ऋण की मात्रा, प्रयोजन, 2-3 वर्षों की संपत्ति व लाभ-हानि का विवरण भी भेजना होता है। इस प्रार्यना-पत्र में उल्लिखित बातों की जाच करके उसे केंद्रीय कार्यालय को भेज देते हैं जहां सलाहकार समिति द्वारा समस्त अधिकार-पत्रों एवं कागजों की जाच की जाती है तथा संतुष्टि होने पर ऋण की स्वीकृति दे दी जाती है। ऋण प्राप्त करने वाली संस्था को अपने प्रतिभ स्रोतों की प्रतिया नियमित रूप से निगम के पास भेजनी आवश्यक होगी। निगम उद्योग के संचालक मंडल में अपना प्रतिनिधि भी नियुक्त कर सकता है। उद्योग द्वारा किरत व ब्याज न चुकाने पर उद्योग के प्रबंध को निगम अपने हाथों में ले सकता है। निगम द्वारा दिए जाने वाले ऋण की न्यूनतम मात्रा 10 लाख रुपए एवं अधिकतम मात्रा 2 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। निगम द्वारा नवीन मशीनों खरीदने एवं संस्था का विस्तार करने आदि के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। ऋण प्रदान करने से पूर्व उद्योग की स्थायी संपत्ति को धरोहर के रूप में रखा जा सकता है। निगम द्वारा ऋण रुपये एवं विदेशी मुद्रा में दिए जा सकते हैं। विदेशों में साख-पत्रों के आधार पर विदेशी भुगतान में सुविधाएं दी जा सकती हैं। निगम द्वारा देय के विभिन्न उद्योगों को ऋण प्रदान किए गए जिसमें सहाकारी संस्थाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई। परंतु ऋण की मात्रा अधिकतम राज्यों की प्रपेक्षा विकसित राज्यों को अधिक मात्रा में दी गई। इन ऋणों पर ब्याज की दर 5½% निश्चित की गई है जिसे बाद में बढ़ाकर 8½% कर दिया गया। विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋणों पर 9% ब्याज लिया जाता है।

ऋण देने की शर्तें—निगम द्वारा ऋण निम्न शर्तों पर दिया जाता है—

(i) बंधक—ऋण उद्योगों की स्थायी एवं अचल संपत्ति के प्रथम बंधक पर दिया जाता है।

(ii) संचालकों की नियुक्ति—अपने हितों को रक्षा के लिए निगम उद्योग में दो संचालक नियुक्त कर सकता है।

(iii) ऋण अवधि—ऋण प्रायः 15 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं।

(iv) बीमा—रहन रखी गई संपत्ति का बीमा कराना आवश्यक होगा।

(v) समान किरतें—ऋणों का भुगतान समान किरतों में किया जाएगा। किरतों की सहायता का निर्धारण पारस्परिक सहमति से होगा।

(vi) सामांय—ऋण का भुगतान न करने तक ऋण लेने वाला उद्योग 6% वार्षिक से अधिक लाभांश घोषित नहीं कर सकेगा।

(vii) व्यक्तिगत जमानत—लिए गए ऋण का सदुपयोग हो, इस बात की गारंटी के लिए उद्योग के संचालकों की व्यक्तिगत जमानत ली जाएगी।

1975 तक निगम ने 379 करोड़ रुपये विभिन्न कार्यों के लिए दिए। वित्त निगम द्वारा ऋण रुपये या विदेशी मुद्रा में दिए जा सकते हैं। शककर उद्योग में अधिकतम ऋण सरकारी समितियों को दिए जाते हैं।

त्रुटि करने पर कार्यवाहियाँ—ऋण लेने वाली संस्था ऋण के भुगतान के संबंध में त्रुटि करे या नियमों का पालन न करे तो निगम निम्न कार्यवाहियाँ कर सकता है—

(i) कंपनी की प्रबंध व्यवस्था को अपने हाथों में लेना।

(ii) समय पूर्ण होने से पूर्व ही अपना ऋण वापिस लेना।

(iii) ऋण लेने वाली कंपनी के प्रबंध मंडल में अपने प्रतिनिधि भेजना।

(स) प्रतिभोपन करना—यह निगम उद्योगों के अंशों एवं ऋण-पत्रों का प्रतिभोपन भी करता है। प्रतिभोपन का कार्य निगम ने अपनी स्थापना के कई वर्ष पश्चात् प्रारंभ किया था। प्रारंभ में प्रतिभोपन का कार्य जीवन बीमा निगम एवं औद्योगिक साख एवं बीमा निगम की साझेदारी में किया गया था। जो मस वाजार में नहीं बिक पाते, उन्हें निगम द्वारा ख्र किया जाता है।

गत वर्षों में वित्त नियमों की ऋण क्रियाओं में तीव्र गति से वृद्धि हुई। स्वीकृत ऋणों में 5 गुनी एवं ऋण क्षेत्र में 30 गुनी वृद्धि हुई जो वित्त नियम की प्रगति की ओर इंगित करता है। 1973-74 में नियमों ने कुल 101.76 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए, जिसमें से 96.61 करोड़ रुपये के ऋण रुपये में, 4.43 करोड़ रुपये के ऋण विदेशी मुद्रा में तथा 0.72 करोड़ रुपये के ऋण अभिगोपन एवं प्रत्यक्ष षंडे के रूप में थे। इसी प्रकार में 1974-75 में कुल ऋण 138.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए जिनमें से 129.82 करोड़ रुपये के ऋण 8.36 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा में ऋण एवं 0.49 करोड़ रुपये ऋण अभिगोपन के रूप में थे। मार्च 1975 तक नियम के 608.7 करोड़ रुपये के ऋण क्षेत्र थे।

**धालोचनाएं—**वित्त नियम की प्रमुख धालोचनाएं निम्न हैं—

(1) अल्प साख—नियम का कार्यक्षेत्र विस्तृत होने पर भी इसका कार्य-क्षेत्र अत्यन्त सीमित मात्रा में रहा है। नियम के वित्तीय साधन सीमित होने से लघु उद्योगों की साख आवश्यकताओं को पूर्ण करना संभव न हो सका। नियम ने ठोस संपत्तियों के आधार पर ही ऋण प्रदान किया है, इस प्रकार अल्प मात्रा में ही साख प्रदान की है।

(2) दोषपूर्ण प्रबंध—नियम द्वारा साख प्राप्त करनेवाली संस्था की क्षमता का अध्ययन करके ऋण प्रदान किए जाते हैं। परंतु इस कार्य के लिए नियम के पास विशेषज्ञों की सेवाओं के अभाव के कारण प्रबंध व्यवस्था दोषपूर्ण बनी रहती है, जिससे नियम के कार्यों में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।

(3) ऊँची ध्याज दर—नियम के द्वारा जो ध्याज दर ली जाती है वह लघु उद्योगों के दृष्टि से ऊँची मानी जाती है, परिणामस्वरूप उद्योग पर्याप्त मात्रा में ऋण प्राप्त नहीं कर पाते।

(4) अनावश्यक देरी—नियम द्वारा उद्योगों को जो ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, उसमें अनावश्यक रूप से देरी कर दी जाती है तथा अनावश्यकता के समय ऋण प्राप्त नहीं हो पाते।

(5) नियमों का समान स्वरूप—देश में अनेक विभिन्नताएँ पाई जाती हैं और सभी स्थानों पर समान ढंग से नियम की स्थापना नहीं की जा सकती। नियम के कार्यों का निर्धारण राज्य विशेष की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए।

राज्य वित्त नियम अधिनियम 1956 में संशोधित किया गया जो अक्टूबर 1, 1956 से लागू हुआ। इस अधिनियम में निम्न व्यवस्था की गई—

(i) सयुक्त नियम—दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सयुक्त नियम की स्थापना हो सकेगी। जिन राज्यों के नियमों में विशेष प्रगति नहीं की हो, उन्हें आपस में एकीकृत करके एक नियम की स्थापना कर दी जाएगी।

(ii) वित्तीय सुविधाएँ—राज्य सरकार, अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक को गारंटी पर वित्तीय सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं।

(iii) निरीक्षण—रिजर्व बैंक द्वारा नियम का निरीक्षण किया जा सकता है।

(iv) एजेंट—यह नियम केंद्रीय या राज्य सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करेगा।

(v) अल्पकालीन ऋण—नियम सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर रिजर्व बैंक से अल्पकालीन ऋण प्राप्त कर सकेगा।

### (3) भारत का औद्योगिक साख एवं वित्तियोग नियम

(Industrial Credit and Investment Corporation of India)

भारत सरकार, अमरीकी सरकार एवं अंतरराष्ट्रीय बैंक के त्रि-मदस्वीय मिशन ने आपसी परामर्श द्वारा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता देने के लिए एक नियम की स्थापना की ओर ध्यान दिया गया क्योंकि औद्योगिक वित्तियोग निजी क्षेत्र के उद्योगों को कोई सहायता प्रदान नहीं करता था। फलस्वरूप सार्वजनिक सीमित कंपनी के रूप में 5 जनवरी, 1955 को औद्योगिक साख एवं वित्तियोग नियम की स्थापना की गई।

उद्देश्य—इस नियम के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे—

- (i) निजी पूंजी को प्रोत्साहन—निगम का उद्देश्य निजी पूंजी को उद्योगों में भाग लेने को प्रोत्साहित करना है।
- (ii) विनियोग बाजार को विकसित करना—निगम का उद्देश्य देश में विनियोग बाजार को विकसित करना है।
- (iii) निजी उपक्रम को सहायता—देश में निजी उपक्रमों की स्थापना, विस्तार एवं उनके प्रायुनिकीकरण के लिए निगम प्रयास करेगा।
- (iv) निजी स्वामित्व—देश में औद्योगिक विनियोग के लिए निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित किया जाना है।

### पूँजी व्यवस्था

निगम की अधिकृत पूँजी 25 करोड़ रुपये है जो 100-100 रुपये के अंशों में विभाजित है। निगम की प्रदत्त पूँजी 5 करोड़ रुपये है। इस पूँजी में से 2 करोड़ रुपये भारतीय बैंकों, संचालकों एवं बीमा कंपनियों द्वारा, 1.5 करोड़ रुपये भारतीय जनता द्वारा; 50 लाख रुपये अमरीकी पूँजीपतियों द्वारा तथा 1 करोड़ रुपये इंग्लैंड के पूँजीपतियों द्वारा दो गई है।

निगम को सरकार ने 7½ करोड़ रुपये का ऋण दिया है जिसका 15 वर्ष पश्चात् 15 किस्तों में भुगतान होगा। ऋण पर व्याज 15 वर्ष बाद लगाया जाएगा। विद्व बँक में 1 करोड़ डालर का ऋण मिला। इस प्रकार निगम के कुल वित्तीय साधन 298 करोड़ रुपये थे। यह निगम तीन देशों तथा विद्व बैंक के सहयोग में स्थापित दृष्टा और उसके आरम्भिक साधन 17.5 करोड़ रुपये थे। निगम के वर्तमान साधन 298.3 करोड़ रुपये हैं जो कि निम्न प्रकार हैं—

1. अंश पूँजी	10.0	करोड़ रुपये
2. कोष	11.3	" "
3. भारतीय मुद्रा में ऋण	60.0	" "
3. विदेशी मुद्रा में ऋण	217.0	" "
<b>योग</b>	<b>298.3</b>	<b>" "</b>

निगम अपनी पूँजी एवं कोष के तीन गुने के बराबर ऋण प्राप्त कर सकता है। 5 वर्ष पश्चात् निगम अपनी लागतों का 25% भाग प्रतिवर्ष रिजर्व कोष में डालेगा।

### निगम के कार्य

निगम के प्रमुख कार्य निम्न हैं—

- (1) ऋण प्रदान करना—यह निगम निजी क्षय के उद्योगों को 15 वर्षों के लिए सुरक्षित ऋण प्रदान कर सकता है।
- (2) स्थगित भुगतान की गारंटी—निगम अपना क्षेत्र से खरीदे गए पूँजीगत समान के लिए स्थगित भुगतान की गारंटी देता है।
- (3) परामर्श देना—निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंध, प्राविधिक एवं प्रशासनिक विषयों पर परामर्श देना एवं इनकी सेवाएं प्राप्त करने में सहायता देना।
- (4) पुनः विनियोग—कोषों को पुनः विनियोग के लिए उपलब्ध कराने के प्रयास करना।
- (5) ऋणों की गारंटी—उद्योगों द्वारा अन्य किसी साधन में ऋण प्राप्त होने पर उसकी गारंटी करना।
- (6) विदेशी मुद्रा में ऋण—विदेशों से आवश्यक पूँजीगत सामान आयात करने के लिए निगम उद्योगों को विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान करता है।
- (7) प्रतिनियोग—निगम उद्योगों के अंशों एवं ऋण-पत्रों के प्रतिनियोग का कार्य करता है तथा न बिके

गए धनों की स्वयं त्रय कर लेता है। आवश्यकता पड़ने पर उद्योगों के धनों की न्यूनतम राशि का प्रबंध भी करता है।

निगम के कार्यों की सीमाएँ

निगम के कार्यों पर निम्न सीमाएँ लगाई गई हैं—

- (1) एकाकी व्यापार व सार्वकारी पर प्रतिबंध—यह निगम निजी क्षेत्र के एकाकी व्यापार एवं सार्वकारी उद्योगों को ऋण प्रदान नहीं करेगा।
- (2) न्यूनतम सहायता राशि—एकाकी व्यापार के लिए न्यूनतम राशि 5 लाख रुपये निर्धारित की गई है। यदि निजी उद्योग निगम ऋण का प्रबंध करने में जो असमर्थ हो तो वह अन्य संस्थाओं को सहायता ले सकता है।
- (3) स्थायी पूंजी के लिए ऋण—निगम प्रायः संस्थाओं को स्थायी पूंजी के लिए ही ऋण प्रदान करता है।
- (4) ब्राच पर्यटन—ऋण स्वीकृत करने से पूर्व निगम प्राचीन उपकरण को मरना, विपन्न व्यवस्था आदि की पूर्ण रूप से जांच-पड़ताल करती है।
- (5) व्याज दर निर्दिष्ट करना—ऋण पर व्याज दर, एवं अन्य सेवाओं आदि के बंधन व नौयन की दर को पहले से निर्धारित कर दिया जाता है।

निगम की प्रगति—निगम की स्थापना के दसवाँ इसके कार्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। निगम ने अपने कार्यों में लगभग 250 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 155 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। वितरण करने वाले ऋणों का लगभग 70% मात्र विदेशी मुद्रा में दिया गया है। धर्मिगोपन के क्षेत्र में निगम ने महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। निगम ने प्रारंभ में 3½% वार्षिक वार्षिक वित्त जो बाद में बढ़कर 9% तक पहुंच गया। निगम ने अपने अनेक नवीन क्षेत्रों में जोखिम उठाकर धन का विनिर्माण किया तथा उद्योगों को प्रोत्साहित किया।

1973-74 व 1974-75 में निगम ने कुल 61.12 करोड़ रुपये व 62.86 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए जिनमें से 1973-74 के लिए 19.76 करोड़ रुपये के ऋण, 34.68 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा में ऋण एवं 6.68 करोड़ रुपये धर्मिगोपन एवं प्रत्यक्ष बंधे के ऋण के रूप में था। इसी प्रकार 1974-75 में 62.86 करोड़ रुपये की ऋण में से 16.00 करोड़ रुपये के ऋण, 41.29 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा में ऋण एवं 5.57 करोड़ रुपये धर्मिगोपन ऋण के रूप में था। मार्च 1975 तक इस निगम ने कुल 511.0 करोड़ रुपये के ऋण दिए जिसे निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

दिए गए ऋण 1975 तक

(करोड़ रु० में)

	स्वीकृत	वितरित
1 रुपये में ऋण	117.7	87.7
2 विदेशी मुद्रा में ऋण	305.7	228.1
3 धर्मिगोपन ऋण	87.6	49.7
योग	511.0	365.5

एक अन्य अनुमान के अनुसार निगम ने 1975 तक 508 करोड़ के कुल ऋण दिए। इन ऋणों का प्रत्येक राज्य में वितरण समान रहा। सबसे कम ऋण पंजाब (0.3%) व सबसे अधिक ऋण महाराष्ट्र (34.6%) को दिया गया। राज्य आधार रूपों पर का वितरण निम्न प्रकार रहा—



राज्य-भाषार ऋण का वितरण

(करोड़ रु० में)

राज्य का नाम	राशि	प्रतिशत
1. भाद्रप्रदेश	15.74	3.1
2. झामाम	4.93	1.0
3. बिहार	33.33	6.5
4. गुजरात	62.99	12.4
5. हरियाणा	13.59	2.7
6. हिमाचल प्रदेश	—	—
7. जम्मू व कश्मीर	—	—
8. कर्नाटक	34.89	6.8
9. केरल	9.88	1.9
10. मध्यप्रदेश	10.08	2.0
11. महाराष्ट्र	175.68	34.6
12. मनीपुर	—	—
13. मेघालय	—	—
14. नागालैंड	—	—
15. उड़ीसा	9.71	1.9
16. पंजाब	1.51	0.3
17. राजस्थान	9.58	1.9
18. तमिलनाडु	55.71	11.0
19. त्रिपुरा	—	—
20. उत्तरप्रदेश	24.41	4.8
21. प० बंगाल	32.51	6.4
22. केंद्रशासित क्षेत्र	13.55	2.7
योग	508.10	100.0

(4) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०

(National Industrial Development Corporation Ltd.)

भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक निजी कंपनी के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० की स्थापना 1954 में की गई। इसकी स्थापना मुख्यतया एक विकास एजेंसी के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य देश में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना है। यह निगम नवीन उद्योगों की संभावनाओं पर विचार करके उन्हें आवश्यक वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

**पूंजी व्यवस्था**—निगम की अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपये है जिसे संपूर्ण रूप में सरकार ने खरीद लिया है। अन्य वित्तीय साधनों के रूप में यह निगम केंद्रीय सरकार से ऋण व अनुदान प्राप्त कर सकता है, तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकता है तथा जनता में निक्षेप भी स्वीकार कर सकता है।

**प्रबंध व्यवस्था**—निगम का प्रबंध एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें केंद्रीय सरकार के मनोनीत 20 सदस्य होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

### निगम के कार्य

निगम के प्रमुख कार्यों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) उपकरणों को धार्मिक सहायता—यह निगम निजी क्षेत्र में, नवीन उपकरणों को स्थापित करने एवं पुराने उपकरणों को धीरे धीरे विकसित होने तक धार्मिक सहायता प्रदान करता है।

(2) सरकार को एजेंसी—किसी भी उद्योग को श्रेण देने के उद्देश्य से यह निगम सरकार की स्वीकृति प्राप्त करके एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

(3) योजनाएं बनाना—निगम देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक योजनाएं निर्मित करता है एवं उन्हें व्यावहारिक रूप प्रदान करता है।

(4) उद्योग स्थापित करना—यदि निजी उद्योगपति उद्योगों के निर्माण करने में असमर्थ हैं तो यह निगम अपनी धोर से उद्योगों की स्थापना करके उनका संचालन करेगा।

(5) पूंजी उद्योग—सरकार की धोर से पूंजीगत एवं आधारभूत उद्योगों की स्थापना करके उन्हें बाद में निजी सहायता को हस्तांतरित कर सकता है। इस प्रकार देश में पूंजीगत उद्योगों की स्थापना करने में सहामता प्राप्त होती है तथा देश का औद्योगिक ढांचा सुदृढ़ बन जाता है।

### निगम की प्रगति

निगम ने विदेशी विद्येयता को सहायता में धनेक प्रकार के उद्योगों के लिए रिपोर्टें तैयार करके उन्हें कार्यरूप में परिणत किया है। कुछ नवीन उद्योगों की स्थापना की है तथा विदेशी सहायता, तकनीकी सहायता एवं भावदपक मशीनरी का प्रायास सत्रय बनाया है। सरकारी एजेंसी के रूप में कुछ उद्योगों को श्रेण प्रदान किए गए हैं। यह निगम दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन श्रेण की व्यवस्था करता है। किराया प्रय पद्धति के आधार पर स्वदेशी मशीनी एवं उपकरणों की उचित व्यवस्था की जाती है। श्रेण की राशि को बिरतों में चुकाने की सुविधाएं दी जाती हैं। निगम ने उद्योगों के विकास के लिए सलाहकार समितियों की नियुक्ति की है तथा प्राथमिक सहायता देने के उद्देश्य से 1960 में तकनीकी सलाहकार ब्यूरो (Technological Consultancy Bureau) की स्थापना की है जो सांख्यिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों को प्राथमिक सलाह देता है।

### (5) औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank)

देश में धनेक प्रकार की वित्तीय संस्थाओं की स्थापना के उपरांत भी यह अनुभव किया गया कि देश में धन्य वित्तीय संस्थाओं का नेतृत्व करने एवं उन्हें धार्मिक सहायता प्रदान करने वाला कोई वित्त स्रध नहीं है। स्थापित किए गए निगमों से उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में धार्मिक सहायता प्राप्त न हो सकी, क्योंकि इनके सत्रय में धनेक वैधानिक रुकावटें हैं, इनकी श्रेण देने की शक्ति कठोर एवं बेनीचदार है, तथा इन संस्थाओं के शासन प्रत्यत सीमित हैं, जिससे बड़े पैमाने के उद्योगों को सरल शर्तों पर दीर्घकालीन श्रेण देना संभव नहीं था। अतः एक नवीन संस्था की स्थापित करना निदिबत किया गया, परिणामस्वरूप 27 फरवरी, 1964 को सत्रद् में औद्योगिक विकास बैंक की रूपरेखा सत्रद् में रखी गई और 1 जुलाई, 1964, को इसकी स्थापना कर दी गई।

उद्देश्य—औद्योगिक बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विधान को प्रोत्साहन देना तथा विधान परिचयनाओं में सक्रिय भाग लेना है। इस बैंक के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं—

(i) देश के आधारभूत एवं राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगों के विधाध को प्रोत्साहित करना।

(ii) विभिन्न औद्योगिक वित्त संस्थाओं को नीतियों एवं कार्यों में समन्वय स्थापित करना।

पूंजी व्यवस्था—प्रारंभ में बैंक की धधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपये थी जिसे बाद में बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये

कर दिया गया। इसकी प्रदान पूंजी 20 करोड़ रुपये है जो सब रिजर्व बैंक द्वारा जगदी गई है। इस बैंक की भारत सरकार ने 156 करोड़ रुपये, पुनर्वित्त निगम ने 34 करोड़ रुपये, रिजर्व बैंक ने 6 करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राप्त हुए हैं तथा इसकी स्वयं की पूंजी एवं कोष को मात्रा 30 करोड़ रुपये है। इस प्रकार बैंक के समस्त वित्तीय साधन 190 करोड़ रुपये हैं। बैंक की वित्तीय साधन सुगम बनाने के लिए 'राष्ट्रीय औद्योगिक मान्य (दीर्घकालीन) कोष' [National Industrial Credit (long-term operations) Fund] की स्थापना की गई है, जिसमें प्रारंभ में रिजर्व बैंक ने 50 करोड़ रुपये की राशि रखी है और आगामी 5 वर्षों में इस कोष में 5 करोड़ रुपये वार्षिक जमा किए जाएंगे। इस कोष का उपयोग बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के ऋण-पत्र प्रादि तय करने में किया जाएगा। सरकार ने मार्च 1965 में विकास सहायता कोष की भी स्थापना की है जो उद्योगों को ऋण एवं अनुदान प्रदान करेगा।

प्रबंध व्यवस्था—विवास बैंक रिजर्व बैंक के सहायक के रूप में कार्य करता है, जबकि रिजर्व बैंक का केंद्रीय संचालक मंडल इसकी भी प्रबंध व्यवस्था करता है। विकास बैंक के अधिकारी रिजर्व बैंक द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं।

## विकास कोष

वित्तीय साधनों को सुदृढ़ बनाने हेतु बैंक ने निम्न दो कोषों की स्थापना की है—

- (1) विकास सहायता कोष—इसकी स्थापना सरकार की प्राय में की जाती है। इसका उद्देश्य ऐसे उद्योगों का निर्माण करना है, जिन्हें अन्य साधनों से पूंजी प्राप्त करना संभव न हो।
- (2) औद्योगिक मान्य (दीर्घकालीन) कोष—इस कोष की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करके की गई है जिसमें रिजर्व बैंक प्रतिवर्ष अपने लाभ में से 5 करोड़ १० देगा। इस कोष का उपयोग उन समय होगा, जब उसके पास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देने के साधन न हों।

## विकास बैंक के कार्य

विकास बैंक के प्रमुख कार्य निम्न हैं—

(1) प्रत्यक्ष सहायता—यह बैंक उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण देकर, स्थिति मृगतान की मारटी देकर, व्यापारिक विनो की कटौती करके एवं प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग एवं ऋण-पत्रों को तय करके एवं उनका अभियोगन करके प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करता है।

(2) तकनीकी सहायता—यह बैंक उद्योगों के विकास के लिए उन्हें तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है तथा मान के विनियम प्रादि के संबंध में शोध एवं सर्वेक्षण का कार्य भी करता है।

(3) पुनर्वित्त मुविद्या—यह बैंक वित्तीय संस्थाओं के 3 से 25 वर्षों तक के लिए ऋण, निर्धारित हेतु 6 माह से 10 वर्ष के लिए ऋण एवं राज्य सहकारी बैंकों एवं अनुसूचित बैंकों के ऋणों पर 3 से 10 वर्ष के लिए ऋणों पर पुनर्वित्त मुविद्याएं प्रदान कर सकता है।

(4) प्रतों का अभियोगन—बैंक द्वारा औद्योगिक कंपनियों के प्रतों का अभिनोदन किया जाता है तथा न बिके गए प्रतों की स्वयं खरीद लेता है।

(5) सहायता—बैंक उन औद्योगिक संस्थाओं को सहायता देगा, जिन्हें किसी अन्य साधनों से ऋण प्राप्त नहीं हो पाती है।

(6) योजनारूप बनाना—बैंक औद्योगिक विकास से संबंधित आवश्यक योजनाएं बनाता है तथा उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

बैंक की प्रगति—इस बैंक ने 31 मार्च, 1975 तक विभिन्न ढंगों में 1145.2 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया। 1973-74 में इस बैंक ने 171.96 करोड़ १० का ऋण व 1974-75 में 231.79 करोड़ १० का ऋण स्वीकृत किया जिसमें से क्रमशः 118-19 करोड़ १० व 167.38 करोड़ १० का ऋण विवरित किया गया। स्वीकृत व विवरित ऋण का

विवरण निम्न प्रकार है—

## स्वीकृत व विवरित ऋण

(करोड़ ₹० में)

	1973-74		1974-75	
	स्वीकृत	विवरित	स्वीकृत	विवरित
1. रुपये में ऋण	163.75	113.40	222.79	164.67
2. विदेशी मुद्रा में ऋण	—	—	—	—
3. प्रतिगोपन ऋण	8.21	4.79	9.03	2.71
योग	171.96	118.19	231.79	167.38

(Source : The Economic Times, Sept. 26, 1975)

इन प्रकार 31 मार्च, 1975 तक इस बैंक ने कुल 1,146.2 करोड़ ₹० स्वीकृत वित्त में से 835.5 करोड़ ₹० ही विवरित किए जा सके। कुल स्वीकृत राशि में से 1085.1 करोड़ ₹० में ऋण, व 61.1 करोड़ ₹० प्रतिगोपन व प्रत्यक्ष प्रदायक के रूप में था। इसी प्रकार से विवरित राशि में 803.0 करोड़ ₹० में ऋण व 32.5 करोड़ ₹० प्रतिगोपन ऋण के रूप में था।

एक अन्य अनुमान के आधार पर इन बैंक ने जनवरी राशियों में 909.44 करोड़ ₹० विवरित वित्त में से सबसे कम ऋण नवीनीकरण (0.6%) व सबसे अधिक ऋण नवीनीकरण (27.3%) को दिया गया। इसका विवरण निम्न प्रकार है—

## राज्य-आधार पर ऋण का विवरण

(करोड़ ₹० में)

राज्य	राशि	प्रतिशत	राज्य	राशि	प्रतिशत
1. आंध्र प्रदेश	37.25	4.1	12. मनीपुर	0.01	—
2. आसाम	23.06	2.5	13. मेघालय	0.14	—
3. बिहार	41.63	4.6	14. नागालैंड	0.50	0.1
4. गुजरात	65.10	10.5	15. उड़ीसा	11.80	1.3
5. हरियाणा	10.92	2.2	16. पंजाब	9.95	1.1
6. हिमाचल प्रदेश	2.01	0.2	17. उत्तरप्रदेश	20.05	2.2
7. जम्मू कश्मीर	0.95	0.2	18. उत्तराखण्ड	126.05	13.9
8. कर्नाटक	64.07	7.0	19. त्रिपुरा	—	—
9. केरल	24.98	2.8	20. उत्तरप्रदेश	37.14	4.1
10. मध्यप्रदेश	30.59	3.4	21. व० बंगाल	97.76	10.7
11. महाराष्ट्र	248.84	27.3	22. केंद्रशासित क्षेत्र	17.61	1.0
योग				909.44	100.0

(Source : The Financial Express, June 10, 1975)

## मालोचनाएं

विकास बैंक की प्रमुख मालोचनाएं निम्नलिखित हैं—

- (1) कार्य संभालने में असमर्थ—ऐसा अनुमान लगाया गया कि केंद्रीय संस्था के रूप में यह बैंक ठीक प्रकार से कार्य का संचालन करने में असमर्थ रहेगा।
- (2) सहायता से वृद्धि न होना—इस बैंक की स्थापना से औद्योगिक विकास के नियमन में कोई सहायता प्राप्त न होने से उद्योगों का विकास संभव न हो सकेगा।
- (3) अनावश्यक भार—औद्योगिक विद्यमान बैंक के उद्देश्यों की प्राप्ति औद्योगिक वित्त नियम या किसी अन्य वित्त नियम का विकास करके पूर्ण किया जा सकता था। इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक पर अनावश्यक रूप से भार डालना उचित नहीं माना गया क्योंकि रिजर्व बैंक देश की केंद्रीय संस्था होने के कारण देश के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को करने में व्यस्त रहता है।
- (4) अनुभव का अभाव—इस बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य देश में स्थापित किए गए वित्त नियमों का उचित नेतृत्व एवं मार्ग दर्शन करना था, परंतु मालोचकों का मत था कि जिन संस्थानों के नेतृत्व के लिए इनकी स्थापना की गई है वे संस्थाएं इस बैंक की अपेक्षा अधिक कुशल एवं अनुभवी हैं जिनसे बैंक का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा।

## (6) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

(National Small Scale Industries Corporation)

फोर्ड फाउंडेशन के मुझावां पर सरकार ने लघु उद्योगों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से सन् 1955 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की।

**पूंजी व्यवस्था**—निगम की प्रारंभिक आविकृत पूंजी 10 लाख रुपये थी जिसे बाद में बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया। निगम की प्रदत्त पूंजी 40 लाख रुपये थी जो संपूर्णतया भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

**निगम के कार्य**—निगम उन लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जिनकी पूंजी 5 लाख रुपये तक सीमित हो तथा जिसमें 50 या 100 व्यक्तिक कार्य करते हो। यह निगम लघु उद्योगों को मशीनें देकर भुगतान क्षमता में प्राप्त करता है जिन पर 6% तक ब्याज दर ली जाती है। यह राशि किश्तों के रूप में 7 वर्षों में बमूल की जाती है। यह निगम लघु उद्योगों की उत्पत्ति का विपणन करने में भी सहायता देता है, उत्पादन का किस्म सुधारता है, औद्योगिक वस्तियों का निर्माण करता, प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करके प्रतिस्पर्द्धा समाप्त करके बड़े एवं लघु उद्योगों में समन्वय स्थापित करता है।

**प्रगति**—निगम की 4 शाखाएं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में खोली गई हैं जोकि लघु उद्योगों को दीर्घकालीन आधार पर ऋण प्रदान करके विकास की सुविधाएं प्रदान करती हैं।

## (7) राज्य लघु उद्योग निगम

(State Small Scale Industries Corporation)

राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लघु उद्योग निगम लघु उद्योगों को दीर्घकालीन एवं दीर्घकालीन आर्थिक सहायता देते रहे हैं फिर भी इनकी सेवाएं अधिक प्रभावशील सिद्ध नहीं हुईं। अतः लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राज्य लघु उद्योग निगम स्थापित करने का मुझावा दिया गया, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया और प्रत्येक राज्य में लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई। इस निगम का प्रमुख उद्देश्य लघु उद्योगों की विनीय कठिनाइयों को दूर करना है।

**पूंजी व्यवस्था**—निगम अपने ऋणों की विक्री करके पूंजी प्राप्त करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर ऋण-पत्रों

**प्रबंध व्यवस्था**—निगम का प्रबंध संचालक मंडल द्वारा होता है जिसमें 7 सदस्य होते हैं। निगम के संचालक मंडल का अध्यक्ष रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। अध्यक्ष मंडलों में रिजर्व बैंक का उप-गवर्नर जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष, अनुसूचित बैंकों के प्रतिनिधि एच स्टेट बैंक का अध्यक्ष होता है।

**निगम के कार्य**—यह निगम वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधाएँ प्रदान करता है जिससे वे उद्योगों को मध्यकालीन ऋण सुविधापूर्वक प्रदान कर सकें। वित्तीय संस्थाओं के पास प्रत्यक्षकालीन विशेष होते हैं जिससे वे मध्यकालीन ऋण देने में प्रसमर्थ रहते हैं। निगम पुनर्वित्त की सुविधाएँ प्रदान करके वित्तीय संस्थाओं को मध्यकालीन ऋण देने की सुविधाएँ उपलब्ध करता है। निर्धारित अवधि से पूर्व धन की आवश्यकता पड़ने पर ऋण संबंधी कागज-पत्रों को निगम ने भुनाकर धन प्राप्त किया जा सकता है। परंतु ये सुविधाएँ मध्यम प्रकार के उद्योगों को ही प्राप्त हो सकेंगी। पुनर्वित्त की सुविधा 3-7 वर्ष के लिए ही दी जाती है। पुनर्वित्त पर व्याज दर 5% ली जाती है। केवल वे उद्योग ही सम्मिलित किए जाते हैं जो कि पंचवर्षीय योजना के प्रत्यंत विकसित होने वाले हैं। निर्धारित के लिए ही ऋण व्यवस्था की जाती है जिससे विदेशी विनिमय का अनुपयोग किया जा सके। एक इकाई पर निर्माता के संबंध में पुनर्वित्त की सुविधा न्यूनतम। ऋण रुपये तथा अधिकतम 50 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

**प्रगति**—निगम ने अपने जीवन काल में अनेक वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त की सुविधाएँ प्रदान की। 1975 के प्रति तक निगम 17.8 करोड़ रुपये वितरित कर चुका था। पुनर्वित्त सुविधा ने लाभान्वित होने वाले उद्योग मुख्यतया मशीन, परिवहन, कागज, वस्त्र, बिजली उत्पादन करने वाले धारि उद्योग हैं। निगम ने प्रायः लाभार्थ की दर 4% ही रखी। निगम का प्रबंध मंडल देश की आवश्यकता पड़ितों को ध्यान में रखते हुए अपनी ऋण नीति को समय-समय पर समायोजित करता रहता है। 1973-74 में इस निगम ने 7.21 करोड़ रुपये स्वीकृत व 5.15 करोड़ रुपये वितरित किया। 1974-75 में निगम ने 7.59 करोड़ रुपये स्वीकृत व 805 करोड़ रुपये वितरित किया। यह समस्त धन रुपये ऋण के रूप में दिया गया था। 31 मार्च, 1975 तक इन निगम ने कुल 27.5 करोड़ रुपये स्वीकृत तथा 17.8 करोड़ रुपये वितरित किए।

### (9) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (Unit Trust of India)

**स्थापना**—भारत में सामान्य विनियोजकों द्वारा उद्योगों में धन लगाने की सुविधा देने की दृष्टि से 1 फरवरी, 1964 को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई।

**पूँजी**—इसकी प्रारंभिक पूँजी 5 करोड़ रुपये है, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक, 75 लाख रुपये जीवन बीमा निगम, 75 लाख रु० स्टेट बैंक व 1 करोड़ रु० अनुसूचित बैंकों द्वारा दिए गए।

**उद्देश्य**—इस ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य हैं—

(i) औद्योगिक लाभों में निम्न व मध्यम धार के लोगों को भी हिस्सा देना।

(ii) मध्यम व निम्न धार के लोगों की बचत को प्रोत्साहित करना।

**कार्य**—यह ट्रस्ट निम्न कार्य करता है—

(i) इकाइयों काय करने वालों को लाभार्थ वितरित करना।

(ii) अधिक से अधिक विनियोजकों को इकाइयों में भागीदार बनाना।

(iii) इकाइयों से प्राप्त पूँजी को औद्योगिक संस्थानों में लगाना।

**साम**—यूनिट ट्रस्ट के मुख्य साम निम्न हैं—

(i) यह इकाइयों परत्यंत सरल है, क्योंकि विनियोजक सरलता से उन्हें नकदी में बदल सकता है।

(ii) इकाईधारियों को पन्जी प्रायः प्राप्त होने के पक्षर प्राप्त हो जाते हैं।

(iii) जोखिम को विभिन्न प्रतिष्ठानों में बाँटने से इन इकाइयों में किया गया विनियोग सुरक्षित रहता है।

(iv) ट्रस्ट से 3,000 रु० तक लाभानु पर कोई आयकर नहीं लगता है।

सुझाव—यूनिट के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं—

- (i) धन्य वित्त संस्थाओं से जनता की विनियोग आदतों का अध्ययन किया जाना चाहिए।
- (ii) ट्रस्ट को ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जाना चाहिए।
- (iii) विभिन्न प्रकार की यूनिट योजनाएं बनाई जानी चाहिए।
- (iv) पोर्टफोलियो विनियोग का अधिक प्रचार किया जाना चाहिए।

प्रगति—1974-75 में इस ट्रस्ट ने 6.17 करोड़ रु० के ऋण स्वीकृत व 7.43 करोड़ रु० वितरित किए। इसी प्रकार 1973-74 में इस ट्रस्ट ने 7.92 करोड़ रु० स्वीकृत एवं 7.78 करोड़ रु० वितरित किए। 31 मार्च, 1975 तक इस ट्रस्ट ने कुल 73.8 करोड़ रु० के ऋण स्वीकृत तथा 48.1 करोड़ रु० के ऋण वितरित किए।

### (10) भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India)

जीवन बीमा निगम भारत में वित्तीय विनियोग की एक प्रमुख संस्था है। इस निगम को प्रीमियम के रूप में दीर्घकाल के लिए राशि प्राप्त होती है, जिसे निगम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विनियोग कर सकता है। इस निगम की स्थापना 1956 में की गई थी। यह निगम प्रौद्योगिक कंपनियों के अंशों एवं ऋण पत्रों का प्रतिगोपन भी करता है।

प्रगति—1974-75 में इस निगम ने 45.48 करोड़ रु० के ऋण स्वीकृत तथा 55.77 करोड़ रु० के ऋण वितरित किए। 1973-74 में 25.93 करोड़ रु० के ऋण स्वीकृत तथा 19.96 करोड़ रु० के ऋण वितरित किए गए। 31 मार्च, 1975 तक निगम ने कुल 296.8 करोड़ रु० के ऋण स्वीकृत एवं 232.7 करोड़ रु० के ऋण वितरित किए। निगम की प्रगति को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

#### जीवन बीमा निगम की प्रगति

(करोड़ रु० में)

	1973-74		1974-75		कुल-ऋण	
	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित
1. रण्य में ऋण	17.08	10.65	24.96	45.49	127.5	95.8
2. विदेशी मुद्रा में ऋण	—	—	—	—	—	—
3. प्रतिगोपन कार्य	8.85	9.31	20.52	10.28	169.3	136.9
	25.93	19.96	45.48	55.77	296.8	232.7

(Source: The Economic Times, Sept. 26, 1975)

भारत में केंद्रीय उपक्रमों में विनियोग

प्रथम पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ करने समय केंद्रीय सरकार को 4 नैर-विभागीय इकाइयाँ थी, जिनमें 29 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजित थी। मार्च 1969 तक इन इकाइयों की संख्या बढ़कर 85 हो गई, जिनमें 3,902 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजित है। विनियोग वृद्धि की इस प्रवृत्ति को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

## विनियोग वृद्धि

वर्ष	इकाइयों की संख्या	कुल विनियोग (करोड़ रु० में)	वृद्धि		
			करोड़ रुपये में	प्रतिशत में	प्रोसत वार्षिक वृद्धि दर
— 1950-51	5	29	—	—	—
प्रथम योजना	21	81	52	179.3	22.7
द्वितीय योजना	48	953	872	1076.5	62.5
तृतीय योजना	74	2415	1462	153.4	20.4
1966-67	77	2841	426	17.6	17.6
1967-68	83	3333	492	17.3	17.3
1968-69	85	3902	569	17.1	17.1
प्रोसत वार्षिक वृद्धि दर	—	—	215	—	.133

केंद्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कुल विनियोग का 50% भाग साधारण प्रसूतियों व शेष 50% भाग व्याज सहित ऋण के रूप में होना चाहिए। 31 मार्च, 1969 तक इन उपक्रमों में 3902 करोड़ रुपये के विनियोग में से 1824 करोड़ रुपये या 47% भाग साधारण पूंजी के रूप में तथा शेष 2078 करोड़ रुपये या 53% भाग दीर्घकालीन ऋण के रूप में था। इन उपक्रमों में कुल विनियोग का 86% भाग केंद्रीय सरकार व शेष राज्य सरकार व भारतीय एवं विदेशी निजी संस्थाओं का था। बायेंधील पूंजी का 6% भाग स्टेट बैंक द्वारा प्रदान किया गया था। उपक्रमों के वित्तीय साधनों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है -

## वित्तीय साधन

विवरण	करोड़ रुपये में	प्रतिशत
1. केंद्रीय सरकार	3,540.3	85.5
2. राज्य सरकार	8.6	0.2
3. भारतीय निजी संस्थाएं	34.0	0.8
4. विदेशी निजी संस्थाएं	319.2	7.7
योग	3,902.1	94.2
5. बैंक प्रविधिकरण	236.1	5.8
योग	4,138.2	100

वित्त मंत्रालय द्वारा इन उपक्रमों को 4 भागों में विभाजित किया गया है—(i) निर्माणाधीन (ii) चालू व्यवसाय, (iii) बिक्रामात्मक, एवं (iv) वित्तीय संस्थाएं। प्रत्येक उपक्रम की मूल्या एवं विनियोग को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

## विनियोग की वितरण व्यवस्था

उपक्रम का वर्ग	उपक्रमों की संख्या	विनियोग	
		करोड़ रुपये में	प्रतिशत
1. निर्माणाधीन	11	313.7	8.0
2. चालू व्यवसाय	61	3,533.2	90.5
3. बिक्रामात्मक	10	48.2	1.2
4. वित्तीय संस्थाएं	3	7.0	0.3
योग	85	3,902.1	100



9. मध्य प्रदेश	543.2	15.7
10. महाराष्ट्र	100.9	2.9
11. मँसूर	79.6	2.3
12. उड़ीसा	423.2	12.2
13. पंजाब	32.6	1.0
14. राजस्थान	27.2	0.8
15. तमिलनाडु	262.2	7.6
16. उत्तर प्रदेश	137.0	4.0
17. प० बंगाल	411.4	11.9
18. गैर-प्राबंठित (a)	464.7	13.4

योग

3,463.1

100.0

### संस्थागत वित्त का वितरण

(Distribution of Institutional Finance)

भारत में तीन प्रमुख संस्थाओं की स्थापना अखिल भारतीय स्तर पर इस कारण से की गई थी कि वे देश के औद्योगिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करेंगे। ये तीन संस्थाएँ हैं—(i) भारत की औद्योगिक विकास बैंक (IDBI), (ii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI), (iii) भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम लि० (ICICI)। देश के क्षेत्रीय विकास को दृष्टि से ये संस्थाएँ अपने कार्यालय प्रमुख स्थानों पर भी खोल रही हैं। IDBI का प्रमुख कार्यालय बंबई व क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता, मद्रास व देहली तथा 12 शाखा कार्यालय हैं। IFCI का प्रधान कार्यालय देहली, क्षेत्रीय कार्यालय बंबई, कलकत्ता व मद्रास तथा 9 शाखा कार्यालय हैं। ICICI के प्रधान कार्यालय बंबई, क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता, मद्रास व देहली तथा शाखा कार्यालय कम मात्रा में हैं। 31 दिसम्बर 1974 तक तीनों संस्थाओं द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए गए ऋण में समानता का अभाव पाया जाता है। तीनों संस्थाओं द्वारा विभिन्न राज्यों को दिए गए ऋण की निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

### कुल दिए गए ऋण

(करोड़ रुपये में)

राज्य	कुल ऋण	प्रतिशत	राज्य	कुल ऋण	प्रतिशत
1. पश्चिम प्रदेश	83.58	4.4	12. मनीपुर	0.1	—
2. आसाम	36.54	1.9	13. मेघालय	1.09	0.1
3. बिहार	100.44	5.3	14. नागालैंड	1.00	0.1
4. गुजरात	191.35	10.1	15. उड़ीसा	33.87	1.8
5. हरियाणा	48.80	2.6	16. पंजाब	19.98	1.1
6. हिमाचल प्रदेश	2.01	0.1	17. राजस्थान	47.05	2.5
7. जम्मू व कश्मीर	0.96	—	18. तमिलनाडु	243.72	12.9
8. कर्नाटक	132.19	7.0	19. त्रिपुरा	—	—
9. केरल	49.82	2.6	20. उत्तर प्रदेश	105.87	5.6
10. मध्य प्रदेश	50.88	2.7	21. प० बंगाल	173.10	9.1
11. महाराष्ट्र	530.09	28.0	22. केंद्र शासित क्षेत्र	39.09	2.1
योग				1891.44	100.0

(Source : The Financial Express, June 10, 1975)

प्रंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक ने महाराष्ट्र को सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जो कुल ऋण का 27.3% था। इसी प्रकार औद्योगिक वित्त नियम ने महाराष्ट्र को 22.3% ऋण दिया, व औद्योगिक साख व विनियोग नियम ने महाराष्ट्र को 34.6% ऋण दिया व शेष ऋण ग्रन्थ राज्यों को दिए गए। देश के 6 राज्यों को इन तीनों संस्थाओं से कुल ऋण का 77.7% ऋण प्राप्त हुआ व शेष 22.3% ऋण शेष 16 राज्यों को प्राप्त हुआ। तीनों संस्थाओं ने महाराष्ट्र को कुल ऋण का 28% दिया। महाराष्ट्र व गुजरात को ही समस्त ऋण में से अधिकतर ऋण दिया गया जिससे ग्रन्थ राज्यों को आवश्यक मात्रा में ऋण प्राप्त न हो सके। ऋण की स्वीकृति एवं वितरण में नारी प्रंतरण आए जाते हैं, जिसे यह संस्थाओं ही कम कर सकेगी।

### भारत में औद्योगिक वित्त की कमी के कारण

भारत में मंदव है तो औद्योगिक वित्त का अभाव रहा है जिसके प्रमुख कारण निम्न हैं—

(1) विनियोग प्रत्यास का अभाव—देश में विनियोग प्रत्यास के अभाव के कारण उद्योगों में पूँजी का विनियोजन संभव नहीं हो सका है।

(2) व्यापारिक बैंकों द्वारा उपेक्षा—व्यापारिक बैंकों ने सदैव ही प्रत्यक्षालीन ऋण प्रदान किए हैं, जबकि उद्योगों की दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता को ये बैंक पूर्ण करने में असमर्थ रहे।

(3) निर्धनता—जनता की आय कम होने के कारण देश में पूँजी का निर्माण संभव नहीं हो सका है तथा उद्योगों में विनियोग नहीं हो सका।

(4) औद्योगिक बैंकों का अभाव—देश में औद्योगिक बैंकों के अभाव के कारण उद्योगों से दीर्घकालीन पूँजी का विनियोजन संभव नहीं हो सका तथा उद्योगों में वित्त की कमी बनी रही।

(5) अभिगोपन गृहों का अभाव—देश में विदेशों की भाँति ऐसी संस्थाओं का अभाव था जो कि अर्थो का का कार्य करके उद्योगों को पूँजी उपलब्ध करा सकें।

(6) स्कंध विनिर्णय का अभाव—देश में स्कंध विनिर्णयों के अभाव के कारण अर्थो को बेचने व खरीदने की सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई व उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में अर्थो के बदले पूँजी प्राप्त हो सकी।

(7) कुशल प्रबंधकों का अभाव—कुशल प्रबंधकों के अभाव के कारण वित्तीय साधनों का पूर्ण रूप से सदुपयोग संभव न हो सका तथा जनता अपनी पूँजी का विनियोग न कर सकी।

(8) अर्थो दोष—गाँवों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव, बैंकिंग घाटत का विकसित व होना, मंगटित पूँजी बाजार का अभाव सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति आदि कारणों से भी औद्योगिक वित्त का अभाव बना रहा।

सुझाव—औद्योगिक वित्त की कमी को दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं—

(1) संघ का निर्माण—जर्मनी की भाँति भारत में भी बैंकों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाए जो अर्थो व ऋण-पत्रों में पूँजी का विनियोजन कर सके।

(2) औद्योगिक बैंकों की स्थापना—दीर्घकालीन भाग को पूर्ण करने के लिए देश में औद्योगिक बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए।

(3) नियम द्वारा सहूलयता—देश में स्थापित किए गए वित्त नियमों के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया चाहिए जिसमें उद्योगों को अधिकतम अधिक सहूलयता प्राप्त हो सके।

(4) अभिगोपन गृह की स्थापना—अर्थो व ऋण-पत्रों के अभिगोपन का कार्य करने के लिए देश में अभिगोपन गृह की स्थापना की जानी चाहिए जिससे उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

(5) जमानत पत्र ऋण—विदेशों से भारत तक के अर्थो वित्तगत अभाव के माध्यम पर ऋण प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उद्योगों की सरलता से पर्याप्त मात्रा में पूँजी उपलब्ध हो सके।

(6) विनियोग प्रत्यास की स्थापना—देश में विनियोग प्रत्यास की स्थापना करके जनता में विनियोग प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए जिसमें उद्योगों को भी आवश्यक मात्रा में पूँजी उपलब्ध हो सके।

(7) अन्य सुझाव—बित्त बाजार का विकास, ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं, धन हस्तांतरण की सुविधाएं, स्कंध विपणन का विकास आदि उपायों द्वारा औद्योगिक वित्त की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

### औद्योगिक वित्त की प्रवृत्तियाँ (Trends in Industrial Finance)

विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं ने 31 मार्च, 1975 तक 6 वर्षों में निजी क्षेत्र में औद्योगिक उध्कर्मों में 149 करोड़ रु० वार्षिक का वित्तियोजन किया। इन संस्थानों ने कुल वितरण 1177 करोड़ रु० किया जिसमें से 3/4 अर्थात् 892 करोड़ रु० निजी क्षेत्र को दिया गया। इन संस्थानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही निजी क्षेत्र में वित्तियोग को प्रोत्साहित करना था। परंतु अब इन्होंने सहकारी क्षेत्र, लोक क्षेत्र या सयुक्त क्षेत्र में भी ध्यान देना स्वीकार किया है। इन संस्थानों में IDBI, IFCI, ICICI, IRCI, राज्य वित्त एवं औद्योगिक विकास निगम, एच जीवन बीमा निगम आते हैं। निजी क्षेत्र में सी इजीनिफरिंग उद्योग को सबसे अधिक ऋण (591 करोड़ रु०) दिए गए जबकि सीमेंट, रबड़ एवं कागज उद्योग क्षेत्रों को 6 वर्षों में 101 करोड़ रु० ही दिए गए। कुल स्वीकृत व वितरित राशि का 3/4 भाग नवीन योजनाओं को दिया गया। 1915 तक विभिन्न संस्थानों द्वारा स्वीकृत व वितरित ऋण की निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

#### स्वीकृत व वितरित ऋण

(करोड़ रुपए में)

संस्था	वर्ष	रुपए में ऋण		विदेशी मुद्रा में ऋण		अभिगोपन		योग	
		स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित
IDBI	1964	1085.1	803.0	—	—	61.1	32.5	1146.2	835.5
IFCI	1948	343.8	302.3	56.7	48.4	42.7	28.2	443.2	378.8
ICICI	1955	117.7	87.7	305.7	228.1	87.6	49.7	511.0	365.5
IRCI	1971	27.5	17.8	—	—	—	—	27.5	17.8
SFCS	—	579.6	403.3	13.6	1.8	15.5	12.6	608.7	417.7
SIDCS	—	121.7	83.5	—	—	52.9	36.2	174.6	119.7
UTI	1964	—	—	—	—	73.8	48.1	73.8	48.1
LIC	1956	127.5	95.8	—	—	169.3	136.9	296.8	232.7
योग		2402.9	1793.4	376.0	278.3	502.9	344.2	3281.8	2415.9

(Source : The Economic Times, Sept. 26, 1975)

समस्त वित्तीय संस्थानों द्वारा 31 मार्च, 1975 तक 3281.8 करोड़ रु० स्वीकृत किए गए, जिसमें से 2415.9 करोड़ रु० (73.6%) वितरित किए गए। 1974-75 में कुल सहायता 555.7 करोड़ रु० थी जो 1973-74 (445.8 करोड़ रु०) की तुलना में 25% अधिक थी। इस अवधि में वितरित राशि 301.7 करोड़ रु० से बढ़कर 428.1 करोड़ रु० (42% वृद्धि) हो गई। पिछले 2½ दशक में निजी औद्योगिक क्षेत्र के वित्तीय ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। प्रथम योजना के प्रारंभ में (1951) कुल पूंजी में ग्रंथ पूंजी का भाग 40% था जो 1973-74 में घटकर 20% रह गया। अन्य वित्तीय संस्थाओं के प्रतिरित यूनिट ट्रस्ट व जीवन बीमा निगम भी दीर्घकालीन ऋणों के रूप में बड़े पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। समस्त वितरित ऋण में रुपये में ऋण 74.2% विदेशी मुद्रा में ऋण 11.5% व षेष अभिगोपन व प्रत्यक्ष बंदे के रूप में था जिसकी राशि 1975 तक 344.2 करोड़ रु० थी। अभिगोपन कार्य में जीवन बीमा निगम का अंशदान सर्वाधिक था जो 39.8% था। इस क्षेत्र में ICICI का अंशदान 14.4%, UTI का अंशदान 1.4%, SIDC का अंशदान 10.5%, IDBI का अंशदान 9.4%, IFCI का

प्रदान 8.2% व SFC का प्रदान 3.7% था। 1974-75 में धनयोगन ऋण 31 करोड़ रु० या जिसमें से जीवन बीमा निगम (LIC) का प्रदान 10.3 करोड़ रु० था, UTI का प्रदान 7.4 करोड़ रु० व SIDC का भाग 6.8 करोड़ रु० था। शेष प्रदान अन्य समस्त संस्थाओं का था। 1975 तक विदेशी मुद्रा में ऋण की मात्रा 376 करोड़ रु० थी, जिसमें से ICICI का प्रदान 305.7 करोड़ रु० था, जो विदेशी विनिमय की प्रतिकूल स्थिति होने पर भी विदेशी मुद्रा में दोषताहीन ऋण दिलाने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा। विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में IFCI का प्रदान 56.7 करोड़ रु० व समस्त SFC का प्रदान 13.6 करोड़ रु० रहा। विदेशी मुद्रा ऋण का वितरण 1974-75 में 34.4 करोड़ रु० था। जबकि 1973-74 में यह प्रदान 29.4 करोड़ रु० था। इन दोनों वर्षों में ICICI का भाग क्रमशः 84.6% व 89.7% था।

पिछले 10 वर्षों के ऋण स्वीकृत एवं वितरित की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि तीन वार्षिक योजनाओं में वार्षिक वृद्धि दर 6 से 8% की धीरे धीरे के वर्षों में ऋण में 20% से वृद्धि हुई। इन वर्षों के बाद वार्षिक वृद्धि दर 12% रही। पिछड़े क्षेत्रों में तीव्र गति से औद्योगीकरण करने के उद्देश्य से 1970 में ही वित्तीय सहायता रियासती दफ्ते पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। पिछले 5 वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों को 240 करोड़ रु० की सहायता दी गई। प्रखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने गत 5 वर्षों में अधिकांश सहायता विकसित राज्यों को दी जिसमें महाराष्ट्र, प० बंगाल, गुजरात, कर्नाटक व तमिलनाडु हैं। गत 6 वर्षों में कुल ऋण का 1/4 भाग महाराष्ट्र में स्थान उद्योगों को दिया गया। गुजरात को 11.9%, तमिलनाडु का 11.8%, प० बंगाल को 8.5% व कर्नाटक को 7.5% ऋण दिया गया। इस प्रकार 5 राज्यों को कुल ऋण का 64.2% वितरित किया गया। गत 6 वर्षों में कुल 1177.4 करोड़ रु० वितरित हुए, जिसमें से 1/4 भाग मशीनरी उत्पादक कंपनियों द्वारा लिया गया। 1/6 भाग विद्युत मशीनरी, उपकरण व सोहा व उत्पाद कंपनियों को, चॉमेट, रबर कंपनियों को 3% से कम दिया गया, परंतु रसायन उद्योगों को अच्छा भाग प्राप्त हुआ। कुल सहायता राशि का 3/4 भाग नवीन योजनाओं एवं पुनर्निर्माण के विस्तार के लिए दिया गया है। शेष राशि का उपयोग प्राचुरिकरण, विद्युतीकरण प्रादि पर हुआ। वित्तीय संस्थाओं का धन प्राथमिक उद्योगों पर व्यय किया गया। क्षेत्र के आधार पर वितरण करने से ज्ञात होगा कि 6 वर्षों में 3/4 सहायता राशि निम्न क्षेत्र की कंपनियों को दी गई, 1/6 राशि सार्वजनिक क्षेत्र को व शेष सहायता क्षेत्र को दी गई। 1974-75 में सरकारी क्षेत्र को इकायों को 59.4 करोड़ रु० की सहायता दी गयी। 1974-75 में इन संस्थाओं के वित्तीय कोष में 1/3 भाग सहायता राशि का ही पुनर्भरण ही। जनता से निवेश व ऋण 59% थे तथा शेष राशि नकद व तरल साधनों से थी। 1974-75 में औद्योगिक विकास बैंक ने 2.8 करोड़ रु० से 6 राज्य वित्त निगमों की श्रम पूंजी खरीदी थी। इनमें 1.4 करोड़ रु० से औद्योगिक सात व विनियोग निगम के ऋण लिए तथा 1.9 करोड़ रु० के वित्त ऋण एन खरीदे। औद्योगिक वित्त निगम के 50% श्रम पूंजी विकास बैंक के पास है। इसी प्रकार औद्योगिक पुनर्वित्त निगम की पूंजी का 50% भाग इसी बैंक ने लिया है। प्रखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का 1969-70 से 1974-75 तक क्षेत्रों के आधार पर ऋण को स्वीकृति एवं वितरण व्यवस्था निम्न प्रकार थी—

#### क्षेत्र आधार पर ऋण व्यवस्था—1969-70 से 1974-75

	(करोड़ रु० में)	
	स्वीकृत	वितरित
1. धार्मिक क्षेत्र	141.27	110.77
2. शंयुक्त क्षेत्र	139.63	79.79
3. सहायता क्षेत्र	106.77	95.08
4. निजी क्षेत्र	1235.70	891.71
योग	1623.37	1177.35

उद्योग के आधार पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई वार्षिक सहायता राशि निम्न प्रकार है—

उद्योग प्राधार पर ऋण 1969-70 से 1974-75

(करोड़ ₹० में)

उद्योग	स्वीकृत	वितरित राशि	उद्योग	स्वीकृत	वितरित राशि
1. खाद्यान्न उत्पादन	115.17	87.63	9. लोहा व इस्पात	168.87	100.41
2. वस्त्र	95.24	76.44	10. प्रलोह धातु	17.53	18.44
3. कागज	64.91	49.41	11. अन्य धातु	37.65	22.69
4. रबर उत्पादन	70.79	32.96	12. मत्तोनरी उत्पादन	369.95	291.15
5. प्राधार औद्योगिक रसायन	95.23	59.33	13. विद्युत मत्तोनरी	112.84	94.24
6. उर्वरक	85.19	53.17	14. परिवहन उपकरण	88.32	63.53
7. अन्य उर्वरक	57.90	59.06	15. सड़क परिवहन सेवाएं	70.77	49.38
8. सीमेंट	16.35	18.11	16. अन्य	156.66	99.40
योग				1623.37	1177.35

(Source : The Economic Times, Sept 26, 1975)

1974-75 में दी गयी सहायता के प्राधार पर एवं ऋण के लिए धार्ड हर्ड प्रार्थना-पत्रों के प्राधार पर 1975-76 के लिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि औद्योगिक विकास बैंक पूर्ण की तुलना में अधिक मात्रा में ऋण स्वीकृत एवं वितरित करेगा।

विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में समन्वय  
(Coordination between different Financial Institutions)

भारत में विकास बैंकिंग की उत्तम आंतरिक संरचना है। प्रखिल भारतीय स्तर पर 1948 में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक वित्त निगम (IFC), विश्व बैंक के प्रथम तं निजी क्षेत्र में स्थापित 1955 में औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम (ICICI), 1964 जुलाई में स्थापित भारत का औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) उच्चकोटि की संस्था है जो अन्य दीर्घकालीन वित्तीय संस्थाओं में समन्वय स्थापित करता है जिसमें राज्य वित्त निगम (SFC) भी सम्मिलित किया गया है। औद्योगिक ढांचे की कमी को दूर करने के उद्देश्य से औद्योगिक विकास बैंक एक विकास एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राज्य स्तर पर विभिन्न राज्यों में 18 राज्य वित्त निगम कार्यरत हैं। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास कार्य को निश्चित ढंग से करने के उद्देश्य से औद्योगिक विकास निगम (State Industrial Development Corporations) की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त जीवन बीमा निगम एवं भारत का यूनिट ट्रस्ट मुख्यतया विनियोग संस्थाएं होने पर भी उद्योगों को प्राथिक सहायता प्रदान करते हैं।

औद्योगिक वित्त निगम एवं औद्योगिक साख विनियोग निगम विदेशी मुद्रा ऋण एवं रुपए में सहायता प्रदान करते हैं। औद्योगिक विकास बैंक केवल रुपये की मात्रा को पूर्ण करता है। प्रखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं जैसे IDBI, IFCI एवं ICICI प्रत्यक्ष ऋण, ऋणों का प्रभियोग्य एवं ऋण की गारंटी व प्रस्थगित भुगतान की सुविधाएं प्रदान करती हैं। ये सुविधाएं प्रायः मध्यम व बड़े प्रकार के उद्योगों को ही दी जाती हैं। इसी प्रकार राज्य वित्त निगम विभिन्न राज्यों में बड़े एवं मध्यम उद्योगों को ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं। राज्य वित्त निगम द्वारा सार्वजनिक सीमित कंपनियों को अधिकतम 20 लाख रुपये तथा निजी सीमित कंपनियों को अधिकतम 10 लाख रुपए ऋण के रूप में दिए जा सकते हैं। औद्योगिक विकास बैंक व्यापारिक बैंकों एवं राज्य वित्त निगम को मध्यमकालीन एवं पुनर्वित्त सुवि-

घाएँ प्रदान करता है। यह बैंक 50 लाख रुपये तक प्रसवित मुगतान भाषार पर बिलों के पुनर्वटोत्री की मुबिघाएँ भी प्रदान करता है। भनी तक केवन निर्जी क्षेत्र के उद्योगों को ही ऋण मुबिघाएँ दी गई हैं। परतु केंद्रीय सरकार ने भनी हान में नीति निर्णय लिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को भी वित्तीय मुबिघाएँ प्रदान की जा सकती हैं। विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं की स्थापना से उनमें भाषस में प्रतिस्पर्दा होने का भय बना रहता है। परंतु यह सत्य नहीं है, बल्कि इनमें भाषस में पूर्ण सहयोग व समन्वय पाया जाता है। उदाहरणार्थ सार्वजनिक सीमित कंपनियों की 20 लाख रुपए तक ऋण राज्य वित्त नियम द्वारा तथा 20 लाख रुपये से अधिक के ऋणों पर औद्योगिक वित्त नियम कार्यवाही करता है। यदि किसी इकाई को राज्य वित्त नियम ऋण देने में प्रसमर्थ है तो 20 लाख रुपये से कम के ऋणों को औद्योगिक वित्त नियम ऋण स्वीकृति दे सकता है। सैदातिक रूप से औद्योगिक वित्त नियम सार्वजनिक सीमित कंपनी एवं सहकारी संस्थाओं को ही ऋण प्रदान करता है और निजी कंपनियों, सानेदारी संस्थाओं व एकाकी व्यापार को ऋण प्रदान नहीं किया जा सकता। प्रतः व्यवहार में औद्योगिक वित्त नियम एवं राज्य वित्त नियम में प्रतिस्पर्दा होने का प्रसन्न उत्पन्न ही नहीं होता। प्रायः इन दोनों संस्थाओं के कार्य में समन्वय पाया जाता है। 20 लाख रुपए तक के ऋण राज्य वित्त नियम द्वारा व शेष ऋण की राशि औद्योगिक वित्त नियम द्वारा प्रदान की जाती है। कुछ बड़े भाषार के उद्योगों, जैसे खाद कारखाना जिसने 50-60 करोड़ रुपये की पूंजी लागत का प्रबध करना होता है, को वित्त व्यवस्था किसी एक वित्तीय संस्था द्वारा होना समभव न होने से समस्त वित्तीय संस्थाओं एवं व्यापारिक बैंक के सहयोग से ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। प्रतः औद्योगिक विकास बैंक के नेतृत्व में ऐसा समन्वित कार्यक्रम निमित्त करके औद्योगिक वित्त की मांग को पूर्ण करने के प्रयास किए जाते हैं। बड़े भाषार के उद्योगों को 15-20% प्रसदान प्रबतंक द्वारा दिया जाता है तथा शेष का प्रबध भारतीय व विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया जाता है। भनिगोपन का कार्य विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से मंदी एवं शक्ति सपर्य के कारण उद्योगों द्वारा समय पर किशत व ब्याज की राशि वापस नहीं की जा सकी है। प्रतः ऐसे प्रयास किए जाते हैं जिससे उद्योग उचित ढंग से कार्य कर सकें व किशत व ब्याज की राशि का समय पर मुगतान किया जा सके।

## हीनार्थ प्रबंधन (Deficit Financing)

### प्रारम्भिक

विश्व के सभी विकसित कहे जाने वाले राष्ट्रों का धार्मिक विकास नियोजन के आधार पर ही किया गया है। विकसित राष्ट्रों को ही भक्ति प्रवर्धित राष्ट्रों का धार्मिक विकास भी धार्मिक नियोजन के आधार पर किया जाने लगा है। नियोजन में बड़े पैमाने पर धन व्यय किया जाता है। नियोजन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि योजना का निर्माण करके व्यय एवं आय के साधनों को स्पष्ट ढंग से दिखाया जाए। प्रायः धार्मिक विकास एवं युद्ध वित्त का समान आधार पर धारण किया जाता है, क्योंकि युद्ध एवं विकास दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य एवं साधनों की मांग बढ़ जाती है तथा देश की श्रम एवं पूँजी शक्ति को युद्ध के कार्य पथवा विकास के कार्य में लगा दिया जाता है, जिससे धार्मिक विकास के दीर्घकालीन सदर्थों को प्राप्त किया जा सके। समाज में धर्म व पूँजी की मांग बढ़ जाती है जिससे इनके मूल्यों में तीव्रता से वृद्धि हो जाती है। देश का धार्मिक विकास साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। घट-समस्त धार्मिक साधनों को अधिकतम मात्रा में उपयोग करने के प्रयास किए जाते हैं। विकास कार्यों में केवल सरकार ही उत्तरदायी नहीं होती, बल्कि विकास का कार्य निजी क्षेत्र को भी सौंप दिया जाता है, जबकि युद्ध-वित्त का कार्य पूर्णरूप से सरकार का ही होता है। धार्मिक विकास से उत्पादकता, आय एवं उपभोग स्तर में वृद्धि हो जाती है। विश्व वा प्रायिक विकसित एवं प्रवर्धित राष्ट्र देश के धार्मिक विकास की ओर अधिकधिक ध्यान देता है जिससे जीवन स्तर एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि संभव हो सके।

### विकास वित्त एवं युद्ध वित्त में भंतर

(Difference between Development Finance and War Finance)

विकास वित्त एवं युद्ध वित्त में भंतर को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—


- (1) पहल—युद्ध वित्त के लिए पहल सरकार की ओर से करनी होती है जबकि विकास वित्त हेतु सरकार एवं जनता दोनों की ओर से पहल की जा सकती है।
- (2) व्यय एवं मूल्यों में वृद्धि—विकास एवं युद्ध दोनों में श्रम एवं सामग्री की मांग में वृद्धि हो जाती है, जिससे राज्य को उन्हे प्रवर्धित मूल्य पर खरीदना होता है, फलस्वरूप समाज के व्यय में धार्मिक वृद्धि हो जाती है।
- (3) जिम्मेदारी का भंतर—युद्ध वित्त एवं उसके व्यय को पूर्ण करने की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की मानी जाती है, परंतु विकास वित्त के लिए सरकार एवं जनता दोनों की ही जिम्मेदार ठहराया जाता है।

### वित्तीय साधन

योजना के प्रबंधन के लिए निम्न वित्तीय साधनों का प्रयोग किया जाता है—

- (1) प्रतिरिक्त करारोपण—योजना को कार्यान्वित करने के लिए सामान्य से अधिक ही व्यय करना हाता

सोचना का प्रबंधन (वित्तीय साधन)



हीनायं प्रबंधन  
(Deficit-Financing)

वर्तमान समय में हीनायं प्रबंधन राजकोष वित्तीय साधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। नूतनता में हीनायं प्रबंधन का प्रयोग देश को विभिन्न प्रकार के सत्रों जैसे युद्धकाल का प्रस्ताव से बचने के लिए किया जाता था। सर्वप्रथम हीनायं प्रबंधन का उपयोग मरी के समय राजगार एवं उत्पादन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए किया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध काल में उच्च स्तरीय परिस्थितियों के लिए भी हीनायं प्रबंधन का प्रयोग किया गया। मरी के समय दुनियाँ उद्योग विपन्न के विकसित राष्ट्रों ने किया, परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध ने दुनियाँ उद्योग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले समस्त राष्ट्रों ने किया। वर्तमान समय में दुनियाँ उद्योग अर्थव्यवस्था राष्ट्रों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने एवं देश के आर्थिक विकास लिए किया जाता है। इस प्रकार विकसित एवं अर्थव्यवस्था दोनों ही राष्ट्रों द्वारा हीनायं प्रबंधन का उपयोग किया गया। प्रत्येक हीनायं प्रबंधन से आर्थिक मार्गदर्शक ऋण से लिया जाता है। भारत में हीनायं प्रबंधन का प्रथम अधिक स्रोतों की निकायों से होता है।

हीनायं प्रबंधन का अर्थ

इसका प्रयोग निम्न धर्मों में किया जाता है—

- (1) सार्वजनिक ऋण विचार—जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक हो तो इस घाटे को पूर्ण करने के लिए प्राप्त ऋण को हीनायं प्रबंधन कहते हैं।
- (2) कुल घाटा विचार—जब सरकार को कुल आय उनके व्यय से कम हो तथा इस कमी को पूर्ण करने के लिए सरकार रिजर्व बैंक से नरुद्ध कोष निर्माण प्रस्ताव स्रोतों को छानकर उचित प्रबंध करे तो उसे हीनायं प्रबंधन कहेंगे। इसमें दो धर्मों पर ध्यान दिया जाता है—
  - (i) केंद्रीय एवं राज्य दोनों सरकारों के सत्रों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
  - (ii) इसमें मुद्रा की मात्रा में अत्यंत वृद्धि होनी चाहिए।
- (3) मुद्रा पूंजी विचार—जब सरकार संपत्ति में वृद्धि करने हेतु सत्र के घाटों या मुद्रा संपत्ति में होनेवाले ह्रास को पूर्ण करने हेतु ऋणों का सहारा ले तो उसे हीनायं प्रबंधन कहेंगे। इसमें वित्त प्रायः व व्यय का घात मुद्रा ऋणों की मात्रा के बराबर होता है।

हीनायं प्रबंधन की परिभाषा

(Definition of Deficit Financing)

डा० शाब के अनुसार—'जब सरकार जानबूझकर किसी उद्देश्य में अपनी आय से अधिक व्यय करे और घाटे की पूर्ति देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ाकर करे तो उसे घाटे की वित्त-व्यवस्था कहते हैं।'

हीनायं प्रबंधन की सफलता

देश में हीनायं प्रबंधन की सफलता निम्न बातों पर निर्भर करती है—

- (i) पूंजी की आवश्यकता—उत्पादन कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता जितनी कम होगी, हीनायं प्रबंधन



जाती है तथा सरकार की वास्तविक प्राय मे कमी हो जाती है व अधिक मात्रा में घाटे के बजट बनाने से स्थिति विगड़ जाती है ।

(iii) हीनार्थ प्रबंधन का प्रयोग—हीनार्थ प्रबंधन का प्रयोग अनुत्पादक कार्यों की अपेक्षा उत्पादक कार्यों में सफलता के साथ संभव हो सकता है और पूर्ति में वृद्धि होने से मूल्य में वृद्धि नहीं हो पाती ।

(iv) ऋय दक्षित को निष्क्रिय करना—सरकार द्वारा राजस्व या मूल्य नियंत्रण करके अतिरिक्त ऋय-दक्षित को निष्क्रिय बनाने से जनता सीमित वस्तुओं का ही प्रयोग कर पाती है । इसी प्रकार बंको के नकद कोष में वृद्धि करके भी ऋय दक्षित को निष्क्रिय किया जा सकता है ।

(v) प्रमोदिक प्रयव्यवस्था—प्रयव्यवस्था वा जितना अधिक भाग प्रमोदिक होगा उतनी ही अधिक मात्रा में हीनार्थ प्रबंधन संभव हो सकता है । मुद्रा के विकास के साथ-साथ हीनार्थ प्रबंधन की मात्रा भी कम हो सकती है ।

(vi) अतिरिक्त ऋय दक्षित की प्राप्ति—हीनार्थ प्रबंधन सरकार द्वारा अतिरिक्त ऋय दक्षित प्राप्त करने पर निर्भर करेगा । यदि सरकार बचन द्वारा धन प्राप्त करती है तो बड़ी मात्रा में हीनार्थ प्रबंधन किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(vii) जनता की मनोवृत्ति—हीनार्थ प्रबंधन जनता की मनोवृत्ति पर निर्भर होता है । जनता जितना त्याग करने को तत्पर होगी, उतना ही अधिक हीनार्थ प्रबंधन संभव हो सकेगा । देश में अनुकूल वातावरण उत्पन्न करके जनता को कष्ट सहन करने के लिए तैयार करके अधिक मात्रा में हीनार्थ प्रबंधन संभव हो सकता है ।

### हीनार्थ प्रबंधन के प्रभाव

हीनार्थ प्रबंधन देश की अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है—

(1) उपभोग की प्रवृत्ति—उपभोग की प्रवृत्ति कम होने पर हीनार्थ प्रबंधन की सफलता उतनी ही बढ़ जाती है । उपभोग प्रवृत्ति जीवन-स्तर एवं प्रति व्यक्ति प्राय पर निर्भर करती है । प्रायः प्राय बढ़ने पर उपभोग की प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है व वस्तुओं व सेवाओं की माग बढ़ने से मूल्यों में भी वृद्धि हो जाती है ।

(2) साख उपयोग में वृद्धि—देश में साख उपयोग में वृद्धि होने से स्फीतिक प्रभाव भी बढ़ जाते हैं । हीनार्थ प्रबंधन के लिए केंद्रीय बैंक से ऋण लेने से द्रव्य की मात्रा में वृद्धि हो जाती है जो साख में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है । साख का उपयोग कम होने से स्फीतिक प्रभाव भी कम हो जाते हैं ।

(3) सरकारी व्यय—यदि सरकारी व्यय से जनता की मौद्रिक प्राय में वृद्धि होती है तो मूल्यों में वृद्धि होगी और हीनार्थ प्रबंधन के उद्देश्य प्राप्त न हो सकेंगे । इसके विपरीत यदि सरकार द्वारा अतिरिक्त कर आदि की व्यवस्था करके जनता से पुनः धन प्राप्त कर लिया जाए तो मूल्य वृद्धि की संभावना नहीं रहेगी तथा वांछित परिणाम प्राप्त हो सकेंगे ।

(4) धन संचय—देश में धन संचय की प्रवृत्ति कम होने पर हीनार्थ प्रबंधन सफल नहीं होगा । इसके विपरीत यदि जनता में धन संचय करने की प्रवृत्ति है तो अतिरिक्त धन बचत हो जाएगा और स्फीति का भय नहीं रहेगा ।

(5) घाटे का अनुपात—राष्ट्रीय प्राय में घाटे का अनुपात जितना कम होगा, मुद्रा स्फीति का प्रभाव उतना ही कम होगा । इसके विपरीत यदि अनुपात अधिक है तो प्रभाव भी अधिक ही पड़ेगा ।

(6) प्राय में मुद्रा का अनुपात—यह अनुपात जितना अधिक होगा, हीनार्थ प्रबंधन का प्रभाव उतना ही कम होगा । इसके विपरीत यदि यह अनुपात कम है तो स्फीतिक संकट उत्पन्न हो जाएगा ।

(7) विदेशी मुद्रा की मात्रा—देश में विदेशी मुद्रा की मात्रा अधिक होने पर हीनार्थ प्रबंधन के प्रभाव हानिकारक न होंगे, क्योंकि मात्रात अधिक होने पर भी भुगतान सरलता से किया जा सकेगा । इसके विपरीत परिस्थितियों में मूल्यों में वृद्धि होने पर संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाएगा ।

(8) साधनों का विदोहन—यदि साधनों का विदोहन नहीं किया जा रहा तो बड़ी मुद्रा का उपयोग साधनों के विदोहन में किया जाएगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि होकर स्फीतिक प्रभाव कम हो जाएगा । इसके विपरीत साधनों का विदोहन होते रहने पर उत्पादन में वृद्धि संभव न होने से असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और स्फीतिक प्रभावों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

**जनता का दृष्टिकोण**—यदि व्यक्ति वर्तमान को अधिक महत्व देता है तो हीनार्थ प्रबंधन से मूल्यों की वृद्धि को रोकने के प्रयास किए जाएंगे।

(10) सरकारी नियंत्रण—देश में सरकारी नियंत्रण प्रभावपूर्ण होने पर, हीनार्थ प्रबंधन से मूल्यों की वृद्धि पर नियंत्रण सरलता से लगाया जा सकेगा। इसके विपरीत सरकारी नियंत्रण प्रभावपूर्ण न होने पर मूल्यों पर नियंत्रण लगाना कठिन होगा।

(11) जनता का सहयोग—जनता का सहयोग उचित समय पर प्राप्त होने पर हीनार्थ प्रबंधन के प्रभावों को कम किया जा सकेगा। इसके विपरीत यदि जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होता है तो इसके प्रभावों को कम करना सरल एवं संभव न हो सकेगा।

### विकसित राष्ट्रों में हीनार्थ प्रबंधन

यदि विकसित राष्ट्र मदी के स्तर में फँस गया हो तो हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेकर ही उस मदी को समाप्त किया जा सकेगा। इस परिस्थिति में हीनार्थ प्रबंधन द्वारा मांग में वृद्धि निम्न प्रकार से संभव हो सकेगी—

(i) नवीन नोट छापकर—नवीन मुद्रा छापने से देश में क्रय शक्ति बढ़ जाती है, जिसकी सहायता से नवीन उद्योगों को प्रारंभ किया जा सकता है। उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिससे मांग में वृद्धि हो जाती है।

(ii) ऋण ऋणदा बचत प्राप्त करके—यदि हीनार्थ प्रबंधन ऋण ऋणदा बचत से किया गया है तो देश का बेकार पड़ा धन एकत्रित होकर विनाश रूप धारण करके उद्योगों की स्थापना में सहायता करता है, जिससे मांग में वृद्धि हो जाती है।

### अविकसित राष्ट्रों में हीनार्थ प्रबंधन

अविकसित राष्ट्रों में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण हीनार्थ प्रबंधन करना कठिन हो जाता है। यह परिस्थितियाँ प्रायः निम्नलिखित हैं—

(i) सरकारी शासन का अप्रभावपूर्ण होना—यदि सरकारी शासन प्रभावपूर्ण नहीं है तो मूल्य ऊँचे होने पर आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं तथा निश्चित भाग वाले व्यक्तियों को हानि होती है। अतः मूल्य वृद्धि पर सरकार का नियंत्रण होना आवश्यक है।

(ii) कृषि पर निर्भरता—अविकसित राष्ट्र प्रायः कृषि पर निर्भर होते हैं, अतः हीनार्थ प्रबंधन करने पर कारखानों के प्रभाव के कारण पूर्ति बढ़ाना संभव नहीं होगा, फलस्वरूप वस्तुएँ महँगी हो जाएँगी, कृषकों को लाभ होगा, जो उसे उपभोग में व्यय कर देंगे जिससे मांग में वृद्धि होकर मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी।

(iii) घनत्व—जिस देश में पिछड़े व बिना पड़े-निले व्यक्ति होंगे, वहाँ पर हीनार्थ प्रबंधन करने से वस्तुओं के मूल्यों में सरलता से वृद्धि संभव होगी।

### उपयुक्त परिस्थितियाँ

अविकसित राष्ट्रों में उपयुक्त परिस्थितियाँ होने पर ही हीनार्थ प्रबंधन को अधिक सफल बनाया जा सकता है। यह परिस्थितियाँ निम्न हैं—

(i) बैंकिंग सुविधाओं की कमी—इन राष्ट्रों में बैंकिंग सुविधाओं के अभाव के कारण अधिवास्तव्य कार्य नकदी में होता है और साल का प्रयोग न्यूनतम होता है। अतः हीनार्थ प्रबंधन द्वारा मुद्रा प्रसार करने पर भी अर्थ-व्यवस्था पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) परिवहन के साधनों का अभाव—अविकसित राष्ट्रों में परिवहन के साधनों के अभाव के कारण वस्तुओं की पूर्ति को सरलता से बढ़ाना संभव न हो सकेगा। ऐसी स्थिति में मुद्रा प्रसार करने पर भी देश के बड़े भाग

(अ) सुधारात्मक उपाय (Remedial Measures)—इसमें मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए समस्त सरकारी उपायों को सम्मिलित किया जाता है। देश में मुद्रा स्फीति के चिह्नों के प्रकट होते ही इन उपायों का उपयोग किया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य मांग को नियंत्रित करके वस्तुओं की पूति के प्रवाह का नियंत्रित करना है। इसमें निम्न उपायों को सम्मिलित किया जाता है—

(1) पूंजी व विनियोग पर नियंत्रण—जिन वस्तुओं का देश में अभाव हो, उनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा पूंजी व विनियोग पर ऐसे नियंत्रण लगाए जाते हैं कि जिससे पूंजी उन्ही उद्योगों में आकर्षित हो सकें। इसी प्रकार, सरकार अलाभकारी उद्योगों में विनियोग को नियंत्रित कर सकती है।

(2) कर नीति—देश में उचित कर नीति की सहायता से मांग के दबाव व पूति के प्रवाह को एक साथ नियंत्रित किया जा सकता है। विशेष उपक्रम में पूंजी आकर्षित करने के लिए करों में छूट देकर उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मुद्रा प्रसार जनता को ऋण क्षिति में वृद्धि लाकर मांग में वृद्धि लाता है। यदि कर द्वारा प्रतिरिक्त भाग को एकत्रित कर लिया जाए तो बढ़ती हुई मांग को सरलता से नियंत्रित किया जा सकता है।

(3) पूति के वितरण को नियंत्रित करना—देश में उपलब्ध पूति के वितरण को नियंत्रित करके स्फीतिक प्रभावों को कम किया जा सकता है। इसमें मूल्य नियंत्रण, राशनिंग एवं वितरण पर नियंत्रण आदि को सम्मिलित किया जाता है।

(4) विनियम नियंत्रण—विनियम नियंत्रण द्वारा भी मुद्रा स्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। विदेशी विनियम नियंत्रण की नीति से अनावश्यक विदेशी उपभोग वस्तुओं के आयात को कम करके आवश्यक पूंजीगत सामान के लिए विदेशी विनियम उपलब्ध हो सकते हैं जिससे स्फीतिक प्रभावों को रोका जा सकेगा।

(5) उचित भौतिक नीति—उचित भौतिक नीति को अपनाकर साख व मुद्रा पूति पर नियंत्रण करके आवश्यक एवं उपयोगी कार्यों में ही विनियोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है तथा सीमित विनियोग साधनों को आवश्यक व कीमती योजनाओं में लगाने से रोका जा सकेगा, जैसे बड़े भवन व वित्तासपूर्ण रेस्टोरेंट के निर्माण आदि पर व्यय के स्थान पर सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्माण पर व्यय करना अधिक लाभकारी सिद्ध होगा जैसे कि पार्क, अस्पताल, वाचनालय, कानिज आदि का निर्माण करना आदि।

(ब) प्रतिबंधात्मक उपाय (Preventive Measures)—इन उपायों में निम्न को सम्मिलित किया जाता है—

(1) विनियोग व उत्पादन में समय अंतराल को कम करना—प्रायः विनियोग करने पर वस्तुओं के उत्पादन में तुरत वृद्धि नहीं हो पाती और विनियोग करने व माल के उत्पादन करने में समय लग जाता है, जिससे पूति के अभाव में मूल्य वृद्धि से स्फीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः ऐसे उपाय काम में लाए जाते हैं जिससे समय अंतराल कम हो जाय। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कृषि में सुधार, लघु उद्योग, खाद्यान्न में वृद्धि आदि में विनियोगों को प्रोत्साहित किया जाता है जो कि सीधे उत्पादन बढ़ाते हैं।

(2) साधनों को उत्पादन में लगाना—यदि हीनार्थ प्रबंधन से उत्पन्न वास्तविक साधनों को वस्तुओं के उत्पादन में लगा दिया जाए तो स्फीतिक प्रभावों को रोका जा सकता है।

(3) उपभोग वस्तुओं की पूति बढ़ाकर—हीनार्थ प्रबंधन से भाव में वृद्धि होकर मांग में वृद्धि हो जाती है, परंतु उसके उत्पादन में समानांतर वृद्धि न होने से स्फीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः स्फीति को रोकने के लिए प्रारम्भ से ही ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि हीनार्थ प्रबंधन के साथ-साथ देश में उपभोक्ता वस्तुओं की पूति में भी वृद्धि संभव हो सके।

(4) विदेशी विनियम तक सीमित—यदि देश में उपलब्ध विदेशी विनियम की मात्रा के बराबर ही हीनार्थ प्रबंधन किया जाए तो स्फीतिक प्रभावों को रोका जा सकेगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में सरकार ने द्रव्य से रिजर्व बैंक से स्टिलिंग ऋण करके हीनार्थ प्रबंधन किया जिससे देश में स्फीतिक परिस्थितियां उत्पन्न न हो सकी। प्रतिबंधात्मक उपाय, सुधारात्मक उपाय से अच्छे माने जाते हैं, परंतु अर्द्ध विकसित राष्ट्रों में यह अधिक सफल नहीं हो पाए हैं।

## भारत में हीनार्थ प्रबंधन (Deficit Financing in India)

**प्रथम योजना**—प्रथम योजना के निर्माण में कोरियाई युद्ध से उत्पन्न स्कीमि को ध्यान में रखते हुए कुछ आवश्यक समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखा गया। योजना का निर्माण करते समय यह सोचा गया था कि दसवें सप्ताह के साधनों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। इस योजना में 290 करोड़ रुपये से हीनार्थ प्रबंधन करने का प्रावधान रखा गया, परंतु योजना के अंत तक वास्तविक रूप में 420 करोड़ रुपये में हीनार्थ प्रबंधन किया गया जो कि कुल योजना के व्यय का लगभग 21% भाग था। इस काल में हीनार्थ प्रबंधन होने पर भी वस्तुओं के मूल्यों में विशेष वृद्धि नहीं हुई क्योंकि (i) स्टॉक रिजर्व के कारण आयात के बदले में निर्यात नहीं करना पड़ता था, (ii) मानसून एवं जलवायु अनुकूल होने से कृषि में पर्याप्त वृद्धि हुई।

**द्वितीय योजना**—प्रथम योजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए द्वितीय योजना का निर्माण वित्तीय के लंबे लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया गया। यह योजना 7200 करोड़ रुपये की बनाई गई थी जिसमें से 4800 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय करने में। इस योजना में 1200 करोड़ रुपये में हीनार्थ प्रबंधन करने का प्रावधान रखा गया, जिसमें से 200 करोड़ रुपये स्टॉक रिजर्व से तथा 1000 करोड़ रुपये की प्रतिरिक्त मुद्रा का सृजन करना था। परंतु वास्तव में 948 करोड़ रुपये से ही हीनार्थ प्रबंधन किया गया जो कि कुल योजना के व्यय का 21% भाग था। इस योजना में मुद्राप्रसार को रोकने हेतु योजना आयोग ने कुछ मुद्दा दिए—(i) भेदपूर्ण करनीति को लागू किया जाना चाहिए, (ii) राशनिय द्वारा उपभोग को नियंत्रित किया जाए, (iii) स्टॉक का निर्माण करके साखान्त व कपड़े का मूल्य स्थिर रखना।

**तृतीय योजना**—द्वितीय योजना के अंत में देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि तृतीय योजना में हीनार्थ प्रबंधन की राशि कम रखी जाएगी। इस योजना में 550 करोड़ रुपये ही हीनार्थ प्रबंधन के लिए रखे गए थे, परंतु वास्तव में 1150 करोड़ रुपये से हीनार्थ प्रबंधन किया गया जो कि कुल व्यय का 13% भाग था। इस योजना में हीनार्थ प्रबंधन का उपयोग कम-से-कम करना था, परंतु ऐसा संभव न हो सका और लक्ष्य से 600 करोड़ रुपये का आर्थिक हीनार्थ प्रबंधन किया गया। इससे मुद्रा की बाजारविक्री नीमत में कमी हो गई तथा वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई, आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया, मट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिला तथा देश की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई।

**वार्षिक योजनाएँ**—1966-67 की एकवर्षीय योजना में 13 करोड़ रुपये में ही हीनार्थ प्रबंधन करना था, परंतु वास्तव में यह राशि 223 करोड़ रुपये रही। 1967-68 की द्वितीय एकवर्षीय योजना में पाठे की व्यवस्था 14 करोड़ रुपये रखी गई परंतु वास्तव में यह पाठे 193 करोड़ रुपये रहा। 1968-69 में 307 करोड़ रुपये पाठे की वित्त व्यवस्था का अनुमान था, परंतु वास्तविक राशि 260 करोड़ रुपये रही।

**चतुर्थ योजना**—प्रथम तीन योजनाओं में 2518 करोड़ रुपये का हीनार्थ प्रबंधन किया जा चुका था, जिसमें देश में वस्तुओं के मूल्यों में काफी वृद्धि हो गई थी तथा देश के आर्थिक विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तृतीय योजना के अंत में देश की स्थिति बहुत खराब हो गई। 1965 के पारिक्रमण के समय विदेशी सहायता मिलनी बंद हो गई, देश में खाद्यान्न का अभाव होने से स्थिति खराब हो गई। निर्यात घट रहे थे तथा मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही थी। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ योजना में 24,398 करोड़ रुपये को व्यय राशि में से केवल 850 करोड़ रुपये से ही हीनार्थ प्रबंधन करने का लक्ष्य रखा गया जो कुल व्यय का केवल 3½% है। वास्तव में 1969-70 से 1973-74 तक कुल पाठे की व्यवस्था 1,203 करोड़ रुपये रही। चतुर्थ योजना में कुल हीनार्थ प्रबंधन 1,840 करोड़ रुपये से हुआ।

**पंचम योजना**—यह योजना 53,411 करोड़ रुपये की बनाई गई जिसमें से 37,250 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र तथा 16,161 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में व्यय होंगे। इस योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। यद्यपि हीनार्थ प्रबंधन पर न्यूनतम ध्यान दिया जाएगा और इसकी मात्रा मूल्य रखी गई है।

विभिन्न योजनाओं के हीनार्थ प्रबंधन की राशि को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

### योजनाओं में हीनार्थ प्रबंधन

(करोड़ रुपये में)

योजना (सार्वजनिक क्षेत्र)	कुल व्यय	हीनार्थ प्रबंधन लक्ष्य	वा स्टावर हीनार्थ	प्रतिशत
प्रथम योजना	1,960	290	420	21
द्वितीय योजना	4,600	1200	948	21
तृतीय योजना	8,577	550	1,133	13.2
तीन एकवर्षीय योजनाएं	6,756	334	682	10.1
चतुर्थ योजना	15,902	850	1,840	5.3
पंचम योजना	37,250	Nil	—	—

भविष्य में हीनार्थ प्रबंधन पर निर्भरता समाप्त प्रायः हो जाएगी ।

## भारत में विदेशी पूंजी (Foreign Capital in India)

### प्रारंभिक

एक विकासशील राष्ट्र अपने विकास कार्यक्रमों को पूर्णतया घरेलू बचतों से ही पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें विदेशों से आयात किया गया सामान भी सम्मिलित रहता है। अर्द्धविकसित राष्ट्रों में प्रायः पूँजी, मशीनों एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव पाया जाता है और इसकी पूर्ति विदेशी पूँजी से ही की जाती है। प्रायः यह माना जाता है कि विदेशी पूँजी के अभाव में अर्द्धविकसित राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकते। विश्व के अर्द्धविकसित एवं अविश्विकसित राष्ट्रों में जनता के रहन-सहन का स्तर निम्न होता है, बड़ा औद्योगीकरण का अभाव पाया जाता है परंतु कृषि देश का प्रधान व्यवसाय होता है। अतः वहाँ देश के आर्थिक विकास संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने एवं विकास की गति को तीव्र करने के लिए विदेशी पूँजी की आवश्यकता होती है। इन राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय कम होने से वचन में वृद्धि संभव नहीं हो पाती और इस कमी को पूर्ण करने के लिए विदेशी पूँजी का सहारा लेना पड़ता है। विदेशी पूँजी की सहायता से विनियोग स्तर को बढ़ाया जा सकता है। अर्द्धविकसित राष्ट्रों के विकास को प्रारंभिक अवस्था में कच्चे माल का निर्यात कम करके मशीनों व तकनीकी ज्ञान का आयात अधिक करने से भुगतान समुलन विषय में हो जाता है। इसे विदेशी ऋणों एवं विदेशी अनुदानों से पूर्ण किया जाता है इस प्रकार देश के विकास के लिए विदेशी पूँजी का आयात करना आवश्यक हो जाता है। विदेशी पूँजी के साथ विदेशों तकनीकी प्राप्त होने से आर्थिक विकास की गति में तीव्रता आ जाती है। इसकी प्राप्ति से विदेशी विनियम भुगतान की कठिनाइयाँ भी दूर हो जाती हैं। भारत की जातीय पंचवर्षीय योजनाओं के सफल संचालन में विदेशी सहायता का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वर्तमान समय में विकसित राष्ट्रों के हित में यह है कि वे अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों को उनके आर्थिक विकास के प्रयासों में सहायता करें। गरीबी श्रम की संपन्नता के लिए एक सहायक सतत है और उसे दूर करने हेतु ही अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। पंचम योजना का मुख्य लक्ष्य देश में गरीबी हटाना है, जिससे आय की सममानता को समाप्त करके विकास को सहायताओं को बढ़ाया जा सके।

### विदेशी पूँजी का महत्त्व

विश्व के प्रायः सभी विकसित कहे जाने वाले राष्ट्र कितनी न किसी भीमा तक विदेशी पूँजी एवं सहायता पर निर्भर रहे हैं। विदेशी पूँजी के अभाव में कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सका है। विदेशी पूँजी के महत्त्व को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) विनियोज की आवश्यकता को पूर्ण करना—कम आय वाले राष्ट्रों में घरेलू बचत की राशि कम होने से सरकार द्वारा करो व आंतरिक ऋणों के रूप में राशि विनियोग की मांग को पूर्ण करने में असमर्थ रहती है। अतः राज्य मापनों में सहायता प्राप्त करके इस कमी को पूर्ण किया जाता है।

(2) साधनों की प्राप्ति—विद्यमान साधनों के लिए घरेलू एवं बाह्य साधनों के अभाव होने पर विदेशी

सहायता लेकर उसे पूर्ण किया जा सकता है। कर या मुद्रा प्रसार द्वारा जो बचत प्राप्त की जाती है उससे वास्तविक साधनों में वृद्धि नहीं होती। वित्तीय साधनों का अधिकार भाग परेल वस्तुओं के उपयोग पर व्यय किया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा एकत्रित किए गए वित्तीय साधनों में से केवल वह भाग जो विदेशी वस्तुओं को प्राप्त करके उपयोग हो सकता था, वह प्रतिरिक्त विदेशी विनिमय द्वारा ही प्राप्त हो सकता है।

(3) परेल प्रयोज्यवस्था पर भार में कमी—विनियोग के साधनों में वृद्धि करने के लिए प्राथमिक उपभोग-को कम करना होगा जिसका जनता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। परंतु विदेशी पूंजी की सहायता से उपभोग स्तर को उच्च-तम स्तर पर रखा जा सकता है। इससे उत्पादन में वृद्धि होगी तथा विदेशी पूंजी का प्रायात बढ़ाकर उपभोग वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि संभव करके परेल प्रयोज्यवस्था के भार में सरलता से कमी की जा सकेगी व विकास संभव हो सकेगा।

(4) प्राथमिक विकास को बढ़ावा—प्रविकसित राष्ट्र बाह्य व्यापार की सहायता से पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय अर्जित करने में प्रसन्न रहता है, परंतु विदेशी पूंजी की सहायता से नवीन योजनाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। विदेशी पूंजी से परेल साधनों के प्रयोग को सुविधा प्राप्त होगी तथा देश में पूंजी प्रदान विकास कार्यक्रमों में सहायता प्राप्त होगी। विदेशी पूंजी की निश्चित मात्रा होने पर देश में प्राथमिक विकास की दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है।

(5) भुगतान संतुलन को ठीक करना—विदेशी पूंजी भुगतान संतुलन को ठीक करती है। प्रविकसित राष्ट्रों में तीव्र विकास प्रायः भुगतान संतुलन को कमी को उत्पन्न करता है जिससे विदेशी पूंजी की सहायता से सुधारा जा सकता है। देश को तीव्र प्राथमिक विकास के लिए विदेशी से मशीनरी एवं अन्य आवश्यक सामान प्रायात करना पड़ता है जिसे विदेशी पूंजी की सहायता से सरलता से सुधारा जा सकता है।

(6) जीवन-स्तर में वृद्धि—प्रविकसित एवं प्रविकसित राष्ट्रों के नागरिकों के जीवन-स्तर में अंतर पाया जाता है जो विश्व शांति को खतरा उत्पन्न करता है। अतः प्रविकसित राष्ट्रों में तीव्र विकास होना आवश्यक है, जो विदेशी पूंजी की सहायता से ही संभव हो सकता है।

(7) जोखिम उठाना—विदेशी पूंजी द्वारा जोखिम में कमी होकर नवीन उद्योगों के प्रारंभ होने का साहस बढ़ता है। यदि नवीन उद्योग प्रसफल हो जाते हैं तो भारी हानि उठानी पड़ती है। विदेशी पूंजी नवीन उद्योगों को प्रारंभ करके भारी हानि सहन करने का साहस करती है, जिससे परेल पूंजीपति बिना प्रारंभिक हानि उठाए, उस व्यवसाय से लाभ अर्जित करते हैं।

(8) प्राविधिक ज्ञान व योग्यता को प्राप्त करना—प्रविकसित राष्ट्रों में प्रायः प्राविधिक ज्ञान एवं प्रबंध योग्यता का प्रभाव पाया जाता है, जिसे विदेशी पूंजी की सहायता से दूर किया जा सकता है। क्योंकि विदेशी पूंजी के साथ-साथ प्राविधिक ज्ञान एवं प्रबंध योग्यता का प्रायात भी हो जाता है।

### विदेशी पूंजी के खतरे

विदेशी पूंजी से उत्पन्न होने वाले प्रमुख खतरे निम्न हैं—

(1) देश की सुरक्षा का खतरा—विदेशी पूंजी पर निर्भर रहना सुरक्षा को खतरे उत्पन्न करता है क्योंकि संकटकालीन परिस्थितियों में, जब देश को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, उस समय विदेशी पूंजीपति अपनी पूंजी को रक्षा के लिए उसे विदेशों के वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। यदि यह पूंजी सुरक्षा एवं प्राप्यारमृत उद्योगों में विनिर्माणित है तो स्थिति और भी अधिक गंभीर हो जाती है।

(2) परेल पूंजी को खतरा—प्रविकसित राष्ट्रों का पूंजी प्रायः उन्हीं राष्ट्रों से प्राप्त होती है, जिनका प्राथमिक स्तर काफी उच्च होता है। उनसे परेल पूंजी को अर्द्ध खतरा उत्पन्न रहता है और वह विदेशों प्रतिप्रापिता में उतर नहीं पाती।

(3) पक्षपात एवं अंधभावपूर्ण नीति—विदेशी सहयोग से जो प्रायोगिक संस्थाएं स्थापित की जाती हैं, उनमें उच्च पदों पर प्रायः विदेशी व्यक्तियों को ही नियुक्त करके पक्षपात की नीति का पालन किया जाता है जिससे भारतीय प्रविद्यन से बाधित रह जाते हैं।

(4) अधिक मूल्य लेना—प्रद्विकृत राष्ट्रों में पूँजी एवं प्राविधिक ज्ञान का प्रभाव होते में, विकास कार्यक्रमों पर विदेशी पूँजी पर निर्भर रहना पड़ता है तथा विदेशी मशीनों एवं प्राविधिक सेवाओं के लिए अधिक मूल्य वसूल करते हैं, जिससे वस्तुओं के मूल्य अनावश्यक रूप में बढ़ जाते हैं।

(5) पूँजी निर्माण की खतरा—देश को व्याज एवं लाभ के रूप में एक बड़ी धनराशि विदेशों को भुगतान करनी पड़ती है जिससे देश में पूँजी निर्माण की संदेव खतरा उत्पन्न हो जाते हैं और आवश्यकता के समय देश में पूँजी का प्रभाव बना रहता है।

(6) राजनीतिक प्रभुत्व—व्यापार के साथ ध्वजा चलती है, अतः विदेशी पूँजी राजनीतिक प्रभुत्व को उत्पन्न करता है। विश्व के अनेक राष्ट्रों का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि विदेशी पूँजी के आयात ने प्रायिक विकास भले ही दृष्टा हो, परन्तु वह राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से पचबोल हो जाते हैं और इन पर विदेशी शासकों का प्रभुत्व बना रहता है।

(7) दक्षिण का विदेशियों के हाथों में केंद्रिकरण—विदेशी पूँजी में उद्योग विदेशियों के हाथों में केंद्रित हो जाते हैं जो देश के हितों की प्रवृत्तलना करते हुए लाभ की प्राप्ति से उनका संचालन करते हैं तथा घोषण करने के प्रयास करते हैं।

(8) देश का असंतुलित विकास—विदेशी पूँजी प्रायः उन्हीं उद्योगों में विनियोजित की जाती है, जिसमें लाभ मिलने की अधिक सम्भावना हो। इनमें आवश्यक उद्योगों की उपयोग की जाती है, परिणामस्वरूप देश का प्रौद्योगिक विकास असंतुलित ढंग से नहीं हो पाता और आवश्यक उद्योगों का प्रभाव हो जाता है।

### विदेशी पूँजी संयोजी साधनाधियाँ

विदेशी पूँजी का उपयोग करते समय निम्न साधनाधियों का प्रयोग करना चाहिए—

(1) विधि अनुसार उपयोग—विदेशी पूँजी का उपयोग करने देश की विधि के अनुरूप ही करना चाहिए तथा घोषण के प्रति मस्त प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।

(2) बचत को प्रोत्साहन—विदेशी पूँजी को इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाए जिससे देश की प्राथमिक बचत को प्रोत्साहन मिलकर पूँजी का निर्माण सम्भव हो सके। बचत की दर 1973-74 में सकल राष्ट्रीय उत्पादन के रूप में 12.2% थी जिसे 1978-79 में बढ़ाकर 15.4% रखा गया है। सरकारी बचत की दर 1972-73 में 11.2% थी जो 1978-79 में बढ़कर 22.8% होगी।

(3) उचित उपयोग—विदेशी पूँजी का उपयोग देश की आवश्यकताओं के अनुसार ही किया जाना चाहिए तथा लाभ पर न्यूनतम ध्यान दिया जाना चाहिए।

(4) आर्थिक विकास में सहयोग—विदेशी पूँजी प्रायः लाभकारी उद्योगों में ही विनियोजित की जाती है तथा देश की मान पर ध्यान नहीं दिया जाता। अतः प्रायिक विकास को ध्यान में रखकर ही विदेशी पूँजी का उपयोग करना चाहिए।

(5) प्राविधिक सहयोग—विदेशी पूँजी का उपयोग उपभोगता मासुओं एवं प्राविधिक सहयोग के रूप में प्राप्त करने के प्रयास करते चाहिए जिससे उसका उपयोग देश के विकास में सरलता से किया जा सके।

(6) तत्काल लाभ को बचना—विदेशी पूँजी की सहायता से ऐसी योजनाएँ बनाई जानी चाहिए जिससे देश को तत्काल लाभ प्राप्त हो सके तथा अन्य कार्यक्रमों में उनका उपयोग किया जा सके।

(7) श्रमों की वापसी का प्रबंध करना—श्रम लेने के पर्याप्त श्रम व ध्यान दोनों की वापस करने की जिम्मेदारी रहने में उन संबंध में उचित प्रबंध करने के प्रयास करने चाहिए जिससे उत्पादक में श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका न की जा सके।

(8) निर्माण को प्रोत्साहन—जिन राष्ट्रों से विदेशी पूँजी प्राप्त की जाती है, उनको अधिकधिक मात्रा में मान निर्माण किया जाना चाहिए जिससे श्रम के नार को सरलता से कम किया जा सके।



## विदेशी पूजा की सीमाएं

विदेशी पूजा उन राष्ट्रों के विकास में सहायक सिद्ध नहीं होगी, जहां पूजा सोखने की शक्ति का अभाव हो। यह अभाव अनेक कारणों से होता है। इस प्रकार विदेशी पूजा की प्रमुख सीमाएं निम्न हैं—

- (1) मुनिविरचित योजना का अभाव—यदि राष्ट्र में पूर्वनिश्चित योजना का अभाव पाया जाता है तो देश में विदेशी पूजा का पूर्णरूपेण व सही उपयोग संभव न हो सकेगा।
- (2) प्रशिक्षण की कठिनाई—यदि देशी श्रमिकों को प्रशिक्षण देना कठिन हो तो विदेशी पूजा का उपयोग संभव न हो सकेगा।
- (3) परिवहन व संचार का अभाव—देश में परिवहन व संचार के अभाव विद्युत व अन्य जनोपयोगी सेवाओं के अभाव के कारण, विदेशी पूजा को उत्पादक कार्यों में विनियोग करना संभव न हो सकेगा।
- (4) कुशल प्रबंधकों का अभाव—यदि देश में योग्य एवं कुशल प्रबंधकों का अभाव पाया जाय तो विदेशी पूजा का उचित उपयोग संभव न होगा। अविकसित एवं अर्द्धविकसित देशों में प्रायः कुशल प्रबंधकों का अभाव पाया जाता है, जिससे विदेशी पूजा प्राप्त होने पर भी उसका उचित उपयोग संभव नहीं हो सकेगा।
- (5) नवीन प्रणालियां प्रणानने में असमर्थ—देश की सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएँ उत्पादन की नवीन प्रणालियां अपनाने में असमर्थ हो तो विदेशी पूजा का उपयोग संभव न हो सकेगा।

## विदेशी पूजा की हानियां

विदेशी पूजा के उपयोग से देश को अनेक प्रकार की हानियों के होने की संभावना बनी रहती है। यह हानियां निम्न प्रकार हैं—

- (1) घरेलू विनियोजताओं को बाहर करने का भय—ग्रहणित स्वतंत्रता प्रदान करने से यह भय बना रहता है कि कहीं विदेशी विनियोजता स्वदेशी विनियोजताओं को क्षेत्र से बाहर न कर दें और अपना आविष्य जमा लें।
- (2) निर्भरता में वृद्धि—यदि विदेशी पूजा देश के प्रमुख एवं आधारभूत उद्योगों में विनियोजित की जाती है तो देश की अर्थव्यवस्था विदेशी पूजापतियों पर निर्भर हो जाएगी। अतः पूजा उधार देने वाले राष्ट्र के व्यापार चक्र का प्रभाव ऋण लेने वाले राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर भी प्रवश्य पड़ेगा।
- (3) खदानों में केंद्रीयकरण—विदेशी पूजा प्रायः खदानों आदि में ही केंद्रित रही, क्योंकि खानों के उत्पादन को प्रायः निर्यात किया जाता है, जो स्वयं विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। यदि विदेशी पूजा का विनियोग ऐसे उद्योगों में हो, जिसका माल स्वदेशी बाजार में विक्रता हो तो आयात पर निर्भरता कम होकर विदेशी विनिमय की बचत होगी।
- (4) राष्ट्र का शोषण—मूलकाल में विदेशी पूजा ने देश का शोषण किया तथा प्राप्त लाभों को विदेशों में भेज दिया जाता था। प्रायः विदेशी पूजा का विनियोग ऐसे उद्योगों में किया जाता है जिससे कच्ची सामग्रियों का उत्पादन बढ़े और उसे विदेशी राष्ट्रों के उद्योगों के लिए निर्यात किया जा सके। विदेशी पूजा ने देश के सतुलित विकास को हतोत्साहित किया क्योंकि उद्योग प्रायः विदेशी विनियोजताओं के हाथों में रहे तथा स्वदेशी पूजापति खाद्यान्न व कच्ची सामग्रियों के उत्पादन में ही लगे रहे।
- (5) बुरा अनुभव—मूलकाल में विदेशी पूजा का अनुभव सराब रहा है और उससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यदि स्वदेशी सरकार विदेशी पूजा को नियंत्रित ढंग से आमंत्रित करे तो बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है।

(6) निर्वातक उद्योगों में विनियोग—विदेशी पूजा प्रायः निर्वातक उद्योगों में ही विनियोग होती है क्योंकि अविकसित राष्ट्रों में प्रायः प्रातरिक परिवहन के साधनों का अभाव पाया जाता है। विदेशी शासक भी प्रातरिक परिवहन के विकास पर कोई ध्यान नहीं देते तथा बंदरगाहों एवं व्यापारिक केंद्रों के विकास तक ही सीमित रहते हैं।

(7) प्रवर्धन का प्रभाव—विदेशी पूँजी देश के सर्वाधिक लाभदायक कार्यों में विनियोग होने से स्वदेशी पूँजीपति को पूँजी के विनियोजन के प्रवर्धन प्राप्त नहीं हो पाते और वह अपनी पूँजी को उपयोगी कार्यों में विनियोजित नहीं कर पाता ।

(8) राजनीति में हस्तक्षेप—विदेशी पूँजी प्रायः देश की राजनीति में हस्तक्षेप करती है । यह भी संभव हो सकता है कि विदेशी विनियोजक राजनीतिक पार्टियों को वित्तीय सहायता देकर अपने हितों की रक्षा करें । प्रायः व्यापार के साथ-साथ ध्वजा भी धाती है तथा राजनीति के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाता है ।

(9) घरेलू माँग की प्रवर्धन—विदेशी पूँजी का उपयोग प्रायः घरेलू माँग की पूर्ति हेतु न किया जाकर विदेशी हित में किया जाता है । विदेशी पूँजी का विनियोजन लघु व छोटे उद्योगों में नहीं किया जाता, जिससे राष्ट्र के हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है ।

(10) भेदभावपूर्ण व्यवहार—विदेशी पूँजीपति भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं तथा देश के श्रमिकों व अन्य योग्य व्यक्तियों को अपने राष्ट्र के लाभार्थ ही उपयोग करते हैं । देश के व्यक्तियों को ऊँचे प्रदासिनिक कार्यों से दूर रखा जाता है जो महत्वपूर्ण एवं हानिकारक है ।


(11) लाभ की ऊँची दर—विदेशी पूँजी प्रायः उन्हीं उद्योगों में विनियोजित की जाती है, जिनमें लाभ की दर काफी ऊँची होती है । इससे उत्पादन लागत केवल बढ़ जाती है और वस्तुओं के मूल्य बढ़कर देश के नागरिकों को हानि सहन करनी पड़ती है ।

### विदेशी पूँजी के प्रकार

विदेशी पूँजी को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है—(1) व्यक्तिगत विदेशी विनियोग, (2) शासकीय विदेशी विनियोग, (3) अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से ऋण, एवं (4) व्यापार शर्तों में सुधार ।

विभिन्न प्रकार से विदेशी पूँजी प्राप्त करके देश के विकास में उपयोग किया जा सकता है । सार्वजनिक सहायता के रूप में जर्मनी ने काफी योगदान दिया है । इस राशि में 11% वाषिर्क से वृद्धि हुई है । अनुमान है कि 1980 तक सार्वजनिक सहायता की मात्रा सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 0.7% होगी । इसके अतिरिक्त भविष्य में पूँजी की प्रवृत्ति ५० जर्मनी द्वारा तकनीकी सहायता अधिक मात्रा में दी जाएगी । इस नीति के आधार पर ५० जर्मनी के विशेषज्ञ विकासशील राष्ट्रों में 1975 तक दुगुने हो गए ।

विदेशी पूँजी के प्रकार को निम्न चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है—



### सरकारी नीति

स्वतंत्रता के पश्चात् देश की औद्योगिक नीति 1948 में घोषित करते समय विदेशी पूँजी की उपयोगिता को स्वीकार किया गया । परंतु इस नीति में स्पष्टतया यह घोषित किया गया कि जिन उद्योगों में विदेशी पूँजी विनियोजित होगी उन पर स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीयों का ही रहना औद्योगिक नीति की घोषणा करते समय सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की, जिससे विदेशी पूँजी के प्रागमन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और विदेशी पूँजी हतासाहित हो गई, फलस्वरूप योजनाओं को कार्यान्वित करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा । पण: मार्च 1949 में सरकार ने विदेशी पूँजी के सबन्ध में अपनी नीति घोषित करते हुए निम्न प्रावधान दिए—

(1) भेदभाव का अभाव—सरकार ने स्पष्ट किया कि देशी एव विदेशी पूँजी में कोई भेदभाव नहीं किया

जाएगा और विदेशी पूँजी को समान सुविधाएं दी जाएंगी।

(ii) हानिपूर्ति—यदि सरकार किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की योजना बनाती है तो उस समय उचित हानिपूर्ति करके ही सरकार ऐसे उद्योगों को अपने स्वामित्व में ले सकेगी।

(iii) लाभ ले जाने की सुविधा—विदेशी पूँजी के विनियोजन से जो लाभ अर्जित किए जाएंगे, उसे विदेशों में ले जाने की सुविधाएं दी जाएंगी, बसंत देव में पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय उपलब्ध हो तथा ऐसा करने से देश की प्रत्येक वस्तु पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस नीति को सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना का एक अंग मान लिया और देश के विकास में विदेशी पूँजी का स्वागत किया गया। योजनाओं में देश की आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए विदेशों से पूँजीगत सामान, विशेषज्ञ एवं विदेशी तकनीकी शक्ति का आयात करके लाभ प्राप्त किए गए तथा देश के आर्थिक विकास के प्रयास किए गए।

2 जून, 1950 को सरकार ने घोषित किया कि विदेशी अपनी पूँजी को विदेश ले जा सकेंगे एवं लाभ व विनियोग की मात्रा को पुनः विनियोग या अपने देश में वापस ले जा सकेंगे। विदेशी पूँजी को देश में विनियोग करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जाएगा—

(i) विदेशी पूँजी का विनियोग केवल उन्हीं उद्योगों में किया जाय जिसमें पूँजी व तकनीकी ज्ञान का अभाव है।

(ii) विदेशी पूँजी को निर्माण कार्यों में ही विनियोजित किया जाय।

(iii) ऐसी पूँजी के उपयोग से विदेशी मुद्रा की बचत होनी चाहिए।

(iv) विदेशी पूँजी से उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए।

पाँचवी योजना के अंत तक विदेशी निर्भरता को घटाकर शून्य रखा गया है जिससे देश से ही वित्तीय साधनों की पूर्ति संभव हो सके।

## विनियोजन सिद्धांत

विदेशी पूँजी का विनियोजन करते समय निम्न सिद्धांतों का पालन करना होगा—

(1) व्यापार संतुलन पक्ष में—विदेशी पूँजी के विनियोग से निर्यात में वृद्धि एवं आयात में कमी होकर व्यापार संतुलन पक्ष में होना चाहिए।

(2) भारतीयों को प्रशिक्षण—विदेशी पूँजी का विनियोग ऐसे उपक्रमों में किया जाना चाहिए, जिससे भारतीयों को प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

(3) आर्थिक कल्याण में वृद्धि—विदेशी पूँजी का उपयोग ऐसे उद्योगों में हो, जिससे देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो तथा तकनीकी व प्राविधिक ज्ञान का विस्तार हो सके।

(4) सुरक्षा व आधारभूत उद्योग—विदेशी पूँजी का विनियोजन देश के सुरक्षा व आधारभूत उद्योगों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा को खतरा बना रहता है।

(5) नियंत्रण—विदेशी पूँजी जिन उपक्रमों में विनियोजित की जाए, उन पर भारतीयों का ही पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, जिससे विकास देश के अनुरूप किया जा सके।

(6) उत्पादन कार्यों में विनियोग—विदेशी पूँजी का उपयोग उत्पादन कार्यों में ही करना चाहिए तथा बैंकिंग व वित्तीय प्रकृति के उपक्रमों में खनक विनियोग नहीं होना चाहिए।

(7) संयुक्त समझौते—विदेशी पूँजी को भारतीय एवं विदेशी पूँजीपतियों के संयुक्त समझौते के आधार पर ही प्रोत्साहित करना चाहिए।

(8) उत्पादकता में वृद्धि—जिस उद्योग में विदेशी पूँजी का उपयोग किया जाए उसकी उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए।

## विदेशी पूंजी के लक्षण

विदेशी पूंजी प्राप्त करने एवं उपयोग करने से निम्न लक्षण दिखाई देते हैं—

- (i) ऋण में वृद्धि व ऋणवान् में ऊँची—विकसित राष्ट्रों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में ऋणदान की अपेक्षा ऋण में अधिक वृद्धि हुई है जिससे निर्धन राष्ट्रों में ऋणभार व ब्याज भार में वृद्धि हो गई है।
- (ii) राष्ट्रीय आय में वृद्धि—विदेशी सहायता देने से विकसित राष्ट्रों को राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है।
- (iii) धार्मिक सहायता में कमी—पेड़विकसित राष्ट्रों को दी जाने वाली धार्मिक सहायता की राशि में कमी हुई है और यह सहायता विकसित राष्ट्रों की कुल संपत्ति व राष्ट्रीय आय के 1% से भी कम है। ऋणवान् लगाना नग्रा है कि भविष्य में इस सहायता में और कमी होने की संभावना है।

## भारत में विदेशी पूंजी की वर्तमान स्थिति

वर्तमान समय में भारत को विदेशों से पर्याप्त मात्रा में विनियोग के रूप में घन प्राप्त हो रहा है। विश्व के औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा गिरावट के पश्चात् द्वितीय स्थान विदेशों में विनियोग को दिया जाता है। विदेशी विनियोग की मात्रा 7 बड़े औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा 1200 करोड़ रुपये से बढ़कर 50,200 करोड़ रुपये तक है। जापान ने 1200 करोड़ रुपये व अमरीका ने 50,200 करोड़ रुपये का विनियोग विश्व के राष्ट्रों में किया है। विश्व में विदेशी विनियोग को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

## विश्व में विदेशी विनियोग

(करोड़ रुपये में)

1. जापान	1,200
2. नीदरलैंड	1,900
3. जर्मनी	2,900
4. स्विट्जरलैंड	3,500
5. फ्रांस	24,000
6. ग्रेटब्रिटेन	11,100
7. स० रा० अमरीका	50,200

विदेशी पूंजी जो सार्वजनिक क्षेत्र में प्राप्त हुई, उसका उपयोग मुख्यतया धार्मिक अद्यतनरचना (Economic Infra-structure) के निर्माण में किया गया, जिसमें परिवहन, सबहन, बंदरगाहों का विकास, विद्युत योजनाएं आदि सम्मिलित की जाती हैं। निजी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी साधनों का उपयोग उत्पादक उद्योगों एवं व्यापार आदि के विनियोग में किया गया।

## गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी पूंजी

स्वतंत्रता से पूर्व निजी विदेशी विनियोग का उपयोग रेलों के विकास, अन्य जनोपयोगी सेवाएं, नगीया उद्योग, खान एवं उत्पादक उद्योगों आदि में किया जाता रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध तक निजी विदेशी विनियोग की मात्रा 9500 मि० रुपये मात्र की गई। 1948 में कुल विदेशी व्यापार में विनियोग की राशि 2558 मि० रुपये थी जिसका 4/5 भाग प्रत्यक्ष विनियोग के रूप में था। 1948 व 1959 की अवधि में विदेशी व्यापारिक विनियोग में 2550 मि० रुपये से वृद्धि हुई।

थी ए० के० केनक्रॉस (A. K. Cairncross) के अनुसार 1870 व 1914 के मध्य ब्रिटेन की पूंजी के निर्यात की मात्रा 2400 मि० थी, जबकि ब्याज साधारण, अधिकार शुल्क आदि के रूप में आय का प्रायः


4100 मि० पौंड था। इसके विपरीत प्रमरीका की पूँजी का निर्यात अधिक परंतु आयात नगण्य रहा है। समुक्त राष्ट्र वाणिज्य विभाग के अनुसार, 1950-1961 की अवधि में प्रमरीकन निगम की विदेशी सपनि 11,800 मि० डालर में बढ़कर 34,700 मि० डालर घर्षात् 22,900 मि० डालर से वृद्धि हुई। इसी अवधि में प्रमरीका के बाहर जाने वाले शुद्ध विनियोग की मात्रा 13,700 मि० डालर थी, परंतु इसे प्रत्यक्ष विनियोग के रूप में 23,200 मि० डालर की मात्रा प्राप्त हुई। अन्य घटकों में समुक्त राष्ट्र ने प्रत्यक्ष राष्ट्रों से 9500 मि० डालर की मात्रा अधिक प्राप्त की और उसकी विदेशी सपतियों के मूल्य में 22,500 मि० डालर से वृद्धि हुई। वर्तमान समय में निजी विदेशी विनियोग के स्थान पर विदेशी ऋणों की प्रच्छा समन्ध जाने लगी है।

### सरकारी क्षेत्र में विदेशी पूँजी

1950 के पश्चात् सरकारी क्षेत्र में विदेशी पूँजी का प्रागमन नियोजित विकास के साथ-साथ रहा और योजना में विदेशी विनियम आवदयकताओं की पूर्ति में इसका उपयोग किया गया। सरकारी क्षेत्र में विदेशी दायित्व 1955 में 2008 मि० रुपये था जो 1959 में बढ़कर 9466 मि० रुपये ब माचं 1974 तक 17,058 करोड़ रुपये थी, जिसमें से आंतरिक ऋण 11,228 करोड़ रुपये (65%) व बाह्य ऋण 5,830 करोड़ रुपये (35%) था। यह ऋण कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 37% था। सरकार का कुल दायित्व 1975 तक 24,851 करोड़ रुपये था जबकि 1974 में यह राशि 22,969 करोड़ रुपये थी। आंतरिक ऋणों में से 85% भाग व्यापारिक बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा प्रॉवीडेंट फंड से प्राप्त हुआ। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ ने औद्योगिक आयात के लिए 75 मि० डालर का ऋण स्वीकार किया है जो ऐसी संस्थाओं को प्राप्त होगा जहाँ पर 1.6 लाख व्यक्ति रोजगार पाते हैं और जहाँ 1 बिलियन डालर का माल उत्पादित होता है। कनाडा से भी व्यापाररहित 11.8 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है जो भारत के लिए 5वां ऋण है। कनाडा से प्राप्त कुल ऋण की मात्रा 43.2 करोड़ रुपये है। भारत में कुल विदेशी विनियोग की मात्रा 1967 तक 1137 करोड़ रुपये थी जिसमें ब्रिटेन का स्थान सर्वप्रथम (56%) था। 1967 के बाद ऋण की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती गई और 1974 तक यह मात्रा बढ़कर 6,824 करोड़ रुपये हो गई।

### विदेशी सहायता

- भारत को प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता को निम्न भागों में रखा जा सकता है— (i) ऋण (Loan)  
 (ii) अनुदान (Grants) (iii) प्रमरीकन लोक प्रविनियम सहायता (American Public Law Assistance)  
 विदेशी सहायता के रूप को निम्न प्रकार रख सकते हैं—



### पंचवर्षीय योजनाओं में विदेशी सहायता (Foreign Aid in Five-year Plans)

#### प्रथम योजना

इस योजनाकाल में 377.68 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि स्वीकृत की गई, परंतु 188 करोड़ रुपये ही उपयोग किए जा सके तथा शेष राशि को द्वितीय योजना के लिए सुरक्षित रख दिया गया। इस योजनाकाल में कुल अधिकरण राशि 2964 मि० रुपये थी जिसमें से 1,881 मि० रुपये का उपयोग किया गया और 1,080 मि० रुपये का

उपयोग न हो सका, जिसे धार्य ले जाया गया। विदेशी सहायता की राशि को निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है—

### प्राप्त व उपयोग की गई राशि

(मिलियन रुपये में)

विवरण	प्राप्त की गई राशि	उपयोग की गई राशि
1. ऋण	1,421	1,024
2. सहायता (कोलम्बो योजना से)	518	275
3. भारत संयुक्त राष्ट्र सहायता कार्यक्रम	1,025	582
कुल योग	2,964	1,881

(Source : First Plan : Planning Commission, Govt. of India, New Delhi, May, 1957, p. 30.)

### द्वितीय योजना

इस योजनाकाल में 800 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु इससे अधिक धन प्राप्त हुआ और कुल 1,090 करोड़ रुपये विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें प्रथम योजना की वह राशि भी सम्मिलित है जो प्रथम योजना में उपयोग न की जा सकी। यह राशि कुल व्यय की 24% भाग थी। योजना में 76% भाग का वित्त प्रबंध औद्योगिक साधनों से ही किया गया।

इस योजना में विदेशी सहायता एवं विदेशी ऋण आदि के रूप में 27,615 मि० रुपये प्राप्त होने थे, परंतु इसमें से 14,664 मि० रुपये का ही उपयोग किया गया और 12,951 मि० रुपये का उपयोग संभव न हो सका। प्रथम योजना में 1,960 करोड़ रुपये व्यय हुए थे जिसमें 188 करोड़ रुपये का ही उपयोग संभव हो सका था। द्वितीय योजना 4,800 करोड़ रुपये की बनायी गयी, जबकि वास्तविक व्यय 4,600 करोड़ रुपये ही हुआ। इस काल में अनुमान थे अधिक राशि विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त हुई।

प्रथम योजना में कुल व्यय का 9% भाग विदेशी सहायता व ऋण के रूप में मिला, जबकि द्वितीय योजना में यह प्रतिशत बढ़कर 32% हो गया। यह बढ़ता हुआ प्रतिशत दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता।


### तृतीय योजना

इस योजना में 2,200 करोड़ रुपये विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त होने थे, परंतु वास्तव में 2,455 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। द्वितीय योजना के अंत तक के 10 वर्षों की अवधि में 1,278 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और तृतीय योजना के अंत तक 3,733 करोड़ रुपये विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त हुए थे। इस प्रकार प्रथम योजना में कुल व्यय का 10%, द्वितीय योजना में 24%, व तृतीय योजना में 33% भाग विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त हुए। आर्थिक क्षेत्र में इस योजना में 7,500 करोड़ रुपये व्यय करने थे, जिसमें से 6,025 मि० डालर विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त होने थे, परंतु वास्तव में 4,884 मि० डालर ही प्राप्त हो सके।

### चतुर्थ योजना

इस योजनाकाल में 4,700 करोड़ रुपये विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया, जिनमें से 480 की सहायता भी सम्मिलित है। बाह्य सहायता के रूप में 3,760 करोड़ रुपये प्राप्त होने की

भारत के सार्वजनिक ऋण की स्थिति को निम्न चित्र द्वारा भी दिखाया जा सकता है—



1950-51 में बाह्य ऋण 32 करोड़ रु० से जो 1974-75 में बढ़कर 6,382 करोड़ रु० हो गया। इसी प्रकार से सार्वजनिक ऋण 1950-51 में 2,022 करोड़ रु० से बढ़कर 1974-75 में 12,030 करोड़ रु० हो गया। प्रारंभ में बाह्य ऋण सीमित मात्रा में रहते थे तथा देश के विकास के लिए सार्वजनिक ऋणों पर ही निर्भर रहते थे। पंचम योजना में विदेशी ऋणों पर निर्भरता में कमी होगी।

### विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करने के उपाय

चीनी व पाकिस्तानी आक्रमण ने हमारी छात्रों को खोले हैं, क्योंकि आक्रमण के समय विदेशी राष्ट्रों ने फौजी सहायता देना कम या उदर कर दिया। अतः यह अनुभव किया गया कि विदेशी सहायता पर निर्भर रहकर देश का विकास संभव नहीं हो सकेगा। परंतु ताशकंद ममनोते से यह विश्वास होने लगा कि आवश्यक व विदेश के राष्ट्रों के विकास के लिए अधिक उन्माह से सहायता प्रदान करेंगे। फिर भी देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना ही है। विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी करने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं—

(1) मितव्ययता—योजना के समस्त कार्यों को मितव्ययता से करना चाहिए जिससे सीमित धन का सदुपयोग किया जा सके।

(2) बचत का अधिकतम उपयोग—देश में बचत करने की भावना को बढ़ाकर परेन पूंजी निर्माण में वृद्धि करके उसका अधिकतम उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जाना चाहिए, जिससे विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम हो सके।

(3) निजी क्षेत्र में मितव्ययता—देश में निजी क्षेत्र में भी मितव्ययता से काम लेना चाहिए जिससे विदेशी सहायता पर निर्भर न रह सके।

—(4) साधनों को गतिशील बनाना—देश के समस्त प्राथमिक साधनों को गतिशील बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए तथा नवीन साधनों को खोज करने के सकल उपाय अपनाए जाएं।

(5) कर व बचत प्रणालियों में परिवर्तन—देश की परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर कर लगाने एवं बचत करने की प्रणालियों में भी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन कर देना चाहिए।

(6) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वृद्धि—विद्वेष मात्र दो गुटों में बंट रहा है। परन्तु भारत किसी भी गुट में सम्मिलित न होकर विद्वेष के सभी राष्ट्रों के साथ अच्छे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने के प्रयास करने में सफल रहे।

(7) विकास कार्यों पर महत्त्व—देश की राष्ट्रीय सरकार द्वारा विकास कार्यों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए तथा विकास का समय-समय पर मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए।

(8) औद्योगिक निर्यात नीति—विदेशी विनिमय की समस्या के समाधान के लिए देश में दीर्घकालीन नीति का निर्माण करना आवश्यक है। इस नीति की सहायता से निर्यात में वृद्धि एवं आयात में कमी करने के प्रयास किए जान चाहिए। देश से परंपरागत निर्यात के साथ-साथ गैर-परंपरागत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। निर्यात वृद्धि के लिए निम्न उपायों को अपनाना होगा—

(i) बाजार विस्तार—विदेशी बाजारों के विस्तार की ओर ध्यान देना चाहिए जिससे माल सरलता से निर्यात किया जा सके।

(ii) नवीन प्रवृत्तियों—निर्यात में नवीन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(iii) आर्थिक सहायता—निर्यातकों को आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करना चाहिए।

(iv) बेकिंग व अन्य सुविधाएँ—निर्यातकों की जहान, बीमा व बेकिंग संबंधी सुविधाएँ देने के प्रयास करने चाहिए।

(v) गैर-परंपरागत वस्तुएँ—देश से परंपरागत वस्तुओं के प्रतिरिक्त गैर-परंपरागत वस्तुओं के निर्यात पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

(vi) अनुभव व ज्ञान—निर्यात व्यापार उन व्यापारियों को सौंप दिया जाए, जिन्हें अच्छा अनुभव व ज्ञान प्राप्त हो।

(vii) सांस्कृतिक संबंधों में वृद्धि—विद्वेष के अधिकांश राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक संबंधों में वृद्धि करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(viii) लाभप्रद व्यवसाय—निर्यात को एक लाभप्रद व्यापार बनाना चाहिए, जिससे अधिकारिक व्यापारी इस व्यापार की ओर आकर्षित हो सकें।



## भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं की वित्त-व्यवस्था


(Financing the Indian Five-year Plans)

### प्रारंभिक

1947 से पूर्व भारत संघों के अधीन होने पर भी उस समय देश में महान अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने देश की प्रगति के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण किया। इन योजनाओं में सर विन्सेन्ट स्टर्लिंग की योजना 1934; बंबई योजना 1944; कन-योजना 1944; चांदीवादी योजना 1944; प्रमुख थीं। ये योजनाएं मांग के स्तर को पूर्ण व इन सभी कोर अंतर्गत रही। स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक योजनाएं बनाई गयीं जैसे उद्योग योजना 1950, कोयला योजना 1950, आदि।

15 मार्च, 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गयी। इसकी स्थापना से देश में वास्तविक नियोजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तथा योजनाओं को उद्योगों में देरी-गार में कमी, उत्पादन में वृद्धि, भाव व दान की अवनतताओं को दूर करने के प्रयास किए गए। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधान मंत्री होता है। वर्तमान समय में श्रीमती इन्दिरा गांधी इसकी अध्यक्ष हैं। अब तक भारत में चार पंचवर्षीय योजनाएं एवं तीन एकवर्षीय योजनाएं अन्तर्गत कार्य कर चुकी हैं तथा पंचम योजना को 1 अप्रैल, 1974 से प्रारंभ कर दी गयी है, किन्तु 1974-75 का अपना प्रथम वर्ष पूर्ण कर लेने के बाद 1975-76 में द्वितीय वर्ष पूरा किया है।

### पंचवर्षीय योजनाओं की वित्त-व्यवस्था



### प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56

(First Five Year-Plan 1951-56)

नवम एकवर्षीय योजना का निर्माण व प्रारंभ 1 अप्रैल, 1951 से हुआ। इसकी अवधि 1951 से 1956 तक

एही। प्रारंभ में इस योजना पर 2,069 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान था, परंतु बाद में यह राशि बढ़ाकर 2,356 करोड़ रुपये कर दी गयी। इस योजना का वास्तविक व्यय 1960 करोड़ रुपये हुआ।

योजना के उद्देश्य—इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे—

(i) देश में युद्ध व विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न असंतुलन को ठीक करना।

(ii) योजना में प्रत्येक क्षेत्र के संतुलित आर्थिक विकास को नज़र दिया गया और उसके लिए जीवन-स्तर में वृद्धि, राष्ट्रीय भाव में वृद्धि एवं भयंकरव्यवस्था में विकास लाना था।

(iii) देश में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का अधिकतम उपयोग करना।

(iv) देश में भ्रष्ट, संपत्ति एवं प्रवृत्तियों की प्रसमानता को दूर करना।

व्यय कार्यक्रम—प्रथम योजना 2378 करोड़ रुपये की थी जिसमें से 1,960 करोड़ रुपये ही व्यय हो सके।

व्यय व्यवस्था निम्न प्रकार थी—

प्रथम योजना में व्यय कार्यक्रम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	प्रस्तावित राशि		संचयित राशि		वास्तविक राशि	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1. सिंचाई व शक्ति	585	29.1	647	27.2	570	29
2. परिवहन व संवहन	532	26.4	571	24.0	523	27
3. सामाजिक सेवाएँ	423	21.0	532	22.4	—	—
4. कृषि व सामुदायिक विकास	299	14.8	354	14.9	291	15
5. उद्योग व खाने	100	5.0	188	7.9	74	4
6. विविध	74	3.7	86	3.6	459	23
7. ग्रामीण व तक्षु उद्योग	—	—	—	—	43	2
योग	2,013	100.0	2,378	100	1,960	100

वित्त व्यवस्था—योजना में 2,378 करोड़ रुपये के स्थान पर 1960 करोड़ रुपये ही वास्तव में व्यय किए गए थे जिसकी वित्त व्यवस्था निम्न प्रकार रही—

प्रथम योजना में वित्त-व्यवस्था

(करोड़ रुपये में)

धन्य का साधन	राशि	प्रतिशत
1. करपौनज एवं रेतने बचत	752	38
2. धन्य बचत एवं धन्य ऋण	304	16
3. बाजार से ऋण	205	10
4. बाह्य सहायता	188	10
5. धन्य पूंजीगत प्राप्तिजा	91	5
6. हीनार्थ प्रबंधन	420	21
योग	1,960	100

योजना के प्रथम प्रबंधन साधनों को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है—

(1) कपासोद्योग—गोबता में करों से 175 करोड़ रुपये प्राप्त हुए तथा रेशमों से 115 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि 170 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना थी। राज्य सरकारों से 269 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि प्रावधान 410 करोड़ रुपये का रखा गया था। इसी प्रकार राज्य सरकारों से प्रतिरिक्त करों के रूप में 230 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना थी, जबकि 80 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए। मध्य बचत से 237 करोड़ रुपये प्राप्त हुए व 67 करोड़ रुपये अन्य स्रोतों के रूप में प्राप्त हुए। इसी प्रकार पूंजीगत प्रगति 91 करोड़ रुपये व बाजार धन 205 करोड़ रुपये मिले।

(2) विदेशी धारण—गोबताकाल में 296 करोड़ रुपये विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त होने से, परंतु वास्तव में 188 करोड़ रुपये ही प्राप्त हो सके तथा देश 103 करोड़ रुपये प्रथमी योजना के लिए सुरक्षित रखे गए। इन विदेशी धारण का अधिकार उपयोग में लाने एवं विकास कार्यों के लिए किया गया।

(3) हीनार्य प्रबंधन—गोबता में 290 करोड़ रुपये से हीनार्य प्रबंधन करने का प्रावधान था, परंतु वास्तव में 420 करोड़ रुपये से हीनार्य प्रबंधन किया गया, जो कुल धन का 21% भाग था। हीनार्य प्रबंधन का लक्ष्य 60% भाग योजना के अंतर्गत ही बनने में दिया गया, जिसके मूल्यों में वृद्धि हो गई फिर भी देश की प्रत्यक्षवस्था में विधिप उदार-वर्द्धन नहीं प्राप्त।

इस प्रकार गोबताकाल में 17.5% से राष्ट्रीय धन में वृद्धि हुई व प्रति व्यक्ति धन में यह वृद्धि 10.5% थी, जबकि दरम्यान स्तर में 8% से ही वृद्धि हो सकी।

### द्वितीय पंचवर्षीय योजना (Second Five-year Plan)

यह योजना 1 अप्रैल, 1956 से 1961 तक की अवधि के लिए बनायी गयी थी जिसमें धन्य की राशि को दुगुना कर दिया गया। यह योजना प्रथम महत्वाकांक्षी की त्रिजुं में प्राथमिक उद्योगों के विकास को अधिक महत्व दिया गया। 1955 में नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ सांख्यिकी धर्मों की अधिक विस्तृत बताया गया। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना की ओर अधिक ध्यान दिया गया।

#### योजना के उद्देश्य

योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे—

- (i) राष्ट्रीय धन में 5% वार्षिक से वृद्धि करना, जिससे जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना या सके।
- (ii) देश में शीघ्र प्रति से औद्योगिकरण करना तथा भारी व प्राथमिक उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देना।
- (iii) बेरोजगारी को कम करना और हल करने के लिए देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।
- (iv) देश में भाग एवं संगति की विषयता को दूर करना तथा प्राथमिक शक्तियों का अधिक विस्तृत करना।

#### धन एवं वित्तियोग वृद्धि

योजना प्रायोग ने धन एवं वित्तियोग में वृद्धि करने की योजना का निर्माण किया जिसे निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

घाय व विनियोग वृद्धि 1951-56 से 1971-76 तक

(1952-53 मूल्यों पर)

विवरण	पंचवर्षीय योजनाएँ				पंचम
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	
1. राष्ट्रीय घाय ( करोड़ रु० में )	10,800	13,480	17,260	21,680	27,270
2. कुल विनियोग करोड़ रु० में )	3,100	6,200	9,900	14,800	20,700
3. विनियोग (राष्ट्रीय घाय का प्रतिशत)	7.3	10.7	13.7	16.0	17.0
4. जनसंख्या (करोड़ में)	38.4	40.8	43.4	46.5	50.0
5. पूँजी-उत्पाद-अनुपात	18.1	23.1	26.1	34.1	37.1
6. प्रति व्यक्ति घाय (रु० में)	281	331	396	446	546

(Source : Second Five-Year Plan, 1956, Summary, p. 5.)

योजना में प्राथमिकताएँ

द्वितीय योजना काल में उद्योगों व खनिज पर अधिक महत्व दिया गया जो कुल व्यय का 18.5% भाग था। उद्योगों पर अधिक महत्व देने के प्रमुख कारण निम्न थे—

- कृषि पर प्रथम योजना में महत्व दिया जा चुका था, अतः उद्योगों पर महत्व देना आवश्यक समझा गया।
- निमित्त उद्योगों की समस्या जो प्रथम योजनाकाल में थी उस पर ध्यान देना आवश्यक था।
- देश के सतृलित आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण करना आवश्यक था।
- प्रति व्यक्ति एवं राष्ट्रीय घाय में वृद्धि करने के लिए उद्योगों का विकास करना आवश्यक था।

योजना में व्यय

कुल 7,200 करोड़ रु० व्यय करने में (4800 सार्वजनिक क्षेत्र एवं 2400 निजी क्षेत्र), परन्तु वास्तविक व्यय सार्वजनिक क्षेत्र में 4,600 करोड़ रु० जिस निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

द्वितीय योजना की व्यय राशि

(करोड़ रुपये में)

महें	प्रथम योजना		द्वितीय योजना			
	कुल व्यय	प्रतिशत	प्रस्तावित व्यय		वास्तविक व्यय	
			कुल व्यय	प्रतिशत	कुल व्यय	प्रतिशत
1. कृषि व सामुदायिक विकास	357	15.1	568	11.8	530	11.0
2. सिंचाई व विद्युत	661	28.1	913	19.0	865	19.0
3. उद्योग व खनिज	179	7.6	890	18.5	1,075	24.0
4. परिवहन व संवहन	557	23.3	1,385	28.5	1,300	28.0
5. सामाजिक सेवाएँ	533	22.6	945	19.7	830	18.0
6. विविध	69	3.0	99	2.1	—	—
योग	2,356	100	4,800	100	4,600	100

(Source : Second Five-year Plan, Govt. of India, Planning Commission, 1956, p. 21.)

इस योजना में उद्योग व खनिज पर 24%, परिवहन व संबन्धन पर 28% व कृषि पर 11% भाग दिया गया।

### योजना को वित्तीय व्यवस्था

सार्वजनिक क्षेत्र में योजना की वित्तीय व्यवस्था निम्न प्रकार थी—

#### सार्वजनिक क्षेत्र में वित्तीय व्यवस्था

(करोड़ रुपये में)

साधन	प्रस्तावित राशि	वास्तविक राशि
1. बालू बागम से षेप	350	-50
2. रेलवे भण्डारण	150	150
3. जनता से षेप	700	760
4. लघु बचत	500	400
5. प्रॉवीडेंट फंड, इन्सुरेंस फंड व विविध पुर्बोधित प्राप्ति	250	230
6. प्रतिरिक्त कर्पोरेट	450	1,052
7. बालू सहायता	800	1,090
8. हीनार्य प्रबंधन	1,200	948
<b>योग</b>	<b>4,800</b>	<b>4,600</b>

(Source : Third Five-year Plan, Govt. of India, Planning Commission, p. 95.)

योजना के वित्तीय साधनों को निम्न प्रकार सम्पन्न किया जा सकता है—

(1) बचत व्यवस्था—वर्तमान कर्पोरेट से 350 करोड़ रुपये व प्रतिरिक्त कर्पोरेट से 450 करोड़ रुपये प्राप्त होने से, परंतु वास्तव में 1,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो राष्ट्रीय भाग का 3% था। जनता से षेप व लघु बचत के रूप में 1,200 करोड़ रुपये प्राप्त होने से, परंतु वास्तव में 1,180 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए। इसके प्रतिरिक्त रेलवे से 150 करोड़ रुपये एवं प्रॉवीडेंट फंड से 250 करोड़ रुपये प्राप्त होने से, परंतु फंड से वास्तव में 230 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए।

(2) विदेशी सहायता—इस योजना में 800 करोड़ रुपये विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त होने की संभावना थी, परंतु वास्तव में प्रायः से अधिक राशि मिली, जो 1090 करोड़ रुपये थी। प्रथम योजना की बची हुई राशि को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया।

(3) घाटे की वित्त-व्यवस्था—इस योजना में 1,200 करोड़ रुपये से हीनार्य प्रबंधन करना या विकसित किए 1,000 करोड़ रुपये प्रतिरिक्त नौदों का प्रकाशन करके तथा 200 करोड़ रुपये स्थानिक षेप से प्राप्त करने से। यह राशि कुल वित्तीय व्यवस्था का 25% था, जबकि प्रथम योजना में यह प्रतिशत 21% था। वास्तविक हीनार्य प्रबंधन 948 करोड़ रुपये से हुआ।

### वित्तीय संकट के कारण

द्वितीय योजना में धनिक वित्तीय संकट उत्पन्न हुए विकसित प्रमुख कारण निम्न थे—

(1) धन लागत में वृद्धि—देश में धन लागतों में वृद्धि होने से योजना की लागत में 20% से वृद्धि होने की संभावना थी।

(2) बिना में परिवर्तन—जो माधन योजना कार्य के लिए प्रयोग किए जाने थे, उन्हें कारणवश यात्रना के बाहर विक्रामात्मक कार्यों की धोर मोड़ना पड़ा जिसमें योजना में संकट उत्पन्न हो गया।

(3) हस्तांतरण—राज्यों को 160 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने में योजना में वित्तीय घर्षणुत्पन्न उत्पन्न हो गया।

(4) साधनों व मांग में घर्षणुत्पन्न—जिन साधनों का अनुमान लगाया जा रहा था वे उपलब्ध नहीं हो रहे थे जिसमें साधनों एवं मांग में घर्षणुत्पन्न बढ़ रहा था।

(5) पूंजीगत वस्तु के मूल्य में वृद्धि—विदेशों में प्राप्त होने वाली पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही थी जिसमें साधनों का अभाव होने का अनुमान लगाया गया।

संकट दूर करने के उपाय

इस वित्तीय संकट को दूर करने के लिए निम्न मुझाव दिए गए—

(1) अनिश्चित कर—करों को पूर्ण करने के उद्देश्य में योजना प्रायोग में अनिश्चित कर लगाने के मुझाव दिए।

(2) ऋणों व लघु बचत—योजनाकाल में ऋणों व लघु बचत के रूप में अधिकधिक धन प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(3) मितव्ययता—करों को वसूल करने एवं व्ययों में मितव्ययता में काम लेना चाहिए जिससे वित्तीय संकट का सामना किया जा सके।

### तृतीय पंचवर्षीय योजना

(Third Five-year Plan)

यह योजना 1961-66 की अवधि के लिए बनायी गयी थी। योजना में स्वयं स्फूर्ति लाने के प्रयास किए गए तथा विदेशी निर्भरता में कमी लाना आवश्यक समझा गया।

योजना के उद्देश्य

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे—

(1) राष्ट्रीय आय में 5% वार्षिक में वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसी प्रकार विनि-योग व्यवस्था इस प्रकार रखनी थी कि विक्राम की यह गति भविष्य में भी बनी रहे।

(2) योजना में आराम में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया, उसके लिए उत्पादन में वृद्धि करना था, जिसमें उद्योग व निर्यात की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

(3) देश में आघारपूर उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार करना जिसमें भावों प्रोद्योगीकरण की मांग की पूर्ति 10 वर्षों की अवधि में देश के साधनों द्वारा की जा सके।

(4) रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु उपलब्ध मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग करना।

(5) धन व आय की विषमता को दूर करके, आर्थिक अनिश्चयों का समाप्त चितरण करना तथा अवसरों में समानता लाने के प्रयास करना।

प्राथमिकताएं

योजना में प्राथमिकता का क्रम निम्न प्रकार रखा—

(1) योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गयी, जो संपूर्ण व्यय का 14% भाग था।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध मानवीय साधनों का पूर्णरूप में विद्योहन किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न प्रकार के विक्राम कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे तथा सेवा सहकारिता एवं सहकारी कृषि को महत्त्व दिया जाएगा।

(3) देश के तीर्थ आर्थिक विकास के लिए इस्पात, ईंधन, शक्ति व मशीन निर्माण आदि भाषारभूत उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) छोटे एवं बड़े उद्योगों में समन्वय लाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा।

#### योजना में व्यय कार्यक्रम

इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 6,300 करोड़ रुपये एवं निजी क्षेत्र में 4,100 करोड़ रुपये व्यय करने से कुल योजना में 10,400 करोड़ रुपये व्यय करने के अतिरिक्त, 1,200 करोड़ रुपये बालू व्यय के लिए रचे गए। इस योजना के व्यय को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

#### योजना का व्यय कार्यक्रम

(करोड़ रुपये में)

वर्ग	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	प्रतिशत
1. संगठित उद्योग व खनिज	1,520	1,050	2,570	25
2. परिवहन व संबन्ध	1,486	250	1,736	17
3. कृषि व सामुदायिक विकास	660	800	1,460	14
4. विद्युत	1,012	50	1,062	10
5. इंजिनरीज	200	600	800	8
6. सिंचाई	650	—	650	6
7. ग्रामीण व लघु उद्योग	150	275	425	4
8. सामाजिक सेवाएं व विविध	622	1,075	1,696	16
<b>योग</b>	<b>6,300</b>	<b>4,100</b>	<b>10,400</b>	<b>100</b>

(Source : चतुर्थ योजना, पृ० 30।)

#### योजना में श्रम-प्रबंधन

तृतीय योजना की वित्त-व्यवस्था के स्वरूप को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है—

#### योजना के वित्तीय साधन

(करोड़ रुपये में)

साधन	मूल व्यवस्था	संगठित अनुमान
1. कराधान	550	— 470
2. रेतथे प्रदान	100	80
3. सरकारी उपक्रम	450	395
4. जनता से ऋण	800	915
5. धनपत्र	600	585
6. अनिधिक ऋण	265	340
7. परिवार वृद्धि	—	115

8. इस्पात समीकरण निधि	105	35
9. पूंजीगत प्राप्तियाँ	170	150
10. विदेशी सहायता	2,200	2,455
11. अतिरिक्त कराधान	1,710	2,880
12. हीनार्थ प्रबंधन	550	1,150
<b>योग</b>	<b>7,500</b>	<b>8,630</b>

(Source : चौथी पंचवर्षीय योजना—प्रारंभिक रूपरेखा, योजना आयोग, पृ० 58।)

अतिरिक्त करोड़ों से 1,710 करोड़ रुपये की प्रायः होने के अनुमान लगाए गए, जबकि वास्तव में 2,880 करोड़ रुपये का प्रायः प्राप्त हुई। 5 वर्षों की इस अवधि में केंद्रीय व राज्य सरकारों को 1,150 करोड़ रुपये का बजट घाटा रहा। योजना में 2,455 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त हुई।

### प्रथम एकवर्षीय योजना 1966-67

(First One-year Plan 1966-67)

चीन एवं पाकिस्तान के साथ युद्ध होने से प्रतिरक्षा के सामानों में भारमनिर्भरता प्राप्त करना आवश्यक समझा गया। युद्ध के कारण विदेशी सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयाँ आयीं। सूखे के कारण देश में भारी खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने से अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। श्रीमती में निरंतर वृद्धि हुई तथा चतुर्थ योजना के लिए वित्तीय साधनों की एकाग्रता करना कठिन समझा गया। अतः देश के उत्पादन में वृद्धि करने एवं अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाने के उद्देश्य से स्व० प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने यह निर्णय किया कि जब तक देश में आर्थिक स्थायित्व न हो जाए, उस समय तक एकवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1966-67 से पृथक् योजनाएँ निर्माण की गयीं, जिन्हें एकवर्षीय आधार पर बनाया गया और चतुर्थ योजना जो 1 अप्रैल, 1966 से प्रारंभ की जानी थी, उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। एकवर्षीय योजना का निर्माण देश में सूखे की स्थिति एवं युद्ध के खतरे को ध्यान में रखकर किया गया है।

1966-67 की एकवर्षीय योजना में 2,082 करोड़ रुपये व्यय करना निश्चित किया गया, जिसमें से 1,149 करोड़ रुपये केंद्रीय स्तर पर एवं 933 करोड़ रुपये राज्य स्तर पर व्यय करने थे।

### योजना के उद्देश्य

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे—

- (i) तृतीय योजना की कमियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संकटों को दूर करने के प्रयास करना।
- (ii) मासिक विकास के लिए एक उपयुक्त एवं स्थिर मार्ग का निर्धारण करना।
- (iii) मुद्रा स्थैतिक स्थिति को दूर करने के प्रयास करना।
- (iv) वर्तमान कठिनाइयों को दूर करके भावी विकास के लिए स्थिर स्थल का निर्माण करना।

### योजना का व्यय कार्यक्रम

योजना का व्यय कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया गया—

#### व्यय कार्यक्रम

व्यय धर्मे	केंद्र	राज्य	(करोड़ रुपये में)	
			राज्य-शासित	योग
1. उद्योग एवं खदान	476.59	45.72	2.46	524.77
2. परिवहन व संचार	351.89	65.17	11.37	428.43
3. समाज सेवा	147.70	133.49	19.69	300.88
4. सिंचाई एवं शक्ति	54.28	396.25	14.17	464.70
5. कृषि एवं सामुदायिक विकास	43.54	278.56	10.45	332.55
6. विभिन्न	15.37	12.53	2.31	30.21
<b>योग</b>	<b>1,089.37</b>	<b>931.27</b>	<b>60.45</b>	<b>2,081.54</b>



### वित्तीय व्यवस्था

2,082 करोड़ रुपये की योजना में से 1,488 करोड़ रुपये मातृरिक्त साधनों एवं 581 करोड़ रुपये विदेशी सहायता से प्राप्त होने थे। पाठे की व्यवस्था 13 करोड़ रुपये ही रखी गयी। इसी प्रकार राज्यों के 930 करोड़ रुपये के प्रावधान में से 509 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा तथा शेष व्यवस्था राज्य स्वयं ही करेंगे।

### द्वितीय एकवर्षीय योजना 1967-68

(Second One-year Plan 1967-68)

1967-68 की एकवर्षीय योजना के लिए 2,246 करोड़ रुपये की योजना का निर्माण किया गया जो प्रथम एकवर्षीय योजना की तुलना में 25 करोड़ रुपये अधिक थी। इस राशि में से 1,172 करोड़ रुपये केंद्र एवं 1,010 करोड़ रुपये राज्यों व 64 करोड़ रुपये कर्तव्यासित प्रदेशों को दिया जाना निश्चित किया गया।

### योजना का उद्देश्य

राष्ट्रीय धाम में 20% से वृद्धि करने का उद्देश्य रखा गया। अनुमान लगाया गया कि राष्ट्रीय धाम में 1967-68 में 1966-67 की धमेक्षा 4,600 करोड़ रुपये से अधिक वृद्धि होगी।

### प्राथमिकताएं

इस योजना में कृषि एवं कृषि उपकरणों के उत्पादन की प्राथमिकता प्रदान की गयी व साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी प्राथमिकता की धेणी में रखा गया।

### योजना का व्यय कार्यक्रम

इस योजना के व्यय कार्यक्रम को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

#### व्यय कार्यक्रम

(करोड़ रुपये में)

मर्दे	व्यय राशि
1. उद्योग	521
2. परिवहन एवं संचार	418
3. कृषि	523
4. विद्युत	384
5. शिक्षा	112
6. परिवार नियोजन	75
7. सधु-उद्योग	44
8. जल की पूर्ति	36
9. आवास	26
10. धनुसंधान	19
11. पिछड़ी जाति कल्याण	19
12. पुनर्वास	16
13. मजदूर कल्याण	15
14. प्राथमिक कार्य	7
15. सामाजिक कल्याण	5
16. धन्य कार्य	26
धेत	2,246



(9) भूमिरहित रूपाकों को उत्पादक-वर्ग में परिवर्तित करने के कुछ कार्यक्रमों को प्रारंभ करना ।

(10) 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा को सुविधाओं दी जाएगी ।

(11) औद्योगिक विकास कार्यक्रमों को पूर्ण करना, भावी तकनीकी सहायता प्राप्त करना तथा औद्योगिक क्रियाओं में वृद्धि करना ।

(12) देश में महत्कारी ढाले की व्यवस्था करना एवं पंचायतराज की स्थापना करना ।

(13) सांख्यिक उपक्रम के प्रवर्धन-व्यवस्था का पुनर्गठन करना ।

### योजना में व्यय-व्यवस्था

योजना में कुल 24,882 करोड़ रुपये व्यय करने होंगे । सांख्यिक क्षेत्र के 15,902 करोड़ रुपये में से 13,655 करोड़ रुपये विनियोग पर तथा 2,247 करोड़ रुपये खानू मदे पर व्यय किए जाएंगे । निजी क्षेत्रों में 8,980 करोड़ रुपये विनियोग होंगे । इस प्रकार सांख्यिक एवं निजी क्षेत्र में कुल विनियोग 22,635 करोड़ रुपये होगा । इसके प्रतिरूप 2,247 करोड़ रुपये खानू व्यय के सम्मिलित करके द्रुप कुल योजना का व्यय 24,882 करोड़ रुपये है । इस व्यय का पृष्ठ 648 पर दी गई तालिका द्वारा दिखाया जा सकता है ।

### योजना की वित्त-व्यवस्था

चतुर्थ योजना में 15,902 करोड़ रुपये में से 12,438 करोड़ रुपये घरेलू बजटरी माधनों, 2,614 करोड़ रुपये बाह्य सहायता और 850 करोड़ रुपये हीनायें प्रबंधन से प्राप्त किए जाएंगे । पिछली योजनाओं में तुलनात्मक अध्ययन करने पर इसे निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

### वित्तीय व्यवस्था

(करोड़ रुपये में)

विवरण	तृतीय-योजना		तीन एकवर्षीय योजनाएँ		चतुर्थ योजना	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1. घरेलू बजटरी माधन	5021	58.5	3648	54.0	12,438	78.2
2. बाह्य सहायता	2423	28.3	2426	35.9	2,614	16.5
3. हीनायें प्रबंधन	1133	13.2	682	10.1	850	5.3
योग	8577	100	6756	100	15,902	100

### पंचम पंचवर्षीय योजना

(Fifth Five-year Plan)

पहू योजना 1974 में 1979 तक की अवधि के लिए बनायी गयी थी । इस योजना में कुल व्यय 53,411 करोड़ रुपये होंगे, जिसमें से 37,250 करोड़ रुपये सांख्यिक क्षेत्र एवं 16,161 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में व्यय होंगे । सांख्यिक क्षेत्र में भी 31,670 करोड़ रुपये विनियोग पर एवं 5,580 करोड़ रुपये खानू व्ययों पर व्यय होंगे ।

### योजना के उद्देश्य

पंचम योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं—

(i) देश में गरीबी को दूर करना ।

(ii) अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ।

**विकास व्यय कार्यक्रम**  
(करोड रुपये में)

भर	सार्वजनिक क्षेत्र		निजी	सार्वजनिक व निजी क्षेत्र		प्रतिशत
	घातू व्यय	विनियोग		कुल विनियोग	कुल व्यय	
1. कृषि व सहायक क्षेत्र	610	2,118	1,600	3,718	4,323	17.4
2. सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण	14	1,073	—	1,073	1,087	4.4
3. लघुत	—	2,448	75	2,523	2,523	10.1
4. शारीर्य व सपू उद्योग	107	186	560	746	853	3.4
5. उद्योग व सानिज	40	3,298	2,000	5,298	5,338	21.4
6. परिवहन एवं सचहन	40	3,197	920	4,117	4,157	16.7
7. सिंचा	545	278	50	328	873	3.5
8. वैमानिक अनुसंधान	45	95	—	95	140	0.6
9. स्वास्थ्य	303	132	—	132	435	1.7
10. परिवार नियोजन	262	53	—	53	315	1.3
11. जल पूति व सफाई	2	404	—	404	406	1.6
12. ग्रह, पट्टरी व क्षेत्रीय विकास	2	235	2,175	2,410	2,412	9.7
13. पिछड़ी जाति कल्याण	142	—	—	—	442	0.6
14. समाज कल्याण	41	—	—	—	41	0.2
15. क्षम-वल्याण	20	20	—	20	40	0.2
16. अन्य कार्यक्रम	74	118	—	118	192	0.8
17. इंडस्ट्रीज	—	—	1,600	1,600	1,600	6.4
<b>योग</b>	<b>2,247</b>	<b>13,655</b>	<b>8,980</b>	<b>22,635</b>	<b>24,882</b>	<b>100</b>

- (iii) प्राथिक शक्ति के केंद्रीयकरण को रोकना ।
- (iv) प्राय व संपत्ति को प्रसमानता को रोकना ।
- (v) क्षेत्रीय विकास को संतुलित करना ।
- (vi) एक स्वतंत्र व उचित समाज की स्थापना करना ।

1974-75 से 1980-81 तक विकास दर 6.2% व उसके पश्चात् 6.5% रहेगी । जनसंख्या की वृद्धि से 2.5% है यह घटकर 1.7% रह जाएगी ।

### योजना में व्यय-व्यवस्था

पंचम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 37,250 करोड़ रुपये व्यय होंगे, जिसमें से 19, 17,073 करोड़ रुपये राज्य में तथा 600 करोड़ रुपये केंद्रीय क्षेत्र में व्यय होंगे ।

सार्वजनिक क्षेत्र की व्यय-व्यवस्था को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

### सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय-व्यवस्था

विकास मर्द	राशि	
1. कृषि व सिंचाई	7,411	
2. विद्युत	6,190	
3. खान व उत्पादन	8,939	
4. निर्माण	25	
5. परिवहन व संचार	7,115	
6. व्यापार एवं मण्डल	205	0.6
7. आवास एवं जायदाद	600	1.6
8. वैज्ञानिक एवं बीमा	90	0.2
9. जन प्रशासन एवं सुरक्षा	98	0.3
10. अन्य सेवाएँ	6,209	16.6
<b>योग</b>	<b>36,882</b>	<b>100.0</b>

### भौतिक लक्ष्य

पाचवीं योजना के भौतिक लक्ष्य निम्न प्रकार हैं—

### उत्पादन के भौतिक लक्ष्य

मर्द	इकाई	1973-74	1978-79
1. खाद्यान्न	लाख टन	1140	1,400
2. तैयार स्पात	"	54.4	94
3. मोटर गाड़ियाँ	(संख्या)	90,000	1,00,000
4. स्कूज जाने वाले बच्चे	(लाखों में)	873	1,090
5. डॉक्टर एवं नर्स	(हजारों में)	138+88	176+123
6. मोटरसाइकिल व स्कुटर	(संख्या)	1,84,000	5,70,000